सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

१२

(अप्रैल १९१३ – दिसम्बर १९१४)

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

भारत सरकार

भूमिका

गांधीजीके दक्षिण आफ्रिका-कालसे सम्बन्धित पुस्तक मालाका यह अन्तिम खण्ड है। इसमें अप्रैल १९१३ से दिसम्बर १९१४ तक की सामग्रीका सग्रह किया गया है। अन्तिम सत्याग्रह-सघर्ष स्मट्स-गांधी समझौता और उसके फलस्वरूप भारतीय राहत विधेयककी रचना और गांधीजीका मातृभूमि गमन इस कालकी मुख्य घटनाएँ है।

केप सर्वोच्च न्यायालयके न्यायमूर्ति सलने १४ मार्च, १९१३को फैसला दिया था कि गैर-ईसाई विधिके अनुसार सम्पन्न या विवाह-अधिकारीके सामने अपजीयित भारतीय विवाहोको दक्षिण आफ्रिका सघमे मान्यता नही दी जायेगी। इस फैसलेका नतीजा यह निकला कि हिन्दू और मुसलमान पत्नियोका दर्जा एक तरहसे रखैल औरतोका और उनकी सन्तानका दर्जा अवैध सन्तानका बन गया। उससे भारतीयोकी धार्मिक भावनाको गहरी ठेस लगी।

नये प्रवासी विधेयकका मौजूदा अधिकारोपर बुरा असर पडा, उसने नई-नई निर्योग्यताएँ भी थोप दी। नेटाल-भारतीयोके अधिवास-सम्बन्धी अधिकार गडबडा गये, शिक्षित भारतीयोकी पत्नियो और सन्तानको भी सघमे प्रवेश पाना मुश्किल हो गया। सन् १९११के अस्थायी समझौते (प्रॉवीजनल सेटलमेंट) मे निहित समझौतेका सार-तत्त्व ही था कि भारतीय प्रवासियोपर ऐसी निर्योग्यताएँ नही थोपी जायेगी जो अन्य जातियो या सघके अन्य वर्गोपर लागू होती हो। परन्तु हुआ यह कि प्रवासी विधेयकने भारतीयोपर खुद कानूनमे ही जातीय भेदभावसे युक्त बाधा लाद दी। गांधीजीने उसे दक्षिण आफ्रिकासे निवासी एशियाइयोको निकालनेकी एक जानी-बूझी कोशिशके रूपमें देखा।

गांधीजीने अप्रैल १९१३मे गृह-मन्त्रालयको जो अभ्यावेदन-पत्र भेजे थे उनमे इन बातोपर जोर दिया गया था कि सर्ले-निर्णयके फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थितिका निराकरण सघके विवाह-सम्बन्धी कानूनोमे रद्दोबदल करके ही किया जा सकेगा, वर्तमान अधिकारोको बहाल करनेके लिए प्रवासी विधेयकको सशोधित किया जाना चाहिए, तीन-पौडी कर हटा दिया जाना चाहिए, ट्रान्सवालके कानूनमे मौजूद जातीय भेदभावके दोषको दूर किया जाना चाहिए, और मौजूदा कानूनोके अमलमे उदारतासे काम लेना चाहिए। गांधीजीने स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इन मॉगोको स्वीकार करनेमे असमर्थता प्रकट करेगी, तो भारतीय समाजको सत्याग्रहका सहारा लेना पडेगा। इस बारका आन्दोलन थोडे ही समय चलेगा और उसकी गति तेज होगी। वह समूचे सघमे चलाया जायेगा और उसमे पहली बार नारियाँ भी सत्याग्रहियोके रूपमे भाग लेगी। भारतीय नारी जो युगोसे अपनी सामाजिक परम्पराओके कारण घरकी चार दीवारीके भीतर रहती आई थी सर्ले-निर्णयकी चुनौती स्वीकार करनेके लिए तैयार हो गई और उसने सघर्षमे कूदनेका निश्चय कर लिया। प्रवासी विधेयकका

द्वितीय वाचन होते-होते, २६ अप्रैलको ही भारतीय नारियोने अपना तीव्र विरोध और सत्याग्रह छेडनेका सकल्प घोषित कर दिया था। सरकार इस सबपर भडक उठी, उसने कहा कि यदि भारतीय समाज अपनी धमकीपर अमल करेगा, तो सरकारको विवश होकर बिना लाग-लपेटके अपनी बात साफ-साफ करनी पडेगी। गाधीजीने खुलासा किया कि आन्दोलन इस बातका प्रयास होगा कि ब्रिटिश सविधानकी "सुन्दर कल्पनामे अपनी आस्था बनाये हुए" सत्याग्रही लोग "उसे चरितार्थ करनेके लिए सघर्ष करनेको या उस सघर्षमे मर मिटनेको तैयार है।" (पृष्ठ ७१)

लगता है कि सरकारके रुखमे कुछ नरमी आई और वह केप तथा नेटालके कानूनोके अन्तर्गत मौजूदा अधिकारोको बहाल करने और कुछ बातोमे प्रवासी विधेयकको सशोधित करनेपर राजी हो गई। परन्तु भारतीय विवाहोसे सम्बन्धित अपने विचारोमे थोडी भी रद्दोबदल करनेके लिए वह तैयार नही थी। गाधीजीने स्पष्टीकरण किया कि वे केवल भारतमे हिन्दू और मुसलमान धार्मिक विधिसे सम्पन्न हुए विवाहोको मान्यता दिलाना चाहते है। कानूनमे परिवर्तन करके उसे ट्रान्सवालके विवाह सम्बन्धी कानूनके अनुरूप बनाया जा सकता है, जिसमे यूरोपीय विवाहोको मान्यता दी गई है। सरकारने इसके लिए शर्त रखी कि तब भारतीयोको विवाहके पजीयन-प्रमाणपत्र पेश करने चाहिए। गाधीजीने इसपर स्पष्ट कहा कि भारतमे पजीयनकी प्रथा न होनेसे न तो ऐसा सम्भव है और न आवश्यक ही, क्योकि भारतमे विवाहकी विधियाँ समुचित सार्वजनिक समारोहके साथ सम्पन्न की जाती है। गाधीजीने प्रवासी विधेयकके सशोधनोके लिए आग्रह करनेमे केप टाउनके चन्द यूरोपीय ससद-सदस्योकी मैत्री और सहानुभूति-पूर्ण भावनाओका काफी उपयोग किया, लेकिन सरकारने जो सशोधन स्वीकार किये वे बहुत अपर्याप्त थे। गाधीजीने २ जूनको एक भेटके दौरान घोषित किया कि यदि सरकार भारतीयोकी मागे नही मानती तो सत्याग्रह अनिवार्य हो जायेगा।

लगता है कि सरकार सत्याग्रह फिर शुरू होनेकी सम्भावनासे काफी अधिक चिन्तित थी। सघके गवर्नर-जनरल लॉर्ड ग्लैड्स्टनने अपने एक गुप्त खरीतेमे उपनिवेश कार्यालयको लिखा था कि वह भारत सरकारको परिस्थितिकी गम्भीरता समझाये और इससे "गाधी तथा अन्य लोगोपर अपना प्रभाव डालनेके लिए" कहे, जिससे कि सकट टाला जा सके। उन्होने लिखा था कि वह तीन-पौडी करको पूरी तौरपर रद करानेकी भरसक कोशिश कर रहे है।

जूनके प्रारम्भमे सरकारने केवल स्त्रियोको करसे मुक्त करनेका फैसला किया। गाधीजीने बतलाया कि तीन-पौडी कर रद करनेका जो वचन गोखलेको दिया गया था उसमे स्त्री और पुरुषोके बीच ऐसा कोई भेद नही किया गया था। प्रवासी विधेयक ११ जूनको पास हुआ और १३ जूनको गाधीजीने कहा कि यदि विधेयकपर सम्राटकी अनुमति मिलना नही रोका जाता और १९११के अस्थायी समझौतेके सिलसिलेमे दिये गये आश्वासनको कार्यान्वित नही किया जाता तो स्त्री-पुरुष सत्याग्रह शुरू कर देगे। १६ जूनको ब्रिटिश भारतीय सघने गवर्नर-जनरलसे औपचारिक रूपमे अनुरोध किया कि वह अधिनियमका अनुमोदन न करे। गाधीजीने मँडराते हुए सकटको टालनेकी एक आखिरी

कोशिश की। उन्होने प्रिटोरिया जाकर २८ जूनको भारतीयोका दष्टिकोण पेश किया और यह आश्वासन मॉगा कि कमसे-कम अगले वष तो कानून सशोधित कर दिया जायेगा। उन्होने २ जुलाईको गृह-सचिवसे भेट की ओर भारतीयोकी ये बुनियादी मॉगे पेश की केप प्रान्तमे प्रवेशके अधिकारको मान्यता, नेटालमे अधिवास-सम्बन्धी अधिकारोकी रक्षा, फ्री स्टेटमे प्रवेशार्थियोसे भूमि, व्यापार, इत्यादिसे सम्बन्धित हलफ-नामेकी मॉग न करना और कानूनके सशोधन द्वारा या विवाह-अधिकारियोको प्रमाणी-करणकी शक्ति देकर भारतीय विवाहोका वैधीकरण। उन्होने कहा कि आखिरी मॉगके अतिरिक्त अन्य सभी मॉगोको प्रशासकीय कारवाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। (पष्ठ १२०)। गाधीजी जनरल स्मट्ससे भी भेट करनेके लिए तैयार थे, परन्तु जोहानिसबगके कोयला-खनिकोकी हडतालके कारण जनरल स्मटस लगातार व्यस्त बने रहे।

गाधीजी ११ अगस्त तक भी औद्योगिक झगडा शान्त होनेपर जनरल स्मट्ससे भेट कर पानेकी राह देखते रहे, परन्तु उनको इसी उत्तरपर सन्तोष करना पडा कि गृह-मन्त्रालय उनके २ जुलाईके प्रस्तावोपर विचार कर रहा हे। गाधीजीने ३ सित-म्बरको फिर अनुरोध करते हुए कहा कि अपनी मागोमे नरमी और सयम बरतनेमे उनका उद्देश्य समझोतेको आसान बनाने और यह दिखलानेका रहा हे कि भारतीय लोग सघषकी पुनरावृत्तिके लिए 'उतावले' नही हो रहे है। परन्तु गृह-मन्त्रालयने १० सितम्बरको ऐलान कर दिया कि वह अगले वर्ष भी ससदीय कारवाईके जरिये वतमान विवाह-कानूनका आधार बदलनेका वचन नही दे सकता और उसने विचाराधीन मुकदमेको वापस लेनेसे इनकार कर दिया।

इस प्रकार सत्याग्रह सवथा अनिवाय हो गया, दूसरा कोई चारा नही था। गाधीजीके द्वारा इस अवसरपर व्यक्त किये गये इन उद्‌गारोसे एक समूचे उस समाजकी मनोव्यथा टपकती है जिसे अधिकारियोकी जिदके कारण सघष छेडनेके लिए लाचार होना पडा था "एक प्रतिनिधित्वहीन समाज है और उसकी कोई सुनवाई नही होती, उसे अतीतमे बहुत गलत समझा गया है, वह एक विचित्र किन्तु तीव्र प्रजातिगत विद्वेषके हाथो तबाह है, और इसलिए वह अपने गौरव और सम्मानकी रक्षा त्याग और कष्ट-सहनके सिवा किसी अन्य उपायसे नही कर सकता।" (पृष्ठ १७९-८०) १२ सितम्बरको ब्रिटिश भारतीय सघने सरकारको सत्याग्रहकी पूव सूचना दे दी।

इस बारका सत्याग्रह ट्रान्सवालकी सीमामे अनधिकृत प्रवेश तक ही सीमित नही रहना था, परवानोके बिना ठेले लगाना या व्यापार करना और मॉगे जानेपर भी परवाने दिखानेसे इनकार करना भी उसमे शामिल था। स्वाभाविक तथा नैतिक आधारसे कानूनोका खुले रूपसे उल्लघन किया जाना था। आन्दोलनकी शुरुआत १५ सितम्बरको की गई थी। कस्तूरबाके नेतृत्वमे १२ पुरुषो और ४ स्त्रियोका एक दल गिरफ्तार होनेके लिए डर्बनसे फोक्सरस्टको रवाना हुआ। "एक शक्तिमान सरकारके विरुद्ध मुट्‌ठीभर" अल्पसख्यकोके दलका इस प्रकार भिडना एक प्रतीकात्मक कार्य था। (पृष्ठ १८६) २० सितम्बरको वे गिरफ्तार किये गये। तीन दिन बाद, कस्तूरबाको कठोर परिश्रम-सहित तीन महीनेके कारावासकी और अन्य सत्याग्रहियोको

एकसे तीन-तीन महीनेके कारावासकी सजा सुनाई गई। अधिकारियोकी सघर्षको बदनाम करने और उसमे फूट डालनेकी कोशिशके बावजूद सघष जारी रहा।

१७ अक्तूबरको न्यू कैसिलकी कोयला-खानोके भारतीय श्रमिकोने तीन-पौडी करके विरोधमे हडताल कर दी। उस हडतालके साथ ही, सघषका नया ओर क्रान्तिकारी दौर शुरू हो गया। गाधीजीने हडतालियोसे कहा कि वे मालिको द्वारा दी जानेवाली खुराक लेनेसे इनकार कर दे और या तो अपनेको गिरफ्तार करा दे या फिर फोक्स-रस्टकी सीमाकी ओर प्रयाण करे। गाधीजीने खान-मालिकोको पूरी बात समझानेके लिए उनकी सभामे भी भाषण किया।

सघर्षका तीसरा दौर "महान कूच"के साथ ६ नवम्बरको शुरू हुआ, जब अन्यायपूर्ण तीन-पौडी करके विरोधमे दो हजारसे अधिक हडतालियोका एक "शानदार जुलूस" उनके नेतत्वमे ट्रान्सवालमे प्रविष्ट हुआ। ७ और ११ नवम्बरके बीच गाधीजीको तीन बार गिरफ्तार किया गया और दो बार उनको जमानतपर रिहा किया गया। अन्तमे उनको डडीमे कठोर परिश्रम सहित नौ महीनेके कारावास या ६० पौड जुर्मानेकी सजा सुना दी गई। उन्होने जेल जाना पसन्द किया। १४ नवम्बरको उन-पर दूसरा मुकदमा चलाया गया और अन्य अपराधोके लिए तीन महीनेकी सजा दी गई।

इस बीच हडताल कोयला खानोसे बढकर रेल, चीनी साफ करनेकी फैक्टरियो, गोदी और निगम-कर्मचारियो तक फैल चुकी थी। ८ नवम्बरको ७,००० से ८,००० तक श्रमिकोके हडतालमे शामिल होनेका समाचार था। अधिकारियोने हिंसापूण कार्र-वाई भी की और इसके फलस्वरूप, जैसा कि अनिवाय था, विदेशोमे जनमत सत्या-ग्रहियोके पक्षमे जाग्रत हुआ। वाइसराय लॉर्ड हार्डिजने २९ नवम्बरको मद्रासमे भाषण करते हुए सत्याग्रहियोके प्रति अपनी चिन्ता और सहानुभूति व्यक्त की।

इसके बादके कालमे भारतीयोकी समस्याके बारेमे सरकारकी नीतिमे कब क्या परिवर्तन आया, यह अधिकारियोके पत्र-व्यवहारमे, विशेषकर गवनर-जनरलकी ओरसे ब्रिटिश उपनिवेश-कार्यालयको भेजे गये गुप्त खरीतोमे देखा जा सकता है। अधिकारियोके साथ हुई गाधीजीकी कुछ भेटोका विवरण तो केवल उनमे ही मिलता है। गाधीजीके जेल जानेके बादका घटना-क्रम और वास्तवमे तो १८९४ से १९१४ तक दक्षिण आफ्रिकामे चलनेवाले भारतीयोके समूचे सघर्षका एक सक्षिप्त सिहावलोकन दिसम्बर १९१४के 'इडियन ओपिनियन'के 'स्वर्ण अक'मे प्रकाशित एक प्रामाणिक सम्पादकीयमे मिलता है (देखिए परिशिष्ट २८)। इसमे जैसे घटना-क्रम बतलाते हुए कहा गया है "मद्रासमे लॉर्ड हार्डिजका वह प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होने भारतीय जनमतके स्वरमें स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जाच-आयोगकी माँग, लॉर्ड ऍम्टहिलकी समितिके उत्साहपूर्ण प्रयत्न, साम्राज्य-सरकारका तत्परताके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय समाजकी भावनाका कोई खयाल न करते हुए एक ऐसे आयोगकी नियुक्ति जिसके सदस्य भारतीयोको कतई सन्तुष्ट नही कर सकते थे, नेताओकी रिहाई, जिनकी आयोगकी उपेक्षा करनेकी सलाह लगभग पूर्णत स्वीकार कर ली गई, श्री ऐन्ड्रयूज और पियर्सनका आगमन और समझौतेके लिए उनका अद्भुत कार्य, हरबतसिंह

और वलिअम्माकी मृत्यु, वह तनावपूण स्थिति, जिसमे सिफ यूरोपीयोकी दूसरी हड-तालके कारण ही हलकापन आ सका, क्योकि श्री गाधीने एक बार फिर तय कर लिया कि जबतक सरकार इस नई मुसीबतमे फँसी हुई है तबतक उसे परेशान न किया जाये, और सरकारके इस स्थितिपर काबू पा जानेपर, सौहार्द्र, विश्वास और सहयोगकी वह भावना, जो महान् भारतीय नेताकी उदारनीतिसे और अपने महान साम्राज्यीय उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रयत्न करते हुए श्री ऐन्ड्रचूजके उनपर स्नेहपूण प्रभावसे निर्मित थी।"

गाधीजीने विदाईके अवसरपर भारतीय समाजके नाम अपने पत्रमे २६ जूनको पास हुए भारतीय राहत अधिनियममे समाविष्ट समझौतेको दक्षिण आफ्रिकामे भार-तीय स्वातन्त्र्यका "अधिकारपत्र" (मैग्ना कार्टा) कहा था, क्योकि वह भारतीयोके प्रति सरकारी नीतिके परिवर्तनका द्योतक था और उसमे भारतीयोके इस अधिकारको मान्यता दी गई थी कि उनसे सम्बन्धित मामलोमे उनकी राय ली जायेगी और उनकी उचित आकाक्षाओका सम्मान किया जायेगा। इस प्रकार उनके लिए अपनी मातृभूमिके बाद सबसे अधिक पवित्र और प्रिय बन जानेवाले उप-महाद्वीप (पष्ठ ४९६) — दक्षिण आफ्रिकासे १८ जुलाईको विदाई लेते समय, गाधीजीके मनमे यही भाव था कि उन्होने जिस कामका बीडा उठाया था वह काम पूरा हो चुका है।

गाधीजी ४ अगस्त से १८ सितम्बर तक लन्दनमे रुके। उसी बीच प्रथम विश्व-युद्ध शुरू हो गया। गाधीजी कई बार बीमार पडनेके बावजूद एक "भारतीय एम्बुलैंस कोर"के सगठनमे सक्रिय रूपसे लगे रहे। उस सकटकी घडीमे साम्राज्यके प्रति उनकी राजभक्तिका यह एक प्रतीक था। इस कायमे भी एक बार उन्हे सत्याग्रह करनेका अवसर आ पडा था। प्रश्न था भारतीयोके इस अधिकारका कि 'कोर'की टुकडियोको तैनात करनेके बारेमे भारतीयोसे परामश किया जाना चाहिए और वह भारतीयोके आत्म-सम्मानसे सम्बन्ध रखता था। गाधीने इसको लेकर सत्याग्रह किया और उनकी जीत हुई।

गाधीजी १९ सितम्बरको भारतके लिए रवाना हुए — उस देशके लिए "जहाँ समूचे ससारके सुख एव उत्थानके लिए आध्यात्मिक ज्ञानका विशालतम भण्डार मौजूद है।" उन्होने भारत और ग्रेट ब्रिटेनके सम्बन्धोको पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा (पृ० ५५६) और दृढ बनानेके लिए काम करनेपर जोर दिया — इस बातसे उनके तत्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणका पता चलता है। यात्रा-कालकी अपनी भावनाको उन्होने वेस्टके नाम जहाजसे लिखे गये पत्रमे व्यक्त किया है। "इतनी बार मुझे भारत जाते-जाते रुक जाना पडा है कि एकाएक मनको विश्वास नही होता कि मै भारत जानेवाले जहाजमे बैठा हूँ। और मेरी समझमे नही आता कि वहाँ पहुँचकर मुझे स्वय क्या करना होगा? फिर भी 'हे सदय प्रकाश, घिरे हुए अन्धकारमे मुझे रास्ता दिखा, मुझे आगे ले चल' — यही विचार मुझे ढाढस देता है ।" (पृ० ५५७-५८)

इस खण्डमे मौजूद निजी पत्रोसे पता चलता है कि सघर्षकी उथल-पुथलके बीच भी गाधीजी ईश्वर और मोक्षके प्रश्नोपर विचार करते रहते थे। इन पत्रोमे देखा

जा सकता है कि आश्रमकी जीवन-पद्धतिने उन्हें कितना प्रभावित किया था, वे अब भारतमें भी इसी जीवन-पद्धतिको अपनाये रखना चाहते थे। यह भी पता चलता है कि अपने 'राजनीतिक गुरु', गोखलेके प्रति उनका लगाव कितना गहरा था। भारत भूमिपर पैर धरनेके बाद गोखलेके सुझावपर उनका वर्षभर तक केवल अध्ययन और निरीक्षणमें लगे रहना तथा अपनी कोई राय न देना — इसका साक्षी है।

दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके जीवन और उनकी सफलताओंके बारेमें — जिनसे सम्बन्धित साधन-सामग्री इन बारह खण्डोंमें संकलित की गई है — 'इंडियन ओपिनियन'का 'स्वर्ण अंक' (परिशिष्ट २८) लिखता है

यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जैसे-जैसे सत्याग्रह-संघर्ष जोर पकड़ता गया और जैसे-जैसे वह पवित्रसे पवित्रतर होता गया, वैसे-वैसे वह यूरोपीय और भारतीय, दोनों समुदायोंके श्रेष्ठतम प्रतिनिधियोंको अधिकाधिक पास लाता गया। हर चरण अपने साथ एक नई विजय और नई मैत्री लेकर आता था। संघर्षका प्रारम्भ भारतीय समाजके प्रति सर्वत्र व्याप्त अविश्वास और तिरस्कारकी व्यापक भावनाके विरोधसे हुआ। अब उस अविश्वास और तिरस्कारका स्थान विश्वास और आदरकी भावनाने ले लिया है। यह आन्दोलन १९०७के ट्रान्सवाल अधिनियम २की मसूखीकी माँगसे प्रारम्भ हुआ। कानून मसूख कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण आफ्रिकामें लागू कर दिये जानेकी जो आशंका उत्पन्न हो गई थी, उसका पूर्णतः निवारण हो गया। प्रारम्भमें भारतीयोंको इस उपनिवेशसे निकाल बाहर करनेके उद्देश्यसे उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी आशंका थी। समझौतेने साम्राज्यके किसी भी अंगमें भारतीयोंके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी सारी सम्भावना समाप्त कर दी। गिरमिटिया मजदूरोंके रूपमें भारतीयोंका आव्रजन, जो दक्षिण आफ्रिकाके अर्थतंत्रका लगभग एक स्थायी अंग माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। घृणित तीन-पौंडी कर समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध कष्टों और अपमानोंका भी अन्त हो गया है। निहित स्वार्थ — जिनके सर्वत्र अस्त हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे — अब सुरक्षित और बरकरार रखे जानेको हैं। अधिकांश भारतीय विवाहोंको, जिन्हें पहले कभी भी दक्षिण आफ्रिकाके कानूनकी मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको है। परन्तु, इन सबके अलावा जो बात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह सत्याग्रहियोंकी कठिनाइयों, कष्टों और बलिदानोंसे उद्भूत समझौते और मेलजोलकी नई भावना है। इस संघर्षने शक्तिकी तुलनामें अधिकार, पशुबलकी तुलनामें आत्म-बल और घृणा तथा अमर्षकी तुलनामें प्रेम तथा विमर्शकी असीम श्रेष्ठताको अत्यन्त स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया है।"

वैसे बादके इतिहासने यही सिद्ध किया कि दक्षिण आफ्रिकाकी जातीय समस्याका हल तब भी दूर था, लेकिन गांधीजीने आगे चलकर जिस अस्त्रके बलपर अपने देशकी जनताको मुक्ति दिलाई और साम्राज्यवादी युगकी परिसमाप्ति की, सत्याग्रहके उस अस्त्रका आविष्कार उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें ही किया और वहीं उसे कारगर बनाया था।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास तथा सग्रहालय (साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐड मेमोरियल ट्रस्ट, ऐड सग्रहालय), नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ-सग्रहालय, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय और भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया), नई दिल्ली, भारत सेवक समिति (सर्वेंट्स ऑफ इडिया सोसाइटी), पूना, उपनिवेश कार्यालय (कलोनियल ऑफिस) तथा भारत कार्यालय (इडिया ऑफिस) पुस्तकालय, लन्दन, श्री छगनलाल गाधी, अहमदाबाद, श्री नारणदास गाधी, राजकोट, श्रीमती राधाबेन चौधरी, कलकत्ता, श्रीमती सुशीलाबेन गाधी, फीनिक्स, डर्बन, श्री विष्णुदत्त दयाल, श्री सी० एम० डोक, श्री लूइस फिशर, श्री ए० एच० वेस्टके तथा **गाधीजीनी साधना, जीवन प्रभात, जीवनना झरना, जीवननु परोढ** और **महात्मा गाधीना पत्रो,** इन पुस्तकोके प्रकाशको, तथा इन समाचारपत्रो तथा पत्रिकाओके आभारी है **केप आर्गस, केप टाइम्स, हिन्दू, इडिया, इडियन ओपिनियन, नेटाल मर्क्युरी, प्रिटोरिया न्यूज, रैड डेली मेल, स्टार, टाइम्स ऑफ इडिया,** और **ट्रान्सवाल लीडर** ।।

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस समिति पुस्तकालय, गाधी स्मारक सग्रहालय, इडियन कौसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन ऐड ब्राडकास्टिग) का अनुसन्धान तथा सदर्भ विभाग (रिसर्च ऐड रेफरेस डिवीजन), नई दिल्ली, तथा प्रलेखोकी फोटो-नकले तैयार करनेमे सहायता देनेके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालयका फोटो विभाग, साबरमती सग्रहालय तथा गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, तथा श्री प्यारेलाल नय्यर, नई दिल्ली, हमारे धन्यवादके पात्र है।

पाठकोको सूचना

विभिन्न अधिकारियोको लिखे गये प्राथनापत्र और निवेदन, अखबारोको भेजे गये पत्र और सभाओमे स्वीकृत प्रस्ताव, जो इस खण्डमे सम्मिलित किये गये है, उनको गाधीजीका लिखा माननेके कारण वे ही है जिनका हवाला खण्ड १की भूमिकामे दिया जा चुका हे। जहाँ किसी लेखको सम्मिलित करनेके विशेष कारण है वहाँ वे पाद-टिप्पणीमे बता दिये गये है। 'इडियन ओपिनियन'मे प्रकाशित गाधीजीके वे लेख जो लेखकका नाम दिये बिना छापे गये है, उनके 'आत्मकथा' सम्बन्धी लेखोके सामान्य साक्षी, उनके सहयोगी श्री छगनलाल गाधी और हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति और अन्य उपलब्ध प्रमाणोके आधारपर पहचाने गये है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अनुवाद छापेकी स्पष्ट भूले सुधारनेके बाद किया गया है और मूलमे प्रयुक्त शब्दोके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये है। यह ध्यान रखा गया है कि नामोको सामान्यत जैसा बोला जाता हे वैसा ही रखा जाये। जिन नामोके उच्चारण सदिग्ध है उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा था।

मूल सामग्रीके बीचमे चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अश मूलरूपमे उद्धृत किया है वह हाशिया छोडकर गहरी स्याहीमे छापा गया है, किन्तु यदि ऐसा कोई अश उन्होने अनूदित करके दिया है, तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड कर, साधारण टाइपमे छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्टें, न्यायालयोकी कार्यवाहियाँ तथा वे शब्द, जो गाधीजीके कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमे छापे गये है।

शीषककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध हे या जहाँ उसके बारेमे निणय किया जा सका है, वहाँ दाये कोनेमे दे दी गई है, किन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही हे वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठोमे की गई है और आवश्यक हुआ है, उसका कारण स्पष्ट कर दिया है। हिन्दी और गुजराती पत्रोमे जहा तिथि विक्रम सवत्के अनुसार दी गई है वहाँ ग्रेगोरियन पचागकी तदनुरूप तिथि भी दे दी गई है, कही-कही आन्तरिक या बाह्य साक्ष्यपर वर्षका निर्णय किया गया है। शीषकके अन्तमे सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है।

'सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा' और 'दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास' के अनेक सस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ सख्याएँ भिन्न है, इसलिए हवाला देनेमें केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है।

साधन सूत्रोंमें एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागजपत्रोंका, और सी० डब्ल्यू० कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोंमें दे दी गई है। साधनसूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ अन्तमें दी गई हैं।

चित्र-सूची

सत्याग्रह-सघर्षके दिनोमे — सन् १९१४	मुख पृष्ठ
“ महान कूच ”	४८ के सामने
कुमारी श्लेसिन और कैलेनबैकके साथ	४९ ,, ,,
जमानत-पत्र	३०४ ,, ,,
ऐन्ड्रचूज और पियर्सनके साथ	३०५ ,, ,,
यूरोपीय समिति द्वारा दिया गया मानपत्र	४७२ ,, ,,
शहीद-स्मारकका उद्घाटन	४७३ ,, ,,

विषय-सूची

भूमिका ५
आभार ११
पाठकोको सूचना १२
चित्र-सूची १४
१ पत्र गृह मत्रीको (१–४–१९१३) १
२ तूफानका सकेत (५–४–१९१३) २
३ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१४] (५–४–१९१३) ४
४ तार गृह मन्त्रीको (९–४–१९१३) ७
५ तार गृह-मन्त्रीको (९–४–१९१३) ८
६ पत्र ई० एफ० सी० लेनको (९–४–१९१३) ८
७ तार ब्रिटिश भारतीय सघको (९–४–१९१३ के बाद) १०
८ पत्र गवनर-जनरलके निजी सचिवको (१०–४–१९१३) १०
९ पत्र गृह-सचिवको (११–४–१९१३) ११
१० पत्र एशियाई पजीयकको (११–४–१९१३) १२
११ नया विधेयक (१२–४–१९१३) १३
१२ वैवाहिक उलझन (१२–४–१९१३) १४
१३ विधेयकका परिणाम (१२–४–१९१३) १५
१४ नया और पुराना विधेयक (१२–४–१९१३) १६
१५ जनूबीका मामला (१२–४–१९१३) १८
१६ हिन्दुओसे (१२–४–१९१३) १९
१७ सघको उत्तर (१२–४–१९१३) २०
१८ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१५] (१२–४–१९१३) २१
१९ पत्र गृह-सचिवको (१४–४–१९१३) २५
२० तार गृह-मन्त्रीको (१५–४–१९१३) २६
२१ पत्र गृह-सचिवको (१५–४–१९१३) २८
२२ पत्र ड्रमण्ड चैपलिनको (१६–४–१९१३) २९
२३ कस्तूरबा गाधीसे बातचीत (१९–४–१९१३ के पूर्व) ३०
२४ प्रवासी विधेयक (१९–४–१९१३) ३१
२५ लॉड एॅम्टहिलकी समिति (१९–४–१९१३) ३२
२६ नेटाली भारतीयो, सावधान! (१९–४–१९१३) ३३
२७ शिकारीका जाल (१९–४–१९१३) ३४
२८ नया विधेयक (१९–४–१९१३) ३५
२९ श्रीमती पैंकहस्टका त्याग (१९–४–१९१३) ३६

३० आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१६] (१९-४-१९१३) ३७
३१ पत्र गो० कृ० गोखलेको (१९-४-१९१३) ३९
३२ तार कैलरेको (२६-४-१९१३) ४१
३३ तीन पौडी कर सम्बन्धी निराशा (२६-४-१९१३) ४१
३४ वह विधेयक (२६-४-१९१३) ४२
३५ नया विधेयक (२६-४-१९१३) ४३
३६ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१७] (२६-४-१९१३) ४४
३७ तार गुल और गुलमुहम्मदको (२६-४-१९१३) ५०
३८ भाषण फ्रीडडॉर्पमें (२७-४-१९१३) ५१
३९ तार ड्रमड चैपलिन तथा अन्य लोगोको (२७-४-१९१३ के बाद) ५२
४० तार लॉर्ड ऍम्टहिलको (२७-४-१९१३) ५३
४१ भेट 'स्टार' के प्रतिनिधिको (२८-४-१९१३) ५४
४२ पत्र गवर्नर जनरलके निजी सचिवको (३०-४-१९१३) ५५
४३ विधेयक (३-५-१९१३) ५६
४४ सघर्ष (३-५-१९१३) ५७
४५ आयोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१८] (३-५-१९१३) ६०
४६ पत्र गृह-सचिवको (७-५-१९१३ के बाद) ६२
४७ भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रूपमे (१०-५-१९१३) ६३
४८ स्त्रियोका प्रस्ताव (१०-५-१९१३) ६४
४९ आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१९] (१०-५-१९१३) ६५
५० पत्र भवानी दयालको (१२-५-१९१३) ६८
५१ पत्र ड्रमड चैपलिनको (१४-५-१९१३) ६९
५२ द्वितीय वाचन (१७-५-१९१३) ७०
५३ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२०] (१७-५-१९१३) ७१
५४ पत्र गृह-सचिवको (१९-५-१९१३) ७५
५५ पत्र गृह सचिवको (१९-५-१९१३) ७५
५६ विधेयक (२४-५-१९१३) ७६
५७ आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२१] (२४-५-१९१३) ७८
५८ तार ड्रमड चैपलिन और दूसरोको (२४-५-१९१३) ८०
५९ तार मार्शल कैम्बेलको (२४-५-१९१३) ८१
६० तार पैट्रिक डकनको (२७-५-१९१३) ८१
६१ तार गृह-मन्त्रीको (२७-५-१९१३) ८२
६२ तार सर डेविड हटरको (२७-५-१९१३) ८३
६३ तार श्राइनर और कैम्बेलको (२७-५-१९१३) ८३
६४ तार गृह-मन्त्रीको (२७-५-१९१३) ८४
६५ तार मॉरिस अलेक्जैन्डरको (२९-५-१९१३) ८५
६६ तार सिनेटर श्राइनरको (२९-५-१९१३) ८६

६७ तार सिनेटर श्राइनरको (३०–५–१९१३) ८६
६८ तार गृह-मन्त्रीको (३०–५–१९१३) ८७
६९ पत्र जमनादास गाधीको (३०–५–१९१३) ८८
७० सम्भावना (३१–५–१९१३) ९१
७१ मुनियनका मामला (३१–५–१९१३) ९२
७२ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२२] (३१–५–१९१३) ९३
७३ वक्तव्य प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमे (२–६–१९१३) ९५
७४ तार गृह-मन्त्रीको (५–६–१९१३) ९७
७५ विधेयक (७–६–१९१३) ९७
७६ आरोग्यके सम्बधमे सामान्य ज्ञान [-२३] (७–६–१९१३) ९८
७७ पत्र गो० कृ० गोखलेको (७–६–१९१३) १००
७८ वक्तव्य तीन पौंडी करके सम्बन्धमे (११–६–१९१३ से पूव) १०२
७९ वक्तव्य प्रवासी विधेयकपर (१३–६–१९१३) १०३
८० विधेयक (१४–६–१९१३) १०४
८१ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२४] (१४–६–१९१३) १०६
८२ तार गवर्नर जनरलको (१६–६–१९१३) १०८
८३ पत्र गो० कृ० गोखलेको (२०–६–१९१३) १०९
८४ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२५] (२१–६–१९१३) १११
८५ तार गो० कृ० गोखलेका (२१–६–१९१३) ११३
८६ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२६] (२८–६–१९१३) ११४
८७ पत्र गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको (२८–६–१९१३) ११५
८८ पत्र गृह-सचिवको (२–७–१९१३) ११८
८९ पत्र जमनादास गाधीको (२–७–१९१३) १२१
९० पत्र गृह-सचिवको (४–७–१९१३) १२३
९१ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२७] (५–७–१९१३) १२४
९२ जोहानिसबर्गमे उपद्रव (१२–७–१९१३) १२७
९३ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२८] (१२–७–१९१३) १३०
९४ पत्र गो० कृ० गोखलेको (१२–७–१९१३) १३२
९५ प्रवासी कानून सम्बन्धी विनियम (१९–७–१९१३) १३३
९६ नया प्रवासी विधेयक (१९–७–१९१३) १३५
९७ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२९] (१९–७–१९१३) १३६
९८ पत्र जमनादास गाधीको (१९–७–१९१३) १३९
९९ पत्र भवानी दयालको (२३–७–१९१३) १४१
१०० पत्र एशियाई-पजीयकको (२३–७–१९१३ के बाद) १४२
१०१ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-३०] (२६–७–१९१३) १४३
१०२ तार गो० कृ० गोखलेको (२९–७–१९१३) १४५
१०३ पत्र एच० एस० एल० पोलकको (१–८–१९१३) १४५

१०४ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-३१] (२-८-१९१३) १४६
१०५ पत्र जमनादास गांधीको (७-८-१९१३) १४७
१०६ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-३२] (९-८-१९१३) १४९
१०७ पत्र प्रवासी-अधिकारीको (१०-८-१९१३) १५४
१०८ तार गृह-सचिवको (११-८-१९१३) १५४
१०९ नये कानूनका एक असर (१६-८-१९१३) १५५
११० स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई (१६-८-१९१३) १५५
१११ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-३३] (१६-८-१९१३) १५६
११२ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-३४] (१६-८-१९१३) १५७
११३ पत्र मणिलाल गांधीको (१६-८-१९१३ के बाद) १५९
११४ स्वर्गीय श्री जोजेफ जे डोक (२३-८-१९१३) १६०
११५ स्वर्गीय श्री डोक (२३-८-१९१३) १६४
११६ स्वर्गीय रेवरेंड जोजेफ डोक (२३-८-१९१३) १६५
११७ पत्र गृह-सचिवको (२४-८-१९१३) १६६
११८ भाषण शोक-सभामे (२४-८-१९१३) १६९
११९ भारतके पितामह (३०-८-१९१३) १७१
१२० और भी मित्र चल बसे (३०-८-१९१३) १७१
१२१ विवाहके बारेमे एक महत्वपूर्ण फैसला (२३-८-१९१३) १७२
१२२ पत्र एशियाई-पंजीयकको (१-९-१९१३ के बाद) १७३
१२३ पत्र सहायक गृह-सचिवको (३-९-१९१३) १७४
१२४ लॉर्ड सभाकी बहस (६-९-१९१३) १७४
१२५ तार गृह-सचिवको (१०-९-१९१३) १७६
१२६ पत्र गृह-सचिवको (११-९-१९१३) १७६
१२७ पत्र गृह-सचिवको (१२-९-१९१३) १७७
१२८ समझौता न हो सका (१३-९-१९१३) १८०
१२९ मणिलाल गांधीको लिखे पत्रका अंश (१७-९-१९१३) १८२
१३० पत्र हरिलाल गांधीको (१८-९-१९१३) १८३
१३१ पत्र मणिलाल गांधीको (१८-९-१९१३) १८५
१३२ श्री काछलियाका पत्र (१२-९-१९१३) १८६
१३३ इसे कैसे किया जाये? (२०-९-१९१३) १८९
१३४ संघर्ष कैसे किया जाये (२०-९-१९१३) १८९
१३५ पत्र 'नेटाल मर्क्युरी' को (२१-९-१९१३) १९१
१३६ पत्र गृह-सचिवको (२२-९-१९१३) १९४
१३७ फोक्सरस्टके सत्याग्रही (२४-९-१९१३) १९६
१३८ स्वर्गीय श्री हुसेन दाउद (२४-९-१९१३) १९७
१३९ तीन-पौंडी कर (२४-९-१९१३) १९८
१४० अपील-निकाय किसलिए? (२४-९-१९१३) २००

१४१ तीन पौंडी कर (२४-९-१९१३) २००

१४२ पत्र क्लीमेंट डोकको (२४-९-१९१३) २०२

१४३ पत्र मगनलाल गांधीको (२५-९-१९१३ के बाद) २०३

१४४ पत्र दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको (२७-९-१९१३) २०४

१४५ श्री गांधी लगभग गिरफ्तार! (२७-९-१९१३) २०६

१४६ पत्र गृह-सचिवको (२८-९-१९१३) २०७

१४७ 'भाषण' फ्रीडडापकी सभामें (२८-९-१९१३) २०८

१४८ पत्र मगनलाल गांधीको (२९-९-१९१३) २१०

१४९ भेंट 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको (२९-९-१९१३) २११

१५० पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को (३०-९-१९१३) २१२

१५१ पत्र मगनलाल गांधीको (३०-९-१९१३) २१४

१५२ स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद (१-१०-१९१३) २१५

१५३ विवाह-समस्या (१-१०-१९१३) २१८

१५४ विवाहका प्रश्न (१-१०-१९१३) २२१

१५५ हथियारोंके बिना असहाय (१-१०-१९१३) २२३

१५६ हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद (१-१०-१९१३) २२४

१५७ पत्र मगनलाल गांधीको (२-१०-१९१३) २२८

१५८ पत्र ऑलिव डोकको (३-१०-१९१३) २२९

१५९ प्रस्ताव पाटीदार संघकी सभामें (५-१०-१९१३) २२९

१६० पत्र मगनलाल गांधीको (५-१०-१९१३) २३०

१६१ व्रतका माहात्म्य (८-१०-१९१३) २३०

१६२ पत्र जेल-निदेशकको (९-१०-१९१३) २३१

१६३ एक अधिकृत वक्तव्य (१५-१०-१९१३) २३२

१६४ पत्र हरिलाल गांधीको (१७-१०-१९१३) २३४

१६५ भेंट 'इवनिंग क्रॉनिकल' को (१७-१०-१९१३ के बाद) २३५

१६६ कुलसम बीबीका मुकदमा (२२-१०-१९१३) २३५

१६७ तार गो० कृ० गोखलेको (२२-१०-१९१३) २३६

१६८ तार गो० कृ० गोखलेको (२२-१०-१९१३) २३७

१६९ भेंट 'रैंड डेली मेल' को (२२-१०-१९१३) २३७

१७० तार जनरल बोथाको (२३-१०-१९१३ के पूर्व) २४०

१७१ तार अखबारोंको (२३-१०-१९१३) २४०

१७२ पत्र गृह-मन्त्रीको (२३-१०-१९१३) २४१

१७३ पत्र मगनलाल गांधीको (२४-१०-१९१३) २४३

१७४ तार जी० ए० नटेसनको (२५-१०-१९१३ से पूर्व) २४४

१७५ भाषण वाणिज्य-मण्डलमें (२५-१०-१९१३) २४४

१७६ भेंट 'नेटाल मर्क्युरी' को (२५-१०-१९१३) २४५

१७७ तार गृह-मन्त्रीको (२८-१०-१९१३ से पूर्व) २४७

१७८ पत्र गो० कृ० गोखलेको (२९–१०–१९१३) २४८
१७९ तार गृह-मन्त्रीको (३०–१०–१९१३) २४८
१८० न्याय-सचिवको लिखे पत्रका साराश (३१–१०–१९१३) २४९
१८१ प्रवासी अधिकारीको लिखे पत्रका साराश (३१–१०–१९१३) २४९
१८२ भेट रायटरको (३–११–१९१३) २५०
१८३ तार गो० कृ० गोखलेको (४–११–१९१३ से पूव) २५०
१८४ भेट 'नेटाल मर्क्युरीको (५–११–१९१३) २५१
१८५ तार गो० कृ० गोखलेको (६–११–१९१३ से पूव) २५१
१८६ लडाईके समाचार (६–११–१९१३से पूव) २५२
१८७ तार गृह-मन्त्रीको (७–११–१९१३) २५२
१८८ जमानतकी दर्खास्त (८–११–१९१३) २५३
१८९ भेट रायटरको (८–११–१९१३) २५४
१९० पत्र भारतीयोको (११–११–१९१३) २५५
१९१ डडीमे मुकदमा (११–११–१९१३) २५५
१९२ हडतालियोको सन्देश (११–११–१९१३) २५७
१९३ पत्र मगनलाल गाधीको (११–११–१९१३) २५८
१९४ फोक्सरस्टमे मुकदमा (१४–११–१९१३) २५९
१९५ पोलकके मुकदमेमे गवाही (१७–११–१९१३) २६१
१९६ पत्र कुमारी देवी वेस्टको (१४–१२–१९१३) २६२
१९७ भाषण जोहानिसबगमे (१८–१२–१९१३) २६५
१९८ भाषण डबनमे (२०–१२–१९१३) २६६
१९९ भेट 'नेटाल मर्क्युरी' को (२०–१२–१९१३) २६६
२०० भाषण सावजनिक सभामें (२१–१२–१९१३) २६७
२०१ पत्र गृह-मन्त्रीको (२१–१२–१९१३) २७१
२०२ भाषण मैरित्सबर्गकी सभामे (२२–१२–१९१३) २७५
२०३ भाषण श्रीमती गाधीकी रिहाईपर (२२–१२–१९१३) २७६
२०४ भापण मैरित्सबगकी सावजनिक सभामे (२२–१२–१९१३) २७६
२०५ तार गो० कृ० गोखलेको (२२–१२–१९१३) २७७
२०६ पत्र 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' को (२२–१२–१९१३ के बाद) २७९
२०७ तार गो० कृ० गोखलेको (२३–१२–१९१३) २८१
२०८ तार गो० कृ० गोखलेको (२३–१२–१९१३) २८२
२०९ तार लॉड ऍम्टहिलको (२३–१२–१९१३) २८३
२१० तार लॉड ऍम्टहिलको (२३–१२–१९१३) २८४
२११ पत्र "नेटाल मर्क्युरी" को (२३–१२–१९१३) २८५
२१२ तार गो० कृ० गोखलेको (२४–१२–१९१३) २८६
२१३ तार गो० कृ० गोखलेको (२४–१२–१९१३) २८७
२१४ तार लॉड ऍम्टहिलको (२४–१२–१९१३) २८७

२१५ तार गृह-मन्त्रीको (२५–१२–१९१३) २८८
२१६ तार गो० कृ० गोखलेको (२५–१२–१९१३) २८९
२१७ तार गो० कृ० गोखलेको (२६–१२–१९१३) २९०
२१८ तार गो० कृ० गोखलेको (२६–१२–१९१३) २९१
२१९ तार गो० कृ० गोखलेको (२६–१२–१९१३) २९१
२२० पत्र माशल कैम्बेलको (२६–१२–१९१३) २९२
२२१ भेंट रायटरको (२७–१२–१९१३ से पूव) २९४
२२२ तार गो० कृ० गोखलेको (२७–१२–१९१३) २९५
२२३ तार गो० कृ० गोखलेको (२७–१२–१९१३) २९५
२२४ भाषण मैरित्सबर्गमे (२७–१२–१९१३) २९६
२२५ तार गृह-मन्त्रीको (२९–१२–१९१३) २९७
२२६ तार गो० कृ० गोखलेको (२९–१२–१९१३) २९८
२२७ तार गो० कृ० गोखलेको (२९–१२–१९१३) २९९
२२८ भेंट 'नेटाल मर्क्युरी' को (२९–१२–१९१३) ३०२
२२९ तार गो० कृ० गो० खलेको (३०–१२–१९१३) ३०४
२३० पत्र 'नेटाल मर्क्युरीको' (३०–१२–१९१३) ३०५
२३१ हिन्दी और तमिल (३१–१२–१९१३) ३०६
२३२ तार गो० कृ० गोखलेको (३१–१२–१९१३) ३०७
२३३ पत्र माशल कैम्बेलको (१–१–१९१४) ३०८
२३४ तार गो० कृ० गोखलेको (१–१–१९१४) ३०९
२३५ तार गो० कृ० गोखलेको (२–१–१९१४) ३१०
२३६ तार गो० कृ० गोखलेको (२–१–१९१४) ३१०
२३७ तार गो० कृ० गोखलेको (३–१–१९१४) ३११
२३८ भाषण सी० एफ० ऐण्ड्रयूजके स्वागत-समारोहमें (४–१–१९१४) ३१२
२३९ पत्र मणिलाल गाधीको (४–१–१९१४) ३१२
२४० भेंट रायटरके प्रतिनिधिको (४–१–१९१४) ३१३
२४१ पत्र 'इडियन ओपिनियन' को (५–१–१९१४ के बाद) ३१४
२४२ अमर-पुरुष हरबतसिंह (७–१–१९१४) ३१६
२४३ भेंट 'प्रिटारिया न्यूज' के प्रतिनिधिको (९–१–१९१४ से पूव) ३१६
२४४ एक महत्वपूण सलाह (१४–१–१९१४) ३१८
२४५ जनरल स्मटससे भेंट (१६–१–१९१४) ३१८
२४६ पत्र गह-सचिवको (२१–१–१९१४) ३२१
२४७ पत्र रावजीभाई पटेलको (२१–१–१९१४) ३२३
२४८ तार गो० कृ० गोखलेको (२२–१–१९१४) ३२४
२४९ भेंट 'रैड डेली मेल' के प्रतिनिधिको (२३–१–१९१४) ३२५
२५० पत्र भवानी दयालको (२३–१–१९१४) ३२६
२५१ तार गो० कृ० गाखलेको (२५–१–१९१४ या उससे पूव) ३२६

२५२ भाषण सावजनिक सभामे (२५-१-१९१४) ३२७
२५३ तार गो० कृ० गोखलेको (२६-१-१९१४) ३३१
२५४ पत्र भारतीय परिवेदना आयोगको (२६-१-१९१४) ३३१
२५५ स्मट्स-गाधी पत्र-व्यवहार (२८-१-१९१४) ३३२
२५६ तार गो० कृ० गोखलेको (३०-१-१९१४) ३३३
२५७ विवाहकी समस्याके बारेमे विचार (२-२-१९१४) ३३४
२५८ पत्र मणिलाल गाधीको (३-२-१९१४) ३३५
२५९ देशनिकाला किन्हे होगा? (४-२-१९१४) ३३६
२६० प्रवासी अधिनियम (११-२-१९१४) ३३७
२६१ नेताओसे अपील (११-२-१९१४) ३३९
२६२ विवाहके सम्बन्धमे (११-२-१९१४) ३४०
२६३ प्रवासके महत्वपूण मामले (११-२-१९१४) ३४१
२६४ नाबालिगोके अधिकार (११-२-१९१४) ३४३
२६५ हमारी आशाए (११-२-१९१४) ३४४
२६६ पत्र रावजीभाई पटेलको (१५-२-१९१४ के बाद) ३४६
२६७ ऑगलियाकी गवाही (१८-२-१९१४) ३४७
२६८ तार गो० कृ० गोखलेको (१८-२-१९१४) ३४८
२६९ तार गो० कृ० गोखलेको (१९-२-१९१४) ३४९
२७० पत्र रावजीभाई पटेलको (२१-२-१९१४) ३४९
२७१ तार गो० कृ० गोखलेको (२४-२-१९१४) ३५०
२७२ पत्र रावजीभाई पटेलको (२४-२-१९१४) ३५०
२७३ यादगारमे (२५-२-१९१४) ३५१
२७४ एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मत्यु (२५-२-१९१४) ३५२
२७५ पत्र जमनादास गाधीको (२६-२-१९१४) ३५२
२७६ पत्र मणिलाल गाधीको (२६-२-१९१४ के आसपास) ३५३
२७७ पत्र गो० कृ० गोखलेको (२७-२-१९१४) ३५४
२७८ तार गो० कृ० गोखलेको (२८-२-१९१४) ३५५
२७९ पत्र जमनादास गाधीको (२८-२-१९१४) ३५५
२८० पत्र मणिलाल गाधीको (२८-२-१९१४) ३५६
२८१ पत्र खुशालचन्द गाधीको (१-३-१९१४) ३५८
२८२ पत्र श्री रावजीभाई पटेलको (१-३-१९१४) ३५९
२८३ पत्रका अश (१-३-१९१४ के आसपास) ३६१
२८४ पत्र हरिलाल गाधीको (२-३-१९१४) ३६१
२८५ पत्र सर बेजामिन राबर्ट्सनको (४-३-१९१४) ३६४
२८६ पत्र मणिलाल गाधीको (४-३-१९१४) ३६६
२८७ पत्र देवदास गाधीको (५-३-१९१४) ३६६
२८८ पत्र सर बेजामिन राबर्ट्सनको (६-३-१९१४) ३६७

२८९ पत्र रावजीभाई पटेलको (७–३–१९१४) ३६८
२९० पत्र मगनलाल गाधीको (८–३–१९१४) ३७१
२९१ पत्र छगनलाल गाधीको (११–३–१९१४) ३७३
२९२ पत्र सी० एफ० ऐण्ड्रयूजको (१३–३–१९१४) ३७६
२९३ पत्र मणिलाल गाधीको (१४–३–१९१४) ३७८
२९४ पत्र जमनादास गाधीको (१७–३–१९१४) ३७९
२९५ आयोगकी रिपोटके बारेमे विचार (१७–३–१९१४ के बाद) ३८१
२९६ पत्र 'इडियन ओपिनियन' को (१८–३–१९१४) ३८२
२९७ पत्र मणिलाल गाधीको (१९–३–१९१४) ३८३
२९८ पत्र रावजीभाई पटेलको (२१–३–१९१४) ३८४
२९९ पत्र जमनादास गाधीको (२२–३–१९१४) ३८५
३०० पत्र मणिलाल गाधीको (२२–३–१९१४) ३८६
३०१ पत्रका अश (२२–३–१९१४) ३८७
३०२ आयोगकी रिपोट और सिफारिशे (२५–३–१९१४) ३८८
३०३ भाषण केप टाउनके स्वागत-समारोहमे (२५–३–१९१४) ३९१
३०४ पत्र महात्मा मुशीरामको (२७–३–१९१४) ३९१
३०५ पत्र गो० कृ० गोखलेको (१–४–१९१४) ३९२
३०६ पत्र मणिलाल गाधीको (३–४–१९१४) ३९३
३०७ विवाह-सम्बन्धी एक घोषणा (८–४–१९१४) ३९४
३०८ पत्र ई० एम० जॉर्जेसको (८–४–१९१४) ३९४
३०९ पत्र ई० एफ० सी० लेनको (८–४–१९१४) ३९५
३१० पत्र मणिलाल गाधीको (१२–४–१९१४) ३९६
३११ पत्र मणिलाल गाधीको (१७–४–१९१४) ३९८
३१२ तार गृह-मन्त्रीको (२२–४–१९१४) ४००
३१३ पत्रका अश (२२–४–१९१४) ४००
३१४ तार गृह-मन्त्रीको (२४–४–१९१४) ४०१
३१५ हिद स्वराज्य (२९–४–१९१४) ४०२
३१६ तार गृह-मन्त्रीको (६–५–१९१४ के पूर्व) ४०३
३१७ पत्र गो० कृ० गोखलेको (६–५–१९१४) ४०४
३१८ तार गृह-मन्त्रीको (७–५–१९१४ के बाद) ४०५
३१९ तार गृह-मन्त्रीको (१९–५–१९१४) ४०५
३२० स्वर्गीय श्रीमती मेयो (२०–५–१९१४) ४०६
३२१ तार गृह-मन्त्रीको (२२–५–१९१४) ४०६
३२२ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को (२३–५–१९१४) ४०७
३२३ भाषण प्राथना-सभामे (२३–५–१९१४) ४०८
३२४ भेट ई० एम० जॉर्जेससे (२७–५–१९१४) ४०८
३२५ पत्र मणिलाल गाधीको (२८–५–१९१४) ४११

३२६ राहत विधेयक (३–६–१९१४) ४१२
३२७ पत्र गो० कृ० गोखलेको (५–६–१९१४) ४१३
३२८ पत्रका अश (९–६–१९१४) ४१३
३२९ भारतीयोकी शिकायते (१०–६–१९१४) ४१४
३३० पत्र रावजीभाई पटेलको (१०–६–१९१४) ४१५
३३१ याददाश्तके लिए (१०–६–१९१४ के आसपास) ४१६
३३२ पत्र ई० एम० जार्जेसको (११–६–१९१४) ४१७
३३३ पत्र रावजीभाई पटेलको (१३–६–१९१४) ४१८
३३४ मणिलाल और जमनादास गाधीको लिखे पत्रका अश (१३–६–१९१४ को या उसके बाद) ४१९
३३५ पत्र कुवरजी मेहताको (१५–६–१९१४) ४२१
३३६ एक ऐतिहासिक बहस (१७–६–१९१४) ४२१
३३७ पत्र माशल कैम्बेलको (२०–६–१९१४) ४२२
३३८ पत्र गिरमिटिया भारतीयोको (२२–६–१९१४ के बाद) ४२३
३३९ स्वर्गीय सर डेविड हटर (२४–६–१९१४) ४२४
३४० गृह-मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे (२७–६–१९१४ से पूव) ४२५
३४१ पत्र ई० एम० जॉर्जेसको (२७–६–१९१४) ४२५
३४२ भाषण बधाई-समारोहमे (२७–६–१९१४) ४२६
३४३ पत्र ई० एम० जॉर्जेसको (३०–६–१९१४) ४२९
३४४ पत्र गो० कृ० गोखलेको (१–७–१९१४) ४३०
३४५ भाषण किम्बर्लेके स्वागत-समारोहमे (२–७–१९१४) ४३१
३४६ भाषण डबनकी सभामे (५–७–१९१४) ४३२
३४७ तार 'हिन्दू' को (६–७–१९१४) ४३२
३४८ तार गो० कृ० गोखलेको (६–७–१९१४) ४३३
३४९ पत्र ई० एम० जॉर्जेसको (७–७–१९१४) ४३३
३५० भाषण विदाई-सभामे (८–७–१९१४) ४३५
३५१ अन्त (८–७–१९१४) ४३८
३५२ सघषकी समाप्ति (८–७–१९१४) ४३९
३५३ मॉरिशसका विवाह-कानून (८–७–१९१४) ४४३
३५४ भाषण गुजराती समाजकी सभामे (९–७–१९१४) ४४४
३५५ भाषण गुजराती सभाके उत्सवमे (९–७–१९१४) ४४५
३५६ भाषण खेलकूद समारोहमे (९–७–१९१४) ४४६
३५७ भाषण ढेडो द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमे (९–७–१९१४) ४४९
३५८ भाषण प्रिटोरियाके विदाई-समारोहमे (१०–७–१९१४) ४५०
३५९ सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार (११–७–१९१४ से पूव) ४५१
३६० भाषण डर्बनके भोजमे (११–७–१९१४) ४५३
३६१ भाषण वेरुलममे (१२–७–१९१४) ४५६

३६२ भाषण वेरुलममे (१२-७-१९१४) ४५८

३६३ भाषण डबनकी सभामे (१२-७-१९१४) ४६१

३६४ विदाई सन्देश (१२-७-१९१४) ४६३

३६५ भाषण जोहानिसबगमे (१३-७-१९१४) ४६३

३६६ भाषण विदाई-भोजमे (१४-७-१९१४) ४६६

३६७ भेट 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको (१४-७-१९१४) ४७०

३६८ पत्र दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोको (१५-७-१९१४ के पूव) ४७३

३६९ श्रद्धाजलि सत्याग्रही शहीदोको (१५-७-१९१४) ४७७

३७० भाषण ट्रान्सवाल भारतीय महिला-सघमे (१५-७-१९१४) ४७९

३७१ भाषण मुसलमानोकी सभामे (१५-७-१९१४) ४८०

३७२ भाषण तमिल समाजकी सभामे (१५-७-१९१४) ४८५

३७३ भाषण प्रिटोरियामे (१६-७-१९१४) ४८८

३७४ भाषण गुजरातियोकी सभामे (१६-७-१९१४) ४९०

३७५ कानूनी स्थिति (१८-७-१९१४ के पूव) ४९०

३७६ विदाईका पत्र (१८-७-१९१४) ४९३

३७७ भाषण केप टाउनके विदाई-समारोहमे (१८-७-१९१४) ४९६

३७८ भेट 'केप आगस' के प्रतिनिधिको (१८-७-१९१४) ४९८

३७९ धन्यवादका सन्देश (१८-७-१९१४) ४९९

३८० अन्तिम सत्याग्रह सघष भूमिका (२३-७-१९१४) ४९९

३८१ अन्तिम सत्याग्रह सघष मेरे अनुभव (२३-७-१९१४ के बाद) ५०१

३८२ पत्र छगनलाल गाधीको (२८-७-१९१४) ५११

३८३ पत्र रावजीभाई पटेलको (२९-७-१९१४) ५१२

३८४ पत्र छगनलाल गाधीको (७-८-१९१४) ५१३

३८५ भाषण लन्दनके स्वागत-समारोहमे (८-८-१९१४) ५१४

३८६ पत्र उपनिवेश-उपमन्त्रीको (१०-८-१९१४) ५१७

३८७ एक गोपनीय गश्ती-पत्र (१३-८-१९१४) ५१८

३८८ पत्र भारत-उपमन्त्रीको (१४-८-१९१४) ५१९

३८९ पत्र सी० राबर्ट्सको (२४-८-१९१४) ५२०

३९० पत्र मगनलाल गाधीको (२६-८-१९१४) ५२१

३९१ पत्र मगनलाल गाधीको (३-९-१९१४) ५२२

३९२ पत्र मगनलाल गाधीको) (१३-९-१९१४) ५२३

३९३ पत्र छगनलाल गाधीको (१९-९-१९१४) ५२४

३९४ परिपत्र प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमे (२२-९-१९१४) ५२५

३९५ पत्र डॉ० अब्दुर्रहमानको (१-१०-१९१४) ५२६

३९६ भाषण इडियन फील्ड एम्बुलेन्स कोरके सामने (१-१०-१९१४) ५२७

३९७ पत्र कनल्ल आर० जे० बेकरको (१३-१०-१९१४) ५२८

३९८ प्रस्ताव (१३-१०-१९१४) ५३०

३९९ पत्र कर्नल आर० जे० बेकरको (१४-१०-१९१४) ५३०
४०० पत्र सी० राबर्ट्सको (१६-१०-१९१४) ५३२
४०१ जे० ई० ऐड्रूयजको लिखे पत्रका अश (२०-१०-१९१४) ५३४
४०२ पत्र सी० राबर्टसको (२२-१०-१९१४) ५३४
४०३ पत्र सी० राबर्ट्सको (२५-१०-१९१४) ५३५
४०४ पत्र मगनलाल गाधीको (२५-१०-१९१४) ५३७
४०५ पत्र मगनलाल गाधीको (२५-१०-१९१४) ५३८
४०६ पत्र छगनलाल गाधीको (३१-१०-१९१४) ५३९
४०७ पत्र 'इडिया' को (४-११-१९१४) ५३९
४०८ एक परिपत्र (४-११-१९१४) ५४०
४०९ पत्र छगलाल गाधीको (५-११-१९१४) ५४१
४१० पत्र गो० कृ० गोखलेको (६-११-१९१४) ५४२
४११ पत्र मगनलाल गाधीका (६-११-१९१४) ५४२
४१२ पत्र मगनलाल गाधीको (१३-११-१९१४) ५४३
४१३ पत्र जमनादास गाधीको (१३-११-१९१४) ५४४
४१४ पत्र प्रागजी देसाईको (१५-११-१९१४) ५४५
४१५ पत्र ए० एच० वेस्टको (२०-११-१९१४) ५४७
४१६ पत्र गो० कृ० गोखलेको (२६-११-१९१४) ५४९
४१७ पत्र मगनलाल गाधीको (४-१२-१९१४) ५५०
४१८ पत्र मगनलाल गाधीको (१०-१२-१९१४) ५५१
४१९ पत्र छगनलाल गाधीको (१०-१२-१९१४ के आसपास) ५५३
४२० हिसाब भारतीय आहत-सहायक दलका (१८-१२-१९१४) ५५४
४२१ भेट रायटरके प्रतिनिधिको (१८-१२-१९१४) ५५५
४२२ भाषण लन्दनके विदाई-समारोहमे (१८-१२-१९१४) ५५५
४२३ पत्र ए० एच० वेस्टको (२३-१२-१९१४) ५५७
४२४ पत्र छगनलाल गाधीको (२३-१२-१९१४) ५५८
परिशिष्ट
१ सर्ले-निर्णयका पूरा पाठ (२१-६-१९१३) ५५९
२ प्रस्ताव फ्रीडडॉर्पकी सार्वजनिक सभामें (३०-३-१९१३) ५६१
३ गृह-मत्रीका तार (१५-४-१९१३) ५६२
४ अ० मु० काछलियाका भाषण (२७-४-१९१३) ५६३
५ (१) गृह-मत्रीका तार (२९-५-१९१३) ५६४
(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर जनरलका तार (२९-५-१९१३) ५६५
६ प्रवास नियमन विधेयक और अधिनियमका मसविदा (२८-६-१९१३) ५६६
७ प्रवासी अधिनियमके विनियम (२६-७-१९१३) ५७३
८. ई० एम० जॉर्जेसका पत्र (१९-८-१९१३) ५७७
९ उपनिवेश कार्यालयको भेजे गये गवर्नर जनरलके खरीतेका अंश (२३-१०-१९१३) ५७९

१० उपनिवेश कार्यालयको भेजे गये गवर्नर जनरलके खरीतेका अश (६-११-१९१३) ५८०
११ महान कूच (८-११-१९१३) ५८१
१२ जनरल बोथाके भाषणका अश (१-११-१९१३) ५८३
१३ लॉर्ड ऍम्टहिलके नाम पोलकका पत्र (१२-११-१९१३) ५८३
१४ (१) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर जनरलका तार (१-१२-१९१३) ५८६
(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर जनरलका तार (१९-१२-१९१३) ५८७
१५ (१) गृह विभागकी ओरसे पत्र (२४-१२-१९१३) ५८८
(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर जनरलका तार (२२-१२-१९१३) ५८९
(३) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर जनरलका तार (२३-१२-१९१३) ५९०
१६ लॉर्ड हार्डिजका भाषण (३-१२-१९१३) ५९१
१७ गो० कृ० गोखलेके नाम वाइसरायका तार (२८-१२-१९१३) ५९२
१८ (१) गृह मत्रीका तार (५-१-१९१४) ५९३
(२) गवर्नर जनरलके खरीतेका अश (३१-१२-१९१३) ५९४
१९ गो० कृ० गोखले द्वारा जारी किया गया वक्तव्य (३१-१२-१९१३) ५९५
२० गवर्नर जनरलके खरीतेका अश (२२-१-१९१४) ५९८
२१ गृह मत्रीका पत्र (२१-१-१९१४) ६००
२२ गवर्नर जनरलसे ऐन्ड्रयूजकी मुलाकात (१३-१-१९१४) ६०१
२३ सॉलोमन आयोगकी रिपोर्टके अश (२५-३-१९१४) ६०२
२४ गवर्नर जनरलके खरीतेका अश (५-६-१९१४) ६०८
२५ भारतीय राहत अधिनियम (१९१४) ६१०
२६ ई० एम० जॉर्जेसका पत्र (३०-६-१९१४) ६१२
२७ (१) उपनिवेश कार्यालयके नाम गवर्नर जनरलका खरीता (४-७-१९१४) ६१३
(२) उपनिवेश कार्यालयके नाम गवर्नर जनरलका खरीता (१०-७-१९१४) ६१७
२८ सघर्ष और उसके परिणाम (१९१४) ६१९
२९ सी० रॉबर्ट्सका पत्र (१४-८-१९१४ के बाद) ६२८
सामग्रीके साधन-सूत्र ६३०
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६३२
शीर्षक-सांकेतिका ५५६
सांकेतिका ५५९

१ पत्र : गृह-मन्त्रीको[1]

[फीनिक्स]
अप्रैल १, १९१३

[सेवामे
गृह-मन्त्री
केप टाउन]

प्रिय महोदय,

भारतीय विवाहोकी वैधताके बारेमे जस्टिस सलके फैसलेसे[2], और नेटालके प्रवासी-अधिकारीके इस कथित वक्तव्यसे मेरे देशवासियोंमे बडा डर पैदा हो गया है कि यहाके निवासी भारतीयोकी सन्तान होनेका दावा करनेवाले लडको और लडकियोको तबतक न आने दिया जायेगा जबतक वे या उनके माता-पिता उनके जन्म-सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे। और स्वय सत्याग्रही भी अनुभव करते है कि वे अपनी स्थितिपर पुनर्विचार करनके लिए विवश है।

न्यायमूर्ति सलके फैसलेके अनुसार, कोई भारतीय विवाह, चाहे वह दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न हुआ हो या किसी दूसरी जगह, तबतक मान्य नही किया जा सकता जबतक वह केप प्रान्तके विवाह-कानूनके अनुसार न हुआ हो, अर्थात् ऐसा हरएक भारतीय विवाह अवैध है जो किसी विवाह-अधिकारीके सामने दर्ज न किया गया हो, या ईसाई रीतिसे सम्पन्न न हुआ हो। मेरी विनम्र सम्मतिमे यह स्थिति असहनीय है और इससे उन अधिकारोमे बाधा पडती है जिनका उपभोग भारतीय अभीतक करते रहे है। और मुझे माननीय मन्त्री महोदयका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित करनेकी आवश्यकता नही कि भारतमे हिन्दू, मुस्लिम या पारसी विधियोसे किये गये विवाहोको भारतीय कानूनके अनुसार पूरी मान्यता प्राप्त है।

बच्चोकी बात ले तो यह सभी जानते है कि भारतमे बहुत कम बच्चोकी पैदाइश दर्ज की जाती है। पैदाइश दज कराना सबके लिए अनिवाय नही है। इसलिए इक्का-दुक्का मामलोको छोडकर जन्मका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना लगभग असम्भव है।

इन दोनो मामलोका व्यावहारिक परिणाम है अधिवासी भारतीयोकी पत्नियो और नाबालिग बच्चोका प्रवेश बिलकुल रोक देना। इन स्थितियोमे मै यह निवेदन करना चाहूँगा कि अन्य कारणोके अतिरिक्त अस्थायी समझौतेपर[3] पूरा अमल करनेकी दृष्टिसे भी, नये प्रवासी विधेयकको ऐसा बनाना जरूरी है कि पत्नियो-

१ यह पत्र ७-६-१९१३ के **इंडियन ओपिनियन**में "करेस्पॉडेन्स विद मि० फिशर" (श्री फिशरके साथ पत्र-व्यवहार) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२ देखिए परिशिष्ट १।

३ समझौतेकी शर्तोंके लिए देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ३९-४१।

सम्बन्धी जो स्थिति सलके निर्णयसे पहले थी, वह यथावत् बनी रहे। बच्चोंके सम्बन्धमें जारी की गई हिदायतें भी रद करना जरूरी है।

क्या मैं यह भी कह सकता हूँ कि सरकारको विवाह या बच्चोंकी उम्र या वल्दीयत-सम्बन्धी जो प्रमाण चाहिए, उनके विषयमें वह यदि समाजके प्रमुख लोगोंसे परामर्श कर ले तो उत्तम होगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय समाज पत्नियों और बच्चोंके सम्बन्धमें जालसाजी या धोखाधड़ीसे बचनेकी दृष्टिसे जाँच पड़तालमें सरकारसे सहयोग करनेके लिए पूरी तरह तैयार है।[1]

आपका विश्वस्त

[मो० क० गांधी]

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७४७)की फोटो-नकलसे।

२. तूफानके संकेत

जैसा कि बिलकुल मुनासिब था, जोहानिसबर्गने तूफानका संकेत कर दिया है। ब्रिटिश भारतीय संघने जो विशाल सार्वजनिक सभा[2] बुलाई थी वह पूरी तरह सफल रही। श्री काछलियाने विनयपूर्ण, पर दृढ़ चेतावनी दे दी है कि दक्षिण आफ्रिकामें कुछ ऐसे भारतीय हैं जो अपने तथा अपने देशके सम्मानके लिए अपना सर्वस्व देनेको तैयार हैं। हमें विश्वास है कि सभाने जो प्रस्ताव पास किये हैं उनपर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

ऐसा लगता है कि इस सभाका सरकारपर कुछ प्रभाव पहले ही पड़ चुका है। जोहानिसबर्ग सभाकी रायटरने जो रिपोर्ट दी है उसके तुरन्त बाद ही सलके फैसलेकी किसीके इशारेपर सफाई दी गई है। वह तार[3], जिसे हम पूरा छाप रहे हैं, न्यायाधीश सलके फैसलेके पूर्ण प्रभावको हल्का करके बतानेकी लंगड़ी और लचर कोशिश है। बाई मरियमकी सचाईपर शंका प्रकट की गई है, और बहुविवाहका सवाल नाहक ही खड़ा कर दिया गया है। किन्तु सलका फैसला इतना साफ और सुस्पष्ट है कि उसपर स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है। विद्वान् न्यायाधीशने स्वयं

१ गांधीजीके उक्त पत्रके उत्तरमें श्री फिशरने गृहमन्त्रीकी ओरसे उत्तर दिया कि दक्षिण आफ्रिकामें यूरोपीयोंके आनेके बादसे केवल वे ही विवाह वैध माने जाते रहे हैं जो किसी मान्यता प्राप्त विवाह अधिकारीके सामने हुए हैं, और सर्लके फैसलेसे किसी नये सिद्धान्तकी स्थापना नहीं हुई है। इसी आधार पर गृह मन्त्रीने गांधीजी द्वारा उठाये गये विवाह सम्बन्धी मुद्देको अस्वीकार करते हुए प्रवासी विधेयकमें फेर-बदल करनेसे इनकार कर दिया। बच्चों और पत्नियोंके प्रवेशके विषयमें उन्होंने यह आश्वासन दोहराया कि सरकारका इरादा चालू पद्धतिको बदलनेका नहीं है।

२ यह सभा मार्च ३०, १९१३ को हुई थी। उसमें पास किये गये प्रस्तावोंके लिए देखिए परिशिष्ट २।

३ इसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

ही कहा कि यह एक परीक्षात्मक मुकदमा है। दोनो पक्षोने भी उसे इसी रूपमें समझा था, और न्यायाधीशके सामने सिर्फ यही सवाल था कि प्रवासी कानूनके मामलोमे इस्लामके नियमोके अनुसार की गई शादियोको केपके न्यायालय मान्यता देगे या नही। इस मुद्देपर माननीय न्यायाधीशने जोर देते हुए असन्दिग्ध निर्णय दिया है कि ऐसी शादियाँ अवैध है। यही मुद्दा है जिसपर जोहानिसबर्गकी सभामे विरोध प्रकट किया गया। सरकार इस फैसलेको उसकी तार्किक सीमा तक भले न ले जाये, उसमे इतना साहस भी नही है, किन्तु कानूनन यह सम्भव तो हो ही सकता है। सभाके सामने श्री रिचने अपने भाषणमे इस सम्भावनाका स्पष्ट निरूपण किया। कुछ बाते ऐसी होती है जिनके बारेमे हम तबतक चिन्ता नही करते जबतक कि वे हमारे सामने ही आकर खडी नही हो जाती, किन्तु दूसरी कुछ बाते ऐसी भी होती है जिनके घटित होनेकी सम्भावनाओको हमे किसी भी तरह रोकना चाहिए। कोई भारतीय पति तबतक शान्त नही बैठ सकता जबतक उसकी पत्नीकी पद-मर्यादापर शका उठाये जानेकी सम्भावना है और इस सम्भावनाके वास्तविकतामे बदल जानेपर उसके परिणामोका खतरा मौजूद है।

इसलिए हमारी समझसे, श्री काछलियाके लिए यह सर्वथा उचित था कि उन्होने यह सभा बुलाई। उक्त तथाकथित सफाईसे सभाकी माँगोका बल कम नही किया जा सकता। यह भी उचित था कि तमिल लोगोकी सभा सबसे पहले हुई। पिछले सघषमे तमिल लोगोने ही सबसे ज्यादा कष्ट-सहन किया था। अब वे सबसे आगे है। हमे आशा है कि दक्षिण आफ्रिकाके अन्य नगर जोहानिसबर्गके नेतृत्वका अनुसरण और उसकी कार्रवाईका समथन करेगे। और सबके बढकर तो, हमे हार्दिक आशा है कि सरकारके सामने जो सुनहला अवसर आया है उसे वह व्यर्थ नही जाने देगी और अपने विधेयकपर विचार करते समय इस विशाल सभाके सवथा उचित अनुरोधको मान लेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–४–१९१३

३ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१४][1]

६ कितना और कितनी बार खाया जाये ?

कौन सी खुराक ठीक है, इसका विचार हम कर चुके है। अब हमे यह सोचनेकी जरूरत है कि कितनी मात्रामे और कितनी बार खाया जाये। इसके लिए एक अलग प्रकरण लिखना ही उचित होगा। कुछ अशोमे "कितनी बार खाया जाये" यह बात "कितना खाया जाये" के साथ ही जुडी हुई है। "कुछ अशोमे" कहनेका हेतु यह हे कि भोजनका जितना परिमाण मनुष्यको खाना चाहिए उतना वह एक ही बारमे नही खा सकता। खाना भी नही चाहिए। मतलब यह हुआ कि कितना खाया जाये और कितनी बार खाया जाये, ये दोनो बाते आपसमे अभिन्न ही है।

कितना खाया जाये, इस विषयमे डॉक्टरोके अनेक मत है। एक डॉक्टरका कथन है कि खूब खाया जाये। उसने भिन्न-भिन्न प्रकारकी खुराकोके गुणोके आधारपर भोजनके परिमाण भी दिये है। एक अन्य डाक्टरका कथन है कि मजदूर और मानसिक परिश्रम करनेवालोकी खुराकका प्रकार और परिमाण अलग-अलग होना चाहिए। तीसरे डॉक्टरका मत है कि मजदूर हो, चाहे महाराजा, दोनोको एक-सी खुराक खानी चाहिए। यह कोई नियम नही है कि गद्दीपर बैठे रहनेवालेका काम कम खुराकमे और मजदूरका अधिकमे ही चल सकता है। किन्तु निबल और बलवानकी खुराकका परिमाण कम-अधिक होना चाहिए, यह तो सभी जानते है। पुरुष और स्त्रीकी खुराकमे भी भिन्नता होती है। सयाने और बच्चे, बूढे और जवान आदिकी खुराकोकी मात्रामे भी फर्क तो होता ही है। एक अन्य लेखक तो यहाँ तक कहता है कि मनुष्य यदि अपनी खुराक इतनी चबाये कि मुँहमे ही उसका तरल रस बन जाये और वह थूककी तरह अपने-आप गलेसे उतर जाये, तो फिर हमे ५ से १० तोले-भर खुराककी ही जरूरत रहेगी। इस मनुष्यने स्वय हजारो प्रयोग किये है। उसकी पुस्तकोकी हजारो प्रतियाँ बिकी है और उन्हे बहुत लोग पढते है। ऐसी स्थितिमे कितना खाया जाये, इसके लिए परिमाण या मात्रा निर्दिष्ट करनेकी बात व्यथ है। किन्तु प्राय सारे ही डॉक्टर ऐसा लिख गये है कि १००मे ९९ मनुष्य जरूरतसे ज्यादा खुराक लेते है। यह बात

१ पहलेके अध्यायोके लिए देखिए खण्ड ११। इन लेखोको बादमे पुस्तकके रूपमे प्रकाशित किया गया। इस पुस्तकका हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओमे अनुवाद हुआ। हिन्दी अनुवादके आधारपर ए० रामा अय्यरने अग्रेजीमें **ए गाइड टु हॅल्थ** नामक पुस्तक लिखी जिसे जुलाई १९२१ मे मद्रासके एस० गणेशनने प्रकाशित किया। इस पुस्तकका कई यूरोपीय भाषाओमे अनुवाद किया गया।

सन १९४२ में पूनाके आगाखाँ पैलेसमे अपनी नजरबन्दीके दौरान गांधीजीने गुजरातीमें एक पुस्तक लिखी जिसका डॉ० सुशीला नैयरने **की टु हेल्थ** शीर्षकसे अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया। यद्यपि इस पुस्तकका आधार **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित लेखमाला नही थी, किन्तु गांधीजीके अनुसार दोनोंमें कोई मौलिक भेद नही था।

इतनी साधारण है कि डॉक्टर न भी लिखे तो भी हम सभी इसे जानते है। इस भयसे कि कोई स्वेच्छासे कम खाकर अपनी तबीयत खराब न कर ले, ऐसा कहनेकी आवश्यकता नही हे कि कमसे-कम इतना तो खाया ही जाना चाहिए। वास्तवमे आवश्यकता तो यह कहनेकी है कि हम सभीको अपनी खुराकपर विचार करके उसे कम कर देना चाहिए।

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, भोजनका खूब चबाकर खाया जाना आवश्यक है। ऐसा करनेसे बहुत थोडी खुराकसे हम अधिकसे-अधिक बढिया सत्व प्राप्त कर सकेंगे और उससे हमे हर तरहसे लाभ होगा। यह भी बतलाया गया है कि जो मनुष्य उचित भोजन करता है और जितना पचा सके उतना ही खाता है, उसे दस्त भी थोडा, बँधा हुआ, कुछ-कुछ सॉवला, चिकना, खुश्क और एकदम दुगन्ध-रहित होता है। जिसे इस प्रकारका दस्त नही होता, अवश्य ही उसने अधिक खाया है, अनुचित भोजन किया है और जो-कुछ खाया है उसे ठीक ढगसे चबाकर मुहमे लारके साथ मिलने नही दिया है। इस प्रकार मनुष्य अपनी मल-मूत्र आदि हाजतोके आधारपर यह कह सकता है कि वह अधिक खाये या कम। जिसकी जीभ सुबह खराब हो, जो बेचैनीसे सोता हो, जिसे रातको स्वप्न आते हो, उसने अधिक खाया है। जिसे रातको पेशाबके लिए उठना पडता हो, उसने तरल पदाथ जरूरतसे ज्यादा पिया है। इस प्रकार सूक्ष्म अवलोकन द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी खुराकका परिमाण तय कर सकता है। अनेक मनुष्योके श्वासोच्छ्वासमे बू आती है। निश्चित ही ऐसे मनुष्यका भोजन ठीक ढगसे हजम नही हो पाया है। कितनी ही बार ज्यादा खानेवाले मनुष्यको फोडे हो जाते हैं। उसे मुँहासे फूटते है। उसकी नाक भरी होती है। इन सारे उपद्रवोकी हम उपेक्षा कर जाते है। कुछ लोगोको डकारे ही आया करती है और बहुतेरोको अपानवायु। इन सबका अर्थ तो इतना ही है कि हमारा पेट निरा पाखाना बन गया है और हम सभी अपने सडासकी पेटीको साथ-साथ लिये घूमते-फिरते है। हमे यदि अवकाश मिले और इस सम्बन्धमे हम गहरा विचार करने बैठे, तो हमे अपनी इन कुटेवोके प्रति तिरस्कार हुए बिना न रहेगा और हम भूलकर भी अधिक भोजन नही करेगे। इतना ही नही, हम भोजनकी और भोजोकी बात करना ही छोड देगे। तब हम सामाजिक भोजोमे शरीक होने और समाजको खिलानेके नियमका कदापि पालन नही करेगे और हमारे आतिथ्य-सत्कारका ढग ही बदल जायेगा। हम खुद उससे सुखी होगे और अतिथियोको भी सुखसे रख सकेगे। दावतोका तो नाम ही नही लेना चाहिए। दतौन करनेके लिए हम किसीको निमन्त्रण नही देते, पानी पीनेके लिए भी नही, ठीक इसी प्रकार भोजन भी तो एक शारीरिक व्यवहार ही है। उसे करते हुए इतनी व्यर्थकी खटपट क्यो? मेहमान क्या आये, उनकी और हमारी कमबख्ती आ गई! सच बात तो यह है कि परम्परामे पडकर हमने अपने मुँहको बिगाड रखा है, और खानेका कोई-न-कोई बहाना ढूँढते रहते है। मेहमानोको खूब खिला-पिलाकर उनके यहॉ डटकर दावत उडानेकी उम्मीद रखते है। इतना ही नही, ऐसे अवसर ढूढकर हम अधिकाधिक पकवान उडानेकी तरकीबे सोचते रहते है। इस प्रकार डटकर भोजन करनेके एक घटा बाद यदि हम किसी शुद्ध और स्वच्छ शरीर-

वालेको अपना मुँह सूघनेके लिए कहे और उसकी राय जानना चाहे, तो हमे शरमिन्दा होना पडगा। ऐसे शौकीन लोग भी है कि जो बढिया माल खानेके लिए खानके बाद तुरन्त ही फ्रूट सॉल्ट पीते है अथवा खाये हुए को उलटी द्वारा निकालकर पुन पकवान खाने बैठ जाते है।

हम सभी कुछ-न-कुछ ऐसे ही है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषोने हमारे लिए उपवास, रोजे आदिके व्रत निश्चित किये है। रोमन कैथॉलिक ईसाइयोमे भी बहुत उपवास होते है। केवल शरीरके आरामके लिए मनुष्य यदि प्रति पक्षमे एक दिन उपवास करे या एक समय भोजन करे, तो इससे कोई हानि नही होगी, बल्कि बहुत फायदा होगा। चौमासेमे बहुत-से हिन्दू एक बार भोजन करनेका व्रत रखते है। ऐसा करनेमे भी हेतु आरोग्य ही होता है। जब हवामे अधिक नमी हो, सूर्यके दर्शन न हो रहे हो, तो ऐसेमे आँते पूरा काम नही कर पाती। इसलिए ऐसे समयमे मनुष्यको खुराक भी कम लेनी चाहिए।

अब कितनी बार खाया जाये, इसका विचार करे। हिन्दुस्तानमे असख्य मनुष्य केवल दो बार ही भोजन करते है। तीन बार खानेवाला मजदूर वर्ग ही हो सकता है और चार बार खानेवाले तो अग्रेजियतकी हवा बहनेके बाद पैदा हुए मालूम होते है। हाल ही मे अमेरिका और इग्लैडमे भी कुछ समितियाँ स्थापित हुई है। उनका काम केवल इसी बातका उपदेश देना है कि मनुष्यको दोसे अधिक बार नही खाना चाहिए। इन समितियोकी सलाह है कि हमे सुबहका नाश्ता करना ही नही चाहिए। रातको जो नीद ली जाती है, वह भी खुराककी जरूरत पूरी करती है। अत सुबहके समय हमे खानेके लिए नही, बल्कि काम करनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये लोग ऐसा मानते है कि पहर-भर काम करनेके बाद ही हमे खानेकी बात सोचनी चाहिए। इस प्रकार ये लोग दिनमे दो ही बार भोजन करते है। मध्यान्तरमे चाय आदि भी नही लेते। इस विषयपर ड्यूवी नामक सुप्रसिद्ध डॉक्टरने एक पुस्तक लिखी है। अपनी इस पुस्तकमे वे बतलाते है कि उपवाससे, नाश्ता न करनेसे और कम खाने आदिसे अनेक लाभ है। ८ वर्षोसे मेरा अपना अनुभव तो यह है कि युवावस्था गुजर जानेके बाद तो दोसे अधिक बार खानेकी आवश्यकता बिलकुल ही नही रहती। मनुष्यकी काठी बँध चुकने और उसके शरीरकी पूरी बाढ हो चुकनेके बाद उसे अधिक बार या अधिक मात्रामे खानेकी आवश्यकता नही बच रहती।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–४–१९१३

४ तार गृह-मन्त्रीको[1]

[फीनिक्स]
अप्रैल ९, १९१३

गृह-मन्त्री
[केप टाउन]

प्रवासी विधेयक अभी-अभी पढा। भारतीय दृष्टिकोणसे देखनेपर इसके बारेमे गम्भीर आपत्तियाँ उठाई जा सकती है। यह अस्थायी समझौतेके विरुद्ध मौजूदा कई अधिकारोमे दखल देता है। खण्ड तीनसे सर्वोच्च न्यायालयका तत्सम्बन्धी न्याय-क्षेत्र छिन जाता है। जान पडता है खण्ड चारके उप-खण्ड १ की धारा (क)से उन शिक्षित भारतीयोका अधिकार छिन जायेगा जिन्होने इससे पहले केप या नेटालमे अपनी शिक्षाके आधारपर प्रवेश किया है। वही धारा फ्री स्टेटमे किसी शिक्षा-परीक्षा पासशुदा प्रवासीके निषेधका भी विधान करती है। खण्ड चारका उप-खण्ड तीन नेटाल और केपके भारतीयोके किसी भी बन्दरगाहसे पुन प्रवेश कर सकनेके मौजूदा अधिकारोको काफी हदतक प्रतिबन्धित कर देता है। खण्ड पाचके उप-खण्ड १ से नेटालके जो भारतीय ठीक-ठीक अर्थोंमे अधिवासी तो नही है, किन्तु लम्बे अर्सेसे वहाँ रहते है वे अबतक के मिले हुए अधिकारोंसे वचित हो जाते है। खण्ड पाँचकी व्यवस्थासे ट्रान्सवाल पजीयन प्रमाणपत्रो और नेटाल निवास प्रमाणपत्रोकी कानूनी वकत कम हो जाती है। ऐसा नही लगता कि विधेयकसे मौजूदा कानूनके अन्तर्गत केप या नेटालमे शिक्षित भारतीयोके प्रवेशके अधिकारकी और केपके कानूनोके अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोके केपमे प्रवेशके अधिकारकी रक्षा होती है। अन्तमे सर्लके फैसलेको देखते हुए विधेयकमे ऐसे सशोधनकी जरूरत है जिससे भारतीय धर्मोंके अनुसार किये गये विवाह वैध हो सके और वैध पत्नियो और नाबालिग बच्चोकी रक्षा की जा सके। आशा है मन्त्री उक्त आपत्तियोपर सहानुभूतिसे विचार करेगे। इस प्रकार सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति और उससे होनेवाले कष्टोसे बचा जा सकता है।[2]

गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५२), की फोटो-नकल से।

१ बिलकुल ऐसा ही तार समदके दो सदस्यों, श्री डमड चैपलिन और सर टॉमस स्मार्टको भी भेजा गया था। इसे बादमें ७-६-१९१३ के **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित किया गया। तारपर गाधीजीने अपने हाथसे ये शब्द जोड दिये थे "श्री गाधीका ९ अप्रैल, १९१३ को मन्त्रीके नाम भेजा गया तार।" इसकी एक प्रति गाधीजीने श्री गोपाल कृष्ण गोखलेको भी भेजी थी। इसी प्रकारका एक तार १५ अप्रैलको श्री काछलियाने ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे भेजा था।

२ गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

५ तार : गृह-मन्त्रीको

फीनिक्स
अप्रैल ९, १९१३

गृह-मन्त्री
केप टाउन

मेरा आजका तार[1] अब मै देखता हूँ खण्ड पाँचके उप-खण्ड (छ) से शिक्षित प्रवासियोकी पत्नियो और नाबालिग बच्चोकी रक्षा नही होती जबकि पहले विधेयकसे होती थी। विधेयकमे यह स्पष्ट नही है कि फ्री स्टेटमे शिक्षित प्रवेशार्थियोको कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) नही देना पडेगा, अलबत्ता उनपर व्यापार, खेती-बाडी और भूमिके स्वामित्वसे सम्बन्धित प्रतिबन्ध लागू रहेगे। कृपया सूचित करे कि दूसरे परिशिष्टमे १९०७के अधिनियम २ को रद करनेकी अवधि बढानेके लिए वे शब्द क्यो जोडे गये है जो पिछले विधेयकमे नही है।[2]

गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५३), की फोटो-नकलसे।

६ पत्र · ई० एफ० सी० लेनको

फीनिक्स
नेटाल
अप्रैल ९, १९१३

प्रिय श्री लेन,

पत्रोमे यह सूचना निकली है कि प्रवासी विधेयककी पूरी जिम्मेदारी जनरल स्मट्सपर रहेगी। विधेयकका पूरा पाठ मैने अभी-अभी देखा है। मैने सरकारको जो तार[3] भेजा है उसकी नकल सलग्न कर रहा हूँ। इससे जनरल स्मट्सको स्पष्ट हो जायेगा कि केवल सत्याग्रहकी दृष्टिसे भी यह विधेयक कितना अधिक आपत्तिजनक है। आप देखेगे कि मेरे तारमे लगभग सभी मुद्दोकी चर्चा है। आपको शायद याद हो कि इनमे से कुछ आपत्तियोपर विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय किया गया था और,

१ देखिए पिछला शीर्षक।
२ गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३।
३ देखिए "तार गृह-मन्त्रीको", पृष्ठ ७।

जहाँतक मैं समझता हूँ, जनरल स्मट्सने उन सभीको दूर करनेका वचन दिया था। तारमें एक बात छूट गई है। उनके और मेरे बीच पिछले साल जो पत्र-व्यवहार हुआ था[1], उसमें मैंने यह पूछा था कि क्या फ्री स्टेटकी सरक्षण (रिजर्वेशन)-सम्बन्धी धाराके अन्तगत शिक्षित प्रवेशार्थियोंको कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) देना पडेगा। यदि यह वाछनीय हो, तो उक्त धारामें कुछ ऐसा फेरफार करना होगा जिससे अचल सपत्तिके स्वामित्व और खेती-बारी आदिका निषेध भले ही बरकरार रहे, लेकिन उन लोगोंके सम्बन्धमें ज्ञापनकी शत हटा दी जाये जो प्रस्तावित कानूनके अन्तगत प्रवासीके रूपमें सघमें आये।

भारतीय धार्मिक रीतियोंसे विवाहका प्रश्न एक हदतक नया मुद्दा माना जा सकता है। किन्तु क्या यह मुद्दा वास्तवमें नया है? मैंने निश्चय ही सपनेमें भी नहीं सोचा था कि भारतीयोंके विवाहोंको सघकी अदालतोंमें अबतक प्राप्त मान्यता गैर-कानूनी थी। इस बातसे एक क्षणके लिए भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सलके फैसलेसे भारतीय समाजके अस्तित्वको धक्का लगा है और उसकी नींव हिल गई है।

आप कृपा करके यह पत्र जनरल स्मट्सके सामने रखें और पूछें कि विधेयककी जिम्मेदारी उनपर न हो तो भी क्या मैं उनसे सहायताकी आशा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ वे मेरे इस आश्वासनको मान लेंगे कि मैं सत्याग्रहके लिए लालायित नहीं हूँ। सच कहूँ, तो मुझे विधेयकमें भावना और भाषा, दोनोंकी दृष्टिसे अस्थायी समझौतेके पालन किये जानेका इतना विश्वास था कि मैं जूनमें भारत जानेकी तैयारी कर रहा था। मुझे भय है कि यदि आपत्तियाँ दूर न की गईं तो भयकर सघर्षका फिर छिड जाना अवश्यम्भावी है।

हृदयसे आपका,

श्री ई० एफ० सी० लेन
निजी सचिव, जनरल स्मट्स
केप टाउन

[पुनश्च]

अभी-अभी एक नई बात मालूम हुई है, इसलिए मैंने गृह-मन्त्रीको एक और तार[2] दिया है। उसमें मैंने फ्री स्टेटकी कठिनाई बताई है।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५४)की फोटो-नकलसे।

१ देखिए खण्ड ११।
२ देखिए पिछला शीर्षक।

७ तार . ब्रिटिश भारतीय सघको

[फीनिक्स
अप्रैल ९, १९१३के बाद]

बिआस[1]
जोहानिसबग

विधेयक पढा। स्वीकार नही। केपको पूरे तार[2] भेजे। आशा है लडाईके लिए सब तैयार।

गाधी

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५९)की फोटो-नकलसे।

८ पत्र : गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको

२१-२४, कोर्ट चैम्बर्स
रिसिक स्ट्रीट
जोहानिसबर्ग
अप्रैल १०, १९१३

परमश्रेष्ठ गवनर-जनरल महोदयके
निजी सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मै इस पत्रके साथ उन प्रस्तावोकी[3] तीन-तीन प्रतिया आपकी सेवामे भेज रहा हूँ जो गत माह ३० तारीखको फ्रीडडॉपके हमीदिया इस्लामिया भवनमे आयोजित ब्रिटिश भारतीयोकी आम सभामे पास किये गये थे। मै अनुरोध करूँगा कि परमश्रेष्ठ इन्हें माननीय उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्त्रीको प्रेषित करनेकी कृपा करे।

आपका
अ० मु० काछलिया
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/३९

१ ब्रिटिश भारतीय सघका तारका पता।

२ स्पष्ट ही गाधीजीका अभिप्राय उन तारोसे है जो उन्होने अप्रैल ९, १९१३ को गृह-मन्त्रीको भेजे थे, देखिए पृष्ठ ७८।

३ देखिए परिशिष्ट २, और "तूफानका संकेत", पृष्ठ २-३ भी।

९. पत्र : गृह-सचिवको

फीनिक्स
अप्रैल ११, १९१३

सेवामे
गृह-सचिव[1]
केप टाउन

महोदय,

आपका इसी ४ तारीखका कृपापत्र प्राप्त हुआ। मै मन्त्री महोदयको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होने वे दो नाम मजूर कर लिये है जिन्हे गत वर्ष शिक्षित प्रवेशार्थियोकी सूचीमे से निकाल दिया गया था।

मेरा मन्शा यह नही है कि मै भविष्यमे प्रवेशार्थियोके जो नाम पेश करूँ, हमेशा वे सब स्वीकार ही कर लिये जाने चाहिए। लेकिन मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि जबतक समझौता अस्थायी स्थितिमे है तबतक ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेवाले जिन छ व्यक्तियो तक के नाम अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे मै पेश करूँ, सरकार उन्हे स्वीकार कर ले। ज्यो ही समझौतेको अन्तिम रूप दिया जाये, जैसी कि मै आशा करता हूँ कि चालू अधिवेशनमे हो जायेगा, त्यो ही प्रवेशार्थियोके नामोका चुनाव करनेकी कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जो सरकार और भारतीय समाज, दोनोके लिए सन्तोषजनक हो।

मेरा अपना खयाल है कि प्रवेशार्थियोके चुनावमे भारत सरकारकी कोई राय नही ली जा सकती। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि उसे स्थानीय लोगोकी आवश्यकताओका अन्दाज नही है। मेरी समझमे यदि समझौतेको अन्तिम रूप देनेके बाद विभिन्न भारतीय सस्थाएँ और दल बहुत-से नाम प्रस्तुत करे तो उनमे से प्रत्येक प्रार्थनापत्रको बारीकीसे देखना और किसी खास सालके लिए पूर्व-निर्धारित सख्यामे प्रस्तुत नामोमे से प्रवेशार्थियोका चुनाव करना सरकारका काम होगा।

आपके पत्रसे मुझे यह आभास भी मिलता है कि प्रवेशार्थियोको अमुक प्रान्तो तक ही सीमित कर दिया जायेगा। मै इस बातकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि समझौतेके अनुसार समस्त सघके लिए जो भी सामान्य विधेयक होगा उसके अन्तगत शिक्षित प्रवेशार्थी सघके किसी भी प्रान्तमें प्रवेश कर सकेंगे और बस सकेंगे। हाँ, उसमे स्थानीय निर्योग्यताओका, जो प्रवाससे सम्बन्धित न होगी, ध्यान रखा जायेगा। निवेदन है कि समझौतेका कुल सार यही है कि प्रवासके मामलेमे नये भारतीय प्रवासियोको ऐसी कोई निर्योग्यता सहनी नही पडेगी जो दूसरे वर्गों या दूसरी जातियोपर लागू नही है। लेकिन आपके तारसे प्रकट होता है कि इस समय यह मामला मेरे उठाये हुए दूसरे मुद्दोके साथ-साथ सरकारके विचाराधीन है।

१ ई० एम० जॉर्जेस।

मै प्रिटोरियाके प्रवासी-कार्यालयसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिन दो सज्जनोके नाम स्वीकार कर लिये गये है, उनके अनुमतिपत्र मुझे दे दिये जाये।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६२) की फोटो-नकलसे।

१० पत्र एशियाई-पंजीयकको

[फीनिक्स]
अप्रैल ११, १९१३

एशियाई-पंजीयक
प्रिटोरिया
महोदय,

हमे मालूम हुआ है कि आप पंजीकृत भारतीयोकी पत्नियोके मामलेमे सबूतके तौरपर भारतके किसी प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र माँगते है कि जो स्त्री अमुक पंजीकृत भारतीयकी पत्नी होनेका दावा करती है वह उस मजिस्ट्रेटके सामने पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार उस भारतीयकी पत्नी है, और इस प्रमाणपत्रपर उस पंजीकृत भारतीयकी, यदि वह उस समय भारतमे हो तो, अँगूठा-निशानीकी भी अपेक्षा रखते है।

हमे यह भी मालूम हुआ है कि आप नाबालिग बच्चोके मामलेमे सबूतके तौर पर किसी प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र माँगते है कि उसके सामने प्रस्तुत बालक अदालतमे पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार उस व्यक्तिकी सन्तान है जो उसका पिता होनेका दावा करता है, और इस प्रमाणपत्रपर बच्चेकी अँगूठा-निशानी और यदि उसका पिता भारतमे हो तो उसकी अँगूठा-निशानी भी होनी चाहिए।

यदि आप हमे यह बता सके कि हमे जो जानकारी मिली है वह ठीक है या नही, तो हम आपके आभारी होगे। वैसे हमने यह जानकारी ['इंडियन ओपिनियन'के] अपने गुजराती स्तम्भोमे प्रकाशित कर दी है, किन्तु यदि हमे आपसे यह सूचना अधिकृत रूपमे मिल सके तो इससे भारतीय दावेदारोको बडी सहायता मिलेगी और वे भविष्यमे अनावश्यक परेशानी और देर-दारसे बच जायेगे।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६४)की फोटो-नकलसे।

११ नया विधेयक

चिर-प्रतीक्षित प्रवासी विधेयक आखिर प्रकाशित कर दिया गया है। इतना तो बिना हिचक कहा जा सकता है कि वह निराशाजनक है, पहले विधेयकसे भी बुरा है और कई महत्त्वपूण बातोकी दृष्टिसे उसमे अस्थायी समझौता कार्यान्वित नही किया गया है। अन्यत्र उन मुद्दोकी विस्तृत सूची दी गई है,[1] जिनके सम्बन्धमे इस विधेयकसे समझौतेकी पूर्ति नही होती। ऐसा है, यह दु खकी बात है। सरकारने समझौतेकी शर्तोंके पालनका इरादा इतनी बार जाहिर किया है कि जिन्होने उस समझौतेको तनिक भी समझा है उन्हे यह विधेयक देखकर भारी मानसिक ठेस लगेगी। विधेयकसे इस सन्देहकी पुष्टि होती है कि सरकार हमे उतना ही देना चाहती हे जितना दिये बिना गुजारा नही। वह उन लोगोका भी अहित करना चाहती है जिनके अधिकार सघमे स्थापित हो चुके है और वह जैसे-बने-वैसे हमारा सवनाश करना चाहती है। इस निर्मम नीतिको कार्यान्वित करनेमे, अपने इस शानदार विधेयकमे वह भरसक आगे बढी हे। यदि यह विधेयक इसी रूपमे कानून बन जाता है तो उससे हमारे कुछ प्रिय वतमान अधिकार खत्म हो जायेगे और हमारी असुरक्षित स्थिति और अधिक असुरक्षित हो जायेगी। विधेयकमे फ्री स्टेटकी कठिनाईको हल करनेके बजाय केवल शाब्दिक जाल ही रचा गया हे और वह अनीतिपूण चतुराईमे ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनके बिलकुल समकक्ष है। ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनने, जैसा कि हम कई बार कह चुके है, एक ऐसा कानूनी जाति-भेद पैदा किया है जिसे ट्रान्सवालके कानूनोका अच्छा ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियोके सिवा अन्य कोई भॉप भी नही पाया। हमे लगता है कि इसी तरह यह विधेयक भी कानूनी जाति-भेदको जन्म देता है और साधारण व्यक्ति इस बातको समझ भी नही पाता।

यदि सरकार झुकती नही है और विधेयकमे कोई ठोस सुधार नही करती तो फिरसे सत्याग्रह और उसके साथ ही सभी पुरानी परेशानियाँ, और तकलीफे प्रारम्भ हुए बिना नही रहेगी। जो घर अभी फिरसे आबाद हुए है, वे फिर बरबाद हो जायेगे। उन सत्याग्रहियोको, जो फिर अपने सामान्य धन्धोमे लग गये है, सब कुछ छोडकर नये सिरेसे दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोमे शाही आतिथ्य स्वीकार करना होगा। हम अब भी आशा करते है कि सरकार राहत देनेका कोई माग निकालेगी। किन्तु यदि वह नही निकालती तो हमे कष्ट-सहनमे फिर सुख अनुभव करनेका पाठ सीखना ही होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२–४–१९१३

१ देखिए "विधेयकका परिणाम", पृष्ठ १५ १६।

१२ वैवाहिक उलझन

विवाहके प्रश्नपर सर्वोच्च न्यायालयकी नेटाल प्रान्तीय शाखाके मास्टरका पत्र, और उसपर ली हुई वकीलकी सम्मति — दोनोको अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।[1] इन दोनोसे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाजके सामने जो समस्या है, वह कितनी महत्त्वपूण है। मास्टर स्वय भी अपने रुखका पूरा महत्त्व समझता है, और इसीलिए उसने मृत व्यक्तिकी वसीयतके यूरोपीय प्रबन्धकर्ता (एक्जीक्यूटर) को सुझाव दिया है कि वस्तुस्थितिके निर्धारणके लिए मामलेका सर्वोच्च न्यायालयमे पेश किया जाना ठीक होगा। भारतीय समाजके लिए गैर-ईसाई पद्धतिसे हुए भारतीय विवाहोकी दृष्टिसे कानूनमे सशोधन करना कितना आवश्यक है, यह बात जितने स्पष्ट रूपमे इस मामलेसे प्रकट हुई है, उतनी अन्य किसी बातसे सम्भव नही थी।

हालमें जोहानिसबगमे हुई विशाल सभामे जो प्रस्ताव पास किये गये थे उनके बारेमे श्री काछलियाको सरकारका जो उत्तर मिला वह जाहिरमे तसल्लीबख्श है। उसने श्री काछलियाको और उनके जरिये भारतीय समाजको आश्वासन दिया है कि सलके फैसलेके बावजूद सरकारका इरादा अभी तक प्रचलित प्रथाको तोडनेका नही है। हम इस आश्वासनको स्वीकार करते है, पर इसका कोई ज्यादा मूल्य नही है। महत्त्वपूण मामलोमे, किसी वास्तविक कानूनी स्थितिके विपरीत पडनेवाले आश्वासनोसे कोई राहत नही मिल सकती। क्योकि प्रस्तुत मामलेमे समस्या प्रतिवष चन्द भारतीय पत्नियोको सघमे प्रवेश करानेकी नही, बल्कि यह मालूम करनेकी है कि भारतीय स्त्रियोका दर्जा सिद्धान्त-रूपमे क्या है। साफ शब्दोमे कहे तो सर्ले-फैसलेने उन्हे धर्म-पत्नीत्वके सम्माननीय दर्जेसे उतार कर रखैलका दर्जा दे दिया है। अब कानूनकी निगाह-मे श्रीमती काछलिया, श्रीमती नायडू, श्रीमती कामा और श्रीमती गाधी रखैले है, और उनके बच्चे अपने माता-पिताओकी भद्र और प्रिय पुत्र-पुत्रियाँ नही, बल्कि अवैध सन्ताने है। यदि कानून उनके प्रियजनोको समाजका कोढ माने और सरकार इनायत फरमा कर वैसा न माने, तो इन लोगोको इस बातसे क्या सन्तोष मिल सकता है? यह तो हुई सवालके भावना-पक्षकी बात, जो हमारे लिए सबसे अधिक वास्तविक है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज भावनाको चोट पहुँचाती है वही उसकी वास्तविकतापर भी आघात करती है। जो हो, विवाहके प्रश्नकी स्थिति यही है। जनूबीका मुकदमा[2] हमारे आशयको स्पष्ट कर देता है। सरकारकी कृपा-भावनासे गरीब विधवाको कोई राहत नही मिलती। सर्वोच्च न्यायालयके मास्टरको यह विवेका-धिकार नही है कि जिस कानूनका पालन कराना है, उसे कार्यान्वित करनेके अतिरिक्त वह कुछ और करे। जबतक सर्ले-फैसला कायम है, तबतक उसे [मास्टरको] जनूबीको

१ इन्हें यहाँ नही दिया जा रहा है।

२ देखिए "जनूबीका मामला", पृष्ठ १८-१९।

अपने पतिकी विधवाके रूपमे नही, बल्कि उसकी रखैलके रूपमे ही मानना होगा, और इसीलिए जनूबी उत्तराधिकार-शुल्ककी माफी पानेकी हकदार नही होगी। सारी सदिच्छाओके बावजूद सरकार कोई राहत देनेमे असमथ है, क्योकि जिस प्रकार वह प्रवासी अधिकारीको आदेश दे सकती है उस प्रकार मास्टरको आदेश नही दे सकती। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि जोहानिसबगकी विशाल सभाके अनुरोधके अनुसार कानूनमे सशोधन किया जाये। सरकारके लिए आवश्यक राहत देनेका यह एक सुनहला अवसर है। सरकारने जो प्रवासी विधेयक अभी प्रकाशित किया है, उसमे मामूली-सा सशोधन करके वह ऐसा कर सकती है और यही उसकी सदिच्छाका सर्वोत्तम प्रमाण होगा।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–४–१९१३

१३. विधेयकका परिणाम

उक्त [प्रवासी] विधेयक अस्थायी समझौतेको कार्यान्वित नही करता, क्योकि वह मौजूदा अधिकारोको भी छीन लेता है, यह बात समझौतेके विरुद्ध है, कुछ उदाहरण दिये जाते है

(१) खण्ड ३ न्यायालयके उस अधिकारको छीन लेता है, जिसका मौजूदा कानूनोके सम्बन्धमे अबतक उपयोग किया जाता था। ये कानून ही अब रद किये जा रहे है।

(२) जान पडता है, खण्ड ४के उपखण्ड १की धारा (क) वे सब अधिकार छीन लेती है जो शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीमें पास होनेपर केप या नेटालमे प्रवेश करनेवाले शिक्षित भारतीयोको प्राप्त हुआ करते थे।

(३) खण्ड ४का उपखण्ड ३ नेटाल और केपके भारतीयोको किसी भी बन्दरगाहसे होकर पुन प्रवेश करनेके प्राप्त अधिकारोपर प्रतिबन्ध लगाता है।

(४) खण्ड ५ का उपखण्ड (च) नेटालके उन भारतीयोको अधिवासके अधिकारोसे वचित करता है जो ठीक अर्थमे अधिवासी तो नही है, परन्तु वहा अपने दीघकालीन निवासके कारण अबतक अधिवासके अधिकारोका उपभोग करते रहे है। उक्त उपखण्डके फलस्वरूप नेटालमे निवास करनेवाले हजारो भारतीय "निषिद्ध प्रवासी" हो जायेंगे।

(५) अवधान-धारा (प्रॉविजो) खण्ड ५, ट्रान्सवालके पजीयन प्रमाणपत्रोके कानूनी प्रभावको काफी हद तक निरथक कर देती है। अधिकाश मामलोमे तिहरे पजीयनके बावजूद, उक्त विधेयकके अन्तगत ये प्रमाणपत्र, लॉर्ड मिलनरके शब्दोमे, "ट्रान्सवालमे अधिवासका पक्का अधिकार देनेकी क्षमता खो देते है", क्योकि इस विधेयकके अनुसार यदि कोई तीन साल तक ट्रान्सवालसे अनुपस्थित रहता है तो इन प्रमाणपत्रो द्वारा उसे अधिवासका जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह रद हो जाता है।

(६) यदि कोई अधिवासी तीन वर्ष तक अनुपस्थित रहे तो यही अवधान-धारा नेटालके निवास-सम्बन्धी उसके प्रमाणपत्रोको भी अवैध करार देती है।

(७) वही अवधान-धारा केप व ट्रान्सवालके भारतीयोके नेटालकी वर्तमान शिक्षा-कसौटीको पास कर लेनेपर नेटालमे प्रवेश कर सकनेके अधिकारको, और इसी प्रकार नेटाल व ट्रान्सवालके भारतीयोके केपकी शिक्षा-कसौटीको पास कर लेनेपर केपमे प्रवेश कर सकनेके अधिकारको सीमित करती है।

(८) वही अवधान धारा दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयो द्वारा केपके वर्तमान कानूनके अधीन उसमे प्रवेश कर सकनेके उनके अधिकारका अपहरण करती है।

यदि हम केवल सत्याग्रहके दृष्टिकोणसे विधेयकपर आगे विचार करते है तो उसमे निम्नलिखित त्रुटियाँ भी दिखाई पडती है

(१) खण्ड ४ के उपखण्ड १ की उपधारा (क) का मन्शा फ्री स्टेटमे शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षा पास कर लेनेवाले नये प्रवासियोके प्रवेशका निषेध करना जान पडता है।

(२) यदि विधेयक ऐसे प्रवेशका निषेध न भी करता हो तो भी हर शिक्षित प्रवासीसे वह ऐसा प्रतिज्ञा-पत्र चाहता है, जिसकी आव्रजक-रूपमे किसी आव्रजकसे अपेक्षा नही की जा सकती।

(३) खण्ड ५ की उपधारा (ठ) नये प्रवासियोकी पत्नियो और उनके नाबालिग बच्चो द्वारा अपने पति और पिताके साथ सघमे प्रवेश कर सकनेके अधिकारको स्वीकार नही करती।

(४) सल-फैसलेसे भारतीय विवाहो और ऐसे विवाहोसे उत्पन्न नाबालिग बच्चोके सम्बन्धमे दक्षिण आफ्रिकाके कानूनोकी जो त्रुटि सामने आई है, यह विधेयक उसे दूर नही करता।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–४–१९१३

१४ नया और पुराना विधेयक

उपर्युक्त विधेयक और १९१२ के उस मसविदेमे जो बादमे निष्फल ठहरा था,[१] अनेक स्थलोपर विरोध और सामजस्य पाया जाता है। नये विधेयकका ढाँचा १९१२ के विधानसे बहुत भिन्न है। इस विधेयकका खण्ड १, सन् १९१२ के विधेयकके खण्ड ३ के उपखण्ड १ और २ से मिलता-जुलता है, किन्तु पुराने विधेयकके खण्ड ३ के उपखण्ड ३ को नये विधेयकमे प्रशासन प्रणाली एव प्रशासनका अधिकार-क्षेत्र — दानो दृष्टियोसे खण्ड २ के बारह उपखण्डोमे बढाया और विस्तृत किया गया है। इनमे प्रवासी निकायके सामने अपील करनेके लिए आवश्यक तन्त्रकी व्यवस्था की गई है। इन निकायोको, आवास-सम्बन्धी प्रश्नोके अतिरिक्त अन्य अपीलोमे निर्णायक अधिकार प्राप्त रहेगे, बशर्ते कि इन्हे इसके लिए विधेयककी आम शर्तोंके अनुसार मन्त्रीसे निर्देश उपलब्ध हुए हो। खण्ड ३, जो कानूनी अदालतोके अधिकार-क्षेत्रसे आवासके अलावा अन्य प्रश्नोको अलग कर देता है, बिलकुल नया है।

१ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ५४५ ४९।

खण्ड ४ सामान्य १९१२ के विधेयकके खण्ड ४ से मिलता-जुलता है, पर इसमे पुराने विधेयकके खण्ड ७ के प्रान्तीय प्रतिबन्धोका समावेश भी किया गया है। तथापि इसमे दो ऐसी बाते है जो इसे उस विधेयकसे सर्वथा भिन्न बना देती है। पहली बात यह कि इसमे एक धारा है जिसके अनुसार मन्त्री चाहे तो आर्थिक आधारपर प्रवेशार्थीको प्रवेश देनेसे इनकार कर सकता है। दूसरी बात यह कि शैक्षणिक परीक्षाका रूप वही होगा जो वर्तमान प्रान्तीय कानूनोमे विहित है। उपखण्ड २ और ३ नये है।

खण्ड ५ दोनो विधेयकोमे एक-से है। अन्तर इतना ही है कि उपखण्ड (च) केवल प्रान्तोके ही अधिवासियोको छूट देता है, दूसरे प्रकारके निवासियोको सरक्षण नही दिया गया है। गैर-ईसाई भारतीय विवाहोकी मान्यताके लिए या इस प्रकारके विवाहोसे उत्पन्न बच्चोके सरक्षणके लिए इसमे कोई व्यवस्था नही की गई है। आज दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोको अधिकार है कि वे बिना किसी रोक-टोकके केप प्रान्तमे जा सकते है, किन्तु उनका यह अधिकार इस खण्डकी प्रथम अवधान-धारा द्वारा छीन लिया गया है, जब कि दूसरी अवधान धारा द्वारा अधिकारियोको यह अधिकार दिया गया है कि जो भारतीय तीन वर्षसे अधिक समय तक देशसे अनुपस्थित रहा हो उसे वे पुन दक्षिण आफ्रिकामे आनेसे रोक सकते है। यह उपबन्ध नया है। दोनो विधेयकोके ६वे खण्डोका आशय, भाषामे बहुत अन्तर होते हुए भी, एक-सा ही है। खण्ड ७, मोटे तौरपर १९१२ के विधेयकके खण्ड २८ के उप-खण्ड २ से मूलत मिलता-जुलता है। दोनोके खण्ड ८, ९ और १० भी प्राय एक-से है। नये विधेयकका अध्याय ३ सन् १९१२ के कानूनके अध्याय २ से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। इसमे उन विशेष अधिकारोका वणन है जिनके द्वारा निषिद्ध प्रवासियोको बन्दरगाहोसे देशमे प्रविष्ट होनेसे रोका जा सकता है और उनके विरुद्ध कारवाई की जा सकती है। खण्ड १९ मे पुराने विधेयकके खण्ड १८ और १९ दोनोका समावेश किया गया प्रतीत होता है, किन्तु नये विधेयकमे यह विधान है कि प्रवासी-अधिकारी सघकी सीमामे पाये जानेवाले किसी भी व्यक्तिकी जाँच-पडताल कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति प्रवासी-अधिकारीको इस मामलेमे सन्तुष्ट नही कर देता कि वह "निषिद्ध प्रवासी नही है," तो उसके साथ निषिद्ध प्रवासी-जैसा व्यवहार किया जायेगा। उस व्यक्तिको किसी अपील बोर्डके सामने अपील करनेका अधिकार जरूर रहेगा। उपखण्ड २मे एक नई प्रणाली दी गई है, जो पुराने विधेयकमे नही थी। दोनो विधेयकोमे खण्ड २० एक-जैसे है। यद्यपि नये विधेयकके खण्ड २१ और २२ मे प्राय वे ही उपबन्ध है जो कि १९१२ वाले विधेयकके २१वे और २२ वे खण्डोमें है, किन्तु वे दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे व्यक्तियोपर लागू नही होते। नये विधेयकके खण्ड २३ के उपखण्ड १ और २ पुराने विधेयक-जैसे ही है। उपखण्ड ३ नया है। खण्ड २४ भी वैसा ही है। खण्ड २५ के उपखण्ड १ का प्रथम भाग, जिसमे मन्त्रीको अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्तिको खण्ड ४ के उपबन्धोसे छूट दे सकता है, नया है। उपखण्ड २मे "शिनाख्तका प्रमाणपत्र" शब्द है, "अनुमतिपत्र" (परमिट) नही, जैसा कि १९१२के विधेयकके इसी उपखण्डमे था, और उसकी वैधताकी अवधि सीमित नही है। किन्तु इस सुविधाको खण्ड ५ के दूसरे उपबन्ध द्वारा व्यर्थ कर दिया गया है। खण्ड २६

सामान्यत पुराने विधेयकके खण्ड २६ से मिलता-जुलता है और गवर्नर-जनरलको विनियम जारी करनेका अधिकार देता है। दण्डकी व्यवस्था करनेवाला खण्ड २७ दोनो विधेयकोमे एक-सा ही है। खण्ड २८ भी प्राय पुराने विधेयकके खण्ड २८ के उपखण्ड १ के समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि जो एशियाई खण्ड ४ की शर्तोंसे मुक्त नही है, वह चाहे उस खण्डकी सम्पूर्ण परीक्षाओमे पास हो चुका हो, फिर भी उसे १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत अपना पजीयन कराना होगा। खण्ड २९ सन् १९१२ वाले विधेयकके खण्ड १ से मिलता है और जो कानून रद किये जानेवाले है उनका उल्लेख करता है। खण्ड ३० प्राय पुराने विधेयकके खण्ड २ के समान है। खण्ड ३१ विधेयकको, यदि वह अधिनियम बन जाता है तो, आगामी १ जुलाईसे लागू करनेकी व्यवस्था करता है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–४–१९१३

१५ जनूबीका मामला

हम इससे पहले भी इस मामलेपर लिख चुके है।[1] इस हफ्ते हमे और भी महत्त्वपूण कागजात मिले है, जिन्हे हम अग्रेजी स्तम्भोमे प्रकाशित कर रहे है।[2] इनमे से एक पत्र प्रान्तीय सर्वोच्च न्यायालयके मास्टरका है, जिसमे वे लिखते हैं कि यद्यपि श्री इस्माइल भायात तथा अन्य सज्जनोके हलफनामे है, पर उ हे मैं सबूत नही मान सकना। न्यासीको यह साबित करना है कि विवाह वैध है। साबित न कर पानेपर पत्नीके हिस्सेपर [उत्तराधिकार-शुल्कमे] भी छूटकी इजाजत नही मिलेगी। मास्टरने न्यासीको एक वकीलका मशविरा लेनेकी भी सलाह दी है, क्योकि यह मामला समूचे भारतीय समाजके लिए महत्त्वका है। इसलिए इस मामलेपर एक वकीलकी राय ली गई है। वकील श्री टैथमका खयाल है कि बाई जनूबीका विवाह कानूनन वैध नही माना जा सकता। कोई विवाह कानूनन वैध तभी माना जा सकता है जब वह ईसाई तरीकोसे सम्पन्न हुआ हो या पजीकृत हुआ हो। उन्होने आगे यह भी कहा कि जो राय मैंने दी है उससे मुसलमानोको घबरानेकी जरूरत नही है, क्योकि वे अपने विवाह पजीकृत करा सकते है। हमे इस सम्मतिसे आश्चर्य नही हुआ है, तथापि उसको पूरी तरह समझ लेना जरूरी है। निश्चिन्त तो वे ही रह सकते हैं जो इस मामलेको नही समझते। जो समझते है, वे एक क्षण भी निष्क्रिय नही बैठेग। श्री टैथमके अनुसार जिन लोगोके विवाह विधिवत् सम्पन्न हुए थे और उनसे जिनके बच्चे है उन्हे अब यह मान लेना चाहिए कि उनकी पत्नियाँ अभी तक कानूनन पत्नियाँ नही थी, और उन्होने उनको सलाह दी है कि वे अब अपनी पत्नियोको

१ देखिए "वैवाहिक उलझन", पृष्ठ १४-१५।

२ इन्हें यहाँ नही दिया जा रहा है।

कानूनन पत्नीका दर्जा दिलानेके लिए अपने विवाहको पजीकृत करवा लें। हमे आशा है कि कोई भी भारतीय ऐसा करनेको राजी नही होगा। जो विवाह हो चुका है, उसका फिरसे किया जाना कैसे सम्भव होगा? श्री टैथम कहते है कि जिस व्यक्तिके दो पत्नियाँ होगी वह कानूनकी दृष्टिमे अपराधी माना जायेगा। यह बात यो तो सही है, लेकिन ऐसी है जिसे हम सहन नही कर सकते। हम चेतावनी देते है कि बाई जनूबीके मामलेके परिणाम इतने गम्भीर है कि यदि सरकार मामलेको खत्म कर दे, तो भी अदालते हमारे बच्चोको कानूनी वारिस नही मानेगी। सरकार अदालतोको आदेश नही दे सकती। यह मामला कानूनकी व्यवस्थासे सम्बन्धित नही है, वरन् उसकी व्याख्यासे सम्बन्धित है, और व्याख्या करना अदालतोके हाथमे है। हमे शान्त करनेके लिए सरकार सम्बन्धित अधिकारियोको आदेश देकर हमारी पत्नियोको प्रवेशकी अनुमति दे सकती है, परन्तु हमारे बच्चोको कानूनन वारिस माननेका अधिकार तो अदालतोको है। और यदि हमारे विवाह कानूनन अवैध माने जाते है तो अदालते हमे कोई भी राहत नही दे सकेगी। यह कठिनाई तो कानूनमे सशोधन करके ही दूर की जा सकती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–४–१९१३

१६. हिन्दुओसे

लोग यह कहते हुए सुने गये है कि न्यायाधीश सर्लका निर्णय हिन्दुओ अथवा पारसियोपर लागू नही होता। यह बात बिलकुल निराधार है। इस निणयका ठीक अर्थ तो यह है कि जो विवाह इस देशके कानूनके अनुसार सम्पन्न न हुआ हो, वह विवाह विवाह नही माना जा सकता। इस निर्णयके कारण अब यह सवाल उठता ही नही है कि किसी व्यक्तिके एक पत्नी है अथवा दो। यह बात अच्छी तरह याद रखने योग्य है। हम तो यहाँतक सलाह देगे कि जबतक इस विवादका कोई हल नही निकलता तबतक जो हिन्दू, मुसलमान या पारसी अपनी स्त्रियोको सत्याग्रहमे शामिल नही करना चाहते वे उन्हे यहाँ न बुलाये। हमे आश्चर्य तथा खेद तो इस बातपर होता है कि अभीतक समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय उपर्युक्त निर्णयको सुनकर भडक क्यो नही उठे है। कही ऐसा तो नही है कि हमारा सारा शौर्य लुप्त हो गया है! अजीब बात है कि कानून हमारी पत्नियोको रखैल माने और हम हाथपर-हाथ धरे बैठे रहे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–४–१९१३

१७. सघको उत्तर

जोहानिसबर्गमे ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे विवाहके सम्बन्धमे पारित जो प्रस्ताव सरकारको केप टाउन भेजा गया था,[१] उसका उत्तर श्री काछलियाको मिल गया है। उसमे गृह-मन्त्रीने लिखा है कि वे यह समझ पानेमे असमथ है कि न्यायाधीश सलके निणयसे भारतीय समाज इतना उत्तेजित क्यो हो गया है। [उनका कहना है कि] विवाहोके सम्बन्धमे कानूनकी स्थिति और इस सवालके बारेमे सरकारकी राय क्या है, इससे भारतीय समाज अपरिचित नही है। सरकारने बार-बार यह कहा है कि कानूनकी दृष्टिसे स्थिति चाहे जो हो, लेकिन इस कानूनको वह अन्यायपूण ढगसे लागू नही करना चाहती। यदि किसी स्त्रीका विवाह इस्लाम अथवा किसी अन्य धमकी रीतिके अनुसार हुआ हो, और विवाहोके बारेमे दी गई साक्षी सन्तोषप्रद हो तथा अगर यह भी स्पष्ट हो गया हो कि उस व्यक्तिकी दक्षिण आफ्रिकामे अन्य कोई पत्नी नही है, तो उसे उतरनेकी आज्ञा दे दी जाती है। अधिकारियोको हिदायते दे दी गई है कि न्यायाधीश सर्लके निणयके बावजूद अबतक ऐसे मामलोमे जैसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा, उसमे कोई परिवर्तन नही करना है। इस उत्तरसे पता चलता है कि सघके प्रस्तावोके प्रभावके सम्बन्धमे रायटरके तारसे हमने जो अनुमान निकाला था, वह ठीक है। इसमे कोई सन्देह नही कि सत्याग्रहके प्रस्तावसे सरकार चौक गई है। तारसे पता चलता है कि फिलहाल तो स्त्रियोको अधिक परेशान नही किया जायेगा। लेकिन हमे आश्वस्त करनेके लिए यह पर्याप्त नही है। न्यायाधीश सर्लके निणयकी तलवार जबतक हमारे सिरपर लटकती रहेगी तबतक हम चुप होकर नही बैठ सकते। अगर सरकारका इरादा अबतक चले आ रहे रिवाजमे कोई परिवर्तन करनेका नही था तो उसने न्यायाधीश सलसे स्पष्ट निणय क्यो माँगा? बाई मरियमको किसलिए रोका गया? सरकारके कहनेके अनुसार बाई मरियमकी सौत हिन्दुस्तानमें है। उसके [बाई मरियमके पतिकी] कोई दूसरी पत्नी है या नही, सो हम नही जानते। लेकिन सरकारको उत्तर देनेके लिए इतना ही पर्याप्त है कि अगर उसकी कोई दूसरी पत्नी है भी तो वह हिन्दुस्तानमे है। इसलिए तारमे जो आश्वासन दिया गया है, वह सरकारको बादमे सूझा है। इसके सिवा, इस सन्दर्भमे जनूबीके मामलेपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि इस मामलेमे सरकार हस्तक्षेप नही कर सकेगी। यदि जनूबीका विवाह वैध नही माना जाता, तो उसका अधिकार रद हो जाता है, और जबतक कानूनमे सशोधन नही किया जाता तबतक हमे राहत देनेकी सत्ता न तो सरकारको है, न अन्य किसीको। वह [राहत] तो केवल ससद ही दे सकती है। ससदसे हमे यह राहत दिलानेका काम सरकारका है। अभी तो ससदका अधिवेशन भी चालू है। प्रवासी विधेयक अभी इसके

१ देखिए "पत्र गवर्नर जनरलके निजी सचिवको", पृष्ठ १०।

सामने पेश है। इसलिए अगर सरकारकी नीयत साफ है तो उसके लिए हमे न्याय दिलवानेका यह सुनहला अवसर है और अगर हम इरादेके पक्के है, अगर सघ इरादेका पक्का है तो सरकारको भी सच्चा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हमारा सकल्प सच्चा है तो हम जगह-जगह सभाएँ करके सघके प्रस्तावोको बल प्रदान करेगे तथा अगर सघका सकल्प सच्चा है तो वह अपनी माँगसे एक इच भी पीछे नही हटेगा — भले ही उसे [लोगोका] समर्थन प्राप्त हो या न हो।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१८ आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१५]

७ कसरत

मनुष्यके लिए जितनी आवश्यकता हवा, पानी और अन्नकी है उतनी ही कसरतकी भी है। यह अवश्य सच है कि बिना कसरत किये भी मनुष्यका अनेक वर्षों तक निर्वाह हो सकता है, हाँ, किन्तु खुराक, हवा, पानी और अन्नके बिना वह नही जी सकता। जिस प्रकार खुराकका हमने एक विशेष अर्थ किया है उसी प्रकार कसरतका भी करना होगा। कसरतका मतलब केवल गिल्ली-डडा, फुटबॉल-क्रिकेट अथवा घूमना-फिरना आदि ही नही है। कसरतका ठीक मतलब है शारीरिक और मानसिक काम। जिस प्रकार खुराक हमारे हड्डी-मासके लिए और मनके लिए भी जरूरी है, ठीक उसी प्रकार कसरत भी शरीर और मन के लिए आवश्यक है। यदि शरीरको व्यायाम न मिले, तो वह बीमार होगा और मनको भी व्यायाम नही मिले, तो वह शिथिल हो जायेगा। मूढता भी एक प्रकारका रोग ही गिना जायेगा। यदि हम बडे-बडे पहलवानोके लिए, जो कुश्ती लडनेमे नामी है किन्तु जिनके मन गँवारो-जैसे ही है, नीरोगी शब्दका उपयोग करे, तो यह हमारा अज्ञान ही गिना जायेगा। अग्रेजीकी एक कहावतके अनुसार "तन्दुरुस्त शरीरमे तन्दुरुस्त मन"वाले व्यक्तिको ही नीरोगी माना जाना चाहिए।

ऐसे व्यायाम कौन-से हो सकते है? प्रकृतिने तो हमारे लिए ऐसी योजनाएँ कर रखी है कि हमे निरन्तर व्यायाम करना ही पडता रहे। यदि हम शान्तिपूर्वक थोडा विचार करे, तो हमे मालूम होगा कि दुनियाका एक बहुत बडा भाग खेती-पर अपना निर्वाह करता है। किसानके घरमे सभीको पर्याप्त व्यायाम मिल जाता है। वह प्रतिदिन आठ-दस या उससे भी अधिक घटे तक खेत आदिमे काम करता है, तभी उसे खाना और कपडा प्राप्त होता है। उसे मनकी भी कोई अलहदा कसरत नहीं करनी पडती। किसान तो मूढ दशामे काम कर ही नही सकता। उसे जमीनकी मिट्टीकी पहचान होनी चाहिए, ऋतुओके परिवर्तनकी जानकारी रखनी चाहिए, दक्षतापूर्वक हल चलाना आना चाहिए और सूर्य तथा सितारोकी गतिकी भी साधारण जानकारी

होनी चाहिए। भले ही कैसा भी बुद्धिमान शहरी आदमी हो, जब वह किसी किसानके घर जाता है तो दीन बन जाता है। किसान बतला सकेगा कि बीज कैसे बोया जाता है। उसे अपने आसपासके हर गली-कूचेका ज्ञान है, मनष्योकी जानकारी है, सितारे आदि देखकर वह रातको भी दिशाएँ पहचान सकता है, पक्षियोकी आवाज और उनकी गतिके आधारपर वह बहुत-कुछ जान जाता है। यदि अमुक पक्षी किसी विशेष समयपर एक-साथ दिखाई दे और किल्लोल करे, तो किसान कह सकेगा कि यह बरसात अथवा अन्य किसी मौसमके आगमनकी निशानी है। इस प्रकार किसानको अपने लिए आवश्यक खगोल, भूगोल और भूगर्भ आदि शास्त्रोका ज्ञान होता है। उसे अपने बच्चोका पोषण करना है, अत मानव-धर्मशास्त्रका भी उसे साधारण ज्ञान है। और चूकि वह प्राय पृथ्वीके विशाल खुले खण्डमें रहता है, इसलिए ईश्वरके महत्त्वका भी अनुभव सहज ही कर पाता है। शरीरसे तो वह सबल है ही। वह अपना वैद्य भी आप ही होता है। इस प्रकार हम देखते है कि उसका मन भी ठीक तरहसे सुशिक्षित है।

परन्तु यह सम्भव नही कि सभी किसान हो। फिर ये प्रकरण कुछ किसानके उपयोगके लिए नही लिखे जा रहे है। प्रश्न यह है कि जो लोग व्यापारी है अथवा इस प्रकारका अन्य कोई धन्धा करते है, उन्हे क्या करना चाहिए। इस प्रश्नका हमे विवेकपूर्ण जवाब मिल सके, और किसानकी जीवनचर्यासे हम, जो कि किसान नही है, अपनी जीवनचर्याकी तुलना कर सकें और जान सके कि जिस हद तक हम लोग एक कृषकका जीवन नही बिता पाते, उस हद तक हम लोग उसकी अपेक्षा कम ही नीरोग रहेगे। इसीलिए किसानकी जीवनीका थोडा-कुछ वणन यहाँ कर दिया गया है। एक किसानके जीवनके आधारपर हम देख सकते है कि मनुष्यको ८ घटे शारीरिक काम करना चाहिए और वह कार्य ऐसा हो, जिसे करते हुए हमारी मन-शक्तिको भी व्यायाम मिलता रहे। यह ठीक है कि व्यापारी आदि वर्गोको भी कुछ हद तक मनका व्यायाम मिलता है, परन्तु वह एकागी ही होता है। व्यापारी किसानकी तरह खगोल, भूगोल या इतिहास जाननेवाला नही होता। उसे तो केवल भाव-तावकी ही खबर होती है। प्रतिपक्षीको दक्षतापूवक किस प्रकार माल बेचा जाये, इसकी उसे जानकारी है। लेकिन इतने-भरसे उसकी मन शक्तिको पूरा व्यायाम नही मिलता। अवश्य ही उसे अपने धन्धेमे कुछ शारीरिक हलचल करनी पडती है, पर वह भी अपर्याप्त ही मानी जायेगी।

इस प्रकारके मनुष्योके लिए पश्चिमी लोगोने क्रिकेट आदि खेल खेलनेकी सिफारिश की है, वर्षके त्योहारोको मनाते समय अमुक त्योहारोपर अमुक प्रकारके खेल और अपने मानसिक विकासके लिए जिन पुस्तकोमे अधिक मगजपच्ची न करनी पडे, ऐसी पुस्तकें पढनेकी पद्धति चलाई है। यह एक मार्ग है। इसपर जरा विचार कर ले। इसमे कोई शक नही कि इस प्रकारके खेलोमे समय बिताते हुए अवश्य ही व्यायाम मिलता है, पर इनसे मनुष्यका मन नही सुधर सकता। यह बात अनेक उदाहरण देकर समझाई जा सकती है। क्रिकेट खेलनेवालो अथवा फुटबॉलके अच्छे खिलाडियोकी सख्याको देखे तो उनमें कितने ऐसे मिलेगे जिनकी मानसिक शक्ति अच्छी है? हिन्दुस्तानमे

उन राजाओके मनोबलके बारेमे हमने क्या देखा है जो बडे खिलाडी है। दूसरी ओर जो लोग बडे मनोबलवाले है, उनमे खिलाडी कितने है? अपने अनुभवके आधार-पर हम देखते है कि मनोबलवाले लोगोमे से बहुत कम ही खिलाडी नजर आते है। विलायतमे आजकल खेलोपर जोर है। खेलोको अत्यधिक महत्त्व देनेवाले ऐसे लोगोको उन्हीके एक महान कवि किपलिगने अक्ल और इग्लैडका दुश्मन कहा है। इधर हमारे हिन्दुस्तानमे मनोबल-सम्पन्न सज्जनोने दूसरा ही रास्ता अपनाया जान पडता है। ये लोग मनकी कसरत तो करते है, किन्तु उस परिमाणमे शरीरको बहुत ही कम या बिलकुल ही व्यायाम नही देते। ऐसे लोग अल्पजीवी हो जाते है। निरी मगजमारीके कारण इनके शरीर क्षीण हो जाते है, शरीरमे कोई-न-कोई रोग घर कर लेता है और उस समय जब कि उनका अनुभव देशके लिए बडे कामका साबित हो सकता है, वे हमारे बीचसे चले जाते है। इसके आधारपर हम देख सकते है कि केवल मनकी अथवा निरी शरीरकी कसरत ही पर्याप्त नही है। इसी प्रकार अनुत्पादक कोरा व्यायाम अथवा खेलो द्वारा प्राप्त व्यायाम भी समुचित नही कहा जा सकता। जो व्यायाम मन और शरीर — दोनोको साथ-ही साथ और धीरे धीरे सुशिक्षित बनाते चलते है वे ही सच्चे व्यायाम है। उन्हे करनेवाला मनुष्य ही स्वस्थ रह सकता है और यह मनुष्य केवल किसान ही हो सकता है।

तो अब उसे क्या करना चाहिए जो किसान नही है? क्रिकेट आदि खेलोसे मिलनेवाला व्यायाम तो उचित व्यायाम नही है। अत हमे अब ऐसे व्यायामकी खोज करनी चाहिए जिससे किसानके-जैसा ही लाभ प्राप्त हो। व्यापारी अथवा दूसरे लोग अपने घरके आसपास बाडी बना सकते है और दो-चार घटे खेती आदिका काम कर सकते है। फेरीवाले लोगोको अपने धन्धेके साथ व्यायाम मिल जाता है। यह सवाल तो उठना ही नही चाहिए कि हम पराये घरमे रहते है तो उसकी जमीनमे कैसे काम करे। यह तो तग मनकी निशानी है। किसीकी भी जमीनमे यदि हम खोदने और बोनेका काम करे, तो उससे हमे लाभ ही होगा। ऐसा करनेसे हमारा घर सुधरेगा और हमे दूसरेकी जमीनको ठीक ढगसे रखनेका सन्तोष भी प्राप्त होगा। अब उन लोगोके लिए दो शब्द लिखनेकी जरूरत है जो न तो कसरत कर सकते है और न जिन्हे यह खयाल ही किसी प्रकार रुचता है। जमीनमे काम करनेके अलावा दूसरा सर्वोत्तम व्यायाम घूमनेका है। इसे व्यायामोका राजा कहा जाता है और यह ठीक है। हमारे फकीर और सन्त बहुत तन्दुरुस्त होते है। इसके अनेक कारणोमे एक कारण तो यह भी है कि वे गाडी, घोडे आदि वाहनोका उपयोग नही करते। वे अपनी सारी मुसाफिरी पैदल ही करते है। थोरो[1] नामक एक महान अमेरिकी हुए है। उन्होने घूमनेके व्यायामके सम्बन्धमे एक अत्यन्त विचारणीय ग्रन्थ लिखा है। वे कहते है कि जो मनुष्य इस बहानेसे घरसे बाहर नही निकलता कि उसे समय ही

१ हेनरी डेविड थोरो (१८१७–६२), प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, प्रकृतिवादी और दार्शनिक। उन्होने कई ग्रथ लिखे है जिनमें प्रकृति विषयक **वाल्डेन ऑर लाइफ इन द वुड्स**, और **एक्सकर्शन्स**, नामक दो पुस्तकें भी हैं। देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २२०-२२

नही मिलता है और बिना किसी प्रकारकी हलचल किये लिखने आदिका ही काम करता है, उसके लेख आदि भी वैसे ही सुस्त होते है, जैसा वह स्वय होता है। अपने अनुभवका उल्लेख करते हुए वे कहते है कि उन्होने जो अच्छीसे-अच्छी पुस्तके लिखी है, वे उस समय लिखी है जब वे अधिकसे-अधिक घूमा करते थे। प्रतिदिन चार-पाँच घटे घूमना तो उनके लिए कोई बात ही नहीं थी। हमे जब सचमुच भूख लगी हो, उस समय जिस प्रकार हम काम नही कर सकते, वैसा ही व्यायामके सम्बन्धमे भी होना चाहिए। अपने मानसिक कामकी माप करना हम नही जानते। इसीलिए हम यह नही देख पाते कि शारीरिक व्यायामके अभावमे जो मानसिक कार्य किये जाते है वे नीरस और निर्जीव होते है। घूमनेसे शरीरके हर भागमे खूनका दौरा तेजीसे होता है। उससे प्रत्येक अगकी कसरत हो जाती है और सारे अगोका ठीक-ठीक गठन सम्भव होता है। याद रखना चाहिए कि घूमनेमे हाथ-पाँवोका सचालन गतिके साथ हो। घूमनेसे हमे शुद्ध हवा भी मिलती है और बाहरके भव्य दृश्य भी हम देख पाते है। हमेशा एक ही स्थानपर या एक ही गलियोमे नही घूमना चाहिए, बल्कि खेतो और कुजोमें घूमने जाना चाहिए। इससे प्रकृतिकी शोभाके महत्त्वको भी हम आँक सकेगे। दो मील घूमना कोई घूमना नही है। दस-बारह मील घूमें तो घूमना माना जायेगा। जो लोग प्रतिदिन ऐसा नही कर सकते, वे प्रति रविवारको खूब घूम सकते है। एक बीमार किसी अनुभवी वैद्यके यहाँ दवा लेने गया। उसे अजीणकी तकलीफ थी। वैद्यने उसे सदा थोडा-बहुत घूमनेकी सलाह दी। बीमारने कहा कि उसमे जरा भी ताकत नही है। वैद्यने सोचा कि बीमार कुछ डरपोक है। वह उसे अपनी गाडीमे ले चला और मार्गमे अपना चाबुक जान-बूझकर नीचे गिरा दिया। भलमनसाहतके नाते बीमारको चाबुक लेनेके लिए नीचे उतरना पडा। इतनेमे वैद्यजीने अपनी गाडी जोरसे हाँक दी। बेचारे बीमारको हाँफते-हाँफते गाडीके पीछे भागना पडा। जब वह काफी दूर भाग चुका, तब वैद्यजीने गाडीको घुमाया और बीमारको उसमे बिठाया और उसे समझाकर कहा कि घूमना ही तुम्हारे लिए दवा है, मुझे इसीलिए इस क्रूरतापूर्ण ढगसे तुम्हे घुमा कर दिखाना पडा। बीमारको खूब कसकर भूख लग आई थी, अत उसने और सब भूल कर वैद्यके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और घर पहुँच कर जी भरकर भोजन किया। जिन लोगोको घूमनेकी आदत नही है और जिन्हे बदहजमी तथा उससे उत्पन्न अन्य रोग होते है, ऐसे लोगोको चाहिए कि वे घूमनेका प्रयोग कर देखे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१९ पत्र : गृह-सचिवको[1]

अप्रैल १४, १९१३

न्यायमूर्ति श्री सर्लके हालके फैसलेके बारेमे मेरे इसी २ तारीखके तारके[2] उत्तर-मे आपका ५ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ।

निवेदन है कि न्यायमूर्ति श्री सर्लके फैसलेसे पहले हमारे समाजके सम्मुख यह बात कभी स्पष्ट नही हुई थी कि गैर-ईसाई लोगोके जो विवाह दक्षिण आफ्रिकामे पजीकृत नही हुए है वे दक्षिण आफ्रिकाकी अदालतो द्वारा मान्य नही किये जायेगे। न्यायमूर्ति श्री वेसेल्सका फैसला,[3] जो कुछ समय पहले दिया गया था, ऐसे फैसलेसे बहुत-कुछ मिलता-जलता था, किन्तु उसका सम्बन्ध भारतके विविध महान धर्मोके रीति-रिवाजोके अनुसार सम्पन्न विवाहोकी अपेक्षा बहुविवाहोकी वैधता अथवा अवैधता से अधिक था। जैसा कि माननीय मन्त्रीने देखा होगा, न्यायमूर्ति सर्लका फैसला किसी नजीरपर आधारित नही है, उनके सामने पेश मुकदमा परीक्षणात्मक माना गया था और विवाह कानूनके सम्बन्धमे उनका यह फैसला बिलकुल नया है।

इसके अतिरिक्त, अबतक हिन्दू, मुसलमान और पारसी विवाहोपर आपत्ति नही की गई और कई डिवीजनोके प्रधान अधिकारी (मास्टर) उनको मान्य करते रहे है। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि जबसे उक्त फैसला दिया गया है, नेटाल प्रान्तीय डिवीजनके प्रधान अधिकारीने एक मत मुसलमानकी जायदादपर उसकी विधवा पत्नीके उत्तराधिकारके सम्बन्धमे मुसलमानी विवाहोकी वैधतापर आपत्ति की है।[4]

मेरा सघ सरकारके प्रति इस आश्वासनके लिए कृतज्ञ है कि सरकार कानूनको कडे या मनमाने तरीकेसे लागू करना नही चाहती, किन्तु उक्त फैसलेको ध्यानमे रखते हुए मै आशा करता हूँ कि सरकार समाजके उस रुखको समझ लेगी जो सभामे इस आश्वासनको स्थितिकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए काफी न मानकर व्यक्त किया गया है। अब कानूनकी निगाहमे गैर-ईसाई भारतीय पत्नियाँ पत्नियाँ नही है, बल्कि रखैल है। मुझे विश्वास है कि यदि भारतीय समाज भारतीय पत्नियोके दर्जेको इतने अपमानजनक रूपसे हीन बना देनेपर रोष प्रकट करता है — और वह रुष्ट तो हुआ है — तो सरकार इस मन स्थितिको समझेगी। जैसा कि हम बता चुके है, इस फैसलेके कानूनी नतीजे, जिन्हे हमारी समझमे प्रशासकीय कार्रवाईसे दुरुस्त करना सरकारके अधिकारमे नही है, इतने गम्भीर है कि उनको ध्यानमे रखकर कानूनमे परिवर्तन करना वाछनीय है।

१ इस पत्र पर अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षर थे।

२ यह उपलब्ध नहीं है।

३ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ २३९-४० तथा २५८-५९।

४ देखिए "जनूबीका मामला", पृष्ठ १८-१९।

इसलिए मेरा सघ आशा करता है कि सरकार कृपा करके इस मामलेमे समाजकी भावनाओका विचार करेगी और न्यायमूर्ति सलके अप्रत्याशित फैसलेसे जो अनर्थ हो गया है, उसका परिमाजन करनेके लिए नये प्रवासी विधेयकको प्रस्तुत करनेके अवसरका लाभ उठायेगी।[1]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२० तार: गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]
अप्रैल १५, १९१३

गृह-मन्त्री

मुकम्मल जवाबके[2] लिए सरकारका शुक्रिया। मगर उत्तर असन्तोषजनक। बोर्डोंके बारेमे अभीतक समाजका अनुभव बिलकुल खराब। सर्वोच्च न्यायालय जानेके अधिकारको हम बहुत महत्त्व देते है। पिछले दोनो विधेयकोमे फ्री स्टेटमे प्रवेशका अधिकार सिद्धान्तत मान्य किया गया था। चाहे खण्ड चारका उपखण्ड तीन सुविधाजनक भी हो, वह अमलमे मौजूदा कानूनका स्पष्टत परित्याग है। वतमान नेटाल प्रवासी अधिनियममे तीन सालके निवासको अधिवासके बराबर माना गया है। नेटालके बारेमे ऐसी धाराको कायम रखनेसे कोई नया अधिकार नही मिल सकता। नेटालमे कोई भारतीय कितने ही वर्ष तक बाहर रहे, किन्तु यदि वह अपने पूर्व-अधिवासको नेटाल अधिनियममे की गई उदार व्याख्याके अनुसार सिद्ध कर सके तो वह कानूनन फिर प्रविष्ट हो सकता है। अस्थायी समझौतेका मन्शा यह कभी नही था कि यदि नये विधेयकसे यूरोपीयोके अधिकार कम किये जा सकते है तो भारतीयोके अधिकार भी कम किये जा सकते है। असलमे यूरोपीयोकी बहुत बडी सख्या इस व्यवस्थासे प्रभावित नही होती, किन्तु इससे तीन सालसे ज्यादा बाहर रहनेवाले प्रत्येक भारतीयके निवासके अधिकार निश्चय ही चले जायेगे।

१ गृह-सचिवने ९ मईको इस पत्रका उत्तर देते हुए गांधीजीको सूचित किया था कि ऐसा कोई कानून बनाना यूरोपीय सभ्यताके सिद्धान्तोंके विरुद्ध होगा, जिसके द्वारा एक पुरुषको कई स्त्रियोसे विवाह करनेकी अनुमति देनेवाली विवाह पद्धति मान्य हो और जिसके कारण दक्षिण आफ्रिकामें किसी भी प्रकारसे रोमन-डच कानूनके अन्तर्गत सम्पन्न वैध विवाहोंकी वर्तमान स्थिति बदलती हो। गृह मन्त्रीने अपने इस कथनके सम्बन्धमें कि सर्लने अपने निर्णयमें जो-कुछ कहा है वह स्थिति तो दक्षिण आफ्रिकामें वर्षोंसे मौजूद है, गाधीजीकी शकाका समाधान करते हुए केपकी अदालतके १८६० के निर्णय और उसी साल पास किये गये एक कानूनका हवाला भी दिया था।

२ देखिए परिशिष्ट ३।

निवेदन करता हूँ यह स्थिति बिलकुल अस्वीकार्य है। अन्तरप्रान्तीय आवागमनका अधिकार एक बहुत ही ठोस अधिकार है और उसे वर्तमान विधेयकके असरसे आसानीके साथ [उसमें संशोधन करके] बरकरार रखा जा सकता है। सम्बन्धित लोग केवल प्रशासनिक उदारताके वचनसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते। मेरी सम्मतिमें सर्लके फैसलेके प्रभावको पूरी तरह केवल कानून बनाकर ही दूर किया जा सकता है। निवेदन है पहले विधेयककी भाँति स्पष्ट व्याख्याके द्वारा शिक्षित भारतीयोंकी पत्नियों और नाबालिग बच्चोंकी रक्षा की जाये। यदि मन्त्री यह मंजूर करें कि फ्री स्टेटमें शिक्षित भारतीयोंका प्रवेश कानूनी तौरपर सम्भव है तो प्रवेश करनेपर उनसे ज्ञापन लेना स्पष्टतः अनावश्यक है और यदि उसपर आग्रह किया जायेगा तो निःसन्देह वह ऐसा प्रवास ज्ञापन होगा जो दूसरे प्रवासियोंको नहीं देना पड़ता। वस्तुतः फ्री स्टेटमें प्रवेश अनावश्यक, किन्तु प्रवासके सम्बन्धमें सैद्धान्तिक समानताके पालनके लिए सामान्य विधेयकमें प्रवेशका अधिकार रखना आवश्यक। आपके उत्तरमें दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके केपमें प्रवेशके वर्तमान अधिकारोंका प्रश्न शामिल नहीं। सत्याग्रहके उल्लेखको धमकी मानने और मन्त्रीके नाराज होनेपर खेद है। धमकी देने या मन्त्रीको नाराज करनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं। किन्तु सत्याग्रह फिर आरम्भ होनेकी सम्भावना बताकर मैंने केवल सत्यका उल्लेख किया है। मेरा खयाल था कि अबतक दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार और जनताने यह जान लिया होगा कि प्रतिनिधित्वहीन समाजका सत्याग्रह और वह भी ऐसा जैसा मेरे देशके लोग करते हैं, अपना तीव्र रोष बताने और अपनी शिकायतें दूर करानेका एक निर्दोष और उचित तरीका है। यदि इससे दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार या जनता नाराज होती है तो मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंके और मेरे सामने उसके परिणाम भुगतनेके सिवा कोई चारा नहीं है। यह उद्देश्य हमें अपने प्राणोंके समान, बल्कि प्राणोंसे भी ज्यादा प्यारा है। हम उसके लिए कष्ट भोगनेको तैयार हैं।[1]

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७६६) की फोटो-नकलसे।

१ गृह मन्त्रालयने उत्तरमें लिखा कि तारमें उठाये गये मुद्देपर मन्त्री महोदय विचार कर रहे हैं।

२१. पत्र : गृह-सचिवको

[फीनिक्स]
अप्रैल १५, १९१३

महोदय,

भारतीय विवाहोके सम्बन्धमे लिखे गये मेरे इसी १ तारीखके पत्रके[1] उत्तरमें आपका १० तारीखका पत्र मिला।

माननीय गृह-मन्त्रीके प्रति उचित सम्मान रखते हुए, मेरा नम्र निवेदन है कि यदि मैंने श्री सर्लके फैसलेको ठीक समझा है तो उसमे निश्चय ही एक नये सिद्धान्तकी स्थापना की गई है। अभीतक गैर-ईसाई भारतीय विवाहोको प्रवासी विभाग और सर्वोच्च न्यायालयके सर्वोच्च अधिकारी (मास्टर), दोनोने ही मान्य किया है। जिन लोगोके विवाह उनके अपने-अपने धर्मोकी प्रथाओके अनुसार हुए है उनके बच्चे अबतक अन्त राज्यीय जायदादोमे वैध उत्तराधिकारी माने गये है। किन्तु श्री सर्लके फैसलेके अनुसार ऐसे बच्चे अब उनके उत्तराधिकारी नही माने जा सकते। जैसा कि साथ नत्थी की गई रिपोर्टसे प्रकट होगा, सर्वोच्च न्यायालयके नेटाल प्रान्तीय डिवीजनके सर्वोच्च अधिकारी इस प्रश्नको उठा भी चुके है।

मैं यह जानता हूँ कि विवाह-अधिकारियोके सम्मुख पजीकृत सभी विवाह आवश्यक रूपसे ईसाई-विवाह नही होते। किन्तु ज्यादातर गैर-ईसाई भारतीयोके विवाह, विवाह-अधिकारियोके सम्मुख सम्पन्न नही होते। जान पडता है, सघके वैध निवासी भारतीयोके इन विवाहो और भारतमे सम्पन्न और भारतीय कानूनके अनुसार वैध माने गये अन्य सभी विवाहोपर श्री सर्लके फैसलेका विपरीत प्रभाव पडा है।

मुझे विश्वास है, सरकार यह अपेक्षा नही रखती कि ये विवाह फिरसे सघके विवाह-अधिकारियोके सम्मुख सम्पन्न हो या पजीकृत किये जाये जिससे वे इस देशके कानूनकी निगाहसे भी वैध माने जा सकें। सरकार प्रवासी अधिकारियोको वर्तमान व्यवहारमे बाधा न डालनेका आदेश देकर हमारे साथ इस मामलेमें जो रियायत करना चाहती है, मैं उसपर कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। किन्तु इस प्रकार जो राहत दी जायगी, वह पूरी तरह कारगर नही होगी। जिसका यह एक कारण तो है ही कि किसी भी प्रशासकीय कार्रवाईसे उन कानूनी परिणामोको नही रोका जा सकता, जिनका श्री सर्लके फैसलेसे पैदा होना निश्चित है।

मैंने अपने पत्रमे बहुपत्नीत्वका प्रश्न नही उठाया। इस प्रश्नसे सम्बन्धित मुद्दा उतना बडा या व्यापक नही है, श्री सर्लके फैसलेसे सम्बन्धित मुद्दा ज्यादा बडा है। किन्तु चूकि आपके पत्रसे यह ध्वनि निकलती है कि दक्षिण आफ्रिकी कानूनमें बहुपत्नीत्व मान्य नही है, मुझे मन्त्री महोदयका ध्यान नेटालके १९०७ के अधिनियम २ की

१ देखिए "पत्र गृह मन्त्रीको", पृष्ठ १२।

ओर आकर्षित करनेकी अनुमति दीजिए जिसमे गिरमिटिया भारतीयोमे प्रचलित बहुपत्नी प्रथा मान्य की गई है। मेरा सकेत इस अधिनियमके खण्ड ६ और ७ की ओर है, जिनकी नकले मन्त्री महोदयकी जानकारीके लिए मै इस पत्रके साथ नत्थी करता हूँ।

मेरी विनम्र सम्मतिमें श्री सलके फैसलेसे उत्पन्न प्रश्न सघके विवाह कानूनोमे सशोधन करके ही प्रभावकारी रूपसे तय किया जा सकता है ताकि उससे गैर-ईसाई धर्मोंकी प्रथाओके अनुसार और गैर-ईसाई पुरोहितोके सम्मुख सम्पन्न होनेवाले विवाह वैध हो जाये।[1]

आपका,
मो० क० गाधी

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६८) की फोटो-नकलसे।

२२. पत्र: ड्रूमड चैपलिनको

[फीनिक्स]
अप्रैल १६, १९१३

प्रिय श्री चैपलिन,

प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमे गृह-मन्त्रीको जो लम्बा तार[2] मुझे देना पडा था, मैने उसकी प्रति आपको भेजनेकी छूट ले ली थी। पोलकको लिखे गये आपके पत्रसे जाना कि वह आपको समयपर मिल गया था और आप उसपर विचार कर रहे है। अब मै आपको मन्त्री महोदयके और मेरे बीच हुए अगले पत्र-व्यवहारकी नकले भेज रहा हूँ। इन नकलोमे आप वह पत्र-व्यवहार भी देखेगे जो न्यायाधीश सलके अभी हालके फैसलेके सम्बन्धमे किया गया है। उनके इस फैसलेसे सभी भारतीय विवाह अवैध हो जाते है। इसलिए मैने जो मुद्दे उठाये है, उनमे से एक मुद्देमे यह माग की गई है कि वर्तमान कानूनमे ऐसा सुधार कर दिया जाये जिससे फैसलेसे पूर्व जो कानूनी स्थिति मौजूद समझी जाती थी, वह फिर कायम हो जाये।[3] दूसरे मुद्दोके बारेमे मुझे टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नही है। ये मुद्दे वे ही है जिनपर, आपको याद होगा, जोहानिसबर्गमे श्री गोखलेके ठहरनेके दिनोमे श्री हॉस्केनके घरपर सभामे चर्चा की गई थी।

१ उत्तरमें मई ९ को गृह-मन्त्रीकी ओरसे लिखा गया था "मन्त्री महोदयको १९०७ के नेटाल अधिनियम २ की व्यवस्थाकी पूरी जानकारी, लेकिन वह तो एक विशेष वर्गके लोगोपर लागू किये जानेके उद्देश्यसे निर्मित विशेष कानून है, और उस विशेष वर्गके लोगोंके बारेमें यह खयाल नहीं किया गया था कि वे दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी निवासी बन जायेंगे।"

२ देखिए "तार गृह-मन्त्रीको", पृष्ठ ७।

३ देखिए पिछला शीर्षक।

मै पूरी आशा करता हूँ कि यदि इस विधेयकको पास किया ही जाना है तो ऐसे सशोधनोके साथ पास किया जायेगा जो समाजकी उठाई गई आपत्तियोके निराकरणके लिए आवश्यक हो।

आपका सच्चा,

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७७०) की फोटो-नकलसे।

२३ कस्तूरबा गाधीसे बातचीत[1]

[अप्रैल १९, १९१३ से पूर्व][2]

जब श्रीमती गाधीने विवाह-सम्बन्धी कठिनाई समझ ली, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे श्री गाधीसे बोली "तब तो, इस देशके कानूनोके अनुसार मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ।" श्री गाधीने उत्तर दिया, हाँ, यही बात है और हमारे बच्चे हमारे उत्तराधिकारी नहीं हैं। श्रीमती गाधीने कहा "तब चलिए, हम लोग भारत चलें।" श्री गाधीने उत्तर दिया, यह तो कायरताकी बात होगी और उससे कठिनाई दूर न होगी। श्रीमती गाधीने पूछा "तब क्या मै स्वय भी सघर्षमें सम्मिलित होकर गिरफ्तार नहीं हो सकती?" श्री गाधीने उन्हें बताया कि वे सम्मिलित तो हो सकती हैं, किन्तु यह कोई छोटी बात नहीं है। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन्हें इस तरहके कष्टका अनुभव नहीं है और यदि उन्होने सघर्षमें सम्मिलित होनेके बाद कमजोरी दिखाई तो वह लज्जाकी बात होगी।' किन्तु श्रीमती गाधी टससे-मस नहीं हुईं। अन्य महिलाएँ भी उनसे अपने बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध और आश्रममें रहनेके कारण पीछे नहीं रहना चाहती थीं। उन्होने आग्रहपूर्वक कहा "हमारा विचार भी श्रीमती गाधीके समान ही पक्का है, यदि हमारा विचार पक्का न होता तो भी यह कैसे हो सकता है कि श्रीमती गाधी जेल जायें और हम लोग बाहर बनी रहें?" इस प्रस्तावने सबको चिन्तामें डाल दिया। यह निश्चय बहुत महत्त्वपूर्ण है।[1]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१ यह "न्यूज ऑफ द स्ट्रगल" ("सघर्षके समाचार") शीर्षक स्तम्भसे उद्धृत किया गया है, जो इडियन ओपिनियनमें प्रति सप्ताह प्रकाशित होता था। देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ३९ भी। उसमें इस घटनाका विवरण कुछ विस्तारसे दिया गया है।

२ गाधीजीने १९ अप्रैलको श्री गोखलेको श्रीमती कस्तूरबा गाधीके सघर्षमें शामिल होनेके निर्णयकी सूचना दी थी, लेकिन साथ ही इस बातको न कहनेका अनुरोध भी किया था, देखिए "पत्र गो० कृ० गोखलेको", पृष्ठ ३९-४०। तिथिका अनुमान इसी आधारपर लगाया गया है।

२४. प्रवासी विधेयक

इस विधेयकका इसी २४ तारीखको द्वितीय वाचन होगा। तब हमे उसके बारेमे सिफ पढनेपर जितना मालूम होता है, उससे कही अधिक जानकारी हो सकेगी। परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके एशियाई समाजपर पडनेवाले उसके घातक प्रभावको समझने और जाननेके लिए हमे उस इतिहासको देखना पडेगा जो कुछ पुराना हो चुका है। जो लोग इस देशके भारतीय आन्दोलनमे दिलचस्पी रखते है उन्हे याद होगा कि सरकारने १९०७ के अधिनियम २ तथा १९०८ के अधिनियम ३६ की मनमानी व्याख्या करके कानून-सम्मत अधिवासी भारतीयोके, एक विशिष्ट वर्गके नाबालिग बच्चोकी बहुत बडी सख्याको ट्रान्सवालमे प्रवेश या पुन प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए कितना घोर प्रयत्न किया था। यदि सरकारको अपने प्रयत्नमे सफलता मिल जाती तो ट्रान्सवालके अधिवासी भारतीयोकी आबादीका एक बडा हिस्सा ट्रान्सवाल छोडने तथा सवनाशका सामना करनेको विवश हो जाता। हषकी बात है कि स्व० छोटाभाई द्वारा सावजनिक हितकी भावनासे की गई कारवाईके फलस्वरूप यह प्रयत्न विफल हो गया। वे बहुत अधिक खर्चा उठाकर अपने पुत्रका मामला अपील न्यायालयमे ले गये और वहाँ उन्होने मुकदमा जीत लिया।[१] उसी समयसे सरकारकी हर नई कारवाईको भारतीय बडे ही सन्देहकी दृष्टिसे देखते है और ताजी घटनाओने तो उनके इस सन्देहको पुष्ट ही किया है। पत्नियो और बच्चोके बारेमे सरकार द्वारा जारी की गई गश्ती-चिट्ठियोके द्वारा अधिवासी भारतीयोकी सख्या घटानेका दूसरा प्रयत्न किया गया। और अब ससदके सामने जो विधेयक है, वह सरकारकी इसी नीतिको कानूनका रूप देना चाहता है। उसकी हर प्रतिबन्धक धाराका अध्ययन इस कटु अनुभवके प्रकाशमे करना होगा। क्योकि याद रखना चाहिए कि विधेयककी आवश्यकता यूरोपीयोके आव्रजनसे उत्पन्न किसी कठिनाईको हल करनेके लिए नही है। वह यदि पूण रूपसे नही तो प्रमुख रूपसे सत्याग्रहियोको सन्तुष्ट करने, और भारतीय बस्तियोके विषयमे साम्राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारके बीच हुए समझौतेको कार्यान्वित करनेके लिए प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसके बावजूद, समझौतेकी शर्तों और उसमे निहित भावनाको कार्यान्वित करने, तथा अधिवासी एशियाई आबादीके प्रति जहाँ-जहाँ मौजूदा कानून बहुत सख्त है, वहाँ उन्हे उदार बनानेके बदले यह विधेयक दक्षिण आफ्रिकाको उसकी अधिवासी एशियाई आबादीसे मुक्त करनेकी एक निश्चित नीतिका प्रतिनिधित्व करता है। जनरल बोथाने कहा है कि उनकी सरकार अधिवासी एशियाइयोके साथ न्याय और

१ छोटी अदालतने यह निर्णय दिया था कि पजीयन प्रमाणपत्रमें उनके लड़केका नाम दर्ज रहनेसे उसे पजीयनका अधिकार प्राप्त नही हो जाता, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३६१, ३७१ ७२, ४०२, ४०४-५।

उदारताकी नीति बरतनेकी इच्छा रखती है। किन्तु, उनके इस कथनकी व्याख्या तो उपर्युक्त विचारके प्रकाशमे ही करनी होगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२५. लॉर्ड ऐम्टहिलकी समिति

लॉर्ड ऐम्टहिलकी[1] समितिने उपनिवेश-मन्त्रीको जो आवेदन भेजा है वह एक वजनदार और विस्तृत दस्तावेज है। इससे कोई भी दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोंसे सम्बन्धित घटनाओका सक्षिप्त और क्रमबद्ध रूपमे अध्ययन कर सकता है। समितिने कुछ मामलोके दृष्टान्त देकर स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि सघ-सरकारकी नीति दक्षिण आफ्रिकासे अधिवासी भारतीय आबादीको निर्मूल कर देनेकी है। दक्षिण आफ्रिकाके प्रवासी कानूनोपर जिस प्रकार अमल किया जा रहा है, उसके कारण भारतीयोका यहाँ रहना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। और अगर कही प्रवासी कानून हमारा विनाश करनेमे असमर्थ हो जाते है तो वहाँ नेटालका परवाना कानून हमारे कष्टोका कारण बन जाता है। समितिका पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उत्तर देना स्थानीय सरकारके लिए कठिन होगा।

समितिने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो साम्राज्य-सरकार और स्थानीय सरकार, दोनोको आश्चयमे डाल देगा। स्थानीय सरकारने कितनी ही बार कहा है कि दक्षिण आफ्रिकाका कानून बहुपत्नीत्वको स्वीकार नही करता। किन्तु समिति यह सिद्ध करनेमे सफल हुई है कि वह १९०७ तक मान्य रहा है और सो भी एक कानूनके अधीन। नेटालके १९०७ के अधिनियम २ के खण्ड ६ और ७ मे व्यवस्था है कि

खण्ड ६ — १८९१ के भारतीय प्रवासी कानूनके खण्ड ६८ की धाराएँ, इस कानूनके लागू होनेके बाद, उपनिवेशमे आनेवाले भारतीय प्रवासियोकी विवाह-पजिकाकी प्रामाणिक प्रतिलिपियोमे उल्लिखित सभी विवाहोपर लागू होगी — फिर चाहे ऐसा कोई विवाह बहुपत्नीक विवाह ही क्यो न हो।

खण्ड ७ — इस कानूनके लागू होनेके पूर्व उपनिवेशमे आये हुए किसी भी भारतीय प्रवासीकी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, दरखास्तपर भारतीय प्रवासियोका सरक्षक उसके विवाहका पजीयन करेगा, बशर्ते कि वह प्रवासी अपनी विवाह-पजिकाकी प्रामाणिक प्रतिलिपि पेश कर सके और इस बातको सिद्ध कर सके कि उस कागजमे उल्लिखित व्यक्ति वही है, फिर चाहे कोई विवाह बहुपत्नीक विवाह ही क्यो न रहा हो, अथवा उस पुरुषका उक्त कानूनकी व्यवस्थाओके अनुसार इस उपनिवेशमे किसी दूसरी भारतीय स्त्रीके साथ विवाह क्यो न हुआ हो।

१ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति, लन्दन, के अध्यक्ष। देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ८७ पा० टि० १।

यह सत्य है कि उस समयकी सरकारके लिए बहुपत्नीक विवाहको मान्यता न देना असुविधाजनक था, क्योकि वहाका प्रभावशाली वर्ग चाहता था कि गिरमिटिया भारतीय यहाँ बुलाये जाये। पर आज स्वतन्त्र भारतीय अधिवासियोके बहुपत्नीक विवाहको मान्यता देना सरकार असुविधाजनक मानती है क्योकि वे अनधिकार प्रवेश करनेवाले जो ठहरे। देखे, स्थानीय सरकार इस उलझनसे कैसे निकलती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९–४–१९१३

२६. नेटाली भारतीयो, सावधान !

अस्थायी रूपसे प्रान्तसे चले जानेवालोके अधिकारोकी हिफाजतके लिए प्रमाणपत्र जारी करनेके सम्बन्धमे जो सरकारी विज्ञप्ति अन्यत्र प्रकाशित की जा रही है, वह दरअसल मौतका फदा है और हमे आशा है कि एक भी भारतीय उसमे नही फँसेगा। विज्ञप्ति जो-कुछ करना चाहती है, उसका नेटाल प्रवासी अधिनियममे कही कोई विधान नही है। नया प्रवासी विधेयक लागू न हो तो भी यह नेटाल कानूनको केप-कानूनके रगमे रगनेका एक निलज्ज प्रयास है। विज्ञप्तिसे मालूम होगा कि जो भारतीय उक्त प्रमाणपत्र लेता है उसे केवल एक सालकी अवधि मिलेगी और यदि वह पुन परीक्षाकी कठिनाईसे बचना चाहता है तो उसे इसी अवधिके अन्दर लौट आना होगा। इस प्रमाणपत्रके लिए एक पौड शुल्क भी देना पडता है और चूकि उपयोगके तुरन्त बाद उसे वापस जमा कर देना होगा इसलिए नेटालसे प्रत्येक बारकी अनुपस्थितिका अर्थ न केवल नये सिरेसे जाँच है बल्कि हर बार एक पौडका नया शुल्क भी देना है। इस प्रकार मान लीजिए कि एक व्यापारीको चार बार नेटालसे बाहर केपके लिए जाना पडता है और वह अवकाशके इन टिकटोसे लाभ उठाना चाहता है तो उसे उनके लिए ४ पौड देने पडेगे। यह एक सरासर अन्यायपूर्ण कर है। गरीबोसे पैसा वसूल करनेके लिए ईजाद किया गया यह तरीका दुष्टतापूर्ण है। हमे तग करके देश छोडकर चले जानेके लिए विवश करनेकी सरकारकी इस सबसे नई कोशिशके विरुद्ध एक जबरदस्त विरोधपत्र भेजना भारतीयोका कर्त्तव्य है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९–४–१९१३

२७ शिकारीका जाल

संघ-सरकार शिकारीकी तरह हमारे लिए अनेक जाल बिछाती रहती है। उनमें से हम किसीमें भी क्यों न फँस जायें, उसे तो उसका शिकार मिल ही जायेगा। एक ओर बच्चोंपर सख्ती, दूसरी ओर स्त्रियोंका अपमान, तीसरी ओर व्यापारिक परवानोंकी परेशानी, चौथी ओर नया विधेयक और अब उसने नेटालवासियोंको फँसानेके लिए अपने जालमें सुगन्धित किन्तु जहरीला चारा रखकर उसको भारतीय जनताके समुद्रमें फैलाया है। उसमें जितनी मछलियाँ आ जायें, सरकारकी उतनी बन आयेगी। ११ अप्रैलके 'गजट' में एक सूचना है, उसमें कहा गया है कि जो लोग कुछ समयके लिए नेटाल छोड़कर बाहर जाना चाहते हों उन्हें, यदि वे चाहें तो, इस बातका अनुमतिपत्र मिल सकता है। यह अनुमतिपत्र किसे दिया जायेगा और किसे नहीं, इसका निर्णय अधिकारीकी मर्जीपर है। अधिकारी जो जानकारी माँगता है वह जानकारी उसे दे दी जाये तो प्रार्थी भारतीय एक पौंड देकर अनुमतिपत्र ले सकेगा। इस अनुमतिपत्रमें एक शर्त यह है कि उस व्यक्तिको एक वर्षके भीतर वापस आ जाना चाहिए। यदि वह एक वर्षके भीतर वापस आ गया तो उसे अधिकारी [जहाजसे] परीक्षा लिये बिना ही उतरने देगा। एक वर्षकी अवधि हो चुकनेपर अनुमतिपत्र रद हो जायेगा। उसका एक बार उपयोग करनेके बाद वह अधिकारीको वापस दे दिया जाना चाहिए ताकि उसका पुनः उपयोग न हो सके। यहाँ प्रलोभन इस बातका दिया गया है कि लौटनेपर परीक्षा नहीं ली जायेगी। किन्तु अनुमतिपत्र देनेके पहले उसे इतना हैरान किया जायेगा कि बादमें एक वर्षके दरम्यान कुछ और करनेकी जरूरत ही क्या बच जायेगी! अनुमतिपत्र लेनेवाले व्यक्तिको इसके जो नतीजे भोगने होंगे, अब हम उनकी जाँच कर लें। पहली बात तो यह है कि उसे यह एक पौंडका जुर्माना भरना पड़ेगा और फिर जितनी बार वह जायेगा-आयेगा उतनी बार भरना पड़ेगा। दूसरे, हर बार अधिकारी उसकी परीक्षा लेगा और तीसरे, यदि ऐसे अनुमतिपत्र ज्यादा भारतीयोंने लिये तो सरकार कह सकेगी कि नये विधेयकमें जो तीन वर्ष बाहर रहनेकी अनुमति देनेकी व्यवस्था है यह छूट तो जरूरतसे ज्यादा है। इसके सिवा, एक वर्षकी अवधिके खिलाफ क्या आपत्ति उठाई जा सकती है? दूसरी ओर इस सारी हानिकी तुलनामें अनुमतिपत्र न लेनेके लाभ बहुत हैं। जानेवाला व्यक्ति निश्चिन्त होकर बाहर रह सकता है और जब वापस आये तब उपयुक्त प्रमाण देकर प्रवेश कर सकता है। यदि वह अपने प्रमाण तैयार कर लेनेके बाद ही बाहर जाये तो फिर उसे बहुत ही कम अड़चन होगी। और एक बड़ा लाभ यह होगा कि ऐसे अनुमतिपत्र न लेनेवाले व्यक्तिसे हमारे समाजका कोई नुकसान नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि इस अनुमतिपत्रके लालचमें एक भी भारतीय नहीं पड़ेगा। हम यह भी चाहते हैं कि जो पाठक इस टिप्पणीको पढ़ें वे दूसरे भारतीयोंको सारी बात ठीक-ठीक समझा दें और इस जालमें न फँसनेके लिए कहें। डर्बनके नेताओंको चाहिए कि वे इस सूचनाका तत्काल विरोध करें और

सरकारको साफ और सख्त शब्दोमे यह लिखें कि हमारा समाज इस सूचनाको भारतीयोके लिए लाभकारी नही, बल्कि हानिकारक और अपमानजनक मानता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२८. नया विधेयक

हम प्रत्येक उत्तरदायी भारतीयको इस विधेयकपर गम्भीरतासे विचार करनेकी सलाह देते है। इसके द्वारा सरकारने दुर्भावपूर्वक किन्तु बहुत ही चतुराईके साथ भारतीय समाजके प्रत्येक अगपर आघात किया है। अगर यह विधेयक अपने वर्तमान रूपमे पास हो गया तो हम इस देशमे रह ही नही सकेगे। जो भारतीय यहाँ बहुत दिनोसे रहते आनेके कारण निर्भय हो गये थे उन्हे भी यह विधेयक चौकन्ना कर देगा। कोई अमीर है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, यहा पैदा हुआ है या बाहर, सरकारने इसे देखे बिना सबके ऊपर प्रहार किया है। हम जानते है कि सरकार मीठे शब्दोसे यह आश्वासन देकर कि कानून बन जानेपर भी अमलमे नही लाया जायेगा हमे भुलावेमे डालना चाहेगी। यदि कोई भारतीय उसके जालमे फँसा तो पीछे पछतायेगा। इस विधेयकके और न्यायाधीश सलके निर्णयके फलस्वरूप हम वारिसोके होते हुए भी लावारिस माने जायेगे। हमारी पत्नियोकी स्थिति रखैल औरतोकी-सी हो जायेगी। हम दक्षिण आफ्रिका छोडकर अथवा [दक्षिण आफ्रिकाके] जिस प्रान्तमे रह रहे हो उसे छोडकर किसी अन्य प्रान्तमे तीन बरसके लिए बाहर चले गये तो वापस आनेका हमारा अधिकार पूरी तरहसे नष्ट हो जायेगा। हम जो व्यापार पीछे छोड जायेगे या जो सम्बन्धित कागजात अपने साथ ले जायेगे वे किसी भी कामके नही माने जायेगे। यहाँ ऐसी परिस्थितियोमें हम कबतक टिक सकते है? इस विधेयकके द्वारा जडमूलसे हमारा नाश करनेकी भूमिका तैयार की जा रही है। हमे खेद इस बातका है कि इतना सब होनेपर भी समस्त दक्षिण आफ्रिकामे, जोहानिसबर्गको छोडकर, भारतीय सोये हुए है। हम जानते है और ऐसा मानते है कि अगर [दक्षिण आफ्रिकाके] हरएक भागमे एक-एक समझदार और निःस्वार्थ भारतीय भी काम करनेके लिए सामने आ जाये तो समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय जाग उठेगे। जो इस बातको समझता है कि हमारी नीद हमारा सर्वनाश किये बिना नही रहेगी, ऐसे प्रत्येक भारतीयका यह कर्त्तव्य है कि वह इस नीदसे अपनेको तथा दूसरोको जगाये। "मुझे क्या लेना-देना है?"—यह सोचकर जो भी भारतीय बैठा रहेगा वह अन्य भारतीयोके साथ खुद भी डूब जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२९ श्रीमती पैंकहर्स्टका त्याग

इग्लैडकी स्त्रियोको मताधिकार दिलानके लिए सघषरत प्रसिद्ध महिला श्रीमती पैकहस्टके[1] नामसे सभी भारतीय परिचित है। इस महिलाने लडनमे सब सीमाओका अतिक्रमण कर दिया हे। वे महिलाओको लूटपाट करने तथा जान-मालको हानि पहुँ-चाने तक की सलाह देती है। हम इस सबके विरुद्ध है, लेकिन उनकी बहादुरीके सम्बन्धमे कोई सन्देह नही है। उनके पास धन है, समझदारी है, इन सबको उन्होने अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए समर्पित कर दिया है। वे जवान नही है। उन्होने कभी दुख नही देखा। उनके शरीरको दुख सहनेकी आदत नही रही। ऐसा होते हुए भी वे कष्ट-सहन करनेमे हमेशा सबसे आगे रहती है। कुछ दिन हुए, इनके उकसानसे वित्त-मन्त्री श्री लॉयड जॉजका मकान जला दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी उन्होने स्वय अपने ऊपर ले ली। उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हे तीन वषकी सजा हुई। जेलमे भी, अधिकारियोको परेशान करना और इस प्रकार उन्हे अपनेको छोड देनेपर मजबूर करना इन स्त्रियोका उद्देश्य है। इसीलिए, यद्यपि श्रीमती पैंकहस्टको भोजनमे तरह-तरहके व्यजन देनेका प्रबन्ध था, उन्होने खानसे इनकार कर दिया और आठ दिनो तक उपवास किया जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। इसलिए उन्हे रिहा कर दिया गया है। और अब यह बहादुर महिला मरणासन्न अवस्थामे अस्पतालमे पडी हुई है। सघषके इस तरीकेको सत्याग्रह नही कहा जा सकता। सत्याग्रहीका उद्देश्य तो जेल जाना और वहाँ रहना है। दूसरोको हानि पहुँचानेकी बात वह स्वप्नमे भी नही सोच सकता। लेकिन अगर श्रीमती पैंकहस्टके सघर्षके तरीकेका विचार न करे और उनके कष्टोका ही स्मरण करे तो उनसे हम बहुत-कुछ सीख सकते है। अनेक कठिनाइयोके बावजूद, यह महिला तथा इनकी साथी स्त्रियाँ अभीतक थकी नही है और न आगे थकेंगी। वे मृत्यु-पयन्त जूझेगी। हम कह सकते है कि वे नामसे महिला है, किन्तु कामसे पुरुष। भारतीयोको इस साहसका अनुकरण करना चाहिए, क्योकि हम जिन निर्योग्यताओसे पीडित है, उनके मुकाबले इस बातकी क्या बिसात है कि इग्लैडकी स्त्रियोको मताधिकार प्राप्त नही है?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–४–१९१३

1. श्रीमती एमिलिन पैंकहर्स्ट (१८५८ १९२८), इग्लैडमें महिला मताधिकार आन्दोलनकी नेता।

३० आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१६]

८ पोशाक

जिस प्रकार खुराक स्वास्थ्यका आधार है, उसी तरह कुछ हदतक पोशाक भी। गोरी औरतें अपनी मान्यताके अनुसार सौन्दर्य-रक्षाके लिए ऐसी पोशाक पहनती है कि जिससे उनकी कमर और उनके पैर तंग बने रहे। इससे वे लोग नाना प्रकारके रोगोका शिकार होती है। चीनमे औरतें अपने पैरोको बचपनसे ही ऐसा कसकर रखती है कि हमारे बच्चोके पैर भी उनके पैरोसे बडे होते है। इससे भी चीनी औरतोके स्वास्थ्यको धक्का पहुँचता है। इन दोनो उदाहरणोके आधारपर पाठक सहज ही समझ सकते है कि पोशाकसे आरोग्यका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता है। परन्तु पोशाकका चुनाव हमारे अपने ही हाथकी बात नही होती। हम अपने बडोकी पोशाक-जैसी पोशाक पहनते है और ऐसा प्रतीत होता है कि आजकी हालतमे इसकी आवश्यकता भी है। लोग पोशाकका प्रधान हेतु भूल गये है, और दिनो-दिन वह हमारे धर्म, देश, जाति, वर्ग आदिकी सूचक बनती जा रही है। जैसे, मुनीम और मजदूर आदि कर्मचारियोकी पोशाके भिन्न होती है। जब इस तरहके भेद बतानेकी दृष्टि तक इसमे रखी जाती है, तब स्वास्थ्यके सम्बन्धमें पोशाकपर विचार करना थोडा गौण जान पडता है। इसपर थोडी चर्चा कर लेनेमे लाभ ही होगा।

पोशाकमे जूतो और गहनो आदिका भी समावेश मान लेना चाहिए।

अब जरा देख ले कि पोशाकका मूल हेतु क्या है। अपनी प्राकृतिक स्थितिमे मनुष्य कपडा बिलकुल ही नही पहनता। स्त्री और पुरुष, दोनो गुह्यागोको छोडकर सारा शरीर खुला रखते है। इससे उनकी चमडी सख्त और मजबूत हो जाती है। वे हवा और पानीको ठीक ढगसे सहन कर सकते है। उन्हे एकाएक सर्दी आदि नही हो पाती। हवाके प्रकरणमे हम यह बात देख चुके है कि हम वायुका सेवन केवल नाकके जरिये करते है। किन्तु बात केवल इतनी ही नही है। हवाका सेवन हम अपनी चमडीके अगणित रोम-छिद्रोसे भी करते है। वास्तवमे वस्त्र पहनकर हम अपनी चमडीके इस महान कार्यमे बाधा डालते है। ठडे मुल्कके लोग जैसे-जैसे आलसी बनते गये, वैसे-वैसे उन्हे अपने शरीरको ढकनेकी जरूरत महसूस होती गई। वे ठडको बरदाश्त नही कर सके और फिर यह रिवाज ही बन गया। लोगोने अन्तमे पोशाकको आभूषण ही मान लिया। और इसके बाद वस्त्रोके द्वारा समाज आदिकी पहचान भी की जाने लगी।

सच बात तो यह है कि प्रकृतिने मनुष्यको चमडी देकर आवश्यक पोशाक प्रदान कर रखी है। हमारी यह मान्यता कि नग्न स्थितिमे शरीर कुरूप दिखाई देता है, निरा भ्रम है। नग्न स्थितिके चित्र ही सर्वाधिक सुन्दर चित्र है। वस्त्रोको पहनकर और शरीरके सारे अगोको ढककर हम मानो प्रकृतिके दोषोकी ओर सकेत करते

है। ज्यो-ज्यो हमारे पास अधिक पैसा होता है, त्यो त्यो हम टीप-टाप भी अधिक करने लगते हैं। कोई इस तरह और कोई उस तरह अपने रूपको सँवारना चाहता है। और फिर शीशेमे अपना रूप देखकर मुस्कराता है कि वाह, मै कितना खूबसूरत हूँ! एक लम्बी परम्पराके कारण हम सबकी दृष्टि यदि विकृत न हो गई होती तो हम सहज ही देख पाते कि मनुष्यका सुन्दरसे-सुन्दर रूप तो उसकी नग्नावस्थामे ही निहित है और उसीमे उसका स्वास्थ्य भी है। हमने जिस हद तक वस्त्र धारण किये उसी हदतक हमने अपने रूपको खण्डित किया, समझिए। जैसे इतना ही बस न हो, इसलिए पुरुष और स्त्री, दोनो जेवर भी पहनते हैं। कुछ पुरुष तो पैरोमे बेडी पहनते है, कानोमे बालिया लटकाते हैं और हाथोमे अगूठिया रखते है। ये सारे गन्दगीके घर हैं और यह समझना तो बहुत कठिन है कि शोभा उनमे कहा है। स्त्रियोने तो इसमे हद ही कर दी है। अपने पैरोसे जिनका बोझ न ढोया जा सके, ऐसे कडे और झाँझर, कानोमे अगणित बालिया, नाकमे फूल और हाथोमे तो जितने लादे जाये उतने गहने — यह सब पहनकर शरीरपर काफी मैल चढा लिया जाता है। कानो और नाकमे तो मैलकी सीमा ही नही रहती। इस गन्दी हालतको शृगार मानकर हम लोग इसपर पैसा खच करनेको बाध्य हो जाते हैं। अपने जीवनमे चोर-डाकुओका जोखिम बढाते हुए भी नही डरते। यह सच ही कहा गया है कि अपने ही अभिमानसे उत्पन्न मूर्खतापूर्ण दु ख झेलकर हम उसकी जो कीमत भरते है, वह बहुत भारी है। कान पक जाये, तो भी स्त्रियाँ अपनी बालियाँ नही निकालने देती। हाथोमे फोडे हो जाये या उनमे पीब पड जाये तो भी चूडियाँ नही निकलवाई जा सकती। अँगुली पक चुकी है, परन्तु कोई पुरुष या स्त्री हीरेकी अँगूठीको निकलवा दे, तो उसके रूपमे खामी न आ जाये! ऐसे उदाहरण तो सभी लोगोने अपनी नजरोसे देखे होगे।

पोशाकके सम्बन्धमे अधिक सुधार करना मुश्किल है। फिर भी गहनोको तो छुट्टी दी ही जा सकती है। उन वस्त्रोको भी, जो जरूरतसे अधिक मालूम होते है, छोडा जा सकता है। यह भी सम्भव है कि ऋतु और रिवाजके अनुसार कुछ एक वस्त्रोको रखकर बाकी छोडे जा सके। जिस मनुष्यका मन इस वहमसे मुक्त हो चुका है कि पोशाक मनुष्यका भूषण है, वह तो इसमें अनेक सुधार करके अपने स्वास्थ्यको और अच्छा बना सकता है।

और आजकल तो यूरोपकी पोशाकको उचित मानकर पहननेकी हवा चल पडी है। उसका रोब पडता है और लोग सम्मान भी देते हैं। किन्तु इन सब बातोका विचार करनेके लिए यह उचित स्थान नही है। यहाँ तो इतना-भर कहना जरूरी है कि यूरोपकी पोशाक वहाके ठडे देशोमे भले ही उचित हो, अपने देशकी दृष्टिसे हिन्दुस्तानी पोशाक — हिन्दू और मुसलमान — दोनोके लिए समुचित है। हमारे वस्त्र ढीले होनेसे हवाका आवागमन ठीक होता है। सफेद वस्त्र होनेसे उनपर सूर्यकी किरणे बिखरकर पडती हैं। काले रगके कपडोमे सूयकी गरमी अधिक लगती है, क्योकि उनपर जो किरणे पडती है, वे बिखर नही पाती।

हम अपना सिर तो हमेशा ढके ही रहते है। बाहर निकलनेपर तो अवश्य ही ढँक लेते है। पगडी तो हमारा रूढ पहनावा हो गया है। फिर भी प्रसगवश यदि

सिर खुला रखे तो लाभ होगा। बालोको बढाना और पट्टे निकालना, यह तो पागलपन जाहिर करता है। और यदि फोडे-फुसिया हो जाये, तो उसके कारण उनकी सार-सँभाल करनेमे भी अडचन पडती है। पगडी पहननेवाला भी अपने सिरके बालोको अन्य लोगोकी तरह बढाये, इसे तो नासमझी ही कहना चाहिए।

पैरोकी ओर लापरवाही करनेसे भी हम अनेक रोगोके चगुलमे पड जाते है। बूट आदि पहननेवालोके पैर नाजुक हो जाते है। उनमे पसीना छूटता है और बदबू उठती है। जब कोई मनुष्य अपने बूट और मोजे खोलता है, तो जिसकी घ्राणेन्द्रिय ठीक है, वह उसके पास खडा भी नही रह सकेगा। उसके पैरोसे कुछ ऐसी बदबू निकलती है! हम तो अपने जूतोको काटारखा या पगरखा कहते है। अत जब काटोमे चलना हो या गर्मी और ठडेमे घूमना हो, केवल तभी हमे जूते पहनेकी जरूरत है और सो भी ऐसे नही कि वे पूरे पैरोको ढक दे, केवल तलुवोको ही ढके। अत जब जरूरत महसूस हो, तो हमे केवल चप्पल ही पहननी चाहिए। जिसे सिरदर्दकी बीमारी हो, शरीरकी कमजोरी हो, पैरोमे दर्द हो और जो जूते पहननेका आदी हो उसे बिना जूतोके घूमने-फिरनेका प्रयोग करके देखना चाहिए। इससे उसे शीघ्र ही मालूम होगा कि पैरोको खुला रखनेसे, जमीनसे उनका स्पर्श रखनेमे और पसीनेसे मुक्त रखकर हम कितना बडा लाभ उठा सकते है। चप्पल तो जूतोका एक बडा सुन्दर प्रकार है और वह सस्ती भी पडती है। आफ्रिकामे पाइनटाउनसे जरा आगे ट्रैपिस्ट लोग[1] हर-एककी आवश्यकतानुसार चप्पल बना देते है। फीनिक्समे भी चप्पल बनाई जाती है। जो लोग केवल चप्पलसे ही काम चलानेकी हिम्मत न कर पाये उन्हे चाहिए कि जब-जब वे अपने पैरोको खुला रख सके, अवश्य रखे। और जब-जब बिना बूटके काम न चल सकता हो और पैरोके लिए कुछ-न-कुछ पहनना आवश्यक हो, तब केवल चप्पलका ही उपयोग करे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

३१ पत्र : गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स
अप्रैल १९, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

इस समयतक आप लन्दन रवाना हो चुके होगे। मै पूरी आशा करता हूँ कि वहाँ आपको कुछ विश्राम मिलेगा। मुझे अखबारोसे यह जानकर दुख हुआ कि आपको स्नायु-दुर्बलता हो गई थी। ऐसे ही अवसरोपर मेरा मन आपके निकट होनेको विकल हो उठता है।

यहाँकी स्थितिके बारेमें श्री पोलक आपको विस्तारसे लिखेगे। मै तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि यदि सघर्ष हुआ तो उसमे इस बार पहलेसे ज्यादा कष्ट-सहन करना

१ देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८२-८९।

सरकारके पास इस टालमटोलके लिए कोई उचित बहाना भी नही रह गया है और स्पष्ट है कि कर न हटानेका कारण उसकी कायरता है, वह डरती है कि फ्री स्टेटके प्रतिक्रियावादी, जिन्हे रग-विद्वेषके पागलपनकी जगजाहिर हठधर्मिताके सिवा इस सवालमे और कोई दिलचस्पी नही है, कही और विरोध न खडा करे। हम अच्छी तरह जानते है कि श्री गोखले, जो इग्लैड रवाना हो चुके है, साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोको अपनी तथा भारतीय समाजकी आशाओके प्रति विश्वासघातके इस भ्रष्ट आचरणपर कुछ खरी-खरी सुनायेगे। अपने वचनकी लाज बचानेके लिए सरकार कमसे-कम इतना तो कर ही सकती है कि वह यह हिदायत जारी कर दे कि जबतक ससदके अगले अधिवेशनमे इस करको रद करनेके लिए आवश्यक कानून पास नही हो जाता तबतक के लिए कर और उसका बकाया नही माँगा जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–४–१९१३

३४ वह विधेयक

प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकका स्पष्टत चारो ओरसे विरोध हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तक जानेके अधिकारको, कुछ-एक असाधारण मामलोको छोड कर, वापस लेनेकी बातपर 'नेटाल विटनेस' ने जो अत्यन्त कटु आलोचना की है, वह बहुत ही उपयुक्त है। अब अधिकारी-वर्ग अपने-अपने क्षेत्रमे तानाशाहो जैसी स्वेच्छाचारितासे ही सन्तुष्ट नही है। दक्षिण आफ्रिकाकी जनतासे अब एक ऐसी दोषाक्षम नौकरशाहीके हाथमे अपनी स्वतन्त्रता सौप देनेके लिए कहा जा रहा है जो महामहिम सम्राटके न्यायाधीशोकी आलोचना और शकाओका सामना करनेमे डरती है। जब कि नेटाल और केपके वतमान परवाना-निकायो द्वारा भारतीय हितोपर भयकर आघात किये जानेकी घटनाएँ प्रति-दिन हो रही है, उस समय ऐसे प्रवास-निकायोको, जिनके निणयोपर अपील नही हो सकेगी, जनता — बल्कि भारतीय जनता — पर थोपनेके सरकारी प्रयत्नकी घोर उद्धततापर हमे ज्यादा कहनेकी जरूरत नही। हम दक्षिण आफ्रिकामे बडी तेजीसे एक ऐसी नौकरशाहीकी ओर बढते जा रहे है जिसके विरुद्ध सर जेम्स रोज-इन्सने अभी हालमे बहुत कडे शब्दोमें विचार व्यक्त किये थे। यह विश्वास करना कठिन है कि स्वाधीनता और स्वतन्त्रताकी श्रेष्ठ परम्पराएँ रखनेवाले दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशी लोग सघमे बाहरसे प्रवेश तथा आन्तरप्रान्तीय आवागमनके ऊपर नियन्त्रणका अधिकार एक पूर्णत स्वच्छन्द तथा स्थायी नौकरशाहीके हाथमे सौप देगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–४–१९१३

३५ नया विधेयक

सम्भव है कि इस टिप्पणीके लिखे जानेके पहले ही विधेयकके सम्बन्धमे और भी समाचार मिल गये होगे। इस समय तो ऐसा दिखाई देता है कि विधेयक कुछ ऐसे कारणोसे, जो हमारे सघषसे सम्बद्ध नही है, रद हो जायेगा। जनरल बोथाके खेमेमे फूट पड गई है। जनरल हर्टसॉगके समथकोने लडनेका अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया है। उन्होने ब्लूमफॉटीनमे एक सभा करके जनरल हर्टसॉगके समथनमे एक प्रस्ताव पास किया। इसलिए इसकी सम्भावना अब कम ही दिखाई देती है कि ऑरेंज फ्री स्टेटके सदस्य जनरल बोथाका समथन करेगे। केपमे भी कुछ सदस्य जनरल हर्टसॉगकी सहायता करेगे ही। कुछ-एक ट्रान्सवालमे भी होगे। तब जनरल बोथा (केवल) अपने दलके बलपर राज्य चला सकेगे, ऐसा नजर नही आता। अगर वे यूनियनिस्ट (सघवादी) पक्षका समथन प्राप्त करनेकी कोशिश करेगे तो यह न केवल उनके लिए शमकी बात होगी, वरन इससे जनरल हर्टसॉगकी शक्ति और भी बढ जायगी तथा बोअरोमे जनरल बोथाका समथन करनेवाले व्यक्ति बहुत ही कम रह जायेगे। बहुत-से लोगोका खयाल है कि ऐसी कठिन परिस्थितिमे जनरल बोथाके हाथमे राज्यकी बागडोरका रहना सम्भव नही है। अगर यह खयाल ठीक हो तो इसके दो परिणाम हो सकते है। एक तो यह कि जनरल बोथा वतमान ससदको भग करवाकर फिरसे चुनाव कराये। दूसरा यह कि वे जनरल हर्टसॉगके पक्षकी समस्त मॉगे स्वीकार कर ले। दोनो स्थितियोमे इसकी सम्भावना बहुत कम है कि यह ससद कुछ काम कर सकेगी। समाचारपत्रोका भी यह कहना है कि जनरल हर्टसॉगके समथकोने दो आपत्तियाँ उठाई है। एक तो यह कि आजतक ज़ूलू लोगोके घनिष्ठ मित्र समझे जानेवाले तथा उनके हितोका ध्यान रखनेवाले श्री सावरको जनरल बोथाने ज़ूलू मामलोका मन्त्री नियुक्त किया है, और दूसरा यह कि उन्होने साम्राज्यीय सरकारके विचारोका ध्यान रखते हुए भारतीयोको राहत देनेका निश्चय किया है। इस प्रकार हम भी उनके बीच झगडेका एक कारण बन गये है। इसमे हमारे लिए खुश होनेकी कोई बात नही, क्योकि उपर्युक्त कारण तो एक बहाना-भर है। अनजान बोअर लोगोका इस बातसे भ्रममे पड जाना सम्भव है, लेकिन इन दोनो बातोमे सत्यका अश अवश्य है। किन्तु ऐसा होनेपर भी इसमे न तो अपना और न ही ज़ूलू लोगोका भला है। श्री सावर मन्त्री होकर ज़ूलू लोगोको गाडी-भर धन दे देगे, ऐसी बात नही है और जनरल बोथा साम्राज्यीय सरकारको खुश करनेके लिए हमे राज्य सौप देगे, सो बात भी नही है। वे हमे क्या देनेको तैयार है, यह तो हमने देख लिया है। लेकिन जनरल बोथाने हमारे सम्बन्धमे साम्राज्यीय सरकारको जो मीठा वचन दिया है, उसे जनरल हर्टसॉगके समर्थक जान-बूझकर जनरल बोथाके विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे है। इसलिए सबसे हमे कोई लाभ होनेकी आशा नही है। और अगर जनरल हर्टसॉगके हाथमे सत्ता आ भी जाये तो हमे उससे थोडी-बहुत भी प्राप्ति होनेवाली नही है। हमे तो उतना

ही मिलेगा जितना हम अपनी शक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते है। सत्याग्रहका बल देश-कालकी सीमासे परे होता है। ऐसा ही अजेय और उत्तम है यह बल!

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३

३६. आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१७]

९ गुप्त प्रकरण

स्वास्थ्यके इन प्रकरणोको जिन्होने ध्यानपूवक पढा है, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस प्रकरणको विशेष ध्यानके साथ पढे और इसपर गहरा विचार करे। आगे और प्रकरण भी होगे और वे भी उपयोगी होगे, यह मै मानता हूँ। किन्तु इस विषयपर इतना महत्त्वपूण और कोई प्रकरण नही होगा। मै यह भी सूचित कर चुका हूँ कि इन प्रकरणोमे ऐसी एक भी बात मैने नही लिखी है जिसका व्यक्तिगत अनुभव मुझे न हो, अथवा जिसे अत्यन्त दृढतापूवक मै स्वय न मानता होऊँ।

स्वास्थ्यकी अनेक कुजिया है और वे सबकी-सब अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु उसकी सबसे मुख्य कुजी ब्रह्मचर्य है। अच्छी हवा, बढिया खुराक, स्वच्छ जल आदिसे हमे स्वास्थ्य मिलता है। किन्तु जिस प्रकार जितना पैसा कमाया जाये, उतना ही उडा दिया जाये, तो दारिद्रय नही कटता, ठीक उसी प्रकार जितना स्वास्थ्य प्राप्त किया जाये, उतना ही खो दिया जाये, तो हमारे पास मूल पूजी बहुत कम बच रहेगी। इसलिए स्त्री और पुरुष, दोनोको स्वास्थ्यरूपी धन सचित करनेके लिए ब्रह्मचय-की पूरी आवश्यकता है। इसमे किसीके लिए शकाकी गुजाइश नही। जो अपने वीयकी रक्षा करता है वही वीर्यवान् या बलवान् गिना जायेगा।

अब सवाल यह है कि ब्रह्मचय है क्या? पुरुष स्त्रीसे और स्त्री पुरुषसे भोग न करे, यही ब्रह्मचय है। "भोग न करे" — यानी विषयकी इच्छासे परस्पर एक-दूसरेका स्पर्श भी न करे। इतना ही नही, बल्कि इस सम्बन्धका विचार भी मनमे न लाये। ऐसा स्वप्न भी न आये। न तो पुरुष स्त्रीको देखकर पागल हो और न स्त्री पुरुषको देखकर। प्रकृतिने हमे जो गुप्त शक्ति प्रदान की है, उसे नियन्त्रित करके और उसे अपने शरीरमे सचित रखकर उसका उपयोग हमे अपने स्वास्थ्यकी वृद्धिमे करना चाहिए — केवल शरीरका स्वास्थ्य ही नही, मन, बुद्धि और स्मरण-शक्तिका भी।

हमारे चारो ओर जो एक कौतुक चल रहा है, जरा उस ओर भी देखे। छोटोसे लेकर बडे तक, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, सभी एक बडी हदतक इस मोहमे डूबे हुए है। इस प्रसगमे हम सभी एकदम पागल हो जाते है। हमारी बुद्धि स्थिर नही रहती। हमारी आँखोके आगे पर्दा पड जाता है। हम लोग कामान्ध हो उठते है। कामान्ध पुरुषो, स्त्रियो और लडके-लडकियोको मैने एकदम पागलपनकी स्थितिमे देखा है। मेरा अपना अनुभव भी कुछ भिन्न नही है। जब-जब मै ऐसी स्थितिमे पहुँचा हूँ, तब-तब

अपना होश-हवास भूल गया हूँ। वास्तवमे यह वस्तु ही ऐसी है। इस प्रकार रत्ती-भर सुखके लिए हम अपना मन-भर बल पल-भरमे खो बैठते है। और जब हमारा वह नशा उतर जाता है, तब हमारी हालत रककी सी हो जाती है। दूसरे दिन प्रात-काल हमारा शरीर भारी हो जाता है और हमे सच्चा आराम महसूस नही होता। हमारी देह शिथिल और मन अस्थिर हो जाता है। इस सबको व्यवस्थित करनेके लिए हम दूधके काढे पीते है, भस्मे फाकते है, याकूतीका सेवन करते है, वैद्योके पास जाकर पौष्टिक दवाइया मागते है और किस खुराकसे हमारी काम-शक्ति बढेगी, इसकी खोजमे लगे रहते है। यो दिनपर-दिन बीतते चले जाते है। और ज्यो ज्यो वष गुजरते है, त्यो त्यो हम शरीर और मनसे हीन होते जाते है और बुढापेमे अनुभव करते है कि हम अपनी बुद्धि खो बैठे है।

सच देखा जाये तो ऐसा होना नही चाहिए। बुढापेमे तो मन्द होनेके बजाय बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए। हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि इस देह द्वारा प्राप्त किया हुआ अनुभव खुद हमारे लिए और दूसरोके लिए भी उपयोगी हो। जो ब्रह्मचयका पालन करता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। उसे मृत्युका भय नही होता। और मृत्युके समय वह ईश्वरको नही भूलता। वह न तो छटपटाता है और न बहाना ही करता है। वह तो हँसते हुए चेहरेसे इस देहको छोडकर मानो अपने मालिकको अपना हिसाब देनेके लिए जाता है। जो इस प्रकार मरते है, वे ही खरे पुरुष और खरी स्त्रिया है। ऐसा माना जाना चाहिए कि सचमुच उन्ही लोगोने अपना स्वास्थ्य सँजोया।

साधारण तौरपर हम लोग यह विचार नही करते कि इस ससारमे भोग-विलास, ईर्ष्या, बडप्पन, आडम्बर, क्रोध, अधैय, वैर आदिका मूल और एकमात्र कारण यही है कि हम ब्रह्मचयका भग करते है। हमारा मन हमारे हाथोमे न रहे और रोज ही यदि हम एक या अधिक बार इस प्रकार बालकसे भी बढकर नासमझ बन जाये, तो फिर जाने-अनजाने कौन-सा अपराध हमारे हाथो नही बन पडेगा? कौन-सा घोर कृत्य करते हुए हम न हिचकेंगे?

किन्तु इस प्रकार ब्रह्मचयका पालन करनेवाले कहाँ दिखाई देते है? यदि सभी इस प्रकार ब्रह्मचयका पालन करने लगे तो दुनियाका सत्यानाश ही हो जाये — सम्भव है, कोई इसमे ऐसी धम-चर्चा छेड दे। यदि धम-दृष्टि छोडकर केवल दुनियवी दृष्टिसे भी विचार करे, तो मेरा खयाल है कि इन दोनो बातोके मूलमे हम अपनी कायरता और अपने भयको काम करते हुए पायेगे। क्योकि हम ब्रह्मचयका पालन करना नही चाहते, अतएव उसमे से भाग निकलनेका बहाना ढूढते रहते है। ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले इस दुनियामें बहुत पडे है, किन्तु ढूँढनेपर वे सहज ही हाथ लग जाये, तो उनका क्या मूल्य रह जायगा। हीरेको प्राप्त करनेके लिए हजारो मजदूर धरतीके अन्तरमे जुटे रहते है और इसके बाद भी ककड-पत्थरोके पवत-जैसे अम्बारमे से केवल इने-गिने हीरे हाथ लगते है। तब फिर हम हिसाब लगाकर देख ले कि ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले हीरोको खोजनेके लिए कितना प्रयत्न आवश्यक न होगा। ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए यदि पृथ्वी नेस्तनाबूद भी हो जाये, तो हमारा उससे क्या सम्बन्ध है? हम

कोई ईश्वर तो है नही। जिसने इस पृथ्वीको बनाया है, वही इसकी सार-सँभाल करेगा। दूसरे लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते है या नही, यह सवाल तो हमे करना ही नही चाहिए। व्यापार, वकालत आदि धन्धोमे प्रवेश करते समय तो हम यह विचार कभी नही करते कि सभी लोग यदि वकील या व्यापारी बन जायेगे, तो कैसे चलेगा। अन्तमे, जो-कोई ब्रह्मचर्यका पालन करेगा, उस स्त्री या पुरुषको उचित समयपर इन दोनो प्रश्नोका जवाब मिल जायेगा। मतलब यह कि उन्हे उन्हीके-जैसे बहुतसे अन्य लोग भी मिलेगे और सभी लोगोके ब्रह्मचर्यका पालन करनेपर इस पृथ्वीका क्या होगा, यह बात भी वे दिनकी तरह साफ-साफ देख सकेगे।

लेकिन उपर्युक्त विचारोको ससारके जजालमे फँसे हुए लोग अमलमे कैसे लाये? विवाहित लोग क्या करे? जिनके बच्चे है, वे क्या करे? जो लोग काम-वासनाको वशमे नही कर सकते, वे क्या करे? हमने यह तो देख लिया कि उत्तमसे-उत्तम बात क्या है। अब हमे चाहिए कि उस आदर्शको हम अपने सामने रखे और उसका हूबहू या कुछ कम अनुसरण करे। जब हम किसी बालकको अक्षर लिखवाते है, तब सुन्दरसे-सुन्दर अक्षरोका नमूना उसके सामने रखते है और वह बालक उस नमूनेके आधारपर अपनी शक्ति-भर उसकी पूरी या अधूरी नकल करता है। इसी प्रकार हम भी अखण्ड ब्रह्मचर्यका आदर्श अपने सामने रखे, तब हमारे लिए उसके अनुरूप प्रयत्न करना सम्भव हो सकेगा। विवाहित है तो क्या हुआ? प्रकृतिका नियम तो यह है कि जब स्त्री या पुरुषको प्रजोत्पत्तिकी इच्छा हो, तभी वे ब्रह्मचर्यका व्रत तोडे। इस प्रकार कोई दम्पति विवेकपूर्वक वर्षमे या चार-पाच वर्षमे अपने व्रतसे स्खलित हो, तो वे कुछ पागल नही माने जायेगे और उनके पास वीर्यरूपी धरोहर अच्छे परिमाणमे सचित रहेगी। जो केवल प्रजोत्पत्तिके लिए कामोपभोग करते हो, ऐसे स्त्री-पुरुष क्वचित् ही दिखाई पडते है। बाकी हजारो लोग तो भोग-विलासके ही आकाक्षी है। वे तो यही चाहते है और तदनुसार करते है। परिणाम यह होता है कि जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह उनकी इच्छानुसार नही होती। विषयोपभोग करते समय हम लोग इतने मदान्ध हो जाते है कि अपने सहयोगीका विचार भी नही करते। इसमे स्त्रीकी अपेक्षा पुरुष ज्यादा गुनहगार है। अपने पागलपनमे उसे इतना भी खयाल नही रहता कि उसकी स्त्री निर्बल है और प्रजोत्पत्तिका भार उठानेकी, सन्तानके लालन-पालनकी, उसमे यथोचित शक्ति है या नही। पश्चिमके लोगोने तो इस दिशामे हद ही कर दी है। वे लोग तो अपने भोग-विलासके लिए और होनेवाली सन्तानके बोझसे अपने सिरको बचानेके लिए अनेक प्रकारके उपचार करते है। इन उपचारोके सम्बन्धमे ग्रन्थ लिखे गये है और पश्चिममे इस बातका प्रतिपादन करनेवाले पेशेवर लोग भी मौजूद है जो यह बतलाते है कि विषयोपभोग करते हुए भी प्रजोत्पत्ति किस प्रकार नही हो सकती। गनीमत है कि ऐसे पापसे अभीतक तो हम लोग मुक्त है। परन्तु हम लोग अपनी स्त्रियोपर इस प्रकार बोझ लादते हुए जरा विचार नही करते और इस बातकी परवाह भी नही करते कि हमारी सन्तान निर्बल, वीर्यहीन, स्त्रैण और बुद्धिहीन होती जा रही है। जब-जब सन्तान उत्पन्न होती है, हम लोग ईश्वरका

अहसान मानते है। वास्तवमे अपनी दयनीय दशाको ढकनेका यह एक बहाना-भर है। निबल, लूली, विषयी तथा क्षुद्र सन्तान पाकर उसे हम ईश्वरीय कोप क्यो न माने? इसमे उत्सव किस बातका मनाया जाये। बारह वषकी कन्या माता बन जाये, इसे ईश्वरका महान कोप क्यो न माना जाये। नये उगे हुए पौदोमे यदि फल लग जाये, तो वे निबल हो जाते है। इसे हम समझते है और इस बातका प्रयत्न करते है कि उनमे इतनी जल्दी फल न लगे। ऐसा होते हुए भी किसी किशोर स्त्रीको किशोर वरसे सन्तान उत्पन्न हो जाये, तो हम उत्सव मनाते है। क्या यह भीतमे सिर दे मारने-जैसा नही है? हिन्दुस्तानमे या इस ससारमे शक्तिहीन मनुष्य चीटियोकी तरह बढ जाये, तो इससे हिन्दुस्तानका या दुनियाका क्या उद्धार होनेवाला है? इस बातमे तो पशु हमसे बहुत अच्छे है कि जब उन्हे प्रजोत्पत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वे तभी मिलते है। स्त्री-पुरुषके सयोगके बाद पूरे गभकालमे तथा सन्तानोत्पत्तिके बाद बच्चा दूध पीना छोडकर बडा हो जाये, इस बीचका सारा समय पवित्रतापूर्वक पाला जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष, दोनोको चाहिए कि वे इस अवधिमे ब्रह्मचयका पालन करे। लेकिन हम ऐसा नही करते। हम तो इस बातका जरा भी विचार किये बिना सहवास करते रहते है। हमारे मन इतने रुग्ण है। यही तो असाध्य रोग है। यह रोग हमारा मृत्युसे मिलन करवाता है। और जबतक मृत्यु नही आ जाती, तबतक हम पागल मनुष्यकी तरह भटकते रहते है। विवाहित स्त्री-पुरुषोका यह कत्तव्य है कि वे अपने विवाहका अनुचित अथ न करे। उसके शुद्ध अयमे तो सचमुच ही जब सन्तान न हो, तो अपने उत्तराधिकारीकी इच्छासे ही सम्भोग करे।

हमारी दशा तो अत्यन्त दयनीय है और उसमे इस प्रकार निर्वाह करना अत्यन्त कठिन है। हमारी खुराक, हमारा रहन-सहन, हमारी बातचीत, हमारे आसपासके दृश्य, ये सारेके-सारे विषय-वासनाको जाग्रत करनेवाले है और जब कि विषय-वासनाका हमपर अफीम-सा नशा चढा हुआ ही होता है, फिर यह कैसे सम्भव है कि हम विचार करके इस स्थितिसे अपना उद्धार करे? लेकिन जो बात की ही जानी चाहिए, उसके सम्बन्धमे इस प्रकारका प्रश्न करनेवाले व्यक्तिके लिए यह लेखमाला नही है। यह तो उन लोगोके लिए है जो विचारपूवक, जो-कुछ किया जाना चाहिए, उसे करनेका प्रयत्न करनेको कटिबद्ध हो उठते है। जो अपनी जैसी-कुछ स्थिति है, उसीमे सन्तोष माने बैठे है वे तो इस सबको पढनेमे भी ऊब उठेगे। किन्तु इस लेखका हेतु उन्हीकी मदद करना है जो अपनी दयनीय दशाको देख सके है और उससे कुछ हद तक तग आये हुए है।

ऊपर जो-कुछ लिखा जा चुका है, उससे यह देखा जा सकता है कि जो लोग अभीतक अविवाहित है उन्हे तो इस कठिन कालमे विवाह करना ही नही चाहिए और यदि विवाह करना अनिवाय ही हो, तो शक्ति-भर बहुत देरसे विवाह करना चाहिए। पच्चीस-तीस वर्ष तक विवाह नही करेगे, नवयुवकोको इस प्रकारका प्रण ले लेना चाहिए। ऐसा करनेसे स्वास्थ्य-प्राप्तिके अलावा जो अन्य लाभ प्राप्त होगे, उनका विचार तो हम यहाँ कर ही नही सकेगे। किन्तु हर-कोई स्वय ही उन्हे प्राप्त करके जान सकेगा।

"महान-कूच"

कु० सोंजा श्लेसिन और कैलेनबैकके साथ

ईश्वरकी सहायतासे पालन कर सकूगा, ऐसी आशा करता हूँ। इसके द्वारा मुझे जो मानसिक और शारीरिक लाभ हुए है उन्हे मै ही जानता हूँ। बचपनमे ही मेरा विवाह हो चुका था। उसी उम्रमे मै अन्धा बन चुका था। बचपनमे ही सन्तान हो चुकी थी और तब कई वर्षोंके बाद आँखे खुली। और जागृत होकर जब देखा तो अपनेको घमासान सघषके बीच पाया। अत यदि लोग मेरे अनुभवके आधारपर जागृत हो सकेगे और अपनेको बचा सकेगे, तो इस प्रकरणको लिखकर मै अपनेको कृतार्थ हुआ, समझूगा। अनेक लोग कहते है कि मुझमे बडा उत्साह है और मै मानता भी हूँ। मेरे मनको लोग निर्बल नही मानते। कई लोग तो मुझे हठधर्मी भी कहते है। वैसे मेरे शरीर और मनमे अनेक रोग रहे है। लेकिन जो लोग मेरे सम्पर्कमे आये है, उनकी अपेक्षा मै अधिक स्वस्थ माना जाता हूँ। मै अपनी यह हालत लगभग २० वष तक——या कुछ अधिक ही——विषयोरभोगमे लिप्त रहनेके बाद हासिल कर सका हूँ। यदि इन २० वर्षोंको भी बचा सका होता, तो आज मेरी स्थिति क्या होती, यह बात भी त्रैराशिक द्वारा ही जानने योग्य है। मेरी खुदकी मान्यता तो यह है कि वैसा होता, तो आज मेरे उत्साहका पार ही न रहता और मै जनताकी सेवामे और अपने स्वाथमे भी ऐसा कुछ उत्साह प्रदर्शित कर सकता कि यदि कोई उसकी होडमे उतरता, तो उसकी परीक्षा ही हो जाती। मेरे इस खण्डित उदाहरणसे भी इतना सार निकल सकता है, तब फिर जिन लोगोने अखण्ड ब्रह्मचय व्रतका पालन किया है, उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक बलका अन्दाज तो वे ही लगा सकते है जिन्होने उन्हे देखा है। उसका वणन नही किया जा सकता।

इस प्रकरणके पाठक इतना तो समझ ही सके होगे कि जब विवाहितको भी ब्रह्मचय पालनकी सलाह दी जा रही है और विधुर पुरुषोको विशुद्ध विधुर-जीवनका पालन करनेकी सलाह दी गई है, तब फिर अन्य पुरुष या स्त्रीके लिए अन्यत्र कही भी विषयोपभोग करनेकी गुजाइश तो हो ही नही सकती। पराई स्त्री अथवा विषयपर कुदृष्टि डालनेसे जो घोर परिणाम हो सकते है, उनका विचार स्वास्थ्यके इस प्रकरणमे नही किया जा सकता। वह तो धमका या गहरी नीतिका ही विषय हो सकता है। यहाँ तो इतना-भर कह सकता हूँ, परनारी और वेश्यागामी पुरुष उपदश आदि अनेक ऐसे घृणित रोगोसे पीडित और सडते हुए देखे जाते है जिनका नाम लेना भी अनुचित होगा। प्रकृतिकी यह बडी कृपा है कि वह ऐसे स्त्री-पुरुषोपर शीघ्र ही वार कर देती है। इतना होते हुए भी इन लोगोकी आँख नही खुलती और वे अपने रोगोकी दवाकी खोजमे डॉक्टरोके पीछे मारे-मारे फिरते है। परनारी-गमन न हो तो ५० प्रतिशत वैद्य और डॉक्टर बेकार हो जाये। इन रोगोने मनुष्य जातिको ऐसा-कुछ जकड रखा है कि विचारशील डॉक्टरोका मत है कि उनकी अनेक खोजोके बाद भी यदि परनारी-गमनका यह घृणित व्यापार चलता रहा, तो मानव-जातिका अन्त बहुत शीघ्र हो जायगा। इसके फलस्वरूप होनेवाले रोगोकी दवाएँ ऐसी कुछ जहरीली होती है कि उनसे यद्यपि यह लगता है कि रोग नष्ट हो रहा है, किन्तु दूसरे कई रोग शरीरमे घर कर लेते है और उनका परिणाम पीढी-दर-पीढी भुगतना पडता है।

अब विवाहित लोगोको ब्रह्मचय पालनका उपाय बताकर हम इस प्रकरणको, जो कि अपेक्षासे अधिक लम्बा हो चुका है, समाप्त करेगे। केवल हवा और पानीके नियमोका पालन करनेसे विवाहित स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन नही कर सकेगे। उन्हे तो अपनी स्त्रीके साथका एकान्त सेवन ही छोड देना चाहिए। विचारपूवक देखा जाये, तो अपनी पत्नीके साथ विषयभोगके अलावा एकान्तकी कोई आवश्यकता ही नही होती। रात्रिके समय स्त्री और पुरुषको जुदा-जुदा कमरोमे सोना चाहिए। दोनोको दिनमे अच्छे कार्यों और अच्छे विचारोमे निरन्तर व्यस्त रहना चाहिए। अपने सुविचारोको प्रोत्साहन मिल सके, ऐसी पुस्तके पढनी चाहिए और ऐसे पुरुषोके चरित्रोका मनन करना चाहिए, और बराबर यही विचार करते रहना चाहिए कि भोगोमे दु खको छोडकर और कुछ है ही नही। जब-जब किसीके मनमे विषयकी इच्छा उठ आये तब-तब उसे ठडे जलसे स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करनेसे शरीरकी यह कामाग्नि कोई अन्य अच्छा रूप धारण कर लेगी और यह पुरुष और स्त्री, दोनोके लिए, हितकर होगा। ऐसा करनेसे उनके सच्चे सुखमे वृद्धि भी होगी। यह सब करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु कठिनाइयोपर विजय प्राप्त करनेके लिए ही तो हम लोगोका जन्म हुआ है। जिन्हे स्वास्थ्य प्राप्त करना है, उन्हे तो ऐसी-ऐसी कठिनाइयोपर विजय पानी ही होगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–४–१९१३

३७ तार: गुल और गुलमुहम्मदको

[जोहानिसबर्ग
अप्रैल २६, १९१३ के बाद]

गुल
७, बिटेनसिंगल
आदम गुलमुहम्मद
८, क्लूफ स्ट्रीट
[केप टाउन]

आशा है आप प्रवासी विधेयकके विरुद्ध आपत्ति पेश करेगे। विधेयककी बहसका विवरण पढा जिसमे कहा गया है भारतीय आम तौरसे इसे मजूर कर लेगे।

गांधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७२) की फोटो-नकलसे।

३८. भाषण : फ्रीडडॉर्पमें[1]

[जोहानिसबर्ग
अप्रैल २७, १९१३]

श्री गांधीने, जो फीनिक्ससे विशेष रूपसे इसी प्रयोजनसे आये थे, विधेयकका मंशा और उद्देश्य समझानेके बाद कहा, मुझे आशा है कि सरकार हमारी नम्र प्रार्थना मंजूर कर लेगी। परन्तु यदि वह स्वीकार नहीं करती, तो उस स्थितिमें याचिका आदिके दूसरे सभी उपायोंके विफल होनेपर हमें सत्याग्रहका सुपरीक्षित अस्त्र उठाना पड़ेगा। यह तीसरा आन्दोलन होगा, और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह सबसे शानदार भी होगा, हालाँकि इसमें पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक कष्ट सहन करना होगा और यह लम्बी अग्नि-परीक्षा होगी। परन्तु हम स्वाभिमानी हैं, और इससे बचनेकी कोशिश नहीं कर सकते। अपनी नारी जातिके सम्मानके लिए, अपने धर्मके लिए और अपनी जन्म-भूमिके सुयशके लिए हमें हर तरहका खतरा उठानेको तैयार रहना चाहिए। हम न अपनेको और न सरकारको धोखा देना चाहते हैं। श्री गांधीने कहा कि यह स्पष्ट है कि भावी आन्दोलनमें सैकड़ों लोगोंके जेल जानेकी बात नहीं सोची जा सकती। परन्तु मुझे मालूम है कि संख्याकी दृष्टिसे जो कमी होगी वह थोड़े-से लोगोंकी ईमानदारी और अपराजेय इच्छा-शक्तिसे पूरी हो जायेगी। जो लोग जेल जीवनके कष्ट नहीं सह सकते, वे भी आन्दोलनमें हाथ बँटा सकते हैं। वे सभाएँ कर सकते हैं, चन्दा इकट्ठा कर सकते हैं, और अपना समय देकर जेल जानेवालोंके परिवारोंकी देखभाल कर सकते हैं। ऐसा काम भी जरूरी होगा। संसारका कोई भी देश एक ही बारमें अपने सारे बच्चोंको युद्धके मैदानमें नहीं भेज सकता। फिर हमारी सेना तो एक शान्ति-सेना है। यद्यपि हम फौजी शब्दका प्रयोग करते हैं, किन्तु सैनिकसे हमारी समानता उसी हद तक है, जिस हद तक वे स्वयं ही कष्ट-सहन करते हैं। एक सच्चा सत्याग्रही दूसरोंको कभी चोट नहीं पहुँचा सकता। उसके इरादे कभी भी बदलेकी भावनाके नहीं होते। ऐसी सेनामें पूरा समाज शामिल हो जायेगा, ऐसी उम्मीद करना सम्भव नहीं है। परन्तु युद्धके मैदानमें सच्चे सत्याग्रही चाहे पाँच सौ हों, चाहे पचास, चाहे पाँच और चाहे केवल एक ही, विजय हमारी है।

प्रस्ताव[2]

ब्रिटिश भारतीयोंकी यह आम सभा ब्रिटिश भारतीय संघकी समिति द्वारा सरकारके प्रवासी विधेयकके विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ भेजनेका अनुमोदन करती है। यह

१ ब्रिटिश भारतीय संघकी एक सभा फ्रीडडॉर्प, जोहानिसबर्गके एक निकटवर्ती कस्बेमें प्रवासी विधेयकपर विचार करनेके लिए हुई थी। इसके अध्यक्ष श्री अ० मु० काछलिया थे। उनके भाषणके पाठके लिए, जो बादमें गवर्नर-जनरलको भेजा गया था, देखिए परिशिष्ट ४।

२ यह प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुआ था।

विधेयक दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके सम्मान, धार्मिक भावना और समाजके अस्तित्वपर कुठाराघात करता है, अत यह सभा गम्भीरतापूवक सकल्प करती है कि यदि सरकार प्राथना स्वीकार नही करती तो सत्याग्रह, जो १९११ से अबतक बन्द रहा था, फिर शुरू किया जायेगा और तबतक जारी रहेगा जबतक सत्याग्रहियोके कष्ट-सहनसे सरकार और दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोको [भारतीय] समाजकी ईमानदारी का, और परिणामस्वरूप राहत देनेकी जरूरतका, अनुभव नही हो जाता।[1]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३

३९ तार · ड्रमड चैपलिन तथा अन्य लोगोको

[जोहानिसबग
अप्रैल २७, १९१३ के बाद][2]

ड्रमड चैपलिन
माननीय मेरीमैन
सर टॉमस स्मार्ट
मॉरिस एलेक्जैडर
थियो श्राइनर
केप टाउन

प्रवासी विधेयकके विरुद्ध लगभग प्रत्येक प्रमुख भारतीय मण्डल द्वारा विरोधी पत्र भेजे जा चुके है। यदि विधेयकको सशोधन द्वारा भारतीय मागे पूरी किये बगैर पास किया गया तो सत्याग्रहकी पुनरावत्ति निश्चित। यदि सामान्य विधेयक भारतीयो द्वारा सुझाये गये सशोधनो सहित पास नही हो सकता तो ट्रान्सवाल प्रवासी कानूनमे ऐसे सशोधन आसानीसे किये जा सकते है, जिनसे १९०७ का एशियाई अधिनियम रद हो जाये और उसमे निहित प्रजातिगत भेद दूर हो जाये इसके अलावा एक ऐसा विवाह-विधेयक लाया जाये जिसके द्वारा भारतीय विवाहोको सल-निणयसे पूवकी तरह मान्यता प्राप्त हो और कानूनी करार दिया जा सके।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७३) की फोटो-नकलसे।

१ इसके बाद सभामें एल० डब्ल्यू० रिच और एच० कैलेनबैक बोले ।

२ ऐसा लगता है कि यह तार और लॉर्ड ऍम्टहिलको भेजा गया तार (देखिए अगला शीर्षक), ये दोनो ही २७ अप्रैलकी फ्रीडडॉर्पमें हुई आम सभाके बाद भेजे गये थे ।

४० तार: लॉर्ड ऐम्टहिलको[1]

[जोहानिसबग
अप्रैल २७, १९१३ के बाद]

श्री गोखलेका सुझाव है कि विधेयक-सम्बन्धी आपत्तिया आपको तार द्वारा सूचित कर दूं। आपत्तिया इस प्रकार है विधेयक समझौतेके खिलाफ बैठता है, वर्तमान अधिकारोकी शक्ल बदलता है, अकल्पित निर्योग्यताएँ लादता है, और सर्वोच्च न्यायालयकी सत्ताके स्थानपर ऐसे निकायोको आरूढ करता है जिनके सदस्य प्रतिवष हटाये जा सकते है और जिनके हाथमे अधिवासके मामलोको छोडकर पूरी सत्ता रहेगी। यह शिक्षित भारतीयोको, ट्रान्सवालसे केप या नेटालमे प्रविष्ट होनेके लिए शैक्षणिक परीक्षाके आधारपर प्राप्त वतमान अधिकारोसे वचित करता है। यद्यपि समझौतेके अनुसार सामान्य विधेयकके अन्तर्गत नये शिक्षित भारतीयोको प्रवासके सम्बन्धमे दूसरोकी तरह पूरे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तथापि इस विधेयकका मशा फ्री स्टेटमे उनका प्रवेश निषिद्ध करवा देना है। चाहे जिस बन्दरगाहसे होकर प्रवेश करनेके वतमान अधिकारको किसी एक निर्धारित बन्दरगाहसे प्रवेश तक सीमित करता है। एक लम्बे अरसेसे रहते चले आनेवाले नेटाली भारतीयोको अधिवास-सम्बन्धी उन अधिकारोसे जो अबतक वे भोग रहे थे, केपके कानूनके कठोरतम खण्डका प्रयोग करके वचित करता है। यह विधेयक वर्तमान वैधानिक स्थितिके विपरीत है। नेटाल, ट्रान्सवालके उन भारतीयोको, जो अपने-अपने प्रान्तोसे तीन वषसे अधिक कालके लिए अनुपस्थित रहे हो, निषिद्ध प्रवासी करार देता है। दक्षिण आफ्रिकामे पैदा हुए भारतीयोके केपमे प्रवेश करनेके अधिकारको छीनता है। हालका फैसला जमे हुए दस्तूरके खिलाफ बैठता है। ईसाई प्रथाके अनुसार न किये गये या विवाह-अधिकारियोके समक्ष न किये जानेवाले विवाहोको — चाहे ये विवाह भारतमे हुए हो चाहे यहाँ — अवैध ठहराता है। इस प्रकार अधिकाश धमपत्नियोको रखैलोकी श्रेणीमे डालता है। इस विधेयकका मन्शा उन शिक्षित भारतीयोको, जो वतमान शैक्षणिक परीक्षा पास करनेके बाद आये थे, यदि वे अन्यथा अधिवासी नही है तो, पुन प्रवेशके अधिकारसे वचित करना है। यद्यपि यह विधेयक सत्याग्रहियोकी मागे पूरी करनेके इरादेसे खास तौरपर गढा गया है तथापि यदि यह विधेयक

१ मसविदेपर लॉर्ड ऐम्टहिलका नाम नहीं है, परन्तु लगता है, यह तार उन्हीको भेजा गया था।

इन सब आपत्तियोको ध्यानमे रखकर सशोधित न किया गया तो सत्याग्रहका फिरसे चालू किया जाना निश्चित है।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७४) की फोटो-नकलसे।

४१. भेट 'स्टार' के प्रतिनिधिको[1]

[जोहानिसबर्ग
अप्रैल २८, १९१३ या उससे पूर्व]

'स्टार' के एक सवाददाताको भेंट देते हुए श्री गाधीने बताया कि प्रवासी विधेयक भारतीय समाजको तबतक ग्राह्य नहीं होगा जबतक उसमें मौजूदा अधिकारोकी रक्षा तथा प्रजातिगत भेदकी समाप्तिके सम्बन्धमें समझौतेका मूल सिद्धान्त समाविष्ट नहीं किया जाता।

यह बिलकुल सच है कि फ्री स्टेटके भारतीय समाजकी कोई स्थानीय माँगे नही है। और यह भी सच है कि फ्री स्टेटमे किसी भी भारतीयके प्रवेशकी सम्भावना नही है, परन्तु हम चाहते है कि सिद्धान्त रूपमे प्रवेशका अधिकार सामान्यतया सुरक्षित रहे। पहले विधेयकके पास न होनेका कारण यह था कि सरकार इन मुद्दोको मानते हुए एक कानून बनाना चाहती थी। पिछले वर्षके विधेयकमे इसकी व्यवस्था थी, और हमने यह भी स्वीकार कर लिया था कि जो भारतीय फ्री स्टेटमे प्रवेश करेंगे उनपर स्थानीय निर्योग्यताएँ — जसे अचल सम्पत्ति रखने, और खेती-बारी तथा व्यापार करनेका निषेध — लागू होगी। यदि हम मौजूदा विधेयकको मान लेते है तो निश्चित ही भारतीयोकी स्थिति सत्याग्रह शुरू होनेसे पहले जैसी थी, उससे भी कही अधिक बुरी हो जायेगी।

ऐसा लगता है कि सरकारकी इच्छा प्रान्तीय कानूनकी सर्वाधिक बुरी बातोको एक जगह ले आनेकी है, उदाहरणाथ केपमे "अधिवास" शब्दका अथ अपेक्षाकृत अधिक सकीर्ण है, और वही अथ वह नेटालमे लागू करना चाहती है। यह एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो पाच-छ साल पहले कदापि सम्भव नही हो सकती थी। केपकी स्थितिको अच्छा बना कर उसे नेटालकी बराबरीपर लानेके बजाय, सरकार नेटालकी स्थितिको बुरा बनाकर उसे केपकी स्थितिके समान कर देना चाहती है।

जाहिर है कि श्री गाधी यह मानते है कि एक सामान्य प्रवासी कानूनके विषयमें यह आशा करना बिलकुल बेकार है कि वह विभिन्न प्रान्तोके भारतीय समाजोके विचारोके अनुकूल होगा। इस प्रश्नके उत्तरमें कि समस्याका सबसे सहज हल क्या होगा, श्री गाधीने अपने विचार प्रान्तीय कानूनमें सशोधन करनेके हकमें व्यक्त किये और सुझाव दिया

१ गाधीजी यूरोपीय समिति और ब्रिटिश भारतीय सघकी कार्यकारिणी समितिसे परामर्श करनेके लिए जोहानिसबर्ग गये थे। भेंटकी यह रिपोर्ट **स्टारसे** लेकर ३-५-१९१३ के **इंडियन ओपिनियनमें** प्रकाशित की गई थी।

कि जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, प्रवासी कानूनमें से जाति-भेद हटा देना चाहिए, इससे कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा, और कहा कि १९०७ का अपमानजनक एशियाई कानून भी रद कर दिया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि यदि श्री फिशरका विधेयक कानून बन गया तो भारतीय उसकी व्यवस्थाओका विरोध करनेके लिए कृत-सकल्प है। उन्होने श्री गोखलेको, जो लन्दनमें है, पहलेसे ही सूचना दे दी है ताकि वे साम्राज्य सरकारके सामने स्थितिको स्पष्ट कर सकें।

भारतीयो और सरकारके बीच सम्बन्धोमें तनावकी स्थिति [उपनिवेशमें] उत्तर-दायी सरकारकी स्थापनाके तुरन्त बाद ही उत्पन्न हुई और सत्याग्रह आन्दोलन १९०६ से लेकर १९१० में जनरल स्मट्सके साथ समझौता होने तक जारी रहा।

[अंग्रेजीसे]

स्टार, २८-४-१९१३

४२ पत्र गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको

जोहानिसबग
अप्रैल ३०, १९१३

परमश्रेष्ठ गवर्नर जनरल महोदयके
निजी सचिव,
केप टाउन

महोदय,

इस पत्रके साथ मै उस प्रस्तावकी[1] तीन-तीन प्रतियाँ आपकी सेवामे भेज रहा हूँ जो गत माहकी २७ तारीखको फ्रीडडॉपमे सम्पन्न ब्रिटिश भारतीयोकी आम सभामे सवसम्मतिसे पास किया गया था। यह सभा मेरे सघके तत्त्वावधानमे हुई थी। परम श्रेष्ठसे अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव और सभामे दिये गये अध्यक्षके भाषणकी[2] जो प्रतियाँ इसके साथ भेजी जा रही है, माननीय उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्त्रीको प्रेषित करनेकी कृपा करे।

आपका
अ० मु० काछलिया
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स ५५१/३९

१. देखिए "भाषण फ्रीडडॉर्पमें", पृष्ठ ५१ ५२।
२ देखिए परिशिष्ट ४।

४३. विधेयक

जोहानिसबगकी सार्वजनिक सभा ऐन मौकेपर ही हुई है। उसका प्रस्ताव अत्यन्त सामयिक है। सभाकी रचना, ट्रान्सवालके अधिकाश भागोसे आये हुए प्रतिनिधियोकी सख्या, और श्री फिशरको भेजे गये सन्देशोसे मन्त्री महोदयपर यह प्रकट हो गया होगा कि जबतक वे श्री काछलियाके तारमे बताई गई दिशामे विधेयक सशोधित करने-सम्बन्धी ब्रिटिश भारतीयोकी प्राथना स्वीकार करनेके लिए तैयार नही होते तबतक भारतीय सन्तुष्ट नही किये जा सकते। इसलिए अपने मूल्यवान विधेयकके द्वितीय वाचनके अवसरपर श्री फिशरका यह कहना समझमे नही आता कि यह विधेयक भारतीय समाजको सन्तुष्ट कर देगा। बहसके दौरान श्री चैपलिनने बहुत बढिया भाषण दिया और सामयिक चेतावनी देते हुए कहा कि यह विधेयक निरथक है और यूनियनिस्ट दल उसे तबतक स्वीकार नही कर सकता जबतक कि श्री फिशर यह निश्चित आश्वासन नही देते कि भारतीय सन्तुष्ट है। यद्यपि विधेयक एक मजिल आगे बढा दिया गया है, हमारा खयाल है कि वह तृतीय वाचनकी मजिल तक कभी नही पहुँचेगा। किन्तु सत्याग्रहियोके लिए तो यही अच्छा होगा कि वे अपनेको तैयार रखे। यह आशा की जाती है कि यदि सघर्ष पुन छेडा गया तो आगामी सघष शुद्धतम, अन्तिम और सबसे शानदार होगा। थोरोके समान हमारा भी विश्वास है कि "सचाईके पक्षमे विजय प्राप्त करनेके लिए केवल एक सच्चा सत्याग्रही भी काफी है।" सचाई हमारे साथ है। सचाई उस सरकारके पक्षमे नही हो सकती जिसे अपने पवित्र वचनोका कोई खयाल नही। और हमारे बीच अनेक सच्चे सत्याग्रही है। हम भी एक आदश सत्याग्रहीकी परिभाषापर पूरे न उतरे, न सही, परन्तु हमे इतना विश्वास है कि हमारे समाजमे ऐसे अनेक लोग है जो उस हद तक आदर्शके निकट पहुँच सकते है जिस हद तक किसी मनुष्यके लिए सम्भव है। इस महान् कर्त्तव्यका भार ऐसे ही लोगोके ऊपर है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३

४४ सघर्ष

सत्याग्रहका प्रस्ताव

जोहानिसबर्गकी सावजनिक सभाने नये विधेयकके सम्बन्धमे सत्याग्रहकी लडाई लडनेका प्रस्ताव किया है और यदि सरकार हमारी माग स्वीकार नही करती तो इसमे अब कोई सन्देह नही है कि सत्याग्रह पुन शुरू किया जायेगा। यह सभा मामूली नही थी। इसमे भारतीय बडी सख्यामे उपस्थित हुए थे और हरएक शहरसे वहाके नेतागण आये थे। अब यदि लडाई शुरू होती है तो ऐसी सम्भावना है कि उसकी योजना कुछ भिन्न प्रकारकी होगी। पहलेकी लडाईमे हम यह नही कह सकते थे कि कौन जेल जायेगा और कौन नही जा सकेगा।[1] हमारे पास समाजकी शक्ति या अशक्तिको जाननेका साधन नही था, लेकिन अब हमे इसका अनुभव हो चुका है। अब हम सामान्यत इस बातका अनुमान कर सकते है कि जेलमे कौन-कौन और कितने लोग जायेगे। सरकार भी हमारी शक्तिसे परिचित है। पिछली बार हम हरएकसे जेल जानेकी आशा करते थे। हम हरएकसे इस बातका आग्रह भी करते थे। वह तालीम हासिल करनेका समय था। जो लोग आग्रह करते थे और जिनसे आग्रह किया जाता था उन दोनोके लिए वह एक नई स्थिति थी। अब हम इस सम्बन्धमे अपने अनुभवके बलपर कही ज्यादा समझदार हो गये है।

लडाईकी योजना

इसलिए श्री काछलियाने इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि अब न तो हम भ्रममे रहना चाहते है और न सरकारको भ्रममे रखना चाहते है। सभाने प्रस्ताव भी ऐसा किया है कि प्रस्तावका समर्थन करनेवाला जबतक स्वय अपनी जेल जानेकी इच्छा घोषित न करे तबतक जेल जानेके लिए बँधा नही है। सत्याग्रहको पसन्द करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति प्रस्तावके साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकता है और इस तरह प्रस्तावमे भाग ले सकता है। प्रस्तावको स्वीकार करनेवाला समाजसे और सरकारसे केवल इतना ही कहता है कि वह सत्याग्रहकी लडाईका औचित्य और आवश्यकता स्वीकार करता है। वह सरकारका विरोध करेगा और स्वय जेलमे न जाये तो भी जेलमे जानेवालोको पैसेसे अथवा दूसरी तरहसे मदद करेगा। जेल-यात्रियोके कुटुम्बियोकी सँभाल करेगा। लडाईसे सम्बन्धित दूसरे उपयोगी कार्य करेगा, यदि आर्थिक दृष्टिसे गरीब होगा तो शारीरिक श्रम करके सघषमे मदद पहुँचायगा। हमेशा अपना कुछ-न-कुछ समय उसे आगे बढानेमे देगा। कानूनका कोई भी लाभ खुद नही उठायेगा और किसी भी प्रकार सरकारके अन्यायका समर्थन नही करेगा।

१ तात्पर्य १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनसे है, जिसके बाद भारतीयोंकी बड़े पैमानेपर गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार लोगोमें स्वय गाधीजी भी शामिल थे, देखिए खण्ड ९ ।

केप और नेटाल

यह लडाई अकेले ट्रान्सवालकी नही है समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी है, इसलिए केप और नेटालको भी जाग जाना चाहिए। जोहानिसबग इस लडाईकी नीव डाले यह तो उचित है, किन्तु केप और नेटाल बैठे रह जाये तो उनका ऐसा करना उनके लिए लज्जाजनक होगा। केप और नेटालसे भी जेल जानेवाले लोग मिलने चाहिए। और इन दोनो प्रान्तोमें जोहानिसबर्गकी जैसी सभाएँ भी होनी चाहिए। सरकार हमे भले अलग-अलग रखे, किन्तु हम तो अपने कार्योंसे अपनी एकता (यूनियन) प्रदर्शित कर ही सकते है।

पिछली लडाईसे तुलना

पिछली लडाईमे हमने देखा कि जो लोग जेल नही गये उनमे से कुछने समाजके इस कायमे रुकावट डाली और वे सत्ताधीशोसे भी मिल गये। कुछ ऐसे भी थे जिन्होने रुकावट तो नही डाली किन्तु वे मुँह छिपाकर बैठे रहे और उन्हे जो दूसरी मदद करनी चाहिए थी वह भी उन्होने नही की। इस बार जो प्रस्ताव हुआ है, उससे ये दोनो कठिनाइयाँ दूर हो जानी चाहिए। समाजके खिलाफ किसी भी कारणसे कोई किसी प्रकारकी हलचल करता है तो वह समाजका और उस हद तक अपना भी अहित करता है। लोगोके छिपकर बैठे रहनेसे हमारी शक्तिमे उतनी कमी हुई, हमारी लडाईको उससे धक्का लगा, किन्तु उस समय हम किसी दूसरी तरह लड भी नही सकते थे। हम सबकी अग्नि-परीक्षा हो रही थी। तब हम एक-दूसरेमे फर्क नही कर सकते थे। अमुक व्यक्ति जेल नही जा सकेगा, ऐसा कहनेपर उस व्यक्तिका अपमान होता था और समाजमे उसकी अप्रतिष्ठा होती थी। यह ठीक भी था। अब हमारी परीक्षा हो चुकी है। हम आगसे गुजर चुके है। जो जेल नही जायेगा उसकी अप्रतिष्ठा नही होगी, उसे शरमाना नही पडेगा। उसमे उतना बल नही है, यह बात उसने और समाजने देख ली है। जो लोग जेल जानेको तैयार है उन्हे इस बातका गव नही करना है। उन्हे ऐसा नही समझना है कि वे कोई बडा काम कर रहे है। हम सब एक ही शरीरके अग है। आख देखनेका काम कर सकती है, इसका यह मतलब नही है कि वह पैरोका तिरस्कार करे। पैर आँखकी तरह देखनेका कार्य नही कर सकते, किन्तु उसमे उन्हे निराश होनेका कोई कारण नही। पैर अपने विशेष गुणके अनुसार अपना काय करते है और आँख अपने गुणके अनुसार। शरीरको दोनोकी जरूरत है। किन्तु यदि उनमे से कोई अपने गुणके अनुसार शरीरको उसका बोझ वहन करनेमे मदद नही करता तो अवश्य लज्जित होनेका कारण है। ऐसी स्थितिमे शरीरको भी हानि पहुँचती है और उस अगको भी। जेल जाने या न जानेवालोपर भी यही बात लागू होती है।

जेल जानेवालोसे

अब दो शब्द जेल जानेवालोसे। इस बार यदि लडाई शुरू होती है तो वह लडाई बडी होगी। यदि समाज जेल-यात्रियोके पीछे एक-मत होकर खडा रहा तो बहुत सम्भव है कि लडाई जल्दी ही समाप्त हो जाये। किन्तु सामाज एक-मत रहे या न रहे, कोई मदद

करे या न करे, सत्याग्रही तो अपनी टेक नही छोड सकेंगे। इसलिए उन्हे समझ रखना चाहिए कि इस बारकी लडाईमे, हो सकता है, उन्हे बहुत कष्ट भोगना पडे। इसके सिवा सत्याग्रहियोमे और दूसरे लोगोमे मुकाबलेकी बात नही है। कोई दूसरा व्यक्ति जेल जाये या न जाये, इससे उन्हे कोई सरोकार नही। कुछ लोग ऐसा कहते सुने गये है कि सेठ लोग जायेगे तो हम भी जायेगे, यदि वे नही गये तो हम गरीब क्यो मरे। तमिल कहते है कि गुजराती लोग लडाईमे शामिल होगे तभी हम होगे। हिन्दू कहते है, मुसलमान शामिल होगे तो हम होगे। व्यापारी कहते है कि हम तो अपने हितकी रक्षा भली-भाँति कर सकते है, किन्तु यदि फेरीवाले आगे आये तो समाजकी खातिर हम भी आ जायेगे। जो लोग इस तरहकी बाते करते है, उनमे से किसीको सत्याग्रही नही कहा जा सकता। जिसे व्यापारमे रस है वह व्यापार करेगा, वह दूसरोकी होडमे नही बढेगा। सत्याग्रही वही हो सकता है जिसे सत्याग्रहमे रस मिलता है। उसे समझना चाहिए कि वह सघर्षमे किसीपर उपकार करनेके लिए नही उतरा, बल्कि इसलिए उतरा है कि सत्याग्रहका महत्त्व उसकी समझमे आ गया है, सत्याग्रह उसे भाता है और उसमें सत्याग्रहके निर्वाहकी शक्ति है। सत्याग्रह करनेमे पहले उसीका हित है और उसके इस हितमे समाजका हित निहित है। स्वदेशाभिमानीके कार्यका अपने हित और देशके हितसे कोई विरोध-भाव नही होता। यदि वह इन दोमे विरोध मानता है तो वह स्वदेशाभिमानी नही है। माँ अपने पुत्रकी सेवा करती है तो ऐसा करके वह उसपर अपनी प्रभुता नही चाहती। इसी प्रकार पुत्र अपनी माँकी सेवा करके इस बातका गर्व नही करता। जिसने देशको या धर्मको अपना सब-कुछ समर्पित कर दिया है, वह अपना कर्त्तव्य समझकर ही ऐसा करता है, वह उसीमे अपना हित मानता है -- फिर इसमे ऐसी विशेषताकी क्या बात है? दूसरे क्या कर रहे है, यह सवाल क्यो उठाना चाहिए? दूसरोसे द्वेष क्यो करना चाहिए? सत्याग्रही सत्याग्रहके लिए शर्तें नही लगा सकता। उसने तो अपना तन-मन-धन सब अर्पित कर दिया है। इसलिए न तो वह धनके नाशसे डरता है, न उसे शरीरके नाशका भय लगता है। उसने तो मृत्युके साथ सौदा किया है, उसके लिए बीचकी स्थिति है ही नही। जो ऐसा मानता है, वही लडाईका निर्वाह कर सकता है। जो ऐसा मानता है, वह मर कर भी जियेगा। और हम आशा करते है कि जिसमे ऐसा प्रखर उत्साह न हो वह इस बार जेल जानेके लिए आगे न आयेगा। हमारा दृढ विश्वास है कि ऐसे विचार रखनेवाले पचास, पाँच, या एक भारतीय भी मिल जाये तो हमारी माँग प्राप्त कर लेनेके लिए यह काफी होगा।

जेल न जानेवालोसे

अन्तमे कुछ शब्द हम जेल न जानेवालोसे कहेगे। अब कोई किसीको लज्जित नही करेगा। किन्तु इसलिए जेल जानेकी जरूरत नही है, ऐसा मान कर कोई भारतीय बैठा नही रह सकता। एक भी भारतीय काफी होगा, इसलिए दूसरोको यह मानकर बैठे नही रहना चाहिए कि उन्हे जानेकी जरूरत नही है। जेल जानेवाला अकेला होते हुए स्वय भले सन्तोष माने किन्तु न जानेवालेको तो अपने मनमे स्वय शरमाना

ही चाहिए। हमे दूसरे लज्जित करे, इसकी अपेक्षा हमारे अपने अन्तरकी लज्जा हमारे लिए अधिक दुःखदायी होती है। यदि किसीमे शक्ति हो तो उसे जेल जानेकी इच्छा करनी ही चाहिए। और न जा पाये तो शरमाना ही चाहिए। जानेकी शक्ति होते हुए भी न जाना ठीक नही है। जो प्रस्ताव किया गया है, उसका यह अर्थ भी नही है। प्रस्तावका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जाना तो चाहता है, लेकिन लाचारीके कारण नही जा सकता तो वह दोषी नही है। इस तरह अपनी किसी लाचारीके कारण न जा सकनेवाले भारतीयोपर बडी जिम्मेदारी आती है। उन्हे बहुत परिश्रम करना पडेगा। वे अथक परिश्रम करके इस लडाईको दूसरी तरहसे मदद पहुँचायेगे। ऐसे भारतीयोको समझना चाहिए कि लन्दनकी हमारी समितिके खर्चकी जिम्मेदारी उठानेसे हमारी लडाईको बल मिलेगा। यह भी सम्भव है कि उस समितिकी सहायताके कारण संघर्ष शुरू ही न करना पडे, इसलिए उस समितिका आर्थिक बोझ उठानेके लिए आजसे ही अपनी जेबोमे हाथ डाले और समितिकी स्थितिको मजबूत करे। इसका यही मौका है। श्री गोखले विलायतमे सदा नही बैठे रहेगे। यदि समितिकी नीव इस समय मजबूत न की गई तो बादमे अवसर बीत जायेगा। इसलिए जेल न जानेवालोका यह एक तात्कालिक कर्त्तव्य है और हमे आशा है कि नेटाल, केप तथा ट्रान्सवाल — तीनो स्थानोसे इस सम्बन्धमे मदद मिलेगी। यदि लडाई शुरू हो तो हम जेलयात्रियोके कुटुम्बियोकी फिक्र करेगे और उनका काम सँभालेगे, ऐसा निश्चय करके आजसे ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस दृष्टिसे यह खोज निकालना चाहिए कि जेल कौन-कौन जायेगा और इस खोजके साथ ही उनकी सहायता करनेकी व्यवस्थाका प्रयत्न करने लगना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस बार लडाईका रंग खूब निखरेगा, वह ज्यादा उज्ज्वल और ज्यादा शुद्ध होगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–५–१९१३

४५ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-१८]

कुछ उपचार १ हवा

स्वास्थ्य-रक्षा किस प्रकारकी जाये, उसका मूल आधार क्या है और उसे बनाये रखनेके लिए क्या करना जरूरी है — इसकी चर्चा हम कर चुके। सभी मनुष्य यदि अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेके सारे नियमोका पालन करे और स्वास्थ्य-सम्पादनके लिए अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करे तो जो प्रकरण अब आगे लिखे जा रहे है उनकी जरूरत ही नही हो, क्योकि ऐसे लोगोको शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि होना सम्भव ही नही है। लेकिन ऐसे स्त्री-पुरुष शायद ही मिल सकते हो। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति बिरले ही होते है, जिन्हें कभी कोई रोग न हुआ हो। साधारण मनुष्य तो सदैव व्याधियोसे ग्रस्त रहता है। यहाँ पहले भागमे बतलाये हुए नियमोका जिस हद तक पालन किया जायेगा, उसी हद तक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकेगा। पर ऐसे स्वस्थ मनुष्यको

भी कभी कोई रोग हो जाये और यदि उसे साधारण उपचारोका अनुभव हो तो वह बिना घबराये और वैद्यो, हकीमोके पीछे मारे-मारे फिरनेके बजाय स्वय तत्काल कुछ उपाय कर सके, ये अगले प्रकरण इसी हेतुसे लिखे जायेगे।

हम देख चुके है कि हवा स्वास्थ्य-सम्पादन करनेमे सर्वोपरि महत्त्वपूण वस्तु है, उसी प्रकार हवा रोगोका नाश करनेके लिए भी बडी कीमती चीज है। उदाहरणके लिए यदि किसी मनुष्यकी सधिया जकड गई हो और उसे गम हवाकी भाप दी जाये तो तत्काल पसीना छूटेगा और उसकी सधियाँ नरम पड जायेगी। इस प्रकार जो भाप दी जाती है उसे "टरकिश बाथ" कहते है।

जिस मनुष्यका शरीर आगसे झुलसता-सा प्रतीत हो, उसे एकदम वस्त्रहीन करके खुली हवामे सुलाया जाये तो उसकी गर्मीकी तीव्रता तत्काल कम हो जायेगी, और उसकी बेचैनी दूर होगी। जब उसका शरीर ठडा हो जाये तब उसे वस्त्र उढा दिया जाये, इससे पसीना आयेगा और उसका बुखार उतर जायेगा। हम लोगोकी ऐसी कुछ धारणा है कि बुखार हो और रोगी मारे गर्मीके व्याकुल हो रहा हो तो भी दरवाजे और खिडकियाँ बन्द ही रखी जानी चाहिए और उसके कान और सिर ढके रहने चाहिए, और उसे भरपूर कपडे ओढे रहना चाहिए। यह मान्यता सरासर भ्रमपूर्ण है। इससे तो रोगीकी व्याकुलता बढती है और वह निबल पड जाता है। रोगीको इस प्रकार ढाप देनेसे बार-बार पसीना आता है और बुखार देखनेपर थर्मामीटरका पारा ठीक तापमान बताता नही जान पडता। इससे रोगी कमजोर हो जाता है। गर्मीका बुखार हो तो ऊपर सुझाया हुआ उपचार करते हुए किसीको भी डरनेका कारण नही है। इसका लाभ तो वह तत्काल ही देख सकता है। इससे हानि होनेकी तो कुछ भी सम्भावना नही है। हाँ, इतनी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि खुला रखा जानेपर रोगी कापने न लगे। रोगी यदि ठड महसूस करे तो समझ लेना चाहिए कि दाह अत्यन्त तीव्र नही है। रोगी यदि नग्नावस्थामे बाहर खुला न रह सके तो भी उसे खुली हवामे कपडे उढाकर सुलानेमे तो कभी नुकसान नही हो सकता।

लम्बी मुद्दतके बुखार या किसी दूसरे रोगके लिए हवा बदलना एक अक्सीर इलाज है। वायु-परिवर्तनका रिवाज भी हवाके इलाजका ही एक अग है। अनेक बार घर बदल देनेका भी रिवाज है। कई लोगोकी मान्यता है कि जिस घरसे बीमारी दूर होती ही नही, उसमे भूत-प्रेत होते है । यह तो निरा बहम ही है। भूत-प्रेत तो हवाकी विकृतिमे बसे होते है। सो, घरके बदल देनेपर वायु-परिवतन भी हो जाता है—यही बडा लाभ है। वायुका हमारे शरीरके साथ कुछ ऐसा गाढा सम्बन्ध है कि उसमे थोडा भी परिवतन होनेपर उसका बुरा या भला परिणाम इसपर हुए बिना नही रहता। पैसेवाले लोग दूर देशोमे जा सकते है किन्तु गरीब यदि पासके गाव या दूसरे घरमे जाये तो भी लाभ हो सकता है। रोगीको एक कमरेसे दूसरे कमरेमे ले जाने पर भी थोडा लाभ तो हो ही सकता है। परिवतन चाहे घरका हो, कमरेका हो या गाँवका, परन्तु हम जिस स्थानको छोडकर जा रहे है, वहाँसे उस स्थानकी आबो-हवा अच्छी होनी चाहिए, यह सुझानेकी आवश्यकता नही। नम आबो-हवाके कारण जो बीमारी

होती है वह और अधिक आद्र वायुमण्डलवाले स्थानमे जानेसे दूर नही हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि हवा बदलनेका परिणाम ठीक नही होता। इसका कारण यह होता है कि वायु-परिवतन बिना समझे बूझे किया जाता है। इसके सिवा और भी अनेक बार लाभ नजर नही आता। कारण यह होता है कि आब-हवा तो ठीक होती है किन्तु दूसरी आवश्यक बातोका पालन नही किया जाता जिनके कारण वायु-परिवतनसे होनेवाले लाभ भी नही मिल पाते। पाठकोको हम हिदायत करना चाहते है कि इस लेखमालाके प्रथम भागमे हवाके सम्बन्धमे जो प्रकरण लिखा जा चुका है, उसीके साथ मिलाकर इस प्रकरणको पढा जाये। पिछले प्रकरणमे हमने स्वास्थ्यके साथ हवाका क्या सम्बन्ध है, यह बतलाया है और हवाके सम्बन्धमे सामान्य चर्चा की है। इस प्रकरणमे इलाजके नाते हवाका विवेचन किया गया है। अत पिछले प्रकरणको इसीके साथ पढनेपर बात ठीक तौरसे समझी जा सकेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–५–१९१३

४६ पत्र : गृह-सचिवको[1]

[जोहानिसबर्ग
मई ७, १९१३ के बाद]

मेरे इसी ४ तारीखके[2] तारके उत्तरमे आपने ७ तारीखको जो पत्र भेजा है, उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ।

मेरी समितिको भय है कि सरकारने श्री सलके फैसलेका जो अर्थ लगाया है, वह भारतीय समाज द्वारा किये गये अथसे भिन्न है। आप कहते है कि "आपने अपने तारमे न्यायमूर्ति श्री सलके अभी हालमे दिये गये फैसलेका उल्लेख किया है, जो बहु-पत्नीक विवाहको मान्यता देनेवाले रीति-रिवाजो द्वारा सम्पन्न विवाहोके प्रश्नके सम्बन्धमे है।"

मै विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मेरे सघके लेखे श्री सलका फैसला बहु-पत्नीक विवाहोके सम्बन्धमे कदापि नही है। मेरी समितिके विनम्र मतसे न्यायमूर्ति सलका निर्णय साफ कहता है "इस मामलेमे कुल प्रश्न ही यह है कि इस्लामी रिवाजके अनुसार विवाहित पत्नी प्रवासी अधिनियमके अथके अन्तगत पत्नी है या नही।" और जो बात इस्लामी रिवाजके अनुसार किये गये विवाहोपर लागू होती है, वह हिन्दू-धर्मके रिवाजो या पारसी धर्मके रिवाजोके अनुसार किये गये विवाहो या ईसाई-धर्मके अतिरिक्त अन्य किसी भी धमके रिवाजोके अनुसार किये गये उन सभी विवाहोपर, जो अधिकारीके

१ कुमारी सोजा श्लेसिनके हस्ताक्षरसे भेजे गये इस पत्रका मसविदा अनुमानत गांधीजीने तैयार किया था।

२ देखिए अगला शीर्षक।

सम्मुख पजीकृत नही किये गये हो, लागू होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहु-विवाहका प्रश्न बिलकुल नाहक उठाया गया है।

मेरी समितिको विश्वास है कि सरकार इससे उत्पन्न प्रश्नके फौरी तकाजेको समझकर सबके विवाह-सम्बन्धी कानूनोको ससदके वतमान अधिवेशनमे ही इस प्रकार सशोधित कर देगी जिससे भारतीय विवाहोको कानूनमें मान्य करनेकी पहली प्रथा पुन स्थापित हो सके।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–५–१९१३

४७. भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रूपमे

ट्रान्सवाल भारतीय महिला सघ (ट्रान्सवाल इडियन विमेन्स एसोसिएशन) ने माननीय गृह-मन्त्रीको निम्नलिखित तार भेजा है

> ट्रान्सवाल भारतीय महिला सघकी समितिने सर्ले-निर्णयको देखते हुए दक्षिण आफ्रिकाकी अधिवासिनी भारतीय महिलाओ अथवा सघमे निवासके अधिकारी अपने पतियोके साथ प्रवेश करनेकी अधिकारिणी महिलाओकी स्थिति-पर सावधानीके साथ विचार किया है और वह इस निष्कषपर पहुँची है कि उक्त निणयसे भारतीय नारियोके सम्मानको धक्का लगा है। इसलिए समिति सम्मानपूवक विश्वास करती है कि सरकार कानूनमे ऐसा सशोधन कर देगी जिससे भारतीय धार्मिक रीति-रिवाजके अनुसार किये गये भारतीय विवाह, जो भारतमे वैध माने जाते है, यहा भी वैध मान्य कर लिये जायेगे। मुझे सरकारको यह भी सूचित करना है कि सघकी सदस्याओकी भावना इस बारेमे इतनी तीव्र है कि यदि सरकार इस प्राथनाको स्वीकार करनेमे असमथ होगी तो वे सर्ले-निणय द्वारा किये गये अपमानको सहन करनेकी अपेक्षा सत्याग्रह करेगी और अपने समाजके पुरुषोके साथ कैद भुगतेगी।[1]

सोजा श्लेसिन,
अवैतनिक मन्त्री

हमे मालूम हुआ है कि उक्त तार जोहानिसबर्गकी हिन्दू-धम, इस्लाम और ईसाई धर्म माननेवाली चालीससे अधिक भारतीय महिलाओके निर्णयपर भेजा गया था।

१ इस तारपर ४ मई, १९१३ की तारीख पड़ी है, और अनुमानत इसका मसविदा भी गाधीजीने ही तैयार किया था। इसके नीचे दी गई सामग्री **इडियन ओपिनियन**में सम्पादकीय "टिप्पणी" के रूपमें प्रकाशित की गई थी।

इनमे से अधिकतर महिलाओने यह विचार दृढतापूर्वक प्रकट किया है कि यदि सरकार उनकी प्राथना स्वीकार न करेगी तो वे जेल जायेगी। 'इडियन ओपिनियन' के पाठकोको यह बात ज्ञात है कि सघकी अवैतनिक मन्त्री (कुमारी सोजा श्लेसिन) भारतीय नही बल्कि यूरोपीय है। वे हमारे साथ बहुत समयसे काम कर रही है। वे इस प्रकार दक्षिण आफ्रिकाके अधिकाश यूरोपीयोके एशियाई-विरोधी विद्वेषके विरुद्ध अपनी आपत्ति प्रकट कर रही है। वे भारतीय महिला सघके अवैतनिक मन्त्रीका काम उसकी स्थापनाके दिनसे ही कर रही है। कुमारी श्लेसिनको इस कायसे प्रेम हे, किन्तु उन्हे अपना यह पद अच्छा नही लगता। उनका खयाल है कि इस पदको किसी भारतीय महिलाको सँभालना चाहिए। किन्तु वे यह भी मानती है कि उनकी भारतीय बहिनोको अग्रेजी भाषाका और दक्षिण आफ्रिकाकी राजनीतिका उतना ज्ञान नही है जितना उक्त सस्थाके, जिसका मार्ग-दशन और जिसकी सेवा वे स्वय इतने दिनोसे करती रही है, मन्त्रीको होना आवश्यक है। कुमारी श्लेसिन जो काम कर रही है उसकी योग्यता उन्होने श्री गाधीके कार्यालयमे रहनेसे और इस प्रकार सन १९०६ मे सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ होनेके दिनसे ही, उस आन्दोलनके निकट सम्पर्कमे आनेसे, प्राप्त कर ली है। कुमारी श्लेसिन, दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोके हिताथ काम करनेवाले यूरोपीय काय-कर्ताओके समान यह सिद्ध करती है कि मानव-प्रकृति समान है, चाहे मनुष्यकी चमडी गेहुँआ हो या गोरी, और दक्षिण आफ्रिका भी तटस्थ लोगोसे रहित नही है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३

४८. स्त्रियोका प्रस्ताव

विवाहके जिस सवालने पिछले कई सप्ताहोसे हमारे देशभाइयोको आन्दोलित कर रखा है, उसके सम्बन्धमे जोहानिसबगकी भारतीय स्त्रियो द्वारा पास किया गया महत्त्वपूण प्रस्ताव सत्याग्रह आन्दोलनमे एक नये मोडकी ओर सकेत करता हे। यह प्रस्ताव श्री फिशरको बाकायदा तार[१] द्वारा भेजा जा चुका है, और यदि मन्त्री महोदय अब भी सर्ले-निणयसे उत्पन्न शिकायतकी आग्रहपूर्वक उपेक्षा करे तो अब यह जान-बूझकर किया गया कहलायेगा। वे विश्वास करे कि भारतीय स्त्रियाँ जेल जानेको लालायित नही है, और न समाजके पुरुष अपनी स्त्रियोकी जेल-यात्राकी सम्भावनाको शान्ति-भावसे देखते है। इसलिए, यदि भारतीय महिलाएँ सत्याग्रह करे तो उनके मनमे निश्चय ही कोई ऐसी शिकायत होनी चाहिए जो, कमसे-कम उनकी निगाहमे, बहुत गम्भीर है। हम अपनी इन वीर बहनोको बधाई देते है, जिन्होने सल-फैसलेके अपमानको स्वीकार करनेकी अपेक्षा सरकारसे युद्ध करनेका साहस किया है। यदि वे अन्ततक अपने निश्चयपर दृढ रही तो अपना, अपनी जन्मभूमिका, और सच पूछिए तो उस

१ देखिए पिछला शीर्षक।

देशका भी, जिसे उन्होने अपनाया है, गौरव बढायेगी।[2] हम जानते है, वे भली भाँति समझती है कि उनके तारका मतलब क्या है।

हम यह भी आशा करते है कि भारतीय समाजके पुरुष सदस्य इस विषयमे अपने कर्तव्यको समझेगे। लडाईको शीघ्र खत्म कर देना ज्यादातर उन्हीके हाथमे है। "अनाक्रामक प्रतिरोधियोकी सख्या जितनी ही अधिक होगी उतनी ही जल्दी लडाई खत्म होगी," यह बात गणितके सिद्ध सूत्रके समान है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३

४९. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१९]

२ जल-चिकित्सा

हवा अपना काम अदृश्य रूपसे करती है। अत हवाके उपचारोकी खूबियोको हम समुचित रूपसे नही परख सकते। पर जलका कार्य और उसका परिणाम तो हम देख ही सकते है। इस प्रकार इस चिकित्साकी खूबियाँ जल्दी नजर आ जाती है।

भापके द्वारा जल-चिकित्सा होती है, यह थोडा-बहुत सभी जानते है। बुखारमे बीमारको भाप दी जाती है। सिरका शूल यदि अत्यन्त तीव्र हो तो भाप देनेसे वह अनेक बार मिट जाता है। सधिवातसे यदि जोड अकड गये हो और बीमारको झटपट राहत देनी हो तो उसे वाष्प-स्नान देकर फिर तुरन्त ही ठडे जलसे नहलानेसे बडा लाभ होगा। शरीरमे यदि इतने फोडे हो गये हो कि मरहम लगाना या पुलटिस बाँधना सम्भव न हो तो भाप दी जानेपर फोडोका तनाव एकदम कम पड जाता है।

अत्यन्त थका हुआ व्यक्ति यदि भापसे अथवा गरम पानीसे स्नान करके उसी समय ठडे पानीसे नहा ले तो उसका शरीर हलका हो जायेगा और थकावट दूर हो जायेगी। जिस मनुष्यको नीद न आती हो वह भाप लेकर ठडे पानीसे स्नान कर ले और खुली हवामे सो जाये, तो सम्भवतया उसे जल्दी ही नीद आ जायेगी।

भापका जहाँ-जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्राय गरम पानीका भी प्रयोग किया जा सकता है। अत भाप और गरम पानीके बीच कोई भेद करनेकी जरूरत नही है। यदि पेटका दर्द हो तो पेटपर गरम पानीका सेंक करनेसे उसी क्षण आराम होगा। खूब उबलता हुआ पानी शीशीमे या हाडीमे भरकर और पेटपर मोटा कपडा रखकर सेक किया जा सकता है। अनेक बार कै करनेकी जरूरत होती है। खूब गरम पानी पीनेसे भी उल्टी हो जाती है। जिस मनुष्यको कब्ज रहती हो, वह यदि सोते समय और प्रात काल उठकर मुँह धोनेके बाद गर्म पानी पी ले तो सम्भव है, कब्ज दूर हो जाये। सर गॉडन स्प्रिगका, जो किसी समय केपके प्रधान थे, बडा अच्छा स्वास्थ्य था। किसीने उनसे पूछा कि इसका रहस्य क्या है? उन्होने इसका जवाब

२ इन अग्रगामी महिला सत्याग्रहियोंने अपना कर्तव्य किस प्रकार पूरा किया, इसके लिए देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय ४० ।

देते हुए कहा कि मै सोते समय एक प्याला और सबेरे उठनेपर भी एक प्याला गरम जल पीता हूँ, उसीसे मेरी ऐसी अच्छी तन्दुरुस्ती है। कई लोगोको चाय पीनेके बाद ही हाजत होती है। अज्ञानवश ये लोग समझते है कि इसका कारण चाय है। परन्तु सच देखा जाये तो चाय तो नुकसान करती है, कारण तो वह गरम पानी है जो चायके साथ है।

भाप लेनेके लिए खास ढगकी चौखट होती है, किन्तु साधारण रूपसे उसकी जरूरत नही होती। बेतकी एक कुर्सी या लकडीका स्टूल ले लिया जाये और उसके नीचे स्पिरिट या मिट्टीके तेलका चूल्हा या जलते हुए कोयले या लकडीकी सिगडी रख ली जाये। इसपर एक छोटा भगौना पानी भरकर रखा जाये और उसका मुँह ढक दिया जाये। कुर्सीपर एक कम्बल या लटकती चादर डाल दी जाये। यह वस्त्र सामनेके हिस्सेकी ओर इस प्रकार ढँका रहे कि बीमार सिगडी या भापसे जलने न पाये। फिर बीमारको कुर्सीपर बिठा दीजिए और उसके चारो ओर खादीका मोटा कपडा या कम्बल लपेट दीजिए। अब भगौनेका ढक्कन हटा दीजिए, ताकि बीमारको भाप लगने लगे। हम लोगोमे तो बीमारका सिर भी ढक देनेका रिवाज है, किन्तु ऐसा करनेकी आवश्यकता नही है। शरीरमे जो गरमी आने लगती है वह सिर तक चढ जाती है और चेहरे-पर पसीनेकी बूदे झलक उठती है। यदि बीमारकी ऐसी हालत है कि वह उठ नही सकता तो उसे बेतके या लोहेके पलगपर लिटाकर भाप दी जाये। यदि इस प्रकार भाप दी जाये तो भी कम्बलोको इस ढगसे रखा जाये कि भाप या गरमी बाहर न निकल जाये। इस बातकी सावधानी तो बराबर रखनी ही चाहिए कि बीमार कही जल न जाये, और न कम्बल आदि वस्त्र ही जल पाये। यदि बीमारकी हालत बहुत नाजुक हो तो उसे भाप देते समय थोडा विचार कर लेना चाहिए। भाप देनेमे जिस प्रकार फायदे है, वैसे ही नुकसान भी है। भाप लेनेके बाद मनुष्य सदैव निबल हो जाता है। यद्यपि यह निबलता अधिक देर तक नही टिकती, पर यदि कोई सदैव भाप लेनेकी आदत रखे तो वह मनुष्य अवश्य ही दुबला हो जाता है, अत भापका प्रयोग अत्यन्त सावधानीपूवक किया जाना चाहिए। शरीरके किसी खास भागमे भी भाप दी जा सकती है, जैसे, यदि सिर दर्द कर रहा हो तो सारे शरीरको भाप देनेकी जरूरत नही। केवल एक सँकरे मुँहकी हाडी या केटलीमे पानीको उबाला जाये और उसपर सिर रखकर उसे कपडेसे आधा ढक दिया जाये जिससे नथुनोंसे होकर भाप सिरमे चढ सके। यदि नाक बन्द हो गई हो तो इस प्रकार भाप लेनेसे झट खुल जाती है। यदि शरीरके अमुक भागमे सूजन हो तो उतने ही हिस्सेको भाप दी जाये।

साधारण रूपसे गरम पानी और भापके इन लाभोके बारेमे अनेक लोग जानते है, किन्तु शीतल जलके फायदे जाननेवाले बहुत थोडे लोग देखनेमे आते है। ठडे जलमें जो लाभदायक परिणाम है वे गर्म जलमे नही है। ठडे पानीका परिणाम हमारे लिए प्राय शक्ति प्रदान करनेवाला होता है, यह कहा जा सकता है। ठडे जलका उपचार तो निर्बलसे-निर्बल मनुष्यके लिए भी किया जा सकता है। बुखारपर, शीतलाके लिए, फोडा-फुसी आदि चर्म-रोगोके लिए पानीमे भीगी चादर लपेटनेका इलाज तो अक्सीर ही है। उसका परिणाम लगभग चमत्कारिक होता है। और इसकी आजमाइश तो

कोई भी व्यक्ति, बिना किसी जोखिमके, कर सकता है। मनुष्यको यदि चक्कर आया हो, सन्निपात हो गया हो तो ऐसे समयमे बफकी पट्टी सिरपर रखनेसे बीमारको राहत मिलती है। जिसे कब्जकी शिकायत रहती हो, ऐसे मनुष्यके पेटपर यदि बर्फसे भीगा कपडा लपेटा जाये तो पेट साफ हो जानेकी सम्भावना है। जिस मनुष्यको वीयपातकी बीमारी हो वह यदि अपने पेडपर रोज ठडे पानीकी पट्टी बाँधकर सोये तो अनेक बार लाभ होता है। शरीरके किसी भी भागसे खून गिरता हो तो उस स्थानपर बफके पानीकी पट्टी रखी जानेपर खून गिरना बन्द हो जायेगा। जिसे नकसीर फूटती हो, वह यदि लगातार ठडे पानीके छीटे सिरपर दे तो जल्दी ही लाभ होगा। किसीको नाकका कोई रोग हो, जुकाम, कफ हो गया हो, जिसके सिरमे टीस उठती हो, ऐसा मनुष्य यदि दोनो समय नाकमे पानी चढाये तो उसे अत्यन्त लाभ होगा। एक नथुनेको बन्द करके दूसरे नथुनेसे पानी चढाया जा सकता है और तब बन्द किये हुए नथुनेसे उसे निकाला जा सकता है। और दोनो नथुनोसे पानी चढाकर गलेसे भी निकाला जा सकता है। वैसे यदि नाक साफ है और नाकसे चढ़ाया हुआ पानी पेटमे चला जाये तो भी उसमे भयकी कोई बात नही है। नाकमे पानी चढाकर उसे साफ करनेकी आदत बहुत अच्छी है। जिसे इस प्रकार नाकसे पानी खीचनेकी कला न मालूम हो वह पिचकारीके सहारे पानी चढा सकता है। परन्तु दो-चार बार ही प्रयत्न करने पर पानी खीचनेकी यह हिकमत सध जायेगी। इसे सीख लेना प्रत्येक मनुष्यके लिए जरूरी है, क्योकि कई बार ऐसे सहज उपायसे ही सिरकी अनेक व्याधियाँ जल्दी दूर हो जाती है। नाकसे यदि बदबू आती हो तो भी यह इलाज कारगर है। कुछ लोगोकी नाकमें छीछडे पडते है, उसके लिए भी नाकसे पानी लेनेकी यह प्रक्रिया रामबाण है।

अनेक लोग एनिमा लेनेमे हिचकिचाते हैं। कइयोका यह भी कहना है कि इससे शरीर निर्बल पड जाता है। किन्तु यह बिलकुल भ्रम है। एकदम पेट साफ करनेके लिए एनिमासे बढकर दूसरा कोई इलाज नही। ऐसे अनेक रोग है, जिनमे दूसरा कोई इलाज कारगर नही होता, लेकिन एनिमा उस हालतमे भी काम कर जाता है। इससे मल तो एकदम साफ ही हो जाता है, और शरीरमे नया जहर इकट्ठा नही हो पाता। जिसे बादी हो, वायु हो अथवा पेटकी खराबीके कारण और कोई रोग हुआ हो, उसे एनिमा द्वारा पौड-भर पानी लेकर देखना चाहिए। उससे तत्काल ही इत्मीनान हो जायेगा। इस विषयमे एक मनुष्यने एक किताब लिखी है। अनेक उपचार किये जानेके बावजूद यह आदमी बदहजमीसे मुक्त नही हो पाता था। उसका शरीर क्षीण हो चला था और पीला तथा निस्तेज पडता जा रहा था। एनिमा शुरू करनेके बाद उसकी भूख खुली और थोडे ही समयमे उसकी तबीयतमे बहुत सुधार हो गया। कामला-जैसा रोग तो एनिमासे सहज ही नष्ट किया जा सकता है। हमेशा एनिमा लेना पडे तो ठडे जलका ही लेना ठीक होगा। गर्म जलका एनिमा बार बार लेनेसे निर्बलता आ जानेकी सम्भावना है, किन्तु यह दोष एनिमाका नही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३

५०. पत्र . भवानी दयालको

फीनिक्स
नेटाल
१२ मई, १९१३

'इडियन ओपिनियन'
सपादक
एच० एस० एल पोलक

भाईश्री पू भवानी दयाल,[१]

तुम्हारा खत मीला हे। सब तो छापने जैसा नही है। क्योकि उसमे नयी बात या दलील नही है। इसलिये सत्याग्रह पसन्द करनेवाला भाग इ० ओ० मे[२] दिया जावेगा।[३] उसका तरजुमा ईग्लीसमे करना उचित नही लगता है। ईग्रेजी वाचकवगके लिये तुम्हारा लिखान नही है। एक प्रति इ० ओ० का भेज दूंगा।

हिन्दु कोन्फरन्समे अगर 'स्वामी'को[४] निमत्रण भेज देवे या तो यह कोन्फरन्स उसका भी आश्रय लेवे जो उसमे कुछ भी हिस्सा सुज्ञ हिन्दु नही ले सकते है।

मोहनदास गाधीके वदेमातरम्

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७४३) से।
सौजन्य विष्णुदत्त दयाल

१ इडियन यग मेन्स एसोसिएशन (भारतीय युवक सघ) के अध्यक्ष, भवानी दयाल सन्यासीके नामसे बादमें ख्याति प्राप्त करनेवाले प्रसिद्ध आर्य समाजी प्रचारक, जिन्होने प्रवासी भारतीयोके लिए बहुत काम किया। जनवरी २८, १९१४ से लेकर कुछ समय तक उन्होने **इडियन ओपिनियन**के हिन्दी सस्करणका सम्पादन किया।

२ **इडियन ओपिनियन।**

३ यह १७-५-१९१३ के अकमें प्रकाशित किया गया।

४ 'स्वामी' से आशय सम्भवत स्वामी शकरानन्दसे है जो एक आर्यसमाजी प्रचारक थे और १९०८-१० में दक्षिण आफ्रिका गये थे। १९१३ में जब यह पत्र लिखा गया, उस समय भी वे दक्षिण आफ्रिकामें थे। देखिए खण्ड ८ और ९।

५१. पत्र : ड्रूमड चैपलिनको

[फीनिक्स
मई १४, १९१३]

प्रिय श्री चैपलिन,

श्री फिशरका वक्तव्य निश्चय ही अजीब है।[१] साम्राज्य-सरकारने विधेयकके पूरे मसविदेको कदापि न देखा होगा। मेरी रायमे, सघ-सरकारने पहलेकी तरह ही इग्लैडको उसका सार-सक्षेप भेजा होगा, जिसमे विवादास्पद धाराओकी अपनी व्याख्या दी होगी। यदि ऐसा है, तो उसने छल करके साम्राज्य-सरकारकी मजूरी ली है। जो भी हो, मै कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे पत्रमे[२] बताये गये वर्तमान अधिकारोमे से किसी अधिकारमे खलल पडता है और विवाहोके सम्बन्धमे कानूनी स्थिति जैसी सलके निणयसे पूव थी वैसी नही कर दी जाती, तो सत्याग्रह अवश्य फिरसे आरम्भ किया जायेगा और इस बार उसका स्वरूप निश्चय ही व्यापक होगा, अर्थात् यह कि वह ट्रान्सवाल तक सीमित नही रह सकता। आपने शायद यह भी देखा होगा कि विवाहोका प्रश्न तय नही हुआ तो स्त्रियाँ भी सघषमे सक्रिय भाग लेगी। मुझे विश्वास है कि आप इस मामलेमे इस स्पष्ट-लेखनका बुरा नही मानेगे।

मै आपको और यूनियनिस्ट (सघवादी) दलके नेताओको विधेयकके दूसरे वाचनके समय सहानुभूतिपूण भाषण देनेके लिए धन्यवाद देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप और वे, विधेयककी शेष अवस्थाओमे भी वैसे ही जागरूक रहेगे। मेरा तो यही विचार है कि यदि सरकारने हमारी सब माँगे मजूर न की तो सर्वोत्तम हल ट्रान्सवालके कानूनमे सुधार करना ही होगा।

आपका विश्वस्त

गाधीजीके स्वाक्षरोमे म्ल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८१) की फोटो-नकल से।

१ श्री फिशरने प्रवासी प्रतिबधक विधेयकको द्वितीय वाचनके लिए पेश करते हुए इस प्रस्तावित कानूनको तथा एशियाइयोके प्रवेशको रोकनेके लिए बनाये गये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके अय कानूनोसे सही ठहराया था और कहा था कि भारतीयों तथा अय रगदार लोगोके बाहुल्यसे इस देशमें अनेक आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एव राजनीतिक समस्याएँ उठ खड़ी होंगी, क्योकि भारतीय एक भिन्न सभ्यताका प्रतिनिधित्व करते है। विवाह सम्बधी प्रश्नपर उहोने अपना फतवा देते हुए कहा था कि यहाँ तो वे ही विवाह मान्य होंगे जो रोमन डच कानूनके अनुसार तथा दक्षिण आफ्रिकाकी अनुरूप रीतिसे सम्पन्न हों। उहोंने यह भी बताया था कि विधेयकपर साम्राज्य सरकारकी सामान्य स्वीकृति मिल गई है।

२ देखिए "पत्र गृह सचिवको", पृष्ठ २८२९।

५२. द्वितीय वाचन

यूनियनिस्ट (सघवादी) दलके एकमत होकर विरोध करनेपर भी प्रवासी विधेयकका द्वितीय वाचन बिना किसी मत-विभाजनके हो गया। यदि हम बोथा-मन्त्रि-मण्डलके तौर-तरीकोसे परिचित न होते तो परिणाम हमे चकित करनेवाला लगता। माननीय श्री फिशरने यह वादा करके द्वितीय वाचन निर्विघ्न सम्पन्न करा लिया कि विधेयकमे सुधार करनेके लिए विरोधी-दल जो-कुछ सुझाव पेश करेगा, उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, इसके साथ ही उन्होने यह भी कहा था कि इस कानूनके लिए हमे साम्राज्य-सरकारकी सामान्य स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। हम आशा कर सकते है कि समितिके स्तरपर इसपर बडी जोरदार बहस होगी और जबरदस्त सशोधन भी पेश किये जायेगे। किन्तु सम्भव है, इससे हमारा उद्देश्य तनिक भी सिद्ध न हो। अपनी माँगोकी पूर्ण स्वीकृतिके अलावा हम और किसी बातसे सन्तुष्ट नही हो सकते —सो इसलिए नही कि हम समझौता नही चाहते, बल्कि इसलिए कि बातका सम्बन्ध जहाँ जीवन-मरण या सम्मानसे हो, वहाँ समझौतेका कोई सवाल नही उठता। सत्याग्रही प्रतिज्ञाबद्ध है कि वे अपनी माँगोकी पूर्तिके रूपमे कोई ऐसी बात स्वीकार नही करेगे, जिससे वर्तमान अधिकारोको धक्का लगता हो। वे कुछ ऐसी धातुके बने हुए है कि दूसरोके अधिकारोका सौदा करके अपनेको जेल-जीवनके कष्टोसे बचानेकी बात सोच ही नही सकते।

श्री फिशरकी भाषासे यह स्पष्ट है कि वे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोको हमारे विरुद्ध उठ खडा होनेके लिए भडकाना चाहते है और हमे भी सत्याग्रह आन्दोलन चलानेको प्रेरित करना चाहते है। यद्यपि अधिकाश वक्ता विवादमे उनके विधेयकके विरुद्ध बोले और उन्होने श्री फिशरसे सत्याग्रहियोको सन्तुष्ट करनेका अनुरोध किया, फिर भी उन्होने अकारण ही कह डाला कि सत्याग्रह आन्दोलनका खतरा सरकारको "स्पष्ट व्यवहार" पर उतरनेके लिए बाध्य कर सकता है। हम चाहते है कि सरकार स्पष्ट व्यवहारपर उतरे। निश्चय ही हम किसी प्रकारकी सन्दिग्धावस्था नही चाहते, और प्रवासी विधेयकमे सामान्य ढगके नियमोकी वकालत करके हम किसी ऐसी बातको प्रश्रय नही दे रहे है जिसे वाक्-छल कहा जा सके। हम तो इस प्रकार केवल ब्रिटिश सविधानके उस शानदार हिस्सेको बरकरार रखनेकी माँग कर रहे है जो इस बातकी अपेक्षा करता है कि किसी बुरी प्रथाको, वह चाहे कितनी भी प्रचलित हो, कानूनमे स्थान नही दिया जायेगा। लॉर्ड ऍम्टहिलके शब्दोमे, सिद्धान्त अच्छा होना चाहिए, फिर उसपर अमल करनेमे कोई असफल ही क्यो न रहे। सिद्धान्तकी दृष्टिसे सरल रेखा-जैसी कोई चीज नही खीची जा सकती। परन्तु सिफ इसी कारणसे कि हम कोई ऐसी रेखा खीचते है जो सर्वथा सरल न होकर पर्याप्त रूपसे ही सरल है, यह नही माना जा सकता कि हमने वाक्-छलका सहारा लिया, क्योकि इस रेखाको खीचते समय भी हमारे सामने — सिद्धान्त रूपमे ही सही — वही सच्ची परिभाषा थी। अपने सिद्धान्तको

बरकरार रखना अपनी अन्तरात्माके आदेशका पालन करना है, और उसपर पूरी तरह अमल न कर पाना मानव-प्रकृतिकी दुबलताको स्वीकार करना है। इसलिए यदि सरकार ब्रिटिश सविधानके उस सिद्धान्तको ही छोडना चाहती है जिसपर स्वय उसका अस्तित्व निर्भर है तो वह खुशीसे ऐसा करे। उस अवस्थामे "स्पष्ट व्यवहार"से काम लेनेमे वह असमर्थ रहेगी, इतना ही नही बल्कि अपने अस्तित्वकी जडपर भी कुठाराघात करेगी। और सत्याग्रही, जो अब भी उस सविधानकी सुन्दर कल्पनामे अपनी आस्था बनाये हुए है, उसे चरितार्थ करनेके लिए सघष करनेको या उस सघषमे मर मिटनेको तैयार है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-५-१९१३

५३. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२०]

२ जल-चिकित्सा (जारी)

अनेक प्रयोगोके बाद क्यूनी नामक जर्मनने यह खोज की कि रोगो [को दूर करने] के लिए जलके कुछ विशेष प्रकारके उपचार बढियासे-बढिया इलाज है। इस विषयपर उनकी पुस्तकोका अनेक भाषाओमे अनुवाद हो चुका है। भारतमे भी उसके अनुवाद हो चुके है। उसकी मान्यता यह है कि सारे रोगोका मूल पेट है। यदि पेटमे [अनावश्यक] गर्मी हो तो बाहर शरीरमे फोडे, वात या अन्य प्रकारके रोग फूट निकलते है अथवा बुखारके रूपमे बाहर निकलकर वह गर्मी सारे शरीरको उत्तप्त कर देती है। क्यूनीसे पूर्वके लेखकोने भी जल-चिकित्साके सम्बन्धमे बहुत लिखा है। 'जलके उपचार' नामक एक बहुत ही पुरानी पुस्तक भी है। पर क्यूनीके पूर्ववर्ती किसी [चिकित्सक]ने भी रोगकी एकतापर इतना जोर नही दिया। सम्पूर्ण रोगोकी उत्पत्ति पेटके जरिये होती है, यह किसीने नही बताया। क्यूनीकी मान्यता पूरी तरह सही है, यह मान लेना हमारे लिए आवश्यक नही है और न इस सम्बन्धमे अधिक ऊहापोहमे पडना ही जरूरी है। पर इतना तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि अनेक रोगोके सम्बन्धमे क्यूनीके विचार और उपचार कारगर उतरते है। ऐसा हजारो लोगोका अनुभव है। डर्बनके मजिस्ट्रेट स्व० श्री ट्राइटनको धनुर्वात हो गया था। वे अपग बन चुके थे। उन्होने अनेक डॉक्टरोसे इलाज करवाया। किन्तु उन सबमे असफल होनेपर उन्हे किसीने क्यूनीके पास जानेकी सलाह दी। वहाँ जाकर वे रोगमुक्त हुए और फिर अनेक वर्षों तक डर्बनमे रहे। वे सदैव लोगोको क्यूनीके उपचारोको आजमाकर देखनेकी सलाह दिया करते थे। नेटालमे स्वीटवाटर्स नामक स्टेशनके पास क्यूनीके उपचारोका प्रयोग करनेवाली सस्था भी है। यह तो उसके प्रसारका एक छोटा-सा उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण देखनेमे आते है।

क्यूनीका कथन है कि पेटका दाह पेटको ठडक पहुँचानेसे ही ठीक होगा। और उसके लिए वे बतलाते है कि पेट और उसके आसपासवाले भागोको ठडक मिल सके, इतनी अच्छी तरह ठडे जलसे स्नान (बाथ) लेना चाहिए। इस प्रकारके बाथ सहूलियतके साथ लिये जाये, उसके लिए उन्होने टीनके विशेष प्रकारके टब ईजाद किये है, किन्तु उनके बिना भी हम अपना काम चला सकते है। पुरुष या स्त्रीके कदके अनुसार छत्तीस इचके या उससे कुछ छोटे-बडे टीनके पत्तरके लम्बे और अण्डाकार बतन मिलते है, वे क्यूनीका बाथ लेनेके लिए पर्याप्त है। ऐसे टबमे लगभग पौन हिस्से तक ठडा पानी भर दिया जाये और फिर रोगीको उसमे इस प्रकार बिठा दिया जाये कि उसके पैर बाहरकी ओर एक तिपाईपर रहे और धड पानीके बाहर रहे — सिर्फ उसकी नाभिसे लेकर जाघो तक का भाग ही जलमे रहे। रोगीको जलमे एकदम नग्न होकर ही बैठना चाहिए। यदि उसे ठड लगने लगे तो पैरो और सरपर कम्बल ओढा देना चाहिए। वह कमीज आदि भी पहने रह सकता है और उसे पानीके बाहर ही रखा जा सकता है। यह बाथ ऐसे कमरेमे लेना चाहिए जहाँ उजाला, हवा और धूप आती हो तथा बाथ लेते समय भी आ रही हो। टबमे बैठ जानेपर रोगी पानीके भीतर ही एक खुरदरा तौलिया पेडूपर हलके हाथसे फेरता रहे अथवा किसी दूसरेसे फिरवाये। इस प्रकार यह बाथ पाँच मिनटसे लेकर तीस मिनट या उससे भी अधिक समय तक लिया जा सकता है। ऐसे बाथसे अनेक बार तत्काल लाभ होता है। रोगीको यदि बादी हो तो उसे एकदम अपानवायु छटने लगती है या डकारे आने लगती है। यदि बुखार हो तो पाँच मिनट बाथ लेनेके बाद ही थर्मामीटरका पारा एक-दो या अधिक डिग्री तक अवश्य नीचे उतर आता है। इससे पाखाना भी साफ होगा। थका हुआ हो तो उसकी थकावट उतर जायेगी। जिसे नीद बिलकुल ही न आती हो उसका मस्तिष्क शान्त हो जायेगा और उसे नीद आ जायेगी। जिसे तन्द्रा हो वह सजग हो जायेगा और उसमे चेतनता व्याप्त होगी। यो ऊपरी तौरसे देखते हुए इन्हे विरोधी परिणाम कह सकते है, पर कारण ऊपर आ ही चुका है। बडा आलस्य या अधिक जागृति एक ही निमित्तके दो भिन्न परिणाम है — उनके बीच विरोध तो ऊपरी ही है। अतिसार या दस्त और बद्धकोष्ठ या कब्ज — दोनो ही अपचनके परिणाम है। कुछ लोगोको उससे कब्ज हो जाता है तो कुछको पेचिश। इन दोनोपर ही टब-बाथका बडा हितकर परिणाम होता है। बवासीर जैसा अत्यन्त पुराना रोग भी इस प्रकारके कटि-स्नानसे और इसीके साथ खुराक-सम्बन्धी उपचारोंसे मिट सकता है। मुँहसे यदि लार बहती हो तो इस उपचारके शुरू करनेसे यह शिकायत दूर हो सकती है। निर्बल मनुष्य कटि-स्नान लेनेसे सशक्त हो जाता है। कइयोका सधिवात इससे मिट चुका है। रक्तस्रावके लिए यह बाथ बहुत लाभदायक है। इसी प्रकार रक्त-विकारमे भी उपयोगी है। जिसका सर दर्द करता हो वह यह बाथ ले तो उसका सरदद एकदम हलका पड जायेगा। स्वय क्यूनी तो इस बाथको कैसर-जैसे भयकर रोगोमे भी अमूल्य मानते है। गभवती स्त्री यदि यह बाथ ले तो उसे प्रसूतिके समय बहुत कम वेदना होगी। यह बाथ बालक, बूढा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी ले सकते है।

इसके सिवा बाथ लेनेका एक दूसरा तरीका भी है, जो अनेक रोगोके लिए अक्सीर इलाज है। इसे "वेट शीट पैक" कहा जाता है। इसका भाषानुवाद होगा "गीली चादरकी लपेट"। इसे लेनेका तरीका इस प्रकार है। मनुष्य सीधा सो सके, इतना लम्बा एक टेबल या तख्त, जहाँतक हो सके, खुली हवामे रखे। इसपर चार कम्बल या हवाकी तेजीके अनुसार कम अधिक कम्बल लटकाकर बिछा दिये जाये। इनपर ठडे पानीमे भिगोकर निचोडे हुए गाढे मोटे खादीके स्वच्छ वस्त्र बिछा दिये जाये। सिरहाने कम्बलके नीचे एक तकिया रहे। अब रोगी अपने सारे कपडे उतार दे। यदि उसे कमरपर कोई छोटा-सा रूमाल या कपडा लपेटना हो तो लपेट सकता है। उपर्युक्त ढगसे तैयार की गई चादरपर उसे चित्त लिटाइए। दोनो हाथ बगलमे रहे और दोनो ओरसे चादर और कम्बल उसके शरीरपर, एकपर एक लपेट दिये जाये। पैरोकी ओरका हिस्सा पैरोपर बराबर लिपटा रहे। यदि धूप हो तो रोगीके मुँह और सरपर भीगा रूमाल लपेट दिया जाये। नाक हर हालतमे खुली रखे। रोगी एक क्षणके लिए तो सिहर उठेगा, परन्तु तुरन्त ही बडा आराम और शरीरको भली लगनेवाली उष्मा भी महसूस करेगा। इस स्थितिमे रोगी ५ मिनटसे लेकर एक घटे तक या अधिक भी रह सकता है। अन्तमे उसे इतनी अधिक गरमी लगने लगती है कि उसे पसीना छूटने लगता है। अनेक बार तो रोगीको इसी हालतमे नीद आ जाती है। रोगीको जब गीली चादरसे बाहर निकाला जाये तो उसे ठडे जलसे नहला देना चाहिए। चमडीके तो अनेक रोगोपर यह मुफीद इलाज है। खुजली, दाद, फुसियाँ, पित्ती, शीतला या साधारण फोडे और बुखार आदिमे यह "चादर लपेट" बडा काम करती है। शीतला कैसी भी भयकर क्यो न हो, इस इलाजसे प्राय जाती रहती है। फोडे हुए हो तो एक या दो बाथ लेनेसे ही वे भी अच्छे हो जाते है। इस बाथको लेने लिवानेकी प्रक्रिया बडी सरलतासे सीखी जा सकती है। और सभी अपने व्यक्तिगत अनुभवसे इसकी उपयोगिता आँक सकते है। यह बाथ लेनेपर चादरमे रोगीकी चमडीका सारा मैल उतर आता है, अत एक बार उबलते हुए पानीमे धोये बिना उसे अन्य किसी रोगी व्यक्तिके लिए कदापि काममे नही लाना चाहिए।

अन्तमे जलके इन उपचारोके सम्बन्धमे इतना याद रखना जरूरी है कि यदि केवल बाथ ही लिये जाये और खुराक या कसरत आदिका ध्यान न रखा जाये तो सम्भव है, उससे सम्पूर्ण या कोई भी लाभ न हो। सधिवातवाला मनुष्य क्यूनीका बाथ या चादर लपेट तो ले किन्तु जो नही लेना चाहिए ऐसी खुराक लेता रहे, खुली हवाका सेवन न करे, गन्दगीमे ही पडा रहे और शरीरको व्यायाम न दे, तो वह अकेले स्नानसे आराम नही पा सकेगा। जलका यह उपचार स्वास्थ्यके दूसरे सारे नियमोका पालन करनेके साथ ही सहायक हो सकता है। यदि अन्य नियमोका भी साथ-ही-साथ पालन किया जाये तो पानीके इस उपचारसे रोगी बडी तेजीसे अच्छा होने लगता है, इसमे जरा भी सन्देह नही है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७-५-१९१३

५४. पत्र : गृह-सचिवको[1]

[फीनिक्स
मई १९, १९१३][2]

महोदय,

मेरे पिछले माहकी ३० तारीखके पत्रके उत्तरमे भेजा गया आपका इसी ६ तारीखका कृपा-पत्र प्राप्त हुआ।

मै देखता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय सत्याग्रहके उल्लेख-मात्रसे बुरा मानते है।[3] मुझे दुख है, किन्तु उसका उल्लेख तथ्य बतानेके लिए अनिवार्य था। धमकी देनेकी कदापि कोई इच्छा नही थी। सत्याग्रहका पुनरारम्भ कोई धमकी नही है, बल्कि एक निश्चित बात है, लेकिन तभी जब दुर्भाग्यवश सरकार वर्तमान माननीय मन्त्रीके पूर्ववर्ती द्वारा दिये गये पवित्र वचनको पूरा करना असम्भव समझे या वह उसके लिए अनिच्छुक हो। वचन सरकारकी ओरसे दिया गया था और पिछले साल उसने उसे दुहराया भी था। सघ द्वारा उठाया गया प्रत्येक मुद्दा अस्थायी समझौतेकी शर्तोंसे पैदा है। इसके अलावा, मै यह कहनेके लिए विवश हूँ कि मेरा सघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उसको प्रभावित करनेवाले वतमान कानूनोको अमलमे लानेके मामलेमे सरकारने अबतक जो नीति अपनाई है वह नीति आपके पत्रमे व्यक्त इस समाजके प्रति सर्वथा न्यायपूण व्यवहार करनेकी "इच्छा" के बिलकुल विपरीत है। जो पत्नियाँ दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले अपने पतियोके पास या जो बच्चे यहाँ रहनेवाले अपने माता-पिताओके पास पहुँचना चाहते है, उनके साथ, तथा, जैसा कि नेटालमे होता है, जो लोग अपने पूर्व-निवासके आधारपर पुन-प्रवेश करना चाहते है या, जैसा कि केपमे होता है, जो लोग अपने अनुपस्थितिके अनुमतिपत्रोमे उल्लिखित अवधिके समाप्त हो जानेपर पुन-प्रवेश करनेकी कोशिश करते है या जो ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेके लिए अस्थायी अनुमतिपत्र चाहते है, उन सबके प्रति जो व्यवहार किया जाता है वह मेरे देशवासियोके विचारमे न केवल अनुचित है, बल्कि कठोर और अन्यायपूर्ण भी है। यहाँ यह भी कह दिया जाये कि यदि ट्रान्सवालमे भारतीय समाजका अस्तित्व स्वण-कानून और कस्बा-कानूनके सम्मिलित प्रभावके बावजूद मिट नही गया है तो इसका श्रेय सर्वोच्च न्यायालयको है, न कि सरकारको, जिसने अत्यन्त अनुदारतापूर्वक इन कानूनोका

१ यह पत्र श्री अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षरोंसे भेजा गया था।

२ मूल मसविदेपर कोई तारीख नही है। लेकिन **इंडियन ओपिनियन**में पत्रकी यही तिथि बताई गई है। पूरा पत्र व्यवहार **इंडियन ओपिनियन** के २४-५-१९१३ के अकमें प्रकाशित हुआ था।

३ गृह सचिवने मई ९ को अपने पत्रमें लिखा था "श्री फिशरको इस बातका खेद है कि प्रवासी विधेयकका उल्लेख करते समय आपके सघने तथा अय भारतीय सगठनोंने सत्याग्रह पुन आरम्भ करनेकी धमकी देना उचित समझा।"

ऐसा अर्थ लगानेका प्रयत्न किया जो उनमें निहित ही नही है। विवाह-सम्बन्धी परेशानी भी सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई गई शत्रुतापूर्ण नीतिका ही परिणाम है। वह दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाली प्रार्थीकी एकमात्र पत्नीको अपने पतिके पास आनेकी अनुमति देकर अदालतका निर्णय टाल सकती थी। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यूरोपीय समाज सरकारपर जो भी दबाव डाल सकता है, उसके फलस्वरूप मेरी विनम्र सम्मतिमे, एक सवनाशको छोड दे तो, मेरे समाजपर इससे ज्यादा बडा कोई अत्याचार नही किया जा सकता। और यदि सत्याग्रह अर्थात् मेरे समाजके आत्मपीडनके जबावमे ऐसे कदम उठाये जाये कि दक्षिण आफ्रिकामे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाये, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज ऐसी बरबादीको अपने गौरव, धर्म भाव और आत्मसम्मानकी बरबादीके मुकाबले कही ज्यादा पसन्द करेगा।

आपका

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७५५) की फोटो-नकल से।

५५ पत्र : गृह-सचिवको[1]

[फीनिक्स]
मई १९, १९१३

भारतीय विवाहोकी वैधताके बारेमे लिखे गये मेरे गत माहकी १४ तारीखवाले पत्रके[2] उत्तरमे आपका इसी ९ तारीखका कृपापत्र मिला।

हमारी समझमे मेरी समितिने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उसकी माँगमे बहुपत्नीक विवाहका प्रश्न इसलिए नही उठाया गया है, बहुपत्नीक विवाहपर तो स्वय इस प्रश्नके गुण-दोषोके आधारपर विचार किया जा सकता है। सलके फैसलेमे तो भारतीय धर्मोंमे विहित विधियोके अनुसार भारत या दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न हुए विवाहोको ही अमान्य कर दिया गया है। मै माननीय मन्त्री महोदयको सादर सूचित करना चाहता हूँ कि भारतीय धार्मिक सस्कारोमे बहुपत्नीक विवाहका उल्लेख नही आता और सभी भारतीय धर्मोंमे बहुपत्नीक विवाह मान्य भी नही है। मेरा सघ केवल इतनी ही माँग करता है कि प्रमुख भारतीय धर्मोके अनुसार भारत या दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न एक पत्नीक विवाहको सलके फैसलेसे पूर्व जो कानूनी मान्यता प्राप्त थी वह यथावत् प्राप्त रहे। जिस-किसी मामलेमे मेरे किसी देशवासीके एकसे अधिक पत्नियाँ है, अथवा यदि वह एकसे अधिक पत्नी लाता है तो उस मामलेमे भी सरकारने जिस उदारताका वचन दिया है, तबतक उसी उदारतासे काम लिया जाये जबतक ऐसे विवाहोको कानूनी मान्यता देनेका उपयुक्त अवसर उत्पन्न नही हो जाता।

१ यह पत्र अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षरोंसे भेजा गया था।
२ देखिए "पत्र गृह सचिवको", पृष्ठ २५-२६।

मै सविनय आशा करता हूँ कि मेरे सघ द्वारा अपनाई गई स्थिति अब स्पष्ट हो गई होगी।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३

५६. विधेयक

पिछले सोमवारसे समितिमे प्रवासी विधेयककी जैसी प्रगति हुई है उसपर से तो ऐसा जान पडता है कि वह देशका कानून बन जायेगा। श्री फिशरने श्री काछलियाको लिखे अपने असन्तोषजनक पत्रके बावजूद अपने तौर-तरीकोकी गलती समझ ली है। उस पत्रको हम इस अकमे प्रकाशित कर रहे है। वस्तुत उन्होने स्वय ही ऐसे सशोधन पेश किये है जिन्हे पेश करनेकी कोई इच्छा उन्होने अपने तारो तथा अन्य पत्र व्यवहारमे जाहिर नही की थी। इन सशोधनोमे निम्नलिखित बाते शामिल है केप तथा नेटालके कानूनोके अन्तगत आन्तरप्रान्तीय प्रवासके जो वतमान अधिकार है उनकी बहाली तथा स्थायी रूपसे यहाँ बसे हुए भारतीयोके तीन वषकी अनुपस्थितिके बाद भी लौटनेके जिस अधिकारपर बन आई है, उसकी स्थापना। सशोधनोका ठीक-ठीक असर क्या पडेगा, यह कहना तबतक असम्भव है जबतक कि उसका पूरा मसविदा हमारे सामने न हो।

श्री अलेक्जैडर, रग-द्वेषके कारण जो मसले लोक अप्रिय तथा उपेक्षित रहे है उनके समथनमे नि स्वार्थ-भाव और पूरे उत्साहसे आवाज उठाते रहे है। उन्होने एक औचित्यपूण सशोधन पेश किया जिससे विवाह कानून-सम्बन्धी हमारी मागकी कदाचित पूर्ति हो जाती, पर उन्हे मन्त्री-महोदयसे सदिग्ध और भ्रम पैदा करनेवाला उत्तर मिला। श्री चैपलिनने एक सुविचारित भाषण द्वारा श्री अलेक्जैडरका समथन किया। मन्त्री-महोदयने यह कहकर सदस्योकी आखोमे धूल झोक दी कि चूकि हम लोग दक्षिण आफ्रिकामे बहुपत्नीक विवाहको मान्य कराना चाहते है इसलिए हमने विवाह-अधिकारीको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया है। यह पूण रूपसे स्पष्ट हो गया है कि सल-निणयके द्वारा प्रत्येक गैरईसाई भारतीय विवाहको, यदि उसका पजीयन न कराया गया हो तो, अवैध करार दिया गया है। विवाह-अधिकारीकी नियुक्तिसे यह समस्या दूर नही होगी, हाँ, यदि भारतीयोसे यह अपेक्षा की जाती हो कि वे वतमान विवाहोका पजीयन कराये और इस प्रकार प्रकारान्तरसे स्वीकार करे कि पजीयनसे पूव ये विवाह अवैध थे तब तो बात दूसरी है। और यह एक ऐसी अपमानजनक स्थिति है जिसे कोई भी भारतीय स्वीकार नही करेगा। इस नियुक्तिसे भारतसे आनेवाली पत्नियोकी दिक्कते भी दूर नही होती। यूरोपीय विवाह यूरोपमे कैसे सम्पादित हुए है, इसकी परवाह न करते हुए उन्हे कानूनी मान्यता देनेकी व्यवस्था निम्नलिखित रूपसे की गई

> **ऐसे सब विवाह, जो इस राज्यके बाहर ऐसे लोगोके बीच हुए हो जिनमें से एक या दोनो विवाहके समय इस राज्यके निवासी न हो, मान्य होगे और इस**

> **राज्यमें भी उसी प्रकार वैध माने जायेंगे जिस प्रकार उस देशमें माने जाते हैं जहाँ वे सम्पन्न हुए हो। और यदि किसी वारिस या अन्य सम्बद्ध पक्षो द्वारा ऐसे विवाहोकी वैधतापर एतराज किया जाये तो किसी भी अदालतमें उक्त विवाहकी पजियो या प्रमाण-पत्रोको पेश करके, बशर्ते कि उस देशमें ऐसे पजियोको रखने या प्रमाणपत्र देनेकी प्रथा हो, अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश करके या गवाहो द्वारा, या अन्य सभी साधारण मामलोमें कानून द्वारा मान्य किसी दूसरे प्रमाणको उपस्थित करके उसकी वैधता सिद्ध की जा सकती है।**

और ऐसे विवाहोमे, अनुमान बहुपत्नीक विवाह भी आ सकते है, और वे किसी भी विधिसे सम्पादित हो सकते है। तब फिर यही मान्यता भारतीय विवाहोको क्यो नही दी जानी चाहिए?

फिर, यह स्पष्ट है कि श्री फिशरने जस्टिस गार्डिनरके हालके फैसलेका अध्ययन नही किया है। उस फैसलेके अनुसार कोई भारतीय पत्नी, जबतक उसके विवाहका पजीयन न हुआ हो, अपने पतिके विरुद्ध गवाही देनेकी जिम्मेदारीसे बरी नही है। कमसे कम यहाँ बहुपत्नीक विवाहका सवाल खडा होनेकी कोई आशका भी नही थी। पर तथ्य तो यह हे कि जब श्री फिशरको किसी अटपटी स्थितिका सामना करना पडता है तब उन्हे किसी भी तरह सदनको धोखेमे डालनेमे सकोच नही होता।

प्रवासी विधेयक इस समय समितिके विचाराधीन हे, हो सकता है, वह वहासे ऐसे रूपमे बाहर आये जिससे हमारी विवाह सम्बन्धी माँगको छोडकर अन्य सब माँगोकी पूर्ति हो जाये। श्री फिशर विवाहवाली कठिनाईको प्रशासनिक रूपमे हल करना चाहते हैं। 'नेटाल मर्क्युरी' के ससदीय सवाददाताके शब्दोमे, "प्रशासनिक समाधानके खिलाफ एतराज यह है कि उसके अधीन किसी अधिवासी भारतीयको बाहरसे पत्नी लानेका स्वाभाविक अधिकार, अधिकार न रहकर सरकारकी मेहरबानीका रूप ग्रहण कर लेगा — और वह मेहरबानी भी एक अधिकारीके विवेक और उसकी सनकपर निभर करेगी।" हम श्री फिशरको चेतावनी देते है कि यदि यह एक सवाल भी बिना हल किये छोड दिया गया तो सत्याग्रहका पुन आरम्भ किया जाना निश्चित है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–५–१९१३

५७ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२१]

३ मिट्टीका इलाज

हमने जल-चिकित्साके सम्बन्धमे थोडी जानकारी हासिल की। जलके इन उपचारोकी अपेक्षा मिट्टीका इलाज अनेक बातोमे अधिक चमत्कारपूर्ण पाया गया है। अपने शरीरका एक बडा भाग मिट्टीका ही बना हुआ है। अत मिट्टीका हमपर असर हो, इसमे आश्चयकी कोई बात नही है। मिट्टीको प्राय सभी लोग पवित्र मानते है। दुर्गंधको दूर करनेके लिए हम मिट्टीसे जमीन लीपते है, सडाँधपर मिट्टी डालते है। यदि हाथ गदे हो तो मिट्टीसे धोकर पवित्र करते है, और गुह्य भागोको भी मिट्टीसे धोते है। साधु-सन्यासी तो शरीरपर मिट्टीका लेप ही किये रहते है। इस देशके आदिवासी फोडे-फुसियोपर मिट्टीका उपयोग करते है। पानीको साफ करनेके लिए भी हम उसे रेती या मिट्टीसे निथारते है। अन्तमे मुर्दे भी मिट्टीमे दफनाये जाते है ताकि हवा खराब न होने पाये। मिट्टीकी ऐसी जग-जाहिर महिमा हम प्रत्यक्ष देखते रहते है, और इसके आधारपर हम मोटे तौरपर अनुमान लगा सकते है कि मिट्टीमे अनेक विशेषताएँ और उत्तम गुणोकी सम्भावना है।

क्यूनीने जिस प्रकार जलके सम्बन्धमे बडे चिन्तनके बाद बहुत-कुछ उपयोगी साहित्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार जुस्ट नामक एक जर्मनने मिट्टीके सम्बन्धमे लिखा है। वे तो यहाँ तक कहते है मिट्टीके उपचारसे असाध्य रोग भी मिट सकते है। उन्होने लिखा है कि एक बार उनके पासके एक गावमे किसी मनुष्यको साँपने काट लिया। कई लोगोने तो उसे मरा हुआ ही मान लिया, पर गाँवके किसी व्यक्ति-ने जुस्टकी सलाह लेनेको कहा। और, लोगोने उनकी सलाह ली। जुस्टने उस मनुष्यको मिट्टीमे दबा दिया और थोडी देरमे उसे होश आ गया। यह घटना असम्भव नही हो सकती। कोई कारण नही है कि जुस्ट गलत बात लिखे। मिट्टीमे दबानेसे बहुत-सी गर्मी मिट्टीने खीच ली होगी, यह तो स्पष्ट ही है। और मिट्टीमे रहनेवाले अनेक अदृश्य कीटाणुओने शरीरपर क्या कार्य किया होगा, इसे जान सकनेका तो हमारे पास कोई साधन नही है। पर यह तो प्रतीत होता है कि मिट्टीमे जहर आदिको सोख लेनेकी शक्ति है। फिर भी कहनेका यह हेतु नही है कि चूकि जुस्टने लिखा है, इसलिए सर्पदशवाले सभी लोग मिट्टीके उपचारसे उठ खडे होगे। पर ऐसे प्रसग-पर मिट्टीका उपचार किया जाना जरूरी है। बर्र या बिच्छू आदिके डकपर मिट्टीका प्रयोग करनेकी बात अधिक ग्राह्य होगी। इनके दशपर तो मैने स्वय भी आजमाइश की है और उससे तत्काल आराम होता जान पडा है। ऐसे मौकेपर ठडे जलमे भिगोकर मिट्टीका गाढा-गाढा लेप कर दिया जाता है और उसपर पट्टी बाँध दी जाती है।

नीचे दिये जा रहे उदाहरण मेरे व्यक्तिगत अनुभवपर आधारित है। पेटकी मरोडमे पेटपर मिट्टीका लेप बाँधनेसे मरोड दो-तीन दिनमे ही चली गई है। सरके दर्दमे भी मिट्टीकी पट्टी रखनेसे तत्काल आराम हुआ है। आँखोमे ककर चलता हो

तो आँखोपर मिट्टीकी पट्टीसे वह बैठ जाता है। यदि मूढ मार लगी हो और सूजन आ गई हो तो इससे सूजन समाप्त हो जाती है। मै स्वय अनेक वर्षों तक फ्रूटसॉल्ट आदि लेता था और तभी स्वस्थ रह पाता था। सन् १९०४मे मिट्टीके अक्सीर गुणका मुझे पता चला। तबसे मैंने फ्रूटसॉल्ट आदि जो छोडा सो फिर किसी दिन नही लेना पडा। जिसे बद्धकोष्ठ रहता हो उसके लिए तो पेडूपर मिट्टीकी पट्टी बडी गुणकारी सिद्ध होती है। पेटमे यदि दर्द हो तो मिट्टीकी पट्टी बाँधनेसे वह कम हो जाता है। अतिसार भी मिट्टी बॉधनेसे ठीक हो जाता है। तेज बुखारवालेके पेडू और सरपर यदि मिट्टीकी पट्टी बॉधी जाये तो उसका बुखार एक-दो घटेमे ही कम हो जायेगा। फोडे, खुजली और दाद आदिपर मिट्टीके लेपका अनेक बार बहुत अच्छा असर होता है। फोडोसे मवाद निकल जानेके बाद मिट्टीके उपयोगसे अधिक लाभ देखनेमे नही आता। आगसे जले हुए स्थानपर तुरन्त मिट्टीका लेप लगा देनेसे जलन कम पड जाती है और छाला नही उठ पाता। बवासीरवालेको भी मिट्टीकी पट्टीसे लाभ होता है। बरफ पडनेके कारण अनेक बार हाथ-पॉव लाल सुख हो जाते है और उनपर सूजन आ जाती है। इनपर तो मिट्टीकी पट्टी अपना असर किये बिना नही रहती। एक्जिमापर भी मिट्टी गुणकारी साबित हुई है और शरीरके जोडोके ददमे मिट्टीके प्रयोगसे तुरन्त फायदा होता है।

इस प्रकार मिट्टीके अनेक अनुभूत प्रयोगोके आधारपर मैने घरेलू उपचारके तौरपर मिट्टीको एक अमूल्य वस्तु पाया है।

यह बात नही है कि सभी प्रकारकी मिट्टी एक-सा गुण करनेवाली हो। लाल मिट्टी अधिक गुणकारी साबित हुई है। मिट्टी हमेशा अच्छे स्थानसे ही खोद कर लेनी चाहिए। जिस मिट्टीमे गोबर आदि मिला हो उसे काममे नही लेना चाहिए। मिट्टी अधिक चिकनी भी नही होनी चाहिए। कुछ चिकनी और कुछ दरदरी मिट्टी ही अच्छी होती है। उसमे घास-फूस, जडे आदि नही होनी चाहिए। अनेक बार मिट्टीको बारीक छलनीसे छान लेना उपयोगी होता है। मिट्टी हमेशा ठडे पानीमे ही भिगोई जाये। रोटीके लिए आटा जितना सख्त गूधा जाता है, मिट्टी भी उतनी ही सख्त रखनी चाहिए और ज्यादातर किसी महीन वस्त्रमे बाँधकर जिस हिस्सेपर जरूरत हो, उसपर रखना चाहिए, ध्यान रहे कि वस्त्र फटा न हो। मिट्टीके शरीरपर सूख जानेके पहले उसे हटा लेना चाहिए। साधारण तौरपर एक पट्टी दोसे तीन घटे तक चलती है। एक बार काममे ली गई मिट्टी दुबारा काममे नही ली जानी चाहिए। एक बार काममे लिया हुआ कपडा अवश्य फिरसे धोकर काममे लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसमे पीब आदि न लगा रहे। मिट्टी पेडूपर रखी गई हो तो पट्टीके ऊपर एक गर्म वस्त्र डालकर उसपर फिर एक पट्टी बाध देनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्यको एक डिब्बेमे मिट्टी भरकर रख लेनी चाहिए जिससे आवश्यकता पडनेपर उसका उपयोग किया जा सके और ऐन वक्त-पर मिट्टीकी तलाश न करनी पडे। बिच्छूके डक आदिपर तो मिट्टी जितनी जल्दी रखी जा सके उतना ही शीघ्र लाभ करती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–५–१९१३

५८ तार : ड्रमड चैंपलिन और दूसरोंको

[फीनिक्स
मई २४, १९१३][1]

ड्रमड चैंपलिन
पैट्रिक डकन
सर डेविड हंटर
थियो श्राइनर
माननीय मेरीमैन
मॉरिस अलेक्ज़ैंडर
संसद-भवन
केप टाउन

मन्त्रीका यह वक्तव्य गलत है कि भारतीय बहुपत्नीक-विवाहको कानूनन मान्य करनेकी माँग करते हैं। भारतीयोंकी माँग केवल यह है कि भारत या दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न गैर-ईसाई विवाहोंको कानूनी मान्यता हो। विवाह-अधिकारियोंकी नियुक्तिसे केवल भावी विवाह और सो भी केवल दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न विवाहोंका प्रश्न हल होगा। ट्रान्सवालके १८७१ के विवाह कानूनमें यूरोपमें हुए विवाहोंको, उनका रूप चाहे कुछ भी हो, खास तौरसे मान्यता दी गई है। भारतीय विवाहोंके सम्बन्धमें भी ऐसी व्यवस्थासे काम चल जायेगा। इस तथ्यकी ओर भी ध्यान खींचें कि समितिमें पास संशोधनोंसे १९०६ के केप अधिनियम ३० के खण्ड ४, उपखण्ड 'च,' अनुच्छेद 'क' के अन्तगत दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके केप प्रवेशके अधिकारोंकी रक्षा नहीं होती। उनसे फ्री-स्टेटके सैद्धान्तिक अधिकारकी कठिनाई भी दूर नहीं होती। निवेदन है यदि वर्तमान अधिकारोंमें हेरफेर हुआ या फ्री-स्टेटकी या विवाहोंकी कठिनाई हल नहीं होती तो सत्याग्रह अवश्य होगा।[2]

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८४) की फोटो-नकलसे।

१ गांधीजीने मार्शल कैम्बेलको २४ मईको जो तार भेजा था (देखिए अगला शीर्षक), उससे पता चलता है कि यह तार उसी दिन भेजा गया था।

२ इसके उत्तरमें पैट्रिक डकनने मई २६ को निम्नलिखित तार दिया था "आपका तार मिला। गैर ईसाई भारतीय विवाहोंको कानूनी मान्यता दे देनेपर बहुपत्नीक विवाहोंको कानूनी मान्यता न देना मुश्किल हो जायेगा।"

५९. तार: मार्शल कैम्बेलको

[फीनिक्स]
मई २४, १९१३

सिनेटर माशल कैम्बेल
केप टाउन

आपके तारके लिए धन्यवाद। यदि इस अधिवेशनमे कर हटा दिया जाये तो सरकार अविश्वास और अपयशसे बच जायेगी। इससे भारतीयोके साथ देरसे ही सही न्याय होगा। अलेक्जैडरको तार दिया है कि विवाह-सम्बन्धी सशोधनसे समाधान नही होता। भारतमे तो शायद ही कोई विवाह पजीकृत होता है इसलिए जबतक पजीयनवाली धारा निकाली न जाये तबतक कोई राहत न मिलेगी। अलेक्जैडर भारतीय कानून और रिवाज नही जानते। यदि आपको दिये गये मन्त्री महोदयके आश्वासनका कुछ अर्थ है तो वे निःसन्देह अब भी विधेयकमे ऐसा सशोधन कर देगे जिससे भारतीय विवाह वैध हो जायेगे, दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोका केप प्रवेशका अधिकार बहाल हो जायेगा और उनके जो थोडे-से मौजूदा अधिकार है वे कायम रहेगे। दूसरोके अधिकारोको बेचकर अपने-आपको जेलसे या उससे भी बडे कष्टोसे बचानेके लिए कोई समझौता करनेके लिए तैयार नही। यदि आप सरकारसे न्याय करा सके और उसके वादोको पूरा करा सके तो असहाय लोग आपके कृतज्ञ होगे। कृपया फीनिक्सके पतेपर तार दे।

गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८६) की फोटो-नकल से।

६० तार: पैट्रिक डकनको

[फीनिक्स]
मई २७, १९१३

पैट्रिक डकन
केप टाउन

तारके[1] लिए धन्यवाद। सशोधनसे कानूनमे केवल एक ही पत्नी मान्य की जा सकती है जैसा जस्टिस वेसेल्सने जसातके मामलेमे किया था।

1. देखिए "तार डूमंड चैपलिन और दूसरोको", पृष्ठ ८० तथा इसी पृष्ठपर पाद टिप्पणी २ भी।

मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकृत कलका सशोधन काफी नही, क्योकि इसमे धार्मिक रीतियोसे विवाह करनेके अतिरिक्त पजीयन करानेका भी विधान है। भारतमे विवाहोको दज करानेकी प्रथा नही है।

गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९२)की फोटो-नकलसे।

६१. तार: गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]
मई २७, १९१३

गृह-मन्त्री
केप टाउन

मन्त्री महोदयका ध्यान १८७१के ट्रान्सवाल विवाह कानूनकी ओर दिलाता हूँ जो दक्षिण आफ्रिकाके बाहर सम्पन्न यूरोपीय विवाहको मान्यता देता है चाहे वे किसी विधिसे हुए हो। ऐसी ही व्यवस्थासे भारतीयोकी माँग पूरी हो सकती है। नम्र निवेदन है कि भारतीयोकी माँग बहुपत्नीक-विवाहको कानूनी मान्यता देनेकी नही। जो सशोधन हुए उनसे १९०६के केप कानून ३०के खण्ड ४ उपखण्ड 'च' अनुच्छेद 'क' के अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोके केपमे प्रवेश करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित होते नही दिखते। और न तो फ्री स्टेटमे सैद्धान्तिक अधिकारकी समस्या दूर हुई दिखती है। अस्थायी समझौतेमे शामिल प्रश्न यदि तदनुसार सुलझाये बगैर छोडे गये तो मन्त्री महोदयको नाराज करनेका खतरा उठाकर निवेदन हे कि सत्याग्रह निश्चित है।[1]

गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९३) की फोटो-नकलसे।

१ मन्त्री महोदयने उसी दिन पत्रका उत्तर देते हुए लिखा कि भारतीय विवाहोको मान्यता देने वाला सशोधन सर डेविड हटर तथा अन्य लोगोके इस आश्वासनपर स्वीकार किया गया कि इससे भारतीयोकी माँग बिलकुल पूरी हो जायेगी। केपके सवालको उन्होंने नया सवाल बताया और १९१२के फरवरी महीनेके पत्र-व्यवहारमें उल्लिखित अन्तरप्रान्तीय प्रवासकी समस्याके सम्बन्धमें कहा कि यह तो निबट गई है। फ्री स्टेट सम्बन्धी मुद्देके बारेमें उन्होने और अधिक जानकारी माँगी और यह आशा व्यक्त की कि भविष्यमें सत्याग्रहका जिक्र नही किया जायेगा।

६२ तार. सर डेविड हटरको

[फीनिक्स
मई २७, १९१३]

सर डेविड हटर
केप टाउन

तार[1] और सहानुभूतिके लिए धन्यवाद। स्वीकृत सशोधन दुर्भाग्यवश पर्याप्त नही क्योकि इसमे विवाह-पजीयनकी व्यवस्था है। भारतमे विवाह दज करानेकी प्रथा नही। पजीयनवाली धारा नितान्त अनावश्यक हे और मेरे कलके तारमे[2] उल्लिखित ट्रान्सवाल कानूनमे नही है। दूसरे मुद्दे भी अभी मजूर नही किये गये।

गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९६) की फोटो नकलसे।

६३ तार: श्राइनर और कैम्बेलको

[फीनिक्स
मई २७, १९१३]

सिनेटर श्राइनर
सिनेटर माशल कैम्बेल
केप टाउन

सिनेटमे प्रस्तुत प्रवासी विधेयक १९११ मे जनरल स्मट्स और भारतीय समाजके बीच हुए अस्थायी समझौतेको पूरा नही करता। यह १९०६ के केप कानून ३० खण्ड ४ उपखण्ड 'च' अनुच्छेद 'क' के अधीन दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोके केपमे प्रवेशके अधिकारका अपहरण करता है। विधेयकमे जैसा सशोधन कल हुआ है उससे विवाहकी समस्या हल नही होती क्योकि यह विवाहोका पजीयन चाहता है। भारतमे पजीयनकी कोई प्रथा नही है। ट्रान्सवालका विवाह कानून यूरोपीयोके दक्षिण आफ्रिकाके बाहर

१ मई २६ के अपने तारमें सर डेविडने लिखा था "सरकारने आज वह सशोधन स्वीकार कर लिया जिससे विवाहका प्रश्न हल हो गया। विधेयकका द्वितीय और तृतीय वाचन समाप्त हो गया है और मेरे विचारसे भारतीयोके मित्रो द्वारा प्राप्त इन रियायतोकी उपलब्धिपर हम अपनेको हार्दिक बधाई दे सकते है।"

२ यह तार उपलब्ध नही है, फिर भी देखिए "तार डूमड चैपलिन और दूसरोको", पृष्ठ ८०।

उत्तरपर आधारित है और मेरे उस पत्रमे वर्तमान अधिकारोको कायम रखनेका विशेष रूपसे उल्लेख है। यह समाज वतमान अधिकारोको त्यागनेकी कल्पना कभी नही कर सकता। मुझे डर है कि बहसमे जो सदस्य बोले वे भ्रमवश ऐसा मान रहे थे कि दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोको केपमे दाखिल करनेकी कोई नई कोशिश हो रही है। नेटालमे जन्मे भारतीयोकी केपमे जानेकी कोई बडी इच्छा कभी नही रही। लेकिन उन्हे वर्षोसे प्राप्त अधिकारसे वचित किया जाये, यह अकल्पनीय है। इस मामलेकी चर्चा माननीय गोखलेने खास तौरसे की थी। समझौतेका सार जाति-भेद हटानेके अलावा वतमान अधिकार कायम रखना है। फ्री स्टेटके सम्बन्धमे हमारी माग है कि प्रवासके विषयमे भारतीयोके विरुद्ध कोई कानूनी जातीय भेदभाव न हो। इसलिए शिक्षित प्रवासियोके लिए फ्री स्टेट कानूनके खण्ड आठ परिच्छेद तैंतीसके अन्तर्गत ज्ञापन देना जरूरी नही होना चाहिए। यह मुद्दा पिछले सालके पत्र-व्यवहारमे स्पष्ट कर दिया गया था। विधेयकका सशोधित रूप देखे बिना कहना असम्भव है कि दूसरे मुद्दे सतोषजनक रूपसे तय किये गये है या नही। यदि विधेयकपर सीनेटमे विचार देरसे हो और मन्त्री बातचीतकी सुविधा और समझौतेकी दृष्टिसे वहाँ मेरी उपस्थिति चाहे तो मै वहाँ प्रसन्नतापूर्वक आऊँगा और उनसे मिलूगा। कृपया मन्त्री महोदयको विश्वास दिलाये। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपने देशवासियोकी प्रतिष्ठाके अनुकूल कोई स्थायी हल निकालनेमे सरकारकी सहायता करूँ।[1]

गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९५) की फोटो-नकलसे।

६५ तार : मॉरिस अलेक्जैंडरको

[फीनिक्स]
मई २९, १९१३

ऐडवोकेट अलेक्जैंडर
ससद-भवन
केप टाउन

तारके[2] लिए धन्यवाद सिनेटर ग्राइनरको तार[3] दे रहा हूँ। भारतमे विवाहका पजीयन अनावश्यक, क्योकि भारतीय विवाह बडी निष्ठा और

१ इस तारके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ५ (१)।

२ मई २८ के अपने तारमें अलेक्जेंडरने लिखा था "आपका तार मिला। सिनेटर ग्राइनरसे सलाह की है। आप तारसे उन्हें सूचित करें कि अवाछनीय स्त्रियोंके प्रवेशको रोकनेका पजीयनकी जगह आप क्या उपाय रखेगे। भारत सरकारको प्रार्थनापत्र भेजकर पजीयनकी व्यवस्था करानेका अनुरोध क्यों नही किया जा सकता।"

३ देखिए अगला शीर्षक।

विम्तृत विधि-विधानोके साथ होते हैं। इतना अरसा हो गया दक्षिण आफ्रिकामे एक भी अवाछनीय भारतीय स्त्रीके आनेका उदाहरण नही मिला है।

गाधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०२) की फोटो-नकलसे।

६६ तार : सिनेटर श्राइनरको

[फीनिक्स]
मई २९, १९१३

सिनेटर श्राइनर
ससद-भवन
केप टाउन

अलेक्जैंडर कहते है कि विवाह-पजीयनके अभावमे अवाछनीय स्त्रियोका प्रवेश रोकनेका अपना हल मै तारसे सूचित करूँ। मेरे खयालसे भारतमे विवाहोका दर्ज कराना अनावश्यक है क्योकि भारतीय विवाह बडी निष्ठा और विस्तृत विधि-विधानोके साथ होते है। इसके अलावा अवाछनीय भारतीय स्त्रियोके प्रवेशका खतरा बहुत कम है। इस लम्बे अरसेमे दक्षिण आफ्रिकामे एक भी ऐसी भारतीय स्त्रीके आनेका उदाहरण नही है यद्यपि सलके फैसलेसे पहले भारतीय स्त्रिया पतिके मौखिक बयानके बलपर बेरोकटोक प्रविष्ट होती थी। वतमान सशाधन भारतीय पत्नियोकी रक्षाकी दृष्टिमे बिलकुल निकम्मा हे।

गाधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०३) की फोटो-नकल से।

६७ तार : सिनेटर श्राइनरको

फीनिक्स
मई ३०, [१९१३]

सिनटर श्राइनर
केप टाउन

तारके लिए धन्यवाद। इससे पहले इसलिए नही लिखा कि जबतक बिलकुल मजबूर न हो जाऊँ आपको परेशान करनेसे झिझकता था। जनरल स्मट्सके और मेरे बीचका २२ अप्रैल १९११ का पत्र-व्यवहार उस अस्थायी समझौतेका आधार था जो २९ अप्रैल १९११ के 'इडियन ओपिनियन' मे छपा है। आपको प्रतिलिपि भेजनेके लिए सम्बन्धित

पक्षको तार दे रहा हूँ। यह शायद केप टाइम्समे प्राप्य है। गृह-मन्त्रालयके पास पूरा पत्र-व्यवहार है। साम्राज्य सरकारकी ब्ल्यू बुक सख्या सी० डी० ५५७९ तारीख — मार्च १९११, विशेष रूपसे पृष्ठ सत्रह, भी देखे जिसमे श्री हरकोटका दिया हुआ यह तार है कि ऐसा कोई भी हल जिससे केप कालोनी और नेटालमे भारतीयोकी वर्तमान स्थितिको हानि पहुँचे या वह कमजोर हो महामहिमकी सरकारको स्वीकार नही होगा। श्री फिशरने मुझे तार दिया है जिसमे एक गैरमुमकिन बात कही है कि दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोको केपमे मौजूदा केप अधिनियमके अन्तर्गत बिना परीक्षा दिये प्रवेशके वतमान अधिकारसे वचित कर दिया जायेगा। विवाह काजी और अन्य पुरोहितोके द्वारा सम्पन्न होते है — यह पर्याप्त रजिस्ट्रेशन है और विभिन्न जातियोके मुखियोके प्रमाणपत्र सदैव प्रस्तुत किये जा सकते है। भारतके मजिस्ट्रेटोको जैसे प्रमाणपत्र आप बताते है वैसे प्रमाणपत्र देनेका अधिकार नही है और न वे इसके लिए बाध्य है। एक ताजे मामलेमे बम्बईके एक मजिस्ट्रेटने उक्त कारणोसे ऐसे प्रमाणपत्र देनेमे असमथता बताई। सशोधनमे ऐसी ही साक्षी आवश्यक हो जो विवाहके देशमे उपलब्ध और मान्य हो। ट्रान्सवालके १८७१ के कानूनकी विवाह-सम्बन्धी धारा ऐसी है जिसका उल्लेख मैने पहले तारमे किया है।[1]

गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०६) की फोटो-नकलसे।

६८. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]
मई ३०, १९१३

गृह-मन्त्री
केप टाउन

मै मन्त्री महोदयको विस्तृत उत्तरके[1] लिए धन्यवाद देनेके साथ-साथ सादर यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि अभीतक स्वीकृत सशोधनोसे मुख्य प्रश्न तय नही होते। मुझे विश्वास है कि विवाह-सम्बन्धी सशोधन बिलकुल निकम्मा है क्योकि उसमे विवाहोका पजीयन करानेकी कठिन शर्त आती है। इसलिए यदि सरकार पजीयनवाली धाराको नही निकाल सकती तो सशोधनको वापस लेना ही ज्यादा ईमानदारीकी

१ देखिए "तार श्राइनर और कैम्बेलको", पृष्ठ ८३ ८४।

बात होगी। दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोके सम्बन्धमे कहूँगा कि यदि मूल मसविदेमे वतमान अधिकारोकी रक्षा की गई होती तो केपमे कोई प्रश्न न उठता। निश्चय ही सघीय प्रवासी विधेयककी कोई सार्वजनिक माँग नही की गई थी। भारतीयोकी कठिनाई ट्रान्सवाल प्रवासी विधेयकमे केवल सशोधन करके दूर की जा सकती थी। तब भारतीय केप, नेटाल और फ्री स्टेटके मुद्दोको न उठाते जिन्हे अब सघ विधेयकपर विचार करते समय उठाना उनका कर्त्तव्य है। किन्तु यदि यूरोपीय जनता या सरकार चाहे कि जेल अथवा बदतर कष्टोसे बचनेके लिए सत्याग्रही अपने भाइयोके वतमान अधिकारोको बेच दे तो वे ऐसा असम्मानजनक सौदा करनेसे इनकार कर देगे। वर्तमान विधेयक साधारण विधेयक नही है जिसे ससद स्वतन्त्रतासे कानूनका रूप दे सके। यदि सरकार समझौतेकी शर्तोंका पालन करना चाहती है तो वह उन शर्तोंके अनुरूप कोई विधेयक ही प्रस्तुत कर सकती है और यदि ससद उसे मजूर न करे तो मेरी विनीत सम्मतिमे वह इसे वापस लेनेके लिए नैतिक दृष्टिसे बँधी है। मै विश्वास करता हूँ जिस स्पष्टतासे मैने अपने विचार प्रकट किये है उसके लिए मन्त्री महोदय मुझे क्षमा करेगे।

गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०७) की फोटो-नकल से।

६९. पत्र : जमनादास गाधीको

बैशाख वदी १० [मई ३०, १९१३][2]

चि० जमनादास,[3]

अपनी आशाके अनुसार मै फिर तुम्हे पत्र नही लिख सका। इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे दो पत्र आ चुके है, इसलिए लिख रहा हूँ। ज्यादा तो फिर भी नही लिख सकूँगा।

तुम्हारे पत्रमे मैने कोई कठोर शब्द नही देखे।

यहाँसे मगनलाल या और कोई नही आ सकते। अत मेरी समझमे नही आता कि तुम लडाईमे कैसे शामिल हो सकते हो। इस विषयमे अधिक समाचार तुम्हें

१ देखिए परिशिष्ठ ५ (१)।

२ मालूम पड़ता है कि यह पत्र जमनादास गाधीके दक्षिण आफ्रिकासे, दिसम्बर १९१२ में, भारत रवाना हो चुकनेके बाद लिखा गया था।

३ गाधीजीके चचेरे भाई खुशालचन्द गांधीके पुत्र।

छगनलाल या मगनलाल देंगे। तुम साथ रहो, ऐसा मै चाहता तो हूँ। लेकिन हमेशा हमारा मनचाहा कैसे हो सकता है?

तुम्हारे पत्रका सवालोवाला हिस्सा क्रमके अनुसार अकित करके वापस भेजता रहा हूँ। इससे मुझे कुछ कम लिखना पडेगा और तुम [मेरे उत्तर] ठीक-ठीक समझ सकोगे।

१ [**यदि ईश्वरका अस्तित्व नहीं है तो फिर मोक्षका क्या मतलब?**[1]]

यह कहना मोक्षका आशय न समझनेके बराबर है। हम मोक्षका पूरा अर्थ नही समझ सकते। उसका तो अनुभव ही करना होगा। उसका वर्णन भी नही किया जा सकता। वर्णन करनेके लिए हमारे पास योग्य इन्द्रिय नही है। जितना अर्थ समझा जा सकता है वह हे, अनेक प्रकारके देहोमे जन्म और उससे उत्पन्न होनेवाले क्लेशोसे छुटकारा। फिर भी यह कहनेकी जरूरत नही कि ईश्वर नही है। ईश्वरका अर्थ हम अपनी ज्ञानकी सीमाके अनुसार करते है।

ईश्वर न तो फल देनेवाला है और न वह कर्ता है। किन्तु यदि देहधारी आत्माओके मुक्त होनेके बाद किसी एक ही आत्माकी कल्पना की जा सकती हो तो वह ईश्वर है। और वह जड वस्तु नही है बल्कि शुद्ध चेतन है। अद्वैतवादियोकी भी यही मान्यता है। राजा-जैसे किसी सत्ताधारी ईश्वरकी कल्पना किसी भी कालमे और किसी भी स्थितिमें आवश्यक मालूम नही होती। उसकी आवश्यकता मानकर हम आत्माकी अनन्त शक्तिकी सीमा बाँधते है।

२ दूसरे शास्त्रोका जैसा और जितना अनर्थ किया गया है वैसा ही और उतना ही बाइबलका भी किया गया है और किया जा रहा है। टॉल्स्टॉयपर दोष लगाने-वाले अज्ञान है। मैरी कॉरेलीका[2] क्या हुआ था, उसके बारेमे मुझे कोई जानकारी नही है। किन्तु उसे जादूगरनी कहना अज्ञानमात्र है।

३ [**मैंने न गायको कभी मारा है न मारूँगा। फिर भी अगर कोई गाय मुझे मारने दौडे और सो भी तब जब मैं उसके रास्तेमें भी नहीं हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और उसके मुझपर इस हमलेका सबब भी क्या हो सकता है?**]

गायके हमे मारने आनेका कारण यह है कि हम गायसे और इसी प्रकार अन्य जीवोंसे डरते हैं। इसलिए इसमे दोष हमारा ही है। भयमात्र दोष है और जबतक यह दोष हममे है तबतक ऐसी व्याधियोसे हम बच नही सकते। जबतक हम गायसे डरते है तबतक उचित यही होगा कि हम उसके रास्तेमे न आये और यदि अनायास आ जाये तो हमे उसका आक्रमण सह लेना चाहिए। गायको मारकर हम उसका या अपना उपकार नही कर सकते।

४ [**यह कैसे कहा जा सकता है कि निर्भय वृत्तिसे गुफामें निवास करनेवाले साधु पुरुषको बाघ मार नहीं डालेगा?**]

प्रसग आ जानेपर निर्भयतापूर्वक बाघकी गुफामे रहनेवालेको बाघ कभी नही खायेगा। उसकी गुफामे रहनेका प्रसग कैसे आ सकता है, उस बातपर विचार करना चाहिए।

१ प्रश्न **महात्मा गांधीजीना पत्रो** नामक पुस्तकसे दिये गये है।

२ (१८६४–१९२४) प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका।

५ यूरोपमे प्रचलित विवाहकी पद्धतिको मै पसन्द ही नही करता। जब लडका विवाह योग्य हो जाये तब लडकी चुननेका काम माँ-बापको ही करना चाहिए। इसीमे बुद्धिमानी है। और यह बात पच्चीस वर्ष या उससे भी ज्यादा बडी उम्रके लडकोपर भी लागू होती है। बेशक मा-बापको लडकेके साथ सलाह तो करनी ही चाहिए।

६ [**क्या "अश्वत्थामा मारा गया" कहकर धमराजने पाप नहीं किया? भगवान कृष्णने उन्हें ऐसा कहनेकी सलाह क्यो दी?**]

इससे मै इतना ही सार निकालता हूँ कि धमराज-जैसे लोगोसे भी भूल हो जाती है। अत हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि हम ऐसा माने कि स्थूल रूपधारी श्री कृष्णने स्थूल रूपधारी युधिष्ठिरको ऐसी सलाह दी तो श्री कृष्णकी अपूर्णता माननेमे कोई हानि नही है। किन्तु यदि हम श्री कृष्णको परमात्मा-रूप माने तो हमे इस सारी कहानीका कुछ आन्तरिक अथ करना होगा। यह अथ हरएक व्यक्ति नीति-धमकी अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार निकालेगा। शास्त्रोको सर्वथा सम्पूण माननेकी जरूरत नही। यदि हम नीतिके अखण्ड नियम समझ ले और शास्त्रोका अथ तथा उनका उपयोग इन नियमोको ध्यानमे रखकर करे तो फिर भूल होनेकी सम्भावना नही रहती।

७ [**क्या यह आवश्यक है कि सारी दुनियाके लिए एक ही धर्म हो?**]

सारी दुनियाके लिए कोई एक ही धम न तो कभी हो सकता है और न उसकी आवश्यकता है—मुझे तो ऐसा ही लगता है।

८ ऐसा कोई नियम नही है कि सभी प्रकारकी सात्विक खुराक हर स्थितिमे ली जा सकती है। जो खुराक मजदूरके लिए सात्विक है, वह क्षयके रोगीके लिए भी सात्विक होगी, ऐसा नही माना जा सकता।

मुझे अधिक समय नही है, किन्तु तुम्हारे एक पत्रका उत्तर पूरा हो गया। कुमारी श्लेसिनको लिखे अपने पत्रमे तुमने व्याकरणकी बहुत-सी गलतिया की है। मैने छगन-लालको उसकी नकल रखनेके लिए कहा था। यदि छगनलालने नकल रखी है तो मै उसे सुधार कर वापिस भेजूगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४६) से।

सौजन्य नारणदास गाधी

७० सम्भावना

अब श्री फिशरके विधेयकके अन्तगत हमारे देशवासियोकी ठीक क्या स्थिति होगी —इसे निश्चित रूपमे बता सकना कठिन है। यह तो मानना ही होगा कि कुछ सशोधन (हम उन्हे रियायत कहनेसे इनकार करते है) नि सन्देह ठीक दिशामे किये गये है। किन्तु यदि सत्याग्रहको पुन जारी नही होने देना है, और यदि १९११ के अस्थायी समझौतेकी शर्तोंका पालन करना है, तो अभी बहुत-कुछ और किया जाना चाहिए। वर्तमान अधिकारोमे से एकका भी त्याग नही किया जा सकता। सत्याग्रही दूसरोके अधिकारोको बेचकर शान्ति और जेलसे बचनेका सौदा नही कर सकते—वे ऐसी हिम्मत ही नही कर सकते। इसपर भी, १९०६ के केप प्रवासी अधिनियमके अन्तगत, आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोको केपमे प्रवेश करनेका जो अधिकार आज प्राप्त है, उसे इस विधेयकके जरिये छीना जा रहा है। दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीय, यानी वस्तुत नेटालमे जन्मे भारतीय, केप जानेके लिए तरस नही रहे है। इन तमाम वर्षोमे उन्होने ऐसी इच्छा शायद ही कभी जाहिर की हो। परन्तु इसके कारण वे केपमे प्रवेश कर सकनेका अपना अधिकार नही छोड सकते। सत्याग्रही ऐसे विधेयकका साथ भी नही दे सकते जो उन्हे ऐसे अधिकारसे वचित करता है।

श्री फिशरने ऐडवोकेट श्री अलेक्जैंडर द्वारा प्रस्तुत विवाह-सम्बन्धी सशोधन स्वीकार कर लिया है, इससे तो हमे यही मानना चाहिए कि इस मुद्देपर उनकी इच्छा हमारी बात माननेकी है। पर श्री अलेक्जैंडरका दोष न होते हुए भी सशोधनमे एक घातक त्रुटि रह गई है। इसमे कहा गया है कि जिस जगह विवाह हुआ हो वहाँ उसका पुन पजीयन कराया जाये। श्री अलेक्जैंडर नही जानते कि भारतमे विवाहका पजीयन करानेकी कोई प्रणाली नही है। इसलिए उसका पजीयन प्रमाणपत्र पेश करना सम्भव नही है। इस असम्भव शतके कारण सशोधनका उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है।

अवाछनीय स्त्रियोका प्रवेश रोकनेकी दृष्टिसे भी विवाहोका पजीयन जरूरी नही है। पहली बात तो यह है कि सशोधन सम्बन्धित पक्षोपर अपने-अपने धमके अनुसार विवाह करनेकी शर्त लगाता है। भारतीय विवाह बडे पवित्र ढग और विस्तृत विधिसे सम्पन्न होते है तथा कई दिनो तक, और कई मामलोमे तो महीनो तक चलते है। वस्तुत यूरोपीय ईसाई विवाहोमे विवाहके पूर्व उसकी जो घोषणा की जाती है, मामूली भारतीय विवाहोमे भी उससे कही ज्यादा विज्ञप्ति और धूमधाम होती है और यह प्रचार तथा धूमधाम पजीयनकी किसी भी प्रणालीसे कही अधिक कारगर व्यवस्था है। दूसरे, यह एक सुविदित तथ्य है कि पिछले तीससे भी अधिक वर्षोसे लेकर अभी हाल तक भारतीय स्त्रियाँ केवल अपने पतियोके जबानी वक्तव्यपर इस देशमे प्रवेश करती रही है, फिर भी इस अवधिमे किसी अवाछनीय भारतीय स्त्रीके यहाँ आनेका शायद ही कोई उदाहरण हो। इसलिए सिनेटमे विधेयकपर विचार होते समय पजीयन-सम्बन्धी धाराको निकाल देनमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए।

और यदि विवाह-सम्बन्धी यह सवाल तय हो गया और वतमान अधिकारोमे से किसीका अपहरण नही किया गया, तथा यदि फ्री स्टेट सम्बन्धी कठिनाई सन्तोषजनक रीतिसे हल हो गई, तो केवल दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोके वतमान अधिकारका एक सवाल बच रहेगा। हम यही आशा कर सकते है कि सिनेट इस मौकेपर जैसा अपेक्षित है वैसा काय करेगी, सरकार एक पवित्र समझौतेको पूरा करनेकी आवश्यकता समझेगी, और इस अधिकारको पुन बहाल कर दिया जायेगा। पर यदि ऐसा न हुआ तो हमे इसमे कोई सन्देह नही है कि सत्याग्रही इस एक ही सवालके लिए लडेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३

७१. मुनियनका मामला[1]

इस मुकदमेके दौरान पेश हुई शहादत और वेरुलमके मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई निदयतापूण सजाका विवरण हम इन स्तम्भोमे पिछले पखवारे प्रकाशित कर चुके है। यह सर डेविड हटरकी सहानुभूति ही है कि उन्होने विधानसभामे इस मुकदमेको अपने प्रश्नका विषय बनाया। सर डेविडके अत्यन्त उचित सवालका श्री सॉवरने रूखा, बेमुरौवत और दर्पपूर्ण जवाब दिया। सवाल और जवाब दोनो ही अन्यत्र दिये गये है। पाठकगण उन्हे पढकर स्वय ही निर्णय कर सकते है। हमारे सामने तो स्पष्ट है कि श्री सॉवरने उक्त जवाब सिफ इसीलिए दिया कि इस मामलेका सम्बन्ध एक ऐसे गरीब, उपेक्षित भूतपूव गिरमिटियासे था जिसकी जातिका एक भी प्रतिनिधि विधान-सभामे नही है, और जहाँ श्री सॉवर और उनके सहयोगियोकी ही बात चलती है। फिर, यह जाति ऐसे पूवग्रहका शिकार बनी हुई है, जिसके कारण कोई भी बिना किसी भयके उसको मनमाने ढगसे अपमानित कर सकता है। यदि यह मामला किसी यूरोपीयका होता, तो श्री सॉवर इतनी लापरवाहीके साथ जॉचको टालनेकी हिम्मत न करते, न वे मामलेके प्रति अपना अज्ञान व्यक्त कर उसमे गौरव अनुभव करते, और न यह कहते कि विधानसभाको, जो हर हालतमे राज्यके छोटेसे-छोटे प्रजाजनकी भी भलाईके लिए अन्तिम रूपसे उत्तरदायी है, मजिस्ट्रेटो द्वारा किये गये निणयोकी आलो-चना करनेका अधिकार नही है।

पर सच है कि विनाशके पूव दम्भ और पतनके पूव दप आ ही जाता है। इधर जब श्री सॉवर अपना हृदयहीन उत्तर दे रहे थे, उधर न्यायमूर्ति हॉर्थॉर्नने मजिस्ट्रेटकी कार्रवाईपर पुनर्विचार शुरू कर दिया और उन्होने उसे इतना अनियमित और गैर-कानूनी ठहराया कि मुनियनकी केवल सजा ही रद नही कर दी, उसे अपीलका

१ मुनियन नामक एक भारतीय महिलापर तीन पौंडी करकी बकाया राशि अदा न करनेका आरोप लगाया गया था। बकाया राशि अदा कर देनेपर भी उसे न्यायालयकी अवमाननाके अभियोगपर १४ दिनके सपरिश्रम कारावासकी सजा दी गई थी।

खर्च भी दिलाया गया। अपने सामने पेश होनेवाले उन अभागे व्यक्तियोके कल्याणकी अपेक्षा मजिस्ट्रेटको अपना आदेश मनवानेकी ही अधिक चिन्ता थी, उसने अपने प्रति-हिंसापूर्ण निणयका कारण बतलाते हुए कहा कि मुनियनको यह सजा दूसरोको सबक देनेके लिए ही दी गई है ताकि हुक्मकी तामील की जाये। श्री सॉवर अपने उलटे स्वभावके आगे लाचार है और हमारा ख्याल है कि वे अब भी मजिस्ट्रेटके निणयको सही बताते हुए जाचके बारेमे अपनी टालमटोल करनेका समथन करेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३

७२ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२२]

४ बुखार और इसका इलाज

हम मुख्य-मुख्य उपचारोके सम्बन्धमे चर्चा कर चुके है, अत अब हम कुछ रोगोके सम्बन्धमे भी विचार कर सकते है और ऐसा करते हुए हम उन उपचारोकी चर्चा भी कर सकेगे जिनके लिए अलहदा प्रकरण लिखनेकी जरूरत नही है।

बुखार शब्दका प्रयोग हम शरीरमे उठनेवाली किसी भी उष्णताके लिए कर लेते है, परन्तु अग्रेजी डॉक्टरोने उसके अनेक भेद किये है और बडे-बडे पोथे लिखकर अनावश्यक विस्तार किया है। अपनी लौकिक रूढिके और इन प्रकरणोमे जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार प्राय सब प्रकारके बुखारोमे एक-सा ही इलाज काम कर सकता है। साधारण बुखारसे लेकर प्लेगकी गिल्टीके बुखार तक मे मैने एक ही इलाज किया है और मेरा खयाल है, उसके परिणाम भी ठीक ही उतरे है, सन् १९०४ मे आफ्रिकामे भारतीय समाजके बीच महामारी फूट निकली।[1] उसमे तेईस लोगोपर रोगका आक्रमण हुआ। केवल चौबीस ही घण्टेमे २१ व्यक्ति मर गये और केवल दोको प्लेगके अस्पताल तक पहुँचाया जा सका। इन दोमे से केवल एक ही जीवित रह सका और इसी मरीजपर मिट्टीके पुल्टिमका इलाज किया गया था। पर इतनेसे ही यह नही कहा जा सकता कि इस रोगीपर मिट्टीका ही असर हुआ। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मिट्टीसे उसे कोई हानि नही हुई। इन बीमारोके फेफडोमे सूजन आई और बुखार आया। ये बेहोशीकी स्थितिमे थे। इनमे से एककी छाती-पर मिट्टीकी पुल्टिस रखी गई थी। उसके कफमे खून आता था। अस्पतालमे ले जानेके बाद, डॉक्टरके बतलानेपर मुझे मालूम हुआ कि इस मरीजको पहले बहुत ही थोडी खुराक दी गई थी और सो भी केवल दूध।

बुखारकी उत्पत्ति प्राय पेटकी खराबीसे ही होती है। अत सबसे पहला उपाय तो एकदम उपवास करना ही होना चाहिए। कमजोर या ज्वराक्रात मनुष्य कुछ न

१ देखिए खण्ड ४ पृष्ठ १६२ ६७।

खाये तो अधिक निबल हो जाता है, यह तो निरा भ्रम है। खुराक तो उतनी ही उपयोगी है जितनी पचाई जा सके और उसका खून बन सके। बाकी तो पेटमे सीसेकी तरह पडी रहती है, यह हम पिछले प्रकरणोमे देख ही चुके है। बुखारवाले रोगीकी जठराग्नि अत्यन्त मन्द पड जाती है। उसकी जीभ काली या कुछ सफेद हो जाती है। ओठ सूखते रहते है। भला ऐसी स्थितिमे रोगी क्या पचा सकता है? उसे यदि खानेको दिया जाये तो अवश्य ही उसका बुखार बढेगा और खाना एकदम बन्द कर दिया जाये तो उसके जठरको अपना काय करनेका मौका मिलेगा। अत रोगीको एक या अधिक दिनोका उपवास करवाना चाहिए। इसके बाद या इस बीच भी उसे क्यूनीके बाथ देने चाहिए। कमसे-कम दो बाथ तो उसे हर रोज लेने ही चाहिए। यदि बाथ लेनेकी शक्ति न हो तो उस स्थितिमे पेडूपर मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। सिर दद करता हो या बहुत गरम हो तो सिरपर भी मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। रोगीको कपडे उढाकर किन्तु भरसक खुली हवामे रखा जाये और जब उपवास समाप्त करनेका समय आये तो उसे गर्म या ठण्डा, सन्तरेका पानी देना चाहिए। सन्तरेको निचोडकर उसका रस निकाला जाये, और उसे छानकर उसमे आवश्यकतानुसार उबलता हुआ या ठण्डा जल मिला लिया जाये। जहातक बन सके शक्कर न मिलाई जाये। सन्तरेके इस पेयका परिणाम बडा अच्छा होगा। यदि रोगीके दाँत खट्टे न पड जाते हो और वह ले सके तो उसे इसी प्रकार तैयार किया हुआ नीबूका जल देना चाहिए। फिर दूसरी बार वह एक या आधा, अच्छी तरह कुचला, केला ले सकता है। केलेको इस प्रकार कुचलकर उसमे एक चम्मच जैतूनका तेल और आधा या एक चम्मच नीबूका रस मिला दिया जाये। इन तीनोको अच्छी तरह मिलाकर रोगीको दिया जाये। प्यास लगनेपर उसे उबालकर ठण्डा किया हुआ पानी या नीबूका जल पीनेको दिया जाये। उबाले बिना तो पानी दिया ही न जाये। यदि ठण्डा पानी दिया जाये तो वह भी उबालकर ठण्डा किया हुआ होना चाहिए। स्वच्छ जल प्राप्त करनेका उपाय अगले प्रकरणोमे बताया गया है, उसे देख लिया जाये। रोगीको कपडे बहुत कम पहनाये जाये और उन्हे सदैव बदला जाये। यदि रोगी ठीक प्रकारसे ओढे हुए हो तो अधिक कपडे पहननेकी आवश्यकता नही रहती। इस प्रकारके उपचारसे टाइफाइड-जैसे सख्त बुखारवाले रोगी भी पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो चुके है। इतना ही नही वे आज भी बडी अच्छी तन्दुरुस्तीमे है। कुनैनसे लोग रोग-मुक्त तो हो जाते है परन्तु वे दूसरे रोगोसे पीडित हो जाते है। विशेष रूपसे 'मलेरिया ज्वर' वाले रोगी कुनैनसे ठीक होते है, ऐसा माना जाता है, परन्तु मलेरिया उनका पिण्ड सदाके लिए शायद ही छोडता है। जो ऊपर लिखे अनुसार प्राकृतिक उपचार करते है, ऐसे मलेरियाके रोगियोको मैने पूर्ण रूपसे स्वस्थ हुआ देखा है।

बुखारके दिनोमे बहुत लोग दूधपर रहते है, पर मेरा अनुभव बताता है कि बुखारकी शुरुआतमे दूध लेना हानिकारक है। उसे पचाना भी भारी पडता है। यदि दूध देना ही पडे तो गेहूँकी काफीके साथ या थोडे-से चावलके आटेके पानीके साथ उबाल कर दिया जाये, यह समुचित जान पडता है। किन्तु अत्यन्त उग्र या सख्त बुखारमे तो इस प्रकार भी दूध नही दिया जाना चाहिए। ऐसे समयमे तो नीबूका

पानी ही चमत्कारिक वस्तु साबित हुआ है। और जब रोगीकी जीभ साफ हो जाये तो उसे केलेकी खुराक दी जाये। केला भी ऊपर बताई गई पद्धतिसे तैयार करके दिया जाय। रोगीको यदि दस्त न हो तो जुलाब देनेकी अपेक्षा थोडा सुहागा डालकर गरम जलका एनिमा दे दिया जाये, जिससे पेट साफ होगा और इसके बाद जैतूनका तेल-मिश्रित खुराक पेटको साफ बनाये रखेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३

७३ वक्तव्य : प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें[1]

[डर्बन
जून २, १९१३]

यदि इस विधेयकका कई महत्त्वपूर्ण बातोंमें संशोधन नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि सत्याग्रहका पुनः आरम्भ किया जाना अनिवार्य हो जायेगा। सन् १९११ के अस्थायी समझौतेमें दो मुख्य शर्तें हैं, जिन्हें सरकारको पूरा करना है। एक तो यह कि भारतीयोंकी माँगें पूरी करनेके उद्देश्यसे जो भी नया कानून बनाया जाये उसमें भारतीयोंके वर्तमान अधिकार ज्योंके-त्यों कायम रखे जायें, और दूसरा यह कि, अवयस्कोंके अधिकारोंसे सम्बन्धित अंशको छोडकर, १९०७ का ट्रान्सवाल अधिनियम सं० २ रद कर दिया जाये, तथा इस प्रकारके किसी कानूनमें कोई प्रजातिगत भेदभाव न रखा जाये। विधेयकके संशोधित रूपसे भी ये दोनों शर्तें टूटती हैं। साम्राज्य सरकारने ७ अक्तूबर, १९१० को भेजे अपने खरीतेमें जो घोषणा की थी, उससे भी हमारे इस दावेकी पुष्टि होती है कि वर्तमान अधिकारोंको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। खरीतेमें यह बात अलगसे कही गई है कि सम्राट्की सरकार (ट्रान्सवालके विवादका) ऐसा कोई हल स्वीकार न करेगी जिससे केप कालोनी और नेटालमें रहनेवाले भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर कोई आँच आती हो या जिसके कारण वह किसी प्रकारसे कमजोर होती हो। और श्री हरकोर्टने अपने १५ फरवरी, १९११ के तारमें उस सालके प्रवासी विधेयककी चर्चा करते हुए इस बातपर फिर जोर दिया था। निम्न तथ्योंपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान अधिकारोंको खतरा पैदा हो गया है

वर्तमान केप प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केपमें प्रवेशका निर्बाध अधिकार प्राप्त है। अब यह अधिकार छीना जा रहा है।

१ केप टाउन्से गवर्नर-जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टनने इस वक्तव्यकी नकल ४ जून, १९१३ को उपनिवेश-मन्त्रीको भेज दी थी। यह ३ जून, १९१३ के **केप टाइम्स** और **नेटाल मर्क्युरी**की सम्पादकीय टिप्पणियोंके साथ ७ जून, १९१३ के **इंडियन ओपिनियन**में भी छापा गया था।

यदि इस विधेयकमे समुचित सशोधन नही किया गया तो अधिकारका इस तरह छीना जाना एक बहुत गम्भीर शिकायतकी बात बन जायेगा और यदि सत्याग्रही जेलके कष्ट या किसी अन्य सम्भाव्य दण्डसे बचनेके लिए यह सौदा मजूर कर लेंगे तो वे अपनी सारी इज्जत खो देगे। मै नही जानता कि विधेयकके सशोधित रूपमे अन्य कौन-कौनसे घातक दोष हो सकते है। उदाहरणार्थ, सम्भव है, अधिवास और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालयमे अपीलके अधिकारका प्रश्न भी अत्यन्त असन्तोषजनक स्थितिमे छोड दिया गया हो।

मेरे विचारमे श्री अलेक्जैंडरने जो विवाह-सशोधन प्रस्तुत किया — और जिसे मन्त्री महोदयने स्वीकार कर लिया वह उस उद्देश्यको ही विफल कर देता है जिसके लिए श्री अलेक्जैंडरने उसे लोक-सेवाकी भावनासे प्रेरित होकर प्रस्तुत किया था। उसमे एक असम्भव शर्त पूरी करने, अर्थात् विवाह जहाँ सम्पन्न हो उसी स्थानपर उसका पजीयन करानेकी बात है। इसके अतिरिक्त विवाहमे धार्मिक रीतियोके समुचित निर्वाहका प्रमाण देना भी उसमे आवश्यक होगा। किन्तु भारतमे विवाहोको सरकारी तौरपर दर्ज करानेकी प्रथा ही नही है। तथ्य तो यह है कि अभी हालमे भारतसे आये हुए एक व्यक्तिने बम्बईमे एक मजिस्ट्रेटसे विवाहका प्रमाणपत्र माँगा था। किन्तु मजिस्ट्रेटने यह कहकर प्रमाणपत्र देनेसे इनकार कर दिया कि कानूनन उसे ऐसा करनेका अधिकार नही है। यह विधान किसी उद्देश्यसे आवश्यक भी नही है। धार्मिक विधि ऐसे कमकाडी रीति-रिवाजो और धूम-धडाकेके साथ सम्पन्न की जाती है कि गुप्त सम्बन्धोसे बचनेका उससे कोई अच्छा उपाय सम्भव ही नही है। और अतमे, सरकार विवाह-सम्बन्धी प्रश्नपर जितनी कडाई बरतती रही है, पिछले अनुभवको देखते हुए उसकी कोई जरूरत नही है। दक्षिण आफ्रिकाके अपने गत २० वर्षोके अनुभवसे जहाँतक मै जानता हूँ, अवाछनीय वर्गकी एक भी भारतीय स्त्रीने प्रवासी कानूनके अन्तर्गत प्रवेश नही किया है।

जान पडता है, सरकारने समझौतेकी दूसरी शर्त भी तोड दी है, क्योकि उन भारतीय प्रवासियोको, जिन्हे सम्भवत फ्री स्टेटमे प्रवेश दिया जा सकता है, एक ऐसा हलफनामा देना होगा जो किसी यूरोपीय प्रवासीको नही देना पडता। यह हलफनामा अत्यन्त आपत्तिजनक और अत्यन्त क्षोभजनक होगा, क्योकि उस प्रान्तमे प्रवेश करनेका अधिकार केवल शिक्षित भारतीयोको होगा और यह उनके लिए बिलकुल अनावश्यक है। यह वास्तवमे सिर्फ इस आशयका एक बयान है कि हलफ लेनेवाला व्यक्ति न जायदाद खरीदेगा, न व्यापार करेगा और न खेती। ये निर्योग्यताएँ तो उसपर लगी ही हुई है, फिर वह ऐसा हलफनामा दे या न दे। स्मरण होगा कि फ्री स्टेटकी कठिनाई ही पहले दोनो अवसरोपर स्थायी समझौतेके मार्गमे बाधा बनी थी।[1] यदि श्री फिशर इसे महत्त्वहीन बतलाकर और इसकी उपेक्षा करके विवादका हल करना चाहते हो तो यह नही हो सकता। आशा तो यही की जा सकती है कि सिनेट निगरानी रखनेवाली सभाके रूपमे और प्रतिनिधित्वहीन हितोके सरक्षककी हैसियतसे इस

१ देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४९९-५०५ और खण्ड ११।

विधेयकमे ऐसे सशोधन करनेपर जोर देकर अपने कर्त्तव्यको पूरा करेगा जिनसे अस्थायी समझौतेका, भाषा और भाव, दोनो दृष्टियोसे पूण पालन हो सके।

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ३–६–१९१३

७४ तार: गृह-मन्त्रीको

[डबन
जून ५, १९१३ के बाद]

गृह-मन्त्री और अनेक ससद-सदस्य

मै देखता हूँ कि ३-पौडी कर सिफ भारतीय औरतोपर से हटाया जा रहा है, मै समझता हूँ कि फिलहाल उसे पुरुषोपर से हटानेका कोई इरादा नही है। इससे उन हजारो भारतीयोको बहुत बडा सदमा पहुँचेगा जिन्हे श्री गोखलेके आगमन कालमे विश्वास दिलाया गया था कि उक्त कर सभी स्त्री-पुरुषोपर से हटा लिया जायेगा।[1] नेटालके सर्वाधिक जिम्मेदार लोगोने श्री गोखलेसे भेट की थी। मेरी जानकारीमे उनमे से कोई ऐसा नही था जिसने करके पक्षमे बात की हो अथवा इसके हटानेपर आपत्ति की हो। मै आशा करता हूँ कि अब भी सरकार और ससद इस करको पूरी तरह हटानेकी आवश्यकताको समझेगी और जो न्याय कब-का मिल चुकना था मिलेगा।

मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०९) की फोटो-नकलसे।

७५. विधेयक

अन्यत्र प्रकाशित श्री फिशर और श्री गाधीके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे[2] स्पष्ट हो जायेगा कि श्री फिशर हमें लगभग उन सभी अधिकारोंसे वचित करनेका पूरा इरादा कर चुके थे, जिनका उपभोग विभिन्न प्रान्तोके वतमान प्रवासी कानूनोके अन्तर्गत हम करते आ रहे हैं। सिफ एक अधिकार हमारे लिए छोडा जानेवाला था और वह यह था कि जो लोग विभिन्न प्रान्तोमे इस समय सशरीर निवास कर रहे हैं वे अपने-अपने प्रान्तोकी सीमाके अन्दर बने रह सकते है। लेकिन इसमे भी अपना प्रान्त

१ श्री गोखले नवम्बर, १९१२ मे दक्षिण आफ्रिका आये थे। बात उसी समय की है। और जब बादमे तीन पौडी करको मसूख करनेवाले कानूनपर चर्चा हो रही थी तब मसूखीको महिलाओं तक सीमित रखनेकी कोइ बात नही थी।

२ देखिए गृह मन्त्री और गृह सचिवको भेजे गये पत्र और तार, पृष्ठ १२, ७-८, २६ २९, ८२-८३, ८४ ८६, ८७ ८८।

छोडनेपर पुन-प्रवेशकी गुजाइश बहुत ही कम थी। परन्तु यूनियनिस्ट दलके सदस्योके दृढ विरोध तथा सत्याग्रहके भयके कारण विधेयकमे कुछ मामूली सशोधन कर दिये गये है। कितना अच्छा होता कि यूनियनिस्ट सदस्य अपनी दृढता अन्त तक कायम रखते! लेकिन श्री फिशर यह कहकर उन्हे बहकानेमे सफल हो गये कि साम्राज्य-सरकार विधेयकको पहले ही स्वीकार कर चुकी हे। किन्तु पत्र-व्यवहारसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सशोधनोके बावजूद, यह विधेयक भारतीय सवालका कोई हल पेश नही करता और साथ ही इसमे बहुत सारी बातोकी ओर कोई ध्यान ही नही दिया गया है। यदि इन्हे तय न किया गया तो निश्चित ही फिर सत्याग्रह आरम्भ हो जायेगा। यदि श्री फिशर सोचते है कि हम अपने निहित अधिकारोके अपहरणके बावजूद उनका विधेयक स्वीकार कर लेगे तो इसका यह मतलब हुआ कि वे निश्चय ही भारतीय समाजको निरा मूर्ख समझते है। उनकी यह धमकी कि यदि हम इस विधेयकको स्वीकार नही करते, तो वे वैवाहिक सशोधन वापस ले लेगे, एक जिम्मेदार मन्त्रीके सवथा अयोग्य है। या तो सशोधन किसी दोषको दूर करनेके लिए लाया गया है, और या फिर वह निकम्मा है। अगर वह दोष दूर करनेके इरादेसे लाया गया हो, तो सशोधनकी आवश्यकता-पर हमारे समाजके रुखसे कोई प्रभाव नही पड सकता। किन्तु सच तो यही है कि सशोधन सर्वथा निरथक है। एक प्रभावहीन सशोधन द्वारा हमे भ्रममे डालकर यह विश्वास दिलानेकी कोशिश करना कि हमारी इच्छाओका सम्मान किया जा रहा है, बेईमानी है। ज्यादा ईमानदारीकी बात यह होती कि हमसे साफ-साफ कह दिया जाता कि हमारे विवाहोको मान्य नही किया जायेगा। फिर, यह वैवाहिक कठिनाई तो विधे-यकके अनेक दोषोमे से केवल एक है और जबतक सिनेट साहसपूण उपायोका अवलम्बन करनेको तैयार न हो, तबतक कथित रूपसे सत्याग्रहियोको सन्तुष्ट करनेके लिए बनाया गया यह विधेयक तो केवल उन्हे फिर लडाई शुरू करनेपर मजबूर करेगा — फिर उसकी चाहे जो कीमत क्यो न चुकानी पडे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३

७६. आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२३]

५ कब्ज, सग्रहणी, ऑव और बवासीर

इस प्रकरणमे चार रोग साथ ही लिये गये है। साधारण तौरसे इस बातपर आश्चय होगा। किन्तु इन चारो रोगोमे परस्पर निकटका सम्बन्ध है और हमारा उपचार, जिसमे औषधिका उपयोग नही किया जाता, इन चारोके लिए प्राय एक-सा ही है। जठरपर जब अधिक बोझ डाल दिया जाता है तो कइयोको अपनी-अपनी तासीरके मुताबिक कब्ज हो जाता है यानी पाखाना नियमित रूपसे या बराबर नही होता और आता भी है तो अत्यन्त काँखना पडता है। यह स्थिति यदि अधिक समय तक चलती रही तो खून आने लगता है। इसमे कभी ऑव आने लगता है और कभी

बवासीर हो जाती है। किसी-किसीको दस्त भी होने लगता है। यदि दस्त बहुत और बार-बार तथा थोडे परिमाणमे हो तो इसे सग्रहणी कहा जाता है। किसी-किसीको मरोड होने लगता है और रक्त गिरने लगता है तथा पेटमे दद रहता है।

इनमें से कोई भी रोग हो, रोगीकी भूख कम हो जाती है। शरीर निस्तेज हो जाता है। ताकत नही रहती, श्वासमे बदबू आने लगती है, जीभ खराब रहती है। कइयोका सिर दर्द करने करता है और कइयोको अन्य दर्द भी उठ जाते है। कब्ज एक ऐसा सामान्य रोग है कि इसके लिए अनेक दवाएँ और फँकियाँ बनी है। मदर सीगल्स सिरप, फ्रूट सॉल्ट आदि दवाओका मुख्य काय ही कब्जको दूर करना है। और चूकि इनसे कब्ज दूर होता प्रतीत होता है, अत लोग ऐसी दवाओके पीछे भागते रहते है। साधारण हकीम या डॉक्टर भी यही कहेगा कि कब्ज आदि रोगोका मूल कारण बदहजमी है और वह यह भी बतलायेगा कि यदि बदहजमीके कारणोको दूर किया जाये तो रोग शान्त हो जायेगा। इन लोगोमे जो लोग ईमानदार है वे साफ यही कहेगे कि हमारे मरीज अपनी बुरी आदतोको छोडना नही चाहते और रोगको दूर करना चाहते है, इसीलिए हमे ये फँकिया, चूण और काढे आदि देने पडते है। आजकल जो विज्ञापन निकलते है उनमे तो यह भी ऐलान किया जाता है कि हमारी दवा खानेवालेको खुराकमे या अपनी आदतोमे किसी प्रकारकी तब्दीली करनेकी आवश्यकता नही होगी। केवल हमारी दवाके सेवनसे ही वे स्वस्थ हो जायेगे। पर इन प्रकरणोके पाठककी समझमे इतना तो आ ही गया होगा कि इस प्रकारके विज्ञापन धोखेधडीसे भरे होते है। जुलाब आदिका परिणाम तो सदैव बुरा ही होता है। हल्केसे-हल्का जुलाब भी कब्जको भले ही दूर करे, शरीरमे दूसरे जहर उत्पन्न करता है। मनुष्य यदि अपनी कुटेवोको जारी ही रखे तो उसे कब्ज, सग्रहणी आदि रोग न रहा हो तो कोई-न-कोई नया रोग अवश्य हो जायेगा।

अब हम ऊपर लिखे रोगोके इलाजकी बात करे। पहला उपाय तो यह है कि इन सभी रोगोके रोगीको अपनी खुराक घटानी चाहिए। उसे बहुत भारी खुराक यानी ज्यादा घी, शकर या उबाले हुए गाढे दूध आदिके पकवान नही लेने चाहिए। यदि उसे बीडी, शराब, भाग आदिके व्यसन हो तो उन्हे छोडना ही चाहिए। मैदेकी रोटी खानेकी आदत हो तो उसे छोड दे। चाय, काफी और कोको भी छोड दे। खुराकमे ताजा मेवा प्रधान रूपसे लेना चाहिए और उसके साथ शुद्ध जैतूनके तेलका सेवन करना चाहिए।

उपचारके प्रारम्भमे ही छत्तीस घटेका उपवास करना चाहिए। इस बीच भी और इसके बाद भी सोते समय मिट्टीकी पट्टी पेडूपर रखनी चाहिए और दिनमे एक-दो बार क्यूनी बाथ लेना चाहिए। रोज कमसे-कम एकसे दो घटे तक घूमना चाहिए। इतना करनेवालेको तुरन्त लाभ दृष्टिगोचर होगा, इसमे जरा भी शका नही है। ऐसे उपचारसे भयकर दस्त, सख्त कब्ज, तीव्र मरोड और पुरानी तथा उग्र बवा-सीर-जैसे रोग दूर होते हुए मैने देखे है। बवासीरके सम्बन्धमे इतना कहना जरूरी है कि जबतक खून आता रहे, खुराक बिलकुल न ली जाये और जब कुछ लेनेकी तबीयत हो तब उबले हुए जलमे सन्तरेका रस मिलाकर और छानकर लिया जाये।

ऐसा करनेसे उग्रसे उग्र आव थोडे ही समयमे बन्द हो जायेगी और रोगीको हानि नही उठानी पडेगी। मरोड होते समय यदि बहुत तीव्र ऐंठन होती हो तो एक बोतलमे खूब गरम पानी डालकर या गरम ईटसे पेटपर सेक करनेसे ऐंठन बन्द हो जायगी। रोगीको इन रोगोमे भी खुली हवाकी उसी प्रकार जरूरत है जैसे हमेशा होती है।

कब्जके लिए नीचे लिखा मेवा विशेष रूपसे लाभदायक माना जाता है अजीर, फ्रेंच प्लम्स, मस्काटल रेसिन, मोटी दाख, काली मुनक्का, सन्तरा और ताजे अगूर। इन सबका यह अर्थ कदापि नही है कि भूख न हो तो भी मेवे खाये ही जाये। ऐंठनके समय और मुह खराब हो, ऐसे समय ये मेवे भी नुकसान ही पहुँचायेगे। उपर्युक्त कथनका इतना ही अर्थ है कि जब भी खानेकी जरूरत महसूस हो तो, उस समय, ये ऊपर गिनाये मेवे विशेष लाभदायक होगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–६–१९१३

७७ पत्र गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स
नेटाल
जून ७, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

आपका कोई भी पत्र क्यो नही आया सो मै भलीभाँति समझ गया। इसका कारण जानकर मुझे बहुत दु ख हुआ और इच्छा हुई कि शुश्रूषाके लिए मै आपके साथ होता। यही खुशीकी बात है कि अब आपकी तबीयत पहलेसे बहुत अच्छी है। भारतके सब लोग तो आपको पूरी तरह कभी नही समझ पायेगे, और चूकि आपकी-सी कार्य-शक्ति पाना बहुत कठिन है, लोगोके मनमे ईर्ष्या जाग उठती है। मै तो यही कहूँगा कि आप उस ओरसे उदासीन रहे।

आपके नीम हकीमकी हैसियतसे मै निश्चय ही आपके स्वास्थ्य, भोजन इत्यादिके बारेमे सभी कुछ जानना चाहता हूँ।

मै जानता हूँ कि पोलक आपको नियमित रूपसे पत्र लिखते रहे है। इसलिए मै आपको लम्बा पत्र लिखकर कष्ट नही देना चाहता। यदि समय मिले तो आप इस हफ्तेका 'इडियन ओपिनियन' जरूर देख ले। उसमे श्री फिशरके और मेरे बीचका पूरा पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है। यूनियनिस्ट दलके सदस्योने पहले तो बडे जोशसे टक्कर ली, किन्तु अन्तमे वे ढीले पड गये। फिशरने यह कहा कि साम्राज्य सरकारने इस कानूनको ज्योका-त्यो मजूर कर लिया है और लोगोने इसपर विश्वास कर लिया। मुझे भरोसा नही होता कि वह किसी भी दशामे विधेयकके प्रारूपको ज्योका-त्यो मजूर कर सकती है। यदि आप 'इडियन ओपिनियन' मे प्रकाशित उस बहसको ध्यानसे

पढते आये है तो आपने देखा होगा कि कई वक्ताओने आपके नामका बार बार उपयोग किया और उससे ज्यादातर हमारा ही काम बना। निश्चय ही आपका यहाँ आना अनेक प्रकारसे लाभदायी सिद्ध होगा।

सिनेटमे विधेयकका दूसरा वाचन हो गया है। सम्भव है, कुछ फेरफार किये गये हो। लेकिन मेरी समझमे अब डब्ल्यू० पी० श्राइनर वे सभी सशोधन मजूर नही करा सकेगे जो सघषका फिरसे छिडना रोकनेके लिए आवश्यक है। शायद यह तो मै आपको लिख ही चुका हूँ कि श्रीमती गाधी, श्रीमती डॉक्टर, छगनलालकी पत्नी और मगनलालकी पत्नी सघषमे सम्मिलित हो रही है। कृपया फिलहाल इसे अपने तक ही रखिए। बस्ती (फीनिक्स) से तो इस बार कई लोग सम्मिलित हो ही रहे है। यदि सघष छिडा, और उसका छिडना लगभग निश्चित है, तो फिर कह नही सकता मै भारत कबतक वापस लौटूगा।

पोलकने अपना दफ्तर खोल दिया है। मुझे रिचके खचकी कोई चिन्ता नही है और पोलक अपना खच जल्दी ही निकालने लगेगे। लन्दन समितिको पिछले माच महीनसे पैसा भेजना बन्द कर दिया गया है। इसलिए अब एकमात्र भार 'इडियन ओपिनियन' का रह गया है और यदि सघष फिर छिडा तो मेढके[1] परिवारका पालन-पोषण भी करना होगा। इसके अलावा, केवल नैमित्तिक चालू खच रह जायेगा। मेढके खचके लिए मै दक्षिण आफ्रिकामे चन्दा माँगना पसन्द न करूँगा, किन्तु दूसरे खच या तो हमे यहासे निकालने होगे या बन्द कर देने होगे। मै लन्दन समितिके लिए आपके हवालेकी जानेवाली रकम बराबर इकट्ठी कर रहा हूँ। आशा है आप नये सिरेसे उसका सगठन कर डालेगे। समितिको तीन साल तक कायम रखनेके लिए ६०० पौड इकट्ठा करनेकी जरूरत है, यदि उसमे कुछ कमी रह गई तो हमारे मित्र रुस्तमजीने[2] उसे पूरा कर देनेका वचन दिया है। मेरा खयाल है कि दक्षिण आफ्रिकामे रुस्तमजीसे अधिक विश्वसनीय कोई दूसरा व्यक्ति है ही नही। इस बातसे आपकी टोपी और छातेकी याद आ गई। आशा है, वे आपको सही सलामत मिल गये होगे।

कैलेनबैक कुछ दिनके लिए यहाँ आये हुए है।

आशा है, आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

हस्तलिखित मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२७) से।
सौजन्य सर्वेट्स ऑफ इडिया सोसाइटी।

१ सत्याग्रही सुरेन्द्रराय मेढ।

२ पारसी रुस्तमजी, नेटालके एक प्रमुख भारतीय व्यापारी और सत्याग्रही देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५ भी।

७८ वक्तव्य : तीन-पौंडी करके सम्बन्धमे[1]

[डबन
जून ११, १९१३ से पूर्व]

देखता हूँ, सरकार ससदसे यह कर केवल स्त्रियोपर से हटानेको कहना चाहती है। स्पष्ट ही, इससे यह प्रकट होता है कि फिलहाल उसका इरादा इसे पुरुषोपर से हटानेका नही है। श्री गोखले न्यूकैसिल, डडी, मैरित्सबर्ग, डबन, इसीपिगो और अन्य स्थानोमे नेटालके अधिकाश लोकनायकोंसे मिले थे। मै भी इन सब भेटोके समय उपस्थित था। और मुझे याद नही आता कि किसी भी व्यक्तिने इस करके पक्षमे कुछ कहा हो या इसके हटाये जानेपर आपत्ति की हो। श्री स्मट्सने हाल ही मे ससदके नेटाली सदस्योंसे सलाह लेनेकी बात कही थी। इसलिए यदि अब यह कर पुरुषो और स्त्रियो, दोनोपर से नही हटाया जाता, तो यही माना जायेगा कि नेटाली सदस्य उन्हें इस भारसे मुक्त नही देखना चाहते। मेरे विनम्र मतसे यह प्रश्न नेटालकी प्रतिष्ठाका प्रश्न है। मुझे ऐसे कई अवसर याद है जब उन्होने टाउन हॉलमे इससे कम महत्त्वके प्रश्नोको लेकर सभाएँ की है। जहाजोके आने-जानेकी सुविधासे सम्पन्न अपना सुन्दर बन्दरगाह नेटालको बहुत प्रिय है, हमें विश्वास है कि उसे अपनी प्रतिष्ठा उससे भी ज्यादा प्यारी है। तब क्या डबनके लोक-सैवक टाउन हॉलमे सभा करके ससदसे इस अन्यायपूण करको हटानेकी माँग न करेगे? वे भारतीयोकी आकाक्षाओ या इस प्रान्तमे मेरे देशभाइयोके अस्तित्वके चाहे कितने भी विरोधी क्यो न हो, उन्हे चाहिए कि वे सम्मिलित रूपसे नेटालके यशकी रक्षाके निमित्त हमे वह न्याय दिलाये, जो हमे कब-का मिल चुकना था।

मुझे भारतीयोकी उन दो विशाल सभाओका भली-भाँति स्मरण है, जिनमे श्री गोखले बोले थे। इनमे से एक इसीपिगोके लॉर्ड्स ग्राउडमे हुई थी और दूसरी माउट एजकम्बमे,[2] जहाँ श्री गोखले माननीय मार्शल कैम्बेलके अतिथि थे। श्री कैम्बेलकी जागीर (एस्टेट) मे होनेवाली सभामे पूरे १०,००० गिरमिटिये और भूतपूर्व गिरमिटिये उपस्थित थे और लॉर्ड्स ग्राउडमे ५,००० से अधिक। उन्हे भरोसा दिलाया गया था कि चूकि यूरोपीय लोगोने इस करको हटानेके सम्बन्धमे श्री गोखलेके सम्मुख कोई विरोध नही प्रकट किया है इसलिए सम्भव है, यह कर जल्दी ही हटा लिया जाये। बादमे मन्त्रियोसे मिलनेके उपरान्त उन्होने घोषित किया कि उन्हे इस करको हटानेका आश्वासन मिल चुका है, और यह जानकारी इन हजारो अभागे स्त्री पुरुषोको दे दी गई। वेरुलमके एक व्यक्तिने यहातक विश्वास करनेकी "धृष्टता" दिखाई कि यह कर हटा ही दिया गया है, और वेरुलमके मजिस्ट्रेटने उसे इस अपराधमे कडी कैदकी

१ यह १४-६-१९१३ के **इडियन ओपिनियन**में उद्धृत किया गया था।

२ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ४१०।

सजा सुना दी।[1] ये लोग जब यह सुनेगे कि उनकी स्त्रिया आखिर इस करसे मुक्त कर दी जायेगी, किन्तु उन्हे स्वय यह कर चुकाते ही रहना पडेगा, तब वे क्या सोचेगे ?

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ११–६–१९१३

७९ वक्तव्य प्रवासी विधेयकपर

डबन

जून १३, १९१३

यदि श्री हरकोटके वक्तव्यका प्रकाशित विवरण[2] सही है तो कहना पडेगा कि उनका जवाब चकित कर देनेवाला है। यदि उन्होने विधेयकको उसके मूल रूपमे देखा है तो यह न मानना कि साम्राज्य-सरकारने भारतीयोको असहाय छोड दिया है और सघ-सरकारको प्रसन्न करनेके लिए वह अपने खरीतोंसे खुद ही मुकर गई है, एक असम्भव बात होगी। तथापि मै आशा करता हूँ कि साम्राज्य-सरकारने विधेयक देखा नही है और किये गये सशोधनोके क्या-क्या असर होगे उसे यह बताया नही गया है। साथ ही यह बात बिलकुल साफ है कि दक्षिण आफ्रिका सघकी सरकारने भारतीयोके प्रति विश्वासघात किया है, १९११ के समझौतेको तोडा है और श्री गोखलेको दिये गये अपने आश्वासनको ही झुठला दिया है — इतना ही नही, उसने साम्राज्य-सरकारको ईमानदारीके साथ यह बता देनेके बजाय कि उसका समझौतेकी शर्तों या एकाधिक खरीतोमे व्यक्त की गई साम्राज्य-सरकारकी इच्छाओको पूरा करनेका इरादा नही है, उसे धोखा दिया है।

विधेयकके मूल मसविदेमे डाउनिंग स्ट्रीटमे बैठे हुए अधिकारियोकी चिन्ता दूर करनेकी इच्छाका लेश भी दिखाई नही पडता।

इस विधेयक द्वारा जातीय भेदभाव हटा दिया गया है, यहाँतक कि प्रवासके सम्बन्धमे भी, ऐसा कहना जान-बूझकर तथ्योको गलत रूपमे पेश करना है। वास्तवमे श्री फिशरका मुझे दिया गया तार पूरी तरह मेरे ही कथनका समथन करता है। १९११ से ही फ्री स्टेटकी समस्या जाति-भेदकी समस्या रही है। श्री फिशरने उसे दूर नही किया है और वे साफ-साफ अपने तारमे कहते हैं कि वे उसे प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा हल करेगे। यदि इस प्रकारका प्रस्ताव १९११ मे स्वीकार किया जा सकता तो उस सालका विधेयक कानून बन गया होता। परन्तु इसे न तब स्वीकार किया गया था और न अब किया जा सकता है।

सघ-सरकारमे यदि जरा भी सम्मानकी भावना है तो वह कानूनकी नजरमे जो जातीय भेदभाव वतमान है उसे हटाने और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वह जो भी कानून

१ देखिए "मुनियनका मामला", पृष्ठ ९२-९३।

२ यह वक्तव्य श्री हरकोर्टने ११ जूनको कामस सभामें दिया था।

बनाये उसमे यह ध्यान रखनेके लिए बाध्य है कि मौजूदा अधिकारोमे कोई परिवतन न किया जाये। उसने समझौतेकी इन दो बातोमे से एक भी पूरी नही की है।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हरकोट भी इस खयालमे है कि विधेयकमे जो थोडे-बहुत सशोधन किये गये है वे सघ-सरकारकी प्रेरणासे या न्याय करनेकी उसकी इच्छाके कारण हुए है। वस्तुत ये सशोधन तो ससदके विरोधी दल द्वारा जबरदस्ती करवाये गये है। विरोधी दलका यह काय जितना प्रशसनीय है उतना ही वह मन्त्रि-मण्डलके लिए अप्रत्याशित भी। यदि विरोधी दल थोडा और मजबूत और दृढ होता तो सघ-सरकारकी अनिच्छाके बावजूद एक ऐसा कानून बन गया होता जिसमे १९११ के अस्थायी समझौतेको स्थायित्व प्राप्त हो जाता।

फिलहाल, अब यदि विधेयकपर शाही मजूरी रोक नही ली जाती, और समाज-को ताजा आश्वासन नही दिया जाता कि १९११ के समझौतेकी शर्तापर पूरी तरह अमल किया जायेगा, और विवाह-सम्बन्धी कठिनाई दूर की जायेगी, तो इस बार स्त्री-पुरुष दोनो ही सत्याग्रह करेगे। सत्याग्रह आरम्भ होता है या नही, शायद इस तरफसे सघ-सरकार उदासीन है, परन्तु मै इसे किसी समाजके नागरिक या राज-नीतिक जीवनमे पैदा हो जानेवाली बुराइयोका सर्वोत्तम इलाज मानता हूँ और मुझे विश्वास है कि यदि हम अपने प्रति सच्चे रहे, तो इसकी सफलता निश्चित है।

सरकारने अभी-अभी केवल स्त्रियोपरसे ३ पौडी कर हटा लेनेका प्रस्ताव रखा है। इससे भारतीय समाजके प्रति उसकी निरन्तर शत्रुता और दुर्भावना असन्दिग्ध रूपसे व्यक्त होती है।

[अंग्रेजीसे]
केप आर्गस, १३-६-१९१३

८० विधेयक

अब यह विधेयक किसी भी क्षण इस देशका कानून बन सकता है और सम्भव है कि पहली अगस्तसे भारतीय ऐसे कई अधिकारोसे वचित हो जाये जिनका वे अबतक उपभोग करते आये है। अबतक जो सशोधन पास हुए है उनके बारेमे, या विधेयकके पूरे प्रभावके बारेमे, निश्चयपूर्वक कुछ कहना सम्भव नही है। श्री डब्ल्यू० पी० श्राइनरको, जिन्होने हम लोगोका पक्ष लेकर कठिन लडाई लडी, विवाह-सम्बन्धी सशोधनमे कुछ सुधार करानेमें सफलता मिली, और श्री फिशरकी इस धमकीके बावजूद भी कि वे न केवल पजीयनकी धारा वापस नही लेगे, बल्कि यदि हम लोगोने पूरे विधेयकको मजूर नही किया तो सम्पूर्ण सशोधनको निकाल कर मूल मसविदेको ही रहने देगे, पजीयन-सम्बन्धी अश निकाल दिया गया जान पडता है। जबतक पूरा पाठ सामने नही आता तबतक हम यह तय नही कर सकते कि इस नई धाराका नवीनतम रूप कैसा है।

परन्तु इसमे सन्देह नही कि यदि वैवाहिक कठिनाई दूर हो गई हो तब भी विधेयकमें अन्य बहुत-सी बातें इतनी अपमानजनक है कि सत्याग्रहियोको उनका प्रतिरोध करनेके लिए मजबूर होना पडेगा। मालूम पडता है कि विधेयकमे सर्वोच्च न्यायालयके

अधिकारक्षेत्रके सवालकी स्थिति बडी ही असन्तोषजनक रह गई है। यह नेटालके भारतीय अधिवासियोको पुन-प्रवेशकी उन सब सहूलियतोसे वचित कर देता है जो अभीतक उनको प्राप्त रही है। अभीतक नेटालमे तीन सालके पूव निवासके बलपर वे प्रवेश पा जाते थे, अब वे शायद वैसा न कर सकेगे। इसी तरह जो गिरमिटिया भारतीय ३ पौडी कर दे चुके हो वे भी शायद अब वहाँ अधिवासके अधिकारका दावा नही कर सकेगे। दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीय अब केप अधिनियमके अन्तगत सम्भवत केपमे प्रवेश न कर पाये। फ्री स्टेटवाली कठिनाई भी पूववत् बनी हुई है। इससे मालूम होता है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसको स्वीकार करना जुम है और जिसका प्रतिरोध करना कर्त्तव्य है।

फिर भी यह उल्लेखनीय है कि विधेयक यद्यपि स्पष्टत भारतीय-विरोधी था, तो भी उसे दोनो सदनोमे तूफानोके बीचसे गुजरना पडा और रियायते, चाहे वे जैसी भी हो, एक अनिच्छुक और कठोरहृदय मन्त्रीसे मुश्किलसे प्राप्त की जा सकी। सिनेटमे दो अवसरोपर कुछ धाराओके सम्बन्धमे मत लेनेपर पक्ष और विपक्षमे बराबर मत आये। यह भविष्यके लिए शुभ लक्षण है और सत्याग्रहके अच्छे प्रभावका सूचक है। इसने सदस्योकी एक बहुत बडी सख्याके मनमे भारतीय मामलोकी जानकारी प्राप्त करनेकी भावना तीव्र कर दी है।

किन्तु जहा सघीय-ससदके कुछ सदस्य उत्साहपूवक हमारे पक्षमे बोले वहाँ जान पडता है, सम्राट्की सरकारने हमारी पूण उपेक्षा की, और सघ-सरकारके विचारोको पूरी तरह स्वीकार कर लिया। यद्यपि यह अविश्वसनीय-सा लगेगा, पर वस्तुत सम्राट्की सरकारने विधेयक जिस रूपमे प्रकाशित हुआ था, उसी रूपमे, मजूर कर लिया था और इस प्रकार वह अपने ही खरीतोसे मुकर गई। यदि श्री हरकोटके वक्तव्यकी रिपोट ठीक है तो जान पडता है, उनका विश्वास यह है कि सघ-सरकार हम लोगोके साथ पूरा न्याय करना चाहती है। विधेयकके मूल मसविदेपर, या ससदमे जो-कुछ हुआ, उसपर से ऐसी राय नही बनाई जा सकती है। मूल मसविदा इससे ज्यादा सख्त नही हो सकता था, दक्षिण आफ्रिकाके समाचारपत्रोकी भी यही राय थी। और विधेयक पेश करनेवाले मन्त्रीका रुख तो अत्यधिक प्रतिकूल था ही।

पर यदि सम्राट्की सरकारने हमे धोखा दिया है और अपनी थातीकी उपेक्षा की है तो इससे हमे दु खी नही होना चाहिए। उसे तो साम्राज्यकी यूरोपीय प्रजाके एक अत्यल्प किन्तु ऊधमी अशका प्रतिनिधित्व करनेवाली सघ-सरकारको ही खुश करनेकी पडी हुई है, और ब्रिटिश ताजमें सबसे भासमान रत्न माना जानेवाला भारत तो ऐसे सहनशील लोगोका देश है, जिन्हे, मानो, खुश करनेकी जरूरत ही नही — लाड-प्यार तो दूर रहा। वास्तवमे अपनी सर्वोच्च अदालत हम खुद ही है। यदि हम स्वय अपने प्रति सच्चे है तो कोई सन्देह नही कि दूसरे भी इसे जान लेनेपर हमारे प्रति सच्चे हो जायेगे — लेकिन, उससे पहले कदापि नही।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–६–१९१३

८१ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२४]

६ सक्रामक रोग शीतला-१

बुखार आदि कुछ-एक बीमारियोके सम्बन्धमे हम थोडी चर्चा कर चुके है। सभी बीमारियोके विषयमे सूक्ष्म विवेचन करना इन प्रकरणोका हेतु नही है। और जब समस्त रोगोका, ज्यादातर, एक ही कारण माना जाता है और उन समस्त रोगोका इलाज भी प्राय एक-सा ही गिना जाता है तो फिर प्रत्येक रोगपर जुदा-जुदा लिखनेकी आवश्यकता नही रह जाती। शीतला जैसे सक्रामक रोगकी उत्पत्तिका भी हम एक ही कारण मानते है, अत उसकी चर्चा भी भिन्न रूपसे करना जरूरी नही है, तो भी शीतलाके सम्बन्धमे एक प्रकरणको स्थान देना अनुचित नही होगा।

शीतलाके निकलनेपर हम बहुत भयभीत हो जाते है। उसको लेकर अनेक भ्रम प्रचलित है। हिन्दुस्तानमे तो शीतलाके लिए एक विशेष देवी ही प्रतिष्ठित है और इस रोगके हो जानेपर असख्य लोग मनौतियाँ मानते है। इस रोगकी उत्पत्ति भी अन्य रोगोकी तरह रक्त-दोषसे होती है और यह रक्त-दोष जठरके ज्वरसे प्रारम्भ होता है। शरीरमे भरा हुआ जहर शीतलाके जरिये बाहर निकलता है। यदि यह विचार ठीक है तो शीतलासे भयभीत होनेका कोई कारण नही। यदि यह रोग सक्रामक हो तो उन सभी लोगोको, जो शीतलाके रोगीको स्पश करते रहते है, यह हो जाना चाहिए। पर हम देखते है कि ऐसा नही होता। अत शीतलासे छूतका भय माननेकी आवश्यकता नही है। तथापि सावधानी तो रखनी ही चाहिए। शीतलाकी छूत लगती ही नही बिलकुल ऐसा तो नही कहा जा सकता। जिसका शरीर उसकी छूतको ग्रहण करने योग्य हो गया है, ऐसा मनुष्य यदि शीतलाके रोगीका स्पश कर ले तो उसपर अवश्य ही रोगका सक्रमण हो जायेगा और इसीसे जहा-जहाँ शीतला निकलती है वहाँ अनेक लोग उसके शिकार बन जाते है। बीमारीके इस प्रकार सक्रामक होनेसे ही गौ-शीतलाका टीका लगाया जाता है और लोगोको यह विश्वास दिलाया जाता है या बहकाया जाता है कि गौ-शीतलाका टीका लगावा लेनेसे शीतला अत्यन्त हलकी निकलती है और रोगका आक्रमण भी नही होता। शीतलाके टीकेका अर्थ इतना ही है कि गायके थनपर शीतलाकी पीब लगा दी जाती है। और जब थन पक उठता है तो इससे पीब लेकर चमडीके जरिये हमारे शरीरमे दाखिल करके हमारे शरीर-पर शीतलाका दाना उठा दिया जाता है ताकि महाशीतलासे हमारा छुटकारा हो जाये। पहले यह माना जाता था कि इस प्रकार एक बार शीतलाका टीका लगवा लेनेसे मनुष्यको फिर शीतला नही निकलती। परन्तु अनुभवसे देखा गया हे कि शीतलाका टीका लगवा देनेके बाद भी मनुष्य बहुत दिनो तक उससे मुक्त नही रह पाते। इससे यह निष्कष निकला कि एक मुद्दतके बाद तो शीतलाका टीका पुन लगवा ही लेना चाहिए। अब तो यह प्रथा-सी हो गई है कि जब-जब किसी इलाकेमे शीतलाका

प्रकोप हो तब उस स्थानके सारे मनुष्योको —— चाहे उन्हे पहले टीका लगाया जा चुका हो या नही —— टीका लगवा ही लेना चाहिए। इस प्रकार अनेक मनुष्य पाच-छ या उससे भी अधिक बार टीका लगवाते हुए देखे जाते है।

शीतलाका टीका एक बडा जगली रिवाज प्रतीत होता है। इस जमानेमे प्रचलित वहमोमे से यह भी एक है। और इस प्रकारके वहम तो जगली कहे जानेवाले लोगोमे भी देखनेमे नही आते। इस वहमके हिमायतियोको इतनेसे सन्तोष नही हो पाता कि जिसकी इच्छा हो वह यह टीका लगवाये, वे इसका लगवाना सभीके लिए अनिवाय मानते है। जो लोग नही लगवाते उनपर कानूनी कारवाई की जाती हे, और उन्हे सख्त सजा दी जाती है। टीकेका यह आविष्कार १७९८ मे हुआ। अत इसे कुछ प्राचीन वहम नही कहा जा सकता। इस बीच तो लाखो मनुष्य उसके शिकार बन चुके है। जिन्हे यह टीका लगाया जाता है, वे शीतलासे बच गये माने जाते है, यद्यपि ऐसा मान लेनेके लिए कोई सबल आधार नही है। यदि टीका न लगवाया होता तो शीतला अत्यन्त उग्र रूपमे निकलती —— ऐसा कोई नही कह सकता। उल्टे टीका लगे हुए लोगोको शीतला निकलनेके उदाहरण है। अत यह नही कहा जा सकता कि यदि अमुक मनुष्यने टीका लगवा लिया होता तो वह शीलतासे मुक्त रहता।

टीका लगवाना तो एक बडा गन्दा उपाय है। गायकी शीतलाकी पीब हमे लगाई जाती है, इतना ही नही, मनुष्योकी शीतलाका टीका भी लगाया जाता है। साधारणत पीबको देखकर कइयोको कै हो जाती है। यदि यह हाथमे लग जाता है तो लोग साबुनसे हाथ धोते है। यदि किसीसे इसे खानेके लिए कहा जाये तो ऐसी बातसे ही उसे उबकाई उठने लगेगी। यदि कोई मनुष्य ऐसा मजाक भी करे तो हम उससे लडने-पर उतारू हो जायेगे। ऐसा होते हुए भी शायद ही किसीने विचार किया होगा कि टीका लगवाकर हम पीब यानी सडा हुआ रक्त ही ग्रहण करते है। सभी जानते है कि बीमारीकी हालतमे कई बीमारोको दवा या पेय-खुराक त्वचाके जरिये दी जाती है और उसका प्रभाव मुँह द्वारा खाई हुई खुराकसे भी अत्यन्त तेजीसे होता है। मुँहसे सेवन की गई वस्तु एकदम रक्तसे नही मिल पाती, परन्तु त्वचाके द्वारा लिया गया पदार्थ एकदम रक्तसे जा मिलता है। और किंचिन्त्-मात्र लिये गये पदाथका असर भी तत्काल होता है। इस प्रकार देखा जाये तो शरीरपर शीघ्र प्रभावशील होनेकी दृष्टिसे तो त्वचाके द्वारा ली गई दवा या खुराक खाई हुई ही मानी जायेगी। और हम शीतलासे बचनेके लिए पीब भी खा जाते है। कहावत है कि डरपोक मौतसे पूर्व ही मर चुके होते है। ठीक इसी प्रकार शीतलाके रोगसे हम मर जायेगे या कुरूप बन जायेगे, इस भयसे हम टीका लगवाकर पहले ही मर चुकते है।

इस प्रकार पीब ग्रहण करनेमे मै तो मानता हूँ कि हम सभी धम-भ्रष्ट होते है। मासाहारी लोगोको भी रक्त पीनेकी मनाही है। और फिर देखा जाता है कि जीवित प्राणीका रक्त या मास तो खाया ही नही जाता। यह टीका तो फिर जीवित और निर्दोष प्राणीका रक्त होता है और उसे सडाया जाता है और तब हमे त्वचाके जरिये खिलाया जाता है। अत एक आस्तिक मनुष्य तो इस प्रकार रक्त सेवन करनेकी

अपेक्षा यह पसन्द करेगा कि उसे हजार बार शीतला निकले या एकाएक मृत्यु हो जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-६-१९१३

८२ तार गवर्नर-जनरलको

जोहानिसबर्ग
जून १६, १९१३

परमश्रेष्ठ लॉर्ड ग्लैड्स्टन
[गवर्नर-जनरल
प्रिटोरिया]

संसदमें प्रवासी विधेयकके पास होनेकी बातको ध्यानमें रखते हुए मेरा संघ आपका ध्यान भारतीय समाजकी दृष्टिसे इन आपत्तियोंकी ओर आकर्षित करना चाहता है। विधेयक अस्थायी समझौतेपर अमल नहीं करता। वह समझौतेके विपरीत मौजूदा अधिकारोंका अपहरण करता है। सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेके मौजूदा अधिकारमें कटौती करता है। तीन सालके पूर्व-निवासके बलपर नेटालके निवासी भारतीयोंको उस प्रान्तमें फिर प्रवेश करनेकी जो सुविधाएँ अभी हैं उनसे उन्हें वंचित करता है। जिन्होंने तीन-पौंडी कर दे दिया है, उन गिरमिटिया भारतीयोंको भी इस विधेयकके अन्तर्गत प्रान्तमें निवासका हक नहीं होगा। दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केपके वर्तमान कानूनके अन्तर्गत केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार है यह उसे छीनता है। फ्री स्टेटकी समस्या पहले-जैसी ही है क्योंकि शिक्षित भारतीय प्रवासियोंको हलफनामा देना होगा जो किसी भी अन्य प्रवासीसे प्रवासीके नाते नहीं लिया जायेगा। अतएव मेरा संघ विनम्र निवेदन करता है कि विधेयकपर आप अपनी अनुमति रोक लें और इस प्रकार मेरा संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है उसे उन तमाम तकलीफों, कष्टों और आत्मत्यागसे बचायें जो फिरसे आन्दोलन छिड़नेके फलस्वरूप समाजको झेलना पड़ेगा।[1]

अ० मु० काछलिया
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी०-डी० ६९४०/१३

१ **इंडियन ओपिनियन**के २१-६-१९१३ के अंकमें तार विस्तृत रूपमें प्रकाशित हुआ था। लॉर्ड ग्लैड्स्टनने जून १७ को इसकी प्राप्ति स्वीकार की और एक प्रति अपने मन्त्रियोंको भेजी। लेकिन जरथुस्त्री अंजुमनकी ओरसे पारसी रुस्तमजीने जो तार दिया, उसके जवाबमें गवर्नर-जनरलने उन्हें सूचित किया कि मैं पिछले सप्ताह ही विधेयकपर अपनी सहमति दे चुका हूँ।

८३ पत्र: गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स
नेटाल
जून २०, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

यह विधेयक बहुत बुरा है, और इसके विरोधमें सत्याग्रह करना आवश्यक है। आपको यह पत्र मिलते-मिलते शायद हममें से कुछ लोग जेल पहुँच जायें। मेरा इरादा अगले हफ्ते जोहानिसबर्ग जानेका है। वहाँसे अपनी आपत्तियोंके बारेमें मैं एक अन्तिम पत्र श्री फिशरको लिखूँगा और अनुरोध करूँगा कि उन आपत्तियोंको अगले साल दूर कर दिया जाये। यदि वे ऐसा करनेका एक निश्चित, लिखित वचन दे देंगे तो संघर्ष स्थगित कर दिया जायेगा। वे ऐसा वचन देंगे, इसकी आशा बहुत कम है। अब जो संघर्ष होगा, वह निःसन्देह बहुत ही भयंकर होगा और लम्बा चलेगा, इसलिए पेश्तर इसके कि मैं अपने साथी सत्याग्रहियोंसे संघर्ष आरम्भ करनेके लिए कहूँ, मैं संघर्षके पुनरारम्भके कारण आनेवाले दुःखोंको टालनेके लिए बुद्धिसम्मत सभी वैध तरीकोंको अपनाना चाहता हूँ।

विधेयकमें निम्नलिखित दोष हैं :

(१) जान पड़ता है कि [इसमें] फ्री स्टेटकी कठिनाई जैसीकी-तैसी छोड़ दी गई है और इसीलिए जातीय भेदभाव भी बना रहेगा।

(२) वर्तमान अधिकारोंमें बाधा आती है, क्योंकि

(क) सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलका अधिकार बदल दिया गया है,

(ख) दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका केपमें प्रवेशका अधिकार छीन लिया गया है।

(ग) कर ... [1] देनेवाले भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंका अधिवासका अधिकार छीन लिया गया मालूम होता है।

(घ) विवाहोंकी वर्तमान स्थिति बहुत-कुछ बदल गई है, यद्यपि संशोधनसे उत्तेजनामें बहुत कमी हुई है।

मुझे अभी-अभी श्री ग्राइनरकी कृपासे संशोधित विधेयक मिला है। सम्भव है, इसमें दूसरे दोष भी हों। मैं आपको अगले हफ्ते पूरा वक्तव्य[2] तैयार करके भेजूँगा। खत बहुत लम्बा न हो जाये इसलिए मैं ऊपर बताये गये मुद्दोंको यहाँ स्पष्ट नहीं करूँगा।

१ यहाँ मूल पढ़ा नहीं जा सका।

२ यह उपलब्ध नहीं है, देखिए "पत्र: गृह मन्त्रीके निजी सचिवको", पृष्ठ ११५-१८।

और अब आपके प्रश्नोके बारेमे।

१　आपने देख ही लिया होगा कि विधेयकपर सम्राट्ने स्वीकृति दे दी है ।

२　सत्याग्रह शायद अगले महीनेके शुरूमें आरम्भ किया जायेगा।

३　अपनेको गिरफ्तार कराने और जेल जानेके लिए हम नये अधिनियमको तोडकर सब प्रान्तोमे प्रवेश करेगे और प्रमाणपत्र या अन्य कोई कागज नही दिखायेगे। सघषमे शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग भाग लेगे।

४　मै इस समय जहाँतक समझ सकता हूँ, सघर्ष १३ स्त्रियो और १०० पुरुषोसे शुरू होगा। सम्भव हे, बादमे सख्या बढती जाये।

५　बहुत रुपया इकट्ठा होनेकी आशा तो नही है, किन्तु पर्याप्त मात्रामे खाना और कपडा माँगकर इकट्ठा करनेमे मुझे कोई कठिनाई दिखाई नही देती। यदि हम सब जेल चले गये तो मागनेका जिम्मा खुद कैलेनबैकने लिया है। इसका पूरा भरोसा किया जा सकता हे कि जबतक उनके शरीरमे प्राण है, वे एक भी परिवारको भूखा नही रहने देगे। यदि भारत या दूसरी जगहोसे बिना माँगे रुपया नही आता तो हम पैदल जायेगे-आयेगे और तब तारो और केबिलो (समुद्री तारो) पर बिलकुल पैसा खच न किया जायेगा। इस समय जोहानिसबगका सारा सार्वजनिक काय कुमारी श्लेसिन करती है, किन्तु अपनी आजीविकाके लिए वे दूसरी जगह काम करती है। मै लन्दन-समितिके लिए विशेष रूपसे पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ जो आपकी मर्जीपर रहेगा। मै दूसरे आर्थिक रूपसे भी मुक्त हो रहा हूँ। 'इडियन ओपिनियन'के कर्मचारियोकी सख्या न्यूनतम कर दी गई है और वे अपने साधनोपर गुजारा करने लगेगे। मेरी कुछ व्यतक्गित जिम्मेदारिया डॉक्टर मेहता[1] पूरी कर रहे है।

६　सघषके एक साल तक चलनेकी आशा है, किन्तु यदि हमारे पास मेरे अनुमानसे अधिक लोग हुए तो सम्भव हे, यह सघ-ससदके अगले अधिवेशन तक ही बन्द हो जाये। हम तो ऐसा मानकर तैयारी कर रहे है कि लडाई लम्बी चलेगी।

७　समाजको इस सकटमे से निकाल ले जानेके लिए कितने पैसेकी आवश्यकता होगी, इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है। मैने जो न्यनतम अनुमान किया है, उसके अनुसार नकद पैसेकी हमे कोई जरूरत नही होगी। किन्तु मुझे जब पैसा मिलेगा, मै उसका उपयोग सघर्षको जल्दी खत्म करने और परिवारो एव 'इडियन ओपिनियन'को सहायता देनेमे करूँगा। नेटाल और केपके कुछ लोग सघर्षमे निश्चय ही सम्मिलित होगे।

आपसे मेरी प्रार्थना यह है कृपया हमारे बारेमे चिन्ता न करे, सावजनिक रूपसे धन न माँगे और इस कायके लिए अपने स्वास्थ्यको हानि न पहुँचाये। इस प्राथनामे मेरा स्वार्थ हे। मै आपसे भारतमे प्रत्यक्ष रूपसे मिलने, आपके अधीन काम करने, और कहूँ तो, आपके चरणोंमे रहकर वह सब सीखनेके लिए उत्सुक हूँ जो

१ डॉ० प्राणजीवन मेहता, जब गांधीजी लन्दनमें विद्याध्ययन कर रहे थे, तभीसे उनके मित्र ।

मै सीखना चाहता हूँ, और जो मुझे अवश्य सीखना है। यदि मै कुछ बातोमे गलती-पर हूँ तो अपना भ्रम दूर करना चाहूँगा और यदि मै ठीक हूँ, किन्तु हम परस्पर सहमत नही हैं तो मै चाहता हूँ कि वह भ्रम भी दूर हो जाये। यदि मुझे आपका कोई पत्र न मिले तो भी आपके सम्बन्धमे मुझे कोई गलतफहमी नही होगी। किन्तु जब-कभी आपके पास समय हो और आप स्वस्थ हो, तो मै आपके पत्रो और परामशका स्वागत करूँगा और उन्हे मूल्यवान समझूगा। उनसे मुझे सान्त्वना मिलेगी।

श्री हॉलका पत्र मिलनेके बाद मैंने यह निश्चय किया था कि आपको सीधा पत्र न लिखूगा, किन्तु आपका पत्र आनेपर मेरे सामने कोई रास्ता नही बचा।

पोलकके नाम आपके तारके सम्बन्धमे मुझे दूसरा पत्र लिखना होगा। यदि किसी तरह आना सम्भव हुआ तो वे आ जायेगे। मुख्य विचार दो बातोका है—पैसेका, और उनके परिवारका। उनसे कल सारी स्थितिपर बातचीत होगी और फिर उन्ही-पर छोड दूगा कि वे डबन लौटनेपर आपको पत्र लिख दे। चिट्ठियाँ रवाना करनेके लिए मेरी अपेक्षा उन्हे एक दिन अधिक मिलेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२८) से।
सौजन्य सर्वेट्स ऑफ इडिया सोसाइटी।

८४ आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२५]

६ सक्रामक रोग [जारी] शीतला-२

शीतलाके टीकेसे होनेवाले दुष्परिणामोके सम्बन्धमे इग्लैडमे अनेक विचारशील लोगोने खोज की है और इसके विरोधमे अभी वहाँ एक मडलकी स्थापना हुई है। इस मडलके सदस्य शीतलाका टीका नही लगवाते। शीतलाका टीका लगवानेके अनिवार्य कानूनका ये लोग विरोध करते है। कई तो इसके लिए जेल भी जा चुके है। वे दूसरोको भी समझाते है कि शीतलाका टीका न ले। इस सम्बन्धमे अनेक पुस्तके भी लिखी गई है, और अनेक वाद-विवाद चल रहे है। शीतलाके टीकेका विरोध करनेके जो कारण दिये जाते है वे निम्न प्रकार है

१ गायके थनसे जिसपर वास्तवमे बछडेका हक है, लस निकालनेकी क्रिया द्वारा लाखो जीवित पशुओके साथ महान क्रूरताका व्यवहार किया जाता है। यह निर्दयता मानवकी दयावृत्तिको शोभा नही देती, अत उस लससे कुछ लाभ भी होता हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्यमात्रका यह कर्त्तव्य है।

२ इस लससे लाभ नही होता, इतना ही नही, बल्कि इसे लेनेसे मनुष्यके शरीरमे दूसरे रोग भी उत्पन्न हो जाते है। उनकी मान्यता है कि शीतलाके टीकेका प्रचलन होनेके बाद दूसरे रोग अधिक फैले है।

३ यह लस मूलमे मनुष्यके रक्तसे बना है, अत यह सम्भव है कि उस सारे लसमे उस मनुष्यके दूसरे रोगोके कीटाणु हो।

४ टीका लगानेसे मनुष्य रोगमुक्त हो ही जाता है, यह विश्वासपूवक नही कहा जा सकता। इसके आविष्कारक डॉ० जेनरका प्रारम्भमे यह कहना था कि एक हाथमे एक दाना खुदवानेसे मनुष्य सदाके लिए रोगमुक्त हो जाता है। फिर कहने लगे कि दोनो हाथोपर टीका लगानेसे मुक्त हो जायेगा। इसके बाद दोनो हाथोमे एक एकसे अधिक दाने खुदवाये जाने लगे। और जब इतना कर लेनेपर भी रोग होने लगा तब यह माना जाने लगा कि एक बार चेचक निकलवा लेनेके बाद सात वषसे अधिकके लिए [इस रोगसे] मुक्तिका विश्वास नही दिलाया जा सकता, और अब सातके बदले तीन वष माने जाते है। इस प्रकार स्वय डॉक्टर ही कुछ निश्चित नही कह सकते। दरअसल चेचकका टीका लगवानेवाले व्यक्तिको चेचक कदापि नही निकलेगी, यह बात तो मिथ्या ही है। टीका लगवा चुकनेपर जिन्हे चेचक नही निकली यदि वे टीका न लगवाते तो उन्हे चेचक निकल ही आती, यह भी कोई साबित नही कर पाया।

५ अन्तमे वे कहते है कि [शरीरमे] इस लसका प्रवेश करवाना एक घृणित रिवाज है। गन्दगीके द्वारा गन्दगी दूर की जा सकती है ऐसी मान्यता मूखतापूर्ण है।

इस प्रकार अनेक दलीलो और उदाहरणोके द्वारा उपर्युक्त सस्थाने अग्रेज जनताके मनको प्रभावित किया है। इग्लैडका एक ऐसा शहर है कि जहाकी आबादीका एक बहुत बडा भाग चेचकका टीका बिलकुल नही लगवाता और इस हिसाबसे उस शहरकी जनतामे यह रोग कम नजर आता है। इस सस्थाके लगनशील सदस्योने यह साबित कर दिखाया है कि चेचकको लेकर यह भ्रम बनाये रखनमे डॉक्टरोका स्वार्थ है। उन लोगोको प्रतिवष जनताकी ओरसे हजारो पौड टीका लगानेके कायमे मिल जाते है। अत जाने या अनजाने चेचकके टीके द्वारा होनेवाली हानिको वे देख नही पाते। कई डॉक्टरोने तो स्वय यह मत जाहिर किया है और उन्हीमे बहुतेरे ऐसे है जो चेचकके टीकेके सख्त खिलाफ हो चुके है।

चेचकका टीका यदि इस प्रकार हानिकर है तो हमे उसे क्यो लगवाना चाहिए? इसका जवाब मै तो निर्भयतापूवक "ना" कहकर ही दगा। इतना होते हुए भी इसमे अपवाद तो है ही। जान-बूझकर अपनी मर्जीसे किसीको भी टीका नही लगवाना चाहिए, इतना तो मै दृढताके साथ कह सकता हूँ। पर जहा-जहा हम निवास करते है वहाँ चेचक निकलवाना कानूनन जरूरी है। इस मुल्कमे (आफ्रिकामे) यह कानून तोडना एक बडी जोखिम उठाने जैसा होगा। क्योकि यदि हम उसका विरोध करे तो हमारे सिर जान बूझकर सावजनिक स्वास्थ्यका जोखिममे डाल देनेका इलजाम मढ दिया जायगा — पहलेसे जो इलजाम है सो तो ह ही। अत ऐसी स्थितिमे अपना फज क्या हो सकता है? जहा आबादीका एक बडा हिस्सा चेचकके टीकेको कानूनन मानता है और हम उसी इलाकेमे रहते हो तो उस इलाकेका भय दूर करनेके लिए वहाँके जैसा प्रचलित इलाज करवाना हमारा फर्ज हो जाता है। और जो लोग

इसमे मेरे बताये कारणोसे धार्मिक आपत्ति मानते हो उन्हे तो अकेले भी इसके विरुद्ध खडे हो जाना चाहिए और जो सकट आये उन्हे उठा लेना चाहिए। वह मनुष्य, जो केवल यह मानता हो कि टीका न लगवानेसे स्वास्थ्यको हानि न होगी, एकाएक ऐसे कानूनके खिलाफ खडा नही होगा। ऐसे मनुष्यको तो [इस सम्बन्धमे] बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसमे यह शक्ति होनी चाहिए कि वह अपनी मान्यताएँ दूसरोको समझा सके। उसे जनताका मत परिवर्तित करनेके लिए तैयार होना चाहिए। पर जो मनुष्य ऐसा न कर सके वह तो अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेकी दृष्टिसे भी जनमतके विरुद्ध नही जा सकता। बहुतेरे काय ऐसे है जो हमे पसन्द नही होते, फिर भी हम जिस समाजमे रहते है उसकी खातिर हमे करने पडते है। समाजकी सुख-सुविधाके सामने हमे अपनी व्यक्तिगत सुविधाओको दरकिनार करना पडता है। बहुमतके सम्मुख एक व्यक्ति खडा हो सके, ऐसा अवसर तो धम या नीतिकी बात होनेपर ही आ सकता है। यही साधारण नियम है। जो मनुष्य अपना कोई मत ही नही रखता किन्तु इस प्रकारके लेखोसे प्रभावित होकर और अपनी आलसी वृत्तिको उत्तेजित करनेके लिए टीका न लगवाना चाहे उसे तो कानूनका ही पालन करना चाहिए।

और फिर टीका न लगवानेवालेको स्वच्छता आदिके नियमोको समझते हुए उनका भी बराबर पालन करना चाहिए। जो मनुष्य शीतलाका लस लगवाना तो न चाहे, किन्तु विषय-भोगके जरिये विष ग्रहण करता हो या स्वास्थ्यके अन्य नियमोका उल्लघन करके दु ख भोगता हो उसे उस देश या समाजका विरोध करनेका अधिकार नही है जिसमे चेचकका टीका स्वास्थ्य-सम्पादनका नियम माना जाता है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१-६-१९१३

८५ तार गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
जून २१, १९१३

गोखले
लन्दन

मन्त्रीको अन्तिम पत्र[1] देनेके लिए ट्रान्सवाल जा रहा हूँ। यदि जवाब सन्तोष-प्रद हुआ और नया समझौता किया गया तो सत्याग्रह नही होगा। कानूनमे चार घातक आपत्तियाँ मौजद दिखती है।[2] मुझे खास आशा नही है। समझौता न होनेपर, जुलाईके प्रारम्भमे सत्याग्रह शुरू। तब पोलक रवाना हो सकते है। यदि सम्भव हो तो उनके आने-जाने व एक साल रहनेके

१ और २ देखिए "पत्र गृह मन्त्रीके निजी सचिवको", पृष्ठ १५१८।

खर्चके लिए जो परिवारके यहाँ साथ रखनेके भत्तेको मिलाकर अनुमानत एक हजार पौड होगा भारतमे चन्दा किया जाये। यह चन्दा यहाँ कर पाना फिलहाल असम्भव है।

गाधी

मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य सर्वेट्स ऑफ इडिया सोसायटी।

८६. आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२६]

६ सक्रामक रोग [जारी] शीतला–३

इस प्रकार शीतलाका विवेचन करते हुए हमने टीकेकी हानियाँ देखी। अब यह समझ लेना जरूरी हे कि इस रोगकी रोक-थाम कैसे की जाये। जो मनुष्य इन प्रकरणोमे बताये गये हवा, जल और खुराकके नियमोका विवेकपूर्ण पालन करेगा उसे शीतला निकलनेकी कोई सम्भावना नही है। क्योकि शीतलाके विषका प्रतिकार करनेकी ताकत तो उसके रक्त ही मे होती है।

जिसे शीतला निकल आई हो उसके लिए गीली चादरकी लपेट (वेट शीट पैक)का प्रयोग बडा चमत्कारिक इलाज है। बीमारको कमसे-कम [दिनमे] तीन बार गीली चादरमे सुलाना चाहिए। ऐसा करनेसे बीमारके शरीरकी तीव्र उष्णता कम हो जायेगी और निकले हुए चेचकके दाने थोडे ही दिनोमे नरम पड जायेगे। इन दानोपर मरहम आदि लगानेकी भी कोई जरूरत नही है। यदि शरीरमे ऐसे एक-दो स्थानपर ही शीतला हो, और वहाँ मिट्टीकी पट्टी रखी जा सकती हो तो रखी जानी चाहिए। खुराकमे रुचिके अनुसार चावल, नीबू और हलका ताजा मेवा लिया जाये। "हलका मेवा" लिखनेका हेतु यह है कि जब शीतलाका दाह तेज हो तब खजूर, बादाम आदि पौष्टिक मेवे न लिये जाय। गीली चादरकी लपेटसे एक सप्ताहके भीतर दाने नरम पडने ही चाहिए। यदि वे नरम न पडे तो समझना चाहिए कि शरीरमे अभी विष बाकी है और वह निकल रहा है। शीतला कोई बडा भारी रोग है, यह माननेका कारण नही है। बल्कि वह तो शरीरमे भरे हुए रोगके बाहर निकलनेका और उसके परिणामस्वरूप उस हदतक शरीरके दुरुस्त होनेका लक्षण-भर है।

यही मन्तव्य अनेक रोगोपर लागू होता है। पर शीतला-जैसे रोगोके लिए विशेष रूपसे उचित जान पडता है। बीमारियोके हट जानेपर बीमार कमजोर हो जाता है और कितने ही रोगी बादमे भी किसी-न-किसी रोगसे पीडित रहते है। इसका कारण वह मूल बीमारी नही होती बल्कि बीमारीके लिए किये गये इलाज होते है। बुखारमे कुनेनके सेवनसे प्राय कान बहरे हो जाते है। किसी-किसीको "क्विनिनिज्म" नामका भयकर रोग हो जाता है। व्यभिचारसे होनेवाले रोगोको दूर करनेके उपचारोमे पारा आदि होते है और इससे जो रोग पैदा हो जाते है, उनसे रोगी सदाके लिए

पीडित रहता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है। अत दवाओके सेवनसे रोग नही मिटता। इतना ही नही, बल्कि ये दवाइयाँ दूसरे रोगोका कारण बन जाती है। दस्तको बन्द करनेके जुलाब लेनेवालेको बवासीर आदि रोग हो जानेके अनेक उदाहरण देखनेमे आते है। रोग हो जानेपर उसके कारणकी खोज की जाये, उसे दूर किया जाये और रोगसे छुटकारा पाया जाये तथा भविष्यमे प्राकृतिक नियमोका पालन किया जाये। इसके-जैसी पोषण प्रदान करनेवाली कोई भस्म नही है — यह निर्विवाद है। लोहा आदि धातुओको फूककर उसकी भस्म बनायी जाती है। इनको अक्सीर इलाज मान लेना भी भ्रम ही है। इनका कुछ असर होता है, इसका तो स्पष्ट अनुभव होता है, परन्तु ये जिस हद तक शरीरको ठीक करते जान पडते है उसी हद तक मनोविकार पैदा करते है अत मूल रूपमें मनुष्यके लिए हानिकारक ही होते है। शीतलाकी बीमारीके लिए ऐसी दवाइया अधिक उपयुक्त मानी जाती है। शीतलाके रोगियोको प्राय शीतला फिरसे नही निकलती। इतना ही नही, बल्कि उसके बाद रोगीका शरीर बडा स्वस्थ हो जाता है। कारण, शरीरका सारा विष निकल जाता है।

जब शीतला नरम पडे और दाने सूखने लगे तब बीमारकी चमडीपर जैतूनका तेल लगाया जाये और उसे रोज स्नान कराया जाये। ऐसा करनेसे शीतलाके दाग प्राय मिट जायेगे और नई चमडी आने लगेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१३

८७ पत्र: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको[1]

जोहानिसबर्ग
जून २८, १९१३

गृह-मन्त्रीके
निजी सचिव,
प्रिटोरिया

प्रिय महोदय,

मैने प्रवासी-नियमन अधिनियम (इमीग्रैंट्स रेग्यूलेशन ऐक्ट) के अध्ययनका प्रयत्न किया है और मै कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि यह मूल विधेयकसे अच्छा है।[2] किन्तु सादर निवेदन है कि यह कमसे-कम चार बातोमे १९११ के अस्थायी समझौतेको कार्यान्वित नही करता। मेरी विनीत सम्मतिमे, यदि इन चार मुद्दोके बारेमे शिकायत

१ यह १३-९-१९१३ के **इंडियन ओपिनियन**में, "रिवाइवल ऑफ़ पैसिव रेजिस्टैंस" ("सत्याग्रहका पुनरारम्भ") शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२ विधेयकके मसविदे और अधिनियमके 'गजट' में प्रकाशित रूपकी विस्तृत तुलना **इंडियन ओपिनियन**मे प्रकाशित हुई थी, देखिए परिशिष्ट ६।

दूर कर दी जाये, तो सरकारकी नीतिमे कोई परिवर्तन हुए बिना भी समझौतेकी शर्तोंका — मेरे देशवासी उसका जो अर्थ समझते है उस अर्थमे — पालन, केवल पालन हो जायेगा।

उक्त चार मुद्दे निम्नलिखित है

(१) इसमे "अधिवासी" (डोमिसाइल) शब्दकी जो परिभाषा की गई है उसके अनुसार, जान पडता है, १८८५ का भारतीय प्रवासी कानून सशोधन अधिनियम लागू होनेके बाद आये हुए भारतीय गिरमिटिये और उनके वशज निषिद्ध प्रवासी हो गये है।

(२) यदि उक्त व्याख्या ठीक हो तो दक्षिण आफ्रिकामें जन्म लेनेपर भी इस श्रेणीमे आनेवाले वशज आगेसे केप प्रान्तमे प्रवेश नही कर सकेंगे।

(३) जो स्त्रियाँ दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय धार्मिक विधियोके अनुसार ब्याही गई है और फिर जो भारत जानेके बाद वहासे अपने पतियोके साथ लौटेगी उनका दर्जा वही नही होगा जो भारतमे ही [विवाहित][1] स्त्रियोका होता है। और न इस सशोधनमें उन सैकडो स्त्रियोके लिए ही कोई व्यवस्थाकी गई है जो गैर-ईसाई धर्मोंके अनुसार ब्याही गई है।

(४) जान पडता है, फ्री स्टेटकी कठिनाई जैसी पहले थी वैसी ही बनी रहेगी।

पहले मुद्देके बारेमे इस तथ्यको ध्यानमे रखते हुए कि मन्त्री महोदयने दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोके केपमे प्रवेश करनेके अधिकारको मान्यता दी है, बशर्ते कि वे दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीय माता-पिताओकी सन्तान हो, पर उन गिरमिटिया माता-पिताओकी सन्तान न हो जो १८९५ का नेटाल अधिनियम १७ लागू होनेके बाद गिरमिटमे बँधे थे।[2] मुझे लगता है कि यदि सरकार १८९५ का अधिनियम लागू होनेके बाद गिरमिटमे बँधनेवाले भारतीयोकी दक्षिण आफ्रिकामे जन्मी सन्तानके दर्जेको भी मान्य कर ले तो यह उसके लिए एक मामूली बात होगी। मुझे विश्वास है कि सरकारका मन्शा न उपनिवेशमे जन्मे भारतीयोमे इस प्रकार विभेद पैदा करना है और न ऐसे गिरमिटिया भारतीयोके अधिवासके अधिकारको मान्यता दे देनेसे सरकारकी नीतिपर ही कोई प्रभाव पडता है। ऐसे भारतीयोकी सख्या सात हजारसे ऊपर नही हो सकती। सच कहे तो, यह सख्या नेटालकी भारतीय आबादीकी तुलनामे, जो १,३३,००० कूती जाती है, कोई खतरनाक स्थायी वृद्धि नही मानी जा सकती, खास तौरसे इस बातको ध्यानमे रखते हुए कि इन लोगोकी जरूरत नेटालके यूरोपीयोको है।

भारतीय समाजके लिए पहले और दूसरे, दोनो ही मुद्दे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि ये लोग तीन पौडी वार्षिक कर दे रहे है, तो नेटालकी अदालतोके फैसलेके अनुसार इनको नेटालमे स्थायी निवासीके रूपमे रहनेका अधिकार है। क्या वे अब निषिद्ध प्रवासी माने जायेंगे? मेरा खयाल है कि सरकार उन्हे निर्वासित नही करना चाहती,

१ यहाँ मूलमें शब्द साफ पढ़नेमें नही आता।
२ मूलमें ही वाक्य अपूर्ण रह गया जान पड़ता है।

परन्तु तब क्या वह अधिनियमकी व्यापार करने या जमीन रखनेसे सम्बन्धित धाराओको लागू करना चाहती है?

विवाहके प्रश्नके बारेमे मैने जो कठिनाई बताई है वह मेरी विनम्र सम्मतिमें स्पष्ट और विचारणीय है।

जनरल स्मट्स और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहारके[1] अन्तिम मुद्देके सम्बन्धमे यह सन्देह प्रकट किया गया था कि आसरक्षण-सम्बन्धी धाराके बावजूद क्या ऐसे भारतीयोको भी परिच्छेद ३३के खण्ड ८मे उल्लिखित हलफनामा देना पडेगा जिनको नये अधिनियमके अन्तर्गत इस प्रान्तमे प्रवेश करनेकी अनुमति दी जा सकती हो। मै समझता हूँ कि फ्री स्टेटके लोग भी यह नही चाहते कि भारतीय प्रवासीसे अपमानजनक हलफनामा माँगा जाये, बल्कि यह चाहते है कि उसे जमीन रखना, तथा खेती या व्यापार करना कानूनी तौरपर मना हो। यदि कानूनमे ही खास तौरसे इसका उल्लेख कर दिया जाये, तो उनका उस धाराको निकालनेपर आपत्ति करना उचित नही होगा, जिसके अन्तगत हलफनामा देना आवश्यक है।

फिलहाल, और समझौतेके उद्देश्यसे, मै सर्वोच्च न्यायालयका क्षेत्राधिकार हटानेका (मै मानता हूँ कि अब यह आशिक रूपसे ही हटता है) और अधिनियमकी उन दूसरी कडी धाराओका प्रश्न नही उठाता जिनके कारण यह अधिनियम पहलेके उन प्रान्तीय कानूनोके मुकाबले बहुत ज्यादा अनुदार हो जाता है जिनकी जगह इसे रखा जा रहा है।

यदि श्री फिशर समझते हो कि सरकारके लिए भारतीय समाजकी बात मानना और अगले वर्ष आवश्यक सशोधन करनेका आश्वासन देना सम्भव है और यदि उनका खयाल हो कि इन मुद्दोपर स्वय मुझसे बातचीत करना कुछ भी लाभप्रद है तो मै उनसे खुशीसे मिलूँगा। आशा है, श्री फिशर मेरे पत्रपर उसी भावनासे विचार कर सकेगे जिस भावनासे मैने उसे लिखा है। मै उन्हे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा कोई बडा सकट उत्पन्न करनेकी नही है, किन्तु यदि सरकार और भारतीयोके बीच समझौता न हो सका तो निश्चय ही सकट उत्पन्न हो जायेगा।

यदि भेट होती है तो उसमे इसपर बातचीत करना आवश्यक होगा कि यदि विवाह एक-पत्नीक विवाह नही है तो उन विवाहिता स्त्रियोके प्रवेशमे और शिक्षित भारतीयोके प्रवेशको नियन्त्रित करनेके तरीकेके सम्बन्धमे अधिनियमपर कैसे अमल किया जायेगा। पत्र बहुत लम्बा न हो जाये, इसलिए और इसलिए भी कि मेरा खयाल है कि यदि कानूनको ही सुधारा जा सके तो उसपर किये जानेवाले अमलको सुधारना अपेक्षाकृत सुगम है, यहाँ मै इन मुद्दोपर विचार नही करता।

कहनेकी जरूरत नही कि पूरा पत्र यह मानकर लिखा गया है कि सरकार और मेरे बीच तारो या पत्रो द्वारा जिन अधिकारोके बारेमे चर्चा हो चुकी है उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्तमान अधिकारमे यह अधिनियम कोई हेरफेर नही करता।[2]

१ देखिए खण्ड ११।
२ लगता है कि गाधीजीने यह पैरा बादमें अपने ही हाथसे जोड़ा था।

मैं अपने साथी कार्यकर्ताओंको कोई सलाह देनेसे पहले आपका उत्तर जान लेना चाहता हूँ। इसलिए उत्तर तारसे देनेकी कृपा करें।[1]

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८११) की फोटो-नकलसे।

८८ पत्र : गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
जुलाई २, १९१३

महोदय,

आज सुबह मेरी और आपकी जो बातचीत हुई थी, उसके मुद्दोंको मैं आपकी इच्छानुसार लिखित रूप दे रहा हूँ

१. दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयों और केप प्रवासी कानूनके अन्तर्गत उनके केपमें प्रवेश करनेके अधिकारके सम्बन्धमें मेरा विचार यह है कि नये कानूनके खण्ड ५के अन्तगत इसी खण्डके उपबन्धके कारण ऐसे लोग प्रवेश नहीं पा सकते। यदि सरकारका मन्शा, अबतक की भांति, उनके अधिकारको उसी हालतमें मान्यता देनेका है जब वे दक्षिण आफ्रिकामें अपना जन्म सिद्ध कर दें तो वह इसे, कोई नया कानून पास किये बिना, ऐसे विनियम बनाकर भी कर सकती थी, जो उन्हें इस कानूनके खण्ड १की धारा (क) के प्रभावसे बरी कर देते। ध्यान देनेकी बात है कि यदि ऐसे भारतीय केपकी साधारण शैक्षणिक परीक्षा पास कर लें तो वे धारा ५के उपखण्ड २के अनुच्छेद (क) के अनुसार इस प्रान्तमें प्रवेश कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि उपनिवेशमें जन्मे अधिकांश भारतीय गवर्नमेंट इंडियन स्कूलोंकी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और उनमें केप-परीक्षामें बैठनेकी पर्याप्त योग्यता है। यह भी सुविदित है कि जबसे केप-कानून लागू है तबसे दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न शायद ही किसी ऐसे भारतीयने, जो केप प्रान्तका न हो, वहाँ जाकर बसनेका प्रयत्न किया हो। कारण यह है कि वहां उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है।

२. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सन् १८९५के संशोधन कानूनके अन्तर्गत नेटालमें प्रवेश करनेवाले गिरमिटिया भारतीयोंके सम्बन्धमें नेटालकी अदालतोंने यह मत व्यक्त किया है कि अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त कर लेनेपर ये लोग नेटालमें बसनेको स्वतन्त्र हैं, और यदि ये अपनेको दुबारा गिरमिटबद्ध न करते तो भी इन्हें निषिद्ध प्रवासी नहीं माना जा सकता। अदालतोंने यह भी कहा है कि तीन वर्षके गिरमिट-मुक्त निवासके बाद उन्हें अन्य भारतीयोंकी भाँति अधिवासके अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु ऐसा लगता है कि इस वर्तमान कानूनमें "अधिवासी"

१. इस पत्रके बाद २ जुलाईको दोनोंकी भेंट भी हुई थी। गांधीजीने चर्चामें उठे मुद्दोंको लिखित रूप दे दिया था, देखिए अगला शीर्षक।

शब्दकी जो परिभाषा की गई है,' उसका इन भारतीयोपर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम नेटालमे प्राप्य सबसे अच्छी कानूनी सलाह ले चुके है, उसके अनुसार ऐसे भारतीय इस परिभाषाके अन्तगत नही आते और नये कानूनका उनके अधिकारोपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। फिर भी, मै अपने देशभाइयोको यह सलाह देनेकी जिम्मेवारी अपने सिरपर नही लेना चाहता कि वे सिफ इस कानूनी सम्मतिको मानकर चले। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भविष्यमे सामने आनेवाले जिन मुद्दोका पूर्वाभास कमसे-कम मुझे हो जाये, उनपर विचार किये बिना अथवा उन्हे पूरी तरह समझे बिना नही छोडा जाना चाहिए। फिर भी, यदि सरकार "अधिवास" शब्दकी वैसी ही व्याख्या करती है जैसी कानूनी सलाहकारने की है तो इस आशयका कोई आश्वासन दे देनेसे यह मामला तय हो जाता है। अब मै यह बात आपके सामने अपनेतई साफसे-साफ शब्दोमे रख दू। हम गिरमिटिया भारतीयोको कोई नया हक दिलानेकी कोशिश नही कर रहे है, किन्तु हम उनके वर्तमान अधिकारको पूण रूपसे सुरक्षित रखनेके लिए उत्सुक है। और भारतीयोकी मान्यताके अनुसार यह अधिकार इस प्रकार है यदि कोई ऐसा गिरमिटिया भारतीय — जिसने सन् १८९५के बाद सेवाका अनुबन्ध किया है — अपने अनुबन्धकी अवधि समाप्त होनेपर मुक्त हो जाता है और फिर दुबारा गिरमिटमे बँधे बिना तीन साल तक इस प्रान्तमे रहता है और फिर भारत जाकर पुन वापस आता है तो उसे नेटालके मौजूदा प्रवासी कानूनके अन्तगत, अपने तीन वषके निवासके आधारपर, इस उपनिवेशमे प्रवेश करनेका अधिकार है।

३ फ्री स्टेटके सम्बन्धमे मैने आपका ध्यान जनरल स्मट्ससे प्राप्त एक पत्रकी ओर दिलाया था। इस पत्रमे उन्होने बताया है कि उनके विचारमे सम्भवत फ्री स्टेटमे ज्ञापनकी जरूरत नही है। यदि सरकारके कानूनी सलाहकारोके अनुसार कानूनी स्थिति ऐसी ही है तो इस आशयका एक वक्तव्य प्रकाशित कर देनेसे यह कठिनाई दूर हो जायेगी। अब मै यह निवेदन करनेकी धृष्टता करता हूँ कि नये कानूनके खण्ड १९ के अनुसार जिस ज्ञापनकी आवश्यकता होगी, सम्भव है कि उसके पीछे, पर नये कानूनके खण्ड २८ के साथ-साथ, अन्य सारी निर्योग्यताएँ भी छपी रहे। उस अवस्थामे किसी ब्रिटिश भारतीयको फ्री स्टेटके लिए प्रवासी करार देते समय इस ज्ञापनकी कोई आवश्यकता नही रह जाती।

४ विवाहके प्रश्नके सम्बन्धमे निवेदन यह है कि सर्ल-निणयको[१] ध्यानमे रखते हुए सघमे हुए या होनेवाले भारतीय विवाहोको कानूनी करार देना आवश्यक है। नये कानूनकी विवाह-सम्बन्धी धारामे से "सघके बाहर" शब्द-समुच्चयको निकालकर, इस कानूनको सशोधित कर देनेसे उक्त उद्देश्य पूरा हो जा सकता है। या फिर इसका एक उपाय यह भी हो सकता है कि विभिन्न प्रान्तोके विवाह-कानूनोमे सशोधन करके सरकारको विभिन्न सम्प्रदायोके लोगोके लिए विवाह-अधिकारी नियुक्त करनेकी सत्ता

१ देखिए परिशिष्ट १।

दे दी जाये, और फिर ये अधिकारी सम्बन्धित लोगोंको उनके अपने-अपने धर्ममें विहित ढंगसे सम्पन्न विवाहोंके सम्बन्धमें जो प्रमाणपत्र दें उन्हें सही सबूत माना जाये।

नये कानूनमें किये गये विवाह-सम्बन्धी संशोधनके विषयमें मेरा खयाल है कि उससे केवल एक-पत्नीक विवाहोंको ही मान्यता मिलेगी, और मैं यह भी समझता हूँ कि अभी कानूनी तौरपर कुछ किया भी नहीं जा सकता। किन्तु, इस आशयका कोई आश्वासन दे देना आवश्यक है कि किसी भी भारतीय प्रवासीकी एक पत्नीको — यदि दक्षिण आफ्रिकामें उसकी कोई और पत्नी नहीं हो, भारतमें चाहे जितनी हो — प्रवेश देनेका जो प्रचलन है उसे जारी रखा जायेगा।

और तब सवाल रह जायेगा बहुपत्नीक विवाहका। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे मामले बहुत नहीं हैं, किन्तु जो भारतीय पहलेसे ही दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हैं उनकी एकाधिक पत्नियोंको प्रवेश देना आवश्यक है। नये बहुपत्नीक विवाहोंको प्रशासनिक मान्यता देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगोंकी एक सूची आसानीसे तैयार की जा सकती है जिनके इस संघके भीतर या बाहर एकाधिक पत्नियाँ हैं। स्वभावतः मेरा यह कथन ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न सन्तानोंपर भी लागू होता है। यह बता दूँ कि सन् १९११के जुलाई महीनेमें जनरल स्मट्सने ऐसा आश्वासन दिया था कि बहुपत्नीक विवाहके विशिष्ट मामलोंपर सरकार विचार करेगी।

मैं समझता हूँ, अब मैंने वे सभी मुद्दे लिख डाले हैं जिनपर हमने बातचीत की थी। यदि आप ऐसा सोचते हों कि इसमें कुछ छूट गया है या मुझे इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए तो कृपया वैसा सूचित करें। मुझे तो स्पष्ट दीख रहा है कि इस कठिनाईका हल बहुत आसान है, क्योंकि विवाहकी समस्याको छोड़कर अन्य सारी बातें संसद द्वारा कोई कानून बनाये बिना ही निबटाई जा सकती हैं।

यदि कोई निबटारा हो जाता है तो नये प्रवेशार्थियोंको प्रवेश देनेके तरीके तथा विभिन्न प्रान्तोंके लिए उनकी संख्यापर विचार करना आवश्यक होगा। अब मैं यह निवेदन करूँगा कि यदि मेरे सुझाव जनरल स्मट्सको स्वीकार्य हों तो आप कृपया मुझे टेलीफोन कर दें, ताकि मैं प्रिटोरिया आ सकूँ और समझौतेकी शर्तोंसे युक्त एक अन्तिम पत्र मुझे दिया जा सके। मैं यह निवेदन इस खयालसे कर रहा हूँ कि यदि मुझे कोई पत्र दिया गया और उसकी भाषा किसी स्थलपर सन्दिग्ध हुई तो उसके समाधानके लिए आगे पत्र-व्यवहार करना आवश्यक न हो। इसके अलावा उस अवसरपर नये प्रवेशार्थियोंके प्रश्नपर भी विचार किया जा सकता है। मैं आपको इस बातका महत्त्व तो बता ही चुका हूँ। मुझे भरोसा है कि आप शीघ्र ही उत्तर देनेकी कृपा करेंगे।[1]

मैं यह पत्र श्री प्रागजी देसाईके[2] हाथों भेज रहा हूँ। आप जो सन्देश भेजना चाहें, इनकी मार्फत भेज सकते हैं। और यदि आप मुझसे टेलीफोनपर बातें करना

१ **इंडियन ओपिनियन**में उन दिनों प्रकाशित एक समाचारसे ज्ञात होता है कि जोहानिसबर्गमें नागरिक अशान्तिके कारण जनरल स्मट्सने कुछ दिनोंके लिए बातचीत स्थगित कर दी थी। फिर शान्ति स्थापित होनेपर अगस्त ११, १९१३ को गांधीजीने पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया।

२ प्रागजी खण्डूभाई देसाई, एक सत्याग्रही।

चाहे तो १६३५ नम्बर मिलाये। मैं जहाँ-कही भी होऊँगा, वहाँसे शीघ्र ही टेलीफोन-पर आ जाऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

८९ पत्र जमनादास गाधीको

ज्येष्ठ वदी १४, १९६९ [जुलाई २, १९१३]

चि० जमनादास,

सापके काटनेके बारेमे तुमने कुछ सवाल पूछे है और [इस प्रसगमे] दूसरोके अनुभवोका उल्लेख किया है। इस सम्बन्धमे मै जो-कुछ कहूँ, उसे अनुमान-मात्र समझना। उसमें कुछ भी अनुभवपर आधारित नही है। तुम्हे जो उदाहरण हाथ लगे है, वे बहुत महत्त्व देने लायक नही है। [झाड-फूक करनेवाला] आदमी अपना सिर बडे जोरसे दाये-बाये हिलाने लगता है—हो सकता है इस बातमे कुछ तथ्य हो। किन्तु ज्यादातर यह चीज ढोग ही होती है। साँप और बिच्छूके काटनेके ऐसे इलाजोके बारेमे भी मेरा यही खयाल है। सम्भव है, उसमे कुछ सत्य हो, किन्तु इस प्रकारकी खोजमे पडना मै ठीक नही समझता। हमारी सारी प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक होनी चाहिए। सबकुछ—यहातक कि आरोग्य भी—इसके भीतर आ जाता है। इतना निश्चित है कि जो व्यक्ति आत्माकी खोजमे लगा हुआ है, उसे बाकी सब अपने-आप मिलता जाता है।

ऊनी कपडे कई लोग बारहो महीने पहनते है। वे नॉन कडक्टर (विसम्वाहक) है सही, किन्तु गर्मीके महीनेमे ऊनी कपडे पहनना ठीक नही, क्योकि उससे शरीर नाजुक बनता है। शरीरको समशीतोष्ण रखनेके बजाय यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम उसे ऐसा बनाये कि वह गर्मी-सर्दी दोनोको सह सके।

ईश्वर है भी और नही भी है। शाब्दिक अर्थकी दष्टिसे वह नही है। जिस आत्माको मोक्ष प्राप्त हो गया है, वह ईश्वर है और इसलिए उसे सम्पूर्ण ज्ञान है। भक्तिका सच्चा अर्थ तो आत्माकी खोज है। जिस समय आत्मा अपनको पहचान लेता है, उस समय भक्तिका लय हो जाता है और उसके स्थानमे ज्ञान प्रकट होता है।

नरसी[1] आदि भक्तोने आत्माकी ऐसी ही भक्तिपूर्ण खोज की थी। कृष्ण, राम आदि अवतार थे, किन्तु हमारे पुण्य भी यदि उसी कोटिके हो, तो हम भी उन-जैसे हो सकते है। जो आत्मा मोक्ष-प्राप्तिकी सीमापर पहुँच गया है, वह अवतार-रूप है। किन्तु, यह माननेका कोई कारण नही है कि उसने अपने उसी जन्ममे सम्पूर्णता प्राप्त कर ली है।

१ गुजरातके सत कवि नरसी मेहता।

है। वह मासका ही रूप है और मनुष्यको उसे पीनेका अधिकार नहीं। बच्चा माँका दूध पीता है, इसलिए मनुष्यको गायका दूध पीना चाहिए, यह बात तो अज्ञानकी सीमा है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो

९० पत्र : गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
जुलाई [४], १९१३

प्रिय श्री जॉर्जेस,

आपके इसी ३ तारीखके नोटके लिए धन्यवाद। श्री पोलकके बारेमें आपसे हुई बातचीतको ध्यानमें रखते हुए कृपया कल शनिवारको आप जितनी जल्दी हो सके, फोन कर लें। मैं लगभग ढाई बजे तक दफ्तरमें रहूँगा। मेरा टेलीफोन नम्बर १६३५ है।

मैंने आपके पास नेटालके उन गिरमिटिया भारतीयोंके मुकदमेसे सम्बन्धित कागजात भेजनेकी बात कही थी जो ३ पौंडी कर दे रहे हैं। मुकदमा है — सुब्रायन बनाम मुख्य प्रवासी-अधिकारी, यह 'नेटाल रिपोर्ट्स'के पृष्ठ ६३८ पर दिया गया है। मुकदमेका सार, जो मुझे तारसे भेजा गया है, इस प्रकार है

> **सुब्रायनने गिरमिटियाके रूपमें काम किया था। उसका गिरमिट १९०६में खत्म हुआ था। उसके बाद उसने मई १९११ तक [३ पौंडी] कर दिया। फिर वह अपना कारबार अपनी पत्नीको सौंपकर कुछ दिनोंके लिए भारत चला गया। सुब्रायन नवम्बर, १९१२ में लौट आया, किन्तु उसपर १९०३ के नेटाल अधिनियमके खण्ड ५, उपखण्ड (क) के अन्तगत प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अदालतने खण्ड ३२, उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्णय दिया कि कर देनेके बाद सुब्रायनका स्वतन्त्र भारतीयके रूपमें नेटालमें निवास खण्ड ३२ में "गिरमिट"के तुरन्त बाद दिये गये — "या ऐसे ही" शब्दोंके अर्थके अन्तर्गत नहीं आता और वह खण्ड ४के अन्तर्गत अधिनियमके अमलसे छूट पानेका अधिकारी है।**

मेरा खयाल है, आप इस बातसे सहमत होंगे कि इस मामलेसे मेरी बातका पूरा-पूरा समर्थन होता है।

आपका सच्चा,

श्री ई० एम० जॉर्जेस

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८२३) की फोटो-नकलसे।

९१. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२७]

७ अन्य सक्रामक रोग

शीतलाके सम्बन्धमे हम विस्तारपूर्वक विचार कर चुके। इसके बाद इसके मौसेरे भाई छोटी माता, मसूरिका आदि रह जाते है। प्लेग, हैजा और मक्रामक आव-पेचिश आदि भी छूतके ही रोग है। छोटी माता और मसूरिका आदिसे हम इतना भय नही खाते, क्योकि वे न तो इतने घातक होते है और न उनसे शरीर ही कुरूप हो जाता है। इमके सिवा और परिणाम तो शीतलाकी तरह ही होते है। उसका विष भी शीतलाकी तरह ही सक्रामक होता है। इन रोगोके लिए ठडे जलके उपचार, गीली चादरकी लपेट आदि अक्सीर इलाज है। इन बीमारियोमे खुराक एकदम हलकी और सादी होनी चाहिए। यदि ताजे फलोपर रहा जा सके तो ये रोग बडी शीघ्रतासे मन्द पड जाते है।

[प्लेग की] ग्रन्थि ज्वर [वाली किस्म] एक भयकर रोग है। अग्रेजीमे इसे "ब्यूबनिक प्लेग" कहते है। सन् १८९६ से भारतमे लाखो लोग इस रोगके शिकार हुए है। यद्यपि भगदड खूब मची, पर डॉक्टर इसका कोई इलाज नही खोज पाये। आजकल इस रोगके लिए भी शीतलाकी तरह टीके लगाये जाते है और इससे लोगोके शरीरमे प्लेगका हलका-सा बुखार पैदा किया जाता है, डॉक्टर लोग समझाते है कि ऐसा कर देनेसे प्लेग नही हो पाता। पर यह शीतलाके टीके-जैसा ही ढोग है और उतना ही दोषपूर्ण है। जिसने शीतलाका टीका लगवाया है यदि वह टीका नही लगवाता तो उसे रोग हो ही जाता, यह नही कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार प्लेगका टीका लगवानेवाला भी यदि टीका न लगवाये तो उसे प्लेग हो ही जायेगा, कोई दावेके साथ ऐसा नही कह सकता। अभीतक प्लेगकी कोई दवा ही नही है। और यह भी नही कहा जा सकना कि मिट्टी और पानीके प्रयोग इसमे कारगर ही हो। हाँ, जिन्हे मृत्युका भय नही है और जो ईश्वरपर आस्था रखते है उन्हे नीचे दिये उपाय सुझाये जा सकते है

१ बुखार आते ही या प्लेगका कोई चिह्न दिखाई देते ही गीली चादरकी लपेट लेनी चाहिए।
२ गाँठपर मिट्टीका गाढा लेप लगाया जाये।
३ रोगीको खाना बिलकुल न दिया जाये।
४ यदि खुश्की हो तो नीबूका पानी दिया जाये।
५ रोगीको खुली और स्वच्छ हवामें सुलाया जाये।
६ रोगीके पास एक मनुष्यके सिवा और किसीको न जाने दिया जाये।
७ रोगी यदि इलाजसे बच सकता है तो वह इस इलाजसे अवश्य बच जायेगा।

प्लेगके ज्वरकी उत्पत्ति क्यो होती है, यह अभीतक निश्चित नही है। अनेक लोगोका मत है कि इसका प्रसार चूहोके जरिये होता है। यह बात बेबुनियाद नही जान पडती। जहा प्लेग हो, वहा मकानको साफ रखनकी जरूरत है। धान्य आदि इस प्रकार रखा जाये कि चूहोको खानेको कतई न मिले तो वे आये ही नही। चूहोके बिल आदि बन्द कर दिये जाये और जिस घरसे चूहोको न भगाया जा सके, उस घरको अवश्य छोड दिया जाये।

पर यह रोग हो ही नही, इसके लिए सर्वोत्तम बात तो यह है कि प्रारम्भ ही से पवित्र और शुद्ध खुराक ली जाये, मिताहार किया जाये, व्यसन छोड दिये जाये। व्यायाम किया जाये, खुले वायुमण्डलमे रहा जाये, घर आदिको स्वच्छ रखा जाये और अपनी स्थिति इस प्रकार रखी जाये कि प्लेगकी छूत हमे छू भी न सके। यह स्थिति हमेशा ही रखी जाये पर यदि यह सम्भव न हो तो भी जिन दिनो प्लेग फैल रहा हो उन दिनो तो ऐसा किया ही जाना चाहिए।

ग्रन्थि-ज्वरसे भी भयकर और उसीके साथ फूट पडनेवाला रोग है [प्लेगकी दूसरी किस्म] हब्बा-डब्बा ज्वर जिसे अग्रजीमे "न्यूमोनिक प्लेग" कहते है। इसमे बीमारको श्वासोच्छ्वासमे बडी तकलीफ होती है। बुखार भी बडा तेज चढता है। रोगी प्राय बेहोश ही रहता है। इस काल-ज्वरसे तो मनुष्य किस्मतसे ही बच पाता है। इस प्रकारकी महामारी जोहानिसबगमे १९०४मे फैली थी और कुल २३ रोगियोमे से केवल एक रोगी बच पाया था। इसके बारेमे हम पहले कुछ बता चुके है। इस ज्वरके लिए भी ग्रन्थि ज्वरवाले उपचार लागू पडते है। परन्तु इसमे मिट्टीकी पट्टी छातीके दोनो भागोपर रखनेकी आवश्यकता है। यदि इतना समय भी न हो कि बीमारको गीली चादरकी लपेट दी जाये तो उसके सिरपर मिट्टीकी पतली-पतली पट्टी रखी जाये। उपचारकी अपेक्षा इस रोगके रोकथामके उपाय ही सरल और सीधे है। ऊपर लिखे अनुसार उनका प्रयोग करना बुद्धिमानीकी बात होगी।

हैजेका रोग हमे अत्यन्त भयकर जान पडता है, किन्तु वास्तवमे यह रोग प्लेगके आगे बहुत मामूली है। हैजेमें 'वेट शीट पैक' काम नही देता। कारण यह है कि रोगीके शरीरमे पहलेसे ही ऐठन होती रहती है और उसकी पिडलियो आदिमे गोले चढते रहते है। ऐसे समय पेटपर मिट्टीकी पट्टी रखकर देखनी चाहिए। और जहाँ-जहा ऐठन और गोले चढनेका भान होता हो वहाँ गर्म जलकी बोतले रखनी चाहिए। बीमारके पैरो आदिपर सरसोके तेलकी मालिश करनी चाहिए। खाना तो उसे दिया ही नही जा सकता। रोगी घबराने न पाये, अत आसपासके लोगोको चाहिए कि वे उसे हिम्मत बँधाये। यदि उसे लगातार दस्त हो रहे हो तो बार-बार खटियासे उठानेके बजाय खटियापर ही किसी उथले, बतनमे, जिसका किनारा तेज न हो, दस्त करा लेना चाहिए। यदि ये इलाज झटपट काममे लाये जाये तो रोगीको हानि पहुँचनेकी सम्भावना बहुत कम हो जाती है। हैजेके रोगसे बचनेके तो बडे सीधे और सहज उपाय है। हैजा प्राय गर्मियोमे होता है। लोग एकदम कच्चे या सडे हुए फल खा लेते है। साधारण तौरपर फल खानेकी हममे आदत नही है। गर्मियोमे अनेक प्रकारके फल पकते

है और सस्ते होनेके कारण उन्हे लोग ज्यादा खा लेते है। दूसरी खुराक तो चलती ही रहती है। अत इन फलोका एकाएक बडा हानिकारक परिणाम होता है। हम लोगोको पेट दुखने आदिकी शिकायत तो बनी ही रहती है, ऐसेमे जब किसीका शरीर और बरदाश्त नही कर पाता तो उसे हैजा हो जाता है। अन्य लोगोके शरीरकी हालत भी ऐसी ही होती है। अत एकको होनेपर दूसरोको भी हैजा पकड लेता है। रोगीके मलकी कोई विशेष व्यवस्था नही की जाती, इसलिए उसपरके कीटाणु हवाको दूषित करते रहते है। इसपर गर्मियोमे जल भी स्वच्छ नही होता। चारो ओर सूखापन होता है। अत जल भी मैला और कीटाणु-दूषित हो जाता है। और उसका सेवन भी बिना छाने या उबाले किया जाता है। ऐसी स्थितिमे रोग क्यो न हो। प्रकृतिने हमारा शरीर बडा मजबूत बनाया है, इसीसे हमारा निर्वाह होता रहता है, नही तो हमारी चर्याको देखते हुए तो हमारा फैसला बहुत ही शीघ्र हो जाना चाहिए।

अब हैजेकी हालतमे बरती जानेवाली सावधानीका विचार करे। यह अत्यन्त जरूरी है कि खुराक हलकी और बहुत थोडी खाई जाये। अच्छे फल अवश्य खाये जाये परन्तु उनको अच्छी तरहसे देख लिया जाये। लालचमे या स्वादके वशीभूत होकर दाग लगे आम या अन्य फल बिलकुल न खाये जाये। स्वच्छ हवाका सेवन अवश्य करते रहे। पानी तो सदा उबाला हुआ और स्वच्छ मोटी खादीसे छना हुआ ही पीना चाहिए। रोगियोका मल जमीनमे गाड देना चाहिए और उसपर सूखी मिट्टी फैला देनी चाहिए। यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति शौचके बाद वहा राख डाल दिया करे। इससे भयकी गुजाइश बहुत कम रह जायेगी। सच देखा जाये तो इस नियमका हमेशा पालन किया जाना चाहिए। बिल्ली भी जमीनको खरोंचकर उसमे पाखाना करती है और फिर उसपर अपने पजोसे मिट्टी डाल देती है। केवल हम ही ऐसा नही करते और ऐसा करनेमे स्पर्शास्पर्श या घिनका भाव रखकर रोगोके शिकार बन जाते है। राख न मिले तो सूखी मिट्टीका उपयोग करना चाहिए। यदि मिट्टीके ढेले हो तो उन्हे फोडकर चूरा कर लेना चाहिए।

सक्रामक अतिसार छूतके रोगोमे सबसे कम खतरनाक है। इसमे यदि पेडूपर मिट्टी बराबर रखी जाये और रोगीका खाना बिलकुल बन्द कर दिया जाये तो रोग नष्ट हो जायेगा। रोगीके मैलेको ऊपर बतलाये मुताबिक जमीनमे दबा देना अत्यन्त जरूरी है। पानीके सम्बन्धमे भी हैजेकी तरह ही सावधानी रखनेकी जरूरत है।

अन्तमे, इन छूतके रोगोमे बीमारको तथा उसके मित्रो और सगे सम्बन्धियोको जरा-भी हिम्मत नही छोडनी चाहिए। भयसे रोगीके जल्दी मर जाने और उसके सम्बन्धियो तथा दूसरोको भी रोग हो जानेकी सम्भावना रहेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–७–१९१३

९२ जोहानिसबर्गमे उपद्रव

हडतालका इतिहास

जोहानिसबगमे सोनेकी खानोके क्षेत्रमे गोरे मजदूरोने एक बहुत बडी हडताल की। ऐसी हडताल पहले कभी देखनेमे नही आई। यह सोमवारको समाप्त हुई। उसमे लगभग ४०,००० मजदूरोने काम करना बन्द कर दिया था। ऐसा कहा जा सकता है कि कारण बिलकुल तुच्छ था, राईका पहाड बन गया। एक खानमे चालीस नये मजदूरोकी नियुक्ति की गई थी। मालिकोने इन नये मजदूरोसे हर शनिवार पन्द्रह मिनट अधिक काम करनेके लिए कहा। मजदूरोने ऐसा करनसे इनकार किया। मालिकोने जिद की, जो सरासर भूल थी। आग भडकी। मजदूर-सघके मन्त्रीने नोटिस दिया कि अगर मजदूरोसे पन्द्रह मिनट अधिक काम करनेके लिए कहा गया तो मजदूर हडताल कर देगे। यह मन्त्री खानमे नौकर नही था। उसके पत्रको कोई महत्त्व नही दिया गया। इससे मजदूर सघका अपमान हुआ। आगमे घी पडा। मजदूरोने हडताल कर दी। अब मालिकोकी समझमे आया। उन्होने नये मजदूरोको उनकी शर्तोपर वापस लेना स्वीकार किया। लेकिन बाजी हाथसे निकल चुकी थी। अब मजदूर क्यो कर मानते? मन्त्रीके अपमानको उन्होंने अपना अपमान समझा। आग और भडकी। दूसरी खानोके मजदूर भी उसी सघके सदस्य थे। उन्होने भी हडताल कर दी। एकके बाद एक करके सब खाने बन्द होने लगी। जो कोई मजदूर कामपर जाता था उसे बल-पूवक रोका जाता था। बेनोनीमे मजदूरोने लूट-मार आरम्भ कर दी। मैनेजर आदिके घरोमे आग लगा दी। बडी-बडी सभाएँ हुईं। रोषपूण भाषण दिये गये। सरकार सोई हुई थी। पुलिसकी भी व्यवस्था नही थी। जो थी, वह अपर्याप्त थी। इससे मजदूरोका साहस बढा। इसके लिए बहुत-से लोग सरकारको दोष देते है।

लपटे जोहानिसबग तक पहुँची। शुक्रवारको हद हो गई। जान और माल खतरेमे पड गये। सरकारने समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी पुलिसको बुलाया। इस बीच खून-खराबी तो होती ही रही। मजदूरोकी आखोमे खून था। वे लाल पताका और बिल्ले धारण किये हुए थे। उन्होने ट्रामोमे काम करनेवाले व्यक्तियोको डराया-धमकाया। अधिकारियोने समझसे काम लिया और ट्रामे बन्द कर दी। मजदूरोमे श्रीमती फिट्जजेराल्ड नामकी एक स्त्री है, वह सबसे आगे थी। पचास व्यक्तियोकी एक टुकडीले जाकर उसने दूकानदारोको धमकाया और दूकाने बन्द करवा दी। जोहानिसबगका कारोबार बन्द हो गया। लोगोने डरके मारे घरोमे अनाज आदि इकटठा करना शुरू कर दिया। एक थैले कोयलेकी कीमत दस शिलिग तक जा पहुँची।

बात यही तक सीमित न रही। रातको श्रीमती फिट्जजेराल्ड और उसके साथी रेलवे स्टेशनपर गये। स्टेशनके दरवाजे और खिडकिया आदि तोड डाले। टिकिट-घर और गोदामको जलाकर राख कर डाला। पुलिसकी परवाह न की। एक वतनी कर्मचारी उसमे जलकर मर गया। उसके पश्चात् यह टोली रातके लगभग नौ बजे

'स्टार' समाचारपत्रके कार्यालयमे गई। कई व्यक्ति खिडकियाँ तोडकर अन्दर घुस गये। समाचारपत्रोका एक ढेर बनाकर उसमे आग लगा दी और पल-भरमे वह सुन्दर इमारत राख बन गई। यह समाचारपत्र बडे सकटमे पड गया है। मगलवार तक वह प्रकाशित न हो सका। आग बुझानेवाले आये, लेकिन मजदूरोने उन्हे लौटा दिया। उसके बाद उन्होने गोला-बारूदकी दूकानको लूटा। वहासे बन्दूक और गोला-बारूद प्राप्त करके लडनेको तैयार हो गये। अन्य दूकाने भी लूटी गई। तीन-चार भारतीय दूकानोको भी लूटा गया। यह काम मजदूरोका नही, बल्कि गुण्डोका जान पडता है। अन्धेरगर्दीमे कौन किसकी सुनता है?

इस बीच सरकार चेत गई। जोहानिसबर्गमे जहाँ देखो वहाँ पुलिस हो गई। मुख्य इमारतोपर पुलिस तैनात कर दी गई। शनिवार दोपहरको हडतालियोने रैंड क्लबपर आक्रमण किया। पुलिसने उन लोगोको धमकी दी, अनुरोध किया। उपद्रवकारी नही माने। उनके सरोसे ऊपर आसमानमे गोलियाँ चलाई गईं लेकिन वे नही डरे। इसपर पुलिसने सीधे उनके शरीरपर बन्दूके तानी। गोलियोकी बौछार हुई और उसमे अपराधी और निरपराधी दोनो ही तरहके व्यक्ति मारे गये। खूनकी धारा बह चली। अनेक व्यक्ति मरे और अनेक घायल हुए। रेड क्रॉसवाले आये और हताहतोको अस्पताल ले गये। अब भय फैल गया। दौड-भाग होने लगी। रैंड क्लब बच गया। इस बीच किसीने अफवाह उडा दी कि श्री चडलेने क्लबमे से गोली चलाई थी। तुरन्त ही लोग प्रतिशोध लेनेके लिए उनकी महल-जैसी बडी दूकानपर गये। वहाँ उन्होने खिडकियोके शीशे आदि तोड दिये और लूट-मार की।

इसी परिस्थितिमे जनरल बोथा और जनरल स्मट्स जोहानिसबग आये। हडतालियोके नेताओंसे मिलकर उन्होने सुलहनामा लिखवाया और उसपर दोनो जनरलोने तथा हडतालियोके तीन नेताओने हस्ताक्षर किये। समझौतेमे शर्ते इस प्रकार है खानमे [काम करनेवाले] मजदूर वापस लिये जायेगे, अन्य हडताली मजदूरोको भी वापस लिया जायेगा, हताहतोकी जिम्मेदारी सरकार लेगी तथा जहातक बन पडेगा वह उनके सम्बन्धियोको मुआवजा देगी। अन्य कष्टोकी भी सरकार जाच करेगी। मजदूर नेताओने यह माँग भी की कि जिन व्यक्तियोने जनताको उकसाया और लूटमारमे भाग लिया उनके विरुद्ध कोई कारवाई नही की जायेगी। जनरल बोथाने कहा कि उनसे जो बन पडेगा, वे करेगे। लेकिन न्यायमे दखल देनेके सम्बन्धमे वे वचन नही दे सकते। फिलहाल लगभग एक सौ व्यक्ति पकडे गये है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड भी गिरफ्तार कर ली गई है। समाचारपत्र निकलने बन्द हो गये थे। 'स्टार' के अतिरिक्त अन्य सभी [पत्र] मगलवारसे निकलने लगे है। अन्य काम भी शुरू हो गये है और यह लिखते समय ऐसा लगता है, मानो जोहानिसबगमे कभी कुछ घटित ही न हुआ हो। मनुष्य अपने कष्टो और विपत्तिको कितनी जल्दी भूल जाता है!

सोमवारको जोहानिसबगमे शोक मनाया गया। झडे झुका दिये गये, सारे मृतकोको शामके चार बजे दफनाया गया। अनुमान है कि उनके पीछे लगभग तीस हजार व्यक्तियोकी भीड थी। इन व्यक्तियोकी आँखोसे अभी कल ही खून टपक रहा था। सोमवारको ये ही लोग शोकमे डूबे हुए, अर्थियोके पीछे-पीछे, धीमी चालसे चल रहे थे।

हड़ताली नेताओंकी मुश्किलें तो अब शुरू हुई है। हड़तालियोंमें अनेक इन नेताओंको दोष देते हैं और कहते हैं कि सरकारने उनको धोखा दिया है। कुछ कहते हैं कि नेताओंने उनके साथ विश्वासघात किया है। कुछ अभी तक लड़ना चाहते हैं। नेताओंने जो किया है, उसे अधिकांश लोगोंने स्वीकार कर लिया है। भिन्न-भिन्न संघोंके मत लिये गये हैं। रेलवेमें काम करनेवाले लोग भी पहले उत्तेजित थे, लेकिन बादमें शान्त हो गये। अनेक लोगोंका विचार है कि सरकार अपनी शर्तोंका किस तरह पालन करेगी, यह देखना चाहिए, और इस प्रकार दैनिक कामकाज शुरू हो गया है। मजदूरोंकी एक सभा हुई, जिसमें कहा गया है कि इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार सरकारने एशियाइयोंको धोखा दिया है, उसी प्रकार वह मजदूरोंको भी धोखा न दे। इस आशंकाके उत्तरमें एक नेताने कहा कि अगर मजदूर लोगोंमें बल कायम रहा तो सरकार विश्वासघात नहीं करेगी और करेगी तो अबकी बार इससे भी बड़े पैमानेपर हड़ताल की जायेगी।

सरकारके विशेष अनुरोधपर तथा इस बातका विचार करके कि लोगोंकी भावनाएँ उत्तेजित न हों, दोनों मुख्य समाचारपत्रोंने अबतक इस भयंकर हड़तालकी टीका करके इसके गुण-दोष नहीं बताये हैं।

इंग्लैंडमें श्री हरकोटपर दबाव डाला जा रहा है। दक्षिण आफ्रिकामें साम्राज्य-सरकारकी सेनाएँ तैनात हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि इन सेनाओंका उपयोग इस कामके लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री हरकोटसे प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड ग्लैड्स्टनने इस सेनाका उपयोग कैसे किया? कुछ लोग ग्लैड्स्टनको दोष देते हैं। इस प्रकार, इस विद्रोहका इतिहास अभीतक पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कोई नहीं कह सकता कि कौन जीता और कौन हारा? अनुमान किया जाता है कि लूटपाट और आगजनीकी घटनाओंसे जोहानिसबर्गमें लगभग पचास हजार पौंडकी हानि हुई। व्यापार, रेलवे, ट्रामों आदिको जो नुकसान हुआ वह अलग। अट्ठारह व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई। कुल मिलाकर चार सौ व्यक्ति घायल हुए। अब भी लगभग दस घायल व्यक्ति चिन्ता-जनक स्थितिमें अस्पतालमें पड़े हुए हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२–७–१९१३

९३ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-२८]

८ प्रसूति

साधारण रोगोके सम्बन्धमे हम विचार कर चुके है। इन प्रकरणोके लिखनेका हेतु यह तो नही है कि दुनिया-भरमे पाये जानेवाले सारे रोगोके विषयमे लिखा जाये या जानकारी दी जाये। बल्कि हेतु कुछ प्रसिद्ध रोगोके उपचारकी चर्चा करते हुए यह बता देना है कि सभी रोगोका मूल कारण एक ही है और इसलिए उनका उपचार भी एक सा ही है। जो लोग रोगोसे घिरे है और मृत्युसे भयभीत है उनके हाथमे चाहे जैसी पुस्तके दी जाये वे तो वैद्य-हकीमोके पास जायेगे ही। ये प्रकरण अधिकसे-अधिक इतना ही बता सकते है कि साधारण रोगोसे पीडित मनुष्य किस प्रकार अच्छे हो सकते है और स्वास्थ्यके नियमोका पालन करके पुन बीमार पडने या किसी भयकर रोगके फदेमे पडनसे बचे रह सकते है। वैसे इतना कर सकनेकी हिम्मत भी थोडे ही लोग कर सकते है। ऐसे कुछ लोगोके लिए ही ये सक्षिप्त लेख उपयोगी हो सकते है। इन प्रकरणोका यह भी एक हेतु है। अब हम बच्चा और जच्चाकी सार-सँभाल तथा आकस्मिक दुघटनाओकी थोडी चर्चा करके इन प्रकरणोको समाप्त करनेकी स्थितिमे पहुँच जाते है।

प्रसूतिको हमने एक हौआ ही बना रखा है। जो नीरोग है उसके लिए प्रसूति बिलकुल खतरनाक नही होती। ग्रामीणोके बीच तो यह मामूली बात मानी जाती है। उनमे गभवती स्त्रिया अन्ततक काम करती रहती है और बच्चेके जन्मके समय उन्हे कोई तकलीफ नही होती। ऐसे उदाहरण भी देखनेमे आये है कि भरवाड[1] स्त्रियाँ तो बच्चेको जन्म देकर तुरन्त ही काम करने लगती है। दूसरे प्राणियोमे तो हम देखते ही है कि माँको कोई विशेष कष्ट नही होता।

तो शहरकी स्त्रियाँ ही क्यो कष्ट भोगती है? बच्चेको जन्म देते समय उन्हे असह्य वेदना क्यो होती है। बच्चेके जन्मसे पहले और बादमे भी उनकी विशेष सार-सँभाल क्यो की जाती है? हम जरा इन प्रश्नोपर विचार करे।

शहरकी स्त्रीकी रहन-सहन बिलकुल अस्वाभाविक होती है। उसकी खुराक, उसका पहनावा-ओढावा प्राकृतिक नियमोके एकदम विरुद्ध होता है, पर सबसे बडा कारण दूसरा ही है। जब किशोर अवस्थाकी बालिका गभ धारण करे, गभ धारण करनेके बाद भी पुरुष उसका सहवास न छोडे और बच्चेका जन्म होनेपर ज्यो ही वह जच्चाखाना छोडे, उसके साथ पुन वही व्यवहार जारी हो जाये, और परिणामस्वरूप कुछ ही समय बाद वह पुन गभ धारण कर ले तो ऐसी स्थितिमे वह स्त्री दु ख क्यो नही भोगेगी? ऐसी भयानक और करुणाजनक हालत लाखो बालिकाओ और स्त्रियोकी

१ एक जाति विशेष।

देखनेमे आती है। शहरकी ऐसी जिन्दगी और नरकमे कोई फर्क नही हो सकता। पुरुष जबतक इस प्रकार राक्षस बना है तबतक स्त्रीको आराम नसीब हो ही नही सकता। कई पुरुष है जो इसमे स्त्रीको दोषी बताते है, परन्तु इस लेखका उद्देश्य दोषोकी तुलना करना नही है। दोष तो दोष ही है, चाहे वह एक पक्षका हो या दोनोका। और उसे जान लेनेपर माता-पिताओको — किशोर वरो और बाला स्त्रियोको सचेत हो जाना चाहिए। जबतक बाल-अवस्थामे विषय, गर्भावस्थामे विषय तथा बालकके जन्मके तुरन्त बाद किया जानेवाला भोग-विलास नही रोका जाता तबतक प्रसूतिका सुखपूवक होना असम्भव ही है। माताको अनेक बार अधिक कष्ट नही भोगना पडता और [प्रसूतिके बाद] डेढ मास तक कमजोरी रहती है, ऐसी मान्यताके आधारपर स्त्रियाँ प्रसूतिके सवसाधारण कष्ट सहन कर लेती है, और उन्हे उस हालतका विस्मरण हो जाता है। अत दिनो-दिन निस्तेज, निबल और नामद सन्तान उत्पन्न होती जाती है। यह परिणाम भयकर है और इसकी रोकथामका अथक प्रयत्न सभीको करना चाहिए। यदि एक ही स्त्री या एक ही पुरुष इस अनाचारको त्याग सके तो उतना ही सही। इससे भी सारे जगतका लाभ है। यह काय ही ऐसा है कि इसमे किसीको किसीकी प्रतीक्षा नही करनी चाहिए।

उपयुक्त चर्चाके आधारपर पहली सावधानी तो यह हुई कि गर्भवती स्त्रीके साथ पुरुषका सहयोग एकदम बन्द किया जाये। इसके बाद आनेवाले नौ महीनोमे स्त्रीपर अनेक जिम्मेदारियाँ है। इतना तो ध्यानमे रहना चाहिए कि बालकके चाल-चलनका आधार माताके इन नौ महीनोके आचरणपर अवलम्बित है। माँ प्रेमल होगी तो बच्चा भी प्रेमल होगा। यदि मा क्रोधी होगी तो बच्चा भी क्रोधी होगा। अत इन नौ महीनोमे स्त्रियोको अपनी अन्तवृत्ति बहुत परिष्कृत रखनेकी जरूरत है। स्त्रीको इन दिनो पुण्य कृत्योमे लगे रहना चाहिए। क्रोध नही करना चाहिए। दयाकी भावना बढानी चाहिए। मनोवृत्ति उदार रखनी चाहिए। चिन्ता और भयसे मुक्त रहना चाहिए। पशुवृत्तिका तो मनमे प्रवेश भी नही होने देना चाहिए। निरथक बातोमे समय नही बिताना चाहिए। असत्य-भाषण नही करना चाहिए। यदि इन सारे नियमोका पालन किया जाये तो पैदा होनेवाला बच्चा तेजस्वी हुए बिना न रहेगा।

जैसे मनकी स्थितिको शुद्ध रखना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार शरीरकी स्थिति भी शुद्ध रखनेकी जरूरत है। गर्भावस्थामे माताको अधिक श्वास लेना पडता है। अत ऐसे वातावरणमे रहना चाहिए जहा हवा विशेष रूपसे अच्छी हो। अन्न नियमपूवक बढिया और सुपाच्य खाना चाहिए। पिछले प्रकरणोमे सूचित स्वास्थ्यप्रद खुराककी योजना की जानी चाहिए। इस कालमे जैतूनका तेल, केले और गेहूँके बने पदार्थ जितने हजम हो सके उतने लेने चाहिए। यदि कब्ज हो तो दवाके लिए न दौडकर जैतूनका तेल अधिक लेना चाहिए। यदि मतली होती हो तो पानीमे नीबूका रस — बिना चीनीके — लेना चाहिए। मिच मसाले आदि तो इन नौ महीनोमे त्याग ही दिये जाने चाहिए।

गर्भावस्थामे अनेक स्त्रियोको रुचि-अरुचि और इच्छा-अनिच्छाकी प्रवत्ति खूब होती है। इस प्रवृत्तिको दूर करनेका उपाय यह है कि स्त्रीको कटि-स्नान लेना चाहिए।

यह "बाथ" लेनसे शरीर बलमे वद्धि हागी कान्ति निखरेगी और प्रसव कालमे वेदना बहुत ही कम हागी। अनक स्त्रियोका एसा ही अनुभव है। रुचि-अरुचिकी इस प्रवत्तिके समय मनपर अकुश भी रखना चाहिए। एकाध बार यदि किसी वस्तुपर मन दौडे तो उसको एकाध बार टाल देनसे उसे भलाया जा सकता है। माता और पिताको हर क्षण उदर-स्थित बालकका ही विचार करना चाहिए।

पतिका यह कतव्य है कि इस कालमे स्त्रीके साथ झगडा-फसाद करके उसे घबराहटमे न डाले। वह उसे बराबर सुखी और प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करे। यदि काम-काजका बोझ अधिक हो तो पतिको चाहिए कि वह उसे कम करनेका प्रयत्न करे। अत्यन्त आवश्यक है कि कुछ समय रोज खुली हवामे घूमने जाया जाये। गर्भावस्थाके समय माके पेटमे कोई भी दवा न जाये, इस बातका ध्यान रखना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–७–१९१३

९४. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

"माउन्टेन व्यू"
[जोहानिसबर्ग]
जुलाई १२, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

मुझे आशा है, आपको मेरा भेजा हुआ तार[1] यथासमय मिल गया होगा। चूंकि समझौता अनिश्चित था, और आपके तार जरूरी थे इसलिए आपके पास पोलकको भेजना ही सर्वोत्तम समझा गया। यह पत्र लिखते समय तक जनरल स्मटससे कोई निश्चित सूचना नही मिली है। मेरे एक निजी पत्रके[2] उत्तरमे उनके सचिवने एक तार दिया है कि सकटके कारण जनरल स्मट्सको मेरे उठाये हुए मुद्दोपर विचार करनेका अवकाश नही है। मन्त्रिमण्डलमे आन्तरिक मतभेद भी है।

समझौता होनेकी अवस्थामे मैने पोलकको यह सुझाव दिया है कि वे अपनी सेवाएँ पूरी तरह आपको अर्पित कर दे। यदि आप उनसे अपने सचिवका काम ले सके तो मै जानता हूँ कि वे इसमे अपनेको सम्मानित अनुभव करेगे और उन्हे इस कामके लिए मुक्त किया जा सकता है। यदि आपका खयाल हो कि उन्हे लन्दन-समितिका मन्त्री बनाया जाये, तो आप उनकी नियुक्ति उस रूपमे कर दे।

उनके खर्चके सम्बन्धमें स्थिति यह है। श्री रुस्तमजीने उनके प्रारम्भिक व्ययके लिए लगभग २५० पौंड दिये है। मै उनका माहवारी खर्च, मेरे पास अब भी जो थोडा-सा पैसा बचा है, उसमें से दे रहा हूँ। श्रीमती पोलकके खर्च और श्री पोलकके

१ देखिए "तार गो० कृ० गोखलेको", पृष्ठ ११३-११४।

२ यह उपलब्ध नहीं है।

दफ्तरका किराया देनेके लिए ३५ पौंड प्रतिमासकी आवश्यकता है। मार्ग व्यय और अन्य व्यय मिलाकर अबतक लगभग ५० पौंड खर्च हो चुका है। इसलिए मैंने उनसे आपको यह सुझाव देनेके लिए कहा है कि यदि सम्भव हो तो मुझे फिलहाल कमसे-कम ३०० पौंड भेज दिये जायें।

किन्तु यदि पैसा इकट्ठा करनेमें आपको तनिक भी [चिन्ता][1] या कष्टकी सम्भावना हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके बारेमें परेशान न हों। मैं किसी-न-किसी तरह पोलकके लौटने तक काम चला लूँगा। मैंने अपने तारोंमें आपके सामने अपनी स्थिति रखना अपना कर्त्तव्य समझा है। किन्तु आपको इन तारोंसे परेशान होनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है। मैं तो स्वार्थवश यही सोचता हूँ कि आप अभी कमसे-कम कुछ वर्ष हमारे बीच रहें। हमारी परेशानीके कारण आपके किसी अकल्याणसे मुझे जितना दुःख होगा उतना अन्य किसी बातसे नहीं। संघर्ष फिर आरम्भ होनेकी स्थितिमें भी यह कतई जरूरी नहीं है कि आप अगस्तमें, या स्वास्थ्य-लाभ होनेसे पहले भारत जायें। मैंने सत्याग्रहियोंसे बात कर ली है और उन्होंने मुझे आपको यह सूचित करनेके लिए कहा है कि वे संघर्ष लम्बा चलनेकी सम्भावनासे भयभीत नहीं हैं। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि यदि मन्त्रिमण्डलीय संकट न आये या हड़तालें न हों और यदि संघर्ष फिर आरम्भ हो तो वह बहुत तीव्र और त्वरित होगा।

मुझे आशा है कि आप मेरी इस भयंकर लिखावटको पढ़ सकेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२९) से।
सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।

९५. प्रवासी कानून-सम्बन्धी विनियम

प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत विनियम बनाये जा चुके हैं और उन्हें संघके 'गजट' में प्रकाशित कर दिया गया है।[2] अभी इन विनियमोंका अर्थ समझा सकने योग्य समय हमारे पास नहीं है। हमें इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके सम्बन्धमें क्या किया जा सकता है, इसका निश्चय करना पड़ेगा। अधिनियमके अमलका आधार ये विनियम ही होंगे। चाहे कितना ही सीधा कानून क्यों न हो, उसे विनियमोंके द्वारा कष्टप्रद बनाया जा सकता है तथा कष्टप्रद कानूनको विनियम बड़ा नरम बना सकते हैं। हम विनियमोंको पढ़ गये हैं, और उनसे इतना अन्दाज तो लग ही जाता है कि उनमें कोई ऐसा विनियम नहीं है जो भयंकर सिद्ध हो। लेकिन हम यह भी देख सके हैं कि इन विनियमोंमें अभी बहुत-कुछ भरना बाकी है, इसलिए सम्भव है कि पूरक विनियम

१. मूलमें यहाँ कुछ कटा फटा है।
२. विनियमोंकी व्याख्या और सम्बन्धित कागजातोंके लिए देखिए परिशिष्ट ७।

बादमें प्रकाशित किये जाये। इस सम्बन्धमे कुछ सज्जनोने हमारा ध्यान कानूनके १९ वे खण्डकी ओर खीचा है और कहा है कि या तो हमने इस खण्डके प्रभावको नजरअन्दाज कर दिया है अथवा हम उसे समझ ही नही सके है। यह खण्ड हमारे ध्यानमे है। हम एक बार फिर इस खण्डका अक्षर-अक्षर पढ गये है। उसमे कुछ भी खतरनाक चीज हमारे देखनेमे नही आई। उस खण्डका भावाथ नीचे लिखे अनुसार है

> प्रत्येक व्यक्ति जो सघमे प्रविष्ट हो अथवा उसकी सीमामे पाया जाये, अगर [प्रवासी] अधिकारी चाहे तो उसे उसके सम्मुख उपस्थित होना पडेगा और बताना होगा कि वह सघ अथवा अमुक प्रान्तके लिए निषिद्ध प्रवासी नही है। [प्रवासी] अधिकारी विनियमोके अनुसार उस व्यक्तिसे हलफ लेनेको कह सकता है। सघमे दाखिल होने अथवा रहनेके हकको साबित करनेके लिए दस्तावेज अथवा अन्य प्रमाण माँग सकता है और [इस सम्बन्धमे] अगर प्रवासी अधिकारी कोई परीक्षा लेना चाहे अथवा अन्यथा जाँच करना चाहे तो ऐसा करनेके लिए वह [व्यक्ति] बँधा हुआ है। [प्रवासी] अधिकारीको, अगर उस व्यक्तिके किसी रोगसे ग्रस्त होनेका सन्देह हो तो, डॉक्टरी मुआयना करानेका भी अधिकार है। इस प्रकार लिये गये हलफनामेके ऊपर कोई टिकट लगानेकी जरूरत नही है। यदि इस तरह परीक्षा लेनेके बाद प्रवासी अधिकारीको लगे कि वह व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नही है तो वह उसे छोड देगा, लेकिन जो व्यक्ति ऊपर लिखे अनुसार परीक्षा न दे, अथवा परीक्षा देनेके बाद भी अधिकारीके विचारानुसार बाधित पुरुष जान पडे, उस व्यक्तिको प्रवासी अधिकारी उतरने नही देगा, और उसको लिखित सूचना देगा कि यदि उसे प्रवास निकाय (इमिग्रेशन बोर्ड) मे अपील करनी हो तो करे। यदि वह व्यक्ति स्टीमरपर है, तो उसे अपीलका नोटिस तत्काल ही देना पडेगा, अन्यथा प्रवासी अधिकारीका लिखित उत्तर प्राप्त करनेके तीन दिनके अदर अपीलका नोटिस देना होगा।

हमारी समझमे १९ वे खण्डका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार है और इस अर्थको देखते हुए हमे खण्डमे कोई आपत्तिकी बात दिखाई नही पडती। इस खण्डका अमल बहुत अत्याचारपूण हो सकता है, लेकिन ऐसे तो बहुत से खण्ड है। इस खण्डके अधीन सरकार प्रवासी अधिकारीको हमसे अँगुलियोके निशान अथवा अन्य बेहूदी निशानियाँ लेनेकी शक्ति दे सकती है, लेकिन प्रवासी अधिकारीको यह शक्ति सरकारने इस खण्डकी रूसे नही दी है। इस तरहका खण्ड पुराने कानूनमें भी है। विनियम बनाकर उनके अधीन इस खण्डकी रूसे अगर सरकार अत्याचारपूर्ण प्रमाण माँगे तो निस्सन्देह हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन यह अलग प्रश्न है और वह १९ वे खण्डसे उत्पन्न नही होता। कानूनके द्वारा ऊपर लिखे अनुसार यह अधिकार सरकारको मिलना चाहिए और इस सम्बन्धमे हम कोई आपत्ति नही उठा सकते। जबतक ऐसा अधिकार नही मिलता तबतक कानून अमलमे आ ही नही सकता। हमे इस कानूनके दुरुपयोगका विरोध निरन्तर करते रहना चाहिए। और हम ऊपर कह आये है कि उस तरह १९वे खण्डके अनुसार भी जो विनियम बनाये गये है उनमे हमे ऐसा कुछ नजर नही

आया जो भय उत्पन्न करता हो। विनियमोका विशेष अध्ययन करके और अच्छी तरहसे अर्थ समझनेके बाद हम समाजको और भी सलाह दे सकेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३

९६ नया प्रवासी विधेयक

आपत्तिजनक धाराएँ

श्री गाधी जोहानिसबगसे लौट आये है। जनरल स्मट्सने उनके नाम एक सन्देश भेजा है, उसमे उन्होने कहा है कि फिलहाल रेलवेमे काम करनेवाले गोरे मजदूर जो हलचल कर रहे है उसके कारण उन्हे बिलकुल अवकाश नही मिल पाता। उसके कुछ शान्त होनेपर वे इस विधेयककी ओर ध्यान देगे। इस विधेयकमे जिन मुद्दोपर फैसला होना बाकी है, वे नीचे दिये जा रहे है

१ जो गिरमिटिया मजदूर १८९५के बाद आये है, गिरमिटकी मीयाद पूरी होनेके पश्चात्, यहाँ [नेटालमे] रहनेका उनका अधिकार डूबता दीख पड रहा है।

२ दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे सभी भारतीयोको केपमे किसी भी समय प्रवेश करनेका जो हक अभीतक हासिल था सो छिनता नजर आ रहा है।

३ भारतीयोके दक्षिण आफ्रिकामे हुए विवाह वैध माने जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, विधेयकमें आये हुए "एक-पत्नीक" शब्दका अथ सरकार द्वारा यह न लगाया जाना चाहिए कि यहा आनेवाली स्त्री भारतमे अपने पतिकी एकमात्र पत्नी है। जबतक उस व्यक्तिकी दक्षिण आफ्रिकामे दूसरी पत्नी न हो तबतक उस आनेवाली स्त्रीके दाखिल होनेमे अडचन नही होनी चाहिए और फिर जो व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकामे अर्सेसे बसे हुए है और जिनके देशमे या यहाँ दो पत्नियाँ है, उन दोनो पत्नियोको [दक्षिण आफ्रिकामे] आने तथा वहाँसे जानेका अधिकार मिलना चाहिए।

४ नये प्रवासीके रूपमे, [ऑरेंज] फ्री स्टेटमे प्रवेश करनेवाले भारतीयसे वहाँ लिया जानेवाला ज्ञापन तलब नही किया जाना चाहिए।

५ चालू वर्षमे जिन भारतीयोको प्रवेश करनेकी परवानगी मिलनी चाहिए उनके सम्बन्धमे भी निर्णय हो जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३

१७. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२९]

९ बच्चोकी सार-सम्हाल

यह लेख दाईसे सम्बन्धित कार्योंकी तफसील देनेके विचारसे नही लिखा जा रहा है। यहाँ हम बच्चेका जन्म हो जानेके बादके समयका विचार करेंगे। जो पिछले प्रकरणोको समझ चुके है वे जान सकेंगे कि प्रसूति-कालम भी जच्चा और बच्चा दोनोका दम अँधेरी कोठरीमे, मैली कुचैली गुदडीमे और जहा हवा न आती हो तथा नीचे अँगीठी आदि रखकर नही घोटा जाना चाहिए। प्रसूताको अँधेरेमे रखनेका रिवाज चाहे जितना पुराना क्यो न हो — हानिकारक ही है। बिछौनेके नीचे आग रखनेका रिवाज भी अनावश्यक और जोखिमसे भरा है। सर्दीके मौसममे प्रसूताको अवश्य ही अधिक गर्मीकी जरूरत है और उसके लिए उसे ओढना अधिक चाहिए। कमरेमे यदि सर्दी अधिक हो तो अँगीठी, बाहर निर्धूम करके कमरेमे ले जाई जाये और इस प्रकार हवा गम रखी जाये। परन्तु खटियाके नीचे अगीठी रखनेकी तो कतई जरूरत नही है। प्रसूताके बिछौनेमे गम जलकी बोतल रखनेसे भी उसे गर्मी मिलेगी। जच्चाको गन्दे और मैले कपडोमे सुलाना भी निरा भ्रम है और उसमे खतरा है। प्रसूतिसे उठनेपर सारे वस्त्रोको अच्छी तरहसे धोकर काममे लाया जा सकता है।

बच्चेकी तन्दुरुस्ती माताके स्वास्थ्यपर निभर है। अत ऊपर बताई गई साव-धानी रखनेके बाद माताको जैसी अनुकूल पडे वैसी खुराक देनी चाहिए। गोद आदिके सेवनसे कोई लाभ होता है, ऐसा नही जान पडता। प्रसूता यदि गेहूँकी चीजे, और केला आदि फलोके साथ जैतूनके तेलका सेवन करे तो उसके शरीरमे गर्मी रहेगी और दूध बढेगा। जैतूनके तेलसे उसके दूधमे रेचक गुण होगा और बच्चेका पेट साफ रहेगा। शिशुको कोई भी तकलीफ जान पडे तो माताके स्वास्थ्यकी जाँच की जानी चाहिए। बच्चेको दवा देना तो उसे हाथसे खो देनेके समान है। बच्चेका पेट अत्यन्त नाजुक होता है। और दवाका जहर उसे झट लग सकता है। ऐसेमे माताको ही दवा लेनी चाहिए, इससे औषधिके गुण सूक्ष्म रूपसे माके दूधमे उतर आयेगे। अनेक बार बच्चेको खासी और बुखार हो जाता है। ऐसी अवस्थामे घबराना नही चाहिए बल्कि एक-दो दिन राह देखकर कोई विशेष कारण हो तो उसे दूर करना चाहिए ताकि रोग दूर हो जाये। भाग-दौड करने और दवा-दारू करनेसे बच्चेकी तबीयत खराब ही होगी।

बच्चेको सदा कुनकुने पानीसे नहलाना जरूरी है। कपडे तो उसे भरसक कम ही पहनाने चाहिए। कुछ महीनो तक तो कोई कपडा न हो तो विशेष अच्छा। उत्तम तो यह होगा कि एक छोटी-सी नरम चादरमे उसे लपेट रखा जाये और उसपर गरम वस्त्र ओढा दिया जाये। इससे बच्चेको वस्त्र आदि पहनानेकी असुविधा बचेगी और वस्त्र भी कम खराब होगे। इससे उसकी काठी भी नाजुक होनेके बजाय मजबूत

होगी। उसकी नालपर एक बडा कपडा लपेट कर उसपर पट्टी बाध दी जाये। नालमे धागा बाधकर उसे बच्चेके गलेमे डाल दिया जाता है, यह खराब रिवाज है। पट्टी सुबह-शाम खोली जानी चाहिए। नालके चारो ओर यदि कुछ गीला भाग नजर आये तो उसपर चावलका छना हुआ बारीक साफ आटा रुईके फाहेसे लगाना चाहिए जिससे गीलापन सूख जायेगा।

बच्चेको जबतक माताका दूध भरसक मिलता हो, उसे दूसरी कोई भी खुराक देनेकी आवश्यकता नही है। जब दूध कुछ कम उतरने लगे तब गेहूँ भून और पीसकर उसका आटा, गरम पानीमें थोडा गुड मिलाकर, बच्चेको दे। यह दूध जैसा ही गुण करेगा। इसके बदले आधा केला कुचलकर और उसमे आधा चम्मच जैतूनका तेल डालकर दोनोको फेटकर बच्चेको दिया जाये। यह भी बच्चेके लिए बडा फायदेमन्द होगा। यदि गायका दूध देना हो तो प्रारम्भमे तीन भाग जल और एक भाग दूध उबालकर दिया जाये। इसमे भी थोडा शुद्ध गुड डाला जाये। देखा गया है कि गुडके स्थानपर चीनी मिलानसे नुकसान होता है। बच्चेको धीरे धीरे ताजा मेवा अधिकाधिक देनेकी व्यवस्था की जाये तो उसका रक्त जन्मसे ही शुद्ध होगा और बच्चा तेजस्वी तथा सशक्त बनेगा। दात आते ही अथवा उससे भी पहले अनेक माताएँ बच्चेको दाल, भात, सब्जी आदि देने लगती है पर इसमे शका नही कि यह बच्चेके लिए अत्यन्त हानिकर है। चाय-काफी तो बच्चोको हरगिज न दी जाये।

बालक जब ठीक बडा हो जाये, यानी चलना सीख ले तब उसे वस्त्र आदि पहनाये जाये। जूतोकी आवश्यकता नही। उसे कॉटो आदिमे तो चलना नही पडता, अत बिना जूतोके रहनेसे उसके पैर मजबूत होगे और जूतोमे कसे रहनेके कारण रक्तसचारमे होनेवाली रुकावट नही होगी। निरी शोभाके लिए बच्चेको रेशमी, ऊनी चुस्त पायजामा, सिरपर टोपी आदि पहना देना तो जगली और हानिकारक रिवाज है। प्रकृतिने उसे जो शोभा दी है, हम उसमें वृद्धि करनेका प्रयत्न कर सकते है, यह मान लेना तो निरा अभिमान और अज्ञान है।

बच्चेकी शिक्षा उसके जन्मसे ही शुरू हो जाती है। और यही मानना चाहिए कि उसके खरे गुरु तो माता-पिता ही है। बच्चेको धमकाना, उसके शरीरको [वस्त्रादिसे] लाद देना, उसके पेटको ठूस-ठूसकर भरना आदि भी शिक्षाके नियमोका उल्लघन ही है। चिडचिडे माता-पिताका बच्चा चिडचिडा बनेगा, नाजुक माता-पिताका बालक नाजुक होगा। वह अलफाज भी माता-पिताके ही सीखेगा। माता-पिताके मुँहसे शुद्ध शब्द निकलेगे तो वह भी शुद्ध बोलेगा। माता-पिता अशुद्ध उच्चारण करेगे तो बच्चा भी। माता-पिताके मुँहसे यदि अपशब्द निकलेगे तो बच्चा भी उन्हे सीख जायेगा। माता-पिता अनीतिका आचरण करेगे तो बालक भी अवश्य ही अनीति ही ग्रहण करेगा। जैसा बाप वैसा बेटा और जैसा वृक्ष वैसा फल — यह कहावत ठीक ही है। बापसे मतलब यहा माता-पिता दोनोसे है। बालक खान-पान भी उन्हीसे सीखेगा। जो सीख बच्चा घरमे हासिल करेगा, भविष्यमें उसे फिर वह नसीब न होगी।

यह सारा विचार करते हुए इसका अन्दाज किया जा सकता है कि माता-पिताका फर्ज कितना नाजुक है। मनुष्य-मात्रका सवप्रथम कर्त्तव्य यह है कि वह अपनी

सन्तानको शुद्ध आचरण सिखाये और ऐसा कुछ करे कि बालक अपने लिए और माता-पिताके लिए भी शोभास्पद बने। वृक्ष और उसके फलके सम्बन्धमे हम देखते ही है। केलेके वृक्षसे केला ही पैदा होगा और जो अच्छा वक्ष होगा उसका फल भी उत्तम ही पकेगा। अच्छे व्यक्तियोके बालक अच्छे ही होगे। किन्तु मानव-प्राणियोमे इस नियमका उलटा दिखाई पडता है। पवित्र जान पडनेवाले माता-पिताकी सन्तान अपवित्र और स्वस्थ दीखनेवाले मा-बापके बच्चे रोगी। ऐसा होनेका प्रधान या एकमात्र कारण यही है कि हम माता-पिताके पदके योग्य न होते हुए भी स्वच्छन्दतापूवक माँ-बाप बन बैठते है। ऐसेमे बालकके हितकी कौन सोचे? नीतिवान् माता-पिताका तो यह फज है कि वे अपने बच्चेका ठीक ढगसे पालन-पोषण करे। इसके लिए माता-पिता दोनोको वास्तविक शिक्षाकी आवश्यकता है। जहाँ माता-पिता ऐसी शिक्षा पाये हुए नही है और यदि वे अपनी भूल महसूस करते हो तो उन्हे चाहिए कि वे अपने बालकोको अन्य सुशिक्षित — नीतिपरायण लोगोको सौप दे। पाठशालामे जाकर बच्चे सदाचरण सीखेगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ ही है। सदाचरणकी शिक्षाका माग तो केवल एक ही है और वह यह कि बच्चोको निरन्तर ऐसे वातावरणमे रहना नसीब हो। घरपर एक प्रकारकी शिक्षा और पाठशालामें अन्य प्रकारकी — ऐसेमे बच्चे कभी नही सुधर पायेगे। ऊपर लिखे विचारोके आधारपर यह नही कहा जा सकता कि शिक्षा प्रदान करनेका कोई खास समय होता है। बच्चा जन्म लेता है, उसी क्षणसे उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, और उसी समयसे उसे शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक या धार्मिक शिक्षा मिलने लगती है। शब्द-ज्ञान भी उसे, बोल फूटते ही प्राप्त होने लगता है। अक्षरज्ञान भी वह खेल-खेल ही मे माता-पितासे ही प्राप्त कर सकता है। पिछले जमानेमे इसी प्रकार होता था। स्कूलमे दाखिल करनेका रिवाज तो अब चल पडा है। बच्चोके प्रति अपना कत्तव्य माता-पिता यदि ठीक तौरसे पाले तो वे कितने ऊँचे उठ सकते है, इसका अन्दाज करना भी सम्भव नही है। पर यदि बच्चोको अपने खिलौनोकी तरह रखकर उनपर नाहक लाड बरसाया जाये, अनुचित प्रेमके वशीभूत हो हम उन्हें मिठाई, सुन्दर सुहावने वस्त्र आदिके द्वारा बचपनसे ही बिगाड चले, मिथ्या स्नहके कारण उन्हे जैसा चाहे करने दे, स्वय धनके लालचमे पडे रहे और बच्चोमे भी पैसेकी लालसा जगाये, विषयोमे गर्क होकर बच्चोके सम्मुख भी वैसा ही उदाहरण पेश करे, आलसी रहकर उन्हे भी आलसी बनाये, गन्दे रहकर उन्हे गन्दगी सिखाये, झठ बोलकर झठ सिखाये तो फिर हमारी सन्तान यदि निबल, अनीतियुक्त, झूठी, विषयी, स्वार्थी और लालची बन जाये तो इसमे आश्चयकी क्या बात है? इन बातो-पर विचारवान माता-पिताओको बहुत-कुछ सोच-विचार करना चाहिए। भारतवषका आधा भविष्य माता-पिताके हाथमें है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९–७–१९१३

९८ पत्र : जमनादास गाधीको

[फीनिक्स]
आषाढ वदी १ [जुलाई १९, १९१३][1]

चि० जमनादास,

तुम्हारे दो पत्र एक-साथ मिले। मै तो विवाह करनेकी सलाह देता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे लेखे तुममे तीव्र आत्मबल नही है। तुम हठपूवक विवाहसे इनकार करते रहो तो इससे तुम्हारे माता-पिताको अत्यन्त दु ख होगा और उससे भी ज्यादा दु ख तुम्हारे [भावी] ससुरको होगा। यह सब तुम कर सकते हो, किन्तु इसके लिए तुम्हे काफी ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। ज्ञान हो जायेगा तब तुम न तो मुझसे सवाल पूछोगे, और न तुम्हारे माता-पिता या अन्य कोई तुम्हारे शब्दोका गलत अथ करेगे। तुम दढतापूवक यह नही कह सकते कि तुम्हारे जो विचार आज है वे ही सदा रहेगे। बुद्धदेवको जिस दिन [केवल] परोक्ष-ज्ञान हुआ उसी दिन वे अपनी स्त्रीको सोता हुआ और माता-पिताको रोता हुआ छोडकर चले गये। फिर भी दुनियाने उनके कायकी सराहना की है। तुम्हारा विचार तो फिलहाल मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा-पर आधारित है। इसलिए मैने तुम्हारी स्थितिको ध्यानमे रखकर तुम्हे अभीष्ट सलाह दी है। किन्तु मेरी शर्त तुम याद रख सकते हो। मैने तुमसे यह कहा है कि तुम्हे विवाह तो करना ही पडेगा, किन्तु यदि तुम उसके साथ विषय भोग न करो तो तुम्हारा और उसका उद्धार हुए बिना न रहेगा। और यह उदाहरण दूसरोके लिए भी उत्तम सिद्ध होगा। विवाह करके अपनी स्त्रीके विषयमे भी अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करना विवाह किये बिना उसका पालन करनेकी अपेक्षा ज्यादा कठिन है। तुम्हारे मनपर ब्रह्मचर्यकी महिमाकी छाप गहरी पडी होगी, तभी तुम इसका पालन कर सकोगे। और इसका सम्भव होना पिछले जन्मोमें सचित महापुण्यके आधारपर ही होगा। ऐसी शक्ति तुममे हो तो तुम्हे यह करना चाहिए। अपने विचार तुम्हे विनयपूवक अपने माता-पिताको और उनके द्वारा ससुरको बताना चाहिए। तुम्हे उनसे कहना चाहिए — "मेरा विचार अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करनेका है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि विवाह न करूँ तो अच्छा। यदि आप मेरे विचार समझ सकते है तो मेरी मदद कीजिए। किन्तु यदि आपको यह सब बालिश बुद्धिका लक्षण मालूम होता हो तो मै आपकी आज्ञा मानकर विवाह कर लूगा। किन्तु मै स्त्री-सग नही करूँगा। मै उससे भी ब्रह्मचर्यका पालन कराने और अपने कायमे उसे सहचरी बनानेका प्रयत्न करूँगा। हम एक शय्यापर भी नही सोयेगे। मुझे उसका जितना खयाल करना चाहिए मै जरूर करूँगा और उसके प्रति स्वच्छ प्रीति रखूगा।" ऐसे वचन तुम ज्ञानपूर्वक कह

१ यह पत्र जमनादास गाधीके दक्षिण आफ्रिकासे दिसम्बर, १९१२ में भारत चले जानेके बाद लिखा गया प्रतीत होता है।

सको तो उनका प्रभाव पडेगा और बादमे यह सब जाहिर करनेके बाद विवाह करने पर भी उस स्त्रीके साथ विषय भोग करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जायेगा। तुमने प्रजा-पालन आदिको उपाधि-रूप माना है, तुम देखोगे कि ऐसा करनेमे तुम इस दोषसे भी बच जाते हो।

अभी समझौता नही हुआ है। हो जायेगा, ऐसा मानता हूँ। वैसा हो गया तो भी अभी सितम्बरसे पहले यहासे निकलना सम्भव नही होगा। रवाना होते समय मै तुम्हे तार करूँगा।

हमारे-जैसे लोगोपर अनुचित आहारका असर तुरन्त ही क्यो हो जाता है, इसका कारण तुमने ठीक-ठीक समझाया है। बुद्धदेवने ज्यो ही भिक्षासे प्राप्त मासका भक्षण किया, त्यो ही उनका शरीरपात हुआ। श्रीमती बेसेन्टके आहारमे कभी अनजाने अडे आ जाये तो वे कै कर डालती है।

वालजी फौजदारके लडकेके लिए नाकसे पानी लेनेका प्रयोग अच्छा, बल्कि उत्तम, रहेगा। इसके सिवा उसे अपने आहारमे फेरफार करना चाहिए। उसे पहले एक या दो दिनका उपवास करना चाहिए। कुछ दिनतक केवल फलाहार करना चाहिए और वह भी दिनमे एक ही बार। कूनेकी बताई हुई विधिसे [कटि-] स्नान करना चाहिए और रातका भोजन तो बिलकुल छोड देना चाहिए। घी पिघलाकर और उसमे कपूरका चूर्ण मिलाकर सूघना चाहिए। रोज ऐसा तीन-चार बार किया जाये। तम्बाकू सूघनेमे भी दोष नही है। उसका उपयोग औषधिके रूपमे और विचारपूर्वक किया जाये तो हर्ज नही।

सर आइजक न्यूटनकी खोजके विषयमे तुम्हारा कहना बिलकुल दुरुस्त है। अभी-अभी विख्यात विज्ञान-शास्त्री वैलेसने भी यही कहा है। वे कहते है कि इन सारी खोजोंसे लोगोके नीति-बोधमे कोई सुधार नही हुआ है।

दूधके विषयमे किसीने कोई विचार न किया हो, ऐसा माननेका कारण नही है। मेरा तो खयाल है कि कई लोग दूधके बिना काम चला लेते होगे। परन्तु जैसा मैने लिखा था,[1] किसी महापुरुषने भारतमे मासके त्यागका जो परिवर्तन कराया वह इतना महत्वपूर्ण था कि दूधके विषयमे विचार करने या लिखनेकी बात, मालूम होता है, किसीको सूझी ही नही। लेकिन हो सकता है कि यह हमारा अज्ञान हो। न तो हमने सब कुछ पढा है और न सब कुछ देखा है। इसलिए इस विषयमे यही दृष्टि उत्तम है—भूतकालमे विचार हुआ हो या न हुआ हो किन्तु यह बात हमारी बुद्धिको जँचती है या नही? इसके सिवा दूधके त्यागको किसीने न तो पाप बताया है, न कोई ऐसा मानता ही है। स्वामी रामतीर्थका[2] शिक्षण कई जगह मुझे स्थूल प्रतीत हुआ है। कही कही तो अनीतियुक्त भी मालूम हुआ है। यात्राके विषयमे उनके विचार बहुत सतही है। उनकी तुलनामे मलबारीने[3] कही ज्यादा अच्छे विचार प्रकट किये है।

१ देखिए खण्ड ११, "पत्र जमनादास गांधीको", पृष्ठ ५०९।

२ (१८७३–१९०६), प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और सन्त।

३ (१८५४–१९१२), बहरामजी मेरवानजी मलबारी, कवि, पत्रकार और समाज सुधारक।

भारतके धर्मात्मा व्यक्तिको बाहर जाकर अमेरिकामे कोई उपदेश करनेकी आवश्यकता नही है। कमयोगन हमारी सीमा बाध दी है, उसका उल्लघन करना मोह और ममत्वका सूचक है।

जापान और अमेरिका विकास कर रहे है, यह मैंने माना ही नही है। यदि कोई मनुष्य अकारण अपने शरीरका बलिदान कर देता है तो यह नही कहा जा सकता कि उसने कोई सत्काय किया है। उसके मूलमे ममत्व था और इसलिए उसे पापकम कहना होगा।

जहा पत्नी-पतिके धम भिन्न होते है वहाँ एकता नही आ सकती।

मुद्रणालय और समाचारपत्र भी दोषपूण चीजे है। चूकि हम यह जानते है इसलिए हमे इस किस्मके नये और बडे काम हाथमे नही लेने चाहिए। इस विषयपर मैंने 'हिन्द स्वराज्य'मे लिखा है। वह आज भी सही मालूम होता है।

मणिलालने की घटनाके बारेमें तुम्हे लिखा है। इसलिए मै यहा कुछ नही लिखता। उससे हम कई सबक सीख सकते है।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४७) से।
सौजन्य नारणदास गाधी

९९. पत्र : भवानी दयालको

[फीनिक्स]
आषाढ कृष्ण ५ [जुलाई २३, १९१३]

भाई श्री भवानी दयाल,

तुम्हारा खत मीला है। जोहानिसबगसे मेरा जानेका एकदम [तय] होनेके लीये मे[1] खबर देने न सका। इसलीये माफी चाहता हु।

जो पत्रव्यवहार मुलकी प्रधान[2]के साथ चल रहा था वह खलास नहि हुआ है। परन्तु प्रिटोरियेसे मुझे तार मीलाके जबतक स्ट्राइकका हगाम[3] चलता है तबतक सरकार दूसरा काम पर ध्यान नहि दे सकते है। हगामके बाद फेर मेरा आनेका होगा उस वखत मालूम हो जायेगा की लडत चलेगी या समाधानी[4] होगी।

स्वामी मगलानद पूरी जहेलमे[5] जानेके लीये या तो[6] धम बोध करनेके लीये आवे यह सलाह मै न दे सकता हु।

१ मै
२ मुल्की प्रधान — यानी गृह मन्त्री।
३ मौसम, अवधि — तात्पर्य जोहानिसबर्गकी हड़तालकी अवधिसे है, देखिए पृष्ठ १२७-२९।
४ समझौता।
५ जेलमें।
६ इस 'तो' को निकाल कर पढ़िए।

रा० रा० सत्तादेवजी[1] मुसाफरीके लीये कोई वखत आने सकेगे।

मोहनदास गांधीका वंदेमातरम्

गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७३५) से।

सौजन्य विष्णुदत्त दयाल

१०० पत्र : एशियाई-पंजीयकको

[फीनिक्स
जुलाई २३, १९१३के बाद]

एशियाई-पंजीयक
प्रिटोरिया

महोदय,

[विषय] मुहम्मद ई० भायात ४१/ई०/८५७

आपके गत २३ जुलाईके पत्रके सन्दर्भमें मैंने हाल ही में जोहानिसबर्गसे टेलीफोन-पर आपसे जैसा कहा था उसके अनुसार मैंने श्री लेनके साथ हुआ अपना पत्र व्यवहार देख लिया है। मैं आपका ध्यान उनको लिखे गये अपने ११ अप्रैल, १९१२के पत्र[2] और उसी वर्ष ८ मईको सरकारी तौरपर भेजे गये उनके उत्तरकी ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि दोनोंको एक साथ रखकर पढ़नेके बाद मेरी यह व्याख्या असंगत नहीं ठहरती कि अनुमतिपत्रोंको अनिश्चित काल तक (जाहिर है, मन्त्री जबतक चाहे तभीतक) बार-बार नया कराते रहना पड़ेगा। हमेशाकी तरह आज भी मेरा विचार स्थायी प्रमाणपत्रोंकी मॉंग करनेका है। परन्तु मैं नया कानून पास हो जानेकी राह देख रहा था। हालाँकि नया विधान अब पास हो चुका है, पर दुर्भाग्यवश अभीतक कुछ प्रमुख मसले तय होने बाकी हैं। उनका कोई सन्तोषप्रद हल निकल आनेपर मैं इस बालकके बारेमें समुचित निवेदन करूँगा। मेरा अनुरोध है कि इस बीच अनुमतिपत्रकी अवधि और बढ़ा दी जाये। मैंने देखा है कि आपने पिछले महीनेकी २६ तारीखके अपने पत्रमें भायातको लिखा था कि बालकके अनुमतिपत्रकी अवधि बढ़वानेके लिए उनको १० पौंड जमा कर देने चाहिए। मेरा खयाल है कि १९०८के अधिनियम ३६के अन्तर्गत आपको जो सत्ता प्रदान की गई थी वह अब भी यथावत है। यदि आप मेरी व्याख्यासे सहमत हों, तो पैसा जमा कराना आवश्यक नहीं है। आशा है कि मेरे इस निवेदनको देखनेके बाद आप अपने उस पत्रमें कही गई पैसा जमा करानेकी बातपर आग्रह नहीं करेंगे।

१ शायद "सत्तदेवजी" लिखना चाहते हों।
२. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ २५३-५४।

मैं आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बालक अभी सत्रह वर्षका नहीं हुआ है, वह सोलहसे भी कम है।

आपका,

हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८४८) की फोटो-नकलसे।

१०१ आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३०]

१०. दुर्घटनाएँ जलमें डूबना

कुछ रोगोंके सम्बन्धमें हम सहज रूपसे चर्चा कर गये। दुर्घटनाएँ भी समय-समयपर होती रहती हैं। उनके सम्बन्धमें भी प्रत्येक मनुष्यको साधारण जानकारी होनी चाहिए जिससे ऐसे समयमें — जब कि किसीके प्राण संकटमें हों — मदद की जा सके। इस प्रकारकी जानकारी बालकोंको बचपन ही से दी जाये तो उनमें दयाकी वृत्तिका विकास हो सकेगा।

सर्वप्रथम तो हम डूबे हुए व्यक्तिकी हिफाजतकी बात लें। इंग्लैंडमें इस प्रकारकी दुर्घटनाएँ हो जानेपर सहायता करनेके लिए एक परोपकारी मण्डलकी स्थापना की गई है। उसने अनेक हिदायतें, प्रकाशित की हैं। उन्हींके आधारपर कुछ-एक परिवर्तन-परिवर्धनके साथ नीचे दिये सुझाव लिये गये हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्वासके रुक जानेपर मनुष्य शायद ही पाँच मिनट जी पाता है। अर्थात् डूबते हुए मनुष्यको जब पानीसे बाहर निकाला जाता है तब वह लगभग मरा हुआ जान पड़ता है। डूबे हुएको सचेत करने और सजग रखनेके लिए शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए। इसमें दो बातोंकी ओर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास शुरू करके डूबे हुएको ठीक तौरसे श्वास लेनेकी स्थितिमें लाया जाये, और दूसरे उसे, गर्मी पहुँचाई जाये। उपचारोंका विचार करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि उस व्यक्तिकी सार-सँभाल तत्काल ही जहाँके-तहाँ, ऐसे स्थानमें जहाँ कोई साधन उपलब्ध नहीं होते, करनी होती है। ऐसी स्थितिमें दो-तीन व्यक्तियोंकी जरूरत पड़ती है। ऐसे अवसरपर मदद करनेवाले व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति, धैर्यवान और तत्पर होने चाहिए, मदद करनेवाले ही यदि घबरा जायें तो कुछ भी नहीं बन पड़ेगा। और यदि ये सभी व्यक्ति अपने-अपने मनकी करना चाहें या आपसमें सलाह-मशविरा ही करते रहें तो मरीजको बचाना कठिन हो जायेगा। सहयोगियोंको अपने बीच सबसे होशियार व्यक्तिको मार्ग-दर्शनके लिए चुनकर कार्य आरम्भ कर देना चाहिए।

मरीजको पानीसे बाहर निकाल लेनेके बाद पहले तो तुरन्त उसके गीले वस्त्र उतार देना चाहिए। लोगोंको अपने पासके सूखे वस्त्रोंसे उसका शरीर पोंछ डालना चाहिए। इसके बाद उसके ललाटपर सहारा देकर धीमेसे उसे उलटा लिटा दिया जाये। फिर उसकी छातीको हाथसे दबा कर उसके मुँहसे कचरा, पानी आदि निकालें और यदि जीभ बाहर निकल आये तो उसे पकड़ रखें। हाथसे रूमाल

आदिके बिना जीभ पकडकर नही रखी जा सकती। जीभको बाहर निकाल कर जबतक मरीजमे चेतनाका सचार हो तबतक उसे बाहर ही पकडे रखना चाहिए। अब मरीजका सीधा लिटा दिया जाय, परन्तु सिर और धडका ऊपरी भाग पैरोकी अपेक्षा कुछ ऊँचा रखा जाय। अब मरीजके सिरके पास किसीको घुटनोके बल बैठना चाहिए, और मरीजके दानो हाथोका धीरेसे उठाकर अपनी ओर सीधा और लम्बा करना चाहिए। एमा करनसे उसकी पसलिया कुछ ऊँची उठेगी और बाहरकी वायु मरीजके शरीरमे प्रवेश कर सकेगी। फिर तुरन्त माडकर मरीजके हाथ सीनपर दबाये जाये। ऐसा करनसे पसलिया दबेगी और मरीजके शरीरसे श्वास बाहर निकलेगा। चुल्लूमे छातीपर गम और ठडे पानी भी मारते रहना चाहिए। आसपास साधन हो और यदि आच जलाई जा सके या कहीसे लाई जाये तो मरीजको सेक करके उसे गर्मी पहुँचाई जाये। अपने पासके वस्त्र मरीजको ओढा दिये जाये। मरीजके शरीरकी मालिश जारी रखी जाये, जिससे उसके शरीरमे गर्मी पैदा हो सके। ये सारे ही उपाय बहुत देर तक करते रहना पडता है। एकदम आशा नही छोड देनी चाहिए। डॉक्टर वेहिग कहते है कि इस प्रकार करते रहनेपर मरीजको ५ घटोके बाद भी श्वास जारी हुआ है। अत तत्परता और शीघ्रतापूवक यह क्रिया जारी रखी जाये। मरीजमे चेतना व्याप्त हुई जान पडे तो झट ही उसे कोई गम पेय दिया जाये। नारगीका रस गर्म पानीमे मिलाकर या दालचीनी, लौग और मिचका काढा देनेसे मरीज चेतन होगा। मरीजकी नाकमें तम्बाकू सुँघानेपर भी कभी-कभी लाभ होनेकी सम्भावना है। मरीजके चारो ओर भीड करके किसीको खडा नही रहना चाहिए, क्योकि सर्वाधिक आवश्यक बात यह है कि मरीजको अधिकसे-अधिक हवा मिल सके।

मरीज अब जीवित नही रहा — साधारण रूपसे इसकी पहिचान इस प्रकार है उसका श्वासोच्छ्वास बन्द हो जायेगा और छातीपर हाथ या नली रखनेपर धडकन प्रतीत नही होगी। नाडी बन्द हो जायेगी। आँखे अधखुली होगी। पलके फली हुई होगी। जबडे भिंचे होगे। अँगुलियाँ टेढी होगी। जीभ दातोके बीच होगी। महसे झाग गिरने लगेगा। नाकसे पानी झरने लगेगा और सारा शरीर निस्तेज हो जायेगा। उसके मुहके पास पख ले जानेपर उस [पख]मे कोई कपन नही होगा। शीशा रखनेपर उसपर उच्छ्वासका कोहरा नही जमेगा। यदि इनमे से बहुतेरे चिह्न एक साथ हो तो सम्भवत प्राण जाता रहा है, यही मानना पडेगा। डॉक्टर मूर कहते है कि ये सारे चिह्न हो तो भी एकाध बार प्राण बचा रह जाता है। प्राण चले जानेकी ठीक निशानी यह होती है कि शरीरमे विकृति शुरू होने लग जाये। यह सब समझ लेनेपर हमे इतना तो जान ही लेना चाहिए कि मरीजकी हिफाजत बडी देर तक करनेके बाद ही आशा छोडनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-७-१९१३

१०२ तार गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
जुलाई २९, १९१३

गोखले
लन्दन

औद्योगिक सकटसे समझौतेकी बातचीतकी प्रगति रुकी।

गाधी

मल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४४) की फोटो-नकलसे।

१०३. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको

[जोहानिसबग
अगस्त १, १९१३]

प्रिय हेनरी,

देखता हूँ, आपने काममे तनिक भी ढील नही आने दी है। आप बडी चतुराईके साथ अपना अभीष्ट उत्तर तो हासिल कर ही चुके है। जान पडता है, रायटरके तारमे भी आपका हाथ है। मुझे इस सबसे आश्चर्य नही होता। आप अपने कायमे बिलकुल तन्मय हो सकते है, इसका मुझे इतनी बार अनुभव हुआ है कि मै इसका आदी हो गया हूँ।

यहाँकी हडतालसे सारे काम ठप हो गये है। फिलहाल मन्त्रिमण्डलसे हमारे लिए कुछ अपेक्षा करना व्यथ है। किन्तु जब भी बातचीत शुरू होगी, उसपर आप वहाँ जो काम कर रहे है उसका प्रभाव पडे बिना नही रहेगा।

मेरे पास मुश्किलसे १५० पौड बचे है। समझमें नही आता, परेशानीकी यह लम्बी अवधि कैसे कटेगी। सघर्ष आरम्भ हो जानेपर तो निधिकी चिन्तासे मुक्त हो जायेगे, क्योकि तब [परिवारोका] निर्वाह माँग-जाँच कर हो जायेगा। किन्तु अनिश्चय-की इस अवस्थामे बहुत कठिनाई हो रही है। यदि श्री गोखले स्वस्थ हो, तो आप स्थितिके सम्बन्धमे उनसे बातचीत करे। हम सावजनिक अपील तो किसी भी अवस्थामे नही करना चाहते। कोई गुप्तदानी सारी दिक्कत दूर सकता है। किन्तु आप अपनी बुद्धिसे, जो मुनासिब हो, करे। यदि कोई दानी हो तो उसे बता दीजिए कि वह कुछ देगा उसका उपयोग कष्टमे पडे परिवारोके लिए नही, बल्कि मुझे निश्चिन्त भावसे काममे लगे रहने और हमने अपने ऊपर जो दायित्व ले रखे है उनका कुछ ज्यादा आसानीसे निर्वाह करनेकी सुविधा प्रदान करनेके लिए किया जायेगा, इसके अलावा,

उसके बलपर जब हम चाहेंगे, सत्याग्रह सघष भी आसानीसे आरम्भ कर सकेंगे। मैंने आपको आर्थिक स्थिति बता दी है, किन्तु आपको इससे चिन्तित होनेकी आवश्यकता नही है। यदि आप कुछ कर सके, तो करे। यदि न कर सके तो मैं कोई-न-कोई व्यवस्था कर लूगा। अभी हमारे पास बैंकमे जेवर जमा है[1] जो हमे भेटमे मिले थे। यदि आवश्यकता हुई तो मै उन्हे भी काममे लानेमे नही झिझकूँगा।

सबको प्यार।

हृदयसे आपका
भाई

[पुनश्च]

आप विनियमोसे सम्बन्धित टिप्पणियाँ पढ ले। फिरसे आन्दोलन आरम्भ होनेपर आप उसका उपयोग कर सके, इस दृष्टिसे मैंने सिनेटकी बहस उद्धृत कर दी है। इससे फिशरकी साख बिलकुल उठ जाती है।

गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३०) से।

१०४ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-३१]

११ दुर्घटनाएँ जलना

किसी मनुष्यके कपडे आदिमे आग लग जानेपर हम घबरा जाते है। यह तो जलेपर और दागने-जैसी बात है। जले हुए व्यक्तिको मदद पहुँचानेके बदले हम उसे घोर यन्त्रणा पहुँचाते है। अत यह जान लेना हमारा फज हे कि आगसे जले हुए मनुष्यका किस ढगसे उपचार किया जाये।

यदि वस्त्र आग पकड ले तो स्वय उस व्यक्तिको घबराना नही चाहिए बल्कि जलता छोर झटपट हाथोमे लेकर उसे मसलकर बुझा देना चाहिए। यदि सारे वस्त्रोने आग पकड ली हो तो तत्काल धूलमे लोटने लगना चाहिए या शतरजी आदि कोई मोटा वस्त्र उसे तुरन्त लपेट लेना चाहिए। पानी हो तो पानी उँडेल लेना चाहिए। आगके बुझते ही सवप्रथम यह देखना चाहिए कि शरीर जला है या नही। जहाँ जला हो, सम्भव है, वहाँ कपडा चिपक गया हो। इसे खीचकर हटाना नही चाहिए बल्कि जहाँ कपडा चिपका हो उतना स्थान छोडकर बाकी कपडा कैंचीसे काटकर अलग कर देना चाहिए — ऐसी सावधानीसे कि चमडी न खिचे। इसके बाद झटपट साफ मिट्टी जुटाई जाये और उसमे ठडा पानी मिलाकर उसका लेप तैयार करके मिट्टीकी पट्टी चढाई जाये। यह करते ही जलन एकदम ठडी पड जायेगी और रोगीका दद घट जायेगा। कपडा यदि चिपका रह गया है तो भी पट्टी बाँधनेमे कोई हर्ज नही है। मिट्टीकी पट्टी सूखते ही बदल दी जाये। ठडे जलके प्रयोगसे डरनेका कोई कारण नही है।

१ गांधीजीने प्राप्त उपहारों और दानमें मिले आभूषणोंसे १९०१ में एक न्यास स्थापित किया था। यहाँ तात्पर्य उसीसे है।

जिन्हे ये उपाय ठीक न जान पडे उनके लिए नीचे लिखे उपचार भी है। इन्हे जान लेना चाहिए। ये उपचार एक अग्रेजी लेखककी पुस्तकसे लिये गये है। केलेका पत्ता लेकर उसपर जैतूनका तेल या मीठा तेल चुपड दिया जाये और इसे जले अगपर बाँध दिया जाये। पत्तेके स्थानपर तेलमे डुबोकर मुलायम पतला कपडा बाँधा जाये तो भी काम देगा। अलसीका तेल और चूनेका पानी बराबर मात्रामे अच्छी तरह मिलाकर उपयोगमे लाया जाये। यह भी लाभदायक है। यदि चिपका हुआ कपडा न निकले तो कुनकुने दूध और पानीसे उसे तर किया जाये। खब तर हो जानेपर वह छूट जायेगा। यदि तेलकी पट्टी बाँधी गई हो तो प्रथम बार उसे दो दिनके बाद खोला जाये और फिर उसे प्रतिदिन खोला और बाधा जाये। यदि छाले आ गये हो तो उन्हे फोड देना चाहिए, पर उनके ऊपरकी त्वचाको न खीचे।

जलनेपर यदि त्वचा लाल-भर हुई हो तो मिट्टीकी पट्टीसे बढकर कोई इलाज नही है। जलन तो इससे एकदम शान्त हो जायेगी।

अँगुलियोके बीचमे जला हो तो ध्यानपूवक साफ पट्टी इस प्रकार बाँधी जाये कि अँगुलिया एक-दूसरेसे मिलने न पाये। अनेक बार दाहक तेजाब आदिके पड जानेसे भी आदमी जल जाता है। ऐसे प्रसगोपर ऊपर सुझाये उपचार उपयोगी होगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–८–१९१३

१०५ पत्र : जमनादास गाधीको

[जोहानिसबर्ग]
श्रावण सुदी ६, [अगस्त ७, १९१३][1]

चि० जमनादास,

तुम लिखते हो कि बाथ [कूने द्वारा प्रचारित कटि-स्नान आदि] के विषयमे हरिलालने तुमसे जो-कुछ कहा है उससे तुम भडक गये हो। भडकनेका कोई कारण नही है। हरिलालने जो-कुछ कहा, बिना जाने कहा है। इतनी ज्यादा सावधानी रखनेकी बिलकुल जरूरत नही है। तापक्रम आदि नापनेकी झझटमे मै पडता ही नही। शरीरकी गर्मीसे पानीकी गर्मी कम होनी चाहिए। बाकी जानकारी अनुभवसे मिलती रहती है। जहाँ जहा कूनेका बाथ लागू पडता मालूम हो वहाँ-वहाँ उसका प्रयोग नि सकोच करना चाहिए।

टमाटर, नीबू आदि बुखारका घर माने जाते है। उसका कारण यह है कि डटकर भोजन करनेके साथ-साथ ये वस्तुएँ ली जाती है और बीमारी आ जानेपर दोष इन वस्तुओको दिया जाता है। दूसरे, जिस मनुष्यका रक्त मिर्च, काली मिर्च, मसाला,

१ मालूम पड़ता है, यह पत्र दक्षिण आफ्रिकासे जमनादास गाधीके दिसम्बर १९१२ में भारत चले जानेके बाद लिखा गया होगा।

दाल आदि वस्तुएँ खा-खाकर उष्ण हो गया होता है, वह जब नीबू आदि खाता है तो पहले पहले कोई सकट पैदा हो सकता है। बादमे यदि वह मसाला आदि छोडकर आवश्यकताके अनुसार नीबू आदिका सेवन करे तो इसमे सन्देह नही कि उसका रक्त शुद्ध हो जायेगा। बहुत गर्मीवाली जगहसे निकलकर कोई मनुष्य ठडी हवाका सेवन करे, तो शरीर अकड जाता है, सम्भव है कि मिर्च आदि खानेवाले मनुष्यपर नीबू ऐसा ही असर करता हो।

ब्राह्मणोको पूज्य माननेके सम्बन्धमे मुझे याद आता है कि मै तुम्हे लिख चुका हूँ।

मै अच्छी पाठशालाके खिलाफ नही हूँ। किन्तु ऐसा जरूर मानता हूँ कि जिसमे बहुत ज्यादा बालक हो, ऐसी पाठशाला अच्छी नही हो सकती। इसके सिवा पाठशाला तो वही है जहाँ बालक चौबीसो घण्टे रहे। अन्यथा उन्हे दो प्रकारका शिक्षण मिलता है।

मै आ जाऊँगा तब प्रेस जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। श्री पोलक अपना धन्धा करेगे। कुमारी श्लेसिन तो अभीसे अन्यत्र नियुक्त हो गई है। श्री कैलेनबैक शायद मेरे साथ आयेगे। कुमारी मेरी फिलहाल फीनिक्समे ही रहेगी। मणिलाल साथ आयेगा।

हमारे सब शास्त्र विचारपूर्वक और ज्ञानपूर्वक लिखे गये है, ऐसा माननेका कोई कारण नही है। चार्वाक-दर्शन भी शास्त्र माना गया है। जिसमे शुद्ध ज्ञान है, वही शास्त्र है, ऐसा अर्थ करे तो यह कहा जा सकता है कि समस्त शास्त्र ज्ञानपूर्वक ही लिखे गये है। इस विचारके अनुसार जिन शास्त्रोमे नरमेध आदिका उल्लेख हो, उन्हे अज्ञानपूर्ण मानना चाहिए। ऐसी बाते, सम्भव है, शुद्ध शास्त्रोमे बादमे प्रक्षिप्त कर दी गई हो। यह सारी खोज करनेकी आत्मार्थीको कोई आवश्यकता नही है। यह तो इतिहासके पण्डितोके कामकी चीज है। हमे तो लिखे या बोले गये शब्दोसे सारकी बात ग्रहण करनी है। सब शास्त्रोको शास्त्र मानकर उनकी अनर्थकारी बातोमे भी अर्थ ढूँढनेकी और उन्हें सिद्ध करनेकी झझटमे हम क्यो पडे?

भारतमे और अन्यत्र ज्ञान और अज्ञान दोनो साथ-साथ चलते आये है। इसीलिए हम देखते है, धर्मके नामपर अन्याय-मूलक रिवाज चलते है, जैसे कालीके सामने पशु-बलि आदि। इन अनिष्टकारी रिवाजोको दूर करनेकी खटपटमे भी फिलहाल हम नही पड सकते। हमारा पहला सूत्र यह है कि हम आत्माको जाने। इतना पाठ पढने और जाननेके बाद बाकी सब-कुछ हमारी समझमे अपने-आप आता चला जायेगा।

यदि विभीषण प्रभु रामचन्द्रके पास निःस्वार्थ बुद्धिसे गये तो उनका ऐसा करना बिलकुल ठीक था। अपने सगे भाईके दोष भी प्रभुसे कौन छिपाना चाहेगा? और भाईके दोष दूर करनेके लिए प्रभुकी सहायता माँगना भी ठीक ही है।

तुमने 'भागवत्'का जो श्लोक उद्धृत किया है, हमे उसके शब्दार्थका आग्रह नही करना चाहिए। कृष्णकी लीला तो कृष्ण ही जानते है। वे यदि कामनापूर्वक भी कुछ करते हो तो भी हम स्थूल देहधारी प्राणी वैसा नही कर सकते। उनकी प्रभुता उन्हें [नियमोके बन्धनसे] छूट देती है, हम ऐसी छूट नही ले सकते। इसके सिवा यह भी

याद रखना चाहिए कि कृष्णके विषयमे भागवतकारने अपने ज्ञानकी सीमाके अनुसार ही तो लिखा है। कृष्णके वास्तविक स्वरूपको कोई नही जानता।

फिलहाल तुम्हे अपने जीवनका उपयोग माता-पिताकी सेवा, शारीरिक श्रम और अध्ययनमे करना चाहिए।

मै स्थायी रूपसे कहाँ रहूँगा, सो कहा नही जा सकता। मै नही जानता, वहाँ मेरी तसवीर मिलेगी। उसका आग्रह करनेकी जरूरत नही है। श्री कैलेनबैककी मिल सकती है।

मैंने मोक्ष-प्राप्तिकी परीक्षा अभी पार नही की। अपने सभी मनोविकार मैंने अभी नही जीते। अभी स्वादेन्द्रियको भी जीत लिया है, ऐसा नही माना जा सकता। मेरी यह कहनेकी शक्ति भी नही है कि किसी भी हालतमे विषयेन्द्रिय मेरे वशमे ही रहेगी। स्त्री पुत्रादि और कुटुम्बके प्रति मेरी आसक्ति अभी बिलकुल क्षीण नही हुई है। मेरे विषयमे इतना ही कहा जा सकता है कि मै मोक्षकी प्राप्तिके लिए दृढ प्रयत्न कर रहा हूँ।

तुम्हारे उन सब पत्रोका जवाब, जिन्हे मै कई दिनसे अपने साथ लिए घूम रहा था, आज पूरा हो गया। अभी भी जो योग्य मालूम हो, सो पूछना।

मै पिछले दस दिनसे जोहानिसबर्गमे हूँ। समझौता न हो तो सघर्ष पुन आरम्भ करनेके लिए आया हूँ। क्या होगा, कहा नही जा सकता। प्रिटोरियासे जवाबकी राह देख रहा हूँ। श्री गोखलेकी इच्छाके अनुसार श्री पोलक विलायत गये है।

अपना दैनिक कायक्रम सूचित करना। भाई कोटवालको पत्र लिखना। उनका पता है—कोटवाल घर, थाणा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४८) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य नारणदास गाधी

१०६ आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३२]

१२ दुर्घटनाएँ सर्प-दश

साँपसे मनुष्य सदा ही भय खाता आया है। सर्पके सम्बन्धमे भ्रान्तियोका भी पार नही है। साँपका नाम आते ही हम भयभीत हो उठते है। रातके समय उसका नाम लेना हो तो उसे [गुजरातमें] "मोटा जीव" कहते है। हिन्दुओमे तो उसकी पूजा होती है। नागपचमीका दिन सर्प-पूजनका ही दिन माना जाता है। सर्वसामान्य यह मान्यता है कि शेषनागके फनपर पृथ्वीका भार है। भगवान भी शेषशायी अर्थात् शेषनागपर शयन करनेवाले माने जाते है। शिव तो सर्पकी माला ही पहनते है। "सहस्रमुखी शेषनाग भी वर्णन नही कर सकता"—यह कहा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि साँपमे बुद्धि और ज्ञान भी है। कुछ ऐसी ही मान्यता ईसाई धर्ममें

भी है। "सपकी बुद्धि जैसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए"—अंग्रेजीमें तो एसा कह कर तुलना की गई है। नल राजाको कर्कोटक नामक नागने डसकर उनपर उपकार किया था। अपने जहरसे उसने नलको कुरूप बना दिया, जिससे जगलोमे भटकते हुए उनपर कोई कुदृष्टि न डाल सके। बाइबिलमे सपको शैतानका रूप माना है। सप ही ने हौवाको प्रलोभन दिया था।

सपके सम्बन्धमे इस प्रकार अनेक मान्यताएँ और दन्तकथाएँ प्रचलित है। उसके प्रति भयकी बात तो समझमे आ सकती है। यदि पूरी तरह उसका जहर चढ जाये तो मृत्यु अवश्यम्भावी है, और मृत्युको कौन चाहता है? इसीलिए लोग सपसे डरते है। भय ही के कारण उसे पूजते है, यह भी समझा जा सकता है। साँप यदि छोटा सा प्राणी होता तो इतना भयकर होते हुए भी सम्भवत इतना पूजा न जाता। परन्तु चूंकि वह मोटा, विशाल, सुन्दर और विचित्र प्रकारका प्राणी है, अत उसकी पूजा भी होती है।

उसमे बुद्धिका आरोप क्यो किया गया है, यह बात विचारणीय है। आजकलके विशेषज्ञ तो कहते है कि उसमे बुद्धि नामको भी नही है। वे तो कहते है कि सपको जहाँ देखा जाये, मार दिया जाये। भारतवषमे प्रतिवर्ष २०,००० व्यक्ति सपदशसे मरते है। ये सरकारी आँकडे है। मेरे खयालसे तो इससे भी अधिक लोग मरते होगे। प्रत्येक जहरी साँपको मारनेपर सरकार इनाम देती है, पर इनाम रखनेसे कोई फायदा हुआ या नही, यह देखना होगा। इतना तो साधारण अनुभव है कि साप यो नही काटता। वह तभी काटता है जब उससे छेडछाड की जाये। क्या यह उसके बुद्धिसम्पन्न होनेका लक्षण नही है? यदि यह लक्षण बुद्धिका न हो तो उसकी निर्दोषताका माना जायेगा। अपने बचावमे ही तो वह दाँतोका प्रयोग करता है। मनुष्य भी तो यही करता है। भारतवर्षको या किसी अन्य स्थानको सप-रहित करनेका प्रयत्न नितान्त असम्भव है। यह हो सकता है कि किसी खास स्थानसे साँपोको दूर कर दिया जाये। उस विशेष स्थानमें आनेवाले साँपोको मार डाला जाये तो दूसरे साप आने बन्द हो जायेगे। वे समझ जाते है कि उस स्थानमे जाना मौतके पजोमे ही पडना है। परन्तु ऐसा तो किसी मर्यादित स्थानके लिए ही किया जा सकता है। हिदुस्तान-जैसे विशाल देशके लिए यह प्रयास सम्भव नही हो सकता। अत साँपोको मारकर जड-मूलसे नष्ट कर देना तो पैसा पानीमे फेक देनेके समान है।

साँपोको भी वही ईश्वर पैदा करता है और उसके सारे कार्योको समझ लेनेकी शक्ति हममे नही है। उसने शेर, सिंह, साँप, बिच्छू आदिको इस कल्पनासे तो नही बनाया होगा कि मनुष्य इन्हे मार डाले। यदि सर्प भी सामूहिक रूपसे यह विचार करे कि मनुष्य तो जहाँ देख पाता है वही हमे मार डालता है। तब क्या मनुष्यको ईश्वरने साँपोको मारनेके लिए ही पैदा किया है? तो जिस प्रकार यह कल्पना गलत है ठीक उसी प्रकार साँपोके सम्बन्धमे हमारे विचार भी निरर्थक ही माने जाने चाहिए।

यूरोपमे सेट फ्रासिस नामक एक महायोगी हो चुके है। वे जगलोमे साँपोके बीच घूमते-फिरते थे, तो भी वे उन्हे कोई हानि नही पहुँचाते थे। बल्कि वे उनके साथ मित्र-भाव रखते थे। भारतके जगलोमे भी हजारो फकीर जोगी बास करते है। वे शेरो,

भेडियो आदिके बीच निर्भयतापूर्वक घूमते-फिरते है, फिर भी उन्हे किसी प्रकारकी हानि होती हो, सो नजर नही आता। यह कहा जा सकता है कि उनमे भी कुछ की सर्पों और हिंसक जानवरोसे मौत तो होती ही होगी, यह सम्भव है। पर इतना तो हम जानते ही है कि सर्पादि जन्तु इतने अधिक है और उनकी तुलनामे जोगी-फकीर इतने कम है कि यदि ये प्राणघाती इनके पीछे ही पड जाये तो उनमे से एक भी जिन्दा न बचे। इन जोगी-फकीरोके पास इन जन्तुओका मुकाबला करनेके साधन भी नही रहते, इतना तो हम मानते है और जानते भी है। अत यह साबित होता है कि कितने ही भयकर माने जानेवाले प्राणी अनेक योगियो और फकीरोके साथ मैत्री रखते है अथवा उन्हे भयमुक्त रखते है। मेरी तो यह भी मान्यता है कि यदि हम प्रत्येक प्राणीके प्रति अपनी वैर-भावनाको त्याग दे तो वे जीव भी हमारे प्रति वैर-भाव न रखे। दया या प्रेम मानवका महान गुण है। इनके बिना वह ईश्वरका भजन ही नही कर सकता। दया तो धमका मूल ही है, इसका दशन हमे सारे धर्मोंमे थोडा-बहुत होता रहता है।

हो सकता है, सापोकी उत्पत्ति या उनके स्वभावकी क्रूरता हमारे ही स्वभावकी प्रतिच्छाया हो। मनुष्योमे क्या हिंसक वत्ति कम है? हमारी जीभमे तो सपदश भरा ही रहता है। हिंसक जानवर शेर, भेडियो ही की तरह हम अपने भाई बन्धुओको मार डालते है। धर्म-ग्रथोमे कहा गया है कि जब मनुष्य निर्दोष बन जायेगा तब बाघ और बकरी भी आपसमे मित्रतासे रहेगे। जबतक हमारे भीतर ही शेर-बकरीका युद्ध चल रहा है तबतक इस विश्व-देहमें भी वह विग्रह चलता रहे, इसमे आश्चयकी क्या बात है? हम तो विश्वके दर्पण है। हमारे शरीर-जगतमें विश्वके समस्त भाव समाये हुए है। यदि उन्हे बदल दिया जाये तो ससारकी भावनामे भी परिवर्तन हो जायेगा यह स्पष्ट है। जो-जो व्यक्ति अपने मनोभाव बदलते जाते है उनके लिए ससार भी परिवर्तित होता जाता है। यही ईश्वरकी महान माया है। यह एक विचित्रता है और इसीमे हमारे सुखका मूल स्रोत है। अत दूसरे क्या करते है, इसकी राह देखनेकी हमे आवश्यकता नही रह जाती।

सपदशपर इस प्रकार विस्तारसे लिखनेका हेतु यह है कि सपदशके भौतिक उपाय-भर बतलानेके बजाय उसमे जरा गहरा उतरा जाये तो इस प्रकारके समग्र खतरोसे बचनेका विशेष चमत्कारी उपाय हमारे हाथ लगता है। और उस उपायको यदि एक पाठक भी ग्रहण करनेका प्रयत्न करे तो हम अपना प्रयास सफल मानेगे। हम आगे ही कह आये है कि आरोग्यके इन प्रकरणोको लिखनेका हेतु केवल शरीर-आरोग्यकी हिफाजत रखना ही नही, बल्कि सब प्रकारके स्वास्थ्य-सम्पादनके साधनोका विचार करना है।

आजके शोधकर्ता भी इतना कहने लगे है कि जिस मनुष्यका शरीर स्वस्थ है, जिसका रक्त परितप्त नही है और जिसका आहार सात्विक है, ऐसे मनुष्यको एकाएक साँपका जहर नही चढ पाता। ठीक इसके विरुद्ध जिस व्यक्तिका खून शराब आदिके पीनेसे अथवा खूब मसालेदार या गर्म तासीरवाला भोजन करनेसे सतप्त हो, ऐसे व्यक्तिके

शरीरमे साँपके जहरका प्रसार एकदम हो जाता है और उसकी मृत्यु चटपट हो जाती है। यह सब वैद्यो एव वैज्ञानिकोने प्रयोगो द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। एक लेखकने तो यहातक कह दिया है कि जो मनुष्य नमक आदिका सेवन छोड देता है और केवल फलादिपर निर्वाह करता है उसका खून इतना शुद्ध हो जाता है कि वह किसी भी प्रकारके जहरका सामना कर सकता है। यह अन्तिम बात किस हदतक सत्य है, यह अनुभवपूवक नही कहा जा सकता। और जिस व्यक्तिने एक-दो वषके लिए नमकका त्याग किया हो उसका यह मान लेना उचित न होगा कि जो रक्त अनेक वर्षोंके दुरुपयोगसे दूषित हो चुका है वह एक-दो वर्षोंके सदाचरणसे एकाएक सशक्त हो गया है।

ऐसे प्रयोग भी करके दिखाये जा चुके है कि जो व्यक्ति भयभीत है और जो क्रोधसे आगबबूला हो रहा है, उसे यदि जहर चढे तो उसका असर तत्काल और बहुत शीघ्र होता है। गुस्से या भयके समय मनुष्यकी नाडीकी गति अत्यन्त तेज होती है और हृदयका स्पदन भी अधिक होता है। इसका अनुभव प्रत्येक मनुष्य स्वय कर सकता है। जब-जब रक्ताभिसरण बडी तेज गतिसे होता है तब-तब वह अधिक गम हो जाता है और क्रोधादिकी गतिसे झूठी गर्मी उत्पन्न होती है और इसलिए वह हानिकारक होती है। क्रोध भी एक प्रकारका बुखार ही है, इसमे शकाकी गुजाइश नहीं है। अत हम इतना तो देख ही सकते है कि सर्पादिके जहरका सरलसे सरल बचाव तो यह होगा कि हम सात्विक, अर्थात् प्रकृतिने जो खुराक हमे दी है उसे आवश्यक मात्रामें ले, क्रोध न करे, भयभीत न हो, साँप भी डस जाये तो "हाय मरे" कहकर यथोचित उपचार करनेसे पूर्व ही न मर जाये। हमे अपने स्वच्छ जीवनकी अमोघ शक्तिपर विश्वास रखना चाहिए और अन्ततोगत्वा इस विवेकके साथ धीरज रखना चाहिए कि भगवानने जितने दिनतक के लिए जीवन दिया है उतने दिन तक ही उसका निर्वाह होगा।

सपदशसे होनेवाली बहुत-सी मौते केवल भयसे या गलत उपचारके कारण होती है। यह कथन पोट एलिजाबेथ म्यूजियमके प्रधान अधिकारी श्री फिट्ज साइमनका है। उन्होने साँपोके सम्बन्धमे अनेक वर्षोंतक अध्ययन किया है। साँपोके जहरके उन्होने अनेक प्रयोग भी किये है, भिन्न-भिन्न जातिके साँपोकी जानकारी भी दी है, और उनके उपचार भी बतलाये है। वे कहते है कि उन्होने केवल दहशत खा जानेसे लोगोको सकटमें पडते देखा है और कई केवल खतरनाक इलाजोके कारण मृत्युको प्राप्त हुए है।

सपमात्र जहरीले नही होते। और जहरीले सर्पोंमे भी सभीके जहरसे तत्काल मृत्यु नही होती। बडे जहरी सर्पको भी अपने जहरकी पूरी थैली हमारे खूनमे खाली करनेका अवसर नही मिल पाता। इसलिए साँपके डसते ही मनुष्यको एकदम भयभीत हो जानेकी आवश्यकता नही है। आजकल तो इसका इतना सहज इलाज प्रचलित है कि उसे साँप-काटा व्यक्ति स्वय ही तुरन्त कर सकता है। इलाज इस प्रकार है —

साँप जिस स्थानपर काटे पहले उससे जरा ऊपर कसकर रूमाल बाँध दिया जाये। मजबूत पेंसिल या लकडीके टुकडेसे बल देकर उसे सरलतासे बाँधा जा सकता है।

बाँधनेका हेतु यही है कि जहर नसोसे होकर आगे न बढने पाये। इसके बाद एक पैनी नोकवाले चाकूसे दशके स्थानपर लगभग आधा इचका घाव करके खून निकाल दिया जाये। इसके बाद पोटाशियम परमेगनेट नामक क्षारके बैगनी चूर्णको उस स्थानपर मला जाये। यह चूण बहुत बडा अचूक इलाज माना जाता है। एक ओर जिसमे चूण रखा जा सके और जिसके दूसरी ओर नोकदार छोटा चाकू रहता है, ऐसी डेढ-एक इच लम्बी लकडीकी नली भी एक शिलिंगमे मिलती है। यदि इलाजके ये साधन पासमे न हो तो घायलके घावको उसके पास मौजूद दूसरा व्यक्ति या स्वय रोगी ही चूसने लगे और चूसा हुआ थूकता जाये। जिसके मुँहमे छाले वगैरा हो उसे चूसनेका यह काम नही करना चाहिए। क्योकि चूसनेमे जहर आता है, [मुँह कटा-फटा हो तो जहर उसकी नसोमे चला जाएगा।] यह उपचार सपदशके पाँच-सात मिनटके अन्दर ही हो सके तभी कारगर हो सकेगा। जहरके एक बार खूनमे दौड जानेके बाद उसका उतरना बहुत कठिन हो जाता है। मिट्टीके प्रयोग करनेवाले जुस्ट लिखते है कि उन्होने सपदशसे लगभग-मृत मनुष्यको मिट्टीके प्रयोगसे ठीक किया है। मिट्टीका एक गड्ढा करके घायलको उसमे सुलाया और उसे गर्मी प्रदान की और जहर चूस लिया, घायल उठ खडा हुआ। जुस्ट ऐसे दूसरे उदाहरण भी देते है। सपदशका मुझे व्यक्तिगत अनुभव नही है, पर मिट्टीके अन्य अनेक प्रयोग करनेके कारण मिट्टीपर मेरी अटल श्रद्धा हो गई है। जिस स्थानपर दश हो उस स्थानपर घाव करके पोटाशियम परमेगनेट भर देनेके बाद अथवा चूस लेनेके बाद बीमारको तत्काल आधा इच मोटी और काफी लम्बी-चौडी मिट्टीकी पट्टी बाँध दी जाये। जैसे कि हाथमे दश हो तो सारे हाथपर ही मिट्टी चढा देना ठीक होगा। हरएक मनुष्यको चाहिए कि वह एक पीपेमे मिट्टी भरकर अपने घरमे सदा तैयार रखे। मिट्टी महीन और छानी हुई हो तो अधिक ठीक। इसे घरके बाहर, धूपमे एक ऊँचे स्थानपर, जहाँ पानी न भरे, पीपेमे रखना अधिक अच्छा होता है। फटे हुए वस्त्रोकी पट्टियाँ भी तैयार कर रखनी चाहिए। यह तैयारी सिर्फ सर्पदशके ही लिए नही है बल्कि अनेक दुर्घटनाओ, चोटो और जख्मोके काम पडती है।

बीमार यदि बेहोश होने लगे या उसका श्वासोच्छ्वास बन्द हो तो डूबे हुए व्यक्तिके लिए कृत्रिम श्वासोच्छ्वासके जो उपचार बतलाये गये है उनकी योजना करनी चाहिए। बेहोशी आने लगे तो उसे गर्म पानी या लौग और दालचीनीका काढा दिया जाये। बीमारको खुली हवामें रखा जाये, पर उसे जाग्रत रखा जाये। यदि उसका शरीर ठडा होता जान पडे तो उसके शरीरके आसपास गर्म पानीकी बोतले रखी जायें अथवा गर्म पानीमे भिगोकर निचोई हुई फलालेनकी तहदार पट्टियाँ रखकर गर्मी पहुँचाई जाये।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ९-८-१९१३

१०७ पत्र : प्रवासी-अधिकारीको

[जोहानिसबर्ग
अगस्त १०, १९१३]

प्रवासी-अधिकारी
प्रिटोरिया
महोदय,

मुझे पता चला है कि गत सप्ताह पुरुषोत्तम मावजी नामके एक भारतीयसे, भारतको जाते समय, उनका पजीयन-प्रमाणपत्र वापस ले लिया गया था। यह प्रमाण-पत्र उन्होने १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत प्राप्त किया था। क्या आप कृपा करके मुझे यह सूचित करेगे कि मुझे जो जानकारी मिली है वह सही है या नही, और यदि सही है तो श्री पुरुषोत्तम मावजीसे नये अधिनियमके किस खण्डके अन्तर्गत उनका प्रमाणपत्र वापस लिया गया है ?[1]

आपका आज्ञाकारी सेवक

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो नकलसे।

१०८ तार गृह-सचिवको

[जोहानिसबग]
अगस्त ११, १९१३

पिछले सप्ताह श्री लेनको लिखा।[2] पता चला कि वे छुट्टीपर है। कृपया तसदीक करके तार दे कि क्या अब जनरल स्मट्स मेरे प्रस्तावोपर विचार कर सकेगे। जरूरत हुई तो उनसे मुलाकात करने आ जाऊँगा। तार फीनिक्स दे।[3]

[गाधी]

[अग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१ १५ अगस्तके तारमें एशियाई पजीयकने गांधीजीसे तार करके पूछा कि पुरुषोतमका पंजीयन प्रमाणपत्र किस जगह और किसने वापस लिया था। देखिए "नये कानूनका एक असर", पृष्ठ १५५ और "पत्र एशियाई पजीयकको", पृष्ठ १७३ भी।

२ यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

३ उत्तरमें तार और उसके बाद एक पत्र भेजा गया था। देखिए परिशिष्ट ८।

१०९ नये कानूनका एक असर

हमें मालूम हुआ है कि पुरुषोत्तम मावजी नामके एक ब्रिटिश भारतीयको, जो (ट्रान्सवालके) १९०८के कानून ३६की शर्तोंके अनुसार बाकायदा पजीकृत है, पजीयन प्रमाणपत्रसे वचित कर दिया गया है। जब वह भारत जा रहे थे तो एक अधिकारीने उनसे प्रमाणपत्र ले लिया और कहा कि यदि ट्रान्सवालसे रवाना होनेके एक सालके अन्दर ही वे वापस आ जायेंगे तो प्रमाणपत्र उन्हे लौटा दिया जायेगा। हम आशा तो यही करते है कि हमारी यह सूचना सही नही है, किन्तु यदि सही है, तो जान पडता है कि किसी जरूरतसे ज्यादा उत्साही अधिकारीने यह गलती कर डाली है। किन्तु यदि सरकार कानूनकी ऐसी ही व्याख्या करती हो जिससे टान्सवालके पजीयन कानूनके अन्तगत प्राप्त अधिकारोपर आँच आये तो यह सरकारके खिलाफ एक और शिकायतकी बात होगी तथा फिरसे सघष आरम्भ करनेका एक और उचित कारण होगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–८–१९१३

११०. स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई

हमे रायटरके तारोसे यह जानकर अत्यन्त शोक हुआ है कि बम्बईके एक बहुत बडे दानी सज्जन, सर आदमजी पीरभाई, अब नही रहे। वे एक धनी व्यापारी थे, और अपने धनका उपयोग करना जानते थे। वे बम्बईके एक विख्यात आरोग्य-भवन (सैनिटोरियम)के स्वामी भी थे। पर उनकी दानशीलता किसी विशेष सस्था या व्यक्तियो तक ही सीमित नही थी। उनकी दान भावना बहुत उदार थी। पाठकोको याद होगा कि सर आदमजीके पुत्र श्री करीमभाईने कुछ साल पहले नेटालकी यात्रा की थी। तबसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयो तथा स्वर्गीय सर आदमजीके बीच एक सम्बन्ध स्थापित हो गया था और दक्षिण आफ्रिकाके जो भारतीय उनसे मिलने जाते थे वे उनके मामलोमे स्नेहपूण दिलचस्पी लेते थे। हम मतात्माके परिवारकी इस भारी क्षतिमे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–८–१९१३

१११ आरोग्यके सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान [-३३]

१३ दुर्घटनाएँ बिच्छू आदिके डंक

मुहावरा है, "जैसे बिच्छूने डंक मार दिया हो।" बिच्छूके डंककी वेदना कुछ ऐसी ही तीव्र होती है। सर्पदंशसे बिच्छूका डंक मनुष्यको अधिक कष्ट देता है, पर तो भी साँपसे हम अधिक भय खाते है, क्योकि साँपके दंशमे मृत्युका भय होना है। बिच्छूके डंकसे मृत्यु कदाचित् ही होती है। डॉ० मूर लिखते है कि जिस मनुष्यका खून शुद्ध है उसे बिच्छूके डंकसे बहुत वेदना नही होती।

बिच्छूके और इस प्रकारके अन्य जहरी जीवोके डंकोके उपाय सरल है। जहाँ डंक लगा हो उस स्थानको नोकदार तेज चाकूसे अथवा सर्पदंशके लिए एक खास शस्त्र मिलता है उससे कुरेदकर रक्त बहने दिया जाये और फिर उस स्थानको चूसकर थूक दिया जाये। वेदना आगे न फैले, इसके लिए डंकसे थोडी दूरपर पट्टी बाँधी जाये और मिट्टीकी मोटी पट्टी भी बाँध दी जाये। मिट्टीकी पट्टीसे, सम्भव है, ज्यादातर वेदना एकदम कम हो जाये।

कई पुस्तकोमे लिखा है कि डंकके स्थानपर समभाग पानी और सिरकेमें कपडा भिगोकर उसकी पट्टी रखी जाये। या नमकके पानीसे डंकवाला भाग लगातार धोया जाये। यदि वह अंग पानीमे डुबाया जा सके तो उसे डुबोकर रखा जाये। पर इन सारे उपचारोमे मिट्टीकी पट्टी ज्यादा परिणामकारक उपाय है। दुर्भाग्यसे जिसे बिच्छूका डंक लगेगा, वह इस बातको अनुभव कर सकेगा। याद रखना चाहिए, मिट्टीका लेप जहाँतक बन सके, मोटा होना चाहिए। इसके लिए दो सेर मिट्टी भी अधिक न मानी जाये। मान ले कि अँगुलीमे बिच्छूने डंक मारा है तो कोहनी तक मिट्टीकी पट्टी दी जाये। यह अधिक नही है। एक लम्बे बर्तनमे मिट्टीको घोलकर उसमे हाथ डुबाकर रखा जाये तो वेदना हलकी पड जायेगी। कनखजूरा, बर आदिके लिए भी यही इलाज ठीक माना जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३

११२. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३४]

पूर्णाहुति

स्वास्थ्य-सम्बन्धी ये प्रकरण पिछले कई महीनोसे क्रमश प्रकाशित हो रहे थे। यह उनकी आखिरी किस्त है। यदि मुझे अवकाश मिल पाया तो कुछ-एक सादी वस्तुओके गुण एव उपयोगकी एक तालिका इसकी पूर्तिके रूपमे देनेका मेरा इरादा है। परन्तु जिन प्रकरणोके लिखनेका मैंने विचार किया था वे तो पिछले प्रकरणसे पूर्ण हो चुके है। अपने पाठकोसे विदा लेनेके पूर्व इन प्रकरणोके लिखनेके उद्देश्यकी छानबीन पुन एकबार कर लेना उचित जान पडता है।

ये प्रकरण किसलिए लिखे गये? यह प्रश्न मै अपने मनसे बार-बार करता रहा हूँ। मै वैद्य या हकीम नही हूँ। इन विषयोका मेरा ज्ञान साधारण है। कही मेरे ये सुझाव अधकचरे अवलोकन और चिन्तनका परिणाम तो नही है! वास्तवमे है तो ऐसा ही, चिन्तन और अवलोकन दोनो ही अधूरे है, इनका अन्त ही नही है। प्रतिदिन ही कुछ-न-कुछ नया देखनेमे आता है और नया सोचने-समझनेको मिलता है। तो फिर यह प्रयास किसलिए? इस प्रकार मेरा मन ऊहापोहमे लगा रहा।

पर चिकित्सा-शास्त्र भी तो अपूर्ण प्रयोगोपर ही आधारित है। इसमे बहुतेरी नीम-हकीमी है, यह कहा ही जा चुका है। अत इतनी सारी नीम-हकीमीमे ये प्रकरण भी मान लिये जाये तो हर्ज नही होगा। ये लिखे निर्दोष हेतुसे गये है। रोग होनेपर औषधि बताना इनका हेतु नही है, रोगके प्रतिकारका मार्ग-निर्देशन ही मोटे तौरपर इनका उद्देश्य है। थोडा विचार करनेपर यह जाना जा सकता है कि रोगोके प्रतिकारके उपाय बडे सरल है। उनकी जानकारीके लिए किसी विशेष ज्ञानकी जरूरत नही है। पर उस मागपर चलना कठिन काय है। कुछ-एक रोगोके बारेमे लिखना तो मैंने ठीक ही समझा —और वह यह बतलानेके लिए कि प्राय सारे रोगोका मूल एक ही है और इसलिए उनका इलाज भी एक-सा ही होना चाहिए। यह भी है कि बहुत सावधान रहनेके बाद भी अनेक बार ऐसा होता है कि इन प्रकरणोमे लिखी व्याधियाँ हो ही जाती है। इनके थोडे-बहुत इलाज तो प्राय सभी जानते-बताते है। मेरा अनुभव भी इन्हीमे शामिल कर लिया जाये, तो हानिकी कोई सम्भावना नही होगी।

पर मुख्य बातपर चर्चा करना बाकी है। स्वास्थ्यकी आवश्यकता क्या है? हमारी जीवनचर्या तो कुछ ऐसी ही जान पडती है, जैसे उसकी कोई जरूरत ही नही हो। इतना तो स्पष्ट है कि शरीरको हृष्टपुष्ट बनाकर उसे ऐश-आराममे लगा दिया जाय, अथवा पृथ्वीपर केवल वही परम प्राप्तव्य है, ऐसा मान लिया जाये और उसे शक्तिशाली देख-देखकर उसपर गुमान किया जाये— यदि स्वास्थ्य प्राप्त करनेका इतना ही हेतु हो तो इससे तो ऐसे स्वास्थ्यकी अपेक्षा शरीर कुष्ठसे आक्रान्त हो जाये यही अधिक समुचित होगा।

सभी धर्मोंने इस शरीरको ईश्वर मिलनका, उसे पहचाननेका साधन माना है। इसे देव-मन्दिर ही कहा गया है। हमे यह किरायपर मिला है और इसके किरायेके रूपमे हमे केवल उस प्रभुकी स्तुति — इबादत — भर करनी है। किराये पट्टेकी दूसरी शत यह है कि इसका दुरुपयोग न किया जाये। इसे बाहर और भीतरसे स्वच्छ रखा जाये और हमे यह जिस हालतमे मिला है उसी हालतमे उस मालिकको एक निश्चित मुद्दतमे वापिस लौटा देना है। यदि हम किराये पट्टेकी सारी शर्तोका ठीक तौरसे पालन करे तो मुद्दत पूरी होनेपर मालिक हमे इनाम बख्शता है, और अपना वारिस बना देता है।

जीवमात्रके शरीर है और उसका गठन प्राय एक-सा है। मतलब यह कि उसे सुनने, देखने, सूघने और भोगनेके साधन दिये गये है। परन्तु मानव-देहको तो "रत्न चिन्तामणि" कहकर उसका गुणगान किया गया है। "रत्न चिन्तामणि"का अर्थ यह है कि यह ऐसा रत्न है जिससे मनोवाछित प्राप्त किया जा सकता है। पशुदेह द्वारा जीव ज्ञानपूवक भक्ति नही कर सकता। जहाँ ज्ञानपूवक भक्ति न हो वहाँ मुक्ति नही हो सकती और जहा मुक्ति न हो वहा सच्चा सुख नही है और उसके बिना वास्तविक दु खका नाश भी सम्भव नही है। इस शरीरका सदुपयोग हो, अर्थात् इसे ईश्वरका भवन बनाया जाये तभी यह कामका है, अन्यथा यह हाड-मास और रक्तका एक घृणित पिण्ड-मात्र है। उससे निकलनेवाला पानी और श्वास विषैला है। शरीरके असख्य छोटे-मोटे छिद्रोसे निकलनेवाली किसी भी वस्तुका हम सग्रह करना नही चाहते। उनका खयाल करते हुए, उन्हे देखते हुए और उसका स्पश करते हुए हमे कै होने लगती है। बडे परिश्रमके बाद ही हम कीडे पडनेसे उसे बचा पाते है। इसी [देह]के जरिये हम हजारो ऐसी बाते कर जाते है जो हमे नही करनी चाहिए, जैसे शरारत, ढोग, स्वेच्छाचार, कपट, चोरी आदि। इस 'हँडिया'को हमेशा नित नये पदार्थ चाहिए। और इस सबके बाद भी यह ऐसी क्षणभगुर है कि प्रहार-सहनकी शक्ति तो इसमे वास्तविक हँडियासे भी कम है। क्षणभरमे ही तो इसका नाश हो जाता है।

शरीरकी ऐसी स्थिति ठीक ही है। जिस वस्तुका अच्छेसे-अच्छा उपयोग हो सकता है उसके दुरुपयोगकी सम्भावना भी उसमे रहती ही है। यदि ऐसा न हो तो उसकी कीमत ही नही आँकी जायेगी। हम सूयके तेजकी परीक्षा करनेकी क्षमता रखते है, क्योकि सूयके अभावमे अन्धकार कैसा होता है, उसे भी हम देख सकते है। और जिस सूर्यके बिना हमारा जीवन क्षण-भरको भी नही टिक सकता, उसी सूर्यमे ऐसी शक्ति है कि वह हमे जलाकर खाक कर सकता है। राजा बडा भला भी हो सकता है और अधम भी।

इस शरीरपर काबू पानेके लिए ईश्वर जी-जानसे प्रयत्नशील है। इसी प्रकार राक्षस या शैतान भी जी-तोडकर जुटा है। जब वह ईश्वरके आधीन रहता है तब वह रत्नके समान है और जब वह शैतानके कब्जेमे होता है तब तो नरककुण्ड ही बन जाता है। जो विषय भोगनेमे मग्न रहता है, जिसमे सडनेवाले और सडाघ पैदा करनेवाले खाद्य दिन-भर भरे जाते है, जिसमे से दुगन्ध आती रहती है, जिसके हाथ-पाँव आदि अग चोरी करनेमे प्रवृत्त होते है, जिसकी जीभ अकथनीयको कहनेमे, और

अग्राह्यको ग्रहण करनेमे, जिसके कान न सुनने योग्यको सुननेमे, जिसकी आँखे अदर्शनीयको देखनेमे और जिसकी नाक न सूघने योग्यको सूघनेमे प्रवृत्त रहते है, ऐसे शरीरको तो नरकसे भी बदतर मानना चाहिए। नरकको तो सभी नरक मानते है, किन्तु यहाँ, देहका उपयोग नरककी तरह किया जाता हे, फिर भी हम उसे स्वग ही मानते रहते है। शरीरके सम्बन्धमे ऐसा-कुछ राक्षसी दम्भ या ढोग चला आ रहा है। पाखानेको पाखाना समझकर उसका उपयोग समझा जा सकता है परन्तु यदि महलका उपयोग पाखानेकी तरह किया जाये तो विपरीत परिणाम होगा ही। अत यदि शरीर शैतानके कब्जेमे हो तो उसके स्वास्थ्यकी कामना करनेकी अपेक्षा उसके नाशकी इच्छा करना ही हितकर है।

स्वास्थ्यके इन प्रकरणोके द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न किया गया है कि ईश्वरीय नियमोका पालन करनेसे ही शरीर नीरोग रह सकता है। शैतानके नियमोके वशीभूत होकर शरीरको कभी स्वास्थ्य नही मिल सकता। जहाँ सच्चा स्वास्थ्य है, वही सच्चा सुख है और सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करनेके लिए हमे अपनी स्वादेन्द्रिय — जीभपर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए। यदि इतना-भर हम कर पाये तो दूसरी विषयेन्द्रियाँ स्वय ही काबूमे आ जाये। जिसने अपनी इन्द्रियोको अपने वशमे कर लिया है, वह सारे ससारको वशमे कर सकता है, क्योकि ऐसा व्यक्ति ईश्वरका वारिस, उसका अश बन जाता है। न राम 'रामायण'मे है और न कृष्ण 'गीता'मे, खुदा भी 'कुरान'मे नही है और न ईसा 'बाइबिल'मे — ये सभी मानवके अपने चरित्रमे समाये हुए है और चरित्र नीतिमे तथा नीति सत्यमे समाहित है, और सत्य ही शिव है। आप चाहे जिस नामसे इसे पुकारे, यह वही है। और आरोग्यके इन प्रकरणोमे इसी तत्त्वकी यत्र-तत्र झाँकी दीख पडे, यही इस प्रयासका मूल हेतु है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–८–१९१३

११३ पत्र : मणिलाल गाधीको

फीनिक्स जाते हुए ट्रेनमे
[अगस्त १६, १९१३के बाद][1]

चि० मणिलाल,

आशा है, तुम 'इडियन ओपिनियन'की फाइल साथ ले गये हो। आलस्यसे हमेशा डरते रहना।

सुबह, बलपूवक ही क्यो न हो, चारके पहले उठना। मै आजकल अस्वस्थ हूँ, इसलिए इस विषयमे कमजोर साबित हो रहा हूँ। किन्तु इस कारण मेरी इस अनियमितताकी तुम नकल न करना।

१ पत्रमें उल्लिखित स्वास्थ्य सम्बन्धी लेखोंमें अन्तिम लेख **इडियन ओपिनियनके** १६–८–१९१३के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

सम्बन्धका दावा नही किया। उनके लिए सचमुच प्रत्येक मनुष्य मित्र और बन्धु था। मृत्युके समय उनके आसपास केवल वे ही लोग थे जो उन्ही दिनो उनके सम्पकमे आये थे। उनका जीवन, मानो, कमयोगका उपदेश था। तत्परताके साथ अपना कत्तव्य करते हुए उन्होने शरीर छोडा। हमे उनके जीवनसे सभी मनुष्योसे प्रेम करनेकी सीख मिलती है। उन्होने अपने प्रेमपूण कायके लिए नये क्षेत्रोकी खोज करते हुए देह-त्याग किया। और जिस प्रकार वे [भेद-भाव माने बिना] प्रेम करते थे उसी प्रकार आज उनकी मृत्युपर न केवल उनके सम्प्रदायके यूरोपीय सज्जन, न केवल अग्रेज, बल्कि बहुत-से वतनी, चीनी तथा भारतीय मित्र भी शोक मना रहे है। जहाँ धार्मिक पुरुष भी रगके प्रति स्थानीय पूवग्रहसे मुक्त नही है, वहाँ श्री डोक जाति, रग या धमके भेदको न माननवाले चन्द व्यक्तियोमे से थे। मरकर भी श्री डोक उन सब लोगोके हृदयमे अपने प्रेम और उदारताके कार्योसे जीवित है, जिन्हे उनके सम्पकमे आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

श्री डोककी शक्ति अक्षय थी और कायक्षेत्र अनेक। धर्मोपदेशके अपने क्षेत्रमे वे श्रेष्ठ वक्ता थे और उनकी लगन सच्ची थी। वे कोई ऐसी बात नही कहते थे जिसे वे स्वय न मानते हो। वे आचरणके किसी ऐसे नियमका अनुगमन करनेकी सलाह नही देते थे जिसके लिए वे खुद मरनेको तैयार न हो। इसीलिए उनके उपदेशका प्रभाव पडता था। वे एक योग्य लेखक थे। उन्होने अपने पितामहके सस्मरण लिखे थे। वे पत्रिकाओमे लिखते रहते थे। उन्होने 'ऐन इडियन पेट्रियट इन साउथ आफ्रिका' (दक्षिण आफ्रिकामे एक भारतीय देशभक्त) नामसे एक पुस्तक लिखी जो भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनकी कथाका लोकप्रिय इतिहास है। लॉर्ड ऍम्टहिलने इसकी अत्यन्त प्रशसात्मक भूमिका लिखी। श्री डोकके लिए यह कार्य विशुद्ध प्रेम-भावनासे किया गया निष्काम कम था। भारतीयोके उद्देश्यमे उनका विश्वास था और उन्होने जिन विभिन्न रूपोमें इसकी पूर्तिमे मदद पहुँचाई, यह पुस्तक भी उनमें से एक थी। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी किताब 'दी सीक्रेट सिटी' (रहस्य नगरी) — कारूका एक रोमास — छपी थी। यह पुस्तक कल्पना-प्रसूत साहित्यका एक अद्भुत उदाहरण है। इस किताबका दूसरा सस्करण हो चुका है, और वह डच भाषामे अनूदित भी हुई है। वे सत्याग्रहके भारतीय आन्दोलनसे इतने प्रभावित हुए थे कि इन दिनो आचार-सहिताके रूपमे सत्याग्रहपर एक विस्तृत पुस्तक लिखनेमे लगे हुए थे। इसे लिखनेके लिए इस विषयसे सम्बन्धित बहुत-सी पुस्तकोका उन्होने विशेष अध्ययन भी किया था।

वे कलाकार भी साधारण कोटिके नही थे। उनके बनाये कुछ चित्र तो सग्रहणीय है। उन्होने न्यूजीलैडके एक समाचारपत्रके लिए जो अनेक व्यग-चित्र बनाये थे उनमें उनका अदम्य विनोदी स्वभाव देखा जा सकता है।

श्री डोक थे तो क्षीणकाय किन्तु उनका मन वज्रोपम था। उनके जबडोसे उनकी दृढता व्यक्त होती थी। वे किसी व्यक्तिसे नही डरते थे, क्योकि वे ईश्वरसे डरते थे। अपने धर्ममे उनका अत्यन्त प्रबल विश्वास था, परन्तु वे दुनियाके सभी बडे धर्मोका आदर करते थे। वे महज जबानी जमाखर्चवाली ईसाइयतको नापसन्द करते थे, उनका मत था कि हृदयगत ईसाइयतके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करना सम्भव है।

जोहानिसबर्गके अपने प्राय सम्पूण निवास-कालमे उन्होने भारतीयोके लिए जो विशेष काय किया, वह पाठकोको भली-भाँति मालूम है और उन्हे यहाँ दोहरानेकी जरूरत नही है। किन्तु यह बात बहुतोको मालूम नही होगी कि वे भारतीय कार्यके लिए बिना बुलाये अपने-आप ही आये थे। वे सदा एक साधक रहे, सदा दुर्बलो और उत्पीडितोके मित्र रहे। इसलिए ज्यो ही वे जोहानिसबर्ग आये, उन्होने उन समस्याओकी खोज शुरू कर दी जिनमे जनताका ध्यान लगा था। उन्होने पाया कि भारतीयोकी समस्या भी उनमे से एक है, इसलिए वे तुरन्त भारतीय नेताओसे मिले, उनसे स्थितिकी जानकारी प्राप्त की, सवालके दूसरे पहलूका अध्ययन किया और भारतीय प्रयोजनको पूर्णत न्याय्य-पाकर अपूव उत्साह और निष्ठासे उसमे लग गये। अपने सम्प्रदायकी श्रोतामण्डलीमे उनकी लोकप्रियता नष्ट होनेका खतरा पैदा हो गया, किन्तु यह खतरा उन्हे डिगा नही सका। जब इस पत्र [इडियन ओपिनियन]के सम्पादक महोदय भारत गये हुए थे उस समय श्री डोक ही इसका पथ-प्रदर्शन करते रहे और लगभग छ मासकी उस अवधिमे एक भी ऐसा सप्ताह नही गुजरा जब श्री डोकने अपने योग्यतापूर्वक लिखे और जानकारीसे भरपूर अग्रलेख पत्रको न भेजे हो। इसके अलावा श्री कैलेनबैकके साथ उन्होने ब्रिटिश भारतीय सघकी कारवाइयोका, उसके इतिहासके अत्यन्त नाजुक समयमे, मार्गदर्शन किया। जब वे अपने गिरजेके कार्यसे अमेरिका जाने लगे तब कृतज्ञ [भारतीय] समाजने उनके सम्मानमे प्रीतिभोज दिया था, जिसकी अध्यक्षता श्री हॉस्केनने की। उस अवसरपर श्री डोकने जो शब्द कहे थे वे आज भी सुननवालोके कानोमे गूज रहे है। श्री डोकके विषयमे सचमुच यह कहा जा सकता है कि वे अच्छी तरह जिये और अच्छी तरह मरे। यह विचार उनके परिवारके सदस्योको सात्वना और धीरज प्रदान करेगा कि उनके अलावा और भी बहुत-से लोग उनके देहावसानपर शोक मना रहे है। उनकी मृत्युसे उनके परिवारकी जितनी क्षति हुई है उतनी ही उन लोगोकी भी हुई है जो श्री डोकसे प्रेम करने लगे थे।

स्वर्गीय रेवरेड जोज़ेफ जे० डोक ५ नवम्बर, १८६१को चडली (डेवनशायर)मे पैदा हुए थे। वे दो भाई थे। उनके पिता चडलीके बैपटिस्ट पादरी थे। उनके बडे भाई स्वर्गीय विलियम एच० डोक, जो उनसे लगभग ढाई साल बडे थे, आफ्रिकामे घम-प्रचारक (मिशनरी) थे, और १८८२के अन्तमे यही उनकी मृत्यु हुई थी।

अपने दुबल स्वास्थ्यके कारण स्वर्गीय रेवरेड डोक बहुत कम स्कूली शिक्षा ले पाये थे। १६ सालकी उम्रमे उनकी माँका देहान्त हो गया। जब वे १७ सालके थे तब उनके पिताने पादरीके पदसे इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह इनकी नियुक्ति हुई। २० सालकी उम्रमे वे दक्षिण आफ्रिका आये, जहाँ वे थोडे समय तक केप टाउनमे रहे। बादमे वे दक्षिण आफ्रिकाके बैपटिस्ट सघ द्वारा ग्रेट रीनेटमें एक नया धर्म-कार्य आरम्भ करनेके लिए भेज दिये गये। वहाँ १८८६ ई०मे उनकी भेट कुमारी बिग्ससे हुई जिनसे उन्होने विवाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद ही वे चडली लौट गये। चडलीसे श्री डोकको सिटी रोड बैपटिस्ट गिरजेका पादरी बनाकर ब्रिस्टल भेज दिया गया और तबसे १८९४ तक वे वहाँ रहे। इस बीच कुछ दिनोके लिए वे मिस्र,

फिलिस्तीन और भारतकी यात्रापर गये। १८९४मे श्री डोक अपने कुटुम्बके साथ न्यूजीलैड चले गये। वहाँ वे क्राइस्टचचके आक्सफोर्ड टेरेस बैपटिस्ट गिरजेके धर्माधिकारी (मिनिस्टर) के रूपमे साढे सात साल रहे और १९०२मे इग्लैड लौटे। पादरीके रूपमे अपने कर्त्तव्योके अलावा श्री डोक चीनियोके लिए एक कक्षा भी चलाते थे जिसकी बडी प्रशसा हुई और जिसे उनके उत्तराधिकारी अभीतक चला रहे है।

१९०३के अन्तिम दिनोमे श्री डोकको ग्रैहम्सटाउन बैपटिस्ट गिरजेका भार सँभालनेको कहा गया, इसलिए उन्होने पुन दक्षिण आफ्रिकामे अपना काम शुरू किया। ग्रैहम्स-टाउनमे चार साल काम करनेके बाद वे सेन्ट्रल बैपटिस्ट गिरजेके धर्माधिकारी होकर रैड आये। मृत्युपर्यन्त वे इस पदपर रहे। जीवन-भर, विशेषत अपने भाईकी मृत्युके बादसे, श्री डोककी महत्त्वाकाक्षा धमप्रचारका काम करनेकी थी, किन्तु स्वास्थ्य तथा कौटुम्बिक परिस्थितियोके कारण उनका मार्ग अवरुद्ध रहा, जीवनके अन्तिम दिनोमे जरूर ऐसा लगा कि वह खुल गया है। अपने पुत्र क्लीमेटके साथ उन्होने पश्चिमोत्तर रोडेशियाके एक एकान्त स्थलमे स्थित मिशन स्टेशनकी यात्रापर जानेका निश्चय किया। यह स्थान कागोकी सीमाके बिलकुल निकट है। २ जुलाईको वे दोनो इस यात्रापर रवाना हुए। इस यात्रामे करीब छ सप्ताह लगते। दक्षिण आफ्रिकाकी बैपटिस्ट मिशन सोसा-इटी द्वारा उन्हे उमतलीके निकट स्थित एक दूसरे मिशन स्टेशनको भी जाकर देखनेको कहा गया। वे लोग उसकी बाबत कुछ ब्योरा चाहते थे इसलिए उन्होने श्री डोककी रोडेशिया यात्राका लाभ उठा लेना चाहा। श्री डोकने एनडला जिलेके प्रवासका खूब आनन्द लिया और उनका स्वास्थ्य बराबर अच्छा रहा। पर उनके पाँवमे छालोके कारण तकलीफ हो गई। लगभग ३५० मीलकी दूरी पार करनी थी और इसलिए उन्होने ज्यादातर मार्ग "मचिल्ला"—एक पालकी या बहँगी-जैसी चीज, जिसे दो वतनी कधोपर ढोते है—द्वारा पार किया। किन्तु कठिनाइयोके बावजूद वे बहुत खुश थे और उनको अपने मिशनकी सफलताकी पूरी-पूरी आशा थी। एक दुभाषियेकी सहायतासे उन्होने बहुत-से गाँवोमे व्याख्यान दिया। यात्रासे वापस आनेपर भाषण देनेके विचारसे उन्होने बहुत-कुछ लिखा और बहुत सारे फोटो-चित्र भी खीचे। वे ४ अगस्तको ब्रोकेन हिल पहुँचे और ७ अगस्तको बुलावायो नामक स्थानपर अपने पुत्रसे अलग हुए, क्योकि उसे व्यापारिक मामलोको देखनेके लिए घर बुलाया गया था। बुलावायोमें चन्द दिन रुकने और प्रतीक्षा करनेके बाद श्री डोक उमतलीकी ओर चले और ९ तारीखकी सुबह अपनी ट्रेन-यात्राके अन्तिम बिन्दुपर पहुँच गये। वहाँ रेवरेड वूडहाउससे उनकी भेट हुई और दिनका अधिकाश भाग मिशनरी मामलोपर विचार-विनिमय करनेमे व्यतीत हुआ। तीसरे पहर उनका दल श्री वेबर नामक एक मित्रके घर पहुँचा। मित्र कस्बेसे बाहर गये हुए थे। श्री डोक बहुत अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे इस कारण वे लोग रातको वही रुक गये। दूसरे दिन सुबह, सूर्योदयके पहले ही, श्री डोक उठे, पर उन्हे लगा कि वे बहुत अधिक अस्वस्थ है। इसलिए उन्होने मिशन स्टेशन जानेका विचार बिलकुल त्याग दिया। श्री डोकने बताया कि उनकी पीठमे भयकर पीडा है, और उन्हे उसके कारण फिर बिस्तरेपर लेट जाना पडा। उन्हे ज्वरकी

सामान्य औषधियाँ दी गई पर चूंकि उन्हे बुखार-जैसा नही था, इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि उनका रोग ज्वरके कारण नहीं है। डॉक्टर बुलाया गया, जिसन उन्हे तुरन्त उमतली अस्पताल ले चलनका आदेश दिया। वे "मचिल्ला" द्वारा वहा ले जाये गय। वहा वे अच्छसे अच्छे डॉक्टरो और नर्सोकी देख-रेखमे रहे। १२ तारीखको श्री डोकके कुटुम्बको एक तार भजा गया, जिसमे कहा गया था कि उनपर प्लूरिसीका मामूली हमला हुआ है, पर उसमे कोई खतरा नही है और किसीका आनकी जरूरत नही है। शुक्रवार १५ की शामका श्रीमती डोकको एक दूसरा तार मिला कि श्री डाक आत्र ज्वर (इटरिक) से सख्त बीमार हैं। श्रीमती डोकन तुरन्त शनिवारको रातकी ट्रेनसे जानकी तैयारी की, किन्तु शनिवारकी सुबह फिर तार मिला कि पिछली शामको ७ बजे श्री डोक चल बसे। दूरीके कारण उनका पार्थिव शरीर जोहानिसबग नही लाया गया। पिछले रविवारको शामके ४ बजे उमतलीमे ही उनका अन्तिम सस्कार कर दिया गया, और जोहानिसबगके बैपटिस्ट गिरजेमे ठीक उसी समय प्राथना की गई।

रैडमे रहते समय, श्री डोकका अनेक धार्मिक सस्थाओसे विशेष सम्बन्ध था।

अपनी विधवा पत्नीके अतिरिक्त श्री डोक अपने पीछे तीन पुत्र — विली, क्लीमेट और कम्बर — और एक लडकी, ऑलिव, छोड गये है। सबसे बडा लडका विली अमेरिकामे मेडिकल मिशनरीके रूपमे शिक्षा ग्रहण कर रहा है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन २३–८–१९१३

११५ स्वर्गीय श्री डोक

श्री जोजेफ जे० डोककी मृत्युसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजने अपने सबसे सच्चे मित्रोमे से एकको खो दिया है। यद्यपि श्री डोकका सामान्य सार्वजनिक काय काफी विस्तृत और ठोस था, किन्तु उसका विवरण देनेके लिए यह उपयुक्त स्थान नही है। फिर भी हम दिवगत आत्माको अपनी तुच्छ श्रद्धाजलि भेट करते समय उन्होने जो महान् काय हमारे लिए किया, उसका विचार किये बिना नही रह सकते। श्री डोकने जबसे इस कामको हाथमे लिया उन्होने अपना तन-मन उसमे लगा दिया और कभी कोई शिथिलता नही आने दी। श्री डोकका स्वभाव था कि जिस विषयको वे हाथमे लेते उसपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते थे। इसलिए इस विषयपर भी उनकी गिनती दक्षिण आफ्रिकाके सबसे अधिक जानकार लोगोमे होने लगी थी। वे सत्याग्रहियोको इतना चाहते थे, मानो वे उनके अपन धम-भाई हो। गरीबसे-गरीब भारतीयके लिए भी इस पुण्यात्मा अग्रेजका द्वार खुला रहता था। हमारा समाज जिस सकट-कालसे गुजरा है, उसमे वे बराबर अपनी कलम और वाणीका उपयोग हमारे पक्षमे करते रहे। वे सत्याग्रही बन्दियोको जेलमे जाकर देखनेका कोई भी अवसर हाथसे नही जाने देते थे। उन्होने समाज तथा इस पत्रके इतिहासके एक बडे गाढे समयमे अपने हृदयकी विशालताका परिचय देते हुए और अपनी बडी-बडी असुविधाओकी

परवाह न करते हुए हमारे सम्पादकीय विभागका निदेशन अपने हाथमे लिया था। और उस कालमे उनके सम्पकमे आनेवाले सभी लोग जानते है कि वे कितने सतक कितने सचेष्ट, कितने सज्जन और कितने सहनशील व्यक्ति थे। हम, भारतीय समाजके लोग, उनके कुटुम्ब तथा उनके धर्म-भाइयोके साथ मिलकर एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुषके इस क्षणभगुर ससारसे उठ जानेपर शोक मना रहे है। हम श्रीमती डोक तथा उनके परिवारके प्रति सादर अपनी समवेदना प्रकट करते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-८-१९१३

११६ स्वर्गीय रेवरेंड जोजेफ डोक

इस उदार और महान् व्यक्तिका देहावसान हो गया है, यह वाक्य लिखते समय भी लेखककी लेखनी काप रही है और उसके हृदयमे अनेक प्रकारके विचार उठ रहे है। मनुष्यके रूपमे श्री डोक एक श्रेष्ठ मनुष्य थे, और यदि उन्हे अग्रेजके रूपमे देखे तो वे एक ऐसे अग्रेज थे कि यदि सभी अग्रेज उनके जैसे हो जाये तो भारतीयो और अग्रेजोके बीच जरा भी कटुता न रहे। पादरीके रूपमे वे ईश्वरपर विश्वास रखनेवाले व्यक्ति थे। और हालाकि अपने धर्ममे उनकी अडिग आस्था थी, फिर भी वे दूसरे धर्मोकी निन्दा नही करते थे। इतना ही नही, वे अन्य धर्मोके महत्त्वको भी जाननेका प्रयत्न किया करते थे। दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समाजकी श्री डोकने जो महान् सेवा की है उसके लिए भारतीय समाज उन्हें सदा याद रखेगा। १९०७ मे जब सत्याग्रहका सघर्ष जोरोसे चल रहा था, श्री डोक न्यूजीलैडसे ट्रान्सवालमे आये ही आये थे। किन्तु तभीसे वे भारतीय प्रश्नमे बहुत दिलचस्पी लेने लगे और अपने जीवनके अन्त तक उन्होने भारतीयोके प्रति अपनी सहायता जारी रखी। हमारी समस्याका जितना स्पष्ट ज्ञान श्री डोकको था उतना एक या दो अग्रेजोको छोडकर अन्य किसी अग्रेज या किसी भारतीयको शायद ही हो। उन्होने भारतीय समस्यासे सम्बन्धित सब कानूनो और प्रलेखोका अध्ययन कर लिया था, और वे इस विषयपर किसी भी व्यक्तिसे बहस करनेमे समथ थे। उन्होने भारतीयोके प्रति अपनी सहानुभतिको कभी नही छिपाया। उनके यहाँ प्रत्येक भारतीयके साथ — चाहे वह अमीर हो या गरीब — समान रूपसे व्यवहार किया जाता था। उनकी अनेक इच्छाओमे एक यह थी कि वे हमारी समस्याका सन्तोषजनक हल देखे, इसकी प्राप्तिके लिए वे स्वय हर प्रकारका दु ख उठानेके लिए तैयार रहा करते थे। ऐसे शुभचिन्तक मित्रकी मृत्युपर कौन शोक न करेगा? हम श्री डोकको ढालके रूपमे जानते आये है। वह ढाल अब जाती रही है। हमारा कत्तव्य स्पष्ट है। मित्रकी मत्युके बाद हमे उसके नातेदारोको नही भूलना चाहिए। हमे चाहिए कि हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करे। लेकिन हमारा सबसे बडा फज तो यह है कि श्री डोकने हम लोगोको जैसा मान रखा था हम वैसे बने, और वैसे रहे। श्री डोकका खयाल था कि हम लोग सच्चे

सत्याग्रही है, हम अपने सम्मान और धर्मकी खातिर अपने प्राण तक न्योछावर करनेको तैयार रहते है, यदि हमारे साथ कोई बदी करता है तो हम उसका बुरा नही चाहते बल्कि न्याय ईश्वरपर छोडकर अपने प्रति दुर्भाव रखनेवालोके लिए भी हम प्रेम-भाव रखते है और प्रेमरूपी खड्ग लेकर हम उनसे लडते है। हम सब ऐसे नही हो सकते और न बन सकते है, परन्तु ऐसा बननेका प्रयन्न तो हम सब कर ही सकते है। यदि हममे से थोडे भी वैसे बन कर रह सके, तो कहा जा सकेगा कि हम श्री डोककी स्मृतिका यथोचित रूपसे आदर करते है और ईश्वर हमारे बीच दूसरा डोक भेजेगा। सन्तसे भेट होनेपर कोई व्यक्ति सन्त नही बन जाता, सच्ची बात तो यह है कि खुद सन्त बननेपर ही सन्त मिला करते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-८-१९१३

११७. पत्र : गृह-सचिवको

जोहानिसबर्ग
अगस्त २४, १९१३

आपके इसी १९ तारीखके पत्रके[1] लिए धन्यवाद।

मै श्री डोकके स्मरणमे होनेवाली प्राथना (मेमोरियल सर्विस) मे भाग लेनेके लिए जोहानिसबग आया हूँ और यहाँ कुछ दिन ठहरूँगा। इसलिए यदि जनरल स्मट्स मेरा प्रिटोरिया आना ठीक समझे तो मै प्रसन्नतापूवक वहाँ आ सकूगा। आपके पत्रमे जिन मुद्दोकी चर्चा है, उनके सम्बन्धमे जनरल स्मट्सके विचारार्थ निम्न विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

यह बिलकुल ठीक है कि मैने दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोके सम्बन्धमे १९१२ के पत्र-व्यवहारमे यह मुद्दा नही उठाया था। यह बात मेरी निगाहसे चूक ही गई थी, किन्तु बादमे एक मित्रने इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैने इस मित्रको विश्वास दिलाया कि चूकि १९११ का अस्थायी समझौता जिस पत्र-व्यवहारमे दिया गया है उसमे ब्रिटिश भारतीयोके समस्त मौजूदा अधिकारोकी रक्षाकी व्यवस्था है, इसलिए ऐसी किसी कठिनाईकी आशका करनेकी आवश्यकता नही है। मै बिना किसी झिझकके स्वीकार करता हूँ कि मेरे देशवासियोको पूरे सघमे, या ट्रान्सवालमे भी, जो अधिकार प्राप्त है, मैं उन सबकी पूरी जानकारी रखनेका दावा नही करता। इस तथ्यकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कि दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न बहुत कम भारतीयोने इस अधिकारसे लाभ उठाया है, मैने यह दिखानेका प्रयास किया है कि यदि उक्त अधिकार कायम रखा जाये तो सरकारके ऐसा भय करनेका कोई कारण नही है कि दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीय एकाएक बडी सख्यामे आकर केपमे बस जायेगे। भारतीयोके दृष्टिकोणसे मै इस तथ्यपर जोर देना चाहता था कि हम एक

१ देखिए परिशिष्ट ८।

भावनाके लिए लड रहे है, और वह यह है कि इस सम्बन्धमे केपके पुराने विधान-मण्डलने जो उदार और उचित दृष्टिकोण अपनाया था उसे यथावत् रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे उस दृष्टिकोणकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान फिर खीचना चाहिए। मै पहले ही यह निवेदन कर चुका हूँ कि केपके सदस्योने इस मुद्दे-पर इसलिए जोर दिया था कि माननीय श्री फिशरने, यदि धृष्टता न समझे तो कहूँ कि तथ्योको जाने बिना ही, यह धारणा बना रखी थी कि दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीय केपमे बहुत बडी सख्यामे आ रहे है। मै देखता हूँ कि आपके पत्रसे यह भाव झलकता है, मानो मै प्रान्तीय सीमाओको बिलकुल समाप्त कर देनेकी माग कर रहा हूँ। यद्यपि यह एक उचित इच्छा होगी, किन्तु मैने इसकी माँग नही की है, क्योकि मै जानता हूँ कि यह अस्थायी समझौतेका अग नही है।

मुझे प्रसन्नता है कि दूसरे मुद्देके बारेमे सरकारी व्याख्या भारतीयोकी व्याख्याके समान ही है।

फ्री स्टेटकी कठिनाईके सम्बन्धमे मैने जो मुद्दा उठाया है, उसे समझा नही गया। मैने यह बात केवल कहनेके लिए ही नही कही है कि इस निर्योग्यताकी ओर प्रवेशा-र्थियोका ध्यान खीचा जाये। मैने तो यह निवेदन किया है कि अधिनियमकी भाषासे यह मालूम होता है कि उक्त ज्ञापनका फ्री स्टेटकी सीमापर लिया जाना आवश्यक है। यदि सरकार भी अधिनियमकी ऐसी ही व्याख्या करती हो तो फ्री स्टेटकी कठि-नाई कोई कानूनी फेरफार किये बिना दूर की जा सकती है। फ्री स्टेटके लोगोकी चिन्ता दूर करनेके उद्देश्यसे मैने यह सुझाव दिया था कि इस प्रान्तके समुद्र-तटपर पहुँचनेके प्रथम बन्दरगाहपर प्रवेशार्थियोको दिये जानेवाले ज्ञापनके प्रारूपपर ही फ्री स्टेटकी निर्योग्यताएँ सूचित कर दी जाये। यह कहनेकी आवश्यकता नही कि मैने यह मान लिया है कि नये अधिनियमके अन्तर्गत किसी भी भारतीयको कानूनी तौरपर फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जा सकती है।

चौथे मुद्देके बारेमे निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले भारतीयोके जो विवाह-सस्कार इस सघमे सम्पन्न हो चुके है या भविष्यमे होगे उनकी वैधताके प्रश्नका व्यावहारिक महत्त्व बहुत अधिक है। इस अत्यन्त जटिल समस्याके समाधानके लिए यह आश्वासन देना आवश्यक है कि आगामी अधिवेशनमे इस उद्देश्यसे एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। बहुपत्नीक प्रथाके सम्बन्धमे मैने यह नही कहा है कि बहुपत्नीक विवाहोको सामान्य रूपसे मान्य कर लिया जाये। मेरा कथन तो केवल यही है कि अबतक जिस प्रथाका अनुगमन होता रहा है उसको जारी रखते हुए अभी जिन अधिवासी भारतीयोके एकाधिक पत्नियाँ है, उनकी सभी पत्नियोको यहाँ प्रवेशकी अनु-मति होनी चाहिए। और आपके साथ किये गये पत्र-व्यवहारमे मैने जिस पत्रका हवाला दिया है, उसमे यही आश्वासन दिया गया था।[१] ऐसी पत्नियोकी सख्या इस समय आसानीसे मालूम की जा सकती है और फिर यह छूट इस प्रकार प्राप्त सख्या तक ही सीमित रह सकती है।

१ देखिए "पत्र गृह सचिव को", पृष्ठ ११९ २० ।

मै देख रहा हूँ कि नेटालमे नये अधिनियमको लेकर मुकदमे शुरू हो गये है। कहना पडता है कि मै जिस पत्रका उत्तर दे रहा हूँ उसमे दिये गये आश्वासनसे विवाहके इस मामलेका मेल नही बैठता। कारण, कुलसमबीबी, नि सन्देह, दक्षिण आफ्रिका-मे अपने पतिकी एकमात्र पत्नी है। मै नम्रतापूर्वक सुझाव देता हूँ कि यह मुकदमा वापस ले लिया जाये और इस महिलाको मुक्त कर दिया जाये। दूसरे मामले अधि-वाससे सम्बन्धित है। जान पडता है, सरकारका कहना यह है कि जहाँ तथ्यो या अधि-वास प्रमाणपत्रके मालिककी प्रामाणिकताके सम्बन्धमे कोई विवाद न हो, वहाँ भी, यदि वह अपने अधिवासके प्रान्तसे दीर्घ काल तक बाहर रहा हो तो, उसका अधिकार रद कर दिया जाये। यदि सरकार नये अधिनियमकी व्याख्या ऐसी करती है तो उससे लोगोके वर्तमान तथा प्राप्त अधिकारोको खतरा है। और यदि इस बारेमे निर्णय भारतीय समाजके विरुद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो नितान्त असह्य होगी और अस्थायी समझौतेसे तथा माननीय जनरल बोथा और अन्य मन्त्रियोकी इस घोषणासे भी मेल नही खायेगी कि सरकार यहाँ बसी हुई भारतीय आबादीको परे-शान करना नही चाहती। इसलिए मै यह सुझाव भी देनेका साहस करता हूँ कि ये मुकदमे उठा लिये जाये। मैने यह मान लिया है कि आपको इन मुकदमोका अच्छी तरह पता है। इनकी खबर 'इडियन ओपिनियन' के इसी अकमे छापी गई थी।

मै शीघ्र ही इसके उत्तरकी प्रार्थना करता हूँ।[1]

आपका,

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१ सितम्बर १० को इसका गाधीजीको यह उत्तर मिला था "मुझे गृह मन्त्रीने आपके २४ अगस्तके पत्रका उत्तर देनेका आदेश दिया है। पहले मुद्देके सम्बधमें, उन्हें खेद है कि उन्हें मेरे उसी महीनेकी १९ तारीखके पत्रमें कही हुई बातोंसे अधिक कुछ नही कहना है। दूसरे मुद्देके सम्बधमें कोई अन्य कार्रवाई करनेकी आवश्यकता नही है। तीसरे मुद्देके बारेमें कोई कठिनाई नही है, क्योंकि जो भी हलफनामा देना पड़ेगा वह सघमें प्रवेश करनेपर देना पड़ेगा फ्री स्टेटकी सीमापर नही। विवाहके प्रश्नके सम्बन्धमें, वे कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते कि अगले अधिवेशनमें आपके द्वारा सुझाये गये ढंगपर विवाह कानून बना दिया जायेगा। स्पष्ट है कि इससे दक्षिण आफ्रिकाके वर्तमान कानूनका समस्त आधार ही बदल जायेगा। आपने किसी भी व्यक्तिकी एकाधिक पत्नियोंको प्रवेश देनेके आश्वासनका जिक्र किया है। यह बात भी समझमें नही आती, क्योंकि मुझे इस विभागसे भेजे गये पत्रोंमें ऐसी कोई बात नही मिलती। क्या आप इसका स्पष्टीकरण कर सकते है? और आपने डर्बनमें की गई जिन अपीलोंका उल्लेख किया है वे तो प्रत्यक्ष ही अब भी न्यायालयके विचाराधीन है, इसलिए मन्त्री महोदय हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।"

११८ भाषण . शोक-सभामे[1]

[जोहानिसबग
अगस्त २४, १९१३]

श्री गाधीने कहा कि श्री डोकने भारतीय समाजके लिए जो महान कार्य किया, उसके लिए समाज उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है। वे इस समाजके उत्तम मित्रोमें से एक थे। यह बात प्रत्येक व्यक्तिके सम्बन्धमें नही कही जा सकती कि उसके जीवनकी सफलताने मृत्युको आच्छादित कर दिया और उसके लिए मृत्युकी कोई वकत नहीं बची। किन्तु श्री डोकके सम्बन्धमें यह बात नि सन्देह कही जा सकती है। श्री डोककी मृत्युपर दरअसल शोक प्रकट करनेकी जरूरत नहीं है। उनका जीवन पूणत समर्पणका जीवन था। उन्होने अपना सर्वस्व अपने स्रष्टाके चरणोपर समर्पित कर दिया था। अब वे पुन अपने स्रष्टाकी सेवाके लिए स्वर्गिक दीप्तिसे युक्त, तथा और भी सुन्दर शरीर लेकर उठ खडे होगे। किन्तु, श्री डोककी मृत्युपर शोक न हो, इसके लिए हमारे पास उन्हींकी जैसी समर्पणकी भावना चाहिए। मेरी आत्मा तो शायद देहकी चिन्तासे मर गई है, इसलिए मेरे लिए एक ऐसे शरीरी मित्रकी बडी आवश्यकता थी। अत मै एक सच्चे मित्र और चतुर सलाह देनेवालेके लिए शोक प्रकट करता हूँ। श्री गाधीने अपने एक देशवासी द्वारा अपने ऊपर किये गये आक्रमणका[2] उल्लेख करते हुए कहा कि सही या गलत, आक्रमणकारीका खयाल था कि मैंने समाजके साथ अन्याय किया है, और इस अन्यायका परिमार्जन, उसके विचारसे, केवल मुझपर आक्रमण करके ही किया जा सकता था। उन्होने आगे कहा कि

मै अपने एक मित्रके कार्यालयमे असहाय अवस्थामे पडा हुआ था। तभी मैने श्री डोकको अपने पास खडे देखा। उस अपराह्नमे उन्होने मुझसे जो शब्द कहे वे इतने मधुर थे कि मुझे अबतक याद है। उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे "आप अस्पताल ले जाया जाना पसन्द करेगे या मेरे घर? मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरे परिजनोको आपके मेरे घर चलनेसे बडी खुशी होगी और हम सभी आपका कष्ट दूर करनेके लिए यथा-साध्य पूरा प्रयत्न करेगे।" मुझे चुननेमे तनिक भी आगा-पीछा नही करना पडा, और मुझे अपने चुनावपर कभी खेद नही हुआ। मुझे वह सध्या याद है, जब मेरे अनुरोधपर समस्त परिवारने [अग्रेजीका] सुन्दर भजन "लीड काइडली लाइट" गाकर सुनाया था। उस भजनकी ध्वनि मै कभी नही भूलूगा, वह मेरे मनसे कभी दूर

१ यह शोक सभा स्मरण प्रार्थना (मेमोरियल सर्विस) सभा थी, प्रार्थना ग्रैहम्सटाउन बैपटिस्ट चर्च, जोहानिसबर्गमे श्री जे० जे० डोकके सम्मानमे की गई थी। श्री डोक इस चर्चके पेस्टर थे। गाधीजी सभामें भाग लेनेके लिए फीनिक्ससे आये थे। देखिए पिछले शीर्षकका दूसरा अनुच्छेद।

२ देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९२-९४, और **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय २२।

नही होगी। वह आज भी मेरी स्मृतिमे उतनी ही ताजी है जितनी कि उस महान सध्यामे — जब मै ऐसे लोगोसे घिरा था जो मेरे लिए अपरिचित नही रह गये थे — वह मेरे प्राणोको सात्वनाप्रद लगी थी। रातमे, चाहे १२ बजे हो, चाहे १ या २, मै अक्सर श्री डोकको जानबूझकर खुले छोड दिये गये दरवाजेमे से झाँकते देखता। वे इस प्रकार बीच-बीचमे यह देखनेके लिए झाँक लेते थे कि मुझे कोई कष्ट तो नही है या मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता तो नही है। यद्यपि उस परिवारके लिए मै अजनबी था और मैने उसकी कभी कोई सेवा नही की थी फिर भी समस्त परिवार मुझे खिलाने-पिलाने, मेरी शुश्रूषा करने, मुझे सात्वना देनेके लिए मेरी सेवामे तत्पर रहता था।

श्री गाधीने आगे फिर कहा कि मुझे निश्चय ही इस बातपर गर्व है कि मुझे श्री डोक-जैसा मित्र प्राप्त था। श्री डोक ऐसे लोगोंकी सहायताके लिए बराबर तत्पर रहते थे जिन्हें उनकी सहायताकी आवश्यकता होती थी। और जिन्हें उनकी सहायताकी आवश्यकता थी उन्हें श्री डोकके पास नहीं जाना पडता था, बल्कि स्वय श्री डोक ही उनके पास पहुँच जाते थे। वक्ताने यह भी कहा कि श्री डोककी अपने धर्ममें गहरी आस्था थी और उन्होने मुझे ईसाई बनानेका प्रयत्न भी किया। मैने उनसे कहा कि एक हिन्दूके रूपमें मेरा विश्वास यह है कि ईसाइयतका पूरा रूप तभी देखनेको मिल सकता है जब उसकी व्याख्या हिन्दुत्वके प्रकाशमें और उसकी सहायतासे की जाये। किन्तु, श्री डोकको इससे सन्तोष नहीं हुआ। वे सत्यको जिस रूपमें पहचानते थे और जिससे उन्हें तथा उनके परिवारको इतनी आन्तरिक शान्ति मिलती थी, वे उसको मेरे मनमें उतारनेका कोई अवसर नहीं चूकते थे। श्री डोककी ईसाइयत आधुनिक सभ्यताके दोषोसे युक्त ईसाइयत न थी। वे मूल ईसाइयतपर आचरण करते थे। वे जिस बातका प्रचार करते थे उसपर स्वय आचरण भी करते थे। मेरा खयाल है कि वे प्राचीन कालके बलिदानी वीरोकी भाँति अपने विश्वासोके लिए टिकटीसे बाँधकर जीवित जला दिया जाना भी पसन्द करते। हम जिस बन्धनसे एक सूत्रमें बँधे हुए थे वह था ईसा मसीहके बुराईका प्रतिरोध न करनेके सिद्धान्तमें हमारा समान विश्वास। आजकल तो यह सिद्धान्त अनेक अपवादोके बोझसे दबा हुआ है। श्री डोकके विचारमें घृणाको जीतनेका मार्ग प्रेम था और बुराईको जीतनेका रास्ता अपने आचरणमें अच्छाईको अधिकसे-अधिक उतारना था। मेरी यह कामना है कि श्री डोकके गुण उनके बच्चोमें भी आयें और उनकी पत्नीको इस विचारसे सहारा और सात्वना मिले कि उनके पति ऐसे उदारचेता व्यक्ति थे जिनकी स्मृतिमें आज इतने लोग और इतनी प्रजातियाँ श्रद्धावनत हैं।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३

११९ भारतके पितामह

पाठकोको याद दिलानेकी जरूरत नही कि आगामी गुरुवार, ४ सितम्बरको भारतके पितामहकी नवासीवी वषगाठ मनाई जा रही है। भारतके इस महानतम पुत्रके प्रति पुन अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए हमे हष होता है। श्री दादाभाई नौरोजी जितनी सावजनिक सेवा कर चुके है वह एक व्यक्तिके लिहाजसे बहुत ज्यादा है, और इस सेवाके बाद अब वे विश्राम ले रहे है। अपने देशबन्धुओके हितमे बीते उनके कर्मठ जीवनकी स्मृति-मात्रसे हमे अपने छोटे-छोटे कामोमे निरन्तर उत्साह प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही व्यक्तियोके जीवनसे कोई राष्ट्र समृद्ध होता है—भौतिक दृष्टिसे नही, बल्कि उन अन्य सब बातोकी दृष्टिसे जिनसे राष्ट्रीय सम्मान और कत्तव्यनिष्ठाका निर्माण होता है। जो लोग उन्हे बधाईका सन्देश भेजना चाहे, लेकिन उनका तारका पता न जानते हो, वे "दादाभाई नौरोजी, वरसोवा, बम्बई" के पतेपर सन्देश भेजे। हम इस अकके साथ एक विशेष परिशिष्ट भी दे रहे है, जिसमे दादाभाईका चित्र दिया गया है।

[अग्रजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–८–१९१३

१२०. और भी मित्र चल बसे

जान पडता है कि विधिका यही विधान है कि दक्षिण आफ्रिका, एकके बाद एक, शीघ्रताके साथ, अपने सर्वोत्तम व्यक्तियोको खोता जाये। अभी श्री डोककी मृत्युका समाचार मिला ही था कि रैंडके प्रेस्बिटीरियन चचके सुविख्यात पादरी डॉ० रॉस और 'नेटाल मर्क्युरी' के लोकप्रिय सम्पादक श्री मिल्लीगनकी मृत्युकी दु खद सूचना मिली। डॉ० रॉसने गत वष ही अपने पदसे अवकाश लिया था। वे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होने जोहानिसबर्गके जन-सेवकके रूपमे क्या किया, इस बारेमे हम यहाँ कुछ नही कहेगे। पर हम इस तथ्यका कृतज्ञतापूवक उल्लेख किये बिना नही रह सकते कि डॉ० रॉसने ट्रान्सवालके भारतीयोके सघषकी जानकारी हासिल की थी और वे श्री हॉस्केन की समितिमे[1] शामिल हुए थे। वे भारतीय समारोहोमे प्राय उपस्थित रहते थे और हमारे प्रति स्पष्ट शब्दोमें अपनी सहानुभूति प्रकट करनेसे कभी झिझकते नही थे। हम जानते है कि जब सत्याग्रह अपनी चरम सीमापर था तब उन्होने जनरल स्मट्ससे

१ भारतीयोके लक्ष्यके प्रति सहानुभूति रखनेवाले यूरोपीयोंकी एक समिति जिसके नेता विधान सभाके सदस्य श्री विलियम हॉस्केन थे। उसने "ब्रिटिश भारतीयोके सघर्षमें उनका समर्थन करने" और उनको न्याय दिलानेका सकल्प किया था, देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १३१, ५२३।

व्यक्तिगत तौरपर पत्र-व्यवहार भी किया था और उनसे सत्याग्रहियोंकी मांगें स्वीकार करनेका अनुरोध किया था।

भारतीयोंके उद्देश्यके लिये की गई श्री मिलीगनकी सेवाओंसे भारतीय अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने 'मर्क्युरी' की सर्वोत्तम परम्पराओंका निर्वाह किया और जिस पदकी प्रतिष्ठा स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सन[1] और स्व० श्री रैमसे कॉलिन्सने बढाई थी उसका योग्यतापूर्वक निर्वाह किया, यह कोई सरल कार्य नहीं था। प्रवासी अधिकारियोंकी मनमानीके बारेमें मृतात्मा द्वारा अपने पत्रमें लिखा एक मर्मवेधी अग्रलेख हमने अभी पिछले हफ्ते ही उद्धृत किया था। वे प्रत्येक न्यायपूर्ण लक्ष्यकी हिमायतमें अपनी लेखनीका उपयोग करनेके लिए सदा तत्पर रहते थे।

ऐसे व्यक्तियोंके देहावसानसे दक्षिण आफ्रिकाने, निश्चय ही, बहुत-कुछ खो दिया है। और इस क्षतिकी पूर्ति करना कठिन होगा। हम मृतात्माओंके परिवारोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन ३०–८–१९१३

१२१ विवाहके बारेमें एक महत्वपूर्ण फैसला

बाई मठी नामकी एक भारतीय स्त्रीको, जो अपने पतिके साथ [केप कालोनीमें] प्रवेश कर रही थी, प्रवासी-अधिकारीने प्रविष्ट नहीं होने दिया। इसके निषेधमें उसके पति भगवान भीखाने, उसको केपमें उतरने देनेकी [सर्वोच्च न्यायालयसे] आज्ञा [इंटर-डिक्ट] हासिल कर ली। चूँकि उनका भारतमें सम्पन्न विवाह अमान्य कर दिया गया था, वकीलने उसे बाई मठीके साथ यहाँ विवाह कर लेनेकी राय दी। जब वकीलने मजिस्ट्रेटको इस सम्बन्धमें पत्र लिखा, तब मजिस्ट्रेटने उत्तरमें लिखा कि इस विवाहकी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि वह स्त्री निषिद्ध प्रवासी है। इसपर उस स्त्रीके पतिने अपील दायर की। न्यायमूर्ति गार्डिनरने गत सप्ताह उसके पक्षमें अपना निर्णय दिया। न्यायाधीशने कहा कि कानूनके अन्तर्गत किसी भी व्यक्तिके विवाहकी रजिस्ट्री की जा सकती है। दोनों पक्षोंको महज इतना साबित कर देना है कि जो कानून यहाँ प्रचलित है उसकी रू से वे दोनों विवाह करनेके अधिकारी हैं। कोई व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी है या नहीं यह प्रश्न विवाहके समय उठाया ही नहीं जा सकता इसलिए मजिस्ट्रेटको यह आदेश दिया गया है कि स्त्रीके वैध या अवैध [प्रवासी] होनेका सवाल उठाये बिना विवाहकी रजिस्ट्रीकी अनुमति दे दी जाये, बशर्ते कि कोई अन्य कारण विरुद्ध न दीख पड़ रहे हों। इस फैसलेका परिणाम यह निकलता है कि अगर कोई भारतीय अपनी स्त्रीको साथ ले जाये और उसे प्रवासी अधिकारी प्रविष्ट न होने दे तो वे दोनों जहाजसे उतरनेके पश्चात् आपसमें विवाह कर सकते हैं। विवाहके

१ सर जॉन रॉबिन्सन (१८३९-१९०३), नेटालके प्रधान मन्त्री और उपनिवेश सचिव, १८९३-९७।

उपरान्त वह स्त्री यहाँ रह सकेगी या नहीं, यह प्रश्न दूसरा है। इस बातका निपटारा उपयुक्त अदालती निर्णय नहीं करता। और विवाह इस प्रकार फिर किया जा सकता है या नहीं, यह एक भिन्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो व्यक्ति किसी स्त्रीसे एक बार विवाह कर चुकनेपर इस आशयका बयान देता है कि उसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ है, और वह पुनः उसके साथ शादी करता है तो उसका यह कृत्य यह सिद्ध करता है कि उसे अपने मानापमानकी परवाह नहीं है और इसलिए उसका यह काम कायरतापूर्ण है। गरीब व्यक्तियोंको धीरज रखकर यह समझना चाहिए कि इस मामलेका निपटारा किसी-न-किसी दिन अवश्य होगा। इस बीच यदि उनको न्याय न मिले तो उनके लिए श्रेयस्कर मार्ग यही है कि वे अपनी पत्नियोंको भारतमें ही रखें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३

१२२ पत्र: एशियाई-पंजीयकको

[जोहानिसबर्ग,
सितम्बर १, १९१३ के बाद]

एशियाई-पंजीयक
प्रिटोरिया
महोदय,

सन्दर्भ: पुरुषोत्तम मावजी, १७१६?

मेरे गत मासकी १०[1] तारीखके पत्रके उत्तरमें भेजा गया आपका उसी मासकी १५ तारीखका तार। मुझे खेद है कि उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ। उत्तर देनेसे पहले मुझे पूछताछ करनी पड़ी, और फिर देखा कि मुझे जो सूचना दी गई है वह भ्रामक है। चूँकि पुरुषोत्तम मावजी भारत चले गये हैं, इसलिए यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तवमें हुआ क्या था। किन्तु अब अनुमान किया जाता है कि पुरुषोत्तम मावजीने ट्रान्सवालके प्रमाणपत्रका नहीं बल्कि नेटालके प्रमाणपत्रका उल्लेख किया था।

आपका,

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो-नकलसे।

१. मूल पत्रमें "१५" तारीख पड़ी है जो निश्चय ही भूल है। देखिए "पत्र: प्रवासी अधिकारीको", पृष्ठ १५४।

१२३. पत्र : सहायक गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
सितम्बर, ३, १९१३

[महोदय,]

मैंने आपको आज टेलीफोनसे सूचित किया था कि मैं कल फीनिक्स जा रहा हूँ। किन्तु वहाके लिए रवाना होनेसे पहले मैं, जिस उत्सुकता और अधीरताके साथ मेरे कई साथी कार्यकर्ता किसी अन्तिम उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे तो पहला पत्र लिखनेके लिए ही वे मुझे दोषी ठहराते हैं। उनकी अधीरता स्वाभाविक है। हमारे सारे काम बन्द पडे हैं। कई लोगोको इस दुविधाके कारण नौकरीके अच्छे-अच्छे प्रस्ताव भी अस्वीकार करने पडे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जनरल स्मट्सके सम्मुख जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमे इसको भी उचित स्थान दिया जायेगा। यदि अगले मगलवार तक अर्थात् आपके दिये हुए दिन तक कोई निश्चित उत्तर प्राप्त न हो तो क्या श्री जॉर्जेसके पत्रको अन्तिम उत्तर माना जा सकता है? मैं यह उल्लेख भी कर दू कि यदि बातचीत विफल हो जाती है तो सघर्ष और अधिक व्यापक प्रश्नको लेकर आरम्भ किया जायेगा। समझौता करनेके उद्देश्यसे और यह दिखानेकी गरजसे कि हम सघर्षको फिर आरम्भ करनेके लिए व्याकुल नही हैं, मेरे पत्रोमे कई महत्त्वपूर्ण बाते छोड दी गई हैं।

मुझे आशा है कि यह पत्र जिस भावनासे लिखा गया है उसे जनरल स्मट्स ठीक मानेंगे।

[आपका,]

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१२४. लॉर्ड सभाकी बहस

लॉर्ड ऐम्टहिलने सघके प्रवासी कानूनपर लॉर्ड सभामे जिस बहसका[१] आरभ किया था, अब हमे उसका पूरा पाठ मिल गया है। यह बहस एकाधिक कारणोसे स्मरणीय है। इसमे मद्रासके भूतपूर्व गवर्नर तथा कार्यवाहक वाइसराय लॉर्ड ऐम्टहिल, बम्बईके भूतपूर्व गवनर लॉर्ड सिडेनहम,[२] और भारतके भूतपूर्व वाइसराय लॉर्ड कर्जनने बहुत ही महत्वपूर्ण बाते कही। लॉर्ड सिडेनहम तो अभी हालमे ही भारतसे लौटे हैं और इसलिए वे इस

१ लॉर्ड ऐम्टहिलका भाषण **इडियन ओपिनियन** के २०-९-१९१३ और उसके बादके चार अकोंमें क्रमश प्रकाशित हुआ था।

२ जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क (१८४८-१९३३), ब्रिटिश सेनानी और प्रशासक, सैनिक मामलो, खास तौरपर किलेबन्दीके विशेषज्ञ, बम्बईके गवर्नर, (१९०७-१३)।

सवालपर भारतकी नब्ज पहचानते है। ये सभी सज्जन हमारी ओरसे बडे ओजस्वी ढगसे बोले और उन्होने स्वीकार किया कि हमारी माँगे पूणत न्याय्य है। उन्होने कोई सामान्य वक्तव्य देकर ही सन्तोष नही कर लिया, बल्कि इनमे से हरएकने सवालके ब्यौरोके विषयमे अपने अधिकार और ज्ञानका ऐसा परिचय दिया, जो ऐसे विवादोमे कम ही देखनेको मिलता है। लॉर्ड ऍम्टहिलने इस दिशामे कैसा महान् प्रयत्न किया है, कितनी सावधानी और सतर्कता बरती है, इस सबसे तो हम वर्षोसे परिचित है। लॉर्ड महोदयने हमारे सवालको अपना बना लिया है। किन्तु, लॉर्ड कर्जन और लॉड सिडेनहमका इस विषयपर आश्चर्यजनक अधिकार देखकर बडा सन्तोष और आश्वासन मिलता है। उनका इस सवालमें दिलचस्पी लेना हमारे भविष्यके लिए शुभ लक्षण है। और इससे लॉड ऍम्टहिलको भी उस उद्देश्यकी हिमायत करनेमे बल मिलेगा, जिसे वे न्यायसगत और साम्राज्यके हितकी दृष्टिसे इतना महत्वपूण समझते है कि अनेक कार्योमे व्यस्त रहते हुए भी वे उसपर निरन्तर व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देते रहते है।

इस बहससे यह भी मालूम हो गया कि लॉर्ड क्रूके पास कोई कैफियत नही थी। उन्होने जो 'न शक्नोमि'[1] वाला (नान पासमस) रुख अपनाया वह बहुत ही खतरनाक है। हमारी नम्र सम्मतिमे स्वशासित उपनिवेशोके घरेलू मामलोमे साम्राज्य-सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करनेके सिद्धान्तको हदसे ज्यादा खीचा जा रहा है, और अब यह उस जगह पहुँच गया है कि इससे साम्राज्यका स्थायित्व ही खतरेमे है। यदि स्वशासित उपनिवेश इतने स्वतन्त्र है कि वे साम्राज्यकी परम्पराओ और हितोको ठुकरा सकते है, तो उन्हे ब्रिटिश साम्राज्यका अग कहना एक उपहासकी बात है। यदि वे लेते-ही-लेते रहना चाहते है और देना कभी नही चाहते तो यह स्थिति अधिक दिनो तक नही चल सकती और न यह उस साम्राज्यकी सुरक्षाकी दृष्टिसे ही श्रेयस्कर है, जिसका अग होनेका वे दम भरते है। अग्रेजीके बडे-बडे समाचारपत्रोने बताया है और इसका हवाला हम दे चुके है कि अपनी मुसीबतकी घडियोमे सघ-सरकार साम्राज्य-सरकारकी सेनाकी मदद लेनेको तैयार बैठी रहती है। तब क्या उससे यह आशा करना उचित नही होगा कि वह एक साधारण-सा न्याय करके उस गम्भीर परिस्थितिसे निकलनेमे साम्राज्य-सरकारकी तत्परताके साथ मदद करे जो भारतीय साम्राज्यके शासनके सिलसिलेमे उसके सामने उपस्थित है। भारत किसी दिन निश्चय ही इस प्रश्नका कोई सन्तोषजनक उत्तर माँगेगा और उसे प्राप्त करके रहेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ६-९-१९१३

१ अर्थात्, 'मुझसे नही बनेगा।'

१२५ तार गृह-सचिवको

[डबन]
सितम्बर १०, १९१३

तारके[1] लिए धन्यवाद। मतभेदोंको कम करनेकी हर कोशिशके बावजूद, मुझे लगता है कि इस उत्तरसे सत्याग्रहका पुनरारम्भ अनिवार्य हो जाता है। बहुपत्नीक विवाहके सम्बन्धमें सचका ५ जुलाई, १९११ का पत्र और गृह-मन्त्रीका उसी महीनेकी १० ता० का उत्तर देखें।[2]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१२६. पत्र : गृह-सचिवको

११०, फील्ड स्ट्रीट
डर्बन
सितम्बर ११, १९१३

गृह सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,

प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत बनाये गये विनियमोंके सम्बन्धमें पिछले मासकी १५ तारीखको लिखे गये मेरे पत्रके उत्तरमें आपका उसी मासकी २१ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ।

अंजुमनकी ओरसे, सादर निवेदन है कि अंजुमन द्वारा उठाई गई अधिकांश आपत्तियाँ सिद्धान्तोंसे सम्बन्धित हैं ब्योरेसे नहीं। निश्चय ही समयका सिद्धान्तोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल एक वर्षकी सीमित अवधि तक लागू रहनेवाले शिनाख्तके प्रमाणपत्रका महत्व उन स्थायी प्रमाणपत्रोंकी अपेक्षा बहुत कम होगा जो पुराने नटाल अधिनियमके अन्तर्गत जारी किये गये हैं और इस बातका महत्व समय बीतनेसे बिलकुल कम नहीं होगा। इसी प्रकार एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जानेपर लगाये गये एक पौंडी शुल्कपर भी समयका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे अंजुमनकी विनम्र सम्मतिमें उसकी ओरसे उठाई गई आपत्तियोंपर शीघ्र ही अनुकूल विचार किया जाना चाहिए।

१ देखिए "पत्र : गृह सचिवको", पा० टि० १, पृष्ठ १६८।

२ इसके बाद गांधीजीने १० सितम्बरको जो तार दिया, उसके उत्तरमें इस बातका उल्लेख करते हुए ई० एम० जॉर्जसने १९ तारीखको उन्हें लिखा कि "मैं ठीकसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस आश्वासनके बारेमें कह रहे हैं। इसलिए यह पूछताछ कर रहा हूँ। इस विषयमें पिछले पत्र-व्यवहारको देखते हुए मुझे लगता है कि आप प्रवासी अधिकारीके १० अगस्त, १९११ के पत्रकी जो व्यापक व्याख्या कर रहे हैं, उसकी न तो कभी कल्पना ही की गई थी और न वह मन्त्री महोदयको स्वीकार होगा।"

प्रवासी अधिकारियोकी अपील-निकायोके सदस्योके रूपमे नियुक्तिके सम्बन्धमे कहना यह है कि यद्यपि य अधिकारी आरम्भिक अवस्थामे अलग-अलग मामलोको स्वय तय नही करेगे, फिर भी उ हे निकायोमे लेनेपर गम्भीर आपत्ति उठाई जा सकता है। सरकारके निर्देशोके अनुसार अधिनियमके प्रशासनके लिए ये अधिकारी सरकारके प्रति उत्तर-दायी है और मेरी समितिका खयाल है कि अपने अधीनस्थ कमचारियोको भी वे ही निर्देश देगे। इसलिए ये ऐसे निष्पक्ष न्यायाधीश तो नही माने जा सकते जो अपने सम्मुख प्रस्तुत मामलोके सम्बन्धमे पहलेसे कोई धारणा बनाये बिना उनपर विचार कर रहे हो। अत मेरी समितिका आग्रहपूवक अनुरोध है कि इन अधिकारियोकी नियुक्तिया रद कर दी जाये, जिससे इन अपील-निकायोकी कायवाहीमे दिलचस्पी रखनवाले लोगोके मनमे इतमीनान पैदा हो सके और उनके निणयोमे उनका विश्वास जम सके।

आपका
अध्यक्ष,
जरथुस्ती अजुमन

टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८५८) की फोटो-नकलसे।

१२७. पत्र : गृह-सचिवको[1]

[जोहानिसबग
सितम्बर १२, १९१३]

महोदय,

माननीय मन्त्री महोदयकी जानकारीके लिए ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे मुझे यह निवेदन करना है कि आपका श्री गाधीके नाम भेजा ९ सितम्बरका तार[2] पढनेके बाद सघने अत्यन्त अनिच्छापूवक और खेदके साथ फिर सत्याग्रह आरम्भ करनेका निणय किया है। इसका कारण यह है कि श्री गाधीने आपको भेजे अपने पत्रमे, जिसे मेरे सघने भी देखा है, जो मुद्दे रखे थे उन्हे सरकार या तो मान नही सकती या मानना नही चाहती।

जिस समाजका प्रतिनिधित्व मेरा सघ करता है, दुर्भाग्यसे उस समाजके सामने जो परिस्थिति आ खडी हुई है, मै सक्षेपमे उस परिस्थितिको स्पष्ट करना चाहता हूँ।

निश्चय ही अग्रेजोका आधिपत्य होनेके बादसे इस प्रान्तमे रहनेवाले भारतीयोकी स्थिति गणतन्त्री शासनके दिनोमे जैसी थी उससे भी बदतर होती चली गई है। इस स्थितिकी चरम परिणति हुई सन् १९०६ मे प्रस्तुत किये गये विधेयकके रूपमे। उस विधेयकमे अन्धकारपूण अतीतका सार तो पडा था ही, उससे यह आभास भी मिलता था कि भविष्य भी अन्धकारमय हो जायेगा। और यद्यपि साम्राज्य सरकारने

१ यह २०-९-१९१३ के **इडियन ओपिनियन**मे "भारतीयोंकी माँगें" शीर्षकसे छपा था
२ देखिए "पत्र गृह सचिवको", पा० टि० १, पृष्ठ १६८।

अपने विशेषाधिकारका उपयोग करके उस विधेयकको अस्वीकृत कर दिया, किन्तु उत्तरदायी सरकारने लगभग आते ही उसे अधिनियमका रूप देकर पास कर डाला। इस कानूनका नाम १९०७ का अधिनियम २ हुआ। इस कानूनको भारतीय समाजने अपमानजनक माना, यह कानून जिन परिस्थितियोंमें पास किया गया उनसे ऐसा आभास होता था कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंके सम्मानपूर्ण जीवनके प्रति जानबूझकर शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई जा रही है, इसलिए मेरे देशवासियोंने १९०६ के सितम्बर महीनेमें शपथपूर्वक सत्याग्रहका रास्ता अपनानेका निश्चय किया।[१] सभी जानते हैं कि संघर्षमें मेरे ३,५०० देशभाई जेल गये, १०० से अधिक निर्वासित करके भारत भेज दिये गये और दो को तो इस संकट-कालमें जो यातनाएँ सहनी पड़ी उनके कारण उन्हें अपने प्राणोंसे भी हाथ धोना पड़ा। कितने ही परिवार बेघरबार हो गये और उनकी जीविकाके लिए सार्वजनिक चन्देका सहारा लेना पड़ा। तब सन् १९११ का अस्थायी समझौता आया। भारतीयोंको लगा कि अब उन सारी चीजोंके मिलनेकी आशा तो की जा सकती है जिनके लिए वे कष्ट सहते रहे हैं, साथ ही इस समझौतेसे उनके प्रति मैत्रीकी एक ऐसी भावनाका आभास भी मिलता है कि जब भारतीय प्रवासियोंपर लगभग पूरी रोक लग ही गई है तो, यहाँ आबाद भारतीयोंकी स्थिति वैसी डाँवाडोल नहीं रहेगी जैसी आजतक रही है, और यह आशा भी की जा सकती है कि धीरे-धीरे उनका दर्जा ऊपर उठेगा और दक्षिण आफ्रिकामें जिस नई राष्ट्रीयताका निर्माण हो रहा है उसके वे कभी स्थायी अंग बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त संघके प्रतिष्ठित हो जानेसे भी उसे कुछ आशा बँधी, यद्यपि इससे उसके मनमें काफी आशंका भी उत्पन्न हुई और सत्याग्रहियोंपर तो केवल ट्रान्सवालकी जिम्मेदारीके बजाय समस्त संघकी जिम्मेदारी आ पड़ी।

किन्तु जल्दी ही समाजका भ्रम दूर हो गया। उन वर्तमान कानूनोंका प्रशासन लगातार कठोर होता चला गया जिनका भारतीय समाजसे विशेष सम्बन्ध था। केप परवाना अधिनियम, नेटाल परवाना अधिनियम, ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून और कस्बा-कानून तथा प्रान्तोंके वर्तमान प्रवासी कानूनोंका अमल जितनी सख्तीसे पहले कभी नहीं हुआ, किया जाने लगा। जो भावना "उत्तरी" भावनाके नामसे मशहूर है, वह नेटाल और केपके प्रशासनमें भी खुलकर खेलने लगी। इस प्रकार समझौतेके होते-न-होते उसकी आत्मापर पदाघात किया जाने लगा।

फिर सन् १९१२ के विधेयकसे, जो पास नहीं किया गया, यह प्रकट हुआ कि आत्मा तो आत्मा, अब शब्दोंका भी उल्लंघन होगा। मूल मसविदेमें गम्भीर दोष थे और वह समझौतेके दोनों सिद्धान्तों — अर्थात् प्रजातिगत प्रतिबन्धोंका हटाया जाना और संघ-भरमें भारतीयोंके वर्तमान अधिकारोंकी रक्षा — के विरुद्ध जाता था। मैं इतना अवश्य स्वीकार करना चाहता हूँ कि इन दोषोंकी ओर ध्यान दिलाते ही मन्त्री महोदय आपत्तिजनक धाराओंको नया रूप देनेके लिए राजी हो गये थे। किन्तु वह विधेयक अस्वीकृत हो गया और भारतीय समाजको यह नया आश्वासन दिया गया कि समझौते-पर अमल किया जायेगा।

१. खण्ड ५, पृष्ठ ४३४।

उसके बाद माननीय श्री गोखलेकी स्मरणीय यात्रा हुई। फिर बडी-बडी आशाएँ बँधी। स्थिति पूर्णत स्पष्ट कर दी गई। जिम्मेदार राजनीतिज्ञोने घोषणाएँ की जिनसे लगा कि अगले अधिवेशनमे एक सन्तोषजनक विधेयक पास कर दिया जायेगा और कुछ भूतपूर्व गिरमिटिया स्त्री-पुरुषोपर जो अन्यायपूर्ण तथा निर्विवाद रूपसे अनुचित तीन पौडी कर लगा हुआ था, उसे उठा लिया जायेगा। माननीय श्री गोखलेने सावजनिक सभाओमे घोषणा की कि उन्हे पूरा विश्वास है कि यह कर स्त्री और पुरुष दोनोपर से हटा दिया जायेगा।

किन्तु पिछले अधिवेशनसे तमाम आशाओपर पानी फिर गया। प्रवासी विधेयकके मसविदेमे १९११ के समझौतेकी लगभग सभी शर्तें तोड दी गईं और यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाजको सरकारसे कोई आशा नही रखनी चाहिए। यदि उससे बनता तो वह विधेयकको ज्योका-त्यो पास करा लेती। किन्तु ससदके दोनो सदनोमे सभी वर्गों द्वारा इसका अप्रत्याशित विरोध किया गया और इसीलिए अधिनियम मूल विधेयककी अपेक्षा अधिक अच्छा है। सरकारने प्रयत्न किया कि तीन पौडी कर केवल स्त्रियोपर से उठाया जाये, इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वह किसी भी तरह उसे पुरुषोपर से हटानेके लिए तैयार नही है।

सरकारकी शत्रुतापूर्ण भावनाके इन निराशाजनक लक्षणोके बावजूद श्री गाधीको पुन समझौता-वार्ता प्रारम्भ करनेका अधिकार दिया गया। और जो प्रस्ताव रखे गये वे यदि स्वीकार कर लिये जाते तो सन् १९११ के उक्त अस्थायी समझौतेकी शर्तें केवल शाब्दिक रूपमे पूरी हो गई होती। समाजने सोचा था कि यदि ऐसा समझौता भी हो जाता है तो भयकर सत्याग्रह टल जायेगा, और फिर सरकारका ध्यान अन्य शिकायतोकी ओर खीचनेके लिए ऐसे उपायोका सहारा लिया जा सकता है जिनके कारण व्यक्तियो और समाजको अधिक कष्ट न उठाना पडे।

किन्तु सरकार तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने श्री गाधीके अधिकाश प्रस्ताव नामजूर कर दिये, इतना ही नही, वह नेटालमे नये अधिनियमके सख्त अमल और अधिनियमके अन्तर्गत पास किये गये विनियमोसे, जिनमे से कुछ कठोर और अन्यायपूण है, यह भी जाहिर किये दे रही है कि वह केवल नये प्रवासियोका प्रवश ही नही रोकना चाहती, बल्कि जिन्हे नय अधिनियमके बननेसे पहले पुन प्रवेश करनेमे कोई कठिनाई नही होती थी उन अधिवासी निवासियोको भी नही आने देना चाहती। वह सम्बन्धित प्रान्तोमे अधिवासी भारतीयोकी पत्नियोके प्रवेश करनेमे भी बाधाएँ डाल रही है।

इन स्थितियोमे, अब समाजके सम्मुख फिर सत्याग्रह आरम्भ करनेके अतिरिक्त कोई रास्ता नही रह गया है। यह सत्याग्रह अब स्वभावत केवल इस प्रान्त तक ही सीमित नही रहेगा, और इस अवसरपर इसमे स्त्री और पुरुष दोनो ही भाग लेगे। समाजके नेता इस मामलेमे अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह समझते है। वे यह भी जानते है कि उनको और उनके देशवासियोको कितना कष्ट उठाना पडेगा। किन्तु उन्हे ऐसा लगता है कि उनका समाज एक प्रतिनिधित्वहीन समाज है और उसकी कोई सुनवाई नही होती, उसे अतीतमे बहुत गलत समझा गया है, वह एक विचित्र

किन्तु तीव्र प्रजातिगत विद्वेषके हाथो तबाह है, और इसलिए वह अपने गौरव और सम्मानकी रक्षा त्याग और कष्ट-सहनके सिवा अन्य किसी उपायसे नही कर सकता।

सत्याग्रहको सरकारने शिकायतें दूर करवानेका एक वैध उपाय मान लिया है, इसलिए सरकारको यह भरोसा दिलानेकी जरूरत नही कि समाज देशके कानूनको नही तोडना चाहता। वह उन कानूनोके अन्तगत आनवाले कत्तव्याको, जिनका पालन वह अपनी प्रतिष्ठा आर अपन आत्मसम्मानको अक्षुण्ण रखते हुए नही कर सकता, पूरा न करनकी सजा भुगतकर उनकी सत्ताको स्वीकार करेगा।

अन्तमे, मै यह कहना चाहता हूँ कि यह सघष तबतक जारी रखा जायेगा जबतक

(१) प्रवासी अधिनियमसे प्रजातीय भेदभावका कलक नही धुल जाता,

(२) इस अधिनियमके पास होनेसे पहले जो अधिकार वतमान थे, वे फिर बहाल आर कायम नही किये जाते,

(३) भतपूव गिरमिटिया पुरुषो, स्त्रियो और बच्चोपर मे तीन पौडी कर नही हटा दिया जाता,

(४) दक्षिण आफ्रिकामे विवाहित स्त्रियोका दर्जा सुरक्षित नही कर दिया जाता,

(५) और जबतक इस पत्रमे उल्लिखित वतमान कानूनोके प्रशासनमे आम तौरपर उदारता और न्यायकी भावना व्याप्त नही हो जाती।

साथ ही विनम्र निवेदन है कि जबतक सरकार समाजके विभिन्न प्रान्तीय नेताओसे सलाह नही करती तबतक इन कानूनोपर निर्विघ्न और न्यायपूण अमल सम्भव नही है।

[आपका,]

अ० मु० काछलिया

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, १५-९-१९१३

१२८ समझौता न हो सका

हमने पहले यह समाचार दिया था कि सरकार तथा श्री गाधीके बीच समझौते-की बात चल रही है। अब हमे उक्त बातचीतके टट जानेकी खबर देनी पड रही है। सत्याग्रह अब फिरसे छिडेगा। इसमे भी कोई ईश्वरीय रहस्य होगा। दिखाई तो यही पडता है कि सघर्षमे लाभ है। यदि समझौता हो जाता तो उससे केवल १९११ की शर्तोंके शब्दोका ही पालन होता, लेकिन उस समझौतेका उद्देश्य नष्ट हो जाता, क्योकि उससे समझौतेके शब्दोका पालन होता, आत्माका नही। यह ठीक है कि उससे दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे हुए लोगोको केप जानेका अधिकार मिलता, शादी-विवाहके सम्बन्धमे निर्णय हो जाता, और रगभेदका नाम भी हट जाता। परन्तु भारतीय समाज-की दृष्टिसे इतना ही काफी न होता। सरकारने इस अपर्याप्त वस्तुको अस्वीकार

करके हमपर उपकार ही किया है। हमे सघषमे जूझना है, यह सघर्ष जातिभेद रूपी उस असुरके सहारका सघष है जो इस सरकार और गोरोके शरीरमे बसा हुआ है। जाति-भेदका यह राक्षस सरकारके ट्रान्सवालके स्वण-कानून तथा नये प्रवासी कानूनके अमलमे दीन-दु खी और निराधार भारतीयोसे तीन-पौडी कर लेनेके दुराग्रहमे और हमारी स्त्रियो-के प्रति व्यवहारमे दृष्टिगोचर होता है। इन सबकी दवा उन सभी कानूनोको रद करने या बदलवानेकी अपेक्षा इस राक्षसी-वृत्तिके उन्मूलनमे ही है। इस राक्षसको मार डालनेका एकमात्र माग यही है कि हम स्वय मर-मिटनेको तैयार हो जाये। मृत्युमे ही जीवन निहित है। मृत्यु ही हमारा उद्धार कर सकती है। मरकर ही सही बात समझाई जा सकती है। बलिदानकी छाप ही ऐसी है कि जहाँ पडेगी अकित हो उठेगी। गोरोका तिरस्कार करने-भरसे हम उन्हे नही जीत सकते, और न गोरोको मारकर ही हम जीत सकेगे। हम उनके शरीर भले ही नष्ट करे परन्तु यदि उनमे वास करनेवाला राक्षस जीवित रहा तो वह एकसे अनेक बन जायगा। वृक्षकी डालियोको काटनेसे तो वृक्ष और भी हरा-भरा हो उठता है, नष्ट तो वह जड काटने ही से होगा। ठीक उसी प्रकार गोरोके शरीरसे हमे कोई सरोकार नही है। हमारा सम्बन्ध तो उनकी राक्षसी-वृत्तिसे है। इस वत्तिको पलटनेका सच्चा प्रयास ही सत्याग्रह है। ईश्वरीय नियम ही कुछ ऐसा है कि कठोरसे-कठोर मनुष्य हो, वह भी अपने दुश्मनको अकारण दु ख भोगते हुए देखकर पिघल उठता है, और ऐसा दु ख सहनेको सत्याग्रही ही तत्पर रहता है। दूसरा भी उपाय है परन्तु वह असम्भव है। गोरोके हृदयमे हमारे प्रति जो तिरस्कार-भावना है उसके लिए हम ही उत्तरदायी है। हममे अनेक दोष है। हम झूठ बोलते है, असत्य-आचरण करते है, झूठी गवाही देते है, गन्दे ढगसे रहते है। हम सबके-सब इन सारी बुरी आदतोको छोड कर ही गोरोके मनसे तिरस्कार दूर कर सकेगे। किन्तु यह बात असम्भव है। जो भारतीय अनेक कुटेवोसे ग्रसित है वे ऐसे लेख पढेगे ही नही। यदि कोई यह लेख पढकर उन्हे समझाना चाहे तो समझा भी नही सकेगा। सत्याग्रहीको इनके लिए भी मरना है। अज्ञानसे अन्धे हमारे ऐसे बन्धु तभी कुछ सीख पायेगे। एककी मौतसे दूसरे सीखे, यह तो दुनियामे सदासे चला आया है। अपने बलिदानका स्वय लाभ न उठानेमे अपना कल्याण है। यह कठोर वचन मनन करने योग्य है। जीवनके सच्चे उपभोगका यह महामन्त्र है। ऐसी वत्ति रखनेवाले सत्याग्रही ही आगामी सघषमे विजय पायेगे। जो इसमे शरीक नही हो सकते उनसे हमारा निवेदन हे कि वे इसका विरोध न करे, और अन्य जो भी सहायता बन पडे करे। समाजके हितको ध्यानमे रखे। यदि आपसे भला न बन पडे या उचित न बोला जाये तो मौन रहे। आप निबल है तो अपनी निबलतासे दूसरोको निबल न बनाये, यह भी पारस्परिक सहयोग ही होगा। इस बारके सघषका कोई 'प्रोग्राम' या कार्यक्रम है ही नही। वह बादमे मालूम होगा। यह सघर्ष तो ऐसा है कि इसके द्वारा सरकारका मन, जो हमारे विरुद्ध है, ठीक होना चाहिए। तीन पौडका जहरी कर तो हटाया ही जाना चाहिए। असहाय भारतीयोका यह हमपर ऋण है। हमपर यह श्री गोखलेका भी कर्ज है।

उन्हे दिये हुए वचनका यदि सरकार पालन नही करती तो इसे हमारे प्रति विश्वासघात ही माना जायेगा। हम उम्मीद करते है कि इस स्वण अवसरका अधिकाश भारतीय लाभ उठायेंगे, और जो सघषमे उतरेगे उन्हे ईश्वर — खुदा — आवश्यक बल और श्रद्धा प्रदान करेगा, यह अवश्यम्भावी है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१२९ मणिलाल गाधीको लिखे पत्रका अश

[डबन]

बुधवार, सितम्बर १७, १९१३

चि० मणिलाल,

[1]बा आदि सब लोग सोमवारके दिन बडी हिम्मतके साथ गये [2]तमोगुणके सिवा रजोगुण और सतोगुण है। तमोगुणकी प्रधानता होनेसे मनुष्य अन्धा, अज्ञानी और आलसी बना रहता है। रजोगुण उसे अविचारी, साहसी और दुनियवी बातोमे उत्साहपूर्ण बनाता है। यूरोपके लोगोमे रजोगुणकी प्रधानता है। हमारी भी अधिकाश प्रवृत्तियाँ रजोगुण प्रधान है। सत्व गुणवाला व्यक्ति शान्त, स्थिर-बुद्धि और विचारवान होता है। वह दुनियाके प्रपचमे नही पडता और अपना मन हमेशा ईश्वरकी ओर उन्मुख रखता है। इस सात्विक वृत्तिको [अग्रेजीमे] 'सूदफास्टनेस' कहा गया है सो ठीक है। 'सूद-फास्ट' यानी शान्त, 'नेस' प्रत्यय जोडनेसे इस शब्दकी सज्ञा बन गई और अर्थ हो गया शान्ति। वत्तियाँ शान्त होनपर ही आत्मदर्शन सम्भव होता है और जिस वृत्तिसे आत्मदर्शन सम्भव होता है वह है सात्विकी वृत्ति। परमात्मा अपने त्रिगुणातीत रूपमे तो भली या बुरी कोई प्रवृत्ति नही करता। किन्तु माया चतन्य रूपमे है। परमात्मा तो तीनो गुणोसे अतीत है किन्तु वह अर्जुनको ज्ञान देनेकी प्रवृत्तिका आचरण करता है। उस समय उसकी इस प्रवृत्तिके मूलमे सात्विक वृत्ति होती है। और चूकि प्रवत्तिमात्र उपाधि है इसलिए उसके इस रूपको सत्वगुणकी उपाधिवाला रूप कहा गया है। अपना मन खूब स्थिर रखना।

[गुजरातीसे]

जीवननु परोढ़

१, २ पुस्तकमें पत्रके ये अंश छोड दिये गये हैं।

१३०. पत्र : हरिलाल गाधीको

[डर्बन]
भाद्रपद कृष्ण ३, [सितम्बर १८, १९१३][1]

चि० हरिलाल,

तुमने पत्र लिखते रहनेके अपने वचनका पालन नही किया। ऐसा वचन तुमने एकाधिक बार दिया है और उसे हर बार तोडा है।

तुम्हारी तबीयत बिगडनेकी खबर सुनकर बहुत दु ख हुआ। मुझे इसका डर था। मैंने तुम्हे इसकी चेतावनी भी दी थी। तुम मेरी अनुमति लेकर गये किन्तु यह तो तुम जानते ही हो कि मेरी इच्छा तुम्हे जाने देनेकी नही थी। आज भी तुम्हारा रहन-सहन या तुम्हारे विचार मुझे अच्छे नही लगते। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शिक्षा उल्टी है। तुमने चचीका अहित किया है और बच्चोका भी अहित कर रहे हो, किन्तु मै स्नेहपूर्वक तुम्हे अपना मित्र मानता हूँ इसलिए किसी प्रकारकी आज्ञा नही देना चाहता। अनुनय-विनय करके ही तुमसे काम लेना चाहता हूँ। तुम्हारी पित-भक्तिके आधारपर तुमसे कुछ करानेकी मेरी कोई इच्छा नही है। इसमे रोषकी बात नही है, मै ऐसा कर्त्तव्य समझकर करता हूँ। आज भी तुम्हे मेरी यही सलाह है कि तुम परीक्षाका मोह छोड दो। उसमे उत्तीर्ण हो जाओगे तो मुझे उससे कोई खुशी नही होगी। और यदि अनुत्तीर्ण हो गये तो तुम्हे बहुत क्षोभ होगा। किन्तु जो तुम्हे पसन्द हो वही रास्ता चुनना। यदि परीक्षाका लालच छोड सको, और यह पत्र मिलने तक यदि सघर्ष चल रहा हो, तो चचीको लेकर यहाँ आ जाना — दोनोके जेल जानेके विचारसे[2] — चची अब और किसी कारणसे यहाँ नही आ सकती। यदि लडाई जल्दी समाप्त हो गई तो मै शीघ्र ही वहाँ आ जाऊँगा तब हम लोग मिलेगे और बातचीत करेगे।

तुम्हारे डिस्पेप्सिया [मन्दाग्नि] का एक ही इलाज है — १५ मील रोज पैदल चलना। रुचिके अनुसार भोजनमे कोई चबा कर खाने योग्य चीज लिया करो। आरोग्य-पर लिखे गये प्रकरण[3] यदि तुमने पढे हो तो उनमे बताये हुए प्रयोग करनेसे यह बीमारी बिलकुल नि शेष हो जायेगी। तुम्हारी मन शक्तिका क्षय हुआ है, उसमे कोई आश्चर्यकी बात नही है। वहाँका शिक्षण निरर्थक है क्योकि उसके पीछे कोई चिन्तन

१ पत्रके चौथे अनुच्छेदमें जिन गिरफ्तारियोंका उल्लेख है, वे सितम्बर १६, १९१३ को हुई थीं।

२ श्री गोखलेने हरिलालको दक्षिण आफ्रिका लौटनेसे रोक लिया था और दिसम्बर २६ को गांधीजीको तारसे सूचित कर दिया था कि "बम्बईमें हरिलाल मुझसे मिला । उसने बताया कि आपने उसे दक्षिण आफ्रिकामें सघर्षमें भाग लेनेके लिए तत्काल बुलाया है । मैंने जिम्मेदारी लेकर उसे भारतमें शिक्षण प्राप्त करते रहनेके लिए रोक लिया है । हस्तक्षेप क्षमा करें ।"

३ अभिप्राय उन दिनो **इंडियन ओपिनियन**में क्रमश प्रकाशित होनेवाले आरोग्य विषयक प्रकरणोंसे है ।

नही है। तुमने हजारो पढे-लिखे लोगोकी बुद्धिकी मन्दताका विचार ही नही किया, इसलिए मैं [अपनी बात] किससे कहूँ और क्या कहूँ? तुमने ऐसी कोई चीज सीखी ही नही जिससे तुम्हारा मनोबल पुष्ट होता। जहा परीक्षा पास करना ही उद्देश्य हो जाता है वहा परिणाम बुरा होगा ही। यह बात श्री रानडेने ३० वर्ष पहले कही थी। जरा सोचो तो कि सामान्य बी० ए० पास लोगोका क्या हाल है। बडी-बडी परीक्षाएँ पास करनेके बाद यदि तुम्हारा शरीर रोगी अथवा मन निर्बल हो गया तो तुम क्या कर सकोगे। क्या तुमने कभी बारीकीके साथ इस बातका अवलोकन किया है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है।

बा, रामदास, काशी, सन्तोक, छगनलाल, कबु, गोविन्दु[1], रेवाशकर[2], शिवपूजन, रावजीभाई, मगनभाई, सैम, सेठ रुस्तमजी, सॉलोमन[3], आदि जेल जानेके लिए निकल पडे। मगलवारके दिन उन्हे फोक्सरस्टमे गिरफ्तार किया गया। यह पत्र मैं गुरुवारके सवेरे लिख रहा हूँ। कल क्या हुआ इसका तार अभी नही आया है।[4] देवदास फीनिक्समे है। वह बहुत कार्यकुशल हो गया है। मै सवेरे ३-३० पर उठता हूँ। देवदास ४-३० पर उठता है। ५ बजेसे पढना और अन्यान्य कार्य शुरू हो जाते है। उसका शरीर भी इस बीचमे कुछ पुष्ट हुआ है। इस कार्यक्रममे फर्क तो होता ही रहता है। अभी जो लडके यहा है वे रविवारके सिवा बाकी दिनो हमेशा अलोना खाते है। वे सघर्षकी अवधि तक यह नियम पालते रहनेका इरादा रखते है। बच्चोकी देखभाल मगनलाल और मिस वेस्ट[5] करेगे। मै शनिवारको[6] जे० बी० [जोहानिसबर्ग] जाऊँगा। तब जोहानिसबर्गवाले गिरफ्तार होनेकी कोशिश करेगे। मेरी कोशिश सबके अन्तमे गिरफ्तार होनेकी रहेगी। मैने गिरफ्तार होनेकी युक्ति ढूढ निकाली है। उसमे जरा ज्यादा हिम्मतकी जरूरत है। ईश्वर मुझे वह हिम्मत दे — मनमे ऐसी रटन निरन्तर चलती रहती है। मणिलाल जे० बी० मे है, वह इस समय कठिन व्रत पाल रहा है और इस प्रकार प्रायश्चित्त कर रहा है। वह जे० बी० से जेल जायेगा। जेल जानेके विचारसे बाके साथ जेकी[7] भी गई है। जेकीने भी अपना जीवन बिल्कुल बदल डाला है। मेढ और देसाई भी जे० बी० मे है। जमनादास जेल जानेके लिए अधीर हो रहा है। मै बहुत करके उसे आनेका तार करूँगा। अभी निश्चय नही किया। मैने तुमसे अपने परीक्षापत्र भेजनेके लिए कहा था, वे तुमने भेजे नही है, यह याद रखना।

१ फीनिक्स प्रेसमें एक कम्पोजीटर।

२ रतनसी सोढाके पुत्र।

३ जोजफ रायप्पनका भतीजा सॉलोमन रायप्पन जो १९१२ में शिक्षित भारतीयोंके नाते प्रवेश पानेवालोंमें से एक था।

४ मामलेका निर्णय २३ सितम्बरको हुआ था और सभी १६ सत्याग्रहियोंको ३-३ महीनेकी सख्त सजा दी गई थी।

५ ए० एच० वेस्टकी बहन कुमारी एडा वेस्ट।

६ वास्तवमें गांधीजी गुरुवार २५ सितम्बरको डर्बन रवाना हुए।

७ जयकुँअर, डॉ० प्राणजीवन मेहताकी पुत्री।

मैं गगा भाभीके निर्वाहकी व्यवस्था करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मेरा वहाकी बात सोचना बेकार साबित हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी कदम उठाओ मेरा या मेरे विचारोका खयाल किये बिना उठाओ।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे म्ल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४०)की फोटो-नकलसे।

१३१. पत्र: मणिलाल गाधीको

[डर्बन]
गुरुवार, [सितम्बर १८, १९१३][1]

चि० मणिलाल,

तुम्हारे पत्र आये है। आज भी मुझे लिखनेका विशेष अवकाश नही है। बा और दूसरे लोग फोक्सरस्टमे गिरफ्तार हो गये है। कल अदालतमे पेश होनेवाले थे। क्या हुआ इस बातको जाननेके लिए मै तारका रास्ता देख रहा हूँ।[2] मै तुम्हे उसकी खबर देना चाहता था लेकिन मिली ही नही। तुम्हारी निराशा जितनी बढेगी मै उतना ज्यादा दुखी हो जाऊँगा। मैने तुम्हे जो वचन दिया है उससे मै हटा नही हूँ। मैने कोई बडा फक नही किया है। मै अपनी आत्माको निर्विकार बनानेके प्रयत्नोसे दुखी नही हो सकता। व्रतोसे मुझे कोई कष्ट नही होता, उससे मुझे सुख ही होता है। इसमे तुम्हारा चिन्तित होना अज्ञानका सूचक है। दुख तो मुझे तुम्हारे दुवतनसे ही हो सकता है। मेरा सुख-दुख तुम्हारे आचारपर निभर है। मै क्या कर रहा हूँ इसका विचार करते रह कर तुम मेरा दुख दूर नही कर सकते। तुम्हे खुद क्या करना चाहिए इसका विचार करो तो तुम मुझे सुखी कर सकोगे।

बापूके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०७) से।
सौजन्य सुशीलाबहन गाधी।

१ पत्रमें उल्लिखित बा की गिरफ्तारी मगलवार सितम्बर १६ को हुई थी।

२ मुकदमा सितम्बर २३ को चला।

१३२ श्री काछलियाका पत्र[1]

जो वापस नही लिया जा सकता वह कदम उठाया जा चुका है। रायटरकी शानदार समाचार-एजेंसी द्वारा ब्रिटिश ससारको मालूम हो गया है कि दक्षिण आफ्रिका-के मुठ्ठी-भर भारतीयोने सत्याग्रह-सघर्षकी घोषणा कर दी है, अर्थात्, एक नगण्य अल्पसख्यक जन-समुदाय एक शक्तिमान सरकार और ऐसी यूरोपीय आबादीके सामने जा डटा है, जिसकी तादाद उसकी तुलनामे बहुत अधिक है और जिसे इस उपमहाद्वीप-में ऐसी सुविधाएँ प्राप्त है जो भारतीयोको शायद अभी पीढियो तक प्राप्त नही हो सकेंगी। दरअसल, इस बारका सत्याग्रह सघर्ष सिफ दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार और यूरोपीयोके खिलाफ ही नही, साम्राज्य-सरकारके खिलाफ भी है। लॉर्ड ऍम्टहिलने लॉर्ड सभामे दिये गये अपने महत्वपूर्ण भाषणमे यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि साम्राज्य-सरकारने अपने कर्त्तव्यका पालन किया होता तो [दक्षिण आफ्रिकामे] कानून बनाने का ढग कुछ और ही होता, और वह तटस्थ रहती तो भी शायद प्रवासी अधिनियम पास न हुआ होता। इसलिए जबतक हम सत्याग्रह द्वारा उसकी आँखे खोल नही देते और जबतक उसे स्पष्ट रूपसे यह दिखाई नही देने लगता कि उसने अपने न्यासके प्रति अक्षम्य उपेक्षाका कैसा अनुचित भाव अपना रखा है तबतक हम उससे किसी सहायताकी आशा नही कर सकते।

श्री काछलियाने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि इस जबर्दस्त और भयानक कदमके उठानेकी जरूरत क्यो पडी। यह एक ऐसा कदम है जिसका अर्थ हमारे सैकडो देशबन्धुओका विनाश हो सकता है। उन्होने स्पष्ट शब्दोमे समाजकी माँगे बता दी है। उनकी माँगे ये है (१) प्रवासी कानूनसे प्रजातिगत भेदभावको दूर किया जाये, (२) इस कानूनके पूर्व जो अधिकार [भारतीयोको प्राप्त] थे उनको सुरक्षित रखा जाये, (३) सम्पूर्ण सघमें भारतीयोसे सम्बन्धित जितने भी कानून है, उनके प्रशासनमे न्याय एव उदारता बरती जाये, (४) तीन पौडी कर उठा दिया जाये, और अन्तमे, (५) सरकारकी भारतीयोसे सम्बन्धित सारी कार्रवाईमे जो एक विरोधी भावना दिखाई पडती है, उसके बदले इस समाजके प्रति सद्भावनापूर्ण रुख अपनाया जाये। ऊपर मैने लॉर्ड ऍम्टहिलके जिस भाषणका उल्लेख किया है, उसमे उन्होने भी ये ही माँगे पेश की थी।

अब हम यथासाध्य सक्षेपमे इनमे से हरएक मुद्देको देखे। 'नेटाल मर्क्युरी' ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणीमे, जो अन्य बातोमे प्रशसनीय है, प्रजातिगत प्रतिबन्धके बारेमे एतराज करनेपर नाराजी प्रकट की है। आम तौरपर हमारे इस सहयोगीकी जानकारी प्रामाणिक हुआ करती है, किन्तु हमे ऐसा जान पडता है कि यह टिप्पणी किसी ऐसे सज्जन द्वारा लिखी गई है जिसे अभी इस विषयका पूरा ज्ञान नही हो

१ देखिए "पत्र गृह-सचिवको", पृष्ठ १७७-१८०।

पाया है। प्रजातिगत प्रतिबन्धोकी समाप्ति सन १९१० से ही सभी पक्षोका सम्मिलित उद्देश्य रहा है। सच तो यह है कि सघ सरकारने इस कानूनका बचाव ही यह कह कर किया कि इसमे कोई प्रजातिगत प्रतिबन्ध नही है, और साम्राज्य सरकारने भी इस-पर अपनी स्वीकृति यही मानकर दी थी। और फिर, इस मामलेमे इस त्रुटिके दूर कर दिये जानेका अर्थ हर मामलेमे प्रजातिगत समानताकी स्थापना भी नही है। प्रजातिगत प्रतिबन्धोको दूर करनेका मतलब सिर्फ उस स्थितिपर वापस लौट जाना है जो १९०६ मे थी। इसमे प्रवासकी दृष्टिसे कानूनमे प्रजातिगत समानताका उल्लेख किया गया है। इस समानताके स्वीकार कर लिये जानेपर भी — और देर-सबेर उसे स्वीकार करना ही पडेगा — सभी प्रान्तोमे अन्य अनेक कानूनोकी हद तक प्रजातिगत असमानता रहेगी। लॉर्ड ऍम्टहिलने स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है कि इस कानूनमे प्रजातिगत असमानता मौजूद है, यद्यपि सरकारने बार-बार इस तथ्यका जोरदार प्रतिवाद किया है। यह कानून भारतीय प्रवासियोको एक अनावश्यक और अपमानजनक ज्ञापनके लिए मजबूर करता है, किन्तु यूरोपीय प्रवासियोको इसपर मजबूर नही करता। यह ज्ञापन उन कानूनी निर्योग्यताओकी स्वीकृति-मात्र है जो फ्री स्टेटके भारतीयोपर थोपी गई है। किन्तु, जैसा कि सरकार स्वय मानती है, इस स्वीकृतिके बिना भी ये निर्योग्यताएँ बनी ही रहेगी। इस प्रजातिगत प्रतिबन्धको कायम रखनेका मुख्य कारण सघ-ससदके फ्री स्टेटवासी सदस्योकी अविवेकपूर्ण जिद ही है। सरकार अपने इन समर्थकोको नाराज नही करना चाहती। अन्यथा, प्रजातिगत प्रतिबन्धके हटनेसे सरकारका कुछ बनता-बिगडता नही है, और न इससे फ्री स्टेटकी आबादीमे एक भी भारतीयकी वृद्धि होनेकी आशका ही है। सच पूछा जाये तो प्रजातिगत प्रतिबन्धकी समाप्ति वतमान अधिकारो-का ही एक अग है। इसके अन्य ऐसे अधिकारोसे अलग माने जानेका कारण यह है कि १९११ से पूर्व सघर्ष केवल प्रजातिगत भेदभावके सवालपर केन्द्रित रहा।

नये कानूनमे जिन मौजूदा अधिकारोपर प्रहार किया है, उनमे से कुछ ये है दक्षिण आफ्रिकामे उत्पन्न भारतीयोका उस केप कानूनके अन्तगत, जो अब रद कर दिया गया है, केवल अपने जन्मके आधारपर केपमे प्रवेश करनेका अधिकार, दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले भारतीयोकी गैर-ईसाई विधिसे विवाहित पत्नियोका कानूनी पत्नियाँ माने जानेका अधिकार, जो पहले उन्हे प्राप्त था या माना जाता था कि उन्हे प्राप्त है, नेटालवासी भारतीयोका, चाहे जितने समय तक नेटालसे बाहर रहने और यह प्रमाणित कर देनेपर कि उनके पास जो अधिवास प्रमाणपत्र है उसके वे प्रामाणिक मालिक हैं, पुन वहाँ लौट आनेका अधिकार। हम यहाँ उन छोटे-मोटे मौजूदा अधि-कारोकी बात नही कर रहे है, जो कानून द्वारा छीने गये हो या छीने जा सकते हो।

तीन पौडी कर अनेक दृष्टिकोणोसे सबसे अधिक व्यथा पहुँचानेवाली चीज है। यह जिस वगपर लादा गया है वह एक अत्यन्त असहाय वर्ग है, और जब श्री गोखले पिछले साल दक्षिण आफ्रिका आये थे उस समय सभी क्षेत्रोसे इस करकी निन्दा की गई थी, और लॉर्ड ऍम्टहिलके दावेके अनुसार, "दक्षिण आफ्रिकाके मन्त्रियोने श्री गोखलेसे निश्चित वादा किया था कि तीन पौडी कर उठा दिया जायेगा और फिर उन लोगोने गवर्नर-जनरलसे यह कहा भी था कि हमने श्री गोखलेसे

ऐसा वादा किया है।" हमारी मान्यता है कि श्री गोखलेको दिया गया वचन भारतीय समाजको दिया गया वचन है। इसलिए जबतक यह कर हटा नही दिया जाता, तबतक सत्याग्रह सघष चलाते रहना हमारा पुनीत कत्तव्य है।

मौजूदा कानूनोका प्रशासन दिन-ब-दिन कठोर होता गया है, तब फिर भारतीयोसे चुप बैठे रहनेकी आशा कैसे की जा सकती है। पहले भारतीय पत्नियाँ बिना किसी फजीहत और ज्यादा पूछताछके प्रवेश पा जाती थी। अब सरकारने प्रवासी-अधिकारियोको आदेश दे रखा है कि वे उनसे अधिकमे-अधिक विश्वसनीय प्रमाण मागे और इसपर भी हर तरहकी निरथक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित की जाती है। इसका सबसे ताजा नमूना कुलसम बीबीका मामला है। समाजने भारतीय पत्नियोका प्रवेश देनेकी प्रक्रियामे ऐसी सख्ती बरतनेका कभी कोई कारण नही दिया। हमपर कभी किसी आपत्तिजनक चरित्रकी स्त्रीको लानेका या हमारी स्त्रियोके किसी [आर्थिक] होडमे शामिल होनेका कोई आरोप नही लगाया गया है। पहले जो लोग अपना अधिवासका अधिकार सिद्ध करना चाहते थे उनसे [जमानतके तौरपर] केवल १० पौड माँगा जाता था। किन्तु अब २५ पौडकी अनुचित रकम जमा करनेको कहा जाता है। पहले पर्यटन-पास (विजिटिग पास) देनेमे काफी उदारता बरती जाती थी, किन्तु अब उसमे भी बडी कजूसी की जाने लगी है। हम ऐसे मामले जानते है जिनमे लडकोको अपने माता-पिताओके पास जाने और व्यापारियोको कजकी रकम उगाहनेके लिए अन्य प्रान्तामें जानेके अनुमतिपत्र नही दिये गये है। किसी भारतीय महाजनके लिए अपनी बकाया रकमे उगाहनेके उद्देश्यसे ट्रान्सवाल जानेका अनुमतिपत्र जारी करवा सकना सरल बात नही है। शासनकी प्रवृत्ति यह है कि दक्षिण आफ्रिकामे बसी हुई भारतीय आबादीके जीवनको यथा-सम्भव असह्य बनाकर उसे यहासे उखाड फेका जाये। ट्रान्सवालमे स्वर्ण-अधिनियम और कस्बा-कानूनका तथा नेटाल और केपमे व्यापारिक परवानोसे सम्बन्धित कानूनोका प्रशासन बहुत ही निन्दनीय रहा है। इसलिए श्री काछलियाने इस बातपर जोर दिया है कि हमसे सम्बन्धित कानूनोकी प्रशासन-पद्धतिमे परिवतन होना चाहिए।

और श्री काछलिया द्वारा इच्छित सुधार शायद तबतक सम्भव नही है जबतक कि सरकार तथा दक्षिण आफ्रिकावासी यूरोपीयोका रुख अपेक्षाकृत नरम और अधिक विवेक-सम्मत नही हो जाता। यदि सरकारकी त्योरिया हमपर चढी ही रही और यूरोपीय समुदायने हमारे विनाशके उद्देश्यसे प्रस्तावोके द्वारा हमे समस्त नागरिक सुविधाओसे अनिवायत वचित कर देनेकी माग जारी रखी तो इसके जवाबमे हमे भी यह दिखा देना होगा कि हम अपने सम्मान तथा दक्षिण आफ्रिकामे अपने सम्मान-पूर्ण अस्तित्वके लिए मर मिटना जानते है। और इसके लिए हमे शरीर-बलसे नही जूझना है, बल्कि स्वेच्छया कष्ट-सहनका वह तरीका अपनाना है जो मनुष्यको निष्कलुष बनानेके साथ-साथ उसे गौरव भी प्रदान करता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३

१३३ इसे कैसे किया जाये ?

चूँकि इस बार सघके सभी प्रान्तोमे सत्याग्रह चलाया जायेगा, इसलिए वह अपेक्षाकृत सरल होगा, यहा बात कष्टोके कम होनेकी नही है, सम्भव है कष्ट पहलेसे भी अधिक हो, किन्तु गिरफ्तारी पहलेसे अधिक आसानीके साथ हो सकेगी। अभी तक सत्याग्रही ट्रान्सवालकी सीमा पार करके गिरफ्तार होते थे। वतमान सघष भी इसी तरह शुरू हुआ है। यह तो साफ है कि सीमा पार करके प्रतिरोध प्रकट करनेके तरीकेका यह अर्थ नही हे कि हम प्रान्तीय सीमाओको तोडनेकी माग करते है। बल्कि हम तो सघषका कारण दूर होते ही विभिन्न प्रान्ताकी सीमाएँ पार कर चुकनके बाद भी अपन-अपने अधिवासके प्रान्तोमे लौट जायेगे। सत्याग्रही अपने निजी तथा व्यक्तिगत अधिकारोके लिए नही लड रहे है — लड ही नही सकते।

परन्तु सीमा पार करना काफी खर्चीला पडता है। जो लोग इस आन्दोलनमे सक्रिय भाग लेना चाहे वे शान्ति एव शालीनताके साथ बिला-परवाना फेरी लगाकर या व्यापार करके, और यदि परवाना हो भी तो उसे न दिखाकर गिरफ्तार हो सकते है। उन्हे हर बार पुलिस या अदालतोको सूचित कर देना चाहिए कि उनका इरादा इस प्रकार कानून तोडनेका नही है, परन्तु जबतक सरकारसे कोई समझौता नही हो जाता तबतक वे देशके उन कानूनोका पालन करानेमे अधिकारियोकी सहायता नही करेगे जिनका कोई नैतिक या स्वाभाविक आधार न होकर केवल कृत्रिम आधार है। सघर्ष कोई एक दिनमे समाप्त होनेवाला तो है नही। प्रत्येक सत्याग्रही स्वय सोच सकता है कि उसके लिए किस तरह गिरफ्तार होना सर्वोत्तम रहेगा। अगर हममे अपने तथा अपने देशके सम्मानकी खातिर कष्ट झेलनेकी दृढ इच्छा होगी तो समय और अनुभव हमे सही रास्ता भी दिखा देगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २०–९–१९१३

१३४. सघर्ष कैसे किया जाये ?

यह तीसरी लडाई दक्षिण आफ्रिका-भरमे छिडेगी इसलिए हमारा ख्याल है कि इसमे जेल जाना एक सहज-सी बात बन जायेगी। पर इसका मतलब यह नही कि जेलके कष्ट इस बार कम होगे। वे तो, हो सकता है, बढ भी जाये। किन्तु जेल जानेके माग पहलेकी तरह मुश्किल नही होगे। आजतक तो यह था कि सब लोग ट्रान्सवालमे प्रवेश करके ही जेल जाते थे परन्तु इस बार ऐसा करनेकी आवश्यकता नही है। [अब तो] प्रत्येक गाव और प्रत्येक प्रान्तमे यदि थोडे-बहुत भारतीय भी सघषके प्रति विवेकपूवक ध्यान दे तो वे सब इसमे कुछ-न-कुछ हाथ बँटा ही

सकते है और सघषमे मदद कर सकते है। सबसे सीधा रास्ता तो फेरीवालोके लिए है। जो लोग फेरीका ही धन्धा करते है वे और वे लोग भी जिनका यह पेशा नही है——ये सब बिना परवाना फेरी शुरू कर सकते है। इसमे सजा भी कम होती है। और मालके नीलाम होनका भय भी नही है। इसमे जरूरी लगे तो विश्राम भी लिया जा सकता है। इस प्रकार यह हलचल गाव-गॉवमे छिड जाये तो हम एक बडा भारी सघष चला सकेंगे। सारे दक्षिण आफ्रिकामे अशान्ति मच जायेगी और राज्याधिकारियोका ध्यान पूर्ण रूपसे इसकी ओर खिच सकेगा। जिनके पास परवाने है वे भी ऐसा कर सकते है। पुलिस बार-बार परवाना देखना चाहती है। हमारे पास परवाना है पर हम न बताये तो हमे गिरफ्तार करना उसके लिए अनिवाय हो जाता है। दूकानदार और उनके नौकर भी यही रास्ता अपनाकर गिरफ्तार हो सकते है। इस प्रकार विचार करे तो हमे प्रतीत होता है कि यह माग बहुत ही सरल और सीधा है। इसमे कष्ट भी कम है। इसमे पहल हमारे ही हाथो रहती है और जब चाहे आराम भी लिया जा सकता है। फेरीवालो और दूकानदारोको इतना याद रखना चाहिए कि इस सघषमे सबसे बडा स्वाथ उन्हीका है। व्यापारपर ही सरकारकी और गोरे लोगोकी अधिकसे-अधिक कडी नजर है। यदि हम व्यापार न करे तो हमारे प्रति इतना ईर्षा-द्वेष न रहे। पर इस देशमे व्यापार तो हमारा जीवन-आधार ही है। और यह तो स्मरण रखनेकी बात है कि ज्यो-ज्यो हमारा मान बढता है, वैसे-वैसे हमारे दु ख कम होते है। अत व्यापारियोको जो यह बडा और सरल अवसर हाथ लगा है। उसका वे लाभ उठायेंगे, मेरा यह विश्वास है। यह बतलानेकी आवश्यकता ही नही है कि यह सघर्ष तो अकेला एक भारतीय भी अपने गॉवमे छेड सकता है। ऐसा एकाध शूरवीर हो तो वह जेल जाते समय अपना नाम हमे लिख भेजे। जो लोग सीमा पारकर गिरफ्तार होते है उन्हे याद रखना चाहिए कि ऐसा करनेसे उन्हे अपने हक नही मिल पायेगे। सत्याग्रहका सघर्ष व्यक्तिगत हकोके लिए नही हो रहा है। व्यक्तिगत अधिकारोका तो सत्याग्रहके साथ सदासे बैर रहा है। स्वार्थ और सत्याग्रह दोनो एक साथ नही चल सकते।

और सहायता कैसे दी जा सकती है?

हम ऊपर देख चुके है कि इस सघर्षमे सर्वोत्तम मदद तो जेल जाकर ही पहुँचाई जा सकती है, पर हम जानते है कि सारे भारतीयोमे जेल जानेकी शक्ति नही है। ऐसे लोग क्या करे, इसका विचार भी हमे करना चाहिए। इस सम्बन्धमे हमे जो विचार सूझते है उन्हे नीचे दिया जा रहा है।

१ जो लोग जेल जाते है, उनके धन्धे और कुटुम्बियोका ध्यान रखकर पीछे रहे हुए लोगोके भरण-पोषणकी व्यवस्था की जा सकती है।

२ इस बार हम भारतसे भी पैसेकी माँग नही करेंगे और अब तो पैसा भी हमारे पास थोडा ही बचा है, अत सत्याग्रह फडमे धनकी मददकी जा सकती है।

३ जो लोग पैसा नही दे सकते वे अनाज आदि दे सकते है।

४ सभी प्रान्तोमे गॉव-गाँवमे सभाएँ होनी चाहिए और उनमे भी श्री काछलियाके पत्रको मान्यता देनेवाले प्रस्ताव पास करना चाहिए और उन प्रस्तावोको तार

या पत्रो द्वारा स्थानीय सरकार और साथ ही बडी सरकारको भी भेजा जाना चाहिए।

५ सघषका स्वागत करनेवाले तार [ब्रि० भा० सघको] भेजना चाहिए।

६ जहा सभाएँ नही हो सकती ऐसे स्थानोसे सस्थाओ द्वारा तार और पत्र सरकारको भेजना चाहिए।

७ अपने गाँवके गोरे निवासियोके साथ इस सम्बन्धमे चर्चा करनी चाहिए और उन्हे इ० ओ० के सघर्ष सम्बन्धी अक देकर जानकारी देनी चाहिए।

८ हरएक भारतीयको प्रमाद छोडकर इस बातकी जानकारी कर लेनी चाहिए कि यह सघर्ष किसलिए चल रहा है और उसका हेतु क्या है?

९ सघष सम्बन्धी इ० ओ० के अकोकी प्रतियाँ भारत और विलायतमे विभिन्न स्थानोपर भेजना चाहिए।

१० लन्दन समितिके लिए चन्दा इकट्ठा करनेमे मदद करना चाहिए।

११ प्रत्येक भारतीयको चाहिए कि वह सघर्षके निमित्त अपना कोई-न-कोई समय दे और उस समयमे सघर्ष सम्बन्धी कुछ-न-कुछ कार्य करे।

इन कार्योंमे से बहुत-से काम प्रत्येक भारतीय व्यक्ति और सस्था कर सकती है। इनमे जितना कुछ किया जा सके उतना प्रत्येक व्यक्ति और सस्थाको करना चाहिए। अभी तुरन्त और अनायास जो किया जा सकता है वह यह है कि स्थान-स्थानपर सभाएँ की जाये, प्रस्ताव पास किये जाये और उन्हे दोनो सरकारोके पास भेज दिया जाये।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २०–९–१९१३

१३५. पत्र : 'नेटाल मर्क्युरी' को[1]

[डर्बन]
सितम्बर २१, १९१३

महोदय,

आपने अपने गत शनिवारके अकमे भारतीय स्थतिपर अपने प्रिटोरियाके सवाददातासे प्राप्त जो विशेष लेख छापा है उससे यह पता चलता है कि उसके लेखकको इस सम्बन्धमे "जानकारी" है। इसलिए इसे जनता सरकारकी ओरसे की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा मानेगी। इस कारण आप मुझे कदाचित् उसकी कुछ अत्यन्त स्पष्ट भूले सुधारनेकी अनुमति देंगे। लेखकका कहना है कि सरकारने चार विवादग्रस्त बातोमे से दो मान ली है। यह बात केवल अशत ही सत्य है। फ्री स्टेटकी कठिनाई

१ स्पष्ट है कि गांधीजीने इस पत्रकी एक नकल इसके साथ-साथ **इंडियन ओपिनियन**को भी भेजी थी जिसमें यह २४ सितम्बरके अकमें प्रकाशित किया गया था।

कानूनमे प्रजातीय प्रतिबन्धकी कठिनाई है। जनरल स्मटसके पिछले तारसे इस कथनकी पुष्टि होता है कि उक्त कठिनाई दूर हो गई है किन्तु वस्तुत वह दूर नही हुई है। आवश्यकता इस बातकी है कि जिस प्रकार भूतपूर्व गिरमिटियोके अधिकारके बारेमे उठाये गये मुद्देके बारेमे स्वीकार किया गया था उसी प्रकार यहाँ भी यह स्वीकार किया जाये कि नये अधिनियमके अनुसार फ्री स्टेटमे इसके अन्तगत प्रवेश करनेवाले किसी भी भारतीयको कानूनी तौरपर ऐसा ज्ञापन देना आवश्यक नही है जो किसी अन्य प्रवासीके लिए आवश्यक न हो। यह कहना कि ऐसी घोषणा भारतीयोको सघमे प्रवेश करनपर ही करनी होगी, बिल्कुल अवान्तर है। मुद्दा यह है कि, केवल प्रवासकी हदतक जिन शर्तोपर यूरोपीय प्रवेश कर सकते है उन्ही शर्तोपर भारतीयोको भी प्रवेश मिलना चाहिए। प्रशासनिक भदभाव तो नि सन्देह रहेगा किन्तु उससे प्रवासियोकी सख्याका नियमन होगा, प्रवेशके कानूनी तरीकेका नही। इस मामलेका स्वरूप देखते हुए यह मुद्दा कुछ कुछ प्राविधिक है। अभीतक यह सघर्ष इस बातको ध्यानमे रखकर चलाया जा रहा है कि समानताके सिद्धान्तपर आधारित ब्रिटिश सविधानमे कोई बुनियादी अन्तर न हो। मेरे देशवासियोके चार वषतक कष्ट सहन करनेपर सन १९११मे भारतीय पक्षको शाब्दिक रूपमे स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु उसकी भावना इस नये अधिनियममे भी नही आ पाई है, क्योकि उसमे फ्री स्टेट-सम्बन्धी धारा अस्पष्ट रखी गई है।

दूसरी कठिनाई विवाहके सवालसे सम्बन्धित है, वह भी दूर नही की गई है। आपके सवाददाताने कहा है कि मैने बहु-पत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता देनेकी माग की है, और इस प्रकार मै देशके विवाह-सम्बन्धी उस कानूनको उलट देना चाहता हूँ जो ईसाई सिद्धान्तपर आधारित है। मेरे और सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवहारपर[1], जो १३ सितम्बरके 'इडियन ओपिनियन' मे प्रकाशित किया गया है, एक निगाह डालनेसे यह प्रकट हो जायेगा कि मैने ऐसी कोई माँग नही की है। मैने केवल यही कहा है कि नये कानूनमे भारतीयोके दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न विवाह उसी प्रकार वैध मान लिये जाये जिस प्रकार भारतमे सम्पन्न विवाह माने जायेगे। मैने नये अधिनियममे विवाह-सम्बन्धी धाराकी शब्दावलीके दोषको सुधारनेका सुझाव दिया था और ऐसा करनेके दो तरीके बताये थे — अर्थात् या तो नये अधिनियममे थोडा सशोधन कर दिया जाये या विवाहोके एक-पत्नीक रूपमे किसी तरहका फेरफार किये बिना सघके विवाह-सम्बन्धी कानूनोमे वैसा ही परिवर्तन कर दिया जाये। प्रिटोरियाके सवाददाताने "एक पत्नीक विवाह" के अर्थका प्रश्न उठाया है। इस प्रश्नका निबटारा सर्वोच्च न्यायालय जल्दी ही कर देगा। यदि इस वाक्याशका अर्थ वह नही हुआ जो विवाह-सम्बन्धी धाराको स्वीकार करते समय अभीष्ट था, तो इसमे दोषी सरकार ही होगी। प्रश्न उसीने उठाया है, भारतीय समाजने नही। सामान्य व्यक्तिकी निगाहमे ऐसे लाखो भारतीय विवाह-सम्बन्ध, जिनमे

१ इसमें अन्य पत्रोंके साथ-साथ ये पत्र भी सम्मिलित थे २८ जूनको गृह मत्रीके निजी सचिवको लिखा गया पत्र, २ जुलाई और २४ अगस्तको गृह सचिवको लिखे गये पत्र और ३ सितम्बरको सहायक गृह-सचिवको भेजा गया पत्र। ये पत्र तिथिक्रमसे यथास्थान दिये गये हैं।

एक पुरुषने केवल एक ही स्त्रीसे विवाह किया है, एक-पत्नीक विवाह है। यदि इस वाक्यांशका अर्थ कुछ और है, तो सरकारने सिनेट, साम्राज्य-सरकार और भारत-सरकार तथा भारतीय समाज सबको धोखा दिया है। इस बातसे इनकार नही किया जा सकता कि यह विवाहका प्रश्न हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय, हमे अपनी स्त्रियोका सम्मान भी उसी प्रकार चावसे सुरक्षित रखने देगे जिस प्रकार वे अपनी स्त्रियोके सम्मानको सुरक्षित रखते है।

तीन पौडी व्यक्ति-करके बारेमे मै देखता हूँ, आपका सवाददाता बहुत सोच-विचार कर ऐसा नही कहता कि यह एक नया मुद्दा है। उसे सन् १९११ के पत्र-व्यवहारमे वर्णित आरक्षण-धारापर एक निगाह-भर डालनी है, और फिर उसे मालूम हो जायेगा कि इसे नया मुद्दा नही माना जा सकता। यह नया इसी अर्थमे है कि अभी हालकी बातचीतमे सम्मिलित नही किया गया था। यह ठीक तरहसे किया भी नही जा सकता था, क्योकि बातचीत केवल नये अधिनियमके सम्बन्धमे हुई थी। यदि इस बातचीतके आधारपर कोई समझौता हुआ होता तो समाज प्रार्थनापत्र आदिके द्वारा इस करको हटानेका अनुरोध करना जारी रखता, किन्तु चूकि बातचीत असफल हो गई, इसलिए समाजके सम्मुख सामान्य मानवीयताके इस मामलेको सघषमे सम्मिलित करनेका द्वार खुला हुआ था। लॉर्ड ऍम्टहिलने कहा है कि सघ-सरकारने श्री गोखलेको यह कर हटानेका निश्चित वचन दिया था। यदि सरकार अपने वचनका पालन करना चाहती है, तो उसे केवल ऐसा कहना ही काफी है और उस मुद्देके सम्बन्धमे कोई सघष नही किया जायेगा। यदि वह इसका पालन नही करना चाहती है तो भारतीय तभी एक स्वतन्त्र और आत्म-सम्मानी समाजके साथ रहनेके अधिकारी होगे, जब उनमे इतनी शालीनता और नैतिक-बल हो कि वे अपने एक प्रमुख देशवासीको दिया गया वचन पूरा करवानेके लिए और अपने गरीब और असहाय देशवासियोको उस भारसे, जो उनपर डालना कदापि उचित न था, मुक्त करवानेके लिए कारावास या उससे भी अधिक कष्ट सहन कर सके। मुझे लगता है कि उनपर इस भारको लादनेके पापमे दक्षिण आफ्रिकाकी स्वतन्त्र भारतीय आबादीका भी उतना ही हाथ है जितना यूरोपीयोका है।

और अन्तमे यह कि आपके सवाददाताने सलाह दी है कि हमे जो-कुछ दिया गया है उसे हम कृतज्ञतापूवक स्वीकार कर ले और जो चीज देनेसे इनकार किया गया है उसे महत्त्वहीन मान ले और तब हम चाहे तो अपनी बाकी शिकायतोको प्रार्थनापत्रो आदिके द्वारा दूर करवानेके लिए जोर दे सकते है। उसने यह भी कहा है कि तब हमे वतनी भूमि अधिनियम-जैसे किसी विशेष कानूनका वरदान मिल सकता है और उसके द्वारा हमारे लिए एक क्षेत्र सुरक्षित किया जा सकता है जिसमे हम जमीन आदि खरीद सकते है। इस सबसे मुझे ईसपके न्याय-प्रिय भेडियेकी कहानी याद आ जाती है। सवाददाता मुझे इस तुलनाके लिए क्षमा करे। हम इधर वर्षोसे प्राथनापत्र देते आ रहे है, किन्तु वे सब व्यथ गये है। हमसे हमारे अधिकार एक-एक कर छिनते चले गये है। और एक भारतीय रक्षित क्षेत्रका अर्थ यह है कि हमे इस समय नेटाल और केपमे जमीने रखने और खरीदनेका जो महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है और ट्रान्सवालमे जमीनके स्वामित्वका जो अधिकार परिवर्तित रूपमे मिला हुआ है उसे हम त्याग दे और

अपने-आपको एक बाडेमे बन्द हो जाने दें और तब हम सत्याग्रह न करनेके पुरस्कारके रूपमे प्राप्त इस कृपाके लिए सरकारको धन्यवाद दे — वह सत्याग्रह न करनेके लिए, जिसमे किसी अन्यके लिए नही, बल्कि हमारे लिए ही कष्ट है, किन्तु जिससे यदि कोई दूसरी वस्तु नही मिलती तो कमसे-कम हमारे पुसत्वकी रक्षा तो होती ही है।

आपका

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २५–९–१९१३

१३६ पत्र : गृह-सचिवको

[डबन]

सितम्बर २२, १९१३

प्रिय श्री जॉर्जेस,

आपने विवाह-सम्बन्धी प्रश्नपर इसी १९ तारीखको जो पत्र[1] लिखा है उसके लिए मै आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। मैने अपनी मूल मागको अधिक व्यापक नही करना चाहा है। तथापि मै स्थितिको फिरसे यथासम्भव स्पष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा।

निवेदन यह है कि अगले अधिवेशनमे ससदसे उन एकपत्नीक विवाहोको वैध करार देनेवाला अधिकार प्राप्त कर लिया जाना चाहिए जो गैर-ईसाई भारतीयोके बीच भारतीय पुरोहितो द्वारा सम्पन्न हुए है या अब आगे सम्पन्न होगे। कानून बनाना केवल इसलिए आवश्यक हो गया है कि नये अधिनियमकी विवाह-सम्बन्धी धारा पूरी स्थितिपर विचार किये बिना जल्दीमे तैयार की गई थी। दक्षिण आफ्रिकामे विवाहित भारतीय स्त्रियोका दर्जा रखैलोका हो गया है और उनके बच्चे अपने मा-बापके वैध उत्तराधिकारी नही बचे है। जो राहत अब मागी जा रही है यदि वह शीघ्र ही नही दी जाती तो यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मेरी समझसे श्री सलके निर्णय, तथा नेटाल सर्वोच्च न्यायालयके मास्टरकी कार्रवाई और जस्टिस गार्डिनरके निणयका[2] सम्मिलित प्रभाव यही होता है। मैने अगले अधिवेशनमे स्थितिमे सुधार करनेका वचन देनेकी प्रार्थना की है, क्योकि मेरी नम्र रायमें यह मामला अत्यन्त महत्त्वपूण है। बहुपत्नीक विवाहके सम्बन्धमे मैने कानूनी मान्यताकी माग नही की है, बल्कि केवल यह कहा है कि सरकार उनके कानूनी दर्जेको किसी भी तरह मान्य न करे, किन्तु मन्त्री महोदय अपने अधिकारोके अन्तर्गत एकाधिक पत्नियोको प्रविष्ट होने दे। प्रवेशकी अनुमति केवल उन्ही भारतीयोकी एकाधिक पत्नियोको दी जाये जिनका विवाह पहले ही हो चुका है और जो अब असन्दिग्ध रूपसे सघके

१ देखिए पृष्ठ १७६ पाद टिप्पणी २ ।

२ देखिए "विवाहके बारेमें एक महत्त्वपूर्ण फैसला", पृष्ठ १७२ ।

अधिवासी है। इससे सरकारको जिस कार्यके प्रति उदारता बरतनी है वह भी सीमित हो जाता है और वह यह भी जान सकती है कि उसे ऐसी कितनी स्त्रियोको प्रवेशकी अनुमति देनी होगी। यह सब किस प्रकार किया जा सकता है, मै इसकी एक योजना पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ।

मेरे विनम्र मतसे, १० अगस्त, १९११ के उस पत्रमे, जिसका उल्लेख आपने अपने पत्रमे किया है, इसकी यही व्याख्या की गई है। ब्रिटिश भारतीय सघने बहुपत्नीक विवाहका प्रश्न उठाया था और उसके उत्तरमे आश्वासन देते हुए उक्त पत्र प्राप्त हुआ था। शायद आप जानते ही है कि प्रवासी-अधिकारीने एकाधिक पत्नियोको वस्तुत प्रवेशकी अनुमति दी है, और बहुपत्नीक विवाह ट्रान्सवालके पजीयन प्रमाणपत्रोपर दर्ज भी किये गये है।

चूकि "एकपत्नीक विवाह" के अर्थके सम्बन्धमे सन्देह उत्पन्न हुए है, इसलिए मै यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय समाज इसका अर्थ यह करता है "एकपत्नीक विवाह" वह है जिसमे एक पुरुषका विवाह केवल एक स्त्रीसे होता है, फिर चाहे विवाह किसी भी धर्मके अन्तर्गत हो और चाहे उस धर्ममे किसी परिस्थिति-विशेषमे बहुपत्नीक विवाहकी अनुमति हो या न हो।

मै देखता हूँ कि आपके पत्रके दूसरे अनुच्छेदसे यह भाव झलकता जान पडता है कि आपके पिछले तारका मैने जो उत्तर दिया था उसमे उन अन्य मुद्दोकी मैने कोई चर्चा नही की जिनका तारमे उल्लेख था, यद्यपि वैसा किया जा सकता था। मैने जान-बूझकर उन मुद्दोकी चर्चा नही की, क्योकि मैने अनुभव किया कि उसकी कोई गुजाइश ही नही छोडी गई है। किन्तु यदि जनरल स्मट्स अन्य मुद्दोपर विचार करनेके लिए अब भी तैयार हो तो मै निश्चय ही उनके सम्बन्धमे फिर निवेदन करनेको तैयार हूँ। मै यह अनुभव किये बिना नही रह सकता कि यह मतभेद दुर्भाग्यवश ऐसे मुद्दोको लेकर उत्पन्न हुआ है जो भारतीय समाजके लिए तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु सरकारके लिए या सघकी प्रधान आबादीके लिए जिनका कोई महत्त्व नही है।

सरकारके काममे बाधा डालनेकी मेरी कोई इच्छा नही है और मै अपने देश-वासियोके प्रति अपने कर्तव्यका खयाल रखते हुए यथासम्भव सरकारकी सेवा करनेके लिए भी अत्यन्त उत्सुक हूँ, कृपया मुझे सदा ऐसा ही व्यक्ति समझे।[1]

[आपका,]
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१ २७ सितम्बरको इस पत्रकी पहुँच देते हुए श्री जॉर्जेसने लिखा था "मैने आपका पत्र मन्त्री महोदयके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और उन्होने इस मामलेपर पूरा विचार करनेके बाद मुझे यह उत्तर देनेके लिए कहा है कि वे पिछले महीनेकी १९ तारीखको आपको लिखे गये मेरे निजी पत्रके खण्ड चारमें उल्लिखित ढगका विधेयक ससदके अगले अधिवेशनमें प्रस्तुत करनेके विषयमें कोई आश्वासन देनेमें असमर्थ हैं।"

१३७. फोक्सरस्टके सत्याग्रही

पिछले हफ्ते हमने समाचार दिया था कि सत्याग्रहियोसे कहा गया है कि प्रिटोरियासे वारट आ जानेपर उ हे निर्वासित कर दिया जायेगा। अब जो ज्यादा विस्तृत विवरण मिला है, उससे पता चला है कि पिछले गुरुवारको[1] प्रवासी-अधिकारीने दलके प्रवक्ताको[2] बुलाकर उससे कहा कि प्रिटोरियासे मुझे इस आशयका आदेश आया है कि आप सबको कानून द्वारा निर्धारित फार्म भरनेके लिए दे दिया जाये। प्रवक्ताने कहा कि मुझे खेद है कि हमारा दल इस अनुरोधको स्वीकार नही कर सकता। तब क्या वे परीक्षामे बैठेगे? [अधिकारीके इस प्रश्नके] उत्तरमें प्रवक्ताने कहा कि हम वह भी नही कर सकते।

"तब आप सब निषिद्ध प्रवासी है" —ऐसा कहते हुए अधिकारीने सबके नाम जारी किये गये एक मुकरर ढगके नोटिस उसके हाथमे थमा दिये और फिर सबको अपने निणयसे अवगत कराकर कहा कि आप तीन दिनके अन्दर इस निर्णयके विरुद्ध अपील-निकायमे अपील कर सकते है। किन्तु, प्रवक्ताने बताया कि दल अपील करना ही नही चाहता। तब अधिकारीने कहा कि उस हालतमे वारट आ जानेपर सबको निर्वासित कर दिया जायेगा। इसपर प्रवक्ताने कहा कि हम लोगोको हिरासतमे ले लिया जाये, क्योकि हम नही चाहते कि हम मुक्त रहकर भी अपनी यात्रा जारी न रख सके। किन्तु अधिकारीने कहा कि मै आप लोगोको हिरासतमे नही ले सकता। दूसरे दिन दलने अधिकारीको सूचित किया कि यदि हमे हिरासतमे नही ले लिया जाता तो हम जोहानिसबगके लिए प्रस्थान कर देगे।

अधिकारीने कहा कि "तब मै आप लोगोको रोकूगा, किन्तु जेलमे नही डालूगा।" इसपर प्रवक्ताके हस्ताक्षरसे अधिकारीको निम्नलिखित पत्र भेजा गया

मुझे और मेरे साथियोको आपने गत मगलवार, तारीख १६ से जोहानिसबर्ग-यात्रापर आगे बढ़नेसे रोक रखा है। मैंने आपसे उसी समय कहा था कि यदि आप हमें रोकना या गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हमें जेलमें रखकर ही वैसा कर सकते हैं, क्योकि हम अपने फोक्सरस्टवासी मित्रोके लाख आग्रह करनेपर भी उनके घर नहीं टिकना चाहते। किन्तु आपने कहा कि इतने बडे दलके लिए आपके पास पुलिस चौकीम जगह नहीं है, इसलिए सरकारसे इस सम्बन्धमें कोई आदेश प्राप्त होने तक हम बाहर ही रहें। आप यह तो मानेंगे ही कि आपको आदेश प्राप्त करनेका समय देनेके लिए हम काफी इन्तजार कर चुके ह।

शुक्रवारको जब मैंने आपसे यह कहा कि यदि आप हमें हिरासतमें नहीं रख सकते तो हम अपने-आपको जोहानिसबर्ग प्रस्थान करनेके लिए स्वतत्र समझेंगे, तब

१ सितम्बर १८।
२ छगनलाल गांधी।

आपने हमें सूचित किया कि आप ऐसा करनेसे तो हमें रोकेंगे, किन्तु जबतक सरकारसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तबतक हमे हिरासतमें नहीं रख सकते।

अत, अब मै आपको सूचित करता हूँ कि यदि आपने हमारे दलको अपने अधिकार में नहीं ले लिया तो सोमवारको काफिर मेलसे हम जोहानिसबगके लिए प्रस्थान कर देंगे। और यदि आपने उस अवसरपर हमें जबरदस्ती रोकनेकी कोशिश की तो सत्याग्रही होनेके नाते उस समय तो हम मान जायेंगे, किन्तु यदि उसके बाद आपने हमें मुक्त कर दिया और गिरफ्तारी आदिसे पकडकर रोक नहीं रखा तो हम किसी और साधनसे अपनी यात्रा जारी रखेंगे।

बादमे फोक्सरस्टसे आये तारोसे मालूम हुआ है कि इस नोटिसका जादूका-सा असर हुआ। सोमवारको १० बजे नेटालकी सीमापर सारे दलको निर्वासित कर दिया गया। इस निर्वासनका अथ सिफ इतना ही होता है कि निर्वासित किये जानेवाले लोगोको एक छोटी-सी उथली नदीके बीचकी एक [काल्पनिक] रेखाके पार कर दिया जाता है। सो दलको निर्वासित करके निर्वासन-अधिकारीने अभी अपनी पीठ फेरी नही थी कि सभी सत्याग्रही सीमाका उल्लघन करके फिर इस पार आ गये और गिरफ्तार कर लिये गये। वहासे उन्हे सीधे चाज ऑफिस (अभियोग कार्यालय) ले जाया गया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१३८. स्वर्गीय श्री हुसेन दाउद

हम बडे दु खके साथ युवक हुसेन दाउदके निधनका समाचार दे रहे हैं। वे बहुत दिनोसे बीमार थे, और यद्यपि उन्हे अत्यन्त दक्ष डॉक्टरी सहायता तथा एक स्नेहमय पिताकी निरन्तर निष्ठापूर्ण शुश्रूषाका लाभ प्राप्त था, फिर भी वे सोमवारकी रातको चल बसे। हमारा विचार है कि श्री हुसेनमे दक्षिण आफ्रिकाका एक महानतम भारतीय बननेकी सम्भावनाएँ विद्यमान थी। हम सतप्त परिवारके प्रति समवेदना प्रकट करते है। अगले अकमे हम मृतात्मापर एक विशेष स्मरण-लेख[1] और उनका एक चित्र देनेकी आशा करते है। चूकि यह अक खास तौरसे सत्याग्रह आन्दोलनके समाचार देनेके लिए प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए इसमे स्मरण-लेख देना सम्भव नही है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१ देखिए "स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद", पृष्ठ २१५ १७।

उस ऋणको चुकानेमे असमर्थ रहा है जिसे चुकानेकी उसे आज्ञा दी गई है, तो उसे जेलकी सजा नही भी दी जा सकती। किन्तु हम जानते है कि अधिकाश मामलोमे मजिस्ट्रेटोने, जो अन्तत सवशक्तिमान बागान-मालिकोके समाजके बीच रहनेवाले मानव-जातिके ही सदस्य है, गरीबीके साक्ष्यपर अविश्वास करके गैर-अदायगीके लिए इन लोगोको जेलकी सजा दी है। इस तरहका सबसे ताजा मामला सरजूका है। उसने पिछले तीन वर्षोसे यह कर नही दिया है। जितना दे सकता था, उतना उसने दिया और फिर अपनी असमर्थता प्रकट की। किन्तु उसकी दलील अस्वीकार कर दी गई और उसे ३० दिनोका सपरिश्रम कारावास भोगना पडा। और फिर यह कारावास उसे अदायगीसे मुक्त भी नही करता। अगर कोई पुलिस अधिकारी समझे कि उसके पास साधन है तो कर न अदा करनेपर वह पुन गिरफ्तार किया जा सकता है और पुन दण्डित हो सकता है। इस प्रकार हमारे विचारमे गैर-अदायगीके लिए गरीब स्त्री-पुरुषोको जेल भेजनेके उद्देश्यसे मजिस्ट्रेट अदालत-कानूनका सहारा लेकर स्थानीय सरकारने भारत सरकारके साथ विश्वासघात किया है।

परन्तु उस समय तो कोई भी आदमी यही सोचता कि गिरमिट प्रथा बन्द हो जानपर यह कर उठा दिया जायेगा। ऐसी कोई बात नही हुई। निष्ठुर मालिकोको गिरमिटपर मजदूर रखनेका स्वाद मिल गया है, इसलिए वे उससे कम किसी और चीजसे सन्तुष्ट होनेवाले नही है — और स्वतन्त्र मजदूरोसे तो कदापि नही। इसलिए यह कर बना रहा।

और तब आई स्थितिकी पराकाष्ठा। नेटालके प्रमुख व्यक्तियोने श्री गोखलेको विश्वास दिलाया कि वे स्वय भी इसे नही चाहते और यह कर उठा दिया जायेगा। सघ-सरकारने हमारे इन विशिष्ट देशबन्धुसे पक्का वादा किया कि वह यह कर उठा देगी। फिर भी, ससदके पिछले अधिवेशनमे उसने अपना वादा तोड दिया।

कौन कह सकना है कि स्थानीय भारतीय समाजने सत्याग्रह आन्दोलनका आश्रय लेनेका निणय करनेमे थोडी भी जल्दबाजी की है? वह किसी भी समय उचित ही होता, किन्तु इस समय तो उसका दोहरा औचित्य है। यदि हमारी ही तरह हमारे पाठकोको भी ज्ञात होता कि इस विश्वासघातसे — सरकार द्वारा कर न हटाये जानकी बातसे — श्री गोखलेको कैसा धक्का लगा और किस प्रकार सख्त डॉक्टरी हिदायतोके बावजूद सरकार तथा जनताको अपने कर्त्तव्यके प्रति जगानेके लिए उन्होने भारत लौटनेका निश्चय किया — अगर उन्हे मालूम होता कि इस बातके लिए उनपर कितना असाधारण जोर डाला गया कि वे अपना इग्लैडसे प्रस्थान करनेका कार्यक्रम स्थगित कर दे, तो हरएक भारतीय अपने समस्त वैयक्तिक हितोका खयाल छोडकर इस करकी समाप्तिके लिए मृत्यपर्यन्त लडनेको तैयार हो जाता। [इसकी समाप्तिके लिए सघर्ष करना] अपने देशके प्रति, श्री गोखलेके प्रति और उन गरीबोके प्रति, जो गिरमिटिया भारतीय मजदूरोके मालिकोकी स्वण-बुभुक्षाके शिकार हो रहे है, दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले प्रत्येक भारतीयका सीधा-सादा और बुनियादी कत्तव्य है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१४० अपील-निकाय किसलिए ?

एक-दो व्यक्तियोको अपनी अपीलमे सफलता मिल गई, इसी आधारपर 'नेटाल मक्युरी' ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणीमे यह विचार व्यक्त किया है कि अपील-निकायोसे भारतीयोको बडा लाभ है। यदि अपील-निकायोकी स्थापना किन्ही अपेक्षाकृत बुरे साधनोके स्थानपर की गई होती तो यह बात सही हो सकती थी। परन्तु, तथ्य तो यह है कि इनका सम्बन्ध एक ऐसी स्थितिसे है जिसका पहले कभी अस्तित्व ही नही था। तात्पय यह कि इस कानूनके पास होनेसे पहले जो लोग अपने अधिवास-प्रमाणपत्रोके निर्विवाद स्वामी थे वे अधिकारी तौरपर पुन प्रवेश पा जाते थे। अब कानूनने इन प्रमाणपत्रोका प्रभाव समाप्त करके इन निकायोके लिए एक धन्धा पैदा कर दिया है। ये निकाय ऐसे अधिकाश मामलोको नामजूर कर देते है, जो पहले सवथा सुरक्षित थे, और यदा-कदा एक-दो मामलोपर स्वीकृति भी दे देते है। इस प्रकार कानून इस समाजसे उसके सभी अधिकार छीन लेता है और तब फिर अपील-निकायोको उनमे से कुछको पुन प्रतिष्ठित करनेकी अनुमति देता है। अगर इस दयाके लिए ही किसीको कृतज्ञ होना हो तब तो उसे उस चोरके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए जो चुराये हुए मालका कुछ हिस्सा वापस कर देता है। यो निकायोके रूपमे इनके विरुद्ध हमे कुछ नही कहना है। श्री बिन्स तथा श्री मॉरिस इवान्सकी नियुक्तियाँ वस्तुत प्रशसनीय है। किन्तु जैसे किसी मरीजका अग काटनेकी इच्छासे उसे बेहोशीकी दवा सुँघाई जाती है, यदि इसी तरह [समाजका अग काटनेके लिए] अच्छीसे-अच्छी नियुक्तियाँ भी की जाये तो उससे क्या लाभ है ? और ऐसी उपमा देना भी किसी हदतक सरकारकी तारीफ करना है, क्योकि दूसरे मामलेमे तो रोगी अपनी भलाईके लिए स्वेच्छासे ऑपरेशन करवाता है, जब कि पहले मामलेमे वह अनिच्छापूवक शिकार बनाया गया है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–९–१९१३

१४१. तीन-पौडी कर

हमारे लिए यह सौभाग्यकी बात है कि सत्याग्रह जिन सवालोको लेकर किया जा रहा है, उनमे तीन-पौडी करका सवाल भी शामिल है। इस सवालका पिछला इतिहास यहाँ स्मरणीय है। इस करकी चर्चा पहली बार सन् १८९४ मे शुरू हुई। नेटालकी सरकारने भारतमे एक शिष्टमण्डल भेजा। भारतीयोने उसी समय इस करका सख्त विरोध किया। सरकारका इरादा पहले तो २५ पौडका वार्षिक कर लगानेका था और उसने माँग की थी कि यदि कोई भारतीय उसका भुगतान न कर सके तो सरकारको उसे जबरदस्ती भारत वापस भेज देनेकी सत्ता मिलनी चाहिए। हमारे

आन्दोलनके कारण भारत सरकारने ये दोनो बाते अस्वीकार कर दी और यह प्रस्ताव किया कि जो भारतीय गिरमिटकी अपनी अवधि पूरी होनेके बाद दूसरी गिरमिटका करार न करे वह या तो भारत वापस चला जाये या वह, उसकी स्त्री और बच्चे सब प्रति-व्यक्ति तीन पौडका वार्षिक कर दे। जो कर न दे उससे, यदि उसके पास कोई सम्पत्ति हो तो, सरकार उसकी सम्पत्ति बेचकर कर वसूल कर सकती है, किन्तु उसे जेलमे नही डाल सकती। भारतीयोने इस बातका भी सख्त विरोध किया, सन १८९६ मे भारतमे इस सम्बन्धमे लोगोने सभाएँ भी की। किन्तु यह कर कायम रहा। बादमे कुछ समय तक तो जो लोग यह कर देते थे उनसे उसे वसूल किया गया, किन्तु जो नही दे सकते थे उन्हे जेल भेजनेकी कोई बात नही थी। मगर आखिर सरकारने कर न देनेवालोको जेल भेजनेकी एक कुटिल युक्ति ढूढ निकाली। युक्ति यह थी मजिस्ट्रेटोकी अदालतोसे सम्बन्धित कानूनमे एक धारा ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति अदालतके निर्णयकी तामील नही करता तो ऐसा माना जाता है कि उसने अदालतकी मान-हानि की और इसके लिए उसे जेल भेजा जा सकता है। इस धाराके अन्तगत पहले तो भारतीयोको कर भुगतान करनेका हुक्म दिया जाता था और यदि वह कर नही भरता था तो उसे अदालतकी मान-हानि करनेके अभियोगमे अदालतमे खडा किया जाता था। उस स्थितिमे उपाय यह था कि वह अपनी गरीबी साबित करे और तब अदालत उसे छोडे। किन्तु अदालत ऐसे गरीब आदमीकी कोई शहादत क्यो स्वीकार करने लगी! फल यह हुआ कि भारत सरकारके साथ जो समझौता हुआ था वह टूट गया। हमारे साथ विश्वासघात हुआ। सैकडो भारतीय जेल गये। कितनी ही स्त्रियो और युवकोको जेल जाना पडा। क्या हमे इसका पाप न लगा होगा? यदि हमने जितना परिश्रम और प्रयत्न किया उससे ज्यादा किया होता तो ये गरीब लोग १५ वर्षसे इस करका जो असह्य बोझ ढोते आये है, क्या वे उससे मुक्त न हो गये होते? क्या इन गरीबोके हजारो पौड बच न गये होते? ये सारी बाते सोचकर हमारा हृदय विदीर्ण हो उठना चाहिए। हमारे आँगनमे ही इन गरीबोके दु:खकी यह चिल्लाहट उठती रही, किन्तु हमने उसे सुना नही। इस पापका बोझ हमारे सिरपर कितना पडा होगा, यह कौन कह सकता है? हरएक धर्मकी आज्ञा है कि जो दु:ख हमारी नजरमे आये उस दु:खमे हमे हिस्सा लेना चाहिए। हमने ऐसा नही किया। आज उसका अवसर है।

हमारा विश्वास है कि यदि हमारे समाजके अधिकाश लोग इसके लिए लडे तो यह कर जरूर रद हो जाये। यदि कम लोग लडेंगे तो देर लगेगी। किन्तु इस करका रद होना तो निश्चित ही है। यह लडाई ऐसी है कि उसमे सब भारतीय बहुत आसानीसे और उत्साहपूर्वक भाग ले सकते है। आजतक गिरमिटसे मुक्त हजारो भारतीयोसे हम कुछ भी माँग नही कर सकते थे। इस लडाईमे तो वे भी सम्पूर्ण उत्साहसे भाग ले सकते है। हमे विश्वास है कि यदि ऐसा हरएक भारतीय, जो न तो जेल जा सकता है और न पैसा दे सकता है, अपना एक घटा बचाकर गरीब और अपढ भारतीयोको इस करके अन्यायकी बात समझाये तो हमारी लडाई बडा रग ला सकती है। कर जानेवाला ही है, ऐसा मानकर किसीको चुपचाप बैठे नही रहना चाहिए। हरएकको अपनी

शक्तिके अनुसार इसमे ज्यादासे-ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इस लडाईमे से हमारा समाज बहुत-कुछ सीख सकेगा और बहुत ऊँचा उठ सकेगा। लक्ष्मी घर बैठे हमारे भाल-पर विजय-तिलक लगाने आये, उस समय अपना मुँह छिपाना या धोनेके लिए चले जाना जागरूक पुरुषका लक्षण नही है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१४२ पत्र क्लीमेंट डोकको

फीनिक्स
नेटाल
सितम्बर २४, १९१३

प्रिय क्लीमेट,

तुम्हारा पत्र तो मुझे मिला, परन्तु सूची नही मिली। मै तुम्हे २५ प्रतियाँ,[1] [तुम्हारे] पिताजीके मित्रो और काग्रिगेशनमे बाँटनेके लिए भेज रहा हूँ, चाहो तो और मँगा सकते हो। सस्मरणकी प्रतियोका यूरोपीय मित्रोसे मूल्य लेनेका विचार कभी नही रहा। विचार तो यह था कि भारतमे काफी सख्यामे इन्हे बाँटनेके लिए भारतीय लोग इसकी प्रतियाँ खरीदे।

तुमने श्रीमती गाधीके समाचार पूछे, धन्यवाद। आजकल वे फीनिक्सकी तीन अन्य भारतीय महिलाओके साथ फोक्सरस्ट जेलमे है।

'दी सीक्रेट सिटी'[2] अत्यन्त आह्लादजनक है। खाली समयमे मै इसको पढता रहा हूँ। उसे लगभग समाप्त कर चुका हूँ।

कल मै जोहानिसबर्ग जा रहा हूँ।

आशा है, तुम्हे 'इडियन ओपिनियन' की प्रति मिलती होगी और तुम उसे नियमित रूपसे पढते होगे।

सबको यथायोग्य।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ७४३) की फोटो-नकलसे।

१ गांधीजी द्वारा रेवरेंड जे० जे० डोक सम्बन्धी सस्मरण पुस्तिकाकी प्रतियाँ, देखिए "स्वर्गीय श्री जोजेफ जे० डोक", पृष्ठ १६०-६५।

२ रेवरेंड डोक-रचित एक पुस्तक, देखिए पृष्ठ १६१।

१४३ पत्र मगनलाल गांधीको

रेलगाडीमें
[सितम्बर २५, १९१३ के बाद][1]

चि० मगनलाल,

आज मैं बड़ी परेशानीमें पड़ गया। रेलके लिए दौड़ा, लड़कोंको हैरान कर डाला, मेरे कारण सब लोगोंको देर हुई। इसके बाद मैंने फिर भूल की और पुरुषोत्तमको भेजा। इस सबको जब सोचा तो बहुत बेचैन हुआ। मेरे ऐसे कामोंमें, भी जिन्हें मैं अपनी आत्माके लिए [कल्याणकारी] मानता हूँ, दोष है। मेरे मोह और लोभ जबरदस्त हैं। जल्दबाजी करना, अपने कामके लिए दूसरोंको परेशान करना, यह आत्मार्थीके लक्षण नहीं है। अच्छा हो कि वह अपने ऊपर अपनी शक्तिके बाहर काम न ले, उसे नहीं लेना चाहिए। कैसी दीन दशा है? यह सब शुरूमें कहीं चूक हो जानेसे होता है। मैंने यह भी सोचा कि यदि मैंने भोजन करना टाल दिया होता तो मैं सारा काम सावकाश और स्वस्थ चित्तसे कर सकता था। ऐसा करता तो तुम लोगोंमें से किसीको हैरान करनेकी जरूरत न हुई होती। आत्मार्थी मनुष्यको अपने लिए किसी भी प्रकारकी उग्र सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा स्कूल छुड़वाना और लड़कोंको इस तरह दौड़ाना मेरी मानसिक स्थितिकी हीनता प्रकट करते हैं। मैं इसे जानता तो था लेकिन आज इसका स्पष्ट ज्ञान हुआ। मैं मन-ही-मन रास्तेमें बहुत लज्जित होता रहा, पछताता रहा। मैं जो अपनेको कुछ विशिष्ट मानता था, आज अपनेको बहुत दयनीय अनुभव कर रहा हूँ। यह मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम मुझमें कई गुणोंको आरोपित करते हो। मेरे दोषोंको देखनेकी जरूरत है ताकि तुम उनसे बच सको। दक्षिण आफ्रिकाके लड़ाई-झगड़ोंमें व्यस्त, मैं बिलकुल मुक्त तो केवल भारतमें ही हो सकता हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन अब यदि मैं अपने सिरपर और कोई बोझ लूं तो उस समय तुम मुझे टोकना। तुम तो भारतमें अभी मेरे साथ रहोगे ही। यदि मैं जेल चला गया तब तो स्वस्थताका अनुभव कर ही सकूंगा। नहीं गया तो शायद वहाँ फिर वापस आना होगा। अब आगे यहां आजके जैसा ही कभी कुछ हो तो तुम मुझे सावधान करना। कैलेनबैकका काम रोटीके बिना चल सकता था और मेरा मूंगफलीकी चटनीके बिना। बच्चोंको खिलानेका मोह न किया होता तो भी काम चल जाता। अथवा यह सब लोभ रखे होते और मैंने खुद खानेका लोभ न किया होता तो भी सब ठीक हो जाता। लेकिन मैंने तो सब घोड़ोंपर चढ़नेका एक साथ आग्रह रखा, इसीलिए ईश्वरने मुझे सबक सिखाया। ऐसी घटना मेरे साथ कुछ पहली ही बार घटित नहीं हुई है, किन्तु इस बार उसका विशद ज्ञान हुआ है। अब इस सम्बन्धमें मैं कुछ करूँगा।

१ ऐसा जान पड़ता है, गांधीजीने ट्रान्सवाल जाते हुए इसे लिखा था। वे डर्बनसे २५ सितम्बरको रवाना हुए थे और २७ सितम्बरको जोहानिसबर्ग पहुँचे थे।

घरका सामान ठिकानेसे रखना या रखवाना। जहाँ हमारे औजार रहते है, वहाँ मैले, गोदडे पडे हुए है, उन्हे बाकूसे धुलवा लेना। श्रीमती सामसे उन्हे दुरुस्त करवा लेना और ठीक तह करके रखना।

लडकोको फिलहाल तो नाम लिखनेमे प्रवीण होने देना। देवी बहनके सिरसे यह बोझा आधा कम कर देना ठीक रहेगा। अन्तमे तो सारा बोझा दूर कर देना है। छोटम और नवीन उसे परेशान करे तो उन्हे खीचकर अपने पास रखना। लॉड ऍम्टहिल-सम्बन्धी काम तो अब तुम्हे ही करना पडेगा।

डबनमे मैने यह खबर सुनी कि पुरुषोको फोक्सरस्टसे मैरित्सबर्ग ले जायेगे। ऐसा हो जाये तो ठीक है। यह एक बडा अनुभव होगा और चूकि रुस्तमजी सेठ वहाँ है ही, इसलिए मुकाबला कडा होगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

बच्चे ३०० नाम यदि इस बार पूरे न कर सकें तो रविवार या सोमवारको उनकी सहायता करके तुम्ही उन्हे पूरे करा देना। बद्रीके लिए मैने एक जैकेट बनाया था, वह वहाँ होगा, उसे पोलकके पास भिजवाना है।

रुस्तमजी सेठकी ओरसे दिये गये दो मुख्तियारनामे वहाँ है। उनमे सोमवार, फीनिक्सको तारीखमे तुम अपनी और देवी बहनकी गवाही भरकर सुरक्षित रखना। बने तो उन्हे फाइल करा देना। अन्यथा जब मै आऊँगा, करूँगा।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे पेसिलसे लिखी मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४९) से।
सौजन्य श्री राधाबहन चौधरी।

१४४. पत्र . दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको

[जोहानिसबर्ग]
सितम्बर २७, १९१३

सेवामे
जनरल मैनेजर
दक्षिण आफ्रिकी रेलवे
[महोदय,]

मै दो अन्य भारतीयोके साथ गुरुवारको काफिर मेलसे, डर्बनसे ट्रान्सवाल जा रहा था। हम सब तीसरे दर्जेमे यात्रा कर रहे थे। हम गलियारेवाले एक तीसरे दर्जेके डब्बेमे बैठे थे। ये डब्बे सामान्यत नेटालकी गाडियोमे लगाये जाते है। जिस डब्बेमे हम बैठे थे उसमे मेरे साथियोको और मुझे एक कडक्टरने बिठाया था। लेडीस्मिथ स्टेशनपर एक नया कडक्टर आया और मुझसे बोला कि हमे अपना डब्बा छोडकर दूसरे डब्बेमे जाना पडेगा। कारण पूछनेपर मुझे बताया गया कि जिस डब्बेमे हम बैठे

थे वह केवल यूरोपीयोके लिए था। मैने कडक्टरका ध्यान एक ऐसे डब्बेकी ओर खीचा जिसपर यूरोपीयोका लेबिल लगा था। मैने इस तथ्यकी ओर भी उसका ध्यान दिलाया कि हमारे डब्बेपर कोई लेबिल नही लगा था और बताया कि मै नेटाल लाइनपर ऐसे डब्बोमे कई बार यात्रा कर चुका हूँ। मैने उसे यह भी सूचित किया कि डर्बनमे कडक्टरने मुझे इस डब्बेमे बिठाया था, किन्तु उस नये कडक्टरने कहा कि मुझे उसके निर्देश मानने होगे, अन्यथा स्टेशन मास्टरसे उस डब्बेमे, जिसमे मै था, बैठे रहनेकी अनुमति लेनी होगी। इसपर मै स्टेशन मास्टरसे मिला, किन्तु उसने कुछ रुखाईके साथ कहा कि मुझे जैसा कडक्टर कहे वैसा करना चाहिए और यह भी कहा कि कडक्टर यात्रियोको कोई कारण बताये बिना जितनी बार चाहे जगह बदलनेके लिए कह सकता है। मैने इस मामलेमे स्टेशन मास्टरसे बहस नही की, चुपचाप गया और जिस डब्बेमे बैठा था फिर उसीमे जाकर बैठ गया तथा आगे क्या होता है, इसकी प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच मेरे एक मित्रने, जो सयोगसे प्लेटफामपर थे, और मुझे जानते थे कि मै कौन हूँ, यह बात चुपचाप कडक्टरको बता दी। बादमे कडक्टरने मुझसे कहा कि मैने आपसे दूसरी जगह जानेको केवल इसलिए कहा था कि नियम यही है और उसका पालन होना चाहिए। मैने तब कडक्टरसे कहा कि जब उसे यह मालूम हो गया है कि मै कौन हूँ, तब भी उसका कर्त्तव्य है कि नियमोको न माननेके जुर्ममे वह मुझे गिरफ्तार करा दे। किन्तु उसने ऐसा नही किया। मुझे उस समय प्लेटफामपर उपस्थित भारतीयोने बताया कि ऐसी कठिनाइयाँ भारतीय यात्रियोके सामने बहुधा आती रहती है। मै नही जानता कि कडक्टरने जो-कुछ मुझसे कहा, उसमे कहातक सच्चाई है। मै तो यही आशा कर सकता हूँ कि उसने प्रशासनके निर्देशोको गलत समझा है, क्योकि मेरी विनम्र सम्मतिमे भले ही कोई तीसरे दर्जेमें ही सफर क्यो न कर रहा हो, यदि उसे बिना परेशानी, और जब-तब यह जानकारी कराये बिना कि सर्वोत्तम डब्बे तो सदा यूरोपीयोके लिए सुरक्षित होते है, यात्रा न करने दी जाये तो यह बहुत बजा बात है।

मुझे आशा है कि आप कृपाकर इस मामलेमे जाँच करेगे और जो-कुछ आवश्यक समझेगे, करेगे। मै अनुभव करता हूँ कि उच्च अधिकारियो, जैसे स्टेशन मास्टरो, से यह कह दिया जाना चाहिए कि वे अपना उत्तरदायित्व समझे और यात्रियोसे, वे यूरोपीय न भी हो तो भी, शिष्टताका व्यवहार करे। मै यह आवश्यक नही समझता कि स्टेशन मास्टरसे शिष्ट-व्यवहारकी अपेक्षा करनेसे पहले मुझे अपना परिचय देना जरूरी था।

[आपका,

मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–१०–१९१३

१४५ श्री गाधी लगभग गिरफ्तार[1]

[सितम्बर २७, १९१३][1]

पिछले गुरुवारको[2] श्री गाधी कुछ सत्याग्रहियोके साथ ट्रान्सवालके लिए रवाना हुए। अपने साथियो-सहित वे तीसरे दर्जेमे बैठे। तीसरे दर्जेमे भी कुछ डब्बे साफ और सुविधाजनक रहा करते है। ऐसे ही एक डब्बेमे रेलवे अधिकारीने श्री गाधी और उनके साथियोको बैठा दिया था। जब वे लेडीस्मिथ पहुँचे तो कडक्टरने उन्हे हुक्म दिया कि वे लोग उस डब्बेसे निकलकर पासवाले डब्बेमे चले जायें। श्री गाधीने कहा कि हम लोग ऐसा हरगिज न करेगे, और इसी डिब्बेमे सफर करते हुए ट्रान्सवाल पहुँचेगे।

कडक्टरने कहा, "मै कहता हूँ, तुम्हे जाना ही होगा।"

श्री गाधी बोले, "हमे डर्बनमे रेलवे कडक्टरने ही इस डब्बेमे बैठाया है।" कडक्टरने कहा, "बहस मत करो। मै कह रहा हूँ कि तुम लोग इस डब्बेसे निकलो, यह डब्बा यूरोपीय लोगोके लिए है और यह गाडी मेरे कब्जेमे है।"

श्री गाधी अधिक हुज्जतमे नही पडे और अपने साथियोके साथ वे उसी डब्बमे यात्रा करनेका निश्चय करके वही बैठे रहे और कडक्टरका आदेश न माननेके कारण गिरफ्तार किये जानेकी उम्मीद करने लगे। उन्हे लगा कि जेल जानेका यह एक सहज मौका हाथ लग गया है। बहुतेरे भारतीय वहा खडे यह सब देख रहे थे और प्रसन्न थे कि इस कदमका परिणाम ठीक ही निकलेगा। किन्तु श्री विडनने, जो वहाँ मौजूद थे, सब काम बिगाड दिया। कडक्टर श्री गाधीको पहचानता नही था। श्री विडनने उसके पास जाकर उनका नाम बता दिया। अत कडक्टर चुप रह गया और कुछ देर बाद दूसरे कडक्टरोके समक्ष श्री गाधीसे बहुत बाते करता रहा और यह बताता रहा कि वह तो अपना फज अदा कर रहा था। श्री विडनने इस प्रसगपर मित्र होते हुए भी शुद्ध-भावसे, किन्तु अपनी नासमझीके कारण, शत्रुका ही काम किया। यदि इस बार श्री गाधी लेडीस्मिथमे पकड लिये जाते तो रेलवे-सम्बन्धी अनेक प्रश्नोका फैसला हो जाता और अनायास ही हमारे सघषको भी बल मिलता। वे सारे भारतीय, जो प्लेटफामपर थे, इससे बडे निराश हुए और विडनको भी बादमे यह प्रतीत हुआ कि यदि वे बीचमे न पडे होते तो ठीक होता।

इस घटनाके सम्बन्धमे श्री गाधीने रेलवेके जनरल मैनेजरके पास शिकायत लिख भेजी है जिसमें उन्होने लिखा है कि इस प्रकारकी तकलीफे भारतीयोको सदा उठानी पडती है, यह बात उनसे स्टेशन आने-जानेवाले भारतीयोन स्वय कही है। लेडीस्मिथके

१ देखिए अन्तिम अनुच्छेदमें पिछले शीर्षकका उल्लेख।

२. सितम्बर २५।

स्टेशन मास्टरने भी किसी प्रकारकी राहत न देते हुए जो ओछापन दिखाया था, इस शिकायतमे उसका भी उल्लेख है।

[गुजरातीसे]
इडियन ओपिनियन, १–१०–१९१३

१४६. पत्र : गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
सितम्बर २८, १९१३

प्रिय श्री जॉर्जेस,

पता नही आपको यह पत्र लिखना उचित है या नही। परन्तु चूकि आप [इस बातके] इच्छुक रहे है कि सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति न हो और चूकि मैने आपसे बातचीतके दौरान बहुधा कहा है कि सरकारसे छिपाने लायक कोई बात मेरे पास नही है, इसलिए मैने सोचा कि इस समय जो-कुछ हो रहा है उससे आपको भी परिचित करा दूं।

मैने आपके पिछले पत्रका उत्तर फीनिक्ससे भेजा था[1], यदि आपने उसका उत्तर अभीतक दिया न हो और देना चाहते हो, तो कृपया जोहानिसबगके पतेपर लिखे, क्योकि मै अभी कुछ दिनोतक तो यही रहूँगा।

आन्दोलन तत्परताके साथ शुरू हो चुका है। आप जानते ही है कि सोलह सत्याग्रहियोको, जिनमे चार स्त्रियाँ भी है, तीन महीनेके सपरिश्रम कारावासकी सजा मिल चुकी है।[2] यहाँ भी सत्याग्रही मेरे आनेकी राह देख रहे थे और अब यहाँ कार्रवाई शुरू होनेमे देर नही है।

इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सघष जिन मागोको लेकर फिरसे शुरू हुआ है वे ऐसी है कि उन्हे सरकार मजेमे स्वीकार कर सकती थी। मै चाहता हूँ कि इसे भली-भाति समझ ले कि हम जो कदम आगे उठाने जा रहे है वह बहुत सगीन है। मै जानता हूँ कि उसमे बडा खतरा भी है। मुझे यह भी मालूम है कि एक बार शुरू हो जानेपर फिर आन्दोलनके प्रसारको निर्धारित सीमाओमे रखना मुश्किल हो सकता है। मै यह भी जानता हूँ कि इतना बडा कदम उठानेकी सलाह देकर मै अपने ऊपर कितनी बडी जिम्मेदारी ओढ रहा हूँ, लेकिन मै महसूस कर रहा हूँ कि मै एक ऐसे कदमको उठानेकी सलाह दिये बिना रह भी नही सकता जिसे मै केवल आवश्यक ही नही शिक्षाप्रद भी समझता हूँ, और जो अन्तमे भारतीय समाज और सरकार दोनोके लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। और यह कदम है, जिन लोगोपर तीन-पौडी कर लगाया गया है, उनसे मै कहूँ कि वे मुस्तैदी और दढताके साथ कर अदा करनेसे बराबर इनकार करे और उसकी गैर-अदायगीके लिए दण्ड भुगतनेको तैयार रहे। और इससे भी कही अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि अभी जो लोग गिरमिटिया है और इसी कारण

१ देखिए "पत्र गृह सचिवको", पृष्ठ १९४ ९५। स्पष्ट है कि जॉर्जेसका २७ सितम्बरवाला उत्तर तबतक गाधीजीको नही मिला था।

२ देखिए "पत्र हरिलाल गांधीको", पृष्ठ १८४।

जिनको गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर तीन पौण्ड कर देना पडेगा उनसे कहा जाये कि जबतक कर वापस न लिया जाये, तबतक वे हडताल रखे। लॉर्ड ऍम्टहिलने श्री गोखलेकी सहमतिसे लार्ड सभामे घोषणा की थी कि सरकार इसे वापस लेनेका निश्चित वचन दे चुकी है, और यह बात लॉर्ड ग्लैड्स्टनसे भी कही गई थी — इसे देखते हुए गिरमिटिया भारतीयोको मेरी ऐसी सलाह पूर्णत उचित जान पडती है। मै अपने व्यक्तिगत अनुभवसे जानता हूँ कि यह कर लोगोको सबसे अधिक नागवार गुजरा है और मुझे यह व्यक्तिगत रूपसे मालूम है कि वे इस कारण बहुत ही क्षुब्ध है। परन्तु उन्होने इसे लगभग विरक्त भावसे चुपचाप सहन कर लिया है और मै ऐसा कोई कदम उठाना या सलाह देना पसन्द नही करता जिससे उनके मनकी शान्ति भग हो। क्या मै अब भी, जबकि सघर्ष चल रहा है, जनरल स्मट्ससे प्रार्थना नही कर सकता कि वे पेश किये गये मुद्दोपर और तीन पौडी करके प्रश्नपर पुन विचार करे और, उनके विचार चाहे इस पत्रके अनुकूल हो या प्रतिकूल, मै इस आश्वासनकी आशा करता हूँ कि इस पत्रको धमकीके रूपमे कदापि नही माना जायेगा।

[आपका,]
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१४७ भाषण फ्रीडडॉर्पकी सभामें

[जोहानिसबर्ग
सितम्बर २८, १९१३]

श्री गाधीने भाषण आरम्भ करते हुए कहा कि मै आज ही तीसरे पहर दो सभाओमें भाषण कर चुका हूँ। उनमें से एक सभामें लगभग पचास भारतीय महिलाएँ ऐसी थीं, जिनपर प्रवासी अधिनियमका प्रभाव पडता था। वे सब अपनी उन बहनोका रास्ता अपनानेका निश्चय कर चुकी है, जो वेरीनिगिंगमें तीन महीनेका सपरिश्रम कारावास काट रही है। (तालियाँ।) उन सभीने, जिनमें से कुछके साथ गोदके बच्चे भी थे, फैसला किया कि वे जेल-जीवनकी सभी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करेगी। वे अपने सम्मानकी खातिर कष्ट झेलनेके लिए तैयार है और सभामें उपस्थित लोगोको यह सुनकर सन्तोष और शायद आश्चर्य भी होगा कि चेतावनी दिये जाने और जेल-जीवनके कष्ट बढ़ा-चढ़ाकर बतलाये जानेके बावजूद वे महिलाएँ अपने निश्चयपर अटल रहीं। चन्द दिनोमें ही वे सम्राट्की सरकारकी जेलोमें पहुँच जायेंगी। (तालियाँ।)

श्री गाधीने भारतीय समाज द्वारा की गई प्रार्थनाओ और सत्याग्रह पुन शुरू करनेके कारणोपर प्रकाश डाला।

१ देखिए "लार्ड सभाकी बहस", पृष्ठ १७४-७५।

[उन्होने कहा] मेरा खयाल है कि हमारी माँगे बहुत ही सीधी-सादी है। महत्त्वकी दृष्टिसे सबसे पहली माँग यह है कि तीन पौंडी व्यक्ति-कर हटा दिया जाये। यह कर किसी वक्त गिरमिटिया रह चुकनेवाले सभी भारतीयो, उनकी पत्नियो और उनकी अवस्था-प्राप्त सन्तानको चुकाना पडता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष छ प्राणियोके परिवारपर यह कर १८ पौण्ड होता है। जैसा कि लॉड ऍम्टहिलने लार्ड सभामे कहा है, इस करको रद करनेका वचन ससदके पिछले सत्रमे दिया जा चुका था। यह वचन गोखलेको, जब वे दक्षिण आफ्रिका पधारे थे, तब दिया गया था। दूसरा प्रश्न है विवाह-सम्बन्धी कठिनाईका। इस सम्बन्धमे बडे ऊटपटाग वक्तव्य मेरे देखनेमे आये है। कहा गया हे कि हम दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनका पूरा आधार ही बदलनेको कोशिश कर रहे है और बहुपत्नीक विवाहको कानूनी जामा पहनाना चाहते है। हम जो चाहते है उसमे और इसमे जमीन-आसमानका अन्तर है। हम तो केवल यही माँग रहे है कि सल-निणयसे पहले जो स्थिति थी उसीको बहाल किया जाये, अर्थात हमारी अपनी धार्मिक विधियोके अनुसार सम्पन्न एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दी जाये। इसका अर्थ दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनके आधारमे कोई रद्दोबदल करना हरगिज नही है। हाँ, हमने यह माँग अवश्य की है कि यहाके अधिवासी भारतीयोकी मौजूदा एकाधिक पत्नियोंको आने दिया जाये, परन्तु हमने उनकी स्थितिको कानूनी मान्यता देनेकी माँग नही की है। पहले भी ऐसा किया जाता रहा हे, और हम उसे केवल जारी रखनेकी बात कह रहे है। इसका बहुत ही कम भारतीय महिलाओसे सम्बन्ध है। आपको यह जानकर आश्चय होगा कि दक्षिण आफ्रिकाके कानूनमे बागानके मालिकोके हितके खयालसे गिरमिटिया भारतीयोके मामलेमे बहु-पत्नीक प्रथाको, वास्तवमे, कानूनी मान्यता तक दी गई है। परन्तु हम स्वतन्त्र रूपसे बसे भारतीयोकी एकाधिक पत्नियोको वैसी कानूनी मान्यता देनेकी माँग नही कर रहे है। तीसरी चीज यह है कि दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोका, उनके जन्मस्थानके कारण केपमे प्रवेशका अधिकार बरकरार रहना चाहिए। चौथा प्रश्न फ्री स्टेट-सम्बन्धी समस्याका ह। इसका तो निबटारा लगभग हो ही चुका हे। हमारा तो कहना है कि नये अधिनियमका यह अथ कदापि नही है कि फ्री स्टेटमे प्रवेश पानेवाले भारतीयको एक प्रवासीके रूपमे भू-सम्पत्ति रखने, फार्म चलाने या व्यापार करनेपर फ्री स्टेट द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धोके सिलसिलेमे ज्ञापन देना ही पडेगा। यदि सरकार भी कानूनकी यही व्याख्या करती है, तो कोई झगडा नही रह जाता। यदि सरकार उसे स्वीकार कर ले, तो सारी समस्या ही हल हो जाये। (तालिया।)

[प्रस्ताव][1]

ब्रिटिश भारतीय सघके तत्वावधानमे की गई यह सभा श्री काछलिया द्वारा सरकारको लिखे गये पत्रमे उनके द्वारा अख्तियार किये गये रुखकी ताईद करती है

१ कैलेनबैक, एल० डब्ल्यू० रिच और जोजेफ रायप्पनके भाषणोके बाद, इस सभाने यह प्रस्ताव पास किया, जिसे शायद गाधीजोने तैयार किया था। वह प्रस्ताव कुछ शाब्दिक रद्दोबदलके साथ १-१०-१९१३ के **इडियन ओपिनियन**में भी प्रकाशित हुआ था।

और वेरीनिगिंगमे सम्राट्की जेलमे कैद नेटालसे आये हुए नेताओको बधाई देती है। यह सभा सत्याग्रह आन्दोलनको तुरन्त शुरू करने और श्री काछलियाके पत्रमे किये गये अनुरोधोके स्वीकार होनेकी घडी तक उसे जारी रखनेका भी सकल्प करती है। यह सभा सघ-सरकारसे सादर निवेदन करती है कि वह अनुरोध मजूर करके समाजके साथ न्याय करे। यह सभा साम्राज्यीय सरकार और भारत सरकारसे भी सहायताके लिए प्राथना करती है और इसे भरोसा है कि इग्लैड और भारतके प्रमुख विचारक राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाके इस प्रयासमे समाजका समथन करेगे।

[अग्रेजीसे]
रैंड डेली मेल, २९–९–१९१३

१४८. पत्र　मगनलाल गाधीको

[जोहानिसबर्ग]
सोमवार [सितम्बर २९, १९१३][1]

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे खिन्न होनेका कोई कारण नही है। तुम आधा खाकर ही उठ बैठे होते तो भी काम पूरा नही हो सकता था और गडबडी[2] भी बचाई नही जा सकती थी। मेरे दोष तुम्हारे सयमसे कैसे दूर हो सकते है! उन्हे दूर करना तो मेरे ही हाथ है।

मणिलाल, मेढ और प्रागजी आज फेरीवाले बनकर फेरी करनेके लिए निकले है। मै उनकी गिरफ्तारीकी खबरकी बाट जोह रहा हूँ।

यहासे स्त्रियाँ काफी सख्यामे मिलेगी। वे आजकलमे ही निकलेगी। सुना है कि फोक्सरस्टसे स्त्रियो तक को मैरित्सबर्ग ले जाया गया है। सत्याग्रह कोष इकट्ठा करनेकी जरूरत मालूम होती है। लोग स्वेच्छया चन्दा दे जाते है। नीचे दी गई रकमोकी प्राप्ति स्वीकार करना

श्रीमती नूर मुहम्मद बाबुल　१–१–०
जोगी फकीर बैजलपुरवाला　१–०–०

वहाँ तुम्हे कही भी सूखे हुए केले मिल जायेगे। उन्हे चूल्हेमे भी सुखा लिया जा सकता है। किन्तु बा तो मैरित्सबर्ग गई मालूम होती हे। इसलिए बात तो तभी बनेगी जब हमे वहा खुराक पहुँचानेकी अनुमति मिलेगी। खलबट्टेकी जरूरत नही। सरौतेसे छोटे-छोटे टुकडे करके चक्कीमे पिसवा लेना। छगनलालका पत्र यहा आया था, भेज रहा हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५८६८) की फोटो-नकलसे।

१ पत्रमें सूचित दानकी प्राप्ति **इंडियन ओपिनियन**के ८–१०–१९१३ के अकमें प्रकाशित हुई थी।
२ तात्पर्य "पत्र　मगनलाल गांधीको", पृष्ठ २०३-०४ में उल्लिखित स्थितिसे है।

१४९. भेंट : 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको

[जोहानिसबर्ग
सितम्बर २९, १९१३]

श्री गाधीने स्थितिके बारेमें पूरे विस्तारके साथ स्पष्ट चर्चा की। उनका खयाल है कि ट्रान्सवालकी समस्त जनता पूर्णतर अधिकारोके लिए भारतीयोकी माँगका समर्थन करती है। उन्होने कहा कि उनकी तो जिस किसीसे भी बात हुई उसने सहानुभूति ही दिखाई।

[सवाददाता] तब आपके खयालसे ससद देशकी भावनाओका सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती?

[गाधीजी] जी, हाँ, उसमे तो पेशेवर राजनीतिज्ञ लोग [भरे हुए] है।

श्री गाधीने कहा कि भारतीय आज भी अपने उद्देश्यके प्रति सदाकी तरह निष्ठावान और दृढ़ है। सम्भव है, सख्यामें बहुत न हो, लेकिन उनकी लगन वैसी ही उत्कट बनी हुई है। उन्होने कहा कि वतमान सकट उनकी आत्मशुद्धिके लिए ही आया है। यह पूछा जानेपर कि सत्याग्रहियोकी सख्या कम क्यो होगी, उन्होने कहा कि बहुतेरे ऐसे है जो ट्रान्सवालकी जेलोके कष्टोका अनुभव प्राप्त कर चुके है और वे दुबारा जेल नहीं जाना चाहते।

[स०] कुछ दूकानदार भी तो आपका साथ देनेके लिए आगे नहीं आ रहे है?

[गाधीजी] वे जेल भले ही न जाये, लेकिन रुपये-पैसेसे हमारी मदद करेगे।

[स०] क्या आपकी आर्थिक स्थिति आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी पिछले आन्दोलनके समय थी?

[गाधीजी] जी नही, आज हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नही है।

उन्होने आगे कहा कि इस बार ३,००० लोगोके जेल जानेकी बात नहीं है। अब एक दूसरा ही तरीका अपनाया जायेगा। थोडे-थोडे समयके लिए लोगोको एक बडी सख्यामें जेल भेजनेके बजाय इस बार सौ या कुछ इतने ही लोग मोर्चा लेंगे और चूंकि लगता है, सरकार अधिकसे-अधिक दण्ड देनेपर उतारू है इसलिए यदि उन सत्याग्रहियोको तीन या चार बार ही गिरफ्तार किया गया तो भी उनको एक लम्बे अर्से तक जेलमें रहना पडेगा। अन्य प्रान्तोमें रहनेवाले उनके सहकर्मी उनकी सहायता करेंगे। फ्री स्टेटमें वे केवल एक सैद्धान्तिक अधिकारके लिए सघर्ष कर रहे है।

इसपर भेंटकर्ताने कहा अँगुली पकडकर पहुँचा पकडनेके लिए।

वैसा तो नही है, लेकिन हाँ, कुछ अर्थोंमे शायद है भी।[1]

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, ३०-९-१९१३

१५० पत्र : 'ट्रान्सवाल लीडर'को[2]

[जोहानिसबग]
सितम्बर ३०, १९१३

सेवामे
सम्पादक
'ट्रान्सवाल लीडर'

महोदय,

मुझे यकीन है कि आप मुझे सत्याग्रह आन्दोलनके सम्बन्धमे अपने सवाददाता द्वारा की गई कई गलतबयानियोको ठीक करनेकी अनुमति देगे। इसमे शक नही कि सभी गलतबयानिया जानबूझकर नही की गई है, लेकिन उनके किये जानेके निमित्त तो नि सन्देह आपके सवाददाता ही हुए है। आपने समाचार छापा है कि "भारतीय सत्याग्रह आन्दोलन ठप्प होने जा रहा है।" यदि एक भी सत्याग्रही पर्याप्त लगनके साथ सत्याग्रह चलाता रहा तो यह कथन गलत साबित हुए बिना न रहेगा और मै भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जबतक सघष करनेके लिए एक भी सत्याग्रही बचा रहेगा, हम जिन मॉगोके लिए आज सघष कर रहे है वे ठुकराई नही जा सकती और यह उस एक सत्याग्रहीकी शक्तिकी बदोलत नही, बल्कि इसलिए कि वह जिस सत्यके लिए सघर्ष कर रहा हे उस सत्यकी शक्ति अजेय हे। आपने अग्रलेखमे यह तो स्वीकार किया है कि हमारी मॉगे न्यायपूण है, और हमसे केवल यह कहा हे कि हम सत्याग्रह पुन आरम्भ करनेके बजाय धैयपूवक प्राथनापत्र भेजते रहनेका तरीका अपनाये। ज्यादा अच्छा रास्ता कौन-सा है, यह तो अपनी-अपनी रायकी बात हे। मेरे विचारसे तो जिन मसलोपर विवाद हे वे समाजके लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है, और चूकि प्राथना-पत्रोको पेश करनेका रास्ता कारगर सिद्ध नही हुआ हे, इसलिए सत्याग्रहका माग ही शेष रह जाता है।

१ इसके बाद गाधीजीने बतलाया कि पहले तो इस प्रश्नके बारेमें ऑरंज फ्री स्टेटकी जनताको पूरी पूरी बात समझानी चाहिए। गाधीजीने सवाददाताके इस कथनका खण्डन किया कि कई भारतीय व्यापारी सत्याग्रहके विरुद्ध हैं, देखिए अगला शीर्षक।

२ यह पत्र **ट्रान्सवाल लीडर**में प्रकाशित उस समाचारके प्रतिवादस्वरूप लिखा गया था जिसमें गाधीजीके साथ की गई भेंटका विवरण (देखिए पिछला शीर्षक) देते हुए कहा गया था कि कई प्रभावशाली भारतीय दूकानदार सत्याग्रहके विरुद्ध हैं। एल० डब्ल्यू० रिच और एच० कैलेनबैक द्वारा लिखे गये इसी तरहके पत्र **इंडियन ओपिनियन**के १५-१०-१९१३ के अकमें इस पत्रके साथ प्रकाशित किये गये थे।

अब तथ्योपर आइए। आपके द्वारा प्रकाशित विवरणमे कहा गया है "ट्रान्सवाल-भरके भारतीय दूकानदारोने आन्दोलनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है और श्री गाधीको रुपये-पैसेकी मदद देनेसे भी हाथ खीच लिया है, धनके अभावमे आन्दोलन अवश्य ही असफल हो जायेगा।" परन्तु हकीकत यह है कि रविवारकी[1] विशाल सभामे जोहानिसबगके लगभग सभी भारतीय दूकानदार उपस्थित थे और ट्रान्सवालके सभी प्रमुख नगरोके भारतीय दूकानदारोकी ओरसे सभाके उद्देश्योके समर्थनमे हमारे पास तार आये थे, और जिन नगरोको अपने प्रतिनिधि भेजनेके लिए मुश्किलसे चौबीस घण्टेकी पूर्व सूचना मिली थी, उन नगरोके प्रतिनिधि भी उसमे शामिल होने आ गये थे। यदि समाजमे कोई मतभेद होगा भी तो इस बातपर कि सत्याग्रहियोकी माँगे बहुत कम है, न कि इसपर कि वे बहुत अधिक है, क्योकि मै स्वीकार करता हूँ कि हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद है जिनका आग्रह सत्याग्रहको बहुत ही जोर-शोरसे चलानेका है। वे दोषी नही ठहराये जा सकते, परन्तु नि सन्देह वे नमदलवाले वर्गके प्रतिनिधि नही माने जायेगे। मुझे नही मालूम, वे कौन-से प्रभावशाली मुसलमान व्यापारी है जिन्होने आपके सवाददातासे यह कहा कि शिकायतकी लगभग कोई गुजाइश नही है और स्वर्ण-कानून सम्मेलनमे जो लोग शरीक हुए थे वे सत्याग्रहके खिलाफ है आपके सवाददाता यदि चाहे तो खुशीसे आन्दोलनका हार्दिक समर्थन करनेवाले ट्रान्सवालके प्रमुख दूकानदारोकी नामावली देख सकते है। नामावली मेरे पास रखी हुई है। हाँ, यह सही है कि उन सभीने जेल जानेकी ख्वाहिश जाहिर नही की है परन्तु वे रुपये-पैसेकी मदद पहुँचानेके लिए अवश्य तैयार है। आपके द्वारा प्रकाशित विवरणमे की गई गलत-बयानियोका खण्डन और अधिक विस्तारसे करनेकी जरूरत नही है, क्योकि गुडका स्वाद तो खानेपर ही मिल सकता है। यह तो समय ही बतलायेगा कि आन्दोलन धनके अभाव या सत्याग्रहियोकी कमीके कारण ठप होता है या नही। परन्तु मै इतना अवश्य कहूँगा, जैसा मैने कल आपके सवाददाताको समझानेका प्रयास किया था, कि आन्दोलनकी सफलता लाजिमी तौरसे रुपये-पैसेकी सहायतापर निभर नही किया करती। वास्तवमे, सत्याग्रहके बारेमे मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि जबतक सत्याग्रहको किसी भी प्रकारकी आर्थिक सहायतापर आश्रित रहना पडता है तबतक वह अपने शुद्ध रूपमे नही आता। वह तो मूलत एक धार्मिक शक्ति है, पर मै यह दावा नही करता कि सत्याग्रह — जिसमे मै भी एक विनम्र सहकर्मी हूँ — विशुद्धतम अवस्था प्राप्त कर चुका है। उस अवस्था तक पहुँच जानेपर वह सार्वजनिक सभाओ, प्रस्तावो या इग्लैड और भारत तक से अपीले करने-जैसे सावजनिक प्रदशनोका मुहताज नही रहेगा। हमारा आदर्श तो यह है कि सत्य अपने आपको प्रतिष्ठित करनेके लिए ऐसे साधनोका मुखापेक्षी न बने। हम इस आदर्श तक पहुँचनकी कोशिश कर रहे है और हमारे हाथमे इतना ही है कि हम यह प्रयत्न करते-करते अपने प्राण चले जाने दे।

१ सितम्बर २८।

अन्तमे, मै यह कहना चाहूँगा कि आपका यह कथन, कि "सत्याग्रही तपस्याका मूल्य माँगते है, जबरदस्ती ओढे हुए कारावासका मुआवजा चाहते है, [उनकी] शहादतकी जडमे रुपया-पैसा है," एक बर्बर दोषारोपण है, साथ ही उन स्त्री-पुरुषोके प्रति अत्यन्त निष्ठुरतापूर्ण अन्याय-स्वरूप है, जिन्होने पिछले आन्दोलनके दौरान कष्ट भोगे है और जो आगे भी भोगनेको तैयार है। किसको कितना दिया गया है, इसका विवरण कुछ दिन पहले प्रकाशित किया गया था और जिस-किसीकी इच्छा हो वह स्वय आकर उसका निरीक्षण कर सकता है। सत्याग्रहियोको उनकी सेवाओके बदले कभी कोई रकम नही दी गई। जो लोग जेल गये थे उनपर आश्रित रहनेवाले लोगोको निर्वाह-खर्च दिया गया है और वह भी जीवनकी केवल उन आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए जिनके बिना काम नही चल सकता। आपके सवाददाताको चाहिए कि वह सूचना देनेवाले लोगोसे अपने-अपने कथनोकी पुष्टिके लिए तथ्य जुटानेको कहे। वैसे ईमानदारीके खयालसे आपके सवाददाताको चाहिए तो यह था कि वह इतने विश्वासके साथ और इतने जोरदार ढगसे ऐसा विवरण प्रकाशित करनेसे पहले तथ्योकी जाच कर लेता। और उसके लिए सबसे आसान यह होता कि वह कमसे-कम मेरे पास आकर पूछ ही जाता कि मै उनको सही मानता हूँ या गलत। उसने यह तो स्वीकार किया है कि उसके किन्ही भी प्रश्नोके उत्तर देनेमे मैने जरा भी लाग-लपेटसे काम नही लिया था।

आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
ट्रान्सवाल लीडर, १-१०-१९१३

१५१ पत्र . मगनलाल गाधीको

सितम्बर ३०, १९१३

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। श्रीमती ब्लेयरको अखबार भेज देना।

मै घरमे जो कमीज पहनता हूँ, उसमे घडी रह गई है। ढूढकर अच्छी तरह रख लेना।

कल मणिलाल, मेढ, और प्रागजीने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु गिरफ्तार न हो सके। वे आज फिर फेरी करने निकले है। स्त्रियाँ भी आजकलमे रवाना होगी।

तुम लिखना कि तुम्हे किस तरहकी परेशानी रहती है। शान्ति उत्पात तो नही करती ?

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

यदि तुम्हे बडीकी जेबमे या अन्यत्र रावजीभाईका पत्र मिले तो भेज देना। उसमे गोर्धनभाईके सम्बन्धमे कुछ लिखा है। भायातके कागजात मिल गये है। रुस्तमजी सेठका मुख्त्यारनामा प्रमाणित करनेके लिए भेजता हूँ। उसपर गवाहकी तरह अपना दस्तखत करके रख लेना। कुछ लेख भी भेजता हूँ। उमर सेठके नामका मुख्त्यारनामा उमर सेठको भेज देना और उसपर पाँच टिकट लगानेके लिए लिख देना। मेढ, प्रागजी और मणिलाल गिरफ्तार हो गये है।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५३) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी।

१५२. स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद[1]

गुलाब भरे-यौवनमे ही झर गया। समूचे राष्ट्रको शोक-मग्न छोडकर युवक हुसेन अपने जीवनके वसतकालमे ही चल बसे। उम्र उनकी केवल २२ साल थी पर दिमाग उनका ऐसा था जो किसी ४२ सालके प्रौढ व्यक्तिको भी शोभा दे। सचमुच ही देवतागण जिन्हे बहुत अधिक प्यार करते है उन्हे उठा लेते है। यदि श्री हुसेन दाऊद अपने जीवनके शिशिरकाल तक जीवित रहते तो मुझे विश्वास है कि वे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके इतिहासपर अपनी छाप छोड जाते। ऐसी बात नही कि इसी अवधिमें अपने जीवनकी पवित्रतासे उन्होने उसे प्रभावित नही किया। पर वे जो कुछ कर सके वह तो भविष्यमे वे जो कुछ करते, उसकी छाया-मात्र है। वह एक सत्योपासक युवक थे और केवल उसीके लिए जीते थे। उन्हे शब्दाडम्बर, पाखण्ड और प्रवचनासे बहुत चिढ थी, फिर चाहे ये दोष उनके गुरुजनोमे ही क्यो न हो। बचपनसे ही उनकी यह इच्छा थी कि वे जो बात कहे उसका पालन अवश्य करे। वे मूर्तिमान निमलता थे। कुसगति उनपर कोई असर नही डाल सकती थी। उनके साथी कितने ही पतित क्यो न हो, वे उन लोगोको प्रभावित कर पाते थे। एक बार श्री दाऊद मोहम्मद-ने उन्हे लिखा कि वे लन्दनमे युवकोको आकर्षित करनेवाले फदो और बुरी सगतसे सावधान रहे। इससे वे बहुत रुष्ट हुए और प्राय इन शब्दोमे पत्र लिखा — "पिताजी, आप अपने बेटेको नही जानते। जालोका हुसेनपर कोई प्रभाव नही पड सकता। बुरे साथी उन्हीको पथ-भ्रष्ट करते है जिन्हे अपनी स्थितिका ज्ञान नही है। आपके पुत्रको अपनी स्थितिका ज्ञान है। वह सत्यके लिए जीता है और उसीके लिए मरेगा।" ऐसे खरे चरित्रके साथ ही उनमे अपन देश, भारतके प्रति उत्कट उत्साह था, और अपने इस देशका अस्तित्व केवल उनकी कल्पनामे ही था। उन्होने कभी उसे देखा नही था, पर इतना ही काफी था कि वह उनके पूवजोका देश है। उन्होने

१ यह लेख "विशेष सस्मरण" के रूपमें गांधीजीने **इंडियन ओपिनियन**में लिखा था, देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय ३० भी।

उसके बारेमे पढा था और उसके प्रति उनके मनमे प्रेमकी भावना इतनी प्रबल थी जिसे दबाया नही जा सकता था। जब पिछली १६ तारीखको श्री रुस्तमजी एक सत्याग्रहीके रूपमे निकलनेके पूर्व उनके पास गये तो तरुण हुसेनने कहा — "श्री रुस्तमजी! यदि मै इस रोगशय्यासे उठ सका तो आप मुझे जेलमे पायेगे। सत्य तथा न्यायके लिए जेलमे मरना पडे तो वह मौत भी कितनी शानदार होगी।" प्राण-रक्षाके लिए मृत्युसे वे जूझ रहे थे, पर उनकी इस इच्छामे स्वार्थ लेशमात्र नही था। वे अपने देश तथा मानवताकी सेवाके लिए जीवित रहना चाहते थे।

यद्यपि उनके पिता श्री दाऊद बहुत बडे व्यापारी रहे है, किन्तु हुसेन जब बहुत छोटे थे तभीसे व्यापारसे घृणा करने लगे थे। वे धन-सम्पत्तिकी उपेक्षा करते थे। वे अध्ययन करना चाहते थे। श्री दाऊद मुहम्मदने उन्हे मेरे पास फीनिक्समे रख दिया था और सारा आश्रम इस लडकेके बहुमूल्य गुणोकी कदर करने लगा था। वे मेरे कुटुम्बके एक प्रिय सदस्य बन गये थे। किन्तु फीनिक्स उनके लिए पर्याप्त नही था। उन्हे वहाँका जीवन पसन्द था, किन्तु वे अपनी साहित्यिक और काव्यात्मक रुचियोके लिए व्यापक क्षेत्र चाहते थे। वे अपने देशके लिए लडना चाहते थे। उन्हे किसी आह्वानका अनुभव हुआ। उन्होने सोचा (जो मेरी समझसे गलत था) कि यदि उन्हे कुछ भलाई करनी है तो उनका लन्दन जाना और बैरिस्टर बनना जरूरी है। वे अपने पिताकी ऑखोके तारे थे। वे सबकी शुभ-कामनाओके साथ लन्दन गये। लन्दनमे भी उन्होने शीघ्र ही अपनेको, जहाँ भी गये, प्रिय बना लिया। वे पूरे मनोयोगसे अध्ययनमे लग गये। मै जानता हूँ कि वे अक्सर हैम्पस्टेड हीथ जाया करते थे और वहाँके स्निग्ध लॉनपर बैठकर अपने प्रिय कवियोको पढते हुए स्वप्नोमे खो जाते थे। वे स्वय भी कविताएँ लिखते थे, और कविताके पारखियोने मुझे बताया है कि उनकी रचनाएँ काफी अच्छी होती थी।

किन्तु विधिका यही निर्णय था कि हुसेनको जीना नही है। जिस भयकर रोगसे उनका शरीर अन्तत नष्ट हुआ उसने लन्दनमे ही उनके शरीरको खोखला करना शुरू कर दिया था। उन्होने त्रिविध चिकित्साएँ आजमाईं। वे विशेषज्ञोकी देखरेखमे रहे। कुछ समयके लिए उनका रोग सुधरा, पर वे रोगमुक्त नही हुए। वे डर्बन लौटे और यहाँ उन्हे अपना स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा लगा। डॉ० ऐडम्सने, जो हुसेनको बहुत प्यार करते थे, असाधारण लगनसे उनकी चिकित्सा की। उनकी दशा कुछ सुधरी, लेकिन बस, कुछ ही सुधरी। वे इग्लैड जाने और अध्ययन करनेको उत्कठित थे। वह भारत गये और उसे श्रद्धाकी आँखोसे देखा। मुझे लिखे अपने अनेक पत्रोमे से एकमे उन्होने कहा कि मै भारतकी प्रस्तर-कला नही, बल्कि उसके हृदयको देखना चाहता हूँ। उन्होने अपने पिता तथा अनेक प्रतिष्ठित लोगोके सग अरबकी पवित्र धर्म-भूमिकी यात्रा की। इस तीर्थ-यात्राका उनपर स्थायी असर पडा। अपने एक पत्रमे पैगम्बरकी उन शक्तियोकी चर्चा करते हुए वे आनन्द-विह्वल हो गये, जो साल-दर-साल लाखो व्यक्तियोको इस विशेष विधिसे सृष्टि-रचयिताके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करनेके लिए बुला सकती है। वहाँसे यह दल कुस्तुनतुनियाको रवाना हुआ। उस समय इटलीसे लडाई चल रही थी। तरुण हुसेन सचमुच ही अपने पिताके पथदर्शक और मित्र थे। इस यात्रामे

सारी मण्डली उन्हीपर निर्भर रही। तुर्कीके बडेसे-बडे व्यक्तियोसे वे लोग मिले। उस अजनबी मुल्कमे भी वे जिसके सम्पकमे आये उसके प्यारे बन गये। वहाँ उन्होने अपने पितासे विदा ली। उनका दूसरा तीर्थस्थान लन्दन था। अपना अध्ययन पूरा करनेके लिए उन्हे वहाँ अवश्य जाना था। पर दुष्ट रोगने उनका पिड नही छोडा था। वे फिर एकाएक गिर गये। श्री दाउद मोहम्मदको तार मिला कि हुसेन लौट रहे है। और इतनेसे ही सब स्पष्ट हो गया। पिताको मालूम हो गया कि पुत्र उनकी गोदमे मरनेके लिए आ रहा है। और वह अन्तिम क्षण तक चैतन्य रहकर अपने पिताकी गोदमे मरे—ऐसे पिताकी गोदमे जिसका प्रेम असाधारण था (मै कहनेवाला था कि अलौकिक था)। श्री दाउद मोहम्मदने हुसेनकी बडी सेवा-शुश्रूषा की। पाँच महीनेसे भी कुछ ज्यादा समय तक यह प्रेमालु पिता हुसेनकी शय्याके पाससे नही हटा। जब भी मै डबन जाता तो तरुण रोगीको देखनेके लिए श्री दाउदके घरकी तीर्थ-यात्रा करनेका सौभाग्य जरूर प्राप्त करता था। श्री दाउद अपने पुत्रकी सेवा-सुश्रूषा जिस लगनसे करते थे और पुत्र भी जिस प्रकार केवल उन्हीकी सुश्रूषापर पूरा भरोसा करता था, उसे देख कर आत्मा तृप्त हो जाती थी। डॉ० मैकेजी तथा उनके सहायक डॉ० ऐडम्स हुसेनकी चिकित्सा कर रहे थे। किन्तु तुर्कीसे लौटनेके बाद हुसेनने जो खाट पकडी तो फिर कभी नही छोडी।

शव-यात्राका जुलूस बहुत विशाल था। हजारो लोग अर्थीके पीछे-पीछे चल रहे थे। मुसलमानोके सिवा भारतके सभी प्रान्तोके हिन्दू, इस श्रेष्ठ युवककी स्मृतिमे अपना सम्मान समर्पित करनेके लिए होड लगा रहे थे। उपनिवेशमे जन्मे भारतीय बहुत बडी सख्यामे उस व्यक्तिकी स्मृतिके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आये थे, जो उन्हीकी भाँति दक्षिण आफ्रिकामे पैदा हुआ था। मगलवारको जब अन्तिम-सस्कार हुआ प्राय सारे दिन स्पेशल ट्रामगाडियोमे भर-भर कर लोग आते रहे। कारपोरेशनकी सहमतिसे दो घटेके लिए डर्बनकी सारी भारतीय दूकाने और भारतीय बाजार बन्द रखे गये। इस अत्यन्त होनहार युवककी स्मृतिको जो स्वत स्फूर्त सम्मान मिला वह अन्य किसी भारतीयको कभी नही मिला था। उनकी मृत्युपर कुछ समयके लिए हम सभी यह भूल गये कि हम हिन्दू, मुसलमान, पारसी या ईसाई है। वे मर कर भी हमे यह अनुभव करा रहे है कि अन्ततोगत्वा हम सब भारतके बेटे है—हम सब भाई-भाई है, और एक ही माकी सन्तान है। मुझे श्री हुसेनके चरित्रपर इतना लिखनेमे सुख मिला है। मै उन्हे जितनी अच्छी तरह जानता था उतना अन्य कोई नही जानता था। मुझे बहुत कम ऐसे युवकोसे—युवक ही क्यो, बूढोसे भी—मिलनेका सौभाग्य मिला है जिनका चरित्र हुसेनके जैसा निष्कलक हो। मेरे लिए हुसेन मरे नही है। वे अपने चरित्रके कारण जीवित है। मेरी कामना है कि सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय युवक मेरी इस नम्र श्रद्धाजलिको उसी भावनासे ग्रहण करे जिस भावनासे वह अर्पित की गई है, और हम सब लोग श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मदने जो उदाहरण हमारे सामने रखा है उसका अनुकरण करे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १–१०–१९१३

१५३ विवाह-समस्या

इस बारकी लडाई समाजकी दृष्टिसे इतने महत्वपूण मामलोसे सम्बन्ध रखती है कि उनमे से हरएकपर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने तीन पौडी करके सवालपर विचार किया था। इस सप्ताह हम विवाहके सवालपर विचार करेगे। चूंकि इसके कारण हमारी स्त्रियाँ भी लडाईमे शामिल हो गई है, इसलिए यह सवाल भूतपूर्व गिरमिटिया पुरुषो, स्त्रियो और बच्चोसे जबदस्ती वसूल किये जानेवाले वार्षिक करसे भी अधिक महत्वपूण है।

वैवाहिक कठिनाई सर्ल-निर्णयसे शुरू होती है। इसलिए यह जरूरी हे कि इस ऐतिहासिक फैसलेसे पूर्व क्या स्थिति थी, इसे समझ लिया जाये। जस्टिस सलको कुछ पता न था कि उनके फैसलेका इस उपमहाद्वीपमे रहनेवाले भारतीयोपर क्या असर होगा। इस फैसलेके पहले भारतीय पत्नियाँ अपने पतियोकी विधिवत विवाहित पत्नियाँ मानी जाती थी। विभिन्न प्रान्तोके सर्वोच्च न्यायालयोके मास्टर, बिना वसीयतवाली जायदादोके मामलोमे ऐसी पत्नियो तथा उनकी सन्तानके दावोको मान्यता देते थे। कभी किसी भारतीयको यह सन्देह करनेका कारण नही मिला था कि दक्षिण आफ्रिका-की अदालतो द्वारा विवाहोकी वैधतापर इस कारण आपत्तिकी जायेगी कि वे ईसाई प्रणालीसे सम्पन्न नही हुए है या उन विवाहोका पजीयन दक्षिण आफ्रिकामे नही हुआ है। पर सघ सरकारने एशियाइयोका पहलेसे भी अधिक दमन करनेकी अपनी नीतिके अनुसार, और समाजके पुरुषोपर ही अपने आक्रमणसे सन्तुष्ट न होकर, हमारी स्त्रियोके प्रति भी शत्रुवत् रवैया बरतनेका निश्चय किया। किसी अत्युत्साही कानून-अधिकारीने पता चलाया कि दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार उनके विवाहोको अवैध करार देकर अधिवासी भारतीयोकी पत्नियोका प्रवेश रोका जा सकता है। इस-लिए अधिकारियोने केपमे ऐसी एक महिलाके प्रवेशाधिकारको चुनौती दी। और सरकार द्वारा पहली बार उठाये गये इस मामलेपर जस्टिस सलसे फैसला देनेको कहा गया। जस्टिस सलने निणय दिया कि जिन धर्मोमे बहुपत्नी विवाह जायज है, उन सभी धर्मोकी रीतिसे किये गये विवाह अवैध है और चूंकि एक स्थायी अधिवासी भारतीयकी पत्नी होनेका दावा करनेवाली वह स्त्री मुसलमान है, इसलिए सघकी अदालते उसके विवाह-को मान्यता नही दे सकती। सर्वोच्च न्यायालयके नेटाल प्रान्तीय डिवीजनके मास्टरने इस निर्णयका अनुसरण किया। मास्टरने एक मृत भारतीयकी एकमात्र पत्नीका उत्तरा-धिकार-शुल्कसे छूटका दावा इस आधारपर रद कर दिया कि उसका विवाह सघके कानूनोके अनुसार नही हुआ था। इस बातमे जस्टिस गार्डिनरने तो हद ही कर दी। खूनके जुर्ममे गिरफ्तार एक भारतीयके मुकदमेमे जब उसकी पत्नीने अपने पतिके खिलाफ गवाही देनेकी जिम्मेदारीसे छूट पानेके लिए अर्जी दी तो जस्टिस गार्डिनरने उसके विवाहको मान्य करनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार गैर-ईसाई भारतीयोको सहसा यह जानकारी हुई कि दक्षिण आफ्रिकामे उनकी पत्नियोका दर्जा महज रखेलोका है और

उनके बच्चे अवैध माने जाते हैं। पाठकको याद रखना चाहिए कि अपनी इस भयानक स्थितिकी जानकारीसे हमारी स्वाभिमानी जातीय भावनाओको ठेस पहुँची है, और इससे प्रत्येक भारतीय पत्नी और प्रत्येक भारतीय बच्चेके प्रवेशका मार्ग भी बडी सफाईके साथ रुक गया है। सरकारने जानबूझकर सल-निणयकी स्थिति उत्पन्न की थी, किन्तु वह उस निर्णयको कायरूप देनेका पर्याप्त साहस नही कर पाई, नही तो एक भी भारतीय पत्नी या उसके बच्चे इस देशमे प्रवेश न कर पाते। वह एक ऐसा अन्याय होता जिसे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोकी मानवीयता भी सहन न कर पाती। इसलिए इस प्रकार हमे अपनी दयापर आश्रित करनेके बाद सरकारने कृपापूर्वक घोषित किया कि किसी अधिवासी एशियाईकी पत्नीके प्रवेश विषयक प्रशासनकी अबतक की नीतिमे उस फैसले-का कोई प्रभाव नही पडेगा, बशर्ते कि उस आदमीकी दक्षिण आफ्रिकामे वही एक पत्नी हो। याद रखना चाहिए कि सरकारकी यह कथित क्षमाशीलता, ऊपर बताये गये सर्ल-फैसलेके अन्य परिणामोसे, उन पत्नियो और बच्चोकी रक्षा नही कर सकती थी जिन्हे एहसान करके प्रवेश करने दिया गया था। अपनी पत्नियोके प्रवेशके बावजूद भारतीय इस बातसे सन्तुष्ट नही हो सकते थे कि उन पत्नियोका कानूनी दर्जा छीन कर उन्हे पूर्णतया अनिश्चित कानूनी स्थितिमे डाल दिया जाये। वे फैसलेमे निहित अपने स्त्री-समाजपर लगे कलकको बर्दाश्त करनेके लिए तैयार न थे। इसलिए सर-कारने सघ ससदमे विचाराधीन प्रवासी विधेयकमे बडे बेमनसे, और निहायत कजूसीके साथ, किस्तोमे, पहले श्री अलेक्जैंडरका, और फिर सिनेटर श्राइनरका सशोधन स्वीकार किया। किन्तु ये सशोधन चूकि जल्दबाजीमे तैयार किये गये थे इसलिए उनसे यदि राहत मिली भी तो आशिक ही। उन्होने दक्षिण आफ्रिकाके बाहर, किसी भी धार्मिक रीतिसे सम्पन्न, एकपत्नी-विवाहको वैध बना दिया। किन्तु इन सशोधनोने भी दक्षिण आफ्रिकामे विवाहित या भविष्यमे विवाहित होनेवाली स्त्रियोका दर्जा अनिश्चित ही छोड दिया। अब भारतीयोका कथन इतना ही है कि दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न भारतीय विवाहोको भी वही मान्यता दी जाये जो भारतमे सम्पन्न हुए विवाहोको दी गई है। और यह, जैसा कि सरकारको भी बताया जा चुका है, प्रवासी अधिनियममे जरा-सा परिवर्तन करके या सघके विवाह-काननोमे सशोधन करके किया जा सकता है।

हमने सशोधनोसे मिली राहतके बारेमे "यदि मिली भी तो" शब्द इस्तेमाल किये है। सरकारने कुलसुम बीबीके मामलेमे, जो इस समय सर्वोच्च न्यायालयके सामने पेश है, जैसा रुख अपनाया है, उसे देखते हुए यह विशेषण आवश्यक हो गया है। डबनके प्रवासी अधिकारीने, निश्चय ही सरकारके आदेशपर, यह सवाल उठाया है कि जो धर्म बहुपत्नी विवाहकी अनुमति देता है, क्या उसके अन्तगत हुए विवाहको एकपत्नी विवाह कहा जा सकता है, फिर भले ही इस प्रकार विवाहित वह पत्नी अपने पतिकी एकमात्र पत्नी हो। सरकारको यह सवाल नही उठाना चाहिए था किन्तु स्पष्टत वह यह दिखाना चाहती है कि जो सशोधन किये भी गये वे शुद्ध मनसे नही किये गये। प्रकटत वे भारतीय विवाहोके बारेमे कानून बनानेकी भारतीयोकी माँगकी पूर्तिके लिए किये गये थे। श्री अलेक्जैंडरके सशोधनसे उसकी पूर्ति नही हुई थी, इसलिए श्री श्राइनर-

का सशोधन स्वीकार किया गया। सरकारको मालूम था कि भारतके सबसे बडे दो धम, अर्थात् हिन्दू धर्म और इस्लाम, बहुपत्नी विवाहका निषेध नही करते, इसलिए यदि उसने सशोधनोको यह मान कर स्वीकार किया था कि 'एकपत्नी विवाह' वाला विशेषण लगानेपर कानूनमे इन दो महान् धर्मोंकी विधिसे ब्याही औरते फिर भी शामिल नही होगी, तो उसने निश्चय ही ससद और भारतीय समाजको धोखा दिया। हम सोचते है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकारकी व्याख्या माननेसे इनकार कर देगा, किन्तु यदि इसका निणय इससे विपरीत हुआ तो सारे भारतीय विवाहोको कानून-सम्मत बनानेके लिए प्रवासी अधिनियमको बदलना आवश्यक हो जायेगा। इस अन्तिम घडीमे भी यह सरकारके हाथमे है कि वह मुकदमेको वापस ले ले और अदालत द्वारा निणयका आग्रह न करे।

अब रहा एकाधिक पत्नियोके प्रवेशका सवाल, यह प्रवेशके बाद उनके कानूनी दर्जेके सवालसे अलग है। परम्परा सदामे यही रही है कि अधिवासी भारतीयोकी ऐसी पत्नियोको प्रवेश करने दिया जाये। ट्रान्सवालमे तो ऐसे सम्बन्धोका रजिस्ट्रीके प्रमाणपत्रोपर भी उल्लेख किया जाता है। इस परम्परामे व्याघातका पहला धक्का १९११ मे, जस्टिस वेसेलसके एक निणयसे लगा था। उसे भी सरकारने ही निमन्त्रित किया था। उस फैसलेके फलस्वरूप ब्रिटिश भारतीय सघने सरकारसे पत्र-व्यवहार[1] किया और सरकारने आश्वासन दिया कि जिन मामलोमे लोगोको कठिनाई उठानी पडी है उनपर वह विचार करेगी। इस पत्र-व्यवहारसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सवाल हल हो गया, क्योकि एकाधिक पत्नियोके बारेमे भारतीयोकी माँग यह नही है कि उन्हे कानूनी तौरपर मान्यता मिले बल्कि यह है कि अधिवासी भारतीयोकी वर्तमान एकाधिक पत्नियोको सघमे प्रवेश करनेका अधिकार मिले। किन्तु सरकारका रवया अब अपने पत्रमे दिये गये आश्वासनसे पीछे हटनेका लगता है। हम इस पत्र-व्यवहारको अपने अगले अकमे प्रकाशित करेगे जिससे पाठक स्वय निणय कर सके कि पत्र-व्यवहारसे क्या उसके सिवा कोई अर्थ निकलता है जो भारतीय समाजने लगाया है।

सक्षेपमे, समाजकी, बहुत मामूली, तीन मागे है

(१) दक्षिण आफ्रिकामे अबतक सम्पन्न, ओर आगे सम्पन्न होनेवाले एकपत्नी विवाहोको कानूनसम्मत बनाया जाये, (२) "एकपत्नी" शब्दके अन्तगत उन धर्मोकी विधियोसे सम्पन्न विवाहोको भी शामिल किया जाये जिनमे बहुपत्नी विवाहका निषेध नही है, बशर्ते कि जिस स्त्रीके वैवाहिक सम्बन्धको मान्यता दी जानेवाली हो, वह अपने पतिकी अकेली पत्नी हे, (३) अधिवासी भारतीयोकी वतमान एकाधिक पत्नियो-को बिना पत्नियोका कानूनी दर्जा दिये, प्रवेश करने दिया जाये, और उन्हे निवास-सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त हो।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१ देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ११५ और ११७।

१५४. विवाहका प्रश्न

गत सप्ताह जिस प्रकार हम तीन पौडी खूनी कानूनकी चर्चा कर चुके है, उसी प्रकार अब विवाहके सम्बन्धमे भी सोच-विचार करना जरूरी है। इस सघषमे कोई एक ही मुद्दा मुख्य हो, ऐसी बात नही है किन्तु अनेक मुद्दे है ओर जो [प्रत्यक्ष रूपसे] परस्पर सम्बन्ध रखते नही जान पडते। जिन-जिन प्रश्नोको लेकर हम लड रहे है उन्हे समझ लेना भारतीय समाजके लिए जरूरी है। विवाहके प्रश्नको तीन भागोमे बाँटा जा सकता है।

प्रथम तो यही सवाल है कि हिन्दू-मुसलमान या पारसी धर्मानुसार जो विवाह हो चुके है, वे कानूनके अनुसार ठीक नही है। न्यायमूर्ति सर्लके निणयसे पूव भारतीय विवाहोके बारेमे यहाँ कनई कोई समस्या नही थी। सारे विवाह अदालतोसे मजूरशुदा माने जाते थे। परन्तु न्यायमूर्ति सलके निणयके बाद सब-कुछ बदल गया हे। यह निणय सरकारने जानबूझकर लिया। जो सख्तियाँ सघ-राज्यसे पूव नही थी वे उसके निर्माणके पश्चात् होने लगी। सरकारकी नीयत ही यह रही है कि जैसे भी बने भारतीयोके चरण दक्षिण आफ्रिकासे हटाये जाये। अबतक सरकारने औरतोकी ओर पजा नही बढाया था परन्तु अब उसकी प्रपची दृष्टि उनपर भी पडने लगी हे। औरतोका आगमन बन्द किया जाये तो उनके बच्चोका भी आना बन्द हो जायेगा, ऐसा खूनी विचार सरकारने किया जान पडता है। इसीलिए सरकारी अधिकारियोने कानूनकी छानबीन की और इसमे उन्हे मालूम हुआ कि भारतीय विवाह दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार जायज नही है ऐसा साबित किया जा सकता है और यदि ऐसा हो सके तो सरकारकी मुराद एक बडी हद तक पूरी हो। इसके आधारपर सरकारने एक स्त्रीके हकोपर हमला किया और न्यायमूर्ति सलकी अदालतमे मामला आया। उन्होने निणय दिया कि जिस धममे एकसे अधिक स्त्रियोसे विवाह करनेकी छूट है उस धमके अनुसार यद्यपि एक ही स्त्रीसे विवाह हुआ हो तो भी उस विवाहको दक्षिण आफ्रिकाका [विवाह-] कानून स्वीकृति नही दे सकता। इस निणयके बाद ही नेटालकी अदालतके मास्टरने फैसला दिया कि जो विवाह ईसाई-धमके रिवाजके मुताबिक न हुआ हो ऐसे विवाहमे पतिकी मृत्युके बाद वह विधवा, उसके बाल-बच्चे उत्तराधिकारके करसे मुक्त नही हो सकेगे। साथ ही न्यायमूर्ति गार्डिनरने लेडी स्मिथमे यह निणय दिया कि इस प्रकारसे विवाहित स्त्रीको अपने पतिके विरोधमे गवाही न देनेका हक प्राप्त नही होता। इन तीनो निणयोका परिणाम तो यह हुआ कि भारतीय स्त्री और उसके बच्चे इस मुल्कमे न आ सके। और यहाँ जो स्त्रिया रहती है वे मात्र रखेल स्त्रिया गिनी जाये तथा उनके बाल-बच्चे अपने माँ-बापके वारिस न माने जाये। सरकार कानूनन ऐसी स्थितिका भी निर्माण करके ऊपरसे अब यह जताना चाहती है कि वह ऐसी मेहरबान है कि नये कानूनके रहते हुए भी पहले ही की तरह, प्रति व्यक्तिकी एक-एक स्त्रीको आने दिया जायेगा। पर मतलब तो इसका यही हुआ कि स्त्रियोको निवासका आदेश तो

हो किन्तु उनकी गिनती रखेल स्त्रियोमे ही रहे। इससे उन्हे अदालतोसे कोई अधिकार नही मिलेगे और उनके वारिसोको तो कतई नही। भला भारतीय इसे कैसे स्वीकार कर सकते है। (भारतीय इसे कभी स्वीकार नही करेगे)। सरकारके साथ [इस सम्बन्धमे] सख्त लिखा-पढी हुई। उसने प्रथम श्री अलेक्जैंडर और फिर श्री ग्राइनर द्वारा सुझाये गये फेरफार नये कानूनमे किये। परन्तु ये परिवतन उसने न तो प्रसन्न मनसे ही किये और न विचारपूवक ही, ये व्यावहारिक भी नही थे। अत इनमे खामियाँ रह गई और अन्तमे परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानमे किये गये विवाह वैध माने गये। परन्तु इस मुल्कमे हुए विवाह और आगे होनेवाले भी — जो हमारे धर्मानुसार हो — कानूनन जायज न रहे। अत हम सरकारसे यह माँग करते है कि उसने भारतमे हुई शादियोके सम्बन्धमे जो निणय लिया है वही निणय दक्षिण आफ्रिकामे हुई तथा भविष्यमे यहा होनेवाली शादियोकी निस्बत ले। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा किस प्रकार किया जाये।

दूसरा सवाल यह है कि कानूनमे जो परिवर्तन किया गया है उसके आधार-पर एक स्त्रीसे किया गया विवाह कानूनी माना जाये। कुलसुम बीबीके मामलेमे सर-कारने जानबूझकर यह सवाल खडा किया है कि जिसकी शादी ऐसे धमके अनुसार हुई हो जो एकाधिक स्त्रियोसे विवाहकी मान्यता देता है, ऐसी शादियोको नये कानून-की स्वीकृति नही है। यदि यह मतलब सही है तो जो हानि न्यायमूर्ति सलके निर्णयसे हुई है वह दूर नही होती और सरकारने [हमारे साथ] धोखा ही किया है, यह माना जायेगा। सरकारको यह मालूम था कि हमने जो माग की थी वह हिन्दू और मुसलमान धर्मोंके अनुसार की गई शादियोके विषयमे थी। और अब यदि उन्ही शादियो-को नामजूर करनेका विचार सरकारने कर लिया है तो न केवल उसने हमे बल्कि ससदको, शाही-सरकारको और भारत-सरकारको भी धोखा दिया है। कुलसुम बीबीका सवाल हमने नही, स्वय सरकारने उठाया है। इस सम्बन्धमे सरकार निणय मागती है। सम्भवत ऐसा नही होगा और जो ऐसा हो तो सरकारको नीचा देखना पडेगा और कानूनमे पुन ऐसा परिवतन करना होगा जिससे हमारे धर्मोंके अनुसार की गई शादियोका समावेश उसके अन्तगत हो।

तीसरा प्रश्न है एकसे अधिक [विवाहित] स्त्रियोका। यह प्रश्न १९११ मे उठा था। किसी भारतीयके एकसे अधिक पत्नियाँ हो तो उन्हे आने दिया जाता था। किन्तु सरकारने यह प्रश्न उठाया और न्यायमूर्ति वेसेलसने निर्णय दिया कि यहाके [दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-] कानूनके मुताबिक एक ही पत्नी आ सकती है। इस सम्बन्धमे श्री काछलियाने सरकारको पत्र लिखा। सरकारसे उत्तर मिला कि इस प्रकारके मामलोपर सरकार ध्यान देगी। इससे हमने सन्तोष मान लिया। हमारी माँग बहु-पत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता देनेकी नही थी किन्तु अधिक स्त्रियोको इस मुल्कमे आनेकी अनुमति देनेकी बाबत थी। सरकार अब कह रही है कि उसके १९११ के पत्रका जैसा अर्थ हम लगा रहे है वैसा नही लगाया जा सकता, और हम तो यह मानते है कि उसका दूसरा अर्थ हो ही नही सकता।

इस प्रकार सरकारसे हमारी तीन माँगे है। प्रथम तो यह कि इस मुल्कमे जो विवाह हमारे अपने धर्मके अनुसार हुए है तथा आगे भविष्यमे होनेवाले है, वे कानूनसे जायज माने जाये। दूसरी यह कि "एकपत्नी विवाह" मे हमारे धर्मानुसार हुए विवाहका समावेश होना चाहिए। तीसरी यह कि जिस भारतीयने एकसे अधिक स्त्रियोके साथ विवाह किया हो, उन स्त्रियोको भी इस मुल्कमे प्रवेशकी अनुमति होनी चाहिए।

सरकार यदि इतनी मागे पूरी न करे तो हम एक पलके लिए भी निश्चिन्त होकर न बैठे। यह वार स्त्रियोपर भी है और इसलिए उन्हे भी सघषमे उतरना पडा है। इससे अपने धर्मका भी अपमान होता है और अपने समाजकी बदनामी होती है। इस दृष्टिसे शादीका यह प्रश्न खूनी कर [तीन पौडी कर] से भी बढ चढकर है। वह कौम जो अपनी स्त्रियोका सम्मान न रख सके और अपनी सन्तानकी सम्हाल न कर सके—वह कौम कहलानेका दावा नही कर सकती। वह कौम नही पशु है। पशु भी अपने बच्चेका बचाव करनेके लिए सीग मारता है। तब जो मर्द है वे क्या बैठे रहेगे और पहनने-ओढने तथा ऐश-आराममे मशगूल रहेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १–१०–१९१३

१५५ हथियारोके बिना असहाय

भारतीयोको हथियार रखनेके परवाने नही दिये जाते, इस विषयपर इस अखबारमे सवाददाताओने बडी चर्चा की है। हमारी उनसे सहानुभूति है। किन्तु हमारी धारणा यह है कि मनुष्यको हथियारकी जरूरत नही है। परन्तु यह बात तो जिसने धनका सग्रह करना छोड दिया हो उसके सम्बन्धमे लागू हो सकती है। इसमे कोई सन्देह नही कि जो व्यापार करते है और दूसरोके आक्रमणसे बचना चाहते है उनका काम हथियारके बिना नही चल सकता। स्पष्ट है कि सवाददाताओके पत्रो आदिसे काम नही चलेगा। नेतागण इस दिशामे परिश्रम करे तभी कुछ हो सकता है। पर इस बीच हम अपने आलोचकोसे कहना चाहते है कि वे (इस सम्बन्धमे) सरकारको लिखे गये पत्र और उनके उत्तर हमे भेजते रहे। कहाँ-कहाँ लूट-पाट हुई, उसका पक्का सबूत, आसपासकी बस्ती कैसी है—आदि सारी हकीकत साफ अक्षरोमे हमे लिख भेजी जाये तो हम कदम उठानेको तैयार है। हमे यह अवसर भी इसके उपयुक्त लगता है। उपयुक्त समयपर सत्याग्रहकी इस लडाईमे अनेक बातोका समावेश किया जा सकता है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १–१०–१९१३

१५६. हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद[1]

भाई हुसेनकी अकाल मृत्युसे यहाँकी भारतीय जनता विधवा बन गई है, यह बात मै विचारपूर्वक ही लिख रहा हूँ। वैसे सामान्यत यह सवाल उठ ही सकता हे कि एक बाईस वर्षका जवान, जिसे अनेक भारतीय न देख ही पाये है और न पहचानते ही है, जिसने लोगोको कभी बडे-बडे भाषण या उपदेश नही दिये, उसके इस प्रकार चले जानेसे 'जनता विधवा हो गई' ऐसा कहना क्या अतिशयोक्तिपूर्ण नही हे। किन्तु मेरा जवाब यही है कि भाई हुसेन जैसा सदाचरण मैने बहुत थोडे नवयुवको या बडी उम्रके लोगोमे देखा है। उसकी तुलनामे ठीक उतर सकनेवाला कोई प्रौढ व्यक्ति मुझे तो दक्षिण आफ्रिका-भरमे दिखाई नही देता। मै अनेक नवयुवकोको जानता हूँ किंतु उनमे भी भाई हुसेन जैसा कोई होगा इसके बारेमे मुझे सन्देह ही है। कोई उससे बढकर हो तो उसे मै निश्चय ही नही जानता। भाई हुसेनने सत्यको अपनी जिन्दगीका आधार बना रखा था। उसका जीवन ही सत्यके लिए था। झूठ, दगा, कपट और दम्भसे भाई हुसेनको अत्यन्त घृणा थी। जिस स्थानपर छल-कपटका व्यवहार होता है उसके लिए वहाँ बैठना भी दूभर था। किसी जगह लोग झूठ बोल रहे है — यह उसे दीख-भर जाय, तो फिर वहाँ उसका मन बिल्कुल नही लगता था — उसे पख हो तो वह वहाँसे उड जाये — ऐसा उसका स्वभाव था। हमारे साधारण वर्गोमे जो मिथ्याचार चलता हे उसके प्रति इस युवकको इतनी ग्लानि थी कि उसने अनेक बार डबनसे हट जाना चाहा था। किसी मनुष्यके भला होनेकी बात वह सुन पाता ओर विश्वास कर पाता तो उसपर वह मुग्ध हो उठता। वह ऐसा ही सरल था। उसका हृदय एक गरीब भोली गायके जैसा था। मैने तो उसके व्यक्तित्वपर पापका एक छीटा भी नही पाया। उसकी-सी निर्दोष बुद्धि और शुद्ध हृदय तो अन्यत्र अलभ्य ही हे। ऐसा एक खिलता हुआ गुलाब मुरझा गया है किन्तु उसकी महक आज भी शेष है। वह खुशबू आज भी हमारे मनमे समाई हुई है। भाई हुसेनके सम्पर्कमे जो भी व्यक्ति आये है उन सबके पास वह अपनी खुशबू छोड गया है। कुसगति तो हुसेनको छू तक न पाई। एक बार श्री दाउद मुहम्मदने हुसेनको लिखा, "बेटा! विलायतके प्रलोभनोसे बचते रहना ओर बुरी सोहबतके पास न फटकना।" इसका जो जवाब श्री हुसेनने दिया था वह मुझे याद है। "अब्बाजान! आप अपने पुत्रको नही पहचानते। कुसग हुसेनका कुछ नही विगाड सकता और न आपका यह पुत्र विलायतके किसी प्रलोभनमे फँस ही सकता है।" यह उसके जवाबका भावार्थ था। इतनी दृढताके साथ लिखना हुसेनका ही काम था। वह स्वय तो पारस-मणि था, कुधातुको छूदे तो कुधातु सोना हो जाये। यह सब लिखते हुए मै कोई अतिशयोक्ति कर गया हूँ, पाठक ऐसा न मान बैठे, यह मेरी प्रार्थना है। और ऐसे सद्‌गुणोके साथ ही भाई हुसेनके हृदयमे स्वदेशके प्रति प्रेमाग्नि सदैव

१ देखिए शीर्षक १५२।

प्रज्वलित रहा करती थी। हिन्दुस्तानके उसने दर्शन तो नही किये थे, किन्तु उसका चित्र उसने अपने सपनोमे खीच रखा था। यह नवयुवक भारत और भारतीयोके लिए मरनेको सदैव तैयार रहता। उसके हृदयमे यह लगन समाई हुई थी कि भारतीय किस प्रकार आगे बढे और उनका तेज प्रकट हो। मै मानता हूँ कि वह एक कट्टर मुसलमान था परन्तु दूसरे धर्मोके प्रति उसके मनमे तनिक भी तिरस्कार-भावना नही थी। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी, सारे भारतीय उसकी निगाहमे एक-जैसे थे। उसके लिए तो इतना काफी था कि वे अच्छे मनुष्य है। भारतीय होनेके नाते वे सब उसके लिए भाईके समान थे। ऐसे गुणोके आगारके गुजर जानेपर इस कथनको कि हम वैधव्यको प्राप्त हो गये है, कौन अतिशयोक्तिपूर्ण मानेगा?

भाई हुसेनने दाउद मुहम्मद जैसे महान व्यापारीके यहाँ जन्म लिया था किन्तु उसे व्यापारके प्रति बचपनसे ही अरुचि थी। उसका इरादा शिक्षा प्राप्त करनेका हुआ। पिताने उसे मेरे पास फीनिक्स भेज दिया। वह शीघ्र ही सारे फीनिक्स-वासियोका दुलारा बन गया। उसके सरल स्वभावकी सुगन्ध शीघ्र ही फैल गई। मेरे कुटुम्बमे तो वह ऐसा हिलमिल गया था कि मुझे मानो पाचवॉ पुत्र ही मिल गया हो। कुछ-एक मास फीनिक्समे रहनेपर उसने मुझे लिखा, "मुझे फीनिक्स पसन्द है। मै अपना जीवन यही बिताना चाहता हूँ, किन्तु अभी तो मेरी इच्छा विलायत जानेकी है। जैसा कि मै कह ही चुका हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि मै वहा बिगडूगा नही। अत अब आप मुझे इजाजत दे और अब्बाजानसे भी इजाजत दिलवा दे।" फीनिक्स उसे पर्याप्त नही जान पडता था। उसे तो खूब अध्ययन करना था। उसे अपनी काव्य-शक्तिकी आजमाइश करनी थी। 'है बहारे बागे दुनिया' गजल लिखकर उसने मुझे भेजी थी। फीनिक्समे तो उसने यह गीत सबको सिखा दिया था। इस गीतकी अन्तिम पक्तिमे "याद कर तू ऐ नजीर" के स्थानपर उसने 'याद कर तू ए हुसेन" लिखकर भेजा था। मैने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह गजल मेरी लिखी हुई नही है किन्तु इसमे व्यक्त विचार अवश्य मेरे भी है। उसे तो नजीर बनना था। वह विलायत गया। उसका इरादा बैरिस्टर बननेका था। वह बैरिस्ट्री पढे यह मोह मुझे नही था, अत मैने उसे समझाया। उसने कहा यह सब आपके लिए ठीक है, मेरे लिए नही। मुझे तो आप बैरिस्टर बन जाने दे। मैने पूछा, "बैरिस्टर बनकर क्या करोगे भाई?" उसने कहा "सो आप देख लीजिएगा।" मेरे यह पूछनेपर कि "वकालत करके धन कमाना है?"—उसने ऊँचे स्वरमे कहा "जी नही!" जिसकी झनकार आज भी मेरे कानोमे गूज रही है। "मुझे तो देशसेवा करनी है। मै वकील बनकर और ज्ञानोपार्जन करके फीनिक्समे रहूँगा और अपने देशवासी भाइयोके दु खमे हाथ बँटाऊँगा।" दाउद सेठने भाई हुसेनको विलायत भेजा। उसने वहाँ पहुँचते ही अध्ययन शुरू कर दिया और डट कर अभ्यास किया। लन्दनके पास एक सुन्दर मैदान है। वहाँ जाकर वह एकान्तमे बैठता और ध्यानस्थ हो जाता। उसकी यह स्थिति समाधिसे मिलती-जुलती होती। वह अपने प्रिय काव्योमे लीन हो जाता। वहा बैठकर लिखी गई अपनी रचनाएँ वह कभी-कभी मुझे भी दिखाता। मैने हुसेनकी एक दो रचनाएँ अग्रेजी काव्यके मर्मज्ञोको दिखाईं और उन्हे वे पसन्द आईं। उन्होने मुझे इस सम्बन्धमे बतलाया कि हुसेनमे काव्य-शक्तिके विकासके

बीज अवश्य मौजूद है। लन्दन जैसे शहरमे उसने एकान्तको पसन्द किया। जहाँतक मै जानता हूँ, वह विलायतके लाखो प्रलोभनोमे से किसी एकमे भी नही फँसा।

पर क्रूर काल भाई हुसेनके पीछे लगा हुआ था। मै विलायतमे था तभी उसमें क्षयके लक्षण प्रतीत होने लगे थे। मै चौका। वायु-परिवतन किया गया। वहाके अच्छेसे-अच्छे डॉक्टरकी सलाह ली गई, पैरिसके डॉक्टरको भी दिखाया किन्तु रोग तो घर कर चुका था। तबीयत कुछ सुधरी और फिर पलटा खा गई। हुसेनका तेज मुरझाने लगा। उसका जोश जाता रहा, कष्टने उसे घेर लिया। उसे जीनेकी बडी इच्छा थी, ऐशो-इशरतके लिए नही, मुल्ककी खिदमतके लिए। वह दक्षिण आफ्रिका आया। पुन तबीयतमे सुधार दीख पडा। वह भारत गया। उसने वहासे लिखा, "मै हिन्दुस्तानके महल देखने नही उसका दिल देखने आया हूँ और उसे देख रहा हूँ।" वहासे वह मक्का-शरीफ गया। वहा उसने अपना विशुद्ध हृदय खुदाके सामने खोल दिया। उसके दिल-पर हज-यात्राका बडा असर पडा। वहाँसे भेजे पत्रोमे वह लिखता है, "जिस पैगम्बरने इस पवित्र स्थानमे दीनके लिए करोडो लोगोमे प्रतिवष हज करनेकी प्रेरणा भर दी है उसकी शक्ति कितनी अपार होनी चाहिए। उसकी पैगम्बरीमे भला किसे सन्देह हो सकता है? यहाँ आकर मेरा मन बहुत सुखी हुआ है।" इसके बाद वह इस्तम्बूल गया। वहाँ बलगेरियाकी लडाई चल रही थी। यहा हुसेन अपने पिता एव दूसरे साथियोका मित्र, माग-दर्शक तथा परामशदाता बन गया। वहाँके बडे-बडे अधिकारियोके मन भी उसने हर लिये और भारत तथा भारतीयोका नाम उज्ज्वल किया। ये लोग एक नवयुवकपर क्यो मुग्ध हुए होगे? मै तो कहूँगा कि उसकी सत्यनिष्ठाके तेजके कारण। इसके बाद बाप-बेटे बिछुडे। दाउद सेठ डबन आ गये। भाई हुसेनको विलायतमे अपनी शिक्षा पूरी करनी थी, लेकिन खुदाकी मर्जी कुछ और ही थी। [एकाएक हुसेनको खासीमे] खून आने लगा। तबीयत एकदम गिर गई। दाउद सेठको तार मिला कि वापस आ रहा हूँ। उन्होने अपना सिर ठोक लिया और समझ लिया कि अवश्य ही हुसेनकी बीमारी भयकर है अन्यथा वह वापस क्यो लौटता। बीमारीका यह दौर अन्तिम साबित हुआ। डबन आकर उसने जो खाट पकडी सो फिर उठ ही न पाया। अच्छेसे-अच्छे डॉक्टरोका इलाज किया गया। स्वय पिताने नसका काय किया। जैसी सेवा इस पिताने अपने पुत्रकी की वैसी सेवा करनेवाले बाप मैने थोडे ही देखे है। हुसेन तो दाउद सेठकी आखकी पुतली था। वे रात-दिन [उसकी चारपाईके पास] उसे निहारते बैठे रहते। उन्होने क्षणभरके लिए भी हुसेनको नही छोडा। परन्तु तकदीरके सामने तदबीर बेचारी क्या करती? किस्मत सदैव दो डग आगे चलती है और उसके ये डग कुछ ऐसे बडे-बडे होते है कि उन तक पहुँच पाना असम्भव है।

जब-जब मै डबन जाता, तब-तब तीर्थ-स्थान समझकर कागोला जाता। एक बार मैने हुसेनकी आँखोमे आँसू देखे। मैने पूछा, "क्यो भाई मरना ठीक नही लगता?" हुसेनने मुसकराते हुए जवाब दिया, "मुझे मौतका डर नही है," और तब रो पडा, "पर मै कुछ भी तो कर नही पाया, मुझे देश-सेवा करनी है।" मैने उसे यह कहकर दिलासा दिया, "भाई तूने तो देश-सेवा बहुत की है। हिन्द यदि तेरे जैसे जवानोको जन्म दे तो उसकी दशा आज ही ठीक हो जाये। तू चल बसेगा तो भी मेरे लिए तो तू जीता

ही रहेगा। यह शरीर यदि बेकाम हो गया है तो नष्ट हो जायेगा। रूह तो अमर है। मेरे खयालसे तो तुझे दूसरा, इससे भी भव्य, शरीर प्राप्त होगा और उससे भारतकी अधिक सेवा होगी।" पर हुसेनको इससे पर्याप्त धीरज नही आया। वह तो "जो हाथ सो साथ" का विश्वासी था। इसी देहसे वह कुछ करना चाहता था। उसने अपने सत्यका कुछ चमत्कार तो दिखाया था? अब और अधिक कितना दिखाता? दक्षिण आफ्रिकामे आजतक किसीकी भी श्मशान-यात्राको जो सम्मान नही मिला था वह हुसेनकी मैयतको मिला। हजारो भारतीय बातकी-बातमे एकत्रित हो गये। मुसलमान, हिन्दू, ईसाई सब बडी सख्यामे उपस्थित हुए। उन्हे विशेष रूपसे कोई बुलाने नही गया था। सुनते ही स्वय आ पहुँचे। हुसेनने अपनी मृत्युके अवसरपर सिद्ध कर दिया कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई — जिन्होने भारतमे जन्म पाया था — सभी एक ही है। उस मगलवारको इनमें कोई भेद दीख नही पडता था। उस भारतरत्नकी याददाश्तमे मद्रास, बम्बई और उपनिवेशमे जन्मे छोटे-बडे सभी आ पहुँचे। श्री दाउद मुहम्मदके निवासस्थानके समीप विशेष ट्रामगाडिया आ-आ कर रुकने लगी। दो घटेके लिए भारतीयोकी दूकाने बन्द हो गईं। निगमकी अनुमतिसे भारतीय बाजार भी दो घटेके लिए बन्द रहा।

इस प्रकार भाई हुसेनने सत्यमय जीवन जीकर यह साबित कर दिखाया कि इस कठिन कलिकालमे भी सत्यकी ही जय होती है। हुसेन मरा नही है, वह तो अपने चरित्र की सुवासकी बदौलत जीवित रहेगा। हुसेनके गुणोका वर्णन करते मेरी कलम थकती ही नही। उसके चरित्रकी उज्ज्वलताके अनेक उदाहरण मेरे मनमे आते रहते है। मेरा विश्वास है कि पाठकगण मेरे इस लेखके हेतुको समझ जायेगे। सारे भारतीय हुसेन जैसे बने। वयोवृद्ध हो या जवान — हिन्दू हो या मुसलमान — हम सभी भाई हुसेनके चरित्रका अनुकरण करे। उसकी स्मृतिमे, उसके पदचिह्नोपर थोडा-सा भी चल पाये तो हममे से भेद-बुद्धि लोप हो जायेगी। हम सत्यकी ओर अभिमुख हो और अपना सर्वस्व देशको अर्पित कर दे। ता० १६ को भाई रुस्तमजी जब पुन जेल जाने लगे तो भाई हुसेनसे मिलने गये, मरणशय्यापर पडे हुए भाई हुसेनने कहा, "चाचा! आप तो जा रहे है, पर यदि रोगशय्यासे मै उठ पाऊँ तो मै भी जेलके लिए आपके साथ हो लू। यदि मुझे देशकी खातिर जेलमे मरना नसीब हो जाये तो क्या ही अच्छा हो!" ईश्वर करे भारतमें ऐसे सैकडो हुसेन जन्मे!

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१५७ पत्र मगनलाल गांधीको

टॉल्स्टॉय "माउटेन व्यू"
पो० बॉक्स २४९३
जोहानिसबर्ग
आश्विन सुदी ३ [अक्तूबर २, १९१३]

चि० मगनलाल,

जोहानिसबर्गकी पाठशालाकी कोई रिपोर्ट या खबर आये तो उसे बिलकुल न छापना। हबीब मोटनको समाजसे निकालनेकी जरूरत है। अंग्रेजी सामग्री अधिक हो जाये तो विज्ञापनका जो अन्तिम पृष्ठ होता है उसे छोड़कर अंग्रेजीके पृष्ठ सात रखे जायें।

'स्टार' के कलके तारसे मालूम होता है कि स्त्रियोंने भी उपवास आरम्भ किया है। दुःखोंका अनुभव हितकर होता है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

गुरुवार–प्रातः

तुम्हारा पत्र मिला। आज[1] बारह स्त्रियाँ गिरफ्तार होनेके लिए मैरित्सबर्ग गई हैं। श्री कैलेनबैक उनके साथ गये हैं। अन्य दो[2] स्त्रियाँ आज फेरी करनेपर पकड़ी गई हैं। जमनादासका पत्र निराशापूर्ण है। यह हुक्म दे दिया गया है कि सदरा और कस्ती[3] दे दी जाये और चेचकका टीका न लगाया जाये।

जमनादासको अकेला ही बुलानेके लिए तार देनेका विचार किया है। आज या कल तार[4] दूँगा। लेख भेजे हैं। इनमें से जितना उपयोगमें लेना हो उतना ले लेना है।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५९०१) की फोटो-नकलसे।

१ अक्तूबर २।

२ राजू और विली मुरगन।

३ देखिए "पत्र मगनलाल गांधीको", पृष्ठ २३०।

४ यह उपलब्ध नहीं है।

१५८ पत्र ऑलिव डोकको

जोहानिसबग
अक्तूबर ३, १९१३

प्रिय ऑलिव[1],

कुमारी श्लेसिन पहली व्यक्ति थी जिन्होने मुझे कल याद दिलाया कि मेरी आयु एक साल और घट गई। तुम्हारे पत्रने दूसरी बार यही याद दिलायी। मेरे जन्म-दिनको याद रखनेके लिए तुम्हे अनेक धन्यवाद।

माको मेरी याद दिलाना और कहना कि यदि मै उनसे मिलने नही आ सका हूँ तो उसका अथ यह नही कि मुझे परिवारकी सुध नही रहती। पिताजीको याद करनेके विशष कारण है और उस यादके साथ-साथ तुम सबकी याद हो आई है। लेकिन माताजी जानती है कि मै दिखावा पसन्द नही करता। जब कभी भी मेरी वहाँ जरूरत हो, या मै कुछ कर सकता हूँ तो आप सब मुझे उसकी आज्ञा दे सकते है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५८) की फोटो-नकलसे। सौजन्य सी० एम० डोक।

१५९. प्रस्ताव · पाटीदार सघकी सभामें[2]

जोहानिसबर्ग
अक्तूबर ५, १९१३

पाटीदार सघकी यह सभा निश्चय करती है कि उसकी रायमे 'ट्रान्सवाल लीडर' की यह खबर अनुचित और असत्य है कि भारतीय समाजका व्यापारी-वर्ग सत्याग्रहके विरुद्ध है और सम्भवत समाजके केवल कुछ बहुत ही गरीब लोग सघषमे भाग लेगे। यह सभा तन-मनसे आन्दोलनके साथ है और सरकारको भेजे गये श्री काछलियाके पत्रसे सहमत है। वह आन्दोलनमे धन और जनकी सहायता देनेका जिम्मा लेती है और सरकारसे प्राथना करती है कि वह समाजकी उचित माँगोको स्वीकार करके, जो लोग जेल जा चुके है उनके कष्टोको समाप्त करे।

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, १५-१०-१९१३

१ पादरी जे० जे० डोककी पुत्री।

२ इस सभामें गाधीजीने भाषण दिया था। उसके बाद कुछ भारतीयोंने तत्काल जेल जानेका निश्चय प्रकट किया। किन्तु गाधीजीके भाषणकी रिपोर्ट उपलब्ध नही है। सभामें जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसका मसविदा अनुमानत गाधीजीका तैयार किया हुआ था।

१६०. पत्र : मगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
रविवार, [अक्तूबर ५, १९१३][१]

चि० मगनलाल,

आज मैं तुम्हें कुछ अधिक-सी सामग्री भेज रहा हूँ। उसे पूरीकी-पूरी छापनेके सिवा चारा नही है। आजकी सभा बहुत अच्छी हुई। सत्याग्रह निधिमे पौंड २२-७-६ की प्राप्ति स्वीकार करना, "पाटीदार मण्डल (जोहानिसबर्ग) की ओरसे"[२]—ऐसा लिखना। रिपोर्टमे सारे नाम देने चाहिए।[३] उनसे मैंने कह दिया है कि नाम दिये जायेंगे। जाफर का तार आया है। मालूम होता है कि शायद यही गज्जर है। क्योकि गज्जरने फिर यहाँ तार भेजे है। तुम्हारे उत्साहके सम्बन्धमे मुझे इतना ही कहना है कि अपनी तबीयत सम्भालना। रुस्तमजी सेठसे कुस्ती छीन ली गई है—इस सम्बन्धमे की गई रिपोर्ट वहाँसे ही ली जाये, ऐसा मुझे भी लगता है।

सोलह-वाली टुकडी अपनी टेक रखेगी।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ४३६५) की फोटो-नकलसे।

१६१. व्रतका महात्म्य

किसी कार्यको करनेका निश्चय किया जाये और उसे करनेमे प्राणो तक के जानेकी नौबत आ जाये तो प्राण चले जाने दिये जायें, इसे व्रत कहा जाता है। इस प्रकारके व्रत लेनेकी टेव प्रत्येक मनुष्यको डालनी चाहिए। इससे मनुष्य दृढ [मनोवृत्तिवाला] बन सकता है और महान् कार्य करनेमें समर्थ होता है। सरल और सादे व्रतोके बाद मनुष्य आगे चलकर कठिन व्रत ले सकता है। प्रतीत होता है कि ऐसा ही [कठिन व्रत] कागोके हब्शियोने लिया है। पिछले तीन वर्षोंसे गोरे लोग वहाँके हब्शियोसे रबर निकलवानेकी जी-तोड कोशिश कर रहे है। परन्तु उन लोगोका कहना है कि हमारे बाप-दादोका यह सकल्प है कि पेडोसे रबर बटोरनेका काम न किया जाये। इसलिए अब वे उस सकल्पको तोड नही सकते। वचन [पालन] के लिए मनुष्यने अनेक कष्ट भोगे है, इसके अनेक उदाहरण इतिहासमे मिलते है। सत्याग्रह धारण करना भी एक महान् व्रत है। जो [व्रत] लिया गया है वह प्राणके साथ ही जा सकता है, यही इसकी खूबी है। इसीसे कहा जा सकता है कि सत्याग्रहमे हार तो होती ही नही।

[गुजरातीसे]
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९१३

१ इसी तारीखको पाटीदार सघकी सभा हुई थी, देखिए पिछला शीर्षक।

२ और ३ यह *इंडियन ओपिनियन* ८-१०-१९१३ और १५-१०-१९१३ के अंकोंमें प्रकाशित किया गया था।

१६२. पत्र : जेल-निदेशकको[1]

[जोहानिसबर्ग]
अक्तूबर ९, १९१३

[महोदय,]

जोहानिसबर्गके फोर्ट जेलमे पिछले सप्ताह अपनी सजा पूरी करनेवाले, सर्वश्री मेढ और अन्य ब्रिटिश भारतीय सत्याग्रहियोकी शिकायत है कि डॉ० विसरने उनके साथ अकारण ही अत्यन्त असभ्य और अपमानजनक व्यवहार किया था। डॉक्टरी परीक्षाके लिए उनसे दूसरे कैदियोके सामने ही बिलकुल नगा होनेको कहा गया। उन्होने डॉक्टरसे सादर निवेदन किया कि ऐसा करना उनकी नैतिकता और शिष्टताकी भावनाके विरुद्ध है, किन्तु साथ ही उन्होने यह भी कहा कि यदि एक अलग कमरेमे उनकी परीक्षा की जाये तो उसके लिए वे तैयार है। इस निवेदनपर डॉ० विसर भभक उठे और उन्होने अत्यन्त अपमानजनक शब्दोका प्रयोग किया। उनके शब्द थे "   कुली लोग"। डॉक्टरने उनपर अवज्ञाका आरोप भी लगाया, परन्तु मेरी समितिको सूचित किया गया है कि इस आरोपपर आगे कोई कारवाई नही की गई। जेल सुपरिन्टेन्डेन्टसे इसकी शिकायत करनेपर उनकी परीक्षा अलगसे की गई। समितिको आशा है कि इस शिकायतकी जाँच कराई जायेगी और ऐसे कदम उठाये जायेगे जिससे आगेसे कोई अफसर किसी [साधारण] कैदीसे भी वैसी भाषाका प्रयोग न कर सके, कहा जाता है, जिसका प्रयोग डॉ० विसरने किया।

इन रिहा सत्याग्रहियोने यह भी शिकायत की है कि उनको भोजनके साथ पहलेकी भाँति न तो घी दिया गया था और न कोई वनस्पति तेल। मेरी समितिकी जानकारीके अनुसार उनको भोजनमे भात, मकईका दलिया, सब्जियाँ और थोडी-सी रोटी दी जाती है। निवेदन है कि हमारी समितिने पिछले सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान ही यह सिद्ध कर दिया था कि मानव-शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए थोडा-बहुत घी और वनस्पति तेल नितान्त आवश्यक है। मेरी समितिकी जानकारीके अनुसार वतनी कैदियोको अब भी उनकी खुराकमे एक वक्त चर्बी दी जाती है। इसीलिए सादर निवेदन है कि मास या चर्बी न खा सकनेवाले ब्रिटिश भारतीय कैदियोको पहलेकी भाँति ही प्रतिदिन एक औंस घी देनेके आदेश जारी कर दिये जाये।

आपका,

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २२-१०-१९१३

१ इस पत्रके साथ ही समाचारपत्रोको भेजा गया ७ अक्तूबरका वह पत्र भी प्रकाशित किया गया था जिसमें सुरेन्द्र बी० मेढ, प्रागजी के० देसाई और मणिलाल गाधीने सम्पादकोंसे अनुरोध किया था कि वे उनके साथ किये गये पाशविक व्यवहारके विरोधमें आवाज उठायें।

१६३ एक अधिकृत वक्तव्य

भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनकी वतमान स्थिति निम्नलिखित वक्तव्यम स्पष्ट की गई है। इसे अधिकृत रूपसे रायटरकी एजेंसी और प्रेसको भेजा गया है। भारतीय समाजकी मॉगे ये है

(१) तीन पौंडका वह सालाना कर हटाया जाये जो भूतपूव गिरमिटिया भारतीयो — मर्द, औरत और बच्चो — को नेटालमे दुबारा गिरमिटसे मुक्त रहनेकी कीमतके रूपम देना पडता है।

(२) (क) सघके विवाह-कानूनमे एक ऐसा सशोधन किया जाये जिससे भारत अथवा दक्षिण आफ्रिकामे हिन्दू और मुस्लिम धममे निर्धारित रीतियोसे सम्पन्न भारतीयोके एकपत्नी-विवाहोकी वैधता मान ली जाये। यद्यपि ये दोनो ही धम बहुपत्नी-विवाह प्रथाकी अनुमति देते है, तथापि आँकडोसे जाहिर होता है कि केवल एक प्रतिशत भारतीय विवाह बहुपत्नीवाले होते है।

(ख) पहलेसे अधिवासी भारतीयोकी मौजूदा एकाधिक पत्नियो (जो कुल मिलाकर १०० से अधिक नही है) और उनके बच्चोको सरकार प्रवेश करने दे। सघके उद्घाटनके वक्त ऐसी ही स्थिति थी। यह माँग नही है कि बहुपत्नी-प्रथाको कानूनी मान्यता दी जाये।

(३) दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोको केप प्रान्तमे प्रवेशका अधिकार फिर हासिल हो। यह अधिकार उन्हे प्रवासी विधेयक पेश होनेके समय प्राप्त था और उसे बने रहने देनेका अर्थ व्यवहारत इतना ही होगा कि नेटाल और ट्रान्सवालसे प्रतिवष केपमे मुश्किलसे एक दर्जन भारतीय प्रविष्ट होगे।

(४) सरकार कहती है कि प्रवासी-अधिनियममे कोई जाति-भेद नही है। अतएव सरकारको यह स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि फ्री स्टेटकी सरहदपर कानूनन किसी भारतीयसे ऐसा शिनाख्ती-ज्ञापन नही माँगा जायेगा जिसे देना किसी यूरोपीयके लिए उतना ही आवश्यक न हो। कार्य-रूपमे इसका यह अर्थ नही कि भारतीय अवश्य ही फ्री स्टेटमे प्रवेश करेगे ही, इसका इतना ही अथ होगा कि कोई भारतीय प्रवेश करे तो उसपर जमीन रखने तथा खेती-बाडी और व्यापार करनेका निषेध लागू होगा।

(५) एक घोषणा की जाये कि मौजूदा कानून, जैसे कि ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून और कस्बा-अधिनियम, केप और नेटालके परवाना कानून और प्रवासी अधिनियम आदि, के अमलमे उदारतासे काम लिया जाये और निहित अधिकारोका उचित ध्यान रखा जायेगा। सरकारकी नीति, उदाहरणके लिए, यह है कि जो भारतीय अधिक समय तक प्रान्तसे गैर-हाजिर रहे हो, उनके पास पूर्व अधिवासके समुचित प्रमाण होनेके बावजूद उन्हे अपने-अपने प्रान्तोमे पुन प्रवेश करनेसे रोक दिया जाये। यह स्थिति असहनीय है।

पहलेवाले मुद्देपर श्री गोखलेसे एक निश्चित वादा किया गया था। बाकी सवाल १९११ के अस्थायी समझौतेसे पैदा होते है।

भारतीय क्या नही चाहते

भारतीय बराबरीके राजनीतिक अधिकारोके लिए नही लडते। वे मानते है कि वर्तमान पूर्वग्रहको देखते हुए भारतसे आनेवाले नये प्रवासियोकी सख्या अत्यन्त सीमित कर दी जानी चाहिए किन्तु साथमे ऐसी व्यवस्था रहे कि प्रतिवर्ष भारतीय समाजकी जो क्षति हो उसकी पूर्तिके लिए पर्याप्त सख्यामे और लोग प्रवेश कर सकें।

सत्याग्रह

चूकि प्रार्थनाओसे, आवेदनोसे या बातचीतसे कोई भी राहत नही मिल सकी, अत १५ सितम्बरको समाजके बारह आदमी और चार औरतोका एक जत्था फोक्सरस्टमे अपनेको गिरफ्तार करानेके लिए नेटालसे रवाना हुआ, इस प्रकार उस दिन भारतीयोने सत्याग्रहका आरम्भ किया।

आन्दोलन फैल रहा है। ३५ सत्याग्रही जेलमे पहुँच चुके है—यह सख्या उससे बडी है जो पहलेवाले दो आन्दोलनोके आरम्भमे थी या जब १९११ के अस्थायी समझौतेके फलस्वरूप सत्याग्रह स्थगित हुआ था। प्रतिदिन बडी सख्यामे आदमी और औरते गिरफ्तारीके लिए आगे आ रहे है। कई औरते अपने साथ बच्चोको ले गई है क्योकि वे या तो अभीतक ऊपरका दूध नही पीते, या उनकी देखभाल और ढगसे नही हो सकती। गिरफ्तारीके लिए लोग सरहद पार करते है या बिना परवाना फेरी लगाते है, या परवाना या अनुमतिपत्र दिखानेसे इनकार करते है और या अन्य ऐसे नागरिक नियमोको भग करते है जिनसे नैतिक नियमोका उल्लघन न होता हो। फ्री-स्टेटकी सरहद अछूती छोड दी गई है क्योकि जहाँतक बचाया जा सके जनमतको भडकानेका कोई मन्शा नही है और यह दिखानेकी पूरी इच्छा है कि भारतीय फ्री-स्टेटके पूर्वग्रहोका आदर करना चाहते है। आन्दोलनमे यह भी होगा कि गिरमिटिया भारतीयोको तबतकके लिए काम स्थगित करनेकी सलाह दी जाये जबतक कि तीन पौडवाला कर हटा नही लिया जाता। गिरमिटिया भारतीयोको आम सघर्षमे भाग लेनेके लिए नही बुलाया जायेगा। श्री गोखलेको दिये गये उस वायदेके आधारपर, जिसपर लॉर्डसभाका ध्यान लॉर्ड ऍम्टहिल द्वारा खीचा गया था, भारतीय नेताओने इन आदमियोको सभाओमे हजारो लोगोके सामने आश्वासन दिया था कि ससदके विगत अधिवेशनमे कर समाप्त कर दिया जायेगा। सत्याग्रहियोकी मागोके समर्थनमे केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लन्दन, वुडस्टॉक, डर्बन, मैरित्सबर्ग, टोगाट, वेरुलम और जोहानिसबर्गमे (ट्रान्सवालके सभी मुख्य शहरोकी ओरसे) सभाएँ की गई है और इसी प्रकारकी सभाएँ अन्य केन्द्रोमे भी की जा रही है।

राहत देनेका रास्ता

यदि सरकार राहत देना चाहती है तो विवाह तथा तीन पौडी करके मामलेमे नया कानून बनाना जरूरी होगा। बाकी सब मुद्दे, बिना कानून बनाये, आसानीसे थोडा हेर फेर करके सुलझाये जा सकते है। विवाहकी समस्या प्रवासी कानूनमे सक्षिप्त सशोधन

द्वारा हल की जा सकती है और उससे सघके सामान्य विवाह कानूनमे किसी प्रकारकी बाधा नही पडेगी।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १५–१०–१९१३

१६४. पत्र : हरिलाल गाधीको

[डर्बन]

आश्विन बदी २ [अक्तूबर १७, १९१३][1]

चि० हरिलाल,

तुम्हारा पत्र नही मिला इससे मनमें दुख होता है। तुमने इस सम्बन्धमे आलस्य करके दुहरा अपराध किया है। बापके प्रति इतना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए। इसमे भूल करना पहला अपराध है, और तुमने नियमपूर्वक पत्र लिखनेका वचन दिया है सो उसे भग करना दूसरा अपराध है। तीन डाके आ चुकी है, किन्तु एकमे भी तुम्हारा पत्र नही आया है। भाई सोराबजी[2] और रतनसी[3] तुम्हारे बाद गये है, उनके पत्र तुम्हारी अपेक्षा अधिक आये है। चची तुमसे अधिक पत्र लिखती है। तुम्हारा पत्र न आनेसे बा भी दुखी होती है।

तुम दोनो गिरफ्तार होनेके लिए आ सकते हो। चची लडाईके दिनोमें तभी आये जब उसमे जेल जानेका साहस हो। तुम्हे परीक्षाकी राह न देखनी चाहिए, मै अपनी यह सलाह तो दे ही चुका हूँ। यदि तुम्हारी अपनी ही इच्छा हो तो मै बाधा डालना नही चाहता। पैसा डॉक्टरसे[4] ले लेना। सम्भव है जब तुम आओ तब मै जेलमें होऊँ। मेरा खयाल है कि मै किसी-न-किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊँगा।[5] मै वैसे प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि तुम्हे यह पत्र पहुँचनेसे पहले समझौतेका समाचार मिल जाये तो तुम्हारे आनेकी आवश्यकता न रहेगी।

मेरी कामना है कि तुम नीरोग और निश्चिन्त रहो।

बापूके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३७) की फोटो-नकलसे।

१ इसमें जेल जानेका उल्लेख है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह १९१३ में लिखा गया होगा।

२ सोराबजी शापुरजी अडाजानिया, देखिये खण्ड १० ।

३ सोढा, देखिए खण्ड १०

४ डॉक्टर प्राणजीवन मेहता ।

५ गांधीजी नवम्बर ७, १९१३ को गिरफ्तार किये गये थे ।

१६५. भेंट : ईवनिंग क्रॉनिकलको

[जोहानिसबग
अक्तूबर १७, १९१३ के बाद]

श्री फिशरके वक्तव्यके[1] सम्बन्धमें 'ईवनिंग क्रॉनिकल' (जोहानिसबर्ग) के सवाददाताके भेंट करनेपर श्री गाधीने कहा कि ससदके पिछले अधिवेशनमें माननीय श्री फिशर यही कहते रहे कि जबतक सत्याग्रहकी बात की जाती है, वे कुछ नहीं देंगे। किन्तु वे देते रहे। उन्होंने अपनी यह धमकी भी वापस ले ली कि यदि भारतीयोने अधिक अच्छा व्यवहार पानेकी अपनी माँग वापस न ली तो वे विवाह-सम्बन्धी धारामें किया गया मामूली-सा सशोधन भी वापस ले लेंगे। अपनी उस धमकीके बावजूद श्री फिशरने सीनेटमें उसी सशोधनको स्वीकार कर लिया जिसे भारतीयोने सुझाया था। इसलिए मै यह कहे बिना नहीं रह सकता कि श्री फिशरकी बातोको महत्व नहीं देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१६६. कुलसम बीबीका मुकदमा

इस मुकदमेकी अपील अदालतमे ले जानेकी हलचल डर्बनमे चल रही है। इसके लिए रुपया इकट्ठा करनेके उद्देश्यसे एक बाइस्कोपका प्रदर्शन भी किया गया है। मुकदमेका ऊपरकी अदालतमे जाना ठीक ही है। किन्तु इससे कोई विशेष लाभ होगा, समाजको ऐसा मान लेनेका कारण नही है। मुकदमा हमारे विरुद्ध भी जा सकता है और हमारे पक्षमे भी। यदि इसका परिणाम शुभ हो तो भी जिस स्त्रीका विवाह दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न हुआ है वह तो रखेल ही मानी जायेगी, यह स्मरण रखना चाहिए। इसलिए जो लोग इस सघर्षको समझते है उन्हे चाहिए कि वे उसमे तनिक भी ढील

१ लन्दनमें रायटरके सवाददाता द्वारा भेंट करनेपर श्री फिशरने कहा था "भारतीयोंसे सम्बन्धित मामले मेरे विभागके सुपुर्द है और किसी महत्त्वपूर्ण मुद्देके सम्बन्धमें कानूनको बदलना असम्भव है। सच तो यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें लोगोकी भावना कानूनको और कठोर बनानेके पक्षमें है। सरकार कानूनको ज्योका त्यों कायम रखकर सतोष करेगी। भारतीयोकी माँग पूरी करनेके लिए जहाँ सम्भव होगा हम प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, किंतु दक्षिण आफ्रिकाकी जनभावना और आवश्यकताओंका तो ध्यान रखना ही होगा। इसलिए भारतीयोंको अपने हितकी दृष्टिसे कुछ सावधान और नरम होना चाहिए। कोई अस्थायी व्यवस्था तभी सम्भव है जब भारतीय सैद्धातिक प्रश्नोको छोड दें और एक व्यावहारिक रवैया अपनाएँ।"

१६८. तार: गो० कृ० गोखलेको

जोहानिसबग
अक्तूबर २२, १९१३

गोखले
पूना

कलके तारमें[1] उल्लिखित महिलाओमे से ग्यारह महिलाओको[2] छ शिशाओ सहित न्यूकैसिलमे हडतालियोसे बात करनेपर आवारागर्दीका आरोप लगाकर तीन माहकी सख्त कैद।

गाधी

मूल अग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८४६) की फोटो-नकलसे।

१६९ भेंट. 'रैड डेली मेल'को

[जोहानिसबग
अक्तूबर २२, १९१३]

भारतीयोकी जो सार्वजनिक सभा गत रविवारको[3] डबनमें हुई थी, उसके सम्बन्धमें श्री मो० क० गाधीने कल 'मेल' के एक प्रतिनिधिसे कहा कि जो विवरण एक स्थानीय समाचारपत्रमे छपा है वह अधूरा है और गलत भी। उन्होने कहा कि यह सच है कि सभामें गडबडी मची थी और मन्त्रियोमें से एकने, अपना त्यागपत्र देते समय, एक लम्बा वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्यमें मेरी बडी निन्दा की गई थी और यह कहा गया था कि मैंने जो कुछ भी काम गत २० वर्षोमें किया है वह न केवल बिलकुल बेकार है, बल्कि भारतीय समाजके लिए बहुत हानिकारक भी है, यहाँतक कि उस मन्त्रीके विचारसे मै भारतीय समाजको दासताके पाशमें बाँधनेमें सहायक हुआ हूँ।

[गाधीजी] मेरा अपना खयाल तो यह है कि उस सभामे उपस्थित व्यक्तियोमे से कुछको छोडकर और किसीने उस व्यक्तिकी बातपर विश्वास नही किया होगा। परन्तु मैंने देखा कि वहाँ आपसी फूटके तत्त्व मौजूद थे और दोनो पक्ष उत्तेजित होते जा रहे थे।

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ ये महिलाएँ थी श्रीमती भवानी दयाल, श्रीमती थम्बी नायडू, श्रीमती एन० पिल्ले, श्रीमती के० एम० पिल्ले, श्रीमती ए० पी० नायडू, श्रीमती पी० के० नायडू, श्रीमती के० सी० पिल्ले, श्रीमती एन० एम० पिल्ले, श्रीमती रामलिंगम कुमारी एम० पिल्ले और कुमारी एम० बी० पिल्ले।

३ अक्तूबर १९।

मुझे लगा कि ऐसी परिस्थितिमे सभाको समाप्त करा देना ही सबसे अच्छा मार्ग होगा इसलिए मैने अध्यक्ष महोदयसे निवेदन किया कि सभा खत्म कर दी जाये। उन्होने फौरन ही सभा भग कर दी। सभामे मचाई गई वह गडबडी वास्तवमे भारतीय समाजके अन्दर दरार डालनेकी कोशिश थी, और उसका सत्याग्रहके प्रश्नसे कदापि कोई सम्बन्ध नही था क्योकि मेरे खयालसे, सत्याग्रहके सम्बन्धमे कोई मतभेद न था। ऐसे बहुतसे सवाल खडे कर दिये गये थे जिनका वतमान सघषसे कोई सरोकार नही था।

इस सभाके विसर्जित हो जानेके पश्चात् उक्त मन्त्रीके कामको नापसन्द करनेवालोने तुरन्त एक जुलूस निकाला, रुस्तमजीके यहा एक सभा हुई जिसमे एक नया सगठन खडा किया गया। भारतीय समाजके दो अत्यन्त प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जन, श्री दाउद मुहम्मद और श्री उमर हाजी आमद झवेरी, क्रमश उसके अध्यक्ष और मन्त्री चुने गये। इस सभामे वतमान सघर्षका समथन करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। चन्दा भी किया गया ताकि गिरफ्तार होनेके लिए श्री गाधीके साथ जानेवाले सत्याग्रहियोका किराया-भाडा इत्यादि चुकाया जा सके। उपस्थित लोगोमे बहुत उत्साह था और ऐसा विश्वास था कि इस सगठनमे वे सब भारतीय शामिल होगे जो बहुत शान्तिप्रिय और सन्तुलित विचारोवाले है। व्यक्तिगत रूपसे मेरा खयाल हे कि यदि यह नया सघ [सत्याग्रहकी] शुद्ध प्रणालीसे चलाया जायेगा तो इस सगठनके, यहाँतक कि इस सघर्पके, विरोधी समझे जानेवाले व्यक्ति भी अन्ततोगत्वा आकर इसमे मिल जायेगे। यह बात कि नेटालमे इस आन्दोलनकी जडे बहुत मजबूत है इस बातसे प्रमाणित होती है कि जेल जानेवालोकी सबसे बडी सख्या नेटालसे ही आई हे। आज मॅरित्सबर्ग और न्यूकॅसिल जेलोमे लगभग १०० भारतीय है। इनमे से अधिकाश व्यक्ति नेटालके ही है और उनमे भारतीय समाजके प्रत्येक वर्गके लोग है।

इसके अलावा नेटालमे एक हडताल भी चल रही है, लक्षण ऐसे नजर आ रहे है कि आगे चलकर यह बहुत बडी हडतालका रूप धारण कर लेगी। अभीतक इस हडतालका प्रभाव छ खदानोपर पडा है। और हडताली भारतीयोकी सख्या २,००० है। मै यह भी कह दू कि मैने आशा की थी कि हडताल तो होगी ही, परन्तु यह आशा न की थी कि लोग इस तरह आकर इतनी बडी सख्यामे, और खुद अपनी मर्जीसे ही हडताल कर देगे।

जैसा कि लोगोको मालूम ही है, वेरीनिगिंगमे जिन स्त्रियोने अपनेको गिरफ्तार करानेकी कोशिश की थी वे वहाॅ असफल रही, और वे सीमा-पार करके नेटालके अन्दर दाखिल हो गईं, वहाँ भी उन्हे रोका-टोका नही गया। जब वे नेटालमे प्रविष्ट हुईं, उस समय उनसे आठ पुरुष भी आ मिले जिनमे से किसीको नेटालकी सीमापर पकडा नही गया था। तब उनसे यह कहा गया कि वे न्यूकॅसिल जाये और वहाँ पहुँचकर खदानोमे काम करनेवाले मजदूरोको स्थिति समझाते हुए उन्हे हडताल करनेको प्रेरित करे और कहे कि जबतक भूतपूव गिरमिटिया भारतीयो, उनकी पत्नियो और उनके बच्चोंसे वसूल किया जानेवाला तीन पौंडी सालाना कर हटानेका वचन न मिल जाये तबतक हडताल जारी रखे।

इन बहादुर स्त्रियोकी, जिन्होने कभी सकट नही झेले थे, और जिन्होने कभी सावजनिक सभाओमे व्याख्यान नही दिये थे, उपस्थितिने बिजली-जैसा काम कर दिखाया और खनिकोने हडताल कर दी।

हडताल शुद्ध सत्याग्रहकी पद्धतिसे चलाई जा रही है और हडतालियोको हिदायत कर दी गई है कि वे किसी भी हालतमे बदला लेनेकी भावनासे या अपनी शरीर-रक्षाके लिए शरीर-बलका प्रयोग न करे। मै उस व्यक्तिसे मिला जिसे डैनहॉज़रमे कल बडी निदयतापूवक पीटा गया था। उसका कहना है कि वह पानी लेने गया था और उस अहातेके एक प्रबन्धकने उसे मारा। यह व्यक्ति काफी तगडा है और अपनी रक्षा करनेमे पूर्णतया समर्थ है परन्तु उपर्युक्त आदेश जारी हो जानेके कारण उसने अपनी रक्षा नही की और बिना चू किये सख्त मार सहता रहा। अब उसकी देख-भाल न्यूकैसिलमे की जा रही है। अवश्य ही इस मामलेमे वह अपना बयान देगा। अलबता यह मामला अपने ढगका अकेला नही है।

इस समय हम लोग मारपीट, अपमान इत्यादि सब-कुछ सहन कर रहे है। लोगोसे हम हडताल करनेको इसलिए कह रहे है कि इस प्रकारके प्रदर्शनके द्वारा तीन-पौडी करका खात्मा कराया जा सकता है। ससदके पिछले सत्रके अवसरपर यह कहा गया था कि नेटालमे गिरमिटिया मजदूरोका उपयोग करनेवाले उद्योग-मालिकोमे से अधिकाश इस करके समाप्त किये जानेके खिलाफ है। मेरा खयाल है कि इस करको हटा देनेमे इन्सानियतकी जो भावना है वह इन मालिकोके दिलोमे एक ही तरीकेसे जमाई जा सकती है और वह यह है कि मजदूर लोग हडताल करे। ज्यो ही सरकार इस बातका वादा करनेको तैयार हो जायेगी कि ससदके आगामी सत्रमे इस करको हटा दिया जायेगा, हडताली लोग कामपर जाने लगेगे। यदि उसने इस प्रकारका वादा किया तो लॉर्ड ऍम्टहिलके शब्दोमे, वह केवल अपने उस वचनको पूरा करेगी जो उसने श्री गोखलेको, मन्त्रियो और उनके बीच होनेवाले वार्तालापके अवसरपर, दिया था।

मै यह भी कह देना चाहता हूँ कि सरकार इस बातसे अनभिज्ञ न थी कि हडताल भी हमारे कार्यक्रमका एक अग है। मैंने सरकारको इसी आशयका एक पत्र[1] भी २८ सितम्बरको भेजा था।[2]

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, २३-१०-१९१३

१ देखिए "पत्र गृह-सचिवको", पृष्ठ २०७ ०८। हडतालकी स्थितिके बारेमें सरकारी दृष्टिकोण उस खरीतेमें सन्निहित है जो गवर्नर जनरलने उपनिवेश कार्यालयको २३ अक्तूबर, १९१३ को लिखा था। देखिए परिशिष्ट ९।

२ इस रिपोर्टका अन्तिम भाग **रैंड डेली मेलकी** निम्नलिखित टिप्पणी है " जिन स्त्रियोंका उल्लेख ऊपर किया गया है वे न्यूकैसिलमें गिरफ्तार कर ली गई है। हडताल बढ़ती जा रही है। यह अब नेटालमें कोयलेकी खानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि गन्नेके खेतों और चायबागानों तथा रेलवे तकमें फैलती जा रही है।"

१७० तार जनरल बोथाको

[न्यूकैसिल
अक्तूबर २३, १९१३के पूर्व]

हमने सुना है कि आपने कोयला खानोके मैनेजरोसे कहा कि भारतीयोको आम मघर्षके लिए ही हडतालकी सलाह दी गई है और यह कि स्वार्थ-मय उद्देश्योसे हडतालियोको धोखेमे डाला गया है। मै निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इरादा न कभी था और न है। हडतालकी सलाह केवल तीन पौडी करके सम्बन्धमे दी गई है। यह कदम इसलिए जरूरी हुआ कि इसे रद करनेका जो वचन माननीय गोखलेको दिया गया था, वह पूरा नही किया गया। साथ ही यह प्रदर्शन गत सत्रमे दिये गये सरकारके इस वक्तव्यके प्रति भी विरोध प्रकट करता है कि नेटालके अधिकाश मालिक करके रद किये जानेके खिलाफ है। यदि सरकार अगले अधिवेशनमे कर रद करनेका वचन दे सके तो हडतालियोको कामपर जानेकी सलाह दे दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१७१ तार : अखबारोको[1]

[न्यूकैसिल
अक्तूबर २३, १९१३]

हम हडतालियोको यह सलाह दे रहे है कि वे खाने छोडकर अपनेको गिर-फ्तार कराये, और गिरफ्तार न हो सके, तो फोक्सरस्टको कूच करे। हम जब काम नही करते तो खानोकी खुराकपर निर्वाह करना अनुचित समझते है। आन्दोलनके तुरन्त आरम्भ होनेकी सम्भावना।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१ यह जोहानिसबर्गसे भेजे गये रायटरके एक तारका अंश है। इसके अनुसार गांधीजीने यह कहा था कि भारतीयोंने और भी खानोंमें हडताल कर दी है और इनमें से बहुतसे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय ४१ भी।

१७२. पत्र : गृह-मन्त्रीको

[जोहानिसबर्ग]
अक्तूबर २३, १९१३

माननीय गृहमन्त्री
प्रिटोरिया

महोदय,

मेरे संघने मुझे निर्देश दिया है कि आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्योंकी ओर सादर आकर्षित करूँ। मेरे संघको सूचना मिली है कि

१ सितम्बर २७को या उसके आसपास अब्दुल फज़ल खाँ[1] नामक एक ब्रिटिश भारतीयको जोहानिसबर्गमें १९१३के प्रवासी कानूनके खण्ड ४ (१ क) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। यह खण्ड इस प्रकार है

इस उपखण्डके किसी अनुच्छेदमें वर्णित कोई व्यक्ति जो संघमें प्रवेश करता है या संघमें पाया जाता है, अथवा जो व्यक्ति यद्यपि एक प्रान्तका कानूनन निवासी है, किसी दूसरे प्रान्तमें, जिसका वह कानूनन निवासी नहीं है, प्रवेश करता है या वहाँ पाया जाता है तो वह संघ या उस दूसरे प्रान्त (जिसका मामला हो) में निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्थात् कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोंका वर्ग-विशेष जिसे मन्त्री आर्थिक कारणोंसे, या जीवन-स्तर या रहन-सहनकी आदतोंके कारण संघके अथवा संघके किसी प्रान्त-विशेषके लिए अयोग्य समझें।

२ उक्त फज़ल खाँने स्थानीय प्रवासी अधिकारीके निर्णयके विरुद्ध अपील की और १३ अक्तूबरको प्रिटोरियामें बोर्डकी बैठकमें इस अपीलकी सुनवाई हुई और खारिज कर दी गई।

३ अपीलकी सुनवाईके समय सबूत पेश किये गये। उनको न गलत बताया गया और न उनका खण्डन किया गया। इन सबूतोंसे देखा जा सकता है कि

(क) फज़ल खाँ नं० २ डिवीज़नमें भारतीय ट्रान्सपोर्ट दस्तेके एक सामान्य सैनिककी हैसियतसे पहले-पहल १९००में ट्रान्सवाल आया था।

(ख) नवम्बर १९०२में उसे अच्छी रिपोर्टके साथ सैनिक सेवासे निवृत्ति मिली और उसके बाद वह इस प्रान्तमें लगभग एक साल यानी कि १९०३के अन्त तक रहा।

(ग) इसके बाद वह केप टाउन चला गया जहाँ उसने मेसर्स जैगर ऐंड कम्पनी, ओलसन ऐंड कम्पनी, और पीटर्सन ऐंड कम्पनीके अलावा अन्य कई जगहोंपर काम किया। वह केप टाउनमें लगभग आठ या नौ साल रहा। इस बीचमें केवल कुछ महीनेके लिए वह नौकरीके सिलसिलेमें जर्मन दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिका गया था।

१ अंग्रेजी हिज्जेके अनुसार यह फज़ूला खाँ है। अनुमान है कि नाम फज़ल खाँ रहा होगा।

(घ) इसके बाद उक्त फजल खाॅ केपसे रेलगाडीके जरिये ट्रान्सवाल वापस आया, और उसने इस प्रान्तमे बिना किसी अडचन या रुकावटके प्रवेश किया।

(ङ) जब वह जमन दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिकामे था उसी समय फजल खाँके सेवा निवृत्तिका प्रमाणपत्र और कुछ अन्य ऐसे ही ढगके कागजात गुम हो गये।

५ जिस दिन फजल खाॅकी अपील खारिज की गई, जैसा अनुच्छेद ३ मे कहा जा चुका हे, उसके तुरन्त बाद उसे निर्वासनके लिए प्रिटोरिया जेल भेज दिया गया। परन्तु उसे जेल ले जाये जानेसे पहले उसके वकील, श्री रिचने मुख्य प्रवासी अधिकारीसे भेट की और उससे कहा कि फजलखाॅको वापस केप प्रान्त भेजा जाये। श्री रिचने उन प्रमुख मालिकोके नाम भी बताये जिनके यहाॅ फजल खाॅ काम कर चुका है।

६ अगले दिन सायकाल फजल खाॅको निर्वासित करके नेटाल भेज दिया गया। उसे अपने कपडे और अपना अन्य सामान ले सकनेका अवसर भी नही दिया गया और न उसके वकीलको ही कोई सूचना दी गई। नेटालसे उसे तुरन्त भारत भेज दिया गया।

७ मुझे आपका ध्यान इस बातकी ओर दिलानेको कहा गया है कि केप प्रान्तको वापस भेजे जाने सम्बन्धी फजल खाँके अधिकारके दावेकी कोई जाच नही की गई। केपमे वह इतने वर्षों तक रह चुका था, और मेरे सघकी विनम्र रायमे उसके दावेकी जाॅच तो की ही जानी चाहिए थी, भले ही जाॅचके फलस्वरूप फजल खाँको ट्रान्सवालमे कुछ सप्ताह और जेलमे रखना पडता।

८ मेरा सघ यह भी चाहता है कि इस प्रकारके अचानक निर्वासनसे जो गम्भीर कठिनाइया पेश होती है, उनकी ओर भी मै आपका ध्यान आकर्षित करूॅं। निर्वासित व्यक्तिको पैसे और कपडोका प्रबन्ध करनेका अवसर नही दिया जाता ओर वे लगभग जैसेके-तैसे निर्वासित कर दिये जाते है। यदि खाके वकीलको कुछ घटे पूव सूचना दे दी गई होती, तो उसके मित्र उसके कपडे और कम्बल उसे पहुँचवा देते और साथमे कुछ पैसा भी दे देते जो उसे यात्रामे सहायक होता।

९ मेरा सघ विश्वास करता है कि इस मामलेके तथ्योकी आप पूरी जाच-पडताल करेगे और ऐसे कदम उठाये जायेगे कि ऐसी दुर्भाग्यपूण घटनाकी पुनरावृत्ति न हो।

आपका,
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९०४) की फोटो-नकलसे।

१७३. पत्र : मगनलाल गांधीको

[न्यूकैसिल]
आश्विन बदी ९ [अक्तूबर २४, १९१३][1]

चि० मगनलाल,

चि० जमनादासकी बात मैं भूला बिल्कुल नहीं हूँ। किन्तु तबसे एक क्षणकी भी फुरसत नहीं मिली है। इसके साथ जो पत्र है[2], उनकी व्यवस्था करना। तैयब शकूरका पता तुम्हारे पास है। ठक्कर दामोदर आनन्दजी और खेतसीको भी मेरी ओरसे पत्र लिखना। उनका ठीक नाम-पता मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारे पास है। जमनादास उनसे मिलेगा, यह भी लिखना। पत्र न लिखनेसे उनको बुरा लगेगा। [जहाज] बेरा कब पहुँचेगा, यह पता लगाना और यह पत्र कब पहुँचेगा, यह भी देखना। यदि ऐसा लगे कि पत्र समयपर न पहुँचेगा तो बेराको कम्पनीकी मारफत तार देना। यह तार अंतर्देशीय [इन्लैंड] होता है और उसका खर्च कम लगता है। तैयब शकूरको तार देना कि वे जमनादासको उतार ले और हमारे नाम रुपया लिखकर उसे बुलावायोका टिकट दिला दे एवं राह-खर्चके लिए जितना चाहिए उतना रुपया दे दे।

न्यूकैसिलमें बहुत बड़ा काम हो रहा है। दो हजार लोगोंको पैदल ट्रान्सवालमें ले जानेकी कोशिश हो रही है। जो हो जाये, सो ठीक है। मैं कुछ [सामग्री] भेज सकूँगा या नहीं, यह कह नहीं सकता। यहाँसे तार और चिट्ठी तो मन्त्री भेजता रहेगा। मेढ यहीं है। प्रागजी फोक्सरस्टमें है। मणिलाल गिरफ्तार हो गया है। मुझे पत्र नीचेके पतेसे लिखना

३७, म्योरहीजन स्ट्रीट
न्यूकैसिल

'इंडियन ओपिनियन' की एक नकल श्री लाजारसके नामसे ऊपर दिये गये पतेपर भेज देना। स्त्रियोंका ब्लाक इस अंकमें देना आवश्यक है। मुतुसे कहना। ब्लाकके सम्बन्धमें वेस्टसे कहना। उसे पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५९०६) की फोटो-नकलसे।

१ पत्रमें स्त्री सत्याग्रहियोंके चित्रका उल्लेख है जो ता० २९-१०-१३ के **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित किया गया था। तारीखका निर्णय इसी आधारपर किया गया है।

२ यह उपलब्ध नहीं है।

१७४ तार : जी० ए० नटेसनको[1]

डर्बन
[अक्तूबर २५, १९१३ से पूर्व]

खबर बिलकुल गलत। देशभरमें सभाएँ उनमें आन्दोलनका जोरदार समर्थन किया जा रहा है। समाजके सभी वर्गोंसे लगभग एक सौ स्त्री और पुरुष जेलमें पहुँच चुके हैं।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, २५-१०-१९१३

१७५ वक्तव्य वाणिज्य-मण्डलमें[2]

[डर्बन]
अक्तूबर २५, १९१३

आज सुबह कोयला, चीनी और कृषि उद्योगोंके प्रतिनिधियोंकी एक संयुक्त बैठकमें श्री गांधीने कहा कि कोयलाकी खानोंमें वर्तमान हड़तालका कारण केवल यह है कि संघ सरकारने तीन पौण्डी वार्षिक करको रद करनेका जो निश्चित वचन बार बार दिया था उसे उसने पूरा नहीं किया। श्री गांधीने कहा कि श्री गोखलेको निश्चय ही ऐसा वचन या आश्वासन दिया गया था और नीली पुस्तिकामें प्रकाशित लॉर्ड सभामें लॉर्ड ऐम्टहिल द्वारा दिये गये वक्तव्यकी रिपोर्टसे इसकी पुष्टि होती है। कर हटानेके विषयमें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चोंमें भेद नहीं किया गया था। श्री गांधीने

१ यह तार रायटरके उस तारका खण्डन करते हुए दिया गया था जो **टाइम्स ऑफ इंडियामें** २१-१०-१९१३ को प्रकाशित किया गया था और जिसमें कहा गया था कि स्थानीय भारतीय समाजमें निश्चित रूपसे फूट पड़ गई जान पड़ती है, किन्तु यह विश्वास किया जाता है कि बहुमत सत्याग्रहका समर्थन करेगा।

२ भारतीय मजदूरोंको नौकर रखनेवाले प्रमुख मालिकोंकी एक बैठक अक्तूबर २५ को वाणिज्य मण्डलमें हुई थी जिसमें गांधीजीने हड़तालकी स्थितिके सम्बन्धमें वक्तव्य दिया था। नेटालके कोयला खान मालिकोंके संघ द्वारा अक्तूबर २५ को गृह मन्त्रीके नाम भेजे गये तारसे ही यह उद्धरण लिया गया है। गांधीजीके वक्तव्यका अलगसे कोई विवरण नहीं मिलता।

कहा कि सरकार जैसे ही अपने वचनको पूरा करनेका आश्वासन देगी, वैसे ही भारतीयोंसे आन्दोलन बन्द करके कामपर लौट जानेके लिए कह दिया जायेगा।[1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३

१७६ भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी' को

डर्बन

अक्तूबर २५, १९१३

सभाके[2] बाद श्री गांधीसे 'नेटाल मर्क्युरी' के एक प्रतिनिधिने पूछा कि क्या इस बातमें कुछ सचाई है कि हड़ताल समाप्त होनेवाली है।

[गांधीजी] नहीं, हड़ताल अभी जारी है। मेरे पास डानहॉजर जिलेसे, और डंडी तथा न्यूकैसिलसे तार आये हैं कि वह जारी है। बात यह है कि आदमियोंको कोयलेकी खानोंसे हटाना था ताकि वे नेटालमें अपनेको गिरफ्तार करा सकें, या, यदि वैसा न हो तो, ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश करके वहाँ गिरफ्तार हो सकें। चूंकि यह सभा होनेवाली थी इसलिए यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। इसलिए स्थिति यह है कि हालाँकि लोग खानोंसे हटे नहीं हैं, लेकिन वे हड़तालपर हैं।

खान छोड़कर चले जानेके प्रस्तावित आन्दोलनके पीछे भाव यह था कि खान-मालिकोंसे खुराक लेना और फिर भी काम न करना ठीक बात नहीं है। मैंने स्वयं यह महसूस किया कि जबतक लोग वास्तवमें खानोंको छोड़ कर नहीं चले जाते तबतक हड़तालमें दम नहीं होगा। आगे क्या होगा, सो तो सभाके निर्णयपर निर्भर करेगा। मैं उसे पहलेसे नहीं बता सकता। कुछ भी हो, हड़ताल जारी रहेगी। मेरा अनुमान है कि लगभग ३,००० लोग हड़तालपर हैं। किन्तु इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल ठप हो जाये, उनके पास कुछ वतनी मजदूर हैं। इन वतनी मजदूरों तथा यूरोपीयोंकी सहायतासे थोड़ा-बहुत काम हो रहा है, हालाँकि कामका अधिक भाग रुका पड़ा है।

मैंने अखबारोंमें इस आशयकी रिपोर्ट देखी है कि हम शायद वतनियोंसे भी हड़ताल करनेको कहेंगे। परन्तु हमारा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं है। हम ऐसे तरीकोंमें

१ तारमें आगे कहा गया था "श्री गांधीको सुननेके पश्चात् बैठकने तय किया कि सब सरकारसे पूछा जाये कि क्या तीन पौंडी करके सम्बन्धमें उसने वह आश्वासन दिया था जिसका जिक्र श्री गांधीने किया है और जिसकी परिपुष्टि लॉर्ड सभामें दिये गये लॉर्ड ऍम्टहिलके वक्तव्यसे होती है, और क्या उक्त आश्वासन पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों, सभीपर लागू होता है, और यदि नहीं तो उसकी क्या शर्तें हैं। सब यह भी जानना चाहेगा कि तीन पौंडी करके सम्बन्धमें अब सरकारका क्या मंशा है। चूँकि हड़ताल दिन दिन फैलती जा रही है, इसलिए सब आभारी होगा यदि यह सूचना तुरन्त भेज दी जाये, ताकि अगली संयुक्त बैठकमें उसके आधारपर विचार किया जा सके।"

२ सभा वाणिज्य मण्डलमें हुई। देखिए पिछला शीर्षक।

विश्वास नही करते। हमारा मालिकोसे कोई विरोध नही है, परन्तु चूकि एसा माना जाता है कि मालिकोने — कमसे-कम उनमे से कुछ लोगोने — कर रद किये जानेका विरोध किया था, इसलिए यह प्रदर्शन जरूरी हो गया है। सरकारके यह वायदा करते ही कि ससदके आगामी अधिवेशनमे कर रद कर दिया जायेगा, हडतालियोको काम शुरू करनेकी सलाह दे दी जायेगी।

यह इरादा बिल्कुल नही है कि हडतालियोसे आम सघर्षमे भाग लेनेको कहा जाये, क्योकि तीन पौण्डी करके अतिरिक्त और भी शिकायते है जिन्हे दूर करानेके लिए आम जनताका सत्याग्रह जारी रहेगा। अन्य शिकायते है विवाहका प्रश्न, अधिवास सम्बन्धी अधिकारोका प्रश्न, मौजूदा कानूनोका कठोर प्रयोग, जैसे कि ट्रान्सवालमे स्वर्ग-कानूनका, दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोका जन्मके कारण केपमे प्रवेश कर सकनेका हक, और सामाजिक भेदभावका सैद्धान्तिक प्रश्न। यदि तीन पौण्डी करको हटा लेनेका वायदा कर दिया जाये तो भी इन शिकायतोके खिलाफ सत्याग्रह जारी ही रहेगा, हाँ, हडताल नही होगी।

मै यह भी बता दू कि हडतालमे शामिल न होनेवालोको किसी भी तरह डराया या धमकाया नही गया। हडताल बिल्कुल स्वेच्छासे की गई है, और जहातक मै देख पाया हूँ, स्वत स्फूर्त हडतालके लिए इतना ही काफी था कि वस्तुस्थिति लोगोके सामने रख दी जाये।

उन हडतालियोकी राहतके लिए, जिनकी मदद हमको करनी है, हर जगह चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है। डर्बनमे ११० बोरे चावल, दाल और अन्य चीजोका वायदा किया गया है और इसका अधिकाश रेलगाडीसे रवाना भी किया जा चुका है। और चन्देका काम अभी किया जा रहा है।[1]

यदि सभा अपने उद्देश्यमे असफल हुई तो निश्चय ही हम हडतालका दायरा बढानेकी कोशिश करेगे। परन्तु मै यह कह सकनेमें बिल्कुल असमथ हूँ कि उसे कितनी सफलता मिलेगी। जहाँ-कही भी गिरमिटिया भारतीय अथवा भूतपूव गिरमिटिया भारतीय मजदूरोकी तरह काम कर रहे है, हम उन्हे हडताल करनेकी सलाह देगे।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २७–१०–१९१३

१ परिस्थितिके विस्तृत विवरणके लिए देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास**, अध्याय ४२ और ४३।

१७७. तार : गृह-मन्त्रीको

[न्यू कैसिल
अक्तूबर २८, १९१३ से पूर्व]

नेटालके कोयला खान सघको दिया गया सरकारका जवाब पढा। मन्त्रीका ध्यान श्री काछलिया और सितम्बर २८के मेरे पत्रमे उल्लिखित श्री गोखलेको दिये गये वचनकी ओर सादर आकृष्ट करता हूँ। तब कोई खण्डन नही किया गया। हालॉकि करको रद करनेका सवाल केवल इस समय सत्याग्रहका विषय बनाया गया है, पर निश्चय ही यह बादमे सोची गई बात नही है, और यह सरकारके पास मौजूद लिखित सबूतोसे भी प्रमाणित किया जा सकता है। हमने बार बार कहा है कि गिरमिटिया भारतीय मजदूरोका सत्याग्रहके अन्य मुद्दोसे सम्बन्ध नही होगा। नेटालके स्वतन्त्र भारतीय अवश्य सामान्य मॉगोके लिए सघर्ष कर रहे है। विवाह, दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे भारतीयोका केपमे प्रवेश, प्रवासी कानून, परवाना कानून आदि प्रश्नोका अन्य प्रान्तोकी अपेक्षा नेटालपर ज्यादा प्रभाव पडता है। यह देखते हुए कि पर्याप्त समय रहते नोटिस दे दिया गया था, सरकार हडतालकी शिकायत नही कर सकती। जो भी हो मन्त्रियोसे अनुरोध है कि हडतालको एक धमकी नही, बल्कि करके विरुद्ध तीव्र भावनाकी जोरदार अभिव्यक्ति माने। सैकडो गरीब, असहाय और अपेक्षाकृत अज्ञानी लोग काल्पनिक और अननुभूत कष्टो अथवा अपने-आपमे गम्भीर किन्तु केवल सिद्धान्तोपर आधारित शिकायतोपर ध्यान नही देगे। अतएव मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय करके प्रश्नपर उसके गुण-दोषोकी दृष्टिसे विचार करे।[1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३

१ इसके जवाबमें सरकारने लिखा "आपके तारके सम्बन्धमें सूचित किया जाता है कि सरकारने श्री गोखले अथवा किसी अन्य व्यक्तिको वैसा कोई वचन नहीं दिया है जैसा कि श्री गाधी कहते है कि दिया गया है।"

१७८ पत्र : गो० कृ० गोखलेको

न्यूकैसिल
अक्तूबर २९, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

पोलक आपको सघषकी प्रगतिसे अवगत रखते ही है। मै जल्दी ही हडतालियोके साथ गिरफ्तार होनेके लिए कूच कर रहा हूँ। इस पत्र द्वारा मै आपसे यह अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कृपया लन्दनमे श्री पोलकके निवासकी सुविधा कर दे। उस हालतमे वे सावजनिक काय कर सकेगे और लन्दन-समितिको भी सभाल सकेगे। मै समझौता होते ही दक्षिण आफ्रिका छोड दूगा और उनका ख्याल है कि मेरे चले जानेके बाद वे दक्षिण आफ्रिकामे रहकर कारगर ढगसे काम नही कर सकेगे। मै उनके इस ख्यालसे सहमत हूँ। श्री दुबेने उन्हे लन्दनमे बसनेका निमन्त्रण दिया है। किन्तु यह तो तभी हो सकता है जब उन्हे भारतके ऐसे कुछ वकीलोसे मदद मिलती रहे जिनका प्रिवी कौसिलके मुकदमोसे सम्बन्ध रहता है। आप जानते ही है, वे वहाँ प्रिवी कौसिलमे एजेटके रूपमे वकालत करना चाहते है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३१) से।

१७९. तार : गृह-मन्त्रीको

[चार्ल्सटाउन
अक्तूबर ३०, १९१३]

गृह-मन्त्री
प्रिटोरिया

न्यूकैसिल भारतीय समितिको पता चला है कि जेल डॉक्टरने भारतीय सत्याग्रही महिलाओके ब्लाउज़ उतार कर और बाँह पकड कर जबर्दस्ती टीके लगाये। महिलाओको घी भी नही दिया जाता। अनुरोध है कि जाँच की जाये और शीघ्र राहत दी जाये।[१]

गाधी

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, ५–११–१९१३

१ इसके उत्तरमें जेल-निदेशकने लिखा कि न्यूकैसिलके मजिस्टेटको यह निर्देश दे दिया गया है कि यदि सत्याग्रहियोंको टीका लगवानेमें धार्मिक आपत्ति हो तो उनको जबर्दस्ती टीका न लगाया जाये।

१८० न्याय-सचिवको लिखे पत्रका सारांश[1]

[चाल्सटाउन
अक्तूबर ३१, १९१३]

श्री गाधीने ३१ तारीखको चार्ल्सटाउनसे न्याय-सचिवको एक पत्र लिखकर सूचित किया कि भारतीय बहुत बडी सख्यामें गिरफ्तारीके लिए आगे आ गये है और चूँकि सरकारके पास उनको रखने और खिलानेका कोई इन्तजाम नही है इसलिए वहाकी भारतीय समिति सरकारके खर्चपर उनके खाने ठहरनेका प्रबन्ध कर रही है। श्री गाधीने सुझाव दिया कि सभी लोगोको गिरफ्तार कर लिया जाये, और कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो न चाहते हुए भी वे ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए अपना कूच जारी रखनेपर विवश होगे। उन्होने सरकारको चेतावनी दी कि वह सरहदपर भारतीयोको स्वतन्त्र न रहने दे। श्री गाधीने कहा कि सत्याग्रहियोकी इच्छा इस बातकी पूरी चौकसी रखनेकी है कि एक भी भारतीय चोरी-छुपे प्रवेश न करने पाये।[2]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१८१. प्रवासी-अधिकारीको लिखे पत्रका सारांश[3]

[चार्ल्सटाउन
अक्तूबर ३१, १९१३]

श्री गाधीने उसी दिन एक पत्र प्रिटोरिया-स्थित प्रवासी अधिकारीको लिखा था। इसमें बताया गया था कि यद्यपि सत्याग्रही यह घोषित करते है कि वे अपील नही करना चाहते। फिर भी समस्त सत्याग्रहियोको ट्रान्सवालकी सीमापर अपील करनेके लिए तीन दिनका नोटिस दिया जाता है और उन्हे इच्छानुसार इधर उधर घूमने दिया जाता है। श्री गाधीकी रायमें अधिनियमकी रूसे सभी स्थितियोमें चेतावनी देना जरूरी नही है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१ मूल पत्र उपलब्ध नही है।

२ हड़तालकी स्थितिसे निपटनेकी सरकारी नीति क्या थी, इसका जिक्र गवर्नर जनरल द्वारा ६ नवम्बरको उपनिवेश मन्त्रालयको भेजे गये खरीतेमें किया गया है, देखिए परिशिष्ट १०।

३ मूल पत्र उपलब्ध नही है।

१८२ भेंट · रायटरको[1]

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ३, १९१३]

श्री गाधीने भेंट किये जानेपर कहा कि वे १,५०० लोगोको गिरफ्तार होनेके लिए ट्रान्सवालमें ले जानेका विचार करते हैं। यदि वे गिरफ्तार न किये गये तो वे आगे चले जायेंगे और सम्भवत लॉलीके पास श्री कैलेनबैकके टॉल्स्टॉय फार्ममे ठहर जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–११–१९१३

१८३ तार : गो० कृ० गोखलेको

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ४, १९१३ से पूव]

पाँच हजार लोग हडतालपर, जिनमे से चार हजारको खिलाना होता है। इनमे तीन हजार स्त्रियाँ हैं और छ सौ बच्चे। तीन सौ जेलमे हैं और अन्य दो सौ गिरफ्तार कर लिये गये हैं। पन्द्रह सौ हडताली चाल्सटाउनमे हैं और बाकी गिरफ्तार होनेके निमित्त सीमा पार करनेसे पूर्व न्यूकैमिलमे इकट्ठे हो रहे हैं। हडतालियोमे उत्साह बढ रहा है। कई जगह पादरी लोग हमारी शिकायत दूर करवानेके लिए कारवाई कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इडिया, ५–११–१९१३

१ गाधीजीने कूच करनेवालोंके साथ चार्ल्सटाउनमें पडाव डाला था। वहाँ रायटरके सवाददातासे उनकी भेंट हुई थी जिसका केवल एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है।

१८४. भेट. 'नेटाल मर्क्युरी' को

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ५, १९१३]

श्री गाधीने खुशी-खुशी भेंट दी, किन्तु उन्हे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना था कि वे और उनके साथी अब भी कृत सकल्प है और अगले दिन ट्रान्सवालमें प्रवेश करेंगे। और यदि उन्हे रोका न गया तो वे सीधे टॉल्स्टॉय फार्म पहुँचने तक बढ़ते जायेंगे। उसके बाद वे वहाँ उस समय तक शान्तिपूर्वक रहेंगे जबतक सरकारसे उनकी कोई सन्तोष-जनक शर्तें तय नही हो जातीं। कूचकी सब व्यवस्था कर दी गई है और कूचके रास्तेमें आठ विभिन्न स्थानोमे भोजनके भण्डार खोल दिये गये है। श्री गाधीने कहा, हमारा उद्देश्य गिरफ्तार होना है। किन्तु हम हर काम बिलकुल खुले रूपमें करना चाहते हैं और हमने सरकारको सारी तफसील बता दी है।[1]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१८५ तार. गो० कृ० गोखलेको

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ६, १९१३ से पूव]

हडताल जारी है। सरकार सत्याग्रहियोको गिरफ्तार नही कर रही है। मासिक खच ७,००० पौडसे ज्यादा है। प्रतिमास सामान और नकदीके रूपमे १००० पौड तक स्थानीय चन्दा आनेकी आशा है। मै गुरुवारको[2] चार हजार लोगोको लेकर ट्रान्सवालमे जा रहा हूँ। बहुत कष्टोका सामना करना पड रहा है। जो शिविर बनाये गये है उनमे कई बच्चे पैदा हुए हैं। कूचमे दो बच्चे मरे भी।

[अग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इडिया, ७-११-१९१३

१ गाधीजीने अन्तिम क्षण तक सघर्षको टालना चाहा। विस्तृत विवरणके लिए देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय ४३।

२, नवम्बर ६।

१८६. लडाईके समाचार

[चाल्सटाउन
नवम्बर ६, १९१३ से पूर्व]

ट्रान्सवाल कूचके दौरान श्री एम० सी० देसाईने गिरमिटिया मजदूरोकी बडी सेवा-शुश्रूषा की। उन्होने लोगोको चाय दी और थकी हुई स्त्रियोको आश्रय दिया। स्टैंडर्टनमे स्थानिक भारतीय समाजने १,००० टीन जाम दिया और लोगोकी मदद की। वाल स्टेशनपर श्री पटेलने मदद की, उन्होने जो लोग बीमार हो गये थे उन्हे अपने घरमे आश्रय दिया। श्री बदात दो मजिलो तक लोगोके लिए रोटी आदि लेकर आगे आगे ट्रेनमे गये। श्री वलीपीर भाईने पहली मजिल तक के लिए सामान ढोनेके लिए अपनी गाडी दी। डॉ० ब्रिसकोने यात्रियोके लिए लगभग ४ पौड मूल्यकी दवा मुफ्त दी। इगोगोके श्री सीदातने न्यू कैसिलसे कूच करनेवाले यात्रियोको चाय-बिस्कुट आदि दिये। इस तरह हरएक जगह भारतीयोने यात्रियोकी मेहमानी की। चाल्सटाउनके भारतीय समाजने भी इस दिशामे काफी योग दिया और देता रहता है। श्री शेख मकदूम हमेशा अपना सारा समय इसीमे लगाते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–११–१९१३

१८७. तार : गृह-मन्त्रीको

[पामफोर्ड
नवम्बर ७, १९१३]

मुझे खुशी है कि सरकारने सत्याग्रह आन्दोलनके मुख्य सचालकको अन्तत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मै यह कहे बिना नही रह सकता कि इन्सानियतकी दृष्टिसे, गिरफ्तारी इस अवसरपर अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारको शायद ज्ञात है कि कूच करनेवालोमे १२२ औरते और पचास सुकुमार बच्चे है। सभी लोग स्वेच्छासे अधपेट खुराकपर कूच कर रहे है। पडावोमे ठहरनेकी व्यवस्था नही होती। ऐसी परिस्थितियोमे मुझे उनसे अलग करना न्यायकी सभी भावनाओका उल्लघन करना है। पिछली रातको गिरफ्तार होनेपर लोगोको कोई सूचना दिये बिना मै चला आया। वे शायद क्रुद्ध हो उठे। अतएव अनुरोध है कि या तो मुझे लोगोके साथ कूच करनेकी अनुमति दी जाये या सरकार उन्हे रेलगाडीसे टॉल्स्टॉय फार्म भेज दे और उनके लिए पूरी खुराक मुहैया करे। जिस व्यक्तिमे उन्हे पूरा भरोसा है, उसे

उनसे दूर कर देना, और सरकार द्वारा उनके भोजन आदिके लिए प्रबन्ध न करना, मेरी रायमे एक ऐसा काय है जिसपर पुर्नविचार करनेपर आशा है सरकार अपना कदम वापस ले लेगी। मुझे विश्वास है कि कूचके दौरान अवाछनीय घटनाएँ हो या कोई मर जाये, विशेषतया दुधमुँहे बच्चोवाली औरतोमे से कोई मरे तो जिम्मेदारी सरकारकी होगी।[1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१८८ जमानतकी दर्खास्त[2]

स्टैंडटन
नवम्बर ८, १९१३

अभियुक्तने अपना अपराध स्वीकार करनेसे पूर्व कहा कि मैं पहलेसे ही जमानतपर हूँ, और फिर प्रार्थना की कि उसकी जमानत मजूरकी जाये। अभियुक्तने कहा, जमानत-पर रिहाईकी प्रार्थनाका मेरा उद्देश्य यह है कि मैं कूच करनेवालोको गन्तव्य स्थान तक पहुँचा सकूँ। सरकारी वकीलने कहा कि अभियुक्त यदि प्रदर्शनमें आगे भाग लेनेसे विरत न हो तो उसकी जमानत मजूर न की जाये। अभियुक्तने कहा कि मैं यह आश्वासन देनेके लिए तैयार नहीं हूँ।[3]

[अंग्रेजीसे]

स्टार, ८-११-१९१३

१ स्पष्ट है कि यह तार गाधीजीके जमानतपर रिहा होनेके बाद भेजा गया होगा।

२ गाधीजीपर निषिद्ध लोगोंको ट्रासवालमें प्रवेशके लिए उकसाने या उसमें उन्हें सहायता देनेका आरोप लगाया गया था।

३ **ट्रान्सवाल लीडर**में छपी एक खबरके अनुसार जब सरकारी वकीलने गाधीजीकी जमानतकी प्रार्थनाका विरोध किया तब मजिस्ट्रेटने बताया कि कानूनमें प्रत्येक कैदी, जिसे मृत्यु-दण्ड नही दिया गया है, अपनी पेशीके लिए जमानतकी अनुमति दिये जानेका अधिकारी होता है और कहा कि "श्री गाधीको उस अधिकारसे वचित नही किया जा सकता।" तब गाधीजी ५० पौंडके मुचलकेपर छोड दिये गये और मुकदमा २१ तारीखके लिए मुलतवी कर दिया गया। गाधीजी ज्यो ही रिहा किये गये, त्यो ही दलने आगे कूच किया। इससे आगेके कूचका विस्तृत आँखों देखा हाल परिशिष्ट ११ में देखिए।

१८९ भेट : रायटरको[1]

स्टैंडटन
नवम्बर ८, १९१३

श्री गाधी ने उत्तर दिया कि उन्हे विश्वास है, सरकार करको रद कर देगी। वे निश्चयपूर्वक जानते है कि सरकारने श्री गोखलेसे कहा था कि वह करको रद करना चाहती है।

[गाधीजी] यदि सरकार कर दिये जानेका कोई उचित कारण बता सके तो भारतीय इसे दे देंगे। किन्तु इसे देनेका कोई उचित कारण अभी तक नही बताया गया है। [कूच करनेवालाकी] भीड बहुत अनुशासित और पूणत नियन्त्रित है।

[अग्रेजीमे]

स्टार, ८-११-१९१३

१९०. पत्र : भारतीयोको[2]

[नवम्बर ११, १९१३ से पूर्व]

आजके जैसा सघर्ष फिर कभी नही छिडनेका। सघर्ष अपनी पराकाष्ठापर पहुँच गया है। गरीब गिरमिटिया भारतीयाने अपूर्व साहस दिखाया है और असीम दु ख उठाया है। कितने लोग डेढ रतल रोटी और एक मुट्ठी शक्करपर निर्वाह करके रोज २४ मील पैदल चल सकते है? यह काम हमारे गरीब भाइयोने कर दिखाया है। वे घोडोकी टापोसे कुचले गये है, उन्होने गोरोके मुक्के और ठोकरे सही है, स्त्रियाँ दो दो माहके बच्चोको गोदमे लिये और गठरियाँ सिरपर लादे कडी दोपहरीमे पैदल चली है। सबको धूप, जाडा और वर्षाका सामना करना पडा है—यह सब किसकी खातिर? भारतकी खातिर। इस प्रकारके बलिदानके परिणाम-स्वरूप तीन-पौडी कर तो खत्म होगा ही, साथ ही भारतका मान बढेगा।

ट्रान्सवालके कूचको मै पूण रूपसे सफल मानता हूँ। उसका उद्देश्य सत्याग्रहियोका अपने-आपको गिरफ्तार कराना था और वे सबके-सब गिरफ्तार हो गये है।

१ गांधीजी फोक्सरस्टसे लगभग २,००० सत्याग्रहियोके साथ स्टैंडर्टन आये थे। जिन ८५ भारतीयोंने हेटिंगस्पूट कोयला खदान छोड़ दी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रायटरके एक प्रतिनिधिने गाधीजीसे भेंट की थी और यह पूछा था कि "उनके खयालसे इस प्रदर्शनका परिणाम क्या होगा?"

२ गाधीजीने अपना यह संदेश नवम्बर ११, १९१३ को डडी जेल ले जाये जानेके पूर्व भेजा था।

परन्तु सघर्ष रग तो अब लायेगा। इसमे वे लोग भाग ले सकते है जो जेल नही जाना चाहते। उन्हे केवल इतना ही सकल्प करना है कि वे स्वय भूखे रहकर हडताल करनेवालोको भोजन देगे। भारतसे रुपया आये या न आये, हमारे यहासे ही पूरा भोजन जुटाना चाहिए। हडतालियोको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि उन्हे कोई चाहे जितना मारे-पीटे वे बदलेमे हाथ न उठाये। इतना तो प्रत्येक भारतीय कर ही सकता है। ऐसा अवसर फिर हाथ नही आनेका। प्रत्येक भारतीय यह ठान ले सकता है कि वह दिनमे जितनी बार भोजन करता हो उससे एक बार कम करेगा, और बचे हुए पैसोसे भूखोको भोजन दिया करेगा। हर स्थानके व्यापारियोको चाहिए कि यदि कोई हडताली वहाँ आ पहुँचे तो वे उसे भोजन और आश्रय दे और फिर उसे वहाँ भेज दे जहाँ बडी तादादमे हडतालियोको भोजन देनेकी व्यवस्था है। इस महान् अनुष्ठानमे जो भारतीय यथाशक्ति योग नही देगा उसे मै अभागा मानूगा।

भारतीयोका सेवक,
सत्याग्रही
मोहनदास करमचन्द गाधी

[गुजरातीसे]
इडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३

१९१ डडीमे मुकदमा

[डडी
नवम्बर ११, १९१३]

इसी माहकी ११ तारीखको श्री गाधीपर डडीके रेजिडेंट-मजिस्ट्रेट श्री जे० डब्ल्यू० क्रॉसकी अदालतमें तीन अपराध लगाये गये जिनमें एक आरोप गिरमिटिया प्रवासियोको प्रान्त छोड देनेके लिए भडकानेका था। अदालत भारतीयो और यूरोपीयोसे खचाखच भरी थी। महान्यायवादीकी विशेष हिदायतपर श्री डब्ल्यू० डेलजल टर्नबुल सरकारी पक्षकी ओरसे, और एडवोकेट जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रे श्री गाधीकी ओरसे अदालतमें उपस्थित हुए। श्री गाधीने अपराधोको स्वीकार किया।

श्री टर्नबुलने अभियोगसे सम्बन्धित कानून पढा और मामला न्यायाधीशपर छोड दिया।

श्री गॉडफ्रेने कहा कि मै प्रतिवादीसे वचनबद्ध हूँ कि चाहे जो हो किसी भी रूपमे सजा कम न करनेकी प्रार्थना करूँ। श्री गाधी जिन परिस्थितियोमें मजिस्ट्रेटके सम्मुख उपस्थित हुए हैं उनसे सब लोग परिचित है। मै तो यह कहकर केवल प्रतिवादीकी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि मजिस्ट्रेटको एक कर्त्तव्य पूरा करना होता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कर्त्तव्य निर्भीकतासे पूरा करे और

इसलिए यदि उसे लगे कि मामलेकी परिस्थितियोमें यह सजा न्यायोचित है तो उसे कैदीको बडीसे-बडी सजा देनेमें सकोच नहीं करना चाहिए। श्री गाधीने अदालतकी अनुमति ली और निम्नलिखित बयान दिया —

वकालतके पेशेका एक सदस्य और नेटालका एक पुराना अधिवासी होनेके नाते, मेरी समझमे मुझे अपने और जनताके प्रति न्याय बरतते हुए कहना चाहिए कि मेरे खिलाफ लगाये गये अभियोगोका यह अर्थ निकलता है कि मुझपर डाली गई जिम्मेदारीको मैने स्वीकार किया। मेरी मान्यता है कि जिस प्रदर्शनके लिए ये लोग प्रान्तसे बाहर ले जाये गये उसका उद्देश्य अच्छा था। मुझे कहना चाहिए कि मालिकोसे मेरा कोई विरोध नहीं है और मुझे इस बातका अफसोस है कि इस आन्दोलनमे उनका भारी नुकसान हो रहा है। मै मालिकोसे भी अपील करता हूँ और खुद तो महसूस करता ही हूँ कि कर ऐसा है जो हमारे देशवासियोको बहुत भारी पड रहा है और उसे हटा दिया जाना चाहिए। मै यह भी अनुभव करता हूँ कि श्री स्मटस और प्रोफेसर गोखलेके बीच मान्य स्थितिको ध्यानमें रखते हुए मुझे उनकी सम्मान रक्षाके लिए एक जोरदार प्रदशन करना होगा। मै उन कष्टोसे भली भाँति परिचित हूँ जो स्त्रियो और गोदके बच्चोको झेलने पडते है। कुल मिलाकर, मै समझता हूँ कि जिस पेशेका म सदस्य हूँ मैने उसके सिद्धान्तो और प्रतिष्ठाका अतिक्रमण नही किया है। मै महसूस करता हूँ कि मने अपने देशवासियोको यह सलाह देकर अपने कत्तव्यका पालन किया है, और उन्हे फिरसे यही सलाह देना मेरा कर्त्तव्य है कि जबतक कर नहीं हटाया जाता तबतक वे काम छोड दें और दानसे प्राप्त अन्नपर गुजारा करें। मुझे अच्छी तरहसे मालूम है कि कष्ट सहे बिना उनकी शिकायतें दूर होना असम्भव है।

इसके बाद मजिस्ट्रेटने निम्नलिखित फैसला सुनाया —इस मामलेमें अभियुक्तने तीन अभियोगोको स्वीकार किया है और कानूनके जिस खण्डके अन्तर्गत अभियुक्तपर आरोप लगाया गया है उसके अनुसार प्रत्येक प्रवासीको प्रान्त छोडनेके लिए उकसाने या उकसानेकी कोशिश करनेके अपराधमें उकसाये गये प्रतिव्यक्तिपर २० पौंडका जुर्माना किया जा सकता है। श्री गाधी एक शिक्षित सज्जन है, और उन्हे वकालतके पेशेका एक सदस्य होनेका सम्मान प्राप्त है। तथा उन्होने जो भी किया है वह अपने कार्योंके परिणामको जानते हुए किया है। फिर मजिस्ट्रेटने उन परिस्थितियोका जिक्र किया जिनमें भारतीय इस प्रान्तम लाये गये और उन शर्तोंका भी उल्लेख किया जिनपर वे गिरमिटकी मियाद पूरी होनेके बाद बने रहनेको राजी हुए थे। मजिस्ट्रेटने जनरल स्मट्स द्वारा भारतीयोको दिये गये तथाकथित वादेके सम्बन्धमें भारतीयोके इरादेका भी उल्लेख किया। नेटालके ससद सदस्योने स्त्रियो और बच्चोकी हदतक करको हटानेकी बात मान ली थी लेकिन पुरुषोपर से नहीं। अतएव भारतीयोको दिया गया वचन सरकारने नहीं तोडा। म समझता हूँ कि इसी आधारपर श्री गांधीने भारतीयोको

हड़ताल करनेकी सलाह दी थी। हड़ताल करना कानूनकी अवज्ञा करना है और सरकारकी स्थिति यह है कि जबतक भारतीय हड़तालपर हैं तबतक उसके लिए कर हटानेके सम्बन्धमें किसी कानूनपर विचार करना असम्भव है। प्रतिवादी अपने धमकी-भरे आचरणसे लोगोकी तबाही और अपने कष्ट ही बढा रहा है। इसलिए मै भारतीयोको सत्याग्रह समाप्त करने और सरकारको आवेदनपत्र देनेकी सलाह देता हूँ। मै यह भी मानता हूँ कि भारतीय उन यूरोपीयोकी सहानुभूति भी खो रहे है जो कर हटानेके सम्बन्धमें उनके साथ है। श्री गाधी-जैसे सज्जनके आचरणपर जानबूझकर कानूनका उल्लघन करनेके लिए सजा सुनाना एक दु खद कर्त्तव्य है, लेकिन मुझे अपने कत्तव्यका पालन करना है, और उनके वकील श्री गॉडफ्रेने मुझे निभयतापूर्वक अपने कत्तव्यका पालन करनेको कहा है। चूकि अभियुक्तने अभियोगोको स्वीकार कर लिया है अत मै (मजिस्ट्रेट) उसे मानकर निम्नलिखित सजा देता हूँ पहले जुर्मपर २० पौंड या तीन महीनेकी सख्त कैद, दूसरे जुमपर २० पौड या तीन महीनेकी सख्त कैद जो पहली सजाके समाप्त होनेपर शुरू होगी, तीसरे जुर्मपर २० पौंड या तीन महीनेकी सख्द कैद जो दूसरी सजाके समाप्त होनेपर शुरू होगी।

श्री गाधीने स्पष्ट और शान्त आवाजमें कहा

मै जेल जाना पसन्द करूँगा।[1]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–११–१९१३

१९२. हड़तालियोको सन्देश[2]

[डडी
नवम्बर ११, १९१३]

तीन पौडी कर रद हुए बिना हड़ताल बन्द नही होगी। मुझे कैदकी सजा देनेके बाद, अब सरकार शालीनताके साथ कर रद किये जानेके सम्बन्धमे ऐलान कर सकती है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–११–१९१३

१ इष्टमित्रोंकी एक बहुत बड़ी भीड़ बाहर गांधीजीकी प्रतीक्षा कर रही थी परन्तु पुलिस उन्हें गुप्त रूपसे निकाल ले गई और कोई भी जान नहीं पाया कि वे कैसे ले जाये गये।

२ मुकदमेके बाद जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रेने गाधीजीसे भेंट की। उन्होंने कहा कि "मैं प्रसन्न और आश्वस्त हूँ।" गांधीजीने यह सन्देश भी उनके ही हाथों भेजा था।

१९३. पत्र : मगनलाल गांधीको

डंडी जेल
मंगलवार, नवम्बर ११, १९१३]

चि० मगनलाल,

मुझे ९ माहकी जेलकी सजा हुई है, दूसरी दो जगहोंमें यदि छ-छ माहकी सजा हो तो कुल मिलाकर २१ माहकी हो जायेगी। ऐसा हुआ तो मैं अपनेको अत्यधिक भाग्यशाली मानूंगा। वेश बदले बिना ही सजा हो गई यह अच्छा हुआ, ज्यादा झंझटसे बच गया। हड़ताल शुरू होनेके बाद आज पहला दिन है जब मुझे कुछ अवकाश मिला है। जमनादासके बारेमें कुछ खबर तो जरूर मिली होगी। मेरे नाम-पर जो पैसा है उसपर कहीं सरकारकी नजर न पड़े इस डरसे मैंने श्री कैलेनबैकको लिखा है कि यह पैसा तुम्हारे और वेस्टके नामपर कर दिया जाये। श्री गोखले जो पैसा भेजें उसकी भी ऐसी ही व्यवस्था करना। जो भी चैक काटे जायें उनपर तुम्हें नजर रखनी है। कुमारी श्लेसिन या अन्य जो कोई भी बाहर होगा तुम्हें हिसाब देगा। पैसेपर उमर सेठ और काछलिया सेठकी देखरेख रहनी चाहिए। जबतक हड़ताल चल रही है, खर्च ज्यादा तभी तक होगा। यदि लोग मेरी गैरहाजिरीमें भी अपना कर्त्तव्य बखूबी करते रहे, तो तीन पौंडी करका सवाल अवश्य हल हो जायेगा।

मेरे जेल जानेके परिणाम-स्वरूप तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, और मैं यहां आराम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जेल जाते हुए अब मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। आजके मामलेमें, बच निकलनके लिए, कानूनमें बहुत गुंजाइश थी। किन्तु मैं इस गुंजाइशका लाभ कैसे ले सकता था? ऐसा करता तो मोहका दोषी होता। बाहर रहकर ज्यादा काम कर सकूँगा, ऐसा सोचूं तो यह अभिमान होगा। इसीलिए मैं अपने निश्चयपर दृढ़ रहा। जेम्स गॉडफ्रेने आग्रह किया कि उसे मेरे मामलेकी पैरवी करने दी जाये, इसलिए उन्हें वैसा करने दिया। उन्होंने कहा है कि वे मामलेकी पूरी रिपोर्ट भेजेंगे। गुरुवारके दिन मुझे डंडीसे फोक्सरस्टके मुकदमेके लिए ले जाया जायेगा।

यदि तुम मुझे कोई पत्र लिखना चाहो, तो लिखकर श्री बदातको भेजना। उस हालतमें वह सम्भवतः मुझे मिल जायेगा।

डॉक्टरने आजसे ही मेरे आहारके लिए फल आदिका हुक्म कर दिया है। इसलिए अब कोई कष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है। कूचका विवरण लिखना सम्भव हुआ, तो लिख भेजूंगा। अद्‌भुत अनुभव हुआ। उससे प्रेरित होकर कल मैंने यह निश्चय किया कि जबतक कर खत्म करनेका वचन नहीं मिलता तबतक दिनमें एक ही बार खाऊँगा। अंग्रेजी तिथिकी गणनाके अनुसार चार माह पूरे हो चुके हैं। इस

व्रतमें मैंने नीबू या नारगीका पानी पीनेकी छूट रखी है। और ज्यादा नही लिख सकता।

मोहनदासके आशीर्वाद

मगनलाल के० गाधी,
फीनिक्स, नेटाल।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० २५३८) की फोटो-नकलसे।

१९४. फोक्सरस्टमें मुकदमा

[फोक्सरस्ट
नवम्बर १४, १९१३]

श्री गाधी अदालतमें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री जूस्टके सामने पेश हुए। उनपर प्रवासी नियमन अधिनियमके खण्ड २० के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया था। उन्होने अपना अपराध स्वीकार किया, परन्तु पोल्डट नामक एक सत्याग्रहीको औपचारिक गवाहके रूपमें पेश किया गया।

गवाहने कहा कि मै बैलेनगीख खान-क्षेत्रमें काम करता हूँ और मुझे याद है कि चालू महीनेमें बहुत-से भारतीयोके साथ मैंने ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश किया था। पोल्डटने कहा कि श्री गाधी चार्ल्सटाउनसे जोहानिसबर्ग तक उनका नेतृत्व कर रहे थे। पोल्डटने श्री गाधीकी शिनाख्त की, और कहा कि यही नेता थे। पोल्डटने कहा, मै जानता हूँ कि मुझे इस प्रान्तमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि मै एक निषिद्ध प्रवासी हूँ।

श्री गाधीने कहा कि मै गवाहसे दो प्रश्न पूछना चाहूँगा।

पोल्डटने ट्रान्सवालमे क्यो प्रवेश किया?

पोल्डटने कहा कि मैंने तीन पौंडी करके खिलाफ विरोध-प्रदर्शनके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेश किया।

यदि उक्त तीन पौडी कर हटा लिया जाता तो क्या पोल्डट अपनी खानको वापस लौट जाता?

पोल्डटने कहा, हाँ, यदि सरकार तीन पौंडी कर हटानेको राजी हो जाती तो मै वापस चला जाता।

श्री गाधीसे पूछा गया कि क्या वे कोई बयान देना चाहते है?

श्री गाधीने तब अदालतको सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि अभियुक्त शपथ लेकर एक बयान देना चाहता है।

मोहनदास क० गाधीने शपथ ग्रहण करनेके बाद कहा[1]

मै स्वीकार करता हूँ कि मैंने न केवल इस गवाहको, वरन् सैकडो अन्य भारतीयोको भी, जिनके बारेमे मै यह जानता था कि वे निषिद्ध प्रवासी है, सलाह दी कि वे

१ **इंडियन ओपिनियनमें** इस बयानको अप्रत्यक्ष शैलीमें दिया गया है। यह वक्तव्य ट्रान्सवालकी अदालतके रेकार्डसे लिया गया है।

नेटालसे सीमा पार करके ट्रान्सवालमे प्रवेश करे। ऐसा करनेके अपने इरादेकी सूचना मैंने गृहमन्त्रीको काफी पहले दे दी थी, और फोक्सरस्टमे प्रवासी अधिकारीसे मैंने खास तौरपर भेंट करके उन्हे उस दिनकी तारीख भी सूचित कर दी जिस दिन मेरा इरादा सीमा पार करनेका था। मैंने सरकार और प्रवासी अधिकारी दोनोको बताया कि ऐसा करनेमे मेरा इरादा सिर्फ उस तीन-पोंडी करके प्रति विरोध प्रदर्शित करनेका है जो सम्बन्धित व्यक्तियोको बहुत भारी पड रहा है, मै चाहता हूँ कि सीमा पार करनेवाले जत्थेके साथ मै स्वयको गिरफ्तार भी करवाऊँ। मैंने सरकार और प्रवासी अधिकारीको विश्वास दिलाया कि मेरी यह इच्छा कदापि नही है कि सीमा पार करनेवालोमे से एक भी आदमी ट्रान्सवालमे रुके और वहाँ बस जाये। मैंने यह भी कहा कि चूकि मेरे साथ सीमा पार करनेवालोकी सख्या बहुत बडी है, मेरे लिए यह नितान्त असम्भव होगा कि मै हर समय उन्हे जहा-तहाँ घूमनेसे रोक सकू, इसलिए मै चाहता हूँ कि सरकार इन लोगोकी जिम्मेदारी ले ले। ट्रान्सवालमे इस पूरे कूचके दौरान मैंने लोगोको बराबर नियन्त्रणमे रखनेकी कोशिश की, और उन्हे इधर-उधर होनेसे रोका। मेरा दावा है कि इस फौजी दस्तेके, यदि इसे फौजी दस्ता कहा जा सके तो, एक भी भारतीयने अपना दस्ता नही छोडा। मैंने हाइडेलबगमे सुना था कि फोक्सरस्टमे एक अवधान-समिति (विजिलेंस कमिटी) का सगठन किया गया है जिसका उद्देश्य, मै समझता हूँ, सरकारसे प्रवासी-कानूनपर अमल करवाना है। इसलिए इस समितिका, और मेरे तथा मेरे साथ काम करनेवालोका उद्देश्य समान है। अदालतके माध्यमसे मै यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वतमान आन्दोलनका यह मन्शा कदापि नही है कि भारतीय ट्रान्सवालमे निवासके उद्देश्यसे प्रवेश करे। अपनी समझमे मै ईमानदारीसे यह दावा कर सकता हूँ कि ट्रान्सवालमे मेरे सम्पूण सावजनिक जीवनके पीछे यही भावना रही है कि चोरी-छिपे प्रवेश और गैरकानूनी निवासको रोकनेमे मै सरकारकी सहायता करूँ। फिर भी मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है क्योकि मै जानता हूँ कि मैंने बडे पैमानेपर कानूनके उस खण्डका उल्लघन किया है जिसके अन्तर्गत मुझपर अभियोग लगाया गया है। मै यह भी जानता हूँ कि मैंने जो कदम उठाये है वे जबरदस्त जोखिमसे भरे हुए है, और जिन लोगोने मेरी सलाह मानी है उनको व्यक्तिगत रूपसे भयकर कष्ट उठाने पडेगे, परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके २० सालके अनुभवपर आधारित बहुत गम्भीर चिन्तनके बाद मै इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि ऐसे कष्ट-सहनसे कम कोई भी चीज सरकार और उस सघके निवासियोकी अन्तरात्माको नही हिला सकेगी जिसके कानूनोका तथाकथित उल्लघन करनेके बावजूद मै उसका एक समझदार और कानून माननेवाला नागरिक होनेका दावा रखता हूँ।

इसके बाद अदालत पन्द्रह मिनटके लिए स्थगित हो गई ताकि न्यायाधीश अपने निर्णयपर विचार कर लें।

वापस आनेपर श्री जूस्टने तीन महीनेकी कैदकी सजा सुना दी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९१३

१९५. पोलकके मुकदमेमे गवाही[1]

[फोक्सरस्ट,
नवम्बर १७, १९१३]

श्री गाधीने गवाहीमें कहा कि ट्रान्सवालमें कूच करनेका निर्णय करनेमें श्री पोलककी राय नही ली गई थी। श्री पोलकका इरादा १४ नवम्बरको भारतके लिए रवाना होनेका था, और मुझे पता था कि डर्बनसे उनकी रवानगीके सारे प्रबन्ध किये जा चुके है। यदि ग्रेलिंगस्टाड पहुँचनेसे पूव गवाह (अर्थात् श्री गाधी) कैद न हो जाता तो श्री पोलकने निश्चय ही उस स्टेशनसे साथ छोड दिया होता। परिस्थितियोको देखते हुए श्री गाधीने सोचा कि श्री पोलक जुलूसका नेतृत्व करें और उसे गन्तव्य-स्थान तक पहुँचा दें ताकि लोग तितर-बितर न हो जायें। श्री गाधीकी रायमें यदि श्री पोलक सहायता देने या उकसानेके दोषी थे, तो फिर तो वे सरकारी घुडसवार भी दोषी थे जो मार्गमें कूच करनेवालोके साथ चल रहे थे। श्री गाधीके विचारमें श्री पोलकने अपने कायसे राज्यकी और अपनी जातिकी सेवा की थी। कूच करनेवालोको श्री पोलकके सुपुद इसलिए किया गया था, क्योकि श्री काछलिया उस समय तक घटनास्थलपर नहीं पहुँचे थे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-११-१९१३

१ पोलकपर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट जूस्टकी अदालतमें प्रवासी अधिनियमके खण्ड २० के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया था। पोलकने अपराध स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया। गांधीजी और कैलेनबैक सहित पाँच आदमियोंकी गवाही ली गई। राइफिलमैन जूबर्टने गवाहीमें कहा कि उसने बेलफोरमें पोलकको गाधीजीसे आवश्यक निर्देश लेते देखा था, और उसके खयालसे पोलक आन्दोलनके नेताओंमें से थे। कान्स्टेबिल कीनने बताया कि पोलकने भारतीयोंके सामने भाषण करते हुए उन्हें चार्ल्स टाउन लौट जानेकी सलाह दी थी। कैलनबैकने कहा कि पोलकका इरादा डर्बन लौट जानेका था। उनका उद्देश्य अपनी भारतको रवानगीके सिलसिलेमें गाधीजीसे कुछ बातें करनेका था। पोलकको अपराधी करार देते हुए मजिस्ट्रेटने उन्हें तीन महीनेकी सादी कैदकी सजा दी।

१९६. पत्र : कुमारी देवी वेस्टको

ब्लूमफॉन्टीन जेल,
दिसम्बर १४, १९१३

कैदीका नाम : मो० क० गांधी
संख्या १७३९
किसको भेजा गया :
पूरा नाम : कुमारी देवी वेस्ट
पेशा स्कूल अध्यापिका
डाकका पता इन्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस
निकटतम कस्बा फीनिक्स, नेटाल

प्रिय देवी,

और लोग कहाँ हैं, यह मैं नहीं जानता, इसलिए मेरा तुम्हें पत्र लिखना ही सबसे अधिक उपयुक्त है।

मैं यहाँ बिलकुल प्रसन्न और ठीक हूँ। सालके इन दिनोंमें यहाँ फीनिक्सकी-सी ही गर्मी रहती है।

आशा है, तुम और दूसरे लोग स्वस्थ होंगे, और देवदास, प्रभुदास तथा अन्य लड़के फीनिक्ससे महिलाओंके चले जानेके बाद जो व्यवस्था लागू की गई थी उसका पालन कर रहे होंगे और उससे उनका विकास हो रहा होगा। देवदासने विभिन्न अवसरों-पर मुझे जो वचन दिये हैं, उसे उनकी याद दिलाना। उससे पूछना कि क्या उसे उन सबका स्मरण है। जब तुम या कोई दूसरा मुझे पत्र लिखे तो मैं चाहूँगा कि मुझे लड़कोंका दैनिक कार्यक्रम सूचित कर दिया जाये। क्या शान्ति परेशान कर रहा है? नवीन कहना मानता है या नहीं? और क्या शिवप्रसाद और छोटू पहलेकी ही तरह चंचल और चपल हैं? मैं आशा करता हूँ रुखी तुम्हें या मगनलालको ज्यादा परेशान न करती होगी। कृष्णा, राधा और केशू भी मेरे खयालसे बाहर नहीं हैं, किन्तु वे तो मगनलालके साथ रहनेके आदी हैं, इसलिए उनके बारेमें खास पूछताछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है, रुस्तम वेस्ट बड़ा हो रहा होगा और वह श्रीमती पाइवेल और श्रीमती वेस्टकी दृष्टिमें अब भी संसारका सबसे सुन्दर बच्चा होगा।

श्रीमती सामसे कहना कि उन्होंने श्री सामके नाम जो सन्देश भेजा था मैं उसे भूला नहीं हूँ। लेकिन वे जानती ही हैं कि मुझे उसे उनतक पहुँचानेका अवकाश या अव-सर नहीं मिल पाया। किन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे जल्दी ही श्री सामसे मिलेंगी और प्रस्तावित विवाह-सम्बन्धमेंके बारेमें उनकी स्वीकृति ले लेंगी। इससे मुझे यह बात भी याद आ गई कि मुत्तुने भरसक पूरी तरह सहायता देनेका वचन दिया था और मुझे आशा है कि वे उसका पालन कर रहे होंगे।

कुमारी श्लेसिन वहाँ होंगी तो बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही होंगी।

जब महिलाएँ और लडके वापस आ जाये तो श्रीमती गाधीसे कहना कि उनके चले जानेके बादसे अब जो दिनचर्या बन गई है, वे उसमे फेरफार न करे। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे आशा है कि रामदास और दूसरे लडके भी उस दिनचर्याको अपना लेगे। तुम इसका उत्तर उन लोगोके वापस आनेपर देना जिससे तुम मुझे उनके सम्बन्धमे पूरी जानकारी दे सको। मै इसके उत्तरके अतिरिक्त दूसरा कोई पत्र नही लूँगा।

मुझे आशा है कि श्रीमती गाधीका पुराना रोग फिर नही उभडा होगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अन्य महिलाएँ कैसी रही, मुझे यह भी सूचित करना। जेकी बहनको उन वचनोपर दृढ रहना चाहिए जो उन्होने मुझे दिये है। उनसे कहना कि ऐसा कोई दिन नही जाता जब मुझे उनका खयाल न आता हो। जहाँतक भोजनका सम्बन्ध है मै उन्हे किन्ही वचनो या व्रतोके बन्धनमे नही बाँधता। जो चीज उनके शरीरके अनुकूल आये, वे उसे खा सकती हैं। किन्तु उन्हे महज स्वस्थ ही नही बल्कि खूब हट्टा-कट्टा भी होना चाहिए। यदि डॉक्टर मेहताने निश्चित रूपसे केश बढानेसे मना न किया हो, तो उन्हे अपने केश भी बढा लेने चाहिए।

काशी और सन्तोक इस सामूहिक कुटुम्बमें शामिल हो सकती और श्रीमती गाधी अपनी सहमति दे देती तो कितना अच्छा होता।

मुझे आशा है, मगनलालने मेरी खोई हुई तमिल पुस्तक ढूँढ़ ली होगी। यदि न ढूँढी हो तो वह गोविन्दूसे पूछे और उसे लेकर सुरक्षित रख ले। मेरे अवकाशका ज्यादातर समय तमिल पढनेमें लगता है। थोडा-सा वक्त प्रतिदिन आहारके पोषक-तत्वो, और लोकप्रिय एव अपेक्षाकृत हानि-रहित औषधियोके प्रयोगोके विषयमे एक किताब लिखनेमे लगाता हूँ।[1]

राजकोटमे जमनादासपर जो कुछ खर्च हुआ हो सो, उसके राहका खर्च तथा ऊपरसे १० पौंड श्री खुशालभाई (राजकोट) को मनीआर्डरसे भेज दिया जाये। इस १० पौंडमे से वे मेरी विधवा भाभीको २० रुपया प्रतिमास देते रहे। खुशाल-भाईको यह भी लिख दिया जाये कि वे मेरी बहिनको अपना खच घटाकर ५ या १० रुपये प्रतिमास कर लेनेपर राजी करे। इसमे से आवश्यक हो तो ५ रुपये मेरी भाभीके निर्वाह-व्ययमे बढाया जा सकता है। भेजी गई यह सारी रकम सकटकालीन खर्चेकी मदमे डाली जा सकती है।

कुमारी श्लेसिन श्री मैकिंटायरको याद दिला दें कि वे रुपयोकी किस्त देना शुरू करे। किस्तोमे अदायगीका वादा उन्होने बहुत पहले किया था।

यदि जमनादास वहाँ हो तो वह भोजन और दूसरी आदतोमें मगनलालका अनुगमन करे। तब वह ठीक रहेगा। मै यह जाननेके लिए चिन्तित हूँ कि उसका शरीर और मन कैसा रहता है।

छगनलाल जितना ले सके उतना जैतूनका तेल ले, और जितना बन सके उतना बागवानीका काम करे। वह सब मौसमोमें खुलेमें सोये और प्रात काल उठकर तथा रातमें

१ गाधीजीने यह पुस्तक पूरी की या नही, और वह प्रकाशित हुई अथवा नहीं, इसका कोई पता नही है।

सोनेसे पहले गहरी साँसे ले। वह हररोज पन्द्रह मिनट तक जैतूनके तेलसे अपनी छाती और पीठपर मालिश करे। यह मालिश धीरे-धीरे किसी मजबूत आदमीसे करानी चाहिए। मालिश मगनलाल या रामदासको करनी चाहिए। उसे (छगनलालको) क्षय रोगके ऊपर डॉ० काटनका शोध-निबन्ध पढना चाहिए। मेरा खयाल है, वह लेख मैने मगनलालको पढनेके लिए दिया था। मुझे आशा है कि श्री दाउदने मगनलालको वे पुस्तके लौटा दी होगी जो हसनको दी गई थी। मै चाहता हूँ कि उनमे से आहार-चिकित्सा मुझे भेज दी जाये।

मैने फोक्सरस्ट जेलके जेलरको ये चीजे लौटा दी थी, एक बडल जिसमे श्री कैलेनबैक और मेरे कम्बल थे और मेरा चमडेका लिखनेका केस, उत्तर रामचरित, एडीसनके निबन्ध और दयानन्द द्वारा किये गये ऋग्वेद, आदिके भाष्य। जेलरने इन चीजाको वापस फीनिक्स भेजनेका वचन दिया था। यदि वे तुम्हारे पास हो तो उनमे से एडीसनके निबन्ध श्रीमती पोलकको लौटा दिये जाये। मुझे आशा हे श्रीमती पोलक बच्चो सहित ठीक होगी और उनकी जरूरतकी सब चीजे उन्हे दी जा रही होगी।

जो मासिक हिसाब तैयार करते है, वह फीनिक्स बस्तीके न्यासियो (ट्रस्टियो) को ही बराबर दिया जाना चाहिए। क्या श्री उमर बस्तीमे आते है? यदि नही, तो उन्हे उनके वादेकी याद दिला देना।

श्री बद्रीके मुकदमेका क्या हुआ? तुम श्री बद्री या श्री एफ० एस० टैथमसे, जिन्हे श्री पोलकने मुकदमा सौपा है, पूछताछ कर सकती हो। श्री इस्माइल पारेखने मुझे लिखा था कि मुकदमा अनिश्चित समयके लिए स्थगित किया जा सकता है।

श्री खुशालभाईको यह भी लिखना कि मै जब कभी भारत आऊँगा अपनी भतीजी तुलसीका हिसाब निपटा दूँगा। यदि मै १८ महीनेके भीतर न लौटा तो उसे निपटानेकी कोई अन्य व्यवस्था करूँगा। ब्याजके बारेमे मुझे सन्देह है। मै यह भी कह दू कि मैने डा० मेहताको लिखा था कि वे मेरी भाभीको मासिक रकम भेजते रहे। यदि वे यह रकम भेजने लगे हो तो खुशालभाईको १० पौड भेजनेकी जरूरत नही है।

श्रीमती गाधीसे मेरा आग्रह है कि वे मेरे बारेमे चिन्तित न हो। अपने स्वास्थ्यका खयाल रखकर वे मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखनमे ज्यादा सहायता देगी। उनके स्वास्थ्यका मूल-मन्त्र यही है कि वे बताया गया आहार ही करे।

तुम सबको बहुत-बहुत प्यार,

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

[पुनश्च]

यह पत्र सब लोग पढ ले और फिर कुमारी श्लेसिन जहाँ भी हो, वहाँ उनके पास भेज दिया जाये। श्री कोतवालको पत्र लिखो तो मेरी याद लिखना। मुझे आशा है कि लालचन्द मदद दे रहा होगा। उसका स्वास्थ्य कैसा है, और छोटा बच्चा कैसा है?

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९१३) की फोटो-नकलसे।

१९७. भाषण: जोहानिसबर्गमें[1]

जोहानिसबर्ग
दिसम्बर १८, १९१३

पुराने 'गेइटी थियेटर' की एक सभामें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि रिहा कर दिये जानेकी मुझे कोई खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जेलका एकाकीपन और शान्ति अधिक प्रिय है क्योंकि वहाँ मुझे चिन्तन-मननका अवसर और समय मिल जाता है। किन्तु रिहा हो जानेपर अब मैं वही काम फिर शुरू करूँगा जो जेल जानेसे पहले तक कर रहा था। उन्होंने कहा, जहाँतक मेरा सवाल है, मैं सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय आयोग (इंडियन कमीशन) से सन्तुष्ट नहीं हूँ। मुझे इसमें सन्देह है कि यदि मैं और अन्य लोग उसके सामने बयान दें तो उसका कोई प्रभाव होगा, या बयान देना भारतीय आबादीके हितमें होगा। तथापि यह निश्चय हुआ है कि मैं, श्री पोलक और श्री कैलेनबैक सुबह डर्बनके लिए रवाना हों। वहाँ पहुँचनेपर ही हम निश्चय करेंगे कि आयोगका जो वर्तमान स्वरूप है, उसे देखते हम उसे स्वीकार करें या नहीं। उन्होंने कहा, मैं बिलकुल सन्तुष्ट नहीं हूँ। जिसके अधिकांश सदस्य सरकारी पक्षके हों, या जिसके सारे ही सदस्य सरकारी हों, और इसीलिए जिसका फैसला दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके हितोंके विपरीत होगा, ऐसे आयोगको स्वीकार करनेकी अपेक्षा मैं फिर जेल जाना, और भारतीयोंका मामला उसके गुण-अवगुणके ऊपर छोड़ देना पसन्द करूँगा। श्री गांधीने निश्चयपूर्वक यह कहनेसे इनकार किया कि वे आयोगके सामने बयान नहीं देंगे, लेकिन उनका इरादा वैसा ही कुछ था, क्योंकि आयोगके सदस्य भारतीयोंके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस बारका मेरा जेलका अनुभव पिछले बारके जेल-अनुभवसे भिन्न रहा। मेरे साथ बहुत सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया गया और मैं सार्वजनिक रूपसे यह कहना चाहूँगा कि जेल अधिकारियोंने मेरे आरामका बहुत खयाल रखा।[2]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३

---

१ भारतीय जाँच आयोगकी सिफारिशपर गांधीजी, पोलक और कैलेनबैकको प्रिटोरिया ले जाया गया और १८ दिसम्बरको बिना किसी शर्त रिहा कर दिया गया। उसी दिन शामको जोहानिसबर्ग पहुँचनेपर उनके सम्मानमें एक स्वागत समारोहका आयोजन किया गया। यह भाषण उसी अवसरपर दिया गया था।

२ गांधीजीके बाद पोलक, कैलेनबैक और विलियम हॉस्केनने भी सभामें भाषण दिया और सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि वर्तमान आयोगके सामने बयान न दिये जायें।

१९८. भाषण : डर्बनमें[1]

डर्बन
दिसम्बर २०, १९१३

श्री गांधीने श्रोताओंको बताया कि अब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेनेका समय आ गया है। उन्होंने कहा, मेरा विचार अगले दिन होनेवाली एक विशाल सभामें आपकी सुविचारित रायके आधारपर मत लेनेका है। उन्होंने यह संकेत दिया कि जिस प्रश्नपर उन्हें निर्णय करना होगा वह यह है कि क्या एक ऐसे आयोगके सामने गवाही देना सम्मानजनक है जो भारतीयोंकी इच्छा या रायका कोई खयाल किये बगैर बनाया गया है, और यह भी कि क्या उस आयोगके सदस्योंको ईमानदार और पक्षपात-रहित माना जा सकता है?

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३

१९९. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी' को

[डर्बन
दिसम्बर २०, १९१३]

'मर्क्युरी' के एक प्रतिनिधिको भेंट देते हुए श्री गांधीने कहा कि श्री कैलेनबैक और श्री पोलकके साथ मेरे आगमनपर होनेवाली सभामें हमारे स्वागतके लिए हमने धन्यवाद दिये। उन्होंने कहा, मेरी रिहाई एक आश्चर्यकी बात हुई, और जेलके बाहर आनेपर ही मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी रिहाई आयोगके सदस्योंकी सिफारिशके कारण हुई है।

हम महसूस करते हैं कि हमारी रिहाई हमारे कन्धेपर एक बड़ी जिम्मेदारी डालती है किन्तु आयोगका संगठन जिस प्रकारका है, उसे देखकर मुझे लगता है कि सदस्योंकी नामजदगीमें भारतीय समाजसे सलाहका न लिया जाना बहुत बड़ी चालाकी है। १९०७ से लेकर अबतक सारे सत्याग्रहपीछे प्रधान भावना यही रही है कि भारतीय समाजसे सम्बन्धित मामलोंमें सरकारको उसकी राय व भावनाओंका ध्यान रखना चाहिए। जाहिर है कि सरकारने आयोगके मामलेमें यह नहीं किया। बिना हमारी सलाह लिए अपने मनके सदस्य नामजद करनेपर हमें आपत्ति है।

१. डर्बन स्टेशन पहुँचनेपर गांधीजी, पोलक और कैलेनबैकको मालाएँ पहनाई गईं और उन्हें एक जुलूसमें नेटाल भारतीय कांग्रेसके दफ्तर ले जाया गया जहाँ उन्होंने उपस्थित लोगोंके सामने भाषण दिया।

श्री एसेलेन और कर्नल वाइलीके सम्बन्धमें श्री गाधीने कहा कि इन दोनो सज्जनोके अतीव सुखद सस्मरण मेरे मनमें है और मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि वे आयोगमें अपना कर्त्तव्य ईमानदारीसे निभायेंगे, किन्तु वे अपनी कट्टर एशियाई-विरोधी भावनाके लिए प्रसिद्ध है, उससे ऊपर उठ सकने योग्य उदारता उनमें नहीं है। चूँकि वे आयोगके सदस्य नामजद कर ही दिये गये है, मै उनकी नियुक्तिपर आपत्ति नहीं करूँगा, किन्तु भारतीय समाजके साथ न्याय करनेके लिए इतना तो होना ही चाहिए कि आयोगके निर्णयोपर इन सदस्योके सम्भावित कुप्रभावोका निवारण करनेके लिए कुछ ऐसे यूरोपीय सदस्य भी नियुक्त किये जायें जिनके मनमें एशियाई-विरोधी भावना नहीं है।

जबतक सरकार यह न्यायोचित माँग नही मानती, हमारा आयोगको स्वीकार करना या उसकी कार्यवाहीमे मदद देना सम्भव नही है। हमने निश्चय किया है कि जदबतक हमारा यह निवेदन स्वीकार नही किया जाता, हम आयोगके सामने कोई बयान नही देंगे, और फिरसे गिरफ्तारी कराने और जेल जानेके लिए अपनी गतिविधियाँ जारी करेगे।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २२-१२-१९१३

२००. भाषण: सार्वजनिक सभामें[1]

[डर्बन
दिसम्बर २१, १९१३]

श्री गाधीके उठनेपर उनका हर्षध्वनिसे स्वागत किया गया और मचके समीपके किसी व्यक्तिने उनके हाथमें एक गुलदस्ता दिया। उन्होने इस बातका उल्लेख किया कि मै पहले किसी भारतीय भाषामें बोलना पसन्द करता परन्तु सवश्री पोलक और कैलेन-बैककी उपस्थितिमें जो हमारे साथ जेल गये, मुझे आभार व्यक्त करनेके लिए पहले उसी भाषामें बोलना चाहिए जो वे जानते है। आप देख रहे होगे कि जो पोशाक मै पिछले २० वर्षोंसे पहन रहा था उसे मैंने बदल दिया है। पोषाकमें यह परिवर्तन करनेका निर्णय मैंने उस समय किया जब अपने देशवासियोपर गोली चलनेकी बात सुनी। गोली चलाया जाना उचित था या नहीं, यह अलग बात है, तथ्य यह है कि उनपर गोलियाँ चलाई गईं और वे गोलियाँ मेरे (श्री गांधी) कलेजेको चीरती हुई निकल गईं। मै महसूस करता हूँ कि यदि उन गोलियोमें से एक मुझे भी लगती तो कितने गौरवकी

१ नेटाल भारतीय सवके तत्वावधानमें हुई एक सार्वजनिक सभामें गांधीजीने भाषण दिया था। इस सभामें छ-सात हजार लोग शामिल हुए थे जिनमें कुछ प्रमुख यूरोपीय भी थे। अध्यक्षता श्री अब्दुल कादिरने की थी।

बात होती, क्योंकि भारतीयोको हडताल करनेकी सलाह देकर मैंने भी उस घटनामें भाग लिया था। इसलिए तो मै स्वय ही क्या एक हत्यारा नहीं हूँ ? मेरी आत्माने हत्याके अपराधसे तो मुझे मुक्त कर दिया है, लेकिन मै महसूस करता हूँ कि मुझे उन भारतीयोके लिए शोक मनाना चाहिए जो मेरे साथी देशवासियोके लिए एक छोटा-सा उदाहरण होगा। मै समझता हूँ कि मुझे कमसे-कम सघर्षकी समाप्ति काल तक शोक मनाना चाहिए और सो भी केवल आन्तरिक ही नहीं वरन बाह्य रूपमें भी। वह साथी-देशवासियोके लिए उदाहरणस्वरूप होगा और मै उन्हे यह बता सकूँगा कि उनके लिए अपने आचरण और बाह्य स्वरूपसे यह प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक है कि वे शोक मना रहे है। किन्तु इसके लिए मै यूरोपीयोकी शोकसूचक पोशाक अपनानेको तैयार नहीं हूँ। अपने यूरोपीय दोस्तोकी भावनाओका ख्याल करके कुछ परिवतनके साथ मैंने एक गिरमिटिया भारतीयकी पोशाकसे मिलती-जुलती पोशाक अपना ली है। मै अपने साथी देशभाइयोसे अनुरोध करूँगा कि वे ससारको यह दिखानेके लिए कि वे शोक मना रहे है, शोकका कोई चिह्न अपना लें तथा आन्तरिक रूपसे भी शोक मनायें। और शायद मेरा आप सबको अपना आन्तरिक शोक मनानेका तरीका बताना ठीक होगा, वह है—दिनमें एक बार भोजन करनेका नियम। उन्होने आगे कहा कि हम किसी शर्तपर नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोगकी सिफारिश-पर रिहा किये गये है। आयोगकी नियुक्ति इस उद्देश्यसे की गई कि सिर्फ यूरोपीयोको ही नही वरन् भारतीय समाजको भी हर प्रकारकी सुविधा हो कि वह आयोगके सामने अपनी बातके सबूत पेश कर सकें। सरकारने आयोगकी नियुक्ति की इसे मै ठीक और उचित बात समझता हूँ, परन्तु भारतीय दृष्टिकोणसे आयोगपर बहुत बडी आपत्ति की जा सकती है, और यहाँ मै अपनी नम्र राय दूगा कि आयोगको ऐसे रूपमें स्वीकार करना जिसमें भारतीयोका कोई भी प्रतिनिधित्व न हो, असम्भव है। वे अनेक कष्टोके लिए सघष कर रहे हैं और सघर्षके पीछे भावना यही है कि सरकार भारतीयोके हितोसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनकी राय लेनेके अधिकारको पूरी तरहसे मान ले। जबतक सरकार इस हदतक झुकनेको तैयार नहीं, जबतक वह भारतीयोकी भावनाओको ठीकसे समझने और आदर करनेको तैयार नहीं, तबतक साम्राज्यके वफादार और मानवीय नागरिक होनेके नाते भारतीयोके लिए यह सम्भव नहीं कि वे उन आयोगो या कानूनोका हुक्म माने जो उनके सिरपर थोप दिये गये हो। यह गम्भीर सैद्धान्तिक आपत्तियोमें से एक है। दूसरी आपत्ति यह है कि आयोग एक वर्गका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारतीय भी इसमें अपना प्रतिनिधित्व चाहते है। चाहे यह सम्भव नहीं है तो वे कमसे-कम ऐसे निष्पक्ष लोग तो चाहते ही है जिन्होने अबतक उनके हितोको चोट पहुँचानेवाले मत व्यक्त न किये हो और जो आयोगके सामने सोचने विचारनेके लिए स्पष्ट, उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण रख सकें। (तालियाँ)। मै समझता हूँ कि

श्री एसेलेन और श्री वाइली प्रतिष्ठित सज्जन होते हुए भी सम्भवत जाँचपर स्पष्ट प्रकाश नहीं डाल सकेंगे क्योकि उनकी अपनी मानवीय सीमाएँ है और वे अपने आपको अपने एशियाई विरोधी विचारोसे, जिन्हे वे अनेक बार व्यक्त कर चुके है, पृथक नही कर सकते। यदि सरकार भारतीयोका प्रतिनिधित्व कर सकनेवाले लोगोको नामजद करती, और इस प्रकार उनकी भावनाओका आदर करती तथा जो कैदी अभी जेलमें है उन्हे रिहा कर देती, तो मै समझता हूँ कि वे सरकारकी, और इसलिए साम्राज्यकी भी मददकर सकते और सम्भवत और अधिक कष्ट सहे बिना इस समस्याको समाप्त कर सकते। लेकिन सम्भव है, उन्हे शायद अभी और कष्ट सहना पडे। शायद उनके पाप इतने बडे है कि उन्हे और अधिक तपस्या करना लाजिमी हो।

इसलिए मै आशा करता हूँ कि आप अपनेको उस पुकारकी प्रतिक्रियाके लिए तैयार रखेगे। शायद सरकार हमारी उचित और न्यायसगत प्रार्थनाओको ठुकरा दे और तब फिरसे सघर्षकी गतिको बढानेके लिए हमे और अधिक तपस्यामे से गुजरना होगा यहाँतक कि सरकार सेनाको यह आदेश दे दे कि वह हमे भी गोलियोसे छलनी कर दे। मेरे दोस्तो! क्या आप इसके लिए तैयार है? (आवाजे 'हाँ')। क्या आप हमारे उन देशभाइयोके भाग्यका अनुसरण करनेको तैयार है जिन्होने अपने प्राण उत्सग कर दिये है। ('हाँ' की आवाजे) तब यदि सरकार हमारी माग पूरी न करे, तो मै आज यह योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ हम सब नये सालके पहले दिन फिरसे सघर्ष करने, कैद-भुगतने और कूच करनेके लिए तैयार हो जाये। (करतल ध्वनि)। शुद्धि करनेका एकमात्र तरीका यही है और यह भीतर व बाहरसे शोक मनानेका एक ऐसा ठोस ढँग है जो कि भगवानके सामने भी न्यायोचित ठहरेगा। यही सलाह हम अपने स्वतन्त्र व गिरमिटिया देशभाइयोको देते है कि वे हडताल करे और चाहे इसका अर्थ उनके लिए मृत्यु ही हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वह उचित कदम होगा।

उन्होने आगे कहा कि यदि आप शान्त जीवनको स्वीकार करते है, तो न केवल ईश्वरके कोपभाजन होगे, वरन् यूरोपीय ससारके उस समूचे भागके अपमानके भी भागी बनेगे जो ब्रिटिश साम्राज्यको बनाता है। (हर्षध्वनि)। मै आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्त्री, पुरुष और सयाना बच्चा सघर्षके लिए तैयार रहेगा। मेरे विचारसे यह सघर्ष मानव स्वतत्रताका सघर्ष है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके अपने-अपने धर्मका भी। अत मै आशा करता हूँ कि लोग इसमें भाग लेते हुए अपने स्वार्थ, अपने वेतन, व्यापार बल्कि अपने परिवार और शरीरकी भी परवाह नहीं करेगे। यह मुख्यत एक धार्मिक सघर्ष है (हर्षध्वनि), क्योकि कोई भी सघर्ष जिसमें अपनी आत्माकी स्वतन्त्रता और बलका प्रश्न हो वह एक धार्मिक सघर्ष ही हो सकता है। अतएव मै आशा करता हूँ कि आप आह्वान किये जानेपर सघर्षमें कूद पडनेके लिए तैयार रहेगे और उन लोगोकी बात नहीं सुनेंगे जो विचलित हो और जो ठहरनेको या सघर्षसे विमुख होनेको कहें। यह सघर्ष ऐसा है जिसमें एक बिलकुल स्पष्ट प्रश्न अन्तर्हित है जो नितान्त सादा है।

किसीकी भी न सुनिये, बल्कि अपनी आत्माके आदेशका पालन कीजिये और बिना सोचे आगे बढ़िये। अब समय सोचनेका है और एक बार दृढ़ निश्चय कर लेनेके बाद उसपर मृत्युपर्यन्त अटल रहिये।[1]

प्रस्ताव

(१) नेटाल भारतीय संघके तत्त्वावधानमें नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा निश्चय करती है कि समाज अपने गौरवकी दृष्टिसे सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किये गये आयोगके सामने बयान न दे क्योंकि आयोगके सदस्योंके चुनावमें समाजकी राय नहीं ली गई और उसमें विशेष रूपसे उस समाजका प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई भी सदस्य नहीं है जिसके हितोंपर आयोगकी जाँचोंका जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा।

(२) यह सभा सरकारसे सादर आग्रह करती है कि सदस्योंमें माननीय श्री डब्ल्यू० पी० श्राइनर और माननीय सर जेम्स रोज-इन्स, या यूरोपीय जातिके ऐसे अन्य प्रमुख लोगोंको जो दक्षिण आफ्रिकामें रहते हैं, शामिल किया जाये जिनकी नामजदगी दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजको भी स्वीकार होगी।

(३) यह सार्वजनिक सभा, यदि सरकार इस भारतीय दृष्टिकोणको मान ले कि आयोगमें कुछ ऐसे सदस्य और शामिल किये जायें ताकि इसकी जाँचका जिन सबके हितोंपर प्रभाव पड़ना है उन सभीको समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये, तो वह यह भी निवेदन करती है कि वे सभी सत्याग्रही जो इस समय जेलोंमें हैं, तत्काल रिहा कर दिये जायें और भारतीय समाज अपनी ओरसे सत्याग्रहको उस समय तक के लिए स्थगित करनेको तैयार है जबतक कि आयोगकी जाँचके परिणाम प्रकाशित न हो जायें। फिर भी यदि सरकार सभाकी विनीत प्रार्थनाओंको माननेसे इनकार कर दे तो उस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामें समाज तुरन्त ही नये जोश और निश्चयके साथ संघर्ष शुरू करनेको बाध्य होगा।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २२–१२–१९१३

१ इसके बाद फिर सभामें कैलनबैक, पोलक, रिच और नेटालके भारतीय मिशनके अध्यक्ष रेवरैंड बैलीने भाषण दिये।

२०१. पत्र : गृह-मन्त्रीको

[डर्बन
दिसम्बर २१, १९१३]

महोदय,

समाचार पत्रोसे ज्ञात हुआ है कि हमे दी गई सजाकी अवधि पूरी होनेसे पहले ही जेलसे हमारी रिहाई उस आयोगके सदस्योकी सिफारिशका फल है जिसे नेटालमे गिरमिटिया और स्वतत्र भारतीयोकी हडतालके कारणो तथा भारतीयोंसे सम्बन्धित अन्य मामलोकी जाँचके लिए हाल ही मे नियुक्त किया गया है। आयोगके सदस्यो द्वारा कि गई सिफारिशके कारणो और सरकार द्वारा उस सिफारिशके स्वीकार किये जानेकी, हम कद्र करते है, और हम हडतालके कारणोकी जाँचमे आयोगकी सहायता करनेके इच्छुक है। उपयुक्त उद्देश्यसे आयोगकी नियुक्तिके लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते है, लेकिन हमे खेदपूर्वक कहना पडता है कि जबतक आगे बताई जानेवाली हमारी आपत्तियाँ सरकार दूर नही कर देती तबतक हम आयोगको जो सहायता दे सकते है, नही दे सकेंगे। हमने निश्चित रूपसे पता चला लिया है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको आयोगमे अपनी ओरसे कोई सदस्य नामजद करनेका अवसर नही दिया गया। हम यह बताना चाहेगे कि १९०७ मे सत्याग्रह आन्दोलनके मूलमे आरम्भसे ही सरकारसे यह तथ्य स्वीकार करानेकी भावना रही है कि भारतीय समाजसे सम्बन्धित मामलोमे उसकी इच्छाओ और भावनाओका ध्यान रखना जरूरी है। केवल उसी हालतमे समाजसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपनेको प्रभावित करने-वाले कानूनो या अन्य व्यवस्थाओको खुशी-खुशी स्वीकार करे और उनका पालन करे। हमे लगता है कि आयोगके सदस्योका चुनाव करते हुए सरकारने एक बात न करके भारी भूल की। उसने भारतीय समाजको आयोगकी सदस्यताके लिए दक्षिणके ऐसे दो गण्य-मान्य लोगोके नाम देनेका अवसर नही दिया, जो, समाजके खयालसे, उसके हितोका सरक्षण और विशिष्ट प्रतिनिधित्व करते। हमारी नम्र सम्मतिमे, भारतीय समाज द्वारा आयोगके स्वीकार किये जानेमे यह एक गम्भीर और बुनियादी आपत्ति है।

इसके अतिरिक्त हम देखते है कि श्री एवाल्ड एसेलेन, के सी, और कर्नल वाइलीकी नियुक्तिसे प्रकट होता है कि सरकार, पता नही किस कारणसे, आयोगको एक पक्षीय बनाना चाहती थी, क्योकि हम जानते है कि श्री एसेलेनने बहुत जोरदार शब्दोमें अपने एशियाई-विरोधी उद्‌गार व्यक्त किये है और कर्नल वाइलीने तो इससे आगे जाकर अभी हालमें भी कहा है कि भूतपूव गिरमिटियोपर लगाया जानेवाला तीन-पौडी कर बरकरार रखा जाये। फिर, हडतालके सिलसिलेमे सेनाने जो-कुछ किया आयोगको उसकी भी जाँच करनी होगी। हमारा विचार है कि चूँकि सेनाके साथ कर्नल वाइलीका सम्बन्ध एक जानी-मानी बात है, इसलिए स्वभावत वे एक हितबद्ध व्यक्ति है।

दक्षिण आफ्रिकी राजनयिकोके रूपमे तो श्री एसेलेन ओर कनल वाइलीके खिलाफ हमे कुछ नही कहना है। प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ताका श्री एसेलेन और कनल वाइली दोनोसे जो व्यावसायिक सम्बन्ध रहा है, उसका स्मरण करके उसे अब भी आनन्दका अनुभव होता है। उसी प्रकार जुलू विद्रोहके दौरान जब भारतीय आहत-सहायक दलका[1] गठन करके उस सकट-कालमे उसकी सेवाएँ सरकारको प्रदान की गई थी, उस समय उक्त दलके साजट-मेजरकी हैसियतसे प्रथम हस्ताक्षरकर्ताको कर्नल वाइलीके अधीन काम करनेका जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह भी एक सुखद स्मृति ही है। अस्तु, हमे इसमे कोई सन्देह नही कि उनसे जहाँतक बन पडेगा, वे आयोगमे निष्पक्ष पचोकी तरह बरताव करेगे, लेकिन हम अपने मनसे यह दु शका दूर नही कर सकते कि सामान्य मानवीय कमजोरियोके शिकार वे भी है और फलत वे भी अपनेको पूर्वगृहीत धारणाओसे सवथा मुक्त नही कर सकते। लेकिन एक बात है हमे इन दोनो सज्जनोके आयोगके सदस्य नियुक्त किये जानेपर चाहे जितना खेद हो, मगर उसपर आपत्ति करनेका हमारा कोई इरादा नही है। किन्तु, आयोगके निष्कर्षोपर पडनेवाले उनके पूर्वग्रहोके सम्भावित प्रभावको सतुलित करनेके खयालसे हमारा नम्र निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकाके ऐसे कुछ गण्य-मान्य सज्जनोको आयोगके सदस्योके रूपमे नियुक्त करना अत्यन्त आवश्यक है, जिनकी कोई ऐसी ख्याति नही है कि वे एशियाई-विरोधी पूवग्रहोसे ग्रस्त ह, और इस उद्देश्यसे हम माननीय सर जेम्स रोज-इन्स तथा माननीय डब्ल्यू० पी० श्राइनरके नाम सुझानेकी धृष्टता करते है।

हमने मुक्त होते ही, क्षण-भरकी देर किये बिना, भारतीय समाजकी भावनाको टटोलना शुरू किया, और हमे यह देखकर आश्चयके साथ साथ बडी खुशी भी हुई कि हम समाजको क्या-कुछ सलाह देगे, इसका अनुमान वह पहलेसे ही लगाये बैठा था, और उसने सरकारके पास इन नामजदगियोके खिलाफ बडे जोरदार विरोध-पत्र भी भेजे थे तथा उसे उपर्युक्त नाम भी सुझाये थे। हमने यह भी पाया कि इससे भी आगे बढकर विरोधके तौरपर ३६ सत्याग्रहियोने, जिनमे से पाच औरते थी, नेटालसे फोक्सरस्टमे प्रवेश किया था, और उन्हे गिरफ्तार करके कैदकी सजा दी गई थी। हमे मालूम हुआ है कि अदालतमे अपने बयानके दौरान उन्होने मुख्य मजिस्ट्रेटको सूचित किया कि स्वेच्छया गिरफ्तार होनेमे उनका उद्देश्य आयोगको जो पक्षपातपूण रूप दिया गया है, उसके खिलाफ सम्मानपूर्वक अपना विरोध प्रकट करना था, और हमने यह भी पाया कि सत्याग्रहियोके दो और दल इसी उद्देश्यसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान कर चुके थे।

अत, हमारी स्थिति बहुत सहज और स्पष्ट थी। नेटाल भारतीय सघने आज एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी। उस सभामे हमे आमन्त्रित किया गया था। वहाँ हमे कुल इतना ही करना पडा कि जो विरोध-पत्र भेजा जा चुका था, हमने सभाको उसकी सपुष्टि करनेकी सलाह दे दी और हम हषके साथ सूचित करते है कि शीघ्र ही ऐसा कर भी दिया गया। हम आशा और अनुनय करते है कि सरकार कृपापूवक इस निवेदनको स्वीकार कर जिन सज्जनोके नाम सुझाये गये है, उन्हे आयोगके सदस्यके रूपमे चुन लेगी।

१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १४७ ५२।

अगर ये नाम स्वीकार कर लिये गये तो हमारा निवेदन है कि इससे पूव कि हम आयोगके सामने गवाही दे और समाजको भी उसके पास गवाहीके लिए उपयोगी जो बेशुमार तथ्य है, उन्हे पेश करनेकी सलाह दे, अभी जो सत्याग्रही साधारण जेलोमे या जेलोके रूपमे परिवर्तित खानोके अहातोमे सजा भुगत रहे है उन्हे छोड देना आवश्यक होगा। हमे आशा है कि सरकार इस प्राथनाके ओचित्यको महसूस करेगी, क्योकि हमारे लिये यह बात सवथा अशोभनीय होगी कि जिन लोगोने अशत हमारी सलाहपर जेल-जीवनको अपनाया है वे तो वही पडे रहे और हम मुक्त विचरण करे, और फिर जबकि सत्याग्रहियोके भाई-बहन जेल-जीवनकी कठिनाइयाँ झेल रहे हो उस समय, आयोगकी जाच समाप्त होने तक के लिए, उन्हे जेल-यात्राके लिए सामने आनेसे रोकना भी हमारे लिए सम्भव नही होगा।

यदि आयोगमे नियुक्तिके लिए ऊपर जो नाम सुझाये गये है, उन्हे स्वीकार कर लिया गया और सत्याग्रही कैदियोकी रिहाईके सम्बन्धमे हमारी प्राथना मान ली गई तो हम समाजको आयोगकी जॉचकी कारवाई तक के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित रखनेका सुझाव देगे। फिर, अगर सरकारने हमारे सुझाव स्वीकार करके हमारे लिए आयोगके सामने गवाही देना सम्भव कर दिया तो हमे और समाजके अन्य सदस्योको, प्रमाण जुटाने तथा लोगोको जॉचकी अवधि तक अपने-अपने अनुबन्धोके अधीन काम जारी रखनेकी सलाह देनेके उद्देश्यसे, जिन जमीदारियो और कोयला-खानोमे भारतीय लोग काम करते है, उनमे जानेकी पूरी छूट होनी चाहिए।

हम समझते है, आयोगको उन सारी शिकायतोकी जॉच करने — जैसाकि श्री गोखले-के पत्रमे बताया गया है, जिनके कारण सत्याग्रह आन्दोलन पुन प्रारम्भ करना पडा — और अपनी सिफारिशे सरकारकी सेवामे पेश करनेके पर्याप्त अधिकार प्राप्त है।

अन्तमे, हमने समाजको जो सलाह दी है, उसे भी यहाँ लिख देनेकी इजाजत माँगते है। हमारी सलाह यह है कि अगर आयोगका आकार, हमने उसे जिस ढगसे बढानेका सुझाव दिया है, उस ढगसे बढ़ा दिया गया तब तो उसका जो भी निष्कर्ष होगा उससे मजदूरो तथा अन्य लोगोके साथ दुर्व्यवहार और सेनाकी कारवाइयोसे सम्बन्धित आरोपोके विषयमे जो विवाद है उसका अन्तिम निपटारा हो जायेगा, लेकिन समाजने जिन शिकायतोको दूर करानेके लिए प्रार्थना की है उनसे सम्बन्धित सिफारिशे वह अपनी माँगोकी अवहेलना करके स्वीकार नही करेगा। अगर सरकार दुर्भाग्यवश हमारी प्राथना स्वीकार नही कर सकी तो पुन कैदके लिए तैयार हो जानेके अलावा हमारे लिए और कोई रास्ता नही रह जायेगा। हम सत्याग्रही लोग सिफ इसलिए अपने कर्त्तव्यसे विमुख होकर हाथपर-हाथ धरे बैठे नही रह सकते कि हमे अपनी कैदकी अवधि समाप्त होनेसे पहले ही छोड दिया गया है।

हम अक्सर कहते रहे है, और एक बार फिर कहना चाहते है कि सत्याग्रहियोकी हैसियतसे हम आन्दोलनमे हडतालीके रूपमे या अन्य किसी रूपमे भाग लेनेवाले किसी भी व्यक्तिकी ओरसे की गई हिंसात्मक कार्रवाईका समथन नही करते — प्रतिशोधके तौरपर की गई हिंसात्मक कारवाईका भी नही। हमने बडे जोरदार ढगसे बार-बार यह सलाह दी है, और इस सलाहपर अमल भी किया गया है कि अगर सत्याग्रहके

२०२. भाषण: मैरित्सबर्गकी सभामे[1]

मैरित्सबर्ग

[दिसम्बर २२, १९१३]

श्री गाधीने धूमधाम करनेवालोको एक तरहसे फटकारा और इस बातपर जोर दिया कि हमारे देशभाइयोका जो खून बहा है, यह समय उसके लिए शोक मनानेका है, न कि समारोह करने और खुशियाँ मनानेका। फिर भी, आपने [हमारे प्रति] जो स्नेह प्रदर्शित किया उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तम्बाकू, पान और अन्य विषयोका परित्याग करके अपनी सहानुभूति प्रकट करे। मै तो यहाँतक महसूस करता हूँ कि इस शोकके समयमें महिलाओको सुन्दर वस्त्रो और आभूषणोको उतार कर अलग रख देना चाहिए।[2]

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २३-१२-१९१३

१ श्रीमती कस्तूरबा गाधी, श्रीमती छगनलाल गांधी श्रीमती मणिलाल डॉक्टर, श्रीमती मगनलाल गाधी और सॉलोमन रायप्पनके मैरित्सबर्ग जेलसे रिहा होनेपर एक जुलूस निकाला गया जो एक स्वागत समारोहमें समाप्त हुआ। रिहा सत्याग्रहियोकी ओरसे गांधीजीने सभामें भाषण दिया। गुजरातीमें उनके भाषणकी रिपोर्टके लिए देखिए अगला शीर्षक।

२ कैलेनबैक, एल० एच० ग्रीनने और श्रीमती पोलकने भी भाषण दिये। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक सभा हुई।

२०३ भाषण श्रीमती गाधीकी रिहाईपर

मैरित्सबर्ग

[दिसम्बर २२, १९१३]

यह समय हमारे लिए भारी शोक करनेका है। हम इस समय समारोहो और उत्सवोमे भाग नही ले सकते। फिर भी मेरी पत्नी और अन्य स्त्रियोका जो स्वागत किया गया है उसके लिए मै उनकी ओरसे आभार-प्रदर्शन करता हूँ। जब मेरे भाई गोली-बारके शिकार हुए है, तब इस स्वागतमे इतना भाग लेते हुए भी मेरे मनमे बहुत सताप उत्पन्न होता है। मै जेलमे था तब इन सब झगडोसे मुक्त था। (इसी समय एक बालक रोने लगा। उसके रोनेको सुनकर) गाधीजीने कहा कि यह रोना हमारे शोककी तीव्रताका सूचक है। इस समय भारतीय भाई और बहन अलग-अलग तरहसे शोक मना कर असहाय विधवाओ और उनके बच्चोके प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट कर सकते है। पुरुष तम्बाकू पीना, पान-सुपारी खाना या ऐसे ही अन्य व्यसनोका त्याग कर सकते है और बहिने गहने और कीमती कपडे पहनना छोड सकती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३

२०४ भाषण · मैरित्सबर्गकी सार्वजनिक सभामे

मैरित्सबर्ग

[दिसम्बर २२, १९१३]

डबनमें रविवारको सार्वजनिक सभा हुई। उसमें श्री गाधीने स्वीकृत प्रस्तावोका स्पष्टीकरण किया और कहा कि सत्याग्रह सत्यकी निरापद खोज है। उन्होने सब उपस्थित भारतीयोसे प्रार्थना की कि वे सत्यकी खातिर, आवश्यकता हो तो, मरनेके लिए तैयार रहें।[1]

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २३-१२-१९१३

१ इसके बाद पी० के० नायडूने प्रस्ताव पेश किया जिसमें रविवारको डर्बनकी सभामें स्वीकृत प्रस्तावोंकी पुष्टि की गई थी। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

२०५ तार . गो० कृ० गोखलेको[1]

डर्बन,
दिसम्बर २२, १९१३

माननीय गोखले
सर्विडिया
पूना सिटी

कमीशनकी सिफारिशपर हम बृहस्पतिवारको बिना शर्त रिहा कर दिये गये। सरकारको सूचित करते हुए पत्र[2] लिखा कि जबतक समाजसे सम्बन्धित मामलोमे सलाह करनेके उसके अधिकारको मान्यता प्रदान नही की जाती और एकपक्षीय कमीशनमे सन्तुलन बनाये रखनेके लिये श्राइनर और अपील-जज रोज-इन्स अथवा समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्ति नियुक्त नही किये जाते, और जबतक जेल और खदानोमे बन्द चार हजार सत्याग्रही रिहा नही कर दिये जाते तबतक हम कमीशनके सम्मुख गवाही देकर सहायता देनेमे असमर्थ। तभी हम सत्याग्रहको कमीशनकी जाँच पूरी होने तक रोक रखनेकी सलाहको मान लेगे। यह भी कहा है जाँचमें सब शिकायतोकी जाँच की जानी चाहिए और भले ही जाँचके परिणाम-स्वरूप पाशविकता तथा सैनिक कारवाई सम्बन्धी मतभेद सदाके लिए समाप्त हो जाये लेकिन यदि सितम्बरमे लिखे काछलियाके पत्रमें[3] सत्याग्रहियोकी जिन माँगोकी चर्चा की गई है, अन्तिम निर्णय उनकी अवज्ञा करता जान पडा तो समाज उसे स्वीकार नही करेगा। सरकारको आगे यह भी बताया गया है कि अगर हमारी

१ गाधीजीने **नेटाल मर्क्युरी**को जो भेंट दी थी उसका रायटर द्वारा किया गया साराश श्री गोखलेको प्राप्त हुआ था। देखिए पृष्ठ २६६ ६७। २१ दिसम्बरको रातके दस बजे गोखलेने निम्नलिखित तार भेजा "रायटरने आपकी भेंटका साराश तार द्वारा भेजा। सॉलोमनके भाषणके बाद जाँचका बहिष्कार करना भारी भूल होगी, आप भारत सरकार और इंग्लैंडके बहुतसे मित्रोंकी सहानुभूति खो देंगे। सबसे अच्छे वकील नियुक्त करें और स्वय आप तथा पोलक गवाही देनेमें सहायता दें। जाँचमें सत्याग्रहियोंकी आम शिकायतें शामिल नही लेकिन पाशविक कृत्योके आरोपोंके समर्थनमें गवाही देनेके लिए इस स्वर्ण अवसरको खोना नही चाहिए। नम्र सुझाव कि एसेलन और वाइलीके खिलाफ विरोधपत्र लिखें जिसमें दोनोंके विरुद्ध उठाई गई आपत्तियोंको पूर्णत स्पष्ट करें और सापत्ति उपस्थित हो।"

२ देखिए "पत्र गृह मन्त्रीको", पृष्ठ २७१-७४।

३. देखिए "पत्र गृह-सचिवको", पृष्ठ १७७ ८०।

प्रार्थना अस्वीकार की गई तो हम पुन गिरफ्तार होगे तथा समाजको और भी कडे सघषमे जूझनेकी सलाह देगे। आज सावजनिक सभा हुई, लगभग छह हजार लोग उपस्थित। उपर्युक्त सलाहका अनुमोदन करते हुए सर्व-सम्मतिसे प्रस्ताव पास। ट्रान्सवाल अन्य केन्द्र एकमत। सभामे बताया गया कि प्रतिकूल उत्तर मिलनेपर लोग अपर्याप्त खुराकपर डबनसे प्रिटोरिया पैदल कूच करने और पुन गिरफ्तार होनेके लिए तैयार रहे। उस मागसे हजारोके शामिल होनेकी आशा। सभाको गोलिया चलनेकी सम्भावनासे आगाह किया था फिर भी लोगोने शपथपूर्वक तत्परता व्यक्तकी। चर्चा कौसिलो, कुछ प्रभावशाली यूरोपीयोने कमीशनके अस्वीकार किये जानेका समथन किया है। प्रिटोरियासे डर्बनकी यात्राके दौरान सभी मुख्य स्टेशनोपर भारतीयोके प्रतिनिधि हमसे मिले। अत्यधिक उत्साह और वतमान कमीशनके प्रति तिरस्कारकी भावना सर्वव्यापक। रिहा होनेपर पता चला लोगोने बडी सख्यामे अप्रत्याशित रूपसे कष्ट सहन करनेकी शक्तिका परिचय दिया। प्रभावशाली नेतृत्वके अभावमे गिरमिटिया भारतीयोकी पूण सहयोग, अनुशासन और सकल्पसे काय करनेकी योग्यताको देखकर हम चकित रह गये। भारतीयोसे शीघ्रातिशीघ्र प्रबल सहयोग देनेके लिए कहे।[2]

गाधी
कैलेनबैक
पोलक

[अंग्रेजीसे]
सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२ इस तारका उत्तर श्री गोखलेने अगले दिन दिया "चूँकि रिहाई बिना किसी शर्तके अत अत्यावश्यक कि सारी स्थिति और घटनाओंकी पूरी जानकारीके साथ पोलक इग्लैंड रवाना हो जायें। इग्लडके समाचारपत्रोको अच्छी तरह अवगत रखना नितान्त आवश्यक। ससदका अधिवेशन २ फरवरीको। रैमजे मैकडॉनल्ड विशेष रूपसे गिरमिट प्रथा और हडतालको दबानेके लिए अपनाये गये तरीकोंके प्रश्नको उठा रहे हैं।" देखिए "तार गो० कृ० गोखलेको", पृष्ठ ३०३ और पाद-टिप्पणी भी।

२०६. पत्र : 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' को[1]

[दिसम्बर २२, १९१३ के बाद][2]

इन सत्याग्रहियोमे से बहुतोको मै अनेक वर्षोसे जानता हूँ और उनके निकट सम्पर्कमे आ चुका हूँ। इसलिए कह सकता हूँ कि वे निराधार बाते कहनेवाले व्यक्ति नही है। श्री रुस्तमजी भी, जो कि दक्षिण आफ्रिकाके पुराने और प्रतिष्ठित निवासी है, इस टुकडीमे थे। उन्होने इससे पहलेके सघर्षोमे प्रमुख भाग लिया था। उस अवसर-पर उन्हे फोक्सरस्ट, हाइडेलबर्ग, डीपक्लूफ और जोहानिसबर्गकी जेलोका अनुभव प्राप्त हुआ था। अबकी बार फोक्सरस्टमे सजाका हुक्म पा चुकनेपर पीटरमैरित्सबर्गकी जेलमे लाये गये और बादको डर्बनकी जेल भेज दिये गये। मैरित्सबर्गकी जेलका भी उन्हे कुछ अनुभव हुआ था, परन्तु उनके कथनानुसार डर्बनकी जेलमे जो अनुभव हुआ वह बहुत ही कटु था।

श्री रुस्तमजीका कथन है, और अन्य सत्याग्रही भी ऐसा ही कहते है, कि वतनी वार्डर सत्याग्रहियोको तनिक भी हिचके बिना मारते-पीटते थे। और प्रागजी देसाईको इतना मारा कि वे जमीनपर गिर गये और फिर वार्डर वहाँसे उन्हे उनकी कोठरी तक घसीटकर ले गये। इस चोटके इलाजके लिए उन्हे ग्यारह दिन अस्पतालमे रहना पडा था। श्री रुस्तमजीको सदरा[3] और कस्ती[4] पहननेकी इजाजत मिले, इसके लिए उन्हे तथा उनके साथियोको अनशन करना पडा था। कोई भी खरा पारसी इन चीजोके बिना एक कदम भी नही धर सकता। वतनी वार्डरोने रुस्तमजीको मारा-पीटा, यह बात सुपरिन्टेन्डेन्टके कान तक पहुँचाई गई, लेकिन उसने सुनी-अनसुनी कर दी। एक छोटेसे बालकको, अपनी कतारके बाहर खडा होनेके कारण पीटा गया।

एक अवसरपर इस प्रकारके व्यवहारका विरोध करनेके खयालसे अनेक सत्या-ग्रहियोने उपवास किया। जिस लडकेका जिक्र ऊपर किया गया है उसको चार दिनके अनशनके बाद जबदस्ती भोजन कराया गया हालाकि [जबर्दस्ती भोजन कराये जाते समय] वह चीखता ही रहा। समाचार है कि जेलके डॉक्टरने इस बर्बरतापूर्ण कार्यकी निन्दा करते हुए कहा कि इस प्रकार जबर्दस्ती भोजन करानेकी जिम्मेदारी मेरी नही है। कैदी शाकाहारी है, इस बातकी बिल्कुल परवाह किये बिना उसे दूधमे अडा मिलाकर पिलाया गया।

१ **नेटाल ऐडवर्टाइज़रने** यह पत्र इसलिए नही छापा कि एक जाँच आयोगकी नियुक्ति हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद इस पत्रका अनुवाद गुजरातीमें किया गया और पाठकोके लिए इं० ओ० में छापा गया।

२ पारसी रुस्तमजीको तथा उनके साथियोको, जिनका इस पत्रमें जिक्र आया है, २२ दिसम्बर १९१३ को रिहा कर दिया गया था।

३ छोटा कुर्ता जो पारसी कर्मकाडके अनुसार नित्य धारण की जानेवाली धार्मिक पोशाक है।

४. पारसियोका जनेऊ।

कैदियोको बहुत गन्दे कपडे पहननेको दिये जाते थे। यह उनके स्वास्थ्यके लिए हानिकर होता था। जो खाना दिया जाता था वह अव्वल तो पर्याप्त नही होता था, दूसरे वह अधपका होता था और साथ ही जग लगे टीनके तसलोमे दिया जाता था। कैदियोका कथन है कि ऐसे भोजनके कारण हममे से बहुतेरोको पेचिशकी बीमारी हो गई थी। अभीतक उस जेलमे बहुत-से कैदी पेचिशके मरीज है। भोजनमे झीगुर तथा छोटे-छोटे कीडे दिखाई देनेपर जब इसकी सूचना अधिकारियोको दी गई तब यह उत्तर मिला कि जेल कोई होटल नही है और होटलोमें जो भोजन मिलता है उसमे भी कीडे रह जाते है।

सत्याग्रहियोमे से अधिकाश सुशिक्षित व्यक्ति है। इन्हे पुस्तके पढनेकी आदत है, तिसपर भी उन्हे जेलके पुस्तकालयसे कोई पुस्तक पढनेको नही दी जाती और न उनको अपनी पुस्तकें ही पढने दी जाती थी।

एतराज किये जानेपर भी जेलके छोटे-बडे सभी अधिकारी सत्याग्रहियोको "कुली" कहकर सम्बोधित किया करते थे। सत्याग्रही कैदी इसका जितना ही विरोध करते थे अधिकारी उन्हे उतना ही अधिक "कुली" कहकर पुकारते थे। उनका यह भी कथन है कि जेलका मौजूदा डॉक्टर हमारे स्वास्थ्यकी जरा भी परवाह नही करता। इन तीन महीनोमे मजिस्ट्रेट केवल एक बार जेल आया। उसने कैदियोकी फरियादोको नही सुना। भारतीय कैदियोको पैरोमे पहननेके लिए सामान्यतया सेडिले और मोजे दिये जाते है। परन्तु यहाँ अधिकाश कैदियोको ये चीजें नही दी गईं, यहाँतक कि महिला कैदियो तक को नही। कई बार ऐसा हुआ कि कैदियोको फी कैदी एक कम्बल—सो भी फटा हुआ—दिया गया। उन्हे अपने वकीलोसे मुलाकात करनेका अवसर नही दिया गया और न उन्हे जेल-निदेशकके नाम पत्र भेजनेकी अनुमति ही दी गई।

मैंने अपने देशवासियोसे उनकी जो रामकहानी सुनी है उसका यह सक्षिप्त विवरण-मात्र है। इस विषयमे सरकारके पास जो हलफिया बयान भेजे जानेवाले है वे तैयार किये जा रहे है। परन्तु यह मामला बहुत गम्भीर है। इसकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जो बाते मैंने इस पत्रमे लिखी है, उनमे अतिशयोक्ति नही की गई है। और उसे छापनेके पूर्व आप चाहे तो इसे सम्बन्धित अधिकारियोको दिखा सकते है। श्री रुस्तमजी और उनके साथी कैदी इसके अलावा और कुछ नही चाहते कि इस मामलेकी बिना किसी लाग-लपेटके पूरी-पूरी, स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढगसे चर्चा और जाँच की जाये।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१–१९१४

२०७ तार: गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
दिसम्बर २३, १९१३

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
पूना

मैरित्सबर्ग गये। वहाँ सार्वजनिक सभामें डर्बनके कलके प्रस्तावोंका समर्थन किया गया। जबतक कमीशनमें और लोगोंके शामिल किये जानेका सुझाव, कैदियोंकी रिहाई, स्वीकृत नहीं तबतक कमीशनको मान्यता प्रदान करना असम्भव। लोग व्यग्र और उत्साहसे भरे हुए। वे उपर्युक्त शर्तोंके अलावा कमीशनको स्वीकार करनेके सुझावको नहीं मानेंगे। उनके मनमें सरकारके प्रति तनिक भी विश्वास औम आशाका भाव नहीं। लगता है कमीशन आम शिकायतोंकी जाच भी करेगा। कुछ भी हो हमारे पत्रमें गृहीत चलता है कि वह जाँच करेगा, यदि हमारी धारणा गलत हो तो हम जाँचकी माँग करते है। रुस्तमजी, और चार महिलाओं सहित १६ प्रमुख सत्याग्रही कैदकी अवधि समाप्त होने पर रिहा। रुस्तमजी और अन्य सत्याग्रहियोंका कहना जेल व्यवहार अमानुषिक, क्रूर, ये समाजके बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोंमें से हैं। रुस्तमजीका, जिन्हें पिछली कारावासकी लम्बी अवधिके दौरान बहुत-सी जेलोंका अनुभव हुआ है, कहना है, डर्बन जेलमें वर्तमान व्यवहार अत्यन्त क्रूर। मजिस्ट्रेट उदासीन, शिकायतोंकी सुनवाईके लिए शायद ही कभी जेल जाते हो। गर्वनर लगभग पहुँचके बाहर। भूख हड़तालसे पहले वार्डर अशिष्ट, बर्बर। जानबूझकर निरन्तर अपमान करते हैं। शिकायतें दर्ज करनेसे इनकार करते हैं। वतनी वार्डर सत्याग्रहियोंको बिना किसी भयके मारते-पीटते रहते हैं। प्रागजी देसाईको, जिनसे आप परिचित हैं, बिना किसी कारण इतना पीटा गया कि वे गिर पड़े, तब [उन्हें] कोठरीमें घसीट कर ले जाया गया, [चिकित्सा] सहायता मिलने से पहले काफी देर पीड़ामें पड़े रहे, अस्पतालमें ग्यारह दिन लगे। सोलह वर्षीय फीनिक्स स्कूलके विद्यार्थी-पर बुरी तरह हमला। रुस्तमजी, मणिलाल गांधी और अन्य सभीको, जिन्हें आप जानते हैं, ठोकरें मारी गईं, निर्मम व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया, कुली कहकर पुकारा गया। कई बार शिकायत करनेके बावजूद लोगोंको जुराबें और कई लोगोंको चप्पलें नहीं दी गई। जुराबें माँगनेपर जेलके बहुत ही गन्दे कपड़े दिये गये। इसकी शिकायतें करनेपर ध्यान नहीं दिया गया और खिल्ली उड़ाई गई। जेल-पुस्तकालयकी पुस्तकें नहीं दी गईं। अपनी पुस्तकें पढ़नेसे रोका गया। लगातार जंग लगी तश्तरियाँ और बर्तन जारी किये गये। भोजन घटिया किस्मका, घी अशुद्ध। अधपकी सेम दी गई, फलस्वरूप पेचिश, जिससे कुछ स्त्रियाँ जो अब भी डर्बन जेलमें हैं, पीड़ित।

भोजनमे झीगुर और कीडे पाये जानेपर भी भोजन दुबारा नही दिया गया। ऐसे दुव्यवहारके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बहुत लोगोने भूख हडताल की। उपवास चार दिन तक चला। चौथे दिन उनमे से एकको, जो शाकाहारी था, बलपूवक अण्डे मिलाकर दूध पिलाया गया। जेलरके राहत देनेके वचनपर भूख हडनाल खत्म। राहत नही दी गई। हडतालके दौरान कैदियोने गवनरसे मिलनेकी माँग की जो चौबीस घटेसे पहले दिखाई नही दिया। पहले भी मैरित्सबर्गमे राशन और घी दिये जानेसे पूर्व तीन दिन तक भूख हडताल की गई थी। रुस्तमजीने जो खराबिया जाहिर की है उनसे सनसनी पैदा होगई है।[1] आवश्यकता पडनेपर रिहा हुए सत्याग्रहियो द्वारा तुरन्त फिरसे गिरफ्तार होनेका पक्का इरादा। जाँचका अनुरोध करते हुए सरकारको पेश करनेके लिए हलफिया बयान तैयार किये जा रहे है।[2]

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेंट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२०८. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
दिसम्बर २३, १९१३

सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी,
पूना

मन्त्रियोसे मिलने हम प्रिटोरिया नही गये। जबतक माँगोके समथनमे भारतीय शीघ्रातिशीघ्र आन्दोलन नही करेगे तबतक सरकारके राजी होनेकी सम्भावना कम। आज एक अनुप्रेरित तार[3] प्रकाशित जिसका कहना है कमीशनकी नियुक्ति स्थानीय भारतीयोको नही, साम्राज्यीय और भारत सरकारोको तुष्ट करनेके लिए। आन्दोलनको कृत्रिम, भारतके उग्रवादियोके सकेतपर सचालित और उसका उद्देश्य भारत सरकारको लज्जित करना कहा गया है। आन्दोलन बहुत ही तेजीसे चल रहा है इसलिए उसे स्थानीय सरकार द्वारा बदनाम करनेके जबदस्त प्रयत्न किये जा रहे है। मेरी निश्चित धारणा लोग इतने अधिक क्रोधित कि अगर उनसे वतमान कमीशन माननेको कहा गया तो वे नेता-ओको मार डालेगे। हमारी रिहाईसे पूर्व अधिकाश केन्द्रोने कडा विरोध

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ इसका साराश समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेज दिया गया था और २९-१०-१९१३ के **इंडियन ओपिनियन**में भी प्रकाशित हुआ था।

३ देखिए अगला शीर्षक।

किया और बहुतोने सरकारसे माग की कि सदस्य बढाये न जाये बल्कि एसेलेन और वाइली बदल दिये जाये। अगर हमारे मनोनीत सदस्य नियुक्त कर भी दिये जाते है तब भी लोगोको एसेलेन और वाइलीको स्वीकार करनेको प्रेरित करनेके लिए धैय और समझदारी की आवश्यकता। महत्वपूण प्रश्नोपर [समाजसे] सलाह करनेके अधिकारको मान्यता देना सघषका मल-मुद्दा। इस नाजुक हालतमे हक छोड दे तो सत्याग्रह मर जायगा। एसेलेनने हालमे विधानसभाके सदस्य मेलरसे निजी रूपसे भारतीयोके खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बाते कही। मेलरने सावजनिक रूपसे एसेलेनके नियुक्त किये जानेका विरोध किया क्योकि उन्होने सावजनिक सभाओमे एशियाई विरोधी विचारोको जोरदार शब्दोमे व्यक्त किया है। उनका वस्तुत केन्द्रीय मन्त्रियोसे इतना घनिष्ठ राजनैतिक सम्पक है कि उन्हे मन्त्रिमण्डलका गैरसरकारी सदस्य कहा जा सकता है। वाइलीने आन्दोलनके दौरान कहा, कर बिल्कुल नही हटाया जाना चाहिए। ये सेनामे कर्नल है इनकी कार्रवाइयोकी जाच होनी चाहिए। अनेक भूस्वामियोके कानूनी सलाहकार और १८९६से माने हुए एशियाई विरोधी, जब लोगोको स्वतन्त्र भारतीयोको लानेवाले जहाजोको[1] डुबा देनेकी सलाह दी गई थी। कमीशनका बहिष्कार करते हुए भी इन आरोपोके समथनमे भारतीयोकी गवाहियाँ प्रकाशित की जा सकती है। यह बात विशिष्ट कि वतमान कमीशन राहत देनेके लिए नही, बल्कि लोगोकी आँखोमे धूल झोकनेके लिए बनाया गया।

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२०९. तार : लॉर्ड ऐम्टहिलको

डर्बन
दिसम्बर २३, १९१३

लॉड ऐम्टहिल

किसीके इशारेपर प्रकाशित आजके तारसे पता चलता है कि आयोगकी नियुक्ति स्थानीय भारतीयोको सन्तुष्ट करनेके लिए नही बल्कि केवल साम्राज्यीय तथा भारतीय सरकारको सन्तुष्ट करनेके लिए की गई है। उसमे यह भी कहा गया है कि आन्दोलन बनावटी है, इसका सचालन गम दलवाले भारतीयोके आदेशोके अनुसार किया जा रहा है और उद्देश्य भारत सरकारको

१ ये एस० एस० कूरलैड और नादेरी थे। अन्य लोगोंके अलावा कर्नल वाइलीके नेतृत्वमें भारतीय विरोधी प्रदर्शनोके विस्तृत विवरणके लिए देखिए, खण्ड २, पृष्ठ १६६ ९०।

उलझनमे डालना है। स्थानीय सरकार आन्दोलनको निंद्य ठहरानेके लिए बहुत परिश्रम कर रही है। आन्दोलन इतने जोरोपर है कि उसका नियन्त्रण करना कठिन है। जन साधारण इतने आवेशमे है कि यदि वतमान आयोगको अगीकार करनेकी सलाह दी जायेगी, तो वे नेताओका खून कर देगे। हम लोगोकी रिहाईके पूव सरकारके पास अनेक केन्द्रोसे जोरदार विरोध भेजा गया था। बजाय इसके कि वर्तमान सदस्योकी जगह अन्य सदस्य रखे जाये लोगोको इस बातपर राजी कराना कि इनको बनाये रखकर कुछ और सदस्योकी भी नियुक्ति कर दी जाये, कठिन जान पडता है। सघर्षका मूल तत्त्व यह है कि महत्वपूण मामलोमे परामर्श देनेका अधिकार स्वीकार कर लिया जाये। यदि इस नाजुक मौकेपर यह अधिकार छोड दिया जाये तो सत्याग्रहकी मूल बात ही खत्म। अगर हमारी मॉगोके समथनमे इग्लैडमे तत्परताके साथ आन्दोलन नही शुरू किया गया तो सरकार द्वारा हमारी मॉगोके स्वीकृत होनेकी सम्भावना नही। परिणाम अकथनीय विपत्तियाँ, परेशानियाँ और मौते।

गाधी
पोलक
रिच
कैलेनबैक

[अग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी० ओ० ५५१/५२

२१० तार · लॉर्ड ऍम्टहिलको[१]

[डबन
दिसम्बर २३, १९१३][२]

वेरीनिगिंगके भारतीयोने सावजनिक सभामे घोषित किया कि वे ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा किये गये सत्याग्रहियोके सकल्पमे उसके साथ है, और उन्होने उन वीर भाई-बहिनोको बधाई दी जो भारतकी प्रतिष्ठाके निमित्त कैद भुगत

१ इसकी एक नकल बम्बईके इम्मॉर्टल नामक पत्रको भेजी गई थी।

२ तारके मसविदेपर कोई तारीख नहीं दी गई है। २७-१२-१९१३ के टाइम्स ऑफ इंडियामें डर्बनकी २५ दिसम्बरकी यह खबर छपी है "श्री गाधी और अन्य लोगोंने कल लॉर्ड ऍम्टहिलको तार दिया है कि लोगोंमें इतना अधिक रोष व्याप्त है कि यदि वर्तमान आयोगको स्वीकार करवानेका प्रयत्न किया गया तो वे नेताओंको मार डालेंगे।" यह उल्लेख २३ दिसम्बरके तारका है, देखिए, इससे पहला शीर्षक। सम्भव है कि इस शीर्षकका मसविदा भी लगभग उसी समय बनाया गया हो, यद्यपि इसे वस्तुत भेजा कब गया था सो ज्ञात नहीं है।

रहे है। साथ ही आशा प्रकट की कि सघ सरकार राहत देगी और इग्लैड तथा भारत सहायता करेगे।

अस्वात
अध्यक्ष

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९०२) की फोटो नकलसे।

२११ पत्र : "नेटाल मर्क्युरी" को

११०, फील्ड स्ट्रीट
डर्बन
दिसम्बर २३, १९१३

महोदय,

मै निवेदन करना चाहता हूँ कि सार्वजनिक सभामे रविवारको पास किये गये प्रस्तावो और सरकारको मेरे और मेरे साथियो द्वारा लिखे गये पत्रपर आपने आज सुबहके अपने अग्रलेखमे जो रवैया अपनाया है उससे साम्राज्यका हित नही होगा। आपको हमारा तिल तो दिखाई पडता है, मगर सरकारका ताड नही दिखाई पडता। मै यह नही मानता कि सार्वजनिक सभामे बोलनेवाले वक्ताओकी भाषा सख्त या अपमानजनक थी। अपने अधिकारोपर जोर देनेको ही अपमानजनक समझा जाये तो बात दूसरी है। आप हमे जिस न्यायका हकदार मानते है, सरकार उसे देनेसे केवल इनकार ही नही करती, उससे इनकार करनेका उसका तरीका भी अत्यन्त अपमानजनक और तिरस्कारपूण है। आजके पत्रोमे प्रकाशित अनुप्रेरित तारको ही लीजिए। उसके अनुसार आयोगकी नियुक्ति हमें शान्त करनेके लिए नही — हम तो ध्यान देनेके काबिल ही नही है — वरन् साम्राज्य सरकार तथा भारत सरकारको सन्तुष्ट करनेके लिए हुई है। हमपर आरोप लगाया जाता है कि हम भारतके उग्र-पन्थियोके इशारेपर चलनेवाली कठपुतलियाँ है और झूठमूठका आन्दोलन चला रहे है। क्या आप ऐसा समझते है कि हमारी जगह यदि आप होते तो आप किसी भी हालतमे एक ऐसे राहत देनेवाले कानूनका फायदा उठाते जो राहत देनेका दिखावा-भर करता है? मै निवेदन करता हूँ कि यदि हममे जरा भी आत्मसम्मान बाकी है तो सरकारका रुख जान लेनेके बाद, यदि तारमे व्यक्त रुख ही उसका रुख है, हमने जो निश्चय किया है उससे एक इच भी पीछे हटना सम्भव नहीं है। हमे शान्ति तबतक नही मिल सकती जबतक हम सरकारको हमारी भावनाओके प्रति अपना तिरस्कारपूण अवहेलनाका रवैया बदलनेपर विवश न कर दे।

हमसे अपनी प्रार्थनामे परिवर्तन करनेकी बात कहकर आप हमसे एक सिद्धान्तका त्याग करनेकी माग करते है। सिद्धान्त यह है कि जिन मामलोका हमपर खास असर पडता है उसमे हमारी सलाह ली जाये। यह एक ऐसी माँग है जिसके लिए हम सघष करते रहे है, और अब प्राण तक दे रहे है, दूसरी ओर, सरकार हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमे हमारा हक ही देगी, और सभ्य ससारकी नजरोमे उसका सम्मान बढ़ेगा।

आप कहते है कि अपने वतमान रवैयेके कारण भारतीय समाज अपने दक्षिण आफ्रिकी मित्रोकी सहानुभूति गँवा रहा हे। यह चेतावनी समाजको कई अवसरोपर दी जा चुकी है। और फिर भी उसके उद्देश्यकी सच्चाईके कारण हमे हर बार न केवल उस सहानुभूतिको बनाये रखनेमे, बल्कि बढानेमे भी सफलता मिली हे। हो सकता है कि इस बार उसे बनाये रख सकनेका हमारा भरोसा ठीक न हो। यदि ऐसा हो तो मुझे बहुत ही दु ख होगा। मै उक्त मित्रोकी सहानुभूतिको मूल्यवान समझता हूँ, परन्तु समाजके उद्देश्यको उससे कही अधिक मूल्यवान मानता हूँ। उस उद्देश्यकी पूर्ति करनेमे यदि हमे उनकी सहानुभूतिसे हाथ धोना पडे, तो हमे फिलहाल सन्तोष करना चाहिए और अन्तमे सत्यकी विजयमे विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे पक्षमे है।

आपका,

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २४–१२–१९१३

२१२. तार: गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

दिसम्बर २४, १९१३

गोखले

सर्विडिया

पूना सिटी

आपकी भावनाको समझता हूँ।[१] अगर उससे कुछ मदद मिले तो अपना जीवन अर्पित कर दूगा। यह सघर्ष वाइसराय, साम्राज्यीय मन्त्रियो [अथवा] अन्य लौकिक सत्तासे स्वतन्त्र। रविवारको भगवानको साक्षी रखकर ली गई प्रतिज्ञा अपरिवर्तनीय। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियोमे लोगोकी हिम्मत बनी रही तो इससे न्यायप्राप्तिमे, जो देर-सबेर मिलकर ही रहेगा, मदद मिलेगी। मेरा दृढ विश्वास है कि यदि हममे से कोई, विशेषकर मै लोगोसे बिना परिवर्धनके कमीशनको स्वीकार करनेके लिए कहूँ तो उचित रूपसे ही, खून हो जायगा। शपथ-ग्रहण करनेसे पूर्व यह प्रश्न पूछे जानेपर कि यदि आपने अथवा वाइसरायने सघर्ष त्यागनेका अनुरोध किया तो क्या मै कदम पीछे हटा लूगा, मैने कहा एक बार शपथ ग्रहण कर लेनेपर कोई व्यक्ति मुझे अपना निश्चय बदलनेपर राजी नही कर सकता। महसूस करता हूँ कि यहाँ हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन वाइसरायकी अस्वीकृति-के बाद चाहे जनतापर हमारा प्रभाव बना रहे अथवा लुप्त हो जाये,

१ सकेत स्पष्टत गोखलेकी इस चिंताकी ओर है कि कमीशनका बहिष्कार करनेसे वाइसराय और इग्लैंडके बहुतसे मित्र नाखुश हो सकते हैं। देखिए "तार गो० कृ० गोखलेको", पृष्ठ २७७, पाद टिप्पणी १।

संघर्ष तबतक जारी रहना चाहिए जबतक हम कुछ लोग प्रयत्नमे मर न जाये। इस लम्बे आध्यात्मिक संघषकी सारी अवधिमे हमने अबतक उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको सफलतापूर्वक निभाया है। संघषके दौरान साम्राज्यीय मन्त्रियोने बार-बार हमारा खण्डन किया और बादमे स्थानीय मन्त्रियोकी भाँति उसने माँगे स्वीकार की। हम पीछे कदम हटानेमे असमथ। भगवानसे प्रार्थना कि वह आपको भीषण संकटके दौरान बल प्रदान करे और आप रास्ता ढढनेमे सफल हो।

गाधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२१३ तार : गो० कृ० गोखलेको[1]

डर्बन

दिसम्बर २४, १९१३

गोपनीय

आज सात प्रतिनिधि पादरियोने हम तीनोसे लम्बी बातचीत की। उन्होने सरकारको मध्यस्थताके सुझावका तार दिया। यदि वह स्वीकार नही किया गया तो वे खुले आम हमारी माँगे पूरी करानेका आन्दोलन करेंगे। 'रैंड डेली मेल' ईस्ट लन्दनका खरीता सरकारको मान लेनेका जोरसे आग्रह करता है। हॉस्केनने मागोके समर्थनमें एक सावजनिक अपील जारी की है।

गाधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२१४. तार : लॉर्ड ऐम्टहिलको

डर्बन

दिसम्बर २४, १९१३

लॉर्ड ऐम्टहिल

रिचका तार[2] देखा। स्वर अन्तिम चेतावनीका नही है। 'केप टाइम्स' स्वीकार करता हे कि माँगे उचित और भाषा नम्र है, लेकिन उसी पत्रमे अल्टीमेटमकी ध्वनिपर आपत्ति। गम्भीर उत्तेजनाके

१ यह तार, अन्तिम दो वाक्योंको हटाकर, लॉर्ड ऐम्टहिलको भी भेजा गया था।

२ लॉर्ड ऐम्टहिलने रिचको तार भेजकर गाधीजीको सदेश दिया था कि मौजूदा परिस्थितिमें उनका रुख सत्याग्रहकी भावनाके अनुकूल नही है, उसके कारण १० वर्षोंके किये करायेपर पानी फिर जायगा।

बावजूद हमने सयत भाषाको तनिक भी नही छोडा। विकल्प सत्याग्रह ही होगा, वह तो हमने अपने हर पत्रमे कहा है। उसीको धमकी माना गया है। 'रैड डेलीमेल' के जोहानिसबग ईस्ट लन्दन खरीतेमे सरकारसे कहा गया है कि वह मागोको मान ले और अपने साम्राज्यीय दायित्वको स्वीकार करे। हमारे पत्रके समथनमे हॉस्केनने सावजनिक अपील निकाली। चर्च कौसिले भी ऐसे ही प्रयास कर रही है। हम सत्याग्रहकी परम्पराओको बनाये रखनेकी भरसक चेष्टा करेगे ओर इस प्रकार आपका विश्वास और शक्तिशाली समर्थन प्राप्त करते रहेगे।

गाधी
पोलक
कैलेनबैक

[अग्रेजीसे]
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी० ओ० ५५१/५२

२१५ तार : गृह-मन्त्रीको

डर्बन
दिसम्बर २५, १९१३

अत्यावश्यक

गृह-मन्त्री
प्रिटोरिया

पोलक, कैलेनबैक और मेरे सयुक्त पत्रके सरकारी उत्तरका पाठ अखबारोमे देखा। समझौतेकी ध्वनिकी कद्र करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्थिति असाध्य नही है। मै जनरल स्मट्सको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा भारतीयो और गोरोको कष्टोसे बचानेकी है। भारतीय मजदूरोके मालिकोको, जिनमे से कुछके प्रति मै बहुत आदरभाव रखता हूँ, नुकसान न होन देनेके लिए मै यथाशक्ति सभी कुछ करनेको तैयार हूँ। परन्तु मै अपनी अन्तरात्मा-के सुझाये मार्गपर चलनेके लिए मजबूर हूँ, यदि उससे कुछ लोगोको कष्ट होता है तो मुझे उसके प्रति उदासीन रहना पडेगा। यदि जनरल स्मट्ससे मुलाकात सम्भव हो तो मै भेटके लिए आनेको तैयार हूँ। मै उनके समक्ष जो सुझाव रखूँगा यदि वे स्वीकार कर लिये गये तो गत्यवरोध दूर हो जायेगा और सरकारकी शान तथा भारतीयोकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अपना पत्र प्रकाशित ,करनेका हमारा एकमात्र कारण यही था कि हमारी अपील सरकार और जनता दोनोके लिए है। फिर सरकारी तौरपर कोई कारण बताये बिना हमारी रिहाईका अर्थ हम लोगोने यह लगाया कि भारतीय

समाजसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मामलोमे सरकार उससे औपचारिक अथवा अनौपचारिक सलाह-मशवरा करनेके लिए इच्छुक नही है। मेरी समझमे हमारे पत्रको भ्रमवश ही चुनौती मान लिया गया है, आशा है मन्त्री महोदय मेरे इस कथनको ठीक मानेंगे कि वह पत्र न तो चुनौती है न धमकी। हमने तो तरीकेकी निन्दा की है। सरकारने कृपापूर्वक स्वीकार किया है कि हमने उसे सूचित कर दिया था कि कुछ मौकोपर समाजकी भावना ऐसी होती है कि राहत न देनेपर सत्याग्रह अर्थात् आत्मपीडनका जारी रहना या पुनरारम्भ किया जाना निश्चित है। मैं आशा करता हूँ कि जनरल स्मट्स मुझे भेट मजूर करते हुए मिलनेका समय निश्चित कर देंगे। उत्तर मिलने तक मैं यह तार समाचारपत्रोको न भेजूगा।[1]

गाधी

[अग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६)

२१६. तार: गो० कृ० गोखलेको[2]

डबन

दिसम्बर २५, १९१३

सरकारसे हमारे पत्रका उत्तर मिल गया। यद्यपि आयोगमे वद्धिकी मॉग अस्वीकृत कर दी गई है, लेकिन बातचीतकी गुजाइश रखी है। व्यक्तिगत भेटकी प्रार्थना की है।

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

१ गृह मन्त्रीने २९ दिसम्बरको तारसे यह उत्तर दिया "आपका २५ का तार मिला। भारतीय प्रश्नपर नेतागण अधिक सद्भावपूर्ण रुख अपना रहे है, यह देखकर मन्त्री महोदयको प्रसन्नता। भेंटके अनुरोधके बारेमें मन्त्री महोदय चाहते है कि विगतमें हुई गलत फहमियोंको देखते जिन मुद्दोपर बात करनी है उन्हें औपचारिक रूपसे लिख दिया जाये। हर उचित सुझावपर सरकार सावधानीसे विचार करनेको तैयार है।" देखिये "पत्र गृह मन्त्रीको", पृष्ठ २७१–७४।

२ ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा ही एक तार दूसरे दिन लॉर्ड ऍम्टहिलको भी भेजा गया था। उन्होने अपने पत्रमें इसकी और इससे पहलेके तारोंकी प्राप्ति स्वीकार की थी। उसमें यह भी लिखा गया था कि "वे जो-कुछ किया जा सकता है वह सब कर रहे है।"

२१७ तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
दिसम्बर २६, १९१३

मेरे बारेमे अपनी जानकारीके आधारपर कृपया महाविभवको विश्वास दिलाये कि मै अपनी सरकारको परेशानीमे न डालनेकी पूरी कोशिश करूँगा।[1] मै आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके दृढ समर्थनके परिणामस्वरूप ब्रिटेनसे सम्बन्ध बनाये रखनेके पक्षमे ऐसी सूक्ष्म भावना पैदा हो गई है जैसी शायद किसी घोषणा या आयोगसे सम्भव न होती। उनका ऐलान सुस्पष्ट और साहसपूर्ण। उसकी ईमानदारीकी ध्वनिने यूरोपीयो तथा भारतीयोको बहुत प्रभावित किया है। प्रस्तावित निजी मुलाकातके बारेमे गृह-मन्त्रीसे किसी भी क्षण उत्तरकी आशा कर रहा हूँ। अन्य स्थानीय प्रभावशाली तत्त्व हमारे पक्षमे कार्यरत। आप जानते ही है गृह-मन्त्रीने उत्तरमे कहा है कि सरकारका इरादा निष्पक्ष कमीशन बनानेका है और फिर भी नियुक्तिके समय बागान-मालिकोकी सलाह नही ली गई। अगर भेट दी गई तो उस अवसरपर, अन्यथा कूचके पूव, सार्वजनिक रूपसे मान लूगा कि सरकारने अपना निष्पक्षताका दावा वापस ले लिया है, उसपर पक्षपात पूण रवैये तथा इस बातसे मुकर जानेका आरोप लगाऊँगा कि वह इस बुनियादी स्थितिको प्रतिष्ठित कर देगी कि औपचारिक (अथवा) अनापचारिक रूपसे हमारी भावनाका ख्याल रखा जाये और आदर किया जाये। तनाव, सन्देह तथा क्षोभकी वर्तमान स्थितिमे समाजको सन्तुष्ट करनेके लिए मेरी प्राथना है कि हमारे पक्षका केवल एक व्यक्ति अतिरिक्त सदस्यके रूपमे नियुक्त किया जाये, क्योकि बागान-मालिकोको एक सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार दिया गया है। सत्याग्रही कैदियोकी मुक्तिके सम्बन्धमे किसी कठिनाईकी आशका नही। यदि हिंसात्मक कार्रवाईके लिए किसी तथाकथित सत्याग्रहीको सजा हुई हो, तो उसकी रिहाईकी माँग हम नही करते। 'प्रिटोरिया न्यूज' ने सरकारसे आग्रहपूर्वक निवेदन किया है कि वह प्रार्थना स्वीकार कर ले। क्या महाविभव सघ सरकारसे यह मध्यम मार्ग स्वीकार करनेका आग्रह करेग। इस मार्गसे न हमारे सिद्धान्तोपर आँच आयगी और न सरकारकी शान और प्रतिष्ठामे ही अन्तर आयगा, साथ ही भावी स्थायी समझौतेका मार्ग सुगम हो जायेगा। इधर हम लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके लिए प्रयत्नशील है कि हमे आयोगको स्वीकार करने

१ भारतके वाइसराय लॉर्ड हार्डिंजके भाषणकी ओर संकेत है, देखिए परिशिष्ट १६।

और आन्दोलन स्थगित करनेका सौभाग्य प्राप्त हो सके। उधर आप भी यही प्रयत्न करनेकी कृपा करे। इसमे कोई सन्देह नही रह गया है कि आयोग हमारे सभी कष्टोपर विचार करेगा।[1]

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२१८. तार . गो० कृ० गोखलेको[2]

डर्बन

दिसम्बर २६, १९१३

शपथमे पहली जनवरीका समावेश नही। मुनासिब समय तक हडताल स्थगित करनेका वचन पादरी लोगोको दे दिया है। अभीतक गृह-मन्त्रीसे कोई सूचना नही मिली।

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२१९. तार गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

दिसम्बर २६, १९१३

सर्विडिया पूना मिटी

वेस्ट मेरा तार देने गये थे, वही चन्देके विषयमे आपका तार[3] मिला। उन्होने उत्तरमे सूचित किया कि रकम अपने पास ही रखे क्योकि स्थानीय सरकार किस हदतक दमन करेगी यह किसीको ज्ञात नही है। फौजी काननके

१ श्री गोखलेने दूसरे ही दिन निम्न लिखित उत्तर तार द्वारा भेजा था "आपके तारके मजमूनसे मैंने कल वाइसरायको अवगत कराया। उनसे प्रार्थना की कि वे अपना समर्थन प्रदान करें, मध्यम मार्गका सुझाव भी पेश किया, उन्होने कहा है कि तारके लिए अनेक धन्यवाद, लॉर्ड क्रूको तारका मजमून भेजा जा रहा है।"

२ यह तार श्री गोखलेके उसी दिन भेजे गये निम्नलिखित तारका उत्तर था "तार द्वारा अविलम्ब सूचित कीजिए कि क्या शपथमें सवर्ष पुन प्रारम्भ करनेके लिए पहली जनवरी निश्चित रूपसे रखी गई है? क्या मुलाकातकी मजूरी मिल गई है?"

३ गोखलेका २६ दिसम्बरका तार यह था कल बम्बईसे सात हजार और मद्राससे एक हजार तार द्वारा भेज रहा हूँ।

अन्तर्गत सरकार चाहे जिसकी चाहे जो चीज छीन सकती है। फौजी कानून लागू होनेकी प्रबल सम्भावना । बेहतर है आप कोष अपने ही पास रखे, मागनेपर भेजते जाये। आन्दोलन अप्रत्याशित रूपसे फैल रहा है। लोग दिन-भर मुझे घेरे रहते हैं। कूचका स्थगित किया जाना निश्चित ही है। सुलहकी उम्मीद कायम रहते मै वह प्रारम्भिक प्रबन्ध भी नही कर रहा हूँ जो कूचमे भाग लेनेवाले करीब पाच हजार लोगोके लिए आवश्यक होगा। ज्यो-ज्यो त्रस्त और पीडित कृतसकल्प नारी पुरुष आगे बढेगे सख्या बढकर बीस हजार होनेकी सम्भावना है। शनिवारको मैरित्सबगकी सावजनिक सभामे[1] उपस्थित रहूँगा। आपके तारोका मजमून लोगोके पास भिजवा रहा हूँ। आपके तारोकी हिदायतोपर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा।

गाधी

[अग्रेजीसे]
सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२२० पत्र मार्शल कैम्बेलको

११०, फील्ड स्ट्रीट
डर्बन
दिसम्बर २६, १९१३

प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल,[2]

अभी दो या तीन दिन पहले सुना कि आप इग्लैडसे वापस आ गये है। मै कहना चाहता हूँ कि जब मुझे समाचार मिला कि तटवर्ती क्षेत्रमे सबसे पहले आपके मजदूरोने हडताल की तब मुझे बडी चिन्ता हुई। एक महत्वपूर्ण सभामे मुझसे प्रश्न किया गया था कि मै गन्नेके फार्मोंमे भी हडतालकी बात क्यो नही कर रहा हूँ। मेरा उत्तर था कि हम लोग हडतालको कोयलेकी खानो तक ही सीमित रखनेकी कोशिश कर रहे है क्योकि हमे आशा है कि राहत दिलानेके लिए उतना ही प्रदशन पर्याप्त होगा। जब मै न्यूकासिलमे कोयला खानोके हडतालियोको राहत पहुँचानेका काम सँभाल रहा था, उस समय डर्बनमे काम करनेवाले मेरे सहयोगियोने मुझसे पूछा कि समुद्र-तटवर्ती क्षेत्रोमे काम करनेवाले उन भारतीयोको क्या उत्तर दिया जाये जो आन्दोलनमे शरीक होना चाहते है। मैने जोर देकर स्पष्ट किया कि अभी उनका हडताल करना उपयुक्त नही है। उसके बाद मुझसे पुन उसकी चर्चा की गई और मैने वही बात कही और अपनी गिरफ्तारीसे पूर्व लिखे गये मेरे पत्रोमे[3] से एक इस आशयका

१ देखिए "भाषण मैरित्सबर्गमें", पृष्ठ २९६ ।
२ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेटाल एस्टेट, लिमिटेड ।
३ ये पत्र उपलब्ध नहीं है ।

था कि तीन-पौंडी कर विषयक कानूनको रद करानेमे आपके प्रयत्नोके लिए हम लोग आपके इतने ऋणी है कि हडतालके लिए आपके मजदूरोसे सबसे अन्तमे ही कहा जायेगा। परन्तु मै बिल्कुल निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि मेरी गिरफ्तारीके बाद मेरे कार्यकर्ताओके लिए हडतालियोको नियन्त्रणमे रखना असम्भव हो गया। और आन्दोलन न केवल अनियन्त्रित हो गया बल्कि उसने अत्यन्त बृहत् रूप धारण कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगोकी भावनाओको समझे। यदि मै मुक्त होता और हडताल करानेमे हाथ बँटाता तो निश्चय ही मै भी आपके आदमियोको हडतालमे शामिल करानेका प्रयत्न करता। परन्तु जैसा कि मै ऊपर निवेदन कर चुका हूँ आपके मजदूरोका नम्बर सबके बाद आता।

जैसा कि आप जानते है, स्वाभिमान और प्रतिष्ठाकी खातिर और मेरे मूक और असहाय देशवासियो — गिरमिटिया भारतीयो —के कष्टोको दूर करानेके उद्देश्यसे चलाये गये इस सघषमे हम लोगोके लिए यह सम्भव न था कि हम अपने कष्ट-सहनके बारेमे कुछ सोचते या उसकी कोई सीमा निर्धारित करते। इस सघषमे कष्ट झेलने और अपना सवस्व गँवा देनेके लिए खुद अपने ही स्त्री-बच्चोको आमन्त्रित करनेमे हमने आगा-पीछा नही किया है। इसलिए न्यायत हमसे इस बातकी आशा कदापि नही की जा सकती थी कि हम व्यक्तिगत रूपसे अलग-अलग मित्रो और शुभचिन्तकोके हितोका खयाल रखेगे। इस प्रकारके हमारे सभी सघर्षोमे दोषी और निर्दोष, दोनो प्रकारके लोगोको कष्ट उठाना पडता है। इसीलिए मै आशा करता हूँ कि जो आप हमारे प्रति सदा रखते आये है उस बहुमूल्य सहयोग-भावना और सहानुभूतिसे मै और मेरे देशवासी वचित नही होगे। मै निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि जनरल स्मट्सने हम लोगोकी प्रार्थना नामजूर कर दी है तथापि इस समय उनके साथ नाजुक बातचीत हो रही है। यदि आपको अवकाश हो और आप उस बातचीतमे दिलचस्पी ले सकें तो मुझे मिलनेका समय और स्थान सूचित कर दे ताकि मै आपसे मिल कर स्थिति-पर विचार-विमर्श कर सकूँ।[1]

जो भावनाएँ मैने इस पत्रमे व्यक्त की है, श्री कैलेनबैक तथा श्री पोलक भी उनसे सहमत है। उन दोनो सज्जनोके मनमे श्री गोखलेके सम्मानमें दिये गये आपके भोजकी सुखद स्मृति बनी हुई है।

आपका,

मो० क० गाधी

माननीय मार्शल कैम्बेल
माउट एज्कम्ब

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ५-१-१९१४

१ मार्शल कैम्बेलके प्रत्युत्तरके लिए देखिए "पत्र, मार्शल कैम्बेलको", की पाद टिप्पणियाँ, पृष्ठ ३०८।

२२१. भेंट : रायटरको[1]

[डर्बन
दिसम्बर २७, १९१३ से पूर्व]

सरकार द्वारा भेजे गये उत्तरके[2] सम्बन्धमें जब रायटरके संवाददाताने गांधीजीसे मुलाकात की, तब उन्होंने कहा कि सरकारने जो उत्तर भेजा है उसमें नरमीकी झलक है और मैं उसका लाभ उठानेकी कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, यह कहना तो कठिन है कि क्या होगा किन्तु मैं सरकारके साथ निजी तौरपर पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ, और मेरा खयाल है कि इस गतिरोधसे निकलनेकी सम्भावना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपनी शानको जरा भी कम किये बगैर भारतीय समाजके इस उत्कट निवेदनको मान सकती है कि उसके हितोंको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकारकी इस घोषणासे कि वह किसी भी हालतमें यह नहीं चाहती कि आयोगका स्वरूप एकपक्षीय हो, कुछ आशाका संचार होता है।

श्री गांधीने कहा कि इस विराट् संघर्षमें जो कष्ट यूरोपीयों तथा मेरे देशवासियों, दोनोंको सहने पड़ेंगे उनके सम्बन्धमें मैं दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे दिलमें जितनी चिन्ता भारतीयोंके कष्टोंके बारेमें हो रही है, उतनी ही यूरोपीयोंके लिए भी। मैं अपने उत्तरदायित्वको पूर्ण रूपसे समझता हूँ, इसलिए मैं सत्याग्रहको फिरसे आरम्भ न करना पड़े, इसका भरसक प्रयत्न करूँगा।

श्री गांधीने कहा, मैं संघ-सरकार तथा सम्राट्की सरकार, दोनोंके प्रति समान रूपसे उतना ही वफादार होनेका दावा करता हूँ जितना कोई भी राजभक्त कर सकता है, और चूंकि मेरी निष्ठा व्यक्तियोंके प्रति न होकर संविधानके प्रति है, अतएव उसपर सरकारकी कार्रवाइयोंसे, मेरे लेखे वे चाहे जितनी निष्ठुर क्यों न हों, कोई असर नहीं पड़ता।

उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण आफ्रिकाके नागरिकोंसे अपनी इस घोषणापर विश्वास करनेकी प्रार्थना करता हूँ कि मैं जहाँतक बनेगा सत्याग्रह न छिड़ने देकर लोगोंको उसके कष्टोंसे बचानेकी पूरी कोशिश करूँगा, अलबत्ता संघर्ष टालनेके लिए मैं अन्तरात्माके विरुद्ध नहीं जाऊँगा। जब मैं जेलसे रिहा हुआ, तब मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि तटवर्ती क्षेत्रके बागान-मालिकोंको, जिनमेंसे कुछके प्रति मेरे मनमें बहुत आदर है, क्षति उठानी पड़ी है। मैं यही आशा करता हूँ कि सरकार मेरे भेजे हुए निजी पत्रकी कद्र

१ यह ३१-१२-१९१३ के **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित हुआ था।
२ देखिए परिशिष्ट १५ (१)।

करेगी। मै यह भी आशा कर रहा हूँ कि यूरोपीय जनता मुझपर भरोसा करके मुझे समथन प्रदान करेगी।

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २७-१२-१९१३

२२२ तार · गो० कृ० गोखलेको[1]

डर्बन
दिसम्बर २७, १९१३

रॉबटसनके आगमन तक सघर्ष अवश्य ही स्थगित रखा जायेगा। क्या हम सार्वजनिक स्वागत कर सकते है? वर्तमान समझौता-वार्ता विफल होनेपर क्या हम घोषणा कर सकते है कि [सघर्ष] पुन आरम्भ करनेसे पहले [उनके] आगमनकी प्रतीक्षा करेगे। इस बीच हम गवाही भी नही देगे।

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२२३ तार. गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
दिसम्बर २७, १९१३

यदि रॉबटसन २९ ता० को रवाना हो जाये तो मै उनके पहुँचनेके एक सप्ताह बाद तकके लिए कूच स्थगित कर देनेका वचन देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस बीच इग्लैड और भारत दोनो देश जनरल स्मट्सपर मेरे उस प्रस्तावको स्वीकार करनेकी दिशामे जोर डालेगे जो मैने कलके अपने पत्रमे उनके सामने रखा है—अर्थात् मेरी प्रार्थना रॉबटसनके आनेके सवालको अलग रखकर मान ली जाये। कुमारी हाबहाउसने जो सरकारकी बहुत बडी हितचिन्तिका है, मुझे तार भेजा है कि मै कूच स्थगित रखू। उन्होने यह भी सूचित किया है कि वे बीचमे पड रही है। इसी प्रकार यहाँ भी सहानुभूति प्राप्त

१ यह तार गोखलेके निम्नलिखित तारके उत्तरमें था जो गाधीजीको उसी दिन मिला था "अनुमान कि यदि राबटसन २९ ता० को रवाना हो तो लगभग ८ ता० को पहुँचेंगे। परतु जबतक आपका निश्चित वादा नही मिलता कि इससे पहले उन्हें वहाँ कमसे कम एक सप्ताहका मौका देनेके बाद ही आप सत्याग्रह आरम्भ करेंगे तबतक प्रस्थान स्थगित। इस बीच वाइसराय लॉर्ड क्रू को लिख रहे है कि कमीशनकी बैठक सप्ताहान्त तक स्थगित कर दी जाये। क्या आप वचन देते हैं? स्पष्ट शब्दोमें तार दीजिए। वर्तमान समझौता वार्ता विफल होनेपर सघर्ष स्थगित करनेका कारण घोषित करने, साथ ही कमीशनकी बैठक स्थगित न होनेपर जाँचमें भाग न लेनेको स्वतन्त्र। रॉबर्टसनका स्वागत वाछनीय।" देखिए अगला शीर्षक भी।

हो रही है। वाइसराय और लार्ड क्रू सघ-सरकारके दबावके कारण इस परिस्थितिको उलट-पुलट न कर दे जैसा कि प्रवासी विधेयकके पास किये जानेके अवसरपर किया था, उस समय दोनोने सघ-सरकार द्वारा उठाये कदमको सही और हमारे कामको गलत कहा था। आपसे उत्तर[1] पानेपर घोषित करूँगा कि रॉबटसन आनेवाले है, इसलिए वाइसराय महोदयकी इच्छाका पालन करते हुए हमने कूच स्थगित कर दिया है, परन्तु मैंने अभी हालमे नियुक्त आयोगके विषयमे न कोई आश्वासन दिया है और न मै उस आयोगकी बैठकोमे किसी भी प्रकारसे सहयोग कर रहा हूँ। घोषणा तबतक न की जायगी जबतक स्मट्सके साथ चल रहे वार्तालापके परिणामके बारेमे मै निराश नही हो जाता। ऐन्ड्रयूज़का[2] स्वागत यथोचित् रूपसे किया जायेगा, रॉबर्टसनका भी।

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेंट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२२४ भाषण : मैरित्सबर्गमे[3]

मैरित्सबग

[दिसम्बर २७, १९१३]

अत्यन्त सयत और नरम लहजेमें भाषण करते हुए श्री गाधीने सूचित किया कि भारतीयोकी शिकायतोके सिलसिलेमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ढगकी वार्ता चल रही है। उन्होने कहा कि भारतीयोको इस वार्ताका अन्तिम निष्कर्ष निकलने तक प्रतीक्षा करनी होगी। उन्होने भारतीयोको तैयार रहनेकी सलाह देते हुए कहा कि सम्भव है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि उन्हे (भारतीयोको) अपनेको गिरफ्तार करानेके लिए डर्बनसे ट्रान्सवालके लिए होनेवाले कूचमें शामिल होनेको कहा जाये। श्री गाधीने कहा कि कूच १ जनवरीसे शुरू हो, ऐसा मेरा अनुमान नही है। सम्भव है वह १५ जनवरीसे पहले शुरू न हो। कूच शुरू हुआ तो उन्हे रसद व्यवस्थाके लिए आवश्यक प्रबन्ध करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अपने भाषणके दौरान श्री गाधीने दावा किया कि हम लोग केवल मानवताके बुनियादी अधिकार और सामान्य न्याय पानेकी कोशिश कर रहे है।[4]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९१३

१ उत्तरमें तार द्वारा श्री गोखलेने वाइसराय और उनके बीच जो तार-व्यवहार हुआ उसका साराश भेजा, वाइसरायके तारके लिए देखिए परिशिष्ट १७।

२ 'दीनबन्धु' चार्ल्स फ्रेअर ऐंड्र्यूज़ (१८७१-१९४०)।

३ इस सभामें लगभग १,००० भारतीय उपस्थित थे। सभाकी यह रिपोर्ट **नेटाल मर्क्युरी**से लेकर **इडियन ओपिनियन**में प्रकाशित की गई थी।

४ सभामें पारसी रुस्तमजी और एच० एस० एल० पोलकने भी भाषण किया।

२२५ तार : गृह-मन्त्रीको

[डर्बन]
दिसम्बर २९, १९१३

तारके[1] लिए गृह-मन्त्री महोदयको धन्यवाद। सविनय निवेदन है कि [आयोगमें] एक सदस्य खेतोंके मालिकों तथा अन्य लोगों द्वारा भेजा जाय और एक भारतीय समाज द्वारा। इससे सन्देह दूर हो जायेगा और जिन बातोंसे भारतीय समाजका बहुत गहरा सम्बन्ध है, उन बातोंके बारेमें भारतीयोंकी भावनाओंकी उपेक्षा करनेका सरकारका इरादा नहीं है, ऐसा मान लिया जायगा। हम इस आशयका वक्तव्य सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित करवा देंगे कि हम सरकारके इस आश्वासनको स्वीकार करते हैं कि उसका इरादा आयोगको एकपक्षी स्वरूप देनेका नहीं था और हमारी हार्दिक प्रार्थनापर उसने आयोगमें अतिरिक्त सदस्यों-की नियुक्ति की है — एक सदस्य हमारे हितोंका प्रतिनिधित्व करेगा। खेतोंके मालिकों और दूसरोंको भी वही [एक-एक सदस्य भेजनेका] अधिकार दिया गया है। निवेदन है कि मैं अपने देशवासियोंको यह परामर्श सहर्ष दूँगा कि यदि सरकार मेरा विनम्र सुझाव मान ले तो वे एक सदस्यी आयोगकी, जिसमें सर विलियम सॉलोमन सरकारके एकमात्र सदस्य होंगे, स्वीकार कर लें। गत २४ वीं तारीखके उसके उत्तरकी ध्वनिसे मैं समझता हूँ कि जो वास्तविक सत्याग्रही इस वक्त कारावासमें सजा काट रहे हैं — वे तथाकथित सत्याग्रही नहीं जिनपर हिंसाका अभियोग लगाया गया हो — उनकी रिहाईके सम्बन्धमें कोई कठिनाई न होगी। उसी उत्तरकी ध्वनिसे यह भी झलकता है कि आयोगका अधिकार-क्षेत्र विस्तृत कर दिया जायेगा, फलत आयोग सब प्रकारकी शिका-यतोंकी जाँच कर सकेगा और आयोगकी बैठकके पहले दिन सर विलियम सालोमनने जो वक्तव्य दिया था, उससे सामजस्य स्थापित हो जायगा। इस माँगके स्वीकृत होते ही हम तबतक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर देनेका वचन दे देंगे जबतक आयोग अपना निर्णय नहीं दे देता। यदि सरकार मेरे प्रस्ताव-पर जरा भी अनुकूल दृष्टि डालनेकी कृपा करती है तो मैं अब भी आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मुझे भेंटका अवसर दिया जाये। यह भेंट मोटी-मोटी बातों-पर समझौता करानेमें सहायक होगी। हम लोगोंके वार्तालापका विवरण आशुलिपि द्वारा तैयार करा लिया जा सकता है, ताकि बादमें किसी किस्मका भ्रम न रह सके। यदि सरकार नय वर्षके आरम्भके एक-दो दिन पूर्व ही मुझे यह घोषित करनेका अधिकार दे दे कि मेरी प्रार्थना उसने स्वीकार कर ली है तो तनाव कम हो जायेगा और मेरे देशवासियोंके दिलोंमें नूतन

१ देखिए पा० टि० १, पृष्ठ २८९।

वर्षके सम्बन्धमे आशाका सचार होने लगेगा, साथ ही सरकारके न्यायोचित कार्यके लिए वे कृतज्ञ होगे।[1]

गाधी

[अग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६)

२२६. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
दिसम्बर २९, १९१३

सर्विडिया
पूना सिटी

कोई अन्य उपाय सम्भव नही। यदि हमे लॉर्ड ह्यूकी भारतकी सहानुभूति खोनी ही पडे तो हमे सन्तोष करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है आप कृपा करके हमारे सम्बन्धमे बहुत चिन्तित न होगे। हम लोग खूब प्रसन्न हैं। हमने कष्ट माँगा था और हम उसको सहेगे। स्थिति गम्भीर। कूच स्थगित करना कठिन। लोग चेतावनियोके बावजूद पहलेसे सामान बच रहे हैं। बाहरी सहायता बन्द होनेके बावजूद जहाँ इतनी लगन है वहाँ आशा होती है। विवरण[2] बादमे भेज रहा हूँ।

गाधी

[अग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया फाइल न० ४५
सौजन्य सर्वेंट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

१ देखिए परिशिष्ट १८ (१) और १८ (२)।
२ देखिए अगला शीर्षक।

२२७. तार : गो० कृ० गोखलेको[1]

डर्बन
दिसम्बर २९, १९१३

सर्विडिया
पूना सिटी,

आयोगमे आज तो केवल एसे ही व्यक्ति नियुक्त है जो पक्षपातपूण भावना रखते है। दक्षिण आफ्रिकाके सभी समाचारपत्र इस

१ यह तार श्री गोखलेके गाधीजीके नाम २८ दिसम्बर १९१३ को भेजे गये इस तारके उत्तरमें भेजा गया था

"अब यह जरूरी हो गया है कि आप देशके सामने वहाँकी स्थिति विस्तारपूर्वक रखें। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे अविलम्ब तार द्वारा सब कैफियत प्रकाशनार्थ भेज दें। उसमें चार सौ — आवश्यक जान पड़े तो अधिक भी — शब्द हो, उसमें सब बातें साफ-साफ और सम्बद्ध रूपसे आ जायें। पहले तो आप **एसेलेन वायली**के खिलाफ अपने एतराज लिखें और साथ ही उन बातोको व्यक्त करें जिनके कारण आपके मनमें सामान्यतया उस आयोगके प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है। दूसरे, दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले आपके शुभचिन्तक यूरोपीयोंकी उस आयोगके बारेमें क्या भावना है और उनकी क्या सम्मति है, तीसरे, सक्षेपमें परतु प्रभावकारी शब्दोमें, उस निर्दयतापूर्ण व्यवहारका उल्लेख कीजिए जो सत्याग्रही कैदियोके — जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं — साथ किया जा रहा है। चौथे, अन्य कोई बात जिसके कारण रविवारकी सार्वजनिक सभाके पूर्व भारतीय समाजमें रोष फैला हुआ था। पाँचवें, सभामें जो घोषित किया गया था वह तथा उसके कारण। छठे यदि कोई ऐसा पत्र-व्यवहार हुआ हो जिसका उल्लेख किया जाना उचित हो। सातवें, मौजूदा हालत और आगेके आसार। आखिरी बात यदि आप भारतको कोई सन्देश देना चाहते हो उसका भी समावेश कर दें। आप जो वक्तव्य भेजें वह सद्भाव सूचक हो, उसमें दृढ़ताका पुट अवश्य हो, ऐसा हो जिसमें वाइसराय महोदयके द्वारा अबतक दिये गये समर्थनकी सराहना हो और जिसे पढ़कर यहाँ लोगोके दिलोमे आशा बँधे। वक्तव्य आगामी मगलवारको प्रात काल तक यहाँ अवश्यमेव पहुँच जाये।" ३० दिसम्बर १९१३को साढ़े नौ बजे सबेरे गाधीजीको श्री गोखलेका यह तार मिला "वक्तव्यमें कुछ परिवर्द्धन करके उसे प्रकाशित कर रहा हूँ। पिछले तारोंसे कुछ और बात लेकर उसमें जोड़ दी जायेंगी।" श्री गोखलेने उस वक्तव्यको ३१ दिसम्बरको प्रकाशित करा दिया। उन्होने गाधीजीको तार द्वारा यह सूचित किया

"आज वक्तव्य सम्पादित रूपमें समाचारपत्रोको भेज दिया है, उसमें पिछले तारोकी कुछ बातें जोड़ दी है। वक्तव्यमें आपने जिन भावनाओको रखा है वे ज्योकी त्यो रहने दी गई है, भाषा यहाँकी आवश्यकताओके खयालसे कही कही बदल दी गई है। आशा है परिणाम बहुत ही अच्छा निकलेगा। बम्बईने कल तार द्वारा सात हजार रुपये भेजे है, मद्रास एक हजार भेज रहा है। मैं राबर्ट्सनसे कल बम्बईमे उनकी रवानगीके पूर्व मिलना चाहता था परतु डॉक्टरकी इजाजत नहीं मिली। उन्हें मै अपने इस मामलेके बारेमें एक विशेष पत्र श्री शास्त्रीके हाथो भेज रहा हूँ।"

जो वक्तव्य गोखलेजीने समाचारपत्रोंको भेजा था उसके लिए देखिए परिशिष्ट १९।

आयोगमे एक अतिरिक्त सदस्यके लिये जानेके औचित्यपूर्ण भारतीय सुझावसे सहमत है। यह किसीसे छिपा नही है कि एसेलेन वाइली एशिया-विरोधी भावनाके बडे जबरदस्त पोषक है। आयोगके अध्यक्षके प्रारम्भिक वक्तव्यके अनुसार, आयोग केवल दुर्व्यवहार-सम्बन्धी मामलोकी जाँच पडताल ही नही करेगा बल्कि नीति-सम्बन्धी बातो की भी जैसे, लोगोके कष्ट आदि। यद्यपि अध्यक्षकी ईमानदारीके बारेमे किसीको सन्देह नही हो सकता, तथापि वह नीति सम्बन्धी मामलोमे अपने सहयोगियोपर नियन्त्रण रखनेमे असमर्थ है। यह आयोग केवल न्यायिक नही है बल्कि राजनीतिक भी है यह उसमे की गई नियुक्तियोसे ही स्पष्ट है। भारतीय स्थिति सदासे यही रही है, उसने जिन मामलोमे भारतीय समाजका बहुत गहरा सम्बन्ध है उन मामलोमे भारतीय समाजसे परामर्श किये जानेका — फिर वह औपचारिक रूपसे हो अथवा अनौपचारिक रूपसे — आग्रह किया है। इस आयोगके सदस्योको नियुक्त करते समय भारतीय भावनाओका खयाल नही रखा गया इतना ही नही, उनकी तिरस्कारपूर्वक उपेक्षा की गई है। यूरोपीय रेलवे कर्मचारियोके दुखडोसे सम्बन्धित गत्यवरोधके दौरान, लोगोको अपना प्रतिनिधि जनमत द्वारा चुन लेनेकी अनुमति दे दी गई थी। हम केवल अनौपचारिक विचार-विमर्शकी याचना कर रहे है। इसके अतिरिक्त हमारे तीन नेताओको उनकी रिहाईके पूर्व, रिहाईका कारण नही बताया गया था। और न आयोगके सम्बन्धमे उनकी राय ली गई थी। उनकी रिहाईके पूर्व आयोगके सदस्योकी नियुक्तिके विरोधमें सैकडो सार्वजनिक सभाये की गई थी, परन्तु उनकी ओर कतई ध्यान नही दिया गया। सत्याग्रहियोपर कोडोकी मार पडते देखकर और उनपर गोलियाँ चलाई जानेके कारण लोगोका रोष बहुत बढ गया है। इसे वे अनुचित मानते है, जेलोमे मर्मभेदी कष्ट दिये जानेकी सूचनाये प्राप्त हुई। इसपर सत्याग्रहियोने अपने साथ सामान्यतया मानवतापूर्ण व्यवहार किये जानके उद्देश्यसे भूख हडतालका रास्ता लिया। जेलोके दुर्व्यवहारमे वार्डरो द्वारा अपमानित किया जाना, जुलू वार्डरोका कैदियोपर प्राय हाथ छोड बैठना और किताबो, चप्पलो, मोजो तथा कम्बलोका न दिया जाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उन्हे जुलू लोगोके द्वारा प्राय बुरे ढगसे तैयार किया गया खराब भोजनका दिया जाता है। इस सबके फलस्वरूप असन्तोष फैला और जब लोगोने यह जाना कि आयोगका गठन जिस ढगसे किया गया है उससे भारतीय समाजकी भावनाओकी पूर्ण अवहेलना की जा रही है तब वह रोष और भी बढा। लोगोको ऐसा भी प्रतीत हुआ कि इस प्रकारकी नियुक्तियोका अर्थ यह है कि सरकार न्याय करनेको तैयार नही है। नेताओकी रिहाईका अर्थ यह नही लगाया गया कि सरकारने कोई मेहरबानी की है, बल्कि यह लगाया गया कि समाजको चुनौती दी गई है। इसलिए आयोगके सदस्योकी सख्या बढ़ानकी अर्जी

खानगी तौरपर भेजनेके बजाय खुले तौरपर इसकी माँग पेश की गई और उन मागोके नामजर किये जानेपर जो परिस्थिति सामने आयेगी उसका भी अन्दाज दिया। खयाल है कि ऐसी परिस्थितिमे इस आयोगको मजूर कर लेनेका अर्थ यह ठहराया जायेगा कि भारतीय समाजने अपने स्वाभिमानका बलिदान कर दिया है। गत इक्कीसवी तारीखको जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसमे धार्मिक भावनाओसे प्रेरित होकर इस आशयके प्रस्ताव पास किये गये थे कि हम लोग शपथपूर्वक यह निश्चय करते है कि यदि सरकार हमारी उपर्युक्त माँगे जिनमे एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त निहित है, मजूर नही करती तो हम उस आयोगको अगीकार न करेगे, प्रत्युत सघर्षको पुन छेड देगे। वाइसराय महोदयके मद्रासमे दिये गये मानवतापूण भाषण और उनके द्वारा हमारे उद्देश्यके दृढतापूवक किये गये समर्थनके लिए भारतीय समाज उनका अत्यन्त कृतज्ञ है और उसके मनमे आशाका सचार हो रहा है। घोर सकटके समय भारत और इग्लैडकी जनताके द्वारा किये गये समथनसे भी उसे सान्त्वना मिली है। यहा रहनेवाले यूरोपीय मित्रगण इस बातकी कोशिश कर रहे है कि यह गत्यवरोध दूर हो जाये और आयोगमे कुछ और निष्पक्ष नियुक्तियाँ हो तथा भारतीय समाजके साथ विचार-विमर्श करनेके उद्देश्यसे भेजी गई प्रार्थना स्वीकार कर ली जाये। आशा तो यही है कि भारत हमारी प्रार्थनाका जिसे सब लोग पूणत न्यायोचित मान रहे है — जोरदार समर्थन करेगा। इस सम्बन्धमे शिष्टाचारके नामपर आपत्ति की गई है। परन्तु प्रस्तुत सकटमय स्थितिके अवसरपर महज शिष्टाचारके खयालसे हमारा रुके रहना असम्भव है। सरकारने (भारतीय) आयोगकी नियुक्तिके सम्बन्धमे समाजकी राय न लेकर और उसमे ऐसे व्यक्ति नियुक्त करनेकी, जिनकी नियुक्तिके सम्बन्धमे सरकारको पता लग चुका था कि बहुत कडा विरोध होगा, भारी भूल की है। उसका फल हमे क्यो भोगना पडे? हम फकत विलियम सॉलोमनके सामने अपनी गवाहियाँ देनेको तैयार है। ये महोदय हमसे भारतीयो-पर हटरोकी मार फौज द्वारा उनके साथ किये गये व्यवहार तथा अन्य प्रकारसे उनके तिरस्कृत होने आदि आरोपोके बारेमे पूछताछ करे। परन्तु दुर्व्यवहारके मामलोको सिद्ध करनेकी अपेक्षा समाजकी अधिक दिलचस्पी उसके कष्टोके निवारणकी ओर है। अन्तमे हम अपने देशवासियोको यकीन दिलाते है कि यहाँ परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड चुकी है कि यदि नेता लोग जनताकी असली माँगसे कम लेनेपर राजी हो जानेकी दिशामे जरा भी झुके तो इसका नतीजा यह होगा कि उनके प्राणोपर आ बीतेगी और वह उचित ही होगा। जनरल स्मट्सने हमारे पत्रका उत्तर देते हुए हमसे कहा है कि मॉगोको लिखित रूपमे पेश करनेपर विचार किया जायगा। हमने अपने सुझाव उनके पास

तार द्वारा भेज दिये है। ये सुझाव बीचका रास्ता निकालनेमे सहायक हो सकते हैं।

गाधी

[अग्रजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया फाइल स० ४५
सौजन्य सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२२८. भेट : 'नेटाल मर्क्युरी' को[1]

[डबन
दिसम्बर २९, १९१३]

[गाधीजी] भारतीय काग्रेसमे पास किये गये प्रस्तावोकी प्रति हमे मिली हे, उन प्रस्तावोके परिणाम-स्वरूप हमारी स्थिति निश्चित ही मजबूत होती है, क्योकि काग्रेसने अपना जोरदार समथन, सवसम्मतिसे, प्रदान किया है और उसने हमारी इस प्रायनाको कि आयोगमे भारतीयोके हितोका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूणरूपसे उचित ठहराया है। अतएव, मै यही आशा कर सकता हूँ कि कुछ तो काग्रेसके समथनके कारण ओर कुछ उन प्रयासोके फलस्वरूप जो प्रतिष्ठित यूरोपीय हितैषीगण सरकार द्वारा हमारी प्राथनाको स्वीकार करानेकी दिशामे कर रहे है और कुछ इस प्रार्थनाको दक्षिण आफ्रिकाके समस्त अखबारोने अपने-आप न्यायपूर्ण कहकर अनुमोदित किया है इसलिए—यह प्राथना सरकार द्वारा स्वीकृत होकर ही रहेगी।

यदि हमारी प्राथनाके सम्बन्धमे सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नही होता तो आयोगसे किसी भी रूपमे सहयोग करना हमारे लिए सम्भव न होगा। परन्तु फिलहाल, उन मित्रोके कहनेसे जो बीचमे पडे है, और इस बातको देखते हुए कि सरकारके साथ हमारी लिखा-पढी तार द्वारा चल रही हे, हमने पहली जनवरीको प्रिटोरियाके लिए प्रस्तावित कूच न करनेका निश्चय किया है। हम जानते है कि सम्मानपूर्ण समझौता करनेकी दिशामे हमने भरसक प्रयत्न किया है। हमे यह भी मालूम है कि इस प्रकारके समझौतेकी कोई आशा नही है। इस वक्त तो कूच केवल स्थगित है, परन्तु जो-जो प्रमाण मुझे दिनपर-दिन प्राप्त हो रहे है उनसे मेरी यही धारणा बन रही है कि

१ **नेटाल मर्क्युरी**के प्रतिनिधिने गाधीजीसे मुलाकातके दौरान यह पूछा था कि दक्षिण आफ्रिका पर भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इडियन नेशनल काग्रेस) के कराची अधिवेशनमें, (२६ से २८ दिसम्बर तक) पास किये गये प्रस्तावोका प्रभाव क्या होगा। इन प्रस्तावोमें तीन बातें कही गई थी, एक तो यह कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोके साथ अब भी जो बर्ताव किया जा रहा है, उसका यह महासभा विरोध करती है, दूसरी यह घोषणा थी कि ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बद्ध उन देशोंके लोग, जिनमे भारतीयोको ब्रिटिश नागरिक होनेके स्वत्व नही दिये जा रहे हैं, भारतमें किसी भी पदपर नियुक्त होनेके अधिकारी न होंगे, तीसरा प्रस्ताव इस आशयका था कि गिरमिट-प्रथा बन्द कर दी जाये।

स्थिति गम्भीर है। मुझे दीख पड रहा है कि गरीब लोगोने तैयारिया शुरू कर ही दी है, और जो लोग जाकर उनसे यह कहते है कि कूच पहली जनवरीको शुरू न होगी, वे उनकी बातपर विश्वास तक नही करते। इसलिए मै अपने दस्तखतसे एक पर्चा[1] छपवाकर बँटवानेका प्रयत्न कर रहा हूँ, उस पर्चे द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको यह सूचना प्राप्त हो जायगी कि हम फिलहाल कूच स्थगित कर रहे है।

यह पूछा जानेपर कि क्या आप पुन पहली जनवरीके दिन हडताल शुरू करनेकी बात भारतीयोसे कहनेका इरादा रखते है, श्री गाधीने कहा

हम पहली जनवरीको हडताल शुरू करनेकी बात उनसे नही कह रहे है। परन्तु यदि सरकारके साथ समझौता करनेके हमारे सब प्रयत्न विफल हुए तो और किसी उद्देश्यसे नही, बल्कि जेल-यात्राके खयालसे ही, हडताल करानेकी दिशामे कोई कसर न उठा रखी जायेगी। मै आशा करता हूँ कि प्रस्तावित कूचकी नौबत न आयेगी। ऐसा सोचनेके लिए मेरे पास कारण भी है परन्तु सरकारके भेजे हुए जो पत्र मेरे पास है वे इतने नाजुक है कि इस वक्त कुछ भी कह सकना मेरे लिए सम्भव नही है।

श्री गाधीने आगे चलकर कहा कि जेलसे रिहा हुए सत्याग्रहियोने अपने कष्टोकी जो राम-कहानी सुनाई, उससे भारतीयोका रोष बढा है। और मुझे इससे बडा दु ख हुआ है। गाधीजीने डबन जेलमें किये जानेवाले "बर्बरतापूर्ण और पाशविक व्यवहार" के सम्बन्धमें कही गई बातोको विस्तारसे बताया और कहा कि वतनी वार्डर सत्याग्रहियोको मारते-पीटते थे, शिकायतोपर ध्यान नहीं दिया जाता था और बहुतेरे सत्याग्रहियोको पेचिश हो गई थी। लोगोने यह भी कहा कि पहननेके लिए सत्याग्रहियोको जेलके बिना धुले कपडे दिये जाते थे, उन्हें किताबें नहीं दी जाती थीं और जिम्मेदार अधिकारीगण उनकी खिल्ली उडाया करते थे। कहा जाता है कि कैदियोपर स्नानके पश्चात् कृमि-नाशक पानी उँडेला जाता था। इस प्रकारके आरोप भी लगाये जा रहे है कि बहुतसे कैदियोको अपनी धर्म-सम्बन्धी भावनाओकी रक्षाके लिए भूख-हडताल करनी पडी थी। गाधीजी इन सब आरोपोकी जाँच-पडतालके लिए सरकारके पास भेजनेकी दृष्टिसे, हलफनामोके रूपमें बयान एकत्रित कर रहे है।

नेटाल मर्क्युरी, ३०–१२–१९१३

१ यह उपलब्ध नही है।

२२९. तार. गो० कृ० गोखलेको[1]

[डर्बन
दिसम्बर ३०, १९१३]

सर्विडिया
पूना सिटी

विश्वास करे मेरी ओरसे दिये गये आपके वचनका पालन करनेमे मुझे मरनेमे भी हिचक नही। कूचको स्थगित करनेके कारण नही बताये लेकिन जनतासे कहा कि हम कमसे-कम १५ तारीख तक उसे स्थगित रखेगे। विश्वास दिलाता हूँ हम रॉबर्टसनके आनेके बाद और भी एक सप्ताह प्रतीक्षा करेगे। स्मट्सके अन्तिम उत्तर मिलनेपर, यदि वह सन्तोषप्रद हुआ तो, वक्तव्य देना पडेगा। वाइसरायके प्रतिनिधि आ रहे है अत हम सम्मानवश ही सही तबतक कोई कार्रवाई न करेगे जबतक उन्हे स्थितिका पूरा अध्ययन करनेका अवसर नही मिल जाता। प्रेसके तारोसे मालूम हुआ अस्वस्थ होनेके कारण आप काग्रेससे अनुपस्थित रहे। कृपया सूचना देते रहे।

गाधी

[अग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया फाइल स० ४५
सौजन्य सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

१. यह सन्देश रायटर द्वारा प्रेषित किया गया था। एक दिन पहले श्री गोखलेने गाधीजीको यह तार दिया था "रायटरका तार कि आपने १५ तारीखसे फिर सघर्ष आरम्भ करनेकी घोषणा की है। रॉबर्टसन पहली तारीखको रवाना होकर ११ तारीखके आसपास पहुँच रहे है। आपका वचन मुझे २८ तारीखको ही मिला तथा रॉबर्टसनको कल अपराह्नमें वाइसरायका निर्देश प्राप्त हुआ, इस कारण रवाना होनेमें देरी। वे आज कार्यभार सौंप रहे है और कल नागपुरसे रवाना हो रहे है। मैंने आश्वासन दिया है। आप रॉबर्टसनके पहुँचनेके बाद एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है आप मेरी बात रखेंगे।"

२३० पत्र : 'नेटाल मर्क्युरी' को

डर्बन
दिसम्बर ३०, १९१३

महोदय,

आपके पत्रके आजके अकमे प्रकाशित पहली सम्पादकीय टिप्पणीको पढनेपर मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मै उसके उत्तरमे कुछ शब्द कहूँ। आशा हे आप मुझे अपना वक्तव्य देनेकी अनुमति प्रदान करेगे।

आपका खयाल है कि अपेक्षित कूचके प्रारम्भ होनेमे विलम्ब होनेका अधिक प्रबल कारण यह है कि "स्थानीय भारतीय समाजका बहुत बडा भाग उस सघषमे, जिसमे स्वय भारतीयोने बहुत बडी क्षति उठाई हे, उसके दुबारा चालू होनेपर शामिल होनेको तैयार नही दीख पड रहा है"। इस देरको लेकर आपने अन्य कई निष्कष भी निकाले है। फिलहाल मै उनके बारेमे कुछ न कहूँगा। परन्तु मै आपसे यह बात निश्चित रूपसे कह रहा हूँ कि यदि आपकी यह धारणा है कि कूचके शुरू किये जानेपर — चाहे जब शुरू हो — भारतीय समाज उसमे भाग लेनेको तैयार नही दीख पड रहा है तो आपको किसीने भ्रान्त कर रखा है। इसके विपरीत, आज जो कठिनाई उपस्थित है वह कूचको विलम्बसे शुरू करनेके कारण ही है, और मुझे तथा मेरे सहयोगियोको विवश होकर विशेष सन्देश-वाहक भेजने ओर विशेष पर्चे[1] बँटवाने पड है ताकि लोगोको मालूम हो जाये कि फिलहाल कूच कुछ अर्सेके लिए मौकूफ रखना अत्यावश्यक है। मै यह मानता हूँ कि यह अनुमान लगाना कि यहाँका भारतीय-समाज कूचमे भाग लेगा या नही — व्यथ है, क्योकि निकट भविष्यमे यह बात, अगर सम्भव हुआ तो, सामने आयेगी ही। मै इस सम्बन्धमे अपनी निजी राय प्रकट कर रहा हूँ ताकि जनता इस मिथ्याभासका शिकार न बन जाये कि यह आन्दोलन भारतीय समाजके कुछ ही लोगो तक सीमित रखा गया है।

इसलिए आपके सौजन्यपर मेरे अतिक्रमण करनेका मुख्य कारण आपके पत्रके द्वारा दक्षिण आफ्रिकाकी जनताको यह सूचित कर देना है कि दक्षिण आफ्रिकामे बसे हुए हम भारतीयोने अनेक बार स्पष्ट रूपसे कहा है कि विवेकशील पुरुषोकी तरह, स्थानिक परिस्थितियोका लिहाज रखते हुए अपनी महत्वाकाक्षाओको सीमित ही रखना हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज यह भी है कि हम यहा व्यापक रूपसे फैले हुए पूवग्रहको — फिर वह कितना ही अनौचित्यपूर्ण क्यो न हो — एक वस्तुस्थितिके रूपमे मान ले और ऐसा मार्न लेनेपर हमने ऐलानिया तौरपर कहा है — और आपके पत्रके माध्यमसे मै फिर खुले आम कह रहा हूँ — कि मै और मेरे सहयोगी किसी ऐसे आन्दोलनमे भाग न लेगे जिसका लक्ष्य सघमे ब्रिटिश भारतीयोका अप्रतिबधित आव्रजन हो या निकट

१ उपलब्ध नहीं है।

भविष्यमे राजनैतिक मताधिकार पाना हो। हमने ये सब बाते महान् राष्ट्रीय महासभाके उस वार्षिक अधिवेशनके बावजूद कही है, जो अभी-अभी कराचीमे समाप्त हुआ है और जिसमे पूण औचित्यके साथ यह माग की गई है—और यह माँग करना उसके लिए लाजमी भी था—कि समस्त ब्रिटिश राज्यमे सम्राट्के प्रजाजनोको जाति, रग या मजहबका खयाल किये बिना पूण नागरिक स्वत्व मिले और उन स्वत्वोपर स्थानीय परिस्थितियोका प्रभाव न पडने दिया जाये और जो पडने देना कदापि उचित नही है। मेरे खयालसे यह तो सभी मानेगे कि ये स्वत्व आगे चलकर मिलेगे ही। यद्यपि सत्याग्रह निश्चय ही उसकी गतिको बढाता है परन्तु इनका प्राप्त होना गति बढानेके द्वारा नही बल्कि लोकमत शिक्षित करनेके द्वारा सम्भव है। उनका प्राप्त होना इस बातपर भी निभर हे कि भारतीय समाज ब्रिटिश साम्राज्यकी नागरिकतासे उत्पन्न होनेवाले सभी कर्त्तव्योका पालन इस प्रकार करे कि ये स्वत्व उसे अनिवाय रूपसे प्राप्त हो जाये। अगर मेरी सलाहका कुछ महत्व है तो इस बीच मै यही सलाह दे सकता हूँ कि भारतीय समाजके प्रयत्न अपने सभी खोये हुए नागरिक स्वत्वोको या ऐसे अधिकारोको—जिनसे वह अभीतक वचित रखा गया है—प्राप्त करनेकी दिशामे केन्द्रीभूत हो। मेरी धारणा है कि अगर हम अपने नागरिक स्वत्वोकी हानिके खिलाफ सत्याग्रह करनेके द्वारा, अपना जोरदार विरोध प्रकट नही करते और अगर हम यूरोपीय जनताके सामने अपने आत्मत्याग और बलिदानके द्वारा यह नही सिद्ध कर देते कि हम अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठाको उतना ही महत्व देते है जितना कि ससारका कोई भी राष्ट्र—तो यह कदापि घटित नही हो सकेगा।

आपका,

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ३१-१२-१९१३

२३१. हिन्दी और तमिल

सत्याग्रहका सघर्ष जैसा अबकी बार चला और इस समय भी चल रहा है, तवारीखमे शायद ही उसकी मिसाल मिले। उसका सच्चा श्रेय इस देशमे बसनेवाले हिन्दी और तमिल भाषा-भाषी भाइयो और बहनोको हे। उनका आत्म-बलिदान सबसे बढ-चढ कर है। उनमे से कितने तो गोरे सिपाहियोकी गोलीके भी शिकार बन चुके है। उनके सम्मानमे और उनकी स्मतिके रूपमे हमने इस पत्रमे तमिल तथा हिन्दीमे समाचार देनेका निश्चय किया है। कुछ वर्ष पूव हम इन दोनो भाषाओमे [अपना] अखबार निकालते थे, परन्तु कई अडचनोके[1] कारण हमे वह बन्द कर देना पडा था। यद्यपि वे अडचने आज भी दूर नही हो पाई है तो भी जिस कौमके लोगोने ऐसे सघषमे इतना बडा आत्म-बलिदान दिया है उसके सम्मानमे—असुविधा उठाकर भी—हमे कमसे-कम इतना तो करना ही चाहिए। इसे अपना कर्त्तव्य मानकर हम इन दोनो भाषाओमे

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १९१।

(समाचार) छापना प्रारम्भ कर रहे हैं जबतक सघर्ष चलेगा यह क्रम चालू रहेगा। इन भाषाओमे पुन छापना शुरू करनेमे हमारा हेतु किसी व्यापारिक उद्देश्यसे जोखिम उठानेका नही है। सघषके खत्म हो जानेपर यह चालू रखा जायेगा या नही, इसका निर्णय (तत्कालीन) परिस्थितियोका विचार करके ही किया जा सकेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–१२–१९१३

२३२ तार . गो० कृ० गोखलेको[1]

डबन
दिसम्बर ३१, १९१३

सर्विडिया
पूना सिटी

पोलकके इग्लैण्ड जानेके प्रश्नपर पूरा विचार किया गया। आशा थी उन्हे भेज सकूगा। हम सब स्थितिको देखते हुए यहाँ उनकी मौजूदगी जरूरी समझते है। यदि आयोगकी सदस्य-सख्या बढाई गई तो गवाही देनके लिए उनका यहाँ रहना जरूरी। यदि कूचका फैसला किया गया तो प्रत्येक नेता आवश्यक। पोलकने भी शपथपूर्वक घोषणा की थी। मैकडॉनल्डको भेजा जानेवाला वक्तव्य तैयार हो रहा है। सात हजार प्राप्त हुए।

गाधी

[अग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया फाइल स० ४५
सौजन्य सर्वेट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

१ उसी दिन गाधीजीको श्री गोखलेका एक तार मिला था जिसके उत्तरमें यह तार भेजा गया था। श्री गोखलेका तार इस प्रकार था "मैंने रैम्जे मैकडॉनल्डको वचन दिया है कि पोलक उन्हें तुरन्त गिरमिटिया प्रथा और तीन पौंडी करके सम्बन्धमें पूरा विवरण और साथ ही हमारी हड़तालका और उसे दबानेके लिए सरकार द्वारा अपनाये गये तरीकोका पर्याप्त रूपसे विस्तृत ब्यौरा भी भेजेंगे। श्री मैकडॉनल्ड अभिभाषणपर होनेवाली बहसमें प्रश्न उठानेकी आशा करते है। इसलिए पोलकको यथासम्भव शीघ्र विवरण भेजना चाहिए। मैने सुझाव दिया था कि पोलक फरवरीके शुरूमें इग्लैड जायें। आपने इसका उत्तर नही दिया।" देखिए "तार गो० कृ० गोखलेको", पाद टिप्पणी १, पृष्ठ २७७।

२३३. पत्र : मार्शल कैम्बेलको

११०, फील्ड स्ट्रीट
डबन
जनवरी १, १९१४

प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल,

पिछले महीनेकी ३० तारीखके आपके पत्र और उसकी स्पष्टवादिताके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हालकी घटनाओंने मेरे मित्रोंके बीच एक दरार पैदा कर दी है जो समय और मेरे सतत आचरणसे ही कभी भरी जा सकेगी। मैं तो अपनी ओरसे आपको इतना आश्वासन-भर दे सकता हूँ कि मुझे अपने ऐसे किसी भी आदमीकी खबर नहीं है जिसे यह इजाजत दी गई हो कि वह लोगोंको हिंसा करनेकी सलाह या उत्तेजना दे।[1] सत्याग्रहका मर्म यही है कि अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियोंमें भी हिंसात्मक तरीकोंको न अपनाया जाये। मैं जानता हूँ कि मुझे यह कहनेकी अनुमति तो आप देंगे ही कि श्री गोखलेने या भारतीय समितिने आपका जो आतिथ्य ग्रहण किया था, वह श्री गोखले को या हमको अपना सार्वजनिक कर्त्तव्य करनेसे नहीं रोकता।[2]

हमने जो हड़तालकी और जो सजाएँ काटीं उनका मंशा गिरमिटिया भारतीयोंके साथ आम तौरपर होनेवाले दुर्व्यवहारका विरोध करना नहीं, बल्कि भारतके एक महानतम प्रतिनिधिको दिये गये वचनको सरकार द्वारा भंग करने और सभीके द्वारा जिसकी निन्दा की गई है ऐसे एक क्रूरतापूर्ण करको स्थायी तौरपर थोपनेके अन्यायका विरोध करना था। आपके पत्रमें सत्याग्रहकी बेहिसाब[3] बुराई की गई है, लेकिन गत छः

१ मार्शल कैम्बेलने अपने ३० दिसम्बरके पत्रमें, अन्य बातोंके साथ लिखा था " ... उनको (गिरमिटिया मजदूरोंको) कुछ ऐसे व्यक्तियोंने, जो मेरे खयालसे आपके ही आदमी थे, मारपीटकी धमकी देकर काम छोड़कर बाहर आनेपर मजबूर किया था। उनमें से दो गिरफ्तार किये गये थे और उनपर जुर्माने भी किये गये थे।"

२ यह मार्शल कैम्बेल द्वारा अपने पत्रमें लिखे गये इस वाक्यके संदर्भमें कहा गया है "श्री गोखले, आपकी समिति और विक्टोरिया काउंटीके दस पन्द्रह हजार भारतीयोंने भी, अभी बारह महीने नहीं हुए हैं, मेरा आतिथ्य ग्रहण किया था और मेरा नमक खाया था।"

३ कैम्बेलने लिखा था "मेरी रायमें उससे इतना ही हुआ है कि आपकी नीतिकी भारी भूल और साफ हो गई है। यही नहीं निर्दोष और दोषी दोनों ही को समान रूपसे कष्ट सहनेपर विवश करनेवाला कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता, प्रतिष्ठापकोंके आदर्श चाहे जितने ऊँचे रहे हों, उसमें निहित अन्याय अन्तमें उसे विनाशके गर्तमें पहुँचा कर ही रहेगा। आप मुझे एक मित्रके नाते ही इस स्पष्टवादिताके लिए क्षमा करेंगे कि आपके नेतृत्वमें चलनेवाले कई लोग आपकी नीतिकी कमजोरीको दिन दिन अधिक स्पष्ट रूपमें समझते जा रहे हैं और इसी निष्कर्षपर पहुँच रहे हैं कि गिरमिटिया मजदूरों जैसे मुख्यत सन्तुष्ट लेकिन अज्ञानी लोगोंके एक बड़े समुदायको लम्बी-चौड़ी बातोंसे उत्तेजित करके, उनमें अव्यावहारिक किस्मकी आशाएँ जगाकर और हिंसापूर्ण धमकियाँ देकर उनको ऐसे कुछ राजनीतिक अधिकार हासिल करनेके लिए इस्तेमाल करना जिनके हासिल हो जानेपर भी उनको कोई लाभ नहीं होगा, एक ऐसी नीति है जो, यदि अत्यन्त ही शिष्ट भाषाका प्रयोग किया जाये तो भी, बुद्धिमानी और दूरदर्शितापूर्ण नहीं कही जा सकती।"

वर्षोंसे समाजके पास अपने कष्टोके निवारणके एकमात्र अस्त्रके रूपमे एक सत्याग्रह ही रहा है, और हालाँकि शुरूमे हर कदमपर जैसी आपने की है उसकी वैसी ही निन्दा की गई है, पर अन्तमे समय बीतनेके साथ-साथ सावजनिक काय करनेवाले लोगोने सघर्षके बारेमे सोच-विचार करनेके बाद उसे औचित्यपूर्ण ही ठहराया है। जिस राहतको पानेके लिए सत्याग्रहका अस्त्र प्रयोगमे लाया गया था, मोटे तौरपर वह राहत मिल भी चुकी है। इस बार उसका क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रहा है। उसके फलस्वरूप इस बार कही अधिक लोगोको अधिक बडे कष्ट उठाने पडे है और इसीलिए इस बार लोगोमे, विशेषकर उससे सीधे प्रभावित होनेवाले लोगोमे, अधिक रोष पैदा हुआ, हालाँकि वह अप्रत्याशित नही था। आशा है कि सरकार अत्यधिक सोच-विकारके बाद पेश किये गये हमारे प्रस्तावोके सम्बन्धमे कोई भी निणय करनेमे युक्तिकी अपेक्षा बुद्धिमत्ता और न्याय-शीलतासे ही अधिक काम लेगी। लेकिन यदि वैसा न हुआ और यदि सरकारने हमारी प्राथना ठुकरा दी, तो मुझे भय है कि मुझे नापसन्द होते हुए भी सघषको फिरसे छेडना अवश्यम्भावी हो जायेगा। इस समय भारतीयोका पथ-प्रदर्शन करनेवाले नेताओकी बुद्धिमता या बुद्धि-हीनताका निणय तो आगे आनेवाली पीढियाँ ही कर सकेगी

आपका,

मो० क० गाधी

[अग्रजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ५-१-१९१४

२३४. तार: गो० कृ० गोखलेको[1]

डर्बन

जनवरी १, १९१४

सर्विडिया,

पूना

उमतली पहुँचने ही वाला है। तार द्वारा स्वास्थ्य सूचित कीजिये। कई लोग जाननेके लिए चिन्ताकुल।

गाधी

[अग्रजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इण्डिया फाइल सख्या ४५।

सौजन्य सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी।

१ सी० एफ० ऐंड्रयूज और डब्ल्यु० डब्ल्यु० पियरसन उमतली जहाजसे यात्रा कर रहे थे। वह २ जनवरीको डर्बन पहुँचा था, यह तार श्री गोखलेके दिसम्बर ३१, १९१३ के उत्तरमें दिया गया था। देखिए अगला शीर्षक।

प्रसन्नचित्त है और आगे आनेवाली घटनाओकी राह देख रहे है। और उनके लिए तैयार हो रहे है।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, ५-१-१९१४

२३७ तार गो० कृ० गोखलेको[1]

डर्बन
जनवरी ३, १९१४

सर्विडिया
पूना

गॉडफ्रेको समस्याकी जानकारी अधूरी, ज्ञान अधकचरा। उसे आपके साथ रहकर सीखनेके लिए कहा है। स्थगन कालमे कृपया आराम कर लीजिए। रायटरने साराश नही भेजा। ऐंड्रयूज चाहते है मै उनके साथ फीनिक्समे एक सप्ताह रहूँ। मैने सहमति दे दी है आपकी मजूरी मिलनेकी शतपर। चाहता हूँ कि हरिलाल आ जाये। उसने पूरे सघषके दौरान सत्याग्रहीके रूपमे काम करनेकी शपथ ली है। उसे अपना दायित्व निभानेकी अनुमति होनी चाहिए। मेरी रायमें जेल और अन्य चीजोका अनुभव बडा शिक्षाप्रद।

गाधी

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया फाइल सख्या ४५
सौजन्य सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

१ यह गोखलेके २ जनवरीके निम्नलिखित तारके उत्तरमे भेजा गया था "रॉबर्टसन कल रवाना हो गये। पहुँचनेपर स्वागत समारोह करनेकी आपकी इच्छा उनको बतला दी। उनका खयाल है कि एक छोटेसे शिष्टमण्डलका उनसे मिलना ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रदर्शनसे गलतफहमी पैदा हो सकती है। उन्होने सदेश दिया है कि वे समाजके लिए भरसक कोशिश करेंगे। समाचारपत्रोमे गॉडफ्रेके बम्बई पहुँचनेका समाचार है। तार दें कि उसपर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं। हृदयमें पानी जमा होनेसे कष्ट, जिससे शरीर बेहद कमजोर हो गया है। कई दिन बिस्तरमें रहना पड़ेगा। विभिन्न तारोंके आधारपर तैयार किया गया लगभग दो हजार शब्दोंका आपका वक्तव्य कल प्रकाशित किया गया। उससे लोकमत काफी जोरसे आपके पक्षमें बन रहा है। क्या रायटरने तार द्वारा साराश भेजा?"

२३८. भाषण सी० एफ० ऐंड्रयूजके स्वागत-समारोहमें[1]

[डबन
जनवरी ४, १९१४]

श्री गाधीने कहा कि अध्यक्षका भाषण यदि हिन्दी या गुजरातीमें हो तो पिछले बीस वर्षोंसे दुभाषियेका काम करना मेरा कर्त्तव्य ही रहा है। इस मौकेपर भी मुझे वही करनेको कहा गया है। अध्यक्षने कहा है कि यह थोडा-सा स्वण आन्दोलनके प्रति हमारे लोगोकी हार्दिक सहानुभूतिको व्यक्त करता है। वे शायद जेल न जा सके, परन्तु वे यह जताना चाहते हैं कि हृदय और आत्मासे वे आन्दोलनके साथ हैं। डर्बनके हिन्दुओने भारतसे आये अपने अतिथियोका जोरदार स्वागत किया। जब अखबारोमें उनके आनेकी सूचना दी गई तो उससे उन्हे निराशाकी घडीमें नई आशा मिली। उन्होने अनुभव किया कि उनके आन्दोलनपर परमेश्वरकी छाया है। सभापतिने एक शिकायतका उल्लेख किया है जिसकी ओर मै श्री ऐन्ड्रयूज और श्री पियर्सनका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूँ। शिकायत यह है कि उनके कई जाति भाइयोको, जिन्हे अधिवासका अधिकार प्राप्त है, प्रवासी अधिकारीने प्रवेश करने देनेसे मना कर दिया। अधिकारीने उनके बयानमें थोडी-सी कमजोरीका लाभ उठाकर उन्हे गरीबीका सामना करनेके लिए अपने दोस्तोसे दूर वापस भारत भेज दिया।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४

२३९ पत्र : मणिलाल गाधीको

११०, फील्ड स्ट्रीट
डबन
जनवरी ४, १९१४

प्यारे बेटे,

तुम्हारा पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। पहली बात तो यह कि रिहा होनेके बाद मुझे एक मिनटकी भी फुरसत नही मिली और मुझे एक दिन भी पूरी नीद नही मिली। दूसरी बात यह कि इतने सारे लोगोको लिखना था कि मैंने सोचा कि मै तुम सबको नही लिखू, तुम लोग इसका कारण भी समझ लोगे। परन्तु तुम्हारे

१ इतवारको सुबह ऐंड्रयूज और पियर्सनका भारतीय फेरीवालोंके संघकी ओरसे विक्टोरिया स्ट्रीटपर सूरत हिन्दू सव धर्मशालामें स्वागत किया गया। गाधीजीको सत्याग्रह कोषके लिए ६० पौडकी राशि दानमें दी गई।

पत्रने मुझे तुम्हे लिखनेपर विवश कर दिया है। मेरा खयाल है कि रिहा होनेपर तुम मुझसे और अपनी माँसे मिलोगे।[1] रामदास चगा दीखता है, उसने अच्छा काम किया है, देवदास बडा बहादुर निकला। उसने दायित्व निभानेकी अपनी शक्तिका जैसा परिचय दिया है उसकी आशा नही थी। प्रभुदासने भी लगभग उतनी ही क्षमता दिखाई है, परन्तु उसमे देवदास जितनी फुर्ती नही है। घरमे सभी महिलाये स्वस्थ है और तुमसे मिलनेको उत्सुक है। मुझे अफसोस है कि तुम अधिक नही पढ पाये। मेरा खयाल है कि यदि तुम अधिक पुस्तकोके लिए मजिस्ट्रेटको लिखो तो वह मजूरी दे देगा। तुम उसे याद दिला सकते हो कि जोहानिसबगकी और दूसरी सभी जेलोमे तुमने जो पुस्तके चाही थी उनको मँगानेकी अनुमति दे दी गई थी। तुमको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ब्लूमफॉन्टीनमे मै अध्ययनमे जुट गया था और अपने अध्ययनमे बाधा पडनेका मुझे हार्दिक दु ख होता था। मै ठोस अध्ययनमे करीब आठ घण्टेका समय लगाता था, खास तौरपर तमिलकी पढाईमे। अधिकारियोने कृपापूर्वक मुझे सभी प्रकारकी सुविधाये दे रखी थी। तुमको शायद मालूम होगा कि तुम्हारे जेल जानेसे पहले जमनादास आ गया था। वह क्रिस्टियानामे है। हरिलाल शायद जल्द ही लौट आये। रुपया मेढके पिताको भेजा गया था। हम सभोकी ओरसे स्नेह।

तुम्हारा
बापू

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६८४) की माइक्रोफिल्मसे।
सौजन्य लुई फिशर

२४०. भेंट . रायटरके प्रतिनिधिको

डबन
जनवरी ४, १९१४

गन्नेके सुविख्यात बागान-मालिक सिनेटर कैम्बेल और श्री गाधीके बीच हुए पत्र-व्यवहारके सम्बन्धमें रायटरके एक प्रतिनिधिसे भेंटमें श्री गाधीने कहा कि मैंने श्री केम्बेलसे अपना सहयोग और सहानुभूति देते रहनेका अनुरोध किया है।

श्री कैम्बेलने जवाबमें कहा कि मै अपनी इस रायपर कायम हूँ कि तीन पौंडी कर हटा दिया जाना चाहिये और अब भी उन भारतीयोका समथन करता हूँ जो कठोर प्रशासन और परवाना कानूनोसे राहत पाना चाहते है परन्तु फिर भी मैंने श्री गाधीसे अपील की है कि अराजकता न होने दें और एक ऐसे आयोगको माननेसे इनकार न करे, जिसके सदस्य न्यायप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति है।

१ मणिलाल गाधी उस समय सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग लेनेके अपराधके लिए तीन महीनेकी सजा काट रहे थे ।

श्री गाधीने जवाब दिया कि हडताल और उसके बादकी गिरफ्तारियाँ तो सरकारके उस वचन-भगके विरोधस्वरूप है जो उसने श्री गोखलेको तीन पौडी करके बारेमें दिया था, न कि गिरमिटिया भारतीयोके प्रति होनेवाले साधारण व्यवहारके विरोधमें। श्री गाधीने कहा, कि मुझे भय है कि यदि सरकारने भारतीयोकी प्रार्थनाओको ठुकरा दिया तो सम्भव है फिर वही तरीके अपनाने पडे जो पहले अपनाये गये थे।[1]

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-१-१९१४

२४१. पत्र : 'इडियन ओपिनियन' को

[डबन
जनवरी ५, १९१४ के बाद]

सम्पादक
'इडियन ओपिनियन',

भाई हरबतसिहके सम्बन्धमे जो इस सोमवारको[2] ससारसे बिदा हो गये है, मुझे थोडी बहुत जानकारी है। यह मानकर कि 'इडियन ओपिनियन' के पाठकोको उनका परिचय पाकर अच्छा लगेगा मै उक्त जानकारी नीचे दे रहा हूँ।

दो माह पूव, जब मै फोक्सरस्ट जेलमे था, उस समय भाई हरबतसिहने भी जेलको पावन किया। वे उन ३७ भारतीय कैदियोमे से एक थे जिन्होने चार्ल्स टाउनमे एक मुद्दत तक [गिरफ्तार होनेकी] राह देखनेके बाद फोक्सरस्टकी सीमामे प्रवेश करके जेल जाना पसन्द किया था। मैने जब इनमे भाई हरबतसिहको देखा तो मेरा हृदय हषसे फूल उठा। मै तब मन-ही-मन अपने [द्वारा शुरू किये गये इस] कामको लेकर सोचमे पड गया। पहले मेरा हृदय तो इसलिए भर आया था कि ऐसे सत्तर वषकी उम्रके वृद्धको भी, जिसने लगभग तीस वष नेटालमे मजदूरकी स्थितिमे गुजारे है, भारतका, भारतके स्वाभिमानका और प्राचीन तपश्चर्याका भान है और अपनी वृद्धावस्थामे भी आरामकी जिन्दगी बसर करनेके बजाय उसने जेलके कष्टोको सहन करना पसन्द किया। और सोचमे इसलिए पड गया कि "ओ मन! अगर तेरा यह काम अपने निर्दोष और अपढ होते हुए भी ज्ञानी बन्धुओको गुमराह करनेवाला निकला तो तेरी कितने पापोकी जिम्मेदारी होगी? जब तुझे तेरी यह भूल मालूम होगी तब यदि तूने पश्चात्ताप किया भी तो वह किस काम आयेगा। तुझसे प्रेरणा पाकर जो लोग मृत्युको प्राप्त हो गये थे वे जीवित नही हो उठेगे। और जिन्होने तेरे निर्दिष्ट मागपर चलकर जेलके दु ख भोगे है वे उन्हे भूल नही सकेगे।" इन विचारोसे मनमे उदासी आ गई। किन्तु फिर विचार उठे कि "यदि तूने शुद्ध बुद्धिसे अपने बान्धवोको जेल जानेकी सलाह दी है तो तू निर्दोष समझा जायगा। यज्ञके बिना धरती नाशको

१ देखिए "पत्र मार्शल कैम्बेलको", पृष्ठ ३०८ ०९।

२ हरबतसिंहकी मृत्यु ५ जनवरीको हुई। देखिए अगला शीर्षक भी।

प्राप्त होती है — यह उक्ति तो ठीक है किन्तु यज्ञका मतलब निरी लकडिया जलाना और उनमे घी आदिका हवन करना ही नही है। भले ही उससे वायु शुद्ध होती हो, पर उससे जीवनको परिपूणता नही मिल सकती। जब हम अपनी हड्डियोको काष्टकी तरह जलाये, अपने रक्त रूपी घृतका होम करे और अपने ही मासकी बलि दे तभी सच्चा यज्ञ सिद्ध हुआ माना जायेगा और तभी पृथ्वी टिकी रह सकेगी। इस प्रकारके यज्ञ — आत्म-बलिदान — के बिना पृथ्वीका निर्वहन सम्भव नही। आत्म बलिदानके बिना कभी कोई कौम तरक्की नही कर सकी है, तब हम ही क्या इसके अपवाद है? कदापि नही। यही सोचकर मैंने इतमीनान कर लिया कि हरबतसिह-जैसे वृद्ध भारतीय, भारतके हितमे जेलोको भर दे और उन्हीमे मर-मिट जाये तो कोई चिन्ताकी बात नही है। मैंने हरबतसिंहसे पूछा भी था कि उन्होने अपनी इस उत्तर अवस्थामे जेलमे आना कैसे पसन्द किया? उन्होने जवाब दिया, "जब आप सभी, स्त्रियाँ आदि तक जेल जा रहे है तब मै ही जेलसे बाहर रह कर क्या करूँ? जब आप चार्ल्स टाउन गये तब मैंने अपना छोटा-सा खेत छोड दिया और वहा जानेका निर्णय कर लिया। और जब मेरे साथी जेलमे आये तो मै भी आ पहुँचा।" मैंने पूछा, "पर भाई! जेलमे ही यदि तुम्हारी मत्यु हो गई तो?" जवाबमे इस विवेकशील भारतीयने कहा, "हो जाये तो हो जाये, मै बूढा जो हूँ, मेरे जीनेसे लाभ ही क्या है?"

इस वृद्ध भारतीयको सख्त सजा दी गई। मेरा खयाल है कि सत्याग्रहके पहले सघषके समय जब कैदियोको सादी कैद दी गई थी तब सरकारकी ओरसे अदालतोको आगाह किया गया था कि किसी भी सत्याग्रही भारतीयको सादी कैद न दी जाये। और इसीलिए प्रथम सादी कैदके बाद किसी भी भारतीयको सादी सजा नही दी गई। यह तो किस्मत अच्छी रही कि फोक्सरस्टमे जेलरका हरबतसिंहके साथ व्यवहार नरम रहा। हरबतसिंह जेलके बगीचेमे पानी देने जाते थे और उनमे कुछ ऐसा उत्साह था कि उसे देखकर जवान सत्याग्रही कैदी भी शरमिन्दा हो उठते थे।

ऐसे भारतीयके उदात्त मरणसे किस भारतीयकी आँखोसे हषके आँसू नही टपक पडेगे? मुझे आशा है कि जब हरबतसिंहकी अर्थी निकलेगी तो उसके साथ प्रत्येक भारतीय श्मशान तक चलकर जायेगा।[1] इस प्रकार सम्मान देकर हम हुतात्माकी स्मृतिको सजोयेगे — इतना ही नही [ऐसा करके] भारतका सम्मान करेगे और खुद भी सम्मानित होगे।[2]

मै हूँ,
भारतका गिरमिटिया
मोहनदास करमचन्द गाधी

[गुजरातीसे]
इंडियन ओपिनियन, ७–१–१९१४

१ ८ तारीखको शव यात्रामें, सभी धर्मोंके भारतीयोंके अतिरिक्त, यूरोपीय भी शामिल हुए थे।
२, देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास**, अध्याय ४५।

२४२. अमर-पुरुष हरबतसिंह

हरबतसिंह एक गिरमिटिया भारतीय थे। उनकी आयु सत्तर वर्षकी थी। उनका [यहाँ] कोई सगा-सम्बन्धी न था। गत सोमवारको उनका देहावसान हो गया। समस्त भारतीय समाज उनके लिए शोक प्रकट करता है। इस विशाल देशमें उनका एक भी अपना न था, अब इस देशमें रहनेवाले डेढ़ लाख भारतीय उनके सगे-सम्बन्धी हो गये हैं। साधारण परिस्थितियोंमें एक भी भारतीय जिसके मरनेके बारेमें कुछ न जान पाता, इस असाधारण परिस्थितिमें मरनेके कारण उससे सारा हिन्दुस्तान परिचित हो जायेगा। आप पूछेंगे, इसका क्या कारण है। उत्तर यह है कि हरबतसिंह सत्याग्रही थे और जिस प्रकार सत्य अमर है उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक सत्यका पालन करनेवाले भी अमर हो जाते हैं। जैसे सूर्य ढँपनेसे छिप नहीं जाता वैसे ही कोई सत्यको चाहे जितना छिपानेका प्रयत्न करे वह प्रकट होकर ही रहता है। सत्यका रंच-मात्र पालन करनेवाला मनुष्य भी छिपा नहीं रहता। बहुत पुराने गिरमिटिया होनेके कारण हरबत-सिंहको ३ पौंडका कर नहीं देना पड़ता था। फिर भी अपने अन्य भाइयोंको संघर्ष करते देखकर उन्होंने भी उसके लिए निकलना पसन्द किया।

इस समाचारके मिलते ही कि उनकी लाशको दफना दिया गया है, हमने सरकारसे इसे लौटा देनेका अनुरोध किया। इस लेखके प्रकाशित होने तक [सरकारकी] स्वीकृति मिल चुकेगी। मृत शरीर मिलनेके बाद उसका दाह-संस्कार किया जायेगा। हमें उम्मीद है कि प्रत्येक भारतीय शव-यात्रामें शामिल होगा।

हरबतसिंहने इस महान संघर्षमें शरीक होकर अपना नाम अमर कर दिया है। हमारी कामना है कि उनकी जैसी हिम्मत और सद्बुद्धि प्रत्येक भारतीयको प्राप्त हो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–१–१९१४

२४३ भेंट: 'प्रिटोरिया न्यूज' के प्रतिनिधिको[१]

[प्रिटोरिया
जनवरी ९, १९१४ से पूर्व]

[गांधीजी] मैं आपको इस समय जो गोपनीय बातचीत चल रही है, उसके बारेमें कुछ नहीं बता सकता।

[संवाददाता] रेलवे हड़तालके बारेमें आपका क्या विचार है?

रेलवे हड़तालसे मेरा कुछ सरोकार नहीं है।

१ ९ जनवरीको सुबह गांधीजी सी० एफ० ऐंड्रयूजके साथ स्मट्ससे बातचीतके लिए प्रिटोरिया आये। समाचारपत्रके एक संवाददाताने गांधीजीसे सत्याग्रहके विषयमें बातचीत की।

सो तो मालूम है, परन्तु उसके प्रति आपका रुख क्या है?

मेरा कोई रुख नही है। ऐसी विषम-स्थितिमे हम-जैसे उपेक्षित लोगोका, जिनका कोई वोट न हो, क्या रुख हो सकता है?

मेरा मतलब यह है कि सरकार इस समय परेशानीमें पडी हुई है, तो क्या आप इसका लाभ उठाकर अपना सत्याग्रह और हडताल आन्दोलन फिर शुरू करेंगे?

श्री गाधी विचार-निमग्न दिखाई दिये, वे एक क्षण रुककर बोले

यह हमारी नीति कभी नही रही।

सो सब छोडिए, स्पष्ट कहिये। पहले आपकी नीति क्या थी, इसकी परवाह किये बिना यह बताइये कि इस मौकेपर आप क्या करने जा रहे है?

जहाँतक मेरा सवाल है ऐसे मौकेपर मै सरकारको और परेशानी देनेवालोमे शामिल नही होऊँगा। हमने गत जुलाईमे[1] रैडके खनिकोकी हडतालके दरमियान जो नीति अपनाई थी इस समय भी हम वही अपनाएगे। उस समय हमने सघष स्थगित कर दिया था, जरूरत पडी तो हम फिर वैसा ही करेगे। मै चाहता हूँ कि हमारे तथा रेलवेके लोगोके मसलोको लेकर कोई गलतफहमी न हो, यदि हम इस समय सत्याग्रह शुरू करे तो गलतफहमी हो सकती है। बहरहाल, मै सरकारकी स्थितिका नाजायज फायदा नही उठाना चाहता ।

मुझे आशा है कि जो बातचीत अभी चल रही है उससे, और दक्षिण आफ्रिकामे हमारे यूरोपीय दोस्तोके आवेदनोसे फिर सत्याग्रह करनेकी जरूरत नही रह जायेगी। और चाहे जो हो (यह बहुत जोर देकर), मन्त्री महोदयका जवाब हमें अनुकूल मिले अथवा प्रतिकूल, हम तबतक कायवाही नही शुरू करेगे जबतक रेलवेका मामला निबट नही जाता। मै इसके लिए आपको व्यक्तिगत आश्वासन देता हूँ।[2]

[अग्रेजीसे]

प्रिटोरिया न्यूज, ९-१-१९१४

१ देखिए "जोहानिसबर्गमें उपद्रव", पृष्ठ १२७-२९।

२ १४-१-१९१४ के **इंडियन ओपिनियन**में इस कथनका साराश छापा गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टनने उपनिवेश कार्यालयको इस भेंटकी कतरन भेजी थी और यह भी लिखा था कि श्री गाधीने व्यक्तिगत आश्वासन दिया है कि मैं और मेरे साथी रेलवे हडतालका निपटारा होने तक कोई कार्यवाही नही करेंगे। इस निर्णयका इग्लैंड और दक्षिण आफ्रिकाके गोरोपर भी बडा अनुकूल प्रभाव पडा।

२४४ एक महत्त्वपूर्ण सलाह[1]

मैने सुना है कि कई भारतीय भाई अपनी पहली गिरमिट खत्म होनेपर फिर दूसरी बार गिरमिटमे बँध जाते है। सभी भाई यह तो जानते ही होगे कि दूसरी बार गिरमिटमे बँधना आवश्यक तो नही है। तीन पौडी करकी छूट हो जानेपर दूसरी बार गिरमिट स्वीकार करनेका कारण ही नही बचेगा। इसलिए इस सघषके चलनेकी अवधिमे दूसरी गिरमिट मजर करके गुलामी स्वीकार न करे। जिन लोगोके हाथमे यह अखबार नही पहुँच पाता और जो लिखना पढना भी नही जानते — मै उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक पढा-लिखा व्यक्ति उनतक यह बात पहुँचाना अपना कत्तव्य समझेगा।

मोहनदास करमचन्द गाधी

[गुजरातीसे]
इडियन ओपिनियन, १४-१-१९१४

२४५. जनरल स्मट्ससे भेट[2]

प्रिटोरिया
जनवरी १६, १९१४

श्री गाधीने गत शुक्रवारको जनरल स्मट्सके सामने जो मूल प्रस्ताव रखा था, वह इस प्रकार था

उन्होने चार मुद्दोपर निश्चित आश्वासन देनेको कहा

(क) तीन पौंडी कर जनरल स्मट्सने उनसे पूछा कि यदि परवानेकी व्यवस्था बनी रहे किन्तु उससे सम्बन्धित शुल्क लेना बन्द कर दिया जाये तथा १८९५ के नेटाल अधिनियम १७ की व्यवस्थाओमें और कोई रद्दोबदल न किया जाये तो क्या आप

१ **इडियन ओपिनियन**के इसी अकके हिन्दी विभागमें इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया था।

२ गाधीजी और जनरल स्मट्सकी १६ जनवरीकी भेंटमे जो बातचीत हुई थी, उसका अधिकृत विवरण, गवर्नर जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टन द्वारा उपनिवेश मन्त्रीको २२ जनवरीको भेजे गये एक गुप्त खरीतेसे, लिया गया है। भेंटका अन्य कोई विवरण उपलब्ध नही। गवर्नर जनरलने इसका विवरण देते हुए लिखा था "इस देशमें मेरी सरकार और भारतीय समाजके बीच मुख्य मुख्य विवादग्रस्त मुद्दोंपर शीघ्र ही समझौता होनेकी सम्भावना गत सप्ताहसे स्पष्ट ही बढ़ गई है। वैसे बाधाएँ अभीतक है और उनको अनदेखा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नही होगा, और दोनो पक्षोंकी परस्पर सहमतिसे कोई विधान पास करनेसे पहले कुछ ऐसी भी बाधाएँ सामने आ सकती है जिनका अभी कोई अनुमान नही है, या बहुत ही हलका सा

सन्तुष्ट हो जायेंगे। श्री गांधीने कहा कि इस तरह हमारी शर्तें तो पूरी हो जायेंगी, लेकिन यदि परवानेकी व्यवस्था रखनी ही है तो परवाने स्थायी किस्मके होने चाहिए, उनके साल-दर-साल बनवानेकी अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए।

(ख) विवाहका प्रश्न उन्होंने बिलकुल स्पष्ट ढंगसे यह तो नहीं बतलाया कि वे ठीक-ठीक क्या चाहते हैं, लेकिन जनरल स्मट्सका अपना अनुमान था कि वे जो चाहते हैं वह अनुचित नहीं है और यदि वस्तुतः एक ही विवाह करनेवाले पतियोंकी पत्नियोंको संवैधानिक रूपसे मान्यता दे दी जाये तो शायद भारतीय सन्तुष्ट हो जायेंगे।

(ग) दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंका केप प्रान्तमें प्रवेश श्री गांधीने इसके सम्बन्धमें कानून पास करनेका आग्रह नहीं किया। वे केवल यह आश्वासन चाहते थे कि कानून इस तरह लागू किया जाये कि केपमें प्रवेशके इच्छुक भारतीयोंको शैक्षणिक परीक्षामें न बैठना पड़े। यह इस शर्तपर कि थोड़ेसे भारतीय ही इस प्रकार प्रवेश करेंगे और यदि उनकी संख्या अधिक हुई तो उनको परीक्षामें बैठना पड़ेगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि समझौतेके ठीक-ठीक शब्द क्या थे, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका सार यही था।

(घ) ऑरेंज फ्री-स्टेटके कानूनके अन्तर्गत अपेक्षित शिनाख्ती ब्यौरा बतलाना जनरल स्मट्सने बतलाया कि सरकारने पहले ही श्री जॉर्जेसके १९ अगस्तके पत्र (सी० डी०

आभास है। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति अब पहलेसे कहीं अधिक आशापूर्ण हैं। यह मेरी पदावधिके दौरान इतनी आशापूर्ण कभी नहीं थी।"

"जनरल स्मट्स और श्री गांधी, जनरल स्मट्स और सर बेंजामिन रॉबर्टसन और सर बेंजामिन रॉबर्टसन तथा श्री गांधीकी अनेक बार व्यक्तिगत रूपसे भेंट हो चुकी है। श्री एँड्रयूज, मन्त्री महोदय और सर बेंजामिन रॉबर्टसनसे भी बातचीत कर चुके हैं। जनरल स्मट्सने अत्यन्त धैर्य और मैत्रीपूर्ण ढंगसे बात की। कई वर्षोंसे श्री गांधीके साथ कई बार विवाद चलनेके बावजूद उनके प्रति जनरल स्मट्सका रवैया बड़ा सहानुभूतिपूर्ण बना हुआ है। वे श्री गांधीको एक असाधारण व्यक्ति मानते हैं, जिनकी विलक्षणताएँ मन्त्री महोदयके लिए चाहे जितनी असुविधापूर्ण हों, पर उनका अध्ययन करनेवालेके लिए उनमें आकर्षण तो है ही। सर बेंजामिनने बड़ी कुशलता, न्यायपूर्णता और तर्कसंगतिका परिचय दिया है। उन्होंने जनरल स्मट्स ही नहीं, प्रधान मन्त्रीके साथ भी बड़े अच्छे सम्बन्ध बना लिये हैं, और उन्होंने मन्त्रिमण्डलके अन्य सदस्योंसे परिचय करके उनके साथ मैत्री स्थापित कर ली है और उनकी दृढ़ता तथा कौशलपूर्ण सूझबूझने श्री गांधीको अत्यधिक प्रभावित किया है और उनको कुछ सीमाओंमें रखा है। श्री गांधीसे वार्ता चलाना किसी भी यूरोपीयके लिए आसान काम नहीं है। पाश्चात्य वातावरणमें पले हुए लोग यह नहीं समझ पाते कि श्री गांधीकी अन्तरात्मा कब, किस तरह सोचेगी, और इसके कारण कई बार ऐसी जगह बात अटक जाती है जहाँ उसके अटकनेकी बिलकुल आशंका नहीं होती। लगता है कि उनके नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोणमें आध्यात्मिकता और बुद्धि-कौशलका एक विचित्र सा योग है, जो साधारण ढंगसे सोचने विचारनेवालोंकी समझमें नहीं आता। फिर भी व्यावहारिक ढंगसे चीजोंको कैसे किया जाये, इसके बारेमें काफी हदतक समझौता हो गया है।"

७१११, पृष्ठ ५१) में इसके बारेमे श्री गाधीका सुझाव स्वीकार करनेकी सहमति प्रकट कर दी थी। श्री गाधीने कहा कि उन्होने उस पत्रके उल्लिखित अनुच्छेदका वैसा अर्थ नही लगाया था, लेकिन यदि उसमें थोडा-सा शाब्दिक सशोधन कर दिया जाये तो कठिनाई दूर हो जायेगी।[१]

श्री गाधीने बतलाया कि यदि जनरल स्मट्स उनके चारो मुद्दोके बारेमें स्पष्ट रूपसे एक लिखित आश्वासन दे दें, तो वे भारतीयोकी शिकायतोके समूचे प्रश्नको निबटा हुआ मान लेगे। तब आयोगको आम शिकायतो या नीतिके सम्बन्धमे विचार करनेकी आवश्यकता नही रहेगी। उस स्थितिमें आयोगकी जाँच-पडतालका क्षेत्र सत्याग्रह आन्दोलनकी हालकी घटनाओ और हडताल और उस आन्दोलन तथा उसके दमनके तरीकेके कारण लगाये जानेवाले विभिन्न आरोपो तक ही सीमित रहेगा। उसके आधारपर वे और उनके मित्र आयोगके सामने उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए तैयार रहेंगे। और यदि सर जेम्स रोज-इन्स या श्री श्राइनरको आयोगमे सम्मिलित कर लिया जाये तो वे आश्वासन न मिलनेपर भी आयोगके सामने उपस्थित होकर उसके विचारके लिए सम्मिलित सभी विषयोके सम्बन्धमे साक्ष्य प्रस्तुत करेगे। मेरा खयाल है कि उस दशामे वे भारतीयोकी सभी, १८८५ से आजतक की सभी, शिकायतोको ब्यौरेवार ढगसे उठायेंगे। उन्होने यह भी सूचित किया कि आयोगके सामने उनका प्रारम्भिक वक्तव्य ही कमसे-कम दो दिन चलेगा।

और यदि उनके किसी भी वैकल्पिक प्रस्तावको स्वीकार नही किया गया तो वे आयोगसे कोई सरोकार नही रखेंगे और वे अपने आपको कुछ भी करनेके लिए स्वतन्त्र मानेंगे, हालाकि उस स्थितिमे भी वे अपने इस वचनको निभायेंगे कि वर्तमान औद्योगिक झगडोका निबटारा न होने तक वे फिरसे सत्याग्रह आन्दोलन छेडकर सरकारको परेशानीमें नहीं डालेंगे।

जनरल स्मट्सने बतलाया कि आयोगके वर्तमान गठनमे कोई भी परिवर्तन करनेपर उनको स्पष्ट ही कुछ आपत्तियाँ है। उन्होने श्री गाधीको यह समझानेकी कोशिश की कि आश्वासन माँगनेके बदले आयोगके सामने अपनी शिकायतोके चारो मुद्दे पेश करना उनके अपने ही हितमें रहेगा। इससे यदि सरकार आयोगकी सिफारिशोको आधार बनाकर ही सुधारका कानून बनाना चाहे तो सरकारको कहीं ज्यादा आसानी होगी। सर विलियम सॉलोमन और श्री एसेलेनसे व्यक्तिगत तौरपर बातचीत करनेके बाद मन्त्री महोदयको पक्का विश्वास हो गया है कि आयोग सुधारके कानूनकी सिफारिश अवश्य करेगा और इसलिए न्यायाधिकरणके सामने इन मुद्दोके सम्बन्धमें अपने विचार स्पष्ट न करनेका अवसर हाथसे खोना श्री गाधीके लिए अविवेकपूर्ण होगा।[१]

१ लॉर्ड ग्लैडस्टनने इसपर कहा था "श्री गांधीके पहले दो मुद्दोंके बारेमे ही नया विधान बनानेकी जरूरत पड़ेगी।"

पर श्री गाधी यही आग्रह करते रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञाके दायित्वोको अटल मानते है। जनरल स्मट्सने तब उनके प्रस्तावोपर विचार करके यथाशीघ्र उत्तर देनेके वचनके साथ भेंट समाप्त की।[1]

[अग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५४

२४६. पत्र गृह-सचिवको[2]

प्रिटोरिया
जनवरी २१, १९१४

सेवामे
गृह-सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मै फीनिक्स छोडनेसे पहले जनरल स्मट्सको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होने इतने अधिक व्यस्त होते हुए भी भेटके दौरान बडे धैर्य और बडे स्नेहके साथ मुझसे बाते की। मेरे देशवासी उनके इस अनुग्रहको कृतज्ञतापूवक स्मरण करेगे।

मै समझता हूँ कि मन्त्री (भारतीय जाच-आयोगके सम्बन्धमे) मेरे दोनो सुझाव स्वीकार करनेमे असमर्थ है। उनको न तो मेरा यह सुझाव स्वीकाय हे कि (१) नीति विषयक प्रश्नोकी जॉच करते समय भारतीय हितोका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य सम्मिलित कर लिया जाये, और न यह कि (२) केवल इन प्रश्नोपर विचार करनेके लिए एक दूसरा आयोग नियुक्त किया जाये जिसमे भारतीय प्रतिनिधि शामिल हो, और उस स्थितिमे वतमान आयोग केवल एक न्यायिक आयोग ही बना दिया जाये, मैंने तीसरा सुझाव भी रखा था लेकिन सरकारके निणयको देखते हुए उसे यहॉ दोहरानेकी आवश्यकता नही। यदि सरकारने मेरे एक भी सुझावको ठीक मान लिया होता तो मेरे देशवासी वर्तमान आयोगके काममे हाथ बँटा सकते थे। परन्तु इस आयोग-(जिसका रूप राजनीतिक है और न्यायिक भी) के समक्ष दी गई मुख्य गवाहियोके सम्बन्धमे बडी ईमानदारीसे उनकी कुछ आपत्तियाँ है और उनके लिए ये आपत्तियाँ अब एक पवित्र और धार्मिक रूप ग्रहण कर चुकी है। मै सक्षेपमे कह दू कि उनकी इन आपत्तियोका आधार यह प्रबल भावना है कि नीति-विषयक प्रश्नोपर विचार करते समय भारतीय समाजसे या तो परामर्श किया जाना चाहिए था या उसे प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था।

१ बादकी वार्ताके लिए, देखिए परिशिष्ट २०।

२ इसे २८-१-१९१४ के **इंडियन ओपिनियन**में पुन प्रकाशित किया गया था।

मैंने देखा है कि मन्त्री भी इन आपत्तियोको बिल्कुल बेमतलब नही मानते। वे इनको सदाशयतापूर्ण आपत्तियाँ मानते हैं। लेकिन अपना निर्णय बदलनेमे वे असमर्थ है। फिर भी चूकि उन्होने मुझे भेटका अवसर देकर विचार-विमर्शके सिद्धान्तको स्वीकार करनेकी कृपा की है इसलिए मैं भी अपने देशवासियोको राय दे सकता हूँ कि वे आयोग द्वारा किसी निष्कर्षपर पहुँचने और आगामी सत्रके दौरान विधान प्रस्तुत होने तक सक्रिय प्रचार करके आयोगके काममे बाधा न डाले और सक्रिय रूपसे सत्याग्रह आरम्भ करके सरकारकी स्थिति कठिन न बनाये।

यदि विचार-विमर्शके सिद्धान्तके बारेमे सरकारी दृष्टिकोणका मेरा विवेचन सही है तो हम आगे भी सर बैंजामिन रॉबर्टसन, जिनको वाइसरायने अपनी शालीनतापूर्ण दूरदर्शिताके बलपर आयोगके सामने गवाही देनेका काम सौपा है, की सहायता कर सकेगे।

नेटालमे भारतीयोको हडतालके समय उनके साथ हुए दुर्व्यवहारके आरोपोके प्रश्नके सम्बन्धमे भी यहाँ कुछ कह देना आवश्यक है। आयोगके जरिये उनको सिद्ध करनेका माग ऊपर बताये गये कारणोसे हमारे लिए बन्द हो चुका है। हमारे पास प्रामाणिक साक्ष्य है, लेकिन उसे प्रकाशित करके अवमानके आरोपोके सम्बन्धमे की गई कारवाईको गलत ठहराना मुझे व्यक्तिगत रूपसे नापसन्द है। इन आरोपोके बावजूद मैं तो पुराने जख्मोको बिलकुल नही कुरेदूगा। मै मन्त्री महोदयको आश्वस्त करता हूँ कि सत्याग्रही होनेके नाते हम भरसक प्रयत्न करेगे कि व्यक्ति विशेषके साथ की गई ज्यादतियोका प्रश्न न उठाया जाये।[१] परन्तु हमारे मौन रहनेका कही गलत अर्थ न लगा लिया जाये, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मन्त्री हमारी सदाशयताको मान्यता दे और आयोगके सामने इन आरोपोके सम्बन्धमे गलत प्रकारकी गवाहियाँ पेश न करके अपना सहयोग दे।

और, सत्याग्रह स्थगित करनेके साथ ही हमारी प्रार्थना है कि साधारण जेलो या जेल घोषित कर दिये गये खान-अहातोमे[२] इस समय सजा काटनेवाले वास्तविक सत्याग्रहियोको रिहा कर दिया जाय।

अन्तमे यहाँ उन बातोको दोहराना असगत नही रहेगा जिनके बारेमे राहत मागी गई है। वे इस प्रकार है

(१) तीन-पौडी कर इस ढगसे रद किया जाये कि उससे विमुक्त किये जानेवाले भारतीयोका दर्जा लगभग वही रहे जो १८९१ के नेटाल कानून २५ के अन्तर्गत मुक्त किए गये गिरमिटिया भारतीयोका है।

(२) विवाह सम्बन्धी प्रश्न।

(मैंने ये दोनो मुद्दे मौखिक रूपसे पेश किये है। इनके बारेमे नई वैधानिक व्यवस्था दरकार है।)

१ देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय ४८।

२ चूँकि सभी सत्याग्रहियोको रखनेके लिए जेलोमें स्थान नही रह गया था, इसलिए सरकारने खानोके अहातोंका जेलोंकी तरह इस्तेमाल किया था।

(३) केपमें प्रवेशका प्रश्न।

(इसके बारेमें मन्त्री महोदयको बतलाये गये स्पष्ट संरक्षणकी बातको ध्यानमें रखते हुए केवल प्रशासकीय राहत अपेक्षित है।)

(४) ऑरेंज फ्री स्टेटका प्रश्न।

(इसके लिए तो पहलेसे दिये गये आश्वासनमें केवल कुछ मौखिक परिवर्तन करना पड़ेगा।)

(५) और यह आश्वासन कि वर्तमान कानून, विशेषकर उसके भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले भागको, उसमें निहित अधिकारोंका समुचित ध्यान रखकर, न्यायपूर्ण ढँगसे लागू किया जायेगा।

तीसरे, चौथे और पाँचवें मुद्देके बारेमें तो कठिनाई है नहीं, इसलिए मेरा सुझाव है कि निवासी भारतीय जनताके प्रति सरकारके सद्भावके प्रतीक-स्वरूप इन मुद्दोंके बारेमें अपेक्षित राहत अभी दे दी जाये।

मुझे आशा है और भरोसा भी कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा पेश किये गये मुद्दोंको स्वीकार कर लेंगे। तब मैं भी अपने देशवासियोंको इस पत्रमें व्यक्त की गई भावनाके अनुरूप परामर्श देनेके लिए तत्पर रहूँगा।[1]

आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, २३-१-१९१४

और कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५४ भी

२४७. पत्र रावजीभाई पटेलको

प्रिटोरिया

बुधवार, पौष वदी १०, [जनवरी २१, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

मैं श्री ऐंड्रयूजके साथ आज ही जोहानिसबर्ग जानेका विचार करता था किन्तु वैसा हो नहीं सका। जनरल स्मट्सने मेरे पत्रका जो जवाब दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है। उसमें यथासम्भव सुधार करा लेनेकी आशासे कल भी रुक रहा हूँ। सन्तोष-जनक जवाब मिल जाये तो भी यह तो नहीं मान लूँगा कि समझौता हो चुका, पर तो भी उस दिशामें यह एक बड़ा कदम अवश्य होगा। इतना समय नहीं है कि सब कुछ समझा सकूँ। अभी तत्काल फिर सर बेंजामिनसे मिलने जा रहा हूँ।

मगनभाईका रोग पिंड नहीं छोड़ रहा है यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है। उसके रोगकी गतिविधिका निरीक्षण करनेके लिए भी फीनिक्समें निश्चित होकर कुछ

१ गृह मन्त्रीके उत्तरके लिए, देखिए परिशिष्ट २१, तथा **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय ४९।

समय रहना चाहता हूँ। तुमसे जो बन पडे सो करना। जनरल स्मट्ससे सन्तोषजनक जवाब प्राप्त होनेपर ही थोड़ा अवकाश मिलनेकी सम्भावना है। बच्चे पुन नियमित बन सके इस ओर पूरा ध्यान रखना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीजीना पत्रो और जीवननु परोढ़

२४८. तार: गो० कृ० गोखलेको[1]

जोहानिसबर्ग
जनवरी २२, १९१४

सरकार और मेरे बीच पत्र-व्यवहार। अस्थायी समझौतेका वचन। सरकार आयोगके सम्बन्धमे पेश किये गये[2] तीनो प्रस्तावोमे से किसीको भी स्वीकार करनेमे असमर्थ लेकिन शीघ्र हल निकालनेकी इच्छा भी व्यक्त। उसे सलाह-मशविरा करने और पूरा-पूरा अवसर देनेका सिद्धान्त स्वीकार। हम गवाही देकर प्रतिज्ञा भग नही कर सकते लेकिन रॉबर्टसनकी यथासम्भव सहायता करेगे। सरकारकी कठिनाईको समझते हुए हम आगामी सत्रके दौरान प्रस्तावित विधान लानेके आश्वासनपर सत्याग्रह स्थगित करते है। आरोपोके सम्बन्धमे सत्याग्रहीके नाते हम अपनी प्रामाणिक गवाहियाँ देकर पुराने जख्मोको नही कुरेदेगे। सरकार हमारी सदाशयता मानती है और आरोपोके सम्बन्धमे खुद भी गलत किस्मकी गवाहियाँ नही देगी। सभी बन्दी रिहा कर रही हे। अपने कायको अनुमोदन देनेके लिए समाजके सामने रख रहा हूँ। हमने सभी स्थितियो और आपकी और वाइसरायकी भावनाओपर भी विचार किया है। मैंने और ऐंड्रयूजने मिलकर समझौतेका मसविदा तैयार किया।[3] स्मट्ससे पिछली भेटके समय ऐंड्रयूज उपस्थित थे। शनिवारको शायद डर्बन पहुँच जाऊँ।[4]

गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९२९) की फोटो-नकलसे।

१ इसका विस्तृत वृत्तान्त जनवरी २४, १९१४ के **हिन्दू** और **टाइम्स ऑफ इडिया**के अंकोमें प्रकाशित हुआ था।

२ आयोगके गठनसे सम्बन्धित प्रस्तावोंके ब्यौरेके लिए देखिए "भाषण सार्वजनिक सभामें" पृष्ठ ३२७ ३०।

३ ऐंड्रयूजने स्मट्स और सर बेंजामिन रॉबर्टसनसे बातचीत की थी। उन्होने जनवरी १३ को गवर्नर जनरलसे निजी तौरपर मुलाकात की थी, उसका विवरण गवर्नर जनरलने एक खरीतेके साथ कलोनियल ऑफिस भेजा था, देखिए परिशिष्ट २२।

४ अस्थायी समझौतेके आशयके अधिकृत विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट २०।

२४९. भेट: 'रेंड डेली मेल' के प्रतिनिधिको

[जोहानिसबर्ग
जनवरी २३, १९१४]

कल 'मेल' के एक प्रतिनिधिने श्री मो० क० गाधीसे मौजूदा स्थितिके बारेमें एक विवरण देनेको कहा। श्री गाधी नगे पाव रहते हैं और सादे सफेद कपडे पहनते हैं। यह इस बातका सकेत देते हैं कि अब भारतीय दृष्टिकोण कितना धार्मिक स्वरूप लेता जा रहा है। श्री गाधीने अपना दफ्तर १५ ऐन्डर्सन स्ट्रीटपर खोला है, यहाँसे वे अपने उन देशभाइयोसे जो जेलमें है सम्पर्क रखते हैं, और बाकी ससारसे भी तार-फोन द्वारा सम्पर्क बनाये रखते है।

[गाधीजी] जिस भावनासे भारतीय आयोगमे भारतीय-हितोका प्रतिनिधित्व न होनेके कारण उत्पन्न गतिरोधको सुलझानेका प्रयत्न कर रहे है, मै आशा करता हूँ कि यूरोपीय जनता उसे समझेगी, और मुझे यह भी आशा है कि मै अपने देश-वासियोको मेरे साथ कारावासमे हुए दुर्व्यवहारके आरोपोके सम्बन्धमे जो रुख अपनानेकी सलाह दे रहा हूँ उसे समझ कर वे भी तदनुसार रुख अपनायेगे।

हमारा सत्याग्रहको मुल्तवी करना और आरोपोके सम्बन्धमे किसी प्रकारका कदम न उठाना जनता और सरकारको उन पाँचो मुद्दोपर, जिन मुद्दोके औचित्यके कारण सत्याग्रहका आरम्भ किया गया और मेरी रायमे जिन्हे लगभग समस्त ससारकी सहानुभूति मिली है, शान्तिसे विचार करनेकी स्वतन्त्रता देता है। कोई भी विवेकी व्यक्ति इस बारेमे सन्देह नही कर सकता कि भारतीय विवाहोको कानूनी मान्यता दिलाना या ३ पौडी करको बिना शत समाप्त करवाना हमारा हक है। जैसा कि मै पहले ही कह चुका हूँ कि सत्याग्रहके अन्य मुद्दोको केवल प्रशासनिक हलकी जरूरत हे। जैसा आप पत्रसे देखेगे कि ये मुद्दे हूबहू वही है जिन्हे पिछले वष सत्याग्रहके पुनरारम्भसे पहले श्री काछलियाने, सरकारको लिखे गये पत्रमे, गिनाया था। अन्तमे मै कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा हमारे सत्याग्रही बन्दियोको रिहा किये जानेकी हम कद्र करते है।

[अग्रेजीसे]
रैंड डेली मेल २४–१–१९१४

२५०. पत्र : भवानी दयालको

बॉक्स, ११५६
प्रिटोरिया
शुक्रवार, [जनवरी २३, १९१४][1]

भाई श्री भवानी दयाल,

मे उम्मोद रखता हुँ कि तुमारी तबीयत ठीक होगी, तुमारा काम जहलमे बहुत अच्छा रहा यह बात सुन मे बहोत खुश हुआ था। तुमारा सन्देशा मेरेको मीला था, तुमारे लीये फीनिक्समे जगा तैयार है। तुमारे वहा सहकुटुम्ब रहना। समाधानीकी जो बात चलती है उस बारेमे खबर भी पोलाकके पाससे मिलेगी।

मोहनदास गाधीका वदेमातरम्

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६८९) से।
सौजन्य विष्णु दत्त दयाल

२५१. तार : गो० कृ० गोखलेको

[डर्बन
जनवरी २५, १९१४ या उससे पूव][2]

अस्थायी समझौता सम्पन्न। औपचारिक घोषणाके कारण आयोगकी तो नही, रॉबर्टसनकी मदद करेगे। आयोगके बाद विधान बनानेका सरकारी वचन। तबतक सत्याग्रह स्थगित। भारतीयोसे परामशका सिद्धान्त मान्य। सरकार रॉबटसन दोनो सन्तुष्ट। बन्दी रिहा हो रहे है। समझौतेके लिए अब अधिक अनुकूल अवसर।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९२८) की फोटो-नकलसे।

१ भवानी दयालजी शनिवार, जनवरी १७, १९१४को जेलसे रिहा हुए थे। जान पड़ता है यह पत्र इस तिथिके बाद पड़नेवाले शुक्रवारको ही लिखा गया था। **इडियन ओपिनियन**के हिदी विभागका सपादकत्व भी उन्होने उसके २८-१२-१९१४के अकसे सँभाला था।

२ अस्थायी समझौता सम्पन्न होनेके तुरन्त बाद गाधीजीने २५ जनवरीको एक सार्वजनिक सभामें उसकी व्याख्या की थी, देखिए अगला शीर्षक। सम्भवत यह तार २५ जनवरी या उससे पहले भेजा गया था।

२५२. भाषण: सार्वजनिक सभामें[1]

[डर्बन
जनवरी २५, १९१४]

श्री गांधीने अस्थायी समझौतेकी शर्तोंकी व्याख्या करनेसे पहले सभाको बतलाया कि श्री ऐण्ड्रयूज़को इंग्लैंडसे एक पत्र मिला है, जिसमें उनकी प्रिय माताके मरणासन्न होनेका समाचार है, जबकि उनको आशा थी कि इंग्लैंड पहुँचकर वे अपनी माताके दर्शन करेंगे। श्री गांधीने यह भी बतलाया कि प्रिटोरियामें समझौतेके सिलसिलेमें अत्यधिक परिश्रम करनेके कारण श्री ऐण्ड्रयूज़को ज्वर आ गया था। इस सबके बावजूद भी श्री ऐण्ड्रयूज़का आग्रह था कि वे सभामें अवश्य शरीक होंगे।

श्री गांधीने पूरे विस्तारके साथ अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी, दोनोंमें भाषण किया। बादमें उनके भाषणका तमिलमें अनुवाद किया गया। श्री गांधीने कहा कि आशा है कि अंग्रेजीमें भाषण सुननेवालोंने समाचारपत्रोंमें जो-कुछ प्रकाशित हुआ है, वह सब पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं सरकारके साथ हुए समझौतेका आशय आपको बतलाता हूँ। जनरल स्मट्ससे पहली मुलाकातके समय मैंने उनके सामने तीन प्रस्ताव रखे थे, जिनमें से किसी एकके भी स्वीकृत हो जानेपर समाज कुछ समय पहले इसी आधारपर की गई अपनी औपचारिक प्रतिज्ञाको भंग किये बिना आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। ये वैकल्पिक प्रस्ताव थे : या तो सरकार एक दूसरा आयोग नियुक्त करे और वर्तमान आयोगका क्षेत्र केवल दुर्व्यवहार और क्रूरताके सम्बन्धमें लगाये गये आरोपोंकी न्यायिक जाँच करने तक सीमित कर दे और दूसरा आयोग शिकायतोंपर विचार करे और समाज दोनों ही आयोगोंके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करे, या आयोगमें भारतीय हितोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए एक और सदस्य शामिल किया जाये, जो क्रूरताके सम्बन्धमें लगाये जानेवाले आरोपोंसे भिन्न, खास तौरपर शिकायतोंके विवरणकी सुनवाईके लिए ही आयोगमें बैठे, जिससे कि इस आयोगके कार्य स्पष्टतः दो भागों — न्यायिक और राजनीतिक कामों — में अलग-अलग बँट जायें, या फिर वर्तमान आयोगका क्षेत्र केवल न्यायिक जाँच-पड़ताल तक ही सीमित कर दिया जाये और समाजकी ओरसे आयोगके सामने किसीके पेश होनेसे पहले ही सरकारको श्री काछलियाके पत्रमें[2] उल्लिखित समाजके अनुरोधको — उसके पाँचों मुद्दोंको स्वीकार कर लेना चाहिए अर्थात् (१) तीन-पौंडी कर रद करना, (२) भारतीय पत्नियोंका दर्जा बहाल करना, उनको वही दर्जा देना जो सर्लेके निर्णयसे पहले था, (३) दक्षिण आफ्रिकामें

१ नेटाल भारतीय संघके तत्त्वावधानमें तीन हजारसे अधिक भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा गांधीजी और स्मट्सके बीच हुए अस्थायी समझौतेके ब्यौरेपर विचार करने और उसपर कार्रवाई करनेके लिए की गई थी। इमाम अब्दुल कादिर बावजीरने उसकी अध्यक्षता की थी।

२. देखिए "पत्र: गृह सचिवको", पृष्ठ १७७-८०।

जन्मे भारतीयोंके केप-प्रवेशके अधिकारको बहाल करना, (४) ऑरेंज फ्री स्टेट सम्बन्धी जातीय भेदभावके बारेमें जो थोड़ी-सी कठिनाई रह गई है उसे दूर करना, और (५) प्रदत्त अधिकारोंका उचित सम्मान करते हुए वर्तमान कानूनोंको न्यायोचित ढंगसे लागू करना। अन्तिम तीन मुद्दोंपर तो प्रशासनिक रूपसे कार्रवाई की जा सकती है, और पहले दो मुद्दोंके लिए कानूनको संशोधित करना पड़ेगा। मैंने जनरल स्मट्सके सामने इस समस्याको हल करनेका सबसे सरल और कम समय-साध्य तरीका पेश किया था। जनरल स्मट्सने कहा था कि वे इसपर विचार करेंगे और इसपर विचार करने तथा मन्त्रि-मण्डलसे परामर्श करनेके बाद उन्होंने श्री ऐण्ड्रयूज़की उपस्थितिमें कहा था कि सरकार इनको स्वीकार करनेके लिए तो तैयार है, लेकिन वह चाहती है कि आयोग भी इनकी छानबीन कर ले, और यों तो उसे समाजके प्रतिनिधियोंसे मिलनेमें खुशी होती लेकिन अब इस अवस्थापर आयोग सम्बन्धी प्रस्तावोंके सिलसिलेमें उनसे मुलाकात करना सम्भव नहीं।

इससे तो गतिरोध पैदा हो जायेगा। इसका अर्थ है कि या तो सत्याग्रह और उसके साथ होनेवाली कार्रवाई फिर शुरू की जाये या फिर सरकार जो भी करनेको कहती है उसके करनेका अवसर उसे मिलने तक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाये। और मुझे कभी श्री ऐन्ड्रयूज़से सलाह-मशविरा करनेके बाद इस निष्कर्षपर पहुँचनेमें अधिक कठिनाई नहीं हुई कि सत्याग्रह स्थगित कर देना ही समाजके लिए उचित होगा। मैं इस निष्कर्षपर इसलिए पहुँचा कि मेरी समझसे सरकारने ठीक ही रुख अपनाया है और सरकार इस बातको समझने और उचित महत्त्व देनेके लिए भी तैयार है कि समाज आयोगकी कारवाईमें भाग न लेनेका अपना पवित्र दायित्व निभानेके लिए वचनबद्ध है। समाजके इस रुखपर सरकारने कोई नाराजी भी जाहिर नहीं की। मैंने इसपर जनरल स्मट्सको यह सुझाव दिया था कि यदि समाज सत्याग्रह स्थगित करता है तो सरकारके लिए यही उचित होगा कि वह सत्याग्रही बन्दियोंको रिहा कर दे। तब फिर क्रूरताके सम्बन्धमें लगाये गये आरोपोंका प्रश्न बच रहता है। वह बड़ा गम्भीर है। यदि समाज आयोगके न्यायिक पक्षके बारेमें भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा तो उन आरोपोंका क्या होगा? और यह तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि वतमान परि-स्थितिमें तो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे पास जितने भी साक्ष्य हैं उन सबको पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाये और सबको खुली छूट दे दी जाये कि जो भी चाहे समाजपर मानहानिका दावा कर सकता है, जिससे आरोप साबित करनेके दौरान समाज अपनी बात सबके सामने सिद्ध कर सके। यों एक सत्याग्रहीके नाते हमें मुकदमेमें पड़नेकी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार निर-र्थक क्षोभ टाला जा सकता है, और जो लोग खुद अपने दिमागसे सोचते हैं और सत्याग्रहका इतिहास जानते हैं वे तो समाजके कार्योंका औचित्य समझ ही लेंगे। लेकिन समाजके कार्योंका औचित्य यदि सरकार समझ ले और यदि समाज मानहानिके दावेके सिलसिलेमें होनेवाली कानूनी कार्रवाईमें सफाई पेश न करनेका अपना उद्देश्य सरकारको

समझा सके तो फिर उसे दुनियाके यह कहनेकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि "समाजके पास कोई प्रमाण है ही नही और वह इसीलिए अब न्यायालयमें जानेसे डरता है, आरोप तो भारतकी जनताकी भावनाएँ उभारनेके लिए ही वहाँ प्रचारित किये गये थे।" हमको ऐसी आलोचना सुननेके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योकि लोग तो अच्छेसे-अच्छे कामकी भी नुक्ताचीनी करते ही है। परन्तु यदि सरकार समाजके रुखको समझ ले, तो मेरा खयाल है कि सत्याग्रहियोके नाते ऐसा ही करना हमारे लिए उचित रहेगा। हम सच्चे सत्याग्रही नही है, हमने कानूनका सहारा लेकर न्यायालयोमें अपने कार्योंकी सफाई पेश की है, खरा सत्याग्रही ऐसा नहीं करता। परन्तु हम अभी विशुद्ध सत्याग्रहकी अवस्था तक नही पहुँचे है। जो भी हो, हमे अपने सामने ऐसा आदर्श रखना चाहिए कि हम किसी दिन उस अवस्था तक पहुँच सकें और सच्चे विशुद्ध सत्याग्रही कहलायें। उस अवस्था तक पहुँचनेसे पहले हम अपनेको विशुद्ध सत्याग्रही नहीं कह सकते। लेकिन यह सोचकर हाथपर-हाथ रख कर बैठनेकी भी जरूरत नहीं, इसीलिए मैने महसूस किया कि हम फिलहाल यह कदम उठा सकते है और इसीलिए मै इस निष्कर्षपर पहुँचा कि सरकारके सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जाना चाहिए। सरकारने मुझको उत्तरमें जो पत्र लिखा कुल मिलाकर उसका आशय यही है कि सरकारने सलाह-मशविरेके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है, आरोपोके प्रश्नको बिलकुल ही न उठानेके समाजके तात्पर्यको भी मान्यता दी है। आयोगके सामने साक्ष्य पेश न करनेका समाजका मशा भी उचित माना है, और यह आश्वासन दिया है कि वह समाज द्वारा रखे गये प्रस्तावोके अनुकूल ही मामलेका निबटारा करना चाहती है और सो भी आयोगके माध्यमसे ही। हमारा खयाल है कि हमारे समाजकी माँगें इतनी न्यायोचित है और पिछले कुछ महीनोके दौरान हमने जो कष्ट सहन किये है उनके कारण वे इतनी पवित्र और इतनी दृढ बन गई है कि उनके लिए आयोगसे सिफारिश करानेमें कोई कठिनाई नहीं पडेगी। मै समझता हूँ कि सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सनकी मौजूदगी हमारे आत्म-विश्वासको बढ़ाती है क्योकि उनके नामके साथ एक भारी प्रतिष्ठा जुडी हुई है और चूँकि वे अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे नही बल्कि वाइसरायके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आये ह, इसलिए आयोगके सामने वे जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसका निःसन्देह बडा महत्व होगा। ऐसी परिस्थितिमें हमें चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं, क्या होगा यह सोचकर डरनेकी जरूरत नहीं। जबतक सत्याग्रह-जैसा विशुद्धतम अस्त्र हमारे पास है तबतक किसी भी सत्याग्रहीको डरनेका कोई कारण नही। भविष्य तो हर तरह हमारे कामोपर निभर है और हम दृढ बने हुए हैं, इसलिए मै बिना किसी हिचकके कहता हूँ कि समझौतेको स्वीकार किया जाना चाहिए। आशा है कि सभा हमारे इस कदमकी ताईद करेगी। लेकिन मैंने समाजकी ओरसे इसकी स्वीकृतिका वचन नही दिया है। अन्य अवसरोपर मेरे दिमागमें बात बिलकुल साफ थी और मै जानता था कि समाज क्या चाहता है। परन्तु इस अवसरपर एक नई परिस्थिति सामने आ गई थी और ऐसी हालतमें समाजसे इसकी परिपुष्टि करा लेना मुझे बिलकुल जरूरी जान पडा। इस विषयपर मुझे भी अधिक सोचनेका समय नहीं मिल पाया था इसलिए मै समाजकी

ओरसे वचन कैसे दे सकता था? मैंने जनरल स्मट्ससे यही कहा था कि मैं अपने देश-वासियोको अपने पत्रकी भावनाके अनुरूप सलाह दे सकता हूँ, परन्तु मैंने समाजकी ओरसे कोई वचन नहीं दिया, इसलिए आप लोग बिलकुल स्वतन्त्र हैं और यदि आप चाहे तो समझौतेको अपने दिमागसे बिलकुल रद कर दें, परन्तु मेरा अपना विश्वास है कि इसे स्वीकार किया जा सकता है। समझौता हर तरहसे सम्माननीय और गरिमापूर्ण है और इसे स्वीकार करनेसे काफी कष्टोसे बचा जा सकता है। इतना ही नही, यदि हो सके तो हम चाहते है कि वाइसरायको भी अपने प्रति मैत्रीपूण बना लें। परन्तु यदि अन्त-करण गवाही न दे, यदि हमने जो शपथ ली है उसके यह प्रतिकूल जान पडे तो हम किसी दूसरेका मत स्वीकार नहीं करेंगे, फिर वह मत चाहे वाइसरायका हो, या श्री गोखलेका, अन्य मित्रोका अथवा सारी दुनियाका। परन्तु यदि अपनी शपथ निभाते हुए और अपने अन्त करणको सन्तुष्ट रखते हुए भी हम किसीकी बात मान सकते है तो हमें अपने मित्रो और विशेष तौरसे एक इतने भले वाइसराय, जिनके मुकाबले लॉर्ड रिपन और लॉर्ड विलियम बैन्टिकके अलावा शायद कोई दूसरा वाइसराय नहीं हुआ, की आशाएँ पूरी करनेकी अधिकसे-अधिक कोशिश करनी चाहिए और फिर अभी यह भी तो मालूम नहीं कि वाइसराय हमारे लिए आगे और क्या क्या करनेकी बात सोच रहे हैं। वाइसरायकी यही छाप हमारे मनपर पडती है और श्री ऐंड्रयूजने उनके उत्तम गुणोके बारेमें जो कुछ मुझे बतलाया है उससे यह और भी परिपुष्ट होती है। इस स्थितिमें हमें वाइसरायकी इच्छाओका ध्यान रखना चाहिए क्योकि अपनी शपथको भग किये बिना भी हम ऐसा कर सकते है। हमारे प्रतिष्ठित देशवासी, जिनको भारत पूजनीय मानता है और जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर चुके है और जो बीमारीके दौरान पलगपर पडे-पडे भी हमारे लक्ष्यके लिए प्रयत्नशील रहे है और जिनके किये वह विश्वविदित होनेके साथ-साथ भारतके कोने-कोनेमे गूँज गया है, वे श्री गोखले भी यही चाहते ह। लॉड ऍम्टहिल भी कहते रहे है "वे उच्च आदशको लेकर सघर्ष कर रहे है, उनकी विजय निश्चित है, पर अभी उनको आगे कार्रवाई नही करनी चाहिए, वे अपने पक्षकी न्यायपूर्णता यथेष्ट रूपसे प्रदर्शित कर चुके हैं, उन्होने ब्रिटेनकी जनताके अन्त करण तक अपनी आवाज पहुँचा दी है, मगर अब उनको आयोगके प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर देना चाहिए।" उनकी इस बातको हम स्वीकार नहीं कर सके थे, पर इस वर्तमान व्यवस्थाको हम स्वीकार कर सकते है। यह समझौता हर दृष्टिसे अच्छा, गरिमापूण और स्वीकाय हे।[1]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-१-१९१४

१ पोलक, सी० एफ० ऍड्रयूज़ और कैलेनबैकके भाषणोंके बाद, पारसी रुस्तमजीने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया था, जो सर्वसम्मतिसे पास हुआ था "नेटाल भारतीय सवके तत्त्वावधानमें हुई ब्रिटिश भारतीयोकी यह सभा सरकार और श्री गाधीके बीच सम्पन्न हुए अस्थायी समझौतेकी शर्तोंको सुननेके पश्चात् इसके द्वारा श्री गाधी द्वारा उठाये गये कदमकी ताईद करती है और पूरे हृदयसे आदरके साथ आशा करती है कि श्री गाधीके पत्रमें उल्लिखित भारतीय समाजका अनुरोध मान लिया जायेगा।"

२५३ तार . गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
जनवरी २६, १९१४

डर्बन, प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग और अन्य शहरोमे भारतीयोकी सावजनिक सभाओमे समझौतेका निर्विरोध अनुमोदन।

[अंग्रेजीसे]
टाइम्स ऑफ इंडिया, २८–१–१९१४

२५४. पत्र . भारतीय परिवेदना आयोगको

डर्बन
जनवरी २६, १९६४

अध्यक्ष
भारतीय परिवेदना आयोग
डबन

[महोदय,]

हमे मालूम हुआ है कि हमारी सजाओकी अवधि पूरी होनेके पूव ही हमे पिछले माहकी १८ तारीखको कारावाससे मुक्त करनेका कारण भारतीयोकी शिकायतोसे सम्बन्धित आयोग (भारतीय परिवेदना आयोग) की सिफारिश है। इसमे इसका मन्शा यह है कि भारतीय समाज अपना मामला तैयार करने और उसे आयोगके सामने पेश करनेमे हम लोगोसे जो सहायता लेना चाहे, ले सके। इसलिए हमे इस बातका बहुत ही अधिक खेद है कि हम लोग इस अवसरका लाभ उठानेमे असमथ है और इसके कारण हममे से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता [गाधीजी] और गृहमन्त्रीके बीच हुए पत्र व्यवहारमे[1] पहले ही बताये जा चुके है। हम समझते है कि उस पत्र-व्यवहारका आशय आयोगको पहले ही ज्ञात हो चुका है। तथापि अवसर देनेके लिए हम आयोगके कृतज्ञ है।

हमे हार्दिक विश्वास है कि उस पत्र-व्यवहारमे बताई परिस्थितियोमे आयोगके सामने हमारा उपस्थित न होना अशिष्टताका कार्य नही समझा जायेगा।

मो० क० गाधी
एच० एस० एल० पोलक
एच० कैलनबैक

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, २८–१–१९१४

१ देखिए अगला शीर्षक ।

२५५ स्मट्स-गाधी पत्र-व्यवहार

इन पत्रोका हमने [इस अकमे] अन्यत्र अनुवाद दिया है। हमे आशा है कि उन्हे प्रत्येक भारतीय ध्यानपूर्वक पढेगा। उनके ऊपर विस्तारसे चर्चा करनेके लिए हमारे पास न तो जगह है और न समय ही। इन दोनो पत्रोका साराश निम्नलिखित है

(१) आयोगके सम्मुख एक भी भारतीयको गवाही नही देनी चाहिए।

(२) आयोगमे सशोधन-परिवर्धन करनेके हमारे अनुरोधको सरकारने अस्वीकार कर दिया है।

(३) इसलिए यदि भारतीय गवाही देगे तो समाजकी प्रतिज्ञा भग होगी।

(४) सरकारने इस बातको स्वीकार किया है कि कमीशनके सम्मुख गवाही न देनेका हमारा उद्देश्य पवित्र एव धार्मिक है।

(५) चूकि हम आयोगके सम्मुख कोडे आदि पडनेके सम्बन्धमे गवाही नही दे सकते इसलिए दूसरी अदालतमे भी [इस सम्बन्धमे] गवाही देनेसे इनकार करना हमारी निर्बलताका द्योतक नही है। बल्कि इससे हम और भी अच्छे सत्याग्रही साबित होते हैं। हमारे इस रवैयेकी सरकार प्रशसा करती है।

(६) इधर कुछ दिनोसे हम इस बातपर जोर देते रहे हैं कि हमसे सम्बन्धित विषयोपर कारवाई करते समय सरकारको हमसे सलाह लेनी चाहिए, हमारी यह माँग स्वीकार कर ली गई है।

(७) अतएव हमारा सर बेन्जामिन रॉबर्टसनके सम्मुख अपनी बात रखना उचित ही होगा।

(८) सरकारने बताया है कि उसका इरादा हमारी मागोको स्वीकार करके जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कानूनमे परिवर्तन करके हमे सन्तुष्ट करनेका है, और सरकारको पूरी आशा है कि यह निकट भविष्यमे होनेवाले ससदके अधिवेशनमे सम्भव हो सकेगा।

(९) ऐसी परिस्थितिमे हमारे लिए यह उचित ही होगा कि हम सरकारको उसकी यह इच्छा पूरी करनेका अवसर दे और फिलहाल सत्याग्रहको फिरसे आरम्भ न करे।

(१०) सरकार अपनी ओरसे कोडे मारने तथा अन्य अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयोके सम्बधमे आयोगके सम्मुख नकारात्मक गवाही नही दे सकती।

(११) इस समय जेलोमें कैद सत्याग्रहियोको सरकार रिहा कर देगी।

सरकारका कहना है कि वह [भारतीयोको] जो कुछ देना चाहती है वह कमीशनकी माफत देगी।

यदि सरकार ऊपर कहे अनुसार कार्य करती है तो हम मान लेंगे कि इस महान सघषका अन्त आ गया है। लेकिन यदि सरकार ऐसा न करे तो भी हमारा कुछ नही बिगडेगा। हम तब और भी अधिक शक्ति लगाकर काम कर सकेंगे। हमने जो कदम उठाये है उनसे वाइसराय सन्तुष्ट हुए है और यहाके समाजमे अन्यथा जो उत्तेजना फैल सकती थी वह नही फैली है। इससे यह भी साबित होता है कि हमे सलाह देनेवाले भाई-बन्धुओकी सलाहका हम निरादर नही करते। और यदि हमे फिरसे सघष करना पडा तो ससारके सम्मुख सत्याग्रहकी प्रभा और अधिक बिखरेगी तथा हम सरकारके अन्याय और अत्याचारोको विशेष रूपसे प्रकाशमे ला सकेंगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१–१९१४

२५६. तार. गो० कृ० गोखलेको[1]

डर्बन
जनवरी ३०, १९१४

काग्रेसी सभामे सौसे[2] भी ऊपर व्यक्ति। गहरे मतभेद। बहुमतने साक्ष्य प्रस्तुत करनेके विरुद्ध मत दिया। आयोगके सामने अभी तक केवल तीन गिरमिटिया भारतीय पेश। सघषके आरम्भसे ही सत्याग्रहका विरोध करनेवालोके हाथ काग्रेसी सभाकी बागडोर। सभाको स्थानीय जनता महत्व नही देती। आम यूरोपीयोकी भावना हमारे पक्षमे होती जा रही है। सीनेटके एक प्रभावशाली सदस्य द्वारा कल फीनिक्समें गाधीजीसे व्यक्तिगत भेट। अत्यन्त मैत्रीपूण। वे समझौतेके लिए हर सहायताको तैयार। बीतेको बिसारनेकी सलाह। चिन्ता की बात नही।

[अग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इडिया, २–२–१९१४

१ यह तार गाधीजी और सी० एफ० ऐंडय़ूजने भेजा था।

२ डर्बनकी इस सभाके बारेमें रायटरकी दक्षिण आफ्रिका प्रेस एजेंसीने २८ जनवरीको निम्नलिखित समाचार प्रसृत किया था "आज रात नेटाल भारतीय कांग्रेसका एक सभामें निर्णय किया गया कि भारतीय जाँच आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। यह सस्था गाधीकी समर्थक नही है।" **रैंड डेली मेल**, २९–१–१९१४।

२५७. विवाहकी समस्याके बारेमे विचार[1]

फरवरी २, १९१४

मुसलमानो और हिन्दुओके एक पत्नी विवाहोको प्रवासी कानूनमे सशोधन करके या एक विशेष कानून द्वारा कानूनी बना दिया जायेगा। नये कानून द्वारा पजीयनकी एक व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसके अन्तगत पहलेके सभी एक पत्नी विवाहो-को पजिकाओमे दर्ज कर लिया जायेगा। तत्सम्बन्धी धर्मोके पुजारियो और मुल्लाओके पास ऐसी पजिकाये रहेगी और उनको सरकारी तौरपर अधिकृत विवाह अधिकारी मान लिया जायेगा। ऐसे विवाह उसी दिनसे वैध माने जायेगे जिस दिन वास्तवमे विवाहकी विधि सम्पन्न हुई होगी, चाहे वह दक्षिण आफ्रिकामे सम्पन्न हुई हो, या भारतमे। भविष्यमे होनेवाले विवाह भी यही पुजारी या मुल्ला अपनी अपनी धार्मिक रीतिसे सम्पन्न करायेगे, साथ ही, उनको पजिकाओमे दज कर लिया जायगा और फिर वर तथा वधूके जीवनपर्यत दोनोमे से किसीका भी अन्य किसी व्यक्तिके साथ विवाह इस प्रकार दर्ज नही किया जा सकेगा ओर न दोमे से किसी एकके जीवित रहते उसे वैध ही माना जायेगा।

वैधानिक रूपसे इसका नतीजा यह होगा कि हिन्दू और मुसलमान दोनो ही एकसे अधिक स्त्रीसे विवाह नही कर पायेगे, लेकिन यह कानून उसे ऐसी कई स्त्रियाँ रखनेसे नही रोकेगा, जिनको वह अपनी पत्नियाँ तो कह सकता है पर जिनको कानूनी तौरपर रखैल ही माना जायेगा। श्री गाधी कहते है कि यूरोपमे विवाहोकी वतमान स्थिति यही है। इसका यह अथ नही कि वे चाहते है कि राज्य बहुपत्नी विवाहोको मान्यता दे। लेकिन उनको आपत्ति इस बातपर है कि विवाहके समय वर या वधू किसी भी पक्षके लिए ऐसी घोषणा करना अनिवार्य नही होना चाहिए कि वह भविष्य-मे किसी भी अन्य व्यक्तिको जीवन साथी नही बनायेगा, क्योकि ऐसी कोई भी घोषणा करना अपने धमको छोडनेके बराबर ही होगा।

पहले सम्पन्न हुए विवाहके सिलसिलेमे एक ही विवाहिता पत्नी होनेकी घोषणा तभी की जा सकती है जब उसकी एक ही पत्नी हो।

तलाक

जिस विवाहको दक्षिण आफ्रिकाके काननके अन्तर्गत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ हो, उसका विच्छेद दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार ही किया जा सकता है। दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार व्यभिचारी या छोडकर भाग जानेवाली स्त्री को ही तलाक दिया जा सकता है।

टाइप की हुई अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९३०) की फोटो-नकलसे।

१ इस लेखकी टाइप शुदा प्रतिका शीर्षक है, "श्री गाधीकी स्थिति", और यह स्पष्ट ही गाधीजीसे बातचीत था भेंट करनेके बाद लिपिबद्ध किये गये गांधीजीके विचारोंका सार प्रस्तुत करता है।

२५८. पत्र : मणिलाल गांधीको

[फीनिक्स]
मंगलवार, [फरवरी ३, १९१४][1]

चि० मणिलाल,

तुम्हारे दोनों पत्र मुझे मिल गये। तुमसे बात नहीं हो सकी इसका मुझे भी खेद है। मिर्चे खाई इसका निःसन्देह मुझे बहुत बुरा लगा है। यह सम्भव है कि अभी उसका असर मालूम न पड़े परन्तु तामसी भोजनका अनिष्ट परिणाम हुए बिना नहीं रहता, यह ध्यान रहे। अपनी इन्द्रियोंको तुम जीत सकोगे तो भविष्यमें तुम्हें लाभ होगा यह मेरी मान्यता है। मैं यह नहीं देख पाया कि जेलके अनुभवसे तुम्हारी आत्मिक-स्थिति सुधरी हो। तुम्हें विचारवान होनेकी बड़ी जरूरत है। श्री ऐंड्रयूजके सम्पर्कमें हो यह तो अलभ्य लाभ है। इस अवसरपर अत्यन्त पवित्र जीवन बिता कर इसका लाभ लो यह मेरी इच्छा है। फिलहाल तो श्री ऐंड्रयूज तुम्हारे सम्बन्धमें बड़ा सन्तोष व्यक्त करते हैं।

पैसोंका पूरा हिसाब रखना। श्री ऐंड्रयूजका कोई भी काम करते हुए शरमाना नहीं। उनके पांव भी दाबना। एक बार मैं दाब चुका हूँ। इसलिए जानता हूँ कि उन्हें यह अनुकूल पड़ता है। उनके जूतोंको पोंछकर उनका फीता बांधना। मुझे पत्र हमेशा देना चाहिए। इसमें भूल न हो। तुम्हारा मिलना-जुलना किस-किससे होता है और कब क्या काम होता है इसकी दैनंदिनी रखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

बा की तबीयतके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेढ और देसाई आज यहीं हैं। लालबहादुरसिंह आदि भी हैं।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १००) से।
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी

१ गांधीजीने मणिलालको श्री ऐंड्रयूजके साथ नेटालके दौरेमें (३० जनवरी और ५ फरवरीके बीच) उनका सहचारी बनाकर भेज दिया था। पत्रकी हिदायतोंसे यह उसी प्रसंगमें लिखा गया जान पड़ता है।

२५९. देशनिकाला किन्हे होगा?

सत्याग्रह और शरीरबलके बीच, कई बार, ऊपरी तौरसे इतना कम भेद नजर आता है कि हम उसे देख ही नही पाते और सत्याग्रही तथा असत्याग्रही यानी शरीर-बलके हिमायती, दोनो दुविधामे पड जाते है। नेटालमे हमने हडताल की, वह हमारे हितैषियो एव मित्रोमे से अनेकोको नही जँची। उनकी मान्यता रही कि इसमे हम सत्याग्रहकी मर्यादाका उल्लघन कर रहे है। और हाल ही रेलवेके गोरोने जो हडताल की है उसे बहुतेरे भ्रमवश सत्याग्रह मान बैठे है। किन्तु उनकी हडताल और हमारी हडतालकी भूमिकाओमे उत्तर-दक्षिण जैसा अन्तर था और है। हमने जो हडताल की उसमे हमारा हेतु सरकारको तग करनेका नही था। हम तो उस माग-का अनुसरण करते हुए जेल जाकर दु ख भोगना और तपश्चर्या करना चाहते थे और उसका परिणाम भी यह दीख पडता है कि हम लगभग जीतके द्वारपर है। हमारी यह जीत भी भिन्न प्रकारकी है। हम कोई राजगद्दी नही माँगते। हम तो अपना स्वाभिमान — अपना धर्म — निबाहना चाहते है। हम तो स्वय अपने आपपर चाहे जितना दु ख पडे कदापि प्रतिपक्षीको शारीरिक कष्ट देना अथवा उसका पद नही छीनना चाहते। रेलवेवालोकी स्थिति इससे एकदम विपरीत है। उन्होने अपने स्वाभि-मानकी रक्षाके लिए सघर्ष नही छेडा है। धमसे उनका कोई सम्बन्ध नही है। उन्होने तो अपने वेतन आदिकी वृद्धि और अपनी आर्थिक स्थितिके सुधारकी बात सोची। उन्होने जो हडताल की वह जेल जानेके हेतुसे नही बल्कि सरकारको दबानेके इरादेसे की। सरकार यदि शस्त्र-बलका उपयोग करे और इन हडतालियोसे बने, तो वे भी शस्त्रबलसे उसका मुकाबिला करना चाहेगे। बन पडे तो वे राजगद्दी छीनकर उसका भी उपभोग करना चाहेगे। उनका तो अन्तिम उद्देश्य ही यह है। इसीलिए तो वे अपनेसे बढकर शरीरबलका प्रयोग कर सकनेवालोके समक्ष दीन बने हुए है। सरकारने भी बेधडक होकर अदालतो आदिमे ले जाये बिना ही उन्हे गुप्त रूपसे रातो-रात देशकी सीमाके बाहर कर दिया है। और फिर भी सारा जगत् उनके कायकी सराहना करता है और उन्हे बहादुर गिनता है। हमे देश-निकाला देनेपर सरकार एकदम जुल्मी कहलायेगी और यदि वह ऐसा करे भी तो उसे हँसते-हँसते सहन करना हमारा कर्त्तव्य होगा। सत्याग्रह और असत्याग्रहके बीच इस प्रकार एक महान् भेद है। हर भारतीयको यह भेद जान-समझ लेना चाहिए। सत्याग्रह कोई हार-जीत-की बाजी नही है। उसमे तो हार-जैसी कोई चीज ही नही है और शरीरबल तो हार-जीतका खेल है, जिसमे अधिक शक्तिशालीकी ही जीत होती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ४-२-१९१४

२६०. प्रवासी अधिनियम

इस अधिनियमकी व्याख्यासे प्रतिदिन नई कठिनाइया उपस्थित होती है। सबसे हालकी व्याख्या दाउद इस्माइल और दया पुरुषोत्तम बनाम प्रवासी अधिकारीके मामलेमे न्यायमूर्ति ब्रूमके निणयमे निहित हे। न्यायमूर्ति ब्रूम द्वारा की गई अधिनियमकी व्यारया-के अनुसार जो लोग सघमे प्रवेश करना चाहते हो उनके सम्बन्धमे पिछले सालके अधिनियमके अन्तगत प्रवासी अधिकारी द्वारा दिये गये निणयपर सर्वोच्चन्यायालय निषेधाज्ञा भी जारी नही कर सकता। हम जिस मामलेपर विचार कर रहे है उसके सम्बन्धमे यही हुआ है। इसलिए यदि न्यायमूर्ति ब्रूमका निणय चलता है, तो जैसाकि प्रस्तुत मामलेमे हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय छोटे अधिकारियोकी मूखताके कारण होनेवाली न्यायकी हत्या रोक सकनेमे असमथ होगा। जैसा कि न्यायमूर्ति ब्रूमने स्वय कहा, प्रस्तुत मामलेमे न्यायका उद्देश्य केवल इसीलिए पराजित नही हुआ कि अदालतसे अनुचित रूपसे सहायताकी प्राथना की गई, बल्कि इसलिए भी हुआ कि निषेधादेश देनेवाली अदालतने अनुचित रूपसे सहायता दी। यदि कानूनका सही अथ ऐसा ही है तो प्रत्येक भारतीय पूर्णत प्रवासी अधिकारियोकी दयापर निभर है। पीडित पक्षके लोगोको अदालत केवल इतनी ही सान्त्वना दे सकी कि उन्हे सरकारी पक्षका खर्च नही बर्दाश्त करना पडा, यद्यपि उन्होने मुकदमा अनियमित ढगसे दायर किया था। यह ठीक है कि अदालतको विवश होकर ही वैसा निणय देना पडा। परन्तु हम अनन्तकाल तक ऐसी सहानुभूति-पर जीवित नही रह सकते, जिसका कोई उपयोगी परिणाम न निकले। यह मामला तो इसी प्रकारके अनेक मामलोका एक नमूना मात्र है। अधिनियमकी प्रत्येक धारा — यहाँ तक कि रक्षात्मक धाराएँ भी — ज्ञान अथवा अज्ञानवश, अधिवासी भारतीय जनता-को तग करनेके लिए बनाई गई प्रतीत होती है। फलत यह कानून व्यवहारमे न केवल भारतीयोके आव्रजनका निषेध करता है बल्कि सघमे बसी भारतीय आबादीकी कानून-सम्मत स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र आवागमनमे भी हस्तक्षेप करता है।

अधिनियमके अन्तगत नेटालके लिए जो अपीलेट बोड बनाया गया था और जो अब खत्म हो गया है, उसने हालमे जिस मामलेका निणय किया है' उसे ही लीजिए। उसमे श्री बिसने बोर्डका निणय सुनाते हुए बडी हिचकिचाहटसे एक ऐसे आदमीको राहत प्रदान की जिसके पास पुराने अधिनियमके अन्तर्गत जारी किया गया अधिवासका प्रमाणपत्र था और उस प्रमाणपत्रसे वह पूणत पहचान लिया गया था। तब यह हिचकिचाहट क्यो थी? किसी भारतीयसे यह क्यो कहा जाना चाहिए कि वह याद करे और बताये कि पन्द्रह साल पहले क्या हुआ था? जायदाद पत्र एकबार दे देनेके बाद फिर उनपर आपत्ति नही की जा सकती। वे स्वामित्वके पक्के प्रमाण होते है। तब अधिवास-प्रमाणपत्रके साथ दूसरी तरहका व्यवहार क्यो किया जाता है? ये प्रमाण-पत्र बाकायदा पूरी छानबीन, और कई मामलोमे तो बहुत परेशान करनेवाली जाँचके बाद दिये गये थे। अब किस अधिकारसे उनपर ऐतराज किया जाता है? अगर यह

अधिनियम प्रवासी अधिकारियोको ऐसे अधिकार देता है तो जितनी जल्दी उसे सशोधित कर दिया जाये उतना ही सरकार और इस कानूनसे पीडित लोगो, दोनोके लिए, अच्छा होगा।

पर, उपर्युक्त कानूनी कारवाइयोसे भी ज्यादा अमगलसूचक तो जो चीज है वह शायद कठोरताके साथ अधिनियमको लाग किया जाना है। यह स्पष्ट है कि यदि अधिकारियोने पुन प्रवेशके इच्छुक लोगोके प्रति — उन लोगोके प्रति नही जो सघमे प्रवासके इच्छुक थे — अपने कत्तव्यका पालन किया होता तो ये मुकदमे हर्गिज न उठते। केप और बसूटोलैडके लोगोके खिलाफ तो, जिन्हे अन्य प्रान्तोमे जाते समय निरन्तर फ्री स्टेटसे गुजरना पडता है, अधिनियमको अमल देनेमे अधिकारी, निश्चित रूपसे, पागलो-जैसा व्यवहार कर रहे है। हर बार उनसे अस्थायी परवाना लेनेकी उम्मीद करना उनके ऊपर अनुचित कर लगाना है और परवानोके लिए प्रार्थनापत्र देनेवालोको अनावश्यक रूपसे तग करना है। भारतीय यात्रियोको कही भी बिना रोकटोकके जाने देनेके पुराने रिवाजसे प्रशासनको कभी कोई कठिनाई नही होती थी, और उसे ही जारी रखना चाहिये।

एक लडकेके साथ प्रिटोरियामे हुई घटना भी इसी प्रकारकी है। अधिनियमका मतलब कुछ भी हो, यह निश्चित है कि जो लडका असन्दिग्ध रूपसे अपने पिताका पुत्र है और जिसकी माँ मर गई है, उसे ट्रान्सवालमे प्रवेशका अधिकार है। सरकार प्राय इस बातके लिए वचनबद्ध है कि कमसे-कम प्रशासनिक रूपसे वह ऐसे बच्चोको दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले अपने माता-पिताओके पास आने दे। प्रिटोरियावाले मामलेमे अपीलेट बोडने अधिनियमकी व्याख्या भी भारतीय प्रार्थीके पक्षमे की है। फिर भी सरकार सन्तुष्ट नही है। उसे तो उस अपीलेट बोडके निणयोको भी उलटनेका प्रयत्न करना है जिसे उसीने नियुक्त किया है और जिसे जो अधिकार दिये गये है वे प्रशासन द्वारा पीडित लोगोकी अपेक्षा मुख्यत प्रशासनका ही बचाव करनेके उद्देश्यसे दिये गये है। यह तथ्य कि सरकार अधिनियमकी उदार व्याख्याको चुनौती दे रही है, प्रकट करता है कि वह जिस सख्तीके साथ अधिनियमको अमलमे ला रही है उसी सख्तीके साथ उसकी व्याख्या भी कराना चाहती है। अगर हमे इस देशमे मनुष्यके रूपमे रहना है तो इस कुत्सित भावनाके विरुद्ध हमे लडाई लडनी ही होगी।

[अग्रजीसे]

इडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६१ नेताओंसे अपील

श्री आगलिया तथा श्री दादा उसमानके बयान हमने ध्यानपूर्वक पढे है और हम विचारपूवक ही लिख रहे है कि इन दोनो नेताओने कौमको नुकसान पहुँचाया है। आयोगके सदस्य उनका बखान करे, इसका कोई मूल्य नही हे। उन्होने जो गवाही दी है उससे ऐसा लगता है मानो परवानो और प्रवासके सम्बन्धमे जिन कष्टोका उन्होने उल्लेख किया है, वे केवल उतने ही है। इस प्रकारका बयान देकर उन्होने [हमारी मागकी] एक सीमा बाँध दी। गनीमत इतनी है कि उनका बयान समाजकी ओरसे कही गई अन्तिम बात नही है। उनकी माग स्वीकृत हो जाये तो भी बहुत सी बाते बाकी रह जाती है। और जबतक उन सबके विषयमे निबटारा नही हो जाता तबतक भारतीय समाजकी ओरसे सत्याग्रह छिड जानेकी सम्भावना सदैव ही बनी रहेगी। यदि इनका विचार साक्ष्य पेश करनेका ही था तो उनका कर्त्तव्य था कि सारी बाते एकत्रित करके किसी विश्वासपात्र वकीलसे उसका सार निकलवानेके बाद ही उन्हे पेश करते। वैसे समाजके प्रति उनका सर्वोपरि कत्तव्य तो यह था कि हजारो लोगो द्वारा पास आयोगके बहिष्कारके प्रस्तावको मानकर चुप रह जाते। और यदि बयान देना ही था तो फिर उन्हे सतकतासे सभी बातोकी जाँच कर लेनी थी। उनकी गवाहियोका जो कटु परिणाम हुआ है वह यह है कि श्री विनकॉलने हमारे विरुद्ध बहुत सख्त बयान दिया। श्री विनकॉलने जो तथ्य पेश किये यदि वे ठीक होते तो हमारे लिए फिर कुछ भी कर सकना सम्भव न रहता, किन्तु हम जानते है कि उनका बयान सही नही है। और उनके दिये हुए कई तथ्य बिलकुल गलत है। जो लोग नेता कहलाते है उन्हे अपना कत्तव्य ध्यानमे रखना चाहिए। उन्हे बयान देने ही थे, तो पर्याप्त साक्षियाँ पेश करके प्रमाणित भी करना था। जब आयोगके समाप्त हो जानेका समय आ गया तो उन्हे जैसे-तैसे, तत्काल जिम्मेदारीसे बरी हो जानेकी दृष्टिसे श्री सुकरकी तरह ऐसा नही करना चाहिए था। आयोग बैठनेको है यह खबर एक माह पहले मालूम हो गई थी। अत उन्हे तभीसे तैयारी शुरू कर देनी थी ताकि सप्रमाण बयान पेश कर सकते। इन्ही कारणोको लेकर हमे यह मानना पडता है कि इन दोनो नेताओने समाजके प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करनेके बजाय उसे हानि पहुँचानेवाला कार्य ही किया है। साथ ही उनका आभार भी मानते है कि उन्होने आयोगके सामने समाजकी कच्ची-पक्की बातें नही रख दी। श्री आगलियाने कहा कि उन्हे समस्त जाने-माने प्रतिष्ठित भारतीयोकी ओरसे बोलनेका अधिकार है। ऐसे किन प्रतिष्ठित भारतीयोकी ओरसे वे बोले? और यदि श्री आगलियाका दावा सही है तो उन प्रतिष्ठित भारतीयोपर हमे दया आती है और हमे उनके लिए दु ख है। हमारी रायमे ऐसा कहकर श्री आगलियाने भूल की है तथा अपनी स्थिति और अपने दायित्वका कोई खयाल नही किया।

श्री सुकरके सम्बन्धमे हम कुछ नही कहना चाहते। यह नौजवान सज्जन तो अपने दपमे ही चूर है। और श्री ऐय्यरके बारेमे भी क्या कहें? उन्होने बिना समझे-

बूझे ही बयान दे डाला है। यह अवश्य उनकी भलमनसाहत है कि उन्होने जो कुछ कहा उसे किसीका प्रातिनिधिक वक्तव्य नही बताया। उन्होने साफ कहा कि वे किसीकी ओरसे बयान नही दे रहे है और उनकी कही गई बातोकी जिम्मेदारी भी उनकी अपनी है। अत उनकी गवाहीसे किसी बडी हानिकी सम्भावना नही है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६२. विवाहके सम्बन्धमे

हम जानते है कि इस देशमे आज विवाहका प्रश्न अत्यधिक गम्भीर होता चला जा रहा है। इस प्रश्नको लेकर आयोग भी दुविधामे पड गया है। उसे लेकर स्थानीय कानूनमे महत्वपूण परिवतन करनेका प्रश्न खडा हो गया है। श्री आगलिया आदिने इस सम्बन्धमे जो बयान दिये है, हमारी समझमे वे भ्रमपूण है। यह प्रश्न इतना जटिल है कि इन्हे इसमें हाथ ही नही डालना चाहिए, और यदि डाला ही था तो पूरी समझदारीके साथ हाथ डालते। इस प्रश्नके मूलमें क्या है, जरा इसपर विचार करे। श्री काछलियाने जो पत्रव्यवहार किया है उसका सार तो यह है कि जिस भारतीयका विवाह एक ही स्त्रीसे हुआ है उसीका विवाह कानूनी तौरसे जायज माना जाये। और जिसके एकसे अधिक पत्नियाँ हो और वह यदि पुराना निवासी हो तो उसकी सभी पत्नियोको तथा अवयस्क सन्तानोको सरकार मेहरबानीके तौर पर दाखिल होने दे। यदि कोई भविष्यमे दो शादियाँ करता है तो उसे भी अपनी एक पत्नीको लेकर इस मुल्कमे प्रवेश करनेकी अनुमति मिले। इसमे उपर्युक्त अतिम दो प्रकारकी स्त्रियोको अन्य कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होगे। ऐसा कहकर हम भविष्यके लिए किसी बन्धनमे नही बँध जाते। आयोग कुछ ऐसी माँग करता नजर आता है कि वह पुरुष जिसके एक ही पत्नी है यदि अपने विवाहको कानूनन जायज करवाना चाहता है तो उसे, जबतक उसकी पहली पत्नी जीवित है, दूसरी शादी न करनेकी शपथ लेनी चाहिए, उसका विवाह तभी एक पत्नी विवाह माना जायेगा। श्री गाधीने इस दलीलके विरुद्ध एक सख्त आपत्ति उठाई है और कहा है कि इस प्रकारके शपथ-पत्रपर हस्ताक्षर करनेका मतलब तो विवाह या शादीके बारेमे हिन्दू और मुसलमान धर्मको न माननेके बराबर होगा। यह दूसरी बात है कि कानून एक ही —— प्रथम —— पत्नीको मान्यता दे। इसमे हिन्दू या मुसलमान किसीके भी अपने धर्मके विरुद्ध आचरण करनेकी बात नही आती। ऐसे विवाहको जायज मान लेनेसे तो सैकडो भारतीयोके अधिकार सुरक्षित हो जाते है क्योकि सैकडो भारतीय केवल एक ही स्त्रीसे विवाह करते है। और एक पत्नीकी स्वीकृतिके लिए सरकार वचन-बद्ध है। यहाँका कानून भी इसे मान्य करता है। आयोग हो या कोई और हमे भविष्यके लिए बाँध रखनेका किसीको अधिकार नही है। निश्चित ही, एक पत्नी विवाह कानूनन मान्य

हो जानेसे दूसरा विवाह करनेकी परिपाटी मन्द पड जानेकी सम्भावना है। और ऐसा कौन पति होगा जो एक स्त्रीको धम-पत्नी और दूसरीको रखैल कहलवाना चाहेगा?

हम ऊपर जो बातें स्पष्ट कर चुके हैं उनसे कम कोई बात स्वीकार करना सम्भव नही है। और इससे अधिक पा सकना भी प्राय असम्भव है। अत हमारे लेखे अधिक पानेके लिए सत्याग्रह छेडना उचित नही हो सकता। यदि उपरोक्त सुझावोके अनुसार माँगें प्राप्त हो सके तो सम्भव है हमारे धर्मोका सम्मान बना रहे और सैकडो गरीब भारतीयोके बाल-बच्चे सुखी हो सके।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ११–२–१९१४

२६३ प्रवासके महत्त्वपूर्ण मामले

नेटालमे प्रवास-सम्बन्धी दो महत्त्वपूण मुकदमे हुए हैं। हमे अन्य बातोके विषयमे लिखना था इसलिए उनके सम्बन्धमे जानकारी देनेका हमे अबतक अवसर नही मिल सका था। अब अवसर मिला है। एक मामलेका निणय न्यायमूर्ति ब्रूमने दिया है। यह मामला विचित्र है। इसमे तो ऐसा मौका था कि इससे सम्बधित भारतीयोको यह देश बिलकुल ही छोड देना पडता। परिस्थिति यह थी प्रार्थी, एक भारतीय, पिछले अक्तूबरमे देशसे आया, उसे प्रवासी-अधिकारीने प्रवेश करनेकी मनाही कर दी। प्रार्थीने उसके विरुद्ध कानूनी कारवाही नही की। और वह भारत वापस चला गया। जनवरी महीनेमे प्रार्थी फिर आया। प्रवासी अधिकारीने उसे फिर रोका। इस बार प्रार्थीके वकीलने सर्वोच्च न्यायालयसे निषेधादेश प्राप्त कर लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी अधिकारी प्रार्थीको प्रवेश न करन देनमे असमर्थ रहा। आखिरकार महान्यायवादीने मामलेकी पूरी जाँच की और उसे पता चला कि प्रार्थीको गलत तरीकेसे निकाल दिया गया था जबकि उसे तो नेटालमे निवासका अधिकार था। महान्यायवादीके इस प्रकार कबूल करनेपर उसे निवासका हक तो मिल गया किन्तु प्रवासी-अधिकारीको निषेधादेश मिलने तक प्रार्थीका जो खच हुआ उसे कौन दे, अदालतके सम्मुख इस प्रश्नका निबटारा करना अभी बाकी था। इसका फैसला न्यायमूर्ति ब्रूमने दिया कि प्रवासी अधिकारीके आदेशके विरुद्ध [सर्वोच्च न्यायालयसे] निषेधादेश प्राप्त करनेका अधिकार कानूनमे नही है। कानूनके मुताबिक अधिकारीके आदेशका निषेध तो केवल घूसखोरी और भ्रष्टाचारमे ही हो सकता है। इस मामलेमे यह स्थिति नही थी। फिर भी अदालतको यह प्रतीत हुआ कि अधिकारीने प्रार्थीको निकाल बाहर करनेमे जल्दबाजी और भूलकी है। अत कानूनके मुताबिक भी यदि निषेधादेश नही मिलता तो अन्याय होता और प्रार्थीका हक मारा जाता। अत अदालतने निणय दिया कि खर्च दोनो पक्ष स्वय आपसमे बाँटकर सहन कर ले। इस निर्णयसे हमारा हित नही होता। न्यायालय यदि अधिकारीकी बेहूदा जल्दबाजीको लेकर बीचमे न पडे तो अधिकारी स्वच्छन्दता और मगरूरीसे मनमाने हुक्म निकालते रहे। जहाँ लोगोके हकका प्रश्न हो उसमे यदि

व्यवस्थापकोको निरंकुश सत्ता दे दी जाये तो अन्याय हुए बिना नही रह सकता। न्यायमूर्ति ब्रूमका निणय उचित है यह नही कहा जा सकता। निषेधादेश देनेकी सत्ता तो अदालतको सदा ही है और इसी प्रकारका अवसर पुन आये तो हम मानते है कि मामलेको सीधे ब्लूमफॉन्टीन ले जाना चाहिए। इस बीच सरकारसे लिखा-पढी भी की जानी चाहिए।

दूसरा मामला श्री बीन्सके फैसलेका है। श्री बीन्स अब प्रवासी अपील अदालत छोड चुके है। जिस विषयपर हम लिखना चाहते है यह उनका अन्तिम फैसला है। इस निर्णयमे न्याय किया तो गया है परन्तु यह न्याय अनिच्छापूवक किया गया है और भारतीय समाजपर डक तो मारा ही है। न्यायमूर्ति ब्रूमने अन्याय किया है किन्तु उन्होने उसे प्रसन्नतापूवक नही किया है। इस प्रकार न्यायासनपर बैठनेवाले दो व्यक्तियोके मत भिन्न-भिन्न है। श्री बीन्सने जिस तफसीलपर फैसला दिया है, वह साधारण है। इस मामलेमे प्रार्थीके पास १८९६ का प्रमाणपत्र था। इसी प्रमाणपत्रके आधारपर वह दो बार भारत गया और वापस लौटा। जब वह तीसरी बार आया तब अधिकारीने उसे रोक दिया और इसलिए अपील दायर की गई। बीन्स साहबने अशोभनीय ढगसे कहा कि प्रार्थी झूठा है, किन्तु उसे निकाल बाहर करनेकी उनकी हिम्मत नही हुई। जो मनुष्य दो बार आ-जा चुका है उसे किस प्रकार भगाया जा सकता है? इस कारण और चूंकि अधिकारीको यह स्वीकार करना पडा कि प्रमाणपत्र भी इसी व्यक्तिने लिया था, इसलिए भी बीन्स साहब अपना निर्णय उसके विरुद्ध न दे सके। पक्षमे फैसला देते हुए भी वे कह बैठे कि अधिकारीने जो रोक लगाई वह तो ठीक ही किया। उन्होने यह भी कहा कि ऐसे मामले तो फौजदारी अदालतमे पेश किये जाने चाहिए। और इसी इरादेसे उन्होने प्रार्थीके बारेमे सारे प्रमाण सरकारी वकीलके पास भेज दिये है। ऐसी विकट है हमारी स्थिति। कानन भी सख्त और उसका अमल भी सख्त, तिसपर नीचेकी अदालतोमे सुनवाई होना भी कठिन। इतना सब होते हुए भी इस मामलेका यह नतीजा तो निकल ही सकता है कि जो लोग अपने ही प्रमाणपत्रोके आधारपर प्रवेश कर चुके है उन्हे एकाएक निकाल देनेमे अधिकारियोको मुश्किल अवश्य पडेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६४. नाबालिगोके अधिकार

प्रिटोरियामे हाल ही एक बडा महत्वपूण प्रवास-सम्बन्धी मुकदमा हो गया है। प्रवासी-अधिकारीने एक मुसलमान लडकेको प्रवेश करने देनेसे रोक दिया। इस सम्बन्धमे उसने जो अन्य बेतुके कारण बतलाये उनकी तो हम यहाँ चर्चा ही नही करना चाहते। हम तो केवल कानूनी पेचीदगीकी छानबीन करेगे। प्रवेश-निषेधका कारण यह था कि वह बालक मुसलमानी विवाहसे उत्पन्न हुआ था और मुसलमानी विवाहको कानून मा यता नही देता है अत उससे उत्पन्न सन्तान प्रवेशकी हकदार नही है। इस निणयके विरुद्ध प्रार्थीने अपील दायर की। यह अपील प्रिटोरियामे नियुक्त नये निकायके समक्ष पेश हुई। इससे सम्बद्ध कानूनके खण्डके अनुसार प्रवेशके हकदार पुरुषकी पत्नी तथा उसके वयस्क बच्चे प्रवेश कर सकते है। और इस प्रकार प्रवेश पानेवालोमे कानून द्वारा मान्य एक-पत्नीक विवाह प्रणालीके अनुसार ब्याही गई स्त्री तथा उस व्यक्तिकी सन्ताने भी शामिल है। अदालतने इस खण्डका अथ प्रार्थीके हितमे किया। अदालतकी दलील यह थी, "औरत तो वही प्रवेश पा सकती जो कानूनन विवाहिता हो परन्तु यह नियम नही है कि बच्चे केवल उसीके आ सके। बच्चे तो विवाहित या अविवाहित माता-पिताके भी आ सकने चाहिए। इसमे उन बच्चोका समावेश आप ही हो जाता है जो कानूनन विवाहित दम्पत्तिके है। इसमे उन बच्चोका प्रवेश निषेध नही है जो उन दम्पत्तियोके है जिनका विवाह कानूनन जायज नही है पर जो साथ रहते है।" इसी दलीलके आधारपर अदालतने अपना फैसला प्रार्थीके पक्षमे दे दिया।

अदालतकी इस दलीलसे हम धोखेमे न आयें। यह दलील कोई बहुत वजनदार दलील नही मानी जा सकती। यदि अदालतकी यह दलील उचित है तो वह स्त्रियो-पर भी लागू होगी। कानूनके इस खण्डमे "स्त्री" और इसी प्रकार "बच्चे" शब्दका दो स्थानोमे उल्लेख है। अदालतमे एक स्थानपर तो "बच्चे" शब्दका प्रयोग भिन्न रूपसे किया है परन्तु "स्त्री" शब्दका प्रयोग दोनो स्थानोपर एक-सा ही किया है। ऐसा करते हुए अदालतने जो दलील पेश की है वह यद्यपि ठीक है परन्तु वजनदार नही है। अत अदालतके इस निर्णयसे हम निश्चिन्त नही हो सकते। लेकिन अदालतने जो अथ किया है वह यदि ठीक ही हो तो हमे स्वीकार करना होगा कि विवाहके प्रश्नको लेकर बच्चोके सम्बन्धमे हमारी मॉगका बल कुछ कम हो जायेगा। बिना विवाहके पैदा हुए बच्चोको आनेका हक प्राप्त हो जाता है तो उससे सारे हक प्राप्त हो जाते है, यह नही माना जा सकता।

अदालतका फैसला प्रवासी-अधिकारीको ठीक नही जँचा इसलिए उसकी माँगपर मुकदमा सर्वोच्च-न्यायालयमे जायगा। अब वहाँ जो हो जाये सो ठीक। यह मुकदमा प्रवासी-अधिकारी यानी सरकार ही ऊपर ले जायेगी। अत इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारकी नीति स्पष्ट नही है। इतना ही नही बल्कि कानूनका अर्थ भी वह सख्त करना चाहती है और इन उपायोके जरिये हमारा उन्मूलन करना चाहती है। हमे यह

समझना चाहिए कि हमने ऐसी मनोवृत्तिके विरुद्ध सही सत्याग्रह किया है। पर केवल एक बार सत्याग्रह करनेसे ही हमारे दु खोका अन्त नही होगा बल्कि जब-जब हमारे कष्ट असहनीय हो उठे तब-तब हमे इस हथियारका प्रयोग करना होगा। ऐसा बारबार करने पर ही सरकारको हमारी ताकतका अन्दाजा होगा और वह हमारी समुचित माँगोसे परिचित होगी तथा अपना हठ छोडेगी।

इस मुकदमेसे हम यह भी देख पाये है कि नये अपील निकायके बननेसे बडा सुधार हुआ है। हमे दृढ विश्वास है कि पुराना अपील निकाय उपर्युक्त फैसला हरगिज नही देता। पुराना अपील निकाय तो जैसा [निर्णय] उसने कुलसम बीबीके मुकदमेमे डबनमे किया था वैसा ही [निणय] वह इस लडकेके मामलेमे प्रिटोरियामे भी करता।

इस मामलेमे प्रार्थी जिस चतुराईसे लडा है हम उम्मीद करते है, कि वह इसी खूबीसे सर्वोच्च-न्यायालयमे भी लडेगा। यह मामला मजबूत नही है, हमने यह कहा है पर इसका मतलब यह नही कि इस मामलेमें कोई दलील ही नही। यदि सर्वोच्च-न्यायालय उदार दिलसे विचार करेगा तो प्रार्थीके पक्षमे दी गई दलील कायम रखेगा और यदि ऐसा हुआ तो सारी स्त्रियोके बच्चे आ सकेगे। और यदि निणय [हमारे] विरुद्ध हो जाये तो भी हमे निराश होनेका कोई कारण नही है, क्योकि हम विवाह सम्बन्धी जो महान सघष कर रहे है उसमे इसका फैसला भी हो जाता है। इस मुकदमेके आधारपर हम यह अच्छी प्रकारसे जान सकते है कि हमारा सघष कितना जबरदस्त है और उसमे से कितने महत्त्वपूण परिणाम निकलनेकी सम्भावना है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ११–२–१९१४

२६५ हमारी आशाएँ

एक सज्जनका पत्र है

आपको अच्छा अवसर हाथ लगा है। फिर ऐसा अवसर हाथ नही आयेगा। इस समय भारत आपको जैसा सहयोग दे रहा है, और आज चारो ओर जैसी सहानुभूति है भविष्यमे फिर ऐसा सुयोग आते नहीं दिखता। अत आज सम्पूर्ण नागरिक अधिकारोकी माँग करनी चाहिए। इस माँगमें सभी बातें आ जानी चाहिए। ताकि हमारी जनताको पुन कष्ट न उठाने पडें। अत जो मामले सामने हैं उनके अलावा जमीन-सम्बन्धी अधिकार, स्वर्ण-कानून, टाउनशिप ऐक्ट, डर्बनमें परवानेकी छूट, ट्रान्सवालके परवाने आदि प्रश्न हैं इनके विषयमे भी भविष्यमें कोई अडचन खडी न हो। इनके अलावा मताधिकार, नये स्टेशनोपर यहूदियोको दूकानें रखनेकी अनुमति और भारतीयो-पर उसकी रोक, रेलके आरक्षित डिब्बोमें बारह-बारह मनुष्योका ठूँसा जाना, आदि बातें हैं जिनकी जानकारी आपको भी होगी। अत मुझे लिखनेकी आवश्यकता तो नहीं है फिर भी मैं सहज ही लिखे दे रहा हूँ। मतलब यही है कि ऐसा अवसर पुन नहीं आयेगा अत हमें अपने अधिकार प्राप्त कर लेने चाहिए।

इस पत्रका मिलना ठीक ही हुआ। जैसा एक व्यक्ति लिखता है वैसा ही बहुतेरे अन्य लोग भी सोचते होगे, ऐसा हम मानते है। लेकिन हमे कहते हुए खेद होता है कि ऐसी आशाएँ सफल नही होगी। क्योकि हर बातकी तरह सत्याग्रहकी भी एक सीमा तो है ही। उससे कितना ग्रहण किया जा सकता है यह समझ लेना ही सत्याग्रहकी सफलताकी प्रथम सीढी है। हमे यह नही भूलना चाहिए कि सत्यके मार्गसे असत्य प्राप्त नही किया जा सकता। हम यदि मॉगोको बढाते है तो यह असत्य होगा। सत्याग्रहसे तो अनेक वस्तुएँ मिल सकती है, परन्तु यदि हम अनिवार्य रूपसे सत्यका आग्रह न रखे तो वे कदापि नही मिलेगी। उदाहरणार्थ हमे ट्रान्सवालमे जमीन सम्बन्धी हक मिलने चाहिए। परन्तु इस सघर्षमे हमारी यह माग नही है, अत इस अवसरपर हम यह मॉग नही कर सकते। निकट भविष्यमे भी यह मॉग करने योग्य ताकत हमे समाजमे दिखाई नही देती। इस बारके सत्याग्रहमे गिरमिटिया भारतीयोने तो धरती ही हिला दी। इन्हीके बलसे भारत गूज उठा। परन्तु इस ताकतसे जमीनके हक प्राप्त नही किये जा सकते। मताधिकारके लिए हममे अनेक बातोकी कमी है। उसे दूर किये बिना मताधिकार मिल भी जाये तो वह निरर्थक है, ऐसा हम मानते है। हमे इसमे भी कोई सन्देह नही है कि मताधिकारके लिए हमे अभी बहुत समय लगेगा। उसके लिए तो स्वय भारतको स्वतत्र रूपसे जागृत होना पडेगा। स्वर्ण कानून, परवाना आदि बातोके लिए खण्ड ५ मे व्यवस्था है। किन्तु इस खण्डसे भी स्वर्ण-कानून या परवाने की तकलीफे रफा नही होगी। यदि इन बातोकी हदतक सरकारकी ओरसे हमे ऐसा विश्वास मिल जाये कि इनका अमल न्यायोचित ढगसे होगा तो यह एक तरीका हो सकता है और हम बिना सत्याग्रह किये ही राहत प्राप्त कर सकते है। रेल आदिके कष्टोके लिए भी स्वय हममें दम चाहिए। यदि किसी डिब्बेमे ६ लोग बैठे हो तो सातवॉं व्यक्ति बहादुर होना चाहिए। यदि वह दूसरे डिब्बेकी मॉंग करे तो कडक्टरको देना ही पडेगा। जबतक हम स्वय लतियाये जानेके लिए तैयार है तो मारनेवाला तो तैयार बैठा ही है। यदि ऐसी बातोमें प्रत्येक व्यक्ति स्वय खबरदार नही रहेगा तो वह कुचल दिया जायेगा और हम कुछ नही कर सकेगे। अलबत्ता पत्र लिखे जा सकेगे, और यह जवाब भी मिल जायेगा कि "भविष्यमे ध्यान रखा जायेगा।" किन्तु कडक्टरोकी मनमानी फिर भी चलती रहेगी। ये शब्द तो प्रत्येक सघर्षके समय घोषित किये गये है कि "फिर ऐसा मौका नही आयेगा, ऐसा सघर्ष बार-बार नही होता।" किन्तु १९०७ के सघर्षसे १९०८ का सघर्ष भारी हुआ। उससे भी भारी १९१३ का हुआ। १९०७-८ मे जितने लोग जेल गये उससे कही बहुत अधिक १९०८-११ मे गये। और १९१३ मे तो हद ही हो गई। और अब आगे जब कभी सघर्ष छिडेगा तो उससे भी अधिक अच्छा छिडेगा। यह हमारे ही हाथमे है। हमारे सामने बढियासे-बढिया भोजन रख दिया जाये तो भी हम आवश्य-कतानुसार ही खा सकते है। यदि अधिक खा लिया जाये तो हानि होगी, और मृत्यु भी हो सकती है। यही बात उचित अवसरकी है। सुअवसर है तो भी हमारी जो मागे है हमे उन्हीको पाकर सन्तोष करना होगा और तभी भविष्यमे आनेवाला मौका इससे बढकर होगा। हमारा विश्वास है कि यदि हम अपनी मॉगोमें जरा भी वृद्धि करे तो यहा और भारत दोनो ही स्थानोमे सहानुभूति खो बैठेगे। "समाजपर फिर सकट न आये"

ये शब्द तो भीरुता भरे हैं। बिना कष्टके तो समाज मजबूत नही बन पायेगा। आगे बढनेमे प्रत्यक कदमपर कष्ट होगा ही। जो कुछ उठाना पडा है वह कष्ट नही है, उसे आवश्यक परिश्रम मानना चाहिए। इस प्रकारके कष्ट हमपर न पडे ऐसी इच्छा रखना प्राकृतिक नियमोके भग होनेकी कामना करनेके समान है। कोई भी काय बिना मेहनतके सफल हुआ हो ऐसा उदाहरण हमने इस पृथ्वीपर नही देखा और न इतिहासमे ही पढा है।

अन्तमे भारतीयोको विचारपूर्वक यह समझनेकी आवश्यकता है कि हम जो माँग पहले कर चुके है उसमे कम-अधिक न करना ही सत्याग्रहका प्रथम सूत्र है। और दूसरा सूत्र यह है कि जो-कुछ सत्याग्रहसे प्राप्त हुआ है वह सत्याग्रहसे ही स्थायी रखा जा सकता है। सत्याग्रहके जरिये मिलने योग्य वस्तु सत्याग्रहके द्वारा अवश्य प्राप्त होती है। सत्याग्रहमे "हार" शब्द है ही नही यह इसका तीसरा सूत्र है। यदि इतना समझ लिया जाये तो गलतफहमी दूर हो जाये और समाज बहुत आगे बढ जाये, यह हमारा दृढ मत है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ११–२–१९१४

२६६ पत्र · रावजीभाई पटेलको

[केप टाउन]

रविवार, [फरवरी ५, १९१४ के बाद]

भाई श्री रावजी भाई,

आपसे मेरा पिछले जन्मका कोई लेना-देना है। नही तो मुझे आपका इतना प्यार पानेका क्या अधिकार है? और फिर जब मै बडे सकटमे था तब आपने जो प्रेम दिखाया उसका वणन नही किया जा सकता। वह आप दोनोकी आत्माको और भी अधिक तेजस्वी बनाये, यही मेरी कामना है। और आप यह कामना करे कि उस प्रेमके अनुभवसे आत्माकी शक्तिके विषयमे मेरा विश्वास और भी दढ हो। एक जरा-सी प्रतिज्ञा, अर्थात् तपश्चर्याके प्रति आदर भाव यदि इतना सब प्राप्त कर सकता है तो तपश्चर्यापर आचरण करनेसे कितना प्राप्त होगा, इसका अनुमान नही लगाया जा सकता। इस बातको समझना उतना ही सरल है जितना त्रैराशिक-नियमोको समझना। यह वास्तवमे ऐसा ही है। प्रतिज्ञा न लेता तो मुझे शुद्ध प्रेमका अनुभव नही होता, और जितनी जल्दी सत्यका पता चला उतनी जल्दी उसका पता न चलता और बच्चे भी निर्दोष साबित न होते।[1]

१ फीनिक्सकी एक अध्यापिका धैरतबेनने कुछ विद्यार्थियोके साथ पकौड़े खाकर आश्रमके नियमोंका उल्लंघन किया था। यद्यपि गाधीजीके पूछनेपर उसने इस बातको माननेसे इनकार कर दिया, लेकिन जिस दिन पश्चातापके लिए गाधीजीने अनिश्चित काल तक उपवास रखनेका निश्चय किया उसके एक दिन बाद उसने अपने अपराधको स्वीकार कर लिया।

चि की मैंने जिस ऊँचाईपर कल्पना की थी वह अब वहाँसे नीचे उतर आई है। फिर भी मेरा मन कहता है कि वह पुण्यात्मा तो है ही। उसमे सद्गुण बहुत है। उनको विकसित करना हमारा कत्तव्य है। हमे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे उस (कृत्य) की याद न आये। उसे गृह-कार्यमे कुशल होनेमे प्रोत्साहन देना। बालकोमे से उसका कोई अपमान न करे इसका ध्यान रखना।[1] रातकी कथाको जारी रखना। बालकोको पाँच बजे उठानेकी जिम्मेदारी रा के ऊपर है [2]। मगनभाईकी तबीयतका समाचार नियमपूर्वक मिलना चाहिए।

मोहनदासके यथायोग्य

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीजीना पत्रो और गाधीजीनी साधना

२६७. आगलियाकी गवाही

श्री आगलिया हमारे द्वारा की गई टीकापर श्री गाधीको इस प्रकार लिखते है

मैंने जो गवाही दी है आपने अपने "इडियन ओपिनियन"में उसकी टीका की है। मैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ। मुझे बडा खेद है कि मेरी पूरी गवाही गुजरातीमें प्रकाशित होनेके पूर्व ही आपने अपनी राय उसपर दे दी है। क्या ऐसा करना आपके और आपके पदके योग्य है? तो भी मैं मानता हूँ कि यह पत्र समाजका है और आप भी कहते है कि समाजकी सेवा करना आपका काम है। अत आप यदि समाजकी सेवा ठीक तौरसे करना चाहते है तो आगामी अकमें इस गवाहीको पूरा-पूरा छाप दें। और इसके बाद आप चाहें जैसी टीका करे। पर जबतक आप इसे प्रकाशित नहीं कर देते तबतक लोग इसपर अपना निर्णय किस प्रकार दे सकेंगे?

पूरी गवाही प्रकाशित करनेका इरादा तो हमारा है ही। वैसे स्थानीय अखबारोमे प्रकाशित गवाही सभी देख चुके होगे ऐसा हम मानते है। पर हमारे पास तो अक्षरश रिपोट है। इस रिपोटके मुताबिक गुजरातीमे पूरी गवाही छाप देनेका विचार है जिससे किसी प्रकारका अन्याय न हो। हमने स्वय भी अखबारोमे प्रकाशित गवाही पढकर ही अपनी टीका की है। और यदि अक्षरश गवाही पढनेपर हमे अपना अभिप्राय बदलनेकी जरूरत महसूस हुई तो हम अवश्य वैसा करेगे। चूकि अखबारोमें प्रकाशित ब्यौरा हमे ऐसा कुछ खराब लगा कि गवाहीकी पूरी प्रति देख लेने तक रुकना हमे ठीक नही जान पडा। समयपर सचेत कर देना हमने अपना कर्त्तव्य समझा। यदि अखबारोमे प्रकाशित गवाही सही नही थी तो श्री आँगलिया तथा श्री दादा उस्मानका यह फज था कि वे अखबारको उचित सुधार करनेके लिए उस समय पत्र लिखते। खैर, हमने

१ और २ प्रस्तुत साधन सूत्रमें इन स्थानोंपर कुछ हिस्से छोड दिये गये है।

२६९ तार · गो० कृ० गोखलेको

केप टाउन
फरवरी १९, १९१४

गोखले
सर्विडिया
पूना

'केप टाइम्स' मे अग्रलेखके साथ ऐन्ड्रचूजका पूरा भाषण प्रकाशित। गवर्नर-जनरलके समापन-भाषणके अन्तिम शब्दोका समाचार निम्नलिखित रूपमे ठाकुर-का व्यक्तित्व भारतके आदशपूग राष्ट्रीय जीवनकी चरम अभिव्यक्ति। सभ्यता और जीवनकी उच्चतर अवस्था तक पहुँचनेके प्रयासमे भारत शायद ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागोसे कही ऊँचा। उनका विश्वास कि ऐन्ड्रचूजका भाषण भारत और दक्षिण आफ्रिकाके बीचकी समस्याके समाधानमे बहुत उपयोगी। उन्होने दक्षिण आफ्रिकामे अधिक सौहाद्र उत्पन्न करनेके ऐन्ड्रचूजके सभी प्रयत्नोके लिए धन्यवाद दिया।

गाधी

प्राप्त अग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८५२) की फोटो नकलसे।
सौजन्य सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२७०. पत्र रावजीभाई पटेलको

केप टाउन
माघ वदी १२, सवत १९७० [फरवरी २१, १९१४]

भाईश्री रावजीभाई,

आपका पत्र मिला । चि० मणिलालको यहाँसे भेजना उद्देश्य नही था। उसे यहाँके विलासपूण वातावरणसे हटाना था । चि० जमनादासको भी इसी कारण वहाँ भेजा गया है । मै यह मानता हूँ कि जिसे ब्रह्मचयका पालन करना हो उसे वैभवशाली वातावरणमे नही रहना चाहिए। बा की तबीयत अच्छी रहती जान पडती है। इस बातका विशेष ध्यान रखना कि लडके वहाँ फिरसे परिश्रमी हो जाये और सवेरे जल्दी उठनेमे जरा भी प्रमाद न करने पाये। मगनभाईकी[1] तबीयत कैसी रहती है? विस्तारसे समाचार देना। इमाम साहबकी पत्नीको असुविधा न हो, ऐसा उपाय करना। उनके

१ पटेल।

लिए किसी विशेष प्रकारके भोजनकी जरूरत महसूस हो तो मैं समझता हूँ कि वह बनाया जाये अथवा उसे बनानेकी इजाजत दी जाये। यह उचित होगा।

श्री ऐड्र्यूजने निस्सन्देह बहुत बडा काम किया है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीजीना पत्रो और जीवननु परोढ

२७१. तार: गो० कृ० गोखलेको

केप टाउन
फरवरी २४, १९१४

रैव्ररेण्ड श्री ऐड्र्यूज शनिवारको इग्लैड रवाना। जानेसे पहले चर्च कौसिलकी एक बैठकमे भाषण। उसमे बोलनेके लिए मुझे भी आमन्त्रण। वाइस चासलर (उपकुलपति) की अध्यक्षतामे श्री ऐड्र्यूज द्वारा रवीन्द्रनाथ और उनके सन्देशके बारेमे विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोके समक्ष भी एक भाषण। भारतीय समाजने सावजनिक सभामे उनको विदाई दी। कई अग्रेज श्रोता भी उपस्थित थे। उनके कामका आम असर अत्यन्त अनुकूल रहा। सर्वश्री ऐन्ड्र्यूज और पियर्सनके शिष्टमण्डलके लिए भारतीय हृदयसे कृतज्ञ। कई यूरोपीयोने, जिनमे मन्त्री लोग भी है, इस यात्राके परिणामपर सच्चा सन्तोष व्यक्त किया। श्री ऐड्र्यूजने चारो ओर सहानुभूति और स्नेहका वातावरण बनाया और शीघ्र समझौतेकी दिशामे अधिक योग दिया।

गाधी

[अग्रेजीसे]

सर्वेण्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी

२७२ पत्र रावजीभाई पटेलको

केप टाउन
माघ वदी ३०, [फरवरी २४, १९१४][1]

भाईश्री,

जे के बारेमे लिखा हुआ तुम्हारा पत्र मैने डॉक्टरको भेज दिया है और म वाले पत्रको पढकर फाड दिया है। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा पत्र उसके हाथमे देनेसे उसपर गलत असर होता। अब सोचता हूँ कि अपने यही उद्गार तुम स्वय उसे लिख भेजो। उसके बारेमे मेरा बहुत बुरा खयाल बन गया है — तुमने जो विवरण

१ यह पत्र १९१४ में उस समयका लिखा हुआ जान पडता है जब गाधीजी स्मट्सके साथ समझौता-वार्ताके लिए केपमें थे।

लिखकर भेजा है उससे भी कही अधिक। मुझे ऐसा लगा कि यदि वह तुम्हारा पत्र पढता तो तुमपर, जितना तुम सोचते हो, उससे कही अधिक नाराज होता और स्वय पापका भागी बनता। इसलिए पहले तो मै यह सोचता रहा कि यह पत्र उसे भेजू अथवा नही और अन्तमे उपर्युक्त निश्चय किया।

इसमे तो कोई सन्देह नही, जिनपर हमे श्रद्धा हो उनसे कोई चीज छिपाने अथवा उनके मनपर अपने बारेमे झूठी छाप डालनेसे कभी अपना भला नही होता। इसीलिए जे० और के पापको घोर पाप माना है। अपने जबरदस्त पाखण्डके कारण ही वे ऐसे घोर पाप कर सके है। यदि उनका धोखा देनेका मन न होता तो वे आवेशमे पशु बनकर, फिर एकदम मनुष्य बन जाते, और विषय-भोगको छोड देते। जान पडता है, [एक] अब ठीक रास्तेपर आता जा रहा है और दूसरा मोहजालमे फँसा हुआ और दभमे डूबा हुआ है।

[मोहनदासके आशीर्वाद]

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीजीना पत्रो

२७३. यादगारमें

दूसरे स्तम्भमे हम सत्याग्रहकी वेदीपर अपने प्राणोका उत्सग करनेवाली एक अन्य हुतात्मा कुमारी वलिअम्मा मूनसामीकी दु खजनक मृत्युका समाचार प्रकाशित कर रहे है। कुमारी वलिअम्मा बीस वषसे कम अवस्थाकी एक तरुण महिला थी। वे उन निष्ठावान भारतीय महिलाओमे से थी जिन्होने एक ऐसे विवाह-कानूनके विरोधमे जेल-यात्रा की, जो उनके माता-पिताके विवाहका अपमान करता था और खुद उनके जन्म-पर कलक लगाता था। घर लौटनेके दो ही दिन बाद उनका आकस्मिक और अप्रत्याशित निधन अत्यन्त शोकजनक है। भारतकी इस श्रेष्ठ कन्या-रत्नने निश्चल मनसे अपने सरल कर्त्तव्यका पालन किया। उसने स्त्रियोचित धैय, स्वाभिमान और गुणका ऐसा उदाहरण उपस्थित किया है जिसको, हमें विश्वास है, भारतीय समाज कभी नही भूलेगा। हम भारतकी इस हानिपर शोक प्रकट करते है और वलिअम्माके कुटुम्बके प्रति अपनी अत्यन्त सम्मानपूर्वक सहानुभूति प्रकट करते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २५–२–१९१४

२७४ एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मृत्यु

हमे यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुख होता है कि जेलमे लम्बी बीमारी भोगनेके बाद घर आकर इसी २२ तारीखको जोहानिसबगके श्री आर० मूनसामी मुदलियारकी सबसे बडी कन्या, कुमारी वलिअम्मा, का देहान्त हो गया। मालूम हुआ है कि सजा मिलनेके बादसे ही वे शय्याग्रस्त हो गई थी और रिहाईके बाद भी काफी बीमार बनी रही। स्वर्गीया कुमारी वलिअम्माका जन्म १८९८ मे जोहानिसबगमे हुआ था। उन्होने गवनमेट स्कूलमे शिक्षा पाई। पिछले २९ अक्तूबरको वे सत्याग्रहकी लडाईमे शामिल हुईं और महिलाओके एक दलके साथ न्यूकैसिल रवाना हुईं। बादमे उन्होने चाल्सटाउन, डडी, लेडीस्मिथ, डेनहॉजर, मैरित्सबग, टोगाट और डबनके कायमे मदद दी। उन्होने ट्रान्सवालकी सीमाको पुन पार किया, और अपनी माता तथा अन्य लोगोके साथ उन्हे फोक्सरस्टमे २२ दिसम्बर, १९१३ को तीन मासके सपरिश्रम कारावासकी सजा हुई, और अस्थायी समझौतेकी शर्तोंके अनुसार इस माह ११ तारीखको उन्हे रिहा कर दिया गया।

उनके पिता ट्रान्सवालके प्रारम्भिक भारतीय अधिवासियोमे से है। वे भी एक बार सत्याग्रहीके रूपमे जेल भोग चुके थे। पिछली लडाईके समय वे बहुत बीमार थे और एक आपरेशनके बाद अस्पतालसे हाल ही मे लौटे थे। हम [वलिअम्माके] माता-पिताके शोकमे सम्मिलित है और उनकी अपूरणीय क्षतिके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करते है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २५-२-१९१४

२७५ पत्र . जमनादास गाधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन सुदी २, १९७० [फरवरी २६, १९१४]

चि० जमनादास,

देखता हूँ, तुमने और मणिलालने इस बार मुझे समझनेमे भूल की है। यदि मुझे तुम्हे रखनेमें तुम्हारा भला दीख पडता तो मै अपने स्वाथकी दृष्टिसे भी तुम्हे जानेकी अनुमति नही देता। यहाँ के वातावरणके विरुद्ध मै नही लड सकता था। वातावरणका कैसा सूक्ष्म प्रभाव होता है, इस बातका तुमने विचार नही किया। डॉ० गुलकी कीमत मै तुम सबसे अधिक जल्दी पहचान सका हूँ। लेकिन जैसे तुम्हारी कीमत जानते हुए भी मै तुमको निर्बल और बालक मानता हूँ और दूसरोको तुम्हारी देखरेखमें

रखते हुए हिचकिचाता हूँ वैसे ही तुम-जैसे निमल युवकोको मै डॉ० गुलके साथ रखते हुए झिझकता हूँ। डॉ० गुल स्वय जानते है कि वे भी निरे बालक है और अपने दोषोको पहचानते है, इसी कारण उन्होने अपने सगे भाईको अपनेसे दूर रखा है। [१] उद्धत ओर रागी स्वभावके है। तुम भी उनके समान उद्दण्ड और रागी स्वभावके हो जाओ, यह मै नही चाहता। तुममे इसकी विवेक-बुद्धि नही हे। अगर वह होती तो मुझे इतनी सख्त बाते कहनेकी कोई जरूरत ही न पडती। तुम्हारे प्रति मेरे मनमे जो अत्यधिक स्निग्धता है, वही तुम्हे इसबार जलानेवाली प्रतीत हुई। ऐसा होता ही है। अब तुम शान्त हो जाओ। मैने बिना सोचे-समझे कदम नही उठाया है। तुम मुझपर वकीलकी तरह बहस करनेका जो आरोप मढते हो, सो उचित नही है। एक बार पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था। मुझे अपने विषयमे ऐसा अनुभव होता जाता है कि विश्लेषण करनेकी और अच्छे बुरेको पहचाननेकी मुझमे विशिष्ट शक्ति है। इसीसे मेरे द्वारा किया गया सूक्ष्म तर्क, सामने बैठे हुए व्यक्तिको, वकालत करनेके समान लगता है। फिर भी यदि तुम अपने बचावमे अथवा मेरी भूल सुधारनेके लिए कुछ कहना चाहो तो निश्चिन्त होकर कहना। यह तुम्हारा कत्तव्य है। मेरी आज्ञा है कि तुम मुझे हमेशा पत्र लिखा करो। बा की तबीयत [अभी] वैसी ही है। खतरा टला नही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
जीवननु परोढ

२७६. पत्र: मणिलाल गांधीको

[केप टाउन
फरवरी २६, १९१४के आसपास][२]

[३]मेरे ऊपर निर्दयताका आरोप लगाकर तुमने अनजानमे ही पाप किया है। [४]मै पन्द्रह दिनके अन्दर ही निदय बन गया? ऐसा दूसरोको तो नही लगा। फीनिक्समे भी किसीको ऐसा नही लगा। बा का तो कहना है कि मै उसके प्रति अत्यन्त कोमल बन गया हूँ। अगर मै तुम्हारे प्रति निर्दय बन जाऊँ तो मुझमे यदि कोई साधुता है तो वह जाती रहेगी और मै समझूंगा कि मेरा जीवन व्यथ ही गया।

लेकिन अभी फिलहाल, मै तुम्हे निर्दय जान पडूंगा, उसमे कोई सन्देह नही। जिस मोहके वशीभूत होकर मै तुमपर छाये हुए मोहको देखनेमे असमर्थ रहा वह अब नष्ट हो गया है और [उसके स्थानपर] केवल निर्मल प्रीति रह गई है। वह प्रीति अभी तुम्हे निर्ममता ही जान पडेगी क्योकि मुझे एक वैद्यकी भाँति तुम्हे कडवी औषधि पिलानी पड रही है। मै तुम्हे [५] पूण बनानेके लिए अधीर हो रहा हूँ।

१ मूल सूत्रमें ही यहाँ कुछ शब्द नहीं मिलते।
२ यह पिछले शीर्षक—"पत्र जमनादास गांधीको"—के साथ ही लिखा गया जान पड़ता है।
३, ४, ५, ६ मूल सूत्रमें ही यहाँपर कुछ शब्द नही मिलते।

अधीर होना मेरा दोष है। उस हृदतक मै मुग्ध प्रेमी हूँ। तुम मेरे बच्चे हो इसलिए यह मोह अभी गया नही है। इस मोहके टूट जानेपर तुम्हें जो निदयता मुझमे दिखाई देती हे वह भी कदाचित दिखाई नही देगी। उस दिनके आने तक तुम मुझे निभाओ।

अब तुम्हारे पत्रकी विरोधोक्तिके सम्बन्धमे। मेरे कटु वचन बोलनेके कारण [जैसा कि तुम कहते हो] तीन दिन तक तुम केप टाउन देखने नही गये। लेकिन तुमने जाते समय मेरे कटु वचन कहनेके बावजूद केप टाउन देखनेकी इच्छा प्रकट की थी। ये कटु वचन तो रविवारको भी [जैसेके-तैसे] थे। क्या मुझे निदयी मानकर तुम मेरे साथ रहकर कुछ सीख सकते थे? तुमने टेबल माउटेन घूमनेकी तीव्र इच्छा प्रकट की थी। तब मैंने तुम्हे जो यह कहा कि तुम और भी [चीजे] देखोगे, उसमें तुम्हे क्या बुराई दिखाई दी?

लेकिन हुआ सो हुआ। मेरे दोषोको न देखना तुम्हारा कत्तव्य है। बच्चोमे इतनी भक्ति होनी चाहिए कि वे बापके दोषोको न देखे और उसके गुणोका ही विचार करे। तुममे भी वैसी श्रद्धाकी कामना करता हूँ। मै तुम्हे साधु नही बनाना चाहता। मै तुम्हे शुद्ध आचरण करते हुए देखना चाहता हूँ। तुममे सत्य, शील, सरलता, कोमलता, गरिमा, नम्रता और साधुता देखनेकी इच्छा करता हूँ। तुममे ससारके साधारण सुखोके प्रति विरक्तिकी भावना देखना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी बाते तो तुममे नजर नही आती। मै कोई काम करता हूँ इसलिए तुम्हे भी वही काम करना चाहिए सो बात नही। लेकिन यह कामना करता हूँ कि तुम मेरे मार्मिक उद्गारोको समझकर अपना जीवन सफल बनाओ।

यह पत्र चि जमनादासको भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
जीवननु परोढ

२७७ पत्र: गो० कृ० गोखलेको

केप टाउन
फरवरी २७, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

फिलहाल मै केप टाउनमे घटनाओका रुख देख रहा हूँ। मै सघषके बारेमे कोई सूचना देकर आपको कष्ट नही पहुँचाना चाहता। मै जितना भी सक्षेपमे लिख सकता हूँ, लिखूगा।

सर्वश्री ऐन्ड्रयूज और पियसन सचमुच अच्छे लोग है। हम सब उन्हे बहुत चाहते है। सर बेजामिनने हमे निराश कर दिया हे। उन्होने कोई भलाई तो की ही नही है, पर वे नुकसान काफी कर सकते है। वह कमजोर है और किसी भी प्रकारसे सच्चे नही है। सारी तफसील तो वे शायद अभी तक नही समझ पाये है। और निस्सन्देह वे जाने-अनजाने हममे फूट डाल रहे है। श्री ऐन्ड्रयूज आपको उनके बारेमे

सब कुछ बतायेंगे। परन्तु मैंने सोचा कि मुझे भी सर बेंजामिनके बारेमें अपने खयालत आपको बता देने चाहिए।

यदि मार्चमें समझौता हो जाता है तो मैं अप्रैलमें भारतके लिए रवाना हो जाना चाहता हूँ। मेरे साथ शायद करीब २० आदमी, औरतें और बच्चे होंगे, जो मेरे साथ रहेंगे। इनमें वे विद्यार्थी बच्चे भी शामिल हैं जिनके आनेकी सम्भावना है। मुझे पूनामें कहाँ रहना चाहिए — सर्वेन्ट्स ऑफ इंडियाके क्वार्टरोंमें या किसी और जगह? आप क्या चाहते हैं? अपने परिवारके लोगोंसे एक बार भेंट कर चुकनेके बाद ही मैं जैसा आप ठीक समझेंगे करनेको तैयार रहूँगा। ऐसी सम्भावना है कि मेरे साथ रहनेवाले लोगोंकी संख्यामें कुछ वृद्धि हो जाये, क्योंकि मेरे कुटुम्बके कुछ सदस्य शायद मेरे जीवन और कार्यमें हिस्सा बँटाना चाहें। कृपया आप अपनेको मुझे सोसाइटीके क्वार्टरोंमें रखनेको बाध्य न मानें। मैंने अपने-आपको आपके सुपुर्द कर दिया है। मैं आपके चरणोंमें बैठकर सीखना, और आवश्यक अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके नेतृत्वमें आपके पास रहूँ अथवा न रहूँ, भारत आनेके बाद एक वर्ष तक ईमानदारीसे मौन रहनेके समझौतेका पालन करूँगा। मौन रहनेकी शपथमें, जैसा कि मैंने उसे समझा है, दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न शामिल नहीं है और आपकी इच्छापर किसी ऐसी योजनाकी प्रगतिके लिए, जिसके बारेमें हम दोनों ही एकमत हों, यह शपथ भंग भी की जा सकती है।

आप मेरी वर्तमान आकांक्षा जानते हैं। आज तो वह बस यही है कि मैं आपके समीप एक सेवक और परिचारक बनकर रहूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्तिकी आज्ञा माननेका सच्चा अनुशासन पाना चाहता हूँ जिसके प्रति मेरे मनमें स्नेह और आदर है। मैं जानता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें मैं आपका अच्छा सचिव साबित नहीं हुआ। मुझे आशा है कि सचिवकी तरह मेरी सेवाएँ स्वीकार की गईं तो मैं मातृभूमिमें बेहतर काम करूँगा।

यूरोपकी जलवायु और अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमें आपके स्वास्थ्यको लाभ हो, यह मेरी कामना है।

यह पत्र आपको लगभग मार्च महीनेके मध्यमें मिलेगा। यदि आप मुझसे मेरे कार्यक्रमके सम्बन्धमें कुछ कहना आवश्यक समझें तो आप तार तो देंगे ही। मैं यह भी मानता हूँ कि आप यह नहीं चाहेंगे कि आपके लौटनेसे पहले मैं पूना जाऊँ। फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं अवश्य चला जाऊँगा।

यदि मैं भारतके लिए अप्रैलमें रवाना हो सका, तो जो रकम आपने भेजी है, मैं उसका उपयोग सब लोगोंकी यात्रा-टिकट खरीदनेमें करूँगा। ये सभी टिकट डेकके होंगे। मेरे पास अपना कोई जरिया नहीं है, और फीनिक्स तो पैसेकी कोई मदद कर ही नहीं सकता। उसका कोष बिल्कुल खाली हो चुका है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७४) की फोटो-नकलसे।

२७८ तार: गो० कृ० गोखलेको

[केप टाउन]
फरवरी २८, १९१४

[गोखले]
सर्विडिया
पूना

खातेमे लगभग अठारह हजार शेष।

मूल तार (सी० डब्ल्यू० ४८५४) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य सर्वेन्ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी।

२७९ पत्र. जमनादास गाधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन सुदी ३, १९७० [फरवरी २८, १९१४]

चि० जमनादास,

एक [पत्र] के सिवाय तुम्हारी ओरसे फिर न कोई तार और न कोई पत्र ही मिला। लगता है, तुम्हारे मनमें गुस्सा भरा है। किम्बर्लेसे लिखा गया तुम्हारा पत्र उचित नही है। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार यही अवज्ञापूर्ण था, तब पत्रकी शिकायत करना व्यर्थ है। तुम दोनोके पत्रोसे पता चलता है कि तुम्हे केप टाउन अनुकूल नही पडा [1] फीनिक्समे मै किसीके व्यवहारसे क्यो परेशान नही हुआ? भूलता हूँ, एक अपवाद है। कुमारी श्लेसिन। लेकिन वह तो अन्तमे अपना दोष देख सकी। पहले तो उसने मुझे परेशान ही किया। [लेकिन] तुम दोनो तो मेरे, दोष देखनेमे ही लग गये। कामना करता हूँ कि गम्भीरतासे विचार करो ताकि तुम्हारा मन शान्त हो जाये। मै आज मणिलालको पत्र नही लिख रहा हूँ इसलिए यही पत्र उसको भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
जीवननु परोढ

१ यहाँ मूल सूत्रमें ही कुछ शब्द नहीं हैं।

२८० पत्र : मणिलाल गाधीको

७ 'बिटेनसिंगल'
[केप टाउन]
फाल्गुन सुदी ३, [फरवरी २८, १९१४][१]

चि० मणिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे दु ख होता है, यह मै समझता हूँ। कोई पूछता हे कि कैसे आये तो तुम्हे कारण बतानेकी हिम्मत नही पडती। "मेरा रहन-सहन पसन्द नही आया, इसलिए बापूने एकान्तमे रहनेके लिए भेज दिया है", ऐसा कहनेमे कोई दिक्कतकी बात नही है। बा की सेवा-टहलसे छुट्टी दी, अपने आरामकी परवाह किये बिना तुम्हे जानेकी अनुमति दी, यह सब अत्यन्त निर्मल प्रेमके कारण ही सम्भव हुआ होगा, तुम्हे यह समझ लेना चाहिए। तुम्हारी सेवा-भावनासे अधिक मुझे तुम्हारे सदाचरणकी आकाक्षा हे। तुम यदि सदाचरणमे न फिसले तो समझूगा कि मुझे सब-कुछ मिल गया। बा को भी यही समझाता हूँ कि तुम्हारा जाना ठीक ही हुआ। पिछले चार दिनोसे देख रहा हूँ कि भोजनकी मेजपर दिनमे तीन बार मास परोसा जाता है। मैने खानेका समय बदल दिया है और अपना खाना जल्दी खा लेता हूँ। मुझे कल मेजपर मास देखना पडा, उससे मन, बहुत अकुलाया और मै दु खी हुआ। अब तो मैने निश्चय किया है, जहाँतक हो सके, अपना [खानेका] समय उनके साथ रखूँगा ही नही। इसमे उनका दोष नही है। वे शुद्ध मनसे कहते है कि मै अपने खानेका समय बदल लूँ। पहले मुझे इतनी परेशानी नही होती थी, जितनी अब होने लगी है। यह अच्छी निशानी है। और वे सब-कुछ पकाते है, इसमे उनका दोष नही। लेकिन मै तुम्हे ऐसी स्थितिमे नही डालना चाहता। मेरे साथ बा न हो तो मै पकी हुई कोई चीज ही न खाऊँ। अब तो सब-कुछ पकाया जाता है। बन [मीठी मोटी रोटी] बनाया जाता है, मुरब्बा बनता है और मूगफलीको भी पकाया जाता है। मैने उपर्युक्त कारणोसे तुम्हे [वहाँ] भेजा, सो बात नही। लेकिन वह सब देखकर लगता है, ठीक ही हुआ। जबतक श्री ऐड्रयूज़ थे तबतक वे तुम्हारे लिए ढाल-स्वरूप थे, लेकिन तुम्हारी खातिर मास न पकता, ऐसा सम्भव न होता। तुम्हारे जानेसे तुम्हारा हित ही है। बा की अथवा मेरी सेवा अगर तुम्हें करनी होगी तो तुम्हे वैसा अवसर अवश्य मिलेगा। तुम्हारी दृढ इच्छा होगी, तभी वह अवसर मिलेगा अथवा मै अपने स्वार्थके वशीभूत होकर तुमसे सेवा करवा कर बिगाडना चाहूँ तब मिलेगा। दूसरा विकल्प न हो इसलिए

१ इस पत्रमें ऐन्ड्र्यूज़का जिक्र आया है उससे लगता है कि यह उनके २१ फरवरी, १९१४ को दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेके बाद लिखा गया है। उस वर्ष फाल्गुन सुदी ३ को फरवरीकी २८ तारीख पड़ी थी।

तुम्हारे प्रयत्नोपर ही सेवा निर्भर करती है। इस पत्रके रहस्यपर समझकर विचार करना। बापूपर रोष न करना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५०)से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी।

२८१ पत्र . खुशालचन्द गाधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन सुदी ४, [मार्च १, १९१४]

आदरणीय श्री खुशालभाई,

मेरी बात मानकर आपने चि० जमनादासको भी भेज दिया है, इससे मेरी खुशीका कोई पार नही है। चि० जमनादास जिस उत्साहसे आया उसीसे जेल गया और वहाँ अपनी बहादुरी दिखाई। जेल जाते समय और जेलमे भी उसने जिस हिम्मत और सूझ-बूझका परिचय दिया है, वह पहली बार जेल जानेवाले व्यक्तियोमे शायद ही मिले। मुझे अभी तो ऐसा कोई उदाहरण याद नही आता। जमनादासका व्यवहार तो ऐसा-कुछ रहा जैसे वह [जेलके कष्टोका] अनुभव पहले कर चुका हो। इसका मतलब यह है कि उसने दूसरोके अनुभवोपर बारीकीसे ध्यान देकर उनसे शिक्षा ली है। कई लोग ऐसे होते है, जो जबतक स्वय ठोकर न खा ले तबतक सीख नही पाते। परन्तु जमनादासमे मैंने दूसरोके अनुभवसे सीख सकनेका गुण देखा है। अत्यन्त मननशील होनेके कारण वह थोडा ढुलमुल जरूर है, पर यह बात समयके साथ जाती रहेगी, ऐसा मै मानता हूँ। उसका स्वास्थ्य ठीक है।

उसके विवाहके सम्बन्धमे अभी कुछ कहनेके बदले अच्छा तो यह होगा कि हम जब मिलेगे तभी चर्चा करे। आपके लिखनेका मतलब मै समझ गया हूँ। सारी परिस्थितिका विचार करके ही जो करना ठीक होगा, करेगे। मेरी समझमे आपकी अनिवार्य आवश्यकताओकी पूर्ति करनेमे नारणदास[1] पूर्ण समर्थ है। मेरा खयाल है, अपनी सेवाके लिए यदि आप किसी पुत्रको अपने पास रखना चाहे तो एक पुत्र काफी है। इस विषयमे भी हमारा साथ बैठकर विचार करना ही ठीक होगा। यदि यहाँ समझौता हो गया तो अप्रैलमे निकल पानेकी उम्मीद है। और यदि सघर्ष फिर छिड गया तो विचार करनेकी कोई बात ही नही रह जाती। उस हालतमे जमनादासको भी पूरी तरह सघर्षमे उतरना होगा। जमनादासके अन्तरमे जो रत्न भरे है उन्हे बाहर प्रकट करनेकी मेरी बडी अभिलाषा है। मै देखता हूँ कि आपके सबके-सब पुत्र[2] अपने

१ श्री खुशालचन्दका तीसरा पुत्र।

२ जमनादासके अतिरिक्त छगनलाल, मगनलाल और नारणदास।

कुटुम्ब, समाज और जगतको सुशोभित करनेवाले हैं। इनमे भी कम-सयोगसे चि० जमनादास सबसे आगे निकलता दिखता है। कुदरतके नियमसे भी ऐसा ही होना चाहिए। जमनादास चारो भाइयोमे छोटा है। मतलब यह कि जमनादासके जीवको आप दोनोने जब आकर्षित किया उस समय आप दोनोकी आत्मिक स्थिति विशेष परिपक्व हो चली थी। स्वाभाविक ही है कि जमनादासकी आत्मिक स्थिति भी वैसी ही हो। उमे अन्य तीनो भाइयोकी अपेक्षा दूसरे अनेक विशेष अनुकूल सयोग भी प्राप्त है। खैर, पर यह सब तो मेरी कल्पनाएँ है। हमारा कर्त्तव्य तो यह है कि अपनी सन्तानमे जो-कुछ अच्छाई दीख पडे उसे प्रेरित करके उसका विकास करे। शेष तो सारा उनके प्रारब्ध योगपर आधारित है।

आपकी दोनो बहुएँ भी आपके लडकोकी ही तरह है। काशी[1] और सतोकसे[2] मिलकर मै यह मानता हूँ कि अपने पूर्व पुण्योके योगसे ही मै ऐसे कोमल बच्चोके सम्पकमे आया हूँ। ये सबके-सब मुझे सन्तोष देनेके लिए अथक प्रयत्न करते है। इन्होने यहाँ मेरा काम बहुत ही सहल कर दिया है।

मेरे भाग्यका विशेष उत्कष हुआ प्रतीत होता है कारण आदरणीय श्री काला-भाई[3] भी अपने पुत्रको मुझे सौपना चाहते है। मै भी जवाबदारियाँ लेनेसे हार मानने-वाला नही हूँ। और मेरा मन कहता है कि मुझे ईश्वरपर पूण विश्वास है।

मोहनदासके दण्डवत्

[पुनश्च]

चि० हरिलाल महीना-भर पहले आपके पास था, इसलिए उसके नामका पत्र[4] आपके पतेपर ही भेज रहा हूँ।

मोहनदासके दण्डवत्

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३७) की फोटो-नकलसे। सौजन्य नारणदास गाधी

२८२ पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

फाल्गुन सुदी ४, १९७० [माच १, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

आपका पत्र मिला। नेपाल[5] मुक्त हो गया। उसकी पत्नी बडी कठोर है, यह मै जानता हूँ। मृत्यु हमे अपने कत्तव्यकी ओर प्रेरित करती है और इस देहके प्रति

१ और २ क्रमश छगनलाल और मगनलालकी पत्नियाँ।

३ लक्ष्मीदास, गाधीजीके सबसे बड़े भाई।

४ देखिए "पत्र हरिलाल गाधीको", पृष्ठ ३६१ ६३।

५ एक गिरमिटिया भारतीय, जिसकी मृत्यु बीमारीकी हालतमें आग लगनेके कारण हुई थी।

लगभग तिरस्कार पैदा करती है। परन्तु मृत्युसे डरनेकी जरूरत नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य जलकर मरता है तो भी अधिक [देर तक] दुःख नही भोगता। दुःख असह्य होते ही वह मूर्छित हो जाता है। जो लोग देहके प्रति विशेष आसक्त होते हैं, वे पीडाका अधिक अनुभव करते हैं। आत्म-तत्त्वको पहचाननेवाले लोग मौतसे नही घबराते। नेपालकी तरह हजारो लोग, हजारो जीव आज भी हर क्षण जल कर मर रहे होगे। ब्रह्माण्डमें नेपालकी गिनती भी छोटे जीवोमे समझिए। जब हम आग जलाते हैं या रातको दीपक उजालते हैं तब क्या नेपालसे भी बडे कितने ही जीवोके नाशका कारण नही बन जाते होगे?

ब्रह्मा-जैसे किसी महान जीवकी कल्पना करिए। उसकी दृष्टिमे तो हम चीटीसे भी सूक्ष्म होगे। उसकी आँखकी परिधि ही इतनी विशाल होगी कि हम उसे मच्छर-पिस्सूकी तरह दीख पडते होगे। उसने नेपालको जला दिया तो क्या हुआ? और ऐसा उसने यही मानकर किया होगा कि नेपाल-जैसे क्षुद्र जन्तुओको उस-जैसे महान् जीवके सुखके लिए जीवित जला देना चाहिए। हमारी दृष्टिमे नेपाल हमारे जैसा ही प्राणी था, अतः हमे उसपर दया आती है और भय होता है कि कही हमारी गति भी ऐसी न हो। लेकिन हम जो दलील, उन चीटी, खटमल, मक्खी आदि असख्य जन्तुओके विषयमे बुद्धिमानीपूवक देते है, जिन्हे हम खाली आँखसे देख भी नही सकते, सम्भवतः विशेष बुद्धिवाला ब्रह्मा हमारे सम्बन्धमे ठीक वैसा ही मानकर व्यवहार करता होगा। यदि हम इतना समझ पाये तो नेपाल आदिकी घटनाओसे हम नीचे लिखी सीख ले सकते हैं

१　हम स्वयपर दया करे और सारे प्राणियोको अपने ही जैसा समझकर उनपर दया करे और अपने सुखके लिए किसी भी प्रकारकी हिंसासे बचे।

२　शरीरके प्रति आसक्ति न रखे और मृत्युका तनिक भी भय न माने।

३　यह देह अत्यन्त क्षणभगुर है, यही विचार करके इसी क्षण मोक्षके साधन जुटानेमें लग जाये।

यो कह जानेमे ये तीनो ही सूत्र बडे सहज हैं, किन्तु मनन करनेपर ये कठिन हैं और मननके बाद इन्हे जीवनमे उतारना तो खाँडेकी धारपर चलने के समान है।

अभी सुबहका समय है। विचारोका प्रवाह इसी धारामे बहता चला जा रहा है, क्योकि बा फिरसे बीमार है और मै उसे मृत्युके भयसे मुक्त करनेके प्रयत्नमे हूँ।

मोहनदासके यथायोग्य

[गुजरातीसे]

जीवननु परोढ

२८३. पत्रका अश[1]

[केप टाउन
माच १, १९१४के आसपास][2]

बच्चेको बचाया। वह बहुत चिन्ता करती है पर उससे लाभ क्या? यदि उसने गुस्सेको पचाया होता, थोडा भी विचार किया होता, देखा-भाला होता, तो यह विकट परिणाम न होता। हमे हर कायके बारेमे सोचना चाहिए और तब धैय-पूर्वक उसे करना चाहिए। ऐसा करे तो न हमे कोई धोखा दे सकेगा और न हम किसीकी देखा-देखी ही करेगे और आगे बढते चले जायेगे। इसी प्रकार तुम भी दृढ बनोगे, तभी किसी प्रकारका पुरुषाथ कर सकोगे। और तुम्हारा तो यह दुहरा फज है, इसका भी खयाल रखो।

बा की तबीयतके बारेमे कुछ भी नही कहा जा सकता। वह खटियासे उठ खडी हो, तभी समझो। आज तो वह उठकर बैठना भी चाहती है तो सहारेकी आवश्यकता होती है। प्राय तो वह नीमका रस ही लेती है। कभी-कभी अगूर या नारगी का रस लेती है। पर हे वह शान्त। तुम्हे सेवाका सुयोग नही मिलता इसकी चिन्ता नही करना। इन सबका बदला

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५४) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

२८४ पत्र . हरिलाल गाधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन सुदी ५ [मार्च २, १९१४][3]

चि० हरिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे प्रत्येक पत्रमे क्षमा-याचना और अपने पक्षमे दलीले, दोनो बाते रहती है। मुझे तो अब यह सब निरा ढोग लगता है। वर्षोसे तुम पत्र लिखनेमे आलसी रहे हो। और वर्षोसे क्षमा भी माँगते चले आ रहे हो। क्या उम्र-भर तुम ऐसा ही करते रहोगे और मै माफी देता रहूँगा? ऐसी माफीका क्या अथ

१ इसका मात्र दूसरा पृष्ठ ही उपलब्ध है।

२ यह पत्र मार्च १, १९१४ के आसपास लिखा गया जान पड़ता है। गाधीजीने श्री रावजीभाईको १ तारीखको जो पत्र (पिछला शीर्षक) लिखा था, उसमें नेपालकी मृत्युकी चर्चा है।

३ पत्रमे गाधीजीके कस्तूरबाके साथ केप टाउनमें होनेका उल्लेख है, इससे लगता है कि यह पत्र सन् १९१४ में लिखा गया होगा।

है? माफी माँगनेवाला फिर वही गलती न करे, यही माफीकी साथकता है। मेरे माफ करते चले जानेका मतलब तो इतना ही हुआ कि तुम पुत्रका अपना फज पूरा न करो तो भी मुझे तो पिताका फज अदा करते ही रहना चाहिए। खैर, वह मै वश-भर अदा करता ही रहूँगा। मै तो अब यह भी नही मानता कि तुम हम दोनोसे मिलनेके लिए बडे अधीर हो रहे हो। तुम यहाँ आनेवाले थे, मुझे तो यह बात भी बनावटी लगती है। आनेमे क्या ढोल बजाने पडते है? ओर अब तो, जैसा तुम भी लिख रहे हो, आना व्यर्थ है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे विचारोमे बडा अन्तर है। तुम पुत्रकी दृष्टिसे जिसे अपना फज समझते हो, मेरी समझमे वह उससे भिन्न है। अस्तु, तुम्हारा फर्ज क्या हे, इसे समझनेका हक मुझे नही है। अपने निश्छल मनसे तुम जिसे फर्ज समझो, यदि उतना-भर करते जाओ तो भी मुझे सन्तोष होगा। और तुम्हारे कार्योंसे मै या अन्य लोग भी यह जान सकेगे कि तुम अपना फज शुद्ध मनसे समझ पाये हो या नही। ऐसा लगता है कि तुमने मेरा फज क्या है, इसपर भी विचार किया है और इसमें भी हमारी दृष्टि भिन्न है। पर मेरा फर्ज क्या है, इसे समझनेका अधिकारी तो मै ही हो सकता हूँ। कुछ भी हो, तुम अपने विचार मुझपर प्रकट करते रहना।

तुम्हारे पत्रका जवाब मैने नही दिया था। मुझे वह जेलसे छूटनेके बाद मिला। उसमे जो बाते थी उनके सम्बन्धमे मैने कारवाई कर ही दी थी। यानी मैने रेवाशकर-भाईको लिख ही दिया था कि वे तुम्हारे साथ चर्चा कर ले और जो-कुछ अधिक पैसा तुम्हे देना आवश्यक हो, दे दे।

चचीके बारेमे तुम मेरी राय पूछते हो। अपनी पढाईके सम्बन्धमे भी सलाह चाहते हो और दूसरी ओर तुम मेरी उन सारी शर्तोको तोडते रहते हो जिनके पालनका तुमने मुझसे वादा किया था। मेरा तुम्हे यह आदेश था कि तुम अपने स्वास्थ्यको बिगाडकर पढाईमे न जुटो। पर तुम अपनी तबीयतको सम्हाल कर न रख सके। रामदास और मणिलाल तुमसे आगे निकल गये है। पर इसमे आश्चर्य ही क्या है? रामदासने तो बडी मेहनत की है और उसने शरीर भी अच्छा बना लिया है। मणिलालमे भी ताकत तो खूब है पर वह यदि दुष्ट विषय-वासनामे आसक्त न होता तो विशेष ताकतवर बन पाता। मेरे खयालसे तुम्हारी अपेक्षा इन दोनोकी पढाई भी अधिक हो गई है। तुम्हारा मन अब बम्बई जानेपर तुला है। और इसमे रेवाशकर-भाईकी भी सम्मति है, ऐसा लिख रहे हो। पर इस सम्मतिका मेरी दृष्टिमे कोई मूल्य नही है। यदि हीरेकी परखकी बात होती तो मै उसे शिरोधार्य करता पर पढाईके सम्बन्धमे उनकी बात मैं कैसे मान लू? मुझे लगता है, तुम बडी गफलतमे हो। ऐसी हालतमे मै क्या करूँ? तुम्हे डावरकी पढाई ही जँचती है, यह देखकर मै तो दग रह जाता हूँ। और मैट्रिकुलेशनकी परीक्षा पास करके कौन-सा गढ़ जीत लोगे? मै तो यह भी नही समझ पा रहा हूँ कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। मेरी सलाह तो यह है कि जरा धीरजके साथ सोचो। मै आता हूँ तबतक रुको। इस बीच जो पढना हो पढो, पर नया कुछ न करो। बादमे जो चर्चा करनी हो मेरे साथ भी कर लेना।

तुम्हे यदि अपनी मर्जीके मुताबिक ही पढाई करनी है तो तुम्हे चचीको मेरे पास रखना होगा और तुम्हे मुझसे अलहदा रहना होगा। तुम्हारी आवश्यकताओकी पूर्ति मै करूँगा। चचीकी चिन्ता तो तुम तब करना जब कमाने लगो। और यदि तुम्हे मेरे साथ रहना हो तो मेरे साथ रहो और मेरे दाहिने हाथ बनो। इन सब बातोके बारेमे तुम स्वय सोचना। मेरी इच्छा क्या है, इसका जरा भी विचार न करना। मेरी जो राय है उसकी दूसरी सलाहोके साथ तुलना करके जैसा ठीक जँचे करना। तुम्हारे प्रति मै एक शकित पिता हूँ। तुम्हारे लक्षण मुझे जरा भी पसन्द नही है। मुझे इसमे भी शका है कि तुम्हारा हम लोगोके प्रति प्रेम है। यह बात अत्यन्त कठोर है, परन्तु तुम्हारे पत्रोमे मुझे बडी कृत्रिमता लगती है। यदि इसमे मुझसे कही गलती हो रही है तो मै कुरुक्षेत्रमे हूँ, ऐसा समझ कर और श्रवणने जिस प्रकार अपने माता-पिताके प्रति उदारताका बरताव किया था, उसी प्रकार तुम भी मुझे क्षमा कर देना। साधारण बालक भी माँ-बापके प्रति अपना स्नेह किसी-न-किसी रूपमे तो व्यक्त करते ही है, पर तुममे तो स्नेहका नाम भी नही है। और तो भी मै एक ऐसा गुमानी बाप हूँ कि अपने बच्चोमे पूणत्वकी प्रतिष्ठा किये बैठा हूँ। सचमें यह भूल है, मोह है। पर यह छोडकर पूण नही की ।[1] तुमने वादा किया था, फिर भी पिछले वषके परीक्षा-सम्बन्धी कागजात तुमने नही भेजे। इस वषके भी भिजवाने है, इतना याद रखनेका कष्ट भी तुमने नही किया। तुम्हे पत्र लिखते हुए मुझे क्रोध आने लगता है और रोना भी। मेरा ऐसा अज्ञान है, मूढावस्था है। मुझे तुम्हारे प्रति इतनी आसक्ति नही होनी चाहिए। अवश्य ही मै इससे मुक्त हो सकूँगा, पर जबतक नही हो पाता, मुझे निबाह लेना।

अब तुम्हारे लिए इतनी सीख बहुत हो चुकी। और नही लिखूगा। मुझे अपना मित्र समझकर तुमने मेरे प्रति मित्रभाव रखा तो भी काफी होगा। मेरी तो यही इच्छा है कि तुम्हारा चरित्र सुधरे और तुम अपनी आत्मोन्नति कर सको।

सम्भवत मै वहाँ अप्रैलमे आ सकूँ। अभी तो केप टाउनमे हूँ। बा मेरे साथ ही है। वह तो जीवन और मरणके बीच पडी है। कलतक तो तबीयत बहुत ही खराब थी। आज फिर कुछ सुधरी है। शरीर पिंजर-मात्र रह गया है। मुझे किसी भी प्रकारका कष्ट तो नही देती, पर उसका जीभपर काबू अभी तक नही हो पाया है, उसीसे पिसती है और कष्ट भोगती है। सारा दिन उसीकी खटियाके पास बैठा रहता हूँ। आज और कल दो दिनोके बीच दो टमाटरका रस और एक चम्मच [जैतूनका] तेल पेटमे गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४३) की फोटो-नकलसे।

१ यहाँ मूल सूत्रमें ही कुछ शब्द नही है ।

२८५. पत्र : सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको

७, बिटेनसिगल
केप टाउन
मार्च ४, १९१४

प्रिय सर बेजामिन,

श्री पोलककी टिप्पणीको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद उन तरीकोका उल्लेख कर देना उचित होगा जिनसे कई मामलोमे राहत दी जा सकती है।

प्रवास सम्बन्धित कानूनके अमलको नरम बनाकर राहत दी जा सकती है, क्योकि सभी प्रान्तोपर एक ही कानून लागू होता है। और यह राहत विनियमोको इच्छित दिशामे सशोधित करके दी जा सकती है। अन्तरप्रान्तीय आवागमन और यात्रा-अनुमतिपत्र केवल माँगनेसे ही मिल जाने चाहिए। इसके लिए कुछ न लिया जाये और यदि लिया ही जाये तो बहुत थोडा, लागत-मात्र ले लेनेके विचारसे उसपर एक शिलिगके टिकटसे अधिक नही लगना चाहिए।

ट्रान्सवाल प्रमाणपत्रोकी तरह शिनाख्तके प्रमाणपत्र भी सावधिक न होकर स्थायी होने चाहिए। इन मामलोमे ट्रान्सवालको अन्य प्रान्तोसे अधिक सुविधा क्यो होनी चाहिए?

बच्चोको वापस करने और उनके लौट जानेका प्रश्न निश्चित रूपसे तय होना चाहिए।

जिन पत्नियोको प्रशासनिक तरीकेसे प्रवेश मिल सकेगा उनसे क्या प्रमाण चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया जाये। वैसे तो, यह जरूरी है कि विनियमोकी एक-एक धारा श्री जॉर्जेसके साथ देखी जानी चाहिए और फिर उनपर जनरल स्मट्सके साथ विचार किया जाना चाहिए।

विक्रेता परवाना यह एक जटिल प्रश्न है। तीन प्रान्तोमे तीन भिन्न-भिन्न प्रकारके कानून है और उनपर सीधे सघ सरकार द्वारा अमल नही कराया जाता। अशत उनका नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारोके और अशत नगरपालिकाओके हाथमे है। प्रत्येक नगरपालिकाकी अपनी रीति है और उप-नियम है। अधिकसे-अधिक यह किया जा सकता है कि सरकार उत्तरदायी सस्थाओके नाम एक विज्ञप्तिपत्र दे जिसमे सब धान बाईस पसेरीकी नीति अपनानेके खतरोके प्रति चेतावनी हो। यह तरीका सफलतापूर्वक स्वर्गीय एस्कम्बने[1] अपनाया था। १८९६ का नेटाल परवाना कानून इन्हीके द्वारा प्रणीत हुआ था। किसी भी दिन यदि सघ प्रशासनका रुख सुधरता है तो यह बात स्थानीय प्रशासनकी निगाहमे आये बिना नही रहेगी।

१ सर हैरी एस्कम्ब (१८३८-९९), प्रमुख वकील, जिन्होने गांधीजीके नेटालके सर्वोच्च न्यायालयके वकील सघमें प्रवेश पानेकी वकालत की। वे १८९७ में कुछ महीनोके लिए नेटालके मुख्यमन्त्री थे।

ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून यदि सघ सरकार "निहित अधिकारो" को जो अर्थ मैंने दिया है उसे स्वीकार कर ले तो वह इसमे निश्चित रूपसे राहत दे सकती है, वह अपने खरीतोमे उसे मान्यता देनेका वायदा भी कर चुकी है। "निहित अधिकारो" का अथ मै भारतीय और उसके वारिसका उस नगरमे, जिसमे वह स्वय भी रहता है और व्यापार करता है, रहने और व्यापार करनेका अधिकार समझता हूँ, भले ही वह उस क्षेत्रके भीतर अपने निवास या व्यापारका स्थान कितनी ही बार क्यो न बदले।

ट्रान्सवालका १८८५ का कानून सरकार बिना किसी आशकाके आसानीसे कानूनमे निर्धारित बस्तियो या बाडोमे स्वामित्वके अधिकारका लाभ देकर कानूनके अमलको नरम, बल्कि न्यायोचित बना सकती है। इस सम्बन्धमे मेरे विचारसे सरकारका पुरानी बस्तियोको समाप्त कर देना बहुत ही खतरनाक बात होगी।

शिक्षा सरकार द्वारा इस मामलेकी दु खद उपेक्षा की गई है। नेटालके स्कूल निकम्मे है और केप और ट्रान्सवालमे जो थोडे-बहुत स्कूल है वे भी किसी कामके नही है। देशी भाषाओकी उपेक्षा की जा रही है और भारतीय अभारतीय बन रहे है, वे ठीक तरहसे यूरोपीय भी नही बन पाते।

भावी प्रवेश समाजकी जरूरतोके लिए आवश्यक नये लोगोकी प्रवेश-सख्या अभी तक सिवाय ट्रान्सवालके और कही निर्धारित नही की गई है। मैंने सघके लिए कमसे-कम ४० का सुझाव दिया है। यह पिछले पॉच वर्षोके औसतसे कही कम है।

इन मुद्दोमे से प्रत्येक सत्याग्रह घोषणाके[1] ५वे खण्डके अन्तर्गत आ जाता है। उन्हे आयोग नही निपटा सकता। परन्तु मेरी नम्र रायमे उन्हे निपटानेका सबसे अच्छा तरीका होगा आप और जनरल स्मट्समे उनपर पूरी बातचीत। दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नके बारेमें, यदि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय और वाइसराय सच्ची शान्तिका अनुभव करना चाहते है तो, हमारे पक्षमे भारत सरकारको अपना पूरा जोर लगाना होगा।

इस पत्रकी एक नकल मुझे भेजनेकी कृपा करे। मेरे पास यहा कोई टाइप करनेवाला नही है।

आपका,

मो० क० गाधी

मूल अग्रेजी प्रतिकी नकल (एस० एन० ५९४५ और ५९५४) की फोटो-नकलसे।

१ देखिए "पत्र गृह-सचिवको", पृष्ठ १७७ १८०।

२८६ पत्र · मणिलाल गाधीको

[केप टाउन]
बुधवार, फाल्गुन सुदी ७ [मार्च ४, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारा खत मिल गया है। पानीका डिब्बा खो जानेकी बात तुम्हे मुझसे छिपानी नही थी। मै ऐसी [छोटी-छोटी] बातोका भी कितना ध्यान रखता हूँ, उसपर विचार करना और उससे सबक लेना। लेकिन सीख तो तुम तभी पाओगे जब मेरे सामने अपना हृदय खोल कर रख दोगे। जबतक एक क्षणके लिए भी अपनी भूल तुम मुझसे छिपाओगे तबतक तुम कुछ भी नही सीख पाओगे। यह समझो कि छिपाना असत्यका रूप है और असत्य शरीरमे जहरके समान है। [जहर] किसी वस्तुमे विद्यमान अच्छे तत्त्वोको भी जहरमे बदल देता है। दूधमे तिलभर भी सखिया मिल जाये तो दूध पीने लायक नही रहता। हमेशा सवेरे चार बजे उठनेका आग्रह रखना। सर्दी हो तो घरमे रहो। खूब वस्त्र पहनो लेकिन उठो जल्दी, सो जाओ चाहे जितनी जल्दी, उससे मुझे कोई ताल्लुक नही।

खानेमे, तीन वक्त खानेकी आवश्यकता महसूस हो तो तीन वक्त खाओ। भोजन [के परिमाण आदि]को प्रतिबन्धित करनेकी [उतनी] जरूरत नही है। भोजनमे क्या लेना है क्या नही, इस सम्बन्धमे सयम काफी है।

बा की तबीयत आज कुछ अच्छी है। लेकिन अभी हालत गम्भीर है, और वह बिस्तरपर पडी है। श्रीमती गुल और उनके बच्चे बहुत मदद करते है।

बापूके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यु० १५००) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

२८७. पत्र. देवदास गाधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन सुदी ८, १९७० [मार्च ५, १९१४]

चि० देवदास,[1]

तुम अपने अक्षर सुधारो। बा की तबीयत फिलहाल तो बहुत खराब है। डॉक्टरी दवासे उसे कोई लाभ नही हो रहा है। ऐसा हम दोनोका ही खयाल है। वैसे डॉक्टरी इलाज किया जाये, यह उसीकी इच्छा थी। पर दो-तीन खुराक दवा पीनेके बाद ही बीमारी बढ गई। अब तो कुछ खाया ही नही जाता। और आखिर मृत्यु

१ गांधीजीके सबसे छोटे पुत्र।

ही हो जाये तो हमने तो उससे भयभीत न होनेका निर्णय कर लिया है। सो चिन्ता तो करनी ही नही है। यह देह तो नाशवान ही हे। और फिर नष्ट भी उसी दिन होता है जिस दिन उसे होना हे। और हमे इलाज आदि भी तदनुसार सूझते है। फिर आत्मा तो अमर है। वैसे यद्यपि हम लोग सम्बन्ध तो शरीरका ही रखते जान पडते है तथापि सच्चा सम्बन्ध तो आत्माके प्रति ही होना चाहिए। शरीर ज्यो ही निर्जीव हुआ कि हम उसे घडी-भरके लिए भी सँजोकर नही रखना चाहते, यह तो देखी-भाली बात है। यही सोच-समझकर और बाके शरीरके लिए सारी खटपट कर चुकनेके बाद मै तो निश्चिन्त हो गया हूँ और तुम सब भी निश्चिन्त बन जाओ, यही चाहता हूँ। शरीरके इस अवश्यम्भावी परिणामको जानकर हमे साधु वृत्ति और उदासीनता अपनानी चाहिए। साधुताके मानी स्थूल वैराग्य या ससारमे भटकना नही है। इसका सम्बन्ध तो चरित्रकी शुद्धताके साथ है। और उदासीनताका मतलब भी दिलगीरी नही बल्कि उसका सही अथ है विषयोके प्रति तिरस्कार और ससारके प्रति निर्मोह। बाकी बीमारीसे तुम सभीको यह सीख मिल सके तो यह बा के प्रति तुम्हारी सच्ची भक्तिका प्रतीक होगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

जीवननु परोढ

२८८ पत्र सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको

केप टाउन
माच ६, १९१४

प्रिय सर बेंजामिन,

आप सहपत्रसे देखेगे कि सलके फैसलेसे जिन परिणामोके निकलनेकी आशका थी वे सरकारके इस कदमसे ही सामने आते जा रहे है। मूल मामला 'इडियन ओपिनियन'[1]मे प्रकाशित हुआ है। परन्तु मै आपको 'प्रिटोरिया न्यूज'की कतरन भेज रहा हूँ। मै सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेका इन्तजार कर रहा था। जैसा कि आप देखेगे, इसकी माँग सरकारकी ओरसे की गई थी। अब सबसे बडी अदालतने निचली अदालतके फैसलेको उलट दिया है और हकीकतमे जो एक-पत्नी विवाहके बच्चे है उन्हे कानूनन अवैध और इसलिए निषिद्ध प्रवासी घोषित कर दिया है। अब ऐसे बच्चो और उन पत्नियोके बच्चोको, जिन्हे प्रशासनिक रूपसे सघमे प्रवेश करनेकी अनुमति दी जानी है,

१ यहाँ **प्रवासी अधिकारी बनाम मुहम्मद हसनके** एक मामलेका उल्लेख है जो ११–२–१९१४ और ११–३–१९१४ के **इडियन ओपिनियनमें** प्रकाशित हुआ था। इसमें यह फैसला किया गया था कि बहुविवाह प्रथाके अतर्गत सघसे बाहर सम्पन्न विवाहकी सन्तानको १९१३ के कानून २३ खण्ड ५ (छ) की रूसे छूट नही मिल सकती, इसलिए वह एक निषिद्ध प्रवासी है।

प्रस्तावित समझौतेमे सरक्षण दिया जायेगा। इस मामलेपर गौर करनेकी कृपा करे और इतना करवा दे कि समझौता होने तक बच्चेका निर्वासन न हो। चूकि मै आपको लिख रहा हूँ इसलिए इस मामलेमे सरकारको खुद कुछ नही लिखूगा।

अपने इस तथा पहले पत्रकी[1] प्रतियाँ भेज सके तो बडा अनुग्रह हो।

आपका,

मो० क० गाधी

मूल अग्रेजी पत्रकी नकल (एस० एन० ५९४६ और ५९५४) की फोटो-नकलसे।

२८९. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

फाल्गुन सुदी १० [मार्च ७, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

आपके पत्रको मैने बार-बार पढा। शकराचायका एक श्लोक है, जिसमे कहा गया है कि समुद्रके किनारे बैठकर कोई घासके तिनकेसे समुद्रका पानी उलीचना चाहे तो इसके लिए उसे कितना धैर्य और समय चाहिए, ठीक उतना ही समय और धैर्य मनको मारनेमे यानी मोक्षकी प्राप्तिके लिए आवश्यक है। लगता है, आप उतावले हो चले है।

वैसे मृत्युके भयसे तो मैं भी मुक्त नही हो पाया हूँ — यद्यपि मैंन इस सम्बन्धमे बहुत चिन्तन किया है। पर तो भी मै अधीर नही हुआ हूँ। मै सतत प्रयत्नमे हूँ और अवश्य ही किसी दिन मुक्त हो जाऊँगा। प्रयत्नका एक भी सुअवसर आप हाथसे न जाने दे। हमारा यही कर्त्तव्य है। परिणामकी इच्छा या प्राप्ति तो प्रभुके अधिकारकी बात है। और इसलिए यह बखेडा क्यो? बच्चेको दूध पिलाते समय माता उससे होनेवाले परिणामका विचार नही करती, पर तो भी उसका परिणाम तो होता ही है। मृत्युके भयको दूर करनेके लिए — मनोविकारोको नष्ट करनेके लिए — प्रयत्न करना चाहिए और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ऐसा करनेसे वे दूर हो जायेंगे। नही तो वह बात चरितार्थ होगी कि बन्दरका स्मरण न करनेके प्रयत्नमे उसका खयाल बना ही रहा।

हम लोग पाप योनिसे उत्पन्न हुए, और पाप कर्मोंके परिणामस्वरूप ही देहाधीन हुए हैं। आप यह सारा मल पल-भरमें कैसे धो डालनेकी अपेक्षा करते है!

सुगम पडे उस ढगसे रहो।
जैसे-तैसे प्रभुको लहो।।

१ इनकी टाइप की 'हुई प्रतियाँ बादमें सर बेंजामिनने भेजी थीं।

अखाभगतने[1] ऐसा उपदेश दिया हे। तुलसीदास भी कहते है कि सकट हो या न हो पर राम-नामका जप निरन्तर जारी रखो। ऐसा करनसे ही हमारा स्वाथ सिद्ध होगा। और हमे जो स्वाथ सिद्ध करना है वह यही [ईश्वरकी प्राप्ति] है। अत जप निरन्तर चलता रहे। और राम कौन है, यह तो हमे स्वय सोचकर निणय कर लेना है। राम तो निरजन है, निराकार है। राक्षसी वृत्तियोका समूहरूपी जो रावण है, दैवी वत्तियोके अनेक शस्त्रो द्वारा उसका सहार करनेवाली शक्ति ही राम हे। इस शक्तिकी प्राप्तिके लिए स्वय रामको भी १२ वषकी तपश्चर्या करनी पडी। अस्तु, आप मन और तन दोनोको एक क्षणके लिए भी निष्क्रिय न रहने दे। दोनो ही को उत्साहपूवक कार्यमे लगाये रहे, इसीसे सारे उपद्रव शान्त हो जायेगे। बाकी प्रभुपर तो दृढ विश्वास बनाये ही रखना चाहिए। मुझपर भरोसा करनेमे तो कोई साहस नही है। यह तो तभी काम आ सकता है जब आप ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसे जीवनमे उतारे।

हृदय पवित्र होना चाहिए। विकारेन्द्रियोसे विकारको बचानेका उपाय यही है। पर हृदय हे क्या चीज? इसे पवित्र कब माना जाये? हृदय स्वय आत्मा है, या आत्मा का स्थान है। इसका पवित्र हो जाना ही आत्मज्ञानकी प्राप्ति है। इसके पवित्र हो जानेपर इन्द्रियोके विकार आदि ठहर ही नही सकते। लेकिन साधारण रूपमे हम ऐसा मानते हैं कि हृदयको पवित्र करनेका प्रयत्न करना ही हृदयका पवित्र हो जाना है। मुझे आपसे स्नेह है, इसका मतलब इतना ही हो सकता है कि मै इस स्नेहको बनाये रखनेमे प्रयत्नशील हूँ। प्रेमकी वृत्ति यदि अखण्ड हो जाये तब तो मै ज्ञानी ही हो गया। पर मै ज्ञानी तो नही हो पाया हूँ। जिस किसी व्यक्तिके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा, वह मेरे कथन अथवा हेतुके अथका अनर्थ कदापि नही करेगा। और वह मेरी उपेक्षा तो कर ही नही सकेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि कोई मनुष्य हमे अपना शत्रु मानता है तो इसमे सर्वप्रथम दोष तो हमारा ही है। यह बात गोरोके साथ हमारे जो सम्बन्ध है, उनपर भी लागू होती है। इसलिए पूर्ण रूपसे हृदयकी पवित्रता तो अन्तिम स्थिति—चरम स्थिति है। इस बीच ज्यो-ज्यो हमारी अन्तरकी पवित्रतामे वृद्धि होगी, विकारोका शमन होता जायेगा। इन्द्रियोमें तो विकार है ही नही।

"मन एव मनुष्याणा कारण बधमोक्षयो ।"[2]

इन्द्रियाँ तो मनोविकारकी अभिव्यक्तिके स्थान है, उन्हीके जरिये हम मनोविकारोको पहिचान पाते है।

१ १७वी शताब्दीके रहस्यवादी गुजराती कवि, इनकी कविता अपने व्यग्यके लिए प्रसिद्ध है। उद्धत पक्तियाँ मूलमे इस प्रकार है

सुतर आवे तेम तुं रहे,
जेम तेम करीने हरिने लहे।

कहनेका अभिप्राय कदाचित् यह है कि जीवन यापनके साधन जुटानेके लिए बहुत झझट न करो, अधिकसे अधिक सरल जीवन पद्धति अपनाओ, किन्तु प्रभुकी प्राप्तिकी दिशामें निरन्तर जागृत रहकर साधना करो।

२ मन ही मनुष्यके बधन अथवा मोक्षका कारण है।

मतलब यह हुआ कि इन्द्रियोका नाश करनेसे मनोविकार नष्ट नही हो जाते। हिजडोको देखिए, उनमे मनोविकारोकी कमी नही होती। जो जन्मसे ही नपुसक है, वे भी वासनाग्रस्त रहकर अनेक कुकम करते हुए देखे जाते है। मेरी घ्राणशक्ति मन्द है, परन्तु सुवासके लिए तो मन होता ही है। जब कोई गुलाब आदि किसी फूलकी बात करता है तो गधेकी तरह यह मन उसी ओर खिंच जाता है और तब बडी जोर-जबरदस्तीके बाद काबूमे आ पाता है।

ऐसे मनुष्योके उदाहरण सुननेमे आये है जिनका अपने मनपर काबू नही —पर जिनकी विचारशक्ति बडी तीव्र थी। निदान उन्होने इन्द्रिय-छेदन कर दिया। सम्भव है ऐसी परिस्थितिमे वही करणीय हो। मेरा मन चचल हो उठे और अपनी बहनपर ही मै कुदृष्टि डाल दू किन्तु इतना कामदग्ध होकर भी एकदम विमूढ न हो गया होऊँ तो ऐसे प्रसगमे बचनेका कोई दूसरा उपाय न होनेपर मुझे लगता है, इन्द्रिय-छेदन कर डालना ही सम्भवत पवित्र कार्य हो। लेकिन धीरे-धीरे प्रगति करनेवाले मनुष्यका यह हाल नही होता। यह तो उसीके लिए सम्भव है जिसके मनमे एकाएक तीव्र वैराग्य पैदा हो उठा हो और जिसका पिछला जीवन अच्छा न रहा हो। विकार उत्पन्न ही न हो और न इन्द्रियाँ चचल बने, इसके लिए किसी तत्काल-परिणामी उपायकी खोज ऐसी ही है जैसे बध्याके द्वारा पुत्रकी चाह करना। यह काय तो बहुत समय तक धैर्यपूवक साधना करनेसे ही सध सकता है। तत्काल होनेवाली मन शुद्धि तो वैसी ही है जैसे जादूका आम — जो केवल देखने-भरके लिए होता है,। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि मन पवित्र बन जानेकी स्थितिमे हो और व्यक्ति सत-समागम-रूपी पारसमणिकी तलाशमे रहे तो उसका स्पश पाते ही उसे अपने पवित्र स्वरूपका दशन हो जाये और अपवित्रता तब बीते-स्वप्नकी स्मति-जैसी लगने लगे। पर इसे तत्काल या चटपट हो जाना नही कहा जा सकता। परन्तु जिसे साधारण उपाय कहा जाये और जो सहज यानी तात्कालिक भी माना जा सकता है, वह यह है

> एकान्त सेवन, सत्सगकी खोज, सत्कीतन, सद्वाचन, शरीरको लगातार परि-श्रम-रत रखना, अल्पाहार, फलाहार, अल्प निद्रा, और भोग विलासका त्याग — जो व्यक्ति यह सब कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तामलकवत् सहज ही प्राप्त है। इतना करते रहना चाहिए और दूसरे उपायोकी तलाशमे रहना चाहिए। जब जब मनोविकार सिर उठाये तब-तब उपवास आदि व्रतोका पालन करना चाहिए।

[१] का काम तो रावणकी प्रवृत्तिका-सा था। उसने तपश्चर्या करके राक्षसी-वृत्ति उपलब्ध की। रामचन्द्रने तपश्चर्या करके दैवी-वृत्तिका सम्पादन किया। इस प्रकार क्रिया एक-सी हो तो भी हेतुकी भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न फल प्राप्त होते है।

खेतका काम यदि ठीक ढगसे न चल रहा हो और उसमे तुम्हारा ही दोष नजर आता हो तो उसे हौसलेके साथ दूर करो। तुम लोग जो बडी उम्रके हो — बालकोकी जीवनपद्धति तुम्हारे ही रहन-सहनपर आधारित है।

१. यहाँ साधन सूत्रमें ही कुछ अश छोड दिया गया है।

इसे नही भूलना चाहिए कि हमारी जैसी याचना होगी वैसे ही देव हमे प्राप्त होगे। तुलसीदासने रामकी माँग की इसीलिए कृष्ण श्री राम बने। और लक्ष्मीजी सीता।

मगनभाईकी खाँसी दूर करो, उसके कारणकी खोज करो।[1]

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीना पत्रो और जीवनना झरणा

२९० पत्र · मगनलाल गाधीको

७, बिटेनसिंगल

रविवार, फाल्गुन सुदी १०, [माच ८, १९१४][2]

चि० मगनलाल,

आशा है, तुम श्री ऐड्रयूजको ४४ सिटी रोड, बरमिंघमके पतेपर 'इडियन ओपिनियन' की छ प्रतियाँ भेजते जा रहे हो। अगले अकके बाद उन्हे ये छ प्रतियाँ उनके शान्ति-निकेतन, बोलपुर, बगालके पतेपर भेजना। श्री पियर्सनको उसी पतेपर एक प्रति भेजना ठीक होगा।

नेपालके जल मरनेके सम्बन्धमे मैने कुछ-एक विचार रावजी भाईको लिखे है। वह पत्र तुमने न पढा हो तो पढनेके लिए माँग लेना।

हमारे साथ [भारत] जानेवाले व्यक्तियोकी सूची सलग्न है। वे सबके-सब साथ जायेगे अथवा नही, यह नही कहा जा सकता। जिन व्यक्तियोके सामने प्रश्न-चिह्न लगाया है उनके सम्बन्धमे निश्चय करना बाकी है। मैने कुप्पुको लिखा है। तुम उससे फिर कहना कि वह अपने पितासे पूछकर निश्चित करे। छगनलालके साथ सलाह करना। इस सूचीमे सम्भवत और नाम भी जोडे जाये। जिन नामोके आगे मैने प्रश्न-चिह्न लगाया है उनके अतिरिक्त सभीके बारेमें मैने तय कर लिया है। मै जानता हूँ कि यह सब बालूकी भीत खडी करनेके समान होगा। सम्भवत समझौता न हो और अन्य अनेक घटनाएँ भी घट सकती है। फिर भी, यदि समझौता हो तो हमे तुरन्त प्रस्थान कर देना है। इसकी पूरी तैयारी कर रखना आवश्यक है। केलेका आटा यहाँ बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ प्रर्याप्त सुविधाएँ है और केले भी मिलते है। मै समझता हूँ कि रास्तेके लिए केलेके आटेके बिस्कुट होनेपर किसी अन्य चीजकी आवश्यकता नही रहेगी और यदि केले न हो तो भी हम काम चला सकते है। सबके

१ अन्तिम चार अनुच्छेद **जीवननु परोढ**से लिये गये है, जिसमें यह पत्र दो भिन्न तिथियोंके अन्तर्गत दो हिस्सोंमें दिया गया है।

२ यह पत्र श्री सी० एफ० ऐंड्रयूजके दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेके बाद लिखा गया था। फाल्गुन सुदी १० जिस दिन पड़ी थी उस दिन शनिवार था, लेकिन यहाँ रविवारका उल्लेख है, इसलिए यहाँ जो अग्रेजी तारीख दी जा रही है वह वारके अनुसार दी जा रही है, तिथिके अनुसार नहीं।

लिए टाटके बिछावन तैयार करवा लेने चाहिए। वे देशमे भी काम आयेगे। इसलिए उन्हे सीकर और धोकर तैयार रखना चाहिए। उनके किनारे भी सी लिये जाये। [प्रत्येकके लिए] ऐसे दो बिछावन हो तो और भी अच्छा। एक नीचे और दूसरा ऊपर बिछाया जा सकता है। और यदि इन्हे किसी रगसे रगा जा सके तो बहुत अच्छा हो, इसपर विचार करना। पानीके लिए मै जो कलसा लाया हूँ उस तरहके बहुत-से कलसे हमे चाहिए। हमारे पास जैतूनके तेलके [खाली] डिब्बे पडे है, यदि उनकी मरम्मत करवाकर ढक्कन लगा दिये जाये तो शायद सस्ता पडे। ये इस तरह बनवाये जाये कि उनका देशमे भी इस्तेमाल किया जा सके। कम्बल तो सबके लिए होगे ही। [प्रत्येकके लिए] कमसे-कम दो और अधिकसे-अधिक तीन कम्बल होने चाहिए। [अपने पास] भारी सामान रखना व्यथ है। मै चाहता हूँ कि [जहाजसे] प्रत्येक लडका देशमे स्वदेशी पहरावेमे उतरे। छोटे बच्चोको एक लुँगी, एक कुर्ता तथा हमारे पास मखमलकी जैसी गोल टोपी है वैसी टोपी पहननी चाहिए तथा अन्य लोगोको धोती, कुर्ता और टोपी। तुम जैसे बडे लडकोको साफा और ॲगरखा पहनना चाहिए। लेकिन इसपर तुम्हे खुद विचार करना चाहिए। मेरे ही विचारोके अनुरूप करनेकी खास जरूरत नही हे। मै लडकोके लिए जूतोकी जरूरत महसूस नही करता। फिर भी चप्पले हो तो उन्हे रख सकते है, नई चप्पले नही बनवानी चाहिए। लेकिन इसपर मेरा आग्रह नही है। उसपर भी विचार करना। प्रत्येक [लडका] दाये हाथसे भोजन करना सीख ले तथा जमीनपर पलथी मारकर बैठ सके तो अच्छा हो। यह सब देशमे जाकर सीखना तो उचित न होगा। थाली भी गोदमे न रखे। यह सब [नियम] हमारे साथ आनेवालोपर लागू होते है। सब लोगोके जमीनपर बैठकर भोजन करनेमे कोई दिक्कत नही होगी। ऐसा करोगे तो तुम्हे दिनमे तीन बार गीले कपडेसे फर्श भी पोछना होगा। लेकिन यह उचित ही होगा। इसपर भी विचार करना। बडोका कैसे सम्मान किया जाता है, यह भी सीख लेना चाहिए। हम जो काम छोटे बच्चोसे करवाना चाहते है वह हमे स्वय करके दिखलाना पडेगा। आरम्भमे कुछ कठिनाई होगी, लेकिन वह उठाई ही जानी चाहिए। उन्हे पवित्र और अपवित्रमे भेद करना आना चाहिए। अपने भारत जाने या न जानेकी परवाह किये बिना हमे सब आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने लडकोके लिए पाखानोमे इस्तेमाल किये जानेवाले कागज कुछ दिनोके लिए बन्द कर दिये थे पर बादमे ढीले पड गये। इनका इस्तेमाल अब फिरसे बन्द कर देना ही ठीक जान पडता है। बडे लडकोको, धैर्यपूवक इन परिवतनोका उद्देश्य समझाना चाहिए। उन्हे बम्बई प्रदेशकी भौगोलिक स्थितिकी जानकारी भी होनी चाहिए। स्टीमरसे ही धोती पहननेका अभ्यास शुरू कर देना है। हमे अपने साथ क्या-क्या खानेकी चीजे, कितनी मात्रामें तथा कैसे ले जानी चाहिए, इसपर भी विचार करना। एनेमलके बर्तन जितने कम हो उतना ही अच्छा। पानी आदिके प्याले पीतलके होनेसे काम चलेगा। भोजनमे नीबू आदि डालना पडे तो उसके लिए एनेमलके जो बर्तन पडे है, उन्हे साथ ले लेगे, लेकिन जहाँतक बने इनका त्याग करना है। इन बतनोके बनानेमे कितने लोगोका विनाश ही हो जाता है। शरीरको मार-पीटसे जो क्षति पहुँचती है, उससे भी अधिक क्षति इन बर्तनोके

कारीगरोको उस परिस्थितिमे काम करनेसे होती है, जिनमे रहकर उन्हे ये बर्तन बनाने पडते है, इस बातपर विचार करके जैसा चाहो वैसा करो।

बा की तबीयतमे आज अच्छा सुधार दिखाई पडता है। अगर बच जाये तो यह समझना कि उसका एकमात्र कारण हमारा प्राकृतिक उपचार और ईश्वरके प्रति आस्था है। हालत बिगडनेका कारण डॉक्टरोकी दवा थी। बा भी इस बातको समझती है। उसे डॉक्टरी दवा खानेका मोह हुआ और मै बीचमे नही पडा। उसे बहुत कष्ट उठाना पडा और सबक भी सख्त मिला। बाने धीरज धरनेकी हद कर दी। मुझे जरा भी परेशान नही किया। गुल-परिवारने बहुत प्रेम दिखाया। डॉक्टर भला आदमी है। वह मेरे बीचमे नही पडता। उसको खुश करनेका बहुत मोह था, लेकिन बादमे बा अडिग रही। मै उसके सामने हमेशा रामायण पढता और भजन गाता हूँ। वह ध्यानपूवक सुनती है। राम-नामका जाप भी करता हूँ। उसका उद्देश्य यह नही है कि वह बच जाये, उद्देश्य यह है कि वह जिये अथवा मरे, लेकिन उसका मन पवित्र तथा कोमल रहे। बा के मरनेके बाद जो-कुछ करना पडेगा, उसके सम्बन्धमे सारी तैयारी और पूछताछ मैने कर रखी है। श्मशान भूमि यही है और वहाँका प्रबन्ध ठीक है। यहासे चार मील दूर है।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७६५) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

२९१ पत्र : छगनलाल गाधीको

केप टाउन
फाल्गुन सुदी १४, १९७० [मार्च ११, १९१४]

चि० छगनलाल,

अभी मुझे फुरसत है। जोहानिसबगमे फिर मेरे प्राण लेनेके प्रयत्न किये जा रहे है, ऐसा मेढने मुझे लिखा है। यदि ऐसा हो तो स्पृहणीय है। ऐसी मृत्यु मिले तो समझना चाहिए कि मेरा काम पूरा हो चुका। इस कारण डरकर जोहानिसबग छोडकर और कही रहना ठीक नही। ऐसा सयोग बन पडे अथवा अन्य किसी कारणसे मेरी अचानक मृत्यु हो जाये, इसे लेकर मेरे हृदयमे जिन अनेक विचारोका उदय हुआ है और जिन्हे मै तुम्हे नही बता पाया हूँ, उन्हे यहाँ व्यक्त कर देना चाहता हूँ।

यह कथन परमाथकी दृष्टिसे भी बहुत सही है कि सवप्रथम कुटुम्ब-सेवा की जाये। जो लोग अपने कुटुम्बकी ठीक-ठीक सेवा कर पाते है वे कौम या देशकी सेवा कर सकते है। अवश्य ही इतना समझ लेना जरूरी है कि कुटुम्ब-सेवा किसे कहा जाये। मुझे लगता है कि अपने पवित्र व्यवहारसे हम उसको समझ सकते है।

मुझे यह पता लगता है कि हम लोग जो नौकरी और हुकूमतकी जिन्दगीका उपभोग करते आये है, सो तो निकृष्ट बात ही है। हमारा खानदान जग-जाहिर है, यानी हम लुटेरोकी टोलीमे शरीक माने जाते है। यह बात तो अपने पूवजोको बिना दोष दिये भी कही जा सकती है कि उन्होने रियायाकी सेवा तो अवश्य की परन्तु वह की स्वाथवश ही। साधारण तौरसे देखनेपर यही प्रतीत होगा कि उन लोगोने उचित न्याय ही किया, यानी जनतापर अधिक जोर-जुल्म नही किया। पर आज तो अपना कुटुम्ब अत्यन्त हीनावस्थामे है। यदि हमे नौकरी न मिले तो हम सभी मारे-मारे भटके। नारणदास, जो हमारी नजरमे सबसे ऊँचा है, बम्बईमे गुलामी कर रहा है। दूसरे कुटुम्बीजन या तो भटक रहे है या राज्य-कारोबारमे लिप्त रहकर उदर-निर्वाह कर रहे है। हम सभी विवाह-शादिया करने-करानेमे लगे रहते है। माताएँ और बहुएँ अपने बच्चोका विवाह कर देनेके महान् मोहमे पडी है।

इससे हमारा उद्धार कैसे हो ? बन पडे तो भरसक हमें अपना मार्ग बदलना चाहिए। सर्वोपरि बात तो किसान बनना ही है। पर हमारे दुर्भाग्यसे कृषक जीवनमें अपार कष्ट हो तो हमे जुलाहे या बुनकरका उद्योग करना चाहिए और जिस ढगका जीवन हम फीनिक्समे बिताते है उसी तरहका जीवन बिताना चाहिए। अपनी आवश्यकताएँ हम कमसे-कम रखे। भोजन-पद्धति भी जहाँ तक बन पडे, वही रखे जिसके बारेमे निर्णय किया जा चुका है। दूध यद्यपि पवित्र वस्तु माना गया है, परन्तु उसे अपवित्र मानकर ही उसका सेवन किया जाये। यह एक महान् परिवर्तन होगा। परन्तु उसकी जडे बडी गहरी है और इससे होनेवाले परिणाम स्थायी है। यह बात और है कि सभी इसे स्वीकार न करे। यह जानकर भी दूध त्याज्य है कि वह असख्य लोगोको नसीब नही होता। दूध शुद्ध मास है और [उसका सेवन] अहिंसा धर्मका विरोधी है — यह विचार मेरे मनसे कभी नही हटेगा। इस शरीरसे दूध-घी आदिका सेवन अब किया जा सकेगा, यह सम्भव प्रतीत नही होता। जहाँतक बन पडे, अग्निके प्रयोगके बिना काम चलाया जाये। अपने कुटुम्बके जो बालक यहा आना चाहे उन्हे रखना स्वीकृत किया जाये, परन्तु रखे वे तभी जा सकेगे जब ऊपर लिखे विचारोका अनुसरण करनेके लिए राजी हो। जो विधवाएँ इस प्रकारका जीवन अपनानेके लिए राजी न हो, उन्हे सम्मानपूवक बताया जाये कि इस प्रकार जीवन-निर्वाह करनेमे जो खर्च होता है उससे उन्हे ड्योढा खर्च दे दिया जायेगा। उस ऋणसे इस प्रकार मुक्त हो जाये। इससे अधिक और कुछ नही किया जा सकता। शादी-विवाहके बखेडेमे तो, वह किसीकी क्यो न हो, पडे ही नही। बडे होनेपर जो विवाह करना चाहेगे — स्वय देख लेगे। जो कन्याएँ है उनके लिए वरोकी तलाश करनी ही पडे तो जो तुलसी-दल स्वीकार करके कन्या ग्रहण करना चाहेगे, उन्हे देग। एक पाईका भी खर्च नही करेगे। जबतक ऐसा वर नही मिलता तबतक राह देखेगे और लडकीको भी धैर्य रखनेकी सीख देगे। ऐसा करनेमे [लोगोकी] चर्चाएँ सुननी पडेगी। तिरस्कार भी होगा पर यह सब प्रेमपूवक सहन करेगे। यदि हमारा आचरण सुदृढ रहा तो कोई कठिनाई नही होगी। सन्तानोत्पत्ति करना हमारे धर्मका कोई अग नही है और न ससारका विस्तार करना हमारा कर्त्तव्य है। जैसा-कुछ यह ससार है, उसमे लिप्त हुए बिना इस प्रकार रहा

जाये कि जिससे हमे और दूसरोके लिए भी मोक्ष-प्राप्ति सुगम हो सके। जिन्दगीका रहस्य यही जान पडता हे और इसीमे खुद अपनी सेवा, कुटुम्ब-सेवा, समाज और राज्यकी सेवा आदिका समावेश हो जाता है। पर जबतक यह स्थिति प्राप्त न हो जाये तबतक हमे रुकना नही है।

इस प्रकारके आचरण और व्यवहारमे जो लोग शरीक होगे वे भी कुटुम्बी ही माने जायेगे। इसमे रावजीभाई, मगनभाई, प्रागजी और जो भी अन्य शामिल होना चाहेगे, उन्हे ले लिया जायेगा। और जो कही मेरी अकाल-मृत्यु हो जाये तो मेरा यही कहना है कि तुम सभीको इसी ढगसे जीवन-यापन करना चाहिए। तुम्हे फीनिक्स एकाएक नही छोडना चाहिए, बल्कि इन उद्देश्योको ध्यानमे रखकर यही रहना चाहिए। मगनलालपर तो मुझे पूरा भरोसा है। जमनादासको ढाला जाये तो उसमे वह सत्व है। उसमे लगन भी है।

मेरी मृत्यु हो जानेकी हालतमे जिन विधवाओका मुझपर भार है, उनके लिए तुम्हे डॉ० मेहतासे पैसा लेना होगा। यदि उनसे यह पैसा न मिल पाये तो तुम लोग, जो ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्योको अपनाना स्वीकार करते हो, अनेक कष्ट सहन करते हुए प्रयत्नपूर्वक इसे पूरा करना। हरिलालको अपना निर्वाह स्वय करना होगा। वह बच्चोको तुम लोगोके पास या देशमे किसीके पास छोड दे। फूलीके पास पैसा है, अत उसे देनेकी बात ही नही रह जाती। अब बची गोकीबहन[१], नदकोर भाभी[२] और गगा भाभी[३] तथा गोकुलदासकी बहू।[४] वे यदि साथमे रहना चाहे तो उनकी मेहरबानी, बल्कि उनके लिए गौरवास्पद! यदि न रहे तो प्रत्यकके जुदा-जुदा निर्वाहकी व्यवस्था की जाये। बच्चे उन्हीको सौप दिये जाये, पर उनका दूसरोके साथ रहनेको आना अधिक अच्छा होगा। यदि यह सम्भव हो जाये तो उनके पोषणका भार कुल मिलाकर ४० रुपये मासिकसे अधिक नही पडेगा। बा का भी यही खच माना जाये। बा को तो यह समझ लेना चाहिए कि उसे इनके साथ ही रहना है। वह भी बच्चोको [सम्मिलित व्यवस्थामे] सौप दे। जो लडके अपनी माँका भार उठाना चाहे उन्हे तो छूट है ही। ऊपरके ये सुझाव उन लडकोके लिए है जो हमारी मदद चाहते है। हरिलाल यदि बा का भार उठाना चाहे और उसे अपने साथ रखे तो अच्छा है। नन्दकोर भाभीको रखे तो और भी ठीक। फिर तो रह जाती है गोकी बहन, गोकाकी बहू और गगा भाभी। काकू यदि अपनी माँका भार उठा ले तो भी ठीक, और शामलदास[५] अपनी माँका। अब जो निराधार रह जाये उनके लिए ऊपर सुझाया मार्ग ही बचता है। तुम लोगोकी जैसी रहन-सहन होगी उससे अधिककी आशा न किसीको रखनी चाहिए और न कोई रखेगा ही। मै तो इसी प्रणालीको श्रेष्ठ मानता हूँ और इसलिए मुझे ऊपर लिखे

१ रलियातबेन, गाधीजीकी बहन।
२ लक्ष्मीदास गांधीकी विधवा।
३ करसनदासकी विधवा।
४ गाधीजीके भाजे जिनका अपने विवाहके पन्द्रह दिनके बीच ही देहान्त हो गया।
५ गाधीजीके बडे भाई लक्ष्मीदास गाधीके पुत्र।

ये विचार कठोर नही प्रतीत होते। ये विचार गरीबीकी भूमिकापर प्रतिष्ठित है, और यही समुचित भूमिका जान पडती हे।

मेरे न रहनेपर यह पत्र चाहे जिसे दिखाया जा सकता है। अभी तो मगनलाल, रावजीभाई, मगनभाई, प्रागजी और जमनादास पढ ले। मेरी इतनी ही अपेक्षा हे कि तुम लोग इसकी अन्यत्र चर्चा न करो। और यदि तुम्हे लगता हो कि इन सबको न पढाया जाये तो जिन्हे तुम उचित समझो, केवल उन्हीको दिखाओ।

मुझे लगता है कि यह पत्र अपनेमे इतना परिपूण है कि तुम्हारे मनमें आनेवाले दूसरे प्रश्नोका जवाब भी इसीमे मिल सकेगा। फिर भी अगर तुम्हे कुछ छटा हुआ प्रतीत हो तो मुझे अवश्य पूछ लेना। यदि मेरे साथ चर्चा करनी हो तो अपने प्रश्न लिख रखना। जहाँ मतभेद हो, निभयतापूर्वक उसे भी सूचित करना। यदि स्वय तुम्हे यह जवाबदारी भारी जान पडे तो वह भी सूचित करना। तुम्हे जो-जो ठीक जान पडे उस सबकी चर्चा करना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मणिलाल वहाँ नही है, अन्यथा उसे भी इसे पढ जानेकी इजाजत दी होती। अभी इस पत्रकी नकल कर लेना और यदि उचित समझो तो डाकसे रजिस्ट्री करके उसके पास पढनेके लिए भेज देना और वापस मँगवा लेना।

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

२९२. पत्र : सी० एफ० ऐंड्रयूज़को

केप टाउन
मार्च १३, १९१४

प्रिय चार्ली,

जहाजसे भेजा तुम्हारा सन्देश और लन्दनसे भेजा तुम्हारा तार — दोनो मिल गये। रायटरके प्रतिनिधिसे तुम्हारी भेटके[1] विवरणका साराश रायटरके तारमे भी दिया गया

१ यह भेंट श्री ऐंड्रयूज़के लन्दन पहुँचनेके बाद मार्च १० को हुई थी। श्रीमती सरोजिनी नायडूके तत्त्वावधानमें भारतीयोंने उनके स्वागतमें एक समारोह किया था। समाचार पत्रोंमें कहा गया था कि "श्री ऐंड्रयूज़ने रेलवे हड़तालके दौरान सरकारको परेशानीमें न डालनेके लिए सत्याग्रह बन्द कर देनेकी श्री गांधीकी शूरतापूर्ण देशभक्तिकी सराहना की। उन्होंने भारतीयोंके धैर्य और वीरताकी सराहना की और साथ ही सब सरकार द्वारा उनके अपने साथ किये गये उदार तथा समुचित व्यवहारकी भी। उन्होने कहा कि वे जनरल बोथाके खरे चरित्र और उनके स्वभावकी सरलतासे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। साथमें यह भी कहा कि जनरल बोथाने उनको आश्वस्त किया है कि भारतीयोंके साथ न्याय करानेकी दिशामें वे जो भी कर सकते हैं, करेंगे।"

था। जहाजसे भेजे, तुम्हारे पत्रको विस्तृत रूपसे लिखकर मैने 'इडियन ओपिनियन' को[1] भेज दिया था। मैने उसमे श्रीमती गाधी और मणिलालका नाम नही दिया, क्योकि वे तो तुम्हारे अपने ही है। मैने कैलेनबैक, पोलक और वेस्टके नाम भी उसमे इसलिए शामिल नही किये कि दूसरे नामोके साथ उनको रखना ठीक नही जँचा। यदि तुमने उनको अभीतक अलगसे पत्र न लिखा हो तो समय निकालकर लिख ही देना। बादके तीन नाम छोडकर मैने ठीक किया या नही, इसका निणय मै नही कर पाया हूँ। ऐसे मामलोमे मै वही बात मानता हूँ जो पहले-पहल दिमागमे आती है।

आशा है कि अपने लोगोमे तुम्हारा समय अच्छा कटा होगा। मै पिछले दो हफ्तोसे तुम्हारे पिताजीको एक पत्र लिखनेकी बात सोच रहा हूँ, लेकिन कही ऐसा न हो कि मेरा पत्र लिखना धृष्टता मान ली जाये। वैसे पत्र तो मै अभी लिख सकता हूँ किन्तु इसके बारेमे मै तुम्हारा ही निणय सही मानूगा। यदि मेरा लिखना ठीक जान पडे तो पिताजीका पूरा नाम लिख भेजना।

पिछले हफ्ते श्रीमती गाधी मृत्युकी ऐन देहरी तक पहुँच गई थी। इसलिए पिछले दस दिनोमे मैने उनकी परिचर्याके अलावा और कुछ किया ही नही। अभी दो दिनसे इनकी हालतमे सुधार होना शुरू हुआ है। सुधार अभी जारी है। बीमारीके कारण मुझे घरपर ही रहना पडा।

आज सर बेंजामिनसे बातचीत हुई थी। वे मुझे बतला रहे थे कि रिपोर्ट उनको दिखलाई गई थी और वह कुल मिलाकर अच्छी थी। पर उनकी रायको ठीक मानना हमारे लिए कोई जरूरी नही है, यह तुम जानते हो।

जिनके सम्पकमे तुम आये थे उनमे से अधिकाश लोगोके पास तुम्हारे भाषणकी[2] पुनर्मुद्रित प्रतियाँ भेजी जा चुकी है। बिशपने उसकी प्रति पानेपर एक बडा सुन्दर पत्र लिखा है। श्रीमती ड्रू कल जहाजसे लन्दन जा रही है। उन्होने सत्याग्रह-कोषके लिए पाँच पौंड भेजे है। भाषणकी प्रतियाँ भिजवानेके लिए उन्होने कुछ नाम मेरे पास भेजे थे। साथमे अखबारकी जो कतरन भेजी जा रही है, समाचारपत्रोने उससे मिलती-जुलती बाते लिखी है। रोज ही कुछ और प्रतियोकी माँग आती रहती है। भारतीयोको इस बातके लिए तैयार करनेकी कोशिश की जा रही है कि वे अपने यूरोपीय मित्रोमे प्रतियाँ बाँट दे। डब्ल्यू० सी० श्राइनरको एक प्रति भेटकी गई थी। उन्होने इग्लैंडमे अपने मित्रोको भिजवानेके लिए छ प्रतियोके दाम दिये है। इस प्रकार तुम्हारे कामको दोहरी सफलता मिल रही है। महान् सन्तको और दक्षिण आफ्रिका आनेके तुम्हारे उद्देश्यको मानवताके भलेके लिए बहु-प्रचारित किया जा रहा है।

१ पहली मार्चको भेजे गये इस सन्देशमें दक्षिण आफ्रिकाके मित्रोको श्री ऐंड्रयूजकी ओरसे धन्यवाद दिया गया था। वह **इडियन ओपिनियन**के १८-३-१९१४ के अकमे प्रकाशित हुआ था।

२ ऐंड्रयूजने महाकवि रवीन्द्रनाथके सम्बधमें फरवरी १७ को विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण दिया था।

मुझे तार द्वारा पोरबन्दरसे अपने सबसे बडे भाईकी मृत्युका समाचार मिला है।[1] वे मेरे लिए पिताके समान थे। उन्होंने ही मुझको लन्दन भेजा था।[2] दक्षिण आफ्रिका चले आनेपर वे मुझसे बडे नाराज रहा करते थे,[3] लेकिन अपने अन्तिम पत्रमे उनका स्वर फिर बिलकुल स्नेहपूर्ण हो गया था। उससे मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ था। वे मुझे देखना चाहते थे और मै भी जल्द ही भारत लौटनके लिए तडप रहा था। लेकिन होनीको यह मजूर नही था। अब अपने पिताके परिवारकी पॉच विधवाओ और उनके बाल-बच्चोकी देख-रेखका भार मेरे कधोपर आ पडा है। पर मेरा मन शान्त है। समाजमे इस मृत्युका समाचार फैलनेपर काफी हार्दिकताके साथ लोग मेरे और श्रीमती गाधीके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने आते रहते है।[4]

आशा है तुम लन्दनमे स्वास्थ्य-लाभ कर लोगे और अपने लोगोके बीच तुम्हारा समय अच्छा कटेगा।

सप्रेम

तुम्हारा
मोहन

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४०९९) की फोटो-नकलसे।

२९३. पत्र . मणिलाल गाधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन वदी २ [मार्च १४, १९१४]

चि० मणिलाल,

मैने तुम्हे लिखनेमे देर तो बिलकुल ही नही की है। जान पडता है, मै पते गलत लिख देता हूँ। जमनादासके मामलेमे भी यही हुआ। श्लेसिनका पता भी गलत लिख दिया था। आगेसे मै पते फिरसे पढ लिया करूगा।

बा की तबीयत सुधर रही है। कैलेनबेकको मैने अपने पत्रमें बापाके बारेमे जो कुछ लिखा था, वह तुमने देख लिया होगा। चि० सामलदासको एक चिटठी जरूर लिख देना।

यहाँ जो षडयत्र रचे जा रहे है उनको लेकर तुम्हे परेशान होनेकी जरूरत नही है। मेरी मृत्यु जिस दिन आनी है, उसी दिन आयगी। कोई उसमे एक क्षण भी कम या ज्यादा नही कर सकता। अपने आपको मृत्युसे बचानेका सर्वोत्तम माग सदा मृत्युके लिये तैयार रहना ही है। यह ठीक है कि हमें साधारण तौरपर अपने जीवनके प्रति

१ लक्ष्मीदास गांधीका देहावसान मार्च ९ को हुआ था।

२ १८८८ में कानून पढ़नेके लिए लन्दन गये थे।

३ इस सम्बन्धमें गाधीजीपर लक्ष्मीदास गाधीने जो आरोप लगाये थे, उनके गाधीजी द्वारा दिये गये उत्तरके लिए देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४४४-४८

४ गाधीजीने "पत्र **इंडियन ओपिनियनको**", पृष्ठ ३८२-८३ में शोकाजलियोंके लिए आभार व्यक्त किया था।

सावधान रहना चाहिए। हम इससे ज्यादा कुछ कर ही नही सकते। सच तो यह है कि मौतका हमे हर समय स्वागत ही करना चाहिए।

यदि स्वय भोजन बनाना बन्द करके तुम समय बचानेकी चेष्टा न करो, तो कोई हज नही है। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है, उसे चलने दो। मै समझता हूँ, इसमें कमसे-कम तीन घटे लगेगे। समय तो तुम तभी बचा सकते हो, जब तुम अपने भोजनमे परिवतन करो। फिलहाल परिवतन करना आवश्यक नही है। कैलेनबैकको भी मैने तदनुसार लिख दिया है।

अपनी किताबोकी सूची दुबारा फीनिक्स भेजो।

बापूके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १४९९) से।
सौजन्य राधाबहन चौधरी।

२९४ पत्र जमनादास गाधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन बदी ६ [मार्च १७, १९१४]

चि० जमनादास,

गेहूँ और खजूरके विषयमे तुम्हारा लिखना ठीक है। गेहूँका हरएक दाना पौधा पैदा कर सकता है। खजूरके बारेमे ऐसा नही है। खजूरका जो हिस्सा हम खाते है उसे बोये तो वह उग नही सकता। इसलिए हम जबतक बीचकी स्थितिमे है तबतक खजूर खानेमे बहुत दोष नही है। मूगफली खानेमे दोष है, यह तो मै हमेशा कहता आया हूँ। लेकिन हम ऐसी स्थितिमे नही पहुँचे है कि उसे छोड सके। जैतूनमे दोष नही है क्योकि जैतूनका बीज [उसके खाद्य हिस्सेसे] अलग होता है। तुम्हारा यह कहना ठीक है कि तिल खानेमे दोष है। अन्तमे [तिलका] तेल हमे छोडना ही है और सूखे मेवेसे मिलनेवाला तेल ही लेना है। यो तो सूखे मेवेमे भी मैने कहा ही है कि इस दोषकी शक्यता है, उदाहरणके लिए बादाम भी तो बीज ही है। फिर भी विचार करनेसे मालूम होगा कि गेहूँ खानेमे और बादामका सेवन करनेमे बडा अन्तर है। बादामका पेड हमेशा खडा रहता है, लेकिन गेहूँके पौधेमे से उसका बीज निकाल दिया जाये तो भूसा ही बच जाता है। उसका फिर और कोई उपयोग नही रह जाता। गेहूँ बोनेमे और तत्सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाओमे जो हिंसा है, बादाममे वैसी हिंसा नही है। लेकिन इस जाँच-पडतालमे हम ज्यादा नही उतर सकते। मै स्वय ज्ञानहीन हूँ और अपनी बुद्धिके अनुसार जो-कुछ मैने सोचा है उसे ही उसके अधूरे और अपक्व रूपमे मै तुम्हे कह देता हूँ। मूल सिद्धान्त यह है कि जैसे बने वैसे कमसे-कम वस्तुओसे अपना काम चलाना और जो-कुछ लेना वह भी कम ही लेना, उसके विषयमे किसी प्रकारकी शकाका कारण मै नही देखता। देहको केवल निर्वाहके लिए जितना आवश्यक

हो उतना भाडा देते रहना चाहिए, उससे अधिक नही। यह सूत्र याद रख कर हम अपने आहारके नियम गढे तो उत्तम। मै जैसा करता हूँ उस प्रकार अनेक फल इकट्ठे करके उनका स्वाद लेनेके बजाय जो मनुष्य दो-तीन तोला गेहूँका दलिया पका-खाकर पॉच मिनटमे निवृत्त हो जाता है वह बहुत ज्यादा उन्नत है। किन्तु जो मनुष्य पाँच केले खा कर निर्वाह कर लेगा वह गेहूँका दलिया खा कर रहनेवालेकी अपेक्षा ज्यादा आगे बढेगा। इसलिए गेहूँ का दलिया खानेवालेके लिए उन्नतिका जितना अवकाश है, फलाहारीको उसकी अपेक्षा अधिक है। किन्तु यहॉ भी मुख्य कारण मन है। अधिक महत्त्व हेतुका ही है।

हम जिसका फल लेते है उसके पत्ते, छाल आदि सभी कुछ ले सकते है, ऐसा अनुमान नही निकाला जा सकता, वह उचित नही होगा।

एकादशीके व्रतमे कुछ विशिष्ट हरी साग-भाजियाँ लेनेकी छूट है, किन्तु गेहूँ खानेका निषेध है—इसका कारण सूक्ष्म नही, स्थूल मालूम होता है। हरी भाजियोसे पूरा पेट नही भरता और लोग उन्हे अनाज नही मानते इसलिए [व्रतके विधायकोने] कुछ हरी भाजियोकी छूट दे दी, किन्तु गेहूँका यह कहकर निषेध कर दिया कि वह अनाज है, और इस प्रकार उन्होने एकादशीका व्रत पालनेके मूल हेतुको यानी अल्पाहारके हेतुको कायम रखा।

लौकी इत्यादि टमाटरोकी ही की तरह एक प्रकारके फल है। टमाटरोको आहारमे इसलिए रखा गया है कि वे बिना पकाये कच्चे खाये जा सकते है। लौकी आदि यदि कच्ची खाई जाये तो, पचेगी या नही इसमे शका है। मूली आदि घास-पातकी जड है और जड-मूल खानेको जैन धर्ममे अत्यन्त दूषित माना गया है। बा अदरक खाना चाहती थी, उसका असर कैसा होगा, मैने जाननेके लिए उसके साथ अदरक खाया। मुझे उसका असर अच्छा जान पडा। इसलिए मै उसे नीम [के रस] के बाद लेता रहा। बा उत्साही है। उसे भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। उसने कोमल अदरक इकट्ठा किया। वे तो जडे ही थी। एक दो दिन मैने उन्हे खाया और वे मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन आज सुबह मेरा मन दयासे द्रवीभूत हो गया और मुझे अपने ऊपर बडा तिरस्कार आया। ऐसा लगा, मानो मुझे इन अदरककी जडोमे व्याप्त उनका जीव दिखाई पड रहा हो। अदरककी एक-एक गॉठपर कई [छोटी-छोटी] कोमल जडे होती है। उन्हे खाना तो अनेक कोमल गर्भोका निपात करने-जैसा है। बहुत दुखी हुआ और आजसे मैने अदरक छोड दिया। मैने अदरकका त्याग इससे पहले कभी नही किया था, आवश्यकता होनेपर उसके लेनेकी छूट रखी थी। अब मै उसे लेनेमे दोष मानूगा और जहाँतक बनेगा नही लूगा। जो बन्धन अपने लिए मैने स्वीकार किये है भारत पहुँचनेके पहले अभी उनसे ज्यादा नही लेना चाहता, किन्तु अदरक तो मै इस देशमें नही लूँगा।

आगपर पकाया हुआ आहार लेनेसे जीवका कृत्रिम और इसलिए निर्दय नाश होता है। बिना पकाया हुआ खानेसे जीवका स्वाभाविक नाश होता है। इसके सिवा पकाये हुए आहारमे से उसका पोषक तत्त्व नष्ट हो जाता है। इस तरह सोचे तो हम पके हुए फल ही खा सकते है, और कुछ नही। कच्चे फल तोडना और खाना

दोषयुक्त है। इससे तुम देख सकोगे कि मैंने जितना सोचा-विचारा है वह सब मैं आचरणमें नहीं उतार सका हूँ और उस सीमा तक मेरे रहन-सहनकी रीतिसे विचार कहीं आगे हैं। किन्तु यह तो होगा ही। विचारोंका अनुसरण करनेके लिए तीव्र प्रयत्न तो हमेशा करता रहता हूँ।

गरम गरम खानेकी इच्छा होती रहती है, इसका कारण हमारी दीर्घकालीन कुटेव है। उसे प्रयत्न करके दबाना ही चाहिए। अनुचित इच्छाएँ तो उठती ही रहेंगी। उनका हम ज्यों-ज्यों दमन करेंगे त्यों-त्यों दृढ़ बनेंगे और हमारा आत्म-बल बढ़ेगा।

बा की तबीयत ऐसी ही चल रही है — न अच्छी, न बुरी। सूजन आज तो कुछ ज्यादा ही है, किन्तु वह हिम्मतसे चल-फिर रही है। मैंने उसे जो अच्छा लगे, खानेके लिए कह दिया है। अब जो हो जाये सो ठीक। फिलहाल वह ऐसी बीमार नहीं है कि बिस्तरपर ही पड़ी रहे।

यहाँ मुझे अभी तीन हफ्ते और लग जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६९७) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

२९५ आयोगकी रिपोर्टके बारेमें विचार

[केप टाउन
मार्च १७, १९१४के बाद][1]

आयोगने ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनका उल्लेख नहीं किया है। निहित अधिकारोंको मान्यता दी जायेगी, ऐसी घोषणा आवश्यक है। मैं निहित अधिकारोंका अर्थ क्या मानता हूँ, सो पहले ही बता चुका हूँ।

प्रवासी-अधिकारीको विशेष हिदायतें देकर उनपर वित्तीय धारा लागू करवाये बिना दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीय केपसे बाहर नहीं रखे जा सकते। सुझाव दिया गया है कि एक नई स्थिति पैदा होने अर्थात् दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे अपढ़ भारतीयोंका उपनिवेशमें अपरिमित प्रवेश होने तक ये हिदायतें अधिकारियोंको दे दी जायें।

इस (विवाहके) मुद्देपर आयोगकी रिपोर्टमें अस्पष्टता दिखाई देती है।
(क) अधिवासी भारतीयोंकी एकाधिक पत्नियोंको अपने नाबालिग बच्चोंके साथ प्रवेश करने दिया जाये, चाहे उन्होंने उससे पहले दक्षिण आफ्रिकामें प्रवेश किया हो या न किया हो। ऐसे मामले बहुत थोड़े हैं। ऐसे सभी मामलोंकी सूचना एक निश्चित अवधिके भीतर संघके अधिकारियों अथवा प्रान्तीय अधिकारियोंको दे दी जाये।

१ सॉलोमन कमीशनकी रिपोर्ट विधान-सभाके विचारार्थ मार्च १७, १९१४को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्टके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट २३।

(ख) एकाधिक स्त्रियोसे विवाह् कानूनन वैध न माने जानेपर भी भारतीय विवाह्-अधिकारियोको ऐसे विवाह् सम्पन्न करानेकी मुमानियत न ह्ो।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७७) की फोटो-नकलसे।

२९६. पत्र 'इडियन ओपिनियन' को

सम्पादक
'इडियन ओपिनियन'
महोदय,

भारतमे मेरे अग्रजकी मृत्युपर मेरी पत्नी और मेरे नाम सहानुभूतिसूचक इतने तार सघके विविध भागोसे मेरे पास आये है कि मेरे लिए अलग-अलग सस्थाओ और व्यक्तियोके पास धन्यवाद भेजना कठिन है। डबन, मैरित्सबर्ग, जोहानिसबग तथा अन्य स्थानोसे बहुत बडी सख्यामे शोक-सन्देश प्राप्त हुए है। मै इस सहानुभूतिके लिए सबको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मै एक शब्द कहना चाहूँगा। एक सत्याग्रहीके नाते और आत्माकी एकतामे दृढ निष्ठा रखनेवाले व्यक्तिकी हैसियतसे मुझे अपने भाईके निधनपर उससे ज्यादा दु ख नही होना चाहिए जितना नागप्पन, नारायणसामी तथा हरबतसिहकी मृत्युसे हुआ। ये सब सगे भाईकी तरह ही मेरे आत्मीय थे। उनके निधनके शोकमे भी मेरे मित्र मेरे साथ है। मेरे भाईके निधनकी अपेक्षा वलिअम्मा मून-सामीकी आकस्मिक मृत्यु मेरे लिए ज्यादा कष्टदायक है। तथापि मुझमें भी सामान्य मानवी दुबलताएँ है और अपने भाईकी मृत्युसे मेरे मनमे जो विचार उठते है वे उन भावोकी अपेक्षा कही अधिक तीव्र है जो मेरे तीन सत्याग्रही भाइयो तथा एक सत्याग्रही बहनकी मृत्युपर उठे थे। मेरे भाई मेरे लिए पिताके समान थे, और आज मै जीवनमे जो-कुछ हूँ उसका श्रेय मेरी स्वर्गीया माताके पश्चात् उन्हीको है। इस समय मेरे मनमे जो विचार सबसे ऊपर हे वह यह है कि यदि हमे जीवनमे भगवानका भय रहा है और हमने अपनी आत्माकी आवाजके खिलाफ कुछ नही किया है तो हमे मृत्युका कोई भय नही होना चाहिए। उस स्थितिमे तो मृत्यु एक बेहतर परिवर्तन-मात्र है, इसलिए वह एक स्वागत-योग्य परिवर्तन है और इससे कोई शोक नही होना चाहिए। मै अनुभव करता हूँ कि मेरे भाईके लिए मृत्युका ऐसा ही अथ होगा। और हम, जो दक्षिण आफ्रिकामे है, विशेषत जो सत्याग्रही है, उन्हे तो न केवल मृत्युके प्रति निर्भय रहना सीखना चाहिए, बल्कि उसका सामना करनेको तैयार होना चाहिए और जब कर्त्तव्यका पालन करते हुए हमारे सामने मृत्यु आये तब उसका स्वागत करना चाहिए। नारायणसामी तथा उनके तीन वारिस इसी तरह मरे है। मै ऐसी ही मौतकी कामना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सत्याग्रही ऐसी ही मौतकी कामना करता है।

अन्तमे, मेरे इस शोकमे अपनी सहानुभूतिसे मुझे अभिभूत करनेवाले अपने मित्रोसे मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि निकट भविष्यमे सत्याग्रहके सब मुद्दे सन्तोषजनक रूपसे तय हो जाये तो वे भारत लौटनकी मेरी इच्छाकी पूर्तिमे मेरी सहायता करे ताकि मै अपनी विधवा भाभीके चरण-स्पश कर सकूँ और अपने पिताके कुटुम्बकी पाँच विधवाओकी पारिवारिक जिम्मेदारीका बोझ उठा सकूँ। मृत्युके हाथोने अब हिन्दू परम्पराके अनुसार इस परिवारके प्रधानपदकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है।

आपका,

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १८–३–१९१४

२९७ पत्र . मणिलाल गाधीको

[केप टाउन]

गुरुवार [माच १९, १९१४][1]

चि० मणिलाल,

खुराकमे तुमने जो फेरफार किया है, बडा विचार करके ही किया होगा। ऐसा न करना कि जो शुरू करो उसे बादमे भूल जाओ और स्वप्नकी तरह उसकी केवल याद ही रह जाये। उसमे से कमसे-कम कुछ तो जीवन-भर टिकना चाहिए। तुमने इतना बडा फेरफार किया है कि उस बार चौमासेके बाद तुम्हारी जैसी दशा हो गई थी शायद इस बार भी वैसी ही हो जाये। अधिक आहारसे बचनेका एक ही रास्ता है, अपनी खुराक पहलेसे ही निकाल लेना और अतिरिक्त भोजनके बतन अलग रख देना, और फिर खाना। बा ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

श्री मणिलाल गाधी
बॉक्स २४९३
जोहानिसबर्ग

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजरातीमे लिखे पोस्टकार्ड (सी० डब्ल्यू० १०४) से।
सौजन्य सुशीलाबेन गाधी।

१ यह तिथि डाकघरकी मुहरसे ली गई है

२९८ पत्र रावजीभाई पटेलको

केप टाउन
फाल्गुन वदी १० [मार्च २१, १९१४]

भाई श्री रावजीभाई,

पत्र मिला। तुम्हारे उपवासकी खबर मैंने सुनी थी। यदि सकारण किया हो तब तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। तुम्हें वहाँ एकान्त नहीं मिल सकता। फीनिक्समें बाह्य कम अधिक होना चाहिए। उसीमें शान्ति है। वहाँ सेवा-धर्मको प्रधान पद दिया गया है।

'जे' की तबीयत बिगड़नेसे मैं चिन्तित हो गया हूँ। जल्दी ठीक हो जाये तो अच्छा है।

मगनभाईके लिए चित्त व्याकुल रहता है। समझमें नहीं आता कि बात ठिकाने क्यों नहीं आती। मैं भी यही ठीक समझता हूँ कि वे मेरे साथ चले आयें। तुम इसी प्रयत्नमें रहना। स्वदेश पहुँचनेपर देखूँगा कि क्या किया जा सकता है। ऐसा लगता रहता है कि यह किसी मानसिक रोगका परिणाम है। जेलमें तबीयत ठीक क्यों रहती थी, इसका कारण सोचता रहता हूँ लेकिन मुझे तो केवल ऊपरवाला कारण ही दिखाई देता है। वहाँ मन विवश होकर स्थिर हो गया था और उसका परिणाम शरीर-पर हुआ था — इस सीमा तक कि चाहे जो खुराक लेते रहनेके बावजूद तबीयत ठीक रही। क्या अब जेलके बाहर वे वैसा मनोराज्य [मनकी वैसी स्थिरता] प्राप्त नहीं कर सकते? जो भी हो, मगनभाईके लिए अब यही ठीक लगता है कि वे [मेरे साथ] भारत चले चलें। लेकिन वे भी इस प्रस्तावपर विचार कर देखें।

एक उदाहरण यहाँ मैं अपना दिये देता हूँ। बा को अदरक खानेकी इच्छा हुई। मैंने अदरक न खानेका व्रत नहीं लिया था इसलिए उसके गुण-दोष परखनेकी दृष्टिसे मैंने भी उनके साथ खाना शुरू किया। बा की जीभ चटोरी है। बा ने अदरकके नरम अंकुरोंको ढूँढ़ निकाला। मुझे वे भा गये और इस हद तक भा गये कि ४–५ चनों-जितने ये कोमल अंकुर मैं भी चबा डालता था। एक दिन बा ने श्रीमती गुलकी टोकरीमें ऐसे कई अंकुर देखे और उनमें से कुछ चुनकर अपनी कोठरीमें ला रखे। मैं तो उन्हें देखकर त्रस्त हो उठा। रात बीती, सुबह उद्वेगपूर्वक जल्दी उठा। मनमें प्रश्न घूम रहा था — अदरक कैसे खा सकता हूँ? जिसकी एक-एक गाँठसे अनेक अंकुर पैदा हो सकते हैं उसमें अवश्य ही प्रचुर प्राण-तत्त्व है। तब फिर कोमल अंकुर खाना तो सुकुमार बालककी हत्या करने-जैसा हुआ। मुझे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। निश्चय किया कि इस शरीरसे तो अब कभी अदरक नहीं खाऊँगा। मजा तो इसके बाद आया। बा ने देखा कि मैं अदरक नहीं खाता। उसने कारण पूछा। मैंने समझाया। वह समझ गई। वह ज्यादा कोमल अंकुर उठाकर ले गई और

जो शेष रह गये उनमें से खानेका आग्रह किया। मैंने इनकार किया। व्रत तो चल रहा है। किन्तु जीभ और आँख कुत्तो-जैसी [लालची] हैं। आँख जब देखती है तब अदरक खानेकी इच्छा होती है। जीभ उसके लिए तड़पती रहती है। किन्तु जिस प्रकार जूठनके ऊपर आँख गड़ाये बैठा हुआ कुत्ता अपने स्वामीको देखकर उसपर लपकनेकी हिम्मत नहीं कर सकता उसी प्रकार जीभ भी, यह जानकर कि आत्मारामजी सब देख रहे हैं, उस अदरकको छूनेकी हिम्मत नहीं कर सकती। अदरक तो सारे दिन मेरी आँखोंके सामने पड़ा रहता है, जहाँ मेरे कागज पड़े हुए हैं वहीं वह पड़ा हुआ है। इस समय मेरी दशा ऐसी है कि शकर और नमक छोड़नेमें मुझे जैसी कठिनाई नहीं हुई वैसी कठिनाई अपनी वृत्तिको अदरकसे खींचनेमें हो रही है।

अब तुम अपना दोष क्या निकालोगे? मनको मद्य पी कर मत्त बने हुए बन्दरकी उपमा दी गई है, सो गलत नहीं है। तुम मेरे पाससे ज्ञान सीखनेकी बड़ी-बड़ी आशाएँ रखते हो, लेकिन कैसे? हम सब एक ही टूटी नावमें बैठे हैं, उसमें अनुभव-रूपी ज्ञान मेरे पास कुछ अधिक होगा और यदि इसलिए मैं जहाँ बताऊँ तुम वहाँ पाँव रखो तो भले रखो। [लेकिन सच तो यह है कि] हम सब अँधेरेमें हैं और उसी एक वस्तुकी खोज कर रहे हैं। हो सकता है, मेरे पाँव ज्यादा जोरसे पड़ते हों, उन्हें अपनी शक्तिका ज्यादा विश्वास हो। किन्तु मेरे प्रति इससे ज्यादा सम्मानकी भावना रखना तुम्हारे लिए अपनी उन्नतिका रास्ता रोकने-जैसा होगा। जब मैं अपनी सारी इच्छाओंपर विजय पा लूँगा तब अवश्य मैं तुम्हें या दूसरोंको निस्संकोच ज्ञानका उपदेश करूँगा। अभी तो हम एक साथ ताकत लगाकर मोक्षदाता नारायणकी खोज करें और उस खोजमें, भूल होने, गिरने या चोट खानेकी परवाह न करते हुए, हिम्मत और धीरजके साथ आगे बढ़ते रहें।

मोहनदासका यथायोग्य

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना और **जीवननु परोढ़**

२९९. पत्र : जमनादास गांधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन बदी ११ [मार्च २२, १९१४]

चि० जमनादास,

तुम्हारे दो पत्र आज ही मिले हैं। शनिवारको हमेशा डाक दो बार आती है। नीमके पेड़के बारेमें रुस्तमजी सेठ तथा भाई मोतीलालजीको[1] लिखना। मगनलाल उसका पौधा ढूँढ़ कर लगा दे तो अच्छा। श्री कैलेनबैककी खोजके अनुसार मैकरोनी खाई तो जा सकती है किन्तु वह अमुक स्थानकी ही। लेकिन इसमें एक बड़ा दोष यह है कि वह मांसाहारी लोगों द्वारा बनाई गई वस्तु है और उसके बारेमें हम

१. मोतीलाल एम० दीवान, नेटालके एक प्रमुख भारतीय।

अध्ययनकी वृत्ति होनी चाहिए और तुम्हारा चित्त निमल होना चाहिए। केवल दूसरोपर छाप डालने, उन्हे प्रभावित करनेकी इच्छासे किये गये कायकी कोई छाप नही पडती। छाप ऐसे कार्योकी ही पडती है जो हमे सचमुच प्रिय हो और जो श्रेयस्कर भी हो। इसलिए तुम्हे क्या करना है, इसका विचार अपनी रुचिका खयाल करते हुए तुम्हे ही करना चाहिए और फिर उससे आमरण चिपटे रहना चाहिए।

चिरजीव हरिलालका पत्र पढनेके लिए तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उसकी दशा कैसी दयनीय हो गई है, इसका विचार करना। इसमे दोष उसका नही, मेरा है। उसके बचपनमे मेरे रहन-सहनमे सयमका अभाव था, उसके चित्तपर उसीकी छाप रह गई है। पत्र पढकर फाड देना।

बापूके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०३) से।

सौजन्य सुशीलाबेन गाधी।

३०१. पत्रका अश

[केप टाउन]
रविवार [माच २२, १९१४][1]

आत्माके सिवा बाकी सब क्षणभगुर है। प्रतिक्षण हमे न केवल इसका विचार करते रहना चाहिए, उसके अनुरूप कार्यमें सदा रत भी रहना चाहिए। ज्यो-ज्यो विचार करता हूँ त्यो-त्यो मै सत्य और ब्रह्मचर्यकी महिमा अधिकाधिक महसूस कर रहा हूँ। ब्रह्मचय और नीतिके सब सिद्धान्तोका समावेश सत्यमे हो जाता है। तब भी मुझे लगता है, ब्रह्मचर्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे सत्यकी बराबरीका आसन दिया जा सकता है। मेरा दृढ विश्वास है कि इन दोनोके द्वारा किसी भी कठिनाईपर विजय पाई जा सकती है। वास्तविक कठिनाइयाँ तो हमारे मनोविकारोकी है। यदि हम सुखके लिए बाह्य सम्बन्धोपर बिलकुल निभर न रहे तो लोग क्या कहेगे, इसके बजाय हम इसी बातका विचार करेगे कि हमे क्या करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

गाधीजीनी साधना और जीवन प्रभात

१ मूलमें यह पत्र १९१४ का माना गया है, लेकिन उसकी ठीक तिथिका पता नही लगता। कि तु जान पड़ता है कि यह और मणिलाल गांधीको लिखित पत्र (देखिए पिछला शीर्षक) लगभग साथ ही लिखे गये होंगे।

३०२ आयोगकी रिपोर्ट और सिफारिशे[1]

पिछले हफ्ते [भारतीय जाच] आयोगकी रिपोट प्रकाशित हो गई। हमे मानना पडेगा कि इस रिपोटसे सदस्योकी न्यायबुद्धि प्रकट होती है। तीनो सदस्योने उसपर एकमत होकर हस्ताक्षर किये है। उसके लिए श्री एसेलेन और श्री वाइली बधाईके पात्र है। कभी हमे उनकी नियुक्तिकी कडी आलोचना करना अपना कत्तव्य जान पडा था। किन्तु, उन्होने अपने पहलेके विचारोको एक ओर रख दिया और न्याय किया। हमारा खयाल है कि इस शुभ परिणामका कारण भारतीय समाज द्वारा किया गया आन्दोलन ही है।

श्री गाधीने, और उन्हीकी सलाहपर भारतीय समाजके एक बहुत बडे भागने, आयोगके सम्मुख गवाही नही दी, इसलिए आयोगके सदस्यो और लॉड हार्डिजने भी उनकी आलोचना की है। आयोगने आलोचना की, इसमे आश्चयकी कोई बात नही। उसे तो जैसे बने वैसे भारतीयोकी गवाहियाँ चाहिए थी। यह भी समझमे आने लायक बात है कि वाइसराय महोदयने आलोचना क्यो की। उन्होने पहले जो सलाह दी थी, उसपर भी उन्हे दृढ रहना था और आयोगको अपना समथन भी देना था। किन्तु, इस सबके होते हुए, आज भी हमारा यही खयाल है कि भारतीय समाजने गवाही न देकर बहुत बुद्धिमानी की। यह तो स्पष्ट है कि जो सौगन्ध एक बार ले ली, उसे तोडा नही जा सकता। यदि उन्होने गवाहियाँ दी होती तो यह सत्याग्रहके मूलपर ही आघात करने-जैसा होता। इतना ही नही, परिणामसे भी यह सिद्ध होता हे कि गवाहियाँ नही देकर उन्होने ठीक किया। हमारे पास कमसे-कम तीन सौ साक्षी थे। दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय मण्डल अपनी शिकायतोके समथनमे गवाही दे सकता था। गोरे लोग गवाही देते, सो अलग। इस तरह हमारी गवाहियाँ लेनेमे छ महीने बीत जाते। उसके बाद उनके बारेमे अपना निणय देनेमे आयोग भी कुछ समय लेता। इसका परिणाम यह होता कि ससदके वतमान सत्रमें [हमारी शिकायतोको दूर करनेके लिए] जो विधेयक पेश किये जानेकी सम्भावना है, वह पेश नही किया जा सकता। और हमारे लिए इससे अधिक दु खकी बात और क्या होती? फिर, यदि हमने गवाही दी होती तो आज जो शान्ति और पारस्परिक सद्भावनाका वातावरण छाया हुआ है, वह नही होता। श्री ऐड्रचूजने नम्रता तथा प्रेमके साथ काम करते हुए चुपचाप सुलहके बीज बोये है — यह भी नही हो पाता। क्योकि गवाही देनेसे दुर्भाव बढता। हम भी कडे वचन कहते और गोरे भी। हमारी गवाहियोके विरुद्ध गोरे और भी सख्त गवाहियाँ तैयार करते और उस हालतमे श्री एसेलेन और वाइलीमे वह दायित्व-भाव नही आता जो अन्यथा आया। वैसी स्थितिमे आज हमे समझौतेकी जो पूरी आशा हो चली है, वह नही हो पाती। इस प्रकार हमने लॉर्ड हार्डिञ्ज तक की सलाहकी

१ यह सम्पादकीय टिप्पणीके रूपमें प्रकाशित हुआ था।

परवाह न करते हुए, कर्त्तव्य मानकर अपनी प्रतिज्ञापर दृढ रहनेका जो पवित्र कार्य कर दिखाया, उसमे से दूसरे सुन्दर और सरस फल भी हमें अनायास ही प्राप्त हो गये। ऐसी है सत्यकी महिमा, ऐसा है सत्याग्रहका प्रताप! जो ईश्वरसे डर कर चलता है उसे मनुष्यसे डर रखनेकी कोई जरूरत नही, यह बात करोडो बार सिद्ध हो चुकी है।

आयोगकी रिपोट देखनेसे भी ऐसा ही सिद्ध होता है। तीन-पौडी कर तथा विवाहके सम्बन्धमे हमारी ओर से बहुत कम गवाहियाँ दी गईं। किन्तु, ये दोनो बाते हमारी लडाईका मुख्य हेतु थी और उनके सम्बन्धमे आयोगने जो सिफारिशे की है, उनसे अच्छी सिफारिशे हमारे लाख गवाहियाँ देनेपर भी नही की जा सकती थी। यदि हमने तीन-पौडी करके विषयमे गवाहियाँ दी होती तो, हमे लगता है, यह भी हो सकता था कि आयोगने इस करकी जितनी कडी आलोचना की उतनी कडी आलोचना वह नही करता। जिन बातोके सम्बन्धमें भारतीयोने नासमझी अथवा अज्ञान-वश गवाहियाँ दी, उन बातोके सम्बन्धमें समाजको कुछ खोना ही पडा है। एक भार-तीयने यह शहादत दी कि उसे पीटा गया, किन्तु उसकी शहादतको आयोगने बिलकुल उडा ही दिया है। प्रवासी कानूनके सम्बन्धमे जो गवाहियाँ दी गई, वे इतनी कमजोर थी कि श्री पोलक द्वारा सर बेंजामिनको भेजे गये जोरदार नोटके असरपर भी पानी फिर गया और आयोगके सामने जो कमजोर गवाहियाँ दी गई है उनका परि-णाम यही हुआ है कि लोगोके हाथोमें झुनझुने थमा कर उन्हे बहला दिया गया है। जिन छोटी-छोटी बातोके सम्बन्धमे समाज किसी भी समय — चाहे वह समझौता हो जानेके बाद होता या समझौतेकी रूसे ही — राहत पा सकता था, उन्ही बातोके सम्बन्धमे उसने आयोगको आलोचना करनेका अवसर देकर अपना ओछापन सिद्ध किया। अब एक दो उदाहरण लीजिए। आयोगने एक-साला प्रमाणपत्रोके बदले तीन-साला प्रमाण-पत्र जारी करनेकी सिफारिश की है। सच तो यह है कि हम [अधिवासके] स्थायी प्रमाणपत्र पानेके हकदार है, और हमने सर बेजामिनसे यही माँग की थी। आयोगसे तीनसाला प्रमाणपत्रकी माँग करनेके कारण हमारी स्थायी प्रमाणपत्रकी माँग दब गई। व्यापारिक परवानोके बारेमे आयोगके सामने दी गई बेसिर-पैरकी गवाहियोका परिणाम यह हुआ कि उसने इस सवालको बिलकुल उडा ही दिया। गवाहियाँ देनेवाले लोगोने ट्रान्सवालके स्वण-कानूनके साथ और भी सवाल जोड दिये, जिससे आयोगने इसे भी किनारे कर दिया। इस प्रकार जिन बातोके सम्बन्धमे गवाहियाँ दी गई है, उनमे तो हमे बहुत कमपर ही सन्तोष करना पडेगा। समाजको स्मरण होगा कि उपर्युक्त सारी बातोका समावेश श्री काछलियाके पत्रकी पाँचवी माँगमे हो जाता था।[१] उसमें सभी मौजूदा कानूनोके वाजिब अमलकी माँग की गई थी। यदि यह माँग न होती तो जो गवाहियाँ दी गईं वे भी न दी गई होती। अत, जिन भाइयोने उतावलीमे बिना कोई विचार किये गवाहियाँ दे दी, उन्होने यदि ऐसा नही किया होता तो जो बात तीन-पौडी कर आदि प्रश्नोके सम्बन्धमे हुई, वही पाँचवी माँगके बारेमे भी होती।

१ देखिए "पत्र गृह-सचिवको", पृष्ठ १७७–८०।

फिर भी, उनकी गवाहियोसे कोई स्थायी हानि नही हुई है, क्योकि पाँचवी मॉग तो हमेशाकी माँग है। यदि सरकारने वैसा आश्वासन दे दिया — और उसे देना ही पड़ेगा — तो समाज स्वर्ण-कानून, व्यापारिक परवाना कानून आदिके अमलका प्रश्न औचित्यके साथ उठा सकेगा। और ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि उस प्रश्नको उठाया जा सके। हमारे प्रश्नके सम्बन्धमे आयोगकी रिपोट कोई ब्रह्म-वाक्य नही है। जिस हद्तक वह रिपोर्ट हमारे विरुद्ध है, उस हद्तक सत्याग्रही उससे बँधे हुए नही है। और यदि समाजके कुछ लोगोने अज्ञानवश उल्टी-सीधी गवाहियाँ दे दी तो उससे समाजकी कोई हानि नही हो सकती, बशर्ते कि वह यह समझ ले कि उसका इलाज उसके ही हाथोमे है।

आयोगकी रिपोटमे बताया गया है कि सत्याग्रह सघर्ष सर्वथा उचित था, वचन-भगके बारेमे हमने जो आरोप लगाया वह सही था, और हमारी सारी माँगे वाजिब थी। इस परिणामको कोई ऐसा-वैसा परिणाम नही माना जा सकता, और हम तो मानते है कि इस बातसे कोई इनकार नही कर सकता कि यह सब सत्याग्रहका ही प्रबल प्रताप है।

यदि सरकारने विवाहके सम्बन्धमे आयोगकी सिफारिश स्वीकार कर ली तो परिणाम निम्न प्रकार आयेगे

(१) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियॉ हो, उसकी एक पत्नीको और उस पत्नीसे उत्पन्न उसके नाबालिग बच्चोको कानूनी तौरपर प्रवेशका अधिकार होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहे तो वह दिला सकेगा, और तदर्थ नियुक्त मौलवी अथवा ब्राह्मणके सामने या विवाह-अधिकारीके सामने उसका पजीयन करा सकेगा।

(३) जो व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहेगा, वह अपने विवाहका पजीयन करा कर कानूनी मान्यताका प्रमाणपत्र ले सकेगा और फिर उसकी पत्नीको उतने ही अधिकार प्राप्त होगे जितने कि किसी यूरोपीय पत्नीको।

(४) नये विवाहोके लिए मुल्ला अथवा ब्राह्मण विवाह-अधिकारी नियुक्त करनेकी व्यवस्था की जायेगी।

(५) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियाँ है, वह उन्हे और उनसे उत्पन्न नाबालिग बच्चोको साथमे ला सकेगा। किन्तु, उन्हे कोई कानूनी हक नही मिलेगा।

(६) जिस व्यक्तिका एकपत्नीक विवाह कानूनके अनुसार हो गया हो, वह भी अपने धमके अनुसार दूसरा विवाह कर सकेगा। किन्तु, दूसरी पत्नीको कानून सम्मत नही माना जायेगा।

(७) कोई भी भारतीय इनमे से कोई कदम उठानेके लिए बँधा हुआ नही है, और न इस कारण वह अपनी पत्नीके अधिकार ही खोयेगा कि उसने वैसा नही किया।

हमारा खयाल है, इससे कुछ अधिक न हमने माँगा था और न मॉग ही सकते है। अन्तमे विवाह तथा तीन-पौडी करके सम्बन्धमे कानून बननेके साथ-साथ सरकारकी ओरसे केप, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोके अमलके बारेमे भी निश्चयपूवक समाधान होना चाहिए, और जब यह सब हो जायेगा तभी गत आठ वर्षोसे चल रहे इस महासमरका

अन्त होगा। फिलहाल तो ऐसे बहुत-से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आशा बँधती है कि उसका अन्त होगा। किन्तु, जब राम-जैसे महापुरुष नही जान सके कि कल क्या होनेवाला है तब हमारी क्या बिसात कि भविष्यमें क्या होगा, यह कह सके?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २५-३-१९१४

३०३ भाषण: केप टाउनके स्वागत-समारोहमें[1]

[मार्च २५, १९१४]

श्री गाधीने समारोहमें उपस्थित व्यक्तियोको धन्यवाद दिया तथा श्रीमती गाधीकी बीमारीमें उनकी तथा अपनी सेवाके लिए श्री और श्रीमती गुल तथा उनके परिवारके अन्य सदस्यो तथा समय-समयपर श्रीमती गाधीका समाचार पूछने आनेवाले और फलादि लानेवाले मित्रोके प्रति भी आभार प्रकट किया। उन्होने आयोगके प्रतिवेदन (रिपोट)का क्या-कुछ असर हो सकता है, इसे स्पष्ट किया और बहुत जोर देकर समझाया कि हिन्दू और मुसलमान भाई बनकर रहेंगे तो उससे समाजका भला होगा। उन्होने बताया कि हर कौम अपने धर्मका पालन करते हुए भी एकताके साथ रह सकती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १-४-१९१४

३०४. पत्र: महात्मा मुंशीरामको[2]

फीनिक्स
नेटाल
मार्च २७, १९१४

प्रिय महात्मा जी,

श्री ऐंड्रयूज मुझे आपके नाम और कामके बारेमे बतला चुके है। इसलिए ऐसा नही लगता कि मैं किसी अजनबीको लिख रहा हूँ। आशा है, इस सम्बोधनके लिए आप मुझे क्षमा करेगे। क्योकि मै और श्री ऐंड्रयूज दोनो ही आप और आपके कामके

१ हिंदू सभाके तत्वावधानमें भारतीयोंकी एक सभा गाधीजी, श्रीमती गाधी और इमाम अब्दुल कादिर बावजीरके सम्मानार्थ आयोजित की गई थी। पाटीदार समितिने गाधीजीको इस अवसरपर ७ पौंड और १० शिलिंगकी एक रकम उनके निजी उपयोगके लिए भेंट की।

२ (१८५६-१९२६), बादमें स्वामी श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध, हरिद्वारके निकट काँगड़ीमे गुरुकुलके सस्थापक, एक प्रगतिशील हिंदू नेता, जिनको एक धर्मांध मुसलमानने मार डाला था।

बारेमे चर्चा करते समय यही सम्बोधन इस्तेमाल करते रहे है। श्री ऐड्रयूजने मुझे यह भी बतलाया था कि आपका, गुरुदेवका[1] और श्री रुद्रका[2] उनपर कितना अधिक प्रभाव पडा है। उनसे मुझे पता चला कि आपके शिष्योने सत्याग्रहियोके लिए कितना काम किया था। उन्होने गुरुकुलके जीवनके इतने सुन्दर शब्द-चित्र खीचे थे कि यह पत्र लिखते समय लगता है, जैसे मै गुरुकुलमे ही पहुँच गया हूँ। श्री ऐड्रयूजने मेरे मनमे उक्त तीनो स्थानोको देखने और इन सस्थाओकेप्रधान, भारतके तीन महान् सुपुत्रोके प्रति सम्मान प्रकट करनेकी उत्कट अभिलाषा जगा दी है।

आपका

मोहनदास क० गांधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० २२०४) की फोटो-नकलसे।

३०५. पत्र गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स
नेटाल
अप्रैल १, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

मुझे आपके दो तार मिले। फिलहाल मै बादवाले तारका जवाब दे रहा हूँ। मुझे इसमे सन्देह है कि श्रीमती गाधी समझौता होने तक जीवित रहेगी। मै यह पत्र उनके पलगके पास बैठा लिख रहा हूँ। स्वय मुझे उनका डॉक्टर, नस और सब कुछ होना पडा है। फिर मेरे भाईकी मृत्युसे पाँच विधवाओ और उनके बच्चोकी पूरी जिम्मेदारी मुझपर आ गई है। डॉ० मेहता अभी अन्य लोगोका खच दे रहे हैं। मुझे इसमें सदेह नही कि इसमें वे मेरे भाईकी विधवाका खच भी जोड देगे। परन्तु स्वाभाविक है कि वे और अन्य लोग मुझे यथासम्भव शीघ्र अपने साथ देखनेको उत्सुक हैं। अतएव आप इसे नितान्त आवश्यक ही न समझें तो मै लन्दन जानेमे हिचकिचाऊँगा। यदि आप आवश्यक समझते है तो श्रीमती गाधीके देहावसान होने या उनकी तबीयत थोडी सुधरनेपर मै अवश्य आऊँगा, कहनेका अर्थ यह है कि कमसे-कम दो महीनेके लिए उनसे दूर रहना तभी सम्भव होगा।

मै आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि भारतीय कानूनपर २२ तारीखको सघ-ससदके फिर शुरू होनेसे पूर्व विचार नही होगा।

मुझे पूरी आशा है कि आपको विशीमे इलाजसे वास्तविक लाभ होगा।

१ रवीन्द्रनाथ टैगोर।

२ सुशील कुमार रुद्र, प्रिंसिपल, सेण्ट स्टीफेन्स कॉलेज, दिल्ली (१९०९–२३)।

मैं जानता हूँ कि आपसे मेरे या मेरे भविष्यके बारेमें चिन्ता न करनेकी प्रार्थना करना व्यर्थ है। मैं भारतमें चाहे जहां रहूँ, हमारे बीच जो समझौता हुआ है उसपर कायम रहूँगा, यानी मुझे भारत पहुँचनेके बाद एक साल तक दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नके अलावा बिलकुल चुप रहना है। अन्य बातोंके बारेमें भी मैं वादा कर चुका हूँ।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७५) की फोटो-नकलसे।

३०६. पत्र : मणिलाल गांधीको

[फीनिक्स
नेटाल]
चैत्र सुदी ८, १९७० [अप्रैल ३, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुमने जो फेरफार किया है वह बहुत अच्छा है। दृढतापूर्वक उसका पालन करते रहोगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रातःकाल उठनेकी महिमा बहुत सुनी है। अप्रैलकी पहली [तारीख] से क्यों डरते हो? चैत्र शुक्ल ५ तो पर्वकी पंचमी मानी जाती है। अर्थात् तुमने उक्त परिवर्तनके लिए एक शुभ दिन चुना है। और आखिरकार अपनेको मूर्ख तो हम स्वयं ही बना सकते हैं। यदि हम तेजस्वी हों तो किसी दूसरेमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह हमें मूर्ख बना सके।

सुबहका समय बहुत उपयोगी कार्योंमें लगाना। उस समय गणितके सवाल जरा जमकर कर लिया करो तो भी काफी होगा। और अधिक मैं बादमें बताऊँगा। तुम्हें किताबें भेज रहा हूँ। संस्कृतको खूब पक्का कर डालना।

बा गेहूँके आटेकी काफी, दूधके बिना, ले रही है। इसके सिवा वह और कुछ नहीं लेती। चलने-फिरनेमें असमर्थ है। लगता है, सूजन उतर जायेगी। कहना कठिन है कि क्या परिणाम होगा।

बापाके पत्रका क्या किया? उनके बारेमें अंग्रेजीमें कुछ लिखा था, उसका क्या हुआ।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९५) से।
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी।

३०७. विवाह-सम्बन्धी एक घोषणा

सघ-सरकारके २४ मार्चके गज़टमे एक विवाह-सम्बन्धी घोषणा निकली है जो महत्त्वपूर्ण है, क्योकि भारतीय विवाहोके प्रश्नपर जो कानून बन रहा है उसपर इसका प्रभाव पडता है। हम घोषणाका पाठ अन्यत्र छाप रहे है। इस घोषणाके अनुसार वर्तमान नेटाल कानूनके अन्तर्गत प्रस्तावित मुसलमानी तथा यहूदी विवाहोकी पूर्व सूचनाका प्रकाशन आवश्यक होगा। यदि अमली तौरपर घोषणाका मतलब केवल यहूदी विवाहोसे हो तो हमे कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि यह घोषणा भावी भारतीय विवाह कानूनका पूर्वाभास है और लोगोकी प्रतिक्रिया जाननेके लिए प्रकाशित किया गया है तो यह अनिष्टका सूचक है। क्योकि भारतीय प्रस्तावका सार तो यह है कि भारतके महान धर्मोंमे विवाहकी जो धार्मिक विधियाँ निर्दिष्ट की गई है उनके अनुसार सम्पन्न विवाहोको दक्षिण आफ्रिकाके कानूनमे मान्यता मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वे एकपत्नीक हो। भारतीय धर्मोंमे सगाईकी पूर्व-सूचनाके प्रकाशनकी आवश्यकता नही मानी जाती। भावी विवाहको व्यापक रूपमे विज्ञापित करनेका हमारा अपना ढग है (जो हमारी रायमे विवाहकी पूर्व-सूचनाके प्रकाशनसे कही श्रेष्ठ है)। यदि विवाहके विरुद्ध धार्मिक प्रथा या कानूनकी दृष्टिसे कोई आपत्ति हो तो कोई प्रतिष्ठित भारतीय पुरोहित विवाह नही करायेगा। और स्वय जाति या बिरादरीका रुख आचार-सम्बन्धी नियमोल्लघनके मामलोमें बहुत सख्त होता है। यद्यपि हम एकपत्नीत्वके विषयमे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोकी भावनाको ठेस नही पहुँचाना चाहते किन्तु हम अपने धार्मिक सिद्धान्तोको रत्ती-भर भी छोडनेका इरादा नही रखते। हम प्रस्तावित कानून प्रकाशित होनेसे पहले ही यह चेतावनी दे देना उचित समझते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–४–१९१४

३०८. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको

[फीनिक्स
नेटाल]
अप्रैल ८, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

मै आपका ध्यान निम्नलिखित बातकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री पोलकने आपके पास कुछ अस्थायी प्रमाणपत्र भेजे थे, जो १९११ के अस्थायी समझौतेके अनुसार ट्रान्सवालमे बसनेकी अनुमति-प्राप्त शिक्षित भारतीयोको दिये गये थे। उनके बदलेमे आपको १९१३ के प्रवासी विनियमन अधिनियमके अनुसार स्थायी प्रमाणपत्र भेजने थे। मुझे मालूम हुआ है कि श्री चैमनेने लिखा है कि अभी स्थायी प्रमाणपत्र

जारी नही किये जा रहे है। क्या मै जान सकता हूँ कि वे क्यो जारी नही किये जा रहे है?[१]

आपका सच्चा,

ई० एम० जॉर्जेस
गृह-मन्त्रीका कार्यालय
केप टाउन

टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९५८) की फोटो-नकलसे।

३०९ पत्र · ई० एफ० सी० लेनको

[फीनिक्स
नेटाल]
अप्रैल ८, १९१४

प्रिय श्री लेन,

मैने सघ-सरकारके 'गजट' मे विवाह सम्बन्धी एक घोषणा देखी है। उसके अनुसार मुस्लिम या हिब्रू विवाह-अधिकारियो द्वारा अपने विवाह सम्पन्न करानके इच्छुक व्यक्तियोको विवाह करनेकी अपनी इच्छाकी सूचना पहलेसे प्रकाशित करा देनी पडेगी। मुझे नही मालूम कि यह घोषणा सरकारकी भावी नीति बतलानेके लिए जानबूझकर निकाली गई है, या हिब्रू लोगोके लिए ही यह घोषणा अपेक्षित थी, लेकिन उसमे उल्लिखित नेटाल विवाह-कानूनके सिलसिलेमे मुसलमानोका जिक्र करना जरूरी हो गया था। यदि पहली बात सही हो, तो मै जनरल स्मट्सका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैने भारतीय समाजकी ओरसे यही कहा था कि भारतीय धार्मिक विधिसे वस्तुत सम्पन्न पहलेके एकपत्नीक विवाहोको वैध करार दिया जाना चाहिए और भविष्यमे भी ऐसे विवाहोको वैध माना जाना चाहिए। उल्लिखित विवाह-सम्बन्धी घोषणा द्वारा विवाहकी इच्छा की पूर्व-सूचना प्रकाशित करानेकी प्रथा लागू की जा रही है। यह एक ऐसी प्रथा है जो हिन्दुओ और मुसलमानो दोनो ही के रीति-रिवाजोके सर्वथा विपरीत है, क्योकि दोनो ही धर्मोंकी अपनी-अपनी विधियाँ इतनी विस्तृत है कि उनमे धोखेबाजीके विवाहोकी गुजाइश ही नही। मै समझता हूँ कि मुझे इस विषयकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान इस समय आकर्षित कराना ही चाहिए जब कि आयोगकी सिफारिशको प्रभावी बनानेवाले विधानका मसविदा तैयार किया जा रहा है।

श्री मेलरको दिये गये श्री बटनके उत्तरसे मुझे यह भी पता चला है कि रेलवे विभागने अपने गिरमिटिया भारतीय कर्मचारियोकी मजदूरीसे तीन-पौंडी करकी आशिक अदायगीकी किस्तें काट ली है। आयोगने इस करके बारेमे जो रुख अपनाया था उससे यह तरीका बिलकुल मेल नही खाता। आयोगसे जिन मुख्य-मुख्य विषयोपर सलाह

१ इसका यह उत्तर दिया गया था कि मामला विचाराधीन है और एशियाई विधान पास हो जानेके बाद ही उसपर कार्रवाई की जायेगी।

मॉगी गई थी, उनमे तीन-पौडी कर भी एक था और इसलिए सरकारको कमसे-कम आयोगका प्रतिवेदन आने तक इस करकी किस्ते काटना बन्द ही रखना चाहिए था। अब आयोगका प्रतिवेदन आ चुका हे और उसमे इस करको रद करनेकी बडी जोरदार सिफारिश की गई हे, इसलिए मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित अधिकारियोको इस करकी किश्ते काटनेपर आग्रह न करनेके लिए यदि अभी तक हिदायते नही दी गई है तो अब दे दी जायेगी, क्योकि मै समझता हूँ कि यदि सरकार करको रद करनेका विधेयक पेश करेगी तो करकी बकाया राशि माफ कर दी जायेगी।

आपका सच्चा

श्री अर्नेस्ट एफ० सी० लेन
गृह-मन्त्रीका कार्यालय
केप टाउन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९५७) की फोटो-नकलसे।

३१०. पत्र · मणिलाल गाधीको

[फीनिक्स,
नेटाल
रविवार, चैत्र वदी २, अप्रैल १२, १९१४][1]

[2]श्री कैलेनबैक चाहे जब सोये, परन्तु तुम्हे तो एक ही नियम रखना चाहिए। खानेके बारेमें भी यही बात है। तुम जिन वाक्योको न समझ सको उनका अथ यह है "जो कर्म सिर्फ नियमसे (अक्षराथ करके) किये जाते है उनके लिए तो शाप है। फिर भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो नियममे बताये हुए कम नही करते रहते वे सब शापित है।"[3] भावाथ यह है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पानेवाले लोग कभी मोक्ष प्राप्त नही कर सकते। ऐसा ही वचन गीताजीमे है, उसपर विचार कर लेना। "त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन" — यह वाक्य अर्जुनसे श्री कृष्णने कहा था। इसका यह अथ नही कि शास्त्रविहित कम न किये जाये। परन्तु उन्हे करना ही काफी नही है। अर्थ यह है कि उनका गूढ अर्थ समझकर, उनका हेतु समझकर हम उससे आगे बढें। जो आदमी विहित कम छोडकर शुष्क ब्रह्मवादी बन जाता है, वह न तो इधरका रहता, न उधरका। वह शास्त्रका सहारा खो बैठता है, और ज्ञानका आधार उसे मिलता नही, इसलिए वह गिरता ही है। इसीलिए "गेलेशियनो" को सन्त पालने कहा था "तुम लोग शास्त्रके अनुसार कर्म तो करो ही, परन्तु ईसापर श्रद्धा रखकर उनकी शिक्षाका अनुसरण नही करोगे तो शापित रहोगे।" यही भावार्थ "बॉण्ड मेड" और "फ्री वुमैन" के सम्बन्धमे है। बॉण्ड यानी बन्धन। शास्त्रको स्थूल माताकी उपमा दी

१ तिथि श्री रावजी भाई पटेल द्वारा प्राप्त।
२. जान पडता है, मूल सूत्रमें यहाँ कुछ शब्द छोड दिये गये हैं।
३ बाइबिल।

गई है और कहा गया है कि वह तो गुलामीके दर्जेकी है, इसलिए उसकी सन्तान भी गुलाम ही होती है।

श्रद्धा अर्थात् भक्तिको दिव्य माताकी उपमा दी गई है और दिव्य माताकी सन्तान देवरूप होती है। यह भावाथ समझकर आगे-पीछेके वाक्योपर विचार करना और लिखना कि अच्छी तरह समझमे आया या नही। पहले 'कॉरिन्थियन्स' के १५ वें प्रकरणके ५६ वे श्लोकका अथ यह हे कि पाप ही मौतका डक है, यानी पापी मनुष्यके लिए ही मौत डकके रूपमे है। और दूसरे वाक्यका अर्थ यह है कि पुण्यशालीके लिए मृत्यु मोक्षका साधन है, और शास्त्रोके शुष्क ज्ञानमे शापका बल होता है। यह हम पग-पग पर देखते है। शास्त्रोके नामपर सैकडो पाप होते है। पाँचवे 'रोमन्स' के २० वे श्लोकका अथ आसान है। उसके सिवा, शास्त्र घुसा और अपराध बढे। लेकिन जब-जब पापका पुज बढा, तबतब ईश्वरकी कृपा भी बढी। यानी ऐसे कलिकालके समय भी शुष्क ज्ञानके बन्धनसे छूटनेवाले आदमी मिल गये। उन्होने भक्तिमार्ग बताकर शास्त्रोका गूढाथ सिखाया, यह ईश्वरकी कृपा हे। 'सेण्ट जॉन' के १५ वे प्रकरणके तीसरे श्लोकका अथ यह है "जो वचन मैंने तुमसे कहे है, उन वचनोके अनुसार चलनेसे तुम शुद्ध बनोगे" "Are" को भविष्यका वाचक समझो ओर 'Through" का अथ 'अनुसार चलनेसे' करो।

'जीवनमे सुधार-सम्बन्धी परिवतन करनेसे पहले विचार करना। पर मै चाहता हूँ कि परिवर्तन करनेके बाद उनसे जोककी तरह चिपटे रहो। श्री कैलेनबैकके गुणोपर मुग्ध रहो। उनकी कमजोरी दिखाई दे तो उसे समझकर उससे दूर रहो। तुमने जो नया परिवतन किया है, वह विचारपूर्वक नही किया। जितने परिवर्तन श्री कैलेनबैंक करे वे सब करनेको तुम बँधे हुए नही हो। तुम्हे स्वतन्त्र विचार करना और उनपर दढ रहना चाहिए। ऐसा करनेमे कभी भूल भी होगी। उसकी चिन्ता नही करनी चाहिए। निमल चित्तसे खूब विचार करनेके बाद तुम्हे मेरे विचारोका विरोध करनेका भी अधिकार है। और जहाँ ऐसा करनेमे नीति दिखाई दे वहाँ विरोध करना तुम्हारा फज है। तुम मोक्षका तत्त्व समझो और मोक्षेच्छु बनो, यह मेरी तीव्र इच्छा है। और यह तब तक कभी नही होगा जब तक तुममे स्वतन्त्र विचार करनेकी शक्ति और दृढता नही आयेगी। अभी तो तुम्हारी हालत किसी लताकी जैसी है। लता जिस वक्षपर चढती है, उसीका रूप ले लेती है। यह दशा आत्माकी नही है। आत्मा तो स्वतन्त्र है और मूल रूपमे सर्व-शक्तिमान है।

"काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव ।
महाशनो महापाप्मा विद्धचेनमिह वैरिणम् ।।

जब अर्जुनने श्रीकृष्ण भगवानसे पूछा कि मनुष्य इच्छाके विरुद्ध भी किसलिए पाप करता है, तो भगवानने उसे उपरोक्त उत्तर दिया। इसका अर्थ यह है कि "पापका कारण काम है, क्रोध है, वह रजोगुणसे उत्पन्न होता है। वह बहुभक्षी है और बहुत पाप करानेवाला है। उसे जरूर अपना बैरी समझो।" यह सिद्धान्त है। इसलिए जब भी कैलेनबैकको गुस्सा आया, तुम्हे शान्त रहना चाहिए था। अपने बडे-बूढे क्रोध करे

तब हम नम्र रहे, चुप रहे, और जवाब देना पडे तो कहे कि "मै अपनी भूल सुधारूँगा, अब मुझे माफ कीजिए।" इसमे यह स्वीकार करनेकी बात नही है कि तुमने जान-बूझकर अपराध किया है। फिर जब बडे लोग शान्त हो तब जहाँ शका हो वहा विनयपूर्वक उनसे पूछा जाय। श्री कैलेनबैक शान्त हो जाये तब तुम उनसे पूछ सकते हो कि सेब सडे जा रहे थे, अत उनमे से कुछ देनेमे क्या दोष हुआ?"

डेविडकी स्तुति समझने लायक है। उनमे उन्होने दुष्टोका नाश करनेकी जो इच्छा बताई है उसका रहस्य यह है कि उनसे बुराई सहन नही हो सकती थी। यही विचार रामायणमे है। राक्षसोका सहार देवताओ और मनुष्योने भी चाहा है। "जय राम रमा" की स्तुतिमे भी यही भावना है। उसका आध्यात्मिक अथ यह है कि डविड (अर्जुन — दैवी सम्पत्ति) अपने शत्रु (दुर्योधन आदि — आसुरी सम्पत्ति) का नाश चाहता है। यह सात्त्विक वृत्ति है और भक्तिभावमे यह दशा रहती है। जब ज्ञानदशा उत्पन्न होती हे तब दोनो प्रवृत्तियाँ दब जाती है और सिर्फ शुद्ध भाव — केवल ज्ञान — रहता है। इस दशाका वर्णन बहुत करके बाइबलमे नही आता। डेविड दोषयुक्त होनेपर भी भक्त थे। और उनकी स्तुतिमे उनके जो उद्‌गार है उनकी भाषा सरल है। वे महान होनेपर भी ईश्वरके सामने दीन बनकर रहते है और अपनेको तिनकेके बराबर समझते है।"

[गुजरातीसे]

गाधीजीनी साधना

३११ पत्र : मणिलाल गाधीको

फीनिक्स
नेटाल
शुक्रवार चैत्र वदी ८ [अप्रैल १७, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारे पत्र मिले। बा की तबीयत अभी तो फिर सुधरती दिख रही है।

वहाँ भी नीचे [फर्शपर] बैठकर खाना लाभकारी होगा, ऐसा लगता तो है। जिस जगह हम बैठे उसे साफ कर ले तो फिर आपत्ति न होगी। हम नीचे तो सोते ही है इसलिए (नीचे बैठकर) खा भी सकते है। जिस जगह खाये वहाँ लीप दिया जाये तो काफी होगा। यदि हमने यह अभ्यास स्वदेशमे पहुँचनेके बाद शुरू किया तो अटपटा मालूम होगा। फर्शपर बैठकर खानेमे नम्रता है, और इसका यह मतलब हुआ कि हम भी वही कर रहे है जो करोडो लोग करते है। टेबिलपर बैठकर खानेवाले लोग दुनियामे बहुत थोडे है।

मेरी खुराकमे १८ खजूर, ९ केले, ३ [?] कच्ची मूँगफली, ४ आमाटुगुलु और २ नीबू होते है। इनमे मै २ चम्मच तेल मिला लेता हूँ। जो चबाते बन जाये, ऐसा

नरम खोपरा भी ले लेता हूँ। टमाटर मँहगा है, इसलिए केवल उन लोगोके लिए मँगाया जाता है जिनका काम उनके बिना नही चलता। सभी एक समय खाकर नही रहते। रावजी भाई और मै, केवल दो ही, एक समय खाते है। रामदासने भी एक महीने तक एक वक्त खाकर काम चलाया। सोमवार और शुक्रवारको सभी अलोना भोजन करते है।

मै यह तो नही समझ पाया कि लोग १० वे दिनकी बजाय हर पखवाडेके ११ वे दिन, एकादशीको उपवास क्यो करते है। किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि १५ दिनमे एक बार सामान्य भोजन छोड देनेसे शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। हम चाहते है कि स्वादेन्द्रियको जीत ले, किन्तु पूरी तरह नही जीत पाते, इसलिए १५ दिनमे एक बार मानो प्रायश्चित्त करते है। इसके सिवाय हम अनेक मानसिक पाप करते है और इस प्रकार हर १५ वे दिन उसका जमा-बाकी करके अपनी अधम स्थितिका अनुभव करते है। एकादशीका व्रत केवल उपवास करनेसे ही पूरा नही हो जाता। वह दिन धर्म-विचारमे व्यतीत होना चाहिए।

मैने तुम्हे दो किताबे भेजनेके लिए कह दिया है। उनके साथ ही गीताजीकी जो नकल तुमने की है वह भी भेज दी जायेगी।

"सच पासेथ फ्रॉम ऑल, प्लेनिंग टु ब्लेस्ट निर्वाण" — यह "स शान्तिमधिगच्छति" का अनुवाद है। अर्थात् उसे शान्ति मिल जाती है। जो मनुष्य कामरहित हो जाता है, ममत्वरहित हो जाता है, अहकाररहित हो जाता है, उसे शान्ति मिल जाती है। अग्रेजीमे केवल "प्लेनिंग" है। "एक्स" लुप्त है। अर्थात् वह "एक्सप्लेनिंग" है। ऐसा व्यक्ति सब झझटोसे (अर्थोसे)[1] मुक्त हो जाता है और सुखपूर्ण निर्वाण प्राप्त करता है।

जो हमेशा सवेरे उठता है, उसे रविवारको अपवाद नही मानना चाहिए। यदि हम ऐसा करे, तो हम बडी फिक्रसे रविवारका रास्ता देखने लगेगे। इसलिए यदि तुम यह आदत डालना चाहते हो, तो तुम्हे दूसरे दिनोकी तरह रविवारको भी उसी समय उठना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

स्वामी मगलानन्दपुरी दो दिनसे यहाँ आये हुए है। कल चले जायेगे।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९६) से।
सौजन्य सुशीलाबेन गाधी

१ धर्म, अर्थ और काम।

३१२. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स
नेटाल]
अप्रैल २२, १९१४

गृह-मन्त्री

वेरुलम न्यायाधीशके न्यायालयमे तीन-पौंडी करसे सम्बन्धित सजाओका विवरण मुझे अभी मिला। ये सजाएँ इसी महीने सुनाई गई। भारतीय समाजको सरकारसे कमसे-कम इतनी आशा तो है कि विधान पास होने तक करकी जबरिया वसूली स्थगित की जायेगी। आश्वासनपूर्ण उत्तर मिलनेपर काफी परेशानी और कटुतासे बच सकेगे।

गाधी

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–४–१९१४

३१३. पत्रका अश

[फीनिक्स
नेटाल]
चैत्र वदी १३ [अप्रैल २२, १९१४]

आजतक मैने ऐसी मानसिक उथल-पुथलके दिन कभी नही बिताये।[१] मेरा बोलना, चलना, हँसना, फिरना, खाना-पीना, सभी काम यन्त्रवत् चल रहे है। कुछ भी लिख नही पाता। हृदय, ऐसा जान पडता है, बिलकुल शुष्क हो गया है। मेरी इन दिनोकी वेदनाका पार नही है। कई बार तो ऐसा जी हुआ कि चाकू निकाल कर पेटमे भोक लूँ। कई बार सामनेकी दीवारपर सिर दे मारनेका खयाल आया। और कई बार इस ससारसे भाग जानेका विचार किया। किन्तु बादमे सोचा कि अरे भले आदमी, अरे मूर्ख प्राणी, तू इतना पागल क्यो हो रहा है? यदि तू ऐसी मानसिक वेदनाके समय सन्तुलित नही रह सका, तो जो थोडा-बहुत ज्ञान मिला है, वह किस कामका? इसी विचारसे मै अपने ये दिन काट रहा हूँ। जो मेरे हितैषी है उनसे इस समय मै यही कहना चाहता हूँ "देखो भाई, जे० ने भयकर पाप किया है।"

१. फीनिक्स आश्रमके एक ऐसे निवासीके नैतिक पतनका प्रमाण मिलने के कारण, जिसपर गांधीजीको बडा भरोसा था।

जब मुझे यह सब मालूम हुआ, तो मैंने सोचा कि मैंने एक अपात्रपर विश्वास किया, उसका प्रायश्चित्त मुझे भोगना चाहिए। १५ दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेते-लेते रुक गया। बा का खयाल आया। यदि मैं १५ दिन तक न खाऊँ, तो बा का साथ-ही-साथ मरण समझो। इसी भयसे मैंने फिलहाल वह विचार छोड दिया है। परन्तु बादमे निश्चय हुआ कि जे [1]को भी [1]जाना ही चाहिए। वहा जाकर रहना ही उसका मुख्य कर्त्तव्य है। यहाँ रहनेमे उसका कल्याण नही है ।[1] समझमे नहीं आता कि मुझमे ऐसी कौन-सी बात है। दूसरे लोग जो कहते हैं उसके अनुसार तो मुझमे एक ऐसी कठोरता है कि जिसके कारण सामनेवाले व्यक्ति मेरा मन रखनेके लिए पूरी ताकत लगाकर काम करते हैं और जो उनसे करते नही बनता ऐसा काम करनेका प्रयत्न भी करते हैं। और चूंकि उनमे उन कामोको सम्पन्न करनेकी शक्ति नही होती, इसलिए वे झूठका सहारा लेकर मुझे छलते है। गोखलेजीने भी कई बार मुझसे कहा, "आपमे एक ऐसी कठोरता है कि सामनेके व्यक्तिके मनमे भय उत्पन्न कर देती है और आदमी डरके मारे आपकी इच्छा पूरी करनेके लिए एडी-चोटीका पसीना एक करता रहता है। और जो व्यक्ति शक्तिशाली नही होता, वह अन्तमे झूठका सहारा लेता है। आप लोगापर बडा बोझ डाल देते हैं। यहाँतक कि मै भी आपका कोई काम होता है, तो वशके बाहर होनेपर भी पूरी ताकत लगाकर उसे करता हूँ।"

[गुजरातीसे]

गाधीजीनी साधना

३१४ तार गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स
नेटाल]
अप्रैल २४, १९१४

तीन-पौंडी करके बारेमे तुरत आश्वासनके लिए मेरा धन्यवाद।[2] मेरा सुझाव कि किस्ते अदा न करने या अदा कर न पानेके लिए हालके मुकदमोके दौरान वेरुलम या कही और बन्दी बनाये गये लोग रिहा कर दिये जाये।

गाधी

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-४-१९१४

१ इन स्थलोपर मूलमें ही कुछ शब्द छूटे हुए है।

२ गाधीजीके अप्रैल २२ के तारके उत्तरमें जनरल स्मट्सने तार भेजा था "तीन-पौंडी परवाने न लेनेके लिए भारतीयोपर चले मुकदमोके बारेमें आपका तार मिला। भारतीय जाँच आयोगकी सिफारिशोपर ससद् द्वारा विचार होने तक मुकदमोके सम्बन्धमें कार्रवाई स्थगित करनेके लिए न्याय मन्त्रीको लिखा गया है।"

३१५ हिन्द स्वराज्य[1]

'हिंद स्वराज्य' मैंने १९०९ मे इग्लैंडसे [दक्षिण आफ्रिका] वापिस आते हुए जहाजपर लिखी थी। किताब बम्बई प्रेसीडेंसीमे जब्त कर ली गई थी इसलिए सन् १९१० मे मैंने उसका [अग्रेजी] अनुवाद प्रकाशित किया। पुस्तकमे व्यक्त विचारोको प्रकाशित हुए इस प्रकार पाँच वष हो चुके है। इस बीच, उनके सम्बन्धमे अनेक व्यक्तियोने मेरे साथ चर्चा की है। कई अग्रजो और भारतीयोने पत्र-व्यवहार भी किया हे। बहुतोने उससे अपना मतभेद प्रकट किया। किन्तु अन्तमे हुआ यही है कि पुस्तकमे मैंने जो विचार व्यक्त किये थे, वे और ज्यादा मजबूत हो गये है। यदि समयकी सुविधा हो तो मै उन विचारोको युक्तिया और उदाहरण देकर और विस्तार दे सकता हूँ, लेकिन उनमे फेरफार करनेका मुझे कोई कारण नही दिखता।

'हिन्द स्वराज्य' की दूसरी आवृतिकी माँग कई लोगोकी ओरसे आई है, अत फीनिक्सके निवासियो और विद्यार्थियोने अपने उत्साह और प्रेमके कारण जब-तब समय निकालकर यह दूसरा सस्करण छापा है।

यहाँ मै सिफ एक बातका उल्लेख करना चाहूँगा। मेरे कानमे यह बात आई है कि यद्यपि 'हिन्द स्वराज्य' लगातार यही सीख देता है कि हमे किसी भी स्थितिमे, किसी भी समय शरीरबलका आश्रय नही लेना चाहिए और अपना साध्य सदा आत्मबलसे ही प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सीख जो भी रही हो, परिणामकी दृष्टिसे उससे अग्रेजोके प्रति तिरस्कारका भाव और उनके साथ हथियारोसे लडकर या और किसी तरह मारकर उन्हे भारतसे निकाल देनेका विचार पैदा हुआ हे। यह सुनकर मुझे दु ख हुआ। 'हिन्द स्वराज्य' लिखनेमे यह हेतु बिलकुल नही था। और मुझे कहना पडेगा कि उसमे से जिन लोगोने यह निष्कष निकाला है वे उसे बिलकुल नही समझे है। मै स्वय अग्रेजोके या अन्य किसी भी राष्ट्रकी जनता या व्यक्तियोके प्रति तिरस्कारकी दृष्टिसे नही देखता। जैसे किसी महासागरकी जल-राशिकी सारी बूदे एक ही अग है उसी प्रकार सब प्राणी एक ही है। मेरा विश्वास है कि प्राणिसागरमे रहनवाले हम सब प्राणी एक ही है और एक-दूसरेसे हमारे सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ है। जो बिदु समुद्रसे अलग हो जाता है वह सूख जाता है, उसी प्रकार जो जीव अपनेको दूसरोसे भिन्न मानता है वह नष्ट हो जाता हे। मै तो यूरोपकी आधुनिक सभ्यताका शत्रु हूँ और 'हिन्द स्वराज्य' मे मैंने अपने इसी विचारको निरूपित किया है। और यह बताया है कि भारतकी दुदशाके लिए अग्रेज नही बल्कि हम लोग ही दोषी है, जिन्होने आधुनिक सभ्यता स्वीकार कर ली है। इस सभ्यताको छोडकर हम सच्ची धर्म-नीतिसे युक्त अपनी प्राचीन सभ्यता पुन अपनाले तो भारत आज ही मुक्त हो सकता हे। 'हिन्द स्वराज्य' को समझनेकी कुजी

१ यह **हिन्द स्वराज्य** के दूसरे गुजराती सस्करणकी प्रस्तावनाके रूपमें लिखा गया था। यह पुस्तक मई, १९१४ में प्रकाशित हुई थी। प्रथम सस्करणकी प्रस्तावना और पाठके लिए देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६६९।

इस बातमे है कि हमे दुनयवी प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर धार्मिक जीवन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे जीवनमे काले या गोरे किसी भी मनुष्यके प्रति हिंसक व्यवहारके लिए कोई स्थान नही हो सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९–४–१९१४

३१६ तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स
मई ६, १९१४ के पूर्व]

गृहमन्त्री

प्रान्तमे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाली भारतीय पत्नियोके फोटो देनेके नियमके बारेमे इस्लामिया अजुमन द्वारा डर्बन भेजे गये तारको[1] मैने देखा है। मै प्रवासी विभागकी फोटो माँगनेकी जरूरतको समझनेमे असमथ। ध्यान दिलाता हूँ कि जब कुछ साल पहले ट्रान्सवालमे केवल पुरुषोके बारेमे यह सवाल उठा था तब भी इससे बडी कटुता फैली थी और सरकारने कृपापूवक वह शत उठा ली थी। औरतोके बारेमे तो यह बात बहुत खतरनाक है। आशा करता हूँ मन्त्री महोदय कृपापूवक प्रवासी अधिकारीको इस शतको हटाने और सम्बन्धितजनो द्वारा दिये गये स्थानीय प्रमाणोको स्वीकार करनेका आदेश देगे। यह भी मालूम हुआ है कि भारतीय प्रवेशार्थियोके बारेमे प्रवासी विभाग आम तौरसे कठोर तरीके बरत रहा है। एक शिकायत यह है कि जो भारतीय एकसे अधिक प्रान्तोमे निवासका अधिकार रखते है उनपर एक ही प्रान्तका चुनाव करनेके लिए दबाव डाला जाता है। निवेदन है कि यह शर्त मनमानी और अनावश्यक है। आज तक दोहरे या तिहरे निवासाधिकारकी प्रथापर कभी आपत्ति नही की गई और आशा करता हूँ कि १९१३ के प्रवासी अधिनियमकी कानूनी व्याख्याके बावजूद सरकारका इरादा वर्तमान परम्परासे हटनेका नही है।[2]

गाधी

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–५–१९१४

१ डर्बनकी इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्षने गृह-मन्त्रीको एक तार भेजकर सूचित किया था कि भारतीय पत्नियोके फोटो देनेकी शर्तपर भारतीय कौमोको धार्मिक आपत्ति है, और यह अनुरोध किया था कि शिनाख्तके लिए स्थानीय प्रमाणोको पर्याप्त माना जाये।

२ इसके उत्तरमें गृह मन्त्रीने तारसे यह जवाब दिया "आपका तार आज मिला। मामलेकी जाँच की जा रही है।"

३१७. पत्र . गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स
नेटाल
मई ६, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

आपका तार मिला, फिर आपका अत्यन्त स्नेहपूण पत्र और डॉ० मेहताका पत्र भी। बडी इच्छा है कि आपकी बीमारीके दिनोमे मै आपके पास रहूँ, हालॉकि हो सकता हे, मै किसी कामका भी साबित न हो सकूँ। आपके तारसे मुझे बडी शान्ति मिली, सुविधा भी हुई। श्रीमती गाधीका स्वास्थ्य अब पहलेसे काफी अच्छा है। यदि इसी गतिसे सुधार होता चला गया तो एक महीनेमे ही उनका स्वास्थ्य लगभग पहले-जैसा हो जायेगा। तब और नही, तो ऐसे भी मै उनको साथ लेकर लन्दन आ सकूँगा। वहा आपसे परामश करनेके बाद हम दोनो सीधे भारतके लिए रवाना हो सकते हैं और हम दोनोकी रवानगीके बाद साथके दूसरे लोग यहाँ लौट सकते है। इस तरह मै बिना अधिक समय गँवाये भारत पहुँच सकता हूँ। ज्यादासे-ज्यादा तीन ही हफ्ते लगेंगे। कृपया तार द्वारा सूचित कीजिए कि अब मेरा आना ठीक रहेगा या नही। आपका और डॉ० मेहताका पत्र पढनेके बाद मेरी तो आनेकी बडी इच्छा हो रही है। यदि आप मुझे वहाॅ आनेसे रोकेंगे, तो बडी निराशा होगी। इसलिए यदि आप मुझसे पहले भारत पहुँचनेके लिए रवाना न हो रहे हो तो आशा है कि मुझे आपके पास आनेकी इजाजतका ही तार मिलेगा।

विधेयकका प्रारूप[1] अभी प्रकाशित नही हुआ है। इसलिए हो सकता है कि मै जूनके अन्त तक भी यहाँसे न हिल सकूँ। और यह भी सम्भव है कि अन्तिम रूपसे समझौता होनेकी सम्भावनाकी नौबत ही न आये। तब तो सघर्ष फिर शुरू होगा ही और मै भारत जानेकी सोच भी नही सकूगा। मै दोनोके लिए पूरी तरह तैयार हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७६) की फोटो-नकलसे।

१ यहाँ उल्लेख भारतीय राहत विधेयकका है ।

३१८ तार : गृह-मन्त्रीको[1]

[फीनिक्स
मई ७, १९१४ या उसके बाद]

कृपया भारतीय पत्नियोके फोटो-सम्बन्धी मेरे तारका अनुकल उत्तर दे। समाजके लोग उत्तेजित। यदि निर्णयमे विलम्ब कृपया अधिकारीको अस्थायी अनुमति-पत्रोकी अवधि बढानेकी हिदायत दे।

गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७४) की फोटो-नकलसे।

३१९ तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]
मई १९, १९१४

गृह-मन्त्री
केप टाउन

लोग पूछ रहे ह भारतीय कानून पेश होनेकी सम्भावना कब।[2] कृपया सूचित करे।

गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७०) से।

१ लगता है कि यह तार "तार गृह-मन्त्रीको", पृष्ठ ३९९ के सदर्भमें है और स्पष्ट ही ६ मई, १९१४ के कुछ समय बाद भेजा गया था ।

२ मन्त्रीने २० मईको तार द्वारा उत्तर दिया "यहाँ आकर मन्त्रीके साथ विधेयकके मसविदेपर बात करनेकी आपकी इच्छापर निर्भर, चाहें तो अगले हफ्तेके प्रारम्भमें कोई दिन निश्चित किया जाये। विधेयक शायद उसके बादके हफ्ते पेश हो जायेगा ।"

३२०. स्वर्गीय श्रीमती मेयो

हमे यह सूचित करते हुए दु ख हो रहा है कि श्रीमती मेयो[1] गत सप्ताह दिवगत हो गई। यह समाचार श्री कैलेनबैकको तार द्वारा भेजा गया था और फिर उन तमाम लोगोको खबर लगी जो श्रीमती मेयोको आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे। वास्तवमे वे एक महान आत्मा थी। उनका जीवन अन्तिम क्षण तक अत्यन्त कर्मठताका जीवन रहा। उनकी गिनती टॉल्स्टॉयके सिद्धातोके इनेगिने सही व्याख्याकारोमे की जाती थी, और ससारमे वे अन्य बातोकी अपेक्षा इसी हैसियतसे अधिक याद की जायेगी। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोने अपने सकट कालमे उनसे अत्यन्त ही हार्दिक एव स्नेहपूण सहानुभूति पाई थी, इसलिए वे उनकी स्मृतिको एक अमूल्य निधिकी भॉति सहेजेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २०–५–१९१४

३२१ तार · गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स,
नेटाल]
मई २२, १९१४

गृह-मन्त्री
केप टाउन

आज शाम केप जा रहा हूँ बुधवारके सुबह पहुँचकर सेवामे उपस्थित।

गाधी

हस्तलिखित मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९७२) की फोटो-नकलसे।

१ श्रीमती इसावेला फायवी मेयो।

३२२ पत्र : 'ट्रान्सवाल लीडर' को[1]

[जोहानिसबर्ग]
मई २३, १९१४

[महोदय]

आपने 'लीडर' के आजके अंकमें न्यायमूर्ति मैसनके कुछ उद्गार 'गवाहीकी विश्वसनीयता', और 'भारतीयोंके विषयमें न्यायाधीशके उद्गार' शीर्षकसे प्रकाशित किये हैं।

मैं न्यायाधीश महोदयके उस वक्तव्यका खण्डन नहीं करना चाहता, जो समय-समयपर उनके सामने प्रस्तुत किये गये तथ्योंके प्रकाशमें सही हो सकता है, किन्तु जनताको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जस्टिस मैसनने अपने उद्गार केवल एक वर्ग-विशेषके भारतीयों तक सीमित रखे थे और उन्हें तो मेरा संघ भी इस आरोपसे मुक्त नहीं करना चाहता। श्री ग्रीनबर्ग यह कल्पना करते प्रतीत होते हैं कि न्यायमूर्ति मैसनने राष्ट्रीय या जातिगत आधारपर भारतीय साक्ष्यकी निन्दा की है, बात ऐसी नहीं है। गैर-भारतीयोंमें भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इसी प्रकार अदालतको गुमराह करनेका प्रयत्न करते हैं। पर मैं नहीं समझता कि आप ऐसी परिस्थितिमें यूरोपीयोंके विषयमें भी न्यायाधीशके उद्गारोंसे इस प्रकारका निष्कर्ष निकालेंगे। कहावत है कि डॉक्टरोंकी भाँति, वकील भी जीवनके बाह्य पक्षको ही देखते हैं और निश्चय ही वे इस देखे हुएके आधारपर ही अपने निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ अपेक्षाकृत किसी कम न्यायप्रिय आदमीको अतिशयोक्ति करनेका प्रबल लोभ हो सकता था, किन्तु न्यायमूर्ति मैसनने अपने उद्गारोंको समाजके उसी वर्ग तक सीमित रखा जिसे वह अपराधी मानते थे और उन्होंने सम्पूर्ण भारतीय समाजके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया, जैसा कि आपकी रिपोर्टकी कुछेक प्रथम पंक्तियोंसे ध्वनित होता है।

मुझे विश्वास है कि आप इस पत्रको प्रकाशित कर सकेंगे जिससे यदि कोई गलतफहमी फैली हो तो दूर की जा सके।

[आपका आदि]

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९१४

१. यह पत्र श्री अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षरसे **ट्रान्सवाल लीडर**में प्रकाशित इस समाचारके जवाबमें भेजा गया था "कल विट्वॉटर्सरैंड लोकल डिवीजनमें जज और वकीलने भारतीय गवाहोंकी अविश्वसनीयताके बारेमें कुछ कठोर बातें कहीं।..."

३२३ भाषण . प्रार्थना सभामे

[जोहानिसबर्ग
मई २३, १९१४]

गीताके श्लोकोको कठस्थ कर लेने भरसे मै खुश नही हो सकता। मुझे इस बातकी भी चिन्ता नही हे कि तुम इतिहास पढते हो या नही, अथवा गणितके सवाल करते हो या मस्कृत सीखते हो। जरूरी तो यह है कि तुम आत्म-सयम सीखो। यही मैं चाहता हूँ। मै शायद किसी अन्य मनुष्यकी गुलामी स्वीकार कर लू पर अपने मनकी गुलामी कभी स्वीकार नही कर सकता। मनका गुलाम बन जानेसे बडा कोई पाप नही है। इसलिए समझदार बनो और अपने दिमागपर अनुशासन करना सीखो, तभी तुम मेरे साथ रह सकोगे। अन्यथा मुझे किसीकी जरूरत नही है। और न मुझे यह दम्भ ही है कि मै तुम्हे या अन्य किसीको सिखा सकता हूँ। मेरे पास तो पहले ही से एक ऐसा विद्यार्थी मौजूद है जिसको सिखाना बहुत कठिन काय है, उसे सिखानेपर ही मै तुम्हारा, भारतका और ससारका कुछ भला कर सकता हूँ और वह विद्यार्थी मै खुद हूँ, अर्थात् वह है मेरा अपना मन । जो इस तरह अपने शिष्य बन सकते है वे ही यहाँ रह सकने योग्य है। वे जो इस प्रकारका जीवन निर्वाह नही कर सकते, उनके लिए अच्छा यही है कि वे यहा न रहें। उनके लिए यह जगह छोड देना ही ठीक होगा। किसी भी कामको अन्धविश्वासके कारण (निरुद्देश्य और यान्त्रिक रूपसे) करना पाप है। मै ऐसा कुछ भी नही चाहता।

[गुजरातीसे]
गाधीजीनी साधना

३२४. भेट . ई० एम० जॉर्जेससे[1]

प्रिटोरिया
मई २७, १९१४

श्री गाधीने धारा १ के बारेमें बतलाया कि उनके विचारमें इसका महत्व मुख्यत बानक बनाये रखनेकी दृष्टिसे ही है। उनके खयालसे एक बडी सख्यामें भारतीय पुरो-

१ गवर्नर जनरल ग्लैडस्टनने मई ३०, १९१४ को उपनिवेश मन्त्रीके नाम एक खरीता भेजा था, जिसके साथ भारतीय राहत विधेयकके मसविदेकी छपी हुई प्रतियाँ भी थी । मसविदेमे किये गये कुछ शाब्दिक सशोधनोकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गवर्नर जनरलने खरीतेमें कहा था "श्री गाधीको नेटालसे बुलाया गया है । गृह मन्त्रीने बुधवारकी सुबह उनको विधेयककी एक ऐसी ही छपी हुई प्रति दे दी थी । श्री गाधीने उसको देखकर बुधवारको ही दोपहर बाद श्री जॉर्जेससे फिर मुलाकात की थी । मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर वे सन्तुष्ट ही लगते थे । उनकी भेंटका साराश निम्नलिखित है ।" अय कोई विवरण उपलब्ध नही है ।

हितोको विवाह-अधिकारी नियुक्त कर देनेपर कई बुराइयोको बडी आसानीसे बढ़ावा मिल सकता है, क्योकि अपने-आपको पुरोहित कहनेवाले कुछ व्यक्ति ऐसे भी निकल सकते है जिनका चरित्र बहुत ऊँचा न हो। इसीलिए उनका मत था कि ऐसी नियुक्तियाँ बहुत सोच-समझकर की जायें और वे ही पुरोहित चुने जायें जिनके नामपर उगली उठाना सम्भव न हो। उनका खयाल था कि व्यवहारमें तो भारतीय विवाहोको वैध बनानेका आम तरीका धारा २ के अन्तर्गत उनका पजीयन कराना ही होगा या होना चाहिए, इसी आधारपर उन्होने वैधताके अधिकारको अधिनियमके लागू होने तक सम्पन्न हो चुके विवाहो तक सीमित करनेका जोरदार विरोध किया था।[१]

श्री जॉर्जेस और श्री गाधीने भेंटके दौरान दूसरे इस विषयपर भी विचार किया कि क्या धारा २ के अन्तर्गत भारतीय विवाहोको पजीयित करनेकी सत्ता आम तौर पर मजिस्ट्रेटोको प्रदान करना उपयुक्त है, चाहे वे विवाह अधिकारी नियुक्त किये गये हो या नहीं।[२]

लगता है श्री गाधीने धारा ३के बारेमें उप-धारा (२) के उपबन्ध (ख) पर कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन उन्होने यह अवश्य कहा कि इस धाराके अन्तगत प्रवेश पानेकी अधिकारिणी दिवगत महिलाओकी सन्तानको इसकी सुविधाओसे वचित नहीं किया जाना चाहिए। श्री जॉर्जेसने मेरे सचिवको बतलाया कि वे मन्त्रीके सामने कुछ इस प्रकारका एक सशोधन रखेंगे धाराके अन्तमें, "पारिभाषित" शब्दके पश्चात कुछ इस प्रकारकी शब्दावली जोड दी जाये जैसे कि "या विमुक्त किये गये किसी व्यक्ति और ऐसी एक मृत महिलाकी सन्तान, जो यदि जीवित रहती तो इस खण्डके अर्थके अनुसार पत्नी मानी जाती या जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड २की व्यवस्थाओके अन्तर्गत पजीयित हो सकता था।" मेरी जानकारीके अनुसार तो श्री गाधीने विधेयकके बारेमें केवल यही मुद्दे उठाये थे।[३]

हाँ, प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नोके बारेमें उन्होने निम्नलिखित बातें कही थीं। उनकी माँग थी कि सघके विधि-सम्मत भारतीय निवासियोकी सभी एकाधिक मौजूदा पत्नियोको

१ खरीतेमें आगे कहा गया था मैं बतला दूँ कि मैंने श्री जॉर्जेससे पहले ही कहलवा दिया था कि मैं "इस अधिनियमके लागू होने तक" इन शब्दोंको सम्मिलित करने पर खेद प्रकट करता हूँ। श्री जॉर्जेसने कहा था कि ये शब्द जनरल स्मट्सके आदेशसे जोड़े गये थे, परन्तु उनको यह नही मालूम था कि इस विषयमें मन्त्रीका निर्णय अटल माना जाये या नही। इसलिए मुझे ऐसा नही लगता कि इस धाराके सम्बन्धमें श्री गाधी द्वारा किये गये अनुरोध एकदम बेकार चले जाऍंगे। कुछ ही दिनोमें उनको जनरल स्मट्सके साथ इस विषयपर चर्चा करनेका अवसर मिलेगा।

२ यहाँ खरीतेमें यह भी कहा गया था "मुझे मालूम है कि श्री जॉर्जेस जनरल स्मट्सको इसमें एक यह उपबन्ध जोड़नेका सुझाव देंगे कि इस धाराके प्रयोजनके लिए 'विवाह अधिकारी' शब्दकी परिभाषामें कोई भी मजिस्ट्रेट सम्मिलित किया जा सकेगा।"

३ गाधीजीके साथ मई ३० की भेंटमें जनरल स्मट्स गाधीजी द्वारा उठाये तीनों वैधानिक मुद्दोपर सहमत हो गये थे। भेंटका कोई भी विवरण उपलब्ध नही है। हाँ, गवर्नर-जनरलके जून ५, १९१४के खरीतेमें उसका उल्लेख है। देखिए परिशिष्ट २४।

प्रवेश और पंजीयनकी सुविधाएँ दी जायें, फिर चाहे वे दक्षिण आफ्रिकामें हों या उससे बाहर। आप देखेंगे कि यह माँग आयोगके प्रतिवेदनके पृष्ठ ३९ पर की गई उस दूसरी सिफारिशका ही कुछ विस्तृत रूप है, जिसमें इस देशमें सचमुच पहलेसे उपस्थित एकाधिक पत्नियोंको ही ऐसा विशेषाधिकार देनेकी बात कही गई है। श्री जॉर्जेसको शायद यह माँग अनुचित नहीं लगी, परन्तु उन्होंने मेरे सचिवसे कहा था कि उनको मालूम नहीं कि इसके बारेमें जनरल स्मट्स क्या कहेंगे। श्री गांधीने इस आश्वासनके लिए फिरसे अनुरोध किया कि जबतक नेटालमें उत्पन्न भारतीय प्रवासियोंकी संख्या, केपमें अपनी वर्तमान सीमासे अधिक नहीं होती, तबतक ऐसे भारतीयोंके प्रवेशपर शैक्षणिक परीक्षाकी शर्त नहीं लगायी जानी चाहिए और विशेषकर पिछले वर्षके प्रवासी विनियमन अधिनियमके खण्ड ४ (१) (क) की व्यवस्थायें लागू नहीं की जानी चाहिए। श्री गांधीने इसके सम्बन्धमें विधान बनानेकी माँग नहीं की, इसलिए कि वे शायद भली प्रकार समझते हैं कि यदि संसदमें केप-प्रवेशका प्रश्न फिरसे उठाया जाये, यहाँ तक कि यदि इसे आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदनके पृष्ठ १६ पर सुझाये गये एक छोटेसे संशोधनकी सिफारिशको स्वीकार करनेके लिए भी उठाया जाये तो सरकारको कितनी बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा। मुझे मालूम हुआ है कि आयोगने इस सिफारिशको कोई अधिक महत्व नहीं दिया और जब उनको पूरी स्थिति समझा दी गई और १९१३ के अधिनियम २२ के खण्ड ४ (२) (क) में "इस अधिनियमके लागू होनेतक" शब्दोंको रखनेका कारण उनको बतला दिया गया तो आयोगने सूचित कर दिया था कि यह ऐसा संशोधन है जिसपर वे बहुत जोर देना चाहेंगे।

फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेवाले भारतीयोंको उस प्रान्तके कानूनके अन्तर्गत जो ज्ञापन देना पड़ता है उसके सम्बन्धमें सन्तोषजनक वक्तव्य दिये जानेकी आवश्यकताकी बात श्री गांधीने फिर उठाई। इसमें कोई कठिनाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इसके बारेमें श्री गांधी और जनरल स्मट्स पहले ही सहमत हो चुके हैं।

इसके पश्चात्, श्री गांधीने दो नये मुद्दे पेश किये।

(१) उन्होंने कहा कि ऐसी एक घोषणा की जानी चाहिए या आश्वासन दिया जाना चाहिए कि ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारोंको मान्यता और संरक्षण मिलेगा। श्री जॉर्जेसने उनसे कहा कि इसका सम्बन्ध तो वास्तवमें खान-विभागसे है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे [श्री गांधी] इसके बारेमें जनरल स्मट्ससे बात करें।

(२) श्री गांधीने आग्रह किया कि सभी सच्चे सत्याग्रहियोंको, सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान हिंसाके अपराधोंके अतिरिक्त, सत्याग्रहसे सम्बन्धित सदाशयतापूर्ण कानून-भंगके कारण दी गई सजाएँ बिना शर्त माफ की जानी चाहिए। मन्त्री महोदय इस अनुरोधको न माननेका रुख अख्तियार करें इसका कोई सबब तो नहीं दिखता, परन्तु फिर भी मुझे उनके ठीक-ठीक विचार मालूम नहीं हैं।

विधेयककी धारा ४के बारेमें, मेरी जानकारी यह है कि सरकार, नेटाल अधिनियमोंके अन्तर्गत गिरमिटिया भारतीयोंको जो दर्जा मिला हुआ है उसे विनियमित

करनेवाले विशेष कानूनमें, तीन-पौंडी करको रद करनेके अलावा अन्य किसी भी प्रकारसे हस्तक्षेप करना अवाछनीय समझती है। इसी कारण सरकार धारा ४में उल्लिखित किसी भी व्यवस्थामें रद्दोबदल नहीं करना चाहती। मेरा खयाल है कि श्री गांधीने इस धाराके बारेमें कुछ भी नहीं कहा था।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५७

३२५ पत्र . मणिलाल गांधीको

[केप टाउन][1]
गुरुवार, [मई २८, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। जिस पत्रमें तुम पश्चात्ताप प्रकट कर रहे हो उसी पत्रमें यह भी लिख रहे हो कि उसी दिन तुम साग-जैसी मुख्य वस्तु परोसना भूल गये थे। कहते हो कि वह रह गया लेकिन यह नही समझाते कि कैसे रह गया? दोष किसका था? उसकी जिम्मेदारी तुमने किसी दूसरेको क्यो सौपी? साग प्रेमपूवक बनाया तो उसे ले जानेका काम भी तुम्हे ही करना चाहिए था। इसमे से भी कुछ सबक लो तो अच्छा। बीती बातपर दु ख करनेकी जरूरत नही है किन्तु उससे सबक अवश्य लेना चाहिए। वहाँ कत्तव्यपरायण बनो और आत्मसयमकी साधना करो। लेकिन यह सब तबतक नही हो सकता जबतक विचार करना न सीखो।

वहाँ सबके प्रति प्रेमभाव रखो। और दूसरोके दोष देखनेके बजाय गुण देखो और अपने दोष देखो। बेकारकी बातचीतमें समय न गँवाकर विचार करते रहो, एक क्षण भी व्यर्थ गँवाना अपने जीवनका उतना अश खोने और ईश्वरसे उसकी चोरी करनेके बराबर है। इसे समझकर अपने हरएक क्षणका सदुपयोग करना। शरीरको कसना।

विधेयक प्रकाशित हो गया है इसलिए सभव है अगले हफ्ते[2] उसपर विचार हो। लेकिन यह तो अनुमान ही है — देखे, क्या होता है। अभी जनरल स्मट्ससे भेंट नही हुई।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०६) से।
सौजन्य सुशीलाबेन गांधी।

१ पत्रमे भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) के प्रकाशनका उल्लेख है। यह विधेयक गुरुवार, २८ मई, १९१४ को प्रकाशित हुआ था। इससे जाहिर है कि पत्र उसी दिन लिखा गया था।
२ यह जून २ को पेश किया गया था।

३२६ राहत विधेयक

बहुत प्रतीक्षित भारतीय विधेयक प्रकाशित हो गया है। हम अनुसूची सहित उसका पूरा पाठ छाप रहे हैं।[1] यह एक सादा और सक्षिप्त-सा विधेयक है और जिस हदतक कानून बनाना आवश्यक हे उस हदतक भारतीय आयोगकी सिफारिशोको कार्यान्वित करता प्रतीत होता हे। यह विधेयक वैवाहिक कठिनाईको दूर करता है और भारतीय विवाहोको वही प्रतिष्ठा प्रदान करता है जो सर्ले-निणयके पूव वतमान थी। यह ३ पौडी करको मसूख करनेके साथ बकाया रकमकी भी माफी देता है। अन्तमे यह नेटालके अधिवास-प्रमाणपत्रोको वैध करार देता है बशर्ते कि उसका स्वामी उसपर के अँगूठेके निशानको अपना साबित करके उस प्रमाणपत्रको अपना सिद्ध कर दे। विधेयकमे एक और धारा भी है जिससे हमारे समाजका सम्बन्ध नही है। यह वह अनुच्छेद है जो सरकारको अधिकार देता है कि वह साधनहीन ऐसे भारतीयके लिए, जो नेटाल अथवा सघके किसी दूसरे प्रान्तमे अपने तथा अपने कुटुम्बके अधिवास सम्बन्धी सब दावोको छोड दे, मुफ्त यात्राका प्रबन्ध कर दे। अबतक ऐसी कोई व्यवस्था नही की जा सकती थी।

विधेयकमे कुछ परिवर्तनोकी जरूरत है। वतमान विवाहोको वैध करार देनेके लिए विधेयकमे जिस साधनकी व्यवस्था की गई है, भावी विवाहोको वैध करार देनेके लिए उसका उपयोग करना उचित होगा। ऐसी मृत पत्नियोके बच्चोकी हिफाजतके लिए भी विधेयकमे सशोधनकी आवश्यकता पडेगी, जो यदि जीवित होती तो वतमान विधेयकके अन्तर्गत उन्हे मान्य किया गया होता।

मान लीजिए कि सुझाये गये परिवर्तनोके साथ यह विधेयक कानून बन जाता है तो भी ऐसे कुछ दूसरे मामले बच रहेगे जिनकी सिफारिश आयोगने की है या जो श्री काछलिया और श्री गाधीके पत्रोमे बताये गये है। इनके लिए प्रशासनिक कार्रवाईकी आवश्यकता है और इनमे फ्री-स्टेटका प्रश्न, केपमे प्रवेशका सवाल तथा वर्तमान कानूनोके प्रशासनका सवाल शामिल है। यदि इनके बारेमे सन्तोषजनक आश्वासन दे दिये जाते है तो वर्षोंसे चलनेवाली वह लडाई, जिसके कारण हमारे समाजको अपार हानि और कष्ट सहन करना पडा है, समुचित और सम्मानजनक ढगसे समाप्त हुई मानी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३–६–१९१४

१ देखिये परिशिष्ट २५।

३२७ पत्र गो० कृ० गोखलेको

[केप टाउन]
जून ५, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

आपका तार पाकर कृतज्ञ हुआ। श्रीमती गाधीकी हालत पहलेसे काफी अच्छी हे, लेकिन कमजोरी अभी है। यदि आ सकी तो मै उनको अपने साथ लेता आऊँगा और श्री कैलेनबैकको भी, जिससे कि वे अपने लोगोसे विदाई ले ले और मेरे साथ भी रह सकें। यदि आप मुझे परिचर्याके लिए अपने पास रहनेकी अनुमति नही देगे, तो मै आपसे परामश लेनेके बाद तुरन्त भारत चल दूगा।

नही जानता, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, इसलिए इच्छा होनेपर भी मै आपको लम्बा पत्र नही लिखना चाहता। फिर भी, मैंने सोराबजीको लिखा हे कि यदि आप ठीक हो गये हो तो पत्रमे[१] उल्लिखित विषयोके सम्बन्धमे वे आपसे बात कर ले। उस हालतमे वे आपसे हिदायते ले लेगे।

भारतीय विधेयकका प्रथम वाचन हो चुका है, वह काफी सन्तोषजनक है और अन्य विषयोके सम्बन्धमे मै जनरल स्मट्ससे फिर मुलाकात करनेवाला हूँ। इसलिए सघषके अन्तिमरूपमे बन्द होनेकी पूरी सम्भावना है। तब तो मै मध्य जुलाईके आसपास और बना तो उससे भी पहले लन्दनके लिए रवाना हो सकता हूँ।

इस पत्रको पाते ही अपने स्वास्थ्यके बारेमे तार भेजनेकी कृपा कीजिएगा।

श्री कैलेनबैक अभी इस समय मेरे साथ है और आपको अभिवादन कह रहे है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४८) की फोटो-नकलसे।

३२८ पत्रका अश

केप टाउन
मगलवार, ज्येष्ठ वदी २ [जून ९, १९१४]

श्री सिन्हाके बारेमे हम इतनी दूर बैठे हुए केवल अखबार पढकर कोई मत कायम नही कर सकते। श्री नॉर्टन भी ऐसे मामलोमे एक बार सरकारी वकील थे। नेता किसे कहे और किसे नही, यह तो अपने-अपने मतकी बात है। सामान्यत सत्याग्रही [ऐसे सवालोमे] तटस्थ रहता हे। तुमने जिसका उल्लेख किया है, वैसी स्थितिमे सत्याग्रह किया गया हो और फलस्वरूप जेल जाना पडा हो तो

१ यह पत्र उपलब्ध नही है।

सत्याग्रहका हेतु पूरा हुआ माना जा सकता है। हमे ऐसे मामलोमे अपना मत प्रकट करना ही चाहिए, ऐसा नियम नही हे। सत्याग्रह कब कत्तव्य हे, इस प्रश्नका उत्तर एकाएक नही दिया जा सकता। सत्याग्रही पहलेसे विचार करनेके बाद सत्याग्रह नही करता। जहाँ वह अपनी आत्माकी आवाजके विरुद्ध कोई काय हुआ देखेगा वहाँ वह आत्मबलका प्रयोग करेगा। मैने जब [पहली बार] सत्याग्रह शुरू किया तब उसे धर्मका अग-मात्र माना था। अनुभवसे मालूम हुआ कि यही धम है और यही चिन्तामणि है, और इसीलिए वह धमके रूपमे मुझमे विशेष खिला है। सत्यके सिवा कुछ और करना ही नही है, ऐसा निश्चय जिसने किया है, वह सत्याग्रही है और ऐसे मनुष्यको उचित उपाय हमेशा सूझ जाता है। सारा जीवन सत्यमय होना चाहिए और यह धीरे-धीरे यम-नियमादिका पालन करते रहनेसे होता है। जैसे स्थूल विषयोको समझनेके लिए वर्षों तक प्रयत्न करना पडता है उसी तरह सत्याग्रहका स्वरूप समझनेके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ज्यो-ज्यो हमारी और तुम्हारी आत्माके आवरण दूर होगे त्यो-त्यो आत्मा प्रकाशित होगी और हम बलवान् सत्याग्रहियोके रूपमे जूझेगे।

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीजीना पत्रो

३२९. भारतीयोकी शिकायतें

विधेयक जिस मूल रूपमे प्रसारित किया गया था, पर प्रकाशित [गजट] नही, उसमे हमारे पिछले सप्ताहके अग्रलेखमे[1] दिये गये आवश्यक सुझावोके अनुसार परिवतन कर दिया गया है। स्मरणीय है कि मूल मसविदेमे कानूनकी शर्तोंके अनुसार विवाहकी वैधता मान्य करानेका आवेदनपत्र देनेवाले भारतीयोके लिए विवाह-अधिकारीको इस विषयमे सन्तुष्ट करना आवश्यक था "कि इस अधिनियमके आरम्भके समय उनमे ऐसा सम्बन्ध वतमान था जो उस भारतीय धर्मके सिद्धान्तोके अनुसार, जिसके वे अनुयायी है, विवाहके रूपमे मान्य है।" अब जिस सशोधित रूपमे विधेयक गजटमे प्रकाशित किया गया हे उसमे कहा गया है कि अधिकारीको सन्तुष्ट करना होगा कि "उनके बीच ऐसा सम्बन्ध है जो उस भारतीय धमके सिद्धान्तोके अनुसार, जिसके वे अनुयायी है, विवाहके रूपमे मान्य है।" इस प्रकार इस सशोधनसे सघके भीतर या बाहर किये जानेवाले भावी विवाहोकी वैधता मान्य करानेकी भी व्यवस्था हो जाती है। फिर, विधेयकके अनुच्छेद २ उपखण्ड २ मे भी सशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि 'सोलह वर्षसे नीचेके बच्चो" मे "छूट-प्राप्त व्यक्ति तथा ऐसी मृत स्त्रीके बच्चे" भी शामिल है, "जो यदि जीवित होती तो पत्नी (यहाँ की गई परिभाषाके अनुसार) के रूपमे मान्य होती अथवा छूट प्राप्त आदमीके साथ जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड २ के अन्तगत विवाहके रूपमे पजीकृत

१ देखिए "राहत विधेयक", पृष्ठ ४१२।

किया गया होता।" यह सशोधनका अर्थ स्पष्ट है ओर अब जान पडता हे कि इस विधेयकसे सत्याग्रहियोकी कानूनी मागोकी पूर्ति हो सकेगी। हमे आशा हे कि ससद् द्वारा वह शीघ्र ही पास कर दिया जायेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०-६-१९१४

३३० पत्र रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

बुधवार, ज्येष्ठ वदी ३ [जून १०, १९१४]

रामचन्द्रजी वनवास जाने लगे तब दशरथने उनसे कहा कि कैकेयीको दिये हुए वचनकी कोई परवाह नही, वचन-भग होनेपर भी तुम वनम न जाओ। लौकिक और स्थूल पुत्रप्रेममे पैदा होनेवाली इस इच्छाका अनादर करके रामचन्द्रजी वनमे गये और सच्ची पितृभक्ति करके उन्होने राजा दशरथका और अपना भी नाम अमर कर दिया। हरिश्चन्द्रने अपनी स्त्रीको बेचकर और रोहितके गलेपर तलवार रखने तक को तैयार होकर स्त्रीभक्ति और पुत्रप्रेम प्रकट किया। प्रह्लादने पिताकी आज्ञाका उल्लघन करके पितृभक्ति की और उनका उद्धार किया। मीराबाईने राणा कुम्भाको त्यागकर उन्हे अपना भक्त बना लिया। दयानन्दने अपने माता-पिताके पाससे भागकर, सगाईका इनकार करके अपने पीछे भेजे गये आदमियोके हाथसे छूटकर मातृभक्ति और पितृभक्ति ही की। बुद्धदेव अपनी जवान स्त्रीको सोती हुई छोडकर चल दिये।

ऐसे बहुतसे उदाहरण हमे मिलते है। उनका चिन्तन करके तुमपर जो सकट आ पडा है उसपर मनन करके सच्ची नीतिके अनुसार जो उचित मालूम हो वही करना। श्रवणके लिए सूक्ष्म और स्थूल भक्ति एक ही प्रवाह की थी, इसलिए हम उसका उदाहरण लेकर प्राय यह नही देख पाते कि सही वस्तु क्या है। सत्य मार्गपर चलनेवालेको सकटके समय हमेशा सत्य मार्ग सूझ जाता है। वैराग्यके पद वगैरा हम जो पढते है, वे अगर धर्म-सकटके समय उपयोगी सिद्ध न हो, तो यही माना जायेगा कि हमने उन्हे सिर्फ तोतेकी तरह रट लिया है। उनपर हमने विचार बिल्कुल नही किया। गीताजी पढकर भी यदि वह अन्त समय हमारी मदद न करे, तो गीताजीका पढना-न-पढना बराबर है। इसलिए मै हमेशा कहता रहा हूँ "थोडा पढो। परन्तु जो पढो उसपर विचार करो और उसका रहस्य समझकर उसके अनुसार आचरण करनेको तैयार रहो।"

स्नेहियोके प्रति वीतराग स्थिति उत्पन्न हो जाये, तभी हृदय सचमुच दयावान बनता है और स्नेहियोकी सेवा करता है। बाके प्रति मै जिस हद तक वीतराग बना हूँ, उसी हद तक उसकी सेवा अधिक कर सकता हूँ। बुद्धने अपने माता पिताको छोडकर उनका भी उद्धार कर दिया। गोपीचन्दने वैराग्य लेकर अपनी माताके प्रति अत्यन्त शुद्ध

प्रेम सूचित किया। इसी तरह तुम भी अपने चरित्रका निर्माण करके, अत्यन्त निर्मल नीतिको दृढ बनाकर अपने माता-पिताकी सेवा करोगे। जब तुम्हारी आत्मा विशुद्ध होगी तब उसकी परछाई तुम्हारे सब स्नेहियोपर पडे बिना रह ही नही सकती।"

[मोहनदासका यथायोग्य]

[गुजरातीसे]

गाधीजीनी साधना

३३१ याददाश्तके लिए[1]

[केप टाउन
जून १०, १९१४ के आसपास]

विवाह पहले हुआ हो या बादमे उसे वैधता दी जानी चाहिए।
खण्ड ३ अन्य पत्नियोकी, यहाँ निवास करनेवाली, सन्तानका क्या होगा ?
सन्तानकी परिभाषा
अन्य पत्नियाँ
उनकी सन्तान
केप-प्रवेश
फ्री स्टेट
प्रवेशार्थियोकी सख्या
वर्तमान कानूनोका प्रशासन — स्वर्ण-कानून, बस्ती-परवाना कानून, प्रवास
अन्य सिफारिशे
बिनाशत क्षमादान
कामे
फिक्सबर्ग
अजुमन
भायात
१९१३ के अधिनियमसे पहले प्रवेश कर चुकनेवाले शिक्षित भारतीय
पहलेके परवाना प्राप्त व्यक्तियो और नये जरूरतमदोके लिए बन्दूके
कानूनी तौर पर प्रवेश करनेवालोका पजीयन

गाधीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९६५) की फोटो-नकलसे।

१ स्पष्ट ही इन विभिन्न विषयोंपर गाधीजीको विचार करना था। तिथि इस तथ्यके आधारपर निश्चित की गई है कि उन्होंने फिक्सबर्गके भारतीयो और इस्लामिया अंजुमनकी ओरसे गृह-मन्त्रीके पास कुछ अभ्यावेदन १० जूनको भेजे थे।

३३२. पत्र . ई० एम० जोर्जेसको

[केप टाउन]
जून ११, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

सलग्न [कतरन] का आशय स्पष्ट ही हे। मेरी समझमे नही आया कि 'मर्क्युरी' ने विधानका यह अथ कैमे लगा लिया।[1] परन्तु इसका सम्बन्ध एक इतने बडे सिद्धान्तसे है कि मै यह आश्वासन पाना चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयकका वह अथ नही लगाती जो 'मर्क्युरी' ने लगाया है।[2]

[आपका]
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, १-७-१९१४

१ **नेटाल मर्क्युरीने** अपने एक लेखमें इस बातपर शका प्रकट की थी कि भारतीयोंको प्रान्तमें रहनेकी अनुमति दी जायेगी। उसकी दलील थी कि तीन पौंडी कर हटा दिया जानेपर भारतीयोको इस देशमें रहनेके विशेषाधिकारसे वचित कर दिया जायेगा, तब उनके लिए यही रास्ता रह जायेगा कि वे या तो फिरसे गिरमिटिया बनें या भारत वापस चले जायें। उसमे यह भी कहा गया था कि प्रवासी विनियमन अधिनियमके अन्तर्गत मन्त्री यदि चाहे तो आर्थिक कारणोंसे सभी एशियाइयोको "निषिद्ध प्रवासी" घोषित कर सकता है और इस प्रकार भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोको निर्वासित कर सकता है।

२ ई० एम० जॉर्जेसने २२ जूनको इसका उत्तर दिया था "जनरल स्मट्स चाहते है कि मैं आपको लिखूँ कि आयोगके प्रतिवेदनसे यह बिलकुल स्पष्ट है कि सरकारका ऐसा कोई मशा कभी नही रहा जिससे तीन पौंडी करसे सम्बन्धित मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओको रद करके भूतपूर्व गिरमिटिया प्रवासियोकी स्थिति किसी दूसरे तरीकेसे कठिन बनाई जाये, और माननीय मन्त्रीका निश्चित मत है कि यदि इसके सम्बन्धमें तनिक भी सन्देह होता तो आयोग ने अवश्य ही उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया होता, क्योकि उसमें तीन बडे बडे वकील बैठे थे। मन्त्री महोदयको पूर्ण विश्वास है कि विधेयककी वर्तमान व्यवस्थाओका भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोकी स्थितिपर वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि **मर्क्युरी** और **आफ्रिकन क्रॉनिकल** बतला रहे है और चाहते है कि हम उसपर विश्वास करें।"

३३३ पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन
शनिवार, [जून १३, १९१४]

भाई श्री रावजी भाई,

आपका पत्र आज ही किन्तु इतनी देरसे मिला कि आजकी डाकसे न आपको पत्रका उत्तर ही भेज सकता हूँ और न तार ही किया जा सकता है। तार तो सोमवार ही को करूँगा।

जहाँ माताके स्नेहकी बात हो, और पुत्रके वात्सल्यका प्रश्न हो ऐसे प्रसंगमें किसी तीसरे व्यक्तिका सलाह देना धर्म-संकट जैसा ही है। तथापि मेरी तो सलाह दिये बिना गति नहीं है। आप अपने पूज्य पिताजीके पत्रसे जिस निर्णयपर पहुँचे थे हम उसी समय इसका अन्दाज कर चुके थे कि आपकी माताजीकी भावनाएँ क्या हो सकती हैं। उनका पत्र आनेसे कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। स्नेहको नया उभार जरूर मिला है और स्वभावतः आपके हृदयमें प्रेमकी भावना प्रबल हो उठी है। ऐसेमें अब यदि आप अपना निर्णय निर्मम बनकर करते हैं, तो आपके प्रेमका यह स्वरूप निर्मल और दिव्य होगा। और आप अपना प्रेम सारे संसारको प्रदान कर सकेंगे। अतः इस दिशामें प्रयत्न किया जा सकता है। मातृ-भक्तिका सही उद्देश्य भी यही है। इससे भिन्न तो स्थूल भक्ति ही होगी जो निरी लौकिक होती है और जो केवल देहसे सम्बन्ध रखती है। जिनमें ऐसी भक्तिसे मुक्त होनेकी बात है सो भजन आप अनेक बार गाया करते हैं। "या संसार असार विचारी"[1] गाते हुए इसकी अन्तर्ध्वनिपर मनन करिये। "जीवका श्वासों तक सम्बन्ध"[2]—इसकी अन्तर्ध्वनि क्या है? और स्थानोंसे फीनिक्सकी रहनीमें यही अन्तर है कि यहाँ हम जो-कुछ पढ़ते हैं उसे जीवनमें सुप्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न करते हैं। आपका भारत जानेका परिणाम क्षणिक ही होगा। पाँच या १५ दिन बाद सही, रोना तो है ही, अन्तमें तो विछोह ही होना है।

और फिर हम ऐसी जिन्दगी जीना चाहते हैं कि हम अपने पास एक पाई भी न रखें, अतः आपको यह भी सोच लेना चाहिए कि ऐसे प्रसंगोंमें इस प्रकारका गरीब मनुष्य क्या कर सकता है।

माता-पिताका दर्शन करनेकी आपकी लालसा सदा बनी रहे यह तो श्रेष्ठ बात है परन्तु आज तो उस भावनाको नियन्त्रित करके अपना जीवन वीतराग बनाना ही आपका कर्त्तव्य है। अपने चरित्रके निर्माणके लिए ही आप यह देशनिकाला भोग रहे हैं। आपके लिए तो यह स्थिति वनवासकी है। ऐसा करके ही आप अपने माता-पिताको गौरवान्वित कर सकेंगे। आपका आचार स्वच्छन्द नहीं हो सकता। आपको तो दिनों-

१ यह संसार असार मानकर।
२ जीवने श्वास तणी सगाई।

दिन आत्मोन्नति करना चाहिए। दिनोदिन सयमी बनना चाहिए। मतलब यह कि आज तो आप स्वदेश लौट जानेके फजसे मुक्त है।

यह सब विचार करते हुए मैंने प्रेसकी स्थितिका जरा-भी विचार नही किया। मैंने यह सलाह इसी दष्टिमे दी है कि आपकी आत्मोन्नति किस बातमे है।

इतने पर भी यदि लौकिक मातृभक्ति आपको स्वदेशकी ओर ही खीच रही हो और यहाँ रहकर आपका मन शान्त न रह सकता हो तो आपको खुशीसे चले जाना चाहिए। मै केवल सलाह दे रहा हूँ, ऐसा समझकर आपको अपना निर्णय स्वतन्त्र रूपसे करना चाहिए और उसीके अनुमार कदम उठाना चाहिए।

मोहनदासका यथायोग्य

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीजीना पत्रो तथा **गांधीजीनी साधना**

३३४ मणिलाल और जमनादास गाधीको लिखे पत्रका अश

केप टाउन
शनिवार [जून १३, १९१४ या
उसके बाद][1]

तुम सब मेरे साथ-साय दौड सको, यह इच्छा करना तो ठीक है, लेकिन मै ऐसी आशा नही रखता। मै जो कुछ करता हूँ वही तुम सब भी करो, मैंने कभी ऐसा नही कहा। लेकिन जो कुछ करनेकी जिम्मेदारी लेते हो उसे तो अवश्य करना पडेगा [2] [इसमे] जबरदस्तीकी तो कोई बात नही। अगर तुम अपनी इच्छासे सोच-समझकर का व्यसन छोडकर [फिर] मुझे छलो तो इसमे दोष तुम्हारा ही माना जायेगा उसी प्रकार हम मानते है कि लडके एक सीमा तक पहुँच गये है। फीनिक्समे वे कुछ बातोसे परहेज रखते है, उन्हे वहाँ वे त्याज्य मानते है। फीनिक्ससे बाहर जानेपर उन्ही बातोको वे कैसे कर सकते है ? कोई भी अलोना भोजन करनेके लिए बाध्य नही है। मिच-मसाले, व्यसन, मिठाई, अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन, चाय, काफी आदि तो सभीके लिए त्याज्य है। विषय-भोग, चोरी, झूठ और देरसे उठना सबके लिए वर्जित है। जिन्हे ये नियम कठोर जान पडते है, वे [आश्रममे] रहते ही क्यो है ? प्रत्येक सस्थाके कुछ नियम होते है। उन नियमोका पालन [सस्थाके] अन्दर रहो चाहे बाहर, करना ही चाहिए। जो ऐसा नही कर सकते उनके सस्थामे रहनेका कोई अथ नही है।

तुम्हारे कहनेका यह अभिप्राय है कि लडके और दूसरे लोग भी स्वेच्छासे नही, बल्कि मेरी शरम रखनेके लिए कुछ [बाते] करते है और मुझे धोखा देते है।

१ पत्रमें नॉर्टनके उल्लेखसे जान पडता है कि यह "पत्रका अश", पृष्ठ ४१३ १४ के बाद लिखा गया होगा।

२ मूल सूत्रमें कई जगह शब्द छोड दिये गये है।

यह मेरा दोष हो सकता है लेकिन इससे बचनेका एक ही उपाय है कि मै किसीके साथ न रहूँ। फिलहाल यह मेरा कर्त्तव्य नही जान पडता। रा मेरे कहे बिना और मेरे सम्मानकी खातिर अलोना भोजन करनेका दिखावाकर मुझे छले तो इससे मै कैसे दोषी ठहरता हूँ। तुम अलोना नही खाते इस कारण मै तुम्हे कम और बिलकुल फलाहारी है इसलिए उसे विशेष प्यार करता हूँ ऐसी कोई बात नही है। लोना-अलोना भोजन करनेमे कोई पाप-पुण्य नही है। उसमे जो रहस्य विद्यमान है उसमे पाप-पुण्य हे। इमाम साहब कभी अलोना भोजन नही करते फिर भी [वे] मुझे प्रिय है। कुमारी श्लेसिन सब बातोमे मुझसे भिन्न आचरण करती है तो भी उसके चरित्रको मै कुछ हद तक तुम सबसे ऊँचा मानता हूँ। हम जितने भी फेरफार करते है उन सबमे हमारा उद्देश्य सयम और उसमे वृद्धि करते जाना है। और उस रात मेरे कहे हुए ये वचन कि जिन्हे ये स्वीकाय न हो, उन्हे मुझको छोडना पडेगा, [मुझे] उचित ही जान पडते है। मै न तो नॉटनके कायसे प्रसन्न होता हूँ और न बगाली वकीलोका तिरस्कार करता हूँ। सत्याग्रही उन दोनोसे अलग है और उसका कत्तव्य भी भिन्न है। [कौन] सच्चा सत्याग्रही है, कौन नही, तुम्हारे द्वारा पूछें गये प्रश्नमे यह प्रश्न भी आता है। यदि तुम अभी तक यह नही समझ सके हो तो मै केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इसकी अनुभूति होती है, कोई अन्य इसे नही समझा सकता। और इसे समझनेके लिए ही हम स्वादेन्द्रिय आदिको छोडनेका प्रयास कर रहे है। सयमका अथ अलोना आहार लेना नही। तुम दो दिनकी सूखी रोटी और चुटकी-भर नमक खाकर जीवन व्यतीत करो तो यह मेरे फलादि खानेसे कही अधिक ऊँची चीज हो सकती है। तुम्हारा सूखी रोटी और मेरे फलादि खानेका हेतु क्या है, इसपर कायकी शुद्धता निभर करती है।

[चारित्र्यकी] पवित्रता आलोचकोके आक्षेपोसे लज्जित नही, बल्कि और भी प्रबल होती है।

तुमसे जो कुछ भी अनुचित बन पडा हो वह सब-कुछ तुम मुझे कह देना। इसके बिना तुम्हारे उपवास अथवा सैकडो प्रायश्चित्त [भी] फलित नही होगे। मै वहाँ आनको तडप रहा हूँ लेकिन मेरा कत्तव्य मुझे नही छोडता।

ली हुई प्रतिज्ञा वापस लूँ, यह बात सूर्य पश्चिमसे निकले तो भी नही हो सकती।

जिनको मैने अत्यन्त निष्पाप (व्यक्ति) माना है यदि वे ऐसे पापी है तो मै अपने इस शरीरको क्षण-भरके लिए भी नही पालना चाहता।

प्रतिज्ञाओका पालन आसानीसे नही किया जा सकता।

तुम दोनोको इस पत्रसे रोष होगा। लेकिन मेरे मनमे जो हे यदि उसे व्यक्त न करूँ तो मुझमे [जो] सत्य है उसपर ऑच आती है और मै तुम्हारा अहित करनेवाला भी बनता हूँ। तुम्हे दु ख देना इस समय मेरा धर्म जान पडता है।

[गुजरातीसे]

महात्मा गाधीजीना पत्रो और गाधीजीनी साधना

३३५. पत्र कुवरजी मेहताको

[केप टाउन]
ज्येष्ठ वदी ८, १९७० [जून १५, १९१४]

प्रिय श्री कुँवरजी[१]

आपका पत्र मिला उसके लिए आभारी हूँ। उम्मीद है, सूरतके विद्यार्थियोसे भारत आनेपर मिलूंगा।

मोहनदास करमचन्द गाधीके यथायोग्य

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० २६६०) की फोटो-नकलसे।

३३६ एक ऐतिहासिक बहस

भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) का द्वितीय वाचन काफी बहुमतसे पास हो गया, और इस अवसरपर सरकारने अपनी भारतीय नीतिके विषयमे एक महत्वपूण घोषणा की।[२] जनरल स्मट्सका भाषण निश्चित रूपसे काफी नरम था और इस विषयपर अतीतकी उनकी कुछ वक्तृताओके विपरीत, वह अपमानजनक तो था ही नही। जनरल बोथाका भाषण भी अवसरके योग्य था। हम उनकी इस घोषणाके लिए कृतज्ञ हैं कि सरकार इस विधेयकको अपने जीवन-मरणका प्रश्न मानती है। विधेयकके समथनमे दी गई अन्य वक्तृताएँ भी वैसी ही उच्च कोटिकी थी और न्याय और मैत्रीकी जो भावना इन भाषणोमे दिखाई पडी उसे यदि वतमान कानूनोके प्रशासनमे भी जारी रखा जाता है तो भविष्यमे कोई भारतीय झगडा खडा होनेका भय न रहेगा। हम इन भाषणोको सरकार और ससदके इस इरादेका शुभ-सकेत मानते हैं कि अधिवासी भारतीयोके साथ न्याय और औचित्यपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। पिछले अनुभवके विपरीत जनरल स्मट्सने इस बार यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारने न केवल शाही-सरकार और भारत-सरकारके विचारोका ही खयाल रखा बल्कि भारतीय भावनाओपर भी ध्यान दिया है। हम विश्वास करते है कि इसी नीतिका भविष्यमे भी अनुसरण किया जायेगा।

बहसके स्तरके इतने ऊँचे रहनेका क्या कारण हो सकता है? निश्चय ही सम्राट् सरकारकी सतर्कता और वाइसराय द्वारा इस सवालके प्रति अपनाया गया साहसपूण रवैया। श्री ऐण्ड्रचूजके ‘प्रेमके मिशन’ का भी, इस बहसको उच्च स्तरपर रखनेमे, कुछ

१ कुँवरजी विठ्ठलभाई मेहता, सूरतके पाटीदार विद्यार्थी छात्रालयके व्यवस्थापक।

२, यह घोषणा जून ८, १९१४ को की गई।

कम हाथ नही था। ऐसा जान पडता था कि उनकी आत्मा सदनकी कारवाइयोका निरीक्षण और मागदर्शन कर रही थी। पर यदि हमने खुद अपनी मदद न की होती, तो इनमे से कोई भी मदद हमे न मिली होती। यह सत्याग्रहकी ही भावना थी जिससे ये तीनो कारण एकत्र हो सके। इसलिए समाजको समझ लेना चाहिए कि सकटके समय उनका अन्तिम अस्त्र सत्याग्रह ही है, जिसकी शक्ति फिर एक बार प्रमाणित हुई हे। किन्तु हम आशा करते है, और हमारे पास यह विश्वास रखनेका कारण भी है कि अब समाजको कष्टकी उस भयानक आगसे न गुजरना पडेगा जिसके बीचसे पिछले तमाम सालोमे वह गुजरता रहा है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–६–१९१४

३३७. पत्र : मार्शल कैम्बैलको[1]

केप टाउन
जून २०, १९१४

प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल,

'केप टाइम्स' के आजके अकमे भारतीय राहत विधेयकके सम्बन्धमे छपे तारके बारेमे आज सुबह हमारी बातचीत हुई थी। मैंने आज सुबह जो कहा था यहाँ फिर वही दुहराता हूँ जिस भारतीय प्रचारका तारमें उल्लेख है इसके बारेमे मुझे कोई जानकारी नही है। मुझे पूण विश्वास है कि किसी भी जिम्मेदार भारतीयने विधेयकपर आपत्ति नही की है। मुझे क्षण-भरके लिए भी विश्वास नही होता कि यह विधेयक जिन भारतीयोपर लागू होता है वे निषिद्ध प्रवासी बन जायेंगे — यह तो एक ऐसा परिणाम है कि जिसकी कल्पना तक सम्राट्की सरकार, भारत-सरकार, और मुझे पूर्ण विश्वास है, सघ-सरकारने भी कभी नही की थी।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गाधी

[पुनश्च] आप इस पत्रका जो उचित समझे सो उपयोग कर सकते है।

मो० क० गाधी

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९१) की फोटो-नकलसे।

१ रायटरने इसे गाधीजीके एक पत्रके रूपमें उद्धृत किया था और यह **इडियन ओपिनियन**, २४–६–१९१४ में भी प्रकाशित हुआ था

३३८ पत्र . गिरमिटिया भारतीयोको

[केप टाउन,
जून २२, १९१४ के बाद]

१८९५ के अधिनियम १७ के अन्तगत आनेवाले भारतीयोसे

मेरे प्यारे भाइयो,

अबतक आप सब लोग यह जान गये होगे कि तीन-पौडी कर जो आपको, आपकी स्त्रियो तथा आपके बालिग बच्चोको प्रतिवष देना पडता था, रद हो गया है। कानून पास होनेसे पहले जिन लोगोपर [सरकारकी] रकम बकाया निकलती है उनसे वह वसूल नही की जायेगी। अब आप गिरमिटमे फिरसे बँधनेके बजाय इस प्रान्तमे स्वतन्त्रता-पूर्वक रह सकते है। १८९५ से पहले आये हुए लोगोपर १८९१ का जो कानून लागू होता है वही कानून अब आपपर भी लागू होगा। इस स्थितिको लानेके लिए आपने, मैने और आप-जैसे अन्य सैकडो भाइयोने सघष किया, और उसके कारण दु ख उठाये। लेकिन 'नेटाल मर्क्युरी' ने यह लिखा है कि आपकी स्थिति पहलेसे और भी खराब हो गई है, और अब आपको या तो गिरमिटमें बँधनेको विवश किया जायेगा अथवा नये कानूनकी रूसे वापस हिन्दुस्तान भेज दिया जायेगा। यह बात सच नही है। सरकारने अपने एक पत्रमे स्पष्ट रूपसे लिखा है कि 'मर्क्युरी' ने कानूनका जो अर्थ किया है वह गलत है।[1] समझौता — साम्राज्यीय सरकार और भारत सरकार—दो पक्षोके बीच हुआ है। वे दोनो इसे किस रूपमे समझते है, यह मै जानता हूँ। उन दोनो पक्षोने ठीक यही समझा है कि करके उठा दिये जानेका अर्थ यह है कि आप स्वतन्त्र [नाग-रिकोके रूपमे] रहेगे, तथा यदि आप स्वतन्त्र व्यक्तियोकी हैसियतसे नेटालमे तीन वष तक रहेगे तो आपको भारतसे आनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोके समान ही अधिवासके अधिकार प्राप्त होगे। अन्तमे, विशेष रूपमे मै यह कहना चाहता हूँ कि इस नये कानूनकी रूसे यदि कभी आपको 'नेटाल मर्क्युरी' में लिखे अनुसार निषिद्ध प्रवासी माना जायेगा, तो मै दुनियाके चाहे किसी भी भागमे क्यो न होऊँ, फिर अपनी सारी शक्ति इस भयकर अन्यायको दूर करनेमे लगा दूगा। लेकिन मुझे विश्वास है, सरकारका ऐसा कोई इरादा नही है तथा कानूनका भी वैसा कोई अर्थ नही है। माशल कैम्बेल भी, जिन्होने इस तीन पौडी करको रद करानेकी दिशामे कठिन परिश्रम किया है, ऐसा ही कहते है। इसलिए इस सम्बन्धमे आपको डरना नही चाहिए और मै उम्मीद करता हूँ कि कोई भी भारतीय उपनिवेशसे बाहर निकाल दिये जानेके डरसे अब फिर गिरमिटमे नही बँधेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–७–१९१४

१ देखिए **पा० टि०** २, पृष्ठ ४१७।

३३९. स्वर्गीय सर डेविड हटर

रविवारको डर्बनमे खबर आई कि नेटालके एक अत्यन्त सच्चे तथा उदार विचारोवाले जन-नेता, सर डेविड हटर, के० सी० एम० जी०, का एडिनबराके एक सुश्रूषागहमे, ऑपरेशनके बाद देहान्त हो गया। सर डेविड सदैव दुर्बल और पीडितोका पक्ष लेनेके लिए प्रसिद्ध थे। ससदमे हो, या ससदके बाहर, सदा न्याय और औचित्यके पक्षमे उनकी आवाज सुनाई पडती थी — विशेषत उन लोगोकी तरफसे जिनको ससद्मे कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था। भारतीय समाजको इस हानिसे बडा सताप होगा। नेटालकी राजकीय रेलवेमे वे छब्बीस साल तक जनरल मैनेजर रहे। अपने इस कार्यकालमे वे एक मेहरबान हाकिमकी तरह जाने जाते थे। वह सदा अपने भारतीय कर्मचारियोकी प्रशसा किया करते थे, और वे लोग भी अपने प्रधानके बारेमे उच्च विचार रखते थे। हमे अच्छी तरह याद है कि श्री गोखलेके आगमनके समय डबन ड्रिल हॉलके ऐतिहासिक भोजमे सभापतिके रूपमे बोलते हुए सर डेविडने कहा था कि अपने दीर्घकालीन विविध अनुभव द्वारा मैंने अपने भारतीय कर्मचारियोको वफादार तथा उपयोगी पाया है और इसलिए मै उनकी इज्जत करता आया हूँ। मुझे यह विश्वास है कि मेरी उनके प्रति जैसी भावना थी उसके प्रतिदान-स्वरूप वे भी मुझमे वैसी निष्ठापूर्वक आस्था रखते थे। उन्होने उस सहज गौरव तथा शिष्टताकी भी चर्चा की जो भारतीय जातिकी विशेषता है। अन्य अनेक लोगोकी तरह, सर डेविड भी मानते थे कि तीन पौडी कर अन्यायपूण है और हमे स्वय उनसे यह आश्वासन प्राप्त हुआ था कि वे जितनी जल्दी हो सके उसके रद किये जानेका समर्थन करेंगे। अपनी दुर्भाग्यपूण बीमारीके कारण उन्हे रोगमुक्तिकी आशामे स्कॉटलैड जाना पडा, नही तो मुझे विश्वास है कि वर्तमान भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) का सर डेविड हटरसे अधिक निष्ठावान समर्थक दूसरा न मिलता। उनके सम्बन्धियो और मित्रोके प्रति हम अपनी सच्ची सहानुभूति और सम्वेदना प्रकट करते है, और हम जानते है कि सम्पूर्ण भारतीय समाज हमारी भावनाओके साथ है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–६–१९१४

३४० गृह-मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे[1]

[केप टाउन
जून २७, १९१४ के पूर्व]

१ दक्षिण आफ्रिकामे जन्मे हुए भारतीयोका केप प्रवेश
२ १८९५ के बाद गिरमिटिया भारतीय
३ फ्री स्टेट
४ विवाह
५ कितनोको प्रवेश दिया जायेगा और कैसे
६ यह आश्वासन कि ऐसी पत्नियोको प्रवेश दिया जायगा जो दक्षिण आफ्रिकामे अपने पतियोकी एकमात्र पत्निया हो और बहु-पत्नी विवाहोको भी मान्यता दी जायेगी
७ पत्नियोके सम्बन्धमे साक्ष्य
८ ट्रान्सवाल, केप और नेटालमे इस वष प्रवेश पानेवाले

[अग्रेजीसे]

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७३) की फोटो-नकलसे।

३४१. पत्र . ई० एम० जॉर्जेसको

केप टाउन
जून २७, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

मै आपसे मॉरिशसके अध्यादेशकी[2] प्रति माँगना भूल गया। आप उसे फीनिक्स भेजनेकी कृपा करेगे? काम पूरा होते ही मै उसे लौटा दूँगा।

मेरा खयाल है कि प्रस्तावित पत्रके लिए आपने जो नोट तैयार किये थे, उनमे 'पत्नियो और उनकी सन्तान' की बात भी दर्ज की थी। यदि न की हो, तो क्या आप एकाधिक पत्नियो-सम्बन्धी अनुच्छेदमे 'पत्नियो' की 'सन्तान' शब्द भी जोडनेकी कृपा करेगे?

१ यह सम्भवत २७ जूनको जनरल स्मटसके साथ हुई गाधीजीकी भेंटके सिलसिलेमें (याददाश्तके लिए) तैयार किया गया था। भेंटका साराश ई० एम० जॉर्जसने ३० जूनको गाधीजीके पास भेजा था, देखिए परिशिष्ट २५, गाधीजीने इसकी पहुँचकी सूचना उसी दिन भेज दी थी, देखिए "पत्र ई० एम० जॉर्जेसको", पृष्ठ ४२९ ३० ।

२ अध्यादेश भारतीय विवाहोके सम्बन्धमें था, देखिए "मॉरिशसका विवाह-कानून", पृष्ठ ४४३ ४४ ।

मुझे विश्वास है कि आपके पत्रकी शब्दावलीमे उदारताका पुट रहेगा। क्योकि मुझको यहा जिस विरोधका सामना करना पडेगा उसका कुछ आभास मै आपको दे ही चुका हूँ।

मै स्वण-कानून सम्बन्धी चर्चाके बारेमे सोचता रहा हूँ। स्वण-क्षेत्रोमे व्यापार और निवास करनेवाले लोगोके प्रदत्त अधिकारोका (इस शब्दका प्रयोग मैने जिस अथमे किया है, उस अथमे) सरक्षण किया जाना अत्यधिक महत्वपूण है, और मुझे आशा है कि जनरल स्मट्स इस विषयपर विचार करनेमे उतनी ही उदारतासे काम लेगे जितनी उन्होने चर्चाके अन्य विषयोके बारेमे दिखलाई है, और जिसके प्रति मै उनका कृतज्ञ हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके बारेमे भी मुझे जल्द ही निश्चित उत्तर मिल जायगा जिससे कि मै अपनी यात्राका सारा प्रबन्ध पक्का कर सकू।

सर्वश्री भायात और कामेके बारेमे भी सोमवारको ही मुझे पत्र भेजनेकी कृपा कीजिये।

हमारी चर्चा कुछ लम्बी खिच गई, पर आपने पूरे समय मेरे साथ धैय और सौजन्यका ही व्यवहार किया है। इसके लिए मै आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

आपका

मो० क० गाधी

हस्तलिखित अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९६) की फोटो-नकलसे।

३४२ भाषण . बधाई-समारोहमें[1]

केप टाउन

जून २७, १९१४

जवाब देते हुए श्री गाधीने इक्कीस वर्ष पहलेकी स्थितिका उल्लेख किया और कहा, तब मै एक नास्तिकवादीके रूपमें इस देशमें आया था। तथापि उसके बाद मैंने यह स्वीकार करना सीखा कि ससारमे एक ईश्वरीय योजना काम करती रहती हे और एक अद्रष्ट हाथ उसके अनुसार घटनाओको निश्चित रूप देता रहता है। भारतीयोकी कठिनाइयो और असमर्थताओको दूर करनेके लिए छेडे गये इस लम्बे सघर्षमें, जिसमे मेरे जीवनके श्रेष्ठतम वर्ष बीत गये, मुझे कई कठोर प्रहार सहने पडे और ऐसी कई बातोकी जिम्मेदारी मुझपर आरोपित की गई जो न कभी मैने की थीं और न कभी करनेका इरादा ही था। जिस पद्धतिका मैंने सहारा लिया था, उसे अब लोग अधिक

१ भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल)के पास होनेपर गाधीजीको बधाई देनेके लिए सध्या समय यूरोपीय और भारतीय मित्रोकी एक सभा हुई थी। इसमें गाधीजीने भाषण किया। इस अवसरपर सिनेटर मार्शल कैम्बेल और श्री मेलर, एम० एल० ए० ने तीन पौडी करके रद होने तथा दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकी अय कठिनाइयोंके दूर होनेपर हर्ष प्रकट किया। गाधीजीका यह भाषण २९ जूनके अकमें प्रकाशित **नेटाल मर्क्युरी**के ससदीय प्रतिनिधि द्वारा भेजे गये विवरणसे लिया गया है।

अच्छी तरह समझने लगे थे। उसके अन्दर कानूनके विरोधकी या निराशाकी भावना थी ही नहीं, बल्कि मुझे तो सदैव ही यह प्रतीति बनी रहती थी कि हिंसात्मक पद्धतियोकी अपेक्षा यह नई पद्धति मनुष्यसे कहीं अधिक साहस और कष्ट-सहनकी अपेक्षा रखती है।

श्री गाधीने कहा कि हमारा आन्दोलन एक अधिक कठिन प्रकारका आन्दोलन था। और अगर उनके देशभाई साथ नहीं देते, साथ देना उनका कर्त्तव्य था, तो हम इसमें सफल नहीं हो सकते थे। मै तो अपनेको केवल एक निमित्त, और सो भी बहुतोमें से एक निमित्त मानता हूँ। मै अपने बहुतसे यूरोपीय हितैषियोको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी मान्यता है कि वर्तमान सफलतामें इन मित्रोकी सहायताका बडा हाथ रहा। श्री गाधीने कहा, मुझे याद है कि किस प्रकार ट्रान्सवालमें होनेवाले कष्टकारी कूचके दिनोमें यूरोपीय हितषी मार्गमें जगह-जगह भारतीय जत्थेसे आकर मिलते थे और उसे प्रोत्साहन देते थे तथा ठोस मदद भी करते थे। परिस्थितिमें सुधार करानेके लिए सत्याग्रह यद्यपि एक शक्तिशाली साधन है — ससारका शायद सबसे शक्तिशाली साधन — फिर भी अगर भारतीय कौम अपनी माँगोमें सयमसे काम न लेती और औचित्य तथा व्यावहारिकताका ध्यान नहीं रखती तो उसे यह सफलता नहीं मिलती। और यह सयम तबतक आ ही नहीं सका होता जबतक उनमें से कुछ लोग भारतीयोके अधिकारोके प्रश्नको यूरोपीयोके दृष्टिकोणसे न देख सकते।

श्री गाधीने आगे कहा कि मैंने तो अपना लक्ष्य ही यह बना लिया था कि भारतीय प्रश्नोको उन लोगोके दृष्टि-बिन्दुसे देखा जाये जो हमारे देशभाइयोकी नजरमें उनके साथ अन्याय करनेवाले थे। और मेरा खयाल है कि लम्बे अर्सेके प्रयासोके बाद मुझे इसमें काफी सफलता मिली। विधेयकके बारेमें श्री गाधीने कहा कि उसमें वर्तमान कठिनाइयोका हल है। मुझे लगता है कि आठ वर्षके सघर्षके बाद हमारे देशभाइयोको शान्ति और विश्रान्तिके लिए कुछ समय मिलना जरूरी है। सघ-राज्यकी ससद्‌में विधेयकपर हुए भाषणोमें राष्ट्रीय और साम्राज्य सम्बन्धी जिस जिम्मेवारीकी भावनाका दर्शन हुआ उससे मै काफी प्रभावित हुआ हूँ, और मेरा विश्वास है कि अगर यही भावना आगे भी कायम रही तो यहाँकी सरकार अपने भारतीय प्रजाजनोसे सम्बन्धित शेष प्रश्न भी अवश्य हल कर लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अभी जो शान्ति प्राप्त हुई है उसे आगे कभी भग करनेकी जरूरत होगी। उन्होने कहा, अब इस देशमें भारतीयोकी भीड प्रवेश नहीं करेगी। भगवानका धन्यवाद कि गिरमिटिया मजदूरोकी प्रथा भी हमेशाके लिए बन्द हो गई है। भारतीय अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ किस जातिका प्रभुत्व और शासन है। यूरोपीयोके साथ सामाजिक समानताकी उन्हें आकाक्षा नहीं है। वे जानते हैं कि उनके विकासका मार्ग भिन्न है। वे तो मताधिकारकी भी इच्छा नहीं रखते। अथवा अगर कहीं यह इच्छा हो भी तो उसका अमल आज ही से हो ऐसी कोई इच्छा किसीके मनमें नहीं है। श्री गाधीका विश्वास था कि जब कभी हमारे देशभाई योग्य होगे तब

उनको यह मताधिकार भी जरूर मिल जायेगा। परन्तु यह प्रश्न चालू राजनीतिसे सम्बन्ध नहीं रखता। मै तो अपने देशभाइयोके लिए इतना ही चाहता हूँ कि हालमें भारतीयोके लिए जो अधिकार मजूर किये गये है उनके आधारपर उन्हें दक्षिण आफ्रिकाकी जमीन-पर सम्मान और प्रतिष्ठाके साथ रहने दिया जाये।[1]

हम सामाजिक समानताकी कामना नही करते, और मै कहूँगा कि हमारे सामाजिक विकासके पथ भिन्न है। हम बार-बार कह चुके है कि हम फिलहाल पूण मताधिकारकी माँग नही करेग। हम जानते है कि यहाँपर किस जातिकी प्रधानता है। कालान्तरमे जब हम इस योग्य हो जायेगे तो हमे मताधिकार भी प्राप्त हो जायेगा। किन्तु मै कहूँगा कि यह प्रश्न व्यावहारिक राजनीतिका नही है। ईश्वरकी कृपा है कि अब भारतसे भारतीयोका और आव्रजन नही होगा। इसलिए अब कुल सवाल उस भारतीय आबादीके साथ न्यायपूण और उचित व्यवहारका है जो इस देशमे है। यदि इस आबादीको यहाँ शान्तिपूर्वक रहना है तो उसे कमसे-कम ये हक अवश्य है कि उसे पूण शान्ति, सम्मान और गौरवसे रह सकनेका अवसर प्राप्त हो। अगर हम इसके भी हकदार नही है तो समझमे नही आता कि हम किस चीजके हकदार है।[2]

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २९–६–१९१४ और ३०–६–१९१४

१ इसके बाद आगेकी रिपोर्टपर २९ जूनकी तारीख है और यह ३० जूनके अकमें प्रकाशित किया गया था। इसके पहले गाधीजीके भाषणके एक भागका निम्न सार दिया गया था "यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने दक्षिण आफ्रिकामें यूरोपीय समाजमें से कई ऐसे सच्चे साथी और मित्र बनाये जो मेरे लिए भाइयोके समान है। सिनेटर मार्शल कैम्बेल जैसे सच्चे और सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? सिनेटर मार्शल कैम्बेलने भारतीयोकी तकलीफो और दु खोमे हाथ बॅटाया था। लड़ाईके सबसे ज्यादा खतरनाक दौरमें वे सीखने और लाभ उठानेके लिए आये, और नि सदेह जिसने इस लड़ाईमें हिस्सा लिया उसने सीखा और लाभ उठाया। वह हिंसात्मक लड़ाई तो थी ही नही। भारतीयोने सत्याग्रहका उपयोग कभी निर्बलके अस्त्रके रूपमे नही किया। हिंसात्मक अस्त्रकी अपेक्षा इस अस्त्रका सदुपयोग करनेके लिए कही ज्यादा प्रबल मनोबलकी आवश्यकता थी। विधेयकको पास करनेमें दोनो सदनोका और भारतीयोंके सभी मित्रोका जिस भावनाने मार्गदर्शन किया था, यदि उसी भावनासे आगेकी समस्याओपर विचार किया जाये तो सत्याग्रह पुन आरम्भ करनेकी कोई आवश्यकता नही होगी। आठ वर्षके बाद भारतीयोको कुछ शान्तिकी आवश्यकता है, और यूरोपीयोके लिए यह उचित होगा कि वे सहानुभूतिका रवैया अपनायें।

२ इसके बाद श्री कैलनबैकने अपना भाषण दिया।

३४३ पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको

केप टाउन
जून ३०, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

आपका आज ही की तारीखका लिखा पत्र[1] प्राप्त हुआ। इसमे आपने उस मुलाकातका साराश दिया है, जो जनरल स्मटसने अनेक आवश्यक कार्योमे व्यस्तताके बावजूद पिछले शनिवारको मुझे देनेकी कृपा की थी। मेरे द्वारा पेश की गई कुछ बातोपर विचारके समय मन्त्री महोदयने जिस धैर्य और शिष्टताका परिचय दिया उसके लिए मै हृदयसे कृतज्ञ हूँ।

भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) के पास हो जाने और इस पत्र-व्यवहारके कारण सत्याग्रहकी वह लडाई अन्तिम रूपसे समाप्त हो गई जो सितम्बर १९०६ मे शुरू हुई थी और जिसके कारण भारतीय समाजको काफी शारीरिक कष्ट और आर्थिक हानि और सरकारको काफी चिन्ता और परेशानी उठानी पडी।

जैसा कि मन्त्री महोदयको मालूम है, मेरे कतिपय देशभाई चाहते थे कि मै इससे अधिक अधिकारोकी मॉग करूँ। वे इस बातसे असन्तुष्ट है कि विभिन्न प्रान्तोके व्यापार परवाना कानूनो, ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, ट्रान्सवाल कस्बा-कानून[2] तथा १८८५ के ट्रान्सवाल कानून सख्या ३ मे ऐसे परिवतन नही किये गये जिनसे कि भारतीयोको अधिवास, व्यापार तथा जमीनके स्वामित्वके पूण अधिकार मिलते। कुछ लोग इसलिए असन्तुष्ट है कि पूर्ण अन्तर्प्रान्तीय आवागमनकी अनुमति नही दी गई, और कुछ इसलिए असन्तुष्ट है कि विवाहके सवालपर राहत विधेयक जितनी हद तक जाता है उससे आगे क्यो नही गया। मुझसे कहा गया है कि सब विषय सत्याग्रहकी लडाईमे शामिल किये जा सकते है। मै उनकी इच्छाओकी पूर्तिमे असमर्थ रहा। इसलिए यद्यपि ये मागें सत्याग्रहके कार्यक्रममे शामिल नही की जा सकी, फिर भी इससे इनकार नही किया जा सकता कि किसी-न-किसी समय इन बातोपर सरकारको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना ही होगा। जबतक अधिवासी भारतीय आबादीको पूण नागरिक अधिकार नही दे दिये जाते, पूरे सन्तोषकी आशा नही की जा सकती। मैंने अपने देशभाइयोसे कहा है कि उन्हे धीरज रखना होगा और सभी सम्मानपूण साधनोसे, जो उन्हे उपलब्ध है, जनमतको इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उस समय जो भी सरकार हो वह वर्तमान समझौतेकी शर्तोंसे आगे जा सके। मै आशा करूँगा कि जब दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय इस तथ्यको भली-भाति समझ लेगे कि अब भारतसे गिरमिटिया मजदूरोका

१ देखिए परिशिष्ट २६।

२ स्वर्ण-कानून और १९०८ के कस्बा अधिनियमके अन्तर्गत समस्त स्वर्ण-कानून क्षेत्रोमें भारतीय लोग बस्तियोंके अलावा अन्यत्र कही भी नही रह सकते थे और न व्यापार ही कर सकते थे।

आना बन्द कर दिया गया है और पिछले सालके प्रवासी विनियम अधिनियम (इमिग्रेंट्स रेगुलेशन ऐक्ट) ने भविष्यमें अमली तौरपर भारतीयोंका मुक्त आव्रजन बन्द कर दिया है, और मेरे देशभाई किसी राजनीतिक आकांक्षाके लिए प्रयत्नशील नहीं हैं तब वे मेरे देशभाइयोंको उपर्युक्त अधिकार देनेकी न्यायशीलता और आवश्यकताको देख पायेंगे।

इस बीच सरकारने पिछले चन्द महीनोंमें जिस उदार भावनासे समस्याके समाधानका प्रयत्न किया है, वही यदि वर्तमान कानूनोंके अमलमें आगे भी लागू की जाती रही, जैसा कि आपने अपने पत्रमें वादा भी किया है, तो मुझे निश्चय है कि समस्त संघमें भारतीय समाज शान्तिका कुछ सुख उठा सकेगा और सरकारके लिए कभी सिरदर्दका कारण न बनेगा।[1]

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९९) की फोटो-नकलसे।

३४४. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

किम्बर्लेकी ट्रेनसे
जुलाई १, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

मैंने कल तार[2] भेजा था कि सब कुछ तय हो चुका है। मैं पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ या अन्य कोई भी कागजात भेजकर आपको परेशान नहीं करना चाहता।

मैं १८ तारीखको रवाना होनेकी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। अब तो एक यही इच्छा है कि आपके पास पहुँचूं और आपके दर्शन करूँ और आपसे आदेश लेकर तत्काल भारतके लिए रवाना हो जाऊँ। यदि मैं १८ को रवाना हो गया तो यह पत्र मेरे रवाना होनेके बाद और यदि २५ को रवाना हुआ तो उससे पहले मिल जायेगा। रवाना होनेकी तिथि मैं अगले हफ्ते तार द्वारा सूचित करूँगा। इसलिए यदि आप मुझे कोई हिदायत करना चाहें तो कृपया केप टाउन या मदीरामें तार भेजें।

आशा है कि आपके स्वास्थ्यमें सुधार होगा।

श्रीमती गांधी और श्री कैलेनबेक मेरे साथ आ रहे हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७७) की फोटो-नकलसे।

१ गवर्नर जनरल लॉर्ड ग्लैड्स्टनने, उपनिवेश मन्त्रालयको भेजे गये ४ और १० जुलाई, १९१४के अपने दो खरीतोंमें, समझौतेकी सूचना देते हुए विस्तारसे लिखा था कि गांधीजीकी माँगें किस प्रकार और किस हद तक पूरी की गई है। देखिए परिशिष्ट २७।

२ यह तार उपलब्ध नहीं है।

३४५ भाषण : किम्बर्लेके स्वागत-समारोहमें[1]

[जुलाई २, १९१४]

सितम्बर १९०६ में जोहानिसबर्गके गेटी हॉलमें हुई सभाके दिनसे लेकर आजतककी घटनाओका विवरण देने तथा इस अवधिके दौरान भारतीयोको जो असह्य कष्ट उठाने पडे उनका मार्मिक शब्दोमें वर्णन करनेके बाद श्री गाधीने कहा

इन [कष्टो] के फलस्वरूप हम देखते है कि दक्षिण आफ्रिकाके गोरोका दिल पिघल गया है। इस सघषमे दु ख उठानेवाली सेनाका मै तो केवल एक सिपाही ही था। [इसका] असली श्रेय तो उन लोगोको है जिन्होने असह्य कष्ट उठाये है। श्री कैलेनबैक, श्री पोलक तथा अन्य गोरे मित्रोने, दु खकी इस अवधिमे हमारी जो सहायता की है उसके लिए हम उनके भी आभारी है।

नये विधेयकके सम्बन्धमें बोलते हुए उन्होने कहा

यह स्पष्ट है कि सघ सरकारने इस बार नये विधेयकको विधानसभा तथा सीनेटसे पास करवानेका इस तरहसे प्रयत्न किया है जिससे साम्राज्यीय और भारतीय सरकारो तथा दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोको सन्तोष हो सके। भारतीयोके समान विनीत कौमके विचारसे, जनरल बोथाके इस कथनको देखते हुए कि यदि "विधेयक" पास न हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे, कह सकते है कि जनरल बोथाने हमारे लिए नि सन्देह अच्छा काम किया हे। विरोधी पक्षने भी इसे दलीय राजनीतिका प्रश्न नही बल्कि साम्राज्यीय समस्या माना, इसलिए हम उसे धन्यवाद देते है। साम्राज्यीय सरकार तथा भारतके नेक वाइसराय लॉर्ड हार्डिजने हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ है। श्री गोखलेके नेतृत्वमे भारतकी प्रजाने तथा श्री ऐन्ड्रचजने हमारी जो अमूल्य मदद की है, वह एक दूसरेसे बढकर थी और इन्ही कारणोसे इतना सुन्दर समझौता सम्पन्न हो सका है। हमे विश्वास है जिस शुद्ध विवेकबुद्धिसे सरकारने हमे न्याय दिया है उसी न्यायबुद्धिसे वह कानूनको अमलमे लायेगी तथा ऐसा होनेपर फिरसे इस सघर्षकी पुनरावृत्ति नही होगी। लेकिन मै अपने भाइयोसे यह कहनेकी अनुमति चाहता हूँ कि अपने प्रत्येक कष्टको दूर करनेका सबसे पहला उपाय हमारे अपने हाथमे है, और उसके बाद सत्याग्रहका हथियार है। गोरे मित्रोकी पावन स्मृति तथा मेरे देशभाइयोने मुझे जो स्नेह दिया है, उसे मै सदा याद रखूगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–७–१९१४

१ गाधीजीके सम्मानमें बेकन्सफील्ड टाउन हॉलमें एक सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता कौंसिलर टी० प्रेटलेने की थी। अंग्रेजीमें दिये गये भाषणकी मूल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

३४६ भाषण : डर्बनकी सभामें[1]

[जुलाई ५, १९१४]

श्री गाधी बोलनेके लिए खडे हुए। उन्होने बताया 'मर्क्युरी' आदि पत्रोमे तीन पौडी करका जो अथ किया है वह एकदम गलत और भ्रमपूण है। उक्त कानूनका ऐसा अर्थ नही निकलता। 'मर्क्युरी' के इस सम्बन्धमे लिख चुकनेके बाद जनरल स्मट्ससे भी लिखा-पढी हुई है और उनका भी विश्वास है कि कानूनका वह अथ नही है जैसा 'मर्क्युरी' कर रहा है।[2]

तदनन्तर विवाहके प्रश्नपर बोलते हुए श्री गाधीने कहा

कई भारतीयोने यह माँग की है कि विवाहके कानूनका मॉरिशसके कानूनके अनुरूप बना दिया जाये। पर उस कानूनको वे पढ चुके है, वह तो और भी खराब है। विवाहके सम्बन्धमे जो निणय हुआ है वह तो बहुत अच्छा निणय है। उससे बढकर कोई अन्य निणय नही हो सकता।

श्री गाधीने आगे बतलाया कि जो उपनिवेशमें पैदा हुए है, पहलेकी तरह ही, उन लोगोके केपमें प्रवेशके सम्बन्धमें तथा ऑरेंज फ्री स्टेटके सम्बन्धमें भी सन्तोषजनक ढगसे निर्णय हो चुके है। और इसके अतिरिक्त कानूनका अमल न्यायपूर्वक हो, अधिक सख्तीके साथ न हो, इस सम्बन्धमें भी सरकारने सहानुभूतिका रुख अपनाया है। अन्तमें उन्होने सम्मान देनेके लिए इतने अधिक लोगोके एकत्रित होनेपर आभार प्रकट किया।

[गुजरातीसे,]

इडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३४७ तार . 'हिन्दू' को[3]

जोहानिसबग

जुलाई ६, १९१४

सत्याग्रह सम्बन्धी समझौता अन्तिम रूपसे सम्पन्न। आठ वर्षीय निरन्तर सघर्ष समाप्त। कानूनी और प्रशासकीय अपेक्षित कार्रवाई द्वारा सत्याग्रह अनुरोध पूरी तरह मजूर। दोनो सभाओमे मन्त्रियोके भाषणो और वाद-विवादमे न्यायशीलताकी भावना। हालाकि यह सम्मानपूर्ण परिणाम मुख्यत हजारो

१ यह सभा भारतीय राहत विधेयकके पास हो जानेपर जब गाधीजी केप टाउनसे लौटे तब फुटबाल ग्राउडपर हुई थी।

२ देखिए पाद टिप्पणी २, पृष्ठ ४१७।

३ इसपर काछलिया, कैलेनबैक, पोलक और गाधीजीके हस्ताक्षर थे।

सत्याग्रहियोके कष्ट-सहन द्वारा दक्षिण आफ्रिकाका अन्तकरण जगानेसे ही सम्भव हुआ फिर भी समाज इसके लिए साम्राज्यीय, भारतीय तथा सघ सरकारोके और गोखलेके पथ-प्रदशनमे भारतीय जनताके ओर ऐन्ड्रयूज तथा पियरसनके भी कामके प्रति हार्दिक कृतज्ञ। उक्त भावना यदि प्रशासन और वतमान कानूनोमे बनी रही तो सघषकी पुनरावृत्तिका भय नही।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ८–७–१९१४

३४८ तार · गो० कृ० गोखलेको

[जोहानिसबग
जुलाई ६, १९१४][1]

माननीय श्री गोखले
लन्दन

अन्तिम समझोतेके लिए भारतीय समाजकी ओरसे आपको हार्दिक धन्यवाद बधाइया। आपकी आत्म-त्यागपूण सेवाओके बिना इतने शीघ्र असम्भव था। हमारा अनुरोध हमारे प्रवक्ताकी हेसियतसे हमारा विनम्र धन्यवाद आप लॉड हार्डिजको उनकी जबरदस्त सहायता और समझौता सम्पन्न करानेके निभयतापूण ढगके लिए तार द्वारा पहुँचा दे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–७–१९१४

३४९ पत्र . ई० एम० जॉर्जेसको

फीनिक्स
नेटाल
जुलाई ७, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

स्वण-कानूनके सम्बन्धमे अपना नोट प्रस्तुत करनेके लिए अब मुझे थोडा समय मिल पाया है। आप जानते ही है कि मैंने अधिक गहराईसे विचार करनेके बाद स्वर्ण-कानून और बस्ती-सशोधन अधिनियमके सिलसिलेमे 'प्राप्त अधिकारो' की परिभाषाके लिए एक विशेष धारा जोडनेके अपने आग्रहपर जोर नही दिया था, क्योकि मुझे लगा कि उस पत्र व्यवहारमे एक काई परिभाषा कर देनेका परिणाम यह भी हो सकता है कि आग चलकर मेरे देशवासियोका कायक्षेत्र कुछ सीमित हो जाये। परन्तु मेरा खयाल

१ लगता है कि यह तार और "तार 'हिन्दू' को" — पिछला शीर्षक — एक ही दिन भेजे गये थे।

है कि 'प्राप्त अधिकारो' का मै जो अर्थ लगाता हूँ उसे एक लिखित रूप दे ही डालना चाहिए। जनरल स्मट्स ने यह कहनेकी कृपा तो की ही थी कि प्राप्त अधिकारोकी मैंने जो परिभाषा की है उसी रूपमे वे उनको सरक्षण देनेकी कोशिश करेंगे। मैने सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनके सामने निम्नलिखित परिभाषा पेश की थी, जो मेरा खयाल है उन्होने जनरल स्मट्सके सामने रखी थी। मैने ४ मार्च, १९१४ के अपने पत्रमे[1] अन्य विषयोके साथ यह परिभाषा भी रखी थी कि "मेरी समझमे प्राप्त अधिकारोका मतलब है भारतीय और उसके उत्तराधिकारियोका उस बस्तीमे रहने और व्यापार करनेका अधिकार जिसमे वह निवास और व्यापार कर रहा था, फिर चाहे उसने अपनी उसी बस्तीमे अपने निवास या अपने व्यवसायका स्थान कितनी ही बार क्यो न बदला हो।" श्री हरकोर्टने कॉमन्स सभामे २७ जून, १९११ को इस विषयके सम्बन्धमे जो उत्तर दिया था, उससे मेरी इस व्याख्याकी पुष्टि होती है

उस विधान (स्वर्ण-कानून और बस्ती-सशोधन अधिनियम) के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं और अब दक्षिण आफ्रिकी सघ सरकार उनकी जाँच-पडताल कर रही है और उसने हालमें कहा है कि विधान पास होनेकी तिथिसे पहले भारतीयो द्वारा अर्जित किये और चलाये जानेवाले व्यवसायको चलानेके अधिकारमें या व्यवसायमें हस्तक्षेप करनेका उसका कोई मशा नहीं है।

अब मुझे श्री डी'विलियसका वह नोट भी मिल गया है जिसका हवाला मैंने बातचीतके दौरान दिया था। वह लन्दनमे मार्च, १९१२ मे प्रकाशित हुए एक श्वेत-पत्रमे दिया गया था। उसमे कहा गया है

नया अधिनियम (१९०८ का अधिनियम ३५) रगदार लोगोको उनके किसी भी मौजूदा अधिकार या विशेषाधिकारसे वचित नहीं करता।

और, आगे कहा गया है,

ससदमें विधेयक पेश होनेसे पहले जिस खण्ड १३१ के बारेमें इग्लैंडकी कामन्स सभामें अनेक प्रश्न पूछे गये थे और गवर्नरके नाम मन्त्रीकी ओरसे अनेक खरीते भेजे गये थे, अब उसे समितिने इस तरह सशोधित कर दिया है कि खान-क्षेत्रमें रगदार भारतीयोके भू-स्वामित्वके मौजूदा सभी अधिकार सुरक्षित रहें।

जहाँतक मेरी जानकारी है स्वर्ण-कानून पास होनेसे पहले स्वण-क्षेत्रोमे ब्रिटिश भारतीयोकी गतिविधि या व्यापारपर निश्चय ही कोई भी प्रतिबन्ध नही लगे थे। इसलिए अब प्रतिबन्ध लगानेका कोई औचित्य नही हो सकता, विशेषकर उन लोगोपर जो अपनी-अपनी बस्तियोमे पहले ही बस चुके है।

आपका सच्चा
मो० क० गाधी

श्री ई० एम० जॉर्जेस
प्रिटोरिया

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६००३) की फोटो-नकलसे।

१ देखिए "पत्र सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको", पृष्ठ ३६७६८ ।

३५०. भाषण : विदाई-सभामें[1]

डर्बन

जुलाई ८, १९१४

धन्यवादका उत्तर देते हुए श्री गाधीने पहले बताया कि वे शोकसूचक वेशमें क्यो उपस्थित हुए। यह वेश उन्होने हडतालके समयसे ही धारण कर रखा था।[2] उन्होने आशा प्रकट की कि उपस्थित सज्जन वह विचित्र वेश पहन कर सभामें आनेके लिए उन्हें क्षमा करेंगे। उन्होने कहा, अपनी सजाकी अवधि समाप्त होनेसे पहले छोड दिये जानेपर शोक-चिह्नके रूपमें मैंने यह पहनावा शुरू किया था। वह शोक तो अब नहीं रहा। परन्तु फिर भी मैंने इस वेशको कायम रखा है। आज मुझे साधारणतया उस पोषाकमे आना था जो शामको धारण की जाती है। परन्तु मुझे लगा कि इस समय मेरे मनकी जो अवस्था है उसमें यदि दूसरा वेश पहनूँ तो उससे उपस्थित लोगो-के प्रति कोई अधिक आदर प्रकट नहीं होगा। (हर्ष-ध्वनि)। भेंट किये गये मानपत्रोका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा, इन मानपत्रोको मैं बहुत मूल्यवान मानता हूँ। परन्तु मेरी दृष्टिमें इन मानपत्रोसे भी अधिक मूल्यवान वह प्रेम और सहानुभूति है, जो इनमें प्रकट की गई है। मैं नहीं जानता कि मैं कभी इस प्रेमका उचित मुआवजा भी चुका सकूँगा या नहीं। मेरी जो प्रशसा की गई है मैं उसका पात्र नहीं हूँ। मेरी पत्नी भी नहीं मानतीं कि उनके बारेमें जो-कुछ कहा गया है वे उसकी पात्र हैं। बहुत-सी भारतीय स्त्रियोने लडाईमें श्रीमती गाधीकी अपेक्षा अधिक सेवा की है। श्री कैलेनबैक मेरे भाईके समान हैं। अत मानपत्रके लिए उनकी तरफसे भी मैं कौमको धन्यवाद देता हूँ। समाजने कैलेनबैकके गुणोका सम्मान करके बडा अच्छा किया है। श्री कैलेनबैक खुद लाभान्वित होनेकी दृष्टिसे लडाईमें शरीक हुए थे। श्री कैलेनबैक मानते हैं कि भारतीयोका पक्ष लेकर वस्तुत सच्चे अर्थोंमें स्वय उन्हें बहुत लाभ हुआ है। न्यू कैसिलकी हडतालके दिनोमें श्री कैलेनबैकने बडा शानदार काम किया था और जब

१ गाधीजी, कस्तूरबा और कैलेनबैक द्वारा इग्लैंड होते हुए भारतके लिए प्रस्थान करनेके अवसर-पर उन्हें विदाई देनेके लिए टाउन हॉलमे एक सभा आयोजित हुई जिसमें बहुत बडी सख्यामें भारतीयों और यूरोपीयोने भाग लिया। डर्बनके मेयर श्री डब्ल्यू० होम्सने अध्यक्षता की। कैलेनबैक सभामें उपस्थित नही हो सके, उनका भेजा हुआ धन्यवादका तार पढ़ कर सुनाया गया। समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी विभिन्न सस्थाओकी ओरसे गाधीजीको मानपत्र दिये गये और इसके बाद गाधीजीने भाषण किया। इसकी जो रिपोर्ट **नेटाल मर्क्युरी**के ९-७-१९१४ के अंकमें प्रकाशित हुई उसे **इंडियन ओपिनियन**की रिपोर्टसे मिला कर यहाँ दिया जा रहा है।

२ **नेटाल मर्क्युरी**ने लिखा "श्री गाधी हिन्दुओंके शोक वस्त्रोंमें उपस्थित थे। उन्होंने उस शाम शोक वस्त्र पहननेका कारण बताते हुए भाषण आरम्भ किया"।

उनकी बारी आई तब वे प्रसन्नतापूर्वक जेल भी गये। इससे भी वे ऐसा मानते हैं कि उन्हें हानि नहीं, लाभ ही हुआ है। श्री गाधीने उस समयका भी जिक्र किया जब वे १८९७ में दक्षिण आफ्रिका आये थे और उनके मित्र श्री लॉटनने उनका साथ दिया था और भीडका मुकाबला किया था।[1] श्री गाधीने डर्बनके दिवगत सुपरिटेंडेंटकी पत्नी श्रीमती अलेक्जेंडरका भी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख किया, जिन्होने भीड द्वारा फेंके जानेवाले पत्थरो आदिसे अपने छाते द्वारा उनकी रक्षा की थी। सत्याग्रहके बारेमें बोलते हुए उन्होने उसे शुद्धतम प्रकारका हथियार बताया और कहा, वह कमजोरोका हथियार नहीं है। मेरी रायमें शरीरबलसे प्रतिकार करनेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा इसमे कही अधिक हिम्मतकी जरूरत होती है। शान्तिके साथ कष्ट सहन करते हुए मृत्युका स्वागत ईसा, डेनियल, क्रैनमर, लैटिमर और रिडले-जैसे पुरुष ही कर सकते ह। और रूसके जारोकी अवज्ञा करनेका साहस टॉल्स्टॉय जैसे लोगोमे ही पाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष गिने जाते है। मुझे पता है कि मेयर महोदयको इस आशयके कुछ तार मिले है कि भारतीय राहत विधेयक सन्तोषजनक नहीं है।[2] इस ससारमे ऐसी वस्तुका मिलना असम्भव है कि जिससे सबको सन्तोष हो। परन्तु मेरा निश्चित मत है कि दक्षिण आफ्रिकामें आजकी स्थितिमे इससे अधिक अच्छा कानून हमे नही मिल सकता था।

इसका श्रेय मुझे नही है। वह तो नागप्पन, नारायणसामी और वलिअम्मा जैसे नौजवानो और लडकियोको है जिन्होने सत्यके अनुष्ठानमे अपनी जान देकर दक्षिण आफ्रिकाके सदसद् विवेकको जगाया। उसके लिए हमे सघराज्यकी सरकारको भी धन्यवाद देना चाहिए। जनरल बोथाने यह घोषणा करके कि उनकी सरकारका अस्तित्व इस विधेयकके साथ जुडा हुआ हे, बहुत श्रेष्ठ राजनयिकताका परिचय दिया। उस ऐतिहासिक बहसको मैंने बहुत ध्यानसे पढा है। वह बहस मेरे लिए तो ऐतिहासिक है ही, परन्तु मेरे देशभाइयोके लिए, और शायद दक्षिण आफ्रिका तथा ससारके लिए भी ऐतिहासिक है।

श्री गाधीने आगे कहा कि सरकारने किस प्रकार न्यायका पालन किया और विरोधी दल भी किस तरह सरकारकी मदद करने लग गया, यह सब मुझे खूब अच्छी तरहसे ज्ञात है। इसी प्रकार साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारकी तरफसे भी, हमें अच्छी सहायता मिली है और उसके पीछे उस उदारचेता वाइसराय, लॉर्ड हार्डिंजका हाथ रहा है। (हर्षध्वनि)। दक्षिण आफ्रिकामें बसे अपने हजारो देशभाइयोके हृदयकी पुकारपर भारतने अपने महान और सुप्रसिद्ध पुत्र श्री गोखलेके नेतृत्वमें जो अच्छा जवाब दिया वह भी सत्याग्रह आन्दोलनका ही एक परिणाम था। और मुझे आशा है कि इस लडाईने कटुताका कोई चिह्न तक नहीं छोडा है। (हर्ष-ध्वनि)।

१ देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७९।

२ नेटाल मर्क्युरीकी रिपोर्टमें यहाँ लिखा है "श्री गाधीने सत्याग्रहका समर्थन किया और कहा कि यह शुद्धतम अस्त्र था जिसका प्रयोग वे कर सकते थे"।

मै यह भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि मै एक भी यूरोपीयके प्रति कोई दुर्भाव लेकर नही जा रहा हूँ। मुझे जीवनमे कई कठोर प्रहार सहने पडे है। परन्तु मै स्वीकार करता हूँ कि यहाँ यूरापीयोसे मुझे प्रेम और सहानुभूतिकी अनमोल भेटे भी प्राप्त हुई है।" (हर्ष-ध्वनि)।

श्री गाधीने कहा कि यह समझौता आठ वषके सघषके बाद सम्भव हुआ है। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय कोई राजनैतिक महत्वाकाक्षा नहीं रखते। और जहाँतक सामाजिक प्रश्नका सम्बन्ध है भारतीयोके बारेमें वह कभी खडा नहीं हो सकता।

मै एक क्षणके लिए भी नही मान सकता कि पूर्व और पश्चिम कभी नही मिल सकते। मै तो मानता हूँ कि वह दिन आ रहा है जब पूवको पश्चिमसे या पश्चिमको पूवसे मिलना ही होगा। परन्तु मेरी राय है कि आज तो पश्चिमके विकासकी धारा एक है और भारतीयोकी दूसरी। दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय यूरोपीयोकी सामाजिक सस्थाओमे अनधिकृत रूपमे घुमनेकी जरा भी इच्छा नही रखते। (हष ध्वनि)। अधिकाश भारतीय स्वभावत व्यापारी होते है। इस कारण व्यापारिक ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धासे उत्पन्न होनेवाली बाते तो होगी ही। इस अत्यन्त कठिन समस्याका कोई हल मै अभीतक नही पा सका हूँ। यह तो जब परस्पर टकरानेवाले हितोके बीच सामजस्य स्थापित करनेके लिए सरकार न्याय और विशाल हृदयतासे काम लेगी तब हल होगी।

अपने दक्षिण आफ्रिकाके इतने लम्बे निवासके बारेमें बोलते हुए श्री गाधीने कहा कि इस भूमिके मेरे सस्मरण अत्यन्त पवित्र है और वे मुझे सदा याद रहेंगे। मै अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँपर मै भारतीयो और यूरोपीयोके साथ चिरस्थायी मित्रता स्थापित कर सका। अब म पुण्य भूमि भारतको लौट रहा हूँ जो युगोसे (ऋषियोकी) तपश्चर्याके कारण पुनीत बनी हुई है। अन्तमें श्री गाधीने आशा प्रकट की कि यहाँपर जो प्रेम और सहानुभूति उन्हे प्राप्त हुई है, वे कहीं भी क्यो न हो, वह उन्हे प्राप्त होती रहेगी। उन्होने यह भी आशा प्रकट की कि जिस समझौतेको भारतीय राहत विधेयकका रूप दिया गया है उसका अमल भारतीयोके सम्बन्धमें हाल ही में बनाये तमाम कानूनोके पालनमें शासन द्वारा उदारतापूर्वक होगा।

अगर ऐसा हुआ तो मेरे देशभाइयोको अपने सामाजिक विकासमे कोई डरनेकी बात नही रहेगी। समझौतेके सबकोमे से यह भी एक सबक है।[1]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १५–७–१९१४

१ सभाकी समाप्तिसे पहले श्री आर० के० खानने मेयरके प्रति धयवादका प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मतिसे पास किया गया। राष्ट्रीय गानके साथ सभाकी कार्यवाही समाप्त हुई।

३५१. अन्त

आठ सालसे चलनेवाली लडाई अन्तत अन्तिम रूपसे समाप्त हो गई। भारतीय राहत विधेयक (इडियन्स रिलीफ बिल) तथा सरकार और श्री गाधीके बीच हुए पत्र व्यवहारसे[1] उन समस्याओका एक पूण तथा दोनो पक्षोके लिए सन्तोषजनक और सम्मानपूण समाधान हो गया है, जो सत्याग्रह आन्दोलनसे प्रभावित थी। इस सुखद अन्तके लिए हमे साम्राज्यीय सरकार, भारत सरकार, सघ सरकार, तथा श्री गोखले, द्वारा पथप्रदर्शित एव आन्दोलित अपनी मातृभूमि, और श्री ऐन्ड्रयूजके मिशनको धन्यवाद देना चाहिए। हजारो सत्याग्रहियोके कष्ट-सहन तथा वलिअम्मा, नारायणसामी, नागप्पन तथा हरबतसिहके बलिदानसे उक्त शक्तियाँ प्रादुर्भूत हुईं। इस प्रकार, एक कानून सम्मत अस्त्रके रूपमे, सत्याग्रह पुन विजयी हुआ। समझौतेके बारेमे लॉड ग्लैडस्टनने जो लम्बा हवाला दिया है उससे उसके महत्वका बोध होता है। साम्राज्यीय पहलूको स्पष्ट रूपमे दक्षिण आफ्रिकाकी जनताके सामने उपस्थित करनेके लिए हम गवनर जनरल महोदयके कृतज्ञ हैं।

एक जटिल समस्याके सुखद समाधानके बाद, भारतीय समाजको प्रभावित करनेवाले कानूनोको सहानुभूतिपूर्ण व न्यायपूण ढगसे अमलमे लाना अब सघ सरकारके हाथमे है। इसी प्रकार यह दिखा देना कि वह न्यायोचित व्यवहारके सर्वथा योग्य है, भारतीय समाजका काम है। अगर समाजको शान्तिपूर्वक विश्राम लेने दिया गया तो श्री गाधीने अपने पत्रमे जिन विषयोका उल्लेख किया है उनको सुलझानेका भी कोई सरल उपाय निकल आयगा। अधिवासियोको नागरिकताके सामान्य अधिकार प्राप्त हो सके इस दृष्टिसे कभी-न-कभी उन विषयोपर भी ध्यान देना ही पडेगा। अधिवासियोको यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि सबसे बडी शिकायतोके दूर हो जानेपर हमारे लिए यह कृतज्ञ होनेका अवसर है, पर अब भी ऐसी कानूनी निर्योग्यताएँ हमपर रहेगी जो प्रबल वर्ण-विद्वेषके कारण पैदा हुई है। मुख्यत जातिगत आधारपर व्यापारिक परवानोका नियमन, ट्रान्सवालमे जमीनपर स्वामित्वके अधिकारका अपहरण, ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत भारतीयोकी नाजुक स्थिति, अन्तर्प्रान्तीय प्रतिबन्ध—ये तथा हमारी स्वतन्त्रतापर इसी प्रकारके अन्य प्रतिबन्ध प्रदर्शित करते है कि लॉर्ड ग्लैड्स्टनके ये शब्द कितने सच थे कि भारतीय राहत विधेयकने भारतीयोके साथ कमसे-कम न्याय किया है। इसे तो सिर्फ पहली किस्त अथवा भविष्यमे प्राप्त होनेवाले न्यायके बयानेके रूपमे ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यदि सत्याग्रहकी लडाईने सरकारकी दमनपूर्ण नीतिको बदलकर ऐसी प्रगतिशील नीतिके रूपमे परिवर्तित कर दिया हो जिससे हम भविष्यमे बराबर सुधारकी आशा

१ देखिए पृष्ठ ४०८-११, ४१७ १८, ४२५-२६, ४२९-३०, ४३३-३४।

कर सक, तो समझना चाहिए कि उसने हमें विधेयक तथा प्रशासकीय कार्रवाइयोके अलावा और भी बहुत कुछ दिया है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३५२. सघर्षकी समाप्ति

जो सघर्ष पिछले ८ वर्षोंसे चलता आ रहा था उसका अन्त हो गया और हमारी यह मान्यता है कि इस युगके दूसरे किसी सघर्षका शायद ही ऐसा सुन्दर समापन हुआ हो। सघषका श्रीगणेश सन् १९०६ के सितम्बर मासमे जोहानिसबगमे हुआ था। उस समय तो प्रश्न केवल पजीयन सम्बन्धी कानूनका था। सरकारने हमारी पुकार नही सुनी, इसपर जेल जाना शुरू हो गया और अभी यह सघर्ष पूरा भी नही हो पाया था कि इसी बीच प्रवासी कानून पास कर दिया गया। कुछ शर्तोंके साथ समझौता हो गया। पर जिन शर्तोंका पालन सरकारको करना था उन्हे उसने तोडा। सघर्ष पुन छिड गया और चूकि प्रवासी कानूनका असर पजीयन कानूनपर भी पडता था, अत वह मुद्दा भी सघर्षमे जोड दिया गया। प्रवासी कानूनमे रग-भेदको स्थान न रहे यह विशेष प्रश्न इसी कारण उठ खडा हुआ। और इससे स्वाभाविक ही हमारी भावनाएँ तीव्र हो उठी। सघष लम्बा हो चला, दूसरा शिष्टमण्डल विलायत गया,[1] परन्तु सघ-सरकारने रगभेदको दूर करनेसे साफ इनकार कर दिया। सघषकी अवधि खिचती तो रही पर १९११ मे एक कच्चा समझौता हुआ। इसमे एक तीसरी माँग पूरी की गई थी। चूकि ट्रान्सवाल द्वारा गढा गया कानून सघ ससद ही बदल सकती है अत सत्याग्रहियोका कहना था कि हम ऐसे किसी कानूनको स्वीकार नही कर सकते जो हमारी माँगें तो पूरी करता है किन्तु जिसके कारण दूसरोके हक मारे जाते हो। इसलिए १९११ के अस्थायी समझौतेमे यह शत शामिल की गई कि सघ राज्यके समस्त भारतीयोके मौजूदा हकोको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचने पाये। परन्तु सन् १९१३ तक कोई निर्णय नही हो पाया। इसी बीच माननीय श्री गोखले पधारे। सरकारने उन्हे वचन दिया कि तीन पौडी कर हटा दिया जायेगा। फिर भी यदि सन् १९१३ मे, जब सत्याग्रहकी माँगोका निबटारा किया जानेको था, सरकार उक्त सारी माँगे पूरी कर देती तो सघर्ष पुन शुरू नही होता, और तीन पौण्डी करकी बात-पर अलगसे विचार होता रह सकता था।

इस समय न्यायमूर्ति सर्लके फैसलेके कारण वैध-विवाहका प्रश्न भी उठ खडा हुआ। उससे भी प्राप्त अधिकारोका हनन होता था। सन् १९१३ मे हमारे विरोधके बावजूद स्वर्गीय श्री फिशरने प्रवासी कानून पास कर दिया। उसमे हमे बहुत-कुछ मिला और थोडा-बहुत रह भी गया, किन्तु विवाह सम्बन्धी समस्या न सुलझ पाई और कुछ दूसरे

१ शिष्टमण्डल १९०९ में विलायत गया, देखिए खण्ड ९ ।

मौजूदा हकोमे अडचने आने लगी। इसीलिए चौथी बार फिर सत्याग्रह शुरू करना पडा। स्वाभाविक था कि हमने इस बार और भी कुछ मागे की। और अब कही सरकारने ये सारी मागे मजूर की है और इस प्रकार सघषका समापन हो पाया है।

इस सबसे, यदि हम देखना चाहे तो यह देख सकते है कि सरकारने जब-जब [हमारे साथ] धोखा किया तब-तब उसे हमें अधिक अधिकार देने पडे। इसीलिए यह कहावत है कि 'दगा किसका सगा'। धोखेबाजी तो तभी छिपी रह सकती हे जब दोनो पक्ष थोडी बहुत धोखाधडी करते हो। पर सत्याग्रहमे तो धोखा एकपक्षीय ही हो सकता है, सत्याग्रही तो धोखा कर ही नही सकता।

सत्याग्रहसे दूसरी यह बात भी समझमे आ सकती हे कि ज्यो-ज्यो सघर्ष बढता गया, लोगोकी ताकत भी बढती गई और साथ ही उनकी कष्टसहिष्णुता भी। और वह इस हद तक कि पिछले वषके अन्तमे जैसी कुछ मसीबते हमने झेली आजके इतिहासमे उनके मुकाबलेमे पेश करने योग्य कोई उदाहरण नही मिल सकता। और ज्यो-ज्यो हमने कष्ट उठाये त्यो-त्यो हमे राहत मिलती गई। इससे प्रकृतिका एक दूसरा अटल सिद्धान्त भी प्रतिष्ठित होता है कि मनुष्यको उतना ही सुख प्राप्त होता है जितना दु ख वह उठा पाता है। जमीनको ऊपर-ऊपरसे छीलनेवालेके हाथ निरी घास ही आयेगी, [पुष्ट] अन्नकी फसल तो जमीनकी गहरी जुताई करनेवाला ही पायेगा। अत बिना दु ख उठाये सुखकी आशा करना दुराशामात्र है। ससारमे तपश्चर्या, फकीरी आदि इसी प्रकार सुप्रतिष्ठित हुए है और इसी प्रकार उनकी महत्ता गाई गई है।

समाजने दु ख उठाकर जो-कुछ हासिल किया है उसे सुरक्षित भी दु ख सहन करनेकी शक्तिको अक्षुण्ण रखकर ही बनाया जा सकेगा और इसी प्रकार उसमे वृद्धि भी की जा सकेगी। और यदि यह शक्ति जाती रही तो जो हासिल किया है सो तो जायेगा ही, कुछ और भी चला जायेगा। यह बात समझमे तो सहज ही आ जाती है, परन्तु अनेक बार हम उसे भूल जाया करते है।

कानून

अब हमने जो-कुछ हासिल किया है उसकी जाँच करे। इस नये कानूनमे दो बातोका समावेश होता है। प्रथम तो यह कि तीन पौडी कर रद हो गया। जिन लोगोपर इस करकी रकम चढ गई थी वह भी माफ कर दी गई। इस विषयमें 'मर्क्युरी' आदि पत्रोने अपनी टिप्पणीमे कहा है कि लेने जाकर हम लोग खो आये है' क्योकि सरकारने कर तो हटा दिया है पर उसके बदलेमे या तो बेचारे गिरमिटियोको यह मुल्क छोडना पडेगा या फिर उन्हे सदाके लिए गिरमिटमे बँधा रहना पडेगा। परन्तु ऐसी शका करना निराधार है, स्वय जनरल स्मट्सके पत्रसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात है विवाहोके बारेमे। यो यह हल कुछ इस प्रकार फलित हुआ है कि इसमे हमे अपनी माँगोसे कुछ अधिक ही मिला है, कम नही। इस कानूनके कारण हमारी स्थिति अब बिलकुल स्पष्ट हो चुकी है जबकि न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयसे पूर्व उसको केवल मान्यता ही प्राप्त थी। न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयसे पूर्व हमे यह कहना था कि स्थानीय कानून सभी धर्मोके एक पत्नीवाले विवाहोको मान्य करता है और उसमे हमारे धर्मसम्मत विवाहोका भी समावेश हो

जाना चाहिए, परन्तु उन्होने इससे कुछ दूसरा ही निणय दिया और कहा कि यद्यपि ईसाई आदि धर्मोंके अनुसार एक औरतमे शादी कानूनसम्मत है तथापि हिन्दू और मुसलमान धर्मके एक पत्नी विवाहको भी मान्यता नही दी जा सकती। इसमे तो उपर्युक्त धर्मोंका सरासर अपमान है। इसलिए श्री काछलियाने कानूनमे परिवतनकी माग की। और वह अब मजूर हो गई है। इस कानूनसे अन्य किसी प्रकारकी तबदीली नही होती। तलाक, वारिसी हक और एकाधिक पत्नियोके प्रश्नकी स्थिति तो पूववत ही रहेगी। इस कानूनसे मृत पत्नीकी सन्तानका बचाव भी अवश्य होता है। यह कानून ऐच्छिक है। किसीको कानूनन अपनी शादीका पजीयन करवाना आवश्यक नही है। और जो भारतसे आते है उनके लिए तो शादीके पजीयनका प्रश्न ही नही उठता। शादी पजीयित करवानेका मुख्य हेतु तो यह था कि बच्चोके लिए किसी बातमे अडचन पैदा न हो। और अब जब कि यह अडचन दूर हो चुकी है, किसी भी भारतीयको शादीका पजीयन करवाना जरूरी नही है। इतना ही नही, हमारी तो यह सलाह है कि पजीयन न करवाया जाये। कानून बनना आवश्यक था। इसके विना [हमारे] धर्मोंका जो अपमान हो रहा था उसका प्रतिकार किया जाना आवश्यक था। हमे यह इतना मिल सका, यही काफी है। कानूनकी रचना कुछ इस प्रकार हुई है कि विवाहका पजीयन बिना करवाये ही बच्चोको सरक्षण मिल जाता है। और इसमें एक या दो स्त्रियोसे विवाहका प्रश्न ही नही उठ पाता। और इतना तो निश्चित है कि यदि कोई व्यक्ति एकाधिक विवाह करनेका इरादा करता हो उसे तो अपने एक पत्नी विवाहका पजीयन नही करवाना चाहिए। इस सम्बन्धमे हमें केवल ऐसा अधिकार चाहिए था कि उसके आधारपर हमारे धमगुरु ही विवाह पजीयन करनेवाले अधिकारी नियुक्त हो सके। पर हम इस अधिकारको अमलमे लानेकी सलाह नही देना चाहते। हमारी मान्यता है कि ऐसी नियुक्तियोके परिणामस्वरूप समाजमे धोखेबाजी फैलेगी और हमारे धमगुरु प्रलोभनोमे पड जायेंगे। फिर जो शादियाँ हो चुकी है उनके लिए तो इन नियुक्तियोकी आवश्यकता ही नही रहती, क्योकि कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेटके पास जाकर अपने विवाहका पजीयन करवा सकता है। यही नियम भविष्यमे होनेवाले विवाहोपर भी लागू होता है। अर्थात् शादी हम किसी भी मौलवी या धर्मगुरुकी मारफत करवाये और जब इच्छा हो तब मजिस्ट्रेटके पास जाकर उसका पजीयन करवा ले। इस तरह समाजसे हमारा आग्रहपूर्वक यह कहना है कि वह शादीके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करवानेकी पचायतमें न पडे। इस प्रश्नका उपसहार करनेसे पूर्व हम यह भी कहना चाहते है कि इस सम्बन्धमे यहाँ जिस प्रकारका कानून बना है वैसा अन्य किसी उपनिवेशमे नही है। मॉरिशसमे एक या एकाधिक भारतीय विवाह जायज माने जाते है ऐसा सुननेमे आया है, परन्तु वहाँ भी ऐसा नही है और न वहाँका कानून यहाँकी तरह अच्छा ही है। यह बात हम इसी अकमें अन्यत्र बता ही चुके है।

इस कानून द्वारा जो तीसरा प्रश्न हल हो पाया है वह यह है कि यदि किसी नेटाल निवासीके अधिवास प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें कभी कोई प्रश्न उठ खडा हो और उक्त पासकी अँगूठा-निशानी यदि प्रवासी अधिकारीकी दफ्तरी नकलसे मिलती हो तो उक्त पास अविकृत माना जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आज जिस प्रकार व्यथकी

पूछताछ की जाती है और अँगूठा निशानी ठीक सिद्ध होनेपर भी लोगोको झूठा करार दिया जाकर निकाल दिया जाता है — यह सब अब नही होगा। जो लोग अँगूठा निशानी सही सिद्ध कर सकेंगे उनके हक सुरक्षित रह सकेंगे। परन्तु कानूनकी इस धाराका अथ यह नही होगा कि एक मनुष्य जो अनेक वर्षों तक नेटालसे बाहर रहा है वह केवल प्रमाणपत्रके आधारपर बच जायेगा। यह तो प्रत्येक व्यक्तिको सिद्ध करना होगा कि वह इस मुल्कको सदाके लिए नही छोड चुका था।

अमली-राहत

ऐसी राहतोके सम्बन्धमे जो कानूनकी सीमासे बाहर है — श्री गाधी और सरकारके बीच पत्र-व्यवहार हुआ है। उसीसे तत्सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है। इनमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीय, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोके अमली स्वरूपका समावेश होता है। हमे यहाँ इनमे से एककी ही चर्चा अभीष्ट है। चूकि सरकार इस बातके लिए वचनबद्ध है कि प्रचलित कानूनोका न्यायपूर्वक अमल हमारे मौजूदा हकोको सुरक्षित रखते हुए ही होगा, अत जहाँ-जहाँ अन्याय हो [भारतीय] समाजके लिए राहत पाना सम्भव होगा। हमारा विश्वास है कि यह धारा भविष्यमे अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी। परन्तु इसकी उपयोगिता समाजके नेताओके कर्त्तव्यपर अवलम्बित है। यदि वे सोते रहे तो इस धाराका होना-न-होना समान ही है। जिन कानूनोका अधिकसे-अधिक ध्यान रखना है वे दो है एक तो सारे प्रान्तोसे सम्बन्ध रखनेवाला परवाना-कानून और दूसरा ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून। श्रीगाधीने अपने पत्रमे यह भी कहा है कि इन कानूनोमे परिवर्तन करवानेके लिए निकट भविष्यमे आन्दोलन करना होगा। ऐसा आन्दोलन करते समय समाजको कानूनके अमली स्वरूपका बडा खयाल रखना होगा और यदि समाजने इतना किया तो फिलहाल शान्ति बनी रहेगी।

हमे यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि सरकारने इस बार न्याय बुद्धिसे काम लिया है। ससद्के प्रमुख सदस्योने भी अपने भाषणोमे न्यायवृत्तिका ही परिचय दिया है और मन्त्रियो और खासतौरसे जनरल स्मट्सके भाषणसे यह जान पडता है कि उनका रुख भी आगे न्याय करनेका ही है। हम कौमको आगाह करना चाहते है कि वह इस रुखका लाभ उठानेका प्रयत्न करे और ऐसा लाभ तभी मिल सकता है जब समाजमे सगठन, बहादुरी और सच्चाई हो।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–७–१९१४

३५३ मॉरिशसका विवाह-कानून

हम सुन रहे हैं कि मॉरिशसके भारतीयोको वहाका स्थानीय कानून एकसे अधिक विवाहित स्त्रियोकी मान्यता देता है। इसके आधारपर हमने जॉच की है। वहाँके कानूनकी प्रति हमे नही मिल पाई है। वैसे यह कानून वहाँके भारतीयोके आन्दोलनका ही परिणाम है। और यह १७ दिसम्बर १९१२ मे पास हुआ था। इस कानूनमे हिन्दू या मुसलमान धम गुरुओको विवाह-सम्बन्धी अधिकारीकी सत्ता प्राप्त हे। वहाँ ऐसा कोई भारतीय विवाह जायज नही माना जा सकता जो १८९० के स्थानीय विवाह सम्बन्धी कानूनकी शर्तें पूरी न करता हो। मतलब यह हुआ कि मॉरिशसका वह विवाह कानून जो सबपर लागू होता है, भारतीयोपर भी लागू होगा। कानूनमे साफ तौरसे यह बतलाया गया है कि इस सावजनिक कानूनकी ४६ से ५१ तककी व्यवस्थाओमे विवाह सम्बन्धी जो धाराएँ दी गई हैं वे भारतीय विवाहपर भी लागू होती हैं। यदि मर्द २१ वषसे कम उम्रका और स्त्री १८ से कमकी हो तो [उनके विवाहके लिए] उन दोनोके माता-पिताकी स्वीकृति चाहिए। कानूनकी अन्य धाराएँ विवाह-सम्बन्धी अफसरोके कत्तव्य क्या-क्या हैं, रजिस्टर आदि रेकाड किस प्रकार रखे जाये इत्यादि, बातोसे सम्बन्ध रखती हैं। यदि कोई व्यक्ति कानूनकी शर्तोंको तोडता है या गैर कानूनी शादी रजिस्टर करवाता है तो उसे पाँच सौ रुपये तक दण्ड दिया जा सकता है। धर्म गुरुओको इस कानूनसे सम्बन्धित जिन शर्तोंका पालन करना है उनमे से कुछ निम्न प्रकार हैं —

१ गवर्नरकी इजाजतके बिना १८ वषसे कम उम्रका लडका और १५ से कम उम्रकी लडकीका विवाह नही हो सकता।

२ एक स्त्री मौजूद हो और उसका कानूनन तलाक न हो चुका हो तो दूसरी स्त्रीसे विवाह नही किया जा सकता।

३ जिस व्यक्तिका तलाक व्यभिचारके कारण हुआ हो उस तलाकशुदा व्यक्तिका विवाह सम्बन्धित व्यभिचारमे भागी व्यक्तिसे नही हो सकता।

४ विधवा या तलाकशुदा स्त्री दस मास तक शादी नही कर सकती।

५ पुरुष और उसकी भतीजी, स्त्री और उसका भतीजा, या पुरुष और उसके भाईकी पत्नी, इनके बीच विवाह-सम्बन्ध नही हो सकता, भाईकी पत्नी विधवा हो तो भी नही।

इनके अलावा भी कुछ धाराएँ हैं किन्तु उनका उल्लेख हम यहाँ नही कर रहे हैं।

ऊपर हम जो कुछ दे चुके हैं उससे स्पष्ट है कि मॉरिशसमे वहाँका स्थानीय विवाह कानून तलाक, एकसे अधिक शादियाँ, किस उम्रमे विवाह किया जाये तथा अन्य जरूरी बातोमे भारतीयोपर भी लागू होता है। नये कानूनसे केवल इतना भर परिवर्तन हो

पाया है कि पहले धर्मगुरु शादी रजिस्टर नही कर सकता था पर अब उनकी भी नियुक्ति इस कामके लिए हो सकती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३५४ भाषण गुजराती समाजकी सभामे[1]

डबन

[जुलाई ९, १९१४]

[गाधीजीने] कहा कि इस अवसरपर मै उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोसे कुछ कहना चाहूँगा, क्योकि मै नही जानता, इसके लिए मुझे आगे कोई अवसर मिलेगा या नहीं। आपके सामने मै पहले-पहल जब दक्षिण आफ्रिका आया था तब बोला था, और अन्तिम बार जब यहाँसे जा रहा हूँ तब बोल रहा हूँ। आपने ही दक्षिण आफ्रिकामें मेरे प्रथम राजनीतिक कायमें हाथ बँटाया था। उस अवसरपर हमने भारतीयोके मताधिकार-अपहरणके विरुद्ध तत्कालीन उपनिवेश-मन्त्री लॉर्ड एलगिनके नाम कोई १०,००० भारतीयो द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थनापत्र[2] भेजा था। सम्बन्धित विधेयकपर निषेधाधिकारका प्रयोग हुआ और इस तरह हमारा प्रार्थनापत्र देना सफल रहा था। अलबत्ता तत्कालीन सरकारने आगे चलकर दूसरे रूपमे अपना मशा सिद्ध कर लिया था। उसीके बादसे आप लोग समाजके कार्यमें सहयोग देते रहे, किन्तु यदि आप चाहें तो और भी बहुत-कुछ कर सकते हें। आप लोग ही दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी भारतीय निवासी हैं। दक्षिण आफ्रिका आप लोगोके लिए जन्म-भूमि है, आपका अपना घर है, और समाजके शेष सब अगोके कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि वे उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोके साथ मिलकर काम करे। आपका दायित्व बहुत बडा है। समझौतेके इस पौधेको सींचना, यूरोपीय और भारतीय समुदायोके बीच स्थापित आजके अपेक्षाकृत सौहार्द्रपूर्ण वातावरणकी रक्षा करना और दक्षिण आफ्रिकामें जो पूर्वग्रह आज भी मौजूद है, उन्हे अपने आचार-व्यवहारसे दूर करना आप ही लोगोका काम है। यदि आप बराबर कर्त्तव्यरत रहे तो समय आनेपर यह सब कुछ हो जायेगा। उन्होने नागप्पन और वलिअम्माका उल्लेख करते हुए कहा कि ये दोनो उपनिवेशमें उत्पन्न हुए थे, और वे महिलाएँ भी, जिन्होने न्यू कैसिलमें उत्कृष्ट कार्य करके दिखाया, उपनिवेशमें ही उत्पन्न हुई थीं। उन्होने अनुरोध किया कि वे अपने राष्ट्रीय गुणोको बनाये रखें, अपनी मातृभाषा सीखें और अपनी मातृभूमिके इतिहास और परम्पराओका

१ अपने अग्रेजीमें दिए भाषणमें अपना और बा का स्वागत करनेके लिए लोगोंको धन्यवाद देते हुए गाधीजीने बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें हिन्दुओं और मुसलमानोके बीचके मैत्रीपूर्ण सम्बन्धकी चर्चा की।

२ यह प्रार्थनापत्र मई, १८९५ में भेजा गया था। देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२१४ ।

अध्ययन करें। अन्तमें उन्होने उपस्थित लोगोमें से कुछसे मातृभूमिमें मिलनेकी आशा व्यक्त करके अपना भाषण समाप्त किया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९१४

३५५. भाषण गुजराती सभाके उत्सवमें[1]

[डर्बन
जुलाई, ९, १९१४]

समय ज्यादा नही है, अत मुझे दो शब्द उन भारतीय नवयुवकोसे कहने है जो दक्षिण आफ्रिकामे ही पैदा हुए है। सत्याग्रह सघषमे प्रधान भाग यही जन्मे भारतीयोने लिया है और उनमे भी गरीब और सर्व-साधारण लोगोने ही अधिक सेवा की है। श्रीमन्त लोग तो और अधिक धनवान बननेकी धुनमे व्यस्त रहे। मेरे स्वर्गीय भाई नागप्पन और बहन वलिअम्मा यही पैदा हुए थे। भाई नारायणसामी भी यही पैदा हुआ था। मै आप सबसे उनके कदमोपर चलनेकी प्राथना करता हूँ। मै आपको यह सलाह भी देता हूँ कि आपको चाहे जैसी मुसीबते उठानी पडे आप भारतकी यात्रा अवश्य करे।

आप सब भाइयोने जो मान और प्रेम हम दोनोके लिए व्यक्त किया है, इसके लिए मै आपका उपकार मानता हूँ। जब कभी मुझे सम्मान दिया जाता है तभी मेरी आत्मा एक प्रकारके भयका अनुभव करती जान पडती है। और जब-जब मुझपर मार पडी है और मेरा अपमान हुआ है, तब-तब मुझे अपनी भूलोका ज्ञान हुआ हे और नया ज्ञान मिला है। पर अब तो मेरी मन स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि प्रशसासे मुझमे कोई विकार पैदा नही हो सकता है। आप लोगोसे विदा होते हुए मुझे बडा दु ख हो रहा है, परन्तु देर-सबेर जुदा तो होना ही था। मै अब भोग-भूमिसे कर्म-भूमिमे जा रहा हूँ। मेरी मुक्ति भारतको छोडकर अन्य भूमिमे नही है। यदि मोक्षकी इच्छा हो तो मनुष्यको भारत भूमिमे जाना ही चाहिए। मेरी ही तरह प्रत्येकके लिए भारत भूमि दुखियोका 'विश्राम स्थान' है और इसीलिए स्वदेश जानेके लिए मै इतना उत्सुक हूँ। जाते-जाते मै आप सबसे विनयपूवक कहता हूँ कि आप प्रत्येक मनुष्यके साथ प्रेमका बरताव करे, फिर चाहे वह किसी भी समाजका या धमका क्यो न हो।

मै आज तक हिन्दू और मुसलमान दोनोको एक-जैसा सम्मान देता आया हूँ। हिन्दू धमकी सीख भी यही है। और यदि ऐसा करनेके कारण कोई कह बैठे कि मै तो हिन्दू नही हूँ तो मै उसके विरुद्ध सत्याग्रह करूँगा। मै बडे विश्वासके साथ कहता हूँ कि यहाँ मुझसे बढकर कोई हिन्दू नही हो सकता शायद मेरी बराबरीका भी न हो। हमारे घर जब कोई आता है तो हम उसका आदर-सत्कार करते है, ठीक उसी

१ विक्टोरिया स्ट्रीटमें स्थित हिन्दू धर्मशालामें गुजरातियोंकी सभा द्वारा गाधीजीकी विदाईका आयोजन किया गया था। गाधीजी पहले अंग्रेजीमें और फिर गुजरातीमें बोले थे।

प्रकार दूसरे समाजके व्यक्तिको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक भारतीय इस प्रकार मिल-जुलकर रहेगा तो दक्षिण आफ्रिकामे हमारी स्थितिमे बडी प्रगति होगी इसमे शकाकी तनिक भी गुजाइश नही हे।

मुझे अभी जो सम्मान यहा दिया गया है उस सम्बन्धमे मुझे इतना ही कहना हे कि मुझे जब-जब सम्मान प्राप्त हुआ है तब-तब मैने अपने भीतर किसी कमजोरीका अनुभव किया है और जब-जब मुझपर मार पडी है तब-तब मैने अपनेमे एक विशेष बलका अनुभव किया है, मै आगे बढ सका हूँ और सुदढ बना हूँ। अत वे लोग जो आज मेरे विरुद्ध बात करते है वे वास्तवमे मेरे हितैषी है। वैसे मै तो अपना सच्चा सम्मान तब मानूगा जब प्रत्येक भारतीय बन्धु सत्याग्रही बनेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १५-७-१९१४

३५६ भाषण : खेल-कूद समारोहमे[1]

डर्बन

[जुलाई ९, १९१४]

श्री गाधीने कहा कि बच्चोके खेलोका यह आयोजन करने, इसके लिए आजका पूरा दिन रखने और इतना कम समय होनेपर भी उन्हे एकत्र कर लेनेके लिए मै विदाई-समितिका बहुत आभारी हूँ। उन्होने यह भी स्वीकार किया कि नगरके टाउन हॉलमें जो दूसरा समारोह किया गया था मुझे उससे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई।[2] उस समारोहमें मुझे कोई विशेष रस नहीं मिला, किन्तु तीसरे पहरके ये खेल आदिके कार्यक्रम मेरे मनमें सदा दक्षिण आफ्रिका निवासकी कुछ मधुर स्मृतियोमें से एक बनकर रहेंगे। श्री गाधीने कहा, मै दक्षिण आफ्रिकाके समाजको जानता हूँ, परन्तु भारतके समाजको नहीं जानता। अगर कोई मुझसे पूछे कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोका मन किसी खास मौकेपर किस तरहसे काम करेगा तो मुझे निश्चय है कि मै सही तौरपर वह बात बता सकता हूँ। परन्तु स्वय भारतमें भारतीयोका मन अमुक अवसरपर कब किस तरह काम करेगा इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इतना अधिक मै अपने दक्षिण आफ्रिकावासी भाइयोको जानता हूँ। इसलिए आज दक्षिण आफ्रिका, अपने प्यारे देशभाइयो, बच्चो और बच्चियोसे विदा लेते समय सबको एकत्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके बाद श्री गाधीने बच्चोको सम्बोधित किया। उन्होने कहा, आज तुम लोग खेल खेलनेके लिए आये हो। खेल अच्छे होते हं। और अगर तुम इनका अर्थ — हेतु — जान लो तो

१ गाधीजीने डर्बनके एल्बर्ट पार्कमें आयोजित बच्चोंके एक समारोहमें भाषण किया था, समारोहकी सक्षिप्त रिपोर्ट १५-७-१९१४ के **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित हुई थी।

२ देखिए "भाषण विदाई सभामें", पृष्ठ ४३५ ३७।

सचमुच वे बहुत अच्छे होते है। परन्तु आज मै इन खेलोके बारेमें नहीं, जीवनके असली खेलके बारेमें कुछ कहूँगा। इनामके लिए तुमने दौड आदिमें भाग लिया। परन्तु जैसा कि अभी श्री बेलीने कहा, इनामोका असर शिक्षण देनेवालोपर तथा स्वय बच्चोपर भी अच्छा नहीं होता। मै भी ऐसा ही समझता हूँ। परन्तु आज यदि तुमने दौडोमें यह बतानेके लिए भाग लिया हो कि इन दौडोके पीछे एक उद्देश्य है -- यह कि पिछले कुछ वर्षोंसे तुम इस यत्नमें हो कि अपने शरीरको अच्छी -- काम करने योग्य -- स्थितिमें रखना चाहते हो, तो इससे उद्योग करनेका महत्व सिद्ध होता है, और एक निश्चित ध्येयके लिए अनुशासनबद्ध रीतिसे अमुक समय तक लगातार एकाग्रतापूवक काम करना अपने आपमें एक अच्छी चीज है। परन्तु जीवनमें बच्चोके लिए और खुद मेरे लिए एक और भी अच्छी दौड है। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? जो बच्चे ईसाई है वे अगर गिरजाघरोमें जाते है अथवा जो बच्चे हिन्दू है और यहाँ उन्हे यह बतानेके लिए कुछ ऐसे हिन्दू हो कि उनका धर्म क्या कहता है, और इसी प्रकार जो बच्चे मुसलमान ह और उनके धर्मकी शिक्षा देनेवाले कोई मौलवी हो तो मुझे निश्चय है कि ये सब उन्हे यही बतायेंगे कि जीवन एक दौड है जिसमें उन्हे अच्छे उतरनेकी तैयारी करनी है और बडे होनेपर पुरुषोचित्त और स्त्रियोचित्त काम करने है। श्री गाधीने कहा, चूँकि म खुद कुछ वष तक शिक्षण देता रहा हूँ इसलिए मै शिक्षकोसे भी दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरा खयाल है कि सच्ची शिक्षा इसमे नहीं है कि आप बच्चोको अक्षरोका ज्ञान करा दें। सच्ची शिक्षा तो बच्चोके चरित्र-निर्माणमें है। जबतक बच्चे छोटे होते हैं और उनकी बुद्धि कोमल होती है तभी तक उन्हे इच्छानुसार मोडा या ढाला जा सकता है। इसलिए शिक्षक यदि इसी उम्रमें बच्चोको समझा दें कि जीवनमें चरित्र ही सबसे पहली, और आखिरी वस्तु है और यह कि अक्षर-ज्ञान तो चरित्र गठनका साधन मात्र है, तो मै शिक्षको और बच्चो दोनोका पाठशालाओमें जाना सार्थक समझूँगा और माता-पिताओका भी ऐसी शालाओमें बच्चोको भेजना उचित मानूगा। परन्तु अगर माता-पिता बच्चोको केवल अक्षर-ज्ञान लेनेके लिए पाठशालाओमें भेजें और बच्चे भी वहाँ केवल इसीलिए जायें कि पढ़-लिखकर वे भविष्यमें किसी-न-किसी प्रकार कुछ अधिक द्रव्य कमा लेंगे तो मेरी समझमें वह शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं होगी। मुझे लगा कि आज यह छोटीसी बात मै सबसे कह दूँ।

श्री गाधीने कहा, थोडी ही देर बाद बच्चोको इनाम मिलनेवाले है। किन्तु मुझे बताया गया है कि नेटाल प्रान्तके क्रीडा-मण्डल (स्पोटिंग एसोसिएशन) को श्री रुस्तमजीकी तरफसे पुरस्कार देनेके लिए एक घूमनेवाली "ट्रॉफी" मिलनेवाली है। मै समझता हूँ कि यह ट्रॉफी अपने आपमें भी कोई साधारण मूल्यकी वस्तु नहीं है। इसकी कीमत ३० पौण्ड है। मुझे आशा है कि नेटालका क्रीडा-मण्डल इस भेंटका पात्र होगा। परन्तु इस ट्रॉफीका जिक्र मै इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वह एक कीमती चीज है। मुझे उम्मीद है कि नेटालका क्रीडा-मण्डल सारे काम खिलाडीकी भावनासे करेगा, और जीवनके सच्चे खेलो और दौडोमें इन बच्चोके सामने एक उदात्त उदाहरण पेश करेगा। इसी प्रकार ये लडके और लडकियाँ भी जो यहाँ एकत्र हुए है, अकेले एक रुस्तमजीसे ट्रॉफी प्राप्त करके नहीं, बल्कि अपने आपको क्रीडाकी भावनासे समर्पित करके अपनी

सेवा द्वारा दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए अपने प्रत्येक देशवासीसे शाबाशीकी ट्रॉफी प्राप्त करके एक सुन्दर उदाहरण पेश करेंगे। और जिस प्रकार इन विद्यालयोंने इस समय दौड़ोंमें भाग लिया है और उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी है, इसी प्रकार मुझे आशा है यह मण्डल भी करेगा। मेरी समझमें जिस योग्यतासे आजकी कार्यवाहीका संचालन किया गया और व्यवस्था की गई उसीसे यह प्रकट हो जाता है कि आप आगे किस प्रकार काम करेंगे। मेरा खयाल है कि भविष्यमें सारा भार आप ही के कन्धोंपर पड़नेवाला है। और इसमें पहलेकी भाँति अब भी रुस्तमजी ही आपके नेता रहनेवाले हैं। और अब दो शब्द रुस्तमजीके विषयमें भी कहूँगा। श्री रुस्तमजी मेरे मित्र, मुवक्किल तथा फीनिक्स आश्रमके ट्रस्टी रहे हैं, इतना होते हुए भी मैं उनकी सेवाओंकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस विदाई समारोहमें रुस्तमजीने बहुत ही अधिक परिश्रम किया है। मुझे आशा है कि रुस्तमजीका इतना काम करनेका कारण यह नहीं है कि उनका एक मित्र दक्षिण आफ्रिका छोड़कर जा रहा है। बल्कि इसके द्वारा वे दिखा देना चाहते हैं कि भविष्यमें दक्षिण आफ्रिकामें किस प्रकार काम करनेकी जरूरत है, दिखा देना चाहते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाका और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका गौरव अपनी मातृभूमिके गौरवको बनाये रखनेमें है। अपने उत्साहसे और इस प्रकारकी सब हलचलोंमें हाथ बँटा कर श्री रुस्तमजीने यह भी बता दिया कि भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें क्या-क्या करना है। श्री गांधीने कहा, मैं यह भी जानता हूँ कि कभी-कभी रुस्तमजीको राजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि यदि एक बार आप रुस्तमजीको राजी कर लें तो फिर उनके समान काबिल और एकनिष्ठ दूसरा नेता समस्त दक्षिण आफ्रिकामें नहीं मिल सकेगा। रुस्तमजी जाति और धर्मके भेदको जानते ही नहीं। वे पारसियोंमें पारसी हैं। परन्तु मुसलमानोंमें मुसलमान भी हैं। क्योंकि वे मुसलमानोंके लिए जीने और मरनेके लिए भी तैयार रहते हैं। इसी प्रकार वे हिन्दुओंमें हिन्दू भी हैं और उनके लिए भी यह सब कुछ करनेके लिए तैयार रहते हैं। यों दक्षिण आफ्रिकामें मैं कई आदमियोंके नाम गिना सकता हूँ जो अनेक बातोंमें रुस्तमजीकी बराबरी कर सकते हैं और किसी-किसी बातमें उनसे बढ़कर भी हैं। परन्तु साहस और एकनिष्ठतामें उनतक कोई नहीं पहुँच सकता। इसलिए डर्बनका बन्दरगाह छोड़नेसे पहले अपने अन्तिम सन्देशके रूपमें मैं ये शब्द छोड़ जाना चाहता हूँ कि अगर सार्वजनिक सेवाके रूपमें भारतीय कौम कोई काम करना चाहती है तो वह रुस्तमजीपर भरोसा करे। परन्तु इसके साथ ही वह रुस्तमजीकी आज्ञाका पालन भी करे। और अगर आप रुस्तमजीपर भरोसा करते हैं तो उनके दोषोंको भी दर-गुजर कर दें। संसारमें ऐसा कौन है जिसमें कोई-न-कोई दोष नहीं है? सूर्य और चन्द्रमामें भी दाग हैं। केवल ईश्वर ही निष्कलंक है। कोई भी मनुष्य पूर्णतः निर्दोष नहीं हो सकता। अपने दोषोंकी चिन्ता रुस्तमजी खुद कर लेंगे। भारतीय तो उनके गुणोंका ध्यान रखें। आप सब जानते हैं कि उस महान हड़तालमें उन्होंने आपके लिए कितना काम किया है। अन्तमें श्री गांधीने श्रोताओंसे अपने लिए परमात्मासे प्रार्थना करनेकी विनती की, उनके स्नेहकी माँग की और अच्छे-अच्छे समाचार भेजते

रहनेको कहा, और आश्वासन दिया कि इसके बदलेमें वे ससारमें जहाँ-कहीं भी होगे अपने उन देशभाइयोको नहीं भलेंगे जिनके साथ वे दक्षिण आफ्रिकामें रहे और जिन्होने उनपर इतना स्नेह बरसाया। उन्होने कहा, मै परमात्मासे प्राथना करता हूँ कि वह मुझे बल दे कि मै भी अपने देशभाइयोपर ऐसा ही स्नेह कर सकूँ। परमात्मा ही मुझे जानता है और मेरे हृदयमें क्या है सो देख सकता है। सम्भव है मेरा प्रेम ज्ञानयुक्त रहा हो, सम्भव है वह अज्ञानयुक्त भी रहा हो और इसके अनुसार मैने अपने देशवासियोकी सेवा अथवा कुसेवा भी की हो। यदि कोई कुसेवा बन गई हो तो ईश्वर परम दयालु है, वह मुझे क्षमा कर देगा। परन्तु अपने देशभाइयोके प्रति मेरे प्रेममें और स्नेहमें कोई कमी रह गई हो और मुझसे अपने देशभाइयोकी ठीक सेवा न बन पडी हो तो वे भी मुझे क्षमा करे। अपनी तरफसे मै इतना अवश्य जानता हूँ कि मैने जो-कुछ भी किया है अथवा करनेका प्रयास किया है वह अपने हृदयके अन्तस्तलसे किया है। अवश्य, मुझसे भूलें भी जरूर हुई है। परन्तु मेरे देशभाई मुझे क्षमा करें। और यदि आप देखे कि मेरे मनमे देशभाइयोके प्रति प्रेमका लेश भी है तो आप परमात्मासे प्राथना करे कि मेरे हृदयका यह प्रेम खूब बढ़े और मेरे देशभाइयोने घोरसे-घोर सकटकालमें मुझपर जो स्नेह दिखाया है, हृदयकी जो विशालता मेरे प्रति प्रकट की है और मेरे सब दोषोको जिस तरह सह लिया है उसके तुच्छ बदलेके रूपमें मेरा यह प्रेम आप तक पहुँचता रहे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-९-१९१४

३५७. भाषण . ढेडो द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमें

[डर्बन
जुलाई ९, १९१४]

श्री गाधीने बताया आज प्रात काल ढेड जातिके कुछ सज्जन निमन्त्रण देने आये थे किन्तु उस समय मुझे इस बातकी जानकारी नही थी कि वे किस जातिके है, दूसरे, समयकी भी कमी थी अत मै निमन्त्रण स्वीकार नही कर सका। पर यदि मै यह जान पाता तो अवश्य ही तुरन्त उपस्थित होनेके लिए तैयार हो जाता। आजकल इस जातिसे मिलकर मुझे गर्व होता है। ये सब अपने ही भाई है। इन लोगोकी तरफ जरा भी हलकी नजरसे देखनेमे हमारा अपना ही ओछापन प्रकट होता है। इतना ही नही ऐसा करना अधर्म भी है। क्योकि यह भगवद्गीताकी शिक्षाके विरुद्ध है।

इसके बाद श्री गाधीने समझाया कि बच्चोके लिए अक्षर-ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रिक शिक्षाकी अधिक आवश्यकता है। भले ही पढ़ाई थोडी हो पर हो विवेकपूवक। तभी शिक्षा सार्थक होगी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९१४

३५८. भाषण प्रिटोरियाके विदाई समारोहमें[1]

जुलाई १०, १९१४

अभिनन्दनपत्रो और भाषणोका जवाब देते हुए श्री गाधीने पहले श्री स्टेन्ट द्वारा सभाका सभापतित्व करनेपर खुशी प्रकट की और कहा कि श्री स्टेन्ट सदा हमारे पक्षकी हिमायत करते रहे। मै व्यक्तिगत रूपसे अपनेको उनका आभारी मानता हूँ। श्री चैमनेके प्रति भी श्री गाधीने वसे ही भाव प्रकट किये जैसे चैमनेने किये और कहा कि मै श्री चैमने और उनके कार्यालयके प्रबन्धका विरोध जरूर करता था परन्तु मेरे दिलमे श्री चैमनेके प्रति कभी दुर्भाव नही रहा। श्री चैमने भी मेरे साथ अत्यन्त सौजन्य-पूर्वक पेश आते थे। जब मै दो हजार स्त्री-पुरुषोको लेकर कूच कर रहा था, तब मुझे गिरफ्तार करनेके लिए श्री चैमने केवल एक आदमीको साथ लेकर गये थे। इसे मै अपने प्रति श्री चैमनेका सम्मान मानता हूँ, क्योकि इससे प्रकट होता था कि एक सत्याग्रहीके रूपमे श्री चैमने मुझमें कितना विश्वास करते थे। श्री गाधीने अपनेको भेंट की गई थैलीके लिए उपस्थित सज्जनोको धन्यवाद देते हुए कहा कि दूसरी थैलियोकी भाति इसका उपयोग भी मै खुद अपने लिए नहीं बल्कि प्रथमत दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए भारतीयोकी सेवामे और फिर भारतमें जाकर मै जो कार्य करूँगा और जिसके प्रति परस्पर बातचीतमें हमने अपनी रुचि प्रकट की है, उसमें करूँगा। श्री गाधीकी राय थी कि जो समझौता हुआ है वह एक तरहका अधिकारपत्र (मग्ना कार्टा) ही है। यह समझौता अन्तिम समझौता नहीं कहा जा सकता, इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके हो जानेसे अब भारतीयोके सब दु ख मिट चुके। इन दु खोको दूर करनेके लिए तो धीरजसे काम लेना होगा और यूरोपीय लोकमतको शिक्षित करना होगा, और हमें स्वय इस प्रकार रहना होगा कि श्री स्टेन्ट-जैसे सज्जनोके हृदयोमें जो सहानुभूति है, वह बनी रहे। कुमारी श्लेसिनने भारतीयोके हितार्थ जो काम किया उसके लिए श्री गाधीने उनकी प्रशसा की।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-७-१९१४

३५९ सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार

[जुलाई ११, १९१४ से पूर्व][1]

इस विशेषाकके प्रकाशित होते होते, मै यदि मातृभूमि तक नही तो कमसे-कम फीनिक्ससे तो काफी दूर पहुँच ही चुकूगा। परन्तु जिसके कारण यह विशेषाक निकालना जरूरी हो गया है उसके बारेमे अपने अन्तरग विचार प्रकट करके जाऊँगा। यदि अनाक्रामक प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेस) न होता तो 'इडियन ओपिनियन' का इतने चित्रोसे सुसज्जित इतना महत्वपूर्ण यह विशेषाक न निकल पाता। 'इडियन ओपिनियन' बिना किसी दिखावेके, विनीत भावसे पिछले ग्यारह वर्षोंके दौरान मेरे देशवासियो और दक्षिण आफ्रिकाकी सेवाका प्रयत्न करता रहा है, और एक ऐसे कालमे जो उसका सबसे नाजुक दौर रहा है, शायद आगे कभी उसे ऐसे कालसे नही गुजरना पडेगा। 'पैसिव रेजिस्टेस' इसी कालमे शुरू हुआ, आगे बढा और उसने सारे संसारका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय समाजके पिछले आठ वर्षोंके सघषके लिए यह शब्द उपयुक्त नही। भारतीय भाषामे इसे "सत्याग्रह" कहते है। मेरा खयाल है कि टॉल्स्टॉयने इसे आत्मिक-बल या प्रेम-बल भी कहा है, और यह है भी वही। अपनी विशुद्धतम अवस्थामे यह बल आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकारकी भौतिक सहायताकी अपेक्षा नही रखता और अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे भी यह निश्चय ही शारीरिक बल अथवा हिंसासे अलग रहता है। हिंसा तो वास्तवमे इस महान् आत्मिक बलका अभावात्मक पक्ष है। वे ही लोग इस बलको अपनेमे पैदा कर सकते और इसका उपयोग कर सकते है जो हिंसाको बिलकुल ही त्याग दे। इस बलका उपयोग एक व्यक्ति भी कर सकता है और समाज भी। इसे राजनीतिके क्षेत्रमे भी उतना ही प्रयुक्त किया जा सकता है जितना घरेलू मामलोमे। इस बलकी सार्वभौमिकता इसका स्थायित्व और इसकी अजेयता सिद्ध करती है। पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे सभी समान रूपसे इसका उपयोग कर सकते है। यह कहना बिलकुल गलत है कि इसका प्रयोग केवल निर्बल लोग ही करते है और सो भी तबतक जबतक वे हिंसाका जवाब हिंसासे देनेके योग्य नही हो पाते। इस भ्रान्तिकी जडमे अग्रेजी भाषाके [इसके समानार्थी] शब्दके अर्थकी अपूर्णता ही है। सत्याग्रह वे लोग कर ही नही सकते जो पशु बलका उपयोग करनेकी दिशामे अपने-आपको कमजोर समझकर इसे अपनाना चाहते है। सफल सत्याग्रही वही बन सकता है जो यह महसूस कर ले कि मनुष्यमे कुछ ऐसा बल है जो उसकी पशु-प्रवृत्तिसे कही श्रेष्ठ है और जिसके आगे पशु-प्रवृत्ति सदा ही घुटने टेक देती है। इस बलका हिंसासे और इसीलिए सभी प्रकारके उत्पीडनसे वही सम्बन्ध है जो प्रकाशका अन्धकारसे है। राजनीतिके क्षेत्रमे इस बलका उपयोग इस सनातन सिद्धान्तपर आधारित है कि जनताकी सरकार तभी तक सम्भव है, जबतक जनता जाने या अन-

१ गाधीजी ११ जुलाईको फीनिक्ससे भारतके लिए रवाना हुए थे।

जाने उससे शासित होनेके लिए सहमत हो। हम ट्रान्सवालके १९०७ के एशियाई अधिनियमसे शासित नही होना चाहते थे, इसलिए इस विराट् शक्तिके सामने उसे मुँहकी खानी पडी। हमारे सामने दो रास्ते थे— उस अधिनियमके पालनके लिए विवश किये जानेपर हम या तो हिंसाका सहारा लेते, या फिर अधिनियममे विहित दण्ड भोगते और एक लम्बे अर्सेके दौरान कष्ट-सहन करते हुए अपने अन्दर मौजूद आत्मिक बलका तबतक प्रदशन करते रहते जबतक वह शासको या कानून बनानेवालोके हृदयमे सहानुभूतिका भाव जगानेमे सफल न हो जाता। हम जिसके लिए प्रयत्नशील थे, उसे हासिल करनेमे हमे काफी लम्बा समय लग गया। क्योकि हमारा सत्याग्रह सोलहो आने खरा नही था। सभी सत्याग्रही इस बलका पूरा महत्त्व नही समझते, और न हमारे पास ऐसे आदमी है जो हर हालतमे [अहिंसामे] अपने पूण विश्वासके कारण हिंसासे दूर रहते हो। इस बलके प्रयोगके लिए यह अपेक्षित है कि हम गरीबीको अपनाये, अर्थात् हमारे पास पहिननेके लिए कपडे और खानेके लिए भोजन है या नही, इसके प्रति हम उदासीन रहे। पिछले सघषके दौरान सभी सत्याग्रही तो इस सीमा तक जानेके लिए तैयार नही थे, शायद एकाध ही कोई ऐसा रहा हो। और कुछ तो नाममात्रके ही सत्याग्रही थे। वे विश्वाससे प्रेरित होकर इसमे नही आये थे, अधिकाशके उद्देश्य सवथा विशुद्ध नही थे और कुछ तो खोटे भी थे। यदि इतनी सतकतासे उनपर नजर न रखी जाती तो उनमे कुछ ऐसे भी थे जो सघषके दौरान बडी खुशीसे हिंसाका सहारा ले लेते। सघष लम्बा खिंचनेका कारण यही था, वरना सर्वथा पूण और विशुद्धतम आत्मिक बलके प्रयोगसे तो तुरन्त राहत मिलती है। इस बलका प्रयोग करनेमे समथ होनेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आत्माको एक लम्बे अर्से तक प्रशिक्षित करे, इसलिए कि सोलहो आने खरा सत्याग्रही बननेके लिए उसे यदि सोलहो आने नही तो चौदह-पन्द्रह आने खरा इन्सान बनना ही पडेगा। हम सभी एकाएक तो इतने खरे इन्सान नही बन सकते, परन्तु यदि मेरी बात सही है— और मै जानता हूँ कि सही है— तो हमारे अन्दर सत्याग्रहकी भावना जितनी गहरी होगी, हम उतने ही अच्छे इन्सान बन जायेगे। इसलिए मै समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता निर्विवाद है, और यह एक ऐसा बल है जो यदि सावभौमिक बन जाये तो सामाजिक आदर्शोंमें क्रान्ति ला देगा और उस निरकुशता तथा निरन्तर पैर पसारते जानेवाले सैन्यवादकी कपालक्रिया कर देगा जिसके जुएके नीचे पाश्चात्य देश कराह रहे है, जिसके बोझसे उनका दम घुटा जा रहा है और जो लगता है कि पूवके देशोकी ओर दिन-ब-दिन मुँह बाये बढता जा रहा है। पिछले सघषने यदि मुट्ठीभर भी ऐसे भारतीय पैदा कर दिये हो जो अपना जीवन यथासम्भव अधिकसे-अधिक खरे सत्याग्रही बननेके लिए अर्पित करनेको तैयार हो, तो वे सच्चे मायनेमे अपनी ही नही समूचे मानव-समाजकी सेवा करेगे। इस दृष्टिसे, सत्याग्रह ही सबसे उच्चतर और सर्वोत्तम शिक्षा है। ऐसी शिक्षा बच्चोको साधारण पढ़ाई-लिखाईके बाद नही बल्कि उससे पहले दी जानी चाहिए। इस बातसे इनकार नही किया जा सकता कि बच्चोको अक्षर-ज्ञान और ससारकी जानकारी हासिल करनेसे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा, सत्य और प्रेम क्या है और आत्मामें

कौन-सी शक्तियाँ छिपी पडी है। वास्तविक शिक्षाका यह एक अत्यावश्यक अग होना चाहिए कि बच्चा सीख ले कि जीवन-सघर्षमे प्रेम द्वारा घृणा, सत्य द्वारा असत्य और कष्ट-सहन द्वारा हिंसापर आसानीसे विजय पाई जा सकती है। मैने इस सत्यका बल महसूस किया है। इसलिए मैने सघषके उत्तरार्द्धमे पहले टॉल्स्टॉय फार्म और बादमे फीनिक्समे बच्चोको इसी ढगसे प्रशिक्षित करनेका यथाशक्य प्रयास किया है, और मेरे भारत जानेका एक यह भी कारण है कि मै सत्याग्रहीके रूपमे अपनी अपूणताको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकूं — जिसे मै एक हद तक महसूस करता भी हूँ — और फिर मै अपने-आपको पूण बनानेका प्रयास करूँ, क्योकि मेरा विश्वास है कि पूर्णताके निकटतम पहुँचनेकी सम्भावना भारतमे ही सबसे अधिक है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन स्वर्ण अक १९१४

३६० भाषण · डर्बनके भोजमें[1]

[जुलाई ११, १९१४]

श्री गाधीने उपस्थित सज्जनोको अपने प्रति की गई आरोग्य कामनाके लिए धन्य-वाद देते हुए कहा कि मेरी बहुत अधिक प्रशसा की गई है, अधिक प्रशसासे मनुष्यमें अहकार आ जानेका अन्देशा रहता है। जब किसी मनुष्यकी बहुत अधिक प्रशसा होने लगे तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। समझौतेके बारेमें उन्होने कहा कि यह वर्तमान कठिनाइयोका हल तो है, परन्तु पूरा समझौता नहीं है। कोई उसे सम्पूण स्वाधीनताका परवाना न समझे।[2] अभी बहुतसे प्रश्न बचे है जिनको हल करनेके लिए धीरजकी जरूरत है। इनमें से एक सवाल परवानोका है। मै इसका हल कभी नहीं ढूँढ पाया। उसे हल करनेके लिए सरकारको बहुत कुशलता और न्याय-बुद्धिसे काम लेना होगा। भारतीयोंको भी सफाई और इमारतो सम्बन्धी उपनियमोका ध्यान रखनेकी जरूरत है। भारतीयोमें एक वर्ग ऐसा है जो जन्मत व्यापारी है। अगर इन लोगोसे उनकी रोजीका साधन छीन लिया जायेगा तो एक कठिन समस्या खडी हो जायेगी। इस समझौतेका महत्व समझौतेके लिए किये गये सघर्षमें है। इस सघर्षने दक्षिण आफ्रिकाकी विवेक-बुद्धिको जगा दिया है। और आज जो सारा रुख पलटा हुआ दिखता है उसका कारण भी यही सघर्ष ही है। (हर्ष-ध्वनि)। इस रुखको कायम रखना भारतीयोके

१ गाधीजीके सम्मानमें डर्बनमें एक भोजका आयोजन किया गया था जिसमें मेयर, अन्य प्रमुख यूरोपीय तथा लगभग ३० भारतीयोने भाग लिया। अध्यक्षता श्री रॉबर्ट जेम्सन, जे० पी० ने की। इस अवसरपर विदाई-समिति द्वारा गाधीजी और कुमारी श्लेसिनको मानपत्र भेंट किये गये।

२ १३-७-१९१४ के **नेटाल मर्क्युरी**में इस जगह इतना और जोड़ा गया था "कई चीजोंके त्यागके बदलेमें उन्हें इसका केवल एक अश ही मिला है।"

हाथमें है। जो-कुछ प्राप्त हुआ है वह तो अशमात्र है और अभी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। भारतीयोको जिस विरोधका सामना करना पड रहा है, उसके बारेमें बोलते हुए श्री गाधीने कहा कि यद्यपि उनके प्रति बहुत अधिक दुर्भाव है, और वह अकारण तथा अनुचित भी है तथापि उस दुर्भावके पीछे भी न्यायकी भावना है।[1] श्री गाधीने अपने देशभाइयोसे अपील की कि वे धीरजसे काम लें और उन दुर्भावोको अपने आचरणसे गलत साबित कर दे। यह सच है कि जितना उन्हे मिलना चाहिए था वह उन्हे नही मिला। परन्तु उन्हे अपने हककी सारी चीजोका मिलना बहुत हद तक खुद उन्हींपर निभर करता है। प्रान्तीय रुकावटोके बारेमे बोलते हुए श्री गाधीने कहा कि जबतक भारतीय अपने ही प्रान्तमे कैद रहेंगे तबतक सघ-राज्य उनके लिए कोई अर्थ नही रखता। वे (भारतीय) जहाँ चाहे वहा जानेकी उन्हे स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन्होने इसके लिए अपील की है और वह उन्हे मिलनी चाहिए। अन्तमें श्री गाधीने ब्रिटिश सविधान और ब्रिटिश आदर्शोंके बारेमें बोलते हुए कहा कि जबतक यह इसी रूपमें रहेंगे और परम्पराएँ कायम रहेगी तबतक तो ठीक है। परन्तु वह दिन एक दुर्दिन होगा जब सविधान ढह कर गिर जायेगा और आदर्श बदल जायेंगे। (करतल-ध्वनि)। यद्यपि मै स्वदेशको लौट रहा हूँ—जो मुझे प्रिय है, तथापि मै सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मै दक्षिण आफ्रिकाको कभी नहीं भुला सकूगा। अपनी मातृभूमिके बाद मुझे सदा इसीका खयाल रहेगा। (करतल ध्वनि)।

कुमारी श्लेसिनको अभिनन्दनपत्र तथा पुस्तकें भेंट करनेवालोके प्रति, कुमारी श्लेसिनकी तरफसे, धन्यवाद देनेके लिए श्री गाधी फिर उठे। उन्होने कहा कि सत्याग्रहकी लडाईमें कुमारी श्लेसिनने बडा महत्वपूर्ण भाग लिया है। उन्होने अपने-आपको पूरी तरहसे लडाईमें झोक दिया था, वे दिन-रात काम करती थीं। जेल जानेका प्रयत्न करनेमें भी उन्होने कभी कुछ उठा नहीं रखा। परन्तु उन्हे गिरफ्तार नही किया गया। कई वर्षों तक वे मेरी सचिव रहीं। और सार्वजनिक कामोमें मेरी बहुत मदद करती रही। वह मेरे लिए बहनसे कम नहीं है। उन्होने ट्रान्सवाल-महिला सघका सगठन किया और प्रारम्भसे ही उसकी अवैतनिक मन्त्राणीका काम करती रही है।

अध्यक्ष महोदय (माननीय आर० जेम्सन) ने उस घटनाका उल्लेख किया है जिसे मै समझता था कि वे भूल चुके होगे। मै उस दिन उनके कार्यालयमें कॉपता हुआ, किन्तु मनमें यह विश्वास लिये दाखिल हुआ था कि वे समाजके हितैषी है। उन्होने बिलकुल ठीक ही कहा है कि जैसे कोई पिता अपने बच्चेका मार्गदशन करता है, उसी प्रकार उन्होने (श्री जेम्सनने) उन बहुतसे कामोमें मेरा मार्गदशन किया जो मै एक तुच्छ नागरिककी हैसियतसे दक्षिण आफ्रिकाके उद्यान-जैसे सुन्दर इस नगरमे करना चाहता था।

१ **नेटाल मर्क्युरी**के अनुसार गाधीजीने यहाँ कहा था "व्यापारका प्रश्न बहुत बडा प्रश्न है, और अगर भारतीय समाजको शान्तिपूर्वक रहने देना है तो इस प्रश्नको सद्भावके साथ न्यायोचित ढगसे तय करना जरूरी होगा।"

सबसे पहले मैं उनसे एक आहत सहायक-दल (एम्बुलेंस कोर) बनाने सम्बन्धी अपना प्रस्ताव लेकर मिला था, किन्तु उन्होने एक सनिक होनेके नाते जैसा कि स्वाभाविक था, मुझे हतोत्साह कर दिया था। उन्होने सावधानीसे विचार करनेकी सलाह दी थी। मै वहासे दुरुस्त मिजाज लेकर निकला, लेकिन फिर एक अन्य मित्रके पास गया। मुझे यह पता नहीं था कि वह मित्र सैनिक है या नही, लेकिन मै यह जानता था कि वह साम्राज्य-भक्त ह और मेरे लिए उसके हृदयमें स्थान है। वह मित्र थे श्री लॉटन। उनकी आँखें ख़ुशीसे चमक उठीं, क्योकि उन्होने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई भारतीय इस प्रकारका प्रस्ताव रख सकता है। उन्होने कहा कि जेम्सनने जो कुछ कहा हे उसकी परवाह मत करो, और अपना प्रस्ताव सरकारके सामने रखो। मै (श्री लॉटन) कोशिश करूँगा कि वह उसे स्वीकार कर ले। न भी करे तो भी तुम्हारे इस प्रस्तावसे नेटालके उपनिवेशियोकी नजरमे तुम्हारे देशवासियोकी इज्जत बढ जायेगी। इस एक बातने हमारे भाग्यका निर्णय कर दिया। मैंने प्रस्ताव किया, किन्तु वह रद कर दिया गया। तब मै डॉ० बथके पास गया जो उस समय सेंट एडस मिशनके प्रधान थे और उनसे अनुरोध किया कि वे हमें प्राथमिक चिकित्साकी शिक्षा दें। उन्होने एक कक्षा चलाकर हमें तीन या चार सप्ताह तक उसकी शिक्षा दी। हम शिक्षा लेते रहे। सेवाएँ अर्पित करनेवालोमें ज्यादातर उपनिवेशमे जन्मे भारतीय थे। उस समय हम सबको यह भय था कि शत्रु, जो अब ब्रिटिश साम्राज्यके मित्र है, मैरित्सबर्गपर चढ़े आ रहे हैं और शीघ्र ही डबनका बन्दरगाह भी ले लेंगे। हमने फिर आशा बाँधकर अपना प्रस्ताव सामने रखा। डॉ० बूथ नेटालके बिशपके[1] पास गये जिन्होने हमारी और सिफारिश की—और उनका इतना आग्रह रहा कि अन्तमें हमारा प्रस्ताव न केवल स्वीकार कर लिया गया बल्कि हम एक बहुत ही अच्छी कोटिके डोली वाहक दलका सगठन करनेमें सफल हुए और उसने, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, अपना तुच्छ कर्त्तव्य निभाया। श्री गाधीने कहा कि इस विषयपर इतने विस्तारसे चर्चा करनेके पीछे मेरा मशा अपने यूरोपीय मित्रोको अपनी नम्र श्रद्धाजलि अर्पित करना है और यह बताना है कि उस अवसर-पर और बादमें भी अनेक अवसरोपर भारतीयो और यूरोपीयोके बीच सहयोगपूर्ण तादात्म्य और पूर्ण मैत्रीकी भावना रही थी, और उस समय भी हमारे साथ यूरोपीयोकी सहानुभूति थी, उनमें हमारे मित्र थे। ऐसी सुखद स्मतियाँ मनमें है, इसलिए मै अत्यन्त भारी मनसे दक्षिण आफ्रिका छोडूगा। उपर्युक्त घटनाके उल्लेखसे मेरा एक उद्देश्य अपने देशवासियोको यह बताना भी है कि यदि वे अपने अधिकारोके लिए शोर मचाते है, यदि वे अपने अधिकारोके अतिक्रमणका विरोध करना चाहते है तो उन्हे राज्यके नागरिककी हैसियतसे अपने उत्तरदायित्वोका भी ध्यान रखना जरूरी है। वह अवसर एक ऐसा ही अवसर था कि जब भारतीय समाजने अपने उत्तरदायित्वको स्वीकार किया, और यद्यपि हमारी सख्या केवल कुछ हजार ही थी फिर भी जो-कुछ हमारे वशमें था हमने किया।

१ देखिए खण्ड ३ पृष्ठ १३८ ३९।

मैं अपने देशवासियोको उस अवसरकी याद दिलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वे समझें कि समझौतेसे उनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी आये है।[1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–७–१९१४ और २३–९–१९१४

३६१. भाषण : वेरुलममें

जुलाई १२, १९१४

भाइयो और बहनो,

मैंने जब वेरुलम आना स्वीकार किया तब मेरे मनमें यह ख्याल बिलकुल भी नही था कि यहाँ मुझे मानपत्र स्वीकार करना होगा। मै तो केवल अपने गिरमिटिया भाइयोका दर्शन करने और उन्हे नये कानूनका अर्थ समझानेके लिए आया था। इसके सिवा यहा आना मुझे किसी तीर्थ-स्थानकी यात्रा करने जैसा मालूम हुआ है। कारण, पिछली हडतालमे यहाँके भारतीयोने बहुत बडा हिस्सा अदा किया है और सो भी कितने आश्चर्यजनक रूपमे। जिस समय सारे तथाकथित नेता अपने-अपने घरमें आराम कर रहे थे या पैसा कमानेमे लगे हुए थे, उस समय ज्यो ही यहाके गिरमिटिया भाइयोको यह समाचार मिला कि चार्ल्सटाउनमें और दूसरी जगहोमे भी तीन-पौंडी करके बारेमे हडताल हुई है त्यो ही उन्होने भी काम करना बन्द कर दिया। उन्हे किसी नेताकी जरूरत नही पडी। वेरुलम, टोंगाट और इसीपिंगोमे नेता लोग तो पैसा इकट्ठा करते हुए घूम रहे थे। किन्तु यहाँ किसीको समझानेकी कोई जरूरत ही नही हुई और सब भाइयोने हडताल कर दी। इससे सिद्ध हो जाता है कि गरीबी ही सच्चा धन है। गरीब लोग राजा है। गरीब जो चाहें सो कर सकते है। हमारा उद्धार यहाँ, भारतमे, या अन्य किसी भी जगह गरीबीके द्वारा ही सम्भव है। ऐसे महान् आन्दोलनकी आत्मा गरीब ही है।

आप सब लोगोने यहाँ जो मेरा सम्मान किया है, उसे स्वीकार करते हुए मुझे धर्म[शास्त्र]की आज्ञा याद आ रही है "रे मनुष्य, जहाँ तेरी प्रशसा हो रही हो वहाँ से तू भाग जा और यदि भाग न सके तो रुई लगाकर अपने कान बन्द कर ले।" जब-जब कही कोई मेरी प्रशसा करने लगता है तब-तब मै अपने हृदयमे इस शास्त्र-वचनको दोहराता हूँ। किन्तु इस आज्ञाके अनुसार मै अभी यहाँ तो चल नही सका। उपर्युक्त आज्ञामे जो दो उपाय बताये गये है वे यदि सम्भव न हो तो उसीमे यह कहा

१ १७–७–१९१४ के **ट्रान्सवाल लीडर** और **स्टार**में प्रकाशित सक्षिप्त रिपोर्टोंमें कहा गया था "श्री गाधीने इस आशयकी एक महत्त्वपूर्ण बात कही कि राहत विधेयकसे भारतीयोंकी निर्योग्यताएँ आंशिक रूपसे दूर हुई है, और बराबरीके दर्जेका सवाल आगे चल कर उठना अवश्यम्भावी है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ वर्षोंके लिए दक्षिण आफ्रिका छोड कर जा रहा हूँ लेकिन फिर लौट सकता हूँ।"

गया है कि "हे जीव यदि तू इस आज्ञाके अनुमार न चल सके तो यह सारी प्रशसा तू कृष्णापण कर दे।" और वैसा मै कर रहा हूँ। धमकी ऐसी आज्ञाओ और नीतिके पालनसे निश्चय ही किसी भी कायमे जीत मिलती है। मेरा मतलब यह हे कि आप यह जो कहते है कि मेरे कारण ही हम सबको जीत मिली हे सो सही नही है। जीतका कारण तो मेरे इन गिरमिटिया भाइयोका बल है। भारी काम उन्होने ही किया है। मै और मेरे स्वजन और स्नेही सब आज तक जेलमे रहे होते तो भी समझौता इतनी जल्दी न हुआ होता।

[इसके बाद गाधीजीने समझाया कि अब कर या पहलेकी बाकी रकम उनसे वसूल नहीं की जायेगी और कहा]

करके समाप्त हो जानेसे भारतीयोको लगातार या तो गिरमिटमे रहना पडेगा या उन्हें स्वदेश लौट जाना होगा — यह बात बिलकुल गलत है। गिरमिटकी अवधि पूरी करनेके बाद आप लोग स्वतन्त्र व्यक्तियोकी तरह रह सकते है। मेरी तो आप लोगोको यही सलाह है कि आप अब गिरमिटके बन्धनमे दुबारा कदापि न बँधे। बेशक, अपनी मौजूदा गिरमिटकी अवधि तो आपको पूरी करनी ही पडेगी, उसमें से कोई छूट नही सकता। गिरमिटसे मुक्त होकर जो लोग स्वतन्त्र होते है उन्हे डर्बनके प्रोटेक्टरसे पास मिल सकेगा। जो स्वतन्त्र भारतीय तीन वष तक यहाँ रहेगा उसे यहाँका अधिवासी माना जायेगा। तीन वष रहनेके बाद यदि उसे भारत जाकर यहा वापस आना हो तो वह वापस आ सकेगा। ऐसे मनुष्यको अपने खचसे वापस जाना चाहिए। सरकारसे यह खर्च नही माँगा जा सकता। किन्तु जिस मनुष्यको यहाँ बिलकुल आना ही न हो वह अपनी भारत-यात्राका खर्च सरकारसे माँग सकेगा और वह खर्च उसे मिल जायेगा।

तीन-पौंडी करके समाप्त होनेमे श्री माशल कैम्बैलका बडा हाथ था, विक्टोरिया काउटीमे आनेके इस अवसरपर मै उनका आभार मानता हूँ। उस करको समाप्त करानेमे उन्होने सीनेटमे अथक परिश्रम किया और उसमे उन्होने अपने स्वाथका कोई विचार नही किया।

मेरे जानेपर आप लोग खेद प्रकट करते हैं, इस बातसे आपके प्रेमके बन्धनमे मै और ज्यादा बँधता हूँ। किन्तु, मै अपने पीछे यहाँ फीनिक्स सस्था छोडकर जा रहा हूँ। किसी कानूनके फलस्वरूप या दूसरे किसी कारणसे होनेवाली तकलीफमे आप फीनिक्स जाइए, वहाँ श्री वेस्ट और जो दूसरे लोग रहते है, उनसे पूछिए। वे आपको आश्वासन तथा सलाह देंगे और आपका काम करेगे। वे आप लोगोसे पैसा भी नही लेगे और यदि काम ऐसा हो जो उनसे न बने तो सलाहके लिए आपको सही आदमीके पास भेजेगे। जिस समय फीनिक्समे वे लोग आपसे पैसा माँगने लगे उस समय आप उसकी ओर नजर भी न करना। मै तो आपके लिए काम करता ही रहूँगा। आपका गिरमिटका करार तो एक आदमीके साथ केवल पाँच वर्षके लिए है, किन्तु मेरा गिरमिट तीस करोड लोगोके साथ है और जीवन-भरके लिए है। अपनी यह सेवा मै सदा करता रहूँगा। और आपको अपने हृदयसे कभी

दूर नही करूँगा। मुझे यहा जो पैसा मिला है, उसका उपयोग मै यहीके कायमे करूँगा, और पुस्तकोका उपयोग निजी अध्ययनके लिए।

पिछली हडतालके समय आपके ऊपर बहुत अत्यावार हुआ इसलिए अथवा किसी और कारणसे क्षुब्ध होकर आपने भी [अत्याचारियो पर] अपना हाथ उठाया था, यह जानकर मुझे बहुत दु ख हुआ। यदि मै आपके साथ होता तो अपना सिर फूट जाने देता, किन्तु वैसा न होने देता। अब भविष्यके लिए मै एक महत्त्वकी सलाह दे जाता हूँ। यदि कभी ऐसा अवसर आये कि सरकार आपके ऊपर अत्याचार करे, या आपका मालिक आपके ऊपर अत्याचार करे तो निभय होकर काम छोड दीजिए, स्थिरतापूवक एक जगह बैठ जाइए, खानेको न दे तो भूखे रह जाइए, गालियाँ बके तो सहन कर लीजिए, लात मारे तो क्षमा कर दीजिए, और अन्तमे फासीपर चढने या गोलीसे बिंधनेका समय आ जाये तो उसे भी झेल लीजिए, किन्तु भगवानके प्रति अपनी निष्ठामे कभी न डिगिये। यदि ऐसा करेगे तो चाहे जैसा कठोर हृदय भी पिघल जायेगा। ऐसा सत्याग्रहका प्रताप हे। इसके ऊपर आप श्रद्धा रखे। यही शुद्ध सत्याग्रह है। यह हथियार सब हथियारोसे —आपकी लाठियो और शस्त्रोसे बढकर है। इसलिए आप इसी हथियारको अपनाये और आवश्यकताके समय वह अवश्य आपकी सहायता करेगा। अब मै आपसे विदा लेता हूँ।

[गुजरातीसे[
इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४

३६२ भाषण वेरुलममे

जुलाई १२, १९१४

श्री गाधीने सभाके अध्यक्षसे पहले हिन्दुस्तानीमें और फिर जितना हो सके उतने सक्षेपमें अंग्रेजीमें बोलनेकी अनुमति माँगी, जिससे कि तमिलमे उसका रूपान्तर हो सके, क्योकि वे तमिलमें नही बोल सकते थे। उन्होने कहा, वे केवल उस क्षेत्रके गिरमिटिया भारतीयोसे मिलने और उनको राहत विधेयकका मतलब समझानेके उद्देश्यसे वेरुलम आये है। इस बार भी उनका बडा सत्कार किया गया। उन्होने कहा कि वेरुलम उनके लिए एक तीथके समान है और वह सदा ही उनकी दृष्टिमें पवित्र रहेगा, क्योकि वे वेरुलमके ही लोग थे जिन्होने न्यूकैसिलके अपने भाइयोकी हडतालके समय उनके पक्षमें एक होकर आवाज उठाई थी। उन्होने अपने हिन्दी-भाषणमें लोगो द्वारा की गई उनकी प्रशसा और भेंट की गई वस्तुओके सम्बन्धमें जो कहा था, उसे अंग्रेजी-भाषणमें सविस्तार रूपान्तरित नहीं किया। उन्होने कहा कि भेंटके रूपमे मिला धन भारत पहुँचनेपर उन सार्वजनिक कार्योंमें लगाया जायेगा जो उनको उचित जँचेंगे। हाँ, उसमें दक्षिण आफ्रिकाके कामोको प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होने आगे कहा

मेरे गिरमिटिया देशवासियो! इतना समझ लीजिए कि यह राहत मेरे या आपके जेल जानेके कारण मिली है, ऐसा सोचना गलत होगा, यह राहत मिली इसलिए

है कि आपके अन्दर अपना जीवन होम करनेका, अपने-आपको बलिदान करनका साहस था। और इस सिलसिलेमे मै आपको यह भी बतला दू कि इस राहतके मिलनेके अन्य भी कई कारण है। मुझे माननीय सिनेटर माशल कैम्बैल द्वारा की गई बहुमूल्य सहायताका उल्लेख विशेष रूपसे करना पडेगा। मेरा खयाल है कि सीनेटमे यह विधेयक पास होनेके दौरान उन्होने वहा जो काय किया था, उसके लिए वे मेरे और आपके धन्यवादके पात्र है। जो राहत मिली है वह इस प्रकारकी है आपको तीन-पौडी कर अदा नही करना पडेगा, उसकी बकाया राशि माफ कर दी जायेगी। इसका मतलब यह नही कि आप अपने मौजदा गिरमिटसे मुक्त हो गये है। मौजूदा गिरमिटकी अवधि तो आपको सचाई और ईमानदारीके साथ पूरी करनी ही है, हाँ, इसके पूरा होनेपर आप उतने ही स्वतन्त्र हो जायेगे जितने कि १८९१ के अधिनियम २५ के अन्तगत अन्य भारतीय स्वतन्त्र है, और उस अधिनियममे उनको जो सरक्षण दिया गया है वह आपको भी मिल सकेगा। भारत लौटना या फिरसे गिरमिटिया बनना अनिवाय नही रहेगा। आपको गिरमिटसे मुक्त होनेके प्रमाणपत्र बिना कोई फीस लिये दे दिये जायेगे। यदि भारत जानेके बाद आप वहासे वापस आना चाहे, तो आपको नेटालमे पहले तीन वष स्वतन्त्र भारतीयोके रूपमे बिताने पडेगे। और यदि आप गरीबीके कारण भारत जानेका खच जुटानेमे असमथ हो और उसके लिए सरकारको प्राथना-पत्र देकर चाहे तो सहायता हासिल कर सकते है, लेकिन उस सूरतमे आपको वापस लौटनेकी इजाजत नही दी जायेगी। यदि आप वापस आना चाहे तो सहायता मत लीजिये, अपनेसे खच जुटाइये या मित्रोसे उधार ले लीजिए। यदि आप फिरसे गिरमिटया बने, तो आप फिर उसी १८९१ के अधिनियम २५ के अधीन हो जायेगे। आपको मेरी यही सलाह है कि फिरसे गिरमिटिया तो मत बनिए, परन्तु देशके सामान्य कानूनके अन्तर्गत अपने मौजूदा मालिकोकी सेवा ठीक ढगसे अवश्य करते रहिये। और यदि कभी कोई नई परिस्थिति सामने आई (जो मै समझता हूँ नही आयेगी) तो आपको पता चल जायेगा कि क्या करना चाहिए।

विक्टोरिया काउन्टी हिंसासे उतना मुक्त नही रहा, जितना कि न्यूकैसिल जिला। आपने बदलेमे चोट की थी। मै इस बातको कोई महत्व नही देता कि आपको उत्तेजित किया गया था या नही, पर आपने बदलेमे चोट तो की, आपने लाठियो और पत्थरोका प्रयोग तो किया, आपने गन्नेमे आग तो लगाई। यह तो सत्याग्रह नही है। यदि उस समय मै आपके साथ होता तो मै आपकी निन्दा करता, एक भी लाठी या पत्थरका इस्तेमाल होने देनेसे पहले मै अपना सिर फुडवाना ज्यादा पसन्द करता। सत्याग्रहका अस्त्र ससारकी सभी लाठियो, पत्थरो और बन्दूककी बारूदसे कही अधिक शक्तिशाली है। यदि आपपर हिसा थोपी जाये, तो आपको कष्ट-सहन करते जाना चाहिए, चाहे उसमे आप काम ही क्यो न आ जाये। यही है—सत्याग्रह। इसलिए यदि मै माननीय श्री माशल कैम्बैल, या श्री सॉण्डस या अन्य किसी मालिकके यहाँ एक गिरमिटिया भारतीयके रूपमे काम करता होता, और यदि मेरे साथ अन्यायपूण बर्ताव किया जाता, तो मै सरक्षकके पास नही जाता, मै तो अपने मालिकके पास जाकर न्याय मागता

और यदि उससे न्याय न मिलता, तो मै कहता कि जबतक मेरे साथ न्याय नही किया जायेगा मै अन्न-जल ग्रहण किये बिना वही रहूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सत्याग्रह पत्थरसे-पत्थर दिलको भी पिघला देगा। इस सत्यको आप अपने हृदयकी गहराईमे उतार लीजिये। यही सबसे अचूक और सबसे कारगर दवा है। यह रामबाण है।

यदि आप मेरी सलाह माँगे या मुझसे पथ-प्रदशन चाहे, तो मै इतना ही कह सकता हूँ कि यदि आप श्री लैग्स्टन या अन्य किसी वकीलकी फीस नही भरना चाहते, तो फीनिक्समे श्री वेस्टके पास जाइये [या श्री छगनलाल गाधीके पास]।[1] मुझे इसमे तनिक भी शका नही कि यदि आप श्री वेस्ट [या श्री छगनलाल गाधी] की एक ऐसी चिट्ठी लेकर श्री लैग्स्टनके पास जायेगे कि आप अपनी गरीबीके कारण वकीलकी फीस देनेकी स्थितिमे नही है तो श्री लैग्स्टनके अन्दरकी फीस लेनेवाली भावना चुप हो जायेगी, उनके हृदयकी मानवीयता उभर आयेगी और वे कोई फीस लिये बिना ही आपको कानूनी सलाह दे देग। किसी भी कागजपर तबतक दस्तखत मत कीजिये जबतक आप फीनिक्स जाकर सलाह न ले ले और वहाँ आपको दस्तखत करनेकी सलाह न दी जाये। यदि फीनिक्स आपको सलाह न दे या सलाहके लिए एक कौडी भी माँगे तो फीनिक्सकी ओर कभी झाँकिये तक नही।

अब मै वेरुलम और आप सभीसे बिदा लेता हूँ। मै यहाँसे कितनी भी दूर क्यो न चला जाऊँ पर यह दृश्य मेरी स्मृतिमे सदा हरा रहेगा। ईश्वर सभी सकटोमे आपका सहायक रहे। आपका अपना आचरण भी ऐसा रहे कि ईश्वर आपकी सहायताको आ सके।

इसके बाद श्री गाधीने कुछ मध्यम स्वरमें अपने पास बैठे यूरोपीयोसे कहना शुरू किया। उन्होने अपने यूरोपीय मित्रोसे उन भारतीयोको माफ कर देनेके लिए कहा जिन्होने उस कठिन समयमें बदलेकी भावनासे चोट की थी। श्री गाधीने कहा कि वे स्वय बदलेकी ऐसी कार्यवाहीसे कोई सरोकार नहीं रखते, पर जीवनमें ऐसे भी अवसर आते हैं जब व्यक्ति अपने आपेसे बाहर हो जाता है, उसकी पशु-प्रवृत्ति उसपर हावी हो जाती है और वह जिसकी लाठी उसकी भैंसवाली बातमें यकीन करके 'ईंटके बदले पत्थर' के हिंसापूर्ण सिद्धान्तमें अमल करने लगता है। उन्होने एक बार फिर अनुरोध किया कि उनको माफ कर देना चाहिए और कहा कि कभी-कभी यूरोपीय मालिक अपने स्वार्थको ज्यादा महत्व देने लगते हैं, उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि गिरमिटिया भारतीय भी आखिर इन्सान ही हैं। मालिकोकी तरह उनकी भी भावनायें हैं। वे पशु तो नहीं हैं, उनमें भी, तो सभी तरहकी कमजोरियाँ और यदि उभरनेका मौका दिया जाये, तो सभी तरहके गुण है। श्री गांधीने अपील की कि गिरमिटिया भारतीयोके लिए साफ-सुथरे मकानोकी व्यवस्था होनी चाहिए और यूरोपीयोको उनके साथ सहयोगी मनुष्योकी तरह पेश आना चाहिए, उनको ऐसे एशियाई नहीं समझना चाहिए जिनके साथ उनका कोई नाता नहीं। गिरमिटिया भारतीय भी अच्छे-बुरेका विवेक रखता है।

१ इंडियन ओपिनियनके स्वर्ण अंक, १९१४में ये शब्द यहाँ जोड़े गये थे।

उसे ऐसी परिस्थितियोमे मत डालिये कि वह घृणित अनैतिकतासे ऊपर न उठ पाये। ऐसा मत समझिये कि उसमे सुधारकी कोई गुंजाइश ही नही है, नैतिकताके हर आग्रहको मानने और नैतिकताके ऊँचेसे-ऊँचे स्तर तक उठनेकी क्षमता उसमे मौजूद है।[1]

उनमें जो कमजोरियाँ ह, उनके लिए उनको पूरा-पूरा दोषी ठहराइए, पर साथ ही कमसे-कम इतना तो मानिये कि उनमे सभी सद्गुणोकी भी सम्भावना है। इतना मान लेनेपर क्या आप अपने भारतीय कमचारियोंके साथ अपने भाइयो-जसा ही व्यवहार नहीं करेंगे? इतना काफी नहीं कि आप अपने पशुओकी तरह उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप उनपर दयाकी दृष्टि रखे, जरूरी यह है कि आप अपनेको मालिकसे कहीं ज्यादा समझें, आप अपने कमचारियोको सहयोगी मनुष्योके रूपमे देखे, ऐसे एशियाइयोके रूपमे नहीं जिनसे यूरोपीयोका कोई नाता ही नहीं। तब, उनका ध्यान रखे जानेपर, कमचारी भी क्रमश और अच्छा रवैया अपनाते जायेंगे। आप अपने कर्मचारियोकी भौतिक और शारीरिक ही नहीं उनकी नतिक उन्नतिका भी विवेकपूर्ण ढगसे ध्यान रखें। आप उनके आचरणपर नजर रखे, उनके बच्चो, उनकी शिक्षा और सफाई आदिका भी ध्यान रखें, और यदि पशुओकी भाँति उनको एक जगह रख देनेपर वे घृणित, अनैतिकतापूर्ण आचरणके दलदलमें ही फँस जायें तो आपको खुद यह सोचकर ग्लानि होने लगेगी कि आपकी निगरानीमे रहनेवाले लोग उस प्रकारके वातावरणमे रहनेके कारण कितने अनैतिक हो गये है। यह मत समझिये कि ये लोग चूँकि समाजके निम्नतम वर्गके है, इसलिए ये सुधर नहीं सकते। वे आपका हर नैतिकतापूण आग्रह मानेंगे और वे निश्चय ही नैतिकतामें उतना ऊँचा उठकर दिखलायेंगे जितना कि किसी अन्य रगके मानवके लिए सम्भव है।

[अग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, १४–७–१९१४ और **इडियन ओपिनियन, स्वर्ण अक**, १९१४

३६३. भाषण: डर्बनकी सभामें[2]

[जुलाई १२, १९१४]

बहनो और भाइयो,

आज मुझे अपने जीवनका सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हुआ है। आप सबने आज मेरे प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है वह अवणनीय है। और आप इतने सारे गिरमिटिया भाई बहनोको देखकर तो मेरे आनन्दकी सीमा ही नही रही हे। आप लोगोने समझौतेके सम्बन्धमे अनेक बाते सुनी होगी, इनमे कुछ झूठ भी है। गिरमिटिया बन्धु अपनी गिरमिट पूरी होनेपर अब स्वतन्त्र होकर रह सकते है और जमीन भी खरीद सकते है, परन्तु मेरे यहासे चले जानेके बाद यदि आप लोग सावधान नही रहे और कमजोर होते चले गये तो सरकार उसका लाभ उठाये बिना नही रहेगी।

१ इसके बादका विवरण **इंडियन ओपिनियन**के **स्वर्ण अक**, १९१४ से लिया गया है।
२ गिरमिटिया तथा अन्य भारतीयोकी यह सभा डर्बनके फुटबाल ग्राउडपर हुई थी।

अत अपने दु खोको दूर करनेके लिए आप लोगोने पिछले वर्ष जैसे प्रयत्न किये वैसे ही प्रयत्न हर सकटके समय अपनाये जाने चाहिए। इसमे मेरी या अन्य नेताओकी उपस्थिति आवश्यक नही है। सकटके समयमे मेरे-जैसे लोगोकी तलाश करनेकी अपेक्षा सत्याग्रहकी तलाश की जानी चाहिए, उसमे आपकी विजय अवश्यम्भावी है।

अब मै आपसे कुछ और निवेदन करूँगा। वे भारतीय जो इस देशमे पैदा हुए है उनकी जन्मभूमि तो यही है। दूसरे भारतीयोकी अपेक्षा उनका यहाँ विशेष अधिकार है। उनका भविष्य भी इसी भमिसे जुडा हे। मै उनसे कहना चाहता हूँ कि वे सावधान रहे। वकील बनने या दूसरे दफ्तरोको भरनेकी अपेक्षा आप अपना ध्यान जमीनकी ओर ज्यादा लगाएँ। और एक समाजके नाते आपको जब-जब सत्ताका सामना करना पडे तब-तब आप उसी हथियारको पुन हाथमे ले जिसका प्रयोग आप पिछले आठ वर्षोसे करते आये है।

गिरमिटिया भाई-बहनो, आप लोगोकी हालत बहुत खराब है। मुझे अनेक लोगोने कहा कि तीन पौडी करके न रहनेसे लाभ? ये बचे हुए पैसे तो कलाल या सुनारके यहाँ चले जायेगे। ये लोग इन दो स्थानोपर लूट लिये जायेगे। यह बात सच है। सुनारोको तो मै कह सकता हूँ कि भाइयो! यह लूटनेका धन्धा छोड दो। इसका परिणाम ठीक नही है। तुम लोग अपने ही भाइयोकी दशा हीन न बनाओ। सोनेमे ताबा या पीतल मिलाकर अपने ही भाइयोको मत लूटो। पर कलालसे कुछ नही कह सकता। वह बात आप लोगोसे ही कहूँगा। यदि आप लोग नशा न करनेकी प्रतिज्ञा कर ले तो कलालोको अपनी दूकाने बन्द करनी पडेगी। मैने अनेक भाई-बहनोको कई बार नशेमे चूर आम रास्तोपर झगडते हुए या लडखडाते चलते देखा है। ऐसे समय मै सोचता हूँ, हाय मेरे भाई-बहनोकी यह दशा! और शराबकी इसी बुरी लतके कारण हम लोग इस देशमे कितने तुच्छ हो गये है। हमने अपनेपनसे बेखबर हो दुराचार और अनीतिके मागको पकड लिया है। हमे यह स्थिति खत्म करनी चाहिए और इसके लिए आगे आना चाहिए हमारे नौजवानोको। उन्हे चाहिए कि जो नासमझ है उन्हे वे समझाएँ, उनसे अनुनय-विनय करे, आजिजीके साथ शराब न पीनेके लिए कहे। उन्हे चाहिए कि वे कलालीके पास कही खडे रहे और वहाँ जानेवाले भारतीयोको वापस लौटाएँ। ऐसा करनेमे उन्हे अपमान सहन करना होगा, मार भी खानी होगी। परन्तु यह सब सहन करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो अवश्य ही इस बुरी लतका अन्त हो जायेगा। और आप सबकी स्थिति सुधरेगी। यहाँके गोरे निवासी भी हमे सम्मानकी नजरसे देखने लगेगे। लोगोकी माली हालत भी सुधरेगी और सन्मागका अनुसरण भी होगा। मेरी आपसे याचना है कि आप लोग इस लतको छोड दे।

आप सबका मेरे प्रति जो स्नेह है उसे मै कभी नही भूलूँगा और भारतमे आपके प्रति मेरा जो फर्ज है उसका सदा ध्यान रखूँगा। मै तो आप सभीका आजीवन गिरमिटिया हूँ अत अपने हृदयसे आपको कभी दूर नही कर सकूँगा। आप भी मुझे न भुलाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–७–१९१४

३६४ विदाई सन्देश[1]

[डर्बन
जुलाई १२, १९१४]

आप हिन्दू, मुसलमान, पारसी, अथवा ईसाई कुछ भी क्यो न हो — भारतीय होनेके नाते मिलकर काम करे। कौमी भेद-भावको भुला दे और अपने दिलमें कभी सकीणता न लाये। [भारतीय] ममाजको जो सम्मान हासिल हुआ है वह तभी कायम रखा जा सकेगा, जब आप सभी मिल-जुलकर काम करेगे। दक्षिण आफ्रिकामे रहते हुए यदि मुझसे किसीकी कोई हानि हुई हो तो वे मुझे क्षमा करे।

[गुजरातीसे[

इडियन ओपिनियन, २२–७–१९१४

३६५ भाषण जोहानिसबर्गमें[2]

[जुलाई १३, १९१४]

श्री गाधी ने कहा, आखिरकार एक ऐसा समझौता तो हो गया जो दोनो पक्षोके लिए सम्मानपूर्ण और सत्याग्रहियोकी प्रतिष्ठाके अनुरूप है, क्योकि सरकारने वे सारीकी-सारी बातें मान ली है जो पिछले वर्ष वार्ता बन्द होनेके पहले श्री काछलियाने अपने पत्रमें[3] उसके सामने रखी थी। सरकारसे कुछ और ज्यादा करनेके लिए कहना सत्याग्रहियोकी ओरसे विश्वासघात होता, जिसमें मै कतई साथ नहीं दे सकता था।

[अग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, १४–७–१९१४

१ गाधीजीने डर्बनसे जोहानिसबर्ग जाते समय यह सन्देश दिया था।

२ गाधीजी और कस्तूरबाके पार्क स्टेशन पहुँचनेपर भारतीयोंके विशाल समुदायने उनका स्वागत किया था। उनके प्रशसकोने एक जुलूस बनाकर बड़े उछाहसे वह गाड़ी खीची जिसमें दोनो बैठे थे। गाधीजीने बादमें 'सोसाइटी थियेटर' में आयोजित एक सभामें भाषण किया।

३ देखिए "पत्र गृह-सचिवको", पृष्ठ १७७-८०।

३६६ भाषण: विदाई-भोजमें[1]

जोहानिसबर्ग
जुलाई १४, १९१४

श्री गांधीने कहा कि आपने, अथवा कहिए परिस्थितियोंने, मुझे आज बड़े असमंजसकी स्थितिमें डाल दिया है। जोहानिसबर्गमें जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने ऐसे समारोहोंमें मुझे अबतक एक मेजबानके रूपमें देखा है। परन्तु आज दुर्भाग्यसे मैं मेहमान बना हुआ हूँ और समझमें नहीं आता कि मैं इस कर्त्तव्यको कैसे निभा सकूँगा। मेजबानके रूपमें मैं समझता हूँ कि मैं अपने लम्बे अनुभवके कारण उसके उपयुक्त था और यदि मैं अत्यन्त नम्रताके साथ कह सकूँ तो कहूँगा कि मैं उसे बखूबी निभाता था, परन्तु मौजूदा स्थिति मेरे लिए और श्रीमती गांधीके लिए सर्वथा नई है और मैं बहुत डर रहा हूँ कि जो नया कर्त्तव्य मुझपर डाला गया है, उसे मैं कैसे निभाऊँगा। श्रीमती गांधीके और मेरे बारेमें, हमारी निष्ठा और आत्मोत्सर्ग एवं अन्य अनेक बातोंके सम्बन्धमें भी बहुत-कुछ कहा गया है। मेरे धर्ममें एक हिदायत है, और मैं समझता हूँ कि वह सभी धर्मोंके लिए सत्य है। हिदायत यह है कि जब किसी व्यक्तिकी तारीफ हो रही हो तब उस व्यक्तिको उस जगहसे दूर चले जाना चाहिए, और यदि वह वैसा न कर सके तो उसे अपने कान बन्द कर लेने चाहिए, और यदि वह इन चीजोंमें से एकको भी न कर सके तो उसे वह सब-कुछ जो उसके सम्बन्धमें कहा गया हो, उस सर्वशक्तिमान दैवी तत्त्वको समर्पित कर देना चाहिए जो विश्वके प्रत्येक जीव और पदार्थमें व्याप्त है। मुझे आशा है कि श्रीमती गांधी और मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे हम, जो-कुछ हमारे बारेमें आज कहा गया है, वह सब उस दैवी तत्त्वको समर्पित कर सकेंगे।

हमें जो मूल्यवान उपहार दिये गये हैं, उनमें सबसे अधिक मूल्यवान हैं वे चार लड़के। शायद श्री चैमने आपको भारतमें गोद लेनेके कानूनके बारेमें तथा श्री एवं श्रीमती नायडूने जो कि पुराने जेलवासी हैं, क्या किया है, इसके बारेमें कुछ बता सकेंगे। हम गोद लेनेकी रस्म पूरी कर चुके हैं और वे अपने चार बच्चोंपर अपना अधिकार त्याग चुके हैं तथा उन्होंने उनकी जिम्मेदारी हमारे (श्री और श्रीमती गांधीके) हाथों

[1] कैलेनबैक, कस्तूरबा और गांधीजीको मैसॉनिक हॉल, जेप्पी स्ट्रीटमें एक विदाई भोज दिया गया था। इस अवसरपर उन्हें ब्रिटिश भारतीय संघ, चीनी संघ, तमिल कल्याण समिति, ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघ तथा गुजराती, मुस्लिम तथा पारसी समाजोंकी ओरसे अभिनन्दनपत्र भी भेंट किये गये थे। समारोहमें एक उल्लेखनीय घटना घटी थी। अपने ४ पुत्र गांधीजीको अर्पित करते हुए सी० के० टी० नायडूने कहा — "मैं और पत्नी अपने चार पुत्रोंको भारतकी सेवामें समर्पित करते हुए गौरवका अनुभव करते हैं।

सौंप दी है। कौन जाने हम उन बच्चोको जिम्मेदारी लेने योग्य है या नहीं। मै केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश करेगे। जब मै टॉल्स्टाय फार्ममें और बादको फीनिक्समें सत्याग्रहियोके लिए स्कूल चला रहा था तब ये चारो बालक मेरे शिष्य रह चुके है। जब श्रीमती नायडू कद हो गई और बच्चे जोहानिसबर्ग ले जाये गये तब मैने सोचा कि मैने ये चारो रत्न गँवा दिये, परन्तु वे रत्न मेरे पास फिर वापस आ गये है। मुझे आशा है कि हम दोनो इस बहुमूल्य उपहारकी जिम्मेदारी निभा सकेंगे।

मेरे लिए जोहानिसबग नई जगह नहीं है। यहा मुझे कई जाने पहचाने चेहरे दीख रहे है जिनमें से बहुतेरे मेरे साथ जोहानिसबगके कई सघर्षोंमे भाग ले चुके है। मैंने जीवनमें बहुत-कुछ देखा है। मेरे भाग्यमे बहुत-से दु ख और कष्ट रहे है, किन्तु इन तमाम वर्षोमें मैने जोहानिसबर्गको प्यार करना भी सीखा है। यद्यपि यह शहर केवल खनिकोका एक केन्द्र है, पर मुझे अपने सबसे अधिक मूल्यवान मित्र यहीं मिले। जोहानिसबर्गमें ही सितम्बर १९०६ में सत्याग्रहके महान् सघर्षकी नींव पडी। जोहानिसबगमें ही मुझे स्वर्गीय श्री डोकके रूपमें एक मित्र, पथ-प्रदर्शक और अपना जीवन-वृत्तान्त-लेखक मिला। जोहानिसबर्गमें ही मुझे श्रीमती डोकके रूपमें एक स्नेहमयी बहन मिलीं, जिन्होने उस समय जब कि मेरे एक देशभाईने मेरे उद्देश्यको तथा जो-कुछ मैंने किया उसे गलत समझकर मुझपर आक्रमण किया था, मेरी परिचर्या कर मुझे जीवन-दान दिया था। जोहानिसबगमें ही मुझे कैलेनबैक, पोलक, कुमारी श्लेसिन और कई अन्य लोग मिले, जिन्होने हमेशा मेरी मदद की और मुझे तथा मेरे देशवासियोको प्रोत्साहन दिया। इसलिए हम दोनो जिन पवित्र स्मृतियोको अपने साथ वापस भारत ले जायेंगे, उनमें सबसे पवित्र स्मृतियाँ जोहानिसबर्गसे सम्बन्धित होगी। और जैसा मने पहले अन्य कई जगह कहा है, मेरे और मेरे परिवारके लिए भारतके बाद सबसे पवित्र भूमि दक्षिण आफ्रिका होगी, क्योकि तमाम कटुताओके बावजूद, इसने हमें जीवन भरके ये साथी दिये है। और फिर जोहानिसबर्गमें ही, उस समय जब कि भारतीय अपने इतिहासके सबसे अँधेरे कालसे गुजर रहे थे, यूरोपीय समितिका गठन हुआ। श्री हॉस्केन उसके अध्यक्ष तब भी थे और अब भी है। अन्तमें एक और बात है जो कम महत्त्वकी नहीं है — जोहानिसबगने वह छोटी लडकी वलिअम्मा दी, जिसका चित्र अभी बोलते समय भी मेरे सामने उभर आया है और जिसने सत्यके लिए अपने जीवनका उत्सर्ग किया। सरल स्वभावकी इस श्रद्धालु बालिकाका ज्ञान वैसा नहीं था, जैसा मेरा है — उसे यह नहीं मालूम था कि सत्याग्रह क्या चीज है, वह यह भी नहीं जानती थी कि इससे समाजको क्या लाभ होगा, किन्तु देशवासियोके प्रति प्रेमकी प्रबल भावनासे वह अभिभत हो गई — जेल गई, वहाँसे लौटी, तब उसका शरीर बिलकुल जजर हो चुका था और कुछ ही दिनोमें वह चल बसी। फिर, जोहानिसबर्गने ही नागप्पन और नारायणसामी जैसे दो प्यारे नवयुवक दिये, जो मुश्किलसे किशोरवय

ही पार कर पाये होंगे। वे भी देशकी वेदीपर चढ़ गये। परन्तु श्रीमती गाधी और मै दोनो आप लोगोके सामने जीवित खडे है। मैंने और श्रीमती गाधीने तो गोया मचपर प्रसिद्धि और सराहनाका आनन्द लेते हुए अपना काम किया, किन्तु उन्होने नेपथ्यमें अज्ञात रहकर अपना काम किया। उन्हे यह भी पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे है, वे केवल इतना ही जानते थे कि वे जो-कुछ भी कर रहे है वह ठीक और उचित है, अत यदि किसीकी प्रशसा करनी ही हो तो वे तीन, जो नही रहे, इनमें सर्वाधिक प्रशसाके पात्र हैं। आप लोग हरबतसिहके नामसे भी परिचित हैं। मुझे उनके साथ जेलमें रहनेका सौभाग्य मिला था। हरबतसिह ७५ सालके थे। वे भूतपूव गिरमिटिया भारतीय थे और जब मने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यो आये है तब उस बहादुर व्यक्तिने जवाब दिया कि "मै यहाँ अपनी मृत्यु खोजने आया हूँ। मुझे मरनेकी परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ, आप किसलिए लड रहे है। आपको तीन पौडी कर नहीं देना पडता, परन्तु मेरे साथी भूतपूव गिरमिटिया भारतीयोको वह कर देना पडता है। अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मेरे लिए उससे अधिक शानदार मौत और कौनसी हो सकती है?" उन्हें यह मौत डर्बनकी जेलमें मिली। इसमें कुछ आश्चय नहीं कि सत्याग्रहने दक्षिण आफ्रिकाकी चेतनाको जागृत और प्रोत्साहित किया, और इसलिए जब-कभी मैं बोला हूँ, मैंने कहा है कि यदि भारतीय समाजने इस समझौतेसे कुछ पाया है तो वह सत्याग्रहके जरिये। किन्तु यह भी निश्चित है कि जो-कुछ मिला है वह केवल सत्याग्रहसे ही नहीं मिला। मेरा खयाल है कि जो तार आज पढकर सुनाया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमें महान् वाइसराय लॉर्ड हार्डिजको भी उनके महान् प्रयत्नोके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि साम्राज्यीय सरकार भी धन्यवादकी पात्र है जो पिछले कुछ वर्षोसे समय-समयपर जनरल बोथाको खरीतेपर खरीता भेजती रही और उनसे माँग करती रही कि वे उसका दृष्टिकोण — साम्राज्यीय दृष्टिकोण — समझें। हमें सघ सरकारको भी धन्यवाद देना है, क्योकि उसने इस बार न्याय-भावनाको अपनाया है। हमें ससदके दोनो सदनोके उन उदारमना सदस्योको भी धन्यवाद देना है, जिन्होने वे ऐतिहासिक भाषण दिये और समझौता करवाया। अन्तमें हमे विरोधी दलको भी धन्यवाद देना है, जिसने नेटाली सदस्योके असहमति-सूचक रुखके बावजूद विधेयक पास करवानेमें सर-कारका साथ दिया। इन सब बातोपर विचार करे तो समझमें आ जाता है कि जो सेवाएँ मैंने और श्रीमती गाधीने की होगी वे बहुत मामूली ही है। हम तो उन तमाम उपकरणोमें से, जिनके जरिये समझौता हुआ, दो उपकरण-मात्र थे। और वह समझौता क्या था? मेरी नम्र रायमें यदि हम इस बातपर ध्यानसे विचार करे तो समझौतेका महत्व उन चीजोमें नहीं जो हमें मिली है, बल्कि उन दुखो और कष्टोमें है जो एक लम्ब अरसे तक उठाये गये, और जो इन वस्तुओकी उपलब्धिके लिए आवश्यक भी थे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आये और उसे मालूम हो कि दो साधारण व्यक्तियोको इसलिए दावत दी जा रही है कि उन्होने एक ऐसे समझौतेमें छोटा-सा

काम किया, जिससे गिरमिटिया भारतीयोको एक ऐसे करसे मुक्ति मिली, जिसे अदा करनेके लिए उनसे कभी कहना ही नहीं चाहिए था, और यदि उस आगन्तुकसे यह भी कह दिया जाय कि विवाहके सम्बन्धमें भी उन्हे कुछ राहत दी गई है और उनकी पत्नियाँ, जिनके साथ उनका अपने धर्मके अनुसार विवाह हुआ है और जो अबतक उनकी वैध पत्नियाँ नहीं मानी जाती थीं, अब इस समझौतेके कारण दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार वैध पत्नियाँ मानी जायेगी, तो वह हँसेगा और समझेगा कि वे भारतीय या यूरोपीय, जो इस भोजमें हमारे साथ शामिल हुए है और जो प्रशसाओके पुल बाँध रहे है, सब मूख है। एक ऐसे असहनीय बोझको हटवा देनेमें, जो वर्षों पहले हटा दिया जाना चाहिए था, इतने फूल उठनेकी क्या बात है? दक्षिण आफ्रिका जसे स्थानमें वैध पत्नीको मान्यता मिलना कोई बडी बात नहीं है। परन्तु, आज मै श्री डकनके उस लेखसे सहमत हूँ जो उन्होने कुछ वष पहले लिखा था। उसमें उन्होने सघषका वास्तविक निरूपण करते हुए लिखा था कि ठोस अधिकारोके उस सघषके पीछे एक उदात्त मनोभाव निहित है जो न्यायके अमूत सिद्धान्तका आग्रह करता है और जो सघर्ष १९०६ में शुरू किया गया था वह यद्यपि एक विशेष कानूनके विरुद्ध छेडा गया था, फिर भी उसका मन्शा उस भावनाका मुकाबला करना था जो सारे दक्षिण आफ्रिकापर हावी होती जा रही थी तथा जिससे उस शानदार ब्रिटिश सविधानकी जडें खोखली होती दिखाई देती थी जिसके बारेमें अध्यक्षने आज इतने उदात्त विचार व्यक्त किये हैं। उनके इन विचारोसे मैं भी सहमत हूँ। मेरा ब्रिटिश सविधानके विषयमें सही अथवा गलत ज्ञान ही मुझे साम्राज्यसे बाधे है। उस सविधानकी धज्जियाँ उडनेपर मेरी राजभक्तिकी भी धज्जियाँ उड जायेंगी। सविधानको ज्योकात्यो बनाकर रखिए और आप देखेंगे कि मै सविधानका दास बन जाऊँगा। जब यह भावना दक्षिण आफ्रिकापर हावी हो गई थी तब मने महसूस किया कि मेरे और मेरे देशभाइयोके सामने दो मार्ग है, जिनमें से हमें एकको चुनना है। या तो हमें अपनेको ब्रिटिश सविधानसे बिलकुल अलग कर देना है या उस सविधानके आदर्शोंको बनाये रखनेके लिए सघर्ष करना है, किन्तु केवल आदर्शोंको बनाये रखनेके लिए ही। श्री डोककी पुस्तककी भूमिकामें[1] लॉर्ड ऐम्टहिलने कहा है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यको उन भूलोसे बचाना है जो पूर्ववर्ती साम्राज्योने की है, तो ब्रिटिश सविधानके सिद्धान्तोको हर मूल्यपर बनाये रखना चाहिए। सम्भव है कि स्थानीय परिस्थितियोके कारण मजबूर होकर कुछ समयके लिए अस्थायी तौरपर व्यवहारमें नियम भग करना पडे, सम्भव है कि तर्कहीनता और अनुचित पूर्वग्रहोके सामने व्यवहारमें झुकना पडे, किन्तु सविधानके आधारभूत सिद्धान्तसे, एक बार उसे मान लेनेपर, कदापि दूर नहीं हटा जा सकता और यह सिद्धान्त हर मल्यपर बनाये रखना चाहिए। और यही सही भावना है जिसे सघ-सरकारने स्वीकार किया है—और कितने भव्य और उदात्त ढगसे स्वीकार किया

१ देखिए खण्ड ९, परिशिष्ट १८।

है! वे शब्द, जिनपर जनरल स्मट्स अक्सर जोर देते थे, अब भी मेरे कानोमें गूँज रहे है। उन्होने कहा था — "गाधी, इस बार हम कोई गलतफहमी नहीं चाहते, हम कोई भी दिमागी या अन्य प्रकारके दुराव-छिपाव नही चाहते, सभी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए और मै चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि कोई लेखाश या शब्द आपके अथसे मेल नही खाता तो आप वहाँ मुझे बता दें"। और ऐसा ही हुआ। इसी भावनाको लेकर उन्होने बातचीत चलाई। म उस समयके जनरल स्मट्सको याद करता हूँ, जब कि कुछ वर्ष पूव उन्होने लॉर्ड क्रूको कहा था कि "दक्षिण आफ्रिका अपनी प्रजातीय भेदभावकी नीतिसे हटेगा नहीं, उसे भेदभाव जारी रखना ही पडेगा और इसलिए इस प्रवासी कानूनमें जो दश है उसे हटाया नहीं जायेगा।" बहुत-से मित्रोने जिसमें लॉर्ड ऍम्टहिल भी थे, हम लोगोसे प्रश्न किया कि क्या आप लोग फिलहाल अपनी कार्रवाई मुल्तवी नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया 'नहीं।' मेरा कहना था कि यदि भारतीय वैसा करते है तो इससे मेरी राजनिष्ठाकी नींव ढह जायेगी और चाहे मे अकेला ही क्यो न रह जाऊँ, मै लडता रहूँगा। लॉड ऍम्टहिलने मुझे बधाई दी और उस महान और श्रेष्ठ व्यक्तिने इस सघर्षमे हमारा साथ कभी नहीं छोडा — उस समय भी नहीं, जब उसका वेग बहुत मन्द हो गया था। और इसका परिणाम हमें आज नजर आ रहा है। अपनेको विजयी मानकर हम अपनेको बधाई देने लगें, इसका कोई कारण नहीं है। विजय प्राप्तिका तो कोई प्रश्न ही नही उठता। प्रश्न था एक सिद्धान्तकी स्थापनाका और वह सिद्धान्त यह है कि जहाँतक कमसे-कम दक्षिण आफ्रिकी सघका सम्बन्ध है, उसका विधान कभी भी जातीय भेदसे दूषित नही होगा, और न उसमें रगकी निर्योग्यता ही होगी। व्यवहार निश्चय ही भिन्न प्रकारका होगा, जैसा कि प्रवासी-कानूनमें है। वह जातीय भेदभाव स्वीकार नहीं करता, परन्तु कायरूपमे हमने व्यवस्था कर ली है। हमने वचन दिया है कि भारतसे आवश्यकतासे अधिक आव्रजन नहीं होना चाहिए। मौजूदा पूर्वग्रहकी तुष्टिके लिए गोया हमने उसे यह छूट दी है। ऐसा करना सही था या गलत, इस पर मै अभी कुछ नहीं कहूँगा। मुख्य बात यह है कि सघर्षका उद्देश्य इस सिद्धान्तकी स्थापना करना था और इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्यमें वह महत्त्वपूर्ण बन गया था, और इसीलिए हमारा यह कष्ट झेलना पूण रूपसे उचित तथा हमारे लिए सम्मानप्रद था। और मै समझता हूँ कि यदि हम सघर्षपर इस दृष्टिसे विचार करे तो अवश्य ही किसी भी सभाके लिए यह सर्वथा उचित है कि वह ब्रिटिश सविधानके सिद्धान्तोकी इस प्रकार स्थापनाके लिए अपनेको बधाई दे। समझौतेके बारेमें मै एक बात सावधानीके तौरपर कहना चाहता हूँ। वह यह कि समझौता दोनो ही पक्षोंके लिए सम्मानपूर्ण है। मै समझता हूँ कि उसमें गलतफहमीकी कोई गुजाइश शेष नहीं रह गई है, परन्तु जहाँ वह इस अर्थमें अन्तिम है कि उससे एक बडे सघर्षका अन्त हो गया है, वहाँ इस अर्थमें अन्तिम नही है कि उसने भारतीयोको वह सब-कुछ दे दिया है जिसे पानेका उन्हे अधिकार है। अभी भी स्वर्ण-कानून है, जिसमें बहुत-सी दुखदायी

बातें हैं। संघ-भरमें परवाना कानून भी अभी मौजूद है और उनमें भी यही दोष है। ऐसा ही एक और मामला है, जिसे खासकर उपनिवेशमें जन्मे भारतीय समझ या पसन्द नहीं कर सकते, उन्हे अपने-अपने प्रान्तकी सीमाके अन्दर ही रहना पडता है। यूरोपीयोके लिए प्रान्तोके बीच आने-जानेकी तथा अन्तर्प्रवासकी स्वतन्त्रता है, किन्तु भारतीयोको अपने ही प्रान्तोमे बँधा रहना पडता है। फिर उनकी व्यापारिक गतिविधियोपर अनुचित नियन्त्रण है। जमीन-जायदाद रख सकनेकी ट्रान्सवालमें मनाही है जो अपमानजनक है और ये सब चीजें भारतीयोको हर प्रकारके अवाछनीय तरीकोकी ओर ले जाती है। ये सब नियन्त्रण हटाने होगे। परन्तु मेरे विचारमें इसके लिए पर्याप्त धैर्यका उपयोग करना होगा। अब हमारे पास समय है और लहजेमें आश्चयजनक तबदीली आ गई है। यहाँ केप टाउनमें मुझे बताया गया है, और मुझे उसपर पूरा विश्वास है कि श्री ऐन्ड्रयूजके व्यक्तित्वका प्रभाव उन सब राजनयिको और प्रमुख व्यक्तियोपर पडा है जिनसे वे मिले थे। वे आये और थोडे ही समय बाद चले गये, परन्तु निश्चय ही उन्होने उन लोगोमें, जिनसे वे मिले, उस साम्राज्यके प्रति कर्त्तव्यकी भावनाको, उभारा, जिसके वे सदस्य हैं। परन्तु कुछ भी हो, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियोके कारण वह स्वस्थ लहजा आया हो, वह आया अवश्य है। मैंने उसे उन यूरोपीय मित्रोमें पाया जिनसे मै केप टाउनमें मिला, डर्बनमें उसे मैंने और भी सम्पूर्ण रूपमें देखा और इस बार मुझे रेलगाडीमें बहुत-से ऐसे यूरोपीयोसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ जो सर्वथा अपरिचित थे। उन्होने मुस्कराते हुए आगे बढ़कर मुझे "इस बडी विजय" पर — बकौल उनके — बधाई दी। वह स्वस्थ लहजा मैंने हर जगह पाया। मैंने यूरोपीय मित्रोसे कहा कि वे यूरोपीय समितिके जरिये या अन्य जरियोसे उस कार्य-विधिको जारी रखें, मेरे देशभाइयोको मदद दें और साथ ही उन्हें यह सहानुभूति भी दें ताकि वे अपनी मुक्तिके लिए प्रयत्न कर सकें और उसे प्राप्त कर सकें।

मै अपने देशभाइयोसे कहूँगा कि आप इन्तजार करें और समझौतेका पालन करे। मेरे विचारमें परिस्थितियो आदिका खयाल करते हुए इस समझौतेसे अधिककी आशा नहीं की जा सकती थी। मुझे आशा है, आप देखेंगे कि हमारे यूरोपीय मित्रोके सहयोगसे जो वायदा किया गया है वह बराबर पूरा किया जा रहा है, मौजूदा कानूनोको न्याय-पूर्वक लागू किया जा रहा है, और निहित अधिकारोको प्रशासनमे मान्यता मिलती है और जब ये सब बातें पूरी तरह रूढ़ हो जायें तब यदि आप यूरोपीय लोकमतको अपने अनुकूल बनाकर तत्कालीन सरकारके लिए यह सम्भव कर देते है कि वह वे दूसरे अधिकार भी आपको वापस दे दे जो आपसे छीने गये है, तो फिर मै नहीं समझता कि भविष्यमें डरका कोई कारण रह जाता है। मै समझता हूँ कि यदि परस्पर सहयोग और सद्भावना रहे तथा दोनो ओरसे समुचित प्रतिक्रिया होती रहे तो भारतीय समाज उस सरकार या किसी अन्य सरकारके लिए कमजोरीका कारण कभी भी नहीं बन सकता। बल्कि मुझे अपने देशभाइयोपर पूरा भरोसा है कि यदि उनसे अच्छा व्यवहार

किया गया तो वे हमेशाके अनुरूप योग्य व्यवहार करेंगे और मौजूदा सरकारकी मदद करेंगे। अनेकों अवसरोंपर यदि हमने अपने अधिकारोंपर जोर भी दिया है तो मैं आशा करता हूँ कि उपस्थित यूरोपीय मित्रोंको यह भी स्मरण होगा कि हमने अपने उन उत्तरदायित्वोंको भी निभाया है जो हमारे सामने आये।

और अब समय हो गया है जब मुझे अपना भाषण समाप्त करना है और विदाईके सम्बन्धमें ही कुछ शब्द कहने हैं। मैं नहीं जानता कि मैं उन शब्दोंको कैसे कहूँ। मेरे जीवनके उत्तम वर्ष दक्षिण आफ्रिकामें बीते हैं। जैसा कि मेरे ख्यातिप्राप्त देश-भाई श्री गोखलेने मुझे स्मरण दिलाया था, भारत मेरे लिए एक अनजान देश हो गया है। मैं दक्षिण आफ्रिकाको जानता हूँ, किन्तु भारतको नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चीज भारत जानेको विवश कर रही है। परन्तु मैं यह भली-भाँति जानता हूँ कि आप सबसे जुदा होना, उन यूरोपीय मित्रोंसे अलग होना, जिन्होंने मुझे अच्छे-बुरे समयमें मदद दी — एक भारी प्रहार है, यह एक ऐसा प्रहार है जिसे सहन करनेमें मैं बिलकुल असमर्थ हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि मुझे आप सबसे जुदा होना है। मैं केवल अलविदा कह सकता हूँ और आप लोगोंसे आशीर्वाद देनेके लिए कह सकता हूँ। मैं आप लोगोंसे अपने लिए यह प्रार्थना करनेको कहूँगा कि हमें जो प्रशंसा मिली है उससे हमारी बुद्धि भ्रमित न हो, हमें अपनी योग्यताके अनुसार अपना कर्त्तव्य निभानेका ज्ञान बना रहे और हम अभी भी यही याद रखें कि हम जो भी करें उसमें हमारा पहला, दूसरा और अन्तिम लक्ष्य अपने अन्तःकरणकी स्वीकृति पाना ही होना चाहिए और तब जो भी हमारा प्राप्य होगा वह हमें अपने समयपर मिल जायेगा।[1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक, १९१४।

३६७. भेंट : 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको

[जोहानिसबर्ग
जुलाई १४, १९१४]

मैं हमेशाके लिए भारत जा रहा हूँ। और इस इरादेसे जा रहा हूँ कि कभी लौटकर नहीं आऊँगा, और यदि कभी मुझे दक्षिण आफ्रिका आना पड़े या भारत छोड़ना पड़े तो यह ऐसी ही परिस्थितियोंमें होगा जिनपर मेरा वश न हो। फिलहाल मुझे उन परिस्थितियोंका कोई अन्दाज नहीं है।

मैं समझता हूँ कि समझौता दोनों पक्षोंके लिए नितान्त सम्मानजनक है। मेरा खयाल है कि जनरल बोथा और जनरल स्मट्स — दोनोंने अधिकसे-अधिक न्याय

१. इसके बाद सभाको कैलेनबैकने धन्यवाद दिया। कुमारी श्लेसिनको एक अभिनन्दन पत्र समर्पित किया गया। डॉ० क्राउजके भाषणसे कार्यक्रम समाप्त हुआ।

किया है। उन्होने किसी भी तरहका कोई मानसिक दुराव नही रखा। जनरल स्मट्सकी यही एक इच्छा थी कि कोई भी गलतफहमी न रहने पाये और इसीलिए उन्होने अत्यधिक व्यस्त रहनेपर भी मुझे हर बार खुशीसे भेट दी ओर प्रत्येक स्थितिमे भारतीय दृष्टिकोणको समझनेकी कोशिश की।

और मै यह निश्चित रूपसे महसूस करता हूँ कि विरोधी दलने पूरे मनसे जो सहयोग दिया उससे बढकर और कुछ नही हो सकता था।

वास्तवमे सिनेट और विधान सभा दोनोमे हुई बहसकी सम्पूण भावना, नेटालकी विसवादी टिप्पणीके बावजूद ऊँचे शाही ढगकी थी। और यदि फाजिल आदोलनसे मेरे ही देशवासियो अथवा यूरोपीयोने वातावरण दूषित करके समझोतेके अच्छे प्रभावको नष्ट कर दिया तो यह बडे खेदकी बात होगी। प्रवास और ऐसे ही अन्य मामलोमे समझौता यूरोपीयोकी सभी उचित मॉगोका ध्यान रखते हुए उस मुद्देको पूरी तरह स्वीकार करता है, जिसके लिए भारतीय पिछले आठ वर्षोसे सघष और कष्ट सहन करते आ रहे थे। मुझे अपनी पूरी यात्रामे जो यूरोपीय सज्जन मिले उनका रुख आदर्श था। उनमे से बहुतोको इस समस्याके बारेमे कुछ भी नही मालूम था और वे लोग मुझे भी बिलकुल नही जानते थे।

[सवाददाता] **क्या सघर्ष, वास्तवमें, समाप्त-प्राय है——क्या भारतीय यहाँ राजनीतक समानताके लिए, अलबत्ता वैधानिक ढगसे, सघष नहीं करेंगे?**

हमने कभी भी राजनीतिक समानताकी माग नही की। हमे उसके मिलनेकी आशा नही है।

आप मताधिकार चाहते हैं?

नही, उस सम्बन्धमे मेरा विचार है कि राजनीतिक मताधिकारका प्रश्न बिलकुल अलग छोड दिया जाये, और मेरी दृढ धारणा है कि सत्याग्रह मताधिकारसे सहस्र गुना बढकर है। मैने कभी मताधिकारकी माँग नही की। मैने हमेशा जिस बातपर जोर दिया वह है जातीय भेदभावको दूर करना। मैने समानतापर जोर नही दिया।

इसके बाद श्री गाधीने अपने जीवनकी कुछ असाधारण घटनाएँ सुनाईं, विशेषकर उन्होने पिछले वर्ष नवम्बरमें भारतीय सत्याग्रहियो द्वारा ट्रान्सवालके कूचके बारेमें बताया और कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें मुझे इसी घटनाने आश्चर्य-चकित किया है।

उस कूचके कारण मैने मानव प्रकृतिको और अधिक प्यार करना सीखा और इसीके कारण यह बात मेरी समझमे आई कि अगर मानवीय भावना विकसित है तो फिर लोग चाहे भारतके हो चाहे यूरोपके, धरती पूवकी हो चाहे पश्चिमकी, मनका तार एक ही स्वरमे झकृत होगा।

कूच सम्बन्धी अपने और भी अनुभवोकी चर्चा करते हुए श्री गाधीने उस समय जो कठिनाइयाँ आई थीं उनके बारेमें तो कुछ नहीं कहा, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वे उन्हें भूल ही गये हो, किन्तु अज्ञात व्यक्तियोने दयाभावसे जो छोटे-छोटे कार्य किये थे उन्हें याद किया और बताया कि एक स्टेशन मास्टर मेरे लिए एक ग्लास दूध, दो एक

उबले अंडे और अन्य बहुत-सी ऐसी स्वादिष्ट चीजें ले आया जो एक भूखे आदमीको ललचा सकती थीं।

उन्हे लेनेसे इनकार करना हृद दर्जेकी कृतघ्नता मालूम पडती थी, परन्तु मै अपनी प्रतिज्ञापर दढ रहा और मैने स्टेशन मास्टरको समझाकर बताया कि मै कदाचित् ही अडे खाता हूँ और जो दूध एव अन्य वस्तुएँ आप लाये है उनका उपभोग नही कर सकता, क्योकि मुझे अपने साथ वही बरताव स्वीकार करना है जो अन्य साधारण लोगोके साथ होता है। ऐसा लगा कि उन्हे इससे ठेस पहुँची और इसके लिए मुझे खेद भी हुआ, परन्तु मेरे मनमे अकृतज्ञताकी भावना नही थी। आशा करता हूँ कि वे दयावान सज्जन भी मेरा भाव समझ गये होगे।

एक अन्य स्थानपर एक होटलके मालिकने मुझसे कहा — "आप काँप रहे है। मेरे होटलमे आइये, मै आपको जगह दूँगा।" मैने उसे धन्यवाद दिया, किन्तु उसकी बात नही मानी और अपने साथियोकी ओर इशारा करते हुए कहा, "वे भी ठड महसूस कर रहे है और काँप रहे है" उसने कहा, "मगर आप यह क्यो समझ रहे है कि मै आपको बरामदेमे रखूगा, मै आपको एक कमरा दूगा।" मै उसका दयापूर्ण प्रस्ताव न माननेके लिए मजबूर था।

एक अन्य स्थानपर हम पहुँचे, वहाँ एक महिलाने जो एक छोटा-सा स्टोर चला रही थी, जो-कुछ भी उसके पास था हमारे सामन रख दिया। मेरे समझाने-बुझानेपर भी वह अपनी ही कहती रही। उसने कहा — "यद्यपि, आप सब भारतीय है, आप कष्ट सहन कर रहे है और मेरी समझमे मुझमे मदद करनेकी सहानुभूतिपूण पुरानी ब्रिटिश-भावना पर्याप्त मात्रामे शेष है।" चार्ल्स टाउन और न्यूकैसिलमे पूरे समाजने हमारी और हमने उनकी मदद की। किसी प्रकारकी बदमजगी नही हुई, न किसी प्रकारका दुराव-छिपाव ही रहा।

कूच शुरू करनेसे पहले मैने लोगोको समझाया कि यदि आप अपना बोझ दूसरोके कधोपर न रखकर स्वावलम्बी रहे तो विजय आपकी ही होगी। इसे समझनेमे उन्हे कुछ समय लगा, परन्तु इसी शर्तपर मैने उन्हे अपने साथ आनेकी अनुमति दी। इस तरह हमारी सेना अपने मार्गपर दृढ़ रही। हम सुबह सूर्योदयसे पूर्व उठ खडे होते और दिनके खानेसे पहले अधिकसे-अधिक जितना रास्ता तय कर सकते, तय करते। उसके बाद खुराकमे थोडी-सी रोटी और चीनी लेनेके लिए ठहर जाते। आप मानेगे कि यह एक आश्चर्यजनक बात है कि दो हजार लोगोने बिना कानून भग किये, बिना कुछ चुराये या उपद्रव किये यात्रा की।

उन्होने यह भी कहा कि सघर्षके उन दिनोमें व्यक्तिगत रूपसे मुझे तथा उनके परिवारको जैसा व्यवहार प्राप्त हुआ इसकी प्रशसाके लिए मेरे पास शब्द नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, १५-७-१९१४

शहीद-स्मारकका उदघाटन

(पृष्ठ ४७७ ७९)

३६८ पत्र · दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोको

[जोहानिसबर्ग
जुलाई १५, १९१४के पूव]

प्यारे भाई अथवा बहन,

मै दक्षिण आफ्रिका छोडकर जा रहा हूँ। इस समय मेरा मन दो शब्द लिख जानेको चाहता है।

इस देशमे [अपने प्रति] भारतीयोके प्रेमका मैने जो अनुभव किया है वह अगाध है। मेरा विश्वास है कि ऐसा प्रेम दिखानेवाली प्रजा सदैव उन्नति करेगी। 'हमारा समाज अकृतज्ञ है', मै ऐसे शब्द सुनता हूँ। मेरा अन्त करण यह साक्षी देता है कि ये अज्ञानवश और उतावलीमे कहे हुए शब्द है। यदि भारतीय समाज ऐसा होता तो मुझे भारतका पुत्र कहलानेमे अभिमान न होता और 'हिन्द दुनियानो विसामो छे'[1] यह भव्य कविता [भी] मै शुद्ध मनसे नही गा सकता।

मैने भारतीयोके अलौकिक प्रेमका अनुभव किया है, फिर भी कुछ-एक व्यक्तियोने यह मान लिया है—और दूसरोने उनके इस विश्वासको उत्तेजन दिया है कि वे मेरे शत्रु है। लेकिन मै उनको अपना शत्रु नही मानता। विरुद्ध बोलनेवाले लोग अनेक बार सच्चे मित्र साबित होते है। मेरे सम्बन्धमे भी वैसा ही है या नही, फिलहाल मै इसपर विचार नही करता। लेकिन मै यह बताना चाहता हूँ कि वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं, इसमे मै सर्वथा निर्दोष नही हूँ। मेरे [मन] मे यदि उनके प्रति पूण प्रेम-भाव हो तो वे मुझपर कटाक्ष कर ही नही सकते। किन्तु ऐसा सम्पूण प्रेम करनेवाला भाग्यवान व्यक्ति विरला ही हो सकता है। जबतक ऐसा सम्पूर्ण प्रेम मुझे नही सधता तबतक मै उनका विरोध सहन करूँगा, उनको मै अपना शत्रु नही मानूगा।

इस देशमे भारतीयोके शान्तिसे रहनेके सरल और उत्तम उपाय है। [अमुक] हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी [है] इस धर्म-द्वेषको भूल जाओ। बगाली, मद्रासी, गुजराती, पजाबीके प्रान्तीय भेदको नष्ट कर दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्णोंमे विभाजित करनेवाले ऊँच-नीचके विचारोको त्याग दो। सब भारतीयोको एक ही कानूनका मुकाबिला करना है, उसके विरुद्ध हम अलग-अलग होकर कैसे लड सकते है?

हमको सत्यका पालन तो करना ही होगा। इस देशमे [रहनेवाले] सब भारतीय सत्यका पालन करेंगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ है, यह मै समझता हूँ। लेकिन इतना तो किया ही जाना चाहिए कि हम मोटे तौरपर सत्यका पालन करनेमे समर्थ बने। नही तो भारतीय, भारतीय तथा मनुष्यकी हैसियतसे यहाँ रह ही नही सकते।

१ भारत ससारकी विश्रामस्थली है।

जब-जब दु ख पडेगे तब-तब धीरजके साथ उनके विरुद्ध सघष करना पडेगा। स्वार्थमे अन्धे होकर तथा दुबलतावश यदि भारतीय दु खोसे नही जूझेगे तो दु ख उन्हे एक-न-एक दिन अवश्य घेर लेगे।

यदि नेतागण स्वार्थी-लोभी, आलसी, झूठे और विषय-भोगी हो तो आम जनता कभी भी उन्नति नही कर सकती। इसी प्रकार अगर जनता पिछडी हुई हो तो दोष इसमे नेताओका माना जायेगा, और वे ही पापके भागी भी होगे।

बम्बईसे आनेवाले भारतीय, कलकत्ता तथा मद्रासके निवासी भारतीयोके प्रति बहुधा बेरुखी और उदासीनताका भाव प्रकट करते है। अभी तक अपनी भाषामे 'कोलचा' शब्दका प्रयोग होता है। ऐसा व्यवहार भयानक है और यदि इसका अन्त न हुआ तो इससे समाजको कष्ट होगा। बम्बईवाले यह तो जानते ही है कि कलकत्ता तथा मद्रासके भाई उनसे कही अधिक है। इसलिए स्वाथको देखते हुए भी कलकतिया तथा मद्रासी भाइयोके प्रति हमे मैत्रीका भाव प्रदर्शित करना जरूरी है।

सभी भारतीय उपनिवेशमे जन्मे भारतीयोका तिरस्कार करते है। इसे मै उनकी भूल मानता रहा हूँ और आज भी मानता हूँ। उपनिवेशमे जन्मे भारतीयोमे दोष है, लेकिन दोष किसमें नही है? उनमे गुण भी बहुत है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सत्याग्रहकी लडाई इस देशमे जन्मे भारतीयोके कारण ही चमकी है। यही पैदा हुए अनेक भारतीय और स्त्रियाँ जेल गये है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरा ऐसा अनुभव है कि उपनिवेशमे जन्मे शिक्षित और अशिक्षित भारतीयोको उत्तेजन देकर समाज पुण्य कमायेगा और आगे जाकर इसका उसे फल मिलेगा।

हम लोग बहुत गन्दे है और पैसेके लोभसे इतनी नीचताका व्यवहार करते है कि गोरी प्रजा खीझ उठती है, इसमे उनका दोष नही है। यदि नेतागण प्रयत्न करे तो जो गन्दगी देखनेमे आती है वह दूर हो सकती है। एक-एक कोठरीमे अनेक व्यक्ति सोते है। उसीमे अनाज और मेवा आदि रखते है। कोठरीको कभी साफ नही करते। पाखाने भी बहुत ही गन्दे रहते है। चारपाइयोको कभी धूपमे नही डालते, खिडकियाँ नही खोलते, धूल नही झाडते [और] एक ही कोठरीमे सोते, भोजन पकाते, नहाते व बैठते है — यह स्थिति करुणाजनक है। इससे हम इसी ससारको नरक बना डालते है। इस स्थितिमे परिवतन होना ही चाहिए।

समाजमे सोनेके तस्कर व्यापारका अपराध बढता जाता है। कुछ भारतीय एकदम धनवान बननेके लिए उतावले हो रहे है। वे [स्वय] कष्ट उठायेगे और समस्त समाज पर कलकका टीका लगायेगे। मै कामना करता हूँ कि वे अपने ऊपर अकुश लगाये।

तमिल और कलकतिया भारतीयोकी भाँति गुजराती भी शराब पीनेकी बुरी आदतके गुलाम हो गये है। जो भारतीय उन्हे इससे उबार लेगा वह बहुत बडा पुण्य-कार्य करेगा। यदि व्यापारी भाई चाहे तो उनका इन दयनीय [और] अपग भारतीयोपर अच्छा प्रभाव पड सकता है।

मै यह मानता हूँ कि जो समझौता हुआ है वह हमारी स्वतन्त्रताका अधिकार-पत्र है। इससे हमे जितना प्राप्त हुआ है उससे कम तो हम ले नही सकते थे और उससे

अधिक फिलहाल मिल नही सकता। इसीसे मेरा आग्रह है कि जो मिला है उसे सँभाल कर रखना चाहिए और यदि उसमे से कुछ सरकार वापस ले तो उसके विरुद्ध सघष करना चाहिए। समझौतेका जो अथ हम करते है, अथवा यो कहिए मै करता हूँ, यदि सरकार अथवा अदालत उसका विपरीत अथ करे, और सरकार उस अथमे सशोधन करनेमे इनकार कर दे तो सवषका समुचित कारण उपस्थित हो जायेगा तथा सरकार-पर वचन-भग करनेका आरोप लगेगा।

फिलहाल सबसे बडी कठिनाई व्यापारी परवाना अधिनियमके सम्बन्धमे होगी। उसमे भी जहा सघ-सरकारका शासन है वहाँ हमें अधिक राहत प्राप्त हो सकेगी। लेकिन जहा परवाने नगरपालिकाके हाथमे है वहाँ बहुत दिक्कत होगी। इसका एक ही उपाय है और वह यह कि जहाँ-जहा परवाने छीने जाये वहा-वहाँ सघष करे, अदालतोमे अपील करे, सरकारको प्राथनापत्र दे तथा सभाएँ करके विरोधमे प्रस्ताव पास किये जाये। फिर भी यदि कोई सुनवाई न हो तो सत्याग्रह ही एक उपाय बच जायेगा। परवानोको लेकर सत्याग्रह बडी आसानीसे किया जा सकता है। फेरीवाले भी हिम्मत कर ले तो परवानोसे सम्बन्धित सघर्ष थाडा-बहुत सफल हो सकता हे। सम्भव है कि व्यापारियोको कुछ काल तक दु ख सहन करने पडे। मुझे उम्मीद हे, वे सकटकी घडीमे अपने कत्तव्यका पालन करनेसे नही चूकेगे। हमे व्यापार करनेके सम्बन्धमे पूरी स्वतन्त्रताकी माँग करनी चाहिए और वह हमे मिलनी चाहिए। [यह] सब कुछ व्यापारियोपर निभर करता है।

ट्रान्सवालका स्वण-क़ानून बहुत कष्टदायी है। जो व्यक्ति विभिन्न स्थानोमे इस समय व्यापार कर रहे है, समझौतेमे उनके व्यापार करते रहनेकी व्यवस्था है। वे उन्ही नगरोमे अपनी दूकानोकी जगह बदलते रह सकते है लेकिन दूसरे नगरोमे नही जा सकते। "वर्तमान अधिकारो" की धारामे यह बात आ जाती है। सरकार यदि इससे कम दे तो समझौता भग हुआ माना जायेगा। इससे अधिक लेनेके लिए अलगसे मेहनत करनी पडेगी और वह भी मेरे विचारसे फिलहाल एक दम नही। हमे इस बातका बहुत ध्यान रखना पडेगा कि हमे अन्धकारमे रखकर कही इससे सम्बन्धित कोई कठोर कानून न बन जाये। स्वण-कानूनको लेकर भी यदि बहुत अत्याचार हो तो सत्याग्रह आसानीसे छेडा जा सकता है।

मुझे फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई नही पडती कि हम ट्रान्सवालके १८८५ के कानूनके[1] सम्बन्धमे कुछ कर सके।

विवाहके प्रश्नको लेकर हमे जो-कुछ मिला है अभी उससे अधिक मिलना सम्भव नही है। इसके लिए प्रयत्न करना, दूसरे अन्य महत्वपूण कार्योमे खलल डालनेके समान है। अभी जो कानून बना है, दूसरी जगह उससे अच्छा कानून नही है।

मताधिकार अथवा भारतसे आनेवाले भारतीयोके लिए प्रवेशाधिकारके सम्बन्धमे सघष करनेकी हमे आवश्यकता नही। मेरा विचार है, हमे फिलहाल इसी बातसे सन्तोष करना होगा कि कानूनसे यह कालिख पुछ गई।

१ देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१।

लेकिन यदि समाज दृढ तथा साहसी बना रहे, सत्य बोले और एकतासे रहे तो पन्द्रह वर्षके भीतर निम्नलिखित उद्देश्य पूरे हो सकेंगे—

१ व्यापार करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता,

२ समस्त प्रान्तोंमें भू-स्वामित्वके पूर्ण अधिकार, और

३ एक दूसरे प्रान्तमें आने-जाने तथा रहनेकी छूट।

इन परिणामोंकी उपलब्धिके लिए परवाना-कानून, स्वर्ण-कानून, कस्बा आदि नियम, १८८५ का कानून ३ तथा प्रवासी कानून, इतने कानूनोंमें संशोधन होना चाहिए। इसके लिए दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंका समर्थन प्राप्त करना होगा। ऐसा करना मुश्किल नहीं है।

गिरमिटियोंके सम्बन्धमें समाजको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं। नये कानूनका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें सरकार बाहर निकाल देगी।

मैं विनयपूर्वक सब भारतीयोंको सलाह देता हूँ कि वे श्री पोलककी सहायता करें और उनसे मदद लें। श्री पोलकको हमारी समस्याओंकी जितनी जानकारी है उतनी अन्य किसीको नहीं है। उनमें समाजके प्रति सच्चा प्रेम-भाव है। उनमें उत्साह है और वे कार्य-कुशल भी हैं। मैं सभी प्रान्तोंके भारतीयोंसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि वे श्री पोलक [की सेवाओं] का लाभ उठायें और उनके कहनेके अनुसार चलें। उन्हें प्रार्थनापत्र तैयार करनेकी जो विधि आती है वह अन्य किसीको नहीं आती। वे सार्वजनिक कार्योंके लिए पैसा नहीं लेते। इसलिए यदि वकालतसे उन्हें जीवन-निर्वाहके लिए पैसा मिलता रहा तो वे दक्षिण आफ्रिकामें रहेंगे, नहीं तो इंग्लैंड चले जायेंगे। अब भी उन्हें खर्च चलाने लायक पैसा नहीं मिलता, यह मैं जानता हूँ। इसी कारण मैं ट्रान्सवालके भारतीयोंसे विशेष रूपसे कहता हूँ कि वे अपने मुकदमे आदि श्री पोलकको सौंपें।

'इंडियन ओपिनियन' समाजकी सेवा करनेके लिए ही प्रकाशित किया जाता है। फीनिक्सकी संस्था भी इसी कारण चलाई जाती है। वहाँ जो लोग रहते हैं वे वहाँ धन कमानेके उद्देश्यसे नहीं रहते। वे केवल उतना ही धन लेते हैं जिससे वे सादा और गरीबीका जीवन व्यतीत कर सकें। यदि समाजने इन परिस्थितियोंमें काम करनेवाले लोगोंकी सेवाओंका फायदा नहीं उठाया तो वह धोखा खायेगा। अब दक्षिण आफ्रिकामें फीनिक्सकी सम्पत्तिके मालिक तथा उसके न्यासी [व्यवस्थापक] श्री उमर झवेरी तथा पारसी रुस्तमजी हैं। समाज, फीनिक्सके सम्बन्धमें पूरी जानकारी उनके द्वारा अथवा सीधे ही प्राप्त कर सकता है। मैं सब भारतीयोंसे, फीनिक्सका हेतु क्या है, यह समझनेका अनुरोध करता हूँ। मैं यह लिखे बिना नहीं रह सकता कि जो लोग भारतकी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए फीनिक्स महान् क्षेत्र है। मेरा फीनिक्सके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण कुछ लोग मेरा यह सब लिखना अनुचित मानेंगे, लेकिन मैं दृढ विश्वासके कारण यह सब लिख रहा हूँ।

मैं भारत जा रहा हूँ, किन्तु दक्षिण आफ्रिकाको नहीं भूलूँगा। मैं यह चाहता हूँ, जो भाई यहाँसे भारत पहुँचें वे वहाँ मुझसे मिलें। भारतीयोंपर यहाँ जो कष्ट हैं उनके सम्बन्धमें, मैं भारतमें अवश्य काम करूँगा। यदि आप लोग मेरी सेवाओंका लाभ उठाना चाहेंगे तो मैं और भी अधिक काम कर सकूँगा। वहाँ काम करते समय कागज,

टिकट और प्रकाशन आदिका जो खर्च होगा, मेरी समझमे वह यहाँसे मिलना चाहिए। मुझे जो धन दिया गया है उसका उपयोग मै इसी कायमे करूँगा।

और अन्तमे मै यह कहना चाहता हूँ कि समाजका छुटकारा उसके अपने हाथ है और उसका उपाय हे सत्याग्रह।

मेरी कामना है कि मेरे हाथो जाने अनजाने यदि किसी भारतीयका अहित हुआ हो अथवा किसीको कष्ट मिला हो तो वह और भगवान मुझे क्षमा करे।

मै सत्याग्रही तो हूँ ही और उम्मीद है कि रहूँगा भी, लेकिन गत दिसम्बरमे मुझपर 'गिरमिट' का विशेष प्रभाव पडा, यहातक कि मुझे गुजराती लोग "गिरमिटिया" कहने लगे, इसलिए—

मै हूँ
समाजका गिरमिटिया
मोहनदास करमचन्द गाधी

[गुजरातीसे]

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०२०)की फोटो-नकलसे।

३६९ श्रद्धाजलि · सत्याग्रही शहीदोको[1]

ब्रामफाटीन
जुलाई १५, १९१४

श्री गाधीने कहा, मेरा खयाल है कि जोहानिसबर्गमें मेरे निकटके यूरोपीय मित्रोमें श्रीमती फिलिप्स सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। इसलिए सब भारतीयोका उन्हे अपनी माताके समान समझना उचित ही है। आज सुबह इन दो स्मारकोका अनावरण करके श्रीमती फिलिप्सने भारतीयोकी इस भावनाको सार्थक साबित कर दिया है। श्री गाधीने कहा कि अभी मैंने जो कहा कि श्रीमती फिलिप्सने इस कार्यके लिए बडा कष्ट किया है तो यह केवल एक सीधी-सादी सच बात है। परन्तु वास्तवमें कष्टका अर्थ यहाँ शारीरिक कष्ट नहीं है। ऐसा कहनेमें मेरा हेतु यह है कि इस समय श्रीमती फिलिप्सके हृदयमें भी उतना ही दुःख हो रहा है जितना कि किसी भी भारतीयको। इस अवसरपर उन्होने जो हार्दिक और उदात्त भाव प्रकट किये हैं, मुझे आशा है कि, वे यहाँ उपस्थित हर मनुष्यके हृदयमें अकित हो जायेंगे। व्यक्तिगत रूपसे मैं अपनी इस प्यारी बहनके बारेमें बात करते कभी नहीं अघाया हूँ, जो श्रीमती फिलिप्सके लिए तो बेटी और मेरे लिए बहिनके समान थीं। इसी प्रकार मैं प्यारे भाई नागप्पनके बारेमें भी कहता रहा हूँ।

१ जुलाई १५को ११॥ बजे दिनमें ब्रैमफाटीनके कब्रिस्तानमें नागप्पन और वलिअम्माके सम्मानमें उनकी कब्रोपर स्मृति शिलाओकी स्थापनाका समारोह हुआ जिसमें गाधीजी उपस्थित थे। श्रीमती कस्तूरबा, कुमारी श्लेसिन, और श्रीमती पोलक भी उपस्थित थी। यूरोपीय समितिके अध्यक्ष रेवरेंड सी० फिलिप्सकी पत्नी श्रीमती फिलिप्स द्वारा स्मृति शिलाओंके अनावरणके बाद गाधीजीने भाषण किया।

जब कभी उन दोनो हुतात्माओकी याद करता हूँ और नारायणसामीकी उपेक्षित समाधिका मुझे खयाल आता है, जिनकी अस्थियाँ अब लारेको मार्क्विसमें पडी हुई है, तो मुझे लगता है कि इन हुतात्माओकी सेवाओकी तुलनामे हम सबोकी सेवाएँ तुच्छ है। श्रीमती पोलकने अभी-अभी मुझे याद दिलाया है कि हम लोगोने इस लडकीकी बीमारीकी तरफ कितना कम ध्यान दिया था, जिसका पार्थिव शरीर समाधिमे सोया हुआ है। श्री गाधीने डबन छोडनेके समयके दृश्यका जिक्र किया जब वे पोलकके साथ वलिअम्माको जल्दीमें देखने गये थे। उन्होने कहा कि वह अत्यन्त मार्मिक दृश्य था। वलिअम्मा बाहर आ रही थी। उसकी माँ वहाँ थी। उसकी माँ बहुत ही मृदुल और स्नेही स्वभावकी थी। वे जल्दी मचा रही थीं कि वलिअम्मा बाहर निकले। ऐसे वक्त भी किसी प्रकारकी जल्दी की जानेपर मुझे लज्जा आ रही थी। वलिअम्माको बाहर लाया गया। वह लगभग मूर्छित अवस्थामें थी। हम तीनो मिलकर जितनी सावधानीसे सम्भव था उसे उठाकर बाहर लाये। उसके कमरेमें न तो कोई गद्दा था, और न कोई स्ट्रेचर। जिस कमरेमें वह पडी थी वहाँ केवल लकडीका फर्श था। यह बात नही कि वे लोग उसके प्रति कोई निष्ठुरता बरत रहे थे। परन्तु उस समय उनका अनुशासन ही ऐसा कडा और कष्टकर था। जिन थम्बी नायडूके सिपुर्द यह काम था वे और कोई चीज रखने या साथमें लेनेका विचार तक करनेको तयार नहीं थे। जेलके भीतर और बाहर उसकी यही हालत थी। खुद उसका अपना उत्साह भी ऐसा ही था। वलिअम्माके साथ, वैसी ही दशामें, एक और महिला थी जिसके उसी समय बच्चा हुआ था। उसका उत्साह भी ऐसा ही था। श्री गाधीने कहा, मै नहीं जानता कि हम लोगोसे तब कही कोई बहुत भारी अपराध तो नहीं हुआ! दूसरी तरफ सत्याग्रहीकी हैसियतसे अपने कर्त्तव्यका खयाल होता है तब मै असमजसमें पड जाता हूँ, क्योकि सत्याग्रहीके नाते हम आत्माको अमर समझते हैं। और शरीर तो आत्माके अधीन है। इसलिए आत्माकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिए अगर शरीरको गँवाना भी पडे तो वह ठीक ही है। अगर वलिअम्माको मै थोडा भी जानता हूँ तो कहूँगा कि वह खुद कभी यह न चाहती कि अपनी दूसरी बहनोकी अपेक्षा उसके साथ अच्छा व्यवहार हो। इन दृश्योको मै कभी भुला नहीं सकूँगा। नागप्पनका चेहरा उन्हें इतनी अच्छी तरह याद नहीं है, जितना वलिअम्माका। परन्तु उन्हे इतना जरूर मालूम है कि उस भयानक शिविर-जेलमें उस बहादुर लडकेको कडकडाती सर्दीमें कितना भयकर कष्ट उठाना पडा था। उसे वहाँ भेजनेकी जरा भी जरूरत नहीं थी। परन्तु उस समय तो सरकारकी इच्छा सिर्फ यह थी कि जैसे-बने-वैसे सत्याग्रहियोकी हिम्मत तोड दी जाये। परन्तु आज वे समझने लगे है कि नागप्पनका हृदय फौलादका बना हुआ था। जर्जर शरीरको लेकर वह जेलसे बाहर आया। परन्तु उसने कहा चिन्ताकी क्या बात है? मुझे एक ही बार तो मरना है। अगर जरूरत हो तो मै फिर जेल जानेको तैयार हूँ। इस तरह उस बहादुर लडकेने अपना बलिदान दे दिया। परन्तु ये लोग मरे नहीं है। प्रत्येक भारतीयके

हृदयमें स्मृतिके रूपमें वे सदा अमर रहेंगे। यह बात अवश्य दुःखकी है कि वे लोग आज अपने उदाहरणसे सबको प्रेरणा देनेके लिए हमारे बीचमें नहीं हैं। परन्तु जब मैं इस प्रश्नपर गहराईके साथ विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि यह हमारे लिए हर्ष ही की बात है कि हमारे बीच ऐसी तीन महान आत्माएँ थीं जिन्होंने सत्यके लिए——मैं देशके लिए नहीं कहूँगा——अपने जीवनका सदुपयोग किया। देशको तो वे जानते ही नहीं थे। उससे तो वे पूर्णत अपरिचित थे, क्योकि उनका जन्म इस उपनिवेशमें हुआ था। अपनी मातृभूमिकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी। उनके लिए तो दक्षिण आफ्रिका ही मातृभूमि थी। परन्तु हाँ, वे इतना जरूर जानते थे कि यह लडाई एक पवित्र लडाई है, धर्म-युद्ध है, सत्यकी लडाई है। वे सत्यके लिए जिये और सत्य ही के लिए उन्होने अपनी जान तक दे दी, और इसीलिए मुझे लगता है कि यह रोनेकी नहीं, खुश होनेकी बात है। और यह भी कि इन वीरात्माओके अमर स्मारक ईंट-पत्थरसे नहीं, बल्कि प्रत्येकको अपने हृदयमें बनाने चाहिए। और जब कभी हमें लगे कि प्रलोभनोके सामने कहीं हमारी आत्मा झुक न जाये तब हम इन तीनो शहीदोके नाम-स्मरण कर लें। अगर हम ऐसा कर सके तो सच्चे अर्थोमें कहा जा सकेगा कि हम इनकी समाधियोका सम्मान कर रहे हैं और तभी श्रीमती फिलिप्सका इतनी दूर यहाँ यह विधिसम्पन्न करनेके लिए आना सार्थक हो सकता है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–७–१९१४

३७० भाषण : ट्रान्सवाल भारतीय महिला-सघमें[1]

जोहानिसबग
जुलाई १५, १९१४

श्री गाधीने कहा वक्ताओने आज मेरा वणन सरक्षक और गुरु कहकर किया, परन्तु मुझे लगता है कि मैं इन पदवियोका पात्र नही हूँ। हा, अगर आप मुझे अपने प्रिय भाईके रूपमे स्वीकार कर ले तो इसे मैं अपना सबसे-बडा सम्मान समझूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं कही भी रहूँ, आप सबका अपनी बहनोके रूपमें स्मरण करना अपना परम सौभाग्य मानूगा। आपका सह-कार्यकर्ता तथा सहयोगी सत्याग्रही होनेके नाते, और आपकी अपेक्षा कुछ अधिक अनुभव होनेके नाते मैं आपको केवल यही सलाह देना चाहता हूँ कि जिस कामको आपने शुरू किया है, उसे बराबर जारी रखे। आपने अभी तक शानदार काम किया है। आप लोग सम्पूर्ण एकता बनाये रहे और जब कभी कर्त्तव्यकी पुकार सुनें, तब उसके पालनमे कभी गफलत न करे। जरूरत देखे

१ गाधीजीको विदाई देनेके लिए एबनजर चर्च हॉलमें ट्रान्सवाल भारतीय महिला सघकी सभा हुई थी। सघकी अध्यक्षा श्रीमती रामा मूदलीने सभापतित्व किया।

तो वलिअम्माकी तरह अपने प्राण अर्पण करनेमे भी न चूकें। आप लोग श्रीमती वॉगलको न भूले। उन्होने निस्वार्थ भावसे बहुत काम किया है। आज भी आप सिलाई-कक्षा चलाने तथा दूसरे कामोमे उनसे मदद ले सकती है। उनका साथ भी कम लाभदायक नही। वे एक नेक महिला है, जिनके दिलमे हम लोगोके लिए बडा प्रेम है। अगर उनका बस चले तो वे और भी बहुत-कुछ कर सकती है। और उनसे जो बन सकता है उसे करनेमे कभी चूकती नही। श्रीमती वॉगलका हमपर बडा ऋण है। परन्तु श्रीमती वॉगलका सम्मान करनेका सबसे उत्तम तरीका यह नही होगा कि भेटोसे उन्हे लाद दिया जाये, बल्कि यह है कि उनकी सलाहपर चले और उनकी मदद ले, जो कक्षाएँ आदि चलानेके सम्बन्धमे देनेके लिए वे सदा उत्सुक रहती है। भारतमे बहने अपने छोटे और बडे भाइयोको भी बिदा करते समय अपने आशीर्वाद देती है। **श्री गाधीने आशा प्रकट की कि वे ससारके किसी भी भागमें पहुँच जाएँ, बहनें उन्हें अपने आशीर्वाद देती रहेंगी।**

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–८–१९१४

३७१ भाषण. मुसलमानोकी सभामें[1]

[फ्रीडडॉर्प
जुलाई १५, १९१४]

कुछ श्रोताओने तालियाँ बजाकर श्री गाधीका अभिनन्दन किया। श्री गाधीने प्रश्नोका उत्तर देनेसे पहले श्रोताओको विश्वास दिलाया आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसे

१ यह भाषण गाधीजीने हमीदिया इस्लामिया हॉलमें समझौतेके प्रति मुसलमानोका असन्तोष व्यक्त करनेके लिए आयोजित एक विशाल सभाम दिया था। हॉल खचाखच भरा था। ईसप इस्माइल मियाँ उसके सभापति थे। गाधीजीका भाषण मुख्यत उन विभिन्न प्रश्नोका उत्तर ही था, जो सभाके अध्यक्ष और अन्य वक्ताओने उनसे पूछे थे। **रैड डेली मेलने** १६–७–१९१९ के अपने अकमें ईसप मियाँ द्वारा कही गई बातोका विवरण इस प्रकार दिया था सभापतिके भाषणका अनुवाद किया गया। श्री गाधीने भी जब तब अनुवादमे सहायता की। सभापतिने पूछा कि सरकारके साथ समझौता करनेका अधिकार उनको किसने दिया था। इसके बाद उन्होने प्लेग अस्पतालके कोषका उल्लेख किया और श्री गाधीसे पूछा कि उस कोषकी राशिका क्या हुआ। भारतीय सघने शुरूसे ही उस कोषमे चन्दा दिया था और वे चाहते है कि उसका हिसाब जनताके सामने रखा जाये तथा श्री गांधी उसकी स्थिति स्पष्ट करें। हमने चार माँगें पेश की थी और श्री गाधीने स्वय कहा है कि उनमें से केवल डेढ़ ही स्वीकृत हुई है। विवाहकी समस्याके सिलसिलेमें एक ऐसा प्रश्न उठा था, जिसका मुसलमानोंपर प्रभाव पड़ता है, और जिसकी व्याख्या अपेक्षित है। श्री गाधी व्यवसायी वर्गके अपने मित्रोको बतलायेंगे कि आठ वर्षोंके सघर्षसे उनको क्या मिला है। श्री गाधीने डर्बनमें कहा था कि सभीको तो कोई भी व्यक्ति सन्तुष्ट नही कर सकता। मैं तो कहूँगा कि श्री गाधीने उनको एक ऐसी जगह ला पटका है जहाँ उनको अपना सघर्ष फिर नये सिरेसे शुरू करना पडेगा। विवाहके प्रश्नके सिलसिलेमें तो मुसलमानोका ही नहीं हिन्दुओका भी कहना है कि उनको कुछ भी नही मिला है।

मैं अपना एक बड़ा सम्मान मानता हूँ, क्योंकि म जानता हूँ, आपमें से कुछ लोग समझौतेके विरुद्ध थे और उन्होंने अन्तिम रूपसे समझौता सम्पन्न न होने देनेके लिए जमीन-आसमान एक कर दिया था। मुझे अभी आशा है कि मैं अपने उन देशवासियोंको भी नाराज नहीं रहने दूँगा। पहला प्रश्न यह था कि मैंने किस हैसियतसे सरकारके साथ यह समझौता किया या इसे स्वीकार किया, मुझे यह हक किसने सौंपा था? यह हक मुझे समस्त दक्षिण आफ्रिकाके सामान्य भारतीयोंने सौंपा था, क्योंकि श्री काछलियाका अन्तिम पत्र ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे भेजा गया था।[1] उसके मन्त्रीकी हैसियतसे ही मैंने सारी वार्ता चलाई थी और जब देखा कि समझौता करनेमें हम अपनी ओरसे कुछ भी नहीं खोते हैं, बल्कि हम जो भी कुछ माँग रहे थे वह सब मिल रहा है, तो मैंने समाजसे उसके बारेमें फिरसे पूछना अनावश्यक समझा।[2] कोई भी दूसरा सावजनिक कार्यकर्त्ता इसके अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकता। यदि वह यह न करता तो अयोग्य कार्यकर्त्ता सिद्ध हो जाता। उस पत्रमें कही गई सभी बातोंपर अमल करके मैंने अपना कर्त्तव्य निभाया है। हाँ, जनरल स्मट्स चाहते थे कि यह समझौता सामान्यतया समाजके सभी लोगोंके द्वारा स्वीकृत हो — वे इसमें कोई त्रुटि नहीं रहने देना चाहते थे। अभीतक जितनी सभायें हुई हैं लगभग उन सभीमें सर्वसम्मतिसे इसपर सहमति मिली है। दूसरा प्रश्न था : समझौतेसे हमको क्या मिला है? श्री गांधीने कहा कि हमने जो कुछ माँगा था वह सभी पूरा-पूरा और अधिकतम उदारताके साथ दिया गया है।

अगला प्रश्न था : मैंने अस्पतालके कोषका क्या किया? इसके बारेमें कुछ गलतफहमी रही है। यह कोष शुरू इस प्रकार हुआ था : पुराने स्थानोंसे बाड़े हटा दिये गये थे और उनमेंसे कुछ दावेदारोंकी ओरसे नगर परिषद्के विरुद्ध[3] मुकदमा लड़ा गया था। मैंने उनसे वकालतकी पूरी फीस नहीं ली थी, जो यदि ली जाती तो ४० या ५० पौंड होती। मैंने उनको बतला दिया था कि मैं प्रत्येक बाड़ेदारसे थोड़ी-सी निश्चित फीस लूँगा और जो सारीकी-सारी मेरे ही लिए नहीं होगी। मैं उसमेंसे ५ पौंड

१. ट्रान्सवाल लीडरने इसी तिथिके अपने अंकमें जो समाचार छापा था, उसमें यहाँ ये शब्द दिये गये थे : "... एक भी शब्द विरोधमें नहीं कहा गया। सभी लोगोंने सब तरहसे उसका स्वागत किया।"

२. ट्रान्सवाल लीडरके समाचारमें कहा गया है : "... मेरी समझमें समझौतेका द्वार खुला रखने या समझौता सम्पन्न करनेके बारेमें मुझे किसी भी तरहकी हिचकिचाहट दिखानेका कोई कारण नहीं था। हमने खोया तो कुछ भी नहीं है, पा सब कुछ लिया है।"

३. ट्रान्सवाल लीडरमें छपे समाचारमें यहाँ ये शब्द भी मिलते हैं : "... ९९ में से ७५ ने अपने दावे उनको सौंप दिये थे। उनको नगरपरिषद्से मुकदमेके खर्चेका एक हिस्सा मिला था और उनको वकालतकी फीस लेनेके लिए भी अधिकृत कर दिया गया था। ..."

अपने लिये लूगा और शेष राशिसे अस्पताल-कोष शुरू करूँगा। इग्लैंड जाते समय मेरा खयाल डाक्टरी पास करके उस रूपमें जनताकी सेवा करनेका था, लेकिन वे सब हवाई महल ही रहे। इस तरह वह न तो कोई सार्वजनिक कोष था और न कोई धर्मार्थ दान ही।[1] वह सारी राशि सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान सार्वजनिक कार्यों और दक्षिण आफ्रिकी जनताके लाभाथ खर्च की जा चुकी है, परन्तु उस निधिके बारेमें मै अपनेको जनताके प्रति जिम्मेदार नहीं मान सकता। वैसे यदि एक बच्चा भी चाहे तो मेरे सार्वजनिक कार्योंका हिसाब-किताब आकर देख सकता है।

मुझे ब्रिटिश भारतीय सघके हिसाब-किताबके बारेमें भी आपसे यही कहना है कि उसकी समितिकी हर बैठकमे मैं खर्चका हिसाब पेश करता था। बादमें तो मेरे पास कई चन्दोका काम आ गया था —— भारतीय-विरोधी कानून कोष, सत्याग्रह कोष और बम्बईके कई कोष। मैंने उन सभीका हिसाब-किताब पेश किया था, कुछका हिसाब तो समाचारपत्रोके स्तम्भोमें भी प्रकाशित कराया था। उनकी बहियाँ मौजूद है, मैं उनको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे जब, श्री पोलकके पास जाकर उन चन्दोके खर्चका ब्यौरा पूछ सकता है। यदि आप लोगोके मनमें कोई बेजा बात न हो तो आप कभी भी जाकर उन बहियोकी जाँच कर सकते है।

अगला प्रश्न है, हमारी कितनी माँगें मजूर हुईं। श्री काछलियाके पत्रमें उठाये गये मुद्दे ये थे विवाहकी समस्या, तीन-पौंडी कर, ऑरेंज फ्री स्टेट और केपमें प्रवेशका प्रश्न, मौजूदा कानूनको भारतीयोकी भावनाओका ध्यान रखते हुए लागू करना। ये पाँचो माँगें तो मजूर हो ही गई है, इनके सिवा कुछ और भी मिला है। अब सवाल है, व्यवसायियोको क्या मिला? जो-कुछ समाजको मिला है वही व्यवसायियोको भी मिला है, उनको तो शायद सबसे अधिक ही मिला है। समस्त दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोकी दृष्टिमें भारतीय समाजने अपना मान बढाया है। जनरल बोथा और अन्य लोग उनको अब कुली नहीं कह सकते। इस शब्दको अपमानजनक मानकर चुपचाप और कारगर तरीकेसे हटा दिया गया है। यदि हमने पिछले आठ वष तक सघर्ष न किया होता तो भारतीयोका आज किसी आत्म-सम्मानपूण समाजकी हैसियतसे कोई अस्तित्व ही न रह जाता। वे बस्तियोमे कुलियो और कुत्तोकी भाँति रहकर ही किसी कदर अपना पेट भरते रह सकते थे। उससे अधिक माँगनेपर उनको कुछ नहीं मिलता। उन्हें न्यायालयोसे बाहर खदेड दिया जाता और उनको अविश्वसनीय करार दिया जाता।

१. ट्रान्सवाल लीडरके समाचारमे ये शब्द भी मिलते है " केवल उनकी फीस थी और इस राशिको अस्पतालके काममें नही लिया गया था . ।

श्री गाधीने श्रोताओको बतलाया कि विवाहकी समस्याके बारेमें उनको समझौतेसे क्या लाभ हुआ है।[1] और अन्तमें कहा मैं समाजकी सेवा करता रहूँगा। यही मेरा धर्म है।[2]

१ ट्रान्सवाल लीडरके समाचारमें इस स्थानपर इस सम्बन्धमें गाधीजीके उत्तरका ब्यौरा दिया गया है "मेरी तो अभीतक किसी ऐसे हिन्दूसे बात नही हुई जो विवाहके प्रश्नपर सन्तुष्ट न हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनको अपनी माँगसे कुछ अधिक ही मिला है। पोर्ट एलिजाबेथके मुकदमेसे पहले, मेरा खयाल था कि एक ही भारतीय पत्नीको मान्यता दी जायेगी, फिर धर्म चाहे जो हो। लेकिन फिर मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि हमें समस्त दक्षिण आफ्रिकामें एक पत्नी विवाहको वध बनानेकी माँग सरकारसे करनी चाहिए। इस देशमें बहु पत्नी विवाहकी समस्या पिछले पचास वर्षोंसे मौजूद है, लेकिन इस समझौतेके सिलसिलेमे केवल एक पत्नी विवाहका प्रश्न ही उठा था। इस सम्बन्धमें हमारी जो माँग थी वह तो मजूर हुई ही है, उससे कुछ अधिक भी मिला है और वह यह है कि मजिस्टेटोको विवाह कानूनी करार देनेकी अनुमति दे दी गई है। बहुपत्नी विवाह किये तो जा सकते है पर वे कानूनी नही होगे। वतनी लोग एक ही पत्नी रख सकते है। सर विलियम सॉलोमन तो भारतीयोंके लिए भी व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन इसपर मेने कहा "नही, यदि आप वैसा करेंगे तो हम यही सवर्ष करेंगे।' मैंने कहा कि हम केवल इतना चाहते है कि दक्षिण आफ्रिकी सरकार बहु-पत्नी विवाहको सहन करे, भले ही उसे कानूनी न बनाये।

२ इसपर एच० ओ० अलीने अनेक प्रश्न उठाये। वे १९०९ में एक प्रतिनिधि-मण्डलमें गाधीजीके साथ इग्लड गये थे। रैड डेली मेलने उसका समाचार इस प्रकार दिया था "उचित यही है कि श्री गाधी एक सार्वजनिक सभा बुलायें और उसके सामने समझौतेकी व्यवस्था करें। उनके केप टाउनके भाषणोमें एक बात मिलती है और डर्बनके भाषणोंमें बिलकुल दूसरी ही। मेसॉनिक हॉलके भाषणमें श्री गाधीने स्वीकार किया था कि उपनिवेशमे जन्में लोगोकी समस्या हल नही हुई है। समस्याएं तो कई ऐसी है जिनका हल नहीं हुआ, लेकिन जब श्री गाधी यहाँ कहते हैं कि "अन्तिम रूपसे सम्मानपूर्ण समझौता" हो गया है तब कोई भी किस मुँहसे, किस अधिकारके बलपर भविष्यमें जनरल स्मट्ससे कह सकेगा कि कुछ निर्योग्यताएँ और कुछ कष्ट ऐसे है जिनके भारके नीचे जनता पिसी जा रही है?

गोखले, साम्राज्यीय सरकार और भारतके बीच तारो और बधाइयोका आदान प्रदान हो चुका है। फिर अपनी शेष शिकायतें दूर करवानेके लिए किससे कहा जाये? मैं चाहता हूँ कि श्री गाधी बतलायें कि आगे चलकर हमारा जीवन किस प्रकारका रहेगा। हमने श्री गांधीपर पूरा भरोसा किया था। मैं स्वय भी श्री गाधीके प्रशसकोमें से एक हूँ। श्री गाधी स्वय जानते है कि मैं उनके एक बड़े भाईकी तरह हूँ, उनसे ईर्ष्या करनेवाला नही। श्री गाधी स्वय भी एक कट्टर देशभक्त हैं और अपने आलोचकोको उन्होंने यही उत्तर दिया है। परन्तु मैं यह बिलकुल भी नही जानता था कि श्री गोखलेने श्री गाधीको इस आशयका एक तार भेजा था कि समस्त ट्रान्सवालके भारतीयोके वास्तविक कष्टोको आयोगके सामने न रखना भूल होगी। मुझे तो अब मालूम हुआ कि श्री गाधीको वैसा एक तार मिला था और उन्होंने भी चारों माँगोपर समझौता न होनेतक सत्याग्रह जारी रखनेकी शपथके बारेमें बम्बईको एक लम्बा तार भेजनेपर लगभग दो सौ पौंड खर्च किये थे। इस समझौतेके सिलसिलेमें कोई भी समझदार आदमी सब सरकारसे यह आशा तो नहीं करता कि वह, बहु पत्नी विवाहोको कानूनी करार देगी। लेकिन श्री गाधीको यह तो भली भाँति जानना ही चाहिए कि मुसलमान लोग अपनी कुरान शरीफके एक एक हर्फसे बँधे हुए हैं, वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते, श्री गाधी यह जानते है, क्योकि इसी हॉलसे एक ऐसा सन्देश उनके पास भेजा गया था। उसमें साफ कहा गया था कि विवाहकी समस्याके सिलसिलेमें और चाहे जो करें पर

श्री गाधीने उत्तर देते हुए कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे बच्चोके लिए पजीयन कराना अनिवाय नहीं है। सोलह वर्षकी अवस्था तक वे पूणत स्वतन्त्र हैं। यदि [इस सघषमें] सभी सत्याग्रही काम आ जाते और मैं एक अकेला ही बच रहता तो भी मैं मृत्युपर्यन्त इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए लगा रहता। आगेके लिए मैं कह ही चुका हूँ कि समझौता इस अथमें अन्तिम रूपसे सम्पन्न हो चुका है कि सत्याग्रह समाप्त हो चुका है। मने जनरल स्मट्सके नाम अपने पत्रमें[1] वार्ताका द्वार खुला रखा था। समझौता उन माँगोके बारेमें हुआ है जिनको आगे रखकर हमने सत्याग्रह शुरू किया, सघर्ष किया और कष्टसहन किया था। अन्य किसी भी मुद्देपर यह समझौता लागू नही होता और इस समझौतेसे अन्य किसी माँगको समाप्त हुई नही मान लेना चाहिए। यह समझौता हमें विशाल जन-सभाएँ करने, उनमें प्रस्ताव पास करने और नया सत्याग्रह शुरू करनेसे तो नही रोकता। अन्तर-प्रान्तीय प्रवासके प्रश्नपर तो अभी कोई निर्णय नही हुआ है। समझौतेकी शर्तोंमें यह शामिल नही था और इसे लेकर प्रचार-आन्दोलन करना भारतीय समाजके लिए औचित्यपूर्ण भी है।

यदि भारतीय समाज इस निष्कर्षपर पहुँचे कि अभीतक उनकी कुछ ऐसी शिकायतें बनी हुई हैं जिनको लेकर फिरसे सत्याग्रह छेडना औचित्यपूर्ण होगा, तो वह फिरसे सत्याग्रह छेड सकता है। यह समझौता मुझपर या भारतीय समाजपर इस सम्बन्धमें कोई बन्दिश नहीं लगाता। उदाहरणके लिए, फ्री स्टेटका प्रश्न, परवाना कानून, स्वर्ण-कानून और बस्ती-कानून आदिके प्रश्न हैं। परन्तु ऐसा कोई कदम उठानेसे पहले मेरे देशवासियोको इन विषयोके सम्बन्धमें यूरोपीयोको सारी स्थिति भली प्रकार समझा देनी चाहिए। विवाहकी समस्याके क्षेत्रमें यह समझौता कुरान शरीफ द्वारा निश्चित किये गये नियमोको किंचित् भी भग नहीं करता। मैं यह मानकर चला हूँ कि हम ईसाई समाजसे कहीं भी आशा नहीं कर सकते कि वह बहु-पत्नी विवाहको कानूनी करार देगा। इसलिए इसमें कोई विवादग्रस्त प्रश्न था ही नहीं। मेरा चौबीसो घटेका कार्यक्रम

एक पत्नी विवाहके बारेमें मुसलमानोकी ओरसे कोई वचन न दें। इसलिए कि वह खुदाके कानूनके खिलाफ होगा। और कुरान शरीफमें कहा गया है कि "खुदाके कानूनके खिलाफ जानेवालेको हमेशाके लिए दोजखकी आगमें डाल दिया जायेगा।" इसलिए वे इस सरकारी कानूनको नही मान सकेंगे और इस देशमें अविवाहित ही रहेंगे। केपके १८६० के कानूनको एक भी मुसलमानने स्वीकार नही किया था। इसलिए उचित यही है कि श्री गाधी अन्तिम रूपसे एक सम्मानपूर्ण समझौतेकी बात करनेसे पहले एक सार्वजनिक सभा बुलाते। वक्ताने श्री गाधीको चुनौती दी कि वे एक सार्वजनिक सभा बुलाकर उसमें ब्रिटिश भारतीय सघकी कार्यवाहीका विवरण पेश करें। श्री गाधीने १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनके समय कहा था कि वे तबतक लडते रहेंगे जबतक कि सभी बच्चे स्वतन्त्र नही हो जाते, फिर चाहे उस सघर्षमें वे अकेले ही क्यों न रह जायें।

1. देखिए "पत्र ई० एम० जॉर्जेसको", पृष्ठ ४२९-३०।

इतना व्यस्त रहा है कि मुझे भोजन तकके लिए समय नहीं मिल पाता था। पिछले कुछ दिनो तो मैंने एक-एक दिन बीस-बीस सार्वजनिक सभाओमें भाषण किये हैं।[1]

हिन्दुस्तानी, गुजराती और तमिल भाषामें अनेक वक्ताओके बोल चुकनेपर, श्री गाधीने उनका उत्तर दिया। उन्होने कहा कि उनको जो पत्र मिला है वह उनके खयालमें मुसलमान जनताके विचारोका प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि वे सभा बुलाना चाहते है तो उनका कर्त्तव्य है कि वे सभा आयोजित करें और मुझे भी उसमें बुलाएँ। १,२०० पौंडकी राशिके बारेमें श्री गाधीने कहा कि 'इडियन ओपिनियन' तो सभी भारतीयोकी सार्वजनिक सम्पत्ति है — वह केवल नामके लिए उनके नाममें पजीयन कराया गया है। वह राशि जनताकी ओरसे खर्च की गई है और उन्होने उसका हिसाब रखा है और उसे प्रकाशित किया है। उन्होने कहा कि फिर भी यदि वे लोग चाहें तो श्री पोलकके पास जाकर उसके खर्चका ब्यौरा मालूम कर सकते है। उन्होने भारतीय उद्देश्यके लिए श्री पोलकके कार्य और आत्म-त्यागकी सराहना की। वे (श्री पोलक) ब्रिटिश भारतीय सघके मन्त्री होगे। श्री पोलक सत्याग्रह-कोषसे अपने निर्वाहका खर्च अवश्य लेते रहे है, लेकिन सत्याग्रह-कोषमें उन्होने स्वय तो अपना सर्वस्व दे दिया है।

[अग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, १६–७–१९१४

३७२ भाषण: तमिल समाजकी सभामें[2]

जोहानिसबर्ग
जुलाई १५, १९१४

श्री गाधीने कहा कि अपने तमिल भाइयो और बहनोसे मिलनेके लिए आनेमें मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अपने सगे-सम्बन्धियोसे मिलने आया हूँ। पिछले अनेक वर्षोसे मुझे ऐसा ही लगता रहा है। और इसका कारण सीधा-सादा है। मेरी समझमें भारतीय समाजके विभिन्न वर्गोंमें से सघर्षका सीधा प्रहार तमिल भाइयोने ही सहा है। सत्याग्रहकी

१ इतना बोल चुकने पर, गाधीजीसे कुछ और भी प्रश्न पूछे गये थे। ट्रान्सवाल लीडरके समाचारके अनुसार "श्री स्टैंटने श्री गाधीसे पूछा कि वे भारतीयोंके प्रतिनिधित्वका दावा कैसे करते हैं जबकि हमीदिया इस्लामिया अजुमन और इमदाद अजुमनने ३१ मार्चको एक प्रस्ताव पास करके कहा था कि उनको और उनके मित्रोंको उनकी ओरसे कोई कदम उठानेका हक नही है? इन दोनों सस्थाओंने जान बूझकर उनको अपना प्रतिनिधि माननेसे इनकार किया है। और श्री गाधीने जब सत्याग्रह आन्दोलनके लिए कुछ चन्दा लिया है, तो उनको ही उसका हिसाब पेश करना चाहिए। हबीब मोटनने श्री गाधीसे पूछा कि क्या उन्होंने फीनिक्सके एक समाचारपत्रके लिए १,२०० पौंड नही लिये थे?

२ गाधीजीने तमिल समाजके सदस्योंकी एक सभामें भाषण किया था। सभामें श्रीमती कस्तूरबा, कुमारी श्लेसिन, बहुत बड़ी सख्यामें महिलाएँ और यूरोपीय उपस्थित थे। सभाकी अध्यक्षता श्री थम्बी नायडू कर रहे थे।

लडाईमें सबसे अधिक सख्यामें मौतें तमिल-समाजमें ही हुई। आज ही सुबह हम एक बहन और एक भाईके स्मारकका अनावरण करनेके लिए गये थे।[1] वे दोनो तमिल थे। नारायण सामीकी अस्थियाँ डेलागोआ-बेमें पडी है। वे भी तमिल ही थे। निर्वासित किये गये लोग भी तमिल थे। लडाईमें सबसे अन्ततक लडनेवाले और सबके बाद जेलसे छूटनेवाले भी तमिल ही थे। जो फेरीवाले बरबाद हो गये वे भी सब तमिल ही थे। टॉल्स्टॉय फामपर रहनेवाले सत्याग्रहियोमें से अधिकाश तमिल है। श्री गाधीने कहा, इस तरह तमिलोने सिद्ध कर दिया है कि वे हर क्षेत्रमें उत्तमोत्तम भारतीय परम्पराओके श्रेष्ठ उदाहरण है। मेरे इस कथनमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। ईश्वरमें और सत्यमें तमिल भाइयोकी विपुल श्रद्धा ही सघषके इन लम्बे वर्षोमें भारतीयोको टिकाये रखनेवाली एक मुख्य शक्ति रही है। जेल जानेवाली बहनोमें भी अधिकतर तमिल रही है। और गिरफ्तार करनेके लिए आनेवाले अधिकारियोकी परवाह न करके न्यू कैसिलकी बारकोमें और घर-घर जाकर मजदूरोको काम छोड कर हडतालके लिए समझानेके लिए जानेवाली बहनें कौन थीं? वे भी तमिल ही थीं। एक पौंड पावरोटी और एक औंस (ढाई तोला) चीनी खाकर कौन रहे? ये भी ज्यादातर तमिल ही थे। यद्यपि यहाँ न्यायके खातिर मुझे उन भाइयोकी भी तारीफ करनी चाहिए जो कलकत्तावाले कहे जाते है। आखिरी लडाईमें इन्होने भी अच्छा भाग लिया था। परन्तु मै उसे तमिलोके जितना अच्छा नहीं कह सकता। हाँ, साहस उनका भी लगभग वैसा ही रहा जैसा कि तमिल भाइयोका। परन्तु यह नहीं भुलाया जा सकता कि तमिल भाई पिछले आठ वर्षसे लगातार लडते रहे है और उन्होने शुरूसे ही बता दिया कि वे किस धातुके बने हुए है। यहाँ जोहानिसबर्गमें तो उनकी सख्या बहुत कम है। परन्तु फिर भी मेरा खयाल है जो लोग बार-बार जेल गये उनमें सबसे अधिक सख्या तमिलोकी ही है। अगर जेल जानेवालोकी कुल सख्या जानना चाहें तो इसमें भी सबसे बडी सख्या तमिलोकी ही मिलेगी। इसीलिए तो जब मै किसी तमिल सभामें जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मानो मै अपने सगे-सम्बन्धियोके बीच ही आया हूँ। तमिलोने इतनी अधिक हिम्मत, इतनी श्रद्धा, इतनी कर्त्तव्यनिष्ठा और इतनी महान सादगी दिखाई है, और फिर भी उनमें यशका कोई लोभ नहीं है। मै तो उनकी भाषा भी नहीं बोलता, हालाँकि चाहता बहुत हूँ, और फिर भी वे (तमिल तो) लडाईमें डटे ही रहे हैं। यह सारा अनुभव ऐसा भव्य और अमूल्य है कि जिसकी याद मै सदैव सजो कर रखूँगा। अब ऐसे लोगोको मै समझौता किस प्रकार समझाऊँ? वे तो समझौता चाहते ही नहीं है। किन्तु अगर समझाना ही है तो मै केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तमिल भाई और उनके प्रियजन जिस चीजके लिए लडे है वह प्राप्त हो गई है। और वह प्राप्त हुई है उस चरित्र-बलसे जो उन्होने प्रदर्शित किया है। और इतना सब करनेपर भी तमिल भाइयोको कोई पुरस्कार पानेकी कभी कोई इच्छा नहीं

१ देखिए "श्रद्धांजलि सत्याग्रही शहीदोको", पृष्ठ ४७७-७९।

रही। वे तो सिर्फ अपने अन्तःकरण द्वारा दिया गया पुरस्कार चाहते थे। दक्षिण आफ्रिकामें जन्म पानेके नाते केप-प्रान्तमें प्रवेश पानेके अधिकारके लिए वे लड़े हैं। यह अधिकार उन्हें मिल गया है। कानूनोंके न्याययुक्त अमलके लिए वे लड़े। वह भी उन्हें मिल गया है। फ्री-स्टेटके कानूनमें से जातीय भेदको हटानेके लिए वे लड़े। वह भी वे पा गये हैं। तीन-पौंडी कर तो अब भूतकालकी वस्तु बन ही गया है। और विवाहके प्रश्नके बारेमें जो प्यारी बहनें जेलमें गई थीं वे सब अब अपने पतियोंकी ही पत्नियाँ कहला सकेंगी, जब कि कल तक [यूरोपीय] मित्र केवल शिष्टाचारके खातिर उन्हें ऐसा कह सकते थे, परन्तु कानूनके अन्दर वे पत्नियाँ नहीं मानी जाती थीं। लड़ाईके उद्देश्योंमें से यह भी एक था और उसमें सफलता मिली। तमिल भाई सत्यके लिए लड़ रहे थे और सत्यकी विजय हुई है — मेरी या उनकी नहीं। कलको वे चाहें तो एक असत उद्देश्यके लिए भी लड़ सकते हैं, परन्तु उसमें उनकी निश्चय ही हार, और करारी हार होगी। सत्य अजेय है। और जब-जब भी उसके लिए लड़नेका निमन्त्रण मिलेगा, मुझे आशा है कि तमिल भाई अवश्य ही दौड़ पड़ेंगे। एक बात और है। कौमके हर भागकी तरह उनके अन्दर भी कभी-कभी ईर्ष्याकी भावना दिख जाती है। ये तुच्छ राग-द्वेष लड़ाईसे सम्बन्धित नहीं, दूसरी बातोंसे सम्बन्धित हैं जिनका लड़ाईसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे आशा है कि ये सब ईर्ष्या-द्वेष और मतभेद दूर हो जायेंगे और वे अपनी और उन दूसरोंकी नजरोंमें भी, जो उन्हें तथा उनके चरित्रकी गहराईको जानने लगे हैं, और ऊपर उठ जायेंगे। अन्य भारतीयोंकी भाँति तमिलोंमें ईर्ष्या-द्वेष ही नहीं, स्वार्थ-भरे छोटे-छोटे आपसी झगड़े भी हैं। मैं चाहता हूँ कि वे उन्हें विशेष रूपसे अपने बीचसे निकालकर बाहर कर दें। क्योंकि उन्होंने अपने आपको मातृभूमिके लिए समर्पित करनेमें इतना अधिक योग्य साबित किया है। और भारतकी सेवाकी शिक्षा पानेके लिए अपने चार पुत्रोंको समर्पित करनेवाले भी तो एक तमिल गृहस्थी ही हैं।[1] मुझे विश्वास है कि श्री और श्रीमती नायडू अच्छी तरह जानते हैं कि वे कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वे सारे जीवन-भरके लिए अपने इन बच्चोंपर से अपना अधिकार छोड़ रहे हैं। और ये बच्चे भी अपने माता-पिताकी आर्थिक दशा सुधारनेके लिए सम्भवतः कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें तो सदा भारतके सेवक ही बनकर रहना है। यह कोई हँसी-खेल नहीं है। फिर भी श्री और श्रीमती नायडूने यह बड़ा काम किया है। श्री गांधीने कहा, मेरी सबसे बड़ी अपील तो यह है कि सभी वर्गों और भागोंके भारतीयोंको अपने आपसी लड़ाई-झगड़े और ईर्ष्या-द्वेष बिलकुल छोड़ देने चाहिए। इसी प्रकार जब कभी वे किसीको अपना सभापति या अध्यक्ष चुनें तो उनको सभापतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिए तथा उनका अनुसरण करना चाहिए और कभी इसकी और कभी उसकी बातोंपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वे दूसरोंके कहनेमें लग जायेंगे तो अपनी उपयोगिता बहुत घटा लेंगे। अगर उनकी जगह उनके

१. देखिए "भाषण : विदाई भोजमें", पृष्ठ ४६४।

कामका लाभ कोई दूसरा उठा ले जाये तो उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अगर वे पार्थिव पुरस्कारकी इच्छा नहीं रखेंगे तो उनको और भी अधिक लाभ होगा। सच्चा सत्याग्रही तो भौतिक पुरस्कारका खयाल भी नहीं करता। भौतिक वैभवकी उन्हे चिन्ता नहीं करनी चाहिए बल्कि सदा अपने सामने ऊँचे आदर्श रखने चाहिए। वे इस तरह रहेंगे तभी समाजमें एक ऐसे सुमनका काम कर सकेंगे जिससे सारा समाज सुवासित हो उठेगा और उसे इतना ऊँचा उठा सकेंगे कि लोग उसका अनुकरण करनेकी इच्छा करें। यह विशेषाधिकार नि सन्देह उनका ही प्राप्य है, और इसके लिए उनके पास समय भी है। अगर वे इस समयका अच्छा उपयोग कर सकें तो वह समस्त दक्षिण आफ्रिकाके लिए और खुद उनके लिए भी एक शानदार चीज होगी। श्री गाधीने कहा, भारत पहुँचनेपर जब कभी मै यह सुनूँगा कि जिन छोटी-छोटी बातोकी तरफ मैने ध्यान दिलाया है उन्हें भारतीय समाजने छोड दिया है तो मुझे बडी खुशी होगी। एक बात और। मद्रासके बारेमें मुझे कुछ जानकारी है और मै जानता हूँ कि वहाँ जात-पाँतका भेदभाव कितना तीव्र है। मुझे लगता है कि यहाँ आनेपर भी इन भेद भावोको यदि वे कायम रखेंगे तो उनका दक्षिण आफ्रिका आना व्यर्थ ही साबित होगा। जाति-प्रथाकी अपनी उपयोगिताएँ है परन्तु उसे यहाँ चिपकाये रखना तो उसका दुरुपयोग ही है। अगर जातीय भेदभावोको वे बेवकूफीकी हदतक खींचे, एक दूसरेको ऊँच-नीच कहने लगें तो इससे हमारा नाश ही होगा। याद रखना चाहिए कि न तो कोई ऊँचा और न कोई नीचा, बल्कि सब भारतीय है, सब तमिल है। तमिलका नाम तो केवल उदाहरणके लिए लिया। यो तो यह बात सारे भारतीय समाजपर लागू होती है। लेकिन उनपर सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योकि उन्हींसे सबसे ज्यादा आशा की जाती है।[1]

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ५-८-१९१४

३७३. भाषण . प्रिटोरियामें[2]

जुलाई १६, १९१४

श्री गाधीने जवाब देते हुए श्री स्टेंटके अध्यक्ष पद स्वीकार करनेपर बडी प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि श्री स्टेंटने जिस ढगसे हमारे उद्देश्यकी वकालत की है उससे स्पष्ट है कि इस पदके लिए उनसे अधिक उपयुक्त कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता था। जब मै पहले प्रिटोरिया आया तो मैंने 'प्रिटोरिया न्यूज'में अपने उद्देश्यके समर्थनमें टिप्पणियाँ देखीं। मैने पूछताछ की, तो मुझे बताया गया कि श्री स्टेंट एक नीग्रो-प्रेमी है जो प्राय बहुत बडा व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर काम करते रहते है और

१ गाधीजीके बाद सर्वश्री कैलेनबैक, पोलक, पी० के० नायडू और थम्बी नायडूने भी भाषण किया

२ गांधीजी सुबह ८ बजे मोटरसे प्रिटोरिया पहुँचे। भारतीय बस्तीमें उन्हें एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया। श्री चैमने, स्टेंट, हाजी हबीब और कई अन्य लोगोंने गांधीजीकी प्रशसामें कुछ शब्द कहे।

आम जनता जानती तक नही है। श्री स्टेंटने हमारे उद्देश्यकी बराबर वकालत की है और मै व्यक्तिगत रूपसे उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। श्री चैमनने जो भावनाएँ प्रकट की है मेरी भी वही भावनाएँ ह। निश्चय ही मैंने श्री चैमने और उनके कार्यालयके प्रबन्धकोका विरोध किया, परन्तु इसमें कोई व्यक्तिगत दुर्भाव मेरी ओरसे नहीं रहा और श्री चैमनेने भी हमेशा मेरे साथ शिष्टसे शिष्ट व्यवहार किया। उस समय जब मै २,००० आदमी और औरतोका नेतत्व कर रहा था, श्री चैमने केवल एक आदमीके साथ मुझे गिरफ्तार करने आये। इससे उनका मेरे प्रति जो आदर प्रकट हुआ, म उसकी कद्र करता हूँ। इससे यह जाहिर होता है कि एक सत्याग्रहीके रूपमें श्री चैमने मुझपर कितना विश्वास करते है। मै चन्देकी थैलीके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसकी सारी निधिका उपयोग अन्य थैलियोसे प्राप्त रकमकी भाँति, मेरे किसी कामके लिए नही होगा बल्कि, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके हितोको आगे बढानेके लिए और आवश्यकता हुई तो भारतमें किसी कामके लिए होगा जिसे मै करना चाहूँ और जो हमें अपने बीच हुई चर्चाओमें उचित जान पडा हो। वे जिन यूरोपीय मित्रोको छोडकर जा रहे थे, उनके बारेमें उन्होने प्रेमभरे शब्द कहे, और कहा कि अपने स्मरणीय कूचके समय मुझे यूरोपीयोसे बहुत हमदर्दी और प्रोत्साहन मिला, और इसी कारणसे उस कूचने मुझे दक्षिण आफ्रिकाको पहलेसे भी अधिक प्यार करनेके लिए प्रेरित किया। इसी अवधिमें मुझे यह ज्ञात हुआ है कि यद्यपि दक्षिण आफ्रिका एक ऐसा देश है जिसपर अधिकतर भौतिकवाद छाया हुआ है, फिर भी निराशाकी कोई बात नहीं है। मै महसूस करता हूँ कि जो समझौता हुआ है वह एक तरहका अधिकार पत्र (मैग्ना कार्टा) है। वह इस खयालसे कोई अन्तिम समझौता नहीं है कि अब कोई बुराइयाँ ही नहीं बची हो। हमें धैर्यसे काम लेना है और यूरोपीयोकी राय ऐसी बनानी है कि शेष बुराइयाँ भी दूर की जा सकें। श्री स्टेंट-जैसे लोग हमारे प्रति जैसी सहानुभूति रखते है, हमें वह बनाये रखनी है। श्री गाधीने सत्याग्रहकी महान् शक्तिके बारेमें कहा और आशा व्यक्त की कि शायद उसे दुबारा प्रयोगमें लानेकी जरूरत न पडे। उन्होने कहा कि भारतीय राजनीतिको धर्मसे अलग नहीं कर सकते, उनके लेखे वे दोनो चीजें एक है। उन्होने भारतीय उद्देश्यकी प्राप्तिमें कुमारी श्लेसिन द्वारा किये कामकी जोरदार शब्दोमें सराहना की।[1]

[अंग्रेजीसे]
रैंड डेली मेल, १७-७-१९१४

१ इसके बाद गाधीजी हिन्दीमें बोले और समाजके नेताओके साथ एक बैठकके बाद, जोहानिसबर्गके लिए चल दिये।

३७४ भाषण : गुजरातियोकी सभामे[1]

जोहानिसबर्ग
जुलाई १६, १९१४

मेरे गुजराती बन्धुओने मेरी और श्रीमती गाधीकी बहुत सेवा की है। परन्तु इतना तो मुझे कहना पडता है कि हमारे सघषमे जैसी सेवा तमिल लोगोने की वैसी गुजराती बन्धु नही कर सके। मुझे उम्मीद है कि [इस दिशामे] गुजराती बन्धु तमिल समाजसे सबक लेगे। मै तो तमिल लोगोकी भाषा भी नही जानता पर तो भी उन्होने सघर्षमे मुझे बडी भारी मदद की है। चूकि मै गुजराती समझता हूँ अत मै अपनी बात गुजराती बन्धुओको सबसे अधिक और सुगमतापूवक समझा सकता हूँ। फिर भी गुजराती बन्धु अपना कत्तव्य पालन नही कर पाये। वे तो पैसेके पीछे पडे है। यह जानकर तो मुझे और भी दु ख है कि कुछ लोगोको शराबकी लत लग गई है। मुझे उनपर दया आती है। हममे जो समझदार है उनका यह कत्तव्य है कि वे ऐसे लोगोका इस बुरी आदतसे उद्धार करे। कुछ लोग सोनेका तस्कर व्यापार करते है। उनका खयाल है कि ऐसा करनेसे अपने देशमे पैसा जाता है। परन्तु अधम द्वारा कमाया हुआ पैसा कही भी स्थिर नही रह पाता। मै यद्यपि अभी ऐसी स्थिति तक नही पहुँचा हूँ कि पैसेकी सहायता न माँगू पर यदि इस स्थिति तक पहुँच पाऊँ तो खास तौरसे ऐसे धनकी सहायता कभी स्वीकार न करूँ जो अन्यायसे कमाया गया हो। आप लोगोको लगता होगा कि मै जब कभी आपसे कुछ कहता हूँ मेरे शब्द सख्त ही होते है। पर मेरे ये कडवे बोल आपके लिए अन्तमे मीठा फल देगे। मै आप लोगोसे दूर—मातृ-भूमिको जा रहा हूँ परन्तु आप लोगोका स्नेह मै कभी भी भुला नही सकूँगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–८–१९१४

३७५ कानूनी स्थिति

[जुलाई १८, १९१४ के पूर्व][2]

तीन-पौडी करके हटाये जानेके कारण यह आशका हो गई है कि इससे वे भारतीय जिनपर इसका असर पडा है, निषिद्ध प्रवासी बन जायेगे और इस कारण उनकी स्थिति पहलेसे बदतर हो जायगी। इसीलिए हमारा वास्तविक कानूनी स्थितिपर विचार करना उपयुक्त होगा। क्योकि, यदि यह सच है कि हर करके हटाये जानेपर वे निषिद्ध

१ गाधीजी और कस्तूरबाको विदा देनेके लिए जोहानिसबर्गमें गुजरातियोकी यह सभा हुई थी।

२ जाहिर है कि यह लेख १८ जुलाईसे पहले उस समय लिखा गया था जब गांधीजीने इग्लैंड होते हुए भारत जानेके लिए प्रस्थान किया था।

प्रवासी बन जाते है तो गृह-सचिवने गाधीजीको जो पत्र[1] लिखा है उसके पैरा २ का पहला ही वाक्य जिसमे ऐसे भारतीयोको मुक्ति-पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) जारी करनेकी व्यवस्था होती है, 'नेटाल मर्क्युरी' के कथनानुसार, उस श्रेणीसे उन्हे अलग नही करता। वह धारा, जैसा कि 'मर्क्युरी' शायद हमे विश्वास दिलाये, इस उद्देश्यसे नही जोडी गई थी कि इन गरीब लोगोको अधिवासका अधिकार उपलब्ध हो। वह तो महज इसीलिए जोडी गई थी कि ये लोग पुलिसकी तग करनेवाली पूछताछसे मुक्त होकर प्रान्तमे घूम-फिर सके तथा पार-पत्र न होनेके कारण गिरफ्तारीसे बच सके। अब 'मर्क्युरी' का तर्क यह है कि यदि ये लोग कर नही देते तो अपने अनुबन्धकी दो अन्य शर्तोमे से एकको पूरी करे, अर्थात् या तो ये फिर गिरमिटमे बँध जाये या भारत लौट जाये। यदि ये इन दोनोमे से एक भी शर्त पूरी नही करते तो यह दलील दी जाती है कि वे पिछले वर्षके प्रवासी विनियमन अधिनियमके खण्ड ३० के अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी घोषित किये जा सकते है। उक्त खण्ड उन लोगोको, जिन्होने सघमे कुछ शर्तोके साथ निवासके लिए प्रवेश किया हो, निषिद्ध प्रवासी घोषित करके 'अधिवास' शब्दकी व्याख्या करता है। यदि उपर्युक्त तर्क ठीक होते तो जिन भारतीयोने वर्षोसे कर नही दिया वे सब प्रवासी विनियमन अधिनियमके पास होने पर तुरन्त ही निषिद्ध प्रवासी घोषित किये जा सकते थे और प्रान्तसे बाहर खदेडे जा सकते थे। परन्तु ऐसी कोई कार्रवाई नही की गई। दुबारा गिरमिटकी या वापस लौट जानेकी शर्त रखनेवाले अनुबन्ध प्रवासी न्यास निकायके साथ होते है जो एक गैर-सरकारी सस्था है। कानूनका यह एक सुविदित सिद्धान्त है कि जो अनुबन्ध सार्वजनिक नैतिकताके प्रतिकूल है या जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगाते है, वे अवैध है। इसलिए वापस लौट जानेवाली धारा सावजनिक नैतिकताके प्रतिकूल होने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके कारण अवैध है, और उसे कानूनके अनुसार वैध और प्रभावशाली बनानेके लिए एक विशेष सविधि (स्टेटयूट) की आवश्यकता होगी। नेटालकी पिछली सरकारने यही तो कोशिश की थी किन्तु वह भारत सरकारसे ऐसा करानेमे असफल रही, और तत्कालीन भारत सरकार केवल एक यह चीज करनेको राजी हुई कि जो व्यक्ति वापस न लौटें वे कर देनेके लिए बाध्य होगे। वैसे यह बात भी गलत और शर्मनाक थी। अतएव करके हटा लिये जाने-पर स्वदेश भेजे जाने या दुबारा गिरमिटमे बँधनेकी धारा प्रभावहीन और निरथक हो जाती है। कानूनका एक और सिद्धान्त कि कोई भी सविधि, जो जनतापर डाले गये दायित्वके पूरे न किये जानेपर दण्डका विधान नही करती उस दायित्वको पूरा करानेके लिए जनताको बाध्य भी नही कर सकती। इसी बातको ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयने एक मामलेमे, जो कि १८८५ के कानून ३ के अन्तगत चलाया गया था, स्पष्ट रूपसे निर्धारित किया था। उक्त कानूनके अनुसार भारतीयोको बस्तियोमे रहना चाहिए। यदि वे उस तरह बस्तियोमे नही रहते तो इसके लिए उक्त कानूनमे किसी दण्डका विधान नही है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालयने यह माना है कि भारतीयोको बस्तियोमे रहनेके लिए बाध्य नही किया जा सकता और वह स्थिति ज्योकी-त्यो

१ देखिए परिशिष्ट २६।

बनी हे, तथा उल्लिखित खण्डके बावजूद, भारतीय ट्रान्सवालमे जहाँ चाहे वहा रहते है। इसलिए यह बिलकुल स्पष्ट है कि जहाँतक कानूनी पहलूका सम्बन्ध है, वे भारतीय जिनपर कर रद होनेका असर पडा है, हूबहू उसी स्थितिमे है जिसमे कि वे लोग है जो १८९१ के कानून २५ के अन्तगत आये थे। इसके अलावा यह तथ्य भी है कि स्वय आयोगने, जिसमे तीन ख्यातिप्राप्त वकील थे, १८९५ के इस विवादास्पद कानूनके छठे खण्डको रद करनेकी सिफारिश की और इस कानूनके अन्तगत आनेवाले लोगोको उसी स्थितिमे रखनेके लिए जिसमे कि १८९१ के कानून २५ के अन्तगत आनेवाले लोग है, इसे रद करना ही पर्याप्त समझा। भारत सरकार और साम्राज्य-सरकारकी भी वही राय है जो आयोगकी है और उन्होने स्पष्ट रूपसे यही समझा है कि कर रद होनेके बाद उन लोगोको अपने-अपने वर्तमान गिरमिटकी अवधि पूरी कर लेनेपर प्रान्तमे बसनेकी स्वतन्त्रता होगी और सघ सरकारने स्वय यह घोषणा की है कि वह भी कानूनका यही अथ लगाती है। इन सब बातोको ध्यानमे रखते हुए हमे शका करनेका कोई कारण नजर नही आता। 'मक्युरी' ने आगे सुझाव दिया है कि सघ सरकारका आवश्वासन पर्याप्त भले ही हो, किन्तु यदि उसपर आधारित कानूनी अथ सही हुआ और हटसॉग प्रधानमन्त्री बन गये तो उस आश्वासनका कोई मूल्य नही होगा। भारतीय प्रश्नपर जनरल हटसॉगकी चाहे जो भी नीति हो हम इस आशकामे शामिल नही हो सकते। एक सविधानिक राज्यमे जैसा कि दक्षिण आफ्रिकी सघ है, जनरल हर्टसॉग उस वादेसे बँधे होगे जो उनके पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीने तीसरे पक्षसे किया है। वे नीति बदल सकते है, कानून बदल सकते है, परन्तु अपने पूववर्ती पदाधिकारियोके तीसरे पक्षके लिये दिये गये वादेको नही तोड सकते और वे ऐसा करनेका साहस भी नही करेगे। यदि वे ऐसा कर सके तो यह स्पष्ट है कि सरकारका ही अन्त हो जाता है और जहाँ भी उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल है वहाँ जनता सरकारके साथ किसी भी आश्वासनके बावजूद सरोकार नही रख सकती। अन्तमे हमारे देशभाइयोको भविष्यके सम्बन्धमे कोई भी भय करनेकी जरूरत नही है। होनेको तो बहुत-सी बाते हो सकती है, किन्तु उनके होनेकी सम्भावना बहुत ही कम है। सम्भव है, सर्वोच्च न्यायालय कानूनका वैसा ही अथ निकाले जैसा कि 'मर्क्युरी' ने निकाला है। यद्यपि यह नितान्त असम्भव है फिर भी हो सकता है कि भावी सरकार या मौजूदा सरकार भी जान-बूझकर किये गये वादेको तोडे। निश्चय ही इन परिस्थितियोमे विशुद्ध आत्मासे और ससारके सामने पूरे औचित्यके साथ भारतीय इसी दुदमनीय अस्त्र —सत्याग्रहका प्रयोग कर सकते है, जैसा उन्होने अबतक किया है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–७–१९१४

३७६. विदाईका पत्र[1]

[केप टाउन
जुलाई १८, १९१४]

भारत रवाना होते समय, मैं दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभाइयोसे, यूरोपीय समाजसे भी, चन्द शब्द कहना चाहता हूँ। यूरोपीय और भारतीय मित्रोने अपनी कृपासे जिस प्रकार मुझे अभिभूत कर दिया है उसके कारण मै उनका ऋणी होकर भारत जा रहा हूँ। भारतमे रहकर जो-कुछ सेवा वहाँ मुझसे हो सकेगी उसे करके, मै इस ऋणको चुकानेका यत्न करूँगा, और यदि दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय समस्याके बारेमे बोलते हुए मुझे उन अन्यायोका जिक्र करना पडा जो मेरे देशबन्धुओके साथ यहा हुए है या आगे होगे तो मै वादा करता हूँ कि जान-बूझकर उसमे अतिशयोक्ति नही करूँगा और सत्यका ही बयान करूँगा — सत्यके अतिरिक्त और कुछ नही करूँगा।

समझौते और उसके अर्थके बारेमे भी मै दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरी तुच्छ सम्मतिमे यह इस देशमे हमारी स्वतन्त्रताका अधिकार पत्र[2] (मैग्ना कार्टा) है। मै इसे यह ऐतिहासिक नाम इसलिए नही दे रहा हूँ कि इसने हमे कोई ऐसे अधिकार दिये है जिनका हमने कभी भोग नही किया है, या जो स्वयमे नये और महत्त्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि यह आठ वर्षके ऐसे निरन्तर कष्ट-सहनके बाद प्राप्त हुआ है जिसमे भौतिक सम्पत्ति तथा मूल्यवान प्राणोकी हानि उठानी पडी है। मै इसे 'मैग्ना कार्टा' इसलिए कहता हूँ कि यह हमारे प्रति सरकारकी नीतिमे परिवर्तनकी सूचना देता है, और हमे प्रभावित करनेवाले मामलोमे न केवल हमारी सलाह लेने बल्कि हमारी विवेक-सम्मत आकाक्षाओका आदर किये जानेके हमारे अधिकारकी स्थापना करता है। इसके अलावा वह ब्रिटिश सविधानके इस सिद्धान्तकी भी पुष्टि करता है कि सम्राट्की विविध प्रजाओके बीच कानूनी तौरपर कोई जातिगत असमानता नही होनी चाहिए फिर चाहे स्थानीय परिस्थितियोके अनुसार इसके अमलमे कितनी भी विविधता क्यो न पाई जाये। इस सबसे बढकर इस समझौतेको हमारा 'मैग्ना कार्टा' इसलिए कहा जाना चाहिए कि इसने सत्याग्रहको एक कानून-सम्मत स्वच्छ अस्त्रके रूपमे प्रमाणित कर दिया है, और समाजको सत्याग्रहकी शक्लमे एक नई शक्ति दी है, और मै इसे उस मताधिकारकी अपेक्षा कही ऊँची शक्ति मानता हूँ जिसे इतिहासमे अक्सर ही, प्राय स्वय मतदाताओके ही विरुद्ध काममे लाया गया है।

समझौता अन्तिम रूपसे उन सब बातोका निबटारा कर देता है, जिनको लेकर सत्याग्रह किया गया था, और ऐसा करके उसने न्याय और औचित्यकी भावनाको

१ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके और यूरोपीयोके नाम लिखा गया यह पत्र गाधीजीने केप टाउनमें रायटरके जरिये प्रकाशित कराया। यह पत्र **रैंड डेली मेलके** २०-७-१९१४के अकमें और **ट्रान्सवाल लीडरके** २४-७-१९१५के अकमें भी प्रकाशित हुआ था।

प्रकट किया है। यदि उसी भावनासे वतमान कानूनोका अमल किया गया तो मेरे देशबन्धुओको पहलेकी अपेक्षा अधिक शान्ति मिलेगी और दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समस्याके ऐसे उग्र रूपके दशन नही होगे।

मेरे कुछ देशभाइयोने समझौतेका विरोध किया है। इन विरोधियोकी सख्या बहुत कम है, और, प्रभावकी दृष्टिसे, वे बहुत महत्त्वपूण नही है। जो-कुछ दिया गया है वे उसका विरोध नही करते बल्कि उनकी आपत्ति यह है कि इतना पर्याप्त नही है। इसलिए उनके साथ सहानुभूति न हो, यह तो असम्भव है। मुझे उनसे बाते करनका अवसर मिला है और मैंने यह बतानेकी चेष्टा की है कि यदि हम इससे ज्यादा कुछ माँगते, तो पिछले सालके अन्तमे ब्रिटिश भारतीयोकी ओरसे श्री काछलियाने सरकारको पत्र लिखकर जो-कुछ निवेदन किया था उसका भग होता और तब हमपर यह आरोप लगाया जा सकता था कि हम नई मागे पेश कर रहे है।

किन्तु मैंने उनको यह भी विश्वास दिलाया है कि वर्तमान समझौता उन्हे उन अन्य शिकायतोको दूर करनेके लिए आन्दोलन करनेसे नही रोकता (जैसा कि पिछली १६ तारीखको लिखे अपने एक पत्रमे मैंने गृह-सचिवको स्पष्ट भी कर दिया है) जिनके कारण, स्वर्ण-क़ानून, कस्बा-अधिनियम, ट्रान्सवालके १८८५ के कानून तथा नेटाल तथा केपके व्यापारिक परवाना कानूनोके अन्तगत, इस सुधारके बाद भी, हमारा समाज कष्ट पाता रहेगा। जनरल स्मट्सने मौजूदा कानूनोपर न्यायपूवक और निहित हितोका ध्यान रखते हुए अमल करनेका जो वादा किया है उससे हमारे समाजको जरा सास लेनेका मौका मिल गया हे। किन्तु ये कानून स्वय अपनेमे ही त्रुटिपूण है और उनको उत्पीडनके यत्र-रूपमे प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसा कि पहले किया भी जाता रहा है। उन्हे अप्रत्यक्ष उपायो द्वारा ऐसे अस्त्रोके रूपमे परिवर्तित किया जा सकता है जिससे दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीय निकाल बाहर किये जायँ। हमने नये प्रवासियोके आव्रजनका प्रशासनिक उपायो द्वारा प्राय पूण निषेध किया जाना तथा सारी राज-नीतिक शक्तिसे स्वयका च्युत किया जाना स्वीकार करके जन-विद्वेषकी भावनाका आदर किया है, हमसे इससे अधिककी आशा नही की जानी चाहिए। दोनो बाते निश्चित हो जानेके बाद, मै यह निवेदन करनेका साहस करता हूँ कि हम निकट भविष्यमे व्यापार, अन्तर-प्रान्तीय आवागमन तथा भू-सम्पत्तिपर स्वामित्वके पूण अधिकार पानेके हकदार है। मै इस आशाके साथ दक्षिण आफ्रिका छोड रहा हूँ कि आज दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय समाजमे जो स्वस्थ प्रवृत्ति फैल रही है वह बनी रहेगी और इसके कारण यूरोपीयोको हमारे निवेदनकी न्यायसगतता स्वीकार करनेमे मदद मिलेगी। गत एक पखवारेमे मैंने जिन विविध सभाओमे भाषण किये है उनमे से कई सभाओमे हजारो आदमी रहे है। अपने भाषणोमे मैंने देशभाइयोसे कहा है — "समझौतेका पोषण करो। देखो कि जो वादे किये गये है, उनका पालन किया जा रहा है। अन्दरसे वृद्धि और विकासकी चेष्टा करो। उन सब कारणोको उत्साहपूर्वक दूर कर दो जिनसे भारत-विरोधी विद्वेष या आन्दोलनको उठने और बढनेका मौका मिलता हो, और यूरोपीय मतको इस प्रकार सुसस्कृत एव उद्बुद्ध करो कि उस समयकी सरकार और ससद हमे हमारे अधिकार देनेमें समर्थ हो सके।" सिर्फ पारस्परिक सहयोग और

सद्भावनाके द्वारा ही उन ध्यान देने योग्य शेष निर्योग्यताओका, जिन्हे सत्याग्रहकी माँगोमे शामिल नही किया गया था, स्वाभाविक रूपमे और तीव्र रूपमे, आन्दोलन या सघर्ष किये बिना, समाधान निकल सकता है।

नेटालमे गिरमिटिया तथा भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोकी बहुत बडी सख्या एक गम्भीर समस्या है। अनिवार्य रूपसे उन्हे वापस भेजना शारीरिक और राजनीतिक दृष्टिसे असम्भव है, और जैसा कि मेरा अनुभव मुझे बतलाता है, वापसी यात्रा मुफ्त करने तथा इसी प्रकारके अन्य प्रलोभन देनेसे भी स्वेच्छापूण वापसीमे कुछ विशेष सफलता नही मिल सकती। इस महान राज्य द्वारा ग्रहण करने योग्य सच्चा और प्रभावशाली उपाय एक ही है —और वह है, न्याय और औचित्यके साथ जिम्मेदारीका सामना, गिरमिटिया प्रथाके बचे-खुचे रूपकी समाप्ति और आबादीके इस भागको ऊपर उठाकर सघकी सामान्य भलाईके लिए उसका उपयोग। जो स्त्रिया और पुरुष बडी सख्यामे सगठित रूपसे प्रभावपूर्ण हडताल कर सकते है, जो एक समान प्रयोजनके लिए अवणनीय कष्ट उठा सकते है, जो अनुशासनहीन होते हुए भी, पुलिसकी निगरानीके बिना कई दिनो तक शहादतके दु ख भोगते रह सकते है और फिर भी किसी व्यक्ति या सम्पत्तिको कोई हानि नही पहुँचाते, और जो आवश्यकताके समय अपने राजाकी सेवा निष्ठा और योग्यताके साथ कर सकते है, जैसी कि पिछले युद्धमे आहत-सहायक दल बनाकर की थी, (उसमे अन्य वर्गोंके सिवा १,५०० गिरमिटिया भारतीय भी थे), वे निश्चय ही ऐसे लोग है जिन्हे जीवनमे यदि सवसाधारण लोगो-जैसे अवसर दिये जायें, तो वे किसी भी राष्ट्रके सम्मानपूण अग बन सकते है।

यदि आदमियोका कोई वग अपने सम्बन्धमे विचार किये जानेका विशेष दावा कर सकता है तो वह यही गिरमिटिया भारतीय और उनके बच्चे है, जिनके लिए दक्षिण आफ्रिका उनके द्वारा गृहीत देश या जन्मभूमि है। उन्होने सघमे साधारण स्वतन्त्र प्रवासियोके रूपमे प्रवेश नही किया, वे निमन्त्रित किये जानेपर और दक्षिणी आफ्रिकी मालिकोके एजेटोके बहुत समझाने-बुझानेपर आये। मैने अपनी शक्तिभर सच्चाई और न्यायके साथ, इस पत्रमे भारतीय स्थितिका, तथा पिछले महीनेकी अवधिमे अनेक यूरोपीय मित्रोने मेरे प्रति जो असाधारण शिष्टता, कृपा और सहानुभूति प्रकट की है, उसका वर्णन करनेकी चेष्टा की है। जनरल स्मट्सने, मुझे दी गई भेटोमे, जिस स्पष्टता और उदारताके साथ, सम्बन्धित विषयपर विचार किया, और ससदके दोनो सदनोके अनेक प्रतिष्ठिन सदस्योने जिस प्रकार समस्याके साम्राज्यीय पहलूको महत्त्व दिया, उससे मुझे यह विश्वास करनेके लिए पर्याप्त कारण मिल जाता है कि मेरे जिन देशभाइयोने दक्षिण आफ्रिकाको अपना घर बना लिया है, उनको प्राय पूर्ण न्याय प्राप्त होगा और वे सघमे स्वाभिमान और गौरवके साथ रह सकेंगे।

अन्तमें दक्षिण-आफ्रिकासे बिदा लेते हुए मैं उन बहुतसे मित्रोसे क्षमा माँगना चाहूँगा, जिनसे अत्यधिक कार्य-व्यस्तताके कारण मैं व्यक्तिगत रूपसे जाकर नही मिल सका। एक बार मैं फिर कहता हूँ कि यद्यपि इस देशके अपने लम्बे निवासमे मुझपर अनेक कठोर आघात हुए है, फिर भी यह मेरा सौभाग्य रहा है कि सैकडो यूरोपीय मित्रो, हितैषियो और हमदर्दोंसे मुझे अत्यधिक निजी सद्भाव और सौहाद्र प्राप्त हुआ

और आपके सहयोगके प्रतीक है, अत मै इन्हे स्वीकार कर लूगा। ईश्वरसे कामना है कि मै भारतमे भी ऐसे ही काम कर सकू और आपके प्रेमका अधिकारी बना रहूँ। ईश्वर करे कि यह प्रेम समयके साथ हमारे-आपके बीचकी दूरीके बावजूद बढता ही जाये।

आगे बोलते हुए श्री गाधीने कहा कि आपने "श्रेष्ठ वाइसराय और हमारे हित-चिन्तक मित्र" लॉर्ड हार्डिजकी शोकजनक क्षतिका[1] उल्लेख करके ठीक ही किया है। मै उनतक आपकी हार्दिक शोक-भावना, जिसमें मै भी शामिल हूँ, पहुँचानेका प्रयास करूँगा।

उन्होने कहा, आपसे अलग होनेमें मुझे बहुत मुश्किलका अनुभव हो रहा है, लेकिन शारीरिक रूपसे दूर होकर भी भावनाकी दृष्टिसे मै सदैव आपके साथ जुडा रहूँगा। आजसे २१ वर्ष पूर्व जब मै नेटालके तटपर उतरा था, उस समय मै एक अजनबीके रूपमे आपके बीचमें आया था। मै यहाँ अपने किसी देशवासीको नहीं जानता था, और न वे मुझे जानते थे। मै एक भी यूरोपीयसे परिचित नहीं था।[2] मुझे यहाँके भूगोलकी बहुत मोटी जानकारी थी। अब मै देखता हूँ कि मै एक ऐसा देश छोड रहा हूँ जो अत्यन्त साधन-सम्पन्न है, जहाँ रमणीक प्राकृतिक स्थल है, जिसकी जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक है, और इसके बावजूद कि मुझे जहाँ कई आघात भी सहने पडे है, जहाँके लोगोका दृष्टिकोण निश्चय ही आध्यात्मिक है। जिस देशने ऑलिव श्राइनर जैसे लोगोको जन्म दिया है उससे निराश या भयभीत होनेकी जरूरत नहीं है —(हर्षध्वनि) — डब्ल्यू० पी० श्राइनर और जॉन एक्स० मेरीमैन। (हर्षध्वनि) ऐसे श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष सदैव जीवित रहेंगे और इन श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषोको जन्म देनेवाली इस भूमिका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है।

अपना भाषण जारी रखते हुए श्री गांधीने कहा, दक्षिण आफ्रिकासे दूर जाकर भी मेरे मनमें अपने अनेक यूरोपीय मित्रोकी सुखद स्मृतियाँ सदैव बनी रहेंगी।

घूमकर अपना हाथ श्री कैलेनबैकके कन्धेपर रखते हुए उन्होने कहा

देखिए, मै अपने साथ अपना रक्त-भाई नही, बल्कि अपना यूरोपीय भाई ले जा रहा हूँ। क्या यह इस बातका प्रमाण नही है कि दक्षिण आफ्रिकासे मुझे बहुत कुछ मिला है, और क्या दक्षिण आफ्रिकाको एक क्षणके लिए भी भूल सकना मेरे लिए सम्भव है! (हर्षध्वनि)।

हमारी-आपकी कठिनाइयाँ समाप्त नही हुई है, लेकिन मुझे आशा है कि यह उदार समझौता जिस भावनासे आपको दिया गया है उसी भावनासे आप इसे ग्रहण करेंगे, क्योकि इसके पीछे आठ वर्षतक बराबर भोगे गये कष्टोका, ससदके दोनो सदनोमे हुई ऐतिहासिक बहसका, और साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारका बल और समर्थन है — ऐसा सुचिन्तित और सदुद्देश्यपूर्ण यह समझौता सुन्दर भविष्यकी सम्भावनाओसे

१ अभिप्राय लेडी हार्डिजकी मृत्युसे है।

२ २९-७-१९१४ के **इंडियन ओपिनियन**की रिपोर्टमें, इसके, बाद उन्होंने यह भी कहा "तबसे अबतक मैंने बहुत-से मित्र बनाये हैं, और उनमें से कुछ घनिष्ठतम और निष्ठावान् मित्र यूरोपीय है। मैं इस देशको, इसकी प्राकृतिक शोभाको और इसकी सुखद जलवायुको प्यार करने लगा हूँ।"

भरा हुआ है। लेकिन भविष्य सर्वथा आपके हाथोमे है। मै आशा करता हूँ कि भविष्यके गर्भमे हमारे लिए जो-कुछ भी छिपा है, हम अपने आचरणसे उसके योग्य सिद्ध होगे।

दक्षिण आफ्रिकामे ब्रिटिश भारतीयोके मामलेमे दिलचस्पी रखनेवाले अपने मित्रोसे मै एक अन्तिम अपील करना चाहूँगा। मै उनसे अपील करूँगा कि वे भारतीयोके सवालको मानवीय दृष्टिकोणसे, साम्राज्यीय दृष्टिसे देखे। यह चाहे सही हो या गलत, भला हो या बुरा, अंग्रेज और भारतीय एक-दूसरेसे बँध गये है, और दोनो जातियोको यही शोभा देता है कि वे अपनेको इस प्रकार ढाले कि आनेवाली पीढियोके लिए अपनी शानदार मिसाल छोड जायें और दिखादे कि हालाँकि न जाने कितने साम्राज्योका उत्थान और पतन हुआ है, लेकिन यह साम्राज्य सम्भवत एक अपवाद है, और इसकी बुनियादे भौतिकतापर नही बल्कि आध्यात्मिकतापर रखी गई है।

मेरे मनको इस बातसे बराबर आश्वासन प्राप्त होता रहा है, और मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि ब्रिटिश सविधानके आदर्शोमे कोई अत्यन्त सूक्ष्म और भव्य तत्व विद्यमान है। यदि ब्रिटिश सविधानसे उन आदर्शोको अलग कर दिया जाये तो उस सविधानमे मेरी निष्ठा भी खत्म हो जायेगी। जबतक वे आदर्श बने हुए है तबतक मै सविधानका दास हूँ। (हर्षध्वनि)। दोनो जातियोका यह कर्त्तव्य है कि वे उन आदर्शोको पवित्र थाती मानकर उनकी रक्षा करे।

मै नमस्कार करता हूँ, और आपसे विदा लेता हूँ। मै आपको कभी नही भूलूँगा। दक्षिण आफ्रिकामे अपनी कठिन परीक्षाओ और सघर्षोके बावजूद आपके असीम प्रेम और सहानुभूतिसे मै अभिभूत हो गया हूँ। और अपने देशवासियोसे ही नही बल्कि अपने यूरोपीय मित्रोसे मिलनेवाला यह प्रेम और यह सहानुभूति मै कभी नही भूलूगा। मेरे मनमे यह प्रेम और सहानुभूति पवित्र स्मृति बनकर रहेगे। (हर्षध्वनि)

[अंग्रेजीसे]

केप टाइम्स, २०–७–१९१४

३७८. भेट : 'केप आर्गस' के प्रतिनिधिको[1]

केप टाउन
जुलाई १८, १९१४

अच्छा, तो मै कहना चाहता हूँ कि अपने साथ अत्यन्त सुखद स्मृतियाँ लिये जा रहा हूँ, और मुझे आशा है कि वहा दूर रहते हुए मुझे यह जानकर खुशी होगी कि दक्षिण आफ्रिकामे मेरे देशभाइयोके साथ न्यायपूर्ण बरताव हो रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९–७–१९१४

१ एस० एस० **किनफॉन्स कैसिलके**, रवाना होनेके पूर्व — गांधीजी इसी जहाजसे यात्रा कर रहे थे — **केप आर्गस**का प्रतिनिधि उनके पास पहुँचा और उसने उनसे चलते चलते विदाईके सन्देशके रूपमें कुछ अन्तिम शब्द कहनेका आग्रह किया।

३७९ धन्यवादका सन्देश[1]

केप टाउन
जुलाई १८, १९१४

मैं, श्रीमती गांधी, श्री कैलेनबैक और अपनी ओरसे उन सैकड़ों लोगोंको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ जिनके तार यहाँ हमारे जहाजपर पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिण आफ्रिकाके सभी भागोंसे आये हुए ये तार, जिनमें प्यार और सहानुभूतिके सन्देश हैं, हमें और भी याद दिलायेंगे कि दक्षिण आफ्रिकाका हमारे लिए क्या अर्थ है। हमें विश्वास है कि बहुतसे यूरोपीय मित्रोंने हमारे प्रति व्यक्तिगत रूपसे जो सदभावना प्रदर्शित की है, वह अब उन लोगोंको दी जायेगी जिनके हितके लिए दक्षिण आफ्रिकामें हमारे जीवन समर्पित थे।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २०-७-१९१४

३८० अन्तिम सत्याग्रह संघर्ष : भूमिका

[एस० एस० किनफॉन्स कैसिल
जुलाई २३, १९१४]

मैंने दक्षिण आफ्रिका तो छोड़ दिया किन्तु इस देशके साथ अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा है। यह बात दक्षिण आफ्रिकाके अपने अन्तिम दिनोंके कई भाषणोंमें मैंने कही भी थी। इस वचनके पालनका कुछ प्रमाण 'इंडियन ओपिनियन'के लिए मैं जो लेख लिखूंगा उनसे मिलता रहेगा। अपने इन लेखोंमें मैं [समय-समयपर] मुझे जो विचार सूझेंगे उन्हें प्रकट करूँगा और यह आशा रखूंगा कि पाठकोंको वे अच्छे लगेंगे और उपयोगी भी सिद्ध होंगे।

यह लेख मैं किनफॉन्स कैसिल नामक स्टीमरपर शुरू कर रहा हूँ। आज हमें केप छोड़े पाँच दिन हो चुके हैं। श्री कैलेनबैक, मेरी धर्मपत्नी और मैं तीसरे दर्जेके यात्री हैं। इंग्लैंडकी समुद्री यात्रा तीसरे दर्जेमें करनेका यह मेरा पहला अनुभव है। पहले दर्जेकी यात्राका अनुभव तो बहुत है। मुझे कहना पड़ेगा कि पहले दर्जेकी अपेक्षा तीसरे दर्जेमें हम ज्यादा सुखी हैं। यहाँ हमारे ऊपर परिचारक निगरानी नहीं करते रहते, और इस पश्चात्तापसे भी बचे हैं कि हम गरीब वर्गसे अलग रहकर [सुख-सुविधाका] विशिष्ट जीवन बिता रहे हैं। पहले दर्जेमें मनको जिस संकोचका अनुभव होता है वह

१ गांधीजीने यह संदेश बेतारके तारसे रायटरकी एजेंसीको रवाना होनेके अनतिपश्चात् जहाजसे भेजा था।

इसमे नही होता। निरथक रूढियोका पालन भी नही करना पडता। असुविधाएँ भी यहाँ कुछ खास नही है। और गरीबीके जीवनमे जो सामान्य असुविधाएँ भोगनी पडती है वे अन्तमे सुखद सिद्ध होती है। यह टीका करनेमे मेरा मतलब यह नही है कि हरएक भारतीयको तीसरे दर्जेमे ही यात्रा करना चाहिए। मुझे यह हमेशा लगा है कि जिनके पास पैसा है और जो पैसेवालोके ही बीचमे रहना चाहते है उन्हे तो कत्तव्यके खातिर भी पहले दर्जेमे ही यात्रा करनी चाहिए। यदि वे ऐसा न करे तो हमारे ऊपर कजसीका आरोप लगाया जा सकता हे। किन्तु यह तो निश्चित हे कि विशेष सुखके लिए पहले दर्जेकी यात्रा करना पाप है। और मेरे जैसे व्यक्तियोको जो सावजनिक पैसेपर मुसा-फिरी करते है और जिनकी यात्राके ढगका उनके समाजकी प्रतिष्ठासे कोई सम्बन्ध नही हे उन्हे तो अवश्य तीसरे दर्जेमे ही, बल्कि उससे भी घटिया दर्जेमे—यदि वैसा कोई दर्जा हो तो—यात्रा करनी चाहिए।

हम तीनो लगभग फलाहारी है किन्तु कच्चे फलोको हम पका लेते है और मूगफली-जैसी चीजोको उबाल लेते है। मेहनतका यह काम ज्यादातर श्री कैलेनबैक करते है। मेहनत-मजदूरीके कायको आजकल उन्होने धम मान लिया है और उसमे वे आनन्दका अनुभव करते है। श्री कैलेनबैक और मेरी धर्मपत्नीका यह पहला अनुभव है जब कि इन दोनोको जहाजी बीमारी नही हुई। इस फकका कारण मेरा खयाल है, उनकी सादा रहन-सहन और उनका फलाहार है। फलाहार उत्तम खुराक है, इस बातका हम दिन-दिन विशेष अनुभव कर रहे है। दूसरे यात्रियोके साथ हमारा मिलना-जुलना क्वचित् ही होता हे। हमने अपने समयका ठीक-ठीक विभाजन कर लिया है और उसके अनुसार हम जिस समयके लिए जो काय नियत कर रखा है सो करते रहते है। इस तरह हमारा समय ठीक बीत रहा है।

अपने हजारो भारतीय भाइयोकी प्रीति और उनके द्वारा अर्पित आदर-सत्कारका हमे सतत स्मरण रहता है। उनका यह प्रेम मुझे आत्माकी अद्भुत शक्तिका और उसके महान् गुणोका भान कराता है। डबन, वेरुलम, जोहानिसबर्ग, किम्बर्ले और प्रिटोरियाके विदाई-समारम्भ भूलते ही नही। केप टाउनके भाइयोने तो जुलूस निकालकर हमे अपने आभारके बोझसे बिलकुल विनत कर दिया है। जहाँ असख्य लोगोने अपार प्रेम प्रकट किया हो वहाँ किसका नाम लेकर धन्यवाद दिया जाये? गोरी जनताने भी अपने प्रेमका सुन्दर प्रदशन किया। अन्तिम दिनोमे उनके प्रेमका प्याला भी हमने भरपूर पिया। परिचित और अपरिचित, सब लोगोने खूब प्रेम दिखाया। ऐसी घटनाओसे सिद्ध होता है कि गोरो और कालोके बीच कोई स्थायी भेद नही है और यदि दोनो पक्ष समुचित प्रयत्न करे तो दक्षिण आफ्रिकामे प्रचलित यह बुराई दूर हो जाये। यदि प्रत्येक अवसर पर एक पक्ष भी हर तरहसे सत्याग्रहका अवलम्बन करता रहे तो एक पक्षके प्रयत्नसे भी रगद्वेषकी यह बुराई दूर की जा सकती है, ऐसा मेरा दृढ विश्वास और अनुभव है। इतना प्रस्तावनाके रूपमे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-८-१९१४

३८१ अन्तिम सत्याग्रह सघर्ष मेरे अनुभव[1]

[जुलाई २३, १९१४ के बाद]

अन्तिम लडाई हुए काफी दिन हो गये। उसके अनुभवोको लिखनेका मुझे समय ही नही मिला। अपने इन अनुभवोका लाभ 'इडियन ओपिनियन' के पाठक-वर्गको देना तो था। पाठकोको याद रखना चाहिए कि आखिरी लडाई सत्याग्रहका तीसरा प्रकरण थी। पहला प्रकरण खत्म हुआ तब हमने — मैंने तो अवश्य ही — उसे आखिरी माना था। जब दूसरा प्रकरण शुरू करनेका अवसर आया तब अनेक भाई मुझसे कहने लगे कि अब कौन लडेगा? कौम बार-बार इतना जोर नही दिखा सकेगी। यह सुनकर मै हँसा था। सत्यपर मेरी अचल आस्था थी। मैंने जवाब दिया "लोगोने एक बार उसका रस चख लिया है, इसलिए अब तो वे ज्यादा लडेगे।" ऐसा ही हुआ भी। पहली बार सौ-दो-सौ हिन्दुस्तानी जेल गये। दूसरी बार सैकडो गये। इतना ही नही, नेटाल जागा और वहाके अग्रणी व्यक्ति लडाईमे भाग लेनेके लिए आये। लडाई बहुत लम्बी चली। फिर भी लोगोका उत्साह कायम रहा और हम आगे बढे। आखिरी लडाई आई तब तो मैंने लोगोको हारकी ही बाते करते हुए सुना। "सरकार आपको बार-बार धोखा देती है और आप धोखा खाते है, ऐसी हालतमे यह नही हो सकता कि लोग बार-बार नुकसान सहें।" ऐसे कडवे वचन मुझे सुनने पडते थे। मै खूब समझता था कि सरकारके धोखेके खिलाफ मेरा या किसीका भी कोई उपाय चल ही नही सकता था। हम प्रॉमिसरी नोट लिखवा ले, लेकिन यदि उसपर सही करनेवाला इनकार कर दे या अपना वचन तोड दे, तो उसमे लिखवानेवालेका क्या दोष? मै तो जानता था कि यदि सरकार वचन-भग करेगी, तो जिस तरह हमे ज्यादा मेहनत करनी पडेगी, उसी तरह उसे भी पहलेसे ज्यादा देना पडेगा। कर्जदार कर्ज चुकाते समय जितना ज्यादा समय लगाता है उतना ही ज्यादा बोझ उसे उठाना पडता है। यह अचल कानून जिस तरह ससारी कर्जको लागू होता है, उसी तरह धार्मिक कर्जको भी लागू होता है। मैंने तो यह जवाब दिया कि "सत्याग्रहकी लडाई ऐसी है कि उसमे हारने या पछतानेकी कोई बात ही नही है। इस लडाईमे तो मनुष्य हमेशा अधिक बलवान ही बनता है। उसमे थकावट महसूस नही होती और हरएक मजिलपर लडनेवालेकी शक्ति बढती

[1] प्रस्तावना लेख तैयार कर चुकनेके बाद (देखिए पिछला शीर्षक) गांधीजीने जहाजसे यात्रा करते समय यह लेख लिखना शुरू किया था। दो या दोसे भी अधिक किस्तोंमें इसे छगनलाल गाधीको भेजा गया था। स्पष्टत गाधीजीकी अस्वस्थताके कारण और लन्दनमें "भारतीय आहत सहायक दल"से सम्बन्धित कार्योंमें अत्यधिक व्यस्तताके कारण यह लेख पूरा नही किया जा सका था। छगनलाल गाधीने लेखके विभिन्न अशोको सकलित करके **इडियन ओपिनियनके** स्वर्ण जयन्ती अकमें प्रकाशित करनेके लिए तैयार किया था। इस विशेषाकमें **इडियन ओपिनियनके** सम्पादक द्वारा लिखित 'दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय सघर्ष और उसके प्रभाव' का सिंहावलोकन भी प्रकाशित किया गया था। देखिए परिशिष्ट २८।

ही जाती है। यदि हममे सत्य होगा तो भारतीय समाज इस बार ज्यादा काम करेगा और अपना नाम ज्यादा उज्ज्वल करेगा।" यह जवाब मैंने दिया उस समय मैंने स्वप्नमे भी नही सोचा था कि गरीब हिन्दुस्तानी इतनी जागृति दिखायेंगे, बीस हजारकी बडी सख्यामे लडाईमे शामिल होगे और अपना तथा अपने देशका नाम अमर करेंगे। जनरल बोथाने अपने एक भाषणमे कहा है कि हिन्दुस्तानी जनताने जैसी हडताल की और चलाई वैसी गोरे नही कर सके और न चला सके। अन्तिम लडाईमे स्त्रियाँ शरीक हुईं, सोलह वषके किशोर लडके तो अनेक शामिल हुए और लडाईको बहुत ज्यादा धार्मिक स्वरूप मिला। दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानियोकी बात सारी दुनियामे फैली। हिन्दुस्नानमे गरीब और धनवान, जवान और बूढे, पुरुष और स्त्रियाँ, राजा और प्रजा, हिन्दू-मुसलमान, पारसी और ईसाई तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और लाहौर सब जगहोके लोग जागे, सब हमारे इतिहाससे वाकिफ हुए और हमे मदद करने लगे। विलायतकी बडी सरकार चौकी, भारतके वाइसरायने प्रजाका रुख पहचानकर प्रजाका पक्ष लिया। यह सब सारी दुनिया जानती है। मै यहाँ इन बातोका उल्लेख इस लडाईका महत्व बतानेके लिए कर रहा हूँ। लेकिन यह लेख लिखनेमे मेरा मुख्य हेतु तो उन बातोकी चर्चा करनेका है, जिनका मुझे विशेष ज्ञान है, जिनकी हिन्दुस्तानको कोई खबर नही है और जिनका भान दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले हिन्दुस्तानी भाइयोको भी पूरा-पूरा नही है।

टॉलस्टॉय फार्ममे जो तालीम ली गई थी, वह सब इस अन्तिम लडाईमे काम आई। सत्याग्रहियोने वहाँ जिस जीवनका अनुभव लिया, वह इस लडाईमे अमूल्य सिद्ध हुआ। उसी जीवनका अनुकरण और ज्यादा अच्छे रूपमे फीनिक्समे किया गया। जिस समय टॉल्स्टॉय फाम बन्द किया गया उस समय उसमे रहनेवाले जो विद्यार्थी आनेके लिए तैयार थे वे फीनिक्समे आये। फीनिक्समे नियम और कडे हो गये, हरएक विद्यार्थी तथा उसके माँ-बापके साथ यह शर्त की गई कि जो विद्यार्थी फीनिक्समे रहेगा उसे, यदि हमारी लडाई फिर शुरू हो और विद्यार्थी बालिग उम्रका हो तो, लडाईमे शामिल होना चाहिए। सच पूछिए तो फीनिक्समे जो तालीम दी जाती थी, वह मुख्यत सत्याग्रहकी ही थी। फीनिक्समे रहनेवाले कुटुम्बोको भी यह नियम लागू होता था। केवल एक ही कुटुम्ब ऐसा था जो इससे अलग रहा। इसलिए परिणाम यह आया कि फीनिक्स चलानेके लिए जितने आदमियोकी जरूरत थी उनके सिवा बाकी सब लोग जब लडाईका अवसर आया तब उसके लिए तैयार थे। इसलिए तीसरी लडाईका आरम्भ फीनिक्सवालोसे ही हुआ। जब स्त्रियाँ, पुरुष और बालक लडाईके लिए निकले, उस समयका दृश्य मै कभी भूल नही सकता। हरएकके मनमे यही एक भाव हिलोरे ले रहा था कि हमारी यह लडाई एक धर्म-युद्ध है और हम इस धर्म-युद्धकी यात्रापर निकले है। जाते समय उन्होने भजन गाये, कीर्तन किया। उनमे से एक प्रख्यात भजन यह था 'सुख-दु ख मनमा न आणीए'—सुख और दु खका विचार मनमें कभी न आने दें। उस समय बालको, स्त्रियो और पुरुषोके मुँहसे जो आवाज निकल रही थी, उसकी गूज मेरे कानोमे अभी भी उठ रही है। इसी सघके साथ महान् पारसी रुस्तमजी थे। कई लोग ऐसा समझते थे कि रुस्तमजीने पिछली बार इतना दु ख भोगा है कि इस बार

अब वे लडाईमे शामिल नही होगे। ऐसा कहनेवाले लोग रुस्तमजीकी महानताको पहचानते नही थे। स्त्रियाँ और बालक जाये और वे घर बैठे रहे, यह स्थिति उनके लिए असह्य थी। इसी समयके दो और प्रसग मुझे याद आते है। श्री रुस्तमजी और उनके सिंह जैसे बालक सोराबजीमे प्रतिस्पर्धा चली। सोराबजी कहते थे कि "बाबाजी, मुझे जाना है, या तो अपने बदले मुझे जाने दो या मुझे भी साथ ले चलो।"

दूसरा दृश्य जो मुझे याद आता है वह स्वर्गीय हुसैन मियाँके साथ श्री रुस्तमजीके मिलनका है। जब श्री रुस्तमजी उनसे मिलने गये तब उनकी आँखोसे आँसुओकी धारा बह निकली और उन्होने कहा, "काकाजी, यदि मै स्वस्थ होता, तो मै भी आपके साथ जेल चलता।" भाई हुसैनका देश-प्रेम बहुत जबरदस्त था। उन्होने रोगशय्यापर पडे-पडे लडाईको अपने समर्थनका बल दिया, उनसे जो कोई भी मिलता उससे वे लडाईकी ही चर्चा करते थे।

फीनिक्समे जो लोग रह गये, उनमे सोलह वषसे कम उम्रके बालक भी थे। उन लोगोने और आश्रमके व्यवस्थापकोने जेलके बाहर होते हुए भी जेलमे जानेवालोकी अपेक्षा ज्यादा काम कर दिखाया। उन लोगोने काममे रात-दिनका भेद मिटा दिया। अपने साथी और बुजुग जबतक जेलसे न छूटे तबतकके लिए उन्होने कठोर व्रत लिये, अलोना आहार खाकर रहे, और जोखिमके काम भी बिना किसी डरके उन्होने अपने सिरपर लिये। जिस समय विक्टोरिया काउटीमे हडताल हुई उस समय सैकडो गिरमिटियोने फीनिक्समे आश्रय लिया। उस समय उन्हे सम्भालना और उनकी व्यवस्था करना एक महान् काय था। इन गिरमिटियोके मालिकोकी तरफसे हमला होनेका डर होते हुए भी अपना काय निडरतासे करते जाना उनकी दूसरी सफलता थी। वहाँ पुलिस पहुँची, श्री वेम्टको पकडकर ले गई, ऐसी सम्भावना थी कि दूसरोको भी पकड कर ले जायेगी — इन सब आपत्तियोके मुकाबलेके लिए वे तैयार रहे। लेकिन एक भी आदमी फीनिक्ससे हटा नही। मै ऊपर कह चुका हूँ कि इसमे सिफ एक ही कुटुम्ब अपवादरूप रहा। फीनिक्सके व्यवस्थापकोने इस अवसरपर समाजकी जो सेवा की है, हिन्दुस्तानी समाज उसका हिसाब कभी नही लगा सकता। यह अप्रकट इतिहास अभी लिखा नही गया है, इसलिए उसका कुछ अश मै यहाँ दे रहा हूँ। और वह इस आशासे दे रहा हूँ कि किसी दिन कोई जिज्ञासु ज्यादा जानकारी इकटठी करके फीनिक्सके व्यवस्थापकोके कायकी कीमत कुछ अशमे आँक सके। मै तो ज्यादा लिखनेके लिए ललचा रहा हूँ, लेकिन इस लोभका सयम करके फीनिक्सकी बात यही समाप्त करता हूँ।

फीनिक्सकी टुकडी जेल गई, इसलिए जोहानिसबगसे भी नही रहा गया। वहाँकी स्त्रियाँ अधीर हो गईं। उन्हे जेल जानेकी लगन लग गई। श्री थम्बी नायडूका सारा कुटुम्ब तैयार हो गया। उनकी स्त्री, साली, सास, श्री मुरगनके सगे-सम्बन्धी, श्रीमती पी० के० नायडू, अपना नाम अमर कर जानेवाली बहिन वलिअम्मा और कई दूसरी स्त्रियाँ तैयार हुईं। वे अपनी गोदमे बालक लेकर निकली। श्री कैलेनबैक उन्हे लेकर फ्रीनिखन गये। वहाँ जानेमे ऐसी उम्मीद थी कि फ्री स्टेटकी सरहदपर पहुँचनेके बाद वापिस आते समय पकड लिये जायेगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नही हुई।

उन्होने कुछ दिन जैसी भी सुविधा-असुविधा उन्हे मिली उसे सहते हुए फ़ीनिखनमे बिताये। वहाँ उन्होने टोकरिया लेकर फेरी की और इस तरह पकडे जानेका प्रयत्न किया, किन्तु किसीने उन्हे पकडा नही।

इस निराशामे अमर आशा छिपी हुई थी। यदि स्त्रियोको सरकारने फ़ीनिखनमे ही पकडा होता, तो शायद हडताल न हुई होती, इतना तो निश्चित है कि हडताल जिस पैमानेपर हुई उस पैमानेपर वह कभी न हुई होती। लेकिन समाजपर ईश्वरका हाथ था, वह हमेशा सत्यका रक्षक है। स्त्रिया पकडी नही गईं, इसलिए ऐसा निणय हुआ कि वे नेटालकी हदका उल्लघन करे। अगर फिर भी न पकडी जाये तो वे भी थम्बी नायडूके साथ न्यू कैसिलमे छावनी डाले। वे नेटालकी ओर रवाना हुईं। सीमापर पुलिसने उन्हे पकडा नही। अत उन्होने न्यू कैसिलमे पडाव डाला। वहाँ श्री डी० लाजरसने अपना घर स्त्रियोको सौप दिया और उनकी पत्नी तथा साली कुमारी टॉमसने इन सत्याग्रही स्त्रियोकी सेवा-सहायता आदि करनेका काम अपने ऊपर उठा लिया।

योजना यह थी कि स्त्रिया न्यू कैसिलमे गिरमिटियोकी स्त्रियोसे और गिरमिटियोसे मिलेगी। उन्हे उनकी दशाका भान करायेगी और तीन पौडी करके सवालपर हडताल करनेके लिए समझायेगी। बादमे जब मै न्यू कैसिल पहुँचू तब यह हडताल की जाये। लेकिन स्त्रियोकी उपस्थिति तो सूखी लकडीमे आगकी चिनगारी लगने-जैसी सिद्ध हुई। कोमल शय्याके बिना न सोनेवाली और कदाचित् ही मुँह खोलनेवाली इन स्त्रियोने गिरमिटिया लोगोमे खुले आम व्याख्यान दिये। वे जागे और उन्होने मेरे पहुँचनके पहले ही हडताल करनेका आग्रह किया। काम बहुत जोखिमवाला था। मुझे श्री नायडूका तार मिला कि कैलनबैक न्यूकैसिल गये और हडताल शुरू हुई। मै न्यूकैसिल पहुँचा उस बीच तो कोयले की दो खानोमे भारतीयोने काम बन्द कर दिया था।

श्री हॉस्केनकी अध्यक्षतामे सगठित यूरोपीय सहायक समितिने मुझे बुलाया। मै उनमे मिला। उन्हे हमारा आन्दोलन पसन्द आया और उन्होने उसे प्रोत्साहन देनेका प्रस्ताव किया। मै एक दिन जोहानिसबगमे रुक कर न्यूकैसिल पहुँचा और वहाँ रहा। मैने देखा कि लोगोमे उत्साहका पार नही है। सरकार स्त्रियोकी उपस्थितिको सहन न कर सकी और अन्तमे ऐसा आरोप लगाकर कि वे यो ही भटकती फिरती है उसने उन्हे जेलमे भेज दिया। श्री लाजरसका घर अब सत्याग्रहकी धर्मशाला बन गया। वहाँ सैकडो गिरमिटियोके लिए खाना पकानेकी व्यवस्था करनी पडी। उससे भी श्री लाजरस घबडाये नही। न्यूकैसिलके भारतीयोने एक समिति नियुक्त की। श्री सीदत उसके प्रमुख चुने गये। काम खूब तेजीसे, दिन दूना और रात चौगुना चला। दूसरी खानोके भारतीय मजदूरोने भी काम बन्द कर दिया।

खानोके भारतीय मजदूर इस तरह काम बन्द करन लगे, इसलिए कोयलेकी खानोके मालिकोकी सभा हुई। मुझे उसमे बुलाया गया।[1] वहाँ बातचीत तो बहुत हुई, पर कोई निष्कर्ष नही निकला। उनका कहना यह था कि यदि हम हडताल बन्द रखे तो वे सरकारको तीन पौडी करके बारेमे लिखेगे। सत्याग्रही इस शतको स्वीकार नही कर

१ देखिए "वक्तव्य वाणिज्य मण्डलमें", पृष्ठ २४४।

सकते थे। हमारा खानोके मालिकोसे कोई बैर नही था। हडतालका हेतु मालिकोको दुख देनेका नही था, बल्कि खुद ही दुख उठानेका था। इसलिए खानोके मालिकोकी यह सलाह मान्य नही की जा सकती थी। मै वापिस न्यू कैसिल आया। मैने उपरोक्त सभाका परिणाम लोगोको बताया। उससे उनका उत्साह और ज्यादा बढा। और अधिक खानोमे काम बन्द हुआ।

आजतक मजदूर अपनी-अपनी खानोमे रहते थे। न्यू कैसिलकी व्यवस्थापक समिति इस निश्चयपर पहुँची कि जबतक गिरमिटिया अपने मालिककी जमीनमे रहते है, तबतक हडतालका पूरा असर नही पडेगा। वे ललचाकर अथवा डरकर काम शुरू कर देगे, ऐसी आशका थी। और मालिकका काम न करना और फिर भी उसके घरमे रहना अथवा उसका नमक खाना — यह तो अनीति होगी। गिरमिटियोका खानोपर रहना दोषरूप था। यह अन्तिम दोष सत्याग्रहके शुद्ध प्रयासको मलिन करनेवाला मालूम हुआ। दूसरी ओर, हजारो भारतीयोको कहाँ रखना, कहाँ खिलाना-पिलाना, यह बहुत बडी समस्या थी। श्री लाजरसका मकान अब बहुत छोटा मालूम हुआ। बेचारी दोनो स्त्रियाँ रात-दिन मेहनत करती थी, लेकिन काम उनकी शक्तिके बाहर मालूम हुआ। इन सब कठिनाइयोके बावजूद चाहे जो जोखिम उठाकर भी सही चीज करनेका निश्चय हुआ। गिरमिटियोको अपनी खाने छोडकर न्यू कैसिल आनेका सन्देशा भेजा गया। ज्यो ही यह खबर पहुँची त्यो ही खानोमे से भारतीय मजदूरोकी कूच शुरू हो गई। बेलगीकी खानोके भारतीय सबसे पहले पहुँचे। न्यू कैसिलमे सदा मानो तीर्थ-यात्रियोका सघ चला आ रहा हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता था। जवान, बूढे और स्त्रियाँ — कोई खाली और कोई गोदमे बच्चा लिए हुए — सब अपने सिरपर पोटलियाँ उठाये चले आ रहे थे। पुरुषोके सिरपर सन्दूक दिखाई देते थे। कोई दिनमे आते तो कोई रातको आ पहुँचते। उन सबके लिए भोजनका प्रबन्ध करना पडता था। इन गरीब लोगोके सन्तोषका मै क्या वर्णन करूँ? जो मिल जाये उसीमे वे सुख मानते थे। शायद ही कोई रोता दिखता था। सबके चेहरो-पर हँसी की छटा दिखाई पडती थी। मेरे लिए तो वे तैंतीस कोटि देवताओमे से थे। स्त्रियाँ देवीरूप थी। उन सबको ठहरानेके लिए सिरपर छप्पर तो कहासे दिया जाता? सोनेके लिए घासकी चटाइयाँ थी। छप्पर आकाशका था। रक्षक उनका ईश्वर था। एक भाईने बीडीकी माग की। मैने समझाया कि वे गिरमिटियोकी तरह नही, हिन्दु-स्तानके सेवकोकी तरह निकले है। वे एक धर्म-युद्धमे हिस्सा ले रहे है, ऐसे समय शराब, तम्बाकू इत्यादि व्यसन उन्हे छोडने चाहिए। और जो न छोड सके उन्हे अपनी ऐसी जरूरतोकी पूर्ति सावजनिक पैसेसे होनेकी आशा नही करनी चाहिए। इन साधु पुरुषोने मेरी यह सलाह मान ली और बादमे किसीने भी बीडीके लिए पैसेकी माँग मुझसे नही की। इस तरह खानोसे हिन्दुस्तानी मजदूरोकी कतारे निकलना शुरू हुई। उनमे से एक गर्भवती स्त्रीको रास्तेमे ही गभपात हो गया। ऐसे अनेक दुख उन्होने उठाये। लेकिन न तो कोई थका और न कोई पीछे हटा।

न्यूकैसिलमे हिन्दुस्तानियोकी सख्या बहुत बढ गई। हिन्दुस्तानियोके पास जितनी भी जगह थी सब भर गई। उनसे जो भी घर-मकान आदि मिले, उनमे स्त्रियाँ और वृद्ध ठहरा दिये गये। यहापर कहना चाहिए कि न्यू कैसिलके गोरे नागरिकोने इस मौकेपर

बड़ी सज्जनताका परिचय दिया। उन्होंने हमारे साथ सहानुभूति भी दिखाई। किसी भी हिन्दुस्तानीको हैरान नहीं किया। एक भली बहिनने तो अपना मकान हमारे उपयोगके लिए मुफ्त दे दिया। अनेक गोरोसे हमे छोटी-बडी कई तरहकी दूसरी सहायता भी मिली।

परन्तु इन हजारो हिन्दुस्तानियोको हमेशाके लिए न्यूकैसिलमे तो नही रखा जा सकता था। वहाँका मेयर घबडाया। वहाकी आबादी सामान्यत तीन हजार की थी। ऐसी गाँव-जैसी जगहमे दूसरे दस हजार आदमी किसी तरह समा ही नही सकते थे। दूसरी खानोके मजदूर भी काम बन्द करने लगे। इसलिए यह सवाल पेश हुआ कि अब क्या करना चाहिए। हडताल करनेमे जेल जानेका उद्देश्य था। सरकार चाहती तो इन मजदूरोको पकड सकती थी। लेकिन इन हजारो लोगोको रखनेके लिए उसके पास जेले ही नही थी। इसलिए उसने मजदूरोपर अभी हाथ नही डाला। अब ट्रान्सवालकी सीमाका उल्लघन किया और इस तरह गिरफ्तार हुआ जाये, यही एक उपाय रह गया। यह भी लगा कि वैसा करनेसे न्यूकैसिलमे भीड कम होगी और हडतालियोकी ज्यादा कठिन कसौटी होगी। न्यूकैसिलमे खानोके जासूस हडतालियोको ललचा रहे थे। लेकिन एक भी मजदूर लालचमे फसा नही। फिर भी उन्हे उस लालचसे दूर रखना व्यवस्थापक मण्डलका फर्ज था। इसलिए न्यूकैसिलसे चार्ल्सटाउनकी ओर कूच करना ठीक मालूम हुआ। रास्ता लगभग ३५ मीलका था। हजारो लोगोके लिए रेल भाडेका खच नही किया जा सकता था। इसलिए ऐसा निश्चय हुआ कि सब सशक्त पुरुष और स्त्रियाँ पैदल ही चले। जो स्त्रियाँ चल न सकती हो उन्हे रेलमे ले जाना तय हुआ। रास्तेमे ही गिरफ्तारी होनेकी सम्भावना थी। इसके सिवा, इस प्रकारका यह हमारा पहला ही अनुभव था। इसलिए तय हुआ कि पहली टुकडी मै ले जाऊँ। इस पहली टुकडीमे लगभग ५०० आदमी थे। और इनमे बच्चोवाली ६० स्त्रियाँ थी। इस टुकडीका दृश्य मै कभी भूल नही सकता। 'द्वारकाधीशकी जय', 'रामचन्द्रकी जय', 'वन्देमातरम्'—इस तरह जय-जयकार करती हुई टुकडी आगे बढती जाती थी। उनके साथ दो दिन तक चले इतना पका हुआ दाल-चावल बाँध दिया गया था। सब अपनी-अपनी पोटलियाँ बाँधकर निकले थे। कूचके पहले उन्हे निम्नलिखित शर्तें सुनाई गई थी

१ यह सभव है कि मै पकडा जाऊँ। ऐसा हो तो भी टुकडीको अपनी कूच जारी रखना है। और जब तक वे खुद न पकडे जाये तबतक उन्हे चलते ही रहना है। रास्तेमे खाने-पीने आदिका बन्दोबस्त करनेकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन किसी कारण से यदि किसी दिन खानेको न मिले तो भी सन्तोष रखना होगा।

२ जबतक इस लडाईमे शामिल है, शराब आदि व्यसन छोडने होगे।

३ मरण-पर्यंत पीछे नही हटेगे।

४ जहाँ रास्तेमे रात पडे वहाँपर घरकी आशा नही रखेगे, बल्कि घासमे पडे रहेगे।

५ रास्तेमे पडनेवाले पेड-पौधोको कोई नुकसान नही पहुँचायगे और दूसरेकी वस्तु बिलकुल नही छुएँगे।

६ सरकारी पुलिस पकडनेके लिए आये तो खुशीसे गिरफ्तार हो जायेगे।
७ पुलिसके अथवा किसीके भी सामने झुकेगे नही, मार पडे तो उसे सहन करेगे, मारका जवाब मारसे देकर अपना बचाव नही करेगे।
८ जेलमे जो दु ख सहना पडे, उसे सहेगे और जेलको महल समझकर अपने दिन बितायेगे।

इस टुकडीमे सब वर्णोके लोग थे। हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। कलकतिया थे और तमिल थे। कुछ पठानो और उत्तरकी ओरके सिधियोको मार खाकर भी अपना बचाव न करनेकी शत बहुत कठिन मालूम हुई। लेकिन उन्होने वह शर्त खुशीसे स्वीकार की। इतना ही नही, पर जब उनकी कसौटीका समय आया, तब उन्होने इस शतका पालन किया और अपना बचाव नही किया।

ऐसी परिस्थितियोमे पहली टुकडीकी कूच शुरू हुई। पहली रातको ही एक वीरान प्रदेशमे घासपर सोनेका प्रसग आया। रास्तेमे लगभग १५० मनुष्योके नाम वारट मिले। वे लोग खुशीसे गिरफ्तार हो गये। पकडनेके लिए केवल एक पुलिस अधिकारी आया था। उसके साथ उसकी मददके लिए और कोई नही था। जो लोग पकडे गये उन्हे कैसे ले जाना, यह एक सवाल था। हम चार्ल्स टाउनसे सिर्फ छ मील दूर थे। इसलिए मैने उस अधिकारीसे कहा कि जिन्हे गिरफ्तार किया गया है वे अभी मेरे ही साथ कूच करे और उनका कब्जा वह चार्ल्स टाउनमे ले अथवा अपने ऊपरी अधिकारीसे पूछकर उसे जैसा हुक्म मिले वैसा करे। अधिकारीने यह बात स्वीकार की और वह चला गया। हम लोग चार्ल्सटाउन पहुँचे। चार्ल्स टाउन बहुत छोटा गाँव है। उसकी आबादी मुश्किलसे १,००० आदमियोकी होगी। उसमे एक ही मुख्य रास्ता है। हिन्दुस्तानियोकी सख्या बहुत थोडी है। इसलिए हमारी टुकडी देखकर गोरोको आश्चर्य हुआ। चार्ल्स टाउनमे इतने हिन्दुस्तानी पहले कभी गये ही नही थे। गिरफ्तार किये गये लोगोको न्यूकैसिल ले जानेके लिए रेलगाडी तैयार नही थी। पुलिस उन्हे कहाँ रखे? चार्ल्सटाउनके थानेमे इतने कैदियोको रखनेके लिए जगह नही थी। इसलिए पुलिसने पकडे हुए लोगोको मुझे सौपा और उनकी खुराकका बिल चुकाना स्वीकार किया। इसे सत्याग्रहका काफी अच्छा सम्मान माना जा सकता है। साधारणत हमारे पाससे ही पकडे हुए कैदी हमे नही सौपे जा सकते। उनमे से कोई चला जाये तो जिम्मेदारी हमारी नही थी। लेकिन सत्याग्रहीका तो काम ही गिरफ्तार होनेका है, ऐसा सब समझने लगे थे। इसलिए विश्वास बैठ गया। इस तरह चार दिन तक पुलिसके गिरफ्तार किये हुए आदमी हमारे ही साथ रहे। जब उन्हे ले जानेके लिए पुलिस तैयार हो गई, तब वे खुशीसे उसके अधीन हो गये।

टुकडियोकी भरती जारी रही। किसी दिन चार सौ तो किसी दिन उससे भी ज्यादा। अधिकाश पुरुष पैदल चलते थे और स्त्रियाँ मुख्यत गाडीसे आती थी। चार्ल्सटाउनके हिन्दुस्तानी व्यापारियोके घरमे जहाँ भी जगह मिली वहाँ उन्हे ठहरानेकी व्यवस्था की गई। वहाँकी कारपोरेशनने भी अपने मकान दिये। गोरे हमे किसी भी तरह हैरान नही करते थे। इतना ही नही, वे मदद भी करते थे। वहाँके डॉक्टर ब्रिस्कोने हमारे बीमारोकी सेवा-

सँभाल मुफ्त करना स्वीकार किया और जब हम चार्ल्सटाउनसे आगे बढे उस समय उन्होने हमे कुछ कीमती दवाएँ और उपयोगी औजार मुफ्त दिये। रसोई मस्जिदके मकानमे होती थी और चूल्हा चौबीसो घटे जलाये रखना पडता था। रसोइये हडतालियोमे से ही तैयार हुए थे। आखिरी दिनोमे प्रतिदिन चारसे पाँच हजार तक आदमियोको भोजन कराना पडता था। फिर भी इन कायकर्ताओने कभी हिम्मत नही हारी। सबेरे मकईके आटेकी राब शक्कर डालकर दी जाती थी और उसके साथ डबल-रोटी, तथा शामको चावल, दाल और साग दिया जाता था। दक्षिण आफ्रिकामे अधिकाश लोग तीन बार खानेवाले होते है। गिरमिटिये तो तीन बार खाते ही हैं। लेकिन इस लडाईमे उन्होने दो ही बार खाकर सन्तोष माना। वे तरह-तरहके स्वादके प्रेमी होते हैं, परन्तु यहाँ उन्होने सब स्वाद छोड दिये।

विशाल समुदायमे इकट्ठे हुए इन आदमियोका क्या करना, यह सवाल विचारणीय हो गया। चाल्सटाउनमे जैसे-तैसे इतने ज्यादा आदमियोको लम्बे समय तक रखा जाये, तो रोगके फूट निकलनेका डर था। इतने हजार आदमी, जो हमेशा काममे ही लगे रहते थे, निकम्मे बैठे रहे यह भी ठीक नही था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इतने गरीब आदमी एक जगह इकट्ठे हुए लेकिन चार्ल्स टाउनमे उनमे से किसी एकने भी चोरी नही की। पुलिसकी जरूरत किसी भी समय नही हुई और न पुलिसको उनके कारण कभी ज्यादा काम करना पडा। फिर भी उत्तम रास्ता यह मालूम हुआ कि अब ज्यादा दिन चाल्सटाउनमे नही ठहरना चाहिए। इसलिए ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेका और यदि पकडे न जाये तो अन्तमे टॉल्स्टॉय फाम पहुँचनेका निणय किया। कूच करनेके पहले सरकारको खबर दी कि हम लोग गिरफ्तार होनेके लिए ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेवाले है। हमे वहा रहना नही हे, वहाके अधिकार पानेकी भी हमारी इच्छा नही है। लेकिन जबतक सरकार पकडेगी नही तबतक हम अपनी कूच जारी रखेगे और अन्तमे टॉल्स्टॉय फामपर मुकाम करेगे। सरकार यदि तीन पौडी कर उठा लेनका वचन दे, तो हम पीछे जानेके लिए तैयार रहेगे। सरकारकी मन स्थिति ऐसी नही थी कि वह हमारे इस नोटिसपर ध्यान देती। उसके जासूस उसे बहकाते थे। वे सरकारसे कहते थे कि आन्दोलन करनेवाले लोग शीघ्र ही थक जायेगे। सरकारने सब भाषाओमे नोटिस छपाकर हडतालियोमें बाटे थे।

अन्तमे चाल्सटाउनसे भी आगे बढनेका अवसर पास आ पहुँचा। ६ नवम्बरको तीन हजारका दल सुबह रवाना हुआ। पूरी कतार एक मीलसे भी ज्यादा लम्बी थी। श्री कैलेनबैक तथा मै पीछेके भागमे थे। हमारी टुकडी सीमापर पहुँची। वहाँ पुलिसका दल हाजिर था। हम दोनो वहाँ जा पहुँचे और पुलिसके साथ हमारी बातचीत हुई। उन लोगोने हमे पकडनेसे इनकार किया। इसलिए हमारा जुलूस व्यवस्था और शान्तिके साथ फोक्सरस्टमे से गुजरा। शहरके बाहर स्टैण्डर्टन रोडपर पहुँचकर सबने पडाव डाला। सबने खाना खाया। स्त्रियाँ कूचमे शामिल न हो, ऐसी योजना की गई थी। फिर भी उनके जोशको रोकना मुश्किल हुआ और कुछ स्त्रियाँ भी उसमे शामिल हो गईं। परन्तु कुछ स्त्रियाँ और बालक अभी चाल्सटाउनमे ही रह गये थे। उनकी सभालके लिए श्री कैलेनबैकको फोक्सरस्टकी सीमा पार करनेके बाद वापस भेजा।

दूसरे दिन पामफडमे पुलिसने मुझे पकडा। मेरे ऊपर, जिन्हे हक नही था ऐसे लोगोको ट्रान्सवालमे दाखिल करनेका, आरोप था। दूसरोको पकडनेका उसे हुक्म नही था, इसलिए फोक्सरस्ट पहुँचनेके बाद सरकारको मैने नीचे लिखे अनुसार तार किया।[1]

जुलूस आगे बढा। मुझे फोक्सरस्टके न्यायाधीशके सामने पेश किया गया। मुझे अपना बचाव तो कुछ करना नही था। लेकिन जो लोग पामफडसे आगे गये थे तथा जो अभी चार्ल्सटाउनमें पडे हुए थे, उनकी कुछ व्यवस्था करनी थी। इसलिए मैने समय माँगा। सरकारी वकीलने उसका विरोध किया। परन्तु न्यायाधीशने कहा कि बेल (जमानत) सिफ खूनके ही आरोपमे नामजूर की जा सकती है। इसलिए उसने ५० पौंडकी जमानत माँगकर एक हफ्तेका समय दिया। जमानत फोक्सरस्टके एक व्यापारीने तुरन्त ही दे दी। मै छूटकर सीधा कूच करनेवालोसे जा मिला। उनका उत्साह दुगना बढ़ गया। इस बीच प्रिटोरियासे तार आ गया कि मेरे साथके भारतीयोको पकडने का सरकारका इरादा नही है। सिफ नेताओको ही पकडा जायेगा। इसका अथ यह नही था कि बाकी सबको छूट दी जायेगी। लेकिन सबको पकडकर सरकार हमारा काम आसान नही करना चाहती थी और न यही चाहती थी कि भारतमे खलबली मच जाये।

पीछेसे एक दूसरी बडी टुकडी लेकर श्री कैलेनबैक आ रहे थे। हमारी दो हजारसे भी ज्यादा लोगोकी टुकडी स्टैण्डर्टन पहुँची। वहाँ मुझे फिर गिरफ्तार किया गया। मुकदमेकी पेशी ता० २१ की पडी। हम और आगे बढे। लेकिन सरकार यह सब अब ज्यादा दिन नही सह सकती थी, इसलिए उसने पहले तो मुझे इन सबसे जुदा करनेका कदम उठाया। इस समय श्री पोलकको शिष्टमण्डलके रूपमे हिन्दुस्तान भेजनेकी तैयारी हो रही थी। रवाना होनेके पहले वे मुझसे मिलनेके लिए आये। लेकिन 'मेरे मन कछु और है, विधनाके कछु और'। रविवारके दिन मझे फिर तीसरी बार ग्रेलिंगस्टाडमें पकडा गया। इस बारका वारट डडीसे निकाला गया था और आरोप गिरमिटियोको काम छोडनेके लिए उकसानेका था। यहाँसे मुझे बिलकुल चपचाप डडी ले जाया गया। ऊपर मै कह चुका हूँ कि श्री पोलक हमारे साथ कूचमे थे। उन्होने मेरा काम सभाल लिया। डडीमे मगलवारको केस चला। मेरे ऊपर लगाये गये तीनो आरोप मुझे पढकर सुनाये गये। मैने उन्हे स्वीकार किया और अदालतकी अनुमति लेकर कहा।[2]

मै तो जेलमे निश्चिन्ततासे बैठ गया। बादमे मेरे ऊपर फोक्सरस्टमे मुकदमा चला और डडीमें हुई नौ माहकी सजाके सिवा तीन माहकी सजा वहाँ और हुई।

इसी समय मुझे खबर मिली कि श्री पोलक पकडे गये है और हिन्दुस्तान जानेके बजाय जेलमे जाकर बैठे है। मै तो खुश ही हुआ, क्योकि मेरी दृष्टिमे तो पहले शिष्ट-मण्डलसे इस शिष्टमण्डलका महत्व ज्यादा था। उसके बाद शीघ्र ही श्री कैलेनबैक पकडे गये और वे भी श्री पोलककी तरह तीन माहके लिए जेलमे जा बैठे। नेताओके पकडे जानेपर लोग झुक जायेगे, ऐसा माननेमे सरकारने भूल ही की। सब हडतालियोको

१ देखिए "तार गृह-मन्त्रीको", पृष्ठ २५२-५३।

२ यहाँ नही दिया गया। बयानके लिए देखिए "डंडीमें मुकदमा", पृष्ठ २५५-५७।

चार विशेष ट्रेनोमे भरकर डडी तथा न्यूकैसिलमे वापिस खानोपर ले जाया गया। वहाँ उनपर बडा अत्याचार हुआ। उन्हे बहुत कष्ट सहना पडा। लेकिन कष्ट सहन करनेके लिए तो वे सब निकले ही थे। सच तो यह है कि सब अपने नेता खुद ही थे। जिन्हे नेता कहा जाता था उनकी गैरहाजिरीमे अब उन्हे अपना बल बताना था और वह उन्होने बता दिया। कैसे बताया, यह तो सारी दुनिया जानती है।

कवि दयारामने[1] ठीक कहा है कि

महान् कष्ट सहे बिना कृष्णको किसने पाया?
चारो युगोके साधुओका जीवन देखो।
वैष्णवके लिए प्रीति किसी बिरलेको ही होती है।
भक्तिके विरोधी लोग तो इन्हे पीडा ही देते है।
ध्रुव, प्रह्लाद, भीष्म, बलि, विभीषण,
विदुर, कुन्ती और उनके पुत्र—सबको दु ख भोगना पडा,
बसुमति, देवकी, नन्दजी, यशोदामाता,
और ब्रजका सारा भक्त-मण्डल, सब दु खी रहे
—भक्तिमे ही उनका सुख था।
नल, दमयती, हरिश्चन्द्र, तारामती,
रुक्मागद, अम्बरीष और अन्य अनेक—कष्टसे कोई बचा नही,
नरसिह मेहता, जयदेव और मीरा
—पहले तो सबको दु खकी आगमे तपना पडा,
सुखकी वृष्टि तो बादमे हुई।
व्यास भी आधि व्याधिके शिकार हुए, इसी प्रकार तुलसी और माधवादि,
शिवकी कपाली विद्याके लिए सारा विश्व उनकी निंदा करता है,
जगज्जननी जानकीको दुस्तर दु ख सहना पडा,
पापका लेश भी जिन्हे छू नही गया उन्हे भी ताप!
उन्हे जिनकी सारा जगत् वन्दना करता है।
प्राक्तन कर्मोसे फलित प्रारब्ध जिन्हे नही होता,
उन्हे भी त्रिविध ताप सताते है।
ईश्वरकी गति अज्ञेय है, उसका हेतु समझमे नही आता,
उसकी इच्छा प्रबल है, सब उसके अधीन है।
पाप और पुण्य तो कहनेकी बाते है।
असलमे नन्दकुँवरका नचाया यह सारा जगत नाचता है।
प्रभु इच्छाके बिना एक पत्ता भी नही हिलता।
परन्तु हमारे इस अज्ञ मनका भ्रम दूर नही होता।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, स्वर्ण अक, १९१४ [जहाजसे]

१ गुजरातके एक प्रसिद्ध वैष्णव कवि (१७७७–१८५३), जिन्होने अनेक गीत लिखे है।

३८२. पत्र छगनलाल गाधीको

[जहाजपर]
श्रावण सुदी ६ [जुलाई २८, १९१४][1]

चि० छगनलाल,

नायककी तरफ जो रकम है उसके सम्बन्धमे उसे लिखते रहना। इसमे मोती-लालकी मदद भी लेना। नायकको मै भी लिख रहा हूँ।

यह पत्र शुरू तो आज कर रहा हूँ। ऊपरकी बात तो इसलिए लिख छोडी थी कि भूल न जाऊँ। हम तीनोकी[2] ही तबीयत अच्छी चल रही है। बा तो आशा-तीत [परहेज] कर रही है। खाने पीनेके मामलेमे जरा भी तकलीफ नही देती। गेहूँका उपयोग तो बहुत ही थोडा करती है। वह विशेष रूपसे कच्चे केले, भापसे पकाई हुई फलियाँ तथा दूधपर ही रह रही है। वहाँसे गेहूँकी जो बाटियाँ साथ लाये थे उनके खत्म हो जानेपर वह गेहूँ भी छोड देनेको कहती है। मै घटा-भर श्री कैलेनबैकको गुजराती सिखाता हूँ। और एक घटा यानी सायकाल ७ बजे बा को गीताका अर्थ और रामायण सुनाता हूँ। दोनो ही वह बडे प्रेमसे सुनती है। तीसरे दर्जेकी असुविधाएँ तो मुझे दिखाई ही नही देती। हाँ, सुविधाएँ बहुतेरी नजर आती है। हम लोगोका दूसरे मुसाफिरोसे सम्पर्क नही है इसलिए समय बहुत बचता है। हमने अपना दैनिक कार्यक्रम निश्चित कर लिया है, इसके कारण सब कुछ नियमित चलता है। सब प्रकारका मेवा कम्पनीने ले ही रखा है सो केला, नारगी आदि फल खूब मिल जाते है। कम्पनी बादाम आदिकी जरूरत भी पूरी करती है। और जो कुछ पकाना होता है वह श्री कैलेनबैक करते है।

देश जानेवाला दल निकल चुका होगा अत उनमेसे किसीको कुछ नही लिख रहा हूँ।[3]

इस बार अलग होनेका दुख बहुत अधिक महसूस हो रहा है। फीनिक्समे मैने बडा स्नेह अनुभव किया है। "अँसुवन जल सीच-सीच प्रेम बेल बोई"—अपने निजी अनुभवसे मै यही उद्‌गार अभिव्यक्त कर सकता हूँ, मै इसके बडे मीठे फल चख पाया हूँ।

लेखादि काफी भेज रहा हूँ फिर भी सभी नही भेज पाया हूँ, यह तो तुमने देख ही लिया होगा। दूसरी किस्त मदीरा छोडनेके बाद लिखूगा और इसलिए वह साउदैम्प्टनसे रवाना की जा सकेगी। सामग्रीकी कमी नही होने देनेकी उम्मीद करता हूँ।

१ प्रथम अनुच्छेदको छोडकर यह पत्र जुलाई २७को लिखा गया था।

२ श्री कैलेनबैक, कस्तूरबा और गाधीजी।

३ फीनिक्ससे २५ विद्यार्थियोका एक दल, जिसमें मगनलाल गाधी और कुछ शिक्षक भी थे, अगस्त १९१४को भारतके लिए रवाना हुआ था। इन्हें महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी सस्था शान्तिनिकेतनमें भर्ती होना था।

तुम्हे मैने बचपनसे ही अपने पास रखा है। न जाने किसी दैवी प्रेरणाके कारण ही मेरी नजर तुमपर पडी। और तुमने मुझे अभीतक तो निराश नही किया है। मै प्रभुसे यही याचना करता हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे कभी निराशा न हो। पाँचो यमोका आजीवन पालन करना।

फीनिक्समे सभीका प्रेम सम्पादन करना। इसीमे दया-धर्म निहित है। दयाका अर्थ अत्यन्त गूढ है, इसपर विचार करना। 'योग दीप' अभी-अभी पढकर समाप्त किया है। इसमे पढा कि आत्माके अनुकूल कार्य किये जाये तो वह उन्नत होती है और विपरीत कार्योसे पतित होती है। 'स्वधर्म' की[1] यह व्याख्या अधिक ठीक जँचती है। लिखता ही जाऊँ ऐसी तबीयत हो रही है पर अपने कार्यक्रमको देखते हुए इतना समय नही है। खैर, तुम ऊपर व्यक्त विचारोको [मनन करके] खूब विकसित करना।

यह पत्र तुम तीनो ही पढ जाना। भाई रावजी[2] और प्रागजीको[3] इसीलिए सक्षेपमे लिखकर सन्तोष मानूगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०४८) की फोटो-नकलसे।

३८३. पत्र : रावजीभाई पटेलको

[लन्दन]
श्रावण सुदी ७, १९७० [जुलाई २९, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

आपका स्नेह भुलाया नही जाता। आपने बा को जीत लिया यह तो मेरी समझमे महाभारत जीत लेनेके समान हो गया। मै अनुभव करता हूँ कि बा ने अपने स्वभावमे बहुत परिवर्तन कर लिया है।

तुमने जो व्रत लिये है उनपर दृढ रहना, जोककी तरह उनसे चिपके रहना, फिर तुम म[णि भाई] को अवश्य जीत लोगे, सारे जगतको जीत लोगे और स्वय स्वराज्य प्राप्त करके हिन्द-स्वराज्य भी प्राप्त कर सकोगे। हमारा धर्म ही कुछ ऐसा दिव्य है। उसमे समग्र विजयकी एक ही कुजी है। हमारा यह धर्म इतना प्रौढ है कि इसकी सरलता और इसकी विषमताका कोई पार नही है।

हम लोग जिस सादगीसे रहते थे उसमे और वृद्धि करना। जबतक मै वहाँ था, तुम मुक्त थे। अब कैदमे हो यही समझना। स्वादेन्द्रिय [की माँगो] को व्यापक मत बनने देना। यह मत सोचना कि यह लिया ही जा सकता है और वह भी लिया जा सकता है, बल्कि यो सोचना कि एक यह उपाधि तो छूटी अब दूसरीसे पिण्ड छुडाना

१ "स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह" — गीता।
२ देखिए अगला शीर्षक।
३ यह पत्र उपलब्ध नही है।

है—इसी प्रकार विजय प्राप्त करते जाना। अपनी रहनीसे मुझे वाकिफ करते रहना। तुम और भाई प्रा दोनो सगे भाइयोकी तरह रहना। खेतीमे मन लगाना। सारे फीनिक्समे सुवास फैलाकर उसे एक धमक्षेत्र बना देना। जहातक बने मौन धारण करना।

तमिलका अध्ययन न छोडना। मुतु आदिके साथ बोलनेका अभ्यास रखना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

३८४ पत्र . छगनलाल गांधीको

६०, टालबोट रोड,
बेजवाटर डब्ल्यू०,
[लन्दन]
अगस्त ७, १९१४

प्रिय छगनलाल,

मै अपनी बाई टॉंगकी पुरानी पीडासे इस समय बिस्तरपर पडा हुआ हूँ और इसलिए तुम्हे गुजरातीमे नही लिख सकूगा। मै बोल रहा हूँ और मेरी तरफसे कुमारी पोलक पत्र लिख रही है। इस पत्रके साथ पोलकको लिखे मेरे पत्रकी[1] नकल है, जिससे तुम्हे यहॉंकी परिस्थितियोके बारेमे सारी जानकारी मिलेगी। मै तुम्हे गुजराती लेखका[2] शेषाश नही भेज रहा हूँ, क्योकि मुझे उसके खो जानेका भय है। मै देखूगा कि अगले सप्ताह हालात कैसे रहते ह।

फीनिक्समे सबको मेरी याद दिला देना। साथमे भेजी जा रही पत्रकी नकलसे तुम्हे मालूम हो जायेगा कि मै इस हफ्ते अपने पत्र क्यो नही लिख रहा हूँ। मेरी टॉंगकी पीडाके विषयमे चिन्ताका कोई कारण नही है। यह कलके अधिक परिश्रमके कारण है। मै अभी लम्बे उपवासके प्रभावसे मुक्त नही हो पाया हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

छगनलाल गांधी
फीनिक्स (नेटाल)
दक्षिण आफ्रिका

गांधीजीके गुजराती हस्ताक्षरसे युक्त मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४०) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य छगनलाल गांधी।

१ यह उपलब्ध नही है।

२ सम्बद्ध लेखके लिए देखिए पृष्ठ ४९९–५१०।

३८५ भाषण : लन्दनके स्वागत-समारोहमे[1]

अगस्त ८, १९१४

श्री बसु, मै आपसे और श्रीमती सरोजिनी नायडूसे तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप दोनोने अपने प्रेमसे मुझे अभिभूत कर दिया है। मै जो कुछ कहना चाहता हूँ वह मै कह भी सकूगा या नही सो मै नही जानता। साम्राज्यके ऊपर जो महान् सकट छाया हुआ है, उसका मै अत्यन्त सक्षेपमे उल्लेखमात्र करूँगा।[2] जब से हम लोग इग्लैड पहुँचे और हमने [युद्ध छिडनेका] समाचार सुना है, मै उसके बारेमे बराबर पढता और सोचता रहा हूँ। मुझे उन पतियो और बेटोका खयाल आ रहा है, जो लडाईपर गये है — और उन माताओ, पत्नियो और बहनोका भी खयाल आ रहा है जिन्हे वे बिलखता छोड गये है। मै अपने-आपसे पूछ रहा हूँ — 'इस समय मेरा कर्त्तव्य क्या है? २१ वर्षसे मै अपनी मातृभूमिसे बिछुडा हुआ हूँ। मेरे मित्रोका कहना है कि मैने भारतकी एक काल्पनिक तस्वीर अपने मनमे बना ली है। इसलिए मै अपनी कल्पनाके भारतके प्रतिनिधिके रूपमे नही बोल सकता।' अगर मै दक्षिण आफ्रिकामे होता तो जरूर मै अपने देशभाइयोके प्रतिनिधिके रूपमे कुछ कह सकता था। अभी मै किसी नतीजेपर नही पहुँचा हूँ। परन्तु मुझे विश्वास हे कि हम कुछ ठोस काम कर सकते है। मै आशा करता हूँ कि आपमे से जो लोग मेरी उम्रके है और जो मेरी तरह विद्यार्थी है — मै अभी विद्यार्थी ही हूँ — वे सोचेगे कि इस समय क्या किया जा सकता है। वे अपने गुरुजनोकी भी सलाह लेगे और यदि वह उनकी सदसद्-विवेक-बुद्धिको पसन्द हो तो उसपर अमल भी करेगे।

श्रीमती गाधीके और मेरे दिलमे आप सबके प्रति जो कृतज्ञता उमड रही है उसे शब्दोमे प्रकट करना असम्भव हे। आपके बीच हम लगभग "जगली" है। शहरो-से दूर एक छोटेसे खेतपर हम रहे है। इसीलिए तो मैने कहा कि हम "जगली" है। प्रसिद्धिके प्रकाशमे हमने जो कुछ थोडा-सा काम किया वह आपके सामने बढे-चढे रूपमे पेश हुआ है। अगर आपकी नजरोमे हम लोग प्रशसाके पात्र बन गये तो उन लोगोकी कितनी प्रशसा होनी चाहिए जो हमारे पीछे रहे है, जिन्होने सरल श्रद्धाके साथ सघर्ष किया है और जिन्होने सराहे जानेकी बात कभी सोची तक नही।

१ अगस्त ४को गाधीजी, कस्तूरबा और कैलेनबैकके इग्लैड पहुँचनेपर उनके अग्रेज और भारतीय मित्रोंने होटल सेसिलमें एक स्वागत समारोह आयोजित किया। इस अवसरपर अन्य लोगोंके अतिरिक्त श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, लाला लाजपतराय, श्री जिन्ना, श्रीमती वाईवर्ग और श्री अल्बर्ट कार्टराइट उपस्थित थे। माननीय श्री भूपेन्द्रनाथ बसुने अध्यक्षता की। श्रीमती सरोजिनी नायडूने प्रमुख अतिथियोंको मालाएँ पहनाई और अपने भाषणमें गाधीजीके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की।

२ अभिप्राय प्रथम महायुद्धसे है जो इस समय छिड चुका था।

हरबतसिंह नामका एक ७५ वर्षीय गिरमिटिया मजदूर फोक्सरस्ट जेलमे मेरे साथ था। उसे आप क्या कहेंगे? उसका कद पूरे छ फीटका था और उसका शरीर भव्य था। उससे मैने पूछा, "आप क्यो आ गये?" उसने जवाब दिया, "मै आये बिना कैसे रह सकता था? अपने भाइयोको छुडानेके लिए मेरी उम्रके आखिरी दिन जेलमे बीत जाये तो मेरी आत्माको बडी तसल्ली होगी।" यही हुआ। वह जेलमे ही मर गया।

नौजवान नारायणसामीके बारेमे आपका क्या खयाल हे? उसके माता-पिता मद्रास प्रान्तसे आये थे, जिसे लोग भ्रमवश अज्ञानके अधकारसे विजडित प्रान्त मानते है। निर्वासित होनेसे पूव नारायणसामीने भारत देखा भी नही था। उसे कुछ दिन भूखा रहना पडा और इसके बाद उसका देहान्त हो गया।

इसी तरह मद्रासका एक लडका था जिसका नाम नागप्पन था। वह भी जेल गया था। एक कैदीके रूपमे आफ्रिकाके एक मैदानमे जाडेकी कडकडाती सर्दीमे कई दिन तक उसने सूर्योदयसे पहले उठकर काम किया। आपको लन्दनके जाडेका तो अनुभव है, परन्तु सूर्योदयके पहले आफ्रिकाके मैदानोमे जैसी कडकडाती हुई सरदी पडती है उसकी कल्पना आपको शायद ही होगी। काम करनेकी शक्ति नही होने पर भी वह वहा काम करता रहा, और अन्तमे मर गया।

फिर एक अठारह वषकी लडकी थी — बहन वलिअम्मा। वह जेल गई और वहासे जब छोडी गई तब वह मौतके दरवाजे तक पहुँच गई थी। जब श्री पोलक और म उसे देखने गये थे तबकी बात मुझे अच्छी तरह याद है। बडी सावधानीके साथ हमने उसे उठा कर दरीपर लिटाया और अपने बस-भर उसकी सुश्रूषा की। परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके अपने हजारो भारतीयोको रोता छोडकर वह भी चल बसी।

उधर मजदूरोके कानोपर भनक आई कि कही कोई गडबडी है। बस, इतने पर २०,००० मजदूर अपने औजारोको फेककर, काम छोडकर बाहर निकल आये। इस कथनमे, लोगोने कहा कि वे जानते ही नही कि उन्होने हडताल क्यो कर दी है, सत्यका कुछ अश था। वे विश्वासके वश होकर बाहर आए। हिंसाका कही नामोनिशान नही था। ये पुरुष और स्त्रियाँ भारतके रत्न है। इन्हीके बलपर नये भारतीय राष्ट्रका निर्माण होनेवाला है। इन वीरो और वीरागनाओकी तुलनामे हम तो तुच्छ मानव है।

परन्तु विजय केवल इनकी बहादुरीके कारण भी नही मिली है। निश्चय ही उन्होने दक्षिण आफ्रिका और साम्राज्यकी सदसद्-विवेकबुद्धिको जगा दिया। अपने पुत्र और पुत्रियोकी परीक्षाकी घडीमे साधुमना राजनयिक श्री गोपाल कृष्ण गोखलेके नेतृत्वमे मातृभूमिसे भी जो मदद आई उसको भी इस सफलताका श्रेय है। भारतने इस समय जो रुख दिखाया और महान वाइसराय लॉड हार्डिजने जो सामयिक कदम उठाये, विजयमे उनका भी हाथ रहा है। परन्तु इन सबके बावजद अगर दक्षिण आफ्रिकाकी विवेक-बुद्धि नही जागी होती, पशुबलके मुकाबलेमे भारतीयोने जिस नैतिक शक्तिसे काम लिया उसे अगर वहाके लोगोने समझा नही होता, तो विजय असम्भव थी।

जब हम लोग गत नवम्बरमे मैदानोसे कूच करते हुए जा रहे थे तो यूरोपीयोने हमारी मदद की। किसी दूसरे अवसरपर मै बता चुका हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोके प्रति बडा दुर्भाव था। उसमे न तो कोई समझदारी थी, और न कोई समझनेके लिए तैयार ही था। परन्तु सामान्य जनता इस दुर्भावसे अलिप्त रही। उसकी ओर से हमे कोई चिन्ता नही थी। हमारे कूचके दरमियान वह बराबर हमारी मदद करती रही और अपने व्यवहारमे ठोस ढगसे सहानुभूति प्रकट करती रही।

बोथाकी सरकारने भी ईमानदारीके साथ काम किया। जनरल स्मट्सने मुझे कहा — "हम नही चाहते कि किसी किस्मकी गलतफहमी हो। सब अपनी-अपनी बाते साफ-साफ बता दे। ये दस्तावेज लीजिए। इन्हे पढ जाइए। और अगर आपको कही जरा-सा भी असन्तोष हो तो जितनी बार चाहे मेरे पास आइए। हम उनमे आवश्यक सशोधन कर लेगे।" और उन्होने ऐसा ही किया।

इस प्रकार आप देख सकते है कि समझौता करनेमे कितनी ही चीजे कारण बनी। परन्तु एक और कारण मुझे बता देना चाहिए — श्री ऐंड्रयूज, उन्होने जो कुछ किया उसकी आप कल्पना नही कर सकते। कितने नि स्वार्थ भावसे और उत्साहके साथ उन्होने काम किया। अपने गुरु, बोलपुरके कवि और सत — रवीन्द्रनाथ ठाकुर — के द्वारा भारतके प्रति प्रेमका वे अनवरत प्रचार कर रहे थे। कविका परिचय तो मुझे श्री ऐंड्रयूज़की माफत ही हुआ है।

मैने इस समझौतेको दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोका "मेग्ना कार्टा" (महाधिकार-पत्र) कहा है। इसे बहुत विचारपूवक मै फिर दोहराना चाहता हूँ। उसके अन्दर बहुत बडी बाते है। परन्तु इन बडी बातोके कारण ही वह ब्रिटिश भारतीयोका 'मेग्ना कार्टा' नही है, बल्कि उसकी उस भावनाके कारण है जो दक्षिण आफ्रिका और उसकी सरकारके रुखमे जबदस्त परिवर्तन प्रकट करती है। हमारे देश-भाइयोके कष्ट-सहनने उस समझौतेपर मुहर लगा दी है। हम लोगोको लगा कि भारतके पुराने बलका प्रयोग दक्षिण आफ्रिकामे किया जा सकता है। और आठ वषके लम्बे कष्टोने हमे उसकी अमोघताका निश्चय करा दिया। सरकारने देख लिया कि भारतीय जनता जब किसी चीजको मनमे धार लेती है तो दुर्धर्ष हो जाती है, और यह भी कि अपनी कमसे-कम पेश की गई मॉगोमे कोई तिल-भर भी कम करना चाहे तो वह उसे स्वीकार नही करेगी।

श्री कार्टराइट यही है। वे शुरूसे हमारे पक्के हितैषी रहे है। और उन्होने हमारी जो मदद की है उसके लिए मै उनका बहुत आदर करता हूँ। परन्तु मै यहॉ उनसे कहूँगा कि उन्होने हमे लगभग कमजोर करनेका यत्न किया। मुझे याद है, और उन्हे भी याद होगा कि किस तरह वे जोहानिसबर्ग जेलमे मेरे पास आये और कहने लगे — "क्या इस पत्रसे काम नही चल सकता?" तब मैने उनसे कहा — "नही, श्री कार्टराइट, जबतक इतना फेरफार नही कर लिया जाता तबतक नही।" श्री कार्टराइटने फिर समझाया कि "समझौतेकी वृत्ति रखनेसे सब-कुछ मिल जाता है।" मैने कहा, "सिद्धान्तोमे समझौता नही हो सकता।" और सन् १९०६से लेकर १९१४ तक सिद्धान्तोमे कभी समझौता नही किया गया।

हमने जिन-जिन मुद्दोपर सत्याग्रह शुरू किया था उन सबको समझौतेमे अन्तिम रूपसे तय कर दिया गया है। परन्तु अभी हमारे सब दु खोका अन्त नही हुआ है। अभी शिकायते बाकी है जिन्हे निकट भविष्यमे दूर करवाना होगा। लेकिन मुझे आशा है कि सत्याग्रहकी जरूरत नही होगी। उनका निपटारा भारतीय लोकमतके दबावसे, तथा डार्उनिग स्ट्रीट और दिल्ली अथवा कलकत्ताके दबावसे ही हो सकता है। दक्षिण आफ्रिकाके रुखमे परिवर्तन हो गया है। हमारे पक्षमे यह सबसे बडी बात हुई है। दक्षिण आफ्रिकामे अगला समझौता हमारे व्यवहारपर निर्भर करेगा।

अपनी तरफसे और श्रीमती गाधीकी तरफसे मै श्री बसु और श्रीमती नायडूको उनके प्रेमभरे शब्दोके लिए पुन धन्यवाद देता हूँ। परन्तु आपके सामने अभी हमारा केवल उजला पहलू ही आया है। हमारी अपूणताओको आप अभी नही जानते। भारतीय कुल मिलाकर अत्यधिक उदारहृदय होते है। वे दोषोकी उपेक्षा करके गुणो-को बढा-चढा कर देखते है। इसी कारण तो हमने अपने वीर पुरुषोको अवतार बना दिया। हमारे शास्त्रोमे जो लिखा है उसकी मुझे याद आ रही है। लिखा है कि जहाँ हमारी प्रशसा हो रही हो वहासे हमे उठकर चले जाना चाहिए, और उस सारी प्रशसाको भगवानके चरणोमे अर्पण कर देना चाहिए। मै आशा करता हूँ कि हमे परमात्माने इतना साहस दिया है कि इस सारी प्रशसाको हम उसके चरणोमे अर्पित कर दे। उसीके नामपर और भारत-माताके नामपर हमने केवल अपना कत्तव्य करनेका ही यत्न किया है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–९–१९१४

३८६. पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीको

[लन्दन]
अगस्त १०, १९१४

उपनिवेश-उपमन्त्री
कलोनियल ऑफिस, एस० डब्ल्यू०

महोदय,

श्री हरमान कैलेनबैक जन्मसे एक जर्मन है। उनके माता-पिता रूससे आकर जर्मनीके पूर्वी प्रशियाके सीमावर्ती शहर रसमे बस गये थे। जन्मसे वे यहूदी है और पेशेसे वास्तुकार। वे पिछले १८ वर्षोसे दक्षिण आफ्रिकामे बसे हुए है। वे ट्रान्सवालमे टॉल्स्टॉय फार्मके मालिक है और इसके अलावा उसी प्रान्तमे उनकी जमीन जायदाद आदि भी है।

वे पिछले १० वर्षोसे दक्षिण आफ्रिकामे मेरे कामसे सम्बद्ध रहे है और चूकि हम दोनो भारत जा रहे है, वे मेरे साथ आये है।

श्री कैलेनबैक कभी औपचारिक रूपसे ब्रिटिश प्रजाजन नही बने। परन्तु चूकि वे हमारे साथ भारत जा रहे थे, हम दोनो ही इस निष्कषपर पहुँचे कि उनका नागरिक बन जाना बहतर होगा। इसलिए दक्षिण आफ्रिका छोडनेसे पहले अर्थात् १८ जुलाईसे पूव उन्होने नागरिकता पानेके लिए अपनी अर्जी गृहमन्त्रीके पास प्रिटोरिया भेजी। वफादारीकी शपथ वे भारतमे लेनेवाले थे। सम्भावना यह थी कि उनके कागजात उनके वहा पहुँचनेके बाद पहुँच जायेगे। वतमान सकटके कारण श्री कैलेनबैक और मै दोनो ही यहा अटक गये है और हम दोनो आशा करते है कि साम्राज्य-पर जो सकट आ गया है उसके दोरान गैर-फौजीके रूपमे हम अपनी सेवाये शीघ्र ही अर्पित कर सकेगे।

अस्तु, मै यह सब इसलिए लिख रहा हूँ कि इस समय 'जर्मन अपना पजीयन करा ले' इस आशयके नोटिस निकल रहे है और कैलेनबैकके पास अभी नागरिकताका कोई प्रमाणपत्र नही है। हम निश्चित रूपसे यह जानना चाहते है कि इस बारेमे उन्हे कोई कदम उठाना है या नही?

हर हालतमे, श्री कैलेनबैककी ऐसी इच्छा है कि वे अपनेको पूरी तरह अधि-कारियोके हवाले कर दे।

आपका अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/६८

३८७ एक गोपनीय गश्ती-पत्र[1]

[लन्दन
अगस्त १३, १९१४]

हम लोगोने जिनके हस्ताक्षर नीचे है, अच्छी तरह सोच-विचार कर यह तय किया है कि हम मातृभूमिके और साम्राज्यके लिए बिना किसी शतके इस आपत्ति-कालमे अपनी सेवाएँ अधिकारियोको समर्पित कर दे। "बिना किसी शर्तके" शब्दका प्रयोग विचारपूवक किया जा रहा है क्योकि हमारा खयाल है कि ऐसे समयमे, जो भी काम हमे दिया जा सकता हो उसे अपने व्यक्तित्वके या आत्मसम्मानके खिलाफ मानना ठीक नही कहा जा सकता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४

१ यह युद्धकालमें ब्रिटिश सरकारको मदद देनेके भारतीय प्रस्तावके पूर्व कुछ लोगोमें घुमाया गया था। देखिए अगला शीर्षक। इसपर गाधीजी, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू और पचास अन्य लोगोके हस्ताक्षर थे।

३८८ पत्र : भारत-उपमन्त्रीको

[लन्दन]
अगस्त १४, १९१४

सेवामे
भारत-उपमन्त्री
[महोदय,]

हम लोगोमे से बहुतोने यह उपयुक्त समझा कि साम्राज्यपर जो सकट छा गया हे उसके दौरान — जब अनेको अग्रेज अपने जीवनका सामान्य धन्धा त्याग कर साम्राज्यकी पुकारपर आगे बढ रहे है, तो जो भारतीय साम्राज्यमे रह रहे है उन्हे चाहिए कि वे जो कुछ कर सकते हो उस कामके लिए अपने आपको बिना किसी शर्तके अधिकारियोके हाथमे सौप दे।

अधिवासी भारतीय जनताकी भावनाको निश्चित रूपसे जाननेके लिए हस्ताक्षर-कर्ताने एक कानूनी पत्र[1] उन भारतीयोके पास भेजा जिन्हे वह ३० घटेके अन्दर, जो समय सगठनकर्ताओने स्वय निर्धारित किया था, पहुँच सकता था। प्रतिक्रिया शीघ्र और पर्याप्त हुई है तथा हस्ताक्षरकर्ताकी रायमे वह महामहिमके भारतीय साम्राज्यके उन प्रजाजनोका प्रतिनिधित्व करती है जो इस समय सयुक्त साम्राज्यके विभिन्न भागोमे रह रहे है।

अपने लोगोकी ओरसे और उन लोगोकी ओरसे जिनके नाम सलग्न सूचीमे दिये है, हम अपनी सेवाएँ अधिकारियोको सादर सर्मपित करते है ओर यह विश्वास करते है कि परम माननीय मारक्वेस ऑफ क्रू हमारी सेवाएँ स्वीकार करेगे तथा उपयुक्त अधिकारीसे इसकी स्वीकृति दिला देगे। हम सादर इस तथ्यपर जोर देगे कि जो सर्वोपरि विचार हमे प्रेरित कर रहा है वह यह है कि हम जिस थोडी बहुत मददके लायक समझे जाये वह कर सके, चूकि हम इस महान् साम्राज्यकी सदस्यताके लाभ भी उठाते है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम इसके उत्तरदायित्वोमे हिस्सा बँटाये।

हम यह भी कह देना चाहते है कि जिनके नाम इस पत्रके साथ भेजे जा रहे है, उनमे से कुछ तो पहलेसे सरकारकी मददमे लगी हुई कतिपय सस्थाओके साथ काम कर रहे है। हमे जरा भी सन्देह नही है कि यदि हमारा तुच्छ निवेदन स्वीकार हो जाता है तो भारतीय समाजमे इस खबरके फैलते ही और भी बहुतसे स्वयसेवक आगे आयेगे।[2]

मो० क० गाधी
और अन्य लोग

[अग्रजीसे]
इडियन ओपिनियन, १६–९–१९१४

१ देखिए पिछ्ला शीर्षक ।

२ भारत उपमन्त्री, चार्ल्स रॉबर्ट्सने इस पत्रका उत्तर दिया और सरकारकी स्वीकृति व्यक्त की । देखिए परिशिष्ट २९ ।

३८९. पत्र : सी० रॉबर्ट्सको

[लन्दन]
अगस्त २४, १९१४

प्रिय श्री रॉबर्ट्स,

आपने श्री हरमान कैलेनबैकका नाम सुना ही होगा, वे पिछले दस वर्षसे दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोके आन्दोलनसे सम्बद्ध रहे है। उनके माता-पिता मूलत रूस देशसे आकर जमनीमे पूर्वी प्रशियाके रस नामक नगरमे बस गये थे। वही श्री कैलेनबैकका जन्म हुआ था। वे जमन नागरिक रहे है। इधर पिछले अठारह वर्षोंसे वे दक्षिण आफ्रिकामे रहकर वास्तुकारके रूपमे काम कर रहे है। ट्रान्सवालमे उनकी काफी बडी भू-सम्पत्ति है। श्री कैलेनबैकने चूकि ट्रान्सवाल वासी जर्मन-नागरिकोके अपेक्षित कर्त्तव्योका पालन नही किया, इसलिए जर्मन कानूनके अनुसार जर्मन नागरिकताका उनका अधिकार छिन गया है।

चूकि वे दक्षिण आफ्रिकासे हमारे रवाना होनेसे पहले मेरे साथ भारत आ रहे थे, इसलिए हम दोनो इसी नतीजेपर पहुँचे कि उनको दक्षिण आफ्रिकाकी नागरिकता ले लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होने पिछली १५ जुलाईको जोहानिसबर्गमे अपना प्राथनापत्र तैयार कर लिया था और अपने वकीलको हिदायत दे दी थी कि उनका प्रमाणपत्र उनके भारतके पतेपर भेज दिया जाये, यह इसलिए कि हमे लन्दनमे ज्यादा नही रुकना था। वफादारीकी शपथ उन्हे भारतमे लेनी थी।

चूंकि मुझे पता नही कि वैधानिक रूपसे श्री कैलेनबैककी ठीक-ठीक क्या स्थिति है, इसलिए मैने उनके बचावकी दृष्टिसे ही उपनिवेश-कार्यालयके सामने उपर्युक्त तथ्य पेश कर दिये है और अब उसके उत्तरकी राह देख रहा हूँ।

श्री कैलेनबैक भारतीय स्वयसेवक दलमे शामिल होना और डॉ० कैन्टलीकी देखरेखमे चलनेवाली कक्षामे प्राथमिक चिकित्साका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है। परतु वे ऐसा कोई कदम तबतक नही उठाना चाहते जबतक 'इडिया ऑफिस' को यह सब बतलाकर उसकी अनुमति प्राप्त न कर ली जाये। आप जानते ही है कि कक्षा बुधवारके दिन दस बजे दोपहरको शुरू होती है, इसलिए अच्छा हो कि आप इस मामलेपर विचार करके बुधवारकी सुबहसे पहले अपना उत्तर देनेकी कृपा करे।

आपका,
मो० क० गाधी

श्री चार्ल्स रॉबर्ट्स, ससद-सदस्य
इडिया ऑफिस

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/६८

३९०. पत्र : मगनलाल गांधीको

८४-८५, पैलेस चैम्बर्स,
वेस्ट मिन्स्टर, लंदन
भाद्रपद सुदी ५, [अगस्त २६, १९१४][1]

चि० मगनलाल,

मेरी स्थिति कुछ ऐसी अस्त-व्यस्त है कि कुछ सूझ ही नहीं पड रहा है कि क्या लिखूं? अभी यहाँ घायलोंकी सेवा-सुश्रूषाके वर्ग[2] शुरू किये गये हैं, मैं भी इनमें जाता हूँ। हम कुल मिलकर ५९ भारतीय इस वर्गमें हैं। ये वर्ग तीन सप्ताह तक चलेंगे। इसके बाद मेरे [भारत] आनेके सम्बन्धमें मैं कुछ विचार कर सकूँगा। यह भी सम्भव है कि श्री कैलेनबैकके[3] आ पानेमें थोडी बाधा खडी हो। ऐसी स्थितिमें मेरे आनेमें विशेष विलम्ब हो सकता है। मेरे भारत पहुँचनेमें कुछ-न-कुछ विघ्न तो आया ही करते हैं।

मुझे [नियमित] पत्र लिखना तो तुम शुरू कर ही दो। वहाँ तुम सभीकी परीक्षा ही हो रही है। पैसा बहुत सम्हाल कर खर्च करना। खानेपीनेमें सब लोग परहेजसे रहना। इससे तन और मन दोनों शान्त रहेंगे और फीनिक्सका गौरव बढेगा। इस बार तो सबको पत्र नहीं लिख सकूँगा। सम्भव है अगले सप्ताह थोडी फुरसत मिले। तुम कौन-कौन लोग एक साथ हो?[4] मुझे पूरी नामावली भेजना। तुम्हारा सभीका डर्बनमें सम्मान हुआ है यह मैंने 'इंडियन ओपिनियन' में पढा। तुम सभी अपने अध्ययनमें जुटे रहना। मगनभाईकी[5] तबीयत ठीक होगी। यदि किसी बातकी आवश्यकता जान पडे तो 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' के श्री देवधरसे[6] मिलना। तुम्हारा रहना तो रेवाशंकर-भाईके[7] साथ ही होगा। मुझे उनका पत्र मिला था। उसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि तुम उन्हींके साथ रहो।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५६) से।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी

१. प्राथमिक सहायता वर्गकी यहाँ जो चर्चा की गई है उससे पता चलता है कि यह पत्र १९१४ में इंग्लैंडसे लिखा गया होगा।

२. इन वर्गोंका संचालन रिजेंट स्ट्रीट पोलीटेक्निकमें रेड क्रॉस कार्यके विशेषज्ञ डॉ० जेम्स कैन्टलीने किया था।

३. श्री कैलेनबैकको जर्मन होनेके नाते भारतके लिए अनुमति पत्र देनेसे इनकार कर दिया गया था।

४. तात्पर्य फीनिक्सके निवासियोंके उस दलसे है जो भारत जानेवाला था।

५. मगनभाई पटेल।

६. गोपाल कृष्ण देवधर (१८६९-१९३५), सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पूनामें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा स्त्रियोंका उद्धार करनेवाली संस्था सेवा सदनमें काम किया था।

७. रेवाशंकर जगजीवन झवेरी, डॉ० मेहताके भाई तथा जीवन-पर्यन्त गांधीजीके मित्र रहे।

३९१. पत्र : मगनलाल गाधीको

[लन्दन]
भाद्रपद सुदी १४ [सितम्बर ३, १९१४]

चि० मगनलाल,

मै पिछले सप्ताह तुम्हे पत्र[1] लिख चुका हूँ। मेरे सभी पत्र तुम्हे मिल गये होगे। मै तो यहाँ काममे गर्क हो गया हूँ। मालूम होता है कि जिसे अपना फर्ज अदा करना है उसे फुरसत ही नही मिल सकती।

आज हमारी घायलोकी प्राथमिक चिकित्सा-सम्बन्धी परीक्षा थी। मुझे भी बहुत पढना पडा। परीक्षामे निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये थे "अफीमके जहरको कैसे उतारा जाये?" "यदि घायलकी हँसली टूट गई हो तो उसकी हिफाजत किस प्रकार की जाये?" "हथेलीमे घाव लगा हो तो खूनका गिरना कैसे बन्द किया जाये?" इस वर्गमे हम ७० भारतीय है। कलसे दूसरा सत्र शुरू होगा। और फिर जो तमाम स्वयसेवक आते रहते है उनसे मिलना हो जाता है सो अलग। युद्धके परिणामकी फिलहाल कोई खबर नही लगती। हमे भी किस विशेष मोर्चेपर जाना पडेगा यह नही कहा जा सकता। ऐसी कुछ अनिश्चित स्थिति चल रही है। बाका स्वास्थ्य वैसे बहुत अच्छा है परन्तु कमजोरी अभी गई नही है। उपवासका प्रताप है। श्री कैलेनबैक गुजराती सीख रहे है। यह आशा लगाये बैठा हूँ कि तुम सबके पत्र मिलते रहेगे।

यह पत्र सभी लोग पढ ले। मुझे लगता है कि तुम सबकी परीक्षा अनुमानसे भी कुछ विशेष कठिन होगी। मगनभाई, मणिलाल और जमनादास आदिको अभी तो पत्र नही लिख सकूँगा। अगले सप्ताह देखा जायेगा। तुम पत्र लिखते रहना। मगनभाई तथा सन्तोककी तबीयतका हाल जाननेकी राह देख रहा हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (जी० एन० २७६३) की फोटो-नकलसे।

३९२ पत्र मगनलाल गाधीको

[लन्दन]
भाद्रपद वदी १३ [सितम्बर १८, १९१४]

चि० मगनलाल,

पिछले हफ्ते तुम्हे पत्र नही लिख सका, उसके लिए समय ही नही मिला। अधिकाश समय बीमारो और घायलोकी सेवा-सुश्रूषाकी तालीमकी क्लासमे चला जाता है और बाकी श्री गोखलेके साथ। उनकी तबीयत फिलहाल तो ठीक चल रही है। हमे अभी दो माह तक तालीम दी जायेगी और उसके बाद जहाँ लडाई चल रही है वहाँ

१ देखिए पिछला शीर्षक।

भेज दिया जायेगा। इसलिए अभी निकट भविष्यमे तो मेरा वहाँ आना हो नही सकता। लडाई जल्दी ही बन्द हो जाये तो और बात।

तुम सब [सम्भवत] यह जानना चाहोगे कि मै घायलोकी सेवाके काममे भी क्यो पडा। दक्षिण आफ्रिकामे अभी कुछ ही दिन पहले तक मै यह कहा करता था कि सत्याग्रहियोके रूपमे हम घायलोकी सेवामे भी मदद नही कर सकते क्योकि वह भी लडाईको उत्तेजन देनेके बराबर है। कसाईखाने [कसाईके काम]मे जो मदद नही करना चाहता वह कसाईका घर साफ करनेके काममे भी नही पडेगा। लेकिन मैने देखा कि इग्लैडमे रहते हुए मै एक दृष्टिसे लडाईमे भाग ले ही रहा हूँ। लडाईके इस कालमे लन्दनको जो खाद्य-सामग्री मिलती है वह समुद्री बेडेकी रक्षाके कारण ही मिलती है। अत ऐसी खुराक खाना भी दोषयुक्त हुआ और वह दोष तो मैने किया है। इससे बचनेका एक ही उपाय था। उपाय यह था कि यहाके पहाडोमे, कन्दराओमे चला जाऊँ और मनुष्यकी मददके बिना, कुदरतसे जो भी आच्छादन या खुराक मिल जाये उसीसे अपना काम चलाऊँ। चूकि ऐसा करनेका आत्मिक बल अपने भीतर मैने नही पाया इसलिए हाथ हिलाये बिना युद्ध-दूषित खुराक लेना भी अत्यन्त अनुचित लगा। जब हजारो लोग केवल इसलिए कि उन्हे ऐसा करना अपना कत्तव्य मालूम होता है, अपने प्राण अर्पित करनेके लिए निकल पडे है, तो मै कैसे बैठा रह सकता हूँ। बन्दूक तो यह हाथ कभी उठायेगा नही, इसलिए घायलोकी सेवाका ही एक काम बाकी रह गया और वही मैने ले लिया। मनके साथ मेरा जो सम्वाद हुआ उसका यह साराश है। दृढ निश्चयके साथ मै ऐसा नही कह सकता कि मैने जो कदम उठाया है, ठीक ही है, किन्तु कई बार विचार करनेके बाद भी कोई दूसरा रास्ता अभी तक मुझे सूझा नही है।

मेरा अनुमान है कि यहाँ हमे अभी कमसे-कम चार माह और लग जायेगे। लडाई इससे ज्यादा नही चलनी चाहिए। बा की तबीयत ठीक रहती है, खूब चल-फिर सकती है। यहाँ तो उसने गेहूँ भी छोड दिया है। मै जो कुछ कहता हूँ उसके सिवा वह केवल दूध और लेती है। श्री कैलेनबैकका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। उनकी गुजरातीकी पढाई चल रही है। भाई सोराबजी हमेशा मिलते रहते है। मेरे साथ लडाई [के काम]मे दाखिल हुए है। इस क्लासमे हम ७० व्यक्ति है। उन्होने पहली यानी प्रवेशकी परीक्षा पास कर ली है। बैरिस्टर होनेमे उन्हे तीन वर्ष और लगेगे। ज्यो-ज्यो अनुभव बढता जाता है त्यो-त्यो मै देखता हूँ कि यहाँ आना और डिग्रिया प्राप्त करना बिलकुल बेकार है। विद्यार्थियोकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पढते शायद होगे, गुनते तो है ही नही। चारित्र्यका नाश हो जाता है। बहुत ही थोडे लोगोका— और वह भी पक्की उम्रके बाद— यहाँ आना ठीक माना जा सकता है।

यह पत्र तुम सब लोग पढना। इसकी नकल कर लेना और मूल पत्र डॉ० मेहताको भेज देना। नकल चि० हरिलालको भेज देना। मुझे पत्र नियमपूवक लिखते रहो। पता इस प्रकार है —८४/८५, पैलेस चैम्बर, वेस्ट मिन्स्टर, लन्दन। किसी दूसरेको अलगसे नही लिख रहा हूँ इसलिए यह पत्र सबके लिए समझना।

तुम सब लोगोको अपनी स्थिति विषम महसूस हो रही होगी। ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हारी सहायता करे और अपने कत्तव्यका पालन करनेमे दृढता प्रदान

करे। इस पत्रकी एक नकल सामलदासको[1] भी भेजना। उसे तुम्हारे दलमे शामिल हो जाना चाहिए। भाभियोके चरणोमे प्रणाम करनेका अवसर तो कौन जाने कब आयेगा। मगनभाई[2] अपने घर हो आये या नही, यह जाननेके लिए आतुर हूँ। फकीरी[3] और कुपुके[4] लिए तमिल सीखनेकी व्यवस्था कर सको तो करना। सी० नटराजनसे[5] मिलना, वे इस सम्बन्धमे तुम्हे ठीक सलाह देगे। सब लोगोसे पत्र लिखनेके लिए कहना। कल्याणदासका[6] क्या हाल है—समाचार देना।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजरातीकी प्रतिलिपि (सी० डब्ल्यू० ५७६६ और एस० एन० ६०५२) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

३९३. पत्र : छगनलाल गांधीको

[लन्दन]
भाद्रपद वदी १४ [सितम्बर १९, १९१४]

चि० छगनलाल,

जो कुछ लिख गया हूँ वह सब भेजते हुए हिचकिचा रहा हूँ। डाककी ऐसी कुछ दहशत रहती है। तुम्हारी ओरसे इस बार कोई डाक अभी तक नही आई। यह देश मुझे तो जहर-जैसा लगता है। मेरा मन तो भारतमे पडा है। मजबूरन रहना है, यही समझकर यहाँ पडा हूँ। इस सम्बन्धमे कुछ विस्तारसे ही लिखना चाहता हूँ पर अभी न फुरसत है और न इच्छा। यहाँ जबतक हूँ मुझे पत्र बराबर देते रहना। इमाम साहबको सलाम कहना। उन्हे भी जवाब देना है पर जब दे पाऊँ, तब ठीक। रावजीभाई और प्रागजीसे भी कहना कि मुझे पत्र लिखे।

बारमे प्रवेशके लिए मैंने सोराबजीको १९० पौड दिये है। यह रकम डॉक्टर मेहताके खातेमे लिखकर उतनी रकमकी हुडी रजिस्ट्री करके यहाँ भिजवा देना। यदि मै यहाँ न रहा तो पत्र भारत आयेगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०५१) की फोटो-नकलसे।

१ गांधीजीके बड़े भाई लक्ष्मीदास गाधीके पुत्र।
२ मगनभाई पटेल।
३ ४ विद्यार्थी, मगनलाल गांधीके साथ भारत गये थे।
५ कामाक्षी नटराजन, **इंडियन सोशल रिफार्मर**, बम्बईके प्रसिद्ध सम्पादक।
६ कल्याणदास जगमोहनदास मेहता, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७५।

३९४ परिपत्र . प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमे[1]

सितम्बर २२, १९१४

यूनाइटेड किंगडममे निवास करनेवाले भारतीय विद्यार्थियोने देशकी प्रतिरक्षाके लिए देशमे और विदेशोमे भेजी जानेवाली सैनिक सेवाओमे सक्रिय रूपसे हाथ बँटानेकी अपनी इच्छा व्यापक तौरपर व्यक्त की है। उसे देखते हुए ही, "रेड क्रॉस सोसाइटी" की देख-रेखमे एक 'फील्ड एम्बुलेन्स ट्रेनिग कोर' का सगठन करने और उस दलके सदस्योको पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर यूरोपमे तैनात भारतीय सेनाके साथ काम करनेका अवसर देनेका निणय किया गया है। प्रारम्भिक तौरपर इस दल (कोर) का एक दस्ता लन्दनमे सगठित किया जा चुका है और डॉ० जेम्स कैन्टलीकी देखरेखमे कुछ सप्ताह तक उससे ड्रिल कराई गई है और प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब युद्ध-कार्यालय और 'लन्दन युनीवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर' के अधिकारियोके सहयोगसे इस प्रारम्भिक दस्तेके सदस्योकी सख्या बढाने और उसे एक अत्यन्त ही सुसगठित 'कोर' के रूपमे विकसित करनेके लिए कदम उठाये जा रहे है। भारत-सरकारने इसकी इजाजत दे दी है और "इडियन मेडिकल सर्विस" के [निवृत्त] लेफ्टिनेट कमाण्डर बेकर इस कोरके कमाण्डर बननेके लिये तैयार हो गये है।

इसमे शामिल होनेके इच्छुक भारतीय सज्जनोको अविलम्ब ही अपने नाम 'इडियन वालन्टियर कमिटी,' ६०, टाल्बोट रोड, बेजवाटर, लन्दनके पतेपर भेज देने चाहिए।

वैसे तो यह 'कोर' मुख्यत लन्दन-निवासियोके लिए बनाई गई है पर अन्य नगरोके भारतीय विद्यार्थी भी यदि चाहे तो इसमे शामिल किये जा सकते है। वैसे तो शिक्षण पाने और सेवा करनेके इच्छुक सभी व्यक्ति इसमे उपयोगी होगे किन्तु चिकित्सीय शिक्षण-प्राप्त लोग इसमे विशेष उपयोगी होगे। प्रार्थियोको 'इडियन फील्ड एम्बुलेस ट्रेनिंग कोर' का सदस्य बननके लिए कहा जायेगा और 'मेडिकल बोड' उनकी शारीरिक सक्षमताकी जाँच करेगा। उसमे पास होनेके बाद उनको लन्दनमें लगभग रोज ही किसी ऐसे समय, जो उनके दैनिक काम-काज या अध्ययनमें आडे न आये घन्टे भर प्रशिक्षित प्रशिक्षकोकी देखरेखमे कवायद (ड्रिल) करनी पडेगी और हर सप्ताहान्तमे शुक्रवारकी रातसे लेकर सोमवारकी सुबह तक आगेके प्रशिक्षणके लिए सामूहिक रूपसे लन्दनसे बाहर जाकर शिविर लगाने पडेगे। ऐसे शिविरोके लिए लन्दनसे आसानीके साथ आ-जा सकने योग्य एक मैदान लन्दनसे बाहर 'कोर' को दे दिया जायगा और वर्दियाँ तथा साज-सज्जा खरीद ली जायेगी। प्रशिक्षणके दौरान काफी कडी मेहनतसे

१ इस लेखका मूल शीर्षक था — "इडियन फील्ड एम्बुलेन्स ट्रेनिग कोर"। इसका मसविदा गांधीजी और श्री मैक्टेने तैयार किया था, देखिए "पत्र सी० रॉबर्ट्सको", पृष्ठ ५३४ ३५।

डटकर काम करना पड़ेगा। कुछ सप्ताहके शिक्षणके बाद कायक्षम हो जानेपर, वे विदेशोमे तैनात भारतीय सेनाके साथ 'रेड क्रॉस सोसाइटी' की देखरेखमे एक टुकडीके रूपमे छ महीने तक काम करनेके लिए अपनी सेवाये अर्पित कर सकेगे। उस सेवामे काम करनेकी शर्तें, इत्यादि बादमे घोषित की जायेगी। परन्तु अभी इतनी आशा तो है कि 'रेड क्रॉस सोसाइटी' विदेश भेजी जानेवाली प्रत्येक टुकडीमे दस चिकित्सा-अधिकारियोको और परिचर्या-चपरासियो, मरहमपट्टी करनेवालो, कम्पाउण्डरो, बैरो इत्यादिके रूपमे काम करनेवाले पचास अन्य रगरूट प्रशिक्षणार्थियोको काम दिलानेमे सफल होगी। इस प्रकार बाहर भेजे जानेवाले चिकित्सा-अधिकारियोको शायद बीस शिलिंग प्रतिदिन और शेषको मुफ्त भोजनके साथ चार शिलिग प्रतिदिन वेतन दिया जायेगा। इन पदोके लिए चुनावमे उन रगरूट प्रशिक्षणार्थियोको ज्यादा योग्य माना जायेगा जिनका प्रशिक्षण कमाडिग ऑफिसरकी रायमे, सबसे अधिक कार्य-क्षमतापूर्ण होगा।

[अंग्रेजीसे]

छपे हुए अंग्रेजी पर्चे (एस० एन० ६०५३) से।

३९५ पत्र: डॉ० अब्दुर्रहमानको

[लन्दन]
अक्तूबर १, १९१४

प्रिय डॉ० अब्दुरहमान,

मेरी समझमे आपको चाहिए कि आप मन्त्री महोदयको सूचित कर दे कि आप केवल मलय समाजका ही नही, उन मुसलमानोका भी प्रतिनिधित्व करते है जो मलायाके नही है। साथ ही आपके मामलेपर उनको एक बयान अवश्य दिया जाना चाहिए। इस सप्ताहके 'इडियन ओपिनियन' मे आप वकीलकी राय पढेगे। उससे आपको पता चल जायेगा कि फैसलेका अधिवासी मुसलमानोपर भी प्रभाव पडा है। [आप उन्हे बताये] कि आप चाहते है कि गैर-ईसाइयोके उन विवाहोको जो सम्बद्ध पथोके धर्ममे विहित रीतिसे सम्पन्न हुए हो, मान्यता मिलनी चाहिए। यदि एक शिष्ट-मण्डलसे भेट की जा सके तो समस्याका कोई हल निकल सकता हे। उस अवस्थामे जो भावना जाग्रत हो गई है उसकी तीव्रताको मन्त्री महोदय समझेगे। मुझे आशा है कि आप कानूनको बदलवा कर ही सन्तुष्ट होगे — इससे कम किसी दूसरे कदमसे नही। इसपर कोई भी आश्वासन पर्याप्त नही माने जा सकते।

आपका,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५८) की फोटो-नकलसे।

३९६. भाषण . इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स कोरके सामने[1]

[लन्दन
अक्तूबर १, १९१४]

श्री गांधीने हर काममें डॉक्टर कैंटलीके अद्भुत उत्साहकी सराहना की। किन्तु कहा कि डॉक्टर साहबमें एक कमजोरी भी है और वह है उनकी यह उत्कट अभिलाषा कि "अपने शरीरोंको एकदम गर्म बनाये रखनेके लिए हम [चुस्त] घाघरे पहना करें" यह वाक्य सुननेपर सभामें उपस्थित व्यक्तियोंमें से डॉ० कैंटली ही सबसे अधिक और देर तक हँसे। श्री गांधीने पॉलीटेक्निक संस्थाके निदेशकोंके कार्यकी प्रशंसा सुन्दर शब्दोंमें की। वे लोग उस प्रशंसाके अधिकारी भी थे। इस संस्थाने भारतीय सेवा दल (इंडियन कोर) के रहनेके लिए साया प्रदान किया है। इस संस्थाने सेवा दलके सदस्योंको अपने शानदार साज-सामान, भवन इत्यादिका और अन्य अनेक सुविधाओंका लाभ भी उठाने दियाहै। और इस सबकी एवजमें पैसा नाममात्रको ही लिया है, क्योंकि उन्हें संचालित करनेवाली प्रधान भावना देशभक्ति और सेवा-परायणता ही है।

श्री गांधीने आगाखाँका "परिचय" देते हुए कहा कि उनका परिचय देना अशिष्टता होगी। खास तौरपर मेरे द्वारा जो बीस वर्षसे भी अधिक अर्से तक अपनी मातृभूमिसे बाहर रहा हो। आगाखाँ महोदयने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं इस संकट कालमें ब्रिटिश सेनामें एक सैनिककी हैसियतसे काम करने लगूँ। यह सुनते ही श्री गांधीने, जैसीकि आशा थी, अवसरको हाथसे न जाने दिया। उन्होंने कहा कि आगाखाँने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनके लिए सेना-विभागमें प्रत्येक मार्ग सुलभ है। सेना-विभागमें भर्ती होनेके फलस्वरूप भारतीय सेवा-दलका हौसला बढ़ेगा, उन्हें भी प्रसन्नता होगी, और सन्तोष भी होगा। सेवा-दलके सदस्य आगाखाँके नीचे खुशीके साथ काम

१ रीजेण्ट स्ट्रीट, लन्दनमें स्थित पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशनके भवनमें एक सार्वजनिक सभा हुई थी। इस सभाका आयोजन डॉक्टर जेम्स कैण्टलीकी सेवाओंके लिए उन्हें सम्मानित करनेके उद्देश्यसे किया गया था। उन्होंने 'इंडियन वॉलंटरी एड कोर' नामक सेवा-दलको स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सामें प्रशिक्षण दिया था। इस दलको इंग्लैंडके युद्ध कार्यालयने मान्यता दी थी और इसका नाम 'इंडियन फील्ड एम्बुलेंस कोर' रखा गया था। कर्नल आर० जे० बेकरने जो कि इंडियन मैडिकल कोरके भूतपूर्व सदस्य थे, डॉ० कैण्टलीके बाद प्रशिक्षण कार्यका भार उठाया था। श्री गांधीने इस सभाकी अध्यक्षता की। इसमें आगाखाँने भाषण दिया था। उपस्थित व्यक्तियोंमें श्रीमती कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री अमीर अली और श्री कैलेनबैकके नाम उल्लेखनीय हैं। इससे पहले इस सभामें गांधीजीने डॉक्टर कैण्टलीको उनकी सेवाओंके उपलक्षमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी रचनाओंका एक संकलन भेंट किया था।

करेंगे। श्री गांधीने आगाखाँके सम्बन्धमें और भी प्रशंसात्मक शब्द कहे। उन्होंने कहा कि वे दक्षिण आफ्रिकाके संघर्षके दिनोंमें भारतीयोंका उत्साह अनवरत रूपसे बढ़ाते रहे और अच्छी खासी आर्थिक सहायता लगातार पहुँचाते रहे। श्री गोखलेने दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके हितमें जो कठिन परिश्रम किया था उसमें भी उन्होंने हाथ बँटाया था। श्री गांधीने यह भी कहा कि आगाखाँको देखकर उनके अनुयायियोंका — जिनमें से कुछने हमारे संघषमें भाग लिया था — ही नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीयका हृदय भी प्रसन्न हो उठता है फिर चाहे वह किसी भी धर्मका माननेवाला क्यों न हो।[1]

इसके उपरान्त श्री गांधीने हिन्दुओंकी ओरसे मुसलमान भाइयोंके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि श्री लायड जॉर्जके कथनपर जो रोष मुसलमानोंको हुआ है उसमें हम हिन्दू लोग पूर्णतया उनके साथ हैं। उन्होंने सलाह दी कि आप लोग एक-एक पैसा माँगकर कोष एकत्रित करके इंग्लैंडके गृह-मन्त्रीके पास एक ऐसा प्रामाणिक और विश्वसनीय विवरण लिख भेजें जिससे यह प्रमाणित हो जाये कि मुसलमानोंके पैगम्बर दुरात्मा न थे जैसा कि उन्होंने मान रखा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-११-१९१४

३९७. पत्र : कर्नल आर० जे० बेकरको

लन्दन

अक्तूबर १३, १९१४

प्रिय कर्नल बेकर,

आपकी आजकी तारीखकी चिट्ठीके लिए धन्यवाद। उसीके साथ श्री वेंकटरमण द्वारा आपका मौखिक सन्देश भी मिला। उन्होंने मेरा नोट आपतक पहुँचानेकी कृपा भी की।

मैं यह जानता हूँ कि कठोर सैनिक अनुशासनमें यह जरूरी होता है कि एक दल (कोर) के सदस्यों द्वारा की गई सभी शिकायतें वर्ग नेताओं (सेक्शन लीडर्स) के जरिये कमांडिंग ऑफिसरको भेजी जायें। मैं इस तथ्यको भी जानता हूँ कि फौजी अर्थमें मैं एक असैनिक व्यक्ति हूँ, परन्तु मैं ऐसा मानता रहा हूँ कि गैरसरकारी तरीकेसे दलके हितमें मुझे आपके तथा दलके सदस्योंके बीच बातचीतका एक अदना जरिया मानकर बातचीत करनेकी अनुमति दी इसलिए जायेगी कि कोई मतभेद या आग्रह, विशेषतः प्रारम्भिक दशाओंमें, आड़े न आये। प्रारम्भमें इस बातकी गुंजाइश रहती है कि जो सदस्य कभी पहले सैनिक अनुशासनमें नहीं रहे वे एकदम नये अनुभवोंको ठीक तरहसे

[1] इसके बाद आगाखाँका भाषण हुआ।

ग्रहण न कर सके। मैंने यह भी सोचा कि आप स्वयसेवक दलके अध्यक्षकी हेसियतसे मेरी प्रातिनिधिक हेसियत माननेमे उज्र नही करेगे। और दलपर जिन बातोका असर पडता है अगर उनके बारेमे आपको लिखू तो नाराज नही होगे। अपने इसी विचारके आधारपर मैने एक सर्वथा मामूली व्यक्ति होते हुए भी आपको अपने कमरेमे आनेका निमन्त्रण देनेका साहस किया, ताकि हम परस्पर बातचीत कर सके, क्योकि मैने देखा है कि पारस्परिक वार्ता पत्र-व्यवहारसे कही अधिक सन्तोषजनक सिद्ध होती है। यदि आप मेरी यह बात उपयुक्त समझे तो मै अब भी आपसे आनेकी प्रार्थना करूँगा।

बहरहाल, इस बीच जो शिकायते मेरे ध्यानमे लाई गई है वे ये है

पहली, दल (कोर) के सदस्योकी भावनाको ध्यानमे रखे बिना वग नेताओ (सेक्शन लीडस) की नियुक्तिसे बडा असन्तोष पैदा हुआ है। स्वयसेवक निराश हुए है और उनके साथ मुझे भी इस बातपर निराशा हुई है कि नियुक्तिके सम्बन्धमे उनसे किसी तरहकी कोई सलाह नही ली गई।[1] भले ही जो नेता नियुक्त हुए है वे वाछनीय व्यक्ति हो, मै उनमे से किसीको भी नही जानता, परन्तु मेरा खयाल है कि दलके कुशलतापूवक ठीक काम करनेके लिए ऐसे अफसरोकी नियुक्ति आवश्यक हे जो दलके सभी सदस्योके प्यारे बन सके। इसलिए मै यह सुझाव देता हूँ कि जो नियुक्तियाँ हो चुकी है वे रद कर दी जाये और इस दलके सदस्योको उनमे वर्ग नेताओ और अन्य अधिकारियोका चुनाव करनेको कहा जाये और आप अन्तिम रूपसे मुकम्मिल नियुक्ति करे, यदि आप सदस्योके चुनावसे सहमत न हो तो उस हालतमे जिनकी नियुक्ति आप अस्वीकृत कर दे, दलके सदस्य उनके स्थानपर अन्य लोगोको चुने।[2]

अन्य शिकायते कम महत्त्वकी है। जो कम्बल दिये गये है वे काफी नही है और उनकी लम्बाई भी कम है। खुराककी मात्रा और प्रकारमे भी परिवर्तनकी जरूरत है। और भी अन्य मामले है, जिन्हे मै इस नोटमे शामिल नही करना चाहता, क्योकि मुझे लगता है कि वैसे ही नोट बहुत लम्बा हो गया है।

आपका हृदयसे,
मो० क० गाधी

गाधीजीके हस्ताक्षर युक्त टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

१ कोर उसी दिन इकट्ठी हुई और एक प्रस्तावमें इसे लिखित रूप दिया।

२ लगता है कि कर्नल बेकरने उसी दिन गांधीजीका नये वर्ग नेताओंकी नियुक्तिवाला सुझाव ठुकरा दिया।

३९८. प्रस्ताव[1]

[लन्दन
अक्तूबर १३, १९१४]

'इडियन फील्ड एम्बुलैस ट्रेनिग कोर'के भारतीय स्वयसेवकोकी यह बैठक कारपोरलोकी नियुक्तिपर लिखित रूपसे अपना अत्यधिक खेद व्यक्त करती हे क्योकि उनकी नियुक्ति कोरके सदस्योकी इच्छाओका ध्यान रखे बिना की गई ह्। बैठक इस बातपर भी दु ख व्यक्त करती हे कि कोरके अध्यक्षने बशर्ते कि कमाडिग-ऑफिसर इसे स्वीकार कर ले, जो नियुक्तियाँ पहलेसे हो चुकी है उन्हे वापस लेने और प्रशिक्षणकी अवधिके दौरान 'कोर' के सदस्योको कारपोरलो तथा अन्य अफसरोके चुनावका अवसर देनेका जो सुझाव दिया था, कमांडिंग ऑफिसरको उसे स्वीकार करनेकी कोई सूरत नजर नही आई। बैठक नम्रतापूवक यह भी निश्चय करती है कि जबतक उपर्युक्त नियुक्तियाँ वापस नही ली जाती और ऐसे कोई उपाय नही अपनाए जाते जिनके द्वारा नई नियुक्तियाँ करते समय निश्चित रूपसे कोरके सदस्योकी इच्छा जानी जा सके तबतक सदस्य न चाहते हुए भी कवायद (ड्रिल) करने और सप्ताहान्त कैम्प करनेसे इनकार करनेपर मजबूर होगे।

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

३९९ पत्र: कर्नल आर० जे० बेकरको

[लन्दन]
अक्तूबर १४, १९१४

प्रिय कर्नल बेकर,

मुझे बडे ही खेदके साथ लिखना पड रहा हे कि मेरे कलके पत्रके जवाबमे आपके उत्तरसे मुझे बहुत ही निराशा हुई। मै आपको अच्छे स्वभाववाला और सहृदय, एक ऐसा कमाडर मानता रहा हूँ जो लाल फीताशाही और अकडसे मुक्त होनेके कारण अपने सामने आनेवाले प्रत्येक कार्यको सहज ही और यथासम्भव खूबसूरत ढगसे कर सकता है। परन्तु आपके पत्रसे मैं चक्करमे पड गया। मैने कोरकी भावनाको भलीभाँति जानते हुए एक बहुत ही उचित सुझाव दिया था। अधिकारियो और अपने देशभाइयोके बीचकी समस्याओको सहज बनाना मेरे जीवनका एक विशेष कार्य रहा है। मै आपको यह बता द् कि पिछली 'साउथ आफ्रीकन इडियन कोर' मे १२००

१ यह प्रस्ताव कोरकी एक बैठकमें जो १३ अक्तूबरको हुई थी, पास किये जानेके बाद कर्नल बेकरको भेज दिया गया था। देखिए अगला शीर्षक।

लोग थे और उसमे मुझे किसी अधिकारका पद प्राप्त नही था, परन्तु फिर भी कभी कर्नल गालवे और कोरके बीच कोई झझट पैदा नही हुई।[1] और यद्यपि वहाँ अधिकृत रूपसे कई यूरोपीय पदाधिकारी उनके नीचे थे मगर कर्नल गालवे और मेजर बप्टे कोई भी कदम मुझसे पूछे बिना नही उठाते थे। निश्चित रूपसे कोरकी इच्छा जाननेके लिए वे मुझसे सलाह ले लेते थे। शायद आपको ज्ञात होगा कि हम ३०,००० की एक सैनिक टुकडीसे सम्बद्ध थे और कठोरतम फौजी अनुशासनके नीचे रहकर काम करते थे। बोअर-युद्धकी अत्यन्त सकटमय स्थितिमे कोरको काम करनेके लिए बुलाया गया था और वह भी उस वक्त जब ब्रिटिश फौजोको पहले-पहले पीछे हटना पडा था। मै विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मै आपके पदकी मर्यादा या सत्ताको नष्ट करन अथवा सैनिक अनुशासनके प्रतिकूल कोई काम करनेकी बात सोच भी नही सकता, परन्तु यदि आप हमे उस अनुशासनका प्रशिक्षण देना चाहते है तो मेरी रायमे मैने जो रास्ता सुझाया है उसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नही है। इससे आप अपनी कोरको और अच्छी तरहसे जान सकेगे। और मै यह निवेदन करूँगा कि मेरी सलाह माननेसे आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढेगी।

पिछली रातको कोरकी एक बैठक हुई। ५३ सदस्य उपस्थित थे। बैठकमे बडा जोश फैला हुआ था। यद्यपि मै कष्टमे था फिर भी डॉक्टरी हिदायतके खिलाफ मैने बैठकमे भाग लिया। प्रस्ताव दो मतोके विरुद्ध ४७ मतोसे पास हुआ। मैने उपस्थित सदस्योसे शामकी कवायदके समय आनेको कहा है। कोरके हितमे यदि आप किसी भी प्रकारसे अपना निर्णय बदल सके तो कवायद जारी रहेगी। यदि आप ऐसा नही कर सकते तो हममे से जिन लोगोने प्रस्तावके पक्षमे मत दिये है तथा जो इसके साथ आनेवाले है उन्हे आपके प्रतिकूल निर्णयकी सूचना दे दी जायगी और वे सादर अपना मत वापस ले लेगे।

मै आशा करता हूँ कि आप अपने निणयपर पुन विचार करेगे और एक अवश्य-म्भावी अनर्थको टाल सकेगे। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मै आपको अपने कमा-डिंग ऑफिसरके नाते प्रसन्न करनेको उत्सुक हूँ, परन्तु अपने देशभाइयोकी, जिनमे से अनेकोने मेरी सलाहपर ही आन्दोलनमे भाग लिया है, सेवा करनेको भी मै उतना ही उत्सुक हूँ।

श्री गणदेविया, जिन्होने कृपया यह पत्र आपके पास ले जानेका काम स्वय हाथमे लिया, आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करेगे।

आपका,

मो० क० गाधी

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ बी०) से।

१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २३३, २३५४१।

४००. पत्र : सी० रॉबर्ट्सको

[लन्दन]
अक्तूबर १६, १९१४

प्रिय श्री रॉबर्ट्स,

इण्डियन फील्ड एम्बुलैंस ट्रेनिंग कोरके सिलसिलेमें एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें यदि सही ढंगसे काम न किया गया तो यह संगठन छिन्न-भिन्न हो जायगा।

कर्नल बेकरने पिछले हफ्ते कोरके सदस्योंकी इच्छाका कोई खयाल किये बिना शाखा कमाण्डरोंकी नियुक्ति की थी। उससे बड़ा असन्तोष फैल गया था और जब मुझे उसका ब्यौरा बतलाया गया, तो मुझे भी वह असन्तोष उचित लगा। मैंने मंगलवारकी सुबह कर्नल बेकरसे उन नियुक्तियोंको वापस ले लेनेकी और उनके स्थानपर कोरके सदस्यों द्वारा चुने हुए लोगोंको नियुक्त करनेकी अपील की, और यह भी कहा कि यदि सदस्यों द्वारा चुने हुए लोगोंको कर्नल बेकर स्वीकार नहीं करेंगे तो सदस्यगण दूसरे लोगोंको चुनेंगे। लेकिन आश्चर्य है कि कर्नल बेकरने फिर भी एक ऐसा रुख अख्तियार किया जिसे मेरे खयालसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनका विचार था इन सदस्योंको यदि कोई शिकायत थी तो उसे शाखा कमाण्डरोंके जरिये ही उनके सामने पेश किया जाना चाहिये था और नियुक्तियाँ रद करना तो अनुशासनको बिलकुल ही धता बतलाना होगा। इसपर मेरी समितिने तुरन्त ही कोरके सदस्योंकी एक बैठक बुलाई और उसमें बुधवारकी रातको एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्तावमें कर्नल बेकरसे अनुरोध किया गया था कि वे नियुक्तियोंको रद कर दें ओर उनके अनुमोदनके लिए हमें नये नाम पेश करनेकी अनुमति दें। इतना ही नहीं कि उन्होंने हमारा अनुरोध नहीं माना, उन्होंने तो हमारे बैठक बुलानेको ही सैनिक अनुशासन भंग करना बतलाया।

मेरा मत है कि कर्नल बेकरने अपनी स्थितिको और कोरकी स्थितिको भी बहुत ज्यादा गलत समझा है।

मेरा खयाल है कि

१ अभी इस समय तक हम लोग एम्बुलैंसका काम सीखनेवाले प्रशिक्षणार्थी-भर हैं।

२ हमने अभी तक उस करारपर दस्तखत नहीं किये हैं जो हमें सैनिक अनुशासन माननेके लिए वचन-बद्ध बना देगा।

३ दल (कोर)का अपना अन्दरूनी प्रशासन-कार्य वालन्टियर कमिटीके हाथमें रहना चाहिए।

४ हमारी सेवायें स्वेच्छासे सहायता-कार्य करनेवाली एक टुकड़ीके रूपमें ही स्वीकार की गई हैं और इसलिए हमारे ऊपर पूरा सैनिक अनुशासन लागू नहीं किया जा सकता।

मै इसके दो पूर्व-दृष्टान्त जानता हूँ। आपकी इजाजतसे मै उनको आपके सामने पेश करता हूँ। बोअर-युद्धके समय भारतीय आहत सहायक दल (इडियन एम्बुलैस कोर) मे १,२०० व्यक्ति थे। साथ ही एक 'यूरोपीय एम्बुलैस कोर' भी थी, जो मेरे खयालमे कही बडी थी। हम सभी कनल गैलवे की कमानमे थे। हमपर सैनिक अनुशासन लागू होता था लेकिन फिर भी कर्नल गैलवेने कभी भी 'कोर' के अन्दरूनी प्रशासनमे कोई हस्तक्षेप नही किया था। और हमारी 'कोर' उन दिनो इस वतमान 'कोर' की भाँति केवल प्रशिक्षण देनेकी एक सस्था नही थी। युद्धके उस सबसे नाजुक दौरमे हम सभी मोर्चोपर लड रहे थे। कनल गैलवेने शाखा-कमाण्डर नियुक्त नही किये थे। और सयोग यह कि सारे आदेश आखिरकार मेरे हाथसे ही गुजरा करते थे। इसी तरह नेटालमे जुलू विद्रोहके समय हम कर्नल स्पार्क्सकी कमानमे थे।[1] कनल स्पाक्स भी हमारी 'कोर' के अधिकारी नियुक्त नही करते थे। हम स्वय ही अपनेमे से अधिकारी नियुक्त कर लेते थे और सैनिक ड्यूटीके बारेमे आदेशोके पालनका दायित्व पूरी तौरपर हमारे ही ऊपर था। आप जानते ही होगे कि सरकारी खरीतोमे दोनो ही 'कोरो' का उल्लेख सम्मानके साथ हुआ है। हो सकता है कि इसके विरुद्ध[2] भी कुछ-दृष्टान्त मौजूद हो। मुझे सैनिक नियमोकी जानकारी नही है। यदि उल्लिखित बैठक बुलानेसे या अन्य किसी प्रकारसे अनुशासन-भग हुआ है और उसे एक गम्भीर और दण्डनीय अपराध माना जाये तो अकेले मुझको ही उसका जिम्मेदार माना जाना चाहिए और मै बडी खुशीसे उसका दण्ड भोगूगा। परन्तु मै यह कहे बिना भी नही रह सकता कि यदि 'कोर' को छिन्न-भिन्न होनेसे बचाना है तो शाखा-कमाडरोकी नियुक्तियाँ रद की जानी चाहिए और 'कोर' के अधिकारो और शक्तियोकी ठीक-ठीक परिभाषा की जानी चाहिए। कर्नल बेकर तथा मेरी समितिकी स्थिति सुनिश्चित कर देनी चाहिए।

आपको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नही कि मैने यह पत्र आपको पूरी जिम्मेदारीके साथ लिखा है। मै जानता हूँ कि यह समय आपसी झगडोमें पडनेका नही, ठोस काम करनेका है। परन्तु मेरा खयाल है कि कर्नल बेकरने अपनी बातपर अडकर हम लोगोके लिए तबतक उनके नीचे काम करना असम्भव बना दिया है जबतक कि वे अपना रवैया नही बदलते। मुझे भरोसा है कि आप इस समस्याको हल करनेका मार्ग सुझा सकेंगे।

आपका,
मो० क० गाधी

श्री चार्ल्स रॉबर्ट्स, एम० पी०, इत्यादि
इडिया ऑफिस

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३७८ ३८३।

२ मूल अग्रेजीमें यहाँ कट्री (देश) शब्द है, 'कट्रेरी' (विरुद्ध) नही, पर वह यहाँ उपयुक्त नही लगता।

लागू होगा और उसका दर्जा तथा अस्तित्व कर्नल बेकरको मान्य होगा। सलाह लेनेका यह सिद्धान्त उन सब मामलोंपर भी लागू होगा, 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर जिनका प्रभाव पड़ता है। मैं यह भी मानता हूँ कि यदि मेरी समिति कर्नल बेकरके साथ पुन सहयोग आरम्भ कर देती है तो वे गश्तीपत्र जिनमे सम्भवत कर्नल बेकरने भारतीयोको अपनी सेवाएँ व्यक्तिगत रूपसे समर्पित करनेका आह्वान किया है, आइन्दा जारी नही किये जायेगे। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड महोदय ऐसा मानेगे कि मै समितिके लिए जिस मान्यताकी माँग कर रहा हूँ वह निश्चित रूपसे केवल सफलता और कार्य-निपुणताकी प्राप्तिके लिए है।

चूकि मै कल 'कोर' के सदस्योकी एक बैठक बुला रहा हूँ, इसलिए क्या मै आशा करूँ कि इसका उत्तर एक्सप्रेस डिलीवरीसे मिल जायेगा। यदि आप अपने पत्रमे उल्लिखित सैनिक विनियमोकी अपनी प्रति मुझे कुछ समयके लिए भेज सके तो बडी कृपा होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

४०३. पत्र : सी० रॉबर्ट्सको

१६, ट्रेबॉविर रोड
लन्दन, एस० डब्ल्यू०
अक्तूबर २५, १९१४

प्रिय श्री रॉबर्ट्स,

आपने तत्काल ही, २३ तारीखको उत्तर लिख भेजा, इसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करे। मेरे २२ तारीखके पत्रमे जिस बैठकका उल्लेख है उसमे हमारे बीच हुआ पत्र-व्यवहार पढा गया था। और दो व्यक्तियोको छोडकर सारी बैठकमे प्रस्ताव पास करके आपके उस पत्रपर बहुत खेद व्यक्त किया गया जिसका यहाँ उत्तर दिया जा रहा है और साथ ही मुझे अपने पिछले पत्रके अनुसार एक सुलहनामेके लिए बातचीत करनेका अधिकार दिया गया है।

मुझे लगता है कि इडिया ऑफिस और मेरी समितिके कार्योंके सम्बन्धमे तथा कर्नल बेकर और समितिके परस्पर सम्बन्धोके बारेमे जबर्दस्त गलतफहमी दिखाई देती है। जिस गश्ती-पत्रका[1] मसविदा श्री मैलेटने और मैने बनाया था और जिसकी प्रति मै सलग्न कर रहा हूँ, वह कर्नल बेकरके कमाडिंग ऑफिसर नियुक्त होनेके साथ ही साथ जारी हुआ था। उस गश्ती-पत्रका ही यह अभिप्राय है कि भर्तीके लिए मेरी समिति ही पूरी तरहसे जिम्मेदार होगी। और इस दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदके पहले तक समिति

१ देखिए "परिपत्र प्रशिक्षण दलके सम्बधमें" पृष्ठ ५२५-२६।

ही कनल बेकरकी जानकारीमे पूरी तौरपर भर्ती करती रही हे। अतएव यह कहना कदापि उचित नही कि मै अब कर्नल बेकरके भर्ती करनेके हकको, जो उनका कभी नही था, चुनौती दे रहा हूँ। बल्कि अगर मै कहूँ, तो हमे ऐसी शिकायत करनेका हक हे कि जब हम सम्बन्धोको सँभालनेकी भर-सक कोशिश कर रहे थे तब कनल बेकरने भर्तीकी माग करते हुए गश्ती-पत्र जारी किये और विद्यार्थी-विभागने भी दखल दिया तथा एक तरहसे उन लोगोको जो कर्नल बेकरके प्रयत्नोपर अनुकूल काम करनेवाले थे, औपचारिक रूपसे लिखा भी। इन प्रयत्नोसे ऐसा प्रतीत होता हे कि वे अपनी हदतक मेरी समितिसे सहयोग बनाये रखनेका कोई इरादा नही रखते। नि सन्देह उनका समझौतेके लिए चल रही मेरी बातचीतके परिणामकी प्रतीक्षा करना अधिक शोभाजनक होता। अतएव यदि 'कोर' के काम शुरू कर देनेके बावजूद कनल बेकर भर्ती जारी रखते, तो 'कोर' का स्वयसेवी और राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाता, उसके काम हमारे उस गश्ती-पत्र तथा उसपर आधारित प्रयत्नके विरुद्ध होते। इसके अलावा यह आपके १८ अगस्तके पत्रकी भावनाके भी विरुद्ध होगा जिसमे प्रस्तावपर हस्ताक्षर करनेवालोसे एक समिति बनानेके लिए कहा गया था। समझौता होनपर मेरी रायमे कमसे-कम भर्ती करनेका पूरा हक बरकरार रहना चाहिए।

आपके पत्रसे यह भी जान पडता है कि कनल बेकरके लिए यह सिद्धान्त स्वीकार करना भी असम्भव होगा कि मेरी समितिसे 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर असर डालनेवाले मामलोमे भी सलाह ली जाये। कनल बेकर अबतक तो सलाह लेते रहे हैं। उदाहरणके लिए उन्होने मेरे जरिये सेनाके रसद विभाग (कॉमिसेरियट) के प्रबन्धके बारेमे विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकारका खाना मागनेके प्रश्नके सम्बन्धमे और पोशाक जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नके बारेमे समितिकी सलाह और सहयोगको उपयोगी और व्यावहारिक पाया है। मेरे कथनका यह तात्पय नही कि सेवा और काम सम्बन्धी मामलोपर मेरी समितिकी सलाह ली जानी चाहिए। मै इस तथ्यको अच्छी तरह जानता हूँ कि अनुबन्धके जिन प्रारूपोपर हम सबने स्वेच्छया हस्ताक्षर किये हैं, उनमे हमने यह मान लिया है कि हम अपने कमाडिंग ऑफिसरके सभी न्यायपूण आदेशोको मानेगे। परन्तु हमने यह नही माना है कि जिन कामोको हमने उस अफसरके अधिकार-क्षेत्रमे नही माना, वह उनको करे और हम उसमे योग दे। मै निवेदन करना चाहता हूँ कि मै सदासे, आदेश-पालन कैसे किया जाता है, सो जानता हूँ और आशा करता हूँ कि इस सकटकालमे यदि किसी कामके योग्य समझा जाऊँ वही काम मिलनेपर सेवा करनेमे पीछे नही रहूँगा, और मेरी समझमे मै अपने साथ काम करनेवालोके बारेमे भी यही कह सकता हू। इस दुर्भाग्यपूण मामलेमे उनकी बराबर यही इच्छा रही कि पत्र तथा जिन अनुबन्ध-पत्रोपर उन्होने हस्ताक्षर किये थे उनकी भावना पूरी तरह निबाही जा सके।

मै जितने विस्तारसे लिखना चाहता था, उससे अधिक विस्तारसे लिख गया हूँ। मेरी समिति तथा मै इसके लिए उत्सुक है कि कोई समझौता हो जाये। और चूकि मेरी समझमे पारस्परिक सद्भावनाको बल देनेमे व्यक्तिगत बातचीत सर्वाधिक सफल साधन सिद्ध होता है, मै फिर आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सुझाव दिया भी था कि यदि आवश्यकता पडे तो मै आपसे मिल सकता हूँ। मगर मुझे डॉक्टरकी सख्त

हिदायत है कि कमसे-कम एक पखवाडे तक बिस्तरसे न उठू। इसलिए यदि आप आ सकनेका समय निकाल सके तो मै बहुत आभारी होऊँगा।

कोई भी दिन व समय मेरे लिए उपयुक्त रहेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

४०४ पत्र . मगनलाल गाधीको

लन्दन
कार्त्तिक सुदी ७, १९७१ [अक्तूबर २५, १९१४]

चि० मगनलाल,

मै तुम्हे पत्र न लिख सका।

आज तबीयत अच्छी है इसलिए लिखने बैठ गया हूँ। वैसे हूँ तो आज भी खाट-पर ही, लगता है अभी और १० दिन पडे रहना होगा। इस बारकी तकलीफ तो बेहद रही। मेरा खयाल है कारण यही हुआ कि मैने अपने डॉक्टर मित्रोका कहना मान लिया। चूकि सभीका आग्रह था मैने उन पदार्थोंको लेना स्वीकार कर लिया जिनके बारेमे मैने अन्तिम रूपसे आपत्ति नही की थी। चार दिन तक मै दाल-भात, और सब्जियाँ खाता रहा, और इस पूरी अवधिमे दर्द भी बढता गया और जिस दर्दके शमनके विचारसे यह सब लेनेको कहा गया था, वह न गया। पाँचवे दिन मैने नमक ले लिया और उस दिन तो वेदना असह्य हो गई। छठवे दिन मैने डॉक्टरोसे पिंड छुडाया और अपने ही उपचारोपर आया। एकदम वेदना कम पड गई और बवासीरमे भी लाभ हो गया। परन्तु बीचमे मेरी ही मूर्खताके कारण फिर दद उठा। जिस दिन नमक खाया उस दिन जीवनमे पहली बार कफमे खून आया, अभीतक आ जाता है। अत श्री कैलेनबैक मेरे एक परिचित शाकाहारी गोरे डॉक्टरको ले आये। उसने कहा कि नमककी जरूरत नही है, पर कन्द-मूलकी आवश्यकता बतलाई और कहा कि उपवासके कारण शरीर एकदम क्षीण हो गया है इसलिए अभी तेल, बादाम आदि तो बिलकुल नही दिये जा सकते, और इसलिए अभी मै जौका पानी, आठ औस ताजा मेवा और आठ औस शलजम, गाजर, आलू और पत्तागोभी आदिके पेयपर हूँ। शरीर बहुत ही क्षीण हो चुका है। मुझे तो इस [उपचार] मे भी विश्वास नही है परन्तु स्वास्थ्यकी कुजी अभी मेरे हाथ नही लगी है इसलिए यह प्रयोग करके देख रहा हूँ। दर्द तो बन्द है पर कफमे खून जारी है। भोजनमे रुचि तो नामको भी नही रही इसलिए जीभपर सयम रखनेका यह अच्छा मौका हाथ लगा है। डॉक्टरने नीबू भी बन्द कर दिया है। यो बिना तेलके उबले हुए शलजम, गाजर और गोभीके भोजनमे स्वाद तो नामको भी नही रहा। पर मै प्रसन्नतापूवक यह ले रहा हूँ। जौका पानी भी पहले-पहल तो खराब लगा। पर अब तो लगता है उसे

भी चला लूँगा। तुम्हे यह सब विस्तारपूर्वक लिख रहा हूँ, पर घबरानेकी कोई बात नही है। मेरी तबीयत ठिकाने आ जायेगी यह उम्मीद है और मन कहता है कि वह फलाहारसे ही आ सकेगी। अनुभव क्या होते हैं, यह देखना है। दूध लेनेका आग्रह तो मित्र करते ही रहते हैं पर उसके लिए मै साफ इनकार कर गया हूँ। मैंने उन्हे बतलाया है कि दूध लेनेपर मुझे [धार्मिक] आपत्ति है अत उसे तो, मौत आ जाये तो भी, नही ले सकूँगा।

वा की शक्ति अजब है। वह मेरे उपचारोपर विशेष दृढ होती जा रही है।

यहाँ मुझे इडिया ऑफिसके विरुद्ध सत्याग्रह करना पडा है उसका हाल दूसरे पत्रमे लिखूँगा।

फीनिक्सके आदर्शोंका पालन असह्य सकटोके बावजूद भी करना [1]सब लोगोका स्वास्थ्य किस प्रकार रहता है? वहाँ जानेके बाद वातावरण का प्रभाव बालकोके मनपर किस प्रकार पडा है? सारे समाचार विस्तारपूर्वक लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

गाधीजीनी साधना

४०५ पत्र : मगनलाल गाधीको

[लन्दन,
अक्तूबर, १९१४के अन्तमे][2]

[3] पडा है, उसका ब्यौरा मै किसी दूसरे पत्रमे दूँगा। श्री गोखले आखिरी मेल [स्टीमर] से रवाना हो गये। उनसे मिलना। [तुम्हे] पैसेकी मदद चाहिए तो उन्होने मदद करनेका वचन दिया है। श्री गोखलेकी मान्यता है कि हमारे पास जो कोष है उसका उपयोग वहाके खर्चके लिए नही किया जा सकता और हम सबके देश आनेका खर्च भी उसमे से नही निकाला जा सकता। फिर भी, उन्होने मेरे वहाँ आनेके बाद उसकी समुचित व्यवस्था करनेके लिए कहा है। हम थैलीके पैसेका उपयोग कर सकते है। [तुम] असह्य कष्ट सहकर भी अपने उद्देश्योका पालन करना।

अब तुम तीन जगहोमे सहायता प्राप्त कर सकते हो डॉक्टर मेहता, श्री गोखले और श्री ऐन्ड्र्यूजसे। इन सबमे तुम्हे जो अनुकूल जान पडे उनसे मदद लेना। मेरे विचारानुसार जबतक डॉक्टर मेहतासे मदद मिले, तुम किसी औरकी सहायता न लेना। वहाँ कितना खर्च होता है, भोजनमे क्या-क्या दिया जाता है, सबकी तबीयत कैसी

१ साधन सूत्रमें यहाँ थोड़ा भाग छोड़ दिया गया है।

२ गोखले १३ नवम्बरको बम्बई पहुँचे थे, पर इसके लगभग तीन सप्ताह पूर्व उनके देश रवाना होनेकी सम्भावना थी।

३ साधन-सूत्रमें पत्रके कुछ अश गायब हैं।

रहती हे, वहाँ जानेके बाद लडकोकी आत्मापर वातावरणका क्या प्रभाव पडा, आदि-आदि समाचार विस्तारसे देना।

बापूके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यु० ५७७५) से।
सौजन्य श्रीमती राधाबेन चौधरी

४०६. पत्र : छगनलाल गाधीको

[लन्दन]
कार्तिक सुदी १३ [अक्तूबर ३१, १९१४]

चि० छगनलाल,

तुम्हे लम्बा पत्र लिख सकू ऐसी परिस्थिति ही नही हे। मै अभी खाटपर हूँ और भय हे कि और पडा रहना पडेगा। यो डरनेकी कोई बात नही हे।

श्री पोलक जो रकम उठाते है उन्हे उठा लेने दी जाये। दूसरा चारा नही है। तुम चाहो तो उनके साथ इस सम्बन्धमे चर्चा कर सकते हो। मै यहाँसे तुम्हे इस बाबत कोई सलाह दे सकू ऐसा नही लगता। लक्ष्मीके सम्बन्धमे लिख ही चुका हूँ।[1] मुझे अभी कितना रहना पडेगा, कहा नही जा सकता।

यहाँ सत्याग्रहका निबटारा हो चुका है। हमारी माँगे पूरी हो चुकी है।

भाई प्रागजी तथा रावजीभाईसे कहना कि मै उन्हे भी पत्र लिखनेवाला हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६०) की फोटो-नकलसे।

४०७ पत्र : 'इडिया' को

[लन्दन]
नवम्बर ४, १९१४

सेवामे
सम्पादक
'इडिया'
[लदन]

महोदय,

पिछले इतवारको नेटले अस्पतालमे लगभग ४७० घायल भारतीय सैनिक थे। शीघ्र ही वहाँ और भी बहुतसे घायलोके पहुँचनेकी सम्भावना है, जो अबतक यदि पहुँच नही पाये हो तो पहुँचते ही होगे। भारतीय स्वयसेवक परिचारिको (वालटियर ऑर्डरली) की जरूरत पहलेसे बहुत अधिक है। स्थानीय भारतीय कोरके लगभग ७० सदस्य वहाँ

१ यह पत्र उपलब्ध नही है ।

परिचारकाका काम पहलेसे ही कर रहे है। कोरके चिकित्सक सदस्योको छोडकर, अब बहुत कम लोग बच रहे है जो भविष्यमे जरूरत पडनेपर काम कर सके।

अतएव क्या मै आपके स्तम्भोके सौजन्यका इतना लाभ उठा सकता हूँ कि सघ साम्राज्यमे रहनेवाले युवा भारतीयोसे अपील करूँ कि वे अपना नाम तुरन्त ही इस कामके लिए लिखवा ले। मेरी नम्र रायमें भारतीय सिपाहियोकी सेवा करके उन्हे स्वस्थ बनाना एक गर्वका विषय होना चाहिए। कर्नल बेकर और परिचारकोके लिए माँग कर रहे है। और पर्याप्त सख्या पूरी करनेके लिए तथा अपने युवकोको प्रोत्साहन देनेके लिए कतिपय बुजुर्ग भारतीय जो अच्छे ओहदोपर थे, वे परिचारक बनकर नेटले चले गये है, अथवा जा रहे है। उनमे काठियावाडके राजकुमार कालेजके पूववर्ती उपाध्यक्ष श्री एम० ए० तखड, श्री जे० एम० परीख, बैरिस्टर-एट-लॉ, और इडियन मेडिकल सर्विसके (निवृत्त) लेफ्टिनेट कर्नल कान्ताप्रसाद जो पाँच आन्दोलनोमे भाग ले चुके है, शामिल है।

मै आशा करता हूँ कि इन सज्जनोका दृष्टान्त अन्य लोगोको ऐसे ही उत्साहसे प्रेरित करेगा और अनेक भारतीय जो किसी भी प्रकारसे ऐसा कर सकेगे वे इस आगत आपत्तिकालमे सहायक होगे। जो अपना नाम दर्ज कराना चाहते है वे १६, ट्रिबोविर रोड, अर्ल्स कोर्टके पास, इडियन वालटियर कमेटीके कक्षमे, कामकाजके समयमे, कभी भी करवा सकते है।

आपका,
मो० क० गाधी
अध्यक्ष
भारतीय स्वयसेवक समिति

[अग्रेजीसे]
इडिया, ६–११–१९१४

४०८ एक परिपत्र[1]

[लन्दन]
नवम्बर ४, १९१४

पिछले रविवारको नेटले अस्पतालमे लगभग ४७० घायल भारतीय सैनिक थे। शीघ्र ही उनके वहाँ आनेकी आशा है, जो अबतक यदि पहुँच नही पाये हो तो पहुँचते ही होगे। भारतीय स्वयमेवक दलके सभी उपस्थित सदस्य नेटलेमे नर्स या अर्दलीके रूपमे काम कर रहे है। और ज्यादा अर्दलियोकी माँग है।

समितिका विचार है कि इसे एक गौरवपूर्ण सुअवसर समझना चाहिए कि हमे अपने ही घायल देशबन्धुओकी सेवा-सुश्रूषाका अवसर मिला है। हमारे सामने जो काम है उसको सँभालनेके लिए कमसे-कम और दो सौ आदमियोकी भर्ती करनेकी जरूरत है। तीन महीनेसे अधिक सेवा करनेकी जरूरत न पडेगी। इसलिए, भर्ती होनेके बाद विद्यार्थियोको अपने समयमें से तीन माससे अधिक समय नही देना पडेगा।

१ इस परिपत्रपर गांधीजी और गणदेवियाके हस्ताक्षर थे ।

हमारे कई वृद्ध देशबन्धु नेटलेमे अर्दलीके रूपमे गये है। श्री एम० ए० तर्खड, भूतपूव उपाध्यक्ष, राजकुमार कॉलेज, काठियावाड, श्री जे० एम० परीख, बैरिस्टर, और लैफ्टिनेन्ट कर्नल काताप्रसाद, आई० एम० एस० (निवृत्त) जो पहले भी पाच विभिन्न लडाइयोमे सेवा कर चुके है, इस समय नेटलेमे अर्दलीका काम कर रहे है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–१२–१९१४

४०९ पत्र : छगनलाल गाधीको

[लन्दन]
कार्तिक वदी २ [नवम्बर ५, १९१४]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया हे।

श्री पोलकको मेरा यहाँसे लिखना ठीक नही होगा। तुम और श्री वेस्ट दोनो मिलकर जैसा उचित समझो, कर लेना। इतनेपर भी यदि तुम चाहो कि मुझे लिखना ही चाहिए तो मै उन्हे लिख दूगा। मगनलालने जहाँ तक हिसाब किया था उससे आगेके आकडे भेजना ताकि समय आनेपर मै बम्बईमे हिसाब प्रकाशित कर सकूँ। श्री गोखले हिसाबके बारेमे कुछ नही कर पाये है। वे ऐसा कह गये है कि जबतक कमेटीसे मेरी मुलाकात न हो जाये, हिसाबका ब्यौरा प्रकाशित न किया जाये।

मुझे यहाँ तीन महीने तो और रहना होगा। देखे, और क्या होता है। मैने दूसरा प्रस्ताव भी भेजा है।[1] उसकी नकल श्री पोलक तुम्हे भेजेंगे। उससे तुम्हे पता चलेगा कि मै दक्षिण आफ्रिका और भारत-स्थित अपने दलको[2] भी सम्मिलित करना चाहता हूँ।

मेरी तबीयत अभीतक ठीक नही हो पाई है पर मै अब खाटपर नही हूँ। थोडा-थोडा चलने-फिरने लगा हूँ। इसका क्या परिणाम होता है सो देखना है। मुझे चलना-फिरना शुरू किये आज तीसरा दिन है।

मै कराची जा सकूँगा, यह सम्भव नही प्रतीत होता। जहाँ भारतीय घायल लोग है वहाँ पहुँचनेकी सम्भावना है। हो सकता है बा और श्री कैलेनबैक भी मेरे साथ जा सके। श्री कैलेनबैक मेरे साथ ही रहते है और अभी तो रहेंगे। उन्हे भी अनुमति-पत्र लेना पडा है। परन्तु कोई तकलीफ नही है।

चि० मगनलालके पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। लेखादि तो तुम्हे भेज ही चुका हूँ। आगे कुछ प्रगति नही कर पाया हूँ। यदि तबीयत ठीक रही तो उम्मीद है लिख सकूँगा। कल कुमारी स्मिथ कह रही थी कि वे सामग्री बराबर भेजती है।[3]

१ यह उपलब्ध नही है।
२ फीनिक्स दलसे मतलब है।
३ वह प्रति सप्ताह "लन्दनकी चिट्ठी" भेजा करती थी।

बा की तबीयत बहुत अच्छी है। यहाँ तो उसने जीभपर भी बडा काबू रखा है। अब बा और मै थोडा घूमने जा रहे हैं।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६१) की फोटो-नकलसे।

४१० पत्र . गो० कृ० गोखलेको

[लन्दन]
नवम्बर ६, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

मैंने श्री कैलेनबैकके नाम लिखा आपका पत्र देखा। मै आजसे पाँच दिन पहले बिस्तरसे उठा हूँ और धीरे-धीरे मेरी ताकत लौट रही है। कृपया मेरे विपयमे चिन्ता न करे।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि कर्नल बेकरके साथवाला झगडा सुलझ गया है। जिन दो मुद्दोके लिए हम सघर्ष कर रहे थे उनको उन्होने मजूर कर लिया है।

मै आशा करता हूँ कि समुद्री-यात्रासे आपको लाभ अवश्य हुआ होगा और आप स्वस्थ होगे।

आपका,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४९) की फोटो-नकलसे।

४११. पत्र : मगनलाल गाधीको

[लन्दन]
कार्त्तिक वदी ३, [नवम्बर ६, १९१४]

चि० म०,

बहुत लम्बे पत्र लिखनेका यह समय नही है। मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है। यदि आगामी सप्ताह तक सुधर गया तो विस्तारसे लिखूँगा। मेरी चिन्ता न करना, मेरा विचार है कि तबीयत ठीक हो जायेगी। बिस्तरसे उठे हुए [मुझे] तीन दिन हो गये है।

श्री मगनभाईका पत्र मिला। उन्हे उत्तर लिखा भेजा है।[1] उसे पढना और उस-पर अमल करना [2] सोराबजी अस्पताल गये है जहाँ हमारे घायल सिपाही पडे हुए हैं, अस्वस्थ होनेके कारण मैं नही जा सका। इसके साथ कुछ कागजात भेजनेका

१ उपलब्ध नहीं है।

२ यहाँ कुछ भाग छोड दिया गया है।

विचार है। यहाँ शुरू किया गया सत्याग्रह सफल हुआ हे। कुदरत अजीब चीज हे। बा की तबीयत ठीक रहती है। श्री कैलेनबैक मेरे साथ ही रहते है।

यदि मुझे यहाँ लम्बे अर्से तक रहना पडा तो उसके लिए तुम सबको यही लानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। मैने श्री रॉबर्ट्सको जो पत्र[1] लिखा हे उम्मीद है तुम्हे उसकी नकल भेज सकूगा। उस पत्रमे किसीको विचलित नही होना चाहिए और न कोई आशा ही बाँधनी चाहिए। इस पत्रके मिलनेसे पहले अगर तुम्हे मेरा तार[2] न मिला हो तो यही समझना कि मेरे प्रस्तावका कोई परिणाम नही निकला।

वहा सबसे कहना कि मै हर एकको जुदा जुदा पत्र नही लिख पाता।

इन दिनो जमनादासका कोई पत्र नही हे। किसीको ऐसा नही सोचना चाहिये कि यदि मै पत्र नही लिख पाता हूँ तो उन्ह भी पत्र देनेकी आवश्यकता नही है। वहाँ तुम्हारा भोजन-खर्च कितना पडता है, मुझे लिखना। यदि तुम्हारे यहा आनेकी जरूरत न पडी तो आज जैसा कुछ मुझे जान पडता हे, मेरा विश्वास हे, लगभग तीन महीनेके बीच मै यहासे मुक्त हो सकूगा, किन्तु कुछ भी निश्चित नही हे। यहासे मुक्त होकर जबतक वहाँ न पहुँच जाऊँ तबतक निश्चित कुछ भी नही कहा जा सकता।

पूज्य कालाभाई या पू० करसनदास भाईके लडकोमे से कोई आना चाहे तो अपने साथ रख लेना। नदकोर भाभीको लिखना कि वहाँ पहुँचनेपर मै सारी व्यवस्था कर दूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७६) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

४१२. पत्र . मगनलाल गाधीको

लन्दन
कार्तिक वदी १०, १९७१ [नवम्बर १३, १९१४]

चि० मगनलाल,

दिल्लीसे तुम्हारा और मणिलालके पत्र मिले थे। आजकल डाक अनियमित आती है इसलिए पत्र जब-तब मिलते है।

तुम सबको अनुभव तो खूब मिल रहा है। शान्तिनिकेतनमे इस तरह रहना जिससे [तुम सब] उनके काम आ सको और उनको जरा भी असन्तोष न हो। तुम्हारे लिए सम्भवत यह अधिक सुविधाजनक हो कि भोजनकी कुछ ऐसी चीजे जिनके बिना तुम्हारा गुजारा न चल सके बाहरसे मँगवा लो। यहाँ बैठा-बैठा मै कुछ सुझाव नही दे सकता। विचार करनेके बाद तुम्हे जो उचित जान पडे, करना। तमिल बच्चोको

१ उपलब्ध नहीं है।
२ इसके भेजेजानेका कोई प्रमाण नही मिलता।

झटपट हिन्दी सिखाना, नही तो वे बेचैन हो जायेगे। वहाँ रहते हो इसलिए थोडी-बहुत बॅगला सीख लेना। उसे सीखनेमे समय नही लगेगा। अगर हो सके तो किसी तमिल सज्जनसे सम्पर्क स्थापित करना। यदि डॉ० मेहता भाई राजङ्गमको दे दे तो ठीक होगा। तुम्हारे ऊपर एकाएक बहुत उत्तरदायित्व आ पडा। उसे तुम सफलतापूर्वक निभा सको, यही मेरी कामना है।

शान्तिके बारेमे लिखते हो, सो कैसी शान्ति, बा तथा मै दोनो ही इसपर विचार करते रहते है।

भाई सो [राबजी] आदि तो बीमारोकी सेवा-शुश्रूषा करने चले गये है। अपनी तबीयतके कारण मै नही जा सका। अभी जानेके लिए जोर मारता हूँ लेकिन अडचने आ जाती है।

कविश्री,[1] श्री ऐन्ड्रयूज तथा श्री पियर्सनकी सेवा करना। इस बातका ध्यान रखना कि सब लोग बडोका सम्मान करे। तुम सब वहाँके रहनेवालोसे जल्दी उठना।

मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखा करना। बम्बईमे खानेपर प्रति व्यक्तिके हिसाबसे अन्दाजन कितना खर्च हुआ, सो बताना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

यह पत्र सबके लिए है, ऐसा समझना। मुझे तुम्हे जितने कागजात भेजने थे उतने तो नही भेज सकता। साथके कागजातोको पढकर [उनपर] विचार करना, जमनादासको भी पढाना और सँभाल कर रखना। श्री ऐन्ड्रयूज देखना चाहे तो दे देना। उनके सम्बन्धमे बातचीत करना। दूसरे कागजात मै फिर भेजूंगा।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७७) से।
सौजन्य राधाबेन चौधरी

४१३ पत्र : जमनादास गाधीको

[लन्दन]
कार्तिक वदी १०/११, [नवम्बर १३, १९१४]

चि० जमनादास,

तुम्हारा पत्र बहुत दिनो बाद मिला। हम तो तुम्हे सदा याद करते रहते है।

अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। तुम्हारा जीवन शुद्ध हो। मैंने तुमसे जो अपेक्षाएँ की है उन्हे तुम पूरा करो, यही मेरी कामना है। अटल बनो और जिसे तुम कर्त्तव्य मानो उसका दृढतापूर्वक पालन करो। शान्ति और श्रद्धा होगी तो सब-कुछ ठीक होगा। मुझे विस्तारसे पत्र लिखा करना। फिलहाल मेरे लम्बे पत्रकी बाट न जोहना। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी सुधारपर है हालाँकि कमजोरी बहुत

१ रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

ज्यादा है। मेरा अपना उपचार ही अनुकूल पड़ा है। हम घरमें भारतीय रहन-सहनको बनाये हुए हैं। फर्शपर ही भोजन करते और सोते हैं। अपना भोजन हाथसे बना लेते हैं। मैं सबसे अपनी ही पोशाकमें मिलता हूँ। बाहर जाते समय अंग्रेजी लिबास पहनना पड़ता है।

ऐसा लगता है कि मुझे [यहाँ] तीन महीने लगेंगे ही। भाई सोराबजी आदि रोगियोंकी सार-सँभाल करनेके लिए पहुँच गये हैं। यह सम्भव है कि मेरा जाना अगले हफ्ते हो।

आदरणीय खुशालभाई और देवभाभीको मेरा दण्डवत् कहना। रलियातबेन तथा गंगाभाभीको भी कहना और कहना कि मैं उनके दर्शन करनेके लिए अधीर हो रहा हूँ। मुझे पूरा समाचार देना।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६८८) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

४१४. पत्र : प्रागजी देसाईको

लन्दन
कार्तिक वदी १२, [नवम्बर १५, १९१४]

भाई श्री ५ प्रागजी,

आपका पत्र मिला। आपको जो सन्देह होता है, वह समझा जा सकता है। मैंने आपके प्रश्नोंका उत्तर किसी औरको भी दिया है,[1] फिर भी दुबारा लिखनेका प्रयत्न करता हूँ। यह बात निर्विवाद है कि सत्याग्रही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे युद्धको प्रोत्साहन नहीं दे सकता। मैं वैसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं हूँ। वैसा बननेका प्रयत्न करता हूँ। इस बीच जितनी दूर तक पहुँचा जाये उतनी दूर तक उसे [सत्याग्रहीको] पहुँचना चाहिए। मैं यहाँ आया और युद्ध आरम्भ हो गया। मैं कुछ दिन तक अपने कर्त्तव्यका विचार करता रहा। मैं इंग्लैंडमें चुपचाप रहूँ तो भी यह मुझे भाग लेनेके समान जान पड़ा। इस द्वीपकी रक्षा यदि नौ-सेना न करती होती तो लोग भूखों मरते और जर्मनोंके हाथमें पड़ जाते, यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ी। इससे मुझे लगा कि मैंने युद्धको अप्रत्यक्ष रूपसे उत्तेजन दिया। सत्याग्रहीके रूपमें मेरा कर्त्तव्य यह था कि मुझे ऐसे स्थानपर चला जाना चाहिए था जहाँ मुझे नौ-सेनाके संरक्षणकी आवश्यकता न हो और उसके द्वारा रक्षित भोजनके बिना निर्वाह हो सके। ऐसा स्थान यहाँके पर्वत हैं। वहाँ किसीका संरक्षण नहीं माना जा सकता। जर्मन मुझे [पकड़कर] ले जाये तो भी ठीक। मैं पहाड़पर जो फल-फूलादि होते हैं अथवा [वहाँ] उगनेवाली घास और पत्तों-पर अपना निर्वाह करूँ। उस भोजनकी रक्षा नौ-सेना नहीं करती लेकिन इस परिस्थितिके

१. देखिए "पत्र : मगनलाल गांधीको", पृष्ठ ५२२-२४।

लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ऐसा करनेकी मेरी हिम्मत न हुई। उसी हिम्मतको पानेके लिए देश जाता हूँ। देशमें वैसा अवसर है, यहाँ नहीं। और यहाँ ऐसा कर सकनेके लिए मुझे लाख गुना अधिक बलवान आत्माकी आवश्यकता है। तब मेरा दूसरा कर्त्तव्य क्या है? रोती हुई बहनों, पत्नियों और माओंको छोड़कर भाई, पति और बच्चे जाने-अनजाने मरनेके लिए निकल पड़े हैं। हजारों तो कट भी गये। फिर मैं चैनसे बैठा रहूँ और अन्न खाऊँ? गीतामें कहा गया है कि यज्ञ किये बिना अन्न खानेवाला व्यक्ति चोर माना जाता है। वर्तमान परिस्थितिमें यज्ञ आत्म-बलिदान था और है। तब मैंने देखा कि मुझे भी यज्ञ करना चाहिए। मैं स्वयं बन्दूक तो नहीं चला सकता लेकिन घायलोंकी सार-सँभाल तो कर सकता हूँ। उनमें तो मुझे जर्मनोंकी सार-सँभाल करनेका अवसर भी मिल सकता है। मैं यह काम निष्पक्ष-भावसे कर सकता हूँ। उससे दया-भावनाको आघात नहीं पहुँचता। इससे मैंने अपनी सेवाएँ अर्पित करनेका निश्चय किया। मेरा अपना निजी महत्त्व कुछ नहीं है। अब मैं सामाजिक महत्त्वका व्यक्ति हो गया हूँ। मुझे दूसरोंसे भी बात करनी चाहिए। दूसरे तो लड़नेवाले हैं, और युद्धके विरुद्ध नहीं हैं। मुझे उनके लिए बिना शर्तका पत्र लिखना चाहिए, सो मैंने लिखा।[1] उसमें तुमने यह वाक्य भी देखा होगा कि "हम जिस कामके योग्य [सिद्ध] हों वह काम हम बिना किसी शर्तके करेंगे।" यह बात सब जानते हैं कि मैं युद्धके योग्य नहीं हूँ इसलिए मुझे लड़नेका काम दिया ही नहीं जा सकता। "बिना शर्त" [शब्दों]का खुलासा यह है। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि मैं रोगियोंकी देखभाल कर भी सकूँगा या नहीं। उस कारण मैंने यह बात बहुत विस्तारसे समझाई है। इसपर भी सम्भव है आप समझ न सकें। [ऐसा हो] तो मुझे फिर लिखना। समय-समयपर उत्तर देता रहूँगा। धीरे-धीरे समझ जायेंगे। मैंने तो बहुत विचारपूर्वक कदम उठाया है। मुझसे जब वहाँ प्रश्न पूछे जाते तब मैं कहता कि मुझसे अब एम्बुलैन्सका काम भी न हो सकेगा। आपने देखा है कि मेरी स्थिति अभी तक पहले जैसी ही है। यह बात ठीक वैसी ही है जैसे मुझसे साँप नहीं मारा जाता। लेकिन जबतक मैं कायरकी भाँति साँपसे डरता रहूँगा तबतक मैं यदि उसे मारूँगा नहीं तो पकड़कर कहीं दूर अवश्य छोड़ आऊँगा। यह भी हिंसा है। और दूर ले जाते समय यदि वह संघर्ष करे तो उसे छड़ीसे इतना दबाऊँ कि उसके रक्त बहने लगे या छड़ीसे कुचला-जाकर वह मर जाये तो भी मुझसे साँप मारा नहीं जाता। यह बात तो [कायम] रहती है और रहनी भी चाहिए। जबतक निर्भयताका गुण मुझमें पूरी तरहसे नहीं आता तबतक मैं पूर्ण सत्याग्रही नहीं माना जा सकता। मैं इस निर्भयताको प्राप्त करनेका अथक प्रयत्न कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इस दिशामें मुझे सफलता मिलने तक आप सब मेरी भीरुताको सहन करना। आप सब लोग निर्भय बननेके लिए प्रयत्नशील रहना।

यह पत्र आप सब पढ़ लें और भाई मेढको पढ़नेके लिए भेज दें। बादमें यह पत्र अथवा इसकी प्रति चि० मगनलालको भेज दी जाये ताकि वह भी [मेरी बातोंका] सार समझ जाये।

१ "एक गोपनीय गश्ती-पत्र", पृष्ठ ५१८।

मैं यहाँ भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैंने यह पत्र तीन किस्तोमे लिखा है। पिछले हफ्ते शुरू किया था। उसके बाद कल हाथमे लिया और आज [कार्तिक वद][1] बारहवे दिन पूरा किया हे।

अन्य समाचार आपको दूसरे पत्रसे मिलेगे। भाई सोराबजी घायलोकी सेवा-सुश्रूषामे है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५७) तथा (जी० एन० २६५९)की फोटो-नकलसे भी।

सौजन्य राधाबेन चौधरी

४१५ पत्र ए० एच० वेस्टको

लन्दन, एस० डब्ल्यु०
नवम्बर २०, १९१४

प्रिय वेस्ट,

महीनो बाद तुम्हारा बडा प्यारा पत्र मिला। तुम सब लोग लिखते हो कि मैंने अपने समाचार नही लिखे। यह विचित्र बात है। वास्तवमे एक भी डाक ऐसी नही गई जिससे मैंने या मेरे बदले सोराबजीने किसी-न-किसीको फीनिक्समे पत्र नही भेजा हो। इसीलिए जाहिर हे कि मेरे सभी पत्र, या उनमें से कुछ रास्तेमे गुम हो गये है।

काश कि तुम्हारा अनुमान ठीक होता और मै अपने घायल सिपाहियोके बीच काम कर रहा होता। सेवादलके अधिकाश सदस्य जरूर नेटलेमे ऐसा काम कर रहे है। जब अन्तिम जत्था गया, मै बिस्तरपर पडा था। मेरी उपस्थिति यहाँ वैसे भी इसलिए जरूरी थी कि पर्याप्त सख्यामे लोगोको इकट्ठा किया जा सके। खैर, बादमे मेरे जानेकी बात थी परन्तु अब मेरे रास्तेमे अप्रत्याशित कठिनाइयाँ डाली जा रही है और मुझे नेटले या अन्य किसी भी ऐसे अस्पतालमे नही जाने दिया जा रहा है, जहाँ हमारे घायल सिपाही है। क्योकि अधिकारियोको भय है कि मै कही शरारत न करूँ। वैसे रोकनेका बनावटी कारण खराब स्वास्थ्य बताया जाता है। हो सकता है कि मेरा ही अन्दाज बिलकुल गलत हो, कुछ भी हो मैने भारत उपमन्त्री श्री रॉबर्ट्सके सामने सारी बाते रख दी है और शायद शीघ्र ही मुझे कोई सूचना मिल जायेगी।

इस प्रकार, तुम देखोगे कि मै अभीतक श्रीमती गाधी या श्री कैलेनबैकके साथ ही बना हुआ हूँ। हम सब अब श्री गणदेवियाकी छायामे रह रहे है। जैसा तुम जानते हो वे सेवादलके सचिव है। वे भारतीय विद्यार्थियोके एक बोर्डिंग हाउसके मालिक है। उन्होने उसमे एक बहुत अच्छा कमरा दे दिया है।

1. नवम्बर १५, १९१४।

मुझे तुम्हारे बागबानीके कामसे ईर्ष्या होती है। अभी तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया लगता है। मैं महसूस करता हूँ कि उपवासके बाद मैंने शरीरकी बिलकुल चिन्ता नही की। मैं अपनी खोई शक्तिको वापस पानेकी जल्दीमे था। इसलिए मैंने शरीरको जरूरतसे ज्यादा खुराक दी और इतनी दूर-दूर तक घूमने जाता रहा कि शरीर थक जाता था, इस तरह मैंने शारीरिक कार्य-प्रणालीपर जरूरतसे ज्यादा बोझ डाला। अब इस अत्यधिक अधीरताका दण्ड भुगत रहा हूँ। मैं जरा भी तेजीसे नही चल सकता क्योंकि उससे मूल दद उठ आता है। हड्डियाँ तो लगता है जैसे टूट गई हो। हड्डियाँ और जोड कोई बोझ बर्दाश्त नही कर पाते। इसलिए मैं अधिकतर घर रहने और बिस्तरपर पडा रहनेके लिए मजबूर हूँ। खाना मैं बहुत कम खा पाता हूँ — जरा-सी ज्यादतीसे गडबड हो जाती है। किन्तु फिर भी मैं अपना काम देख सकता हूँ। इस सबका यह अथ भी नही है कि मैं केवल अस्थि-पजर रह गया हूँ। थोडा ध्यान देनेसे जो खराबी आ गई है उसे दूर कर पाऊँगा। मानसिक और नैतिक वातावरण भी बहुत हद तक बाधक हो रहे हैं। यहाँ हर चीज इतनी बनावटी, इतनी भौतिकतावादी और अनैतिक दिखाई देती है कि व्यक्तिकी आत्मा लगभग जड हो जाती है।

भारत जानेकी मेरी तीव्र इच्छा है और श्रीमती गाधीकी भी, परन्तु एक कर्त्तव्य-भावना मुझे यहाँ रहनेको मजबूर करती है, और मैं कह नही सकता कि इस अवसर-पर यह सही कर्त्तव्य-भावना है या नही।

युद्धके सम्बन्धमे मैं तुम्हारे विचारोसे सहमत हूँ। यदि मुझमे नैतिक बल होता तो मैं निश्चय ही वैसा सत्याग्रह करता जिसका चित्र तुमने अपने पत्रमे प्रस्तुत किया है।

मुझे प्रसन्नता है कि तुम सब वहाँ सानन्द हो और बच्चे वहाँ अच्छी तरह हैं तथा तुम्हारे जीवनके आनन्दको बढा रहे है। मैं आशा करता हूँ कि सभी कुछ वहाँ शान्तिपूर्वक चल रहा होगा।

सबको हम लोगोकी याद दिला देना। शायद मैं इस सप्ताह दूसरा पत्र न लिखू, इसलिए यह पत्र सबको दिखा देना।

तुमको यह जानकर हर्ष होगा कि यह पत्र एक भारतीय मित्रको बोलकर लिखवा रहा हूँ। जेम्सके बाद यह प्रथम भारतीय मित्र है जिन्हे मैंने शीघ्रलिपिमे लिखनेमे समथ पाया है। अभी वे मेरे साथ इसी घरमे है, और किसी ऐसे अस्पतालमे, जहाँ हमारी भारतीय फौजे हो, जानेके निर्देशकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका नाम मानिकलाल चन्द्र है। वे लगभग चार वर्ष इग्लैंडमे रहे है। जहाँतक मैं जानता हूँ श्री चन्द्र खूब घूमे-फिरे व्यक्ति हैं।

मैं पोलकको लिखनेकी कोशिश करूँगा। परन्तु शायद न भी लिख पाऊँ इसलिए तुम यह पत्र तो उन्हे दिखा ही देना।

तुम्हारा,

मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१६) की फोटो-नकलसे। सौजन्य ए० एच० वेस्ट

४१६. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

[लन्दन]
नवम्बर २६, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

आपका तार[1] मिला। उसका जवाब मैंने दे दिया है। मैं अपनी बीमारीपर काबू नही पा सकता, न डॉक्टर ही पा सकते है। वे कहेंगे कि यदि मैं उनका कहना पूरी तरहसे मानूंगा तो वे काबू पा सकते हैं। परन्तु वैसा मैं नही कर सकता। मैं किन्ही शर्तोपर नही रह सकता। शाकाहारी डॉक्टर एलिन्सनका[2] खयाल है कि इन परिस्थितियोंमें मेरा अपना इलाज बिलकुल ठीक है। डॉ० मेहता बहुत ही ध्यान देते रहे है। मैं जहाँ भी सम्भव होता है उनकी बात मानता हूँ। पिछले सप्ताह बीमारीने फिर गम्भीर रूप धारण कर लिया था। मैं अभी बिस्तरपर हूँ, परन्तु पहलेसे काफी अच्छा हूँ और लगता है स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हूँ। कृपया मेरे बारेमें चिन्तित न हो। यदि स्वास्थ्य नही सुधरता तो मैं भारतके लिए रवाना होनेकी कोशिश करूँगा।

हम सब यह चाहते थे कि अपने तारमें आपने अपने स्वास्थ्यके विषयमें कुछ लिखा होता। मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अब काफी अच्छा होगा। फिर आप उस वातावरणमें है जिसकी आप कामना कर रहे थे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२५०) की फोटो-नकलसे।

१ यह तार उपलब्ध नही है।

२ डॉ० टी० आर० एलिन्सन, लन्दन शाकाहारी संस्थाके सदस्य और सन्तति-निरोधके समर्थक, जिनके स्वास्थ्य एवं आरोग्य-सम्बन्धी साहित्यसे गांधीजी प्रभावित थे।

४१७. पत्र : मगनलाल गांधीको

मागशीर्ष वदी २ [दिसम्बर ४, १९१४]

चि० मगनलाल,

मैं अभी बिस्तरेमें पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें एक लम्बा पत्र लिखना आरम्भ किया है। जब पूरा हो तभी ठीक। मेरी चिन्ता नहीं करनी है। मुझे श्री ऐन्ड्रयूजका बहुत मधुर पत्र मिला है। उनका यह कहना है कि गुरुदेव भी तुम सबको शान्तिनिकेतनमें रखकर बहुत खुश होंगे। वे लिखते हैं कि तुम्हारे जानेसे वहाँ रहनेवाले शिष्योंमें [अभी भी] जो थोड़ा-सा जातिभेद है वह खत्म हो जायेगा और कुल मिलाकर शान्ति-निकेतनको लाभ ही होगा। ऐसा हो जाये, यह तुम सबके हाथमें है। यदि फीनिक्सके समस्त आदर्शोंका पालन किया गया तो [हमारे बारेमें] गुरुदेवकी धारणाएँ खरी उतरेंगी। तुम सब सेवा करना, करवाना नहीं। खेतीको न भूलना। अपने बोये हुए वृक्षोंका उपयोग हम नहीं कर सकेंगे, इस विचारको मनमें न आने देना। सब लोगोंके उठनेसे पहले उठना। अपना भोजन तो स्वयं बनाना ही और यदि हो सके तो [वहाँ रहनेवाले] सब लोगोंका भोजन बनानेका काम भी अपने हाथमें ले लेना। गुरुदेवके प्रति सम्मानकी भावनासे और तुम सबको प्रोत्साहन देनेके लिए मैंने बिस्तरमें पड़े-पड़े बंगला सीखना शुरू कर दिया है। श्रीमती मूरत कृत व्याकरण तथा बँगला बाल-पुस्तक पूरी कर ली है। आज पाँच दिन हो गये हैं। अभ्यास सोमवारको शुरू किया था। आज शुक्रवार है। मुझे लगता है कि गुजरातीसे बंगला सीखना अधिक आसान है। तुम सब बँगला सीख लेना। इसकी [वर्णमाला] भी सहल है। गुजराती और तमिलका अभ्यास जारी रहना चाहिए। संस्कृत तो है ही।

तुम्हारे भोजनादिका खर्च गुरुदेव उठा रहे हैं। तमिलके [अभ्यासके] लिए डॉक्टरसे भाई राजङ्गमको माँग लेना। डॉक्टरका कहना है कि उनके पुत्र वहाँ हैं। तुम्हारा उनके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा होगा। मगनभाईके पुत्रको बुलवा भेजना। बाकी फिर। यह पत्र सबके लिए है। बा तुम सबसे मिलनेके लिए आतुर है। उसकी सेवाकी तुलना नहीं की जा सकती।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५५) से।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी

४१८ पत्र : मगनलाल गाधीको

[लन्दन]
मागशीर्ष वदी ८ [दिसम्बर १०, १९१४]

चि० मगनलाल,

तुम सबके पत्र मिले है। अपनी असहाय अवस्थाके कारण मै सबको पत्र नही लिख सकता। इस कारण यह पत्र सबके लिए समझकर तुम सब मुझे पत्र लिखते रहा करो।

तुम मेरे वहाँ पहुँचनेपर मुझसे छाछकी छूट माँगनेवाले हो। लेकिन वह मै यहीसे देता हूँ। वहाँकी स्थितिको देखते हुए जो छूट लेनी उचित जान पडे वह लेना। मुझसे पूछनेकी बाट न जोहना। इतना ही याद रखो [तो] पर्याप्त है कि सवत्र सयमका पालन करते हुए काम करो।

तुम्हारा यह निश्चय कि खेती सच्ची प्रार्थना और परोपकार है [सर्वथा] उचित है। खेती करते, खाते, खेलते, घूमते, नहाते अथवा अन्य कोई भी [काय] करते समय हरिका नाम लेना उचित ही नही, बल्कि कत्तव्य है। जो राममय होना चाहे, और उसका प्रयत्न करे, तो उसके लिए अमुक समयकी आवश्यकता नही, फिर भी युवकोके लिए नियमकी जरूरत तो होती ही है, इसलिए जो समय खेती करनेका नही है वह समय खास-तौरसे प्रार्थनाके लिए निर्धारित कर लो। अर्थात् प्रात काल जब अन्धेरा ही हो तब। शास्त्रोका कथन है कि सन्ध्यादि सूर्योदयसे पहले करना चाहिए। हमने रातको जो समय रखा है, वह ठीक है।

खेती करनेमे जो उत्साह है उसे और बढाना। फलोके वृक्ष लगाना।

गेहूँ बम्बईसे मँगाना। देशी चक्कीसे पिसवाना। नारियल अथवा मूगफलीका तेल घरमे निकालना। पानीवाले नारियलको कूटकर उसे कपडेमे दबाकर निचोडनेसे घी और दूध दोनो ही मिलेगे। यह बढिया होगा, ऐसा जान पडता है। वहाँ कुछ अर्से तक रहना पडेगा ही, इसलिए आवश्यक वस्तुओको इकट्ठा करनेमे कोई हज नही है। कलकत्तेमे गेहूँ मिलना चाहिए। [वहाँ लोग] इमलीका इस्तेमाल नही करते जान पडते।

मैंने पियर्सनको पत्र[1] लिखा है, वे [सम्भवत] तुम्हे वह पत्र दिखायेगे। तुममें से बडे [लडके] यदि अलग-अलग शिक्षकोकी सेवाका भार उठा ले तो उत्तम होगा।

तुम लोगोमे से कुप्पू तथा नायडूके लडको और मगनभाईके खचका पैसा सत्याग्रह कोषसे निकाला जायेगा। तुम्हारे, मणिलाल आदिके खर्चेके सम्बन्धमे मै देख लूँगा। शिवपूजन, शान्ति और नवीनका खर्चा उनके मा-बाप से लेना है। छोटमका खर्चा सत्याग्रह कोषसे निकालना है।

१ यह उपलब्ध नही है।

श्री ऐन्ड्र्यूजके पत्रसे तो ऐसा लगता था कि खच गुरुदेव उठायेंगे। परन्तु तुमको उसकी चर्चा नही करनी है। वे खचका भार वहन करे तो ठीक और न करे तो भी ठीक।

जहाँतक बन पडे सब चीजे अपने हाथसे करना। जो न हो सके तो उसके बिना गुजारा करनेकी आदत डालना।

हम खेती और मेहनत-मजूरीसे अपना निर्वाह करना सीख जाये तो सब कुछ कमा लिया और सब कुछ सीख लिया। मुझे भी यही सीखना है। लेकिन मै तो कदाचित् बिना सीखे ही प्राण-त्याग करूँगा। तुम्हारे सम्बन्धमे वैसा नही होना चाहिए।

वहाँ यदि गुरुदेवको सुभीता न हो और जगहका अभाव हो तो उनसे तम्बूमें रहनेकी अथवा अन्य कोई व्यवस्था किये जानेकी माग करना।

मुझे यह तो निश्चय हो गया है कि फिलहाल फीनिक्सके समान उच्च आदर्शों अथवा तौर-तरीकोवाली कोई अन्य सस्था दुनियामे नही है। यह अच्छी बात है कि तुम्हारी भी वही धारणा है। मेरा स्वास्थ्य अभी सुधरा नही है, तिसपर कलसे बाको तीव्र रक्तस्राव हो रहा है। नही जानता कि भगवान्की क्या इच्छा है? बा बिस्तर-पर है और मै जबरदस्ती उठ खडा हुआ हूँ। फिर भी तुम सब निश्चिंत रहना।

मेरी खुराकमे वनस्पति-क्षारकी कमी होनेके कारण डॉक्टर एलिन्सनने कन्द-मूल तथा हरी सब्जियाँ खानेकी सलाह दी है। इसीसे [इस] भयकर स्थितिमे उनका भी प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी खुराक यह है प्रात काल सूप लेता हूँ, जिसमे वहाँसे[1] लाये हुए दो-तीन चम्मच सूखे केले [का पाउडर] और मूगफली होती है, टमाटर तथा एक चम्मच तेल भी डालता हूँ। दोपहरको एक छोटी गाजर, कच्चा छोटा आधा शलजम तथा गेहूँ अथवा केलेके आटेके बने हुए आठ बिस्कुट उबालकर खाता हूँ। कभी-कभी गाजर और शलजमके स्थानपर कच्ची बन्दगोभीके कुचले हुए दो पत्ते लेता हूँ। शामको दो चम्मच उबले हुए चावल, उपर्युक्त मात्रामे हरा शाक अथवा पानीमे भीगे हुए अजीर और साथमे केला तथा गेहूँके आटेकी बनी रोटीका छोटा टुकडा लेता हूँ। फिलहाल तो यह दिनचर्या है। [धीरे-धीरे] पके भोजनसे कच्चेपर और गेहूँसे मूँगफली आदिपर आ जानेका इरादा है। सवेरे दो सेव लेता हूँ। हरी सब्जियाँ खाते हुए अब लगभग एक महीना हो गया होगा। उसमें कुछ नुकसान तो दिखाई नही दिया। तुम कहा करते थे कि हरा-शाक खाया जा सकता है लेकिन मुझे विश्वास नही होता था। यहाँ बहुत-से लोग हरी सब्जी खाते जान पडते हैं। इसमे बहुत-सी बातें आ जाती हैं। लेकिन वे सब अभी तो नही लिखी जा सकती, फिर कभी लिखूंगा। दूध-घीको त्यागनेका प्रण मैंने यही लिया है। डॉक्टरोने बहुत जोर लगाया और मुझे लगा कि कही लडखडा न जाऊँ इस कारण [यह प्रण] लिया है। अब मैं तो यह वस्तुएँ इस जन्ममें कभी नही खाऊँगा। अन्य व्रत वहाँ लूँगा। इस बीच प्रसगवश यही लेने पडे तो कह नही सकता।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९७) की फोटो-नकलसे, और **गांधीजीनी साधनासे** भी।

१ दक्षिण आफ्रिका।

४१९ पत्र : छगनलाल गाधीको[1]

[लन्दन
दिसम्बर १०, १९१४के आसपास][2]

श्री चार्ल्स रॉबर्ट्सके साथ मेरे अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये है। वैसे ही उनकी पत्नीके साथ भी। बीमारीकी अवस्थामे उन्होने मेरी बहुत देखभाल की।

कुमारी स्मिथकी मॉका देहावसान हो गया है। [तुम] अपने तथा प्रेसकी ओरसे शोक प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना। प्रेसकी ओरसे लिखते समय श्रीमती वेस्टसे पूछना। वे बहुत भली महिला है और सदा हमारी बडी सहायता करती रहती है। भाई सोराबजी कदाचित् अपनी पत्नीको इग्लैड बुलायेगे। यदि बुलाएँ तो उनके मँगाने पर किरायेके लिए १०० पौड तक देना।

बैकका, सत्याग्रहका तथा मगनलालके ले जानेके बाद जो बचा हो, इन सबका हिसाब मुझे तुरन्त लिख भेजना। अब भारतमे, हिसाबका प्रकाशित किया जाना सम्भव नही हो सकेगा। देरीके लिए हम दोषी नहीं है।

यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो 'इडियन ओपिनियन' के लिए लिखना शुरू करूँगा। शान्ति, शिवपूजन और नवीनके लिए उनके माँ-बापसे पैसा लेना जरूरी है। वे शिवपूजनके लिए न दे सके तो लिखना। तब उसका [खर्च] सत्याग्रहकोषसे लिया जायेगा। शान्तिपर पहलेसे ही कुछ हिसाब बाकी है। चि० जयशकरको उसकी याद दिलाना। किन-किन लोगोसे क्या मिला, थैलीमे कितना पैसा मिला। सबका हिसाब लिख भेजना। आपत्कालीन-कोष (इमरजेसी फण्ड) का हिसाब भी देना। ट्रान्सवाल [ब्रिटिश] भारतीय सघका हिसाब-किताब मुझे सौप दिया गया है, यह बात मैंने तुमको नही बतलाई। सौप दिये जानेके कागजात मेरे पास है। वह पैसा मेरे हिसाबमे जमा करके उनके खातेमे चढा देना। वह भी थैलीमे दाखिल कर देना। मुझे लगता है कि थैलीका उपयोग भारतकी सस्था चलानेके लिए करना पडेगा। जो सत्याग्रही लडके है उनका खर्च सत्याग्रह-कोषमे से किया जायगा, अन्य लडकोका नही। वैसे भारत पहुँचनेपर मै इसे अधिक अच्छी तरहसे समझ सकूगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०४७) की फोटो-नकलसे।

१ विषय वस्तुसे जान पडता है कि यह पत्र छगनलाल गाधीको लिखा गया था। इस पत्रके पहले तीन पृष्ठ उपलब्ध नही है।

२ पत्रमें शान्ति, शिवपूजन और नवीनके खर्चका जो जिक्र आया है उससे प्रतीत होता है कि यह पत्र लगभग उसी समय लिखा गया होगा जब "पत्र मगनलाल गाधीको" — पिछला शीर्षक लिखा गया था।

४२० हिसाब : भारतीय आहत-सहायक दलका

[लन्दन
दिसम्बर १८, १९१४]

प्राप्ति	पौं०	शि०	पे०
महाविभव आगाखाँ	२००	०	०
महाविभव बडौदाके गायकवाड	५०	०	०
श्री रतन जे० टाटा	५०	०	०
श्री करीमभाई आदमजी पीरभाई	१५	०	०
डोलीवाहक कक्षाकी फीसके लिए दलके सदस्योसे चन्दा आदि	३	६	६
कुल —पौ०	३१८	६	६

व्यय	पौं०	शि०	पे०
लेखन-सामग्री और छपाई	१६	६	०
टिकट, तार, फोन आदि	१३	१७	७
सदस्योका यात्रा व्यय	१८	१२	०
डोलीवाहक कक्षाकी फीस आदि	२९	१७	८
बाकी	२३९	१३	३
पौ०	३१८	६	६

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, २५-१२-१९१४

४२१. भेंट रायटरके प्रतिनिधिको[1]

लन्दन

दिसम्बर १८, १९१४

रायटरके प्रतिनिधिसे एक भेंटके दौरान भारतीय नेताने जोर देकर कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें जो समझौता हुआ है वह उन भारतीयोके लिए अत्यन्त प्रसन्नताकी बात है जो महान सकट कालमें सरकारका साथ दे रहे है। उन्होने कहा कि जनरल बोथा और जनरल स्मट्सके साथ मेरी जो अन्तिम मुलाकाते हुईं, मेरे मनमे उनकी बडी ही मीठी यादगार है।

श्री गाधीने सघ सरकारकी इस बातके लिए सराहना की कि उसने भारतीयोकी भावनाओको, यहाँ तक कि छोटे-छोटे मामलोमें भी, ध्यानमें रखा, और मुझे खुशी है कि मै भारतमें यह कह सकूँगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-१२-१९१४

४२२ भाषण. लन्दनके विदाई-समारोहमे[2]

[लन्दन

दिसम्बर १८, १९१४]

श्री गाधीके, व्याख्यान देनेके लिए खडे होते ही, श्रोताओने करतल-ध्वनि की। उन्होने अपने भाषणमें कहा हम दोनो -- मै और मेरी पत्नी -- भारत लौट रहे है। हमारा काम पूरा नहीं हो पाया और हमारा स्वास्थ्य भी गिर गया है परन्तु हम आशापूर्ण भाषाका ही प्रयोग करना चाहते है। श्री गाधीने यह भी कहा कि यद्यपि दो-दो डॉक्टरोने काम करनेकी मनाही की है फिर भी मेरा खयाल है कि यदि अब भी सेवाकार्यमें हाथ बँटानेकी अनुमति मिल जाये, तो उस कामसे ही मेरी कमजोरी जाती रहेगी। जब आहत

१ यह रायटरके एक खरीतेसे उद्धृत किया गया है।

२ वेस्टमिन्स्टर पैलेस होटलमें गाधीजी और श्री कस्तूरबाको विदाई भोज दिया गया। चार्ल्स रॉबर्ट्स, सर हेनरी कॉटन, श्री और श्रीमती जे० एच० पोलक, कुमारी एफ० डब्ल्यू० विंटरबॉटम उपस्थित थे। अध्यक्षका आसन श्री जे० एम० परीखने ग्रहण किया था। सर हेनरी कॉटनके भाषणके पश्चात् श्री जे० एम० परीख, श्री सी० रॉबर्ट्स और श्रीमती आलिव श्राइनरके भाषण हुए थे। गाधीजीने उत्तर दिया था। अमृत बाजार पत्रिकाके लन्दन स्थित सवाददाताका जो विवरण **इंडियन ओपिनियन**, (२७-१-१९१५) में प्रकाशित हुआ था। उस विवरणके साथ इस विवरणका मिलान कर लिया गया है।

सहायक दल (एम्बुलैंस कोर) का सघटन हुआ था, तब मुझे इस बातको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई थी कि बहुतसे विद्यार्थी तथा अन्य लोग सामने आये और उन्होंने खुशीसे अपनी-अपनी सेवाएँ अर्पित कीं। कर्नल कामताप्रसाद, श्री तर्खड और श्री परीख जैसे व्यक्तियोसे नेटलेके अस्पतालमें चपरासियोकी हैसियतसे काम करनेकी कभी आशा नहीं की जा सकती थी परन्तु उन्होने उसे प्रसन्नतापूर्वक किया। इस प्रकार भारतीयोने यह प्रमाणित कर दिया है कि यदि हमारे स्वत्वो और अधिकारोको मान्यता प्रदान की जाती रहे तो हम अपना कर्त्तव्य-पालन करनेमें सक्षम है। (हर्ष-ध्वनि)। सेवा-दलको गठित करनेका सम्पूण विचार इसीलिए उत्पन्न हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि भारतीयोके दिलोमें साम्राज्यके सकटके अवसरपर सहायता करनेकी जो इच्छा उत्पन्न हुई उसे फलित करनेका कोई मार्ग निकलना ही चाहिये। (हर्ष-ध्वनि)। श्री गाधीने कहा कि श्री रॉबर्ट्स, जिन्होने हमारे द्वारा की जानेवाली सेवाओकी कद्र की है, हमारे धन्यवादके पात्र है। मैंने परमात्मासे प्रार्थना करते हुए मनन किया कि इस सकट-कालमें भारतीय किस प्रकारकी सहायता कर सकते है और इस प्रार्थनाके बाद ही सेवा-दलका प्रादुर्भाव हुआ। वैसे मुझे दु ख है कि मै इस सेवामें भाग न ले पाऊँगा। मैंने बहुत चाहा कि श्री रॉबर्ट्स मुझे भी कोई काम सौंप देते परन्तु वह मेरे स्वास्थ्यके कारण सम्भव न हो सका और डॉक्टर अपने निणयपर कायम रहे। मैंने दलसे इस्तीफा नहीं दिया है। यदि अपनी मातृभूमिमें मेरा स्वास्थ्य सुधर गया और लडाई जारी रही, तो मेरा इरादा बुलावा मिलते ही वापस आ जानेका है।[1] (हर्ष-ध्वनि)। दक्षिण आफ्रिकामें जो काम मैंने किया है उसे करना मेरा धर्म ही था, उसका श्रेय लेनेकी कोई बात नहीं है। भारत पहुँचनेपर मेरी यही कामना रहेगी कि जो कर्त्तव्य सामने आता जाये उसे निबाहता जाऊँ। मै लगभग २५ वर्षसे अपने देशसे बाहर हूँ। मेरे मित्र और मेरे गुरु श्री गोखलेने मुझे सावधान कर दिया कि [भारतमें अभी] भारतीय प्रश्नोपर जबान न खोलना, क्योकि भारत तुम्हारे लिए अभी विदेश ही है। (हँसी)। परन्तु मेरे मनमें जिस भारतकी तसवीर है वह भारत ससारमें अपना सानी नहीं रखता। मेरी कल्पनाके भारतमें बहुत ऊँचे दरजेका आध्यात्मिक भण्डार मौजूद है। मै इस बातका स्वप्न देख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि भारत और इग्लैंडके ऐसे सम्बन्ध होगे कि उनसे समस्त ससारको[2] आध्यात्मिक सन्तोष एव उत्थानका मार्ग मिल सकेगा। अपना भाषण समाप्त करनेके पूर्व मै श्रीमती सेसिल रॉबर्ट्सको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। उन्होने मेरी तथा

१ **अमृत बाजार पत्रिका**ने जो विवरण प्रकाशित किया था, उसमें लिखा था कि गाधीजीने अपने भाषणमें कहा "आशा करता हूँ कि यदि वापस आया और यदि तबतक युद्ध जारी रहा तो मैं अस्पतालोमें सेवा शुश्रूषा और परिचर्या करनेवालके एक चपरासीकी हैसियतसे काम करनेको तैयार रहूँगा।"

२ **अमृत बाजार पत्रिका**में प्रकाशित विवरण इस प्रकार है—मेरा विश्वास है कि भारत वह देश है जहाँ बडेसे-बडा आध्यात्मिक भण्डार मौजूद है कि जिसके द्वारा समस्त ससारको राहत मिल सकती है और जिसकी बदौलत वह ऊँचा उठ सकता है। हम सब भारत और ब्रिटेनके बीचके सम्बन्धको सुदृढ बनानेकी चेष्टा करें और उसका रास्ता यह है कि एकमें जो-कुछ सबसे सुन्दर हो वह दूसरेको दे।

मेरी पत्नीकी बीमारीके दिनोमें हम दोनोका बडा खयाल रखा। हम लोग अपरिचित व्यक्तियोकी भाँति इग्लैंड आये थे, परन्तु शीघ्र ही हमें अनेक मित्र प्राप्त हो गये। यदि लोग अपने-आप भारतीयोके प्रति इतनी ममता दिखाते हैं तो इग्लैंड और भारतके पारस्परिक सम्बन्धोमें कोई-न-कोई अच्छाई जरूर है।[1]

हमारा सौभाग्य है कि हमे अनेक ऐसे मित्र मिले, जिन्होने हमारी सहायता की है और हमारा उत्साह बढाया। हम आशा करते है और ईश्वरसे प्राथना करते है कि हम अपनी इस प्रशसाके अनुरूप अपने कत्तव्योका पालन करते रहे और इस सभाने जो प्रेमभाव प्रदर्शित किया है तथा आफ्रिकासे विदा होते समय हमारे सम्मानमे जो समारोह वहाँ किया गया था, हम उस सबके योग्य बने। आशा है कि हमारे अनेक कृपालु मित्रोसे हमारी यह विदाई अन्तिम विदाई नही हे।

[अग्रेजीसे]

इडिया, २५–१२–१९१४ और **इडियन ओपिनियन**, २७–१–१९१५

४२३ पत्र . ए० एच० वेस्टको

पी० ऐंड ओ० एस० एन० को०,
एस० एस०,
दिसम्बर २३, १९१४

प्रिय वेस्ट,

मै अब पूरी तरह थक गया हूँ, किन्तु बडे दिनका त्यौहार निकट आनेके कारण मै आपको अपने स्नेहपूर्ण विचार भेजे बिना नही रह सकता। हम अचानक और जरा जल्दी ही रवाना हो गय। तूफानी मौसमको देखते हुए हमारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। स्वास्थ्यमे सुधार होनेपर आशा करता हूँ कि मै 'इडियन ओपिनियन'के लिए फिरसे लिखना शुरू कर दूँगा। कृपया कुमारी स्मिथको उनकी माताके निधनपर समवेदनाका सन्देश भेज दीजिए।

मुझे भारत जाते-जाते इतनी बार रुक जाना पडा है कि एकाएक मनको विश्वास नही होता कि मै भारत जानेवाले जहाजमे बैठा हूँ। और मेरी समझमे ही नही आता कि वहाँ पहुँचकर मुझे स्वय क्या करना होगा? फिर भी 'हे सदय प्रकाश, घिरे हुए अन्धकारमे मुझे रास्ता दिखा, मुझे आगे ले चल' यही

१ इसके बादका अंश **अमृत बाजार पत्रिका**में प्रकाशित रिपोर्टके आधारपर है।

विचार मुझे ढाढस देता है और सर्वाधिक अन्धकारपूर्ण क्षणोमे यही विचार आपको भी ढाढस दे।

आप सबको हम दोनोकी ओरसे प्यार।

आपका हृदयसे,
मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य ए० एच० वेस्ट

४२४ पत्र छगनलाल गांधीको

'अरबिया' स्टीमरपर
पौष सुदी ७, बुधवार, [दिसम्बर २३, १९१४]

चि० छगनलाल,

ईश्वरकी लीला विचित्र है। मै अप्रत्याशित रूपसे और सहसा ही लन्दन छोडनेमे समर्थ हो सका हूँ। अब देश पहुँच सकूगा या नही यह देखना अभी बाकी है। जबतक बम्बई नही पहुँच जाता देश पहुँचनेकी बातमे सन्देह होता रहेगा। बहुत बार निराश होना पडा है। हम दोनोकी तबीयत अबतक तो ठीक रही है। खूब सँभाल रखते है। देखना है, मुझमे पहले जैसी ताकत लौटी है या नही। हमारा काम इग्लैडसे लिये हुए भोजनपर चल रहा है। दो भाग केलेका आटा और एक भाग घी लेकर हमने बिस्कुट तथा रोटी बनाई है। इन्हीके साथ पानीमे भीगे हुए सूखे मेवे लेते है। पका हुआ फल स्टीमरसे लेते है। पका केला आना बन्द हो गया है, इसलिए वे अधपके केले आँचमे पका कर हमे देते है। साथमे मूगफली, खजूर आदि ले रखे है। दूसरे दर्जेका टिकट है। तीसरा दर्जा अर्थात् डेक इस [जहाज]मे नही है। भीड बहुत है। डेकपर [घूमने-फिरनेकी] जगह नही है। ग्यारह बारह जनवरी तक बम्बई पहुँचना चाहिए।

स्टीमरपर बगाली भाषाका अभ्यास करता हूँ। सर्दी होनेके कारण अबतक बहुत नही पढ पाया हूँ।

श्री कैलेनबैकके लिए बहुत प्रयत्न किये जा रहे है। उन्हे स्वीकृति मिली तो वे तुरन्त आ जायेगे।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९८) की फोटो-नकलसे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

सर्ल-निर्णयका पूरा पाठ

अब हम सुविख्यात सर्ल निर्णयका पूरा पाठ दे सकनेकी स्थितिमें है। न्यायमूर्ति श्री सर्लने निर्णय देते हुए कहा इस मामलेमें निर्णय देनेसे पहले यदि मुझे उसका और अच्छी तरह अध्ययन करनेका समय मिल सकता तो मुझे खुशी होती, किन्तु एक स्टीमरकी रवानगी होनेवाली है। अत यह फौरी मामला बन गया है और इसपर तत्काल निर्णयकी आवश्यकता है। इसके तथ्योंको लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थी एक भारतीय है जो सन् १९०२ से पोर्ट एलिजाबेथमें रहता आया है। उसने पिछले वर्ष भारत जानेके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त किया और वहाँ जाकर उसने मुस्लिम रीतिसे बाइ मरियम नामक एक स्त्रीसे "विवाह" कर लिया। यह स्त्री अब १९०६ के अधिनियम ३० के अ तगत प्रार्थीके साथ एक प्रवासीके रूपमें इस देशमें प्रवेश पाना चाहती है। यह बात मान ली गई है कि वह १९०६ के अधिनियम ३० के खण्ड ३ (क) की शर्तोको पूरा नही करती, और जबतक उसे अधिनियमके खण्ड ४ (ड) के अन्तर्गत प्रार्थीकी पत्नी न माना जाये, वह प्रवेशका दावा नही कर सकती। प्रतिबधीके मामलेमें मुझे जो कठिनाई प्रतीत हुई वह यह थी कि याचिका (पिटीशन) के साथ भारतके एक मजिस्ट्रेटका प्रमाणपत्र सलग्न था जिसमें कहा गया था कि वह बाई मरियम प्रार्थीकी पत्नी है। किन्तु मै समझता हूँ कि यह प्रमाणपत्र सबूतके तौरपर उस समय स्वीकार किया गया जब प्रार्थीने यह स्वीकार किया कि यह तथाकथित विवाह ऐसा विवाह है जिसे सामान्यत बहुपत्नीक विवाह कहते है। दूसरे शब्दोंमें, प्रार्थी बाई मरियमके साथ अपने वैवाहिक सम्बन्ध रखते हुए अन्य स्त्रियोसे भी वैसे ही विवाह कर सकनेको स्वतत्र था। तथ्य यह है कि उसने वैसा नहीं किया है, और उभय पक्षोंके बीच विवादका प्रश्न यहींतक सीमित हो गया कि 'अधिनियमके खण्ड ४ (ड) में 'पत्नी' शब्दका क्या अर्थ है', क्या इसका अर्थ है इस देशके कानूनोकी रू से वैध माने जानेवाले विवाहसे विवाहिता पत्नी, अथवा इस शब्दका अर्थ इतना व्यापक करना चाहिए कि इसमें वह तथाकथित पत्नी भी शामिल की जा सके जिसका विवाह बहुपत्नीक प्रथाको मान्य करनेवाले रिवाजके अनुसार हुआ है? इस देशकी अदालतोंने तथाकथित मुस्लिम विवाहोंको वैध विवाह माननेसे सदैव इनकार किया है। यद्यपि केप उपनिवेशके सन् १८६० के अधिनियम १६ द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि विवाह अधिकारी ऐसे विवाहोंको पुन सम्पन्न कराकर उन्हें वैधता प्रदान कर सकते थे, किन्तु जबतक इस प्रकार उन्हें पुन सम्पन्न न कराया जाये तबतक वे वैध विवाहोंकी श्रेणीमें नही आते। यह स्पष्ट है कि इस मामलेमें विवाहको इस प्रकार सम्पन्न नहीं किया गया है, और ऐसा कोई बयान भी नही दिया गया है जिससे इस आशयका कोई इरादा जाहिर होता हो कि बाई मरियमको उतरनेकी अनुमति दे देनेपर विवाहको पुन सम्पन्न कराया जायेगा। उक्त कानूनके परिणाम स्वरूप ही मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत मामलेपर तथा उद्धृत किये इसी प्रकारके अन्य मामलोंपर निर्णय किये गये थे। किसी प्रवासीके साथ उसकी पत्नीको भी देशमें आने देनेका उद्देश्य निस्सन्देह पति और पत्नीके वे पारस्परिक घनिष्ठ वैध सम्बन्ध है जिनके कारण वे कानूनकी दृष्टिसे बहुतसे कामोंमें परस्पर भागीदार हैं, और अदालत द्वारा कानूनी सम्बन्ध विच्छेद न हो जाये तबतक पति अपनी

पत्नीका पूरा भार उठानेको बाध्य है। फिर भी यदि "पत्नियों" के रूपमें ऐसी स्त्रियोंको दाखिल कर लिया जाये जिन्हें पति अगले ही दिन पत्नी माननेसे कानूनी तौरपर इनकार कर सकता हो, और इस देशमें वह किसी अन्यके साथ वैध रूपमें विवाह कर ले, अथवा वह ऐसा न करे तो भी, वैसी स्थितिमें मुझे लगता है कि पत्नीके हकमें दी जानेवाली छूटका उद्देश्य पूरा नहीं होता। कानून तो सामान्यतः सबपर लागू होता है, इसे केवल एशियाइयोंके लिए, या मुख्यतः उन्हींके लिए नहीं बनाया गया है, हालाँकि एशियाई शब्दका उल्लेख प्रसंगवश उसमें किया गया है। फिर भी सभी एशियाई बहुपत्नीक विवाह नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि हर सूरतमें किसी एक मुसलमान दम्पतीकी एक "पत्नी" को प्रवेश करने देना चाहिए, और मैं यह नहीं जानता कि वह पत्नी कौन हो — वह जो इस देशमें पहले आये या वह जो सबसे पहले ब्याही गई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अन्यथा बहुत कठिनाई होगी और शायद अनैतिकताको प्रोत्साहन मिलेगा। ये मसले विधानमण्डलके तय करनेके हैं, हालाँकि मैं यह नहीं मानता कि प्रतिवादीने अधिनियमकी जो व्याख्या मानी है उसके लाजिमी तौरपर ऐसे परिणाम होंगे। प्रान्तमें ऐसे किसी मामलेपर कोई अदालती निर्णय कभी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रान्सवालमें हाल ही में हुए एक निर्णयसे प्रकट हुआ कि न्यायाधीशोंमें इस प्रश्नपर मतभेद है। ट्रान्सवालका कानून १९०८ के अधिनियम ३० जैसा ही है, और वहाँकी अदालत द्वारा बहुमतसे किये गये निर्णयसे मैं सहमत हूँ। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी अन्य देशके निवासियोंके विवाहकी महज धार्मिक रीति इस देशमें आवश्यक समझी जानेवाली रीतियोंसे भिन्न हो, ऐसे मामलोंमें ठीक ही है कि उनपर कानूनी आपत्ति नहीं उठाई जा सकती थी। लेकिन यह तो एक ऐसा मामला है जिसमें स्वयं वादीके अनुसार, वैध विवाह-सम्बन्धके बुनियादी और अनिवार्य तत्त्वोंका ही अभाव है जैसा कि प्रतिवादी पक्षने कहा है, जब इस उपनिवेशके विधान मण्डलका इरादा "पत्नी" शब्दकी इतनी व्यापक व्याख्या करनेका था जिसमें रखैल पत्नी भी शामिल हो तब अधिनियममें वैसा स्पष्ट कर दिया गया था। यहाँ सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी प्रार्थीपर है और मुझे लगता है कि उसने उसे पूरा नहीं किया है। अतः प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसा सुझाव दिया गया था कि अदालत कह दे कि यदि प्रार्थी १८६० के अधिनियम १६ के अन्तर्गत अपने विवाहको वैध कराना स्वीकार कर ले तो बाई मरियमको जहाजसे उतरनेकी अनुमति दे दी जाये, लेकिन यह बात ऐसी नहीं है जिसमें अदालत हस्तक्षेप करे। तथापि यदि मन्त्री महोदय ऐसा आदेश दें तो मुझे उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। मैं यह भी नहीं जानता कि इस समय ऐसी कानून-रचनाके लिए कोई तन्त्र है भी या नहीं। चूँकि खर्चके लिए आग्रह नहीं किया गया है इसलिए खर्चके विषयमें कोई आशा नहीं दी जा रही है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-६-१९१३

परिशिष्ट २

प्रस्ताव फ्रीडडॉर्पकी सार्वजनिक सभामे

जोहानिसबर्ग
मार्च ३०, १९१३

प्रस्ताव १

ब्रिटिश भारतीय संघके तत्त्वावधानमें आयोजित ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा सर्वोच्च न्यायालयके केप प्रान्तीय डिवीजनके उस निर्णयपर गहरा दुःख और निराशा प्रकट करती है, जिसमें भारतके महान् धर्मोंकी रीतिके अनुसार सम्पन्न गैर ईसाई भारतीय विवाहोंको, जो भारतमें कानूनी तौर पर मान्य हैं, गैर क़ानूनी करार दिया गया है और इस प्रकार भारतके महान् धर्मोंका अपमान किया गया है। यह सभा सरकारसे सादर किन्तु उत्कट अनुरोध करती है कि वह इस विषम स्थितिके निराकरणके लिए एक ऐसा कानून पास करे जिसके द्वारा संघ भरमें ऐसे विवाहोंको कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाये।

प्रस्ताव २

इस सभाके विचारमें, यदि पहले प्रस्तावमें उल्लिखित निर्णयपर तर्कसंगत ढंगसे अमल किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप भारतीयोंके पारिवारिक सम्बन्धोंमें भारी अव्यवस्था आ जायेगी, बसे बसाये घर उजड़ जायेंगे, पति पत्नी एक दूसरेसे अलग हो जायेंगे, [भारतीयोंकी] वैध सन्तान अपने उत्तराधिकारसे वंचित हो जायेगी या संघके कुछ हिस्सोंमें, विरासत और स्वामित्व हस्तान्तरण करसे सम्बन्धित उत्तराधिकार कानूनके लाभसे वंचित हो जायेंगी, और जिन भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें रहनेका अधिकार है उनके कानून सम्मत स्त्री बच्चोंको संघमें प्रवेश नहीं मिलेगा।

प्रस्ताव ३

सभा यह भी सोचती है कि उक्त निर्णयसे पैदा होनेवाले सवाल दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके लिए इतने महत्त्वपूर्ण है कि जबतक माँगी गई राहत नहीं दे दी जाती तबतक अपनी तथा अपनी स्त्रियोंकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए समाजका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह सत्याग्रहका सहारा ले।

प्रस्ताव ४

ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा अध्यक्ष महोदयको यह अधिकार देती है कि वे उपर्युक्त प्रस्तावोंकी प्रतियाँ संघ सरकार, साम्राज्य सरकार और भारत सरकारको भेज दें।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिलिपि शुद्ध है।

अ० मु० काछलिया
अध्यक्ष

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/३९

परिशिष्ट ३

गृह-मन्त्रीका तार

[केप टाउन]
अप्रैल १५, १९१३

आपका ९ तारीखका पहला तार। मन्त्रीके आदेशानुसार आपके मुद्दोंका निम्नलिखित उत्तर दे रहा हूँ। खण्ड तीनकी हद तक, अधिवासके मामलोंको छोड़कर अपील निकाय सभी मामलोंमें अदालतोंका स्थान ले लेंगे। पहले भी ऐसा किये जानेकी काफी पुख्ता नजीर है। खण्ड ४, उपखण्ड १ की धारा (क) के बारेमें आपने जो पहला मुद्दा उठाया है वह खण्ड ५ (च) से पूरा हो जाता है। फ्री स्टेटमें प्रवेश निषेधका प्रस्ताव नया नहीं है और उसे पहलेवाले विधेयकमें भी रखा गया था। खण्ड ४, उपखण्ड ३ में एक ही बन्दरगाहपर उतरनेकी बन्दिश सम्बन्धी व्यवस्था अनुभवके आधारपर प्रशासनिक सुविधाकी दृष्टिसे आवश्यक है, इसका मंशा उन बन्दरगाहोंसे अनधिकृत प्रवेशको रोकना है जहाँ सरकार निषिद्ध प्रवासियोंकी गतिविधियोंपर कोई सन्तोषजनक नियन्त्रण नहीं रख पाती। खण्ड ५ के उपखण्ड (च) में आपके सुझाये परिवर्तनका अर्थ तो एक ऐसा नया अधिकार देना हो जायेगा जिसका अभीतक अस्तित्व नहीं था। जहाँतक उस खण्डके उपबन्धोंका सवाल है, मन्त्री महोदयकी रायमें अधिवासके प्रमाणपत्र नेटालके मामलेमें कोई अधिकार प्रदान नहीं करते। ट्रान्सवालके मामलेमें १९०८ के अधिनियम ३ का खण्ड २ ऐसे अधिकार देता है, और उनका अवश्य सम्मान किया जायेगा। किन्तु मन्त्री महोदय यह नहीं मानते कि किसी भारतीयके मामलेमें ये अधिकार किसी यूरोपीयसे कुछ बढ़कर हो सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय लम्बी अनुपस्थितिके कारण दक्षिण आफ्रिकामें अधिवास खो सकता है।

वर्तमान शैक्षणिक परीक्षा पास कर सकनेवाले शिक्षित भारतीयों द्वारा केपसे नेटाल और नेटालसे केपमें जा बसनेके सवालपर मन्त्री महोदयने पिछले वर्ष विधेयकके द्वितीय वाचनके समय अपने भाषणमें स्थिति स्पष्ट शब्दोंमें बता दी थी। उन्होंने कहा था कि दक्षिण आफ्रिकामें एशियाइयोंके अन्तरप्रान्तीय आवागमनपर जो वर्तमान नियन्त्रण हैं, उन्हें और अधिक कठोर नहीं बनाया जायेगा। इस नीतिको छोड़नेका कोई मंशा नहीं है, यह नीति कुछ राहत देकर अथवा प्रशासनिक कार्रवाईको नरम बनाकर कार्यान्वित की जायेगी। सर्ले निर्णयके बारेमें सरकार पहले ही कह चुकी है कि पत्नियों और नाबालिग बच्चोंके बारेमें उसका वर्तमान नीतिको छोड़नेका कोई इरादा नहीं है। आपके दूसरे तारके सन्दर्भमें चुने गये शिक्षित प्रवेशार्थीकी पत्नी और नाबालिग बच्चोंको उसके साथ आनेपर प्रवेश मिलेगा और यदि वे प्रवेशार्थी द्वारा अधिवासका अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद आते हैं तो वे छूटके अन्तर्गत माने जायेंगे। ज्ञापनके बारेमें, जैसा कि पिछले वर्ष आपको बताया गया, शपथपूर्वक ज्ञापन देना प्रवेशकी व्यवस्था नहीं है, और मन्त्री महोदय ऐसा नहीं मानते कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। फ्री स्टेटमें एशियाई समाज निवास ही नहीं करता, इसलिए ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि जिन सम्पूर्ण शिक्षित भारतीयोंको भारतीय समाजके हितमें प्रवेश दिया जायेगा वे किसी भी दिन उस प्रान्तमें बसना चाहेंगे। यदा-कदा वहाँ जानेकी अनौपचारिक व्यवस्था है। अन्तिम मुद्देके विषयमें, पिछले वर्षका मसविदा दोषपूर्ण था इसलिए उसमें कुछ शब्द जोड़े गये हैं। अन्तमें, मन्त्री महोदय आपके तारों और पत्रादिमें सत्याग्रहके उल्लेखकी जोरदार भर्त्सना करते हैं। विचाराधीन प्रश्नके बारेमें सारे संघमें भावनाकी तीव्रताको देखते इसीकी पूरी सम्भावना है कि तारों आदिमें जो-कुछ सोचकर धमकियाँ दी गई थीं, नतीजे उसके बिल्कुल उलटे निकलें।

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३

परिशिष्ट ४

अ० मु० काछलियाका भाषण

जोहानिसबर्ग
अप्रैल २७, १९१३

अभी हाल ही में चिर प्रतीक्षित प्रवासी विधेयक प्रकाशित हुआ है। उसे समझनेके लिए फिर एक सार्वजनिक सभाका आयोजन करना आवश्यक हो गया। सरकारको सघकी ओरसे आदरपूर्वक एक विरोधका तार भेजा जा चुका है। उसमें विधेयकके प्रति हमारी सारी आपत्तियाँ बता दी गई है। उसके उत्तरमें सरकारने लिख भेजा है कि इन आपत्तियोंपर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। इसलिए हम आशा कर सकते है कि विधेयकमें हमारी आपत्तियोंके अनुसार सशोधन कर दिया जायेगा। किन्तु, इस अवसरके गम्भीर महत्त्वको देखते हुए ट्रान्सवालके सम्पूर्ण भारतीयोकी राय जान लेना और इस प्रश्नपर विचार कर लेना उचित समझा गया कि यदि सरकारने हमे सन्तुष्ट करनेसे इनकार कर दिया या वह उसमें असमर्थ रही तो क्या कदम उठाया जाये।

विधेयक यदि वर्तमान रूपमें ही कानून बना दिया गया तो हमारी स्थिति १९०६ में सघर्ष आरम्भ करनेके पूर्वकी स्थितिसे भी बुरी हो जायेगी। यह स्थिति ऐसी होगी जिसको हम एक आत्म सम्मानी जातिके नाते कभी स्वीकार नही कर सकते। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखेंगे कि यह न केवल बालिग लोगोंके उन अधिकारोको गम्भीर रूपसे क्षति पहुँचाता है, जिनका वे अबतक उपभोग करते रहे है, बल्कि स्त्रियो और बच्चोके ऐसे अधिकारोको भी हानि पहुँचाता है। यह अमीरो और गरीबों सबको समान रूपसे प्रभावित करता है। जनरल बोथाकी इस घोषणाके बावजूद कि सरकारका दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए भारतीयोको तग करनेका कोई इरादा नही है, यह दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीयोंके अधिकारोंको भी छीन लेता है। जो विधेयक स्वय हमारे अस्तित्वकी जड़पर ही आघात करता है, उसका सम्बन्धित व्यक्तियोंको हर कीमतपर विरोध करना चाहिए।

ससदमे हमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, यद्यपि उसकी सार सँभालके खर्चमें हम भी हाथ बँटाते है। अब ऐसे लोगोके लिए अपनी शिकायतें दूर करानेका एक ही तरीका है, वह है सत्याग्रह। और चूंकि हमें सत्याग्रहका पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, इसलिए हम अपनी शक्ति और दुर्बलताओंको परखनेकी स्थितिमें भी है और अपनी समस्याके समाधानके रूपमें सत्याग्रहका मूल्य आँकनेकी स्थितिमें भी है। परन्तु साथ ही मैंने यह भी देखा कि सघर्षकी चार वर्षोंकी सुदीर्घ अवधिके अन्तिम दिनोमें उस चीजको झेलनेके लिए, जो तब लगभग अनन्त कारावास सी प्रतीत होती थी, अपेक्षाकृत कम लोगोंका ही एक दल तैयार था, किन्तु यह दल मुख्यत उत्साही और दुर्दमनीय लोगोंका दल था, और उन्हीं लोगोंके कष्टसहनके परिणाम-स्वरूप वह चीज सम्भव हो सकी जिसे अस्थायी समझौता कहा जाता है। इसे "अस्थायी" इसलिए कहा गया कि यद्यपि इसकी रूसे हमें वह सब कुछ प्राप्त हो गया जिसके लिए हम लड़ रहे थे, किन्तु इसे कानूनी रूप देकर पक्का नहीं किया गया था। वर्तमान विधेयकसे यही अपेक्षा की जाती है कि उसमें उस समझौतेका समावेश होगा, किन्तु जैसा कि आपने अपनी समिति द्वारा तैयार किये गये आपत्ति पत्रमें देखा है, उसमें ऐसा कुछ नही किया गया है। अब हम सरकारसे अनुनय विनय कर रहे है और जबतक आशा है तबतक ऐसा करते रहेंगे, किन्तु, जब कोई उपाय शेष नही रह जायेगा तो यह स्पष्ट है कि जिस उपायका अवलम्बन करनेसे अस्थायी समझौता सम्भव हो पाया, अन्तमें इस समझौतेमें समाहित वादोंको कानूनी मान्यता दिलानेके लिए भी उसी उपायका अवलम्बन करना पड़ेगा।

यदि हमारे प्रयत्नोंके बावजूद समाजको तीसरा संघर्ष प्रारम्भ करना पड़ा तो वह निश्चय ही बहुत कटु और दु:खदायी होगा और उसमें पहलेसे अधिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। यह स्पष्ट है कि ऐसे कठिन संघर्षमें भाग लेनेके लिए हजारों लोग तैयार नहीं होंगे, किन्तु विधेयककी मंशाको समझते हुए जितने लोग भी उसके विरुद्ध है, वे सब उन लोगोंके कार्योंका समर्थन तो कर ही सकते है जिनमें कारावास या उसके सिवा सरकार कोई अन्य कठिनतर दंड देना चाहे तो उसके कष्टोंको सहनेकी इच्छा और क्षमता हो। उन्हें केवल इसीलिए अलग नहीं खड़े रहना है कि वे जेल नहीं जा सकते। वे उन लोगोंकी देखभाल कर सकते है, जिन्हें कष्ट-सहन करनेवाले अपने पीछे छोड़ कर जायेंगे। वे सरकारको यह सूचित कर सकते है कि राहतकी माँग करनेमें वे उन लोगोंके साथ है, और वे पूरे मनसे आन्दोलनका समर्थन करते है। मैं मानता हूँ कि इस सभामें ऐसे दो वर्गोंके लोग ही मौजूद है, और चूँकि विचाराधीन विधेयकसे इसके सभी सदस्य समान रूपसे प्रभावित होते है, इसलिए इसमें एक ही भावना व्याप्त है। आशा है, मैंने जिस तारका उल्लेख अपने भाषणके प्रारम्भमें किया उसपर सरकार ध्यान देगी। किन्तु, यदि दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर पाई तो मुझे आशा है कि यह सभा उस एकमात्र प्रस्तावको पास कर देगी, जो इसके समक्ष पेश किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/३९

परिशिष्ट ५

(१) गृह-मन्त्रीका तार

[केप टाउन]
मई २९, १९१३

आपका इसी माहकी २७ तारीखका तार। आपके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दोंपर सरकार और संसदने पूरी तरह विचार किया। विवाहके प्रश्नपर लोकसभा (हाउस ऑफ असेम्बली) हालमें स्वीकृत संशोधन द्वारा जिस हदतक गई है उससे आगे जानेको तैयार नहीं है। और यदि भारतीय समाजको वह सन्तोषजनक न लगे तो मन्त्री महोदयको गम्भीरतापूर्वक सीनेटसे यह कहनेके लिए सोचना पड़ेगा कि सम्बन्धित व्यवस्था हटा दी जाये, और मामले भविष्यमें उन्हीं तरीकोंसे प्रशासनिक स्तरपर तय करनेके लिए छोड़ दिये जायें जिन्हें मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि वे अपनानेको तैयार हैं, और वस्तुतः इस समय अपना रहे हैं। मन्त्री महोदयने लिहाजके तौर पर ही श्री अलेक्जैंडर द्वारा प्रस्तावित संशोधनपर विचार किया था और इसी आश्वासन पर उसे स्वीकार किया था कि उससे भारतीयोंकी शिकायतें दूर हो जायेंगी। दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके केप प्रान्तमें प्रवेश और निवास करनेके अधिकारके बारेमें अब आप जो बात कह रहे हैं उसे संसद स्वीकार नहीं करेगी। जिन प्रश्नोंको लेकर समझौता हुआ था उनमें से केपमें भारतीयोंकी स्थितिसे किसीका सम्बन्ध नहीं था, और केपकी संसदको यह असंदिग्ध अधिकार था कि वह अपने बनाये हुए प्रवासी कानूनकी व्यवस्थाओंमें ऐच्छिक परिवर्तन कर सके, संसद केप प्रान्तके जनमतके ध्यानसे ही आपके उठाये हुए मुद्दोंपर आपकी माँग पूरी करनेमें असमर्थ रही। आपको यह तो मानना ही चाहिए

कि केपकी जनताका रुख बिलकुल उचित है। मौजूदा यूरोपीय भाषाओं सम्बन्धी शर्तें पूरी कर सकनेवाले शिक्षित भारतीयोंके लिए सरकारने दरवाजे खुले रखे हैं, और इस प्रकार उसने शिक्षित व्यक्तियोंके आन्तरप्रान्तीय आवागमन सम्बन्धी आपकी बड़ी माँगको पूरा कर दिया है। किन्तु संसदने पूरी तरह विचार करनेके बाद नेटालमें जन्मे प्रत्येक भारतीयके केपमें प्रवेशके अधिकारको अस्वीकार किया है। जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है, फ्री स्टेटके कानूनोंके अध्याय ३३ के अन्तर्गत ज्ञापनके प्रश्नको प्रशासनिक तौरपर निपटाया जा सकता है, और निपटाया भी जायेगा। कानूनकी शर्तोंमें परिवर्तन करनेका कोई निश्चित सुझाव देनेका परिणाम होगा ऑरेंज फ्री स्टेट द्वारा उनका कड़ा विरोध, सम्भवत विधेयकको भी वापस लेना पड़े और यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सरकार इस समय सामना करनेको तैयार नहीं है। आपने स्वयं केप टाउन आनेका जो प्रस्ताव रखा है उसकी मन्त्री महोदय बड़ी कद्र करते है, किन्तु वे उसकी आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाये हैं उनके बारेमें विधान मण्डलके सभी सदस्योंके रुखसे वे पूरी तरह अवगत है, और ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि संसद विचाराधीन मुद्दोंमें से किसी एकके अनुसार भी विधेयकमें कोई परिवर्तन करेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३

(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर जनरलका तार

गोपनीय

मई २९, १९१३

सम्भव है कि प्रवासी विधेयकमें रियायतें दिये जानेके बाद भी आन्दोलनकारी अपने निजी कारणोंवश भारतीय समाजमें आन्दोलन जारी रखें। यदि इसके फलस्वरूप सत्याग्रहका पुनरारम्भ हुआ तो दक्षिण आफ्रिकाके लोकमतपर खराब प्रभाव पड़ेगा और शायद ऐसा समझा जायेगा कि भारतीयोंने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारका हक खो दिया है। मुझे आशा है आप भारत सरकारको इसकी सूचना देंगे और उससे गांधी तथा अन्य लोगोंपर अपने प्रभावका उपयोग करनेको कहेंगे। मुझे फिशरसे ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी स्त्रियों और बच्चोंको नेटालके तीन पौंडी करसे मुक्ति दी जायेगी, मैं इस करको बिलकुल खत्म करानेकी भरसक कोशिश कर रहा हूँ। मामला अभी तक विचाराधीन है।

ग्लैड्स्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४०

परिशिष्ट ६

प्रवास-नियमन विधेयक और अधिनियमका मसविदा[1]

विधेयक जैसा पेश किया गया

३ सवकी किसी भी अदालतको, सघ अथवा किसी प्रा तमें अधिवासके प्रश्नके अलावा अन्य किसी भी मामलेमें मन्त्री, किसी निकाय (बोर्ड) प्रवासी अधिकारी, या किसी [न्यायालयके] मास्टरकी किसी कार्रवाई, कार्य, आदेश अथवा वारटपर पुनर्विचार करने, उसे खण्डित करने, उलटने, उसके विरुद्ध निषेधादेश देने या उनमें अन्यथा हस्तक्षेप करनेका अधिकार नही होगा बशर्ते कि ऐसी कार्रवाइ या कार्य, इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो या ऐसा आदेश या वारट इस अधिनियमके अधीन जारी किया गया हो और जिस व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जा रही हो उसकी नजरबन्दी या उसे सघ अथवा किसी प्रान्तसे हटानेके सिलसिलेमें हो।

अधिनियम जैसा गजटमें प्रकाशित हुआ

३ (१) सघकी किसी भी अदालतको, ऐसे कानूनी प्रश्नोको छोड कर जिन्हें किसी निकायने इस खण्डमें बताये अनुसार [न्यायालयके निर्णयके लिए] सुरक्षित रखा हो, अन्य किसी भी मामलेमें मन्त्री, किसी भी निकाय, प्रवासी अधिकारी या मास्टरकी किसी कार्रवाई, कार्य, आदेश अथवा वारटपर पुनर्विचार करने, उसे खण्डित करने, उलटने, उसके विरुद्ध निषेधादेश देने या उनमें अन्यथा हस्तक्षेप करनेका कोइ अधिकार नही होगा, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई या कार्य इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो, या ऐसा आदेश या वारट इस अधिनियमके अधीन जारी किया गया हो और जिस व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाइ की जा रही हो, उसकी नजरबन्दी या उसे सघ अथवा किसी प्रा तसे हटानेके सिलसिलेमें हो।

(२) कोई निकाय स्वेच्छासे, या अपील करनेवाले व्यक्ति अथवा किसी प्रवासी अधिकारीके अनुरोधपर किसी ऐसे कानूनी प्रश्नको, जो उस निकाय द्वारा पिछले खण्डके अन्तर्गत सुनी गई किसी अपीलके फल स्वरूप उत्पन्न हो, [ऐसे मामलोके सम्बन्धमें] यथाधिकार रखनेवाले किसी उच्चतर न्यायालयमें सुनवाईके लिए सुरक्षित रख सकता है, और ऐसे प्रश्नको एक विशेष मामलेके रूपमें उक्त ढंगकी अदालतकी राय लेनेके उद्देश्यसे उस अदालतके रजिस्ट्रारको भेजेगा, इस प्रकार विचारार्थ भेजे गये प्रश्नपर उक्त अदालत सुनवाई कर सकती है और वह जो जरूरी समझे वह निकायसे माँग सकती है। वह इस मामलेपर यदि उसके सम्बन्धमें उक्त ढगकी कोई सूचना प्राप्त हुई हो तो उसको ध्यानमें रखते हुए अन्यथा उसके

---

१ **इंडियन ओपिनियन**में विधेयकका मसविदा (जिस रूपमें उसे संसदमें पेश किया गया था) और गजटमें प्रकाशित अधिनियमकी विभिन्न धाराओंको समानान्तर स्तम्भोमें प्रकाशित किया गया था ताकि एक ही नजरमें देखा जा सके कि उनके रूपमें क्या क्या संशोधन किये गये।

बिना ही, जो ठीक समझे वह उत्तर दे सकती है और उस मुकदमेके खर्चेके सम्बधमें जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकती है ।

(३) इस खण्डके उद्देश्योके लिए —'कानूनका प्रश्न' मे अन्य बातोके अलावा अधिवासका कोई प्रश्न भी सम्मिलित माना जायेगा, और 'यायाधिकार रखनेवाले किसी उच्चतर यायालयका मतलब होगा सर्वोच्च न्यायालयका वह प्रा तीय डिवीजन — जिसे, निकाय जहाँ स्थित है, वहाँ यायाधिकार प्राप्त है — या ऐसे डिवीजनका कोई यायाधीश, या ऐसा न्यायाधिकार रखनेवाला पूर्वी जिलोका स्थानीय डिवीजन, या उसका कोई न्यायाधीश, और 'अपील करने वालो' मे विदेशियोको सम्मिलित नही माना जायेगा

(४) यदि पूर्वोल्लिखित विशेष मामला अपील करनेवालेके अनुरोधपर यायालयके सामने भेजा जाता है तो वह, यदि वह ऐसा व्यक्ति है जो सघम पहली बार प्रवेश करनेकी अनुमति चाहता है, रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जानेवाली जमानतकी अमुक रकम रजिस्टारके पास जमा करेगा ताकि अदालत प्रार्थीको मुकदमेके खर्चेकी जितनी रकम देनेका आदेश दे उसका भुगतान हो सके।

४ (१) इस उपखण्डके किसी भी अनुच्छेदमें वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो सघमे प्रवेश करता है या सघके अ दर पाया जाता है, या जो, यद्यपि एक प्रा तका वैध निवासी है लेकिन ऐसे किसी अ य प्रा तमें जिसका वह वैध निवासी नही है, प्रवेश करता है या वहाँ पाया जाता है, सघमें या उस अन्य प्रान्तमें (जैसा भी प्रसग हो), निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्थात् —

(क) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोका वर्ग जिसे म त्री आर्थिक कारणोसे, या रहन सहनके स्तर और तौर तरीकोके कारण संघ अथवा उसके किसी प्रान्त विशेषकी आवश्यकताओके लिए अनुपयुक्त समझें,

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो अपर्याप्त शिक्षाके कारण कोई यूरोपीय भाषा इतनी अच्छी तरह नही लिख पढ़ सकता, जिससे प्रवासी अधिकारी स तुष्ट हो, और इस अनुच्छेदकी

४ (१) इस उपखण्डके किसी भी अनुच्छेदमें वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो सघमें प्रवेश करता है या संघके अ दर पाया जाता है, या जो, यद्यपि एक प्रा तका वैध निवासी है लेकिन ऐसे किसी अन्य प्रान्तमें, जिसका वह वैध निवासी नही है, प्रवेश करता है या वहाँ पाया जाता है, सघमें या उस अ य प्रान्तमें (जैसा भी प्रसग हो), निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्थात् —

(क) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोका वर्ग, जिसे म त्री आर्थिक कारणोसे, या रहन सहनके स्तर और तौर तरीकोके कारण संघ अथवा उसके किसी प्रा त विशेषकी आव श्यकताओके लिए अनुपयुक्त समझें,

(ख) कोई भी व्यक्ति जो अपर्याप्त शिक्षाके कारण कोई यूरोपीय भाषा इतनी अच्छी तरह नही लिख पढ़ सकता जिससे प्रवासी अधिकारी — या यदि अपील की गई हो

दृष्टिसे यीडिश भाषाको यूरोपीय भाषा समझा जायेगा,

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसके यदि वह संघमें प्रवेश करे तो दिमागी या शारीरिक विकारके कारण या इस कारण कि उसके पास अपना और अपने आश्रितोंका निर्वाह करनेके साधनोंका अभाव है राज्यके ऊपर भाररूप सिद्ध होनेकी सम्भावना हो,

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी भी सरकार (ब्रिटिश अथवा किसी विदेशी सरकार) से, सरकारी या राजनयिक सूत्रों द्वारा, प्राप्त सूचनाके आधारपर मन्त्री संघमें अवांछित निवासी या अभ्यागतुक समझे,

[(ङ) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये हैं]

प्रवासी अधिकारी संघमें या ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ अमुक व्यक्तिका प्रवेश करना या पाया जाना अवैध है, प्रवेश करने पर, या वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिको संघ या प्रान्तसे निकलवा देगा, बशर्ते उसकी यह कार्यवाही खण्ड २ या ३ की व्यवस्थाके विपरीत न पड़े।

(२) इस अधिनियमके अन्तर्गत जो व्यक्ति संघ या किसी प्रान्तमें निषिद्ध प्रवासी घोषित किये गये हों और जिन्हें वहाँसे निकाल दिया गया हो, अथवा संघ या प्रान्तमें जिनका प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया हो, उनकी एक सूची मन्त्री संसदका प्रत्येक सत्र आरम्भ होनेके चौदह दिनके अन्दर दोनों सदनोंकी मेजपर रखेगा। ऐसी हर सूची सत्र आरम्भ होनेसे एक माह पहले तककी अवधिसे सम्बन्धित होगी और उसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्तिका नाम, लिंग और राष्ट्रीयता, तथा उसे निकालने या प्रतिबन्धित करनेका कारण दिया होगा।

(३) मन्त्री समय समयपर 'गजट' में नोटिसके जरिये घोषित कर सकता है कि इस खण्डके उपखण्ड (१) के अनुच्छेद (क) में वर्णित व्यक्ति, जब उन्हें इस अधिनियमके अन्तर्गत संघ अथवा किसी प्रान्तमें

तो निकाय — सन्तुष्ट हो, और इस अनुच्छेद की दृष्टिसे यीडिश भाषाका यूरोपीय भाषा समझा जायगा,

[(ग) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये हैं।]

जब कभी मन्त्री इस उपखण्ड द्वारा प्रदत्त अपने किसी अधिकारका उपयोग करेगा तब वह अपनी कार्रवाईकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रवासी अधिकारी और प्रत्येक निकायको भेज देगा। प्रवासी अधिकारी संघमें या ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ अमुक व्यक्तिका प्रवेश करना या पाया जाना अवैध है, प्रवेश करनेपर या वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिको संघ या प्रान्तसे निकलवा देगा, बशर्ते कि उसकी यह कार्रवाई खण्ड दो और तीनकी व्यवस्थाओंके विपरीत न पड़े।

(२) उपखण्ड (१) (क) में कही गई किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे —

(क) किसी ऐसे व्यक्तिको केप ऑफ गुड होप या नेटालमें निषिद्ध प्रवासी बताया जा सके, जो इस अधिनियमके लागू होनेके समय किसी प्रान्तमें निवासका अधिकारी हो, और जो यह सिद्ध कर देता है या जिसने यह सिद्ध कर दिया हो कि वह केप ऑफ गुड होपके १९०६ के अधिनियम ३० के खण्ड तीन (क) या नेटालके १९०३ के अधिनियम ३० के खण्ड पाँच (क) में वर्णित शर्तोंको पूरा करनेमें समर्थ है, या

(ख) ट्रान्सवालके १९०८ के अधिनियम ३६ में निर्धारित पंजीयन प्रमाणपत्र रखनेवाले किसी व्यक्तिको उसे उक्त अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, कोई अधिकार रद या विपरीत ढंगसे प्रभावित होता हो।

(३) इस अधिनियमके अन्तर्गत जो व्यक्ति संघ या किसी प्रान्तमें निषिद्ध प्रवासी घोषित किये गये हों, अथवा संघ या प्रान्तमें जिनका प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया हो, उनकी एक सूची मन्त्री संसदका

प्रवेश करने या वापस आनेकी अनुमति प्राप्त हो जाये तब, उक्त नोटिसमें उल्लिखित बन्दरगाह या बन्दरगाहोंसे ही प्रवेश करेंगे या वापस आयेंगे, अन्य किसी बन्दरगाहसे नहीं, और ऐसे नोटिसके बाद वैसे किसी अन्य बन्दरगाहसे प्रवेश करना या वापस लौटना गैरकानूनी होगा।

प्रत्येक सत्र आरम्भ होनेके चौदह दिनके अन्दर दोनों सदनोंकी मेजपर रखेगा। ऐसी हर सूची सत्र आरम्भ होनेसे एक माह पहले तककी अवधिसे सम्बन्धित होगी, और उसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्तिका नाम, लिंग और राष्ट्रीयता, तथा उसे निकालने या प्रतिबन्धित करनेका कारण दिया होगा।

(४) मन्त्री समय समयपर 'गजट' में नोटिसके जरिये घोषित कर सकता है कि इस खण्डके उपखण्ड (१) के अनुच्छेद (क) में वर्णित वर्गोंमे आनेवाले व्यक्ति, जब उन्हें इस अधिनियमके अन्तर्गत संघ अथवा किसी प्रान्तमें प्रवेश करने या वापस आनेकी अनुमति प्राप्त हो जाये तब, उक्त नोटिसमे उल्लिखित बन्दरगाह या बन्दरगाहोंसे ही प्रवेश करेंगे या वापस आयेंगे, अन्य किसी बन्दरगाहसे नहीं, और ऐसे नोटिसके बाद वैसे किसी व्यक्तिका किसी अन्य बन्दरगाहसे प्रवेश करना या वापस लौटना गैरकानूनी होगा।

(५) इस अधिनियमकी रूसे निम्नलिखित व्यक्ति या वर्गोंके व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं समझें जायेंगे, अर्थात्—

(५) इस अधिनियमकी रूसे निम्नलिखित व्यक्ति या वर्गोंके व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं समझे जायेंगे, अर्थात्—

[(क) (ख) (ग) और (घ) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये है।]

[(क) से (घ) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये है।]

(ङ) संघमें शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें जन्मा कोई भी व्यक्ति,

(ङ) इस अधिनियमके लागू होनेसे पूर्व संघमें शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता उसके जन्मके समय यहाँके वैध निवासी थे, और उस समय प्रचलित किसी कानूनकी रूसे मात्र अस्थायी तौरपर या सशर्त निवास नहीं कर रहे थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियमके लागू होनेके बाद चाहे किसी भी जगह पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता-पिता उसके जन्मके समय संघमें शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भागके अधिवासी रहे हों,

(च) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रान्तका अधिवासी है,

(च) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रान्तका अधिवासी है, बशर्ते कि वह पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) के अनुच्छेद (ङ) या (च) में वर्णित ढंगका व्यक्ति नहीं है, या जो इस अधिनियमके खण्ड बाईसके अन्तर्गत निकाला नहीं जा चुका है,

(छ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारेमें प्रमाणोंसे प्रवासी अधिकारीको यह सन्तोष हो जाये कि वह इस खण्डके अनुच्छेद (च) में वर्णित किसी व्यक्तिकी पत्नी है, अथवा सोलह वर्षसे कम आयुकी सन्तान है, बशर्ते कि ऐसी पत्नी या सन्तान (जैसा भी प्रसग हो) पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (घ) (च) (छ) (ज) या (ञ) में वर्णित व्यक्ति न हो,

[अनुच्छेद (ज) छोड़ दिया गया है।]

लेकिन शर्तं यह है कि इस खण्डमें कही गई किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (क) की धाराओंसे प्रभावित होनेवाले किसी व्यक्तिको किसी ऐसे प्रान्तमें प्रवेश करने और निवास करनेका अधिकार प्राप्त होता हो जिसमें उसका पहले वैध निवास न रहा हो, और फिर शर्त यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी प्रान्तमें पहले वैध ढंगसे निवास कर चुका हो किन्तु वहाँसे तीन वर्ष तक, या इस अधिनियमसे रद किये जानेवाले किसी कानूनके अधीन जारी किये गये अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट अवधिसे अधिक समय तक अनुपस्थित रहनेके बाद, प्रवेशका दावा करता है, या उस प्रान्तमें पाया जाता है तो उसे इस खण्डमें उल्लिखित छूटोंका अधिकारी नहीं माना जायेगा।

७ कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका वर्णन ऑरेंज फ्री स्टेटकी विधि पुस्तिकाके अध्याय ३३ में किया गया है, इस तथ्यके बावजूद कि वह किसी प्रान्त विशेषका वैध निवासी है अथवा उसे संघमें प्रवेश करनेकी अनुमति दे दी गई है, अब भी उपर्युक्त अध्याय ३३ के खण्ड सात और आठकी व्यवस्थाओंके सभी तरह अधीन होगा, और यदि वह उन व्यवस्थाओंके विपरीत कोई काम करेगा तो उसके ऊपर इस अधिनियमके अन्तर्गत ऑरेंज फ्री स्टेटमें निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी।

८ (१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघमें या (जैसा भी प्रसग हो) किसी प्रान्तमें, जहाँ उसका निवास अवैध है, कोई व्यापार करने या अन्य कोई

(छ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारेमें प्रमाणोंसे प्रवासी अधिकारीको, या अपीलका मामला हो तो निकायको यह सन्तोष हो जाय कि वह इस खण्डके अनुच्छेद (च) के द्वारा बरी कर दिये गये व्यक्तिकी पत्नी या सोलह वर्षसे कम उम्रकी सन्तान है और इसमें सबसे बाहर भी किसी धार्मिक मतके अनुसार सम्पन्न हुए एकपत्नीक विवाहवाली हर पत्नी और ऐसे विवाह सम्बन्धसे उत्पन्न हर सन्तान (जैसा भी मामला हो) पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (घ), (च), (छ), (ज), या (ञ) में वर्णित व्यक्ति न हो,

[अनुच्छेद (ज) छोड़ दिया गया है।]

लेकिन शर्त यह है कि इस खण्डमें कही गई किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (क) की धाराओंसे प्रभावित होनेवाले किसी व्यक्तिको किसी ऐसे प्रान्तमें प्रवेश करने और निवास करनेका अधिकार प्राप्त होता हो जिसमें उसका पहले वैध निवास न रहा हो

७ कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका वर्णन ऑरेंज फ्री स्टेटकी विधि पुस्तिकाके अध्याय ३३ में किया गया है, इस तथ्यके बावजूद कि वह किसी प्रान्त विशेषका वैध निवासी है अथवा उसे संघमें प्रवेश करनेकी अनुमति दे दी गई है, अब भी उपर्युक्त अध्याय ३३ के खण्ड सात और आठकी व्यवस्थाओंके सभी तरह अधीन होगा, और यदि वह व्यवस्थाओंके विपरीत कोई काम करेगा तो उसके ऊपर इस अधिनियमके अन्तर्गत ऑरेंज फ्री स्टेटमें निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी।

८ (१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघमें या (जैसा भी प्रसग हो) किसी भी प्रान्तमें, जहाँ उसका निवास अवैध है, व्यापार करने या अन्य कोई धन्धा

धन्धा करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी अचल सम्पतिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका अधिकार नही होगा।

(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी निर्षिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो) या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके जरिये ऐसा कोई हित इस खण्डका उल्लघन करक प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हित प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी।

९ (१) ऐसे हर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारों पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी बिना वारटके गिरफ्तार कर सकता है, और उसक खिलाफ इस अधिनियमके अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

(२) कोई भी मजिस्टेट, यदि उसे हलफिया सूचना दी जाये कि अमुक स्थानपर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण हैं, तो, एक वारट जारी करक साजट या इससे ऊपरके ओहदेके किसी पुलिस अधिकारीको उस स्थानमें प्रवेश करके उसको तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार दे सकता है।

२५ (१) इस अधिनियममें उल्लिखित किसी भी विपरीत व्यवस्थाक बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी भी व्यक्तिको खण्ड चारकी व्यवस्थाओंसे बरी कर सकता है, या खण्ड सातकी शर्तोके बन्धनोंका खयाल रखते हुए किसी भी निषिद्ध प्रवासीको सघमें या प्रान्त विशेषमें प्रवेश करने और निवास करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी आज्ञा दे सकता है, और निवासकी अवधि अथवा जो धन्धा या पशा वह सघ या प्रान्तमें करेगा उसकी शर्तें अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट कर दी जायेंगी।

करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी अचल सम्पत्तिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका अधिकार नही होगा।

(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी निषिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो) या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके जरिये ऐसा कोइ हित इस खण्डका उल्लघन करके प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हित प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी।

९ (१) ऐसे हर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारो पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी यदि ऐसा माननेका कारण हो कि वारट उपलब्ध करनेम इतनी देर लग सकती है जिसमें निषिद्ध प्रवासी इस अधिनियमकी व्यवस्थाओसे बच निकल सकता है तो, बिना वारट भी गिरफ्तार कर सकता है, और उसक खिलाफ इस अधिनियमक अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

(२) कोई मजिस्ट्रेट, यदि उसे हलफिया सूचना दी जाये कि अमुक स्थानपर अमुक नाम या अमुक प्रकारके हुलियेका एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण है तो, एक वारट जारी करके सार्जेंट या उससे ऊपरके ओहदेके किसी पुलिस अधिकारीको उस स्थानमें प्रवेश करके उस वारटमें बताये गये अमुक नाम या अमुक हुलियेके व्यक्तिकी तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार दे सकता है।

२५ (१) इस अधिनियमम उल्लिखित किसी भी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी भी व्यक्तिको खण्ड चारके उपखण्ड (१) के अनुच्छेद (क), (ख), (ग), (घ) से छूट दे सकता है, या खण्ड सातकी शर्तोंके बन्धनोंका खयाल रखते हुए विनियमों द्वारा वैध ढगसे लगाई गई शर्तोंपर किसी भी निषिद्ध प्रवासीको सघ या प्रान्त विशेषमें प्रवेश करने और निवास करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी आज्ञा दे सकता है।

तक नहीं माना जायेगा जबतक कि वह उसमें तीन वर्ष तक रह न चुका हो। ऐसे निवासमें इस अधिनियम या किसी अन्य कानूनकी अनुमतिसे किये गये सशर्त निवासको या अस्थायी निवासको या किसी जेल, सुधार घर (रिफॉरमेटरी) या पागलखानेमें कैदीकी हैसियतमें किये गये निवासको शामिल नहीं माना जायेगा, और इस अधिनियमके उद्देश्योंकी हद तक, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छासे संघ या प्रांतके (किसी विशेष या अस्थायी कारणोंको छोड़कर) बाहर रहने लगे और उसका मंशा संघ या प्रान्त (जैसा भी प्रसंग हो) से बाहर घर बसानेका हो तो, ऐसा माना जायेगा कि उसने संघमें या किसी प्रांतमें (जैसा भी प्रसंग हो) अधिवासका अधिकार खो दिया है।

[यह एक नई व्याख्या है।]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१३

परिशिष्ट ७

प्रवासी अधिनियमके विनियम

प्रवासी विनियमन अधिनियमके अन्तर्गत विनियमोंका प्रकाशन १५ तारीखके 'गज़ट' में किया गया था। उनको ३१ खण्डोंमें बाँटा गया है।

उनमें से, खण्ड १ से ६ तकका सम्बन्ध जहाजोंकी जाँच पड़ताल और उनके नियन्त्रणसे है।

खण्ड ७ से १५ तकका सम्बन्ध यात्रियोंकी जाँच पड़तालसे है।

खण्ड ७ में व्यवस्था की गई है कि संघके बन्दरगाहोंपर उतरनेवाले सभी यात्रियोंकी जाँच पड़ताल साधारणतया संघके उस बन्दरगाहपर की जायेगी जहाँ जहाज सबसे पहले रुकेगा।

खण्ड ८ में व्यवस्था है कि प्रवासी अधिकारी जहाजपर ही या अन्य किसी सुविधाजनक स्थान-पर यात्रियोंकी जाँच पड़ताल करेगा। प्रत्येक व्यक्तिको जहाजसे उतरनेकी अनुमति मिलनेसे पहले द्वितीय अनुबन्धमें बतलाये गये रूपमें एक हलफनामा भरना पड़ेगा।

खण्ड ९ में अधिकारीको यह सत्ता दी गई है कि वह यात्रियोंको अपने हाथसे हलफनामा लिखनेके लिए कह सकता है और इस सम्बन्धमें किसी दुभाषियेसे सहायता ले सकता है।

खण्ड १० की यह अपेक्षा है कि अधिकारी निषिद्ध प्रवासी पाये जानेवाले लोगोंके सम्बन्धमें जहाजके मास्टरको सूचित कर देगा, उसके बाद उनको सही सलामत हिरासतमें बनाये रखनेकी जिम्मेदारी मास्टरकी होगी।

खण्ड ११ में व्यवस्था है कि सारी जाँच पड़तालको लिखित रूप दिया जायेगा।

खण्ड १२ द्वारा अधिकारीको प्राधिकृत किया गया है कि सन्देह होनेपर वह कुछ समयके लिए जाँच-पड़ताल स्थगित कर सकता है।

खण्ड १३ अधिकारीको यह सत्ता प्रदान करता है कि वह इस बातके यथेष्ट प्रमाणके रूपमें किसी यात्री द्वारा जुटाया साक्ष्य मंजूर कर सकता है कि जहाजसे उतरनेपर उस यात्रीका निर्वाह व्यय उसके मित्र उठा सकते हैं और वह सरकारपर भार नहीं बनेगा।

खण्ड १४ इस प्रकार है —

प्रवासी अधिकारी अधिनियमके खण्ड पाँचके अनुच्छेद (छ) के अन्तर्गत किसी पत्नी या बच्चेके सम्बन्धमें पेश किये गये प्रार्थनापत्रके सिलसिलेमें, प्रसंगानुसार विवाह या जन्मके प्रमाणपत्रकी विधिपूर्वक प्रमाणित प्रति माँग सकता है, या यदि ऐसे विवाह प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्रकी प्रति पेश न की जा सकती हो तो प्रवासी अधिकारी एक ऐसा सरकारी प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर —

(क) वैसा प्रमाणपत्र देनेके लिए सक्षम किसी अधिकारीके हस्ताक्षर हों और जिसमें उस अधिकारीने अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधारपर कहा हो कि अमुक तिथिको उल्लिखित परिस्थितियोंमें दोनोंका विवाह सम्पन्न हुआ था, या (यथास्थिति) यह कि प्रमाणपत्रमें उल्लिखित माता-पिताके अमुक तिथिको, अमुक स्थानपर वह सन्तान हुई थी, या

(ख) एक ऐसा प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर वैसा प्रमाणपत्र देनेके लिए सक्षम एक अधिकारीके हस्ताक्षर हों और जिसमें कहा गया हो कि विवाहकी परिस्थितियों और तिथिके सम्बन्धमें या बच्चेकी जन्म तिथि और माता पिताके सम्बन्धमें उसके सामने शपथपूर्वक मौखिक साक्ष्य या अन्य साक्ष्य पेश किया गया है, और वह मौखिक साक्ष्य या अन्य साक्ष्य, उसके सम्बन्धमें उस अधिकारीकी रायके साथ, उस प्रमाणपत्रसे संलग्न है।

'प्रवासी अधिकारी इस विनियममें उल्लिखित किसी भी प्रमाणपत्रमें उल्लिखित व्यक्तियोंकी शिनाख्तके सिलसिलेमें उस प्रमाणपत्रके साथ अधिक सन्तोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए कह सकता है, और सन्देह होनेपर प्रवासी अधिकारी इस सम्बन्धमें आश्वस्त होनेके लिए आवश्यक और अधिक साक्ष्य माँग सकता है कि उस प्रमाणपत्रमें उल्लिखित किसी पत्नी या सन्तानको सचमुच ही इस अधिनियमके खण्ड पाँचके अनुच्छेद (छ) के अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी नहीं ठहराया जा सकता।'

खण्ड १५ द्वारा अधिकारीको यह सत्ता प्रदान की गई है कि वह किसी व्यक्तिके निषिद्ध प्रवासी होनेका सन्देह होनेपर उसकी गिरफ्तारीका वारंट निकाल सकता है।

खण्ड १६ से १८ तक का सम्बन्ध रोगों और डॉक्टरी जाँच पड़तालसे सम्बन्धित है।

खण्ड १९ काफी बड़ा है, उसका विषय अपीलकी विधि है। उसमें अपीलकी सूचनाका स्वरूप निश्चित किया गया है। अपीलकी सुनवाईके कालमें प्रार्थीको नजरबन्दीके लिए नियत स्थानपर रखा जा सकता है।

खण्ड १९ का उपखण्ड (३) थोड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसलिए हम नीचे उसे पूरा उद्धृत करते हैं —

'यदि किसी प्रवासी अधिकारीके अपने मुकाममें कोई ऐसा बोर्ड न हो, जिसकी बैठक सामान्यतः वहाँ होती हो या हो रही हो या होनेवाली हो, तो [जहाँ ऐसा बोर्ड हो] उस क्षेत्रके लिए जिम्मेदार प्रवासी अधिकारीसे तार द्वारा लिखा पढ़ी करेगा और अपीलकर्ताको सूचित करेगा कि यदि वह अपनी अपीलकी सुनवाईके दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उसे प्रवासी अधिकारी द्वारा अपने ऊपर लगाई जाने वाली शर्तोंके अधीन और उसीके द्वारा तैनात पहरेमें जल अथवा थल मार्गसे जिस स्थानपर क्षेत्राधिकारसे युक्त बोर्डकी बैठक होनेवाली हो उस स्थान तक जाना होगा और आवश्यक हुआ तो उसी पहरेमें लौटना होगा। अपने यातायात और पहरेका खर्च उस अपीलकर्ताको देना पड़ेगा। उस स्थानपर पहुँचनेके बाद अपील-कर्ताके साथ इस विनियमके उपखण्ड (२) की व्यवस्थाके अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपखण्ड (४) के अन्तर्गत अधिकारी अपीलकर्ताको एक अस्थायी अनुमतिपत्र दे सकता है। अपील-बोर्ड गवाह तलब कर सकता है, अपीलकर्ता साक्ष्य पेश कर सकता है, वकील उसका प्रतिनिधित्व कर

सकता है, और अधिकारी भी गवाहोंसे जिरह कर सकता है और उसका प्रतिनिधित्व भी वकील कर सकता है।

२० से २४ तकके खण्ड अनुमतिपत्रों और अस्थायी अनुमतिपत्रोंसे सम्बन्धित है। स्थायी अनुमति-पत्रोंपर एक पौंडकी फीस लगेगी और शर्तोंका उचित पालन सुनिश्चित बनानेके लिए १० से १०० पौंड तक जमा कराने पड़ेंगे।

खण्ड २० के उपखण्ड (३) में कहा गया है —

'प्रत्येक अनुमतिपत्रकी यह एक अनिवार्य शर्त रहेगी कि अनुमतिपत्रधारी व्यक्ति अपने अनुमति-पत्रमें उल्लिखित अधिकारियोंके सामने उसमें नियत समयों और स्थानोंपर उपस्थित होता रहेगा, और यदि वह कोई झूठा या भ्रामक पता देगा, तो उसका अनुमतिपत्र और जमा की हुई राशि जब्त की जा सकेगी और उसे निषिद्ध प्रवासी मानकर उसपर कार्यवाई की जा सकेगी।'

मन्त्रीकी मंजूरीके बिना एक वर्षसे अधिक अवधिके लिए कोई भी अनुमतिपत्र जारी नहीं किया जायेगा। अनुमतिपत्रधारी व्यक्तिको अपनी रवानगीकी सूचना कमसे कम एक दिन पहले अवश्य देनी होगी।

खण्ड २१ के उपखण्ड (१) में कहा गया है —

'अधिनियमके खण्ड पच्चासके उपखण्ड (२) के अनुसार, संघ या किसी प्रान्तके विधि सम्मत निवासियोंके नाम जारी किये जानेवाले शिनाख्ती प्रमाणपत्र इन विनियमोंके पाँचवें अनुबन्ध द्वारा निश्चित रूपमें और निर्धारित शर्तोंके अधीन होंगे। ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्रके लिए एक पौंड फीस अदा की जायेगी और प्रत्येक प्रमाणपत्रमें ऐसी तफसीलें और निशान मौजूद रहेंगे, जो शिनाख्तके लिए जरूरी समझे जायें।'

गुमशुदा अनुमतिपत्रोंकी नकल लेनेके लिए दो पौंडकी फीस भरनी पड़ेगी।

यदि कोई व्यक्ति शर्तें भंग करे या उसने छल प्रपंचसे अनुमतिपत्र प्राप्त किया हो, तो अधिकारी उसका अनुमतिपत्र रद कर सकेगा।

२५ से ३० तकके खण्ड निषिद्ध प्रवासियोंकी नजरबन्दीसे सम्बन्धित है।

खण्ड ३१ में व्यवस्था है कि इन विनियमोंको भंग करनेका दण्ड ५० पौंडका जुर्माना या तीन महीनेकी कठोर अथवा सादी कैद है।

द्वितीय अनुबन्ध

यात्री या अन्य व्यक्तियों द्वारा हलफनामा

(इसके अन्तर्गत अपेक्षित सूचना अंग्रेजी या डच भाषामें दी जानी चाहिए)

यात्रारम्भका बन्दरगाह

गन्तव्य बन्दरगाह

आयु

(यदि २१ वर्षसे अधिक हो, तो लिखिए 'पूरी')

लिंग

जाति

(यूरोपीय, एशियाई, या आफ्रिकी)

राष्ट्रीयता

(ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इत्यादि)

यदि पत्नी साथ हो, तो उसका नाम लिखिए

यदि सोलह वर्षसे कम आयुके अपने बच्चे या संरक्षित बच्चे साथ हों, तो प्रत्येकका नाम और आयु बताइए।

(यदि पत्नी या बच्चोंके बिना यात्रा कर रहे हो, तो प्रश्न ८ और ९ के उत्तरमें लिखिए 'अकेले यात्रा')

गन्तव्य व दरगाहमें पूरा पता

दक्षिण आफ्रिकामें (यदि पहले निवास किया हो तो) पहले निवासकी अवधि

(यदि न किया हो, तो लिखिए 'बिल्कुल नहीं')

पेशा

जीविकाका साधन, आपकी अपनी वास्तविक सम्पत्ति? (यदि बीस पौंडसे अधिक हो, तो लिखिए बीस पौंड। यदि बीस पौंड या इससे कम हो, तो पूरा ब्यौरा लिखिए और बताइए कि निश्चित तौरपर काम देने या आर्थिक सहायता देनेका वचन मिलनेका आपके पास क्या लिखित प्रमाण है, और दक्षिण आफ्रिकामें कौन लोग आपकी तसदीक कर सकते हैं?)

आप कौनसी यूरोपीय भाषा लिख सकते हैं?

क्या आपका इस प्रान्तमें प्रवेश कभी निषिद्ध किया गया या आपको निष्कासित किया गया था?

क्या आपको किसी देशमें किसी अपराधमें सजा हुई थी?

मैं घोषित करता हूँ कि मैं उपर्युक्त प्रश्न समझता हूँ और मैंने उनके सही सही उत्तर दिये हैं।

यात्रीके हस्ताक्षर या अँगूठा निशानी

मेरे समक्ष में के दिन घोषित किया गया।

प्रवासी अधिकारी

पाँचवाँ अनुबन्ध

शिनाख्ती प्रमाणपत्र फीस – एक पौंड

प्रमाणित किया जाता है कि

यहाँ नीचे उल्लिखित शिनाख्ती ब्यौरा देनेके लिए

के समक्ष उपस्थित हुआ/हुई और उसके यह सूचित करने पर कि वह की यात्रा पर

जानेके कारण प्रान्तसे अवधि तक

अनुपस्थित रहेगा/रहेगी, कथित के नाम

यह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और पड़ताली प्रवासी अधिकारी, नीचे बताई गई शर्तोंके पालनका ख्याल रखते हुए और शिनाख्ती ब्यौरा ठीक पाये जाने पर, इस प्रमाणपत्रको, अधिक कोई साक्ष्य माँगे बिना, कथित के लौटने पर उसकी शिनाख्तका प्रमाण मान लेगा।

प्रभारी प्रवासी अधिकारी

तिथि

स्थान

प्रमाणपत्रकी शर्तें

१ कि उल्लिखित व्यक्तिके   प्रान्तमें लौटनेपर यह प्रमाणपत्र पड़ताली प्रवासी अधिकारीको लौटा दिया जायेगा।

२ कि यदि उल्लिखित व्यक्ति इसमें उल्लिखित तिथिसे एक वर्ष पूरा हो चुकनेके बाद   प्रान्तमें पुन प्रवेश करना चाहेगा, तो इस प्रमाणपत्र द्वारा दिया गया सरक्षण समाप्त हो गया माना जायेगा और उल्लिखित व्यक्तिको अधिनियमकी अपेक्षाएँ पूरी करनी पड़ेंगी।

३ यदि प्रवासी अधिकारीके सामने यह सिद्ध कर दिया जाये कि इसमें उल्लिखित व्यक्तिने प्रमाण पत्र देते समय किसी खास बातमें झूठा शिनाख्ती ब्यौरा दिया था, तो यह प्रमाणपत्र अमान्य करार दिया जा सकेगा।

शिनाख्ती निशानियाँ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-७-१९१३

परिशिष्ट ८

ई० एम० जॉर्जसका पत्र

प्रिटोरिया
अगस्त १९, १९१३

प्रिय श्री गांधी,

प्रवासी विनियमन अधिनियम, १९१३के विषयमें हमारे बीच हुए पत्र व्यवहारके सिलसिलेमें निवेदन है कि आपके द्वारा उठाये गये मुद्दोंपर मत्री महोदय पूरी तरह विचार कर चुके हैं, और मैं जनरल स्मट्सके अनुरोधपर आपको उनका मत सूचित कर रहा हूँ।

१ आपने पहला मुद्दा यह उठाया था कि भविष्यमें गिरमिटिया भारतीयोकी सन्तान अधिनियमके खण्ड ५की पस्तुक धाराका लाभ उठाकर केप प्रान्तमें प्रवेश नहीं कर सकेगी। मैं जनरल स्मट्सके अनुरोध पर ही लिख रहा हूँ कि यह एक बिल्कुल ही नया मुद्दा है, जनवरी फरवरी १९१२ में जनरल स्मट्सके साथ अपने पत्र व्यवहारमें आपने भारतीयों और सरकारके बीच सभी विवादग्रस्त मुद्दे उठाये थे पर इसके बारेमें आपने तब कुछ भी नहीं लिखा था। आपने निजी सचिवके नाम अपने २९ जनवरीके पत्र और १ फरवरीके तारमें केप और नेटाल प्रान्तके प्रवासी कानूनोमें व्यवस्थित शैक्षणिक परीक्षा पास करनेपर संघके अन्य भागोंसे इन प्रान्तोमें प्रवेश करनेके शिक्षित भारतीयोके अधिकारका हवाला दिया था और १५ फरवरी, १९१२ के अपने पत्रमें आपने स्पष्ट कहा था कि यदि वर्तमान वैधानिक स्थिति बरकरार रखी जाये अर्थात् प्रान्तोके तत्सम्बन्धी कानूनों द्वारा व्यवस्थित शैक्षणिक परीक्षाएँ पास करनेपर शिक्षित एशियाइयोंके ट्रान्सवालसे नेटाल या केप (और शायद नेटालसे केप और केपसे नेटाल ?) में प्रवेश करनेके अधिकारको बरकरार रखा जाये, तो सत्याग्रहियोंको कोई शिकायत नहीं रह जायेगी।

सघ सरकार सदासे यही समझती आई है कि नेटालमें जमे भारतीयोंको केपमें प्रवेश करनेकी पूरी छूट देना असम्भव है और इसे स्पष्ट करनेके लिए मन्त्रीकी दिनाक २० दिसम्बर, १९१० की टिप्पणी, ९०२ ए० के अनुच्छेद ७ और ८ का हवाला देना ही काफी होगा। वह टिप्पणी श्वेत पुस्तिका (सी० डी० ५५७९) में सह पत्र सख्या ८ के रूपमें प्रकाशित की गई थी। आपने ही मेरे नाम इसी वर्ष ९ अप्रैलके अपने तारमें यह मसला पहल पहल उठाया था। तबतक मन्त्रीको तो जानकारी भी नही थी कि इस विषयमें आपके समाजके कोई अपने विचार भी है या नही।

हाल ही में रद किये गये, केप और नेटालके प्रवासी कानूनों द्वारा विहित शैक्षणिक परीक्षा पास करके इन दोनों प्रान्तोंमें प्रवेश करनेके सभी प्रान्तोके शिक्षित भारतीय निवासियोके अधिकारोंको हमारे नये कानूनके खण्ड ४ के उप खण्ड (२) में पूरी तौर पर सुरक्षित रखा गया है, और फिर आपने स्वय ही अपने पिछले (दूसरी जुलाईके) पत्रमें बतलाया था कि नेटालके उपनिवेशमें जमे भारतीयोंमें से अधिकाशने भारतीय सरकारी स्कूलोमें शिक्षा प्राप्त की है, और उनमें केपकी शैक्षणिक परीक्षा पास करने लायक पर्याप्त योग्यता मौजूद है। आपने यह भी लिखा था कि सभी जानते है कि केप अधिनियम लागू रहनेकी सारी अवधिमें दक्षिण आफ्रिकामें जमे शायद ही किसी भारतीयने, केपका निवासी न होने पर भी, केपमें जाकर बसनेकी कोशिश की होगी, क्योंकि वहाँ उनके लिए कोई गुजाइश ही नही है। सरकार इन सभी तथ्योको देखते हुए यह सोच भी नही सकती कि अब भारतीय समाज नये कानून द्वारा प्रान्तीय सीमायें बरकरार रखनेकी बातको लेकर क्यो शिकवा-शिकायत करना चाहता हैं। जनरल स्मट्सको आशा है कि नये कानून द्वारा उत्पन्न स्थिति लोगोको स्वीकार्य होगी। आपको यह भी मालूम होगा कि संसदके पिछले सत्रमें इस विषयपर विस्तृत चर्चा हुई थी और केप प्रान्तके निर्वाचन-क्षेत्रोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्योने नेटालमें जमे अशिक्षित भारतीयोको किसी भी प्रकारसे केपमें प्रवेश करनेकी अनुमति देनेकी बातपर जोरदार आपत्ति की थी।

दूसरी चीज यह कि नये अधिनियममें की गई "अधिवासी" की परिभाषाके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें सरकारका मत है कि अधिनियमके खण्ड ५ के अनुच्छेद (च) की व्यवस्थाएँ उन भारतीयोपर लागू होंगी जो अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेके बाद तीन वर्ष या इससे अधिक काल तक वार्षिक परवाने या "पास" लेकर नेटालमें रह चुके हो या जो लौटनेका विचार रखकर प्रान्तसे बाहर गये हो, और यह भी कि यह मत अधिनियमके खण्ड ३० में की गई अधिवासीकी परिभाषाको ध्यानमें रखकर स्थिर नही किया गया है।

तीसरे यह कि जनरल स्मट्सको ऑरेंज फ्री स्टेट विधि पुस्तिकाके परिच्छेद ३३ द्वारा अपेक्षित ज्ञापनके प्रश्नके सम्बन्धमें कोई कठिनाई नही पड़ी, और उनका तो ख्याल है कि आफ्रिकामें प्रवेश पानेवाले सभी शिक्षित भारतीयोको ऑरेन्ज फ्री स्टेटमें भारतीयोकी निर्योग्यताएँ बतला देना लाभकारी रहेगा। इन निर्योग्यताओंको अधिनियमके खण्ड १९ के अन्तर्गत अपेक्षित ज्ञापनके प्रपत्रपर ही मुद्रित करवानेका प्रबन्ध किया जायेगा।

चौथे यह कि जनरल स्मट्स इसपर बिलकुल तैयार हैं कि संघ भरके विवाह सम्बन्धी कानूनोके सम्मेलनका उपयुक्त अवसर मिलनेपर और यह सिद्ध हो जानेपर कि विभिन्न धार्मिक समुदायोंके लोग विशेष विवाह अधिकारियोंकी नियुक्तियाँ चाहते है और इन विभिन्न समुदायोंमें ऐसे पदोंपर नियुक्तियोंके लायक उपयुक्त व्यक्ति मौजूद है, वे मुसलमानोंके अतिरिक्त, अन्य सभी समुदायोंके लोगोंके लिए ऐसे अधिकारियोंकी नियुक्तियोंके लिए व्यवस्था करेंगे। वर्तमान प्रथा यह है कि संघके किसी भी प्रान्तमें इस समय निवासके अधिकारी या आगे चलकर सघमें प्रवेशकी अनुमति पानेवाले प्रत्येक भारतीयकी एक पत्नीको प्रवेशकी अनुमति दी जाती है, चाहे उस पत्नीसे उसका विवाह जिस धार्मिक रीतिसे सम्पन्न हुआ था उसमें बहुपत्नी विवाहोंकी अनुमति रही हो, या वह पत्नी उसकी विदेशोंमें रहनेवाली अनेक पत्नियोंमें से

एक हो। जिन लोगोंकी एक ही पत्नी दक्षिण आफ्रिकामें हो, उनके लिए यही प्रथा जारी रखी जायेगी। परन्तु जनरल स्मट्सको खेद है कि वे इस सम्बन्धमें इससे अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे, वे दक्षिण आफ्रिकाके वर्तमान निवासी भारतीयोंकी एकाधिक पत्नियोंको प्रवेशकी अनुमति नहीं दे सकेंगे।

आपका सच्चा,
ई० एम० जॉर्जेस

श्री मो० क० गांधी
फीनिक्स
नेटाल

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८३५) की फोटो नकलसे।

परिशिष्ट ९

उपनिवेश-कार्यालयको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

प्रिटोरिया
अक्तूबर २३, १९१३

इसी महीनेकी तारीख १७ को श्री गांधी नेटालके कोयला खानोंमें गये और उन्होंने स्थानीय खानों और होटलोंमें काम करनेवाले अनेक गिरमिटिया भारतीयोंको हड़ताल करनेपर उकसाया। उन्होंने कहा कि संसद्के आनेवाले सत्रमें जबतक सरकार ३ पौंडी करको रद कर देनेका वचन न दे दे तबतक वे लोग कामपर न जायें। श्री गांधीने इस प्रकार संघर्षके एक नये पहलूका उद्घाटन किया। गत मास तारीख २८ को श्री गांधीने श्री जॉर्जेसको जो पत्र लिखा था और जिसे मैंने अपने खरीते, गोपनीय (२) के साथ नत्थी किया है, उससे इस बातका आभास मिल जाता था कि अब हड़तालकी नीति अपनाई जायेगी। हड़तालकी यह हलचल वैसे तो मेरी समझमें सरकारको किसी बड़ी चिन्तामें नहीं डाल सकी है, फिर भी इसकी प्रगतिकी पर्याप्त तफसील मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ आजके 'रेंड डेली मेल' और 'ट्रान्सवाल लीडर' के कुछ अंक संलग्न किये जा रहे हैं। उनसे इस विषयपर कुछ प्रकाश पड़ेगा। इनसे स्पष्ट हो जायेगा कि श्री गांधीके अनुसार हड़तालियोंकी संख्या २,००० है और इसका असर ६ खानोंपर पड़ा है। किन्तु 'ट्रान्सवाल लीडर' का डर्बन संवाददाता कहता है कि इसका असर ९ खानोंपर पड़ा है। श्री जॉर्जेसने आज मेरे सचिवको कहा कि न्याय विभागकी ओरसे जो सबसे ताजा रिपोर्ट मिली है, उसमें हड़तालियोंकी संख्या लगभग १,५०० बताई गई है। तथापि, इस बातका उनको निश्चय नहीं था कि यह अनुमान हड़तालके पूरे क्षेत्रपर लागू है अथवा नहीं। और इसलिए उनकी समझमें यह संभावना भी है कि श्री गांधी द्वारा दी गई संख्या ठीक हो। इसके बारेमें बिलकुल ठीक जानकारी तो प्राप्त नहीं है। सचिवने मुझसे यह भी कहा कि न्याय विभागके सचिवोंको बताया गया है कि संघर्षके कमजोर पड़ते जानेके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हड़ताली कामपर वापस लौटने लगे हैं। नेटालके रेलवे विभागमें काम करनेवाले कुछ भारतीयोंसे भी हड़ताल करानेकी कोशिश की गई जान पड़ती है। किन्तु इस मामलेमें इससे ज्यादा कोई खबर नहीं मिली, और इसलिए जान पड़ता है कि अभी तक तो इस प्रयत्नको कहने लायक सफलता नहीं मिली है।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी० ओ० ५५१/४५

परिशिष्ट १०

उपनिवेश-कार्यालयको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

प्रिटोरिया
नवम्बर ६, १९१३

जान पड़ता है कि सरकारके चुप बैठे रहनेसे श्री गांधी उलझनमें पड़ गये हैं और उन्होंने सरकारको लिखा है कि प्रदर्शनकारियोंको गिरफ्तार करके उनके रहने और खानेका प्रबन्ध करना सरकारका काम है।

जनरल स्मट्सने गत सोमवारको अपनी नीतिके विषयमें मेरे सचिवसे बात की। उन्होंने बताया कि ट्रान्सवालके निष्क्रिय प्रतिरोधियोंकी ओर बिलकुल ध्यान न देनेकी उनकी नीतिका तात्कालिक असर तो यही हुआ था कि प्रतिरोध बिलकुल ठप हो गया था। उनकी समझमें यदि नेटालके हड़तालियोंके बारेमें भी वैसी ही नीति बरती जाये तो परिणाम भी वैसा ही निकलेगा। जान पड़ता है कि श्री गांधी बड़ी अड़चनमें पड़ गये हैं। फ्रैंकेंस्टीनकी तरह वे अपने द्वारा रचे गये इस असुरसे त्रस्त हो गये हैं और यदि अब इसकी कोई जिम्मेदारी उन्हें न उठानी पड़े, तो उन्हें बड़ी राहतका अनुभव हो। विभाग उन्हें गिरफ्तार करना चाहता था, किन्तु मन्त्रीने इस नीतिको उचित नहीं समझा। यदि श्री गांधी गिरफ्तार कर लिये जाते, तो उन्हें हड़तालियोंकी अपनी सेनाके भरण पोषणकी जिम्मेदारीसे छुटकारा मिल जाता। जबतक वे बाहर हैं, भारतीय अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए उन्हींकी ओर देखेंगे। इसलिए जनरल स्मट्सने हस्तक्षेप न करनेकी अपनी नीतिपर दृढ़ रहनेका प्रस्ताव किया और यह तय कर लिया कि वे ट्रान्सवालमें आनेवाले हड़तालियोंके मार्गमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। ये हड़ताली व्यापारी वर्गके नहीं हैं और इसलिए वे किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेमें असमर्थ हैं। इसके सिवा अगर सब नहीं, तो इनमें से ज्यादातर लोगोंको बादमें नेटाल भेजनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी वे बिलकुल शान्त हैं और यदि बादमें भूख या अन्य कष्टोंके कारण उपद्रव भी मचाने लगे, तो उसका आसानीसे इन्तजाम किया जा सकता है। अन्तमें यह भी सम्भव है कि जब उन्हें रसद आदि मिलना बन्द हो जाये, वे अपने अपने कामोंपर नेटाल जानेकी खुद ही माँग करने लगें। ऐसी परिस्थितिमें हम उनके लौटनेके लिए वाहन आदिका प्रबन्ध कर देंगे। श्री स्मट्सका ख्याल है कि श्री गांधी कोयला खानोंमें हड़तालके सफल हुए बिना चीनी बनानेके काममें लगे हुए मजदूरोंके बीच भी हलचल फैलानेकी कोशिश नहीं करेंगे।

अनुमान है कि इस समय कूच करनेवाले हड़तालियोंकी संख्या ४,००० है। श्री जॉर्जसने आज मेरे सचिवको बताया कि आज सवेरे लगभग २,४०० लोगोंने ट्रान्सवालमें प्रवेश किया, जिनमें से १३० स्त्रियाँ और ४० बच्चे भी थे। जब वे प्रान्तमें काफी दूर तक पहुँच चुकेंगे, ख्याल है कि उस समय अधिकारियोंकी नरमीको देखकर श्री कैलेनबैक और पोलक अन्य दलोंका नेतृत्व करके सीमा पार करेंगे। उस हालतमें निषिद्ध प्रवासियोंको प्रान्तमें प्रवेश करनेपर उकसाने और उसमें मदद करनेके अभियोगमें ये दोनों सज्जन गिरफ्तार कर लिये जायेंगे — विभाग इन्हें पकड़नेकी फिक्रमें है। जहाँतक बनेगा, दलके साधारण लोगोंसे छेड़छाड़ नहीं की जायेगी। श्री पोलककी गिरफ्तारी इसलिए और भी जरूरी है कि निधि इकट्ठी करनेके लिए उनका भारत भेजा जाना तय किया जा चुका है।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४५

परिशिष्ट ११

महान कूच

[फोक्सरस्ट
नवम्बर ८, १९१३]

समय और जगहकी कमीके कारण अपने पिछले अकमें हम ट्रासवालके कूचका पूरा विवरण देनेमें असमर्थ रहे। इस कूचका एक बहुत ही दिलचस्प वर्णन 'ट्रासवाल लीडर' के विशेष सवाददाता द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। सवाददाता फोक्सरस्ट उसकी कार्यप्रवृत्ति देखनेके लिए गया था। यायाधीशके सामने मामलेका विवरण देते हुए सवाददाता लिखता है —

अपनी सफाई पेश करनेके पहले श्री गाधीने अपनेको पुन रिमाडपर छोड़ देनेके लिए मजिस्ट्रेटसे कहा ताकि वे कूच जारी रख सकें। इस माँगके समर्थनमें उ होंने वही दलीलें पेश की, जो उन्होंने जनरल स्मटसके नाम अपने तारमें पेश की थी। सरकारी वकील गवाहियोके लिए तैयार नही था, इसलिए उसने प्रार्थना की और उसे मोहलत दे दी गयी। उसके बाद श्री गांधीकी ओरसे जमानतकी प्रार्थना की गई, सरकारी वकीलने इसका विरोध किया। फिर भी यायाधीशने कहा कि ऐसा कोई भी अभियुक्त जिसपर कत्लके अपराधका आरोप न हो, कानूनन जमानतपर छोड़ा जा सकता है, श्री गांधीको भी इस अधिकारसे वचित नही किया जा सकता। जमानतकी रकम ५० पौंड निश्चित की गई और स्थानीय भारतीय दूकानदारोंने तत्काल ही उसका प्रब ध कर दिया और श्री गांधीको एक हफ्तेकी जमानतपर छोड़ दिया गया।

वे लगभग उसी समय मोटरगाड़ीसे कूच करनेवालोके दलमें शामिल होनेके लिए रवाना हो गये। इसलिए अगर ऐसा माना जाये कि सरकारने भारतीय जनताके नेताको गिरफ्तार करके प्रदर्शनको समाप्त कर देनेकी आशा की थी और सोचा था कि लोगोंका उत्साह ठडा हो जायेगा और वे 'रेड' तक जानेका सकल्प छोड़ देंगे, तो उस आशापर पूरी तरह पानी फिर गया है। जिस मोटरमें बैठकर श्री कैलेनबैक और श्री गाधी कूच करनेवालोंके दलसे जाकर मिले, उस मोटरमें मैं भी उनके साथ था। यह स्थान फोक्सरस्टसे कोई ३३ मील दूर होगा। दलका मुकाम उस दिन क्रोमड्राई स्टेशनपर जो स्टैंडर्टनके पास है, होना था। दल इस समय तक उसके करीब पहुँच चुका था। रेडकी घाटियों तक जानेवाला यह रास्ता हरे भरे सुन्दर प्रदेशसे होकर गुजरता है। मौसम सुहावना था और कूच करनेवाले बेफिक्रीसे चलते चले जा रहे थे। उनके चेहरेपर थकानके कोई चिह्न नही थे। जब मोटरगाड़ी उनके पास पहुँची, उस वक्त वे लोग जनरल बोथाके फार्मसे थोड़ी ही दूर रह गये थे। गाधीजी जब उनके पास जाकर उतरे, तो सारा दल असाधारण उत्साहसे भर गया। इसके पहले गाड़ी पारडेकराल पर रुकी थी। उस समय श्री गाधीने स्त्रियोंसे उनका उत्साह बढ़ानेवाली दो चार बातें कहीं। वहाँ बूढ़े और कमजोर लोग चलते-चलते थककर रुक गये थे। श्री गाधीने न्यू कैसिलके एक डॉक्टर द्वारा भेजी कुछ दवाएँ उन लोगोंके लिए वही छोड़ दी। रास्ते भर दलसे पिछड़े हुए लोग मिलते रहे। वे गांधीजीको देखते ही पक्तिमें खड़े हो जाते और 'बापू' कहकर उन्हें पुकारते।

रसद

कूच करनेवालोंको जो रसद दी जाती है, उसमें प्रति व्यक्ति डेढ़ पौंड रोटी और एक औंस चीनी दी जाती है इस न कुछ रसद]के बावजूद कूच करनेवाले प्रसन्न हैं और उनकी शाति तो

असाधारण है। यद्यपि कूच करनेवालोंके दलोंमें कोयला खानों और इसी तरहके अन्य स्थानोंके गिर-मिटिया मजदूर ही हैं और उन्हें दण्ड भयके अभावमें अनुशासित रहनेकी आदत नहीं है, तो भी श्री गांधीके प्रति उन्हें अटूट विश्वास है और वे उनकी इच्छाओंका अक्षरशः पालन करते हैं। श्री गांधीके सहयोगियोंमें जोहानिसबर्गके अनेक तरुण भारतीय हैं जिन्होंने पिछले सत्याग्रह संघर्षमें प्रमुख रूपसे भाग लिया था। दलके साथ जो घुड़सवार पुलिस थी, उसने मुझे बताया कि उनमें से कुछ लोगोंको क्रोमड्राईमें गिरफ्तार कर लेनेका हुक्म उनके पास है और वे उन्हें गिरफ्तार करके स्टैंडर्टन ले जायेंगे।

आन्दोलनका खर्च

श्री गांधीने मुझे बताया कि सत्याग्रह आन्दोलनपर रोज २५० पौंड खर्च हो रहा है और यदि आन्दोलनको सफल बनाना है, तो इस समय प्राप्त होनेवाले चन्देकी अपेक्षा उन्हें भारतसे अधिक रकम माँगनेकी जरूरत पड़ेगी। इस समय प्रतिमास ३,००० पौंड मिल रहा है। उन्हें इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत हमारी इस जरूरतको पूरा करेगा। चार्ल्सटाउन क्षेत्रकी स्त्रियों और हड़तालसे प्रभावित अन्य क्षेत्रोंमें लोगोंकी मदद की जाती है। इसके सिवा कूचमें रैंड तक जानेवाले दलके प्रत्येक व्यक्ति पर एक शिलिंग रोजका खर्च बैठ रहा है। फोक्सरस्टके रोटी बनानेवालोंको रोटियाँ पहुँचानेका ठेका दे दिया गया है और ये रोटियाँ रोज एक निश्चित स्टेशनसे रवाना की जा रही हैं। चीनी इस दृष्टिसे दी जा रही है कि वह स्फूर्तिदायक और शक्ति संरक्षक है। लगभग ५ बोरे चीनी रोज खर्च हो रही है। हड़ताली अपनी रोटियोंमें एक छेद कर लेते हैं और उसमें मुट्ठीसे अपने हिस्सेकी चीनी डाल लेते हैं। हरएक आदमीके पास पानी पीनेके लिए एक एक गिलास भी है। वे उसे जहाँ मौका मिलता है, भर लेते हैं। पिछली रात हमारा दल पाडर्कोपमें ठहरा था। वहाँ उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। स्थानीय भारतीय दूकानदारोंने पूरे दलको, जिसमें २,००० से ऊपर हड़ताली थे, चाय पिलाई। गांधीजीने उन्हें बताया कि चाय हमारी नित्य रसदका अंग नहीं है, एक नैमित्तिक वस्तु है। जब श्री गांधी दलके साथ रैंडके लिए रवाना हो गये, तब श्री कैलेनबैक और मैं फोक्सरस्ट लौट आये। नगरसे १३ मीलकी दूरीपर हमें १०० कुलियोंका एक दल और मिला। उन्होंने भी अपने पहले हड़ताली भाइयोंकी तरह आज सवेरे बड़ी आसानीके साथ सीमाको पार कर लिया था। मुझे मालूम हुआ कि जोहानिसबर्ग जानेवाले इन लोगोंमें से कुछ वे हैं जिनपर न्यूकैसिलमें अपना गिरमिट भंग करनेके आरोप लगाये गये थे और जेलोंमें जगह न होनेके कारण उन्हें उनकी अपनी व्यक्तिगत जमानतपर छोड़ दिया गया था। वे भोजन और निवासकी सुविधा मिलनेपर मुकदमा चलने तक वहीं रुके रहनेके लिए तैयार थे, किन्तु स्थानीय न्यायाधीशने इसे स्वीकार नहीं किया और इसलिए वे कूचमें शामिल होनेके लिए जोहानिसबर्ग रवाना हो गये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३

परिशिष्ट १२

जनरल बोथाके भाषणका अंश[1]

[नाइलस्ट्रूम
नवम्बर १, १९१३]

जनरल बोथाने कहा कि उनकी समझमें एशियाई प्रश्नको निपटानेका एक ही रास्ता है और वह रास्ता सही है। दक्षिण आफ्रिकाके बाहर रहनेवाले लोगोंसे उन्होंने यह आशा की कि वे एशियाइयोंसे सम्बन्धित आफ्रिकी सरकारके रुखको समझेंगे और समझेंगे कि उसकी मंशा एशियाइयोंको निकाल बाहर करना नहीं है, बल्कि वह एक सिद्धान्तपर आधारित है। दक्षिण आफ्रिकामें रंगदार कौमोंका सवाल तो उपस्थित है ही अतः वे नहीं चाहते कि स्थिति और उलझनपूर्ण बन जाये। उनका एक ही उद्देश्य है, परिस्थितिको साफ सुथरी बनाये रखना। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है, आज यूकैसिलसे फोक्सरस्टके लिए एशियाई एक बड़ा कूच प्रारम्भ करनेवाले हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि इस समय वे जिस सलाहपर चल रहे हैं, उससे अच्छी सलाहको सुनकर उसके मुताबिक काम करेंगे। अभी अभी जनरल स्मट्सने एक वक्तव्य दिया था और उसमें बताया था कि जब श्री गोखले यहाँ आये, तब क्या क्या हुआ। श्री गोखलेने इसका जवाब दिया और जो कुछ हुआ था उसका दूसरा पहलू पेश किया। जनरल बोथाने कहा कि मैं श्री गोखलेकी भेंटके समय उपस्थित था। वह मेरे दफ्तरमें हुई थी और वहाँ जनरल स्मट्स, श्री फिशर और श्री गोखले उपस्थित थे। श्री बोथाने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनरल स्मट्सने इस भेंटके विषयमें जो कुछ लिखा है मैं उसके एक एक शब्दका समर्थन करता हूँ। जनरल बोथाने अन्तमें कहा कि कुछ भी क्यों न हो जाये, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके अधिकारोंकी हानि हो।

इससे स्पष्ट हो जायेगा कि जनरल बोथा भी जनरल स्मट्सकी इसी बातका समर्थन करते हैं कि श्री गोखलेको ३ पौंडी कर रद किये जानेके सम्बन्धमें कोई निश्चित वचन नहीं दिया गया था।

[अंग्रेजीसे]
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४५

परिशिष्ट १३

लॉर्ड ऍम्टहिलके नाम पोलकका पत्र

फोक्सरस्ट जेल
नवम्बर १२, १९१३

प्रिय लॉर्ड ऍम्टहिल,

अब तक भेजे गये तार निस्सन्देह मिल चुके होंगे और इसलिए मेरे ऊपरके पतेसे आपको आश्चर्य नहीं होगा। किन परिस्थितियोंमें गिरफ्तारी हुई, सो आप 'इंडियन ओपिनियन' से जान लेंगे। अंशतः पूरी घटना एक संयोग है, फिर भी सरकारने वास्तवमें अनुचित लाभ ही उठाया है। इसके पहले कि मैं अगले शुक्रवारको भारतके लिए रवाना हो जाऊँ, कुछ बातोंकी चर्चाके विचारसे मैं श्री गांधीके पास ग्रेलिंगस्टाड

१ कलोनियल ऑफिसके नाम गवर्नर जनरलके नवम्बर ६, १९१३ के खरीतेसे।

पहुँच गया था। उस समय वे ३ पौंडी करके खिलाफ सत्याग्रह करनेवालोंके दलका नेतृत्व कर रहे थे। दलमें १,५०० व्यक्ति थे। चूँकि सरकारने उनसे किसी अन्य स्थितिमें वास्ता रखनेसे इनकार कर दिया था और उनके भोजन आदिका जबरदस्त बोझ हम लोगोंपर डाल दिया था, वे लोग अपनी गिरफ्तारीके लिए ट्रान्सवालकी अदालतमें दाखिल हो गये थे। श्री गांधीने मुझे सावधान कर दिया था कि अगर मैं नेटालसे ट्रान्सवाल जाता हूँ, तो मेरी गिरफ्तारीकी सम्भावना है। एक विदेशीकी हैसियतसे मैंने भारतीय सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार किये जानेकी धमकीका मुकाबला करनेकी प्राय सलाह दी थी और इसे देखते हुए मुझे लगा कि एक अंग्रेज होकर मेरे लिए यह शर्मकी बात होगी कि मैं अब ऐसे जोखिमसे डरकर पीछे पाँव हटा दूँ और इसलिए मैं बेझिझक श्री गांधीके पास जा पहुँचा। हम लोगोंको चर्चा करते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर और एक मुख्य प्रवासी अधिकारी वहाँ पहुँचे और डंडीका एक वारण्ट दिखाकर उन्होंने श्री गांधीको गिरफ्तार कर लिया। श्री गांधीपर नेटालसे गिरमिटिया भारतीयोंको हटानेका अभियोग लगाया गया था। वे लोग उन्हें तत्काल गाड़ीमें बिठाकर ले गये। और ये सैकड़ों व्यक्ति नेताके अभावमें कुछ न समझ पाये कि उन्हें रातको कहाँ ठहरना है अथवा दूसरे दिनकी रसद उन्हें कैसे प्राप्त होगी। अधिकारियोंने तो उनकी देखरेख अथवा व्यवस्थासे इनकार कर ही दिया था, तब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं बच रहता था कि मैं उन लोगोंको ग्रेलिंगस्टाड तक ले जानेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँ। हमने रात ग्रेलिंगस्टाडके खुले मैदानमें बिताई और दूसरे दिन बालफोरमें, जो वहाँसे १३ मील आगे पड़ता है। पुलिस सब-इन्स्पेक्टर और मुख्य प्रवासी अधिकारीने मुझसे परिस्थिति विषयक चर्चा करनी चाही। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें आदेश है कि वे सभी व्यक्तियोंको ट्रान्सवालमें निषिद्ध प्रवासी होनेके अभियोगमें गिरफ्तार करें और उन्हें नेटालके चार्ल्सटाउनमें निष्कासित कर दें। उसके बाद नेटालके अधिकारीगण स्थानीय अभियोगमें उन्हें वहाँ गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सत्याग्रहियोंको रेलगाड़ीमें ले जाकर बिठानेमें उनकी मदद करूँ, ताकि किसी तरहका उपद्रव न होने पाये और जो पुलिसका दस्ता आया हुआ है, उसकी मदद न लेनी पड़े। मैंने कहा कि जो परिस्थिति है, उसमें मैं बड़ी खुशीसे उनसे सहयोग करूँगा, क्योंकि उन्होंने दलके सब लोगोंको खिलाने, ठहराने आदिकी व्यवस्थाका भार अपने ऊपर ले लिया था। मेरी यह जिम्मेदारी उन्होंने ली है या नहीं, इसके विषयमें उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि जबतक वे लोगोंको अथवा मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेते, तबतक मैं उनके साथ कूच करता रहूँगा। और अगर व मुझे गिरफ्तार करना चाहें, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने जवाबमें कहा कि उनकी ऐसी कोई मन्शा नहीं है और मुझे मेरी इस बातके लिए धन्यवाद दिया। बादमें जब लोग गिरफ्तार कर लिये गये, तो उनमें कुछ लोग जो अपेक्षाकृत जोशीले थे और जो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने श्री गांधी द्वारा हिदायत मिले बिना रेलगाड़ीमें चढ़नेसे इनकार कर दिया और दलके लोगोंको अपने साथ लेकर पुन कूच करने लगे। मैं फौरन उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उनसे प्रार्थना की कि वे सत्याग्रहीके रूपमें अपनी स्थितिका स्मरण करें। अन्ततोगत्वा वे मेरे साथ स्टेशनपर चलनेके लिए राजी हो गये और शान्तिपूर्वक गाड़ीमें चढ़ गये। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं उनके साथ न होता, तो उन्हें गाड़ीमें बिठाना सम्भव नहीं था और पुलिसकी बेअकली और सेनाकी पशुतासे तंग होकर शायद वे हिंसापर आमादा हो जाते। व्यवस्थाके लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों और बादमें यहाँके न्यायाधीशने मुझे इस कामके लिए विशेष धन्यवाद दिया। चूँकि मैं ठीकसे नहीं जानता था कि चार्ल्सटाउनमें क्या-कुछ हो सकता है, इसलिए आवश्यकता पड़नेपर अधिकारियोंको शान्ति बनाये रखनेमें मदद करनेकी दृष्टिसे सत्याग्रहियोंकी पहली गाड़ीके साथ ही मैं रवाना हो गया। थोड़ी देरके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फोक्सरस्ट ले जाया गया। कल श्री कैलेनबैक (निस्सन्देह लॉर्ड महोदय इस नामसे सुपरिचित हैं। आप टॉल्स्टॉय फार्मके मालिक हैं, जहाँ पिछले वर्षमें सत्याग्रहियोंके भरण-पोषणका इन्तजाम किया गया था। श्री कैलेनबैककी राष्ट्रीयता जर्मन है।

वे धर्मसे यहूदी है और धन्धेसे वास्तुकार।) और मुझपर न्यायाधीशके सामने ट्रान्सवालमें निषिद्ध प्रवासियोंको प्रवेश करनेके लिए उकसाने और प्रवेश करनेमें मदद करनेके आरोप लगाये गये। सरकारी वकीलने एक दिनकी मोहलत माँगी। चूँकि हमने सघर्षमें भाग न लेनेका वचन नही दिया, इसलिए हमें जमानत नही दी गई। इस समय हम जेलमें है और मुकदमेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें आशा है कि कल हमें सजा मिल जायेगी। यह तो नही कहा जा सकता कि सजा सपरिश्रम होगी या सादी, किन्तु बहुत करके हम लोगोंको लगभग तीन तीन महीनेकी सजा दी जायेगी। यह ठीक ही है कि इसके बदले जुरमाना देनेका विकल्प हुआ, तो हम जुरमाना देनेसे इनकार कर देंगे। मैने तत्काल गृह मन्त्रीको तारसे परिस्थितिकी सूचना दी और बताया कि मैं श्री गोखलेके कहनेपर शुक्रवारको भारत रवाना होनेवाला था। अब यह सोचना उनका काम रह गया कि मुझपर मुकदमा चलाया जाये या नही। उन्होंने जवाब दिया कि मुकदमा चलते रहना चाहिए। इसलिए अब मै भारत नही जाऊँगा। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि साम्राज्यीय सरकारके सामने यह विषय रखा जाये और उसमें यह तथ्य स्पष्ट किया जाये कि सघ-सरकारने श्री गोखलेके पास मेरे पहुँचनेमें बाधा डाली है। मै उनकी प्रार्थनापर भारत सरकारके सामने दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय प्रश्नको रखनेमें उनकी मदद करनेके खयालसे भारत जाना तय कर चुका था।

मुझे यकीन है कि लॉर्ड महोदय इस बातसे सहमत होंगे कि मैं जिन परिस्थितियोमें पड़ गया था, उनमें मैंने जो कुछ किया, उसके सिवा कुछ भी न करना गौरवास्पद न होता। भारतीय समाजपर मेरा जो प्रभाव है, कमसे कम वह तो तत्काल ही समाप्त हो जाता।

मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि समुद्री किनारे (दि कोस्ट) बागानोंमें जो हड़ताल फैली है, वह बिलकुल स्वयस्फूर्त है और सच कहें तो हमारी सलाहके एकदम खिलाफ है। क्योंकि हम नही चाहते थे कि वह इतनी बढ़ जाये कि हम व्यवस्था न कर सकें। बहरहाल अब सरकारको इसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। श्री कैलनबैक और मुझे आशा है कि हम दोनोंको अब काफी दिनों तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी और हम जेलमें आरामसे रहेंगे। विशेष तौरपर श्री गाधी और हम लोगोंपर पिछले कुछ हफ्तोंमें कामका बड़ा बोझ पड़ा है और कुछ ही दिनोंके लिए क्यों न हो, हमारा सार्वजनिक जीवनसे विश्राम हमें बहुत राहत देगा। श्री गांधीपर कल डडीमें गिरमिटिया कानूनके अन्तर्गत तीन अलग-अलग अभियोग लगाकर उन्हें ९ महीनेकी सपरिश्रम सजा दी गई। मुझे लगता है कि इस बीचमें जबतक मैं जेलसे बाहर नहीं आ जाता, लॉर्ड महोदयको सघर्षके सारे समाचार 'इडियन ओपिनियन' से ही प्राप्त करते रहना पड़ेगा।[१]

विनयपूर्वक आपका
हेनरी एस० एल० पोलक

[अंग्रेजीसे]
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, ५५१/५२

१ लॉर्ड ऍम्टहिलने इसकी एक प्रति कलोनियल ऑफिसको दिसम्बर ५ को भेजी थी और सारी परिस्थितिपर अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि सघ सरकारको गांधीजीके साथ समझौतेका रुख अपना लेनेमें ही सघर्षकी समस्या हल हो सकती है, जैसा कि साम्राज्य सरकारका भी मत प्रतीत होता है।

परिशिष्ट १४

(१) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

दिसम्बर १, १९१३

गोपनीय

कल जोहानिसबर्गमें भारतीयोंकी जो सभा हुई, उसके अध्यक्ष काछलियाने कहा कि तीन पौंडी कर तो एक व्यापक और गहरी बुराईका आभास देनेवाले अनेक प्रकट घावोंमें से केवल एक घाव है, ब्रिटिश भारतीय गिरमिटिया प्रथाकी पूर्ण समाप्तिके सिवा और किसी भी बातसे सन्तुष्ट नहीं होंगे। इससे स्पष्ट है कि भारतीयोंने फिर अपनी स्थिति बदल दी है। मैं जे० सी० स्मट्सके डर्बनसे लौटनेपर आज ही सुबह उनसे मिला हूँ। स्थानीय अधिकारियोंका खयाल है कि हड़ताल लगभग इस सप्ताह-भर चलेगी। कोयलाखानों और दक्षिण तटपर भारतीय कामपर लगे हुए हैं। उत्तर तटपर कोई २,५०० अब भी हड़तालपर हैं। जे० सी० स्मट्सका कहना है कि हड़तालके कारण नेटालका रुख कड़ा हो गया है। तीन पौंडी करकी मसूखीका विरोध हो रहा है और [भारतीय मजदूरोंको] पुन अपने देश भेज देनेकी चर्चा गरम है, हालाँकि सरकारको अभी ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बातका इतमीनान कर लिया गया है कि जेलोंके अहातोंमें कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता पुलिसको दंगाइयोंके विरुद्ध कभी-कभी लाठियोंका प्रयोग खुलकर करना पड़ा और उससे नि सन्देह कई लोगोंपर चोटके निशान भी आ गये। सरकारी जेल निरीक्षक मारडलको न्यू कैसिल और डंडी जिलों [की जेलों]की व्यवस्थाके बारेमें रिपोर्ट देनेके लिए भेजा गया, लेकिन भारतीय सब उसकी सहायता देनेसे इनकार करता है। जे० सी० स्मट्सने कहा कि [मामलेकी] अदालती जाँच तो करवानी ही है, और उन्होंने तदर्थ आयोगके अध्यक्षके रूपमें नेटालके न्यायाधीश डोव विल्सनका नाम सुझाया। मैंने कहा कि यह तो बिल्कुल ही बेकार होगा। अगर आयोग नियुक्त करना हो तो उसे काफी सत्ता देनी चाहिए और उसमें कमसे-कम तीन सदस्य तो रखे ही जाने चाहिए। मैंने आग्रह किया कि सॉलोमनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाये और डोव विल्सन तथा ट्रान्सवालके किसी एक अच्छे प्रतिनिधिको सदस्य। मैंने बताया कि यह जाँच ट्रान्सवालके दंगोंके मामलेकी जाँचसे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होगी। जे० सी० स्मट्सका रुख अनुकूल जान पड़ा। मैंने उनसे आग्रह किया कि यदि ऐसा जान पड़ा कि भारत-सरकारसे कोई समझौता किये बिना मन्त्रिगण [भारतीयोंको] पुन अपने वतनमें भेज देनेके पक्षमें हैं तो यहाँके भारतीय कदाचित् यही कहेंगे कि मन्त्रियोंका उचित शिकायतोंको दूर करनेसे इनकार करना ब्रिटिश प्रजाजनोंको उनके घर-बार और रोजगार-धन्धेसे वंचित करके उन्हें देशसे निकाल बाहर करनेके बराबर है। जे० सी० स्मट्स इस बातसे सहमत हो गये कि किसी

भी हालतमें इस प्रस्तावपर भारत सरकारके साथ समझौतेकी कोई व्यवस्था किये बिना ध्यान नहीं दिया जा सकता।

ग्लैड्स्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४६

(२) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

दिसम्बर १९, १९१३

गोपनीय

अपने कलके गोपनीय तार संख्या २ के बारेमें। जे० सी० स्मट्स बताते हैं कि सॉलोमन उनकी कठिनाइयोंका निराकरण नहीं कर सके लेकिन औपचारिक घोषणाके बाद कुछ करनेको नहीं बच रहता। उनका खयाल है यहाँके भारतीयोंके लिए श्राइनर जैसा कोई योग्य दक्षिण आफ्रिकी वकील रख लेना सर्वोत्तम बात होगी। इससे भारत सरकारका उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा लेकिन अगर भारत सरकार ही कोई कानूनी सलाहकार नियुक्त करना चाहे तो भारत-सरकारके सूत्रधारोंके दृष्टिकोणसे श्राइनर अथवा दक्षिण आफ्रिकाके किसी अन्य योग्य वकीलको रख लेना बहुत ही बेहतर होगा। स्वयं सॉलोमन भी यही रास्ता अपनानेपर जोर देते हैं क्योंकि भारतसे सलाह भेजनेमें जो जबर्दस्त देरी होगी उसके कारण आयोगको, जिसकी बैठक कल ही स्थगित हुई है और जो फिर १२ जनवरीसे डर्बनमें अपना कार्य प्रारम्भ करनेवाला है, बहुत असुविधा होगी। गांधी सूचित करते हैं कि यहाँके भारतीयोंने अभी यह तय नहीं किया है कि वे आयोगको स्वीकार करेंगे या नहीं। अगर उन्होंने गवाही न देनेका निश्चय कर लिया तो बहुत सम्भव है कि आयोग भंग कर दिया जाये। और अगर उसके बाद फिर सत्याग्रह और हड़ताल प्रारम्भ की जायेगी तो यहाँके लोग बहुत चिढ़ जायेंगे और फिर शायद स्थिति बहुत खतरनाक हो जायेगी। मेरे मन्त्रियों और आयोगने भारतीय तथा साम्राज्याय सरकारोंके विचारोंको तुष्ट करनेके लिए यथासम्भव पूरी कोशिश की है। मुझे भरोसा है कि आप भारत कार्यालयके माध्यमसे भारत सरकारको यह बात समझानेकी कोशिश करेंगे कि आयोगको स्वीकार करना कितना अधिक महत्त्वपूर्ण है, और दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंका हर प्रकारकी उत्तेजनात्मक कार्रवाईसे हाथ खींचे रहना कितना अधिक जरूरी है।

ग्लैड्स्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४६

परिशिष्ट १५

(१) गृह-विभागकी ओरसे पत्र

प्रिटोरिया
दिसम्बर २४, १९१३

सज्जनो,

आपका पत्र, जिसपर २१ तारीख पड़ी है और जिसे आपने तुरन्त ही समाचारपत्रोंको दे दिया था, गृह विभागको आज जाकर मिला है। मन्त्रीने उसे देख लिया है।

मुझे उसके उत्तरमें तुरन्त ही यह लिखनेका आदेश मिला है कि मन्त्री आपकी वे शर्तें स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं जिनके पूरी होनेके बाद ही आप आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने और आयोगका कोई निर्णय होने तक सत्याग्रह स्थगित करनेके लिए कहते हैं, और खासकर आपकी उस शर्तको, जिसमें आपने भारतीय समाजके हितोंकी दृष्टिसे आयोगमें कुछ और सदस्योंकी नियुक्तिकी बात कही है। मंशा एक ऐसा आयोग बनानेका था जो निष्पक्ष और न्यायिक हो, इसीलिए सरकारने उसे गठित करते समय न तो भारतीय समाज और न नेटालके कोयला खान मालिक तथा गन्ना उत्पादक सबसे ही कोई सलाह मशविरा किया था और न वह आपका बतलाया हुआ तरीका अपनाकर आयोगमें नियुक्त दो सदस्यों पर बेवजह लगाये आपके आक्षेपोंको एक क्षणके लिए भी कोई अहमियत दे सकती है।

आप जो मार्ग अपनाने जा रहे हैं, उसे हमने समझ लिया है और उसपर — भारतीय समाजके हितोंके खयालसे भी — हमें हार्दिक खेद है। आपके कामके अराजकतापूर्ण ढंगसे भारतीय समाजके हितोंको गहरी ठेस पहुँचेगी ही और निर्दोष गोरे तथा भारतीय लोगोंको बेमतलब ही बड़े-बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे और उस सबके फलस्वरूप समूचे सबका लोकमत उसके विरुद्ध भड़क उठेगा।

आपका
एच० बी० शा
कार्य-वाहक गृह-सचिव

सर्वश्री मो० क० गांधी,
कैलेनबैक और
एच० एस० एल० पोलक,
११०, फील्ड स्ट्रीट
डर्बन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४६

(२) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

प्रिटोरिया
दिसम्बर २२, १९१३

गोपनीय

उन्नीस दिसम्बरका मेरा गुप्त तार। समाचार है कि गांधीने कल डर्बनमें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभामें कहा कि भारतीय दृष्टिकोणसे आयोगके गठनके सम्बन्धमें गम्भीर आपत्तियोंके कारण भारतीय उसे स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी सलाह थी कि आयोगको मौजूदा रूपमें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयोंका उसमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं। वे कई शिकायतें दूर करानेके लिए लड़ रहे हैं। संघर्षकी मूल भावना यह है कि सरकार भारतीयोंके इस अधिकारको पक्की मान्यता दे कि भारतीय हितोंसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनसे सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस हदतक झुकने और भारतीय भावनाओंको समझने तथा उनका सम्मान करनेके लिए तैयार नहीं होगी, तो साम्राज्यके वफादार लेकिन वीर नागरिकोंके रूपमें भारतीयोंके लिए यह असम्भव होगा कि वे उनसे पूछे बिना पास किये गये कानूनोंकी व्यवस्थाओंका पालन करें। आयोगके बारेमें दूसरी आपत्ति यह थी कि वह एकपक्षीय है और इसीलिए भारतीय चाहते हैं कि उनके पक्षके लोग भी उसमें लिये जायें। उनकी यह माँग शायद पूरी न हो, परन्तु वे चाहते हैं कि आयोग निष्पक्ष हो। जबतक एशियाइयोंके प्रति अविरोधी विचार रखनेवाले लोगोंको नामजद नहीं किया जाता, तबतक भारतीय और अधिक कष्टसहनके बिना संकट समाप्त करनेमें सरकारकी सहायता नहीं कर सकते। उन्होंने प्रस्ताव किया कि यदि सरकार इस अनुरोधको न माने तो उन सभीको नये सालके पहले दिन फिरसे संघर्षके कारण कष्ट-सहन करने और फिरसे जेल काटने तथा कूच करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। मुक्त और गिरमिटिया भारतीयोंको उनकी यही सलाह थी। यदि वे संघर्षसे अलग रहकर शान्त बने रहे तो उनकी मातृभूमिमें उनके सभी देशवासी और समूचा ब्रिटिश साम्राज्य उनको नीची नजरसे देखने लगेंगे। उनको अपनी अन्तरात्माकी आवाजके मुताबिक चलना और बिना किसी हिचकके आगे बढ़ चलना चाहिए। उन्होंने जब अपने मनमें कुछ ठान लिया है, तो उनको उसपर दृढ़ रहना चाहिए, भले ही उन्हें अपने प्राणोंसे ही हाथ क्यों न धोना पड़े। कैलेनबैक, पोलक और रिचने भी भाषण किये। प्रस्ताव पास हुए कि (१) समाज अपनी प्रतिष्ठाके विचारसे आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत न करे, क्योंकि उसके सदस्योंके चुनावके मामलेमें उनसे परामर्श नहीं किया गया और क्योंकि समाजके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए किसीको भी नहीं लिया गया है। (२) सुझाव रखते हुए कि आयोगमें श्राइनर और रोज इन्स या यूरोपीय जातिके अन्य ऐसे प्रमुख दक्षिण आफ्रीकियोंको सम्मिलित किया जाये, जिनकी नामजदगीसे भारतीय समाज सहमत हो। (३) अनुरोध करते हुए कि यदि सभी सम्बद्ध हितोंको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देनेके लिए सरकार अतिरिक्त सदस्योंको सम्मिलित करनेकी बात मजूर करे तो सभी सत्याग्रही कैदियोंको तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिए। तब भारतीय समाज आयोगका प्रतिवेदन प्रकाशित होने तक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर देगा, लेकिन यदि सरकार इन अनुरोधोंको माननेसे इनकार कर देगी, तो समाजको तुरन्त ही नई

स्फूर्ति और संकल्पके साथ सवर्ष छेड़ देना पड़ेगा। मुझे ऐसी सम्भावना नहीं दिखती कि सरकार इन माँगोको मान सकेगी।

ग्लैड्स्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४६

(३) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

प्रिटोरिया
दिसम्बर २३, १९१३

निजी एवं वैयक्तिक

मेरा २२ दिसम्बरका गुप्त तार। यदि भारतीय गांधीकी सलाहपर चले तो स्थिति गम्भीर हो जायेगी। सरकार आयोगसे यथासम्भव पड़ताल करनेका आग्रह करेगी। परन्तु साथ ही ट्रान्सवालमें सामूहिक रूपसे अनधिकृत प्रवेश, हड़तालो और हिंसाकी आग फिर भड़क उठेगी। यदि ऐसा हुआ तो कामसे इनकार करने और कानून तोड़नेवाले गिरमिटिया भारतीयोंको भारत वापस भेजनेके लिए वैधानिक सत्ता ग्रहण करनेका प्रश्न फौरन उठेगा। मेरा खयाल है कि भारतके वाइसराय, ऐम्टहिल और गोखलेने आम तौरपर स्वदेश वापसीकी बात उठाई भी है। जे० सी० स्मट्सने मुझसे कहा है कि यदि भारतीय सरकारने ऐसा प्रस्ताव रखा, तो मन्त्रिगण उसका स्वागत करेंगे। वे आगे कहते हैं कि नेटालके बागान और कोयला खानोंके मालिक अब कुछ कुछ महसूस करने लगे हैं कि शायद यही एक हल है। परन्तु यहाँके भारतीय इसे बिलकुल नहीं चाहते। वे यदि यह समझ लें कि कानून तोड़नेवालोंको ही स्वदेश वापस किया जायेगा, तो शायद कानून तोड़ना बन्द ही हो जायेगा। इस समय गांधी और यहाँ तथा भारतमें उनके सहयोगियोंका विश्वास है कि कुलियोंके बिना नेटालका काम नहीं चल सकता और यही मानकर वे असम्भव सी माँगें रख रहे हैं। ये माँगें स्वीकृत होना असम्भव है। अव्यवस्थाका दमन करना अपेक्षाकृत आसान है पर वह कोई इलाज तो नहीं है। उससे तो भारतकी जनताकी भावनाओंमें कटुता आ जायेगी।

मन्त्रियोंका विचार है कि उनको समस्याकी जड़ तक जाना होगा। क्या आप समझते हैं कि कानून तोड़नेवाले और गिरमिटिया भारतीयोंको पूर्णत या आंशिक रूपसे स्वदेश वापस करनेमें भारतीय सरकारका सहयोग प्राप्त हो सकेगा?

यदि ऐसा नहीं होता, तो इस सिलसिलेमें यहाँ वैधानिक कार्रवाई करनेके बारेमें आपके क्या विचार हैं? सम्पत्तिके बारेमें हर्जाना अदा करना होगा।

ग्लैड्स्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/४९

परिशिष्ट १६

लॉर्ड हार्डिजका भाषण[1]

मद्राससे आये एक संदेशमें कहा गया है कि वाइसराय (लॉर्ड हार्डिज) ने भारतीयो द्वारा दिये गये मानपत्रोंके उत्तरमें भाषण करते हुए कहा कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थितिके सम्बधमें राज्य पिछले कई वर्षोंसे काफी चिन्तित रहा है और अपनी शक्ति भर प्रयास करता रहा है कि उनके साथ समुचित बर्ताव हो।

उन्होने यह भी कहा "आप जिस सघ-अधिनियमकी शिकायत करते है उसका नतीजा यह हुआ कि व्यवहारत दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोका प्रवास बन्द हो गया है हालाँकि उसमें एशियाइयोके साथ भेदभावकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नही है। फिर भी, हम प्रतिवर्ष एक सीमित सख्यामें शिक्षित भारतीयोंके लिए प्रवेशकी सुविधा हासिल करनेमें सफल हो गये है, और हमने सघके मौजूदा निवासी भारतीयोको अधिकसे अधिक सहूलियतें दिलानेके लिए भी विशेष प्रयत्न किया है। हमारे प्रयत्नोका ही फल है कि विधिके प्रश्नोपर न्यायालयमे अपील करनेके अधिकारकी व्यवस्था और अधिवासकी ऐसी परिभाषा सम्मिलित कर ली गइ है जिसके अनुसार गैर गिरमिटिया भारतीयोकी स्थिति सन्तोषप्रद ढगसे निश्चित की गई है।

"इस समय हम अधिनियम द्वारा लगाये गये उन अय प्रतिबन्धोंके बारेमें लॉर्ड क्रूके साथ लिखा पढ़ी कर रहे है, जिनपर आपको आपत्ति है और हमें भरोसा है कि हमारी लिखा पढ़ीका कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा। आपने कहा कि राज्यको बदलेकी कार्रवाइ करनी चाहिए, परन्तु आपने यह नही बतलाया कि ठीक ठीक कौनसे कदम उठाये जाने चाहिए। हमने १९११ में गिरमिटिया भारतीयोका नेटाल भेजा जाना बन्द कर दिया था, और तब नेटालके बागान मालिकोने अपना एक प्रतिनिधि भारत भेजकर हमसे अपने उस निर्णयपर पुन विचार करनेके लिए कहा था। इसस पता चलता है कि उनका निष्क्रमण बन्द कर देनेसे बागान मालिकोको कितनी मुश्किल हो गई थी, लेकिन मेरा खयाल है कि कुल मिलाकर पूरे दक्षिण आफ्रिकापर उसका कोई प्रभाव नही पड़ा था। दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि हमें आसानीसे ऐसा कोई साधन नहीं सूझता जिसके जरिये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके सत्ताधीशोंको भारत अपने क्षोभसे अवगत करा सके।

"हालमें दक्षिण आफ्रिकामें आपके देशवासियोंने अपनी समस्याओंका फैसला स्वय ही करानेका प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने हिसाबसे आपत्ति जनक और अन्यायपूर्ण कानूनोंके खिलाफ सत्याग्रह आदोलनका सगठन किया है। हम लोग भी, जो दूरसे उनके सघर्षको देख रहे हैं, उन कानूनोको आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण कहे बिना नही रह सकते। उन्होंने दण्डकी पूरी जानकारी रखते हुए ही उन कानूनोको भग किया और वे पूरे साहस तथा धैर्यके साथ उसका दण्ड भोगनेके लिए तैयार है। अपने इस प्रयासमें उनको भारतीय जनताकी हार्दिक तथा उत्कट सहानुभूति प्राप्त है, और उन लोगोकी भी जो मेरी तरह भारतीय न होते हुए भी इस देशकी जनताके साथ सहानुभूति रखते हैं। परन्तु बिलकुल हालकी घटनाओंसे परिस्थितिमें एक बड़ा गम्भीर मोड़ आ गया है। हमने देखा है कि इस बातका बड़ा व्यापक प्रचार किया गया है कि सत्याग्रहके विरुद्ध ऐसे कदम उठाये जाते है जो अपनेको सभ्य कहनेवाले किसी भी देशमें एक क्षणके लिये भी बरदाश्त नहीं किये जायेंगे। दक्षिण आफ्रिकाकी जिम्मेदार सरकारने इससे दो टूक इनकार किया है, हालाँकि उसके इनकारमें भी इकरार है, जिससे मुझे यह नहीं लगता कि सरकारने कुछेक कदम

१ यह भाषण २४ नवम्बर, १९१३ को दिया गया था।

उठाकर कोई बड़े विवेकका परिचय दिया हो। अभी यही स्थिति है। मैं समझता हूँ कि यदि दक्षिण आफ्रिकी सरकार भारत और ससारके आगे अपनेको न्यायोचित ठहराना चाहती है तो उसके लिये एक ही रास्ता रह जाता है कि वह बड़ी बारीकीसे जाँच पड़ताल करानेके लिए एक ऐसी शक्ति सम्पन्न, निष्पक्ष समिति नियुक्त करे जिसमें भारतीय हितोंको भी प्रतिनिधित्व दिया जाये। आप भरोसा रखिए कि राज्य ये सुझाव साम्राज्यीय सरकारके सामने रखना बन्द नहीं करेगा। ”

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-१२-१९१३।

परिशिष्ट १७

गो० कृ० गोखलेके नाम वाइसरायका तार

दिसम्बर २८, १९१३

आदरणीय श्री गोखले
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया
पूना

गांधीके लिये वचन और एक शान्तिपूर्ण समझौता करानेकी मेरी उत्कट इच्छाको ध्यानमें रखते हुए सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सन पहली जनवरीको बम्बईसे रवाना होंगे। वे शायद ११ या १२ को डर्बन पहुँच जायेंगे। मैंने उपनिवेश सचिवसे कहा है कि वे संघ सरकारके साथ ऐसा प्रबन्ध करें कि आयोगकी बैठक कुछ समयके लिए मुल्तवी हो जाये। मुझे राबर्ट्सनकी इस यात्रासे किसी बड़े परिणामकी आशा नहीं है परन्तु मैं शांति स्थापित कर सकनेका कोई अवसर खोना नहीं चाहता। मेरी समझमें आपका गांधीको यह कह रखना उचित होगा कि यदि वे तथा उनके साथी भारतीय सत्याग्रह छेड़ेंगे या हिंसाका सहारा लेंगे तो रॉबर्ट्सन तत्काल अपने आपको उनसे अलग घोषित कर देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि रॉबर्ट्सनके पहुँचनेपर गांधी उनसे खुलकर बातचीत करेंगे।

वाइसराय

[अंग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया, फाइल नं० ४५

सौजन्य सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना

परिशिष्ट १८

(१) गृह-मन्त्रीका तार

प्रिटोरिया
जनवरी ५, १९१४

गांधी
११०, फील्ड स्ट्रीट
डर्बन

३२३६६ आपके २९ दिसम्बरके तारके जवाबमें विलम्बके लिए खेद है परन्तु उसका कारण डर्बनसे इस विरोधी सूचनाका मिलना था कि सत्याग्रह फिर शुरू होगा और फिर ट्रान्सवालकी ओर नया कूच होगा। खैर बादकी सूचनासे विदित हुआ है कि पहली जनवरीको नेटालकी कुछ भारतीय संस्थाओंके कामके बारेमें गलतफहमी हो गई थी[1]। आपके तारमें दिये हुए सुझावोंके बारेमें मन्त्रीको खेद है कि आयोगके सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि या कमीकी प्रार्थना उन कारणोंसे मंजूर नहीं की जा सकती जिनका उल्लेख मैं अपने २४ दिसम्बरके पत्रमें कर चुका हूँ। आयोगके गठनके बारेमें जो रुख आपने अपनाया है उसे देखते हुए मन्त्रीने सरकारका इस बातपर विचार करना आवश्यक नहीं समझा कि सत्याग्रहियोंको दण्ड दिये जानेके बारेमें गवर्नर जनरलको क्या सलाह दी जाये। सरकारने नेताओंके बारेमें आयोगकी सिफारिशके अनुसार काम करनेका निर्णय कर लिया है। नेताओंने रिहाईके तुरन्त बाद जो रास्ता अपनाया वह ऐसा नहीं था कि उससे सरकारको शेष सत्याग्रहियोंकी रिहाईसे कुछ लाभप्रद परिणाम निकलनेकी सम्भावना दिखाई देती। यदि आप अब भी मन्त्रीसे मिलनेको इच्छुक हों तो वे इस सप्ताह आपको भेंटका समय देनेको तैयार होंगे।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५३

१. संकेत डर्बनके निकट पाइनटाउनमें पहली जनवरीको (जो तारीख गांधीजीने पहले ट्रान्सवालमें कूच प्रारम्भ करनेके लिए घोषित की थी) इकट्ठा हुए भारतीयोंके एक समूहकी गतिविधियोंके बारेमें प्रकाशित गलत रिपोर्टकी ओर है। बादमें ज्ञात हुआ कि उस भारतीय समूहको गांधीजीकी इस घोषणाका पता नहीं था। नये वर्षके प्रथम दिन सत्याग्रह शुरू नहीं किया जायेगा।

(२) गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश[1]

प्रिटोरिया
दिसम्बर ३१, १९१३

आप देखेंगे कि श्री गांधीका वर्तमान रुख उतना सख्त नहीं है जितना उन्होंने अपने रिहा होनेके तुरंत बाद आम जनतामें बोलते समय अपनाया था। जनरल स्मट्स श्री गांधीके अन्तिम सुझावोंके सम्बन्धमें क्या उत्तर दें, इसपर अब भी विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सम्भवतः वे निजी मुलाकातका अवसर देनेकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। फिर भी आयोगके गठनके सम्बन्धमें श्री गांधीके सुझाव स्वीकृत किये जानेके विषयमें मुझे सन्देह है। भारतीय समाज तथा भारतीय मजदूरोंके मालिकों द्वारा नामजद दो और सदस्योंको आयोगमें लेनेसे आयोगका न्यायिक सम्बन्धित स्वरूप समाप्त हो जायेगा और शायद इसपर सर विलियम सॉलोमन इस्तीफा दे दें। इस वैकल्पिक सुझावपर कि आयोगको केवल एक व्यक्ति आयोग कर दिया जाये और उसमें केवल सर विलियम सॉलोमन रहें, उपर्युक्त आपत्ति नहीं की जा सकती। श्री एसेलन और कर्नल वाइली, दोनों सदस्यतासे इस्तीफा देनेमें आनाकानी भी नहीं करेंगे तथापि मात्र श्री गांधीके कहनेपर सरकारके लिए अपने आयोगका पुनर्गठन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसका तो यह अर्थ होगा कि सरकार यह स्वीकार करती है कि जिन दो सदस्योंको आयोगसे हटानेकी प्रार्थना की गई थी वे वास्तवमें पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थे। सम्भव है जनरल स्मट्स और श्री गांधी मिलकर समस्याका कोई हल खोजनेमें समर्थ हो सकें।

पिछले सोमवारको जनरल स्मट्सने मेरे सचिवको बताया कि मुझे सर विलियम सॉलोमनका एक निजी पत्र मिला है जिसमें उन्होंने इस बातपर खेद व्यक्त किया है कि श्री गांधी, श्री पोलक और श्री कैलनबैकने अपनी स्वतन्त्रताका नाजायज फायदा उठाया है। पत्रमें यह भी सूचना दी गई है कि यदि भारतीयोंने जिनके हितके लिए आयोगकी नियुक्ति की गई है, उसका बहिष्कार किया तो जाँच एकपक्षीय ही साबित होगी। सर विलियमने आगे यह भी लिखा है कि मैंने यह नियुक्ति अपने व्यक्तिगत सम्मानके विपरीत केवल एक कर्तव्य भावनासे स्वीकार की क्योंकि मेरे सामने इस प्रकार वर्णन किया गया कि अध्यक्षका काम करनेसे मुझे जनताकी सेवाका अवसर मिलेगा। चूँकि अब ऐसा लगता है कि आयोग कोई लाभप्रद काम नहीं कर सकेगा, मेरा ऐसा सन्देह करनेको मन करता है कि मैं काम करता रहूँ इसका क्या औचित्य है? जनरल स्मट्सने कहा कि मैं अपने जवाबमें इस बातकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भारतीयोंका गवाही देनेसे अपनेको रोकनेमें और पुनः सत्याग्रह, हड़ताल तथा कानून भंग करनेमें अन्तर है। यदि दुबारा अशान्ति ही करनी थी तब तो यह प्रश्न उठता है कि क्या जाँच की भी जाये। तथापि, यदि भारतीय केवल यही नीति रखें कि वे गवाही नहीं देंगे, तब भी आयोग सरकारी और अन्य यूरोपीय गवाहियोंकी, हड़ताल तथा बुरे बर्तावके आरोपोंकी, जारदारोंको सुन सकेगा और जो भी लिखित सामग्री सरकार आयोगके सामने रख सके उसके सहारे शिकायतके आम प्रश्नपर विचार कर सकेगा। फिर यह भी वाँछनीय है कि भारत सरकार जिस सरकारी गवाहको भेजे उसे सुननेका मौका दिया जाये। ऐसा लगता था कि जनरल स्मट्सको आशा थी कि ये तर्क सर विलियमको काम करते रहनेमें प्रेरक होंगे। स्पष्टतः उन्हें यह भय था कि अन्यथा श्री गांधी कहीं उस सरकारी आयोगको जिसके गठनको वह पहलेसे ठीक नहीं मानते थे, भंग करके अपनी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ानेमें मदद पा जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६)।

1. गवर्नर जनरलने उपनिवेश कार्यालयको एक खरीतेमें गांधीजी और गृह-मन्त्रीके बीच हुए पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ और विभिन्न अखबारोंकी कतरनें भेजी थीं। यह उसीका एक अंश है।

परिशिष्ट १९

गो० कृ० गोखले द्वारा जारी किया गया वक्तव्य

[दिसम्बर ३१, १९१३]

दक्षिण आफ्रिकाकी वस्तु स्थितिके बारेमें देशमें जो चिंता व्याप्त है और इस विषयपर मुझसे जो पूछ-ताछ की जा रही है, उसको देखते हुए मैं निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित करना जरूरी समझता हूँ

दिसम्बर १८ को कलकत्तेमें मुझे नेटाल भारतीय संघका तार मिला। उसमें यह लिखा था कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंमें एक तीव्र भावना है कि जिस जाँच आयोगकी नियुक्ति की गई है, उसे स्वीकार न किया जाये, क्योंकि उसके तीन सदस्योंमें से दो के बारेमें यह सर्वविदित है कि वे भारतीय समाजके विरोधी हैं। मुझसे सलाह माँगी गई है कि क्या किया जाना चाहिए। श्री गांधी और अन्य सत्याग्रही नेता उस समय जेलमें थे और यह आभास नहीं मिला था कि आयोगका किस ढंगसे काम करनेका इरादा है। ऐसी परिस्थितिमें मेरे लिए कोई निश्चित सलाह दे पाना सम्भव नहीं था और कलकत्तेके दो प्रतिष्ठित मित्रोंसे — जिनसे मैं आसानीसे मिल सकता था, जल्दीसे सलाह लेकर मैंने वापस तारसे जवाब दिया कि जो भी रास्ता अपनाया जाये, वह इस बातको ध्यानमें रखते हुए ही कि समाजकी यह भावना कितनी प्रबल है और दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय मित्र इस सम्बन्धमें क्या सलाह देते हैं। मैंने सघसे यह भी कहा कि वह सावधानीसे यह अंदाजा लगाये कि कौन-सा रास्ता भारतीयोंके उद्देश्यके लिए अधिक हानिकारक होगा यानी गवाही देनेसे इनकार करना या सविरोध कार्यवाहीमें भाग लेना। साथमें मैंने यह भी लिखा कि बम्बईमें सर फीरोजशाह मेहतासे सलाह लेकर मै फिर तार दूँगा। मै कलकत्तेसे उसी दिन रवाना हो गया और २० को बम्बई पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही मैंने समाचार पत्रोंमें उस वक्तव्यका साराश पढ़ा जो सर विलियम सॉलोमनने कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए दिया था और श्री गांधी तथा अन्य सत्याग्रही नेताओंकी रिहाईका समाचार भी पढ़ा। रायटरके समाचारसे मालूम हुआ कि रिहा नेता मन्त्रियोंसे मिलनेके लिए प्रिटोरियाको रवाना हो गये हैं, इसलिए मैंने स्वभावत यह निष्कर्ष निकाला कि सघ सरकार समाजके साथ किसी समझौतेपर पहुँचनेको इच्छुक है और समाचारोंमें जो यह बताया गया है कि श्री गाधी प्रिटोरिया जा रहे हैं, उसका सम्बन्ध भी इस सिलसिलेमें प्रारम्भ हो चुकी किसी बातचीतसे है। मैंने तुरन्त ही श्री गांधीसे तार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया और पिछले दस दिनोंमें हमारे बीच अनेक तारोंका आदान प्रदान हुआ है। सभी तारोंको प्रकाशित करना सम्भव नहीं है, परन्तु मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ इतना तो कह ही सकता हूँ कि इस तार सम्पर्कमें श्री गाधीको उस दृष्टिकोणसे सहमत करानेका हर प्रयत्न किया गया जो अब स्पष्ट ही इस देशमें जोर पकड़ता जा रहा है — यानी यह कि सर विलियम सॉलोमनके वक्तव्य, नेताओंकी रिहाई और आयोगको सर बेंजामिन राबर्ट्सनके शिष्टमण्डल द्वारा भारत सरकारकी ओरसे दी गई मान्यताके बाद आयोगका बहिष्कार करना एक व्यावहारिक अकुशलता होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा, बड़ी कठिनाईके बाद भारतीय मामलेको सारे ससारके सामने खोलकर रखनेका जो एक महत्त्वपूर्ण अवसर मिला है उसे खो देना और शायद उन लोगोंको भी रुष्ट कर देना, जिनसे, इस देशमें और इंग्लैंडमें भी, हमारे उद्देश्यको बड़ी कारगर मदद मिल रही है। तथापि श्री गाधी इस दृष्टिकोणके अनुसार काम करनेमें अपने आपको तबतक असमर्थ पाते हैं जबतक कि सघ-सरकार आयोगके गठनमें किसी प्रकारसे सुधार नहीं कर देती और जो सत्याग्रही जेलमें है, उन्हें रिहा नहीं कर देती। उनका कहना है कि वे और भारतीय समाज

इस शपथसे बँधे हैं कि वे अमुक शर्तोंपर ही आयोगको स्वीकार करेंगे। फिलहाल यही स्थिति है। इस बीच सर बेंजामिन रॉबर्ट्सन १ जनवरीको दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो रहे हैं। चूँकि यह आवश्यक है कि देश श्री गांधीकी स्थितिको ठीकसे समझ ले इसलिए मैंने उनसे उस स्थितिके सम्बन्धमें तार द्वारा एक पूरा वक्तव्य प्रकाशनार्थ भेजनेको कहा। यह वक्तव्य, जिसमें उनके कुछ पहलेके तार भी शामिल हैं, इस प्रकार है

श्री गांधी कहते हैं: आयोगकी सिफारिशपर हम बिना किसी शर्तके १८ तारीखको रिहा कर दिये गये। रिहाईके समय हमें यह नहीं बताया गया कि हमें क्यों रिहा किया जा रहा है। यह सच नहीं है कि रिहा होनेके बाद हम मन्त्रियोंसे मिलने प्रिटोरिया गये। श्री एसलेन और कर्नल वाइली भारतीयोंके प्रति जो भावना रखते हैं उसे जानते हुए हमारे लिए यह नामुमकिन है कि हम तीव्रतासे यह महसूस न करें कि आयोग हमारे साथ सच्चा न्याय करनेके लिए नियुक्त नहीं किया गया है। बल्कि यह [दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारके] मनपसन्द व्यक्तियोंसे युक्त एक ऐसी परिषद् है जिसका उद्देश्य इंग्लैंड और भारत सरकार तथा जनताकी आँखोंमें धूल झोंकना है। अध्यक्षकी ईमानदारी और निष्पक्षता असंदिग्ध है, किन्तु, श्री एसेलेन और कर्नल वाइली तो आम तौरपर उन्हीं लोगोंके रूपमें जाने माने हुए हैं, जो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके प्रबल और उग्रतम विरोधी हैं। श्री एसेलेनने अनेक अवसरोंपर सार्वजनिक मंचोंसे जोरदार शब्दोंमें एशियाइयोंके विरुद्ध विचार व्यक्त किये हैं, और संघके मन्त्रियोंसे उनका इतना घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध है कि यहाँ उन्हें पूरी तरहसे मन्त्रालयका एक गैर-सरकारी सदस्य ही माना जा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने निजी तौरपर संघ संसदके एक सदस्य श्री मेलरके सामने भारतीयोंके विरुद्ध बड़े तीव्र विचार व्यक्त किये थे, और श्री मेलरने सार्वजनिक रूपसे उनकी नियुक्तिका विरोध किया है। कर्नल वाइली गत बीस वर्षोंसे अधिक समयसे नेटालमें हमारे अत्यन्त कट्टर विरोधी रहे हैं। सन् १८९६ में ही उन्होंने दो जहाजोंमें डर्बन आनेवाले भारतीयोंके वहाँ उतरनेके विरुद्ध प्रदर्शन करनेवाली एक भीड़का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक सार्वजनिक सभामें कहा कि इन जहाजोंको भारतीयों सहित डुबा देना चाहिए और एक दूसरे वक्ताके इस कथनकी प्रशंसा करते हुए कि वह भारतीयोंपर एक गोली चलानेके लिए खुशी-खुशी अपनी एक महीनेकी तनख्वाह दे देगा, पूछा कि आप लोगोंमें से कितने लोग इन्हीं शर्तोंपर इसी प्रकार अपना एक महीनेका वेतन दे देनेको तैयार हैं। और तबसे आजतक वे बराबर हमारे शत्रु रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रतिरक्षा सेनाके कर्नल हैं, जिसके कार्य-कलाप जाँचका विषय है, वे अनेक जमादारोंके कानूनी सलाहकार भी हैं और मौजूदा आन्दोलनके दरम्यान उन्होंने साफ-साफ कहा है कि तीन पौंडी करको रद नहीं करना चाहिए। आयोग केवल न्यायिक ही नहीं राजनीतिक भी है, और वह मात्र दुर्व्यवहारके मामलोंकी जाँच ही नहीं करेगा, बल्कि भावी नीतिकी भी सिफारिश करेगा। किन्तु यह असम्भव है कि अध्यक्ष नीतिके सम्बन्धमें अपने साथियोंके विचारोंपर नियन्त्रण रख सकेंगे। हमारी शिकायतोंकी जाँच करनेके लिए सर्वश्री एसेलेन और वाइलीको नियुक्त करना और उनकी नियुक्तिपर हमारे विरोधोंको उनकी निष्पक्षतापर अनावश्यक आक्षेप बताकर हमें बदनाम करना जलेपर नमक छिड़कना है। दक्षिण आफ्रिकाके लगभग सभी समाचारपत्र आयोगमें और भी सदस्योंको शामिल करनेके हमारे सुझावोंका औचित्य स्वीकार करते हैं, और कई प्रभावशाली पादरी तथा अन्य यूरोपीय मित्र वर्तमान गतिरोधको दूर करके हमें न्याय दिलानेका प्रयत्न कर रहे हैं। यदि बात सिर्फ कोड़े लगाने, सैनिकोंकी कार्रवाइयों तथा अन्य दुर्व्यवहारोंके आरोपोंकी जाँच तक ही सीमित होती तो हम मात्र विलियम सॉलोमनके सामने गवाहियाँ देनेको तैयार हो जाते, किन्तु इस जाँचमें तो हमारी शिकायतोंकी जाँच भी शामिल है। हमारी रिहाईसे पूर्व सारे दक्षिण-आफ्रिकामें सभी भारतीय केन्द्रोंमें सार्वजनिक सभाएँ की गई, जिनमें आयोगके सदस्योंके विरुद्ध जोरदार विरोध प्रकट किया गया और सर्वश्री एसेलेन और वाइलीके कुप्रभावको प्रति सन्तुलित करनेके लिए श्राइनर और न्यायमूर्ति रोज इन्स की

नियुक्तिकी माँग की गई। अपनी रिहाईके तुरन्त बाद स्थितिको ठीकसे समझते ही, हमने मन्त्रालयको एक पत्र लिखा, जिसमें आयोगमें इन लोगोंको शामिल करनेकी माँग की। जिस रूपमें हमने यह माँग प्रस्तुत की, उसपर आपत्ति की गई है, परन्तु हमारे सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है और ऐसे मौकोंपर कोई कदम उठानेके तरीकेकी अच्छाई–बुराईका ठीकसे ध्यान रखना बराबर आसान नहीं होता। भारतीय सदासे इस बातपर जोर देते आये हैं कि चूँकि भारतीय समाज मताधिकारहीन है, इसलिए जिन मामलोंमें समाजके महत्त्वपूर्ण हितोंका सम्बन्ध हो, उनके बारेमें कमसे कम अनौपचारिक रूपसे तो अवश्य ही उससे सलाह-मशविरा कर लिया जाये। वर्तमान आयोगके गठनमें न केवल भारतीयोंकी भावनाका कोई खयाल ही नहीं रखा गया, बल्कि उसे बुरी तरह कुचला गया है। यूरोपीय रेलवे कर्मचारियोंकी शिकायतोंके सिलसिलेमें हालमें जो गतिरोध पैदा हो गया था, उसमें तो मत संग्रहकी व्यवस्था करके उन्हें अपना एक प्रतिनिधि चुननेकी अनुमति दे दी गई। हम तो केवल अनौपचारिक रूपसे हमसे सलाह-मशविरा करनेकी माँग कर रहे हैं। जेलसे निकलनेपर हमने अपने देश भाइयोंके क्षोभको अपनी पराकाष्ठापर पाया। उसका कारण था कोड़े लगानेकी वे वारदातें, जिन्हें उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा था, गोलियाँ चलनेकी वे घटनाएँ, जिनका कोई औचित्य नहीं था और इसी प्रकारके और भी अनेक दुर्व्यवहार। और अपनी सजाकी अवधि पूरी करके जेलसे आनेवाले लोगोंने समाजके सामने जेलमें सत्याग्रहियों — जिनमें महिलायें भी शामिल थीं — के साथ किये जानेवाले व्यवहारके जो हृदय विदारक विवरण प्रस्तुत किये थे, उनसे उसकी क्षोभकी भावना और भी उग्र हो उठी थी। अबतक हमें इस देशमें जेलके जितने भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनमें कभी भी हमारे साथ ऐसी बेमिसाल क्रूरताके साथ व्यवहार नहीं किया गया। वार्डर हमारा अपमान करते थे। जूलू वार्डर जब तब हमें मार बैठते थे, कम्बल तथा अन्य आवश्यक सामान नहीं दिये जाते थे और हमें जूलू लोगों द्वारा बुरी तरह पकाया हुआ खाना दिया जाता था। इस सबसे भूख हड़ताल करनेकी जरूरत पड़ी, जिसमें बहुत ही कष्ट सहना पड़ा। आपके लिए इन बातोंको जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप भारतीयोंकी उस मनोदशाको नहीं समझ सकेंगे, जिस मनोदशामें वे स्थितिपर विचार करने और अपना आगेका कदम निश्चित करनेके लिए २१ दिसम्बरको एक आम सभामें एकत्र हुए थे। सभामें केवल एक ही भावना व्याप्त थी और वह यह कि यदि हममें जरा भी आत्मसम्मान है तो हमें आयोगको तबतक स्वीकार नहीं करना चाहिए जबतक उसमें कुछ इस ढंगका संशोधन नहीं कर दिया जाता जो भारतीयोंको अनुकूल पड़े। इसके अतिरिक्त हम वास्तविक सत्याग्रही कैदियोंको — जिनमें हम उन लोगोंको शामिल नहीं करते जिन्हें सचमुच हिंसात्मक कार्रवाईके कारण सजा देकर उचित ही किया गया — छोड़नेकी माँग करेंगे। हम सबने ईश्वरको साक्षी मानकर यह गम्भीर शपथ ली कि यदि ये शर्तें पूरी नहीं की जाती तो हम पुन अपना सत्याग्रह संघर्ष जारी कर देंगे। अब हमारा यह निश्चय है कि चाहे जो भी हो, हम इस शपथपर कायम रहेंगे। इस संघर्षमें हम आत्मिक अस्त्रोंसे लड़ रहे हैं, और हमारे लिए अपनी पवित्र शपथसे पीछे हटनेका कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा, इस मामलेमें ऐसा नहीं है कि नेता लोग समाजको उकसाकर यह सब करवा रहे हों। इसके विपरीत अपनी शपथपर डटे रहनेका समाजका निश्चय इतना दृढ़ है कि यदि किन्हीं नेताओंने आयोगमें जिस ढंगसे सुधार सुझाये गये हैं उस ढंगके सुधार किये बिना उसे स्वीकार करनेकी सलाह दी तो निसन्देह वे मार डाले जायेंगे, और मैं कहूँगा कि ऐसा करना उचित भी होगा। मेरा खयाल है हम सफल हो रहे हे। कई प्रभावशाली यूरोपीय, जिनमें कुछ पादरी भी है, हमारी स्थितिको न्यायोचित मानते हुए हमारी मददके लिए काम कर रहे हैं और हमने अभी यह आशा नहीं छोड़ी है कि शायद समस्याका कोई हल निकल आये। अपनी बात खत्म करनेसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सारे संकटमें दो चीजोंसे हमें बहुत ढाढ़स बँधा है और हमारा उत्साह बना रहा है। एक तो परम-श्रेष्ठ वाइसरायका वह अप्रतिम साहस है जिसके साथ उन्होंने हमारे उद्देश्यकी जबरदस्त वकालत की है,

और दूसरी चीज है वह हार्दिक सहायता, जो हमें भारतसे मिली है। अब हम तबतक कुछ नहीं करेंगे जबतक कि सर बेंजामिन रॉबर्ट्सन यहाँ पहुँच नहीं जाते। यहाँ हम पूरे सम्मान तथा विश्वासके साथ उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि एक तो आपने हमें बताया कि उनमें हम एक घनिष्ठ मित्र पायेंगे और दूसरे उन्हें वाइसरायने नियुक्त किया है, जिनके हम बहुत कृतज्ञ हैं। परन्तु जबतक आयोगको किसी तरह ऐसा रूप नहीं दे दिया जाता कि वह हमें और अधिक स्वीकार्य हो, तबतक तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे सत्याग्रहकी पुनरावृत्तिको टाला जा सके। हम जानते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यह सब नहीं चाहते हैं, परन्तु यदि ऐसा करना आवश्यक हुआ तो हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, १-१-१९१४

परिशिष्ट २०

गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

प्रिटोरिया

जनवरी २२, १९१४

बादमें हम दोके बीच हुई बातचीतमें जनरल स्मट्सने मुझे बताया कि श्री गांधीने शासनसे सम्बन्धित जो दो मुद्दे उठाये उनके कारण तो कोई कठिनाई नहीं होगी और अगर विवाह सम्बन्धी प्रश्नके बारेमें उनके प्रस्तावका आशय हमने ठीक समझा है तो उसके बारेमें भी नहीं होगी। लेकिन तीन पौंडी कर खत्म करना काफी मुश्किल होगा, यद्यपि अन्तमें उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए श्री गांधीको उनकी माँगकी सारभूत वस्तु तो दी जा सकती है लेकिन जनरल स्मट्सका कहना था कि [इस मुल्तक शाब्दिक] रूपके विषयमें वे श्री गांधीकी इच्छाओंकी पूर्ति कैसे करेंगे, यह उन्हें अभी साफ नजर नहीं आ रहा है। वे कहते थे कि अगर वे नीतिके विषयमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोगकी उपेक्षा करके और हाल ही में जो-कुछ हुआ है उसे नजर अन्दाज करके श्री गांधीसे समझौता कर लेते हैं तो वे और उनके साथी बड़ी अशोभन और शायद असह्य स्थितिमें पड़ जायेंगे, साथ ही अगर कोई ऐसा समझौता शक्य है जिसे सब पक्ष अन्तिम मानकर स्वीकार कर लें तो उन्होंने कहा कि उसे कार्यान्वित करनेमें वे अनावश्यक देर नहीं लगाना चाहेंगे और तदर्थ जरूरी कानून अगले ही सत्रमें पास करा लेना चाहेंगे। लेकिन जबतक उन्हें आयोगकी सिफारिशोंका बल प्राप्त न हो तबतक उन्हें इस बातमें सन्देह है कि वे वैसा कानून पास करा सकेंगे। इसी तरह उन्हें इस बातमें भी सन्देह है कि यदि पेश की जानेवाली हर एक भारतीय शिकायतपर गवाही ली जानी हो तो आयोग अपनी सिफारिशें समय रहते दे सकेगा। सवालपर इस दृष्टिसे विचार किया जाये तो श्री गांधीका विकल्पके रूपमें दिया हुआ दूसरा सुझाव मान लेनेसे, यानी, आयोगमें सर जेम्स रोज इन्स या श्री श्राइनरकी वृद्धिसे भी स्थितिमें कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए यदि श्री गांधीके इस सुझावके खिलाफ कोई दूसरी आपत्ति न भी होती तो भी वह स्वीकार्य नहीं ठहरता। जनरल स्मट्सकी राय यह है कि अगर श्री गांधीके साथ कोई प्रगट वादा किये बिना ऐसा किया जा सके तो नीतिके प्रश्नोंके विषयमें आयोगकी जाँच-पड़तालका कार्य उनके द्वारा निर्दिष्ट चार मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए।

मन्त्रिमण्डलसे और विचार-विमर्श करनेके बाद जनरल स्मट्सने श्री गांधी तक पहुँचा देनेके लिए सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको अपना निर्णय सूचित किया। उनके निर्णयका सारांश यह था कि सरकार

आयोगके गठनमें या उसे जाँचके लिए जो मुद्दे सौंपे गये है उनमें परिवर्तन करनेके लिए राजी नही हो सकती और न वह उन्हें [जनरल स्मट्सको] ऐसा अधिकार दे सकती है कि वे श्री गाधीको आयोगकी रिपोर्टके बारेमें उनके माँगे हुए आश्वासन पहलेसे देकर उनके साथ समझौता कर लें। आयोग अपना काम जैसा तय हो चुका है उसी प्रकार करता रहेगा, लेकिन उससे यह कहा जायेगा कि वह नीतिके बारेमें अपनी सिफारिशें इतनी जल्दी पेश कर दे कि सरकार तत्सम्बन्धी कानून ससदके आगामी सत्रमें ही पेश कर सके। ऐसी परिस्थितियोमें यदि श्री गाधी अपनी प्रतिज्ञाके कारण [आयोगके सामने] गवाही देनेमें अपनेको असमर्थ पायें तो वे उसकी कार्रवाईमें भाग न लें, लेकिन उन्हे अपने चार मुद्दोपर आयोगकी सिफारिशों और सरकारके इरादोंके बारेमें कोई विशेष आशका नही रखनी चाहिए। हाँ, आयोग अपनी रिपोर्ट दे और सरकारको उसपर उचित कार्रवाई करनेका मौका मिले, तबतक के लिए श्री गाधीको सत्याग्रह सग्राम पुन शुरु न करनेका वचन देना चाहिए। मन्त्रीने अपना यह आश्वासन भी फिरसे दुहराया कि उन्हें कर्नल वाइलीके विचारोकी तो कोई जानकारी नही है किन्तु उन्होंने कुछ ही समय पूर्व आयोगके अध्यक्ष और श्री एसेलेनका मन टटोलनेकी कोशिश की थी और उनका [मन्त्रीका] विश्वास है कि उनकी सिफारिशें श्री गाधीको सन्तोष देनेवाली होगी।

इसके बाद मन्त्रीके साथ श्री गाधीकी भेंट और बातचीत होती रही, जिसके फलस्वरूप दोनोंके बीच एक समझौता हो गया है। यह समझौता विगत कलकी तारीखके पत्र व्यवहारमें, जो साथमें भेजा जा रहा है, शब्द बद्ध हुआ है। आप देखेंगे कि उसमें श्री गाधीको कोई आश्वासन तो नही दिया गया है, किन्तु सरकारने यह जरूर कहा है कि वह चाहती है कि समझौता जल्दी ही हो जाये। श्री गाधी और उनके मित्र, आयोगके सामने गवाही देनेके लिए नही आयेंगे, किन्तु जनरल स्मट्सने श्री गाधीसे भेंट करना मजूर करके उन्हें अपने विचार सुनाने और समझानेका जो मौका दिया है उसके एवजमें वे [श्री गाधी और उनके मित्र] सर बजामिन राबर्ट्सनको उनकी अपनी गवाही तैयार करनेमें मदद करेंगे। वे लोग आयोगकी रिपोर्ट की और ससदमें तत्सम्बन्धी विधेयक पेश होनेकी राह देखेंगे और तबतक के लिए सत्याग्रह स्थगित रहेगा। उसमें प्रामाणिक सत्याग्रहियोंकी रिहाईकी माँग की गई है और मन्त्रीने उसके उत्तरमें समझाया है कि वह तो सरकार कर ही चुकी है। भारतीयोंकी हडतालके समय, हडतालियोंके साथ किये गये दुर्व्यवहारके आरोपोंके सम्बन्धमें, श्री गाधीके अपने ही सुझावपर, उन्होने और उनके मित्रोंने अब आगे और कोई कार्रवाई न करनेकी बात कही है। सरकार इन आरोपोंका जोरदार खण्डन करती रही है और अब भी उसका वही मत है, किन्तु इस सम्बन्धमें अपने पक्षमें अब वह गवाही पेश नही करेगी। लेकिन साथ ही उसने आयोगसे एस्परेन्जा और माउण्ट एजकम्बमें गोली चलनेकी वारदातोंकी जाँच करनेको कहनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। इस पत्र व्यवहारमें आप देखेंगे, श्री गाधीने अपने पुराने चार मुद्दोंमें एक नया मुद्दा और जोड़ दिया है, उन्होंने माँग की है कि कानूनका न्यायोचित अमल हो और निहित अधिकारोंका समुचित आदर किया जाये। माँग इतनी अस्पष्ट है कि उससे किसी हानिकी सभावना नहीं है और उसके कारण कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। उन्होंने सन् १८९५ के नेटाल अधिनियम १७ के मातहत दिये जानेवाले परवानेके विषयमें भी अपनी माँगमें थोड़ा सा फर्क किया है। पहले उनकी माँग यह थी कि वार्षिक परवानेकी जगह स्थायी परवाना दिया जाये, लेकिन अब मालूम पड़ता है वे यह चाहते हैं कि भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीय गिरमिटकी अवधि समाप्त करके लगातार तीन साल तक यहाँ रहकर, अधिवासका अधिकार प्राप्त करें, और उसके बाद — सुब्रायनके मामलेमें हुए निर्णयके अनुसार — परवाना लेनेकी फिर जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह तो तफसीलकी बात है और सरकार इस सम्बन्धमें निःसन्देह आयोगकी सिफारिशसे प्रभावित होगी। मैं यह भी कहता हूँ कि कल शामको जब श्री गाधीको श्री जॉर्जेसका पत्र मिला तो जिस हेतुसे उन्होंने भारतीयोंके प्रति दुर्व्यवहारके आरोपोंके सम्बन्धमें आगे कुछ कार्रवाई न करनेका निश्चय किया है उसका उस

पत्रमें कोई स्पष्ट उल्लेख न देखकर वे बहुत क्षुब्ध हुए थे। उनके असन्तोषको दूर करनेके लिए जनरल स्मट्सने पत्रमें आवश्यक शब्द और डलवाये। ये शब्द पत्रके तीसरे वाक्यमें हैं। उन्हें श्री गांधीने खुद ही सुझाया था। सुना है कि उससे उन्हें सन्तोष हो गया है और आज वे नेटाल जा रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५४

परिशिष्ट २१

गृह-मन्त्रीका पत्र

प्रिटोरिया
जनवरी २१, १९१४

महोदय,

आपके आज-ही के पत्रके सदर्भमें मन्त्री महोदयके आदेशानुसार मुझे उत्तरमें यह कहना है कि आपका यह कथन ठीक है कि नेटालमें अभी हालमें होनेवाली भारतीयोंकी हड़तालकी जाँच करनेके लिए नियुक्त आयोग (कमीशन) के सदस्योंमें या उसके विचारार्थ विषय सूचीमें परिवर्तन करनेका कोई विचार नहीं है। मन्त्री महोदयको खेद है तथापि वे यह अवश्य समझते हैं कि कमीशनके बारेमें दी गई अपनी सार्वजनिक घोषणाओंसे आप इतने बँध चुके हैं कि आपका उसके सामने उपस्थित होना सम्भव नहीं रहा। आप जिस कारण किसी अन्य न्यायाधिकरणके सामने अपने विरुद्ध मानहानिका दावा पेश करके पुराने घावोंको हरा नहीं करना चाहते, उसका भी वे अनुमान लगा सकते हैं।

भारतीय सत्याग्रहियों और हड़तालियोंके विरुद्ध निर्दय या अनुचित कार्रवाइके आरोपोंका सरकार इससे पहले भी खण्डन कर चुकी है और आज भी उतने ही जोरदार शब्दोंमें दृढ़तापूर्वक उसका खण्डन करती है। किन्तु चूँकि आपने और आपके मित्रोंने आयोगके सामने उपस्थित न होने और उन आरोपोंके समर्थनमें सबूत पेश न करनेका निश्चय कर लिया है, इसलिए सम्भावना तो यह है कि आयोगके सामने जाँच करनेके लिए कोई आरोप ही न रहे। सरकारको इस बातका खेद रहेगा कि [आप लोगोंके असहयोगके] फलस्वरूप उसे अपने अफसरोंके आचरणको निर्दोष सिद्ध करनेके लिए जवाबी सबूत पेश करनेका अवसर नहीं मिलेगा। किन्तु वह सोचती है कि अगर जवाब देने योग्य कोई ठोस मामला ही न हो तो आयोगके सामने उन आरोपोंकी चर्चासे समय ही नष्ट होगा। सरकार चाहती है कि भारतीयोंकी शिकायतोंसे सम्बन्धित अधिक व्यापक प्रश्नोंपर आयोगकी सिफारिशें यथासम्भव जल्दी ही प्राप्त हो सकें ताकि उनके सम्बन्धमें संसदके आगामी सत्रमें प्रस्ताव रखे जा सकें। ऐसी आशा की जाती है कि ये प्रस्ताव यदि संसद द्वारा स्वीकार कर लिये गये तो सन्तोषजनक और स्थायी समझौता होना निश्चित हो जायेगा। सरकारकी दृष्टिमें यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि लम्बे अरसेसे चले आ रहे विवादोंका निपटारा हो जाये। वह आयोगकी कार्रवाइयोंमें व्यापक प्रश्नोंके मुकाबले अपेक्षाकृत छोटे-मोटे और नगण्य मुद्दोंकी जाँचके कारण विलम्ब पैदा करके — क्योंकि अप्रत्याशित कारणोंसे पहले ही विलम्ब हो चुका है — अपनी उपलब्धियोंको खतरेमें नहीं डाल सकती। आयोगकी जाँच तो मजबूरन एकतरफा ही होगी। अतः यदि हालमें हुए उपद्रवोंके दौरान सत्याग्रहियों और हड़तालियोंके साथ दुर्व्यवहारके ठीक-ठीक मामले आयोगके सामने रखनेसे भारतीयोंने इनकार किया तो सरकार अपने और अपने अधिकारियोंके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका खण्डन करनेके लिए कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझती, किन्तु उक्त कार्योंको उचित समझने

या आयोगसे उन घटनाओंकी जाँच करनेको कहनेका उसे अधिकार रहेगा, जिनके फलस्वरूप एस्पेरेंजा और एजकम्बमें कुछ लोगोंकी प्राणहानि हुई थी।

जहाँतक प्रामाणिक सत्याग्रही हड़तालियोंको साधारण अथवा घोर अपराधियोंके लिए बनी जेलोंसे छोड़नेकी आपकी प्रार्थनाका प्रश्न है, न्याय विभागने आपका पत्र आनेसे पहले ही जो थोड़ेसे कैदी जेलोंमें रह गये थे उनकी रिहाईके लिए आदेश दे दिया था।

अपने पत्रके अन्तमें आपने जिन शिकायतोंको संक्षेपमें कहा है उनके बारेमें, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सरकार कोई कदम उठानेसे पहले आयोगकी सिफारिशोंकी प्रतीक्षा करेगी।

आपका,
ई० एम० जॉर्जेस
गृह-सचिव

श्री मो० क० गांधी
प्रिटोरिया

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९२६) की फोटो नकलसे।

परिशिष्ट २२

गवर्नर-जनरलसे ऐण्ड्रयूजकी मुलाकात[1]

[प्रिटोरिया
जनवरी १३, १९१४]

मंगलवारको बिलकुल निजी तौरपर ऐण्ड्रयूजसे मेरी बातचीत हुई। मैं उनसे प्रभावित हुआ और मुझे यह लगा कि श्री गांधीके सोचनेके ढंगसे उनका घनिष्ठ परिचय है। उन्होंने कहा कि श्री गांधीकी दो महत्त्वपूर्ण माँगें हैं (१) किसी भी व्यक्तिकी एक पत्नीको कानूनी मान्यता प्राप्त हो, और (२) तीन पौंडी कर रद कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि इससे कुछ ही कम महत्त्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि कोई ऐसा समझौता हो जाये जिससे दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केप प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत केप प्रान्तमें निर्बाध रूपसे प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था, वह पुनः स्थापित हो जाये। श्री ऐण्ड्रयूजने मुझे भरोसा दिलाया कि श्री गांधी समान-मताधिकारका कोई दावा नहीं करेंगे, और वे एशियाइयोंको दक्षिण आफ्रिकासे बाहर रखनेकी नीतिको भी पूरी तरह स्वीकार करते हैं। श्री ऐण्ड्रयूजका कहना है कि जहाँ तक दंगोंकी जाँचका सवाल है, श्री गांधी आयोगको स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं। अगर राजनीतिक शर्तें मान ली जाती हैं तो उससे स्थितिका हल निकल आयेगा और फिर आयोगको आगे कुछ करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। अगर वे स्वीकार नहीं की जातीं तो उससे एक बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो जायेगी, क्योंकि श्री गांधीने अन्य अनेक देशभाइयोंके साथ यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक बुनियादी बातोंमें उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर दिया जाता तबतक वे आयोगको स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूपसे मुझे तो आपके कथनानुसार श्री गांधी जो-कुछ चाहते हैं, उसको स्वीकार कर लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह हो सकता है कि मन्त्रिगण बिना किसी शर्तके वादे कर देनेमें अपने-आपको असमर्थ पायें, क्योंकि सम्भव है, राजनीतिक परिस्थितिके कारण वे इस

१ यह उपनिवेश कार्यालयको १४ जनवरी, १९१४ को भेजे गये गवर्नर जनरलके खरीतेका अंश है।

बातकी पूरी गारटी नही दे पायें कि राहत-सम्बधी कानून पास कर दिया जायेगा । श्री ऐण्ड्रयूजने कहा, मुझे लगता है कि शायद श्री गाधीकी प्रतिज्ञा [आयोगके सामने बयान देनेमें] एक दुस्तर बाधा सिद्ध हो । मैने कहा कि श्री गाधी दगोके बारेमं तो गवाही दे सकते है, क्योकि गवाही देनेकी ऐसी तत्परता तो स्वय उन्होने व्यक्त की है । इस परिस्थितिमें वे अनुमति लेकर अदालतमें भी अपनी शर्तें पेश कर सकते है, दलीलें दे सकते है और कह सकते है कि यद्यपि मैं तथ्यके मामलोमें निर्णय देनेकी आयोगकी क्षमता और सत्ताको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने और अपने साथियोके लिए यह अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखता हूँ कि राजनीतिक सिद्धातके मामलेमें तथा अन्तरात्माके निर्देशसे सम्बन्धित बातोमें हम चाहे जो रास्ता अपना सकते है । मुझे आशा है कि आयोग सही निर्णय ही देगा, लेकिन न मै और न मेरे साथी ही आगे कोई गवाही दे सकते है । श्री ऐण्डयूजने कहा कि इस सुझावसे कुछ आशा तो बँधती है, किन्तु जहाँ अन्तरात्माके निदशका स्वाल हो, वहाँ श्री गाधीको कोई बात डिगा नही सकती । इस सुझावके बावजूद प्रतिज्ञाके कारण बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है । पहले एक अवसरपर जोहानिसबर्गमें दो पठानोंने श्री गाधीको मार डालनेकी कोशिश की थी, क्योंकि प्रतिज्ञा लेनेके बाद उन्होने समझौता कर लिया था । लेकिन, अगर सरकारके आश्वासन सन्तोषजनक नही हुए तो मै श्री गाधीको यह रास्ता अपनानेके लिए प्रेरित करनेकी पूरी कोशिश करूँगा । आगे उन्होंने कहा कि यो तो श्री बेंजामिन रॉबर्ट्सन एक सुयोग्य अधिकारी है, किन्तु वे, श्री गाधीका मस्तिष्क जिस सूक्ष्म और संवेदनशील तरीकसे काम करता है, उसे समझ नही पायेंगे । मैने यह सूचना जनरल स्मट्सको दे दी है । मैं नही कह सकता कि श्री ऐण्ड्यूजने श्री गांधीके विचारोंका जो स्पष्टीकरण किया है वह कहाँ तक सही है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह यदि सही जानकारीपर आधारित हो तो स्थिति अपेक्षाकृत अधिक आशाजनक जान पड़ती है । इसके अतिरिक्त आज सरकार भी ऐसी स्थितिमें है कि वह सारे मामलेपर पहलेकी अपेक्षा अधिक आसानीसे उदार दृष्टिकोण अपना सकती है । पिछली कुछ घटनाओंके कारण सरकारकी सत्ता और प्रतिष्ठामें कुछ कमी सी आ गई थी किन्तु उसने हड़तालके सिलसिलेमें जिस दृढ़ता और साहससे काम लिया, उससे परिस्थिति फिर जैसीकी-तैसी हो गई है । श्री गाधीके सरकारकी परेशानीके दिनोंमें शाति बनाये रखनेकी बातकी सरकार काफी कद्र करती है । अगर अब ब्रिटिश भारतीयोंके साथ रियायत की जाती है तो कोई नही कहेगा कि वह डरकर की गई है । अतएव, मेरा हार्दिक विश्वास है कि परिणाम सन्तोषजनक हो सकता है ।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५३

परिशिष्ट २३

सॉलोमन-आयोगकी रिपोर्टके अश

चूँकि आयोग (कमीशन) की सिफारिशोंपर आधारित विधेयकके शीघ्र ही प्रकाशित होनेकी आशा है, इसलिए हम उस रिपोर्टसे यहाँ ज्यादा उद्धरण नहीं देंगे । इसके अलावा, पूरी रिपोर्टकी प्रति केप टाउनमें ९ पेंस देकर प्राप्त की जा सकती है । यहाँ हम उसके कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे अवश्य दे रहे है । विवाह और ३ पौंडी कर सम्बन्धी प्रश्नोंके बारेमें रिपोर्टकी विस्तृत योजनाका संक्षिप्त सार प्रस्तुत कर सकना हमारे लिए सम्भव नहीं हो सका है, इसलिए हम इन दोनों मुद्दोंपर कमीशनकी सिफारिशोंका पूरा पाठ ज्योंका-त्यों दे रहे है । रिपोर्ट ३८ फुलस्केप पृष्ठोंकी है और हम उसमें से निम्नलिखित अश यहाँ ले रहे हैं

समाजके असहयोगके प्रश्नपर

सर्वश्री गांधी, पोलक और केलेनबैककी रिहाईकी सिफारिश आयोगने जिस उद्देश्यको दृष्टिगत रखकर की थी, दुर्भाग्यवश वह उद्देश्य इन नेताओ द्वारा अपनाये गये रवैयेसे बहुत हद तक विफल हो गया।

भारतीय समाजकी कथित शिकायतोंको दूर करानेकी गरजसे आयोगके सामने समाजका मामला पेश करके, और हड़तालके सिलसिलेमें जेलकी सजा पानेवाले व्यक्तियोंपर अत्याचारके गम्भीर आरोपोंको सिद्ध करनेके लिए सबूत देकर उसकी सहायता करनेके बजाय नेताओंने विभिन्न कारणोंसे, जिनका उल्लेख करना अनावश्यक है, उसकी सर्वथा उपेक्षा करनेका निश्चय किया। फलस्वरूप आयोगके सामने भारतीय समाजकी ओरसे कोई वकील ही नहीं बल्कि श्री गांधीकी सलाहपर अत्याचारके आरोप सिद्ध करनेके लिए कोई गवाह भी उपस्थित नहीं हुआ।

भाग्यवश, हमारी बैठकोंके अन्तिम अवसरपर कुछ थोड़ेसे भारतीय मुख्यत भारतीय समाजके मुस्लिम वर्गके सदस्य, जो नेटाल भारतीय कांग्रेसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमारे सामने उपस्थित हुए और काफी मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण बयान दिये। जाँचके अगले दौरमें, २३ से २७ फरवरी तक आयोगकी बैठक केप टाउनमें हुई, और इसमें अन्य बहुतसे भारतीयोंने, जो विभिन्न संस्थाओंके प्रतिनिधि होनेका दावा करते थे, बयान दिये। इनमें से तीन व्यक्ति तो इसी उद्देश्यसे ट्रान्सवालसे आये थे। हम समझते हैं कि इन लोगोंने श्री गांधी द्वारा आयोगकी उपेक्षा करनेकी अपने देशवासियोंको दी गई सलाह अस्वीकार करके ठीक ही किया। उपस्थित होकर और बयान देकर उन्होंने हमें कतिपय विषयोंपर महत्त्वपूर्ण सूचना दी, और इस प्रकार हमारी रायमें उन्होंने भारतीय समाजकी काफी सेवा की।

हड़तालके कारणोंके बारेमें

हमें जो विभिन्न नीली पुस्तिकाएँ उपलब्ध हुई उनमें सकलित प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़तालका तात्कालिक कारण १९१३ के प्रवासी नियन्त्रण अधिनियमकी व्यवस्थाओंसे भारतीय समाजके नेताओंका असन्तोष था।

श्री गांधी जब इन मुद्दोंपर मन्त्रीसे सन्तोषजनक आश्वासन पा सकनेमें विफल हो गये तब उन्होंने जान-बूझकर एक ऐसा गभीर कदम उठानेका निश्चय किया जिसका तात्कालिक परिणाम हड़ताल और उन दगोंके रूपमें प्रकट हुआ जो इस जाँचके विषय हैं। २८ सितम्बरके अपने पत्रमें, जिसके साथ ही मन्त्री महोदय और श्री गांधीके बीच पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया, श्री गांधीने मन्त्री महोदयको सूचित किया है कि अब मेरा मंशा जिन लोगोंको ३ पौंडी कर देना पड़ता है उनसे पूरी शक्ति लगाकर आग्रह करते रहनेका है कि वे कर देनेसे इनकार कर दें और कर न देनेकी सजा भोगें। इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इस वक्त गिरमिटके अधीन काम कर रहे हैं, और इसलिए गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेपर तीन पौंडी कर देनेको बाध्य होंगे, वे भी तबतक हड़तालपर रहें जबतक कि यह कर रद नहीं कर दिया जाता।

यह पहला अवसर है जब कि उपर्युक्त पत्र-व्यवहारमें ३ पौंडी करका उल्लेख किया गया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक ऐसा कर था जिसपर बहुतसे भारतीयोंको बहुत सख्त आपत्ति थी, और सन् १९१२ में जब श्री गोखले दक्षिण आफ्रिका आये थे उस समय उनके और सघ सरकारके बीच हुई बातोंमें यह एक मुख्य विषय था। भारतीयोंमें तब नेताओंने यह बात फैलाई कि संघ-सरकारने श्री गोखलेसे वादा किया था कि करको रद करनेके लिए ससदके अगले सत्रमें एक विधेयक पेश किया जायेगा।

इसीलिए, जब ऐसा कोई विधेयक नहीं पेश किया गया और यही नहीं, जब सरकारने ऐसा वादा करने तक का खण्डन कर दिया तब भारतीय समाजको बड़ी निराशा हुई, विशेष रूपसे नेटालमें श्री गोखलेको वचन दिया गया था या नहीं इसे लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसपर इस जाँचमें विचार कर सकना

हमारे लिए असम्भव है। हम इतना ही कह सकते है कि भारतीयोंको [उनके नेताओं द्वारा] विश्वास दिलाया गया था कि ऐसा वचन दिया गया है, और अपेक्षित विधेयक न पेश किये जानेपर उनके मनमें सरकारके प्रति रोषकी ऐसी प्रबल भावना थी।

भारतीयोसे सम्बाधत कुछ अन्य मामले थे जिनकी जाँच करनेका अनुरोध कुछ गवाहोने हमसे किया, किन्तु हमारी रायमें ये मामले हमारे विचारार्थ निर्धारित विषयोकी परिधिमें नही आते थे। कथित शिकायतोंके बारेमें हमारी जाँच कवल उन शिकायतो तक ही सीमित है जिनका हड़ताल होनेमें कोई हाथ रहा हो। सघमें भारतीयोकी सामाय स्थिति और उनपर थोपी गई निर्योग्यताओंकी जाँच करना और उनक बारेमें अपनी सिफारिशें देनेका अधिकार हमें नही है।

हमारे सामने एक ऐसा मामला भी था जिसके बारेमें यद्यपि आरम्भमें हमें यह दुविधा हुई कि शायद वह हमारे विचारार्थ निर्धारित विषयकी परिधिमें नही आता, किन्तु अन्तत हमने उसके ऊपर गवाहोंके बयान ले लिये। इस आशयकी शिकायतें की गई कि सघके कानूनोंको, विशेष रूपसे प्रवासी और परवाना अधिनियमोको भारतीयोके खिलाफ बहुत सख्ती और निर्ममताके साथ लागू किया जा रहा है। यह उन विषयोंमें से एक था जिनका ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष श्री काछलियाने गृह सचिवको लिखे गये अपने १२ अगस्त १९१३ के पत्रमें विशेष रूपसे उल्लेख किया था। 'नीली पुस्तिका' सी० डी० ७१११ के पृष्ठ ३६ पर प्रकाशित इस पत्रमें उन्होने औपचारिक रूपसे सरकारको सूचित किया है कि भारतीय समाज फिरसे सत्याग्रह करनेका विचार कर रहा है और यह भी कहा है कि जबतक इस पत्रमें उल्लिखित वर्तमान कानूनोंके अमलमें अन्य बातोके अलावा उदारता और न्यायकी भावनासे काम नही लिया जाता तबतक यह सघर्ष जारी रखा जायेगा।

भारतीय नेताओ और सरकारके बीच हुए अय पत्र व्यवहारोमें भी उसी विषयका उल्लेख किया गया है, और २१ जनवरी, १९१४ के अपने जिस पत्रमें गाधीजीने मन्त्री महोदयको कमीशनकी कार्रवाईमें भाग न लेनेके अपने इरादेकी सूचना दी है, उसीमें उन्होने निम्नलिखित मुद्दोंके बारेमें राहतकी माँग भी की है

(१) ऑरेंज फ्री स्टेटका सवाल

(२) केप कॉलोनीका सवाल

(३) विवाहका प्रश्न

(४) तीन पौंडी करको रद करनेका प्रश्न

(५) इस आशयका आश्वासन कि भारतीयोंको विशेष रूपसे प्रभावित करनेवाले मौजूदा कानूनोंको न्यायपूर्वक और निहित अधिकारोंको ध्यानमें रखते हुए अमलमें लाया जायेगा।

इन परिस्थितियोंको देखते हुए हम इस नतीजेपर पहुँचे कि अपनी जाँचकी परिधिमें प्रवासी और परवाना कानूनोंक प्रशासनके मामलेकी जाँचको भी शामिल कर लेना न्यायसगत है।

जाँचकी शर्तोंको देखते हुए हम अपनी जाँच उपर्युक्त जाँच-विषयों तक ही सीमित रखनेकी बाध्यता अनुभव करते हैं, और निम्नलिखित ऐसे प्रश्नोंपर विचार नही कर सकते जिन्हें कई गवाहोंने हमारे विचारार्थ प्रस्तुत किया था

(क) कि एशियाइयोंपर अचल सम्पत्तिका स्वामित्व पाने और स्वर्ण कानूनके अन्तर्गत अधिकार अर्जित कर सकनेकी रोक लगानेवाले ट्रान्सवालक कानूनोंको रद किया जाये।

(ख) कि सरकारका एक धारा द्वारा टान्सवालके कस्बोंमें भूमिके अस्थायी पट्टों और स्वामित्वके दस्तावेजोमें सम्पत्तिको एशियाइयोंके नाम भूमि हस्तान्तरित करने या उन्हें भूमिका उपयोग करने देनेका निषेध गैर-कानूनी माना जाये।

(ग) ऐसे सामान्य प्रश्न — जैसे एशियाइयोंके बच्चोंकी शिक्षाकी उचित सुविधाओंका कथित अभाव, ट्रान्सवालमें पिस्तौल या बन्दूक रखने और ट्रामगाड़ियोंपर सवारीकी मनाही, आदि।

हमारी रायमें इनमें से किसी भी बातका हड़ताल होनेमें कोई हाथ नही था, और इनमें से अधिकाश ऐसी थी जिनका समाधान कानून बनाकर ही किया जा सकता था, प्रशासनिक कार्रवाईसे नही, और इसलिए हम ऐसा नही मानते कि ये हमारी जाँचके विषय हो सकते है।

ऐसी स्थितिमें अब हम उन पाँच विषयोपर विचार करेंगे जिन्हें श्री गाधीने २१ जनवरी, १९१४ के अपने अन्तिम पत्रमें गिनाया है।

ऑरेंज फ्री स्टेटका सवाल

इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, और मन्त्री महोदयने इस विषयमें जो आश्वासन दिये है उन्हें देखते यह समझ सकना मुश्किल है कि इसे फिरसे उठानेकी क्या जरूरत थी। इसके बारेमें एक ही बात कही जा सकती है और वह यह कि चूँकि १९१३ के अधिनियमके खण्ड ७ के अन्तर्गत शिक्षित भारतीय फ्री स्टेटमें प्रवेश करते ही फ्री स्टेटकी विधि पुस्तिकाके अध्याय ३३ के खण्ड ८ के अधीन हो जाते है। इस खण्डके अन्तर्गत अन्य बातोंके अलावा आवश्यक है कि प्रवेशार्थी किसी रेजिडेंट मजिस्ट्रेटके सामने एक ज्ञापन दे, और चूकि मन्त्री महोदयने यह मान लिया है कि भविष्यमें ऐसा कोई ज्ञापन देना आवश्यक नही होगा, अत यह वाछनीय होगा कि इस बातको बिलकुल स्पष्ट करनेके लिए अधिनियमके खण्ड ७ में आवश्यक सशोधन कर दिया जाये।

केपमें प्रवेशका सवाल

यह बात स्पष्ट है कि यदि १९११ के अस्थायी समझौतेसे भारतीयोके मौजूदा अधिकारोकी रक्षा होती थी, तो शुद्ध कानूनकी दृष्टिसे कहा जाय तो उस समझौतेका उल्लघन हुआ है। दुर्भाग्यवश इस समझौतेकी शर्ते किसी औपचारिक दस्तावेजमें स्पष्ट रूपस लिखी हुई नही है। उन्हें उन दो पत्रोमें ही देखा जा सकता है जिनका आदान प्रदान २३ अप्रैल, १९११ को मन्त्री महोदयके निजी सचिव और श्री गाधीके बीच हुआ था।

कहा गया है कि निजी सचिवके २२ अप्रैलवाले पत्रमें मौजूदा अधिकारोको बरकरार रखनेका कोई स्पष्ट आश्वासन नही दिया गया था। लेकिन इसमें सन्देह नही कि श्री गाधी और भारतीय समाजने मोटे तौरपर ऐसा समझा कि समझौतेकी शर्तोंमें से एक यह भी है। बादमें लिखे गये श्री गाधीके कई पत्रोंसे, विशेषरूपसे १९१२ में जनवरी और फरवरीमें, और इसके बाद १९१३ में जुलाई और अगस्तमें उनके और निजी सचिवके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे यह बात स्पष्ट होती है। उदाहरणार्थ, २४ अगस्त, १९१३ के अपने पत्रमें श्री गाधीने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि "१९११ के अस्थायी समझौतेका निर्धारण करनेवाले पत्र व्यवहारमें ब्रिटिश भारतीयोंके सभी मौजूदा अधिकारोकी रक्षाकी व्यवस्था थी।" अन्य पत्रोंमें भी इसी आशयकी बात कही गई है, और कभी किसी अवसरपर मन्त्री महोदय द्वारा इस दावेका खण्डन नही किया गया। सच तो यह है कि पत्रोंको पढ़नेसे ऐसा धारणा बनती है कि दोनो पक्ष इस विषयमें एकमत थे, और उसपर कभी कोई झगड़ा नही हुआ।

यदि परिस्थिति ऐसी हो तो सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे ऐसे भारतीयोंका, जो १९०६ के अधिनियम ३० की शिक्षा विषयक शर्ते पूरी कर सकते है, केप कॉलोनीमें प्रवेश नियन्त्रित करके १९११ के अस्थायी समझौतेका उल्लघन किया गया है। साथ ही श्री गाधी द्वारा मन्त्री महोदयको लिखे गये पत्रसे यह भी स्पष्ट है कि इस कथित शिकायतमें बहुत दम नही है।

इस सारे विषयपर व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करनेके बाद हम इस नतीजेपर पहुँचे है कि हमारे यह सिफारिश करनेसे कोइ लाभ नही होगा कि इस काल्पनिक शिकायतको दूर करनेके लिए १९१३ के अधिनियममें ऐसा सशोधन किया जाये जिसे दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोको अधिनियममें निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा दिये बिना केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था वह पुन मिल जाये।

इस विषयको समाप्त करनेसे पहले हम एक मुद्देका उल्लेख करना चाहेंगे जिसकी ओर सर बजामिन रॉबर्ट्सनने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। १९१३ के अधिनियमके खण्ड ४, (२) (क) में जो केप और नेटाल प्रान्तोंमें शैक्षणिक शर्तके बारेमें है, उन लोगोंके लिए व्यवस्था है जो अधिनियम लागू होनेके समय कानूनकी रूसे किसी भी प्रान्तमें निवास करनेके अधिकारी थे। हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया कि यह खण्ड जो अधिकार प्रदान करता है उनका लाभ उन लोगोंको प्राप्त नही होगा जो अधिनियम लागू होनेके बाद किसी प्रान्तमे रह सकनेके वैध अधिकारी हुए हो, मसलन दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीयोका वह बच्चा जो अधिनियम लागू होनेके बाद पैदा हुआ हो।

निश्चय ही यह समझना मुश्किल है कि इस खण्डमें "अधिनियम लागू होनेके समय" शब्दोको शामिल करनेसे क्या उद्देश्य पूरा होता है, और इसलिए उन्हें निकाल ही दिया जाना चाहिए।

मौजूदा कानूनोका प्रशासन

अब हम पाँचवी और अन्तिम शिकायतपर आ पहुँचे है। श्री गाधीने इसे मन्त्री महोदयको लिखे गये अपने २१ जनवरी, १९१४ के पत्रमें शामिल किया है, और इसमें उन्होने माँग की है कि भारतीयोको विशेषरूपसे प्रभावित करनेवाले मौजूदा कानूनोको न्यायपूर्वक और निहित अधिकारोका ध्यान रखते हुए अमलमे लानेका आश्वासन दिया जाये। इस विषयपर हमारे सामने जो आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये है वे मुख्यतया प्रवासी और परवाना अधिनियमोके बारेमे है, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमारा विचार अपनी जाँच इन्ही विषयों तक सीमित रखनेका है।

प्रवासी अधिनियम

प्रवासी विभागके प्रशासनिक तरीकोके खिलाफ शिकायतोंकी सख्या बहुत ज्यादा थी, मुख्यत केप कॉलोनीमें। इनमे से कुछके बारेमें हमारी राय है कि वे सिद्ध नही की जा सकी है, हमारा इरादा उन शिकायतोका उल्लेख करनेका नही है। कुछ अन्य शिकायतें हैं जो हमारी रायमें मुनासिब हैं, और उनके बारेमे हम यथासम्भव सक्षेपमें विचार करेंगे।

परवाना अधिनियम

केप कॉलोनी और नेटालमें व्यापार या धधा चलानेके उद्देश्यसे जारी किये जानेवाले परवानोंके सिलसिलेमें परवाना अधिनियमोंके प्रशासनके विरुद्ध आयोगको आवेदनपत्र दिये गये हैं।

इस विषयपर कोई ऐसी सिफारिश करना हमें सम्भव नही लगता जिसका कुछ लाभ हो सके।

केप कॉलोनीके अन्य कस्बोमें, या भीतरी जिलोमे परवाना कानूनोके प्रशासनके बारेमें हमारे सामने कोई सबूत नही रखे गये, इसलिए उस विषयपर हम कोई बात नहीं कहेंगे।

जहाँतक नेटालका प्रश्न है, वहाँकी प्रणाली केप कॉलोनीमें प्रचलित प्रणालीसे थोड़ी भिन्न है।

हमारे सामने जो सबूत है उनसे पता चलता है कि नेटालके नगरोंमें परवाना कानूनका प्रशासन भारतीयोंके खिलाफ उतनी सख्तीसे नही होता जितना कि केप टाउनमें, लेकिन भारतीयोंके लिए नगरके उन हिस्सोंको छोड़कर जहाँ लगभग सभी निवासी भारतीय ही है और जिन्हें एक तरहसे एशियाई बस्तियाँ माना जा सकता है, नये परवाने पा सकना उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है। कस्बोंके कुछ अन्य भागोंमें अब भारतीयोंके लिए नये परवाने पा सकना लगभग असम्भव है।

नेटालके नगरों और कस्बोंके अलावा शेष नेटालमें एक परवाना अधिकारी है जो सरकारी कर्मचारी है, और जिसके निर्णयोंके विरुद्ध परवाना निकायोंमें अपील की जा सकती है। इस परवाना अधिकारीकी नीति भारतीयोंके प्रति नगरोंके परवाना अधिकारियोंकी अपेक्षा कही अधिक उदार है। वस्तुत उसने हमें बताया है कि वह यूरोपीयों और भारतीयोंके बीच कोई अन्तर नहीं करता।

इस गवाहसे यह एक दिलचस्प तथ्य मालूम हुआ कि जब कोई भारतीय परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देता है तो उसके विरुद्ध ५० प्रतिशतसे अधिक आपत्तियाँ दूसरे भारतीयों द्वारा ही उठाई जाती हैं।

इस अधिकारीके विरुद्ध नये परवानोंके बारेमें कोई शिकायत नही थी। जो शिकायतें थी वे केवल नगरों और कस्बोमें अधिनियमके प्रशासनके तरीकेके विरुद्ध थी। किन्तु इस विषयपर हम कोई सुझाव नही दे सकते। इसमें केवल कानून बनाकर ही कोई कारगर कार्रवाई की जा सकती है, और जो कारण हमने केप टाउनमें परवानोंके प्रश्नकी चर्चा करते हुए दिये है उन्ही कारणोसे कानूनोंमें कोई सशोधन करनेका सुझाव देनेमें हम असमर्थ है।

अब हम श्री गाधी द्वारा गृह मन्त्रीको लिखे गये अपने पत्रमें गिनाई गई सब शिकायतोंपर विचार कर चुके, किन्तु समाप्त करनेसे पहले हमारी रायमें यह उचित होगा कि रिपोर्टके विभिन्न हिस्सोंमें जो सिफारिशें की गई ह उन्हें सक्षिप्त रूपमें यहाँ रख दिया जाये।

कुछ सिफारिशें ऐसी ह जिन्हें अमलमें लानेके लिए कानून बनाना जरूरी होगा, और बाकी दूसरी ऐसी है जिनके लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही पर्याप्त होगी।

ये सिफारिशें निम्नलिखित ह

(१) १९१३ के प्रवासी नियन्त्रण अधिनियमके खण्ड ५ (छ) को इस प्रकार सशोधित किया जाये ताकि कानून और प्रवासी विभागकी प्रचलित नीतिमें अनुरूपता स्थापित हो जाये। यह नीति है "किसी ऐसे भारतीयकी, जिसे अभी किसी प्रान्तमें निवासका अधिकार है, अथवा जिसे भविष्यमें सघमें प्रवेशकी अनुमति दी जा सकती हो, पत्नी और उसकी नाबालिग सन्तानको प्रवेशकी अनुमति दे दी जाये, फिर चाहे उस भारतीयका विवाह ऐसी पत्नीसे ऐसे धर्मके अनुसार हुआ हो जिसमें बहु विवाह मान्य है, अथवा चाहे वह पत्नी उन एकाधिक पत्नियोंमें से एक है जिनके साथ उस भारतीयने दक्षिण आफ्रिकासे बाहर विवाह किया हो, बशर्ते कि दक्षिण आफ्रिकामें वह उसकी अकेली पत्नी हो।"

(२) प्रवासी अधिकारीको प्रत्येक प्रान्तमें रजिस्टर खोलनेके आदेश दे दिये जायें जिसमें दक्षिण आफ्रिकामें तीन या तीनसे अधिक वर्षोंसे निवास कर रहे वे भारतीय, जिनके साथ दक्षिण आफ्रिकामें इस समय एकाधिक पत्नियाँ रहती है या पहले कभी रहती थी, उनके नाम दर्ज कराने होंगे जो, जबतक कि ऐसे भारतीय इस देशमें निवास करते रह तबतक अपने नाबालिग बच्चोंके साथ भारत जाने या भारतसे आनेको स्वतन्त्र होगी।

(३) केप कॉलोनीके १८६० के अधिनियम १६ के ढगका हर एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें भारतीय समाजके भिन्न धार्मिक वर्गोंके पुरोहितोंमें से विवाह अधिकारियोकी नियुक्ति करनेकी व्यवस्था हो ताकि ये विवाह अधिकारी विवाहकी इच्छा रखनेवाले स्त्री पुरुषका विवाह उन्हीकी धार्मिक रीतियोंके अनुसार सम्पन्न करा सकें।

(४) यथार्थमें जो सम्पन्न हो चुके है ऐसे एकपत्नीक विवाहोंको पजीयनके जरिये वैधता प्रदान करनेके निमित्त कानून बनाया जाये। यहाँ एकपत्नी विवाहका अभिप्राय किसी पुरुष द्वारा एक स्त्रीसे ऐसी प्रणालीके अन्तर्गत किये गये विवाहसे होगा जो पुरुषको एक अथवा एकाधिक पत्नियोंसे विवाह करनेके अधिकार प्रदान करती है।

(५) नेटालके १८९५ के अधिनियम १७ के खण्ड ६ को रद कर दिया जाये जिसके अधीन नेटालके कतिपय भारतीयोंके लिए प्रतिवर्ष अनुमति या परवाना लेना और ऐसे परवानेके लिए प्रतिवर्ष तीन पौंड शुल्क देना आवश्यक है।

(६) १९१३ के प्रवासी नियन्त्रण अधिनियमके अन्तर्गत शिनाख्ती प्रमाणपत्र जारी करनेकी शर्तोंमें सशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जिससे ये प्रमाणपत्र एक सालकी जगह तीन साल तक वैध रहें।

(७) केप टाउनमें प्रवासी विभागमें एक दुभाषियेकी नियुक्ति की जाय और वह पूरे समयके लिए सरकारी कर्मचारी हो।

(८) किसी प्रार्थी द्वारा इच्छा प्रकट किये जानेपर प्रवासी विभागसे प्राप्त होनेवाले अनुमतिपत्रों, प्रमाणपत्रों आदिके प्रार्थनापत्रके फार्म उससे जानकारी लेकर कार्यालयके क्लर्कको भरना चाहिए ।

(९) केपटाउन स्थित प्रवासी विभागमें कुछ मामलोंमें प्रार्थियोंके केवल अँगूठा निशानी लेनेकी जगह दोनों हाथोंकी सारी अँगुलियोंके निशान लेनेका जो वर्तमान नियम है उसे समाप्त कर देना चाहिए ।

(१०) जिस जिलेमें कोई प्रवासी अधिकारी न हो, वहाँके रेजिडेंट मजिस्ट्रेटको यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अपने जिलेमें रहनेवाले उन भारतीयोंको अस्थायी रूपसे अनुमति दे सके जो अपने प्रान्तसे संघके किसी अन्य प्रान्तकी यात्रा करना चाहते हैं ।

(११) शिनाख्तीके प्रमाणपत्र या अस्थायी अनुमतिपत्रपर जो वर्तमान १ पौंडका शुल्क है, उसे घटाकर बहुत कम कर देना चाहिए और उनकी अवधि बढ़वानेके लिए कोई शुल्क नहीं होना चाहिए ।

(१२) किसी भारतीय द्वारा एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तकी यात्राके लिए अनुमतिपत्र जारी करनेकी प्रार्थना करनेपर इस समय यह नीति प्रचलित है कि एक प्रान्तका प्रवासी अधिकारी दूसरे प्रान्तके प्रवासी अधिकारीसे तार द्वारा सम्पर्क स्थापित करता है । यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

(१३) नेटाल प्रान्तके प्रवासी अधिकारी द्वारा भारतीयोंको दिये गये अधिवास प्रमाणपत्रोंको, प्रवेशके अधिकारका निर्विवाद प्रमाण माना जाना चाहिए और शिनाख्त होते ही उनके मालिकोंको संघमें प्रवेश मिल जाना चाहिये जिनपर उन्हें पानेवाले भारतीयोंकी अँगूठा निशानी होती हैं ।

(१४) यदि सम्भव हो तो भारत सरकारके साथ एक ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि दक्षिण आफ्रिका अपने पतियोंके पास जानेके लिए भारतसे रवाना होनेवाली पत्नियों और बच्चोंकी सरकारी जाँच भारतमें किसी मजिस्ट्रेट या अन्य किसी सरकारी अधिकारी द्वारा की जाये । यदि जाँचके बाद उस अधिकारीको सन्तोष हो कि वह स्त्री और बच्चे दक्षिण आफ्रिकाके उसी आदमीकी पत्नी और बच्चे हैं जिसकी पत्नी और बच्चे होनेका वे दावा करते हैं, तो उसे इस आशयका एक प्रमाणपत्र देना चाहिए, और प्रवासी-अधिकारीको चाहिए कि वह ऐसे प्रमाणपत्रको उसमें उल्लिखित तथ्योंका निर्विवाद प्रमाण माने ।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९१४

परिशिष्ट २४

गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

केप टाउन
५ जून, १९१४

महोदय,

पिछले माहकी ३० तारीखके अपने गोपनीय खरीतेमें मैंने निवेदन किया था कि भारतीय राहत विधेयक और कुछ प्रशासनिक प्रश्नोंपर श्री गांधीने जो मुद्दे उठाये थे उनपर बातचीत करनेके लिए वे जल्दी ही जनरल स्मट्ससे मुलाकात करेंगे । वे पिछले शनिवारको उनसे मिल चुके हैं । मेरी जानकारीके अनुसार जनरल स्मट्सने श्री गांधीको सुझाव दिया कि विधेयकको जल्दी पास करनेकी तात्कालिक आवश्यकताको देखते हुए पहले उससे सम्बन्धित प्रश्नोंपर विचार किया जाये, और प्रशासनिक प्रश्नोंको थोड़े समय तक के लिए उठा रखा जाये, इससे मन्त्री महोदयको उनपर विचार करनेके लिए कुछ ज्यादा समय मिल जायेगा । श्री गांधी इस सुझावसे सहमत हो गये । परिणामस्वरूप जनरल स्मट्सने श्री

गाधी द्वारा विधेयकके सम्बन्धमें उठाये गये वे तीनो मुद्दे जिनका उल्लेख मेरे उपर्युक्त खरीतेके अनुच्छेद ३ में है, स्वीकार कर लिये और विधेयकको लोकसभा (हाउस ऑफ असेम्बली) में पेश करनेसे पहले उसमें आवश्यक सशोधन करनेका निर्देश दे दिया।

२ इसी माहकी तीन तारीखके मेरे तारसे आपको ज्ञात हो गया होगा कि विधेयक गत मगलवारको पेश किया गया और उस दिन उसका प्रथम वाचन पूरा हो गया, उसके द्वितीय वाचनके लिए यही ८ तारीख नियत की गई है। विधेयकके मूल पाठमें किये गये परिवर्तन भी तार द्वारा आपको भेज दिये गये है। वह अब जिस रूपमें पेश किया गया है उसकी प्रतियाँ मेरे इसी ५ तारीखके खरीता सख्या ३६२ के साथ भेजी जा रही है।

३ धारा २ (१) (क) में से "इस अधिनियमके लागू होनेके समय" शब्द निकालकर, और "मौजूद थी" की जगह "मौजूद है," शब्द डालकर श्री गाधीका मुद्दा पूरा कर दिया गया। "मान्यता-प्राप्त" के पहले "उस समय" शब्द बरकरार रखा गया है, लेकिन मुझे यह पता नही कि इसे जान बूझकर रखा गया है या भूलसे रह गया है। मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ, बहरहाल, यह कोई ऐसी बात नही जान पड़ती कि इसे महत्त्व दिया जाये। गत माह १६ तारीखके गोपनीय खरीते, सख्या ४, के साथ भेजे गये पिछले मसविदेमें भारतीय विवाहके पजीयनसे सम्बन्धित जो सुविधाएँ दी गई थी उन्हें अनुच्छेदके वर्तमान स्वरूपमें बहाल कर दिया गया है। धारा २ (१) में एक और सशोधन द्वारा नई प्रतिमें पृष्ठ २ की २५ वी पक्तिमें "मजिस्ट्रेट या" शब्द जोड़ दिये गये है। ऐसा हो जानेसे अब सभी मजिस्ट्रेट धारा २ के अंतर्गत भारतीय विवाहोका पजीयन कर सकेंगे, चाहे वे विवाह अधिकारीके रूपमें भी नियुक्त हो अथवा नही। इससे श्री गाधीका दूसरा मुद्दा पूरा हो जाता है। उनका तीसरा मुद्दा (किसी ऐसी मृत स्त्रीके बच्चोंको प्रवेश देनेसे सम्बन्धित है जो यदि जीवित होती तो धारा ३ के अन्तर्गत प्रतिबधसे छूट पानेकी अधिकारिणी होती, नई प्रतिमें पृष्ठ ४ पर ३३ वीं पक्तिमे "पारिभाषित" (डिफाइड) शब्दके बाद जोड़े गये शब्दोसे पूरा हो जाता है।

४ मेरे पास ऐसा माननेका कारण है कि जनरल स्मट्स द्वितीय वाचन जल्दीसे जल्दी पूरा करनेको उत्सुक है। अत ऐसी आशा है कि सोमवारको वित्तीय मामलोके कारण विधेयकपर विचार स्थगित नहीं किया जायेगा। सदनमें नेटालके सरकारी और विरोधी, दोनोंही पक्षोके सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किये जानेकी सम्भावना प्रतीत होती है। सर टॉमस स्मार्ट तथा यूनियनिस्ट पार्टीके अन्य प्रमुख सदस्योंसे विधेयकके समर्थनकी आशा है। हर्टसॉगके गुटके सदस्यो और मजदूर-दलका क्या रुख रहेगा उसका अभी कोई आभास नही मिल पाया है।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५/५८

जायेंगे, माँग लेगा, और पूर्वोक्त ढगसे स्थापित किये गये सम्बधको उन दोनोके बीच हुए विवाहके रूपमें दर्ज कर लेगा। बावजूद इसके कि वे दोनो स्त्री-पुरुष जिस धर्मके माननेवाले हैं उस धर्ममें बहुपत्नीक विवाह वैध और मान्य है, उनके सम्बध पजीयन करानेके फलस्वरूप उस दिनसे जब उनमें सम्बध स्थापित हुआ था, दोनों पक्षोंके बीच वैध और पक्की शादी मानी जायेगी और इस विवाहसे उन्हें वे सब अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कानूनकी दृष्टिमें वैध और पक्के विवाहके रूपमें मान्य सम्बधोंके अन्तर्गत प्राप्त होंगे, और यह विवाह उस जगह हुआ माना जायेगा जहाँ पजीयनसे पहले उससे सम्बध स्थापित किया गया था।

(२) मत्रीको इस खण्डके अतर्गत प्रार्थनापत्र देनेकी विधिके सम्बधमें, तत्सम्बन्धी रजिस्टरोंको रखनेके सम्बधमें और उन रजिस्टरोंमें दिये जानेवाले विवरणके सम्बधमें विनियम बनानेका अधिकार होगा। जिस प्रान्तमें ये सम्बध विवाह रूपमें पजीयित किये जाते है उस प्रातमें लागू विवाह कानूनोकी धारायें, जहाँतक उन कानूनोंका रजिस्टरोंको रखने और देखने, उनकी नकलें या उनमें से उद्धरण, उनकी प्रमाणित नकलोके प्रमाण प्राप्त करने, उन रजिस्टरो, प्रमाणित नकलों या उद्धरणोंके खो जाने, नष्ट हो जाने या दूषित हो जाने या कट फट जानेसे सम्बन्ध है, उचित परिवर्तनोंके साथ, इस खण्डके अन्तर्गत रखे गये रजिस्टरोंपर भी लागू होंगी।

१९१३ के अधिनियम स० २२ के खण्ड ५ (छ) का सशोधन और अर्थ

३ (१) सन् १९१३ के प्रवासी नियत्रण अधिनियम (१९१३ के अधिनियम स० २२) के खण्ड ५ के अनुच्छेद (छ) में से निम्न शब्द निकाल दिये जायेंगे —

"इसमें वह पत्नी जिसका विवाह सघके बाहर किसी भी धर्मके रीति-रिवाजोंके अनुसार उचित रूपमें वैध और एकपत्नीक विवाहके रूपमें हुआ हो या उसके अतर्गत उत्पन्न बच्चा शामिल है।"—

(२) यहाँ सशोधित रूपमें दिये गये इस अनुच्छेदकी व्याख्यामें — "पत्नी" के अन्तर्गत ऐसी कोई भी स्त्री आ जायेगी जिसका यहाँ उल्लिखित विमुक्त पुरुषसे ऐसा सम्बध है जिसे किसी भारतीय धर्मके आदेशोंके अन्तर्गत विवाह माय किया गया है। साथ ही उन आदेशोके अनुसार उस विमुक्त पुरुषका सम्बन्ध दूसरी स्त्रियोंसे भी माय कर लिया जायेगा। व्यवस्था की जाती है कि कोई भी स्त्री ऐसे विमुक्त पुरुषकी पत्नी नही मानी जायेगी —

(क) यदि उस पुरुषका ऐसा सम्बध किसी प्रातमें रहनेवाली किसी दूसरी स्त्रीसे हो, या

(ख) यदि ऐसे विमुक्त पुरुषकी किसी दूसरी स्त्रीसे, जो अभी जीवित है, कोई सतान मौजूद हो, "सोलह वर्षसे कम आयुके बच्चेका अर्थ होगा वह बच्चा जो विमुक्त पुरुष और यहाँ बताई गई स्त्रीकी सन्तान हो, या वह बच्चा जो विमुक्त पुरुष और मृत स्त्रीकी, जो जीवित होती तो (यहाँ दी गई परिभाषाके अनुसार) पत्नी माय की जा सकती थी या उसका विमुक्त पुरुषसे सम्बध इस अधिनियमके खण्ड २ के अन्तर्गत विवाह रूपमें पजीयत किया जा सकता था।"

नेटालके भारतीय प्रवासी-कानूनको विवाह सम्बन्धी वर्तमान धाराओका सरक्षण

४ इस अधिनियमके इससे पहलेके खण्डोंके किसी भी विधानका अर्थ ऐसा न किया जायेगा जिससे नेटालके भारतीय प्रवासी कानून १८९१ (१८९१ के कानून स० २५) के पेसठसे नवासी तकके खण्ड रद हो जायें या किसी भी तरह बदल जायें।

१८९५ के नेटालके अधिनियम १७ के तीसरे खण्डका सशोधन

५ नेटालके भारतीय प्रवासी सशोधन विधेयक, १८९५ के खण्ड तीनके अतमें निम्न शब्द जोड़कर सशोधित किया गया है "यदि वह इस तारीखके बीत जानेके बाद बारह महीनेके भीतर उसके लिए प्रार्थनापत्र दे।"

भारतीयोंकी प्रार्थनापर भारत जानेका मुफ्त टिकट देनेका अधिकार

६ मन्त्री चाहे तो किसी भी भारतीयको सघके किसी बन्दरगाहसे भारतके किसी बन्दरगाह तक संसद द्वारा तदर्थ स्वीकृत रकममें से मुफ्त टिकट दिला सकता है, बशर्ते कि वह मुफ्त टिकटके लिए प्रार्थनापत्र दे। इसमें सघके बन्दरगाह तक जानेका रेल किराया शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यह भारतीय ऐसा न हो जो नेटालके १८९१ के कानून स० २५ के या उसके किसी संशोधनके अंतर्गत मुफ्त टिकटका अधिकारी हो या अधिकारी हो सकता हो, और

(क) इस प्रार्थनाकी स्वीकृतिकी शर्तके तौरपर इस वक्तव्यपर हस्ताक्षर करे कि वह अपनी ओरसे, अपनी पत्नीकी ओरसे और अपने अवयस्क बच्चोंकी ओरसे अपने या उनके सघके किसी भागमें प्रवेश करने या रहनेके उन समस्त अधिकारोंको छोड़ता है जो उसे उसका अधिवासी होनेके कारण प्राप्त होते हैं, और

(ख) मन्त्री द्वारा नियुक्त अधिकारीको अपनी, अपनी पत्नीकी और अपने अवयस्क बच्चोंकी (यदि बच्चे हों तो) शिनाख्तके मन्त्री द्वारा बताए हुए प्रमाण दे।

इस प्रकार हस्ताक्षर की हुई शर्त इस बातका निश्चित प्रमाण होगी, कि उस भारतीयने उसकी पत्नीने और उसके अवयस्क बच्चोंने (यदि कोई हो तो) अपने या उनके सघमें प्रवेश करने या रहनेके वे सब अधिकार छोड़ दिये हैं जो उसे या उन्हें उसका अधिवासी होनेके फलस्वरूप मिले हों।

नेटालमें भारतीयोंके निवास या अधिवासका प्रमाण

७ यदि किसी कानूनके प्रशासनमें यह प्रश्न उठता है कि जो भारतीय नेटालमें अपने निवासपर अधिवासका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है वह वही व्यक्ति है जो वैध रूपसे उस प्रमाणपत्रको प्राप्त करनेका अधिकारी था, उस अवस्थामें यदि उस प्रमाणपत्रपर, प्रवासी अधिकारी द्वारा उसके जारी करते वक्त, उसने जो अँगूठेका निशान लगाया था, वह उस भारतीयके जो उस प्रमाणपत्रको पेश करता है, अँगूठेके निशानसे मिलता है तो वह उस भारतीयके नेटालमें निवास या अधिवासका निश्चित प्रमाण होगा।

भूतपूर्व गिरमिटियोंके वार्षिक पासों या परवानोंसे सम्बन्धित कानूनोंकी धाराओंकी रद्‌दगी

८ इस अधिनियमके परिशिष्टमें बताये गये कानून उस परिशिष्टके चौथे स्तम्भमें दी गई हद तक इसके द्वारा रद किये जाते हैं और उन कानूनोंकी वे धारायें, जो इसके द्वारा रद की गई हैं, जहाँतक जुलूलैंडमें लागू की गई है वहाँ लागू नहीं रहेंगी।

इस कानूनके लागू होनेसे पूर्व रद की गई धाराओंके अन्तर्गत भारतीयोंसे जो रकमें लेनी वाजिब होंगी उन्हें वसूल करनेके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

९ यह अधिनियम समस्त उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए भारतीय [छोटा नाम] राहत अधिनियम, १९१४ कहा जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी० ओ० ५६४४/१४

परिशिष्ट २६

ई० एम० जॉर्जेसका पत्र

केप टाउन
जून ३०, १९१४

प्रिय श्री गांधी,

आपने अभी कुछ दिनों पहले संघमें भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें जनरल स्मट्सके साथ चर्चा की थी। पहली भेंटमें आपने भारतीय राहत-विधेयककी व्यवस्थाओंके प्रति सन्तोष प्रकट किया था और माना था कि भारतीय समाज और सरकारके बीच जिन मुद्दोंपर विवाद है और जिनपर प्रशासनिक कार्रवाईकी आवश्यकता है, यह विधेयक निश्चय ही उन्हें हल कर देता है। दूसरी भेंटमें आपने सरकारके सामने कुछ दूसरी बातोंकी भी एक सूची पेश की थी, जिनके सम्बन्धमें प्रशासनिक कार्रवाईकी आवश्यकता है। ये बातें उन मुद्दोंसे अलग थी, जिनपर विधेयकमें निश्चित कार्रवाई की जा चुकी है। जनरल स्मट्सके आदेशानुसार मैं उन्हींके विषयमें यहाँ लिख रहा हूँ

(१) भविष्यमें नेटालके भारतीय प्रवासियोंके संरक्षक द्वारा ऐसे प्रत्येक भारतीयको जो नेटाल अधिनियम १७, १८९५ की व्यवस्थाओंके अन्तर्गत आता है, अपनी गिरमिट या पुनः गिरमिटकी अवधि पूरी कर चुकनेपर निःशुल्क छुटकारा प्रमाणपत्र दिये जानेमें, उनकी समझमें तो कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। छुटकारेका यह प्रमाणपत्र १८९१ के नेटाल-कानून संख्या २५ के खण्ड १०६ की व्यवस्थाओंके अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्रके जैसा ही होगा।

(२) आप कहते हैं कि एकाधिक पत्नियों और उनके बच्चोंकी संख्या बहुत कम है। यदि यह परिस्थिति जाँच करनेपर सही उतरती है, तो इन एकाधिक पत्नियों [या बच्चों] को अपने पतियों [या पिताओं] के साथ रहने देनेके मार्गमें सरकार कोई बाधा नहीं डालेगी।

(३) दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न जो भारतीय केपमें प्रवेश करना चाहते हैं यदि उक्त प्रान्तमें इसके पहले ऐसे लोगोंका जितना प्रवेश होता रहा है, उतना ही होता रहे, वह बढ़े नहीं, तो संघके १९१३ के प्रवासी विनियम अधिनियम २२ खण्ड ४ (१) (अ) की व्यवस्थाओंपर आज ही की तरह अमल होता रहेगा, किन्तु जैसे ही प्रवासियोंकी यह संख्या बढ़ती नजर आयेगी, सरकार प्रवासी-अधिनियमकी व्यवस्थाओंको लागू करनेका अधिकार सुरक्षित रखती है।

(४) संघमें जिनके प्रवेशपर विशेष छूट दी गई है (अर्थात् सीमित संख्यामें आनेवाले वे लोग जो प्रतिवर्ष भारतीय समाजके सर्वसामान्य हितसे सम्बद्ध होनेके कारण सरकार द्वारा संघमें प्रवेशकी आज्ञा पाते रहेंगे) उन व्यक्तियोंको प्रान्तीय सीमाओंपर ज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा और उनके लिए प्रवासी विनियम अधिनियमके खण्ड १९ के अन्तर्गत प्रवेश करते समय बन्दरगाहपर दिया हुआ ज्ञापन ही पर्याप्त माना जायेगा।

(५) १९१३ के अधिनियम २२ के लागू होनेके पहले जो प्रवासी कानून अमलमें लाया जा रहा था, उसके मुताबिक शिक्षा परीक्षा पास करनेके बाद केप अथवा नेटालमें पिछले ३ वर्षोंके भीतर जिन भारतीयोंको प्रवेश दिया गया है, किन्तु जो उक्त अधिनियमके खण्ड ३० की शब्द-रचनाके कारण, जिस अर्थमें यह शब्द उक्त अधिनियममें पारिभाषित हुआ है, उस अर्थमें अभी तक "अधिवासी" नहीं माने गये हैं वे यदि कुछ समयके लिए उस प्रान्तसे अनुपस्थित रहते हैं, जिसके वे वैध अधिवासी रहे हैं,

तो उनके विषयमें यही माना जायेगा, मानो "अधिवासी" शब्द आजकी परिभाषाके अनुसार उनपर लागू है।

(६) जनरल स्मट्स न्याय मन्त्रियोंके सामने उन व्यक्तियोंके मामले भी पेश करेंगे जिनको उक्त कालमें "निष्क्रिय प्रतिरोधी" (हम परस्पर इस शब्दका अर्थ समझते हैं) होनेके कारण सजाएँ मिली थी और श्री डेविडको, जनरल स्मट्सकी समझमें इस सुझावमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए कि इन व्यक्तियोंके खिलाफ इन सजाओंका सरकार भविष्यमें कोई दुरुपयोग न करेगी।

(७) १९१३ के अधिनियम संख्या २२ के खण्ड २५ के अन्तर्गत मन्त्रीकी विशिष्ट हिदायतोंके साथ ऐसे प्रत्येक "शिक्षित प्रवासीके नाम जिसे खास तरीकेसे छूट दी गई है" और जिसे प्रवासी अधिकारी मंजूर कर चुका है, एक दस्तावेज जारी किया जायेगा।

(८) भारतीय राहत आयोगने अपने विवरणके अन्तमें जो सिफारिशें की हैं, वे सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय राहत विधेयकके साथ साथ लागू की जायेंगी और इस पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें जो कुछ कहा गया है, उसके मुताबिक इन सब मामलोंमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू की जायेगी।

जहाँतक वर्तमान कानूनोंको अमलमें लानेका प्रश्न है, मन्त्री महोदय यह सूचित करनेका आदेश देते हैं कि सरकारका सदा यही मंशा रहा है और रहेगा कि उनका अमल न्याय तथा निहित स्वार्थोंको दृष्टिमें रखकर हो।

अन्तमें जनरल स्मट्सके आदेनुशासार निवेदन है कि वे इस मामलेमें कोई दुविधा अथवा शंका नहीं रहने देना चाहते। सबकी सविधि पुस्तकमें भारतीय राहत विधेयक और फिलहालकी वार्ताओंमें उल्लिखित मुद्दोंको पूरा करनेके बारेमें इस पत्रमें जो वचन दिया गया है, उसे मिलाकर सारे विवादका परिपूर्ण और अंतिम हल निकलना चाहिए। दुर्भाग्यवश एक दीर्घ कालसे यह विवाद हमारे सामने उपस्थित है। वे ऐसा हल चाहते हैं, जिसे भारतीय समाज बिना किसी झिझकके पूरी तरह स्वीकार कर सके।

भवदीय,
ई० एम० जॉर्जेस

श्री मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५८

परिशिष्ट २७

(१) उपनिवेश-कार्यालयके नाम गवर्नर-जनरलका खरीता

केप टाउन
जुलाई ४, १९१४

महोदय,

जैसा कि आपको इसी १ तारीखके तार द्वारा सूचित किया जा चुका है, जनरल स्मट्स और श्री गांधीके बीच सभी महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दोंपर समझौता हो गया है। यह समझौता, सचमुच, भारतीय राहत विधेयकके व्यवस्थापनकी सुखद परिसमाप्ति है, और मुझे विश्वास है कि यह, भारतीयोंके जिन कष्टोंको लेकर इस देशमें लगभग मेरे पूरे प्रवास कालमें लिखा-पढ़ी चलती रही है, उन कष्टोंसे कुछ कालके लिए मुक्तिका पूर्वाभास देता है।

२ साथमें उन दो पत्रोंकी[1] प्रतियाँ भेज रहा हूँ, जिनका सार मेरे तारमें दिया गया था। मन्त्री महोदयने जो रियायतें देनेका वादा किया है, वह उनकी उदारता और राजनयिकताका परिचायक है। मेरे ३० मईके गुप्त खरीतेमें उल्लिखित श्री गाधीकी सारी शर्तें पूरी कर दी गई हैं, यद्यपि मौजूदा कानूनो और विशेषकर ट्रान्सवाल स्वर्ण कानूनके अमलमें निहित अधिकारोंकी रक्षा करनेके सम्बन्धमें श्री जोर्जेसके पत्रके अन्तमें दिया गया सामान्य आश्वासन श्री गाधी जितना चाहते थे उतना सुनिश्चित और स्पष्ट नही है। मेरा खयाल है इस मुद्देपर सहमति होनेमें सबसे अधिक कठिनाई हुई। पिछले रविवारको जनरल स्मट्सने कहा कि उससे एक दिन पूर्व श्री गाधीने उनसे मुलाकात की थी। उनकी बातचीत दो घटे चली थी और स्वर्ण कानूनके अमलके अलावा अन्य सभी प्रश्नोंपर सहमति हो गई ही दीखती थी। किन्तु, स्वर्ण कानूनके सम्बधमें जैसा कि मन्त्री महोदयका खयाल था, श्री गाधी निहित अधिकारोकी पुष्टि नहीं, बल्कि उनके विस्तारकी माँग कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनसे जो सुनिश्चित आश्वासन माँगा जा रहा है, वह दे सकना उनके लिए सम्भव नही है। वे समझौतेके लिए बहुत उत्सुक थे और इसलिए अब भी यह सोच रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता है, किन्तु उन्हें इस बातमें सन्देह था कि वे श्री गाधी जितना चाहते थे, उतना कुछ कर पायेंगे। आगेकी बातचीत श्री जोर्जेसने की और अन्तमें श्री गांधी प्रस्तावित फार्मूलेको स्वीकार करने और सौदा तय कर देनेको तत्पर हो गये — इसका कारण चाहे उनका मूड रहा हो, या मधुर विवेक अथवा उन्हें जो-कुछ प्राप्त हो गया था उसे अप्राप्यके लिए खो देनेकी उनकी अनिच्छा। फिर दोनोंके बीच कुछ लिखा पढ़ी हुई और दूसरे दिन सुबह, यानी इसी १ तारीखको, श्री गाधी केप टाउनसे डर्बनके लिए प्रस्थान कर गये। मेरे सचिवको, जिसकी सयोगवश उनके प्रस्थानके समय उनसे मुलाकात हो गयी, उनके अभी हालके उपवासके कारण उनकी मुखाकृतिमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उसने थोड़ी देर तक उनसे बातचीत भी की, जिसके दौरान उन्होंने बड़ी नम्रताके साथ समझौतेमें अपने योगदानकी चर्चा करते हुए दूसरोके योगदानकी मुक्त कण्ठसे प्रशसा की।

३ श्री गाधी सत्र समाप्त होनेके शीघ्र बाद, सलग्न पत्र-व्यवहारको, शायद, प्रकाशित करेंगे। राष्ट्र-वादियोंके बीच सरकारकी लोकप्रियतामें कोई वृद्धि हो पानेका सम्भावना नहीं है, और अन्य हल्कोमें भी, विशेषकर नेटालमें, इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया हो सकती है। इन परिस्थितियोंमें ससदका सत्र समाप्त होनेके पूर्व इसके प्रकाशनसे असुविधा हो सकती है। और जनरल स्मट्सने जिस साहसके साथ अपने दलके एक बहुत बड़े हिस्सेकी भावनाओंकी उपेक्षा कर दी, उसके सम्बन्धमें तो कुछ कहना बेकार ही है।

४ श्री जोर्जेसके पत्रमें बताये गये प्रथम मुद्देके सम्बधमें दिये गये आश्वासनसे तीन पौंडी परवानेकी पद्धतिकी समाप्तिके प्रभावके सम्बधमें नेटालमें जो आशकाएँ उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें काफी हदतक दूर हो जाना चाहिए। इन्ही मिथ्या धारणाओंके कारण डर्बनसे विधेयकपर "निषेधाधिकारका प्रयोग" करनेका आग्रह करते हुए वे मूर्खतापूर्ण तार आये है, जो मैंने आपको अपने इसी २ तारीखके ४६७ और ४६८ नम्बरके खरीतोंके साथ प्रेषित किये है। इनमें से एकके प्रेषक हैं श्री के० क० पिल्ले, जो अपने-आपको "तीन पौंडी कर समितिका अध्यक्ष" बताते हैं। किन्तु, कहते हैं, वे कोई रुतबेवाले आदमी नही हैं। मुझे बताया गया है कि इसमें भी सन्देह ही है कि दूसरे तारके प्रेषक श्री एम० सी० कुवाड़ियाका नेटाल भारतीय काग्रेसके सदस्योंके बीच भी कोई बड़ा समर्थन है। मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने अभी हालमें जो तथाकथित "सार्वजनिक सभा" बुलाई, उसमें भी मात्र कोई तीस भारतीय ही उपस्थित थे। हाँ, मैं इस कथनकी यथार्थताके सम्बधमें कोई हलफ नही ले सकता। उन्होंने इस कानूनके खण्ड ७ के पुन रचित रूपकी आलोचना की है। इस आलोचनामें कुछ बल अवश्य है। किन्तु, ऐसा नही है कि इस मुद्देको नजरअन्दाज कर दिया गया था। मैंने इस नई धाराको सर्वप्रथम, जब वह

१ देखिए परिशिष्ट २६ और "पत्र ई० एम० जोर्जेसको", पृष्ठ ४२९ ३०।

अय संशोधनोंके साथ कार्य सूचीमें प्रकाशित हुई तब, देखा। मैंने तुरन्त इस बातकी जाँच शुरू करवा दी। आयोगकी सिफारिशमें ऐसा अन्तर कैसे कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप अधिवास-प्रमाणपत्र पेश करनेवाले भारतीयसे न केवल उसकी शिनाख्तके प्रमाण माँगे जा सकते हैं, बल्कि आदाताके उसे प्राप्त करनेके कानूनी अधिकारकी पुष्टिके सम्बन्धमें भी प्रमाण माँगे जा सकते हैं। मुझे बताया गया कि कुछ मामलोंमें ऐसे प्रमाणपत्र जालसाजीसे भी प्राप्त किये गये हैं और सरकार इन प्रमाणपत्रोंको सरक्षण देना ठीक नहीं मानती। मैं मूल धाराको ज्यादा पसन्द करता, परन्तु चूँकि सरकारका दृष्टिकोण अपने आपमें अनुचित नहीं था और चूँकि श्री गांधीने इसपर कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए मुझे इस अपेक्षाकृत महत्त्वहीन तफसीलपर आग्रह करके परेशानी पैदा करना बेकार ही लगा। अन्य बातोंमें श्री कुवाडियाका तार निरर्थक ही है। इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि इस आन्दोलनके पीछे नेटालके उन चन्द यूरोपीयोंका हाथ रहा हो, जिन्हें भारतीयोंकी आशंकित मन स्थिति और भोलेपनको इस विश्वासमें परिवर्तित करनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि तीन पौंडी करके अभावमें उनके अनिवार्य देशगमनके विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा पुन गिरमिटमें बध जाना है। ऐसी आशा की जा सकती है कि श्री गांधीके नेटाल लौटनेपर उनके प्रभावसे स्थितिमें सुधार आ जाये।

५ श्री जॉर्जेसके पत्रके दूसरे मुद्देके सम्बन्धमें जो रियायत दी गई है, वह आयोगकी सिफारिशसे भी अधिक है — सो इस तरह कि अब बहुपत्नीक विवाह प्रथाके अनुसार ब्याही गई पत्नियोंके सम्बन्धमें यह अपेक्षा समाप्त कर दी गई है कि इस कानूनका लाभ इस श्रेणीमें आनेवाली उन्ही पत्नियोंको मिलेगा जो पहले कभी दक्षिण आफ्रिकामें रह चुकी होंगी। और इस बातपर तो दोनों पक्ष सदासे सहमत रहे हैं कि यह सुविधा तभी दी जायेगी जब, जिन लोगोंके उससे लाभ उठानेकी सम्भावना है, उनकी सख्या कम हो।

६ तीसरे मुद्देकी रूसे श्री गांधीको "केपमें प्रवेश" के प्रश्नपर वांछित प्रशासनिक आश्वासन दिया जा रहा है। चौथे मुद्देकी रूसे उनकी ऑरेंज फ्री स्टेट घोषणा सम्बन्धी कठिनाईका निराकरण हो जाता है। जिस बातपर पाचवें मुद्देमें विचार किया गया है, वह मेरे जानते तो अबतक कभी उठाई नहीं गई। इसका निपटारा बहुत ही न्यायसगत और उचित ढंगसे कर दिया गया है। छठे मुद्देपर श्री गांधीके इस तर्कका समझौतापूर्ण और अनुकूल उत्तर दे दिया गया है कि "सचमुच सत्याग्रहके अपराधमें" अतीतमें दिये गये दण्डोंका प्रयोग भविष्यमें इस प्रकार दण्डित व्यक्तियोंके विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। सातवें मुद्देमें, "जिन प्रवेशार्थियोंको विशेष रूपसे छूट दी गई हो," उनके प्रवेशसे सम्बन्धित प्रक्रियाकी तफसीलोंका सन्तोषजनक नियमन किया गया है। आठवें मुद्देमें जनरल स्मट्सने विधान-सभामें आयोगकी रिपोर्टके अन्तमें सार रूपमें प्रस्तुत प्रशासनिक सिफारिशोंको समग्रत अंगीकार कर लेनेका जो वचन दिया था, उसे दुहराया गया है। इस अतिरिक्त शर्तके जोड़ दिये जानेपर किसीको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है, उसके साथ साथ इन आश्वासनोंको इसी भरोसे पूरा किया जा रहा है कि भारतीय समाज इस समझौतेको पूर्ण और अन्तिम मानकर स्वीकार कर लेगा।

७ श्री गांधी अपने उत्तरमें स्पष्ट रूपसे कहते हैं कि विधेयकके पारित हो जानेकी बात और इस पत्र-व्यवहारसे सत्याग्रह सदैव अन्तिम रूपसे समाप्त हो जाता है। पत्रके अन्तमें वे अपना यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि यदि सरकार अपने वादेके अनुसार मौजूदा कानूनोंके अमलमें उसी उदार दृष्टिकोणसे काम लेती रही जो अभी हालमें उसने दिखाया है, तो संघके भीतर निवास करनेवाला भारतीय समाज एक हदतक शान्तिका उपभोग कर पायगा और फिर वह कभी भी सरकारके लिए परेशानीका कारण नहीं बनेगा। इससे अधिककी अपेक्षा श्री गांधीसे नहीं की जा सकती थी, और जनरल स्मट्सको शायद बड़ी प्रसन्नता होती, यदि पत्रको इन दो उक्तियों तक ही सीमित रखा जाता। किन्तु, जहाँ यह आभास

दिया गया है कि अन्य बातोंका निबटारा भविष्यमें किया जायेगा, वहाँ शब्द-योजना बड़ी कुशलतापूर्ण है, और हो सकता है श्री गांधीको अपने आपके प्रति न्याय करने तथा शीघ्र ही और रियायतोंकी माँग करनेकी सम्भावनाको टालनेके लिए इसे शामिल करना आवश्यक लगा हो। ऐसा खयाल है कि जब वह पत्र जनरल स्मट्सको दिया गया तो उन्होंने उसे कूटनीति और विचक्षणताका एक सराहनीय करतब बताया। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इसे समझौतेकी शर्तोंका कोई गम्भीर परित्याग माना, किन्तु अबतक मैं व्यक्तिगत रूपसे इस प्रश्नपर उनके विचार नहीं जान पाया हूँ।

८ साथमें अखबारोंके दो उद्धरण भेज रहा हूँ। पहलेमें शनिवारको श्री गांधीके सम्मानमें आयोजित बधाई-समारोहकी कार्यवाही की रिपोर्ट दी गई है। मेरा खयाल है, सिनेट-सदस्य मार्शल कैम्बेल, श्री मेलर और श्री गांधीके भाषण आपको दिलचस्प लगेंगे। दूसरेमें जोहानिसबर्गकी एक मुस्लिम-संस्थाके क्षोभ और असन्तोषका विवरण है। उनकी शिकायत शायद यह है कि यह कानून बहुपत्नीक विवाहोंको मान्यता नहीं देता, और मुझे भय है कि कमसे कम अभी हालमें तो उस शिकायतको दूर नहीं किया जा सकता। मुसलमानोंके एक शिष्टमण्डलने जनरल स्मट्सका ध्यान मारिशसके कानूनकी ओर आकृष्ट किया है। किन्तु, गृह विभागका खयाल है, और मैं भी उससे सहमत हूँ, कि इस मानेमें वह कानून संघ संसद द्वारा पास किये गये भारतीय राहत अधिनियमकी व्यवस्थाओंसे कम उदार है।

भवदीय
गवर्नर जनरल

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५८

(२) उपनिवेश-कार्यालयके नाम गवर्नर-जनरलका खरीता

केप टाउन
जुलाई १०, १९१४

महोदय,

मैं साथमें गृह विभाग और श्री गांधीके बीच हुए पत्र व्यवहारकी, अखबारोंमें प्रकाशित प्रति भेज रहा हूँ। इस पत्र व्यवहारका विषय वे कुछेक प्रशासनिक मुद्दे हैं, जिनका निपटारा भारतीय राहत विधेयक पास किये जाने तक स्थगित रखा गया है। यह कानून, जो अब विधि पुस्तकमें शामिल कर लिया गया है, भारतीय जाँच आयोगकी उन सिफारिशोंको कार्यरूप देता है जिनके कारण इसे पास करना आवश्यक हो गया था। शेष सिफारिशें ऐसी थीं जिनके सम्बन्धमें विभागीय तौरपर कार्रवाई की जा सकती थी। संलग्न पत्र व्यवहारमें उनके सम्बन्धमें आवश्यक कार्रवाई करनेका वादा किया गया है, और इस वादेके अतिरिक्त उन अन्य मुद्दोंके सम्बन्धमें श्री गांधीको मान्य होने लायक आश्वासन भी दिये गये हैं, जिन्हें उन्होंने सन्तोषजनक समझौतेके लिए आवश्यक बताया था।

२ आपको श्री गांधीका यह वक्तव्य पढ़कर बड़ा सन्तोष होगा कि यह प्रस्ताव तथा इस विधेयकके पास हो जानेकी बात, दोनों मिलकर, आजसे कोई आठ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किये गये संघर्षको समाप्त कर देते हैं। मुझे अपना पद छोड़ते समय यह जानकर सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दक्षिण आफ्रिकाके जिस भारतीय सवालको लेकर न केवल इस देशकी सरकार और जनता इतनी परेशान रही है, बल्कि महामहिमकी सरकार तथा भारत-सरकार भी उतनी ही परेशान रही, अब उसके हल हो जानेकी आशा की जा सकती है। मेरे विचारसे मन्त्रियों तथा संघ-संसदने और साथ ही सर विलियम सॉलोमन तथा

उनके सहयोगी आयुक्तोंने भी मौजूदा समझौतेके सम्पादनमें अपने अपने योगदानके द्वारा साम्राज्यकी महान् सेवा की है ।

३ आप देखेंगे कि जहाँ श्री गाधी अपने तई समझौतेको स्वीकार करते है, वहाँ वे अपने पत्रमें कुछ ऐसे मुद्दोंका भी उल्लेख करते है जिनका, उनके विचारसे, भविष्यमें कभी निबटारा हो जाना चाहिए। फिर भी, वे सघर्षकी पुनरावृत्तिका कोइ पूर्वाभास नही देते, और मैं नही समझता कि भारतीय समाजका कोई बड़ा हिस्सा, उसे जो सुविधाएँ दी गई है, उन्हें आधार बनाकर फिर नई माँगें पेश करनेकी नासमझी करेगा । जान पड़ता है, इस सम्बन्धमें ऐसी ही कुछ आशका 'केप आर्गस' के एक अग्रलेखमें लेखककी है । लेखकी एक प्रति मैं साथ भेज रहा हूँ । लेकिन, ऐसा नही लगता कि इतना कुछ प्राप्त कर लेनेके बाद भारतीय मात्र इसलिए अधैर्य प्रदर्शित करनेकी भूल करेंगे कि उन्हें और अधिक नही मिला ।

४ अखबारोंके शेष उद्धरण भी आपको दिलचस्प लगेंगे ।

इनमें से पहलेमें जोहानिसबर्गसे भेजे दो तारोंका पाठ दिया गया है — एक श्री गोखलेके नाम इग्लड भेजा गया था और दूसरा बम्बइके पतेपर किसी व्यक्तिको भेजा गया था । प्रथमपर श्री काछलियाके हस्ताक्षर है । ये वही काछलिया है, जिनकी सरकारको दी गई आखिरी चुनौतीसे, आपको याद होगा, पिछले वर्षके अन्तिम दिनोंमें नेटालकी हड़ताल और उससे सम्बद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुए थे । दूसरे तार पर सर्वश्री काछलिया, गाधी, कैलेनबैक और पोलकके हस्ताक्षर है। दोनो तारोंमें "अन्तिम समझौता" शब्द समुच्चयका प्रयोग किया गया है, और दोनों ही की भावना और शब्द योजना ऐसी है जिनपर किसी कटुसे कटु आलोचकको भी कोई आपत्ति नही हो सकती ।

दूसरे उद्धरणमें श्री गाधीके डर्बन आगमन और नेटाल भारतीय सघ द्वारा उनके कार्यसे सहमति व्यक्त करते हुए एक प्रस्तावकी स्वीकृतिकी रिपोर्ट दी गई है ।

तीसरेमें इसी ८ तारीखको डर्बनके टाउन हॉलमें मेयरकी अध्यक्षतामें श्री गाधीके सम्मानमें आयोजित एक समारोहमें श्री गाधी द्वारा दिये गये विदाई भाषणका सार प्रस्तुत किया गया है । आप देखेंगे कि वे उसमें सघ सरकारके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते है, अन्य हलकोंसे प्राप्त सहायताके लिए आभार व्यक्त करते हैं, और समझौतेके सम्बन्धमें बोलते हुए कही भी ऐसा कहते प्रतीत नही होते कि उन्होंने यह नही किया, वह नही किया ।

एक बात और भी है कि उनका इरादा अगले हफ्ते दक्षिण आफ्रिका छोड़ देनेका है । इसका, कदाचित्, यह अर्थ लगाया जा सकता है कि वे अब इस देशमें अपने कठिन प्रयासोंको सम्मानपूर्ण ढगसे निष्पन्न हो गया समझते हैं ।

भवदीय
गवनर जनरल

परिशिष्ट २८

संघर्ष और उसके परिणाम

(सम्पादकीय)

कितनी ही बार ईश्वरकी इच्छासे छोटी-छोटी सेनाओंने बड़ी बड़ी सेनाओंको पराजित किया है। ईश्वर उनके साथ है जो धैर्यपूर्वक निरन्तर उद्योग करते है। — कुरान

तुम्हारे पूर्ववर्तियोंको तपस्याकी जिस आगसे गुजरना पड़ा उससे तो तुम्हें गुजरना नही पड़ा। तब तुम स्वर्गमें प्रवेश करनेकी इच्छा क्यों करते हो? दुर्भाग्य और विपत्तियोंके प्रहारोंने उनकी कड़ी परीक्षा ली थी। — कुरान

एक सीमित स्थानमें ऐसे आन्दोलनकी उत्पत्ति और घटना क्रमका पर्यावलोकन जो दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके इतिहासमें आठ वर्ष तक चलता रहा, एक ऐसा काम है जिसे संतोषजनक ढंगसे कर सकना असंभव है। अतएव इस खाकेमें शीघ्रतासे खींची हुई रूपरेखाका संकेत कर दिया गया है जिसमें यत्र तत्र विशिष्ट घटनाओंपर कुछ अधिक जोर दे दिया गया है और इस प्रकार बुनियादी रूपरेखाका संकेत कर दिया गया है।

सत्याग्रह आन्दोलनकी उत्पत्तिके कारण १९०६ के आन्दोलनमें नही खोजने चाहिए, वे खोजे जाने चाहिए उस आन्दोलनमें जिसका पहला दौर ट्रान्सवालमें १८८५ में और दूसरा नेटालमें १८९४ में शुरू हुआ। १८८५ का पुराना रिपब्लिकन कानून ३, आफ्रिकामें रहनेवाले एशियाइयोंपर अनेकों बोझ डालनेके साथ साथ यह भी अपेक्षा रखता था कि उनमें से जो व्यापारके लिए आये हों वे एक निश्चित फीस देकर अपना पंजीयन करायें और यह भी कि सफाईकी रक्षाके खयालसे वे उन बस्तियोंमें रहें जो खास करके उनके लिए अलग रखी गई है। किन्तु बहुत हद तक ये दोनों अपेक्षाएँ कानूनमें ही रही। अलबत्ता उनके कारण ब्रिटिश सरकारके साथ झगड़ा शुरू हो गया। अन्तमें इस झगड़ेके निपटारेके लिए युद्धकालमें साम्राज्यीय हस्तक्षेप हुआ और ब्रिटिश प्रजाके नाते अधिवासी भारतीयोंसे यह वायदा किया गया कि उनकी शिकायतोंको पूरी तरह दूर किया जायेगा।

ब्रिटिश उपनिवेश नेटालमें स्थिति इसलिए काफी उलझ गई थी कि वहां यूरोपीय उपनिवेशियोंके कहनेपर गिरमिटकी शर्तोंमें बांधकर बहुत बड़ी संख्यामें भारतीय मजदूर लाये गये थे और वहाँके लोगोंको अब उनकी उपस्थिति खलने लगी थी। यह विरोध इतना बढ़ा कि अनिर्बन्ध एशियाई आव्रजनकी समाप्ति तथा एशियाइयोंके मताधिकारके अपहरणके लिए एक आन्दोलन खड़ा हो गया। सवाल यह था कि यह उद्देश्य एक जातीय भेदभाववाले कानूनसे हासिल किया जाये या एक साधारण कानूनके भेदमूलक अमलके द्वारा। इन दो दृष्टिकोणोंमें कुछ समय तक संघर्ष होता रहा परन्तु अन्तमें श्री चेम्बरलेनकी राजनीति पटुताके फलस्वरूप सन् १८९७में दूसरावाला तरीका अपनाया गया और प्रसिद्ध "नेटाल ऐक्ट" पास हो गया जिसने जातीय भेद भावकी जगह एक शैक्षणिक परीक्षा लागू कर दी। उसके बादसे नेटालमें जाति भेदवाले कानूनोंका बनना बन्द हो गया और इसीलिए फिर नई मुसीबतके प्रथम चिह्न ट्रान्सवालमें उदय हुए क्योंकि वहाँ रंगदार लोगोंके दर्जेकी राजनीतिक कल्पना भिन्न होनेके कारण कानूनी समानताका सिद्धान्त स्वीकार नही किया गया था।

युद्धके बाद दुबारा जो समझौता हुआ उसमें ऐसी आशा की गई थी कि ब्रिटिश भारतीयोंके धन्धोंपर जो बोझ है वह हटा दिया जायेगा, परन्तु भारतीयोंको यह देखकर बहुत निराशा हुई कि युद्ध-कालमें उन्होंने जिस काले कानूनका जोरदार विरोध किया था उसे लागू करनेके लिए साम्राज्यीय

अधिकारी जोर शोरसे प्रयत्न कर रहे है, लॉर्ड सेल्बोर्नने बादमें इस नीतिका बचाव करनेकी कोशिश की थी और जैसा कि अनिवार्य था बचाव बहुत शिथिल था। भारतीयोंके प्रवासपर शान्ति सुरक्षा अध्यादेशसे कठोर प्रतिबन्ध लग गया। लॉर्ड मिलनरने १८८५ के कानून ३ के अधीन लगभग सभी बालिग भारतीय पुरुषोंके पंजीयनका आग्रह किया और अन्तमे भारतीय नेताओंने इसे एक सर्वथा स्वेच्छया किये जानेवाले कामके रूपमें मान लिया। क्योंकि लॉर्ड मिलनरने निश्चित वचन[1] दिया कि यह पंजीयन सम्पूर्ण और अन्तिम माना जायेगा और जो प्रमाणपत्र जारी होंगे उनके धारकोंको निवासका स्थायी हक होगा और इच्छानुसार बाहर आने जानेका भी हक होगा।

इसी बीच १८८५ का कानून ३ लागू किया जा रहा था ताकि सभी भारतीयोंको बस्तियों (लोकेशन्स) में रहने और वही व्यापार करनेपर मजबूर किया जाये। अत युद्धके पहलेका पुराना झगड़ा फिर चल पड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालयमें एक अपील हुई जिसने रिपब्लिकन हाईकोर्टके पुराने निर्णयको उलट दिया और ऐसा माना कि भारतीय जहाँ चाहें वहाँ व्यापार कर सकते हैं और बस्तियोंमें न रहना कानून द्वारा दण्डनीय अपराध नही है। यूरोपीय जनतामें जो भारत विरोधी तबका था, उसके लिए यह निर्णय एक कठोर आघात था। उस तबकेका सरकारमें भी प्रतिनिधित्व था और सरकारने ऐसा कानून बनानेका प्रयत्न किया जिससे सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयका प्रतिकार हो जाये। किंतु तत्कालीन उपनिवेश सचिव स्वर्गीय श्री लिटिलटनके हस्तक्षेपसे वह प्रयत्न असफल रहा। परन्तु आम जनताको झूठे आँकड़ोसे यह विश्वास दिलाया गया कि ट्रान्सवालमें एशियाइयोंका अनधिकृत आगमन बहुत ज्यादा है। १९०४ में प्लेगके प्रकोपके समय जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्तीके जला दिये जानेपर वहाँके निवासी भारतीयोंके पूरे उपनिवेशमें तितर बितर हो जानेसे जनताके उस विश्वासको और भी बल मिला। टान्सवालमें सब जगह इस उद्देश्यसे सभाएँ की गईं कि एशियाइयोंके प्रवासके सभी द्वार बन्द कर दिये जायें और भारतीयोको बस्तियोंमें ही रहने तथा वही व्यापार करनेको मजबूर किया जाये। इस प्रकार पूर्वग्रह और भयका जो वातावरण बना, उसमें भारतीय समाजके लिए अपनी निर्दोषताकी बात कहना सम्भव नहीं रह गया और उसकी इस माँगकी, कि शाही आयोग द्वारा या किसी अन्य तरीकेसे इस सवालकी खुली और पक्षपात रहित जाँच होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अतएव १९०९ में जब १८८५ के कानून ३ के "सशोधन" के लिए उस अध्यादेशका मसविदा प्रकाशित हुआ जिसमें समूचे भारतीय समाज — आदमियों, औरतों और बच्चोंका दुबारा पंजीयन कराना जरूरी माना गया था तो यूरोपीय जनताने उसका बड़े शोरगुलके साथ स्वागत किया, जब कि उन भारतीयोंपर जो इससे पीड़ित होनेवाले थे वज्रपात जैसा हुआ। अधिकारियोंने जो इसकी जरूरत समझी उसका मूल कारण यह था कि उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि भारतीयोंका गैर कानूनी किस्मका प्रवास अत्यधिक हो रहा है और उसमें अधिवासी भारतीयोंका हाथ भी अवश्य है। जहाँतक आम जनताका सम्बन्ध था उसने इस अध्यादेशको भारतीयोंको उपनिवेशसे पूरी तरह बाहर भगानेकी योजनाका पहला कदम मानकर उसका भरपूर स्वागत किया। पड़ोसी उपनिवेशो और प्रदेशोंके यूरोपीय इस घटनाको उत्सुक दर्शकोंकी तरह देखते रहे जैसा कि उन्होंने १९०३ में किया था जब कि लॉर्ड मिलनरने भारतीयोंको बस्तियोंमें रहने और व्यापार करनेपर मजबूर करनेका असफल प्रयास किया था। उनकी मशा यह थी कि वे भी इस नई नीतिके परिणामोंका लाभ अपने आपको एशियाई "दु स्वप्न" से मुक्त करनेमें उठा सकें।

समाजपर जिस भयानक विपत्तिका खतरा आ उपस्थित हुआ था, उससे आतंकित होकर भारतीय नेताओंने, यदि सम्भव हो तो, उसे टालनेके लिए शीघ्रतासे कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। उन्होंने सरकारके जिम्मेदार सदस्यसे भेंट माँगी। किन्तु उन्हें केवल इस कानूनके व्यवहारसे स्त्रियोंको छूट दिलानेमें ही सफलता मिली, और अन्तिम उपायके रूपमें ठीक उसी समय, जबकि विधान परिषदमें इस अध्यादेशके

१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३३१।

मसविदेपर बहस चल रही थी, भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा[1] बुलाई। उधर परिषद्‌में — जिसकी बहस बिलकुल दिखावटी और पूर्व-निश्चित थी, दो घंटेसे भी कम समयमें सारी कार्रवाई समाप्त कर दी गई, और इधर भीड़से खचाखच भरा एम्पायर थियेटर सरकारकी उस नीतिकी भर्त्सनामें दिये गये जोशीले भाषणोंसे — गूँज उठा, जो एक ओर तो लॉर्ड मिलनरके गम्भीर वचनको झुठला रही थी और दूसरी ओर बिना किसी सुनवाई शहादतके भारतीय समाजको दोषी ठहराते हुए इस उपनिवेशसे, और अन्तत दक्षिण आफ्रिकासे उसके निष्कासनका सामान जुटा रही है। इस नीतिसे उत्पन्न क्षोभ इतना तीव्र था कि जब प्रसिद्ध चौथा प्रस्ताव[2] — जो उपस्थित लोगों और जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे, उन सबको भी उस विधेयकके पारित हो जानेपर तबतक के लिए जेल जानेकी प्रतिज्ञासे बाँध देता था जबतक कि उक्त कानून रद अथवा अस्वीकृत नही कर दिया जाता — पेश किया गया तो तीन हजारके उस विशाल जनसमुदायने एक स्वरसे उसका समर्थन किया और जब सत्याग्रहकी शपथ दिलाई गई तो सबने गम्भीररूपसे "तथास्तु" का स्वर उच्चारित किया। किन्तु, साथ ही एक भयानक सघर्षकी सम्भावनाको टालनेके लिए इंग्लैंडको एक शिष्टमण्डल भेजनेकी व्यवस्था भी की गई। प्रतिनिधिगण साम्राज्यीय अधिकारियोसे मुलाकात करने और जनमतको जगानेके लिए चल दिये। उनके प्रयत्नोंक परिणामस्वरूप, ट्रान्सवालमें स्वशासनका समारम्भ निकट देखते हुए विधेयकपर शाही स्वीकृति स्थगित कर दी गई, और यह भी उन्हींके प्रयासोंका सुफल था कि प्रसिद्ध दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिका गठन किया गया, जिसके कार्यपालक अध्यक्ष हुए सर मचरजी भावनगरी, मन्त्री श्री एल० डब्ल्यू० रिच और बादमें चलकर उसके सभापति (प्रेसिडेंट) पदका दायित्व सभाला लॉर्ड ऍम्टहिलने।

किन्तु, कानूनपर शाही अस्वीकृति अस्थायी छुटकारा ही थी, क्योकि उपनिवेशकी यूरोपीय आबादीने साम्राज्य सरकारकी इस कार्रवाईका, जिसे उसने लगभग एक स्वशासित उपनिवेशके मामलेमें धृष्टतापूर्ण हस्तक्षेपके रूपमें देखा, बहुत बुरा माना, और फिर उसने क्षुब्ध होकर यह माँग की कि इस अध्यादेशको शीघ्र ही पुन कानूनी रूप दिया जाये। परिणामत नयी ससदका लगभग पहला कार्य यह हुआ कि उसने सर्वसम्मतिसे एक ही अधिवेशनमें प्रस्तुत विधेयकपर सारा कार्रवाई समाप्त करके उसे कानूनका रूप दे दिया। उसने भारतीय जनमत और भारतीय विरोधोका कोई खयाल नही किया, क्योंकि भारतीयोका ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नही था, इसलिए जान पड़ता है, किसीको भी उनकी भावनाओंका खयाल रखना आवश्यक नही लगा।

सघर्ष यद्यपि अब अवश्यभावी हो गया था, फिर भी भारतीय नेताओंने सरकार और ससदसे यह अनुरोध किया था कि विधेयकको पास न किया जाये और पुन पजीयनके स्वेच्छया प्रयत्नको स्वीकार कर लिया जाये। और उनका कहना था कि इस पुन पजीयनका स्वरूप, जैसा दोनों पक्ष मिलकर तय कर दें, वैसा ही हो। वे इस कार्यमें हर सम्भव सहायता देनेको तैयार थे। किन्तु, उनकी एक न सुनी गई, और भारतीय समाजपर एक सुदीर्घ सघर्षकी सारी भीषण सम्भावनाएँ थोप दी गईं। जुलाई १९०७में नया कानून लागू कर दिया गया, और इसके अन्तर्गत सरकारी तौरपर पजीयनकी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई। विभिन्न हिस्सोंमें बारी-बारीसे पजीयन होने लगा, और पजीयन-अधिकारी पूरे उपनिवेशमें एक नगरसे दूसरे नगरका दौरा करने लगे। किन्तु लोगोंको पजीयनके लिए प्रेरित करनेके उनके सारे प्रयास सर्वथा विफल रहे, और इस कानूनकी शर्तोंके अनुसार आचरण करनेका एक अन्तिम अवसर देनेके विचारसे सरकारने पजीयनकी विज्ञापित अवधिको बढ़ा दिया। किन्तु, भारतीय समाजके ९५ प्रतिशत लोग अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहे। इस बीच सरकारके नाम एक प्रार्थनापत्र[3] लिखकर इस स्थितिसे उत्पन्न परेशानियोंको समाप्त

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३०-३८ तथा ४५१-५६।

२ खण्ड ५, पृष्ठ ४३४।

३ देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३२०-२१।

करनेके लिए नेताओंने एक प्रयत्न और किया था। इस प्रार्थनापत्रपर ३००० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये थे, और इसमें सरकारसे भारतीय समाजके जिस अथाह करार सागरमें डूब जानेकी आशंका उत्पन्न हो गई थी, उसकी गहराइयोंको महसूस करनेका अनुरोध किया गया था। समाजने कानून रद कर दिये जाने पर एक बार फिर स्वेच्छयासे पुन: पंजीयन करानेकी अपनी तत्परता व्यक्त की थी। परन्तु यह प्रार्थनापत्र तिरस्कारपूर्वक अस्वीकृत कर दिया गया, और वर्षके अन्तमें अनेक नेताओंको गिरफ्तार करके उन्हें उपनिवेशसे निकल जानेका आदेश दे दिया गया, और उनके इनकार करनेपर उन्हें विभिन्न कालावधियोंके लिए कारावासकी सजा दे दी गई। इस प्रक्रियाकी पुनरावृत्ति होती रही और आखिर सभी वर्गोंके सैकड़ों लोग जेलोंमें ठूँस दिये गये। किन्तु, जब सरकारने देखा कि समाजका दमन करनेकी नीति असफल हो गई तो उसने "ट्रान्सवाल लीडर" के सम्पादक श्री अलबर्ट कार्टराइटके द्वारा बातचीत प्रारम्भ की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस समय महाविभव आगाखाँ बम्बईमें आयोजित सार्वजनिक विरोध सभाकी अध्यक्षता कर रहे थे, लगभग उसी समय एक समझौतेपर हस्ताक्षर हो गये। इसके अनुसार तय पाया गया कि सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया जायेगा, स्वेच्छया पुन: पंजीयनकी कार्रवाई तीन महीने तक चालू रहेगी, और इस अवधिमें कानूनका अमल स्थगित रहेगा, तथा, जैसा कि भारतीय हस्ताक्षर कर्त्ताओंको स्पष्ट लगे, यदि पुन: पंजीयन सम्पन्न हो जायेगा तो यह घृणित कानून रद कर दिया जायेगा। इस बीच एक प्रवासी कानून पास कर दिये जानेके कारण स्थिति उलझ गई थी। इस कानूनको एशियाई कानून संशोधन अधिनियमसे संयुक्त करके लागू करनेका परिणाम यह होता कि सभी एशियाइयोंके आव्रजनपर, चाहे आव्रजनके इच्छुक भारतीय कितने भी सुसंस्कृत हों, पूरा प्रतिबन्ध लग जाता। इस प्रकार प्रजाति भेदसे रहित विधि निर्माणकी जिस नीतिकी श्री चैम्बरलेनने इतनी जोरदार हिमायत की थी, उसे एक ही प्रहारमें ध्वस्त कर दिया गया। फिर भी, समाजको लगा कि एशियाई कानून रद कर देने पर प्रजाति भेदका कलंक अपने आप दूर हो जायेगा, और तदनुसार सारे प्रयत्न उसी ओर केन्द्रीभूत कर दिये गये। इधर स्वेच्छया पुन: पंजीयन प्रारम्भ हुआ और उधर श्री गांधीके एक दिग्भ्रमित देशभाईने उनपर घातक प्रहार कर दिया,[1] और कुछ समयके लिए सब कुछ उलझनमें पड़ गया। किन्तु, समाजके नाम विशेष अपील जारी की गई, और तब पुन: विश्वास उत्पन्न होने और कानूनकी मंसूखीका वचन मिलनेपर मई महीनेके मध्य तक पुन: पंजीयनका कार्य विधिवत् सम्पन्न हो गया, और लॉर्ड सेल्बोर्नने स्वयं इसके सन्तोषजनक होनेका साक्ष्य भरा। और तब सरकारसे समझौतेका अपना दायित्व पूरा करनेको कहा गया, किन्तु वह मंसूखीके वादेसे मुकर गई, और उसके इस आचरणसे भारतीय समाजमें शीघ्र खलबली मच गई। सरकारने कहा कि वह कानून तो रद कर देगी, किन्तु इस शर्तपर कि कुछ विशिष्ट वर्गोंके भारतीयोंको निषिद्ध प्रवासी माना जाये और प्रवासी कानूनमें प्रजातिगत प्रतिबन्ध बना रहे। स्वभावत: इन शर्तोंको समाजने क्षोभके साथ अस्वीकार कर दिया, और वह सत्याग्रह संघर्षको पुन: आरम्भ करनेके लिए तैयार हो गई। नेटालसे आनेवाले एक शिक्षित पारसी श्री सोराबजी शापुरजीको प्रजातिगत भेदका विरोध करनेके कारण कारावासकी सजा दे दी गई। नेटालके भारतीयोंने अपने भाई बन्दोंके साथ सहयोग करनेके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेश किया, और उन्हें भी निषिद्ध प्रवासियोंके रूपमें गिरफ्तार करके उपनिवेशसे निकल जानेका आदेश दिया गया। किन्तु जोहानिसबर्गमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें,[2] जिसमें वे भी उपस्थित थे, सैकड़ों स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्रोंको सार्वजनिक रूपसे अग्निकी भेंट कर दिया गया और सरकारको सामूहिक कारावास देनेकी चुनौती दी गई। अब सरकार चौंक उठी, और श्री अल्बर्ट कार्टराइटकी मध्यस्थतामें प्रिटोरियामें सरकार और विरोधी दलके प्रमुख सदस्यों तथा भारतीयों और चीनी समाजोंके प्रतिनिधियोंकी एक बैठक बुलाई गई। किन्तु, बैठक असफल सिद्ध हुई, क्योंकि यद्यपि सरकार उन अनेक मुद्दोंको छोड़

१. देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ९१-९२।
२. देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ४५०-५४ और ४६८-७१।

देनेके लिए तैयार थी, जिनपर वह पहले आग्रह करती रही थी, किन्तु दो प्रमुख मुद्दोपर वह हठपूर्वक डटी रही। उसने एशियाई अधिनियमको रद करने या प्रवासी कानूनसे प्रजातिगत प्रतिबन्ध हटानेसे दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। ससदके दोनो सदनोंमें एक सशोधन विधेयक पास किया गया, जिसके अनुसार स्वेच्छया पजीयनको कानूनी-मान्यता दे दी गई और कुछ बातोंमें भारतीयोंकी स्थितिमें भी सुधार किया गया। किन्तु, चूँकि उपर्युक्त कारणोसे यह कार्रवाई भी मुख्यत असन्तोषजनक ही रही, इसलिए सत्याग्रहियोने इसे कोई मान्यता नही दी और जोर शोरसे सघर्ष पुन प्रारम्भ कर दिया। नये कानूनसे सरकारके हाथ मजबूत हो गये थे, क्योंकि उसमें उसे निर्वासन दण्डके अधिकार दिये गये थे। किन्तु, प्रारम्भमें उसके ये अधिकार बेकार ही सिद्ध हुए। कारण, वह सत्याग्रहियोंको नेटालकी सीमाके पार करती नही कि वे उतनी ही जल्दी लौट आते जितनी जल्दी उन्हें निर्वासित किया जाता था।

इस अवस्थामें सघर्षके विभिन्न ब्यौरोका विश्लेषण करना अनावश्यक ही होगा। इतना याद कर लेना ही काफी है कि पुर्तगीज सरकारने डेलागोआ बेमें ट्रान्सवाल लौटनेवाले ऐसे भारतीयोका प्रवेश रोकनेमें ट्रान्सवालके साधनका काम किया जो उस उपनिवेशके वैध निवासी थे, सरकारके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें अनेक परीक्षात्मक मुकदमे दायर किये गये, जिनमें से कुछमें वादियोकी पराजय हुई और कुछमें विजय भी, ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष श्री अ० मु० काछलियाने, जो धनोपार्जनकी क्षुद्र वासनाकी तुलनामें अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहना और सम्मानकी रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे, स्वेच्छासे दिवालियापन स्वीकार किया, सभी वर्गोंके हजारो भारतीयोंको कारावासकी सजा दी गई। भारतसे अपीलें की गई, जिनके उत्तरमें उस देशके विभिन्न भागोमें विरोध सभाओका आयोजन किया गया, नेटालसे आर्थिक सहायता मिली, सारे देशके भारतीयोमें उत्साहकी एक प्रबल भावना जाग्रत हो गई, लन्दनमें लॉर्ड ऍम्टहिलकी समिति और ब्रिटिश अखबार सक्रिय हो उठे, ट्रान्सवालके अखबारोमें बड़े तीव्र विवाद उठ खड़े हुए, उधर ट्रान्सवालके अनेक यूरोपीयोकी प्रच्छन्न सहानुभूतिका परिणाम हॉस्केन समितिके गठनके रूपमें प्रकट हुआ, जिसने अनेक प्रकारसे ऐसी शानदार और देशभक्तिपूर्ण सेवाएँ कीं, 'टाइम्स' में एक खुला पत्र छपा, नेटाल और दक्षिण रोडेशिया द्वारा पास किये गये भारतीय विरोधी कानूनोंपर शाही स्वीकृति नही दी गई, जोहानिसबर्ग और सारे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाएँ आयोजित की गई, इस बीच भारतीय समाजके कुछ वर्गोंकी हिम्मत टूटने लगी, किन्तु कुछमें और भी दृढ़ता आ गई, तमिल लोगोंकी शक्ति और सहिष्णुताका आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन हुआ, भारतीय महिलाओंने बड़ी ओजस्वी श्रमशीलताका परिचय दिया, बहुत से कारोबार और घर बरबाद हो गये, बिखर गये, सत्याग्रहियोंके उत्साहको तोड़नेके लिए जेलोंमें उन्हें भीषण यातनाएँ दी गईं, कारावासकी यातनाओंको बार बार आमन्त्रित करनेवाले लोगोंने अप्रतिम साहसका परिचय दिया, सघर्ष मजिलपर मजिल तय करता गया और उसीके साथ सघर्षकर्त्ताओंमें एक शानदार धार्मिक भावना विकसित होती गई, आशाओं और आशकाओंकी आँख मिचौनी चलती रही। नेताओंने इस बातमें अपना विश्वास दृढ़ रखा कि वे अन्तत सफल होंगे — यह सब ऐसी घटनाओंकी झलकियाँ प्रस्तुत करता है, जिन्होंने सत्याग्रह सघर्षको महानताके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया, और जो इस सघर्षकी सबसे बड़ी विशेषताएँ थीं।

सन् १९०९ के मध्य आन्दोलनमें एक नये जीवनका सचार हुआ, जब दो अलग अलग शिष्टमण्डलोंको जनमत तैयार करने और सहायता प्राप्त करनेके लिए इंग्लैंड और भारत जानेके लिए प्राधिकृत किया गया। जब प्रतिनिधिगण रवाना होनेको थे, तभी उनमें से अधिकांशको सत्याग्रहियोंके रूपमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। स्पष्ट ही इसमें उद्देश्य यह था कि शेष प्रतिनिधि भी नही जा सकें। किन्तु, समाजका आग्रह था कि शिष्टमण्डल जाये ही। इंग्लैंडमे इस प्रश्नमें लोगोंकी अभिरुचि फिर बड़े तीव्र ढगसे जग उठी और चूँकि उस समय सघ अधिनियमके मसविदेके सिलसिलेमें ट्रान्सवालके मन्त्रिगण वही थे, साम्राज्यके अधिकारियोंने भरसक समझौता करानेका प्रयत्न किया। किन्तु, जनरल स्मट्सने बड़ा दुराग्रह दिखाया,

और वैधानिक रंग-भेदको दूर कर उसके बदले सर्वसामान्य ढंगके कानून बनानेसे उन्होंने साफ इनकार कर दिया, यद्यपि यह स्पष्ट था कि एशियाई अधिनियमका भविष्य अन्धकारमय है। इसलिए शिष्टमण्डल, जिसके नेता श्री गांधी थे, दक्षिण आफ्रिका लौट आया। उसे अपने उद्देश्यमें आंशिक सफलता ही मिली थी, किन्तु, वह ऐसे स्वयंसेवकोंके एक दलकी व्यवस्था कर आया था, जिन्होंने चन्दा करने और इस विषयको जनताके समक्ष रखनेका दायित्व अपने सिर ले लिया था।

भारत जानेवाले शिष्टमण्डलका स्वरूप इससे भिन्न था। इसके प्रस्थानके पूर्व एक महत्त्वपूर्ण घटना यह घटी कि जेलसे बाहर आते ही नागप्पनकी मृत्यु हो गई। उक्त शिष्टमण्डलके एकमात्र शेष सदस्य थे श्री पोलक। उन्होंने अपने आपको पूरी तरह माननीय श्री गोखलेके हवाले कर दिया। उनकी 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' ने बम्बईसे रंगून और मद्रास्से लाहौर तक सारे देशमें श्री पोलकके लिए सभाओंका आयोजन कराया। लोगोंमें बड़ा प्रबल उत्साह फैल गया, दक्षिण आफ्रिकामें कष्ट सहन करनेवाले लोगोंके रूपमें भारतका राष्ट्रीय अभिमान जाग उठा, और बड़ी तत्परतासे चन्दा किया जाने लगा। लोगोंने श्री रतन जे० टाटाके उदाहरणसे प्रेरणा ली, देशी रजवाड़ोंने बड़ी उदारतासे दान दिया और संघर्ष चलानेके लिए १०,००० पौंडकी धनराशि एकत्र हो गई। सभी वर्गोंके लोगोंने एक स्वरसे साम्राज्य-सरकारके हस्तक्षेपकी माँग की, और शाही परिषदके ऐतिहासिक कलकत्ता-अधिवेशनमें भारत सरकारने श्री गोखलेके प्रस्तावकी स्वीकृतिकी घोषणा की। सर्वसम्मतिसे पास किये गये इस प्रस्तावमें सरकारसे यह अनुरोध किया गया था कि वह भविष्यमें नेटालके लिए भारतमें गिरमिटिया मजदूरोंकी भर्तीको रोकनेकी सत्ता अपने हाथोंमें ले। तेरह महीनोंके प्रचार-प्रसारके परिणामस्वरूप दक्षिण आफ्रिकी भारतीय प्रश्नके सम्बन्धमें भारतीय जनमत इतना प्रबुद्ध हो गया कि वहाँकी सरकार भी सजग और चिन्तित हो उठी। और जब देशके कोने-कोनेसे ट्रान्सवाल सरकारकी, संघर्षको कमजोर करनेके उद्देश्यसे, सत्याग्रहियों (जिनमें से बहुतोंका जन्म ही दक्षिण आफ्रिकामें हुआ था) को भारी संख्यामें निर्वासित करके भारत भेजनेकी कार्रवाईके खिलाफ विरोधकी आवाज आने लगी तो भारत-सरकारके आग्रहपूर्ण निवेदनपर साम्राज्य-सरकारने ट्रान्सवाल सरकारसे — और बादमें संघ सरकारसे — निर्वासनकी कार्रवाई बन्द करनेका अनुरोध किया और वह उसमें सफल भी रही। आगे चलकर निर्वासित लोग दक्षिण आफ्रिका लौट गये, किन्तु उन्हें नारायणसामी-जैसे व्यक्तिको खोना पड़ा। उसे कानूनका कोई खयाल न रखते हुए ब्रिटिश क्षेत्रमें कहीं भी नहीं उतरने दिया गया और डेलागोआ बेमें उसकी मृत्यु हो गई।

इस बीच चारों दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेश दक्षिण आफ्रिका संघके प्रान्त बन गये थे। साम्राज्य सरकारने अन्ततः भारतीयोंके पक्षकी न्याय्यताको स्वीकार करते हुए और नई परिस्थितियोंकी सम्भावनाओंका लाभ उठाकर ७ अक्तूबर, १९१० को संघ-सरकारके नाम वह स्मरणीय खरीता भेजा, जिसमें उसने इस बातकी जोरदार सिफारिश की थी कि १९०७ के अधिनियम २ को रद कर दिया जाय और प्रजातिगत प्रतिबन्धको दूर करके उसके बदले भारतीयों द्वारा सुझाया हुआ प्रजातीय भेद भावसे रहित ऐसा कानून बनाया जाये जिसमें प्रशासनिक भेद-भावके द्वारा भावी भारतीय आव्रजनकी एक न्यूनतम वार्षिक संख्या निश्चित हो जाये, और इस न्यूनतम संख्याके अनुसार ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग ही आयें, जिनकी सेवाएँ भारतीय समाजकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए आवश्यक हैं। इस खरीतेके साथ एक शर्त यह भी जोड़ दी गई थी कि ट्रान्सवालके विवादको सुलझानेके लिए ऐसे किसी भी कदमको साम्राज्य-सरकार सन्तोषजनक नहीं मानेगी, जिससे तटीय प्रान्तोंमें रहनेवाले भारतीयोंके हितोंकी हानि होती हो। संघके मन्त्रियोंपर इसकी प्रतिक्रिया अनुकूल हुई, संघर्षकी भीषणता कम हो गई, और आखिर १९११ में एक संघीय प्रवासी विधेयक प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य इतने दिनोंसे चले आ रहे विवादको सुलझाना था। परन्तु स्पष्ट ही नया कानून अपने उद्देश्यको पूरा नहीं करता था, क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालयके अपील विभाग द्वारा छोटाभाईके मामलेमें दिये गये निर्णयके अनुसार नाबालिगोंको प्राप्त अधिकारोंकी रक्षा

करते हुए १९०७ के एशियाई अधिनियमको रद करता था परन्तु प्रजातिगत प्रतिबन्धको दूर नहीं करता था, बल्कि सच तो यह है कि ऑरेंज फ्री स्टेटमें प्रवेशके सवालको लेकर वह उसके प्रभावको सर्वव्यापी बना देता था। इसके अतिरिक्त वह न केवल ट्रान्सवालके भारतीयोंके अन्य अधिकारोंका अपहरण करता था बल्कि तटीय प्रान्तोंके निवासियोंसे भी ऐसे अधिकार छीन लेता था। इसका एक स्वरसे विरोध किया गया, बातचीत फिर प्रारम्भ की गई और सत्याग्रही नेताओंने यह सुझाव दिया कि इस विधेयकके बदले एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिसका सम्बन्ध केवल ट्रान्सवालसे ही हो। किन्तु यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। आखिर यह विधेयक पास करना असम्भव जान पड़ा और एक अस्थायी समझौता हो गया जिसके अनुसार भारतीयोंने सत्याग्रह सघर्ष स्थगित करनेका वचन दिया और सरकारने ससदके १९१२ के अधिवेशनमें एक सन्तोषजनक विधेयक पेश करनेका वादा किया। यह भी तय पाया गया कि सरकार इस बीच कानूनका ऐसा अमल करेगी मानो उसमें परिवर्तन कर दिया गया हो — विशेषरूपसे इससे पहलेके समझौतेकी शर्तोंका खयाल रखते हुए एक सीमित सख्यामें शिक्षित प्रवेशार्थियोंको ट्रान्सवालमें आनेकी छूट दे देगी।

भारतमें सम्राट्के अभिषेकके अवसरपर सद्भावनाका और भी अच्छा वातावरण तैयार हो गया, उसका लाभ उठाकर एक और शिष्टमण्डल वहाँ भेजा गया। इसका उद्देश्य था दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके प्रश्नपर जनमतकी रुचिको बनाये रखना और सरकारके सामने उन मुद्दोंको पेश करना जिनका कि भारतीय समाज आग्रह कर रहा था। किन्तु १९१२ के कानूनकी भी वही हालत हुई जो इससे पहलेके कानूनकी हुई थी और अस्थायी समझौतेकी अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई। उसी समय सारे दक्षिण आफ्रिकामें माननीय श्री गोखलेके स्वागतकी तैयारियाँ होने लगी। इस महाद्वीपमें उनकी यात्राकी स्मृति अब भी सबके मनमें ताजी है। वे भारतीय समस्यासे सम्बन्धित विचार विमर्शको साम्राज्यीय धरातलपर ले जानेमें सफल हुए। यह एक ऐसी सफलता थी जिससे अब तक कोई भी प्राप्त नही कर सका था। अपने उदार विचारों और राजनयिकताके कारण वे अपने विरोधियोंके भी प्रशसाके पात्र बन गये थे। इसी यात्राके दौरान बादमें भारतीयोंने यह दावा किया कि सरकारने इस तथ्यको देखते हुए कि पिछले चार वर्षोंसे अधिक समयसे भारत सरकार द्वारा भारतसे गिरमिटियोंका प्रवास बन्द कर दिया गया है, अन्यायपूर्ण तीन पौंडी करको रद करनेका वादा किया है।

किन्तु जब १९१३ का विधेयक ससदमें पेश किया गया और भारतीय नेताओंने भारतीय प्रश्नके सम्बन्धमें, संघके मन्त्रियोंका रवैया देखा तो इस बातकी गम्भीर आशकाएँ उत्पन्न हो गई कि यह स्थिति, जो भारतीय विवाहोंको लगभग अवैध ठहरानेवाले सर्ल निर्णयके कारण पहले ही और अधिक उलझ गई है, एक बार फिर किसी भारी विपदाका रूप ले लेगी। सरकारको चेतावनी दी गई कि यदि वह शान्ति चाहती है तो विवादके प्रश्नका समाधान हो जाना चाहिए और कानूनसे प्रजातीय प्रतिबन्ध सदाके लिए समाप्त हो जाना चाहिए। सरकारने कुछ सशोधन पेश किये और वे स्वीकार भी कर लिये गये। उसका उद्देश्य वास्तविक एकपत्नीक विवाहोंको मान्यता देकर विवाहके विवादको तय करना था। किन्तु, विधेयक जिस रूपमें पास किया गया, उस रूपमें फिर भी वह सत्याग्रहियोंकी माँगोंको पूरा नही कर सका, और उधर तीन पौंडी कर भी बरकरार ही रहा। भारतीय नेताओंने सघर्षको पुन आरम्भ करनेकी सम्भावनाओंको टालनेके लिए फिर एक अन्तिम प्रयास किया। ससदके अगले अधिवेशनमें एक राहत-कानून पास करानेका वचन प्राप्त करनेके उद्देश्यसे एक बार फिर बातचीत प्रारम्भ कर दी गई। किन्तु, तभी यूरोपीयोंकी हड़ताल शुरू हो गई, और श्री गाधीने सत्याग्रहियोंके प्रवक्ताकी हैसियतसे इस उत्तेजनापूर्ण स्थितिमें कुछ काल तक भारतीयोंकी माँगोंपर जोर न देनेका वचन दे दिया। इस बीच श्री गोखलेके आग्रहपूर्ण निमन्त्रण पर उनके प्रयत्नोंमें हाथ बँटानेके लिए एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड रवाना हो गया था। इन प्रयत्नोंका उद्देश्य साम्राज्य सरकार और ब्रिटिश जनताको यह समझाना था कि परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर है, और यदि

झगड़के मुद्दोंका शीघ्रातिशीघ्र निपटारा नहीं किया जाता तो सत्याग्रहियोंकी माँगोंमें वृद्धि होना निश्चित है। किंतु, ये सारे निवेदन आवेदन सब सरकारको रास्तेपर लानेमें असमर्थ रहे। वह अपने हठपर डटी रही। और तब उसके पास एक अन्तिम चेतावनी भेजी गई कि यदि अगले सत्रमें ऐसे वैधानिक और प्रशासनिक कानून पेश करनेका आश्वासन नहीं दिया गया, जिनकी रूसे वास्तविक एकपत्नीक विवाह कानूनन वैध मान लिये जायें, केप स्टेटके सम्बन्धमें प्रजातिगत प्रतिबन्ध दूर हो जाय, दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंको केप कॉलोनीमें प्रवेश करनेका अधिकार पुनः प्राप्त हो जाये, तीन पौंडी कर रद हो जाये, और भारतीयोंके विरुद्ध जिन वर्तमान कानूनोंका कठोरताके साथ प्रयोग किया जा रहा है, उनका अमल, निहित स्वार्थोंका ध्यान रखते हुए, न्यायपूर्ण ढंगसे होने लगे, तो सत्याग्रह-संघर्ष फिर तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा। किन्तु, सरकारने इस चेतावनीकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और संघर्ष अपनी समस्त कटुताके साथ पुनः प्रारम्भ कर दिया गया — और पहलेसे भी अधिक व्यापक पैमानेपर। लोगोंके दिमागमें उससे सम्बद्ध घटनाएँ इतनी ताजी हैं कि संक्षेपमें उनका उल्लेख भर कर देना पर्याप्त होगा, अर्थात् — उन भारतीय महिलाओंका संघर्ष, जिनके विवाहोंकी, सरकारकी प्रेरणापर, सर्वोच्च न्यायालयने अवमानना कर दी थी, सारे नेटालमें स्वतन्त्र और गिरमिटिया मजदूरोंका जागरण, जबरदस्त हड़तालें, हड़तालियोंका अद्भुत और ऐतिहासिक कूच करते हुए ट्रान्सवालमें प्रवेश, हड़तालियोंको कुचलने और फिर कामपर जानेको मजबूर करनेके लिए बादमें किये गये नृशंस कृत्य, प्रमुख नेताओं और सैकड़ों — बल्कि हजारों — सामान्यजनोंकी गिरफ्तारी और कैद, डर्बन, जोहानिसबर्ग और संघके अन्य भागोंमें आयोजित भारतीयोंकी विशाल सार्वजनिक सभाएँ, भारतमें उत्पन्न क्षोभकी भयंकर और प्रबल भावना, मातृभूमिके सभी हिस्सोंसे संघर्षकर्ताओंको प्राप्त विशाल धनराशियाँ, मद्रासमें लॉर्ड हार्डिजका वह प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने भारतीय जनमतके स्वरमें स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जाँच आयोगकी माँग, लॉर्ड ऍम्टहिलकी समितिके उत्साहपूर्ण प्रयत्न, साम्राज्य सरकारका तत्परताके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय समाजकी भावनाका कोई खयाल न करते हुए एक ऐसे आयोगकी नियुक्ति जिसके सदस्य भारतीयोंको कतई सन्तुष्ट नहीं कर सकते थे, नेताओंकी रिहाई, जिनका आयोगकी उपेक्षा करनेकी सलाह लगभग पूर्णतः स्वीकार कर ली गई, श्री ऍन्ड्रयूज और पियर्सनका आगमन और समझौतेके लिए उनका अद्भुत कार्य, हरबतसिंह और वलिअम्माकी मृत्यु, वह तनावपूर्ण स्थिति, जिसमें सिर्फ यूरोपीयोंकी दूसरी हड़तालके कारण ही हलकापन आ सका, क्योंकि श्री गांधीने एक बार फिर तय कर लिया कि जबतक सरकार इस नई मुसीबतमें फँसी हुई है तबतक उसे परेशान न किया जाय, और सरकारके इस स्थितिपर काबू पा जानेपर मैत्री, विश्वास और सहयोगकी वह भावना जो महान् भारतीय नेताकी उदार नीति और अपने महान् साम्राज्यीय उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रयत्न करते हुए श्री ऍन्ड्रयूजके उनपर स्नेहपूर्ण प्रभावके कारण निर्मित थी।

ये सारी घटनाएँ अभी हालकी हैं। और इसी प्रकार अभी बहुत दिन नहीं हुए जब आयोगने उन सारे मुद्दोंपर, जो उसे सौंपे गये थे और जिनको लेकर सत्याग्रह संघर्ष छेड़ा गया था, हमारे अनुकूल सिफारिशें पेश कीं, सरकारने उसके प्रतिवेदनको समग्रतः स्वीकार कर लिया, भारतीय राहत विधेयक पेश किया गया और विधानमण्डलके दोनों सदनोंमें लम्बी और महत्त्वपूर्ण बहसके बाद उसे पास कर दिया गया, श्री गांधी और जनरल स्मट्सके बीच वह पत्र-व्यवहार हुआ, जिसमें जनरल स्मट्सने सरकारकी ओरसे उन प्रशासनिक सुधारोंकी कार्यान्वितिका वचन दिया जो नये अधिनियममें शामिल नहीं किये गये थे, और सत्याग्रह संघर्षके भारतीय नेताने संघर्षकी समाप्तिकी विधिवत् घोषणा की और उन मुद्दोंको सामने रखा जिनके सम्बन्धमें भारतीयोंको सन्तुष्ट कर देनेपर ही उन्हें पूर्ण नागरिक समानताका दर्जा प्राप्त हो सकता है। और फिर आते हैं सारे देशमें आयोजित हमारे नेताको विदाईके वे दृश्य जिनने संसारके सामने भारतीय शहीद नागप्पन, नारायणसामी, हरबतसिंह और वलिअम्माके कष्टों और मृत्युका औचित्य और पुनीत स्वरूप सिद्ध कर दिया।

[यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जैसे जैसे सत्याग्रह संघर्ष जोर पकड़ता गया और जैसे-जैसे वह पवित्रसे पवित्रतर होता गया, वैसे वैसे वह यूरोपीय और भारतीय, दोनो समुदायोंके श्रेष्ठतम प्रतिनिधियोंको अधिकाधिक पास लाता गया। हर चरण अपने साथ एक नई विजय और नइ मैत्रियाँ लेकर आता था।] संघर्षके अतमें भौतिक उपलब्धिके रूपमें हमने जो कुछ पाया है वह वही है जो हमसे छीन लिया गया था, इसी प्रकार सैद्धान्तिक लाभके रूपमें हमने जो पाया है वह वही है जो हमें मिलना तो चाहिए था किन्तु दिया नही गया था। सैद्धान्तिक विजय पहले अस्वीकृत की गई मागको स्वीकार करना था। [संघर्षका प्रारम्भ भारतीय समाजके प्रति सर्वत्र व्याप्त अविश्वास और तिरस्कारकी व्यापक भावनाके विरोधसे हुआ। अब उस अविश्वास और तिरस्कारका स्थान विश्वास और आदरकी भावनाने ले लिया है।] इसका प्रारम्भ भारतीय भावनाकी पूर्ण उपेक्षासे हुआ। धीरे धीरे वह नीति भी बदल गई। हाँ, बीचमें जब आयोग नियुक्त किया गया तब एक बार फिर इस नीतिने बड़ा जोर पकड़ा था। कारण यह था, कि आयोगकी नियुक्ति करते समय, जिन लोगोका उसकी सिफारिशोंसे मुख्य सम्बन्ध था, उनकी भावनाका कोई खयाल नही रखा गया था। किन्तु, आज तो जिन मामलोंसे भारतीय समाजके महत्त्वपूर्ण हितोंका सम्बन्ध रहता है, उनमें उसके नेताओंसे सलाह-मशविरा किया जाता है। दरअसल सत्याग्रहने इन मताधिकारहीन लोगोको, मताधिकार प्राप्त हो जानेपर जो-कुछ मिलता उससे बहुत अधिक और वह भी कम समयमें ही दे दिया है। [यह आन्दोलन १९०७के ट्रान्सवाल अधिनियम २ की मसूखीकी मागसे प्रारम्भ हुआ। कानून मसूख कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण आफ्रिकामें लागू कर दिये जानेकी जो आशका उत्पन्न हो गई थी, उसका पूर्णत निवारण हो गया। प्रारम्भमें भारतीयोको इस उपनिवेशसे निकाल बाहर करनेके उद्देश्यसे उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी आशका थी। समझौतेने साम्राज्यके किसी भी भागमें भारतीयोंके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी सारी सम्भावना समाप्त कर दी। गिरमिटिया मजदूरोंके रूपमें भारतीयोका आव्रजन जो दक्षिण आफ्रिकाके अर्थतन्त्रका लगभग एक स्थायी अग माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। घृणित तीन पौंडी कर समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध कष्टों और अपमानोका भी अन्त हो गया है। निहित स्वार्थ—जिनके सर्वत्र अस्त हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे—अब सुरक्षित और बरकरार रखे जानेको हैं। अधिकाश भारतीय विवाहोको, जिन्हें पहले कभी भी दक्षिण आफ्रिकाके कानूनकी मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको है। परन्तु इन सबके अलावा जो बात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह है सत्याग्रहियोंकी कठिनाइयो, कष्टो और बलिदानोसे उद्भूत समझौते और मेल जोलकी नई भावना।] वैधानिक दृष्टिसे प्रजातिगत समानताके फन्देको ऊँचा रखा गया है, और अब यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीयोंके भी अपने कुछ अधिकार हैं, आकाक्षाएँ और आदर्श हैं, और उनकी उपेक्षा नही की जा सकती। [इस सघर्षने व्यक्तिकी तुलनामें अधिकार, पशुबलकी तुलनामें आत्म बल और घृणा तथा अमर्षकी तुलनामें प्रेम तथा विमर्शकी असीम श्रेष्ठताको अत्यत स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया है।] राष्ट्रोंके बीच भारतका स्थान ऊँचा उठ गया है, दक्षिण आफ्रिकामें उसकी सतानोंकी प्रतिष्ठा कहींसे कहीं पहुँच गई है, और अब उनके लिए शाति और मेल जोलके वातावरणमें रहते हुए अपनी क्षमताओका विकास करने, और इस प्रकार दक्षिण आफ्रिकी महाद्वीपमें जो एक महान राष्ट्रका निर्माण हो रहा है, उसमें अपना अशदान देनेका मार्ग प्रशस्त हो गया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अक १९१४

परिशिष्ट २९

सी० रॉबर्ट्सका पत्र

[अगस्त १४, १९१४के बाद]

प्रिय श्री गांधी,

लॉर्ड क्रूके आदेशानुसार मैं उनकी ओरसे आपके १४ वीं तारीखके पत्रके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवाओंको अर्पित करनेका जो प्रस्ताव किया है उसके लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

प्रस्ताव जिस भावनासे किया गया है उसी भावनासे वे उसे स्वीकार कर लेना चाहते हैं और साम्राज्यके हितमें भारतीय समाजकी इन सेवाओंके उपयोगका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इस विषयपर उन्होंने बहुत विचार किया है।

उनका ऐसा खयाल है कि भारतीय विद्यार्थियोंका किसी भी सैनिक कार्यमें लगाना, जिसकी उन्होंने अपनी ओरसे माँग की है, समीचीन नहीं होगा। लॉर्ड किचनर अभी जो सैनिक संगठन खड़ा कर रहे हैं उसमें यदि वे दाखिल होते हैं तो फिर वे उसे तीन साल तक नहीं छोड़ सकेंगे। लॉर्ड महोदय उन्हें, उनके माता पिताओंकी अनुज्ञाके बिना, एक ऐसा कदम उठानेमें बिलकुल प्रोत्साहित नहीं करना चाहते जो उनके इस देशमें आनेके उद्देश्यमें बाधक होगा और जो सम्भवतः उनके सारे भावी जीवनको स्थायी क्षति पहुँचा सकता है। इसी तरह उन्हें 'प्रादेशिक सेना' (टेरीटोरियल फोर्स) में भरती होनेकी सलाह भी नहीं दी जा सकती क्योंकि इस सेनामें जितने लोग लिये जाने थे लिये जा चुके हैं और जो नहीं लिये जा सके हैं ऐसे अतिरिक्त प्रार्थियोंकी एक लम्बी सूची बन गई है। गरज यह कि फिलहाल इस सेनामें प्रवेश पाना असम्भव है। लेकिन सार्वजनिक कार्यका उतना ही महत्त्वपूर्ण एक दूसरा क्षेत्र भी है जिसमें हम इंग्लैंडवासियोंको बड़ी हदतक स्वयंसेवकोंकी सहायतापर निर्भर होनेकी आदत है। यह क्षेत्र है — बीमारों और घायलोंकी सेवा शुश्रूषाका। ऐसा अंदेशा है कि इस युद्धमें उनकी संख्या काफी बड़ी होगी और अगर यह अंदेशा सही सिद्ध होता है तो सैनिक अस्पतालों और सैनिक कर्मचारियोंपर जो भार आ पड़ेगा उसे वहन करनेमें उन्हें काफी कठिनाई होगी। अतः इस आकस्मिक परिस्थितिसे निपटनेके लिए स्वेच्छाके आधारपर संगठित अस्थायी संस्थाओंको खड़ा करनेकी जरूरत है। ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटीकी स्वेच्छा-सहायता टुकड़ियोंमें अनेक अंग्रेज पुरुष और स्त्रियाँ इस कार्यको आज भी कर रहे हैं। आपका ध्यान उसीकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

लॉर्ड महोदयकी सलाह है कि लंदनके भारतीय निवासी और प्रवासी एक समिति बनायें और यह समिति भारतीयोंकी एक स्वेच्छा-सहायता टुकड़ी खड़ी करे। ज्ञात हुआ है कि श्री जेम्स कैंटलीने, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटीकी स्वेच्छा-सहायता टुकड़ियोंके संगठनमें सक्रिय हिस्सा लिया है, उक्त भारतीय टुकड़ीको आवश्यक तालीम देनेकी तैयारी बताई है — शर्त यह है कि ऐसी तालीम लेना चाहनेवाले भारतीयोंकी संख्या काफी होनी चाहिए। लॉर्ड क्रूका ध्यान इस बातपर गया है कि आपके पत्रपर सही करनेवालोंमें कई तो डॉक्टरीकी शिक्षा पाये हुए लोग हैं। अगर ये लोग श्री कैंटलीके साथ सहयोग करें तो यह

आशा की जा सकती है कि भारतीयोंकी यह टुकड़ी इंग्लैंडमें विद्यमान ऐसी उत्तम टुकड़ियोंमें अपना स्थान बना लेगी।

बेशक, यह तो अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भारतीयोंकी इस स्वेच्छा-सहायता टुकड़ीकी सेवाएँ अमुक दिशामें ली ही जायेंगी। अगर सौभाग्यवशात् घायलों और बीमारोंकी संख्या ज्यादा न हुई तो हमारे सैनिक और सेवार्थ अस्पताल उनकी देखभाल कर ही लेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ लोगोंका यह खयाल है और जैसा आपके पत्रसे विदित होता है भारतीय भी यही मानते हैं कि अगर जरूरत पड़ जाय तो उत्तम सेवा कर सकनेके लिए हम सब लोगोंको अपनी तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए।

भवदीय
चार्ल्स रॉबर्ट्स

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४

सामग्रीके साधन-सूत्र

केप आर्गस केप टाउनका दैनिक समाचारपत्र।

केपटाइम्स केप टाउनका दैनिक समाचारपत्र

चार्ल्स फ्रीयर ऐन्ड्रयूज लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी तथा मार्जरी साइक्स, प्रकाशक जॉज एलेन ऐंड अनविन, लन्दन, १९४९।

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमे सुरक्षित कागजात। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली गाधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

गाधीजीनी साधना लेखक रावजीभाई पटेल, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९३९।

इडियन ओपिनियनका, स्वर्ण अक दक्षिण आफ्रिकामे सत्याग्रहके स्मारकके रूपमे दिसम्बर, १९१४मे प्रकाशित, १९०६–१४।

हिन्दू मद्रासमे प्रकाशित समाचार पत्र, १८७८मे साप्ताहिकके रूपमे प्रारम्भ, १८८३मे त्रिसाप्ताहिक बना, और १८८९ से दैनिक।

इडिया (१८९०–१९२१) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी लन्दन स्थित ब्रिटिश समिति द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०।

इडियन ओपिनियन, (१९०३–६१) सितम्बर २०, १९१३ तक शनिवारको निकलनेवाला साप्ताहिक पत्र, किन्तु उसके बाद सितम्बर २४ से बुधवारको प्रकाशित, इसकी डबनमे स्थापना हुई, किन्तु बादको फीनिक्स ले जाया गया। इसमे अग्रेजी और गुजराती दो विभाग थे। प्रारम्भमे हिन्दी तथा तमिल विभाग भी थे।

जीवन प्रभात (हिन्दी) लेखक प्रभुदास छगनलाल गाधी, प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९५४।

जीवनना झरणा (गुजराती) लेखक प्रभुदास छगनलाल गाधी, प्रकाशक नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, पहला सस्करण १९४५, दूसरा सस्करण, १९५९।

जीवननु परोढ (गुजराती) लेखक प्रभुदास गाधी, प्रकाशक नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १९४८।

महात्मा गाधीजीना पत्रो (गुजराती) डी० एम० पटेल द्वारा सम्पादित, सेवक कार्यालय, अहमदाबाद, १९२१।

नेटाल मर्क्युरी (१८५२–) डर्बनका दैनिक समाचारपत्र।

भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया) भारतके

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्लीमे सुरक्षित अभिलेख।

प्रिटोरिया न्यूज प्रिटोरियाका दैनिक समाचारपत्र।

रैंड डेली मेल जोहानिसबर्गसे प्रकाशित होनेवाला दैनिक समाचारपत्र।

साबरमती सग्रहालय पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय जिसमे गाधीजीके दक्षिण आफ्रिकी कालकी और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

सर्वेट्स ऑफ इडिया सोसायटी, पूना श्री गोखले द्वारा जून १२, १९०५ मे सस्थापित।

स्टार जोहानिसबर्गका सान्ध्य दैनिक पत्र।

टाइम्स ऑफ इडिया १८३८ से बम्बईसे प्रकाशित होनेवाला दैनिक पत्र, बादको दिल्ली और बम्बईसे एक साथ प्रकाशित।

ट्रान्सवाल लीडर जोहानिसबर्गका दैनिक।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(अप्रैल १९१३ — दिसम्बर १९१४)

अप्रैल १ १९१३ का वित्तीय सम्बन्ध अधिनियम, सख्या १० अमलमे आया।

अप्रैल ३ नये प्रवासी विधेयकका पाठ सघके **विशेष गजटमे** प्रकाशित।

अप्रैल ९ गाधीजीने गृह मन्त्रीको तार दिया कि भारतीयोके दृष्टिकोणसे विधेयकमे भयानक आपत्तियाँ है, क्योकि इसका असर बहुतसे वर्तमान अधिकारोपर पडता है, ई० एफ० सी० लेनको लिखा कि भारतीय विवाहोपर सर्ल द्वारा दिये गये निर्णयने दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समाजकी नीवको ही हिला दिया है।

अप्रैल ९ के बाद ब्रिटिश भारतीय सघको दिये गये तारमे प्रवासी विधेयकके प्रति विरोध व्यक्त।

अप्रैल १० मार्च ३० की सार्वजनिक सभामे पारित प्रस्तावोकी प्रतियाँ गृहमन्त्रीको भेजी।

अप्रैल १२ 'इडियन ओपिनियन'मे नये विधेयक द्वारा १९११ के अस्थायी समझौतेकी शर्तें पूरी न होनेके बारेमे विस्तारसे प्रकाश, सरकारके राहत देनेमे असफल होनेपर ब्रिटिश भारतीयोको "कष्टमे आनन्द प्राप्त करने" का पाठ याद करनेको कहा।

अप्रैल १४ विधान-सभामे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका प्रथम वाचन।

अप्रैल १५ गृह-मन्त्रीको लिखे एक पत्रमे गाधीजीने नेटाल प्रवासी अधिनियमको कायम रखने तथा शिक्षित भारतीयोकी पत्नियो व नाबालिग बच्चोको सरक्षण देनेका आग्रह किया, सत्याग्रहके उल्लेखका अर्थ धमकी देना लगानेके लिए खेद व्यक्त। गृह-सचिवको लिखा कि गैर-ईसाई विवाहोको वैध करार देनेके लिए सघके विवाह-कानूनोमे सशोधन किया जाये।

अप्रैल १६ गवर्नर जनरल ग्लैड्स्टनने यह आशा व्यक्त करते हुए सरकारको लिखा कि "बिना विधान पास किये किस प्रकार छोटी-मोटी व्यावहारिक रियायते दी जा सकती है, इसपर मन्त्री विचार कर रहे होगे।"

अप्रैल १९ के पूर्व कस्तूरबा गाधी द्वारा सघर्षमे शामिल होने तथा अपनेको गिरफ्तारीके लिए पेश करनेका निर्णय।

अप्रैल १९ गाधीजीने कस्तूरबाके निर्णयके बारेमे गोखलेको सूचना दी। गोखलेका जहाजसे इग्लैडके लिए प्रस्थान।

अप्रैल २६ विधान-सभामे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका दूसरा वाचन।

अप्रैल २७ गाधीजी फीनिक्ससे जोहानिसबर्ग पहुँचे, फ्रीडडॉर्पकी सार्वजनिक सभामे भाषण और सभा द्वारा प्रवासी विधेयकके खिलाफ प्रस्ताव पास।

अप्रैल २७ के बाद प्रवासी विधेयकके बारेमें अपनी आपत्तियोको दोहराते हुए चैंपलिन, मॅरीमैन, स्मार्ट, अलैक्जैडर, श्राइनर तथा ऐम्टहिलको तार भेजे और लिखा कि सरकार राहत देनेमें असफल रही तो सत्याग्रह पुन चालू किया जायेगा।

अप्रैल २८के पूर्व जोहानिसबर्गमे यूरोपीय समितिके साथ प्रवासी विधेयकके बारेमे सलाह की, 'स्टार'ने भेट ली।

अप्रैल ३० गृहमन्त्री द्वारा विधानसभामे एशियाइयोकी बाढको नियन्त्रित करनेवाले विधेयकका समर्थन।

मई ३ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन'मे लिखा "यदि सघषको पुनरुज्जीवित किया गया तो आनेवाला तीसरा सघष सभी सघर्षोंसे शुद्धतम, अन्तिम और शानदार होगा।"

मई ४ ट्रान्सवाल भारतीय महिला-सघकी मन्त्रिणी सोन्जा स्लेशिनने गृह-मन्त्रीको तार देकर भारतीय विवाहोके प्रश्नपर सघके सत्याग्रह करनेके निणयके बारेमे बताया।

मई ८ गाधीजी द्वारा वेरुलममे हिन्दू-मन्दिरका उद्‌घाटन। उपनिवेश मन्त्रीने गवर्नर जनरलको तार भेजा कि भारतीयोकी कानूनी निर्योग्यताएँ दूर करनेके लिए तुरन्त कानून बनाना साम्राज्यीय महत्त्वका मामला है।

मई ११ केप-ब्रिटिश भारतीय सघकी सभाने प्रवासी विधेयक तथा सर्ले-निर्णयका विरोध किया।

मई १४ गाधीजीने चैंपलिनको एक पत्रमे लिखा, इस बातका डर है कि साम्राज्य-सरकारको विधेयकके पूरे पाठके बारेमे सूचना नही दी गई।

मई १६ उपनिवेशमे पैदा हुए भारतीयोने जोहानिसबर्गमे सभा कर विधेयकका विरोध किया।

मई १७ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियनमे लिखते हुए माँग की कि ब्रिटिश-भारतीयोकी माँगोको समग्र रूपसे स्वीकार कर लिया जाये।

मई १९ गृह-मन्त्रालयको एक पत्र लिखकर घोषित किया कि यदि सरकार राहत देनेके वचनको पूरा करनेमे असमर्थ रही तो सत्याग्रह निश्चित है, ब्रिटिश-भारतीय सघने एक पत्रमें एकपत्नीक भारतीय विवाहोको कानूनी स्वीकृति देनेकी अपनी माँगको स्पष्ट किया।

मई २४ चैंपलिन तथा दूसरोको तार भेजा कि विधेयकमे सरकार द्वारा प्रस्तावित सशोधन अपर्याप्त है।

मई २६ विधान-सभामे विधेयकका तीसरा वाचन, और सहमतिके लिए उसे ससद (सीनेट)मे भेज दिया गया।

चैंपलिनने गाधीजीको तार दिया कि सरकारने विवाहके प्रश्नको हल करनेके लिए सशोधन करना स्वीकार कर लिया है।

मई २७ गाधीजीने डकन, श्राइनर तथा अन्योको तार भेजकर बताया कि सशोधन अपर्याप्त है, क्योकि इसमे विवाहोको पजीकृत करना आवश्यक है, विधेयक समझौतेकी भावनाके विरुद्ध है।

तार देकर गृह-मन्त्रीका ध्यान समझौतेकी उन शर्तोंकी ओर खीचा जिन्हे पूरा नही किया गया।

मई २८ चैंपलिनने गाधीजीको तार देकर बताया कि जनरल स्मट्स वह सब-कुछ करनेके लिए तैयार है जो वे भारतीयोके लिए कर सकते है।

प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका, जिसका प्रवासी विनियम विधेयकके नामसे पुन नामकरण किया गया, ससद (सीनेट) मे प्रथम वाचन।

मई २९ गाधीजीने श्राइनर तथा एलैक्जेडरको तार दिया कि दक्षिण आफ्रिकामे अवाछनीय स्त्रीके प्रवेशके मामलेके अभावमे भारतीय विवाहोको पजीकृत करना बेकार हे।

गृह-मन्त्रीने भारतीय विवाहोको वैध करार देनेके लिए कोई विधान बनानेकी सम्भावनासे या इस बातसे कि भारतीयोको यह स्वीकृति दे दी गई है कि वे एकाधिक विवाहित पत्नियोको ला सकते है, इनकार किया।

गवनर जनरल ग्लैड्स्टनने तार देकर उपनिवेश-मन्त्रीपर जोर दिया कि वे गाधीजीको पुन सत्याग्रह प्रारम्भ करनेसे रोकनके लिए भारत सरकारको प्रेरित करे, विश्वास दिलाया कि तीन-पौडी कर रद करनेके लिए वे पूरा प्रयत्न कर रहे है।

मई ३० गाधीजीने गृह-मन्त्रीको तार द्वारा बताया कि भारतमे विवाह प्रमाण-पत्रोका प्रचलन नही है, इसलिए विवाह-कानूनकी अस्थायी समझौतेकी शर्तोके साथ सगति होनी चाहिए।

गृह-मन्त्री द्वारा द्वितीय वाचनके लिए विधेयक ससद (सीनेट)मे पेश।

जून २ गाधीजीने डर्बनसे वक्तव्य दिया कि प्रवासी विधेयक १९११के समझौतेकी दो प्रमुख शर्तोका उल्लघन करता है और वे आशा करते है ससद विधेयकमे सशोधन कर देगी।

विनवगकी भारतीय महिलाओने अपने साथ पास न ले जानेकी प्रनिज्ञा की।

जून ५ तीन-पौडी करके सम्बन्धमे नेटाल प्रवासी कानून-सशोधन विधयक विधान-सभामे पेश।

ससदमे प्रवासी विनियम विधेयकका द्वितीय वाचन पारित।

गाधीजीने तार देकर गृह-मन्त्री तथा ससदके सदस्योपर जोर दिया कि महिलाओके साथ ही पुरुषोको भी तीन पौडी करसे छूट मिलनी चाहिए।

जून ७ एक पत्रमे गोखलेको सकेत दिया कि यदि सत्याग्रह पुन प्रारम्भ हो गया तो उनके भारत आनेकी तारीख अनिश्चित है।

'इडियन ओपिनियन'में, लिखते हुए घोषित किया कि यदि शिकायते दूर नही की गईं तो सत्याग्रह अनिवाय है।

जून ९ ससदमे प्रवासी विनियम विधेयकका तृतीय वाचन।

जून ११ के पूर्व गाधीजीने वक्तव्य दिया कि केवल महिलाओको तीन-पौडी करसे मुक्त करनेका प्रस्ताव गोखलेको दिये गये रद करनेके आश्वासनके साथ धोखा करना है।

जून ११ प्रवासी विनियम विधेयक पारित।

जून १२ डर्बनके उपनिवेशमे उत्पन्न भारतीयोके सघने प्रवासी विधेयकका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किया, निर्णय किया कि भारतीयोको कर न देनेकी सलाह दी जाये।

जून १३ प्रवासी विनियम विधेयकपर विधानसभामें अन्तिम बहस।
गांधीजीने उपनिवेश-मन्त्री द्वारा ११ जूनको ब्रिटिश लोकसभामें दिये गये वक्तव्यकी आलोचना की, संघ-सरकारपर आरोप लगाया कि उसने प्रवासी विधेयकके बारेमें साम्राज्य सरकारको धोखा दिया।

जून १४ 'इंडियन ओपिनियन'के ज़रिये भारतीयोंको प्रेरित किया कि वे प्रवासी अधिनियमको लागू करनेका विरोध करें।

जून १६ तार देकर गवर्नर जनरलसे आग्रह किया कि वे इस आधारपर विधेयकको स्वीकृति देना रोक लें कि यह भारतीयोंको उन अधिकारोंसे वंचित करता है जिनका उपभोग वे अबतक करते आये हैं।

जून १८ लॉर्ड ऍम्टहिलने 'लन्दन टाइम्स'को लिखे एक पत्रमें प्रवासी विधेयक पारित करनेकी निन्दा की, आशा की कि सम्राट्के स्वीकृति देनेसे पहले ब्रिटिश संसदको उसपर बहस करनेका अवसर मिलेगा।

जून १९ विलियम वेडरबर्नने गांधीजीको गोखलेके स्वास्थ्यकी खतरनाक स्थितिके बारेमें लिखा, सार्वजनिक कार्य पुनः प्रारम्भ करनेके लिए भारत वापस जानेके गोखलेके निर्णयपर चिन्ता व्यक्त की।

जून २० गांधीजीने एक पत्रमें गोखलेको विधेयककी पेचीदगियोंके बारेमें बताया, फिशरके शिकायतें दूर करनेका वचन देनेपर सत्याग्रह प्रारम्भ न करनेका इरादा जाहिर किया और लिखा कि भारतमें गोखलेसे मिलने, उनके चरणोंमें बैठने, उनके अधीन काम करने तथा उनसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिए वे उत्सुक हैं।

जून २१ ट्रान्सवाल जाते हुए डर्बनसे गोखलेको तार देकर गृह-मन्त्रीके पास भेजे जानेवाले मिशनकी सफलतामें सन्देह व्यक्त किया।

जून २२ गांधीजीके दूसरे भाई करसनदास गांधीकी राजकोटमें मृत्यु।

जून २८ गांधीजीने गृह-मन्त्रालयको लिखा कि वे सत्याग्रहसे बचनेके लिए बातचीत करनेको तैयार हैं।

जुलाई १ प्रवास और भारतीय विवाहोंके सन्दर्भमें १९१३के अधिनियम २२के सम्बन्धमें विशेषज्ञोंकी कानूनी राय उपलब्ध की।

जुलाई २ उपनिवेश-सचिव जॉर्जेससे भेंट।

जुलाई ५ ऑरेंज फ्री स्टेटकी महिलाओंने पास कानूनोंके प्रतिरोधका निर्णय किया।

जुलाई १० दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके मामलेको प्रस्तुत करनेमें गोखलेकी सहायताको पोलक लन्दनके लिए रवाना।

जुलाई १२ गांधीजीने गोखलेको लिखते हुए सूचित किया कि स्मट्स पहलेसे ही अन्य समस्याओंमें व्यस्त हैं और कार्यकर्त्ता लम्बे संघर्षके लिए तैयार खड़े हैं, समझौता होनेकी स्थितिमें उन्हें पोलककी सेवाएँ देनेका वचन दिया।

जुलाई १५ प्रवासी विनियम अधिनियमके अन्तर्गत विनियम गजटमें प्रकाशित।

जुलाई १७ के पूर्व स्मट्सने गांधीजीको लिखा कि जबतक रेलवे-हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती बातचीत स्थगित रखें।

जुलाई १९ हड़तालकी स्थितिके कारण बातचीत करनेमें स्मट्सकी असमर्थताको देखते हुए गांधीजी रैंडसे लौटे।

जुलाई २१ जे० बी० पेटिटको एक पत्रमें लिखा कि स्वेच्छया दिया गया चन्दा स्वीकार कर लिया जायेगा, ८,७२० पौंडकी प्राप्ति स्वीकार की।

जुलाई २६ 'इंडियन ओपिनियन' ने सूचना दी कि गांधीजीने "सरकारके सामने अनेक असम्भावित मुसीबतें आनेके कारण स्मट्सकी इच्छानुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की।"

जुलाई २९ गांधीजीने डर्बनसे तार देकर गोखलेको सूचित किया कि औद्योगिक संकट-ने समझौता विषयक बातचीतकी प्रगतिमें बाधा डाली है। जोहानिसबर्ग पहुँचे।

जुलाई ३० लॉर्ड ऍम्टहिलने लॉर्ड सभामें कहा कि प्रवासी विनियम विधेयक अस्थायी समझौतेके अनुसार नहीं है और साम्राज्य-सरकारसे प्रार्थना की कि वह संशोधन होने तक विधेयकको रोके रखे।

अगस्त १ प्रवासी विनियम अधिनियम अमलमें आया।

अगस्त २ के पूर्व ब्लूमफॉन्टीनमें ३४ महिलाओंको अपने पास पास न रखनेके कारण कैदकी सजाएँ।

अगस्त ७ लन्दनमें गोखलेने तीन पौंडी कर तथा भारतीय विवाहोंके प्रश्नपर फिशर-से बातचीत की।

गांधीजीने जमनादास गांधीको लिखा कि कैलेनबैक और मणिलाल गांधी उनके साथ भारत जायेंगे और प्रेस अपना काम जारी रखेगा।

अगस्त ११ जे० बी० पेटिटने सत्याग्रह कोषमें भारतकी ओरसे चन्देके रूपमें ४०० पौंड तार द्वारा भेजे।

अगस्त १२ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने भारतके अवर सचिवसे १९१३के वित्तीय सम्बन्ध अधिनियमके खिलाफ शिकायत की कि वह भारतीय व्यापारियोंके लिए क्लेशप्रद है।

अगस्त १५ जोज़ेफ जे० डोककी उमतलीमें मृत्यु।

अगस्त १६ के पूर्व संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस समितिके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरूने वाइस-रायको तार दिया कि प्रवासी विधेयकपर शाही स्वीकृतिको रोक रखनेके लिए साम्राज्य सरकारपर जोर दिया जाये।

अगस्त २३ 'इंडियन ओपिनियन'में डोकके बारेमें लिखा।

अगस्त २४ गांधीजीने जोहानिसबर्गसे गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको लिखा कि नये अधि-नियमकी सरकारी व्याख्या द्वारा भारतीयोंके "वर्तमान तथा अर्जित अधिकारोंके लिए" खतरा पैदा हो गया है।

जोहानिसबर्गमें बैप्टिस्ट गिरजाघरमें डोककी आत्माकी शान्तिके लिए की गई प्रार्थनाके अवसरपर भाषण।

अगस्त २९ तीन-पौंडी करकी अवशिष्ट रकम न चुकानेके कारण अपराधी, भूतपूर्व गिरमिटिया मजदूर सरजूको कामपर रखनेके कारण मगनलाल गांधीपर समन जारी। पोलकका इंग्लैंडसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान।

सितम्बर ४ गाधीजीका जोहानिसबर्गसे फीनिक्सके लिए प्रस्थान।
मगनलाल गाधीको सरजूके मामलेमे चेतावनी देकर छोड दिया गया।

सितम्बर १० गाधीजीने बहुपत्नीक विवाहोके प्रश्नके सम्बन्धमे गृहमन्त्रीके निजी सचिवको तार दिया, कानूनमे सशोधन न होनेपर सत्याग्रह पुन प्रारम्भ करनेको अनिवार्य करार दिया।

सितम्बर ११ डर्बनकी पारसी अजुमनने गृह-सचिवको पत्र लिखकर प्रवासी अधिनियमके अन्तगत आनेवाले विनियमोपर आपत्ति व्यक्त की।

सितम्बर १२ काछलियाने सत्याग्रह पुन प्रारम्भ करनेके भारतीयोके निर्णयके बारेमे सरकारको सूचना दी।

सितम्बर १३ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन'मे घोषित किया कि बातचीत "निष्फल साबित हुई"।

सितम्बर १५ सत्याग्रह पुन प्रारम्भ, सत्याग्रहियोका अग्रिम दल, जिसमे १२ पुरुष व कस्तूरबा गाधी-समेत ४ महिलाएँ थी, सीमा पार करनेके लिए रेल द्वारा डर्बनसे फोक्सरस्ट गया। ट्रान्सवालके प्रमुख भारतीय व्यापारियो द्वारा स्वर्ण-कानून तथा कसबा-अधिनियमके विरुद्ध सघर्ष छेडनेका निश्चय।

सितम्बर १६ पारसी रुस्तमजी तथा अन्य सत्याग्रहियोपर नये अधिनियमके अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी होनेका आरोप।
गाधीजीने हरिलाल गाधीको अपनी पत्नीके साथ दक्षिण आफ्रिका वापस आनेके लिए लिखा, सत्याग्रहीके रूपमे जेलके लिए तैयार रहनेकी सलाह दी।
कस्तूरबा अन्य सत्याग्रहियोके साथ गिरफ्तार।

सितम्बर २० भारतीयोको सलाह दी कि बिना परवानेके फेरी लगाकर या व्यापार करके अपनेको गिरफ्तार कराएँ, जब परवाना दिखानेके लिए कहा जाये तब वैसा करनेसे इनकार कर दे।

सितम्बर २१ 'नेटाल मर्क्युरी'मे सत्याग्रहका सहारा लेनेके भारतीयोके निश्चयको स्पष्ट किया।

सितम्बर २२ सत्याग्रहियोको नेटालकी सीमापर निर्वासित किया गया, किन्तु सीमाको पुन पार करनेपर उन्हे फिरसे गिरफ्तार कर लिया गया।

सितम्बर २३ कस्तूरबाको तीन मासकी तथा दूसरे सत्याग्रहियोको एकसे तीन मास तककी सख्त कैदकी सजा।

सितम्बर २४ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन'में दृढतासे कहा कि तीन-पौडी कर सघर्षका सबसे जटिल अश है।

सितम्बर २५ डबनसे जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान। मैरित्सबर्ग तथा लेडी स्मिथमे भारतीयोसे सघर्षमे सहायता देनेका आश्वासन प्राप्त। लेडीस्मिथमें कडक्टरके आदेशपर यूरोपीयोके लिए सुरक्षित रेलके डिब्बेको छोडनेसे इनकार किया। बदरी और अन्य तीन सत्याग्रही जो गाधीजीके साथ गये थे, फोक्सरस्टमे गिरफ्तार।

सितम्बर २७ गाधीजी जोहानिसबर्ग पहुँचे।

सितम्बर २८ सघर्षकी गम्भीरताके बारेमे गृह-मन्त्रालयको लिखा और पुन विचार करनेकी अपील की।
ब्रिटिश-भारतीय संघ द्वारा आयोजित फ्रीडडॉर्पकी सार्वजनिक सभामे गांधीजी, कैलेनबैक तथा रिचका भाषण। सरकार द्वारा शिकायते दूर करने तक सघर्ष जारी रखनेका निश्चय।

सितम्बर २९ एक भेटमे गांधीजीने 'ट्रान्सवाल लीडर'को सकेत दिया कि सघर्ष करीब १०० सत्याग्रहियो तक ही सीमित रहेगा। सीमा पारकर तथा बिना अनुमति पत्रके फेरी लगाकर सत्याग्रह करनेके और उदाहरण।

सितम्बर ३० गांधीजीने 'ट्रान्सवाल लीडर'की इस रिपोर्टका खण्डन किया कि प्रभावशाली भारतीय व्यापारी इस सघर्षके विरुद्ध है।
बदरी और उसके साथी निर्वासित, पुन सीमा पार करनेपर पुन गिरफ्तार, तीन मासकी सख्त कैदकी सजा।
एस० बी० मेढ, प्रागजी के० देसाई तथा मणिलाल गांधी फेरी लगानेके कारण गिरफ्तार, ७ दिनकी सख्त कैदकी सजा।
जोहानिसबर्गके भारतीय व्यापारियोने 'ट्रान्सवाल लीडर'को लिखे एक पत्रमे उसके द्वारा लगाये गये अभियोगसे इनकार किया।

अक्तूबर १ के पूर्व पारसी अजुमनने गृह-मन्त्रीको तार देकर बताया कि वह सत्याग्रह-आन्दोलनसे सम्बद्ध है।

अक्तूबर १ अजुमन इस्लाम, डर्बनके तत्त्वावधानमे भारतीयोकी सार्वजनिक सभा, आन्दोलनका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास।

अक्तूबर २ कैलनबैक और १२ महिलाओका गिरफ्तारीके लिए जोहानिसबर्गसे मैरित्सबर्गके लिए प्रस्थान।

अक्तूबर ३ अजुमन इस्लामने डर्बनकी ग्रे स्ट्रीट मस्जिदमे सभा बुलाई, विवाह कानूनोका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास। पोलक जोहानिसबर्ग पहुचे। "रैड डेली मेल"ने भेट ली।

अक्तूबर ५ के पूर्व पारसी रुस्तमजी तथा अन्य बन्दियो द्वारा मैरित्सबर्ग जेलमे जेल-अधिकारियोके यज्ञोपवीत वापस न करने तथा अनिवार्य टीका लगाना बन्द न करने तक अनशन करनेका निश्चय।

अक्तूबर ५ गांधीजीका जोहानिसबर्गकी पाटीदार संघकी सभामे भाषण, सभा द्वारा सत्याग्रह आन्दोलनके समर्थनमे प्रस्ताव पास, जर्मिस्टन तथा पीटर मैरित्सबर्गमे भी इस प्रकारकी सभाएँ।

अक्तूबर ६ डर्बनकी दो मुसलमान महिलाएँ फोक्सरस्टमे सीमा पार करती हुई गिरफ्तार।

अक्तूबर ७ एस० बी० मेढ, प्रागजी देसाई तथा मणिलाल गांधीने जेलकी सजा समाप्त होनेपर जोहानिसबर्गमे फेरी लगाई, हथकडियाँ डाले न्यायालयमे ले जाये गये, उनपर प्रमाणपत्र न दिखानेका आरोप, अपने ही मुचलकोपर छोड दिये गये।

अक्तूबर ८ बाई फातिमा महताब, उनकी माता, उनका पुत्र तथा नौकर गिरफ्तार होनेके लिए डबनसे फोक्सग्स्ट गये।

अक्तूबर ९ गाधीजी जोहानिसबगके हिन्दुओकी सभामे शामिल हुए। सभा द्वारा सत्याग्रहकी सहायनाका दावा। मेढ, प्रागजी देसाई तथा मणिलाल गाधीको १० दिनेके कठिन कारावासकी सजा।

अक्तूबर १० चाल्सटाउन जाते हुए ७ सत्याग्रही फोक्सरस्टमे रोके गये, किन्तु गिरफ्तार नही किये गये।

अक्तूबर १३ पी० के० नायडू, जीवन प्रेमजी तथा ९ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार होनेके लिए जोहानिसबर्गमे फेरी लगाते रहे।

अक्तूबर १४ श्रीमती महताब और उनके दलको तीन मासके कठोर कारावासकी सजा।

नायडू, भवानीदयाल तथा रामनारायण रेलवे कार्यकर्त्ताओको उपद्रव करनेके लिए भडकानेके आरोपमे जेल भेज दिये गये।

अक्तूबर १५ के पूव चैपलिनने डबनकी एक सभामे तीन-पौडी कर तथा अपील-निकायमे प्रवासी अधिकारियोको नियुक्त करनेकी नीतिकी आलोचना की।

अक्तूबर १५ गाधीजीने भारतीयोकी माँगोको दोहराते हुए, विवाहोके प्रश्न तथा तीन-पौडी करपर नये विधानकी आवश्यकता बताते हुए वक्तव्य दिया।

यूरोपीय समितिके अध्यक्ष हॉस्केनने गृह-मन्त्रीको पत्र लिखकर भारतीय माँगका समर्थन किया और मध्यस्थता करनेके लिए अपनी सेवाएँ अर्पित की।

अक्तूबर १६ न्यू कैसिलके उपनिवेशमे उत्पन्न भारतीयोने गाधीजीकी नीतिका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किया।

प्रिटोरियामे प्राप्त हिदायतोपर मेढ, प्रागजी देसाई, मणिलाल गाधी, वीरासामी, फ्रासिस और ७ अन्योके विरुद्ध एशियाई अधिनियमके अन्तगत लगाये गये आरोप वापस लिये गये।

अक्तूबर १७ गाधीजी न्यू कैसिलके पास कोयला खानोके क्षेत्रमे गये। उन्होने गिरमिटिया भारतीयोपर जोर दिया कि वे सरकारके तीन-पौडी कर हटानेका वादा न करने तक हडताल करते रहे। सघषने नया मोड लिया। ७८ मजदूरोने हडताल की, गिरफ्तार करनेपर चारको २ सप्ताहके कठिन कारावासकी सजा। ३,००० से भी अधिक गिरमिटिया भारतीय खान-मजदूरो द्वारा हडतालका निणय। डर्बनके हिन्दुस्तानी सघ द्वारा सत्याग्रहके समथनमे सभा, गाधीजीके नेतृत्वमे विश्वास की घोषणा। लन्दनमे रायटरकी एजेन्सी द्वारा भेट लेनेपर फिशरने बताया कि यदि भारतीय सैद्धान्तिक प्रश्नको छोड दे और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ तो अस्थायी समझौता सम्भव।

अक्तूबर १८ पन्द्रह सत्याग्रही गिरफ्तार होनेके लिए न्यू कैसिलसे फोक्सरस्ट रवाना। पोलकने न्यू कैसिलके मजिस्ट्रेट तथा खानोके प्रबन्धकोको आश्वासन दिया कि भारतीय शारीरिक शक्तिका उपयोग नही करेगे।

अक्तूबर १९ गांधीजी डर्बनकी भारतीय सभामें शामिल। सभा द्वारा उनकी नीतिकी आलोचना और उनके खिलाफ अविश्वास-प्रस्ताव पास।

डर्बनसे न्यू कैसिलके लिए रवाना।

हमीदिया इस्लामिया अंजुमन द्वारा फ्रीडडॉर्पमें आयोजित सभामें स्मट्स द्वारा मुस्लिम तलाक-कानूनके बारेमें किये गये अपमानजनक उल्लेखका विरोध।

अक्तूबर २० डैनहॉजरमें २२ रेलवे मजदूरोंने काम छोड़ा। न्यू कैसिल, कैम्ब्रियन तथा डर्बनकी जहाज-सम्बन्धित कोयला खानोंके करीब ३,००० मजदूर हड़तालपर।

अक्तूबर २१ यूरोपीय समितिकी बैठकमें शामिल होनेके लिए गांधीजीका न्यू कैसिलसे जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान।

लॉर्ड ऐम्पथिलसे निजी तथा अनौपचारिक भेंट।

११ भारतीय महिलाएँ न्यू कैसिलमें गिरफ्तार। उनके यह स्वीकार करनेपर कि उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंगसे खनिकोंको काम छोड़नेकी सलाह दी, उन्हें आवारा-गर्दी अधिनियमके अन्तर्गत तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड।

अक्तूबर २२ के पूर्व डैनहॉजरकी सभामें १,००० से अधिक भारतीयों द्वारा हड़ताल करनेका निर्णय।

डर्बनमें हड़तालियोंके लिए धन तथा अन्न एकत्र करनेके उद्देश्यसे दाऊद मुहम्मदकी अध्यक्षतामें एक समितिका निर्माण।

अक्तूबर २२ गांधीजीने जोहानिसबर्गसे गोखलेको तार दिया कि यदि सरकार तीन-पौंडी कर हटानेका वादा करे तो हड़ताली फिर कामपर चले जायेंगे।

'रैंड डेली मेल'के प्रतिनिधिको बताया कि २,००० मजदूर बेकार हैं, पक्षपात-पूर्ण रिपोर्ट देकर भारतीयोंमें मतभेद पैदा करनेके प्रयत्नोंके लिए पत्रकी निन्दा की। हड़तालके क्षेत्रमें हैटिंगस्प्रूट, एलैंड्स्लागावेका दौरा करके न्यू कैसिल लौटे।

डैनहॉजरमें १,५०० हड़तालियों द्वारा सीमापर जाकर गिरफ्तार होनेका निर्णय।

अक्तूबर २३ के पूर्व गांधीजीने न्यू कैसिलसे बोथाको तार दिया कि यदि सरकार तीन-पौंडी कर हटानेका वादा करे तो उसके विरोधमें की गई हड़ताल समाप्त कर दी जायेगी।

अखबारोंको दिये गये तारमें बताया कि वे स्वयं खनिकोंको खानें छोड़कर गिर-फ्तार होनेकी सलाह दे रहे हैं।

फोक्सरस्टमें फेरी लगानेके आरोपमें मणिलाल गांधी और ४ अन्य गिरफ्तार।

अक्तूबर २३ गांधीजीने अखबारोंको सूचना दी कि हड़तालियोंको खानें छोड़कर गिर-फ्तार होने या फोक्सरस्ट जानेका आन्दोलन सन्निकट।

'नेटाल मर्क्युरी'ने रिपोर्ट दी कि हड़तालके कारण ९ खानें बन्द।

अक्तूबर २४ गांधीजीने मगनलाल गांधीको लिखा कि उनका संकल्प २,००० व्यक्तियोंको ट्रान्सवाल ले जानेका है।

उनके साथ जोहानिसबर्ग जानेवाले ६ भारतीय निर्वासित, वापस प्रवेश करनेपर

उन्हे पुन गिरफ्तार कर तीन मासके कठिन कारावासकी सजा। न्यू कैसिलके १६ हडतालियोको दो मासके कारावासकी सजा।

अक्तूबर २५ के पूर्व गाधीजीने जी० ए० नटेसनको तार देकर बताया कि सत्याग्रहके प्रश्न पर भारतीयोके बीच मतभेद होनेके बारेमे 'टाइम्स ऑफ इडिया'मे छपी रिपोर्ट गलत।

अक्तूबर २५ डर्बन व्यापार मण्डलमे भारतीय श्रमिकोके नियोजकोके बीच भाषण। नेटाल मर्क्युरी'को दी गई एक भेटमे बताया कि कोयला खानोमे हडताल होनेका कारण यह है कि सरकार तीन-पौडी कर हटानेमे असफल रही।

अक्तूबर २६ गाधीजीका डडीके हिन्दू-मन्दिरमे भारतीय खान-मजदूरोके बीच भाषण। ८०० खान मजदूर और हडतालमे शामिल।

जर्मिस्टन भारतीय सघ द्वारा एशियाई बाजार तथा वतनी बस्तीके बीच दुहरी बाड खडी करनेके लिए नगरपालिकाके विरुद्ध सत्याग्रह करनेका निश्चय।

लेडीस्मिथके भारतीयो द्वारा हडतालका समर्थन, सत्याग्रहियोके परिवारोकी सहायताके लिए समिति स्थापित।

अक्तूबर २७ नेटाल भारतीय काग्रेसने सभा करके गोखलेको तार दिया कि वह आन्दोलनका समर्थन करती है।

फोक्सरस्टमे ६ सत्याग्रही गिरफ्तार, ४ को ३ मासकी कडी कैद की सजा।

उपनिवेशमे उत्पन्न ५ भारतीय, जिनमे अल्बर्ट क्रिस्टोफर तथा रूबेन जोजेफ भी शामिल थे, डर्बनसे हडतालवाले क्षेत्रमे गये।

सत्याग्रहियोकी 'सेना'को सूचित किया गया कि दूसरे दिन कूच प्रारम्भ होगा।

अक्तूबर २८ गाधीजीने गृह-मन्त्रीसे तार द्वारा मूल समस्याओपर जोर देते हुए कर सबन्धी प्रश्नपर उसका औचित्य देखते हुए पुन विचारकी अपील की।

न्यू कैसिलसे कूच प्रारम्भ।

जनरल स्मट्सने दक्षिण आफ्रिकी दलकी बैठकमे इस बातसे इनकार किया कि उन्होने गोखलेको तीन-पौडी कर हटानेका वचन दिया था।

अक्तूबर २८ के बाद नेटाल भारतीय काग्रेसने तीन-पौडी कर हटानेके वादेसे सरकारके इनकार करनेके सम्बन्धमे गोखलेको तार दिया, गोखलेने पुष्टि की कि निश्चित रूपसे वादा किया था।

अक्तूबर २९ गाधीजीका बैलेगीशके भारतीय खान मजदूरोके साथ इगोगोसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान।

गोखलेको सूचना दी कि वे गिरफ्तार होनेके लिए हडतालियोके साथ कूच कर रहे हैं, प्रार्थना की कि वे पोलकको लन्दनमे बसनेमे मदद दे।

भारतीय हडतालियो द्वारा काम पुन प्रारम्भ करनेकी सरकारी हिदायतोको स्वीकार करनेसे इनकार।

नेटाल भारतीय काग्रेसने सरकारपर आरोप लगाया कि उसने कर हटानेके वादेका निराकरण कर विश्वासघात किया है।

प्रागजी देसाईको न्यू कैसिल खान भू-सम्पत्तिमें अवैध हस्तक्षेप करनेका आरोप लगाकर तीन मासकी कैदकी सजा।

अक्तूबर ३० गांधीजी २०० व्यक्तियोंके साथ चार्ल्स टाउन पहुँचे, महिला कैदियोंको जबरदस्ती टीका लगानेकी जाँच करनेके लिए गृह-मन्त्रीको तार दिया, 'इंडियन ओपिनियन'को तार दिया कि हड़तालके क्षेत्रमें ५,००० भारतीयों पर असर, ४,००० को भोजन और सहायता दी जा रही है, इनमें ३०० महिलाएँ और ६०० बच्चे शामिल, ३०० सत्याग्रही जेलमें। थम्बी नायडूके नेतृत्वमें ३०० तथा अल्बर्ट क्रिस्टोफरके नेतृत्वमें २०० कूच करनेवाले लोगोंका न्यू कैसिलसे प्रस्थान, बैलेंगीश कोयला खानके करीब १५० भारतीय जेलमें।

अक्तूबर ३१ गांधीजीने न्याय-सचिवको सूचित किया कि यदि उन भारतीयोंको जिन्होंने स्वयं अपनेको पेश किया है, गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वे ट्रान्सवालमें कूच करेंगे। ए० डी० पिल्लेके नेतृत्वमें करीब २०० स्त्री-पुरुषोंका न्यू कैसिलसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान, अन्य ५०० व्यक्तियोंका रेलगाड़ीमें प्रस्थान।

नवम्बर २ गांधीजीकी देख-रेखमें १,५०० सत्याग्रही थे, जो चार्ल्स टाउनमें रखे गये थे।

नवम्बर ३ रायटरको सूचना दी कि उन्होंने १,५०० व्यक्तियोंको लेकर ट्रान्सवालमें कूच करनेका इरादा किया है, यदि गिरफ्तार नहीं किये गये तो वे टॉल्स्टॉय फॉर्म जायेंगे।

'नेटाल एडवर्टाइजर',ने सूचना दी कि वहाँ २,००० से अधिक भारतीय पड़ाव डाले बैठे हैं, जिनमें से ५०० लेडीस्मिथसे आये।

नवम्बर ४ के पूर्व गांधीजीने कूचकी स्थितिके बारेमें सूचना देते हुए गोखलेको तार दिया।

नवम्बर ४ न्यू कैसिलसे १,७०० सत्याग्रहियोंने कूच प्रारम्भ किया।

नवम्बर ५ के पूर्व रेलवे कर्मचारी हड़तालमें शामिल।

बैलेंगीशके १७५ हड़ताली १० नवम्बर तकके लिए हिरासतमें, उन्हें स्थान देनेमें सरकार असमर्थ रही, इसलिए छोड़ दिये गये।

नवम्बर ५ गांधीजीने तीन-पौंडी कर हटानेका आश्वासन देनेके लिए स्मट्सको तार दिया, ताकि 'कूच' बन्द कर दिया जाये, स्मट्सकी इनकारी।

गांधीजी द्वारा कूचका नेतृत्व करनेके अपने निश्चयकी 'नेटाल मर्क्युरी' में पुनः पुष्टि। ७०० भारतीय सत्याग्रहियोंका न्यू कैसिलसे प्रस्थान। लन्दनमें भारतीयोंकी सभाने घोषणा की कि उपनिवेशोंमें भारतीयोंको नागरिकताके अधिकार नहीं दिये जाते, वे शाही दायित्वोंमें हाथ नहीं बँटा सकते, श्रीमती गांधी तथा अन्य लोगोंकी वीरताकी प्रशंसा की।

डर्बीमें बहुतसे भारतीयोंको तीन-पौंडी कर न हटाने तक काम करनेसे इनकार करनेके कारण जुर्माने, कैदकी सजा।

नवम्बर ६ के पूर्व गांधीजीने हड़तालकी स्थितिके बारेमें गोखलेको तारसे सूचना दी कि वे ६ नवम्बरको 'महान् कूच'का नेतृत्व करेंगे।

नवम्बर ६–३० बजे प्रात काल २,३०३७ व्यक्तियोके 'महान् कूच'का चार्ल्स टाउनसे नेतृत्व, इनमे १२७ महिलाएँ और ५७ बच्चे, चार्ल्स टाउन और फोक्सरस्टके बीच आधे मार्गमे कूच करनेवालोमे भाषण।

फोक्सरस्टमें सीमा पुलिसके अधीक्षक तथा प्रवासी अधिकारीने गाधीजी तथा कैलेनबैकके बयान लिये। कूच करनेवालोने पुलिसका घेरा तोडकर सीमा पार की। पामफोड रेलवे स्टेशन पर ८–३० बजे शामको गाधीजी गिरफ्तार, कूच करनेवालोकी यात्रा जारी।

नवम्बर ७ गाधीजी फोक्सरस्ट न्यायालयके सामने पेश, ५० पौडकी जमानतपर रिहा, मामला १४ नवम्बर तकके लिए स्थगित, ३३ मील मोटरसे गये, कूच करनेवालोमे पुन शामिल हुए, मार्गमे पाडेक्रॉलके स्थानपर सत्याग्रहियोमे बूढे तथा कमजोर लोगोको दवाइयाँ दी।

अन्य कूच करनेवालोके साथ कूच जारी रखनेकी अनुमतिके लिए गृह-मन्त्रीको तार, अन्यथा सरकारको कूच करनेवालोकी देखभाल करनेकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

उमलोटी घाटी चीनी कम्पनीके भारतीय मजदूर हडतालपर।

नवम्बर ८ गाधीजी स्टैंडटन पहुँचे, गिरफ्तार और ५० पौडकी जमानतपर रिहा, मामला २१ नवम्बर तकके लिए उठा दिया गया। टुकडीने कूच जारी रखा। रायटरने भेट ली, गाधीजीने महसूस किया कि सरकार जरूर तीन-पौडी कर हटा देगी।

नवम्बर ९ डडीके वारटपर ग्रेलिंगस्टाडके निकट टीकवथमे गिरफ्तार, हडतालको प्रोत्साहन देनेका आरोप, सत्याग्रहियोसे बातचीत करनेकी अनुमति नही, रातभरके लिए गुप्त रूपसे बालफोर ले जाये गये।

कूच करनेवालोका पोलकके नेतृत्वमे ग्रेलिंगस्टाडकी ओर कूच।

नवम्बर १० गाधीजीकी मामला उठा रखने, कूच करनेवालोको टॉल्स्टॉय फॉर्म ले जानेकी अनुमतिके लिए प्रार्थना मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत, सरकारको आगे भेजी गई। 'कर हटानेका वादा करने तक' गाधीजीकी दिनमे एक बार खानेकी प्रतिज्ञा। दलने कूच जारी रखा, बालफोर पहुँचा, २,००० कूच करनेवाले निषिद्ध प्रवासी घोषित, गिरफ्तार और विशेष रेलगाडीसे नेटालमे निर्वासित, पोलक, कैलेनबैक निषिद्ध प्रवासियोका पक्ष लेने, तथा उन्हे ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेके लिए उकसानेके आरोपमे गिरफ्तार। मामले १३ नवम्बर तकके लिए उठा रखे गये।

मैरित्सबर्गमे जेलमे सत्याग्रहियो द्वारा तीन दिनका उपवास।

नवम्बर ११ के पूर्व गाधीजीने एक सन्देशमे, कूच करनेवालोके साहस तथा बलिदानकी प्रशसा की, जेल न जानेवालोसे अपील की कि हडतालियोको खाना उपलब्ध करनेके लिए दिनमे एक वक्तका खाना छोड दे।

नवम्बर ११ डडी मजिस्ट्रेट द्वारा गाधीजीको ५० पौंड जुर्माने या ९ मासकी कडी कैदकी सजा, कैदकी सजा पसन्द की, एक सन्देशमे हडतालियोसे अपील की कि तीन-पौंडी कर हटाने तक हडताल जारी रखें।

डडी जेलसे मगनलालको लिखते हुए वित्तीय प्रबन्धके सम्बन्धमे हिदायते दी, फलाहारकी अनुमति दे दी गई। पोलक, कैलेनबैक हिरासतमे।

नवम्बर १२ वेरुलम १,५०० हडतालियोसे विमुक्त, टोगाटसे लेकर उमगनी तकके हजारो गिरमिटिया मजदूरा द्वारा वागानोमे हडताल।

नवम्बर १३ गाधीजी फोक्सरस्ट जेलमे, जहा पोलक और कैलेनबैकको रखा गया था, परिवर्तित।

नवम्बर १४ फोक्सरस्ट न्यायालयके सामने वक्तव्य दिया, स्वय प्रस्तुत साक्ष्यपर अपराधी ठहराये गय, ३ मासकी और सजा।

नवम्बर १५ कैलेनबैकके विरुद्ध शाही गवाहके रूपमे उपस्थित, कैलेनबैकको तीन मासकी सजा।

सत्याग्रही माउट एजकम्वमे बैरकोके अन्दर बन्द, खाना नही दिया गया, नेटाल भारतीय काग्रेस द्वारा तारसे हडतालियोको खाना देनेकी अनुमति प्राप्त।

नवम्बर १६ डबनमे रेलवे, चीनी-कारखाने, डाक तथा निगमके सभी भारतीय मजदूर हडतालपर, हडतालियो और पुलिसके बीच टक्कर, कुल १६ भारतीय घायल, एककी मृत्यु।

नवम्बर १७ गाधीजी पोलकके मामलेमे गवाहके रूपमे उपस्थित, पोलकको तीन मासकी सजा।

नवम्बर १८ गाधीजी मैरित्सबग जेलमे, कैलेनबैक क्रूगसडॉप जेलमे और पोलक बॉक्स-बर्ग जेलमे परिवर्तित। डबनमे ७,००० से ८,००० तक हडतालपर। भारत-मन्त्रीने उपनिवेश-मन्त्रीके सामने नेटाली भारतीयाके साथ किये जानेवाले क्रूर व्यवहारके सम्बन्धमे भारतकी नाराजगीपर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, और वक्तव्य देनेके लिए कहा।

नवम्बर १९ जमनादास गाधी तथा ४ अन्यो द्वारा किम्बर्लेमे ट्रान्सवालकी सीमा पार।

नवम्बर २० हावरके २६४ हडतालियो, ५ नेताओका ७ दिनकी सख्त कैदकी सजा।

भारत सेवक समिति-भवनमे बम्बईकी महिला-सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भार-तीयोके लिए हमदर्दी, धन जुटानेका निश्चय।

नवम्बर २१ सोराबजी रुस्तमजी, क्रिस्टोफर गिरफ्तार।

मैरित्सबगमे हडताल, थम्बी नायडू गिरफ्तार।

नवम्बर २४ लॉड हार्डिजने, मद्रासमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके सम्बन्धमे समवेदना-पूर्ण वक्तव्य दिया।

नवम्बर २५ 'इडियन ओपिनियन'के कार्यवाहक सम्पादक वेस्ट, फीनिक्समें गिरफ्तार, "गिरमिटिया लोगोको शरण देने" का आरोप।

बेनवा बागानमे पुलिस द्वारा गोलीसे दो भारतीयोकी हत्या। वेरुलम तथा अन्य स्थानोमे हडताली गिरफ्तार, ७ दिनकी कैदकी सजा।

नवम्बर २६ वेस्ट न्यायालयमे पेश, एक सप्ताहके लिए हिरासतमें।

प्लॉट्सके चीनी बागानके ९४ हडतालियोको ७ दिनकी कैदकी सजा।

नवम्बर २७ नेटाल भारतीय कांग्रेसका सरकार द्वारा सत्याग्रहियोंका भयानक दमनके बारेमें गोखलेको तार, भारत, साम्राज्य सरकारोंपर हस्तक्षेप करनेके लिए जोर, भारतीयोंपर पुलिसके आक्रमणके बारेमें जाँच करनेकी सुविधा देनेके लिए न्याय-मन्त्री, प्रिटोरियाको भी तार। माउँट एजकम्बमें हड़तालियों और पुलिसके संघर्षका परिणाम ६ भारतीयोंकी मृत्यु।

नवम्बर २८ दिल्लीमें भाषण देते हुए गोखले द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी भीषण दुर्दशाका उल्लेख।

नवम्बर ३० डर्बन, जोहानिसबर्ग (ब्रि० भा० स०) मैरित्सबर्ग, न्यू कैसिल, दूसरे नगरोंमें सार्वजनिक सभाओं द्वारा नेताओंके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त, शाही जाँचके लिए गोखलेकी मांगका समर्थन।

दिसम्बर १ अखिल भारत तथा दक्षिण आफ्रिका संघके शिष्टमण्डलकी दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी शिकायतोंके सम्बन्धमें भारत-मन्त्रीसे भेंट।

दिसम्बर २ २५ व्यक्तियोंका चार्ल्सटाउनसे ट्रान्सवालमें प्रवेश, तीन मासकी कड़ी कैदकी सजा, ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षने भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाके प्रस्तावको गवर्नर-जनरलके पास भेजा।

दिसम्बर ३ ५० से ६० तक सत्याग्रही मैरित्सबर्ग जेलसे डर्बन भेजे गये, सभी ३० नवम्बरसे भूख हड़तालपर, एन० आई० ए०को सूचना प्रदान। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और ए० सी० मजूमदारके कलकत्तेमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके समर्थनमें भाषण।

दिसम्बर ४ डर्बन जेल अधीक्षकने वेस्टकी मुलाकातमें बताया कि जेलमें भूख-हड़ताल नहीं, मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा मामलेकी जाँच-पड़ताल।

दिसम्बर ६ श्लेसिन, वेस्टको भूख-हड़तालियोंसे मुलाकात करनेकी अनुमति देनेसे इनकार।

दिसम्बर १० बम्बईकी सार्वजनिक सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके साथ होनेवाले दुर्व्यवहारकी निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास, सर फिरोजशाह मेहताका भाषण।

दिसम्बर ११ अशान्तिकी जाँच करनेके लिए सरकार द्वारा आयोगकी नियुक्ति, सर विलियम सॉलोमन उसके अध्यक्ष, एवाल्ड एसेलेन, जे० एस० वाइली सदस्य नियुक्त।

दिसम्बर १४ गांधीजीने ब्लूमफान्टीन जेलसे फीनिक्समें कुमारी वेस्टको लिखा।

दिसम्बर १५ जोहानिसबर्ग, केपटाउन, डर्बन, मैरित्सबर्ग, किम्बर्ले और पॉचेफस्ट्रूमकी सार्वजनिक सभाओं द्वारा आयोगकी रचनाका विरोध।

दिसम्बर १६ बम्बईके गवर्नर, लॉर्ड विलिंग्डन द्वारा दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नका "अपनी ही अनिवार्य विशेषताओंके कारण उच्च-स्तरीय शाही प्रश्न"के रूपमें उल्लेख।

दिसम्बर १७ के पूर्व गोखलेने गांधीजीको तार दिया कि भारतीयोंकी जाँचके लिए सी० एफ० ऐंड्रयूज तथा डब्ल्यू० डब्ल्यू० पियर्सन दक्षिण आफ्रिका आयेंगे।

हिलहेड बैंरको तथा माउंट एजकम्ब जायदादमे २७ नवम्बरको हुई भारतीय मृत्युओकी वेरुलममे जांच प्रारम्भ।

दिसम्बर १८ सॉलोमन आयोगकी सिफारिशपर गाधीजी, पोलक और कैलेनबैक प्रिटोरियामे रिहा। गाधीजी शामको जोहानिसबर्ग पहुँचे, सार्वजनिक सभामे भाषण, आयोगके सामने गवाही न देनेका प्रस्ताव पास, बादको 'नेटाल मर्क्युरी' द्वारा मुलाकात।

जांच आयोगका अधिवेशन प्रिटोरियामे प्रारम्भ।

३६ सत्याग्रहियोको जिनमे ५ महिलाएँ भी शामिल थी सीमा पार करनेके अपराधमे ३ मासकी सजा।

दिसम्बर १९ गाधीजी, पोलक और कैलेनबैकका डर्बनके लिए प्रस्थान।

दिसम्बर २० जुलूसके साथ एन० आई० ए० के दफ्तर ले जाये गये, गाधीजी द्वारा दूसरे दिन आयागके सामने गवाही देनेके बारेमे निर्णय करनेके लिए सार्वजनिक सभाकी घोषणा। 'नेटाल मर्क्युरी'को भेटमे बताया कि जबतक सरकार भारतीय विरोधी भावनासे रहित यूरोपीयोको नियुक्त नही करती, भारतीय समाज आयोगका बहिष्कार करेगा।

ट्रान्सवालकी महिला-सत्याग्रही डर्बन जेलसे रिहा।

दिसम्बर २१ गाधीजी डबनके भारतीयोकी सावजनिक सभामे गिरमिटिया भारतीयोकी वेशभूषामे गये, हडतालके दौरानमें गोलीसे मारे गये भारतीयोके लिए "आतरिक शोक"के चिह्नके रूपमे दिनमें एक बार भोजन करनेके निणयकी घोषणा। समाज द्वारा गवाही न देने तथा सघर्ष पुन चालू करनेका निर्णय, सिफारिश की कि डब्ल्यू० पी० श्राइनर तथा सर जेम्स रोज-इन्स आयोगमे शामिल किये जायें, सत्याग्रहियोकी रिहाईपर जोर दिया।

गाधीजीने बादको सार्वजनिक सभामे पारित प्रस्तावोको भेजते हुए गृह-मन्त्रीको लिखा।

आयोगका बहिष्कार न करनेके बारेमे गोखलेका तार प्राप्त।

दिसम्बर २२ पारसी रुस्तमजी, छगनलाल गाधी, रामदास गाधी, डर्बन जेलसे रिहा, कस्तूरबा गाधी, श्रीमती छगनलाल गाधी, श्रीमती मगनलाल गाधी, सॉलोमन रायप्पन और दूसरे लोग मैरित्सबर्ग जेलसे रिहा।

गाधीजीका रिहा हुए सत्याग्रहियाके स्वागतमे की गई सभामे भाषण, भारतीयोसे अपील की कि शोक चिह्नके रूपमे वे विलासको छोड दे।

आयोगके पुनर्निर्माणके सम्बन्धमे किये गये निर्णय तथा सत्याग्रहमे सार्वजनिक उत्साहके बारेमे गोखलेको तार दिया।

दिसम्बर २२ के बाद सत्याग्रहियोके साथ जेलमे किये गये दुर्व्यवहारके बारेमें 'नेटाल एडवर्टाइजर'को लिखा।

दिसम्बर २३ एसेलेन और वाइलीके एशियाई विरोधी रुख तथा सरकार द्वारा सत्याग्रही कैदियोके दमनके बारेमें उदाहरण देते हुए गाधीजीने गोखलेको तार दिया।

गोखलेने गांधीजीको तार दिया कि पोलकको इंग्लैंड भेजे। गांधीजी तथा साथियो-का सॉलोमन आयोगके विरुद्ध भारतीय समाजके रोषके बारेमे लॉर्ड ऍम्टहिलको तार।

'नेटाल मर्क्युरी'को लिखे एक पत्रमे अपने उद्देश्यको दक्षिण आफ्रिकी हमदर्दीसे भी बढकर बताया।

दिसम्बर २४ स्मट्सने आयोगमे और सदस्य नियुक्त करनेसे इनकार करते हुए गांधी-जीको लिखा। गांधीजीने संघर्षको वापस लेनेकी असमर्थता व्यक्त करते हुए गोखलेको तार दिया, धार्मिक नेताओ, अखबारो, यूरोपीय समितिकी ओरसे लॉर्ड ऍम्टहिल द्वारा सहायताका विश्वास दिलानेके बारेमे गोखलेको बताया।

दिसम्बर २५ इस बातसे इनकार करते हुए कि संयुक्त पत्र अन्तिम चेतावनीके रूपमे था, गांधीजीने गृह-मन्त्रीको तार दिया, भारतीय मजदूरोके नियोजकोके हितोकी रक्षाका वचन दिया, भेटकी माँग की।

दिसम्बर २६ आयोगमें बागान मालिको तथा भारतीयोकी ओरसे अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करनेके लिए साम्राज्य सरकारके साथ-साथ वाइसरायके हस्तक्षेपपर जोर देनेके लिए गोखलेसे अपील की।

तीन-पौडी कर रद करानेके बारेमे प्रयत्न करनेके लिए धन्यवाद देते हुए गांधीजी-ने सिनेटर कैम्बेलको लिखा। गोखलेको सूचना दी कि सत्याग्रहियोकी शपथने संघर्षको पुन चालू करनेके लिए १ जनवरीकी तारीख निश्चित नही की। दूसरे तारमे गोखलेको सलाह दी कि वे धन भेजना मुल्तवी कर दे, क्योकि आन्दोलनके स्थगित होनेकी सम्भावना है।

भारतीय कांग्रेस द्वारा कराचीमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके साथ दुर्व्यवहारकी निन्दा, गांधीजीके वीरतापूर्ण नेतृत्वकी प्रशसा, गिरमिटिया प्रथापर प्रतिबन्ध लगानेकी माँग और शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजनेका निर्णय।

दिसम्बर २७ के पूर्व गांधीजीने रायटरकी एक भेंटमे संघ तथा साम्राज्य सर-कारोके प्रति भारतीयोकी राज-भक्तिपर जोर दिया तथा सत्याग्रहको पुन प्रारम्भ करनेसे बचनेके लिए उत्सुकता व्यक्त की।

दिसम्बर २७ राबर्ट्सनके दक्षिण आफ्रिका पहुँचने तक कूच मुल्तवी रखनेके बारेमें तार द्वारा गोखलेको विश्वास दिलाया। आशा की कि वाइसराय अथवा भारत-मन्त्री यूरोपीयोकी हमदर्दीको नष्ट नही करेगे। मैरित्सबर्गके भारतीयोकी सार्व-जनिक सभाको बातचीतके बारेमे सूचना दी, किन्तु उन्हे संघर्षके लिए सजग रहनेको कहा।

दिसम्बर २८ गोखलेका राबर्ट्सनके दक्षिण आफ्रिका पहुँचने तक कूचको पुन प्रारम्भ न करनेके गांधीजीके वादेके बारेमे वाइसरायको तार। वाइसरायने गोखलेको सूचना दी कि राबर्ट्सन १ जनवरीको जा रहे है। दुर्व्यवहार, तथा आयोगके सदस्योके खिलाफ आपत्तियोका विवरण भेजनेके लिए गांधीजीको गोखलेका तार।

जनवरी ९ गांधीजी व ऐन्ड्रयूज प्रिटोरिया पहुँचे, एक भेटमे 'प्रिटोरिया न्यूज'को विश्वास दिलाया कि रेलवे-हड़ताल समाप्त होने तक सत्याग्रही सरकारको तग नही करेग।

जनवरी ११ बेजामिन राबटसन डबन पहुँचे।

जनवरी १२ श्रीमती शेख मेहताब तथा उनकी माता, हनीफा बीबी मरित्सबर्ग जेलसे रिहा।

जनवरी १३ स्मट्सने एक सक्षिप्त भेटमें गाधीजीको राबर्ट्सनके प्रिटोरिया पहुँचने तक प्रतीक्षा करनके लिए कहा, एन्ड्रयूजकी गवनर-जनरल ग्लैड्स्टनसे मुलाकात।

जनवरी १६ गाधीजीकी स्मटससे मुलाकात, सुझाव पेश किये।

जनवरी २० गाधीजीको प्रिटोरियाके मुसलमानो और हिन्दुओका लिखित वक्तव्य मिला, जिसमे उन्होने सत्याग्रहके प्रश्नपर मतभेद होनेका निराकरण किया था।

जनवरी २१ गाधीजी बेजामिन राबर्टसनसे मिले, गृह-मन्त्रालयको लिखकर सत्याग्रह पुन प्रारम्भ न करने या आयोगके कायमे बाधा न डालनेका विश्वास दिलाया।

जनवरी २२ एन्ड्रयूज स्मट्ससे मिले। गाधीजी और स्मट्सके बीच अस्थायी समझौता, सरकार द्वारा भारतीयोकी सलाह लेनेका सिद्धान्त स्वीकार। गाधीजीका प्रिटोरियासे फीनिक्सके लिए प्रस्थान, सत्याग्रह स्थगित।

जनवरी २३ जोहानिसबग पहुँचे, 'रैंड डेली मेल' को भेट दी, अस्थायी समझौतेके बारेमे गोखलेको तारसे सूचना, १५, एडसन स्ट्रीट, जोहानिसबगमे कार्यालय स्थापित, डर्बन जेलसे बहुतसे सत्याग्रही रिहा।

जनवरी २५ गाधीजी द्वारा डबनकी सार्वजनिक सभामे समझौतेके आशयपर प्रकाश, सभा द्वारा उसका अनुमोदन। भारतीय सुनारो द्वारा ऐन्ड्रयूजके सम्मानमे किये गये स्वागत-समारोहमे शामिल।

जनवरी २६ भारतीय जाँच आयोगकी पहली बैठक डबनमे हुई।

जनवरी २८ रायटर तथा एस० ए० प्रेस एजेंसीने नेटाल भारतीय काग्रेसकी बैठक द्वारा जाँच आयोगके सामने गवाही देनेका निणय किये जानेके बारेमे रिपोर्ट दी। बहुत-से भारतीय सघो द्वारा अस्थायी समझौतेके समर्थनमे गोखलेको तार।

जनवरी २९ बेजामिन राबटसनने आयोगके सामने गवाही दी।

जनवरी ३० गाधीजी व ऐन्ड्रयूजने सयुक्त रूपसे गोखलेको तार दिया कि नेटाल भारतीय काग्रेसकी बैठक २८ जनवरीको यो ही बुला ली गई थी, उसका कोई महत्त्व नही।

ऐन्ड्रयूज व मणिलाल गाधी पीटर मैरित्सबर्ग पहुँचे।

जनवरी ३१ मैरित्सबर्गके भारतीयोकी सार्वजनिक सभा द्वारा ऐन्ड्रयूजका सम्मान और गाधी-स्मट्स समझौतेका अनुमोदन।

फरवरी ४ राबर्ट्सन फीनिक्स बस्ती गये।

फरवरी ६ गाधीजीको ट्रान्सवाल तथा नेटालके सत्याग्रहियोकी रिहाईके बारेमे सरकारके निणयकी सूचना दी।

फरवरी ७　डर्बनमें भारतीय महिला-सभाका उद्घाटन, कस्तूरबा तथा श्रीमती पोलक संरक्षक निर्वाचित।
　जाँच आयोगकी नेटालकी बैठक समाप्त।
फरवरी ८　गांधी-स्मट्स समझौतेके समर्थनके लिए स्टैंजरमें भारतीयोंकी सभा।
फरवरी ९　हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने मुसलमानी धर्मके अनुसार विवाहके प्रश्नको तय करनेकी माँग करते हुए एक प्रस्ताव राबर्ट्सनको दिया।
फरवरी १२　केपटाउन सिटी हॉलमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें ऐन्ड्रयूजका टैगोरपर भाषण।
फरवरी १७　गोखलेका इंग्लैंडके लिए प्रस्थान।
फरवरी २०　ऐन्ड्रयूजका केपटाउनके विश्वविद्यालयके छात्रोंमें भाषण।
फरवरी २१　गांधीजीका ऐन्ड्रयूजको विदाई देनेके समारोहमें भाषण, ऐन्ड्रयूजका बादको जहाजसे इंग्लैंडके लिए प्रस्थान।
फरवरी २२　कुमारी वल्लीअम्मा मूनसामी मुदलियर नामक एक सत्याग्रहिणीकी, जो मरित्सबर्ग जेलमें बीमार थी, मृत्यु।
फरवरी २४　मद्रास लीग द्वारा इंग्लैंडमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका मामला पेश करनेके लिए गोखले, श्रीनिवास शास्त्री और अन्य नियुक्त।
फरवरी २६　स्मट्सने गांधीजीसे प्रार्थना की कि जाँच आयोगकी रिपोर्ट प्रकाशित होने तक भेंट स्थगित रखें।
फरवरी २७　गांधीजीने केपटाउनसे गोखलेको लिखा कि समझौता हो जानेपर उनकी भारत लौटने, एक वर्ष तक बिलकुल मौन धारण करने और गोखलेके चरणोंमें शिक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा है।
मार्च २　गांधीजीने हरिलालको कस्तूरबाकी बीमारीके बारेमें लिखा कि वे "जीवन और मरणके बीच झूल रही हैं।"
　सोराबजीने छगनलालको लिखा कि उनकी मृत्यु हो जानेपर उनके पारिवारिक मामलोंको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय।
मार्च ४　विशिष्ट शिकायतोंके सम्बन्धमें भारतीयोंको राहत पहुँचानेके बारेमें राबर्ट्सनको लिखा।
　मार्च ७　सॉलोमन आयोगकी रिपोर्ट सरकारको पेश।
मार्च ९　पोरबन्दरमें लक्ष्मीदास गांधीकी मृत्यु।
मार्च ११　संसदमें भाषण देते हुए स्मट्सने कहा कि गांधीजीको पहलेकी तरह कार्य करनेकी अनुमति इसलिए दी गई कि "राज्यको उलटनेके लिए उन्होंने हिंसक तरीकोंकी कभी भी वकालत नहीं की।"
मार्च १३　गांधीजीने एक पत्रमें ऐन्ड्रयूजको लिखा, "गत सप्ताहमें श्रीमती गांधी मृत्युके निकट पहुँच गई थीं, इसलिए पिछले १० दिनोंमें मैंने उनकी परिचर्याके सिवा और कुछ नहीं किया।"
मार्च १६　दक्षिण आफ्रिकाके लिए नियुक्त बम्बई समितिने आयोगकी सिफारिशोंके

सम्बन्धमे रायटर द्वारा की गई भविष्यवाणीपर अपने विचार भेजनेके लिए गाधीजीको तार दिया, प्रार्थना की कि समितिसे सलाह लिए बिना कोई वादा न करे।

मार्च १७ आयोगकी रिपोर्ट ससदमे पेश। राबर्ट्सन भारत जाते हुए डेलागोआ-बेके लिए रवाना। वाइसरायका जाँच आयोगके विषयपर शाही विधान परिषद्मे भाषण।

मार्च १९ दक्षिण आफ्रिकाके लिए नियुक्त बम्बई समिति द्वारा आयोगकी सिफारिशोपर सन्तोष व्यक्त, आशा व्यक्त की कि सत्याग्रह पुन प्रारम्भ नही किया जायेगा।

माच २२ ट्रान्सवालके मुसलमानोकी सभा द्वारा मुस्लिम विवाहोके प्रश्नपर सॉलोमन आयोगकी सिफारिशोकी निन्दा, हमीदिया इस्लामिया अजुमनने भारत-मन्त्री तथा अन्योको तार दिया कि सिफारिशे धर्मका उल्लघन करती है।

मार्च २३ स्मट्सने विधान सभामे घोषणा की कि सरकार आयोगकी रिपोटपर विचार कर रही है और उसी अधिवेशनमे आवश्यक विधान पेश किया जायेगा।

मार्च २४ मुसलमानी तथा यहूदी विवाहोके लिए विवाह-घोषणाका प्रकाशन आवश्यक करनेके लिए सघ-सरकारके 'गज़ट'मे घोषणा प्रकाशित।

माच २५ केपके भारतीयो द्वारा कस्तूरबा गाधी व इमाम अब्दुल कादिर बावजीरका हिन्दू सभामे स्वागत।

गाधीजीको केपटाउनका विधान भेंटमें दिया गया, सत्याग्रह कोषके लिए चन्दा भी दिया गया। गाधीजी द्वारा 'इडियन ओपिनियन' में आयोगकी रिपोर्टके उपबन्धोका विश्लेषण।

मार्च २६ कस्तूरबा तथा इमाम बावजीरके साथ केपटाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना।

मार्च ३० फीनिक्स पहुँचे। डर्बन महिला सघ द्वारा पोलक तथा श्रीमती पोलकको विदाई।

अप्रैल १ गोखलेको लिखे एक पत्रमे गाधीजीने कस्तूरबाके जीवित रहनेमे सन्देह व्यक्त किया।

ऐन्ड्रयूज भारत जाते हुए मारसेल्सके लिए रवाना।

अप्रैल ८ गाधीजीने गृह-मन्त्रालयसे आग्रह किया कि सिफारिशोको देखते हुए तीन-पौंडी करके लिए गिरमिटिया मजदूरोके पारिश्रमिकमे से कटौती करना बन्द किया जाये।

अप्रैल २२ मन्त्रालयको तार दिया कि वह जबरदस्ती कर वसूलीको बन्द करनेका आदेश दे। स्मटसने उत्तर दिया कि करके मुकदमे बन्द करनेके बारेमे न्याय-मन्त्रीसे सिफारिश कर दी गई है।

मई ६ के पूर्व मन्त्रालयसे आग्रह किया कि ट्रान्सवालमें प्रवेश चाहनेवाली भारतीय स्त्रियोंसे फोटो न माँगे जाये, बल्कि स्थानीय प्रमाण ही स्वीकार कर लिया जाये।

मई ६ गोखलेको लिखकर पूछा कि यदि अन्तिम समझौता हो गया तो क्या वे और कस्तूरबा भारत जाते हुए उन्हे लन्दनमें मिले।

मई १६ ग्लैड्स्टनने भारतीय राहत विधेयकके उपनिवेश-मन्त्रीको भेजा।

मई १९ गाधीजीने मन्त्रालयसे विधेयक पेश करनेकी तारीखके बारेमे पूछा।

मई २० मन्त्रालयने गांधीजीको सूचना दी कि विधेयकपर बातचीत करनेके लिए स्मटससे मुलाकात सम्भव।

मई २२ गांधीजी स्मटससे मिलनेके लिए फीनिक्ससे केपटाउन रवाना।

मई २३ जोहानिसबगमें 'ट्रान्सवाल लीडर'ने भेंट ली।

मई २७ गृह-सचिवसे मिले और विधेयकका मसविदा प्राप्त किया।

मई २८ भारतीय राहत विधेयक प्रकाशित। जोहानिसबगमें रायटरके भेंट लेनेपर पोलकने गांधीजीके तारका उल्लेख किया कि विधेयक सन्तोषजनक मालूम पड़ता है।

मई २९ पोलकने 'स्टार'को लिखा कि यदि विधेयक अमलमें लानेके लिए प्रशासनिक उपाय काममें लाये गये तो उनका पूर्वानुमान है कि संघर्ष समाप्त हो जायेगा।

जून १ स्मटसने विधान सभाको सूचित किया कि विधेयक दूसरे दिन पेश होगा।

जून २ फ्रिबर्गके भारतीय समाज द्वारा फ्री स्टेटमें प्रवेशकी माँग करते हुए गांधीजीको तार।

जून ५ गांधीजीने गोखलेको लिखा कि यदि सन्तोषजनक समझौता हो गया और संघर्ष समाप्त कर दिया गया तो वे जुलाईके मध्यमें भारतके लिए रवाना हो जायेंगे।

जून ८ विधेयकका दूसरा वाचन, अंजुमन इस्लामने गांधीजीको तार दिया कि वे शिनाख्तके लिए अँगूठोंकी छाप स्वीकार करनेपर जोर दें।

जून ९ गांधीजीने नेटालमें प्रवेश पानेके लिए प्रार्थना करनेवालोंकी प्रवासी अधिकारियों द्वारा की जानेवाली जाँच-पड़तालके प्रश्नको जॉर्जेसके सामने उठाया।

जून ११ राँदेरीने गांधीजीको तार दिया कि विधेयक सरकारको ७४,००० गिरमिटिया भारतीयोंको निषिद्ध प्रवासी घोषित करनेका अधिकार देता है। गांधीजीने विधेयककी व्याख्याके सम्बन्धमें जॉर्जेससे पुनः आश्वासन माँगा।

जून १५ रुस्तमजी द्वारा विधेयकके अन्तर्गत गिरमिटिया भारतीयोंकी स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए गांधीजीका तार।

जून १७ विधेयकका तीसरा वाचन संसदमें प्रेषित।

छ वर्षके लिए बर्मामें निर्वासनके बाद भारतमें लोकमान्य तिलककी रिहाई।

जून १८ संसदमें विधेयकका प्रथम वाचन।

जून १९ संसदमें विधेयकका दूसरा वाचन।

जून २० गांधीजीने विधेयकके प्रति भारतीयोंके विरोधके बारेमें इनकार करते हुए कैम्बेलको लिखा, इस बातसे इनकार किया कि विधेयकको भारतीयोंको निषिद्ध प्रवासी घोषित करनेका अधिकार है। रुस्तमजीने 'मर्क्युरी'की इस व्याख्याकी ओर गांधीजीका ध्यान आकर्षित किया कि वह गिरमिटिया भारतीयोंके लिए अनिष्टकारी है।

जून २१ एडिनबरोमें सर डेविड हंटरकी मृत्यु।

जून २२ जॉर्जेसने गांधीजीसे इनकार किया कि सरकारका विधेयकको गिरमिटिया भारतीयों पर प्रतिकूल ढंगसे लागू करनेका इरादा है।

जून २२ के बाद गांधीजीने एक खुले पत्रमे जोर देकर कहा कि वे विधेयकसे होनेवाले किसी भी अन्यायके विरुद्ध सघष करेग।

जून २४ जॉर्जेस द्वारा गाधीजी बातचीतके लिए आमन्त्रित।

जून २६ ससदमे राहत विधेयकका तीसरा वाचन।

जून २७ गाधीजीकी केप टाउनमे स्मट्ससे दो घटे तक बातचीत। विधेयककी स्वीकृतिमे गाधीजीकी सहायताके लिए बुलाई गई यूरोपीय सभामे भाषण।

जन ३० जॉर्जेसको लिखा कि 'भारतीय राहत विधेयकके पास होनेपर सत्याग्रह सघष, जो १९०६ के सितम्बरमे प्रारम्भ हुआ था, अन्तिम रूपसे बन्द कर दिया गया।"

जुलाई १ कैलेनबैक और कस्तूरबाके साथ केप टाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना। राहत विधेयकपर गवनर-जनरलकी स्वीकृति, बादको उपनिवेश कार्यालयको तार दिया कि 'महत्वपूण प्रशासनिक मुद्दोपर" समझौता।

न्यूजीलैंड द्वारा एशियाइयाके प्रवेशमे बाधा डालनेके उद्देश्यसे भाषाकी परीक्षा लाग करनेके लिए विधेयक पेश।

जुलाई ५ गाधीजीका डबन स्वागत-समारोहमे भाषण, विदाई भोजमे कहा कि विधेयक ऐसा न्याय्य-विधेयक है जिसकी साम्राज्यके हितके लिए नितान्त आवश्यकता थी।

जुलाई ८ डर्बनके टाउन हॉलमे विदाई सभाके अवसरपर अभिनन्दनपत्र भेट।

जुलाई ९ गुजरातियो एव ढेडो द्वारा गाधीजी व कस्तूरबाका सम्मान, खेल-कूद समारोहमे भाषण।

जुलाई १० प्रिटोरियाकी एशियाई बस्तीमे विदाई-सभामे भाषण।

जुलाई ११ फीनिक्स बस्तीसे विदाई।

जुलाई १२ वेरुलममे विदाई-सभामे भाषण, जोहानिसबगके लिए रवाना।

जुलाई १३ शामको जोहानिसबग पहुँचे, जलूसमे ले जाये गये, गेटी थियेटरमें सार्वजनिक सभामे भाषण।

जुलाई १४ जोहानिसबगके मैसॉनिक हॉलमे विदाई भोजन, सी० के० टी० नायडू द्वारा राष्ट्रीय सेवाके लिए उन्हे अपने चार पुत्र भेट।

गाधीजी यूरोपीय समितिसे मिले, अस्थायी समझौतेके बारेमे बातचीत, 'ट्रान्सवाल लीडर'को भेट दी। नेटाल भारतीय काग्रेस तथा हमीदिया इस्लामिया अजुमनके एक दलने 'मर्क्युरी'के इस आशयका पत्र भेजा कि गाधीजीके कार्य सन्तोषजनक नही है और राहत विधेयक मान्य नही।

जुलाई १५ के पूव गाधीजीने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोको विदाई-पत्र लिखा।

जुलाई १५ ब्रूमफ़ॉटीन कब्रगाहमे स्मारक उद्घाटन समारोहके अवसरपर वलिअम्मा, नागप्पन तथा सत्याग्रहियोको श्रद्धाजलि दी।

ट्रान्सवाल भारतीय महिला-सघ, तमिलो तथा मुसलमानोकी सभामे भाषण।

जुलाई १६ सुबह ८ बजे प्रिटोरिया पहुँचे, भारतीय बस्तीमे भाषण, केपटाउन रवाना।

जुलाई १७ वेरीनिगिंग (क्रेनिखन) पहुँचे।

जुलाई १८ केपटाउन पहुँचे, मानुमेंटसे डॉक्स तक जलूसमे ले जाये गये, अभिनन्दन पत्र भेटमे उपलब्ध, 'केप आर्गस'ने भेट ली। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोको लिखा विदाई-पत्र प्रकाशनके लिए दिया, इग्लैंडके लिए रवाना, 'किनफॉन्स-कैसिल' जहाजमे सवार।

जुलाई २० गाधीजीका विदाई-पत्र अखबारोमे प्रकाशित।

जुलाई २२ सघषकी यादगारमे 'इडियन ओपिनियन'का 'स्वर्ण अक' प्रकाशित करनेकी योजना घोषित।

जुलाई २४ 'सघ गजट'मे भारतीय राहत-अधिनियमके अन्तर्गत विवाहोके पजीयनके सम्बन्धमे विनियम प्रकाशित।

जुलाई २८ प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत आगेके विनियम 'गजट'मे प्रकाशित।

अगस्त २ जमनी द्वारा बेल्जियमकी तटस्थताका उल्लघन।

अगस्त ३ मगनलालके नेतृत्वमे भारत जानेवाले फीनिक्स दलको डर्बनमे विदाई।

अगस्त ४ विश्वयुद्ध प्रारम्भ, इग्लिश चैनलमें गाधीजीको समाचार उपलब्ध, लन्दन पहुँचे।

अगस्त ५ वाइसराय द्वारा युद्ध-घोषणा।

अगस्त ७ छगनलालको लिखे एक पत्रमे गाधीजी द्वारा टाँगकी पुरानी पीडासे फिर पीडित होनेकी शिकायत।

अगस्त ८ अग्रेज तथा भारतीय मित्रो द्वारा होटल सेसिलमे गाधीजीका स्वागत, उपस्थित होनेवालोमे जिन्ना, लाला लाजपतराय, सरोजिनी नायडू भी।

अगस्त १० नेटाल भारतीय काग्रेस तथा हमीदिया इस्लामिया अजुमनका शिनाख्तके लिए सरकार द्वारा फोटो माँगनेका विरोध।

अगस्त १३ साम्राज्यकी बिना शत सेवा करनेके निश्चयको दृढ करते हुए गाधीजी, कस्तूरबा तथा सरोजिनी नायडूके हस्ताक्षरासे समर्थकोके हस्ताक्षर प्राप्त करनेके लिए एक परिपत्र जारी।

अगस्त १४ गाधीजी द्वारा घायलोकी शुश्रूषाके लिए एक भारतीय स्वयसेवक दल खडा करनेका प्रस्ताव।

अगस्त १४ के बाद गाधीजीकी अध्यक्षतामे भारतीय स्वयसेवक समितिकी स्थापना।

अगस्त २४ गाधीजी द्वारा दलमें कैलेनबैकको शामिल करनेके बारेमें भारत कार्यालयसे पूछताछ।

अगस्त २६ के पूव घायल सैनिकोकी शुश्रूषाके लिए कक्षामे जाना प्रारम्भ।

सितम्बर ३ प्राथमिक सहायता परीक्षामे बैठे।

सितम्बर १८ गोखलेसे लन्दनमें मिले।

सितम्बर २२ स्वयसेवकोके लिए अपील करते हुए सामान्य परिपत्र जारी किया।

अक्तूबर १ स्वेच्छा-सहायक दलकी बैठककी अध्यक्षता, अन्य लोगोके साथ आगाखाँ, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू तथा अमीर अली भी उपस्थित।

अक्तूबर ३ ईस्टकोर्टमे भारतीय आहत-सहायक दलका शिविर स्थापित। गाधीजीने सदस्योको "चुने हुए उच्च श्रेणीके फलो तथा विभिन्न गरी-फलोका विशेष प्रकारका दोपहरका भोज दिया।"

अक्तूबर ६ विशीमे आराम-उपचार करनेके बाद गोखले लन्दन लौटे।

अक्तूबर १३ कर्नल बेकरको लिखे एक पत्रमे भारतीय समितिकी सलाह लिए बिना कार्पोरलोकी नियुक्तिके लिए दुख प्रकट किया, उसीके आधारपर समितिमें एक प्रस्ताव पास किया गया।

अक्तूबर १४ प्रस्ताव कर्नल बेकरके पास भेजा गया।

अक्तूबर २३ आहत-सहायक दलकी बैठक।

अक्तूबर २५ मगनलाल गाधीको लिखा "मुझे भारत कार्यालयके विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ करना है।" गाधीजी बीमार, विश्राम करनेकी सलाह।

अक्तूबर ३१ कर्नल बेकर द्वारा भारतीय समितिसे सलाह लेनेका सिद्धान्त स्वीकार। गाधीजीने लिखा "सत्याग्रह समाप्त, जो हम चाहते थे वह हमे मिल गया।"

नवम्बर ३ गाधीजी बीमारीके बाद पहली बार उठे, थोडी दूर तक घूमना प्रारम्भ।

नवम्बर ४ अखबारोके जरिये आहत-सहायक दलके लिए स्वयसेवकोकी माँग।

फीनिक्स दल गुरुकुल कागडीसे शान्तिनिकेतन पहुँचा।

नवम्बर ९ गाधीजीके साथी तथा सत्याग्रही, गैब्रियल तथा इसाककी मृत्यु।

नवम्बर ११ के पूव गाधीजीने दलके साथ सप्ताहान्त ईस्टकोटके शिविरमे बिताया। 'इडियन ओपिनियन'ने सूचना दी कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके अध्यक्ष पदके लिए गाधीजीका नाम उम्मीदवारोमे शामिल है।

नवम्बर १३ गोखले बम्बई पहुँचे, सूचना मिली कि आहत-सहायक दल साउदैम्टनके पास मेटले अस्पतालमे कार्य कर रहा है।

नवम्बर २६ गाधीजी फिरसे बीमार, गोखलेको लिखा "मै किसी भी शर्तपर रहना नही चाहता।"

दिसम्बर १ 'इडियन ओपिनियन'का स्वर्ण अक प्रकाशित।

दिसम्बर ४ गाधीजी अब भी बीमार, बिस्तरकी शरणमे।

दिसम्बर १८ रायटरको भेंट दी, भारत रवाना होनेकी शामको वेस्टमिन्स्टर पैलेस हॉटलमे विदाई भोज।

दिसम्बर १९ कस्तूरबाके साथ भारतके लिए जहाजसे रवाना, जहाजमे बँगलाकी पढाई।

दिसम्बर २८–३० भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका मद्रासमे अधिवेशन।

शीर्षक-सांकेतिका

अन्त, ४३८-३९
अंतिम सत्याग्रह संघर्ष : भूमिका, ४९९-५००; —मेरे अनुभव, ५०१-१०
अपील किसलिये? २००
अमर-पुरुष हरबतसिंह, ३१६
आँगलियाकी गवाही, ३४७-४८
आयोगकी रिपोर्ट और सिफारिशें, ३८८-९१
आयोगकी रिपोर्टके बारेमें विचार, ३८१-८२
आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [—१४], ४-६, [—१५], २१-२४, [—१६], ३७-३९, [—१७], ४४-५०, [—१८], ६०-६२, [—१९], ६५-६७, [—२०], ७१-७३, [—२१], ७८-७९, [—२२], ९३-९५, [—२३], ९८-१००, [—२४], १०६-८, [—२५], १११-१३, [—२६], ११४-१५, [—२७], १२४-२६, [—२८], १३०-३२, [—२९], १३६-३८, [—३०], १४३-४४, [—३१], १४६-४७, [—३२], १४९-५३, [—३३], १५६, [—३४], १५७-५९
इसे कैसे किया जाये? १८९
एक अधिकृत वक्तव्य, २३२-३४
एक ऐतिहासिक वहम, ४२१-२२
एक गोपनीय गश्ती पत्र, ५१८
एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मृत्यु, ३५२
एक परिपत्र, ५४०-४१
एक महत्त्वपूर्ण सलाह, ३१८
और भी मित्र चल बसे, १७१
कस्तूरबा गांधीसे बातचीत, ३०
[श्री] काछलियाका पत्र, १८६-८८
कानूनी स्थिति, ४९०-९२
कुलसम बीबीका मुकदमा, २३५-३६
[श्री] गांधी लगभग गिरफ्तार! २०६-७
गृह मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे, ४२५
जनरल स्मट्ससे भेंट, ३१८-२१
जनूबीका मामला, १८-१९
जमानतकी दर्खास्त, २५३
जोहानिसबर्गमें उपद्रव, १२७-२९
डर्बनमें मुकदमा, २५५-५७
तार : अखबारोंको, २४०; —कैलेनबैकको, ४१, —गवर्नर जनरलको, १०८, —गुल और ...मुहम्मदको, ५०, —गृह मन्त्रीको, ७, ८, २६-२७, ८२, ८४-८५, ८७-८८, ९७, २४७, २४८, २५२-५३, २८८-८९, २९७-९८, ४००, ४०१, ४०३, ४०५, ४०६, —गृह सचिवको, १५४, १७६, —गो० कृ० गोखलेको, ११३-१४, १४५, २३६, २३७, २५०, २५१, २७७-७८, २८१-८२, २८२-८३, २८६-८७, २८७, २८९, २९०-९१, २९१, २९१-९२, २९५, २९५-९६, २९८, २९९-३०२, ३०४, ३०७, ३०९, ३१०, ३१०-११, ३११, ३२४, ३२६, ३३१, ३३३, ३४८, ३४९, ३५०, ३५६, ४३३, —जनरल बोथाको ३४०, —जी० ए० नटसनको २४४, —...चैपलिन और दूसरोंको, ५२, ८०, —पाटक उकनको, ८१-८२, —ब्रिटिश भारतीय संघको, १०, —मॉरिस अलेक्जैंडरको ८५-८६, —मार्शल कैम्बेलको, ८१, —लॉर्ड ऍम्प्टहिलको, ५३-५४, २८३-८४, ८५, ८७-८८, आश्नर और कैम्बेलको, ८३-८४, —सर डेविड हंटरको, ८३; —मिनेटर श्राइनरको, ८६, ८६-८७; —'हिन्दू' को, ४३२-३३
तीन पौंडी कर, १९८-९९, २००-२, —सम्बन्धी निराशा, ४१-४२
तूफानके संकेत, २-३
देश निकाला किन्हें होगा? ३३६
द्वितीय वाचन, ७०-७१
धन्यवादका सन्देश, ४९९
नया और पुराना विधेयक, १६-१८
नया प्रवासी विधेयक, १३५
नया विधेयक, १३, ३५
नये कानूनका एक असर, १५५
नये विधेयक, ४३-४४
नाबालिगोंके अधिकार, ३४३-४४

नेटाली भारतीयो, सावधान! ३३
नेताओंसे अपील, ३३९ ४०
पाच सचिवको लिखे पत्रका साराश, २४९
पत्र ऑलिव डोकको, २२९, –'इंडिया' को ५३९ ४०, –'इडियन ओपिनियन' को, ३१४ ३१५, ३८२ ८३, –ई० एफ० सी० लेनको, ८९, ३९५ ९६, –ई० एम० जार्जेसको, ३९४ ९५, ४१७, ४२५-२६, ४२९ ३०, ४३३ ३४, –उपनिवेश-उपमन्त्रीको, ५१७ १८, –ए० एच० वेस्टको, ५४७ ४८, ५५७ ५८, –एच० एस० एल० पोलकको, १४५-४६, –एशियाई पंजीयकको, १२, १४२ ४३, १७३, –कर्नल आर० जे० बेकरको, ५२८ २९, ५३०-३१, –कुँवरजी मेहताको, ४२१, –कुमारी देवी वेस्टको, २६२ ६४, –क्लीमेंट डोकको, २०२, –खुशालचन्द गाधीको, ३५८ ५९, –गवर्नर जनरलके निजी सचिवको, १०, ५५ ५६, –गिरमिटिया भारतीयोको, ४२३, –गृह मन्त्रीके निजी सचिवको, ११५ १८, –गृह मन्त्रीको, १ २, २४१ ४२, २७१ ७४, –गृह सचिवको, ११ १२, २५ २६, २८ २९, ६२ ६३, ७४ ७५, ७५ ७६, ११८ २१, १२३, १६६ ६८, १७६ ७७, १७७ ८०, १९४ ९५, २०७ ८, ३२१ २३, –गो० कृ० गोखलेको, ३९ ४०, १०० २, १०९ ११, १३२ ३३, २४८, ३५४ ५५, ३९२ ९३, ४०४, ४१३, ४३०, ५४२, ५४९, –छगनलाल गाधीको, ३७३ ७६, ५११ १२, ५१३, ५२४, ५३०, ५४१ ४२, ५५३, ५५८, –जमनादास गाधीको, ८८ ९०, १२१ २३, १३९-४१, १४७ ४९, ३५२ ५३, ३५६, ३७९ ८१, ३८५ ८६, ५४४ ४५, –जेल निदेशकको, २३१, –'ट्रान्सवाल लीडर' को, २१२ १४, ४०७, –डा० अब्दुर्रहमानको, ५२६, –टॉमस नेपल्सिनको, २९ ३०, ६९, –दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोको, ४७३-७७, –दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको, २०४ ५, –देवदास गाधीको, ३६६ ६७, –'नेटाल ऐडवर्टाइज़र' को, २७९-८०, –'नेटाल मर्क्युरी' को, १९१-९४, २८५ ८६, ३०५ ०६; –प्रवासी अधिकारीको, १५४, –प्रागजी देसाईको, ५४५-४७; –सर बेंजामिन राबर्टसनको, ३६४ ६५, ३६७ ६८, –भवानीदयालको, ६८, १४१ ४२, ३२६, –भारत उपमन्त्रीको, ५१९, –भारतीय परिवेदना आयोगको, ३३१, –भारतीयोको, २५४-५५, –मगनलाल गाधीको, २०३ ०४, २१०, २१४ १५, २२८, २३०, २४३, २५८ ५९, ३७१ ७२, ५२१, ५२२, ५२२ २४, ५३७ ३८, ५३८ ३९, ५४२ ४३, ५४३ ४४, ५५० ५२, –मणिलाल गाधीको, १५९ ६०, १८५ ८६, ३१२ १३, ३३५, ३५२ ५४, ३५७ ५८, ३६६, ३७८-७९, ३८३, ३८६ ८७, ३९३, ३९६-९८, ३९८ ९९, ४११, –महात्मा मुंशीरामको, ३९१ ९२, –मार्शल कैम्बेलको, २९२ ९३, ३०८ ९, ४२२, –रावजीभाई पटेलको, ३२३ २४, ३४६ ४७, ३४९ ५०, ३५० ५१, ३५९ ६०, ३६८ ७१, ३८४ ८५, ४१५ १६, ४१८ १९, ५१२ १३, –सहायक गृह सचिवको, १७३ ७४, –सी० एफ० ऐन्ड्रयूजको, ३७६ ७८, –सी० राबर्ट्सको, ५२०, ५३२ ३३, ५३४ ३५, ५३५-३७, –हरिलाल गाधीको, १८३ ८५, २३४, ३६१ ६३
पत्रका अश, ३६१, ३८७, ४०० ०१, ४१३ १४, –प्रवासी अधिकारीको, २४९, –मणिलाल गाधीको, १८२, –मणिलाल और जमनादास गाधीको, ४१९ २०, –जे० ई० ऐन्ड्रयूजको, ५३४
परिपत्र प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमें, ५२५ २६
[श्रीमती] पकहरस्टका त्याग, ३६
पोलकके मुकदमेमें गवाही, २६१
प्रवासके महत्वपूर्ण मामले, ३४१ ४२
प्रवासी अधिनियम, ३३७ ३८
प्रवासी कानून सम्बन्धी विनियम, १३३ ३५
प्रवासी विधेयक, ३१ ३२
प्रस्ताव, ५३०
प्रस्ताव पाटीदार सघकी सभामें, २२९
फोक्सरस्टके सत्याग्रही, १९६ ९७
फोक्सरस्टम मुकदमा, २५९-६०
भाषण डाटन फील्ड एम्बूले स कोरके सामने, ५२७ २८, –किम्बर्लेके स्वागत समारोहमें, ४३१, –केपटाउनके विदाई समारोहमें, ४९६ ९८, –केप टाउनके स्वागत समारोहमें, ३०१, –खेलकूद समारोहमें, ४४६ ४९, –गुजराती सभाके उत्सवमें,

४४५-४६, –गुजराती समाजकी सभामें, ४४४-४५, –गुजरातियों की सभामें, ४९०, –जोहानिसबर्गमें, २६५, ४६३, –ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघमें, ४७९-८०, –डर्बनकी सभामें, ४३२, ४६१-६२, –डर्बनके भोजमें, ४५३-५६, –डर्बनमें, २६६, –ढेढा द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमें, ४४९, –तमिल समाजकी सभामें, ४८५-८८, –प्रार्थना सभामें, ४०८, –प्रिटोरियाके विदाई समारोहमें, ४५०, –प्रिटोरियामें, ४८८-८९, –फ्रीडडार्पकी सभामें, २०८-१०, –फ्रीडडार्पमें, ५१-५२, –बधाई समारोहमें, ४२६-२८, –मुसलमानोंकी सभामें, ४८०-८५, –मैरित्सबर्गकी सभामें, २७५, –मैरित्सबर्गकी सार्वजनिक सभामें, २७६, –मैरित्सबर्गमें, २९६, –लन्दनके विदाई समारोहमें, ५५४-५७, –लन्दनके स्वागत समारोहमें, ५१४-५१७, –विदाई भोजमें, ४६४-७०, –विदाई सभामें, ४३५-३७, –वेरुलममें, ४५६-५८, ४५८-६१, –शोक सभामें, १६८-७०, –श्रीमती गांधीकी रिहाई पर, २७६, –सार्वजनिक सभामें, २६७-७०, ३२७-३०, –सी० एफ० एन्ड्रयूजके स्वागत समारोहमें, ३१२
भारतके पितामह, १७०-७१
भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रूपमें, ६३-६४
भारतीयोंकी शिकायतें, ४१४-१५
भेंट ई० एम० जाजसे, ४०८-११, –'ईवनिंग क्रॉनिकल'को', २३५, –'केप आर्गस'के प्रतिनिधिको, ४९८, –'ट्रान्सवाल लीडर'के प्रतिनिधिको, २११-१२, ४७०-७२, –'नेटाल मर्क्युरी'को, २४५-४६, २५१, २६६-६७, ३०२-३०३, –'प्रिटोरिया न्यूज'के प्रतिनिधिको, ३१६-३१७, –रायटरके प्रतिनिधिको, ३१३-१४, ५५५, –रायटरको, २५०, २५४, २९४-९५, –'रैंड डेली मेल'के प्रतिनिधिको, ३२५, –'रैंड डेली मेल'को, २३७-३९, –'स्टार'के प्रतिनिधिको, ५४-५५
मॉरिशसका विवाह-कानून, ४४३-४४
मुनियनका मामला, ९२-९३
यादगारमें, ३५१
याददाश्तके लिए, ४१६
राहत विधेयक, ४१२
लड़ाईके समाचार, २५२
लॉर्ड ऍम्टहिलकी समिति, ३२-३३
लॉर्ड सभाकी बहस, १७४-७५
वक्तव्य तीन पौंडी करके सम्बन्धमें, १०२-३, –प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें, ९५-९७, –प्रवासी विधेयक पर, १०३-४, –वाणिज्य मण्डलमें, २४४-४५
वह विधेयक, ४२
विदाई, –का पत्र, ४९३-९६, –सन्देश, ४६३
विधेयक, ५६, ७६-७७, ९७-९८, १०४-०५, –का परिणाम, १५-१६
विवाह, –का प्रश्न, २२१-२३, –की समस्याके बारेमें विचार, ३३४, –के बारेमें एक महत्त्वपूर्ण फैसला १७२, –के सम्बन्धमें, ३४०-४१, –समस्या, २१८-२०, –सम्बन्धी एक घोषणा, ३९४
वैवाहिक उलझन, १४-१५
व्रतका महात्म्य, २३०
शिकारीका जाल, ३४-३५
श्रद्धांजलि सत्याग्रही शहीदोंको, ४७७-७९
संघको उत्तर, २०-२१
संघर्ष, ५७-६०, –की समाप्ति, ४३९-४२, –कैसे किया जाये? १८९-९१
सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार, ४५१-५३
समझौता न हो सका, १८०-८२
सम्भावना, ९१-९२
स्त्रियोंका प्रस्ताव, ६४-६५
स्मट्स गांधी पत्र-व्यवहार, ३३२-३३
स्वर्गीय रेवरेंड जोजेफ डोक, १६०-६४, १६४-६५, १६५-६६
स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद, १९७, २१५-१७
स्वर्गीय श्रीमती मेयो, ४०६
स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई, १५५
स्वर्गीय सर डेविड हंटर, ४२४
हड़तालियोंको सन्देश, २५७
हथियारोंके बिना असहाय, २२३
हमारी आशाएँ, ३४४-४६
हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद, २२४-२७
हिन्द स्वराज्य, ४०२-०३
हिन्दी और तमिल, ३०६-३०७
हिन्दुओंसे, १९
हिसाब भारतीय आहत सहायक दलका, ५५४

सांकेतिका

अ

अंजुमन, इस्लामिया, ४०३, ४१६

अडाजानिया, सोराबजी, २३४, ५०३, ५२३, ५२४, ५४४, ५४७, ५५२

अधिनियम

केप प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, ७, ८०, ९१, ११८

ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम (१९०७का अधिनियम २), ३१, १७८, ४५२, –के विरुद्ध सत्याग्रहका निर्णय, १७७–८०

ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम (१९०८का अधिनियम ३६), १८, १५४, १५५

नेटाल भारतीय प्रवासी कानून संशोधन अधिनियम (१८९५का अधिनियम १७), ३२, ३३, ११६, ३१८

संघ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, ३१, ११५, १३३, २२०, ३३७, ४१०, –का जुरथुस्ती अंजुमन द्वारा विरोध, १७६–७७, –के अन्तर्गत न्यायमूर्ति ब्रूमका प्रवासी अधिकारीके विरुद्ध निर्णय, ३४१, –के अन्तर्गत प्रवासी अधिकारियोंको अनुचित अधिकार दिये गये, ३३८, –के अन्तर्गत स्थायी प्रमाणपत्रके देनेका प्रश्न, ३९४, –के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध, १८६, –दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके केप प्रवेश अधिकारको छीन लेता है, ९१, –पर लार्ड सभाकी बहस, १७४, –पर लार्ड सभामें लॉर्ड एम्टहिलका भाषण, १८६, –भारतीयोंको परेशान करनेके लिए, ३३८

अधिवास, ५४, १०९, ११६

अपील निकाय, २००, –में प्रवासी अधिकारियोंकी सदस्योंके रूपमें नियुक्तिका विरोध, १७७

अब्दुर्रहमान, डॉ०, ४९६, ४९६ **पा० टि०** ५२६

अमृत बाजार पत्रिका, ५५५ **पा० टि०**

अम्बरीष, ५१०

अर्जुन, ३९६, ३९७

अली, अमीर, ५२७ **पा० टि०**

अली, एच० ओ०, –द्वारा गांधीजीके समझौतेपर आपत्ति, ४७९ **पा० टि०**

अलेक्जेंडर, मॉरिस, ४१, ८०, ८१, ८५, ८६, ९१, ९६, –का विवाह कानूनमें संशोधन, ७६, २१९, २२२

अलेक्जेंडर, श्रीमती, –द्वारा सन् १८९७ में गांधीजीकी सुरक्षाका उल्लेख, ४३६

अवतार, –एक आवश्यकता, १२२

अश्वत्थामा, ९०

अस्थायी समझौता (१९११), २६, ८६, ९५, ३२४, ३२६, –की शर्तें, ३२७, ३५२, ४३९, –की शर्त संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) द्वारा पूरी नहीं होती, ८३, ११५, –की शर्तोंको सरकारको अपनानेके लिए कहा गया, ८८, ९१, –के अन्तर्गत जातीय रोक हटानेपर ध्यान, ८४, –के अन्तर्गत प्रति वर्ष छः भारतीय आ सकते हैं, ११, –के अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयोंके समस्त वर्तमान अधिकार सुरक्षित, १६६, –के अन्तर्गत शिक्षित भारतीय किसी भी प्रान्तमें निवासके लिए स्वतन्त्र, ११, –भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा द्वारा समर्थन, ३२७, –यदि ज्वलन्त प्रश्नोंको बिना हल किये छोड़ दिया जायेगा तो, ८३, –सरकारपर भंग करनेका आरोप, १०३

अस्वात, २८१

आ

आंगलिया, ३४७, –की भारतीय परिवेदना आयोगके सामने बयान देनेपर आलोचना, ३३९

आगाखाँ, ५२७ **पा० टि०**, ५५३

आत्मसंयम, –का महत्त्व, ४०८

आत्मा, –अनन्त है, ८९

आनन्दजी, ठक्कर दामोदर, २४३

ऑर, २३६

आरेंज फ्री स्टेट, ८, १६, २६, ५४, ८४, १०५, १३५, १९२, २३२, ३१९, ४१६, ४४२, भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार सब प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (१९१३) में शामिल नहीं है, २०९, —में जातीय भेदभाव हटानेके लिए कहा गया, ८५, —में प्रवेश करनेवाले भारतीयोंसे ज्ञापन लेना अपमानजनक, ८, ९, १६, १६७, —में सब प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) के अन्तर्गत सैद्धान्तिक अधिकारकी माँग, २६, —में सरकारका उदार प्रशासनके लिए आश्वासन, ४३२

आरोग्य, ४, २१, ३७, ४४, ६०, ६५, ७१, ७८, ९३, ९८, १०६, १११, ११४, १२४, १३०, १३६, १४३, १४६, १४९, १५६, १५७

आहार, —चिकित्सा, २६४, —मणिलाल गांधीको मसालेदार भोजन खानेके विरुद्ध चेतावनी, ३३५

इ

इंडियन ओपिनियन, १ पा० टि०, ४ पा० टि०, ७ पा० टि०, ५४ पा० टि०, ६८, ८६, १०१, १०८ पा० टि०, ११०, १२० पा० टि०, १५९, १६२, १६८, १७५, १८९, २४३, २५९ पा० टि०, ३१४ ३१५ ३२१ पा० टि०, ३२६ पा० टि०, ३४७, ३६७, ३७१, ३७७, ३८२, ३९१, ४२२ पा० टि०, ४८८, ४९९, ५०१, ५२१, ५२६, ५५२, ५५६, —का निरीक्षक, ४५१, —का संचालन समाज सेवा हितार्थ है, ४७८, —हिन्दी और तमिलमें समाचार प्रकाशनका पुनरारम्भ, ३०६ ७

इंडियन सोशल रिफार्मर, ५२४ पा० टि०

इंडिया, ५३५

इस्लाम, —धर्मकी पद्धतिसे सम्पन्न विवाह सर्ले फैसलेके अनुसार वैध नहीं, ३

ई

ईवनिंग क्रॉनिकल, २३५

ईवान्स, मॉरिस, २००

ईसप, १९३

ईसा मसीह, १२२, १५९, ४३६, —के बुराईका प्रतिरोध न करनेके सिद्धान्तमें हमारा समान विश्वास, १७०

ईसाइयत, —में डोककी श्रद्धा, १७०

ईस्ट लन्दन डिस्पेच, —का सरकारसे भारतीय परिवेदना आयोग विषयक माँगकी स्वीकृतिके लिए अनुरोध २८७

उ

उत्तर रामचरित, २६४

उपनिवेश उपमन्त्री, ५१७

उपवास, ५, —पर डॉ० ड्यूवी के विचार, ६

उमनली, एस० एस०, ३०९ पा० टि०

उस्मान, दादा, —की आलोचना, ३३९, —की भारतीय परिवेदना आयोगके सम्मुख गवाही, ३४७

ऋ

ऋग्वेद, —पर दयानन्दका भाष्य, २६४

ए

ए गाइड टू हैल्थ, ४ पा० टि०

एडम्स, डॉ०, २१६

एटीमन, २६४

एम्टहिल, लार्ड, ३२, ५३, ७०, १६१, १७४, १८६, २०४, २०९ २३३, २३९, २८३ २८४, २८७, २८९, पा० टि०, ३३०, ४६७, —द्वारा लार्ड सभामें भारतीयोंके पक्षका समर्थन, १७४

एलगिन, लार्ड, ४४४

एलमन, डॉ० टी० आर०, ५४८, ५५१

एशियाई पंजीयक, १२, १४२, १७३

एसलेन, वाल्टर, २६७, २६९, २७७, पा० टि०, २८३, ३००, ३२०, ३८८, —पर भारतीय परिवेदना आयोगके सदस्यके नाते भारतीयोंका आपात, २९६

एसेम्ब, सर हैरी, ३७४

ऐ

ऐंड्रयूज, चार्ल्स फ्रीअर, २९२, ३०९ पा० टि०, ३१० पा० टि०, ३१२, ३१३ पा० टि०, ३१९ पा० टि०, ३२४, ३२४ पा० टि०, ३२४, ३२७, ३२८, ३३० पा० टि०, ३३५, ३५४, ३५७, ३५७ पा० टि०, ३७१, ३७६, ३८८, ४३१, ४३३, ४३८, ४६९, ५३८, ५४४, ५४९, ५५१, —का टैगोरपर व्याख्यान, ३४८,

३७६, ३७७, पा० टि०, –का पादरी पद छोड़नेका निश्चय, ५३४ पा० टि०, –का स्वागत, ३१०, ३१२, –के इंग्लैंड जानेका असर, ३५०
ऐन्ड्रयूज, जे० ई०, ५३४

ओ

ओलसन ऐंड कम्पनी, २४१

क

कबु, –की गिरफ्तारी, १८४
कब्ज, –का कारण तथा इलाज, ९८
कराची, –का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ३०२ पा० टि०, ३०६
कर्कोटक, १५०
कर्जन, लॉर्ड, १०४
कसरत, –की आवश्यकता, २१
काछलिया, अहमद मुहम्मद २, ३, ७ पा० टि०, १०, १४, २०, ५१, ५५, ५७, ७४ पा० टि०, ७६, १०८, १८०, १८६, १८८, २०९ २२२, २२९, २४७, २५८, २६१, ३२५, ३४०, ३८९, ४३२, पा० टि०, ४४०–४१, ४६३, ४८१, ४९४
कॉटन, सर हेनरी, ५५४ पा० टि०
कामा, श्रीमती, १४
कॉरेली, मैरी, ८९
कॉर्टन, डॉ०, २६४
कार्टराइट, अल्बर्ट, ५१४ पा० टि०
कालिंस, रैम्से, १७१
काली, देवी, १४८
किनफॉन्स कैम्बिज, एस० एम०, ४९८ पा० टि०, ४९९
किपलिंग, –का खिलाड़ियोंका विवरण मस्तिष्कके शत्रुके रूपमें, २३
किम्बर्ले, ३५६, ४३१
कुन्ती, ५१०
कुप्पु, ३७१, ५२४, ५५१
कुरान, १५९, ४८३
कुलसम बीबी, १६८, १८८, २२२, २३५, ३४४, –का विवाह-कानूनके अंतर्गत मुकदमा, २२५
कूच, –का पुनरारम्भ यदि सरकार भारतीय परिवेदना आयोग विषयक माँग स्वीकार नहीं करती, ३०४, –के प्रति यूरोपीयों द्वारा सहानुभूति, ४२७, ४७१, ४८१, –निष्क्रिय प्रतिरोधियोंका ट्रान्सवालमें, २५१, राबर्ट्सनके आनेके एक सप्ताह पश्चात् तक स्थगित रहेगा, ३०४, –सत्याग्रहियोंका ट्रान्सवालमें, ५०७
कूने, १४०
कृष्ण, श्री, ९०, १२२, १४८, १४९, १५९, २६२, ३९६, ४५७, ५१०
केप, ७४, ८१, ९५, १०८, १६६, २३२, २४०, ३१९, ३८७, ४१०, –प्रवासी भारतीयोंको संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके विरुद्ध सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेके लिए कहा गया, ५८, –में दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंका प्रवेश अधिकार, ४१६, ४२५, –में परवाना कानून के यथोचित प्रशासनकी माँग, १८८, –में भारतीयोंकी शिक्षाकी उपेक्षा, ३६५
केप आर्गस, ४९८
केप टाइम्स, ८७, ९५ पा० टि०, २८७, ३४९, ४२२
केप टाउन, ३९१, ४९६, –में सभा गांधीजीको विदाई देनेके लिए, ४९६, –में स्वागत समारोह, ३८७
कर्मे, (कामे) ४१६
केशू, २६२
कटली, डॉ० जेम्स, ५२१ पा० टि०, ५२५, ५२७, ५२७, पा० टि०
कैम्बेल, मार्शल, ८० पा० टि०, ८१, ८३, २९२, ३०८, ४२२, ४२६ पा० टि०, ४५९, –का तीन पौंडी करको समाप्त करानेके लिए किया गया कार्य, २९३, ४२३, ४५७, –का भारतीय परिवेदना आयोगको स्वीकार करनेके लिए गांधीजीसे अपील, ३१३, –की भारतीयोंकी माँगोंके प्रति सहानुभूति, ४२८ पा० टि०, –के गांधीजीपर आरोप, ३०८ पा० टि०, –के बागानमें हड़तालके लिए दुःख, २९२
कलरे, ४१
कैलेनबैक, हरमान ५२ पा० टि०, १०१, ११०, १४८, १४९, १६२, २०३, २०६ पा० टि०, २१२ पा० टि०, २२८, २५०, २५८, २६१ पा० टि०, २६५, २६६ पा० टि०, २७४, २७५ पा० टि०, २७८, २८४, २८८, २९३, ३३० पा० टि०,

३७१, ३७७, ३८५, ३९६, ३९८, ४०६, ४१३, ४२८ पा० टि०, ४३२ पा० टि०, ४६४, ४६४, पा० टि०, ४८८ पा० टि०, ४९६, पा० टि०, ४९७, ४९९, ५०४, ५०८, ५०९, ५१४ पा० टि०, ५१७–१८, ५२०, ५२२, ५२३, ५२७ पा० टि०, ५३७, ५४२, ५४३, ५४७, ५५७, –का सत्याग्रहके समय भव्य कार्य, ४३५, –का हाथके कामके प्रति प्रेम, ४९९–५००, –औपनिवेशिक भारतके लिए अनुमतिपत्रकी मनाही, ५२१ पा० टि०

कोतवाल, १४९, २६४

क्राउज, डॉ०, ४७० पा० टि०

क्रॉस, जे० डब्ल्यू०, २५५

क्रू, लॉर्ड, १७५, २९५, पा० टि०, २९६, २९८, ४६८, ५१९

क्रेनमर, ४३६

ख

खाँ, अब्दुल फजल,– का सघ प्रवासी अधिनियम (१९१३) के अ तर्गत देश–निकाला, २४१

खान मालिक–सघ, ५०४

खुराक, –नमकरहित, ४२०, –फल सर्वोत्तम, ३८०, –फीनिक्समें, १८४, ५०५

खेतसी, २४३

खेती, –में अधिक दिलचस्पी लेनेका मगनलाल गाधीको परामर्श, ५५०

ग

गज्जर, २३०

गणेशन, एस०, ४ पा० टि०

गणदेविया, ५३१, ५४७

गर्भावस्था तथा प्रसूति, –में महिलाओंकी देखभाल, १३०

गवर्नर जनरल, १०८, –के निजी सचिव, १०, ५५

गाधी, करसनदास, ३७५ पा० टि०

गांधी, कस्तूरबा, ३०, ४० पा० टि०, २१०, २३४, २६३, २७२ पा० टि०, ३३५, ३४९, ३५३, ३५७, ३७५, ३७७, ३८१, ३९१ पा० टि०, ४०१, ४१५, ४३०, ४३५, ४४४ पा० टि०, ४६४ पा० टि०, ४७७ पा० टि०, ४८५ पा० टि०, ४९०, ४९६ पा० टि०, ५००, ५११, ५१२, ५१४, ५२२, ५२७ पा० टि०, ५३८, ५४२, ५४७, ५४९, –का प्रथम महायुद्धमें लड़ाईके अतिरिक्त कार्योंके लिए सेवाएँ समर्पित करनेका प्रस्ताव, ५१९, –की गिरफ्तारी १८८, –की बीमारी, ३५३, ३६१, ३६७ ३७७, ३७८, ३८३, ३९२, ३९३, ३९८, ४०४, ४१३, –जेलमें, २०२

गाधी, काशी, १८४, २६३

गाधी, खुशालचन्द, ८८ पा० टि०, २६३, २६४, ३५८, ५४५

गाधी, गगाबाई, ३७५, ५४५

गाधी, चचलबेन, १८३, ३६२

गांधी छगनलाल, ८९, ९०, १९६ पा० टि०, २१०, २६३, ३५९, ३५९ पा० टि०, ३७३, ४६०, ५११, ५१३, ५२४, ५३९, ५४१, ५५२, ५५७

गाधी, जमनादास, ८८, १२१, १३९, १४७, १७३, १८४, २२८, २५७, २६३, ३१३, ३४९, ३५२, ३५६, ३७५, ३७६, ३७८, ३७९, ३८५, ४१९, ५२७, ५४४, –के निष्क्रिय प्रतिरोधके समय व्यवहारकी सराहना, ३५४, –को शादीके बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत रखनेका परामर्श, १३९

गाधी, देवदास १८४, २६२, ३१३, ३६६

गाधी, देवभाभी, ५४५

गाधी, नन्दकौर ३७५

गाधी, नारणदास, १४९, ३५८, ३५८ पा० टि०, ३७४

गाधी, प्रभुदास, २६२, ३१३

गाधी, मगनलाल, ८८, २०३, २१०, २१४, २२८, २३८, २४३, २५७, २५८, २६२, २६३, ३५९ पा० टि०, ३७१, ३७५, ४२४, ५११ पा० टि०, ५२१, ५२२, ५३७, ५३८, ५४२, ५४३, ५४६, ५४९, ५५०

गाधी, मणिलाल, १४१, १४८, १५९, १८२, १८४, १८५, २३१, ३१२, ३३५, ३४९ ३५२, ३५३, ३५६ ५७, ३६६, ३७६, ३७७, ३७८, ३८३, ३८६, ३९३, ३९६, ३९८, ४११, ४१९, ५४३, ५५१, –का जेलमें अपमान, २८१, –का बिना परवाना फेरी लगाकर सत्याग्रह करना, २१०, २१४, –की गिरफ्तारी, २१५, २४३

गांधी, मोहनदास करमचन्द, –अदालतमें, २५५, २५९ –का अप्रैल १९१४ में भारतके लिए रवाना

होनेका प्रस्ताव, ३५५, –का इंडिया आफिसके विरुद्ध सत्याग्रह, ५३८, ५३९, –का कोमल जड़ोंको देखकर अदरकके सेवनका त्याग, ३८०, –का गोखलेके साथ समझौता कि भारतमें आनेके एक वर्ष बाद तक सार्वजनिक विषयोपर मौन रखेंगे, ३५५, ३९३, –का दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके नाम विदाई पत्र, ४९३ ९६ –का फीनिक्समें आहार, ३९८, –का भारतीय परिवेदना आयोगके सम्मुख गवाही न देनेका निश्चय, २६५ पा० टि०, ३३१, ३३२, –का युद्ध समर्थनका कारण, ५४५, –का रेल हड़तालके जारी रहने तक निष्क्रिय प्रतिरोध बन्द करनेका निश्चय, ३१६ पा० टि०, ३१८, –का लक्ष्मीदास गांधीकी मृत्युपर आये शोक सन्देशोंपर कृतज्ञता ज्ञापन, ३८२, –का विदाई समारोह डर्बनमें, ४६१ ६२, –का हड़तालके बीच गोलीसे मरे व्यक्तियोंके मातम मनानेके लिए गिरमिटिया भारतीयोंकी पोशाक धारण करनेका निश्चय, २६७, –की खेतीमें रुचि, ५५०, –की गोखलेकी सेवा करनेकी अभिलाषा, ३५५, –की तीन पौंडी कर रद न होने तक एक समय भोजन करनेकी प्रतिज्ञा, २६८, –की माँग कि भारतीय आहत सहायक दलके सदस्योंको अपने अधिकारी चुननेका अधिकार मिलना चाहिए, ५३९, –की माँग मान ली गई, ५३९, –की बीमारी, ५२७, ५३९, ५४२, ५४३, ५५०, –के साथ स्मट्सकी सहानुभूति, ३१८ पा० टि०, –केप टाउनमें, ४२२, ४९३, –कैलनबैक, पोलक तथा अन्य यूरोपीय मित्रोंको निष्क्रिय प्रतिरोधके समय सहायताके लिए धन्यवाद, ४३१, –को सजा, २५७, २५८, २६१, –गिरफ्तार, २५४ पा० टि०, –जमानत पर, २५३, –जोहानिसबर्गमें, ४६३, ४६४, –ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघमें, ४७९ ८०, –दक्षिण आफ्रिकासे जहाजमें रवाना, ४९८ पा० टि०, –द्वारा इस दोषारोपणका खण्डन कि वे बहु पत्नी विवाहको कानूनी मान्यता देना चाहते हैं, १९४, १९५, –नेटाल कोयलेकी खानोंमें हड़तालपर "नेटाल मर्क्युरी"के प्रश्नोंका उत्तर, २४५, –प्रथम महायुद्धमें असैनिक कार्यवाहीके लिए अपनी सेवाएँ समर्पित, ५१९, –प्रिटोरियामें, ४८८, –बागानमें हड़तालके लिए खेद प्रकट करते हैं २९२, –बीमार लन्दनमें, ५५२, –भारतीय आहत सहायक दलके लिए स्वयंसेवकोंका आवाहन, –५४० ४१, –'रेंड डेली मेल'को डर्बनकी सार्वजनिक सभाके उपद्रवके विषयमें स्पष्टीकरण, २३७

गांधी रामदास, २६३, २६४, ३१३, ३६२, ३८६, –की गिरफ्तारी, १८४

गांधी, लक्ष्मीदास, ३७८ पा० टि०, ३५९, ३७५ पा० टि०

गांधी, सन्तोक, ३५९, ५२२, –की गिरफ्तारी, १८४

गांधी, सामलदास, ३७५, ३७८, ५२४

गांधी, सुशीलाबेन, १६०

गांधी, हरिलाल, १४७, १८३, २३४, ३१३, ३५९, ३५९ पा० टि०, ३६१, ३६२, ३७५, ३८७, ५२३, –को इम्तिहानोंका मोह छोड़ने तथा दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेकी सलाह, २३४, ३११

गाडफ्रे, जे० डब्ल्यू०, २५५, २५८, ३११

गार्डिनर, जस्टिस, ७७, –का भारतीयोंके विवाहोंके पंजीयनके पक्षमें निश्चय, १७२, –द्वारा ईसाई ढंगसे की गई शादियोंको मान्यता देनेसे इन्कार, २१८, २२१

गिरमिटिया, –४२३, ४२५, –भारतीयोंका ट्रान्सवालमें जाना, २६०, –भारतीयोंके सत्याग्रहमें कार्यकी प्रशंसा, ४५७ ५८, –भारतीयोंके वंशजोंकी स्थितिको मान्यता देनेकी बात, ११६, –भारतीयोंको तीन पौंडी करको रद करवानेके लिए हड़तालकी सलाह, २३३, –भारतीयोंको शराब पीनेसे घृणा करनेकी सलाह, ४६२, –भारतीयों द्वारा हड़ताल, २७०, ५०३-०४

गिरमिटिया प्रणाली ;– के विषयमें रैम्जे मैकडानल्ड को विवरण, ३०७ पा० टि० – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मिटानेकी माँग २९८ पा० टि०

गुजराती,– लोगोंको सलाह, ४९०

गुल, डॉ० जे० ऐच० ५०, ३७३, ४९६ पा० टि०

गुल मुहम्मद, आदम, –को संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३)के विरुद्ध प्रतिरोध करनेके लिए परामर्श, ५०

गुल, श्रीमती, ३६६, ३८४, ३९१

गृह-मन्त्री, १, ७, ८ २६ ८२, ८४, ८७, ९७, २४१, २४७, २४८, २५२, २७०, २८८, २९७, ३२१, ४०३, ४०४, ४०५ ६, ४२५, –के निजी सचिव, ११५

गृह-सचिव, ११, २५, २८, ६२, ७४, ७५, ११८, १२३, १५४, १६६, १७६, १७७, १९४, २०७

गेलवे, कर्नल, ५३३

गोकुलदास, ३७५

गोखले, गोपाल कृष्ण, ७ **पा० टि०**, २९, ३९, ४१, ५३, ६०, ८५, १००, १०२, १०३, १०९, ११३, १३२, १४५, १४९, १९९, २०८, २३६, २३७, २३९, २४७, २४८, २५०, २५१, २५६, २५८, २७७, २८१, २८२, २८६, २८७, २८९, २९०, २९१, २९३, २९५, २९६, २९९, ३०४, ३०७, ३०९, ३१०, ३११, ३२४, ३२६, ३३१, ३३३, ३४८, ३४९, ३५०, ३५४, ३५६, ३९२, ४०१, ४०४, ४१३, ४२४, ४३०, ४३१, ४३३, ४३६, ४३८, ४८३ **पा० टि०**, ५१५, ५२२, ५२६, ५३८, ५४१, ५४२, ५४८, –का सुझाव कि भारतीयो को भारतीय परिवेदना आयेाग मान लेना चाहिए, २७७ **पा० टि०**, –को सघ शामनका वचन कि तीन पौंडी कर समाप्त कर दिया जायेगा, १८७, १९३, २३२, २३३, २४०, २४४, २५४, ३१४, –द्वारा दक्षिण आफ्रिकाका निरीक्षण, १७९

गोपीचन्द, ४१६

गोवि दसामी, श्रीमती, २०४

गोवि दू, २६३, –की गिरफ्तारी १८४

ग्रीन, एल० एच०, २७५ **पा० टि०**

ग्रीनबर्ग ४०७

ग्रेलिंगस्टॉट, –में गाधीजीकी गिरफ्तारी, ५०९

ग्लैड्स्टन, लॉर्ड, ९५ **पा० टि०**, १०८, १२९, २०८ ३१७ **पा० टि०**, ३२० **पा० टि०**, ४०८ **पा० टि०**, ४३० **पा० टि०**, ४३८, –द्वारा भारतीय सभ्यताकी प्रशसा, ३४८

च

चडले, १२८

चन्द्र, मानिकलाल, ५४८

चरित्र, –का निर्माण ही सच्ची शिक्षा, ४४७, साहित्यिक शिक्षासे अधिक आवश्यक, ४४९

चार्वाक, १४८

चीनी सघ, –द्वारा गाधीजीको मानपत्र, ४६४ **पा० टि०**

चेचक, १११, ११४, –का इलाज, १२४, –का टीका जगली रिवाज तथा अ धविश्वास, १०७, ११२, –का टीका जेलमें महिला निष्क्रिय प्रतिरोधियोको, २४८, –के टीकेपर आपत्ति, १११, ११४

चैपलिन, ड्रमड, ७ **पा० टि०**, २९, ४१, ५२, ६९, ७६, ८०

चैमने, ३९४, ४५०, ४६४, ४८९

छ

छोटाभाई, ३१

छोटम, २०४, २६२

ज

जनूबी, बाई, २०, –का मामला, १४, १८–१९, –की शादीपर टेथमकी राय, १८

जय ती अंक, –'इडियन ओपिनियन' का ४५१

जयशकर, ५५२

जरथुस्ती अजुमन, – द्वारा सघ प्रवासी प्रतिब धक अधिनियम (१९१३) के अ तर्गत पारित विनिमय का विरोध, १७६

जलने, –का इलाज, १४६

जातीय रोक, ८४, –का निष्क्रिय प्रतिरोधके अ तर्गत हटाया जाना विचारणीय, १८१, –संघ प्रवासी प्रतिब धक विधेयक (१९१३) में, १०३

जाफर, २३०

जॉर्जेस ई० एम०, १२३, १७४, १९४, २०७, ३१९, ३६४, ३९४, ४०८, ४१०, ४१७, ४२५, ४२९, ४३३

जिन्ना, एम० ए०, ५१० **पा० टि०**,

जुस्ट, ४० २५९, २६१ **पा० टि०**, –का दावा कि मिट्टीका इलाज सर्प दशको ठीक कर सकता है, १५३

जुलू विद्रोह, ५३३

जूबर्ट, २६१ **पा० टि०**

जेनर, डॉ०, ११२

जेम्स, ५४८

जेम्सन, रॉबर्ट, ४५३ पा० टि०, ४५४
जेल-निदेशक, २३१
जोहानिसबर्ग, २६५, ४६३, –की सभाका संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) के विरुद्ध सत्याग्रहका निश्चय, ५७–६०, –में खानोंमें काम करनेवाले गोरोंकी हड़ताल तथा दगा, १२७, –में भारतीयोंका सार्वजनिक सभा द्वारा अस्थायी समझौतेका अनुमोदन ३३१
ज्वर, –की प्राकृतिक चिकित्सा, ९३

झ

झवेरी, उमर हाजी आमद, २१५, २६४, –नेटाल भारतीय समितिके मन्त्री निर्वाचित, २३८
झवेरी, रेवाशकर जगजीवन, ५२१ पा० टि०,

ट

टाइम्स ऑफ इंडिया, ३२४ पा० टि०
टाउनशिप एमेंडमेंट एक्ट, ३४४, ४१६
टाटा, रतनजी, ५५३
टॉमस, कुमारी, ५०४
टॉल्स्टॉय, ८९, ४०६, ४३६, ४५१, –फार्म, २५१, ५०८
टैथम, एफ० एस०, २६४, –की जूनबी बाईकी शादी पर राय, १८
ट्राइटन, ७१
ट्रान्सवाल, २४३, –में भारतीयोंकी शिक्षाकी अवहेलना ३६५, –में सत्याग्रहियोंका कूच, २५२, २५४, ५०८
ट्रान्सवाल भारतीय महिला समिति, ६३, ४५४, ४७९, –द्वारा गाधीजीको विदाई, ४७९–८०, –द्वारा मानपत्र, ४६४ पा० टि०
ट्रान्सवाल लीडर, २११, २१२, २५३ पा० टि० ४०७, ४५६ पा० टि०, ४७०, ४७२, ४८१ पा० टि०, –को भेंट निष्क्रिय प्रतिरोधके विषयमें, २१२, २१२ पा० टि०

ड

डकन पेटिक, ८०, ८१, ४६७
डडी, –में गाधीजीका मुकदमा, २५५
डर, –एक प्रकारकी नैतिक कमजोरी, ८९
डर्बन, २६६, ४३२, ४५३, ४६१, –की सार्वजनिक सभामें गड़बड़, २३७
डावर, ३६२
डी' विलियर्स, ४३४
डूबना, –इलाज, १४३
डैनियल ४३६
डेविड, ३९८
डोक, ऑलिव, १६४, २२९
डोक, कम्बर, १६४
डोक, क्लीमेंट १६०, १६४, २०२
डोक, रेवरेंड जोजेफ जे०, १६०, १६४, १६५, १६६, २०२ पा० टि०, २२९ पा० टि०, ४६५, –का जीवन, १६९, –की आक्रमणके पश्चात् सुश्रूषा और सत्याग्रहमें किये गये कामकी प्रशसा १६२, १६६, १६९, –की ईसाइयतमें श्रद्धा, १७०
डोक, विलियम एच०, १६२, १६५
डोक, श्रीमती जोजेफ जे०, १६०, १६४, १६५, १७०
ड्यूवो, डॉ०, –द्वारा उपवासके लाभोंपर विचार, ६
ड्रूकल, श्रीमती, ३७७

ढ

ढेड, ४४९

त

तमिल, ४८५, –समाज द्वारा मर्ले फैसलेके विरुद्ध सभा, ३, –कल्याण समिति द्वारा गाधीजीको मानपत्र, ४६४ पा० टि०
तर्खंड, एम० ए०, ५४०, ५४१, ५५५
तारामती, ५१०
तीन पौंडी कर, ४१, १०२, १९६, १९८, २००, ३१६, ३२७, ४११, ४५६, ४६६, –का इतिहास, १९८ ९९, २०० २०२, –का प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकमें रद करना, ४१२, ४४०, –का सर डेविड हटर द्वारा विरोध, ४२४, –का स्थगित किया जाना, ४१, –की अदायगी न करनेके जुर्ममें दण्डित लोगोंकी रिहाईकी मांग ४०१, –की बकाया वसूली, ३९६, ४००, ४५९, –के रद करनेके लिए स्मट्स तैयार, ३१४, –के रद करानेके लिए गिरमिटिया भारतीयोंकी नेटालमें हड़ताल, २३६, २३८, –के विरोधमें ट्रान्सवालमें कूच, ५०८, –के हटानेका वचन, १९८, २३३, २४०, ३१४, ४३९, –के हटानेकी माग, ९७, १८१,

२३६, २३९, २५६, ३२२, ३२७, –न चुकानेका मुनिधनके विरुद्ध मामला, ९२ –न हटाने तक सत्याग्रह जारी रहेगा, १७९ ८०, १८७, –पर भारतीय परिवेदना आयोगकी रिपोर्ट, ३८९, –पर मार्शल कैम्बेलका समर्थन पानेका प्रयत्न, २९३, –पर यूरोपीय लोग, २३६, –पर रैम्जे मैक्डा-नल्डको भेजा जानेवाला वक्तव्य, ३०७ पा० टि०, –पर विचार, २१८, –सत्याग्रहका ध्येय, १८६, २००, ४८७, –सरकारका इरादा केवल महिलाओं-परसे हटानेका, ९७, १०२
तुलसी, २६४
तुलसीदास, ३६९

थ

थोरो, हेनरी डेविड, २३

द

दगा, –जोहानिसबर्गकी खानोंमें काम करनेवालोंमें, १२७, १२९, - विनौनीमें, १२७
दक्षिण आफ्रिका, ४७३
दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, ३० पा० टि०, ६५ पा० टि०, ३१५ पा० टि०, ३२२ पा० टि०
दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय संघ, ३२, ४० पा० टि०, १०१, ११०, –को चन्दा देनेकी अपील, १९१
दक्षिण आफ्रिका बैपटिस्ट संघ, १६२, १६३
दमयन्ती, ५१०
दयानन्द, स्वामी, ४१५, –की ऋग्वेदकी टीका, २६४
दयाराम, ५१०
दयाल, भवानी, ६८, १४१, ३२६
दयाल, श्रीमती भवानी, –को तीन माहके कठोर कारावासका दण्ड, २३७
दशरथ, ४१५
दाउद, हसन, २६४
दी सिक्रेट सिटी, १६१
दुबे, २४८
दूध, –के बिना रहनेकी इच्छा, १४०, ३७४
देवकी, ५१०
देवधर, गोपाल कृष्ण, ५२१
देवी बहन, २०४, २६२
देसाई, १८४
देसाई, एम० सी०, २५२
देसाई, पुरुषोत्तम, २०३
देसाई, प्रागजी खण्डूभाई, २४३, ३३५, ३४३, ३७५ ५१२, ५३९, ५४५, –द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोधमें बिना परवाना फेरी, २१०, –पर जेलमें आक्रमण तथा दुर्व्यवहार, २३१, २७९, २८१

ध

धर्म, –की तुलना अनुचित, १२२
धर्मराज, ९०
ध्रुव, ५१०

न

नजीर, २२५
नटराजन, सी०, ५२४
नटेसन, जी० ए०, २४४
नन्दजी, ५१०
नल, १५० ५१०
नवीन २०४, ५५१, ५५२
नागप्पन ३८२ ४४४, –का बलिदान, ४३८, ४६६, ४७८
नाबालिग बच्चे, १, १२, ३४३, ३४४, –की सुरक्षा की माँग की गई, २७, –नेटाल प्रवासी अधिकारी द्वारा आने देनेकी मनाही जबतक माता पिता जन्म प्रमाणपत्र नहीं दिखाते, १, –संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) अधिकारोंकी सुरक्षा नहीं करता, १७
नायक, ५११
नायडू, थम्बी, ४८७, ४८८ पा० टि०, ५०३, ५०४
नायडू, पी० के०, २७३ पा० टि०, ४८८, ५०३
नायडू, श्रीमती थम्बी, –को तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड, २३७
नायडू, श्रीमती पी० के०, –को तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड, २३७ पा० टि०
नायडू, श्रीमती सी० के० टी०, ४६४, ४८७
नायडू, सरोजनी, ३७६ पा० टि०, ५१४, ५२७ पा० टि०

नायडू, सी० के० टी०, ५५१, –का अपने चार पुत्रोंको भारतकी सेवाके लिए समर्पण, ४६४ **पा० टि०**
नारायणसामी, ४४५, –का बलिदान, ४३६, ४३८, ४६६, ४७८, ४८६
नॉर्टन, ४१३, ४१९ **पा० टि०**, ४२०
नेटाल –भारतीयोंके विषयमें साम्राज्य सरकार द्वारा घोषणा, ९५ –भारतीयोंको सघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) के विरुद्ध सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेके लिए आवाहन, ५७ ६०, –में गिरमिटिया भारतीयोंकी हडताल, २३६, २७०, –में भारतीय अधिकारोंकी सुरक्षाकी माँग, ८४, –में भारतीय जन सख्या, ११६, –में भारतीयोकी शिक्षाकी उपेक्षा, ३६५, –में भारतीयोके अधिवासके अधिकारपर सघ प्रवासी प्रतिब धक विधेयक (१९१३) का प्रभाव, ५४, –में भारतीयोंको अस्थायी अनुपस्थितिके बाद पुन प्रवेशका अधिकार है, १८७
नेटाल ऐडवर्टाइज़र, २७९
नेटाल कोयला खान सघ, २४७
नेटाल खेलकूद समिति, ४४७
नेटाल भारतीय सघ, २६७ **पा० टि०**, –द्वारा अस्थायी समझौतेका अनुमोदन, ३३० **पा० टि०**
नेटाल मर्क्युरी, ७७, ९५ **पा० टि०**, १७१, १८६, १९१, २००, २४५, २५१, २६६, २७७ **पा० टि०**, २८५, ३०२, ३०५, ४२३, ४२६ **पा० टि०**, ४३२, ४३५ **पा० टि०**, ४३६ **पा० टि०**, ४४०, ४५३ **पा० टि०**, ४९१, –का लेख निराधार तथा भ्रामक, ४१७ **पा० टि०**, –ने तीन पौंडके करकी छूटके पश्चात् भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोको निषिद्ध प्रवासी कहा, ४९१, –से नेटाल कोयलेकी खानोंमें हडतालके विषयमें भेंट, २४५ ४६
नेटाल विटनेस, –द्वारा सघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) के अन्तर्गत सर्वोच्च यायालय तक पहुँचके अधिकारको वापस लेनेकी आलोचना, ४२
नेपाल, –की मृत्युपर विचार, ३५९, ३७१
नैयर, डॉ० सुशीला, ४ **पा० टि०**
नौरोजी, दादाभाई, १७०
न्याय-सचिव, २४९
न्यूटन, सर आइज़क, १४०

प

पटेल, गोर्धनभाई, २१५
पटेल, मगनभाई, ३२३, ३४९, ३७५, ३८५, ५२२, ५४१ ५५१, –की गिरफ्तारी १८४
पटेल, रावजीभाई मणिभाई, २१५, ३२३, ३४६, ३४९, ३५०, ३५९, ३६८, ३७१, ३७५, ३८४, ३९८, ४१५, ४१८, ५१२, ५३९, –की गिरफ्तारी, १८४
परमात्मा, – का मकान, शरीर, १५८, – चैतन्य, १८४, – मोक्ष प्राप्त आत्मा, १२१, – शुद्ध चेतन, ८९
परीख, जे० एम०, ५४०, ५४१, ५५५ **पा० टि०**,
पाइवेल, श्रीमती, २६२
पाटीदार समिति, –द्वारा **ट्रान्सवाल लीडर**की इस रिपार्टका खण्डन कि भारतीय व्यापारी निष्क्रिय प्रतिरोध में सम्मिलित न होगे, २२९
पानीका इलाज, ७१, –अनेक रोगोंके लिए ६५, ७१
पारेख, इस्माइल, २६४
पियर्सन, डब्ल्यु० डब्ल्यु०, ३०९ **पा० टि०**, ३१०, ३५०, ३५४, ३७१, ४३३, ५४४, ५५१
पियर्सन, रेव० डब्ल्यु०, – का स्वागत, ३१०
पिल्ले, श्रीमती एम०, २३७ **पा० टि०**,
पिल्ले, श्रीमती एम० एस०, २३७ **पा० टि०**,
पिल्ले, श्रीमती एम० बी०, २३७ **पा० टि०**,
पिल्ले, श्रीमती के० सी०, २३७ **पा० टि०**,
पीटर्सन ऐंड क०, २४१
पीरभाई, आदमजी, –की मृत्यु, १५५
पीरभाई, करीमभाई आदमजी, ५५३
पीरभाई, वली, २५२
पुरी, स्वामी मगलानन्द, १४१
पुरुषोत्तम, दया, –का मामला, ३३७
पैकहर्स्ट, श्रीमती, ३६
पोलक, एच० एस० एल०, १९, ४०, ६८, १००, १०१, ११३, १२३, १३२, १४५, १४८, १४९, २०४, २३६, २४८, २६४, २६६, २६६ **पा० टि०**, २७४, २८४, २८८, २९३, २९६ **पा० टि०**, ३०६, ३२६, ३३० **पा० टि०**, ३६४, ४३१, ४५२ **पा० टि०** ४६५, ४८५, ४८८, **पा० टि०**, ५०९, ५१५, ५४१, ५४८, – का मुकदमा और सजा, २६१ **पा० टि०**, –की गिरफ्तारी, २६१

५०९, – की सहायताके लिए भारतीयोंसे कहा गया, ४७६
पोलक, जे० एच०, ५५५ **पा० टि०,**
पोलक, मॉड, ५१३,–की गलतफहमी, ४०
पोलक, मिली ग्राहम, १३२, २६५, २७६, ४७७, ४९६ **पा० टि०,**
पोलक, श्रीमती जे० एच०, ५५५ **पा० टि०**
पोल्टट, २५९
पोशाक, ३७
प्रवासी अधिकारी, १३४, १५४, २४९
प्रवासी निकाय, १६
प्रसाद, कर्नल कान्ता प्रसाद, ५४०, ५४१, ५५५
प्रह्लाद, ४१५
प्राकृतिक चिकित्सा, – चेचक तथा अन्य चर्म रोगोंके लिए, १२४–२६
प्राटले, टी०, ४३१ **पा० टि०**
प्रिटोरिया, ४५०, ४८८, – में आम सभा द्वारा अस्थायी समझौतेका समर्थन, ३२७,–में विदाई समारोह, ४८८–८९
प्रिटोरिया न्यूज, ३१६, ३६७, ४८८, –द्वारा सत्याग्रहियोंको छोड़नेकी भारतीय माँगका समर्थन, ३८६
प्लेग, –का प्राकृतिक इलाज, १२४

फ

फकीर, जोगी, २१०, ५२४
फिट्जजेराल्ड, श्रीमती, – दगेके कारण गिरफ्तार, १२७
फिट्ज़ साइमन, १५२
फिलिप्स, रेव० चार्ल्स, ४७६ **पा० टि०**
फिलिप्स, श्रीमती, ४७७
फिशर, ए०, १ **पा० टि०**, ५५, ५६, ६४, ६९, ७०, ७४ **पा० टि०**, ७६, ८१, १००, १०३, १०४, १०९, ११७, १४६, १६७
फीनिक्स, ३५६, – में दिनका प्रोग्राम, १८४, – में बिना नमकको खुराक, ४९९
फोक्सरस्ट, १९६, २५९, – में गांधीजीका मुकदमा, २५९–६०, – में सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी, १८४, १९६–९७
फौजदार, वालजी, १४०
फ्रीडडॉर्प, ५१, २०८, – में ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा १०, –में [ब्रि]टिश भारतीय सघ द्वारा सब प्रवासी प्रतिबंधक विधेयक (१९१३) पर प्रस्ताव पारित, ५५

ब

बड़ौदा, गायकवाड़, ५५३
बदात, २५२
बद्री, २०४
बप्टे, मेजर, ५३१
बर्टन, ३९५
बलि, ५१०
बसु, भूपेंद्रनाथ, ५१४
बसुमति, ५१०
बाइबल, ८९, १५०, १५९
बाकू, २०४
बापा, ३७८, ३९३
बाबुल, श्रीमती नूरमुहम्मद, २१०
बावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, ३२७ **पा० टि०**, ३४९, ३९१ **पा० टि०**, ५२४
बिन्स, २००, ३३७, ३४२
बुद्ध, १२२, १४०, ४१५
बूथ, डॉ०, ४५५
बेकर, कर्नल आर० जे०, ५२५, ५२९, ५२९ **पा० टि०**, ५३०, ५३२, ५३५, ५४२
बेनोनी, –में दगा, १२७
बेली, रेवरेंड, २७० **पा० टि०**, ४४७
बेसेंट, श्रीमती एनी, १४०
बैंटिक, लॉर्ड, विलियम, ३३०
बोअर युद्ध, ५३१, ५३३
बोथा, लुई, ४३, १२८, १६८, २४०, ३४४, ३७६ **पा० टि०**, ४६५, ५०२, ५१६, ५५५, –की इस्तीफा देनेकी धमकी यदि प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक पारित न हुआ, ४३१, तथा हर्टसोंगका झगड़ा, ४२
ब्रह्मचर्य, ३४९, ३८५, –शादीके बाद जमनादास गांधीको परामर्श, १३९
ब्रिटिश भारतीय सघ, ७ **पा० टि०**, १०, ५१, ५१ **पा० टि०**, ५४ **पा० टि०**, १७७, १८०, १९१,

१९५, २०९, २२०, ४०७, ४६४ **पा० टि०,** ४८४ **पा० टि०,** ५५२, –का संघ प्रवासी प्रतिबंधक विधेयक (१९१३) के विषयमें प्रस्ताव ५५, –की निधिका हिसाब ४७७, –द्वारा गांधीजी को मानपत्र, ४६४ **पा० टि०**

ब्रिस्को, डॉ०, २५२

ब्रूम, जस्टिस, ३४१, –की संघ प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियम (१९१३) की प्रवासी अधिकारीके विरुद्ध निषेधाज्ञासे सम्बन्धित व्याख्या, ३३७

ब्लेयर, श्रीमती, २१४

भ

भगत, अखा, ३६९

भगवद्गीता, १५९, ३९६, ४०८, ४४९, ५११, ५४५

भायात, २१५

भायात, इस्माइल, १८

भारत, ५३५, –पीड़ितोंका 'विश्राम स्थान', ४४५

भारत उपमन्त्री, ३६४, ५१९

भारत सरकार, १६३, २०१, २१०, ४२१, ४२३, ४३३, –द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी सहायता, ४३६, ४३८

भारतीय आहत सहायक दल, ४५५, ५२७, ५३०, ५३३, ५५३, –की घायलोंके लिए सेवा, ५४०, ५४७, –की माँग मान ली गई, ५३९, –के द्वारा भारतीय स्वयंसेवकोंका कवायद करनेसे इनकारीका प्रस्ताव, ५३०, –को आन्तरिक प्रशासनमें स्वतन्त्रताकी माँग, ५३२, –में स्वयंसेवकोंकी तरह भरती होनेकी अपील, ५४०-४१, –द्वारा अपना अधिकारी चुननेकी स्वतन्त्रताकी माँग, ५३३, –द्वारा घायलोंकी सेवा, ५४०-४४

भारतीय परिवेदना आयोग (आई० जी० सी०), २६५, २७९, ३३१, ३३२, ३३३ **पा० टि०,** ४१९, –का भारतीयों द्वारा विरोध ३२१, –की नियुक्ति, २६५, –की रिपोर्टकी आलोचनाके विषयमें दक्षिण आफ्रिकी अखबारोंकी टीका, २९८, ३८८, –के सामने गवाही देनेके कारण दादा उस्मान तथा आंगलियाकी टीका, ३३९, –के सामने भारतीयोंको जबतक माँग स्वीकार न हो, गवाही न देनेके लिए कहा गया, २६७, ३३२, –को स्वीकार करनेकी मार्शल कैम्बेलकी अपील, ३१३ –गोखलेका सुझाव कि भारतीयोंको स्वीकार करना चाहिए, २७७ **पा० टि०,** –में भारतीय भावनाओंकी अवहेलना की गई, ३००, ३२५, –में भारतीय सदस्योंको सम्मिलित करनेकी माँग, २७०, २७७-७८, –में श्राईनर और रोज इन्सके नामका सुझाव, २७२, ३२०, –में स्वर्ण कानूनका कोई निर्देश नहीं, ३८१, –से सम्बन्धित भारतीय माँगें अस्वीकृत २८१, ३२७, –हास्केन द्वारा माँगका समर्थन, २८७, २८८

भारतीय फेरीवालों, –के संघ द्वारा ऐन्ड्रयूज और पीयर्सनका स्वागत, ३१२ **पा० टि०,** –को बिना परवाना फेरी लगाने तथा गिरफ्तार होनेका परामर्श, १९०

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, –द्वारा भारतीयोंके लिए ब्रिटिश साम्राज्यमें नागरिक अधिकारकी माँग, ३०२ **पा० टि०,** ३०६, –द्वारा भारतीय हितोंकी भारतीय परिवेदना आयोगमें प्रतिनिधित्वकी माँग, ३०२

भीखा, भगवान, १७२

भीष्म, ५१०

भ्रमण, –की थोरो द्वारा प्रशंसा, २३

म

मकदूम, शेख, २५२

मद्रास भारतीय समिति, ४९६ **पा० टि०**

मच्छी, बाई, –के विवाहका पंजीयन होनेपर अपील स्वीकृत, १७२

मरियम बाई, २०, –का मुकदमा, २

महात्मा गांधीजीना पत्रो, ८९ **पा० टि०**

महिलाओं, –का निष्क्रिय प्रतिरोधके लिए समर्पण, २०८, २१०, २२३, २२८, ५०२, –की गिरफ्तारी तथा कारावास, २३७, –द्वारा जेलमें उपवास, २२८

माधव, ५१०

मॉरिशस, ४४३, –का विवाह कानून, ४४३, –दक्षिण आफ्रिकासे खराब, ४४१

मावजी, पुरुषोत्तम, –का पंजीयन प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाता है, १५४, –का भारत जाना, १७३

मिट्टीका इलाज, ७८

मिया ईसप, –समझौतेकी उपयोगिता तथा गांधीजीके वार्ता करनेके अधिकारपर प्रश्न करता है, ४८० पा० टि०
मिलनर, लॉर्ड, १५
मिलीगन, १७१
मीराबाई, ४१५, ५१०
मुदलियार, आर० मूनसामी, ३५२
मुत्तु, २४३, २८२, ५१३
मुनियन, ९२, –का मामला, १०३ पा० टि०, –के विरुद्ध मुकदमा तीन पौंडके करकी अदायगी न करनेके लिए, ९२
मुंशीराम, महात्मा, ३९१
मुरगन, विली, २२७, ५०३
मुसलमानों, –की सभा, ४८०
मुहम्मद दाउद २१५, २१७, २२५, –नेटाल भारतीय संघके प्रधान निर्वाचित, २३८
मुहम्मद, हाजी हुसेन दाउद, १९७, २१५, २२४, –की मृत्यु, १९७, –के सद्गुणोंकी प्रशंसा, २२४, २२७, ५०३
मूदले, श्रीमती रामा, ४७९ पा० टि०
मूनसामी, वलिअम्मा, ३८२, ४४४, ४६५, ४६५, ४७८, ५०३, –का बलिदान, ३५१, ४३६, ४३८, ५१५
मूर, डॉ० १४४, १५६
मूरत, श्रीमती, ५४९
मृत्यु, –का भय, ३६६ ६७, ३६८
मेढ, सुरेन्द्रराय बापूभाई, १०१, १८४, २४३, ३१३, ३३५, ३७३, ५४६, –की गिरफ्तारी, २१५, –द्वारा बिना लाइसेंसके फेरी, २१०, २१४
मेयो, श्रीमती इसाबेला फायवी, ४०६, ४०६ पा० टि०
मेलर, ह्यूग, एम०, २८३, ३९५, ४२६ पा० टि०
मेसर्स जैगर ऐंड क०, २४१
मेहता, कल्याणदास जगमोहनदास, ५२४
मेहता, कुंवरजी, ४२१
मेहता, डॉ० प्राणजीवन, ११०, २३४, २६४, ३५०, ३७५, ३९२, ४०४, ५२३, ५२४, ५३८, ५४३, ५४९
मेहता, नरसिंह, १२१, ५१०
मैकडॉनल्ड, रेम्जे, ३०७, ३०७ पा० टि०
मैकिंटायर, २६३
मैकेंजी, २१७
मैारत्सबर्ग, २९६
मैरीमैन, जॉन एक्स०, ४१, ५२, ८०, ३४८, ४९७
मैलेट, ५३५
मैसन, जास्टस, –"भारतीयोंकी विश्वसनीयता" के विषयपर, ४०७
मोक्ष, –का अर्थ, ८९, –पर शंकराचार्य ३६८, –विषयक गांधीजीकी साधना १४९
मोटन, हबीब, २२८
मोतीलाल, ५११

य

यशोदा, ५१०
युधिष्ठिर, ९०
यूनियनिस्ट पार्टी, २३६, –द्वारा संघ प्रवासी बंधक विधेयक (१९१३) का विरोध, ५८, ७०, ९८, १००
यूरोपीय, ५४ पा० टि०, – सामति, १७१ पा० टि०, – सहायक समिति, ५०४
योगदीपिका, ५१२

र

रलियातबेन, ३७५ पा० टि०, ५४५
रवीन्द्रनाथ, ३९२ पा० टि०, ५११ पा०, टि०, ५१६, ५२७ पा० टि०, ५४४, ५४९, ५५१, – पर ऐंड्रयूजका व्याख्यान, ३४८
राजू, २२८ पा० टि०
राजेंगम, ५४९
राधा, २६२
रानडे, महादेव गोविन्द, १८४
राबर्ट्स, चार्ल्स, ५२०, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५४७, ५५२, ५५४ पा० टि०
राबर्ट्सन, सर बेंजामिन, २९५, २९६, २९९ पा० टि०, ३१९ पा० टि०, ३२२, ३२४ पा० टि०, ३२६, ३२९, ३३२, ३५४, ३६४, ३६७, ३७७, ३८९, ४३४, – की वाइसरायके प्रतिनिधिके रूपमें दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा, ३०४ पा० टि०, ३११ पा० टि०
राबिन्सन, सर जॉन, १७१

रामचन्द्र, श्री,– १२२, १४८, १५९, ३६९, ३७०, ४१५, ५५०
रामतीर्थ, १४०
रामलिंगम, श्रीमती, २३७ पा० टि०
रामायण, १५९, ३९८, ५११, –कस्तूरबा के लिए गांधीजी पढ़ते हैं, ३७३
रायटर, २५०, २५४, २९४, ३१२, ५५४
रायप्पन, जोजेफ, २१० पा० टि०, २७५ पा० टि०,
रावण, ३६९
रॉस डॉ०,– की मृत्यु, १७१,– की निष्क्रिय प्रतिरोधमें सेवार्थे,– १७१
रिच, एल०डब्ल्यू०, ३, ५२, १०१, १०९, पा० टि०, २१२ पा० टि०, २४२, २८४, २८७
रिपन, लॉर्ड, ३३०
रुक्मांगद, ५१०
रुद्र, सुशील कुमार, ३९२
रुस्तमजी, पारसी, १०१, १०८ पा० टि०, १३२, २०४, २१५, २१६, २२७ २३०, २३८, २९६, पा० टि०, ३३० पा० टि०, ३८५, ४७६, ५०३, –की गिरफ्तारी, १८४, –की प्रवृत्ति, ४४७ ४८, –के साथ जेलमें दुर्व्यवहार, २७९, २८२
रेलों, –में भारतीयों की कठिनाइयाँ, ३४४
रेड क्रॉस सोसाइटी, ५२५
रैंड क्लब, १२८
रैंड डेली मेल, २३७, २८८, ३२५, ४८० पा० टि०, –की टिप्पणी डर्बनकी सार्वजनिक सभाकी गड़बड़ीपर, २३९ पा० टि०, –द्वारा भारतीय परिवेदना आयोग विषयक भारतीय माग स्वीकार करनेका अनुरोध, २८७–८८, –से भेंट, डर्बनमें सार्वजनिक सभामें गड़बड़के बारेम, २३७ ३९
रोज इन्स, सर जेम्स, ४२, –की भारतीय परिवेदना आयोगमें नियुक्तिकी माग, २७०, ३२०
रोमन कैथॉलिक्स, –उपवासके दिनोंमें, ६
रोहित, ४१५

ल

लक्ष्मी, ३७०–७१, ५३९
लन्दन, ५१४, ५५४
लॉइड जॉर्ज, ५२८, –का स्त्री मतान्दोलिका द्वारा मकान जला दिया गया, ३६
लाजरस, डी०, –२४३, ५०४, ५०५
लॉटन, ४३६, ४५५
लाल बहादुरसिंह, ३३५
लालचन्द, २६४
लेन, ई० एफ०सी, ८, ९, १५४, ३९५
लैंग्स्टन, ई०एच०, ४६०
लैटिमर, ४३६

व

वाइली, कर्नल, २६७, २६९, २७१–७२, २७३, २८३, ३८८, –के भारतीय परिवेदना आयोगके सदस्य होनेपर आपत्ति, २९९ पा० टि०, ३००
वाईबर्ग, श्रीमती, ५१४ पा० टि०
विंटरबॉटम, कुमारी एफ० डब्ल्यू० ५५४ पा० टि०
विंडन, २०६
विक्रेता परवाना, ३६४, ४१६, –का प्रश्न भारतीय परिवेदना आयोग द्वारा रद्द, ३९०, –के विरोधमें भारतीय आन्दोलन करनेके लिए स्वतंत्र, ४९४, –प्रत्येक प्रान्तमें भिन्न, ३६४
विदुर, ५१०
विधेयक –
भारतीय राहत विधेयक – (आई० आर० बी०), ४०४ पा० टि०, ४११, ४१२, ४२६, ४३६ ३९, –के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध उत्तरदायी, ४२२, –पर संघ संसदमें विवाद, ४२१, –भारतीय परिवेदना आयोगकी सिफारिशोंको लागू करता है, ४१२, –में मृत पत्नियोंके शिशुओंकी सुरक्षाकी दृष्टिसे संशोधनकी माग, ४१२, संतोषजनक, ४१३, ४३८
संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक, ११, १३, १५, १८, ३५, ४२, ४३, ५६, ७६, ९५, ९७, १०३, १०४, १३५, १५५, –का यूनियनिस्ट पार्टी द्वारा विरोध, ५८, ७०, ९८, १००, –के अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकाम उत्पन्न भारतीय केप प्रवेश अधिकारसे वंचित, ५४ ८३, ९५, १०५, १०८, ११६, –के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध, १८०–८१, –के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोधकी आवश्यकता, ५६, ५७, ७०, ९५, ९८, १०१, १०४, –गैर ईसाई विवाहोंको

वैध नहीं मानता, ११६, –द्वारा अस्थायी अनुपस्थितिके बाद प्रान्तमें पुन प्रवेशकी सुविधाका हनन, १०८, –द्वारा अस्थायी समझौतेकी शर्तें लागू नहीं होती, ९५, १०८ –द्वारा ऑरेंज फ्री स्टेटमें भारतीयोंके प्रवेशपर रोक ५४, १०५ –नेटाल भारतीयोंके अधिवास अधिकारोंकी रक्षा नहीं करता, ९५, १०८, –पर फिशरका वक्तव्य, ६९, –पर हरकोर्टका बयान, १०३,–में अलैक्जैंडरका सशोधन, ७६

विनकॉल, ३३९

विभीषण, १४८, ५१०

विवाह, २-३, ९, १४ ६३, ७७, ८१, २४७, –ईसाई पद्धतिके अतिरिक्त अन्य वैवाहिक पद्धतियोंको मान्यता न देनेका न्यायमूर्ति सर्लका निश्चय, १, ६२, २१८, –और कुलसम बीबी, २१८, २२२, –और सघ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (१९१३), १९४, –का तरीका, ४०९, –का प्रश्न, २२१, –कानून अस्पष्ट, ३८१, –कानूनका ब्रिटिश भारतीय सघ विरोध करता है, ३, –कानूनके विरुद्ध भारतीयोंको लडनेके लिए कहा गया, २३५ ३६, –की समस्याके बारेमें विचार, ३३४, –के बारेमें एक महत्त्वपूर्ण फैसला, १७२, –को कानूनी मान्यता देनेकी माँग, ७५, ८०, ११७, १३५, १६७ २०९, २४३, २४६, ३२२, ३४०, ४१६, ४२५, –ट्रान्सवाल प्रवासी कानूनके सशोधन द्वारा, ५२, –पर भारतीय परिवेदना आयोगकी रिपोर्ट, ३९०, –बहुपत्नीक, ८०, १७६, १९२, १९४, २०९, २२२, २३२, –भारतीय विवाहको सरकार द्वारा मजूर करनेसे इनकार, २६ पा० टि०, ७५, २२१, –विवाह समस्या, २१८, –विषयक अलेक्जैंडरका सशोधन, ७६, –विषयक मारिशसका कानून, ४४३, –सघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक द्वारा २०, २५, २९, ५४, ८३, १०४, –सशोधन अस्वीकृत, ८६, ८७, ९६, ९८, –सरकारी गजटमें घोषणा कि भारतीयोंके लिए विवाह ज्ञापन आवश्यक ३९४, ३९५, –१८७१ के ट्रान्सवाल विवाह कानूनके समान कानूनकी माँग, ८३, ८४, ८७

विश्व युद्ध, प्रथम, ५१४ पा० टि०, –में गांधीजी द्वारा अपनी सेवाएँ अर्पित, ५१८

विसर, डॉ०, –की जेलमें निष्क्रिय प्रतिरोधियोंके प्रति रूक्षता, २३१

वूडहाउस, रेवरैंड, १६३

वेबर, १६३

वेरुलम, ४५६, –में गांधीजीको विदाई, ४५८ ६१

वेसेल्स, न्यायमूर्ति, २५, ८१, २२०, २२२

वेस्ट, ए० एच०, २४३, २५८, ३७७, ४५०, ४६०, ५०३, ५४१, ५४७, ५५२, ५५६, ५५७

वेस्ट, कुमारी (देवी), २६२

वैंकट रमण, ५२८

वैलेस, १४०

वॉगल, श्रीमती, ४८०

व्रत, –का महत्त्व, २३०, –का माहात्म्य, २३०

व्यास, ५१०

श

शकराचार्य, ३६८

शकरानन्द, स्वामी, ६८

शकूर, तैयब, २४३

शान्ति, २१४, २६५, ५५१, ५५२

शास्त्री, २९९ पा० टि०

शिक्षा, –दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय भाषाओंकी उपेक्षा, ३६५

शिक्षित भारतीय, ७, २०७, ४१६

शिव १५९, ५१०

शिवपूजन, ५५१, –की गिरफ्तारी, १८४

शिवप्रसाद, २६२

शेषनाग, १४९

श्रद्धानन्द, स्वामी, ३९१ पा० टि०

श्रवण, ४१५

श्राइनर, ऑलिव, ८३, ४९६ ५५४ पा० टि०

श्राइनर, डब्ल्यू० पी०, ८३, ८५, ८६, १०१, १०९, ३७६, ४९७, –का सघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) के विरुद्ध सघर्ष जारी, १०४, –को भारतीय परिवेदना आयोगमें शामिल करनेकी माँग, २७०, ३२०

श्राइनर, थियो, ५२, ८०

श्लेसिन, सोंजा, ६२ पा० टि०, ९०, ११०, १४८, २२९, २५८, २६३, ३५६, ३७८, ४२०, ४५३ पा० टि०, ४६५, ४७७ पा० टि०, ४८५

पा० टि०, ४९६ पा० टि०, –की भारतीय कार्यके लिए सेवाएँ, ६३, ६४, ४५४

स

सघ सद, ११०, ३९२

सघ सरकार, ३४, ४१, ४३, ५५, १०५, १७५, २१०, २९६, ३६४, ४२२, ४६७, –की भारतीय विवाहोंके विषयमें घोषणा, ३९४, ३९५, –ने गोखलेको तीन पौंडी कर हटानेका वचन दिया, २४४

सत्यदेव, १४२

सत्याग्रह, ७५, २४४ पा० टि०, ३४५, –अतिम शस्त्र, ४७५, –का अर्थ सत्यकी शक्ति, आत्मिक शक्ति, प्रेमकी शक्ति, ४५२, –और शरीरबलमें अ तर, ३३६, –कमजोरोका अस्त्र नही, ४३६, –कष्ट निवारणका एकमात्र अस्त्र, ३०९, –का प्रताप, ४५८, –का सिद्धात और व्यवहार, ४५१, –किस प्रकार आयोजित हो, १८९ ९१, –की अतिम लड़ाई, ४५१ ५३, –की घोषणा, १८६, –की मीमा, ३४५, –के निर्णयकी सरकारको सूचना, १७७ ८०, –के समर्थनमें सभा, २४४, २८५, –के फिरसे छेड़नेका निश्चय, १८० ८२, –गोरोकी वृत्ति बदलनेका सबसे अधिक प्रभाव शाली तरीका, १८१, –महान प्रतिज्ञा, २३०, –में हार नही, ५०१, –यदि अस्थायी समझौतेमें सम्मिलित प्रश्न बिना सुझाये छोड़ दिये जायें, ८४, –यदि सघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) भारतीयोको स तुष्ट करनेके लिए सशोधित न किया गया, ५२, ५३, ७४, ८०, ८१, ९५, ९८, –हर परिस्थितिमें प्रभावशाली, ४४

सत्याग्रह निधि, –२३०, इकट्ठा करनेकी आवश्यकता, २१०

सत्याग्रही, ८८, –आत्माकी आवाजके अनुसार चलता है, ४१४, –को भारी यातना सहनेके लिए तैयार रहना चाहिए, ५९, –युद्धका समर्थन नही कर सकता, ५४५, –सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी तथा सजा, १९६ ९७, २०७, –की रिहाईकी माग, ३२५, –के प्रति दुर्व्यवहार, २७९, ३०३

सन्त पाल, ३९६

समझौता, –एकप्रकारका 'मैग्ना कार्टा', ४५०, ४८९, ४९३, –अपूर्ण, ४५३

सरजू, –का तीन पौंड कर न देनेका मामला, १९९

सर्प-दंश, –का इलाज, १५१, –जुस्टका दावा कि मिट्टीके इलाजसे ठीक, १५३, –से प्रतिवर्ष मृत व्यक्तियोंकी सख्या, १५२

सर्ले, यायमूर्ति, १, २, १४, १९, २०, २९, ८६, १९४, २०९,– का गैर–ईसाई विवाहोंको अमा यता देनेका फैसला, २५, ५३, ६२, ७,६ २१८, २२१, ३२७, ४४०, का निर्णय बहु विवाह से सम्ब ध नही रखता, ७५, –का निणय भार तीयोको उत्तराधिकारियोसे वचित करता है, ३५,– द्वारा खड़े किये प्रश्नको सुलझानेके लिए विवाह कानूनके सशोधनकी आवश्यकता, २७, २९,– नाबालिग बच्चोंके अधिकारोपर, ७

सर्वे ट्स ऑफ इडिया सोसाइटी, ५२१

सर्वोच्च यायालय, ७, १४, १५, ७४, १०९, ११७, १९२, १९४, २१८, ३४४, ४९१, –की नेटाल विटनेस द्वारा आलोचना, ४२

सर्वोच्च–न्यायालय (नेटाल डिवीजन), १४, ३४१,– का निश्चय कि गैर– ईसाई शादियोको वैध होने की मा यता नही दी जा सकती, २१८, –गैर ईसाई शादियोंसे उत्प न उत्तराधिकारियोंको मान्यता न देनेके प्रश्नपर प्रश्न उठाता है, २८, –जनूबोके मामलेमें, १९, २५

सॉंडर्स, ४५९

साम्राज्य सरकार, ३१, ४४, ६९, ७० ८७, १००, १७५, १९३, २१०, ४२१, ४२३, ४३१, ४३३, ४८३ पा० टि०, –की घोषणा कि किसी प्रकारका समाधान जो केप और नेटालके भारतीयोंके वर्तमान अधिकारोंम खलल डालता है, स्वीकार न होगा, ८८, ९५, –की दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी सहायता, ४३६, ४३८, ४६६, –की सघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकपर भारतीयोको दिये गये वचनकी अवहेलना, १०३ ०४

सॉलोमन, सर विलियम, २७७ पा० टि०, ३२०, ४८३ पा० टि०, –को भारतीय एक सदस्यीय आयोगके रूपमें माननेको तैयार, २९७

सावर, जे० डब्ल्यू०, ४३, ९२

सिडेनहम, लॉर्ड, १७४, १७५

सिन्हा, ४१३

सि हा, सच्चिदान द, ५१४ पा० टि०

सीक्रेट सिटी, २०२
सीता, ३७० ७१
सुब्रायन, १२३, –का मामला, १२३
सूकर, ३३९
सैंट फ्रांसिस, १५०
सोढा, रतनसी, १८४ **पा० टि०** २३२,
सोढा, रेवाशंकर गिरफ्तार, १८४
स्टार, ५४, १२८, २२८, ४५६ **पा० टि०**
स्टैंट, ४५०
स्टडर्टन, –में गांधीजीकी गिरफ्तारी, ५०९, –में परीक्षा, २५४
स्पार्क्स, कर्नल ५३५
स्प्रिंग, सर गॉर्डन, ६५
स्मट्स, जॉन क्रिश्चियन, ८, ४१, ५५, ८३, ८४, ८६, १०२, ११७, ११९, १२८, १५४, १६७, १७१, १७४, २५६, २८८, २८९, २९३, २९५, २९६, ३०१, ३०४, ३१६ **पा० टि०**, ३१८, ३१९, ३२३, ३२४, ३२७, ३३२, ३९५, ४०१ **पा० टि०**, ४०९ **पा० टि०** ४११, ४१३, ४२१, ४२६, ४३२, ४३४, ४४०, ४६८, ४७१, ४८३ **पा० टि०**, ४९४, ५१६, ५५४, –एक ही विवाह करनेवाले पतियोंकी पत्नियोंको सवैधानिक रूपसे मान्यता देनेको राजी, ३१९, –की निगाहमें गांधीजी असाधारण व्यक्ति, ३१९ **पा० टि०**
स्मार्ट, सर टॉमस, ७ **पा० टि०**, ४१, ५२
स्मिथ, कुमारी, ५४१, ५५२, ५५६
स्वर्ण कानून, १७८, २४६, ३४४, ४१६, ४४२, –अपवादात्मक, १८८, –ऐसा हो जो निहित अधिकारोंमें बाधा न डाले, २३२, ३६५, –का प्रशासन ४१६, –की स्थिति यूरोपीयोंको समझाने की आवश्यकता, ४८४, –के विरुद्ध भारतीयोंको लड़ना चाहिए, ४७५, –से जातीय भेदभाव प्रदर्शित, १८१, –में संशोधन आवश्यक, ४७६

ह

हंटर, सर डेविड, ८०, ८३, ९२, ४२४, –का गैर ईसाई विवाह सम्बन्धी कानूनी संशोधनके विषयमें अश्वाशन, ८३ **पा० टि०**, –की मृत्यु, ४२४
हड़ताल, –के बीचमें निष्क्रिय प्रतिरोध स्थगित करनेका निश्चय, ३१७ **पा० टि०**, गिरमिटिया भारतीयों की नेटालमें, २७४, ४५६, ५०४, –जोहानिसबर्ग में, १४१ **पा० टि०**, –तीन पौंडी कर हटवानेके ध्येयको लेकर, २३८, २४०, –रेल कर्मचारियोंकी ३३६
हमीदिया इस्लामिया संघ, –का गांधीजीके प्रतिनिधित्वके विरोधमें प्रस्ताव नहीं, ४८० **पा० टि०**
हरकोर्ट, ९५, १०३, १०५, १२९, ४३४, –का कथन कि कोई भी ऐसा समाधान जिससे नेटाल और केप भारतीयोंकी वर्तमान स्थिति कमजोर हो, महामहिमकी सरकारको स्वीकार न होगा, ८७
हरबतसिंह, ३१४, ३१५, ३१६, ३८२, ४३८, ६४६, ५१५
हरिश्चन्द्र, ४१५, ५१०
हर्टसॉग, जेम्स बैरी, एम०, ४३, ४९२, –और बोथाका झगड़ा, ४१
हसन, महमूद, ३६८ **पा० टि०**
हाजी, एच० हबीब, ४८८ **पा० टि०**
हॉथोर्न, यायमूर्ति, ९२
हाबहाउस, कुमारी, २९१
हार्डिंज, लॉर्ड, ३८८, ४६६, ५१५, –का भाषण, २९० **पा० टि०**, –की दक्षिण आफ्रिकी भारतीयों को सहायता, ४३१, ४३३, ४३६, –"नेक वाइसराय तथा वफादार दोस्त", ४९७
हार्डिंज, लेडी, ४९७ **पा० टि०**
हॉस्केन, विलियम, २९, १६२, २६५ **पा० टि०** ४६५, ५०४, –की भारतीय परिवेदना आयोग विषयक भारतीयोंकी माँगोंके समर्थनमें अपील, २८७, २८८
हिंद स्वराज्य, १४१, ४०२
हिंदी, –और तमिल, ३०६, ३०७, –मे पुन 'इंडियन ओपिनियन' में समाचार प्रकाशन, ३०७
हिंदू, १९, ४३२, ४३३ **पा० टि०**
हिंदू सभा, ३९१ **पा० टि०**
होम्स, डब्ल्यू०, ४३५ **पा० टि०**